

**DUE DATE SUP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

**सेवीकर्त्त्य प्रशासन  
PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION**

## दो शब्द

राज्य के कल्याणकारी स्वरूप और लोकतन्त्र के प्रसार के साथ सेवीवर्गीय प्रशासन का महत्व बढ़ना स्वाभाविक है। तफल सेवीवर्गीय प्रशासन लोक-कल्याण की अभिवृद्धि और प्रशासन की सफलता का आधाररूप है। सेवीवर्गीय प्रशासन वह केन्द्र-विन्दु है जिसके इर्द-गिर्द प्रशासन की विभिन्न समस्याएँ ढाई रहती हैं। प्रशासन यन्त्र को सञ्चालित करने वाले लोगों की उपेक्षा का दूसरा अर्थ है सम्पूर्ण प्रशासकीय ढाँचे वा चरमरा जाना और प्रशासकीय प्रक्रिया का अस्त-अस्त हो जाना। आज विश्व के सभ्य समाज ने समझ लिया है कि प्रशासन वे मानवीय पहलु की उपेक्षा कितनी घातक हो सकती है। सेवीवर्गीय प्रशासन को आज लोक-प्रशासन में सर्वोच्च तत्व माना जाता है। विश्व के हर देश में राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय शासन-स्तर पर लोकसेवकों की सृष्टि ने लगातार बढ़ि होनी जा रही है।

'सेवीवर्गीय प्रशासन' पर इत्तर रखना मे विश्व के प्रमुख देशों के सेवीवर्गीय प्रशासन वा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। लोक-कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वर्गोंकेरण, अनुशासन आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यातन जानकारी दी गई है। स्वस्य सेवीवर्गीय नीति की विवेचना के साथ सेवीवर्गीय प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान की दिशा मे बहुत बुद्धि विला गया है। सदूक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रैंस, भारत, ग्रादि प्रमुख देशों म लोक-सेवाओं के विकास का रोकक इतिहास दिया गया है और इन देशों के सेवीवर्गीय प्रशासन का मूल्यांकन किया गया है। बेतन-प्रशासन पर समुचित प्रकाश ढातने के साथ ही स्वस्य बेतन-सरचना का दिशाबोध भी है। सक्षेप मे, सेवीवर्गीय प्रशासन के सभी प्रमुख पक्षों के सैद्धान्तिक भीर व्यावहारिक पहलुओं पर विश्वसनीय जानकारी दी गई है।

विश्वास है कि सेवीवर्गीय प्रशासन पर हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों मे यह रखना भागा सम्मानजनक स्थान पा सकेगी। जिन विद्वानों के मानक-ग्रन्थों और सौतों से पुस्तक की रखना मे सहायता ती गई है, लेखकद्वय उनके प्रति हृदय से आभारी हैं।

# सेवीवर्गीय प्रशासन

PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION

(A Comparative Study of Personnel Administration  
in India, Britain, U S A and France)



डॉ. सो. एम. जैन

परिष्ठाता, बड़ाबांद अध्यायन संस्थान  
उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर

एवं

डॉ हरिशचन्द्र शर्मा

राजनीति एवं प्रशासन को अनेक पुस्तकों के रचयिता



टिसर्च पब्लिकेशन्स

नयी दिल्ली • गयपुर

### *Topics for Study*

Bureaucracy its nature and concept, recent trends, types of bureaucracy with special reference to Morstein Marx Development and significance of Public Services, Nature of Personnel Administration A Comparative study of Personnel Administration in India, Britain U S A and France Recruitment, Classification, Salary, Promotion and Training of Public Services with reference to India, Great Britain, U S A and France Conduct rules and disciplinary action, removal and appeals, Retirement Benefits, Employees organisation and representation, Staff Council, Service disputes, Whitleyism in England, Right to Strike and Political Rights of civil servants

---

#### © PUBLISHERS

All Rights Reserved with the Publishers

Published by Research Publications, New Delhi-2 and Jaipur-2

Printed at Hema Printers, Jaipur

# अनुक्रमणिका

नौकरशाही इसकी प्रकृति और अवधारणाएँ, आधुनिक प्रवृत्तियाँ, मासंटोन मावर्स के विशेष सम्बद्ध में नौकरशाही के स्पष्ट ...

(Bureaucracy Its Nature and Concept, Recent Trends, Types of Bureaucracy with Special Reference to Marxist Marx)

नौकरशाही का यथेह एवं प्रकृति (2) नौकरशाही की आधुनिक अवधारणाएँ (6) नौकरशाही के विकास के स्रोत (12) नौकरशाही की विशेषताएँ (14) नौकरशाही में आधुनिक प्रवृत्तियाँ (16) एम. मावर्स के मतानुसार नौकरशाही के स्पष्ट (18) नौकरशाही को नमस्करण की आवश्यकता (21) नौकरशाही और सामाजिक परिवर्तन (23) नौकरशाही की विशेषताएँ (25) नौकरशाही के कार्य (26) नौकरशाही की आज्ञोजना (30) कुछ सूझाव (34) प्रतिवद्ध प्रशासन-तन्त्र (35) नौकरशाही और वर्तमान सरकार प्रजादल्लभ में नौमित्रियों और विशेषज्ञों का भूमिका तथा उनका पारस्परिक सम्बन्ध (38) मन्त्रियों की प्रशासनिक अनमिज्जता (38) लोकसेवकों की प्रशासनिक विशिष्टता (39) अविशेषज्ञ और विशेषज्ञ के सम्बन्ध से साम (40) क्या मन्त्रियों का प्रशासनिक विशेषज्ञ न होना उपयोगी है? (41) मन्त्रियों और लोकसेवकों का पारस्परिक सम्बन्ध (44) मन्त्रियों पर लोकसेवकों का प्रभाव (45) कुछ मन्त्री लोकसेवकों के हाथ की कठपुतली होते हैं? (46)

लोकसेवाओं का विकास एवं महत्व ... ...

(Development and Significance of Public Services)

लोकसेवाओं का स्वरूप (51) लोकसेवाओं का महत्व (53) भारत में लोकसेवायों का विकास (57) स्वतन्त्र भारत में लोक-सेवा (63) वर्तमान मारतीय लोकसेवा का स्वरूप और विशेषताएँ (68) ब्रिटेन में लोकसेवाओं का विकास एवं

## ॥ अनुच्छमणिका

महत्त्व (71) संयुक्तराज्य में लोकसेवाओं का विकास (79) फ्रैंस में लोकसेवाओं का विकास (86) लोकसेवाओं में युद्धोत्तर सुधार (90)

3 सेवीवर्ग प्रशासन की प्रकृति .... .... .... 92

(Nature of Personnel Administration)

सेवीवर्ग प्रशासन का अर्थ (93) सेवीवर्ग प्रशासन के मूल तत्त्व (93) सेवीवर्ग प्रशासन के उद्देश्य (95) स्वस्य सेवीवर्ग नीति के लक्षण (98) सेवीवर्ग प्रशासन सम्बन्धी नीति (100) सेवीवर्ग प्रशासन से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ (101) विकसित देशों में सेवीवर्ग प्रशासन तकनीकी प्रभाव (103) विकासशील देशों में सेवीवर्ग प्रशासन (107)

4 भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में सेवीवर्ग प्रशासन की तुलनात्मक अध्ययन .... .... .... 110

(A Comparative Study of Personnel Administration in India, Britain, U. S A and France)

भारत में सेवीवर्ग प्रशासन (110) भारत में विशिष्ट लैंगिक सरचना पर एक दृष्टि (124) ब्रेट ब्रिटेन में सेवीवर्ग प्रशासन (132) संयुक्तराज्य अमेरिका में सेवीवर्ग प्रशासन (138) फ्रांस में सेवीवर्ग प्रशासन (145)

5 भारत, ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस में सेवीवर्ग की भर्ती .... .... .... 150

(Recruitment of Personnel in India, U K, U S A and France)

भर्ती का अर्थ एवं महत्त्व (151) भर्ती की प्रक्रिया (154) भर्ती के हृप (157) सूट प्रणाली एवं योग्यता प्रणाली (157) भर्तीकर्ता की नियुक्ति (167) भर्ती की प्राप्ति प्रणाली (170) भारत में नेवीवर्ग की भर्ती (171) भारत में सेवीवर्ग की भर्ती : मूल मिद्दान, प्रहृताएँ और प्रणालियाँ (172) भारत में भर्ती के अभिकरण मधीय लोकसेवा आयोग (180) भारत में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए घारक्षण (190) भारत में भर्ती की सुमस्याएँ और सुधार के सुझाव (199) सविधीय निकायों के लिए भर्तियाँ (203) ब्रेट ब्रिटेन में नेवीवर्ग की भर्ती (204), मध्यूक्तराज्य, अमेरिका, ऐ. ए. नेवीवर्ग, और भर्ती (212) फ्रांस में सेवीवर्ग की भर्ती (222)

<b>6 भारत ग्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस में सेवा वर्गीकरण की व्यवस्था</b>	232
(System of Service Classification in India, Great Britain, U S A. and France)	
सेवा वर्गीकरण का अर्थ (232) सेवा वर्गीकरण के मूल तत्त्व (233) सेवा वर्गीकरण की विशेषताएँ (234) सेवा वर्गीकरण का महत्व एवं आवश्यकता (235) सेवा अवादा पद-वर्गीकरण की सीमाएँ एवं समस्याएँ (239) सेवा अवादा पद-वर्गीकरण की एवं स्वस्य व्यवस्था (241) सेवा वर्गीकरण की प्रमुख प्रणालियाँ (242) ग्रेट ब्रिटेन में सेवा वर्गीकरण (244) भारत में सेवा वर्गीकरण व्यवस्था (250) संयुक्तराज्य अमेरिका में पद-वर्गीकरण (260) फ्रांस में सेवा वर्गीकरण (268)	
<b>7 वेतन प्रशासन भारत, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस</b>	276
(Salary Administration in India, U K., U S A and France)	
स्वस्य वेतन सरचना की विशेषताएँ (277) भारत में वेतन प्रशासन (280) ग्रेट ब्रिटेन में वेतन प्रशासन (297) संयुक्तराज्य अमेरिका में वेतन प्रशासन (304) फ्रांस में वेतन प्रशासन (309)	
<b>8 पदोन्नति भारत, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस</b>	313
(Promotion Policies in India, Great Britain, U S A. and France)	
उपमुक्त पदोन्नति व्यवस्था का महत्व (314) उचित पदोन्नति व्यवस्था की विशेषताएँ (316) पदोन्नति के लिए पात्रता (317) पात्रों में से घटन के निर्धारक तत्त्व (318) भारत में पदोन्नति व्यवस्था (324) ग्रेट ब्रिटेन में पदोन्नति व्यवस्था (332) संयुक्तराज्य में पदोन्नति व्यवस्था (337) फ्रांस में पदोन्नति व्यवस्था (342)	
<b>9 प्रशिक्षण भारत, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस</b>	347
(Training : India, U. K., U. S A. and France)	
प्रशिक्षण अर्थ (347) प्रशिक्षण के उद्देश्य (348) प्रशिक्षण की प्रणालियाँ (350) प्रशिक्षण के प्रकार (353) प्रशिक्षण की समस्याएँ (354) भारत में लोकसेवकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था (359) भारतीय प्रशिक्षण व्यवस्था की समस्याएँ च दोष और सुधार के सुझाव (373) ग्रेट ब्रिटेन में प्रशिक्षण (375) संयुक्तराज्य अमेरिका में प्रशिक्षण (380) फ्रांस में प्रशिक्षण (385)	

## IV अनुक्रमणिका

<b>10 आचरण के नियम तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदमुक्ति एवं अपीलें, सेवा निवृत्ति लाभ</b>	....	....	<b>393</b>
(Conduct Rules and Disciplinary Action, Removal and Appeals Retirement Benefits)			
आचरण के नियम (393) अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदमुक्ति एवं अपीलें (402) अधिकाराज्य में अनुशासन पदमुक्ति एवं अपीलें (411) ब्रिटेन और फ्रांस की लोकसेवाओं में अनुशासन (413) सेवा निवृत्ति लाभ (413)			
<b>11 कर्मचारी संगठन एवं प्रतिनिधित्व, सेवा विवाद, इंग्लैण्ड में हिउटलेवाद हड्डताल का ग्रधिकार तथा नागरिक सेवकों के राजनीतिक अधिकार</b>	....	....	<b>421</b>
(Employee Organisation and Representation, Service Disputes, Whitleyism in England, Right to Strike and Political Rights of Civil Servants)			
कर्मचारी संगठनों का लक्ष्य (422) कर्मचारी सघों या संगठनों के प्रकार (424) कर्मचारी संगठनों की गतिविधियाँ (425) भारत में कर्मचारी सघ (426) ब्रिटेन मयूक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस में कर्मचारी संगठनों का विचार (428) कर्मचारी सघों की प्रगति समस्याएँ (430) सेवा विवाद एवं हिउटले परिपदे (433) सेवा विवाद सुलभाने के अन्य तरीके (438) स्टाफ परिपदे अथवा भारत में सुलह-वार्ता और विवादों के निपटारे की व्यवस्था अथवा भारतीय नागरिक-सेवा में हिउटले परिपदे (439) भारत में मयूक्त परामर्श तन्त्र तथा अनियाय विवाचन (442) मयूक्तराज्य अमेरिका में हिउटलेवाद (444) नागरिक सबकों के राजनीतिक प्रधिकार (451)			

## Appendix

<b>1 कार्यिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग</b>	....	....	<b>457</b>
2 प्रशासनिक सुधार आयोग को सिफारिशें	....	....	<b>464</b>
<b>3 प्रशासनिक (University Questions)</b>	....	....	<b>472</b>

# नौकरशाही : इसकी प्रकृति और अवधारणा, आधुनिक प्रवृत्तियाँ, मार्स्टीन मार्क्स के विशेष सन्दर्भ में नौकरशाही के रूप

(Bureaucracy Its Nature and Concept, Recent Trends, Types of Bureaucracy with Special Reference to Marstein Marx)

आगे के मी अब वह नौकरशाही का शालिक अर्थ डेस्क सरकार (Desk Government) अथवा घूरो द्वारा सरकार है। यह शब्द सोइ-प्रशासन में बापी बदनाम हो चुका है और प्रायः स्वेच्छाज्ञानिता, अपव्यय, कार्यान्वय की कार्यवाही और सानागाही के लिए प्रयुक्त किया जाता है। व्यापक अर्थ में नौकरशाही वो कोई भी ऐसी सेवीवर्ग व्यवस्था वहा जा सकता है जहाँ कर्मचारियों को प्रशासन की ऐसी व्यवस्था में वर्गीकृत किया जाए, जिसमें ममागो, विभागो तथा घूरो आदि के पद-सोपान होते हैं। यदि हम इस शब्द को पर्यादित अर्थ में प्रयुक्त करें तो कहना होगा कि यह सार्वजनिक सेवको का एक ऐसा निकाय है जो एक पुढ़-सोपान की व्यवस्था में संगठित होता है और प्रभावशाली सार्वजनिक नियन्त्रण के क्षेत्र से बाहर रहता है।

बदनाम होने हुए भी यह शब्द कभी-कभी उचित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है तथा नौकरशाही का प्रथिकारी ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो अनुभव, ज्ञान और उत्तरदायित्व की मानका से युक्त है। नौकरशाही प्रत्येक शासन का एक अपर्याप्त धर्म होती है। सरकार द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति जितनी राजनीति द्वारा वी जाती है, प्रायः उननी ही प्रशासन द्वारा भी वी जाती है। यह माना जा सकता है कि प्रजानन्त्र में जहाँ प्रशासनको को राजनीतिज्ञों वा निर्देश मिलता है तथा वहाँ राजनीतिज्ञ अपनी जक्ति जनता से प्राप्त करते हैं वहाँ प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। यह बात हो सकती है कि किसी समय यह सच रही हो रिन्हु धाव नहीं।

इस नौकरशाही की संखागत रूप-रचना तथा मण्डलात्मक एवं सरचनात्मक पहल सेवीवर्ग प्रशासन के रूप में जाना जाता है। इसके अन्तर्गत सोइसेवको भी

## 2 सेवीवर्गीय प्रशासन

मर्तों, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पद बर्गीकरण, बेतन, मेवा की आपु, अधिकार आदि विषय जामिल किए जाते हैं। सेवीवर्ग प्रशासन के इन सभी पहलुओं की मन्तोप्रद व्यवस्था होने पर ही यह आगा की जा सकती है कि नौकरशाही सुचारू रूप से बायं करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि की दिशा में निश्चयात्मक रूप से अग्रसर हो सकेंगे। प्रस्तुत अध्याय में हम नौकरशाही के शाकिदर एवं व्यावहारिक अर्थ एवं प्रकृति का विवेचन करते हुए मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही प्रशासन के मूल विन्दुओं पर आलोचनात्मक रूप से विस्तृपात करेंगे। नौकरशाही मण्ठनों का विकास कुछ विशेष आन्तरिक एवं वाह्य परिस्थितियाँ तथा पर्यावरणात्मक प्रभावों का परिणाम है। इसके लिए उत्तरदायी कलिपय परिस्थितियों वा उल्लेख मार्गित ई डिमाक एवं ब्वाऊ तथा मेयर द्वारा किया गया है। इन परिस्थितियों तथा नौकरशाही के निवेश (Input) में आए परिवर्तनों के कारण नौकरशाही का रूप तथा व्यवहार उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हुए हैं। इस परिवर्तन का विशेषण हम 'नौकरशाही की धार्षनिक प्रवृत्तियाँ' शीर्षक के अन्तर्गत बरेंगे। नौकरशाही का रूप प्रारम्भ से प्रव तक प्रत्येक देश में एक जैसा नहीं रहा है। देश और काल की परिस्थितियों ने इसके रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक ऐसा मार्ग द्वारा विभिन्न देशों में समय-समय पर उत्तमव्य नौकरशाही के प्रमुख रूपों तथा उनकी सामान्य विशेषताओं का वर्णन किया गया है। नौकरशाही के इन सभी पहलुओं का मन्दान्तिक विवेचन करते के बाद हमारे अध्ययन का वेद्यविन्दु सेवीवर्ग प्रशासन बन जाएगा। यह सेवीवर्ग प्रशासन नौकरशाही के सम्पूर्ण ढाँचे की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो इसके स्वरूप तथा लक्ष्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सेवीवर्ग प्रशासन के अर्थ, मूल तत्व, उद्देश्य, स्वस्थ तेवीवर्ग नीति के लक्षण, विकसित तथा विकासशील देशों में सेवीवर्ग प्रशासन का स्वरूप आदि विन्दुओं का विवेचन एक अलग अध्याय में बरेंगे। पुस्तक के अग्रिम अध्यायों में सेवीवर्ग प्रशासन के सभी प्रमुख निर्माणक तर्फों का भारत, यॉट ड्रिटेन, समुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रान्स के सन्दर्भ में क्रियक रूप से अध्ययन किया जाएगा।

### नौकरशाही : अर्थ एवं प्रकृति (Meaning and Nature of Bureaucracy)

'नौकरशाही' शब्द का प्रयोग देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। यूरोपीय देशों में यह शब्द साधारणतः नियमित सरकारी कर्मचारियों से मूँह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जॉन ए. बीका के शब्दों में, "नौकरशाही उन व्यक्तियों के लिए सामूहिक पद के रूप में प्रयुक्त होता है जो सरकार की सेवाओं में होने हैं।" मैक्स वेबर (Max Weber) नौकरशाही को प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था माना है जिसकी विशेषता है विशेषज्ञता, नियशुल्त और मानवता का अन्वय। पिछले के बचपन सार नौकरशाही बायों और व्यक्तियों का एक ऐसे स्तर पर व्यवस्थित नियन्त है जो अधिकार व्राम्यकाली रूप से सामूहिक प्रयासों के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

मूल रूप में अधिकारी शब्द व्यूरोक्रेमी (Bureaucracy) नौकरशाही का उपर्युक्त भाषण के शब्द 'व्यूरो' (Bureau) से बना है। इसका अर्थ लिखने की प्रेज़ या डेस्क है। अतः इस शब्द का सीधा अर्थ हमारा 'डेस्क सरकार'। प्रजातन्त्र की जिन तरह परिमाणा की गई है यदि उसी प्रकार इस शब्द को परिमाणा की जाए तो व्यूरोक्रेमी को हम व्यूरो की, व्यूरो के द्वारा, व्यूरो के निए सरकार कहेंगे। इस अर्थ में प्रयोग किए जाने पर इस शब्द के प्रति सहज ही घृणा उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। 'व्यूरोक्रेमी' शब्द में कुछ न कुछ वदनामी प्रायं चिपकी ही रहती है। ऐतिहासिकोदीप्तिया ब्रिटेनिका (Encyclopaedia Britannica) जैसे टट्ट्स्य प्रथा के अनुसार यी यह शब्द "व्यूरो या विभागों में प्रशासकीय व्यक्ति के केन्द्रित होने तथा राज्य के लेवाविकार से बाहर के विषयों में भी अधिकारियों के प्रतिवित हस्तेय को व्यक्त करता है।" जॉन ए विंग (John A. Vieng) के शब्दों में "विकृति एव परिहास के बाराग व्यूरोक्रेमी शब्द का अर्थ काम में वर्षना, मनमानी, अतिव्यय, हस्तेय तथा वर्गीकरण माना जाने लगा है।"<sup>1</sup> फिर भी, कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग समानुमोदन के माय विद्या जाता है और नौकरशाही के अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति का प्रतीक माना जाता है जो ग्रन्थ, ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के निए विद्यात हो।<sup>2</sup>

'नौकरशाही' शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। मावर्स के अनुसार यह शब्द मुख्य रूप से चार अर्थों में प्रयुक्त होता है।<sup>3</sup> ये निम्नवत् हैं—

(१) एक विशेष प्रकार के सगठन के रूप में—पिफनर ने नौकरशाही की जो परिमाणा की है वह उसे सगठन के रूप में स्पष्ट करती है। इस अर्थ में नौकरशाही को लोक प्रशासन के सचालन के लिए सामान्य रूपरेखा माना जाता है। उन्हें ने 'मौन नौकरशाही' द्वारा इसी रूप में परिभ्रान्ति किया है। उन्हीं के वयनानुसार "यह एवं ऐसा विनियमित प्रशासन का तत्त्व है जो अन्तर्संबन्धीय पदों की श्रृंखला के रूप में सगठित होता है।" जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री ग्रैम्बेन्ट ने नौकरशाही का विनृत विश्लेषण किया है। उन्होंने नौकरशाही सगठन की कुछ विशेषताएँ मानी हैं— ✓

(२) सगठन के प्रत्येक मदस्य को कुछ विशेष कर्तव्य मौजूदे जाते हैं।

(३) मत्ता का विभाजन कर लिया जाता है ताकि प्रत्येक सदस्य उसे मौजूदे गए कार्यों को पूरा कर सके।

(४) इन कार्यों का नियमित रूप से पालन करने के लिए उचित प्रबन्ध किया जाता है।

(५) सगठन द्वारा रचना पद-मोहाल के मिदाल वे आधार पर की जानी है।

1 Marx, F M (ed.) Elements of Public Administration

2 परस्परों एवं महोदारी, तोर प्रशासन, २ 273

3 Marx, F M, The Administrative State, p. 16

## 4 सेवीवर्गीय प्रशासन

(४) लिखित प्रभिलेखों और दस्तावेजों को अधिक महत्व दिया जाता है।

(५). संगठन के आदान-प्रदान पर नियन्त्रण रखने के लिए नियमों की रचना की जाती है।

(६) कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण विशेष प्रकार से की जाता है।

2/ अच्छे प्रबन्ध में वाधक एक व्याधि के रूप में—‘नौकरशाही’ शब्द अनेक दुर्गुणों और समस्याओं का प्रतीक है। नौकरशाही में अवहार का रूप कठोर यथ्वद, कष्टमय, अमानुषिक, धीरचारिक तथा आत्मारहित होता है। लास्की के मनानुसार “नौकरशाही में ऐसी विशेषताएँ होती हैं जिनके मनुसार प्रशासन में नियमित कार्यों पर जोर दिया जाता है, नियंत्रण लेने में पर्याप्त विलम्ब किया जाता है और प्रयोगों को हाथ में लेने से इन्कार कर दिया जाता है।” ये सब बातें संगठन के अच्छे प्रबन्ध में वाधक मानी जा सकती हैं।

3/ बड़ी सरकार के रूप में—राज्य के कर्तव्य और दायित्व आज इतने विस्तृत हो गए हैं कि इनको सम्पन्न करने के लिए विभिन्न बड़ी संस्थाएँ अनिवार्य हैं। विभिन्न राज्यिक राजनीतिक एवं व्यापारिक संस्थाएँ अपने बड़े आकार के माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास करती हैं, यह बड़ा आकार नौकरशाही का मूलभूत कारण है। विकास के क्षेत्रानुसार जहाँ भी बड़े पैमाने का उद्यम होता है वहाँ नौकरशाही अवश्य मिलती है। बहुमान समय में सरकार को हर प्रकार के कार्यों को इतने विस्तृत रूप में सम्पन्न करना पड़ता है कि वह मनी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती। यही कारण है कि नागरिकों और मन्त्रियों के बीच एक नई प्रकार की मध्यस्थ शक्ति उद्दित हो गई है। यह शक्ति उन लिपिकों की है जो राज्य के लिए पूर्णांत अनात होती है। ये लोग मन्त्रियों ने नाम पर बोलते और निखलते हैं तथा उन्हीं की तरह पूर्ण और निष्पेक शक्ति रखते हैं। यह अज्ञात रहने के कारण प्रत्येक प्रकार वी जांच से बचे रहते हैं।

4/ स्वतन्त्रता विशेषों के रूप में—नौकरशाही का उद्देश्य स्वयं की उन्नति समझा जाता है। लास्की के क्षेत्रानुसार “यह सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसका नियन्त्रण अधिकारियों के हाथ में इतने पूरे रूप से रहता है कि उनकी शक्ति को सकट में डाल देती है।”

नौकरशाही के उपर्युक्त विभिन्न प्रयोग उसके अर्थ को स्पष्ट करने में पर्याप्त सहायता करते हैं। अमेरिकी एनसाइक्लोपीडिया के मनुसार ‘नौकरशाही’ संगठन का वह रूप है जिसके द्वारा सरकार व्यूहों के माध्यम से सचालित होती है। प्रत्येक व्यूहों कार्य की एक विशेष शाखा का प्रबन्ध करता है। प्रत्येक व्यूहों का संगठन, पदभोपान से युक्त होना है। इसके शीर्ष पर अध्यक्ष होता है जिसके हाथ में सारी शक्तियाँ रहती हैं। नौकरशाही प्राय प्रशिक्षित और अनुग्रही विद्यार्थी प्रशासक होते हैं। वे बाहर बालों से बहुत कम प्रभावित होते हैं। उनमें एक जातिगत भावना होती है तथा वे लाल फोताशाही एवं ग्रौवाचारिकताओं पर अधिक जोर देते हैं।

माइकेल क्रोजीयर ने ठीक ही लिखा है कि नौकरशाही शब्द स्पष्ट, यथेष्याधंक और भ्रमोत्तादा है।<sup>1</sup> 18वीं शताब्दी के फ्रांस में शब्दकोषीय अर्थ की इटिंग से नौकरशाही शब्द सरकारी व्यूरो के कर्मचारी वर्ग तथा अध्यक्षों के प्रभाव और शृणियों का परिचायक था। इसी जनाड़ी के एक फ्रांसीसी ब्राणिंज़्य मन्त्री की ओर गोने ने लिखा है कि, "फ्रांस में विधि के आमने के स्थान पर नौकरशाही वा शासन (Rule of Bureaucracy) है।"<sup>2</sup> यहाँ कार्यालय और उसमें लिखित, नियंत्रित, सनिवासादि की नियक्ति जनहित के लिए नहीं की जाती बल्कि उसद्वितीय व्यवस्था इन्हिए की जाती है कि कार्यालय बने रहे। कालान्तर में नौकरशाही शब्द का प्रयोग ऐसे कार्यालय के लिए होने लगा जिसमें लूल नौकरशाही, अनियंत्रित, कार्य स्थगन, अव्याधकृणनता आदि दोष परिचित होते हैं। उपर्युक्त नौकरशाही को 'ब्युरोक्रेटी' (Bureaucratie) वहा जाता है। इसका अर्थ विभिन्न सरकारी विभागों तथा उनकी शाखाओं की नागरिकों पर नाम होने वाली शक्ति अथवा सत्ता है। इटली में इस शब्द का शब्दकोषीय अर्थ 'नियोरोज़िज़म' (Neologizm) है जो लोक प्रशासन में धर्मिकारियों की शक्ति पर लोट लाता है।

→ डब्लिन (Dublin) के महानुमार "नौकरशाही तब स्थितिव में ग्रानी है जबकि निर्देशन के लिए वहन मारे लोग होते हैं। ज्यों-ज्यो मगठन का आकार बढ़ता है त्यों-त्या यह अस्तीत बन जाता है कि निर्देश के कुछ कार्य हस्तान्तरित बर दिए जाएँ। यह नौकरशाही के उदय के लिए पहली घटता है।"

अन सधेप में, नौकरशाही का प्रयोग एक प्रशार के प्रशासकीय मगठन या लोक सेवको की ऐसी सरकार के अर्थ में, जिसका उद्देश्य स्वयं की उप्रति करना हो, या वित्कूल स्पष्ट व्यावसायिक लोक सेवा के अर्थ में किया जा सकता है। अन्तिम अर्थ में नौकरशाही आधिकारिक सरकार के निए अपरिहार्य है, और वह सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत होनी ही प्रकार के सम्बन्धों के अन्तर्गत काम करती है। विनोदी के लिए नौकरशाही तीन प्रमुख वासिक प्रत्याविधि में से एक है—  
 (i) नौकरशाही (जो प्रशा में है), (ii) कुलीनतन्त्रीय (जैसा 1914 से पूर्व रिट्रैट में था), और (iii) प्रजानन्त्रीय (जैसा सपुत्रराज्य प्रमेरिका में है)। प्रशा की लोक सेवा का स्वरूप सेना व नौसेना के प्रत्यक्ष था, प्रवात उसकी पदावधि गुनिलिच्छन होती थी, उसके प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध था, उसमें बड़ोर अनुशासन था। और वह समाज में पृथक तथा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग भाना जाता था। 19वीं शताब्दी की डिट्रिंश लोक सेवा इन अर्थ में कुलीनतन्त्रीय थी कि वही कर्मचारियों की विभिन्न व्येतियों में तीव्र विभेद थे और निम्न व्येतीय से उच्च व्येतीय तक पहुँचना आसान नहीं था। प्रत्येक व्येती एक विशेष आयु वर्ग तथा जनकालिक योगदान पर आधारित थी। लोक सेवा में पृथक्का वा उक्त भाव आज भी पाया जाता है, यद्यपि उसका हप उन्होंने बड़ोर नहीं है। प्रमरिती लोक में आपोंको

## 6 सेवीवर्गीय प्रशासन

परम्परा से ही पेशा नहीं माना जाता है। इसमें अधिक सदृश्य होते हैं और आप-सीमा सरकारी कोई बटोर नियम नहीं होते, न ही किसी सहाया विभाग के ऐडुकेटोर को कोई प्राधिकता दी जाती है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है और समृक्त राज्य अमेरिका में भी लोक सेवा ट्रोब गवर्नेंसें पर्याप्त धारणा करनी जाती है। इस भी, उच्चतम स्तर के पदों के बुल जान आज भी लोक सेवा के दोष के बाहर है।

### नौकरशाही की आधुनिक अवधारणाएँ (The Modern Concepts of Bureaucracy)

नौकरशाही की अपूर्णता अवधारणा वा पस्तुतीकरण मुख्यतः सरचनात्मक (Structural) तथा कार्यालयिक (Functional) हो इटियों से किया गया है। सरचनात्मक इटिय से नौकरशाही को एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था माना गया है जिसमें पदसोपान विशेषीकरण, योग्य कार्यवत्ती आदि विशेषताएँ पाई जाती हैं। फ्रिडिय विहानों के बाबन इस इटिय से उल्लेखनीय हैं। कार्ल फ्रेडिय (Carl Friedrich) ने निखा है कि “नौकरशाही उन लोगों के पदसोपान, लावों के विशेषीकरण तथा उच्चस्तरीय शमता से युक्त मण्डन है जिन्हें उन पदों पर कार्य वाले के लिए प्रयोगिकता किया गया है।”<sup>1</sup> विक्टर थॉम्पसन (Victor Thompson) वे मतानुसार “नौकरशाही संगठन में ध्यायिक स्पष्ट अथवा विभाजन द्वारा पर्याप्त स्पष्ट भूता वा पदसोपान होता है।”<sup>2</sup> फ्रेडिय के शब्दों में “नौकरशाही एक राजनीतिक अध्यक्ष की सत्ता वे आधीन कार्यालयों वा पदसोपान है।”<sup>3</sup> फ्रेडिय का विचार है कि नौकरशाही को देखने का सार्वाधिक उपयोगी तरीका पह है कि उसे कुछ सरचनात्मक विशेषताओं के लिए में देखा जाए। याज विश्व के प्राय सभी देशों की लोकसेवा में नौकरशाही के मामी मापदण्ड प्राप्त करने की चेष्टा री जाती है।

वार्षिक इटिय से नौकरशाही का प्रदर्शन मात्रात्मक व्यवस्था वी अन्य उप व्यवस्थाओं पर पटने वाले नौकरशाही व्यवज्ञार के प्रभाव वा प्रदर्शन है। स्वयं नौकरशाही भी इस मात्रात्मक सामाजिक व्यवस्था का एक भाग होती है। मिशेल क्रोजियर (Michel Crozier) के मतानुसार नौकरशाही व्यवस्था में पीमापत्र प्रक्रिया की विविधता, नीति प्रबन्धन और प्रशासनिक व्याठन के माम्यों प्रयोग सेविन व्यक्तियों वे लिए बुझाजानक व्याजावरण आदि वाले जापिय की जाती

1 Bureaucracy is a form of organisation marked by hierarchy, specialisation of roles and a high level of competence displayed by incumbents trained to fill these roles.

—Carl J. Friedrich, *Man and His Government*, 1963, pp. 469-70

2 Victor Thompson, *Modern Organisation*, 1961, pp. 3-4

3 “Bureaucracy is the hierarchy of offices under the authority of a (Political) head.” —Fridrigg, ‘Bureaucratic Politics In Comparative Perspective’, *Journal of Comparative Administration*, I, 1969, p. 10

है। ग्रोंगर हैरन्ड लॉहसी ने नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को माना है जिसमें यन्त्रवत् कार्य के लिए उत्कृष्टा, नियमों के लिए लोचयीतता का विनियान, नियंत्रण लेन में देशी और नवीन प्रयोगों का अवरोध, इदिवादी इप्टिकोला प्रादि वाले प्रभावशाली रुद्धी है।<sup>1</sup> इनका तथा मेयर की मान्यता है कि नौकरशाही संगठन में विशेषीकरण, सत्ता का पदमार्गन, नियमों की व्यवस्था और नियंत्रितता की विशेषताएँ पाई जाती हैं।<sup>2</sup> एक एम. मार्क्स ने पुदसोपान, थेओरिकार विशेषीकरण, अद्यतनादिव विशिष्टता, नियित्व वेनन एव स्थापित्व के नौकरशाही संगठन की विशेषताएँ चीजों दिया है।<sup>3</sup>

नौकरशाही की प्राचुरिक अवधारणा का सम्प्रवृत्त से हृदयगम भरने के लिए यह बौद्धीय है कि हम वर्तीन लेखकों द्वारा यह यह इस भाव देवि विभिन्न प्रयोग में प्रयोग पर इस्तिपात करें। मार्टिन एन्ड्रो (Martin Albrow) ने इन विभिन्न प्रयोगों को मोट रूप से सात व्येणियों में विभक्त किया है, जो निम्न-लिखित है—

- (1) नौकरशाही एक तर्बपूर्ण संगठन के रूप में (Bureaucracy as a Rational Organization)
- (2) नौकरशाही एक अवार्यकृत संगठन के रूप में (Bureaucracy as an Organization of Inefficiency)
- (3) नौकरशाही प्रधिकारियों द्वारा आमने के रूप में (Bureaucracy as Rule by Officials)
- (4) नौकरशाहन के रूप में नौकरशाही (Bureaucracy as Public Administration)
- (5) प्रधिकारियों द्वारा प्रशासन के रूप में नौकरशाही (Bureaucracy as Administration by Officials)
- (6) संगठन के रूप में नौकरशाही (Bureaucracy as an Organization)
- (7) प्राचुरिक समाजों के रूप में नौकरशाही (Bureaucracy as Modern Societies)

1 "...Passion for routine, the sacrifice of flexibility to rule, delay in decision making and conservative outlook inhibiting experimentations  
—H. S. Laski: Bureaucracy, Encyclopaedia of Social Sciences, III, p. 70

2 "These four factors—specialization, a hierarchy of authority, a system of rules and impersonality are the basic characteristic of bureaucratic organisation"  
—Blau and Meyer op cit., p. 9

3 "The type of organisation called bureaucratic in this now widely used sense has several unmistakable characteristics. They include as principal factors hierarchy, jurisdiction, specialisation, professional training, fixed compensation and permanence."  
—Fritz Morsmann Marx: op cit., p. 22

नोकरशाही शब्द के उक्त सभी प्रयोगों में मैक्स वेबर, पीटर ल्युनाड़, फौसिम तथा स्टोन, मार्शल डिमार्क, माइकेल ओजियर, जे ओ वानड, आरनोल्ड ब्रैकट, वी. एफ होजेलिज, हैनीमेन, फेरेन तथा हैडी, कार्ल मॉनहीम जैसे विद्वानों ने अपना योगदान किया है। नोकरशाही शब्द के विभिन्न प्रयोगों और अर्थों को देख कर यह कहा जा सकता है कि निश्चय ही यह शब्द पर्याप्त अस्पष्ट और अनेकार्थक है। आश्वर्य और भ्रम की बात यह है कि कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग ऐसे अर्थ में भी किया जाता है जिसका पहले से कोई संतेत नहीं दिया गया हो। इस प्रमाण में एफ एम. मार्क्स का यह मत पूर्णतः सही प्रतीत होता है कि “करोड़ों लोगों ने नोकरशाही शब्द नहीं सुना है किंतु जिम किसी ने भी सुना है वह या हो इसके प्रति जाकाना है अथवा यह समझता है कि नोकरशाही शब्द किसी न किसी बुरी बात से सम्बद्ध है। यद्यपि पृथ्वे जाने पर वह इसका सही अर्थ बताने से कठरण्या किन्तु यह अवश्य वह देगा कि इसका मनलब कोई बुरी बात है।”<sup>1</sup>

#### मैक्स वेबर के विचार (Ideas of Max Webel)

नोकरशाही की आधुनिक अवधारणा के जनक जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर (1864-1920) ने इसे प्रशासन की तर्कपूर्ण (Rational) व्यवस्था माना है। उनके अनुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन नोकरशाही है। नोकरशाही के आदर्श रूप (Ideal Type) को क्षिप्र विशेषताओं का बरण तक मैक्स वेबर ने दिया है। साथ ही यह धारणा भी प्रकट ही है कि यदि वास्तविक जगत् के इसी संगठन में ये विशेषताएँ उपलब्ध न होतीं यह आदर्श रूप का दोष नहीं है। वरन् यह इस बात का प्रतीक है कि उस संगठन का उतने ही अधिकारी तक नोकरशाही नहीं हो सका है। अपनी आदर्श विशुद्धता में यह आदर्श रूप यथार्थ जगत् में कभी उपलब्ध नहीं होता।<sup>2</sup> मैक्स वेबर द्वारा बताया गया विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) स्पष्ट अम विभाजन (Clearcut Division of Labour)—नोकरशाही संगठन के सभी कर्मचारियों के बीच कार्य का सुनिश्चित तरीके से स्पष्ट विभाजन किया जाना है तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपना कार्य असाधारी रूप से सम्पन्न करने के लिए उत्तरदायी बताया जाता है।

(ii) आदेश हाता दायित्वों के मर्यादित सेवों से युक्त पदसोपानीय सत्ता संरचना (Hierarchical Authority Structure with Limited Areas of Command and Responsibility)—नोकरशाही संगठन पदसोपान वे सिद्धान्त वा अनुशोलन करता है। तदनुसार प्रत्येक धर्मचारी कार्यालय एवं कर्मचारी उच्चतर कार्यालय एवं कर्मचारी के नियन्त्रण में रहता है। प्रधीनस्थ कर्मचारी के दायित्वों का समुचित निर्धारण कराने हेतु प्रत्येक उच्च प्रधिकारी को वांछित अस्ति-

<sup>1</sup> Fritz Morstein Marx, The Administrative State, 1957 pp. 16-17

<sup>2</sup> Max Weber: On the Methodology of Social Sciences, Glencoe, III., 1949, pp. 90-93

प्रदान की जानी है जिसका प्रयोग करने हुए वह अपने ग्राहीनम्यों को आवश्यक निर्देश तथा सांदेश जारी कर सकता है।

(iii) अमूर्त नियमों की समत व्यवस्था (Consistent System of Abstract Rules)—नौकरशाही मण्डन में तब्दीली की नियमों पर व्यवस्था नांमं के आधार पर कार्यालय की ममूची कार्यवाही का निश्चय किया जाता है। कार्यालय के सभी कर्मचारियों को इन नियमों तथा नांमं का समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण नौकरशाही मण्डन में व्रेश वै पूर्व जन्म भी बना दिया जाता है। मण्डन में अमूर्त नियमों की एक समत व्यवस्था होने के कारण वायों में एक हृष्णा बनी रहती है तथा विभिन्न कायों के बीच समन्वय करना मरम हो जाता है।

(iv) प्रत्येक कार्यालय के स्पष्टतः परिभाषित कार्य (Clearly Defined Functions of Each Office)—जानूर्णी रूप से प्रत्येक पद के कायों को परिभाषित एव मर्यादित, कर्तव्य जाता है ताकि कोई किसी कायों में हस्तक्षेप न करे।

(v) स्वतन्त्रता सिद्धा के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति (Officials Appointed on the Basis of Free Contract)—नौकरशाही मण्डन में प्रत्येक कर्मचारी के साथ स्वतन्त्र समझौता किया जाता है कोई व्यक्ति किसी के दबाव या बाध्यना के कारण पद धृष्टा नहीं करता।

(vi) तब्दीलीयों के आधार पर प्रत्याशियों का चयन (Candidates are Selected on the Basis of Technical Qualifications)—नौकरशाही मण्डन के कर्मचारी निर्वाचित नहीं होने वरन् योग्यता परीक्षायों द्वारा उनकी तब्दीलीयों योग्यता जीचने तथा आवश्यक प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देखने के बाद उनकी नियुक्ति की जाती है।

मण्डन के कर्मचारियों को मनमाने रूप में हटाने के विशद मुख्याएँ प्रदान दी जानी हैं। नौकरशाही मेंवा एक आजीवन व्यवसाय बने जाती है। इसमें वरिष्ठता एव योग्यता के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था की जानी है तथा कर्मचारीगण मण्डन के साथ एक हृष्णा स्थापित करके उसक सदयों को प्राप्त करने की दिशा में आधिक प्रयत्नशील रहते हैं।

(vii) वेतन एव बेंशन प्रधिकार (Monthly Salary and Pension Rights)—नौकरशाही मण्डन में सण्डन की आय के आधार पर कर्मचारी एक वेतन तथा नहीं किया जाना वरन् पदोन्नति में उमसा स्तर, पद के दायित्व, मापाजित, स्थिति आदि बातों का स्थान रख वर तब किया जाता है।

(viii) पूर्वकालीन प्रदायिकारी (Official Post is the Sole Occupation)—नौकरशाही मण्डन का प्रत्येक कर्मचारी आने कार्यालय को भरना पूरा

समय प्रदान करता है। भर्तुनिक रूप से अधिकारी भाषण के समय में काम करने वाले वर्मचारी द्वितीय स्तर के माने जाते हैं।

(ix) आजीबन व्यवस्था (Career Service)—ऐसे सगठन में प्रत्येक वर्मचारी अपने पद को आजीबन बना लेता है। वरिष्ठता या वार्षिक सम्पन्नता के आधार पर उसकी पदोन्नति होती रहती है।

(x) अधिकारीगण प्रशासन के साधनों का स्वामित्व नहीं करते (Officials are Separated from Ownership of Means of Administration)—नौकरशाही सगठन का प्रत्येक पदाधिकारी प्रशासन के साधनों के स्वामित्व से भलप रहता है। वह अपनी पद हिति का विनियोग नहीं कर सकता।

(xi) शौपचारिक निर्वित्तता की भावना (A Spirit of Formalistic Impersonality)—देवर के महानुसार नौकरशाही सगठन वा एक ग्रामीण अधिकारी अपने कार्यालय का सचालन शौपचारिक निर्वित्तता की भावना से करता है। तदनुसार वह न तो किसी के प्रति घुणा या दुर्भाव रखता है और न ही किसी के प्रति लगाव या उत्साह प्रकट रखता है। यह इष्टिकोण अधिकारियों को सभी व्यक्तियों के प्रति समान आचरण करने को प्रोत्साहित करता है। पन्न सगठन के कार्य नियन्त्रण एवं न्यायपरामर्श बन पाते हैं। ✓

(xii) कठोर एवं व्यवस्थित अनुशासन तथा नियन्त्रण (Strict and Systematic Discipline and Control)—नौकरशाही सगठन के किसी भी पदाधिकारी को प्रनियन्त्रित अथवा स्वच्छन्द नहीं होने दिया जाता। यहाँ नियन्त्रण तथा अनुशासन की उपयक्त व्यवस्था की जाती है। यहाँ शक्ति विनरण किया जाता है तथा उत्तरदायित्व एक में अधिक निकायों के बीच बांट दिए जाते हैं। नौकरशाही पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के समूचित नियन्त्रण की व्यवस्था की जाती है।

. (xiii) अधिकतम कार्यकुशलता (Highest Degree of Efficiency)—मैक्स वेबर के कथन मुमार अनुभव से जात होता है कि विशुद्ध नौकरशाही प्रकार वा सगठन तकनीकी इष्टि से अधिकाम कुशलता प्राप्त करने में समर्थ है। कार्यकुशलता एवं कार्य की गति की इष्टि से एक नौकरशाही सगठन तथा गैर-नौकरशाही सगठन में वही भन्तर है जो मन्त्री उत्पादन तथा हाथ से किए जाने वाले उत्पादन के बीच होता है। यह कार्यकुशलता कई कारणों का परिणाम है, जैसे—प्रत्येक वर्मचारी अपने कार्य का विशेषज्ञ होता है, वह प्रत्यावहीन रूप से कार्य करता है, उनके कार्यों में उचित समन्वय तथा नियन्त्रण रहता है, कार्यों में शान्तिकरण एवं पहल का भाव होने के कारण ये इतनी भी बन जाते हैं आदि।

1 Max Weber: The Theory of Social and Economic Organisation, translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons, 1947, p. 337.

## मैक्स वेबर के विचारों की आलोचना (Criticism of the Ideas of Max Weber)

नोवरशाही के अध्ययन तथा विवेचन में मैक्स वेबर का घोगदान एक प्रभुप्रदर्शक वा रहा है। उसके द्वारा प्रमुख विश्लेषण की प्रतिक्रिया स्वरूप समाजशास्त्रियों तथा लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा भारी आलोचनाएँ प्रस्तुत की गई हैं। आलोचनों के मनानुपार वेबर ने अपनी मैदानिक अवधारणा में अनेक सामाजिक तथा इतिहासिक तथा अनुमतवादी तथ्यों के आधार पर इनका औचित्य मिल करने के प्रति वह नितान्त उदासीन तथा अश्विपूर्ण रहा है। वेबर की मान्यताओं के विशद प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

१. वेबर द्वारा प्रमुख अवधारणा में अनेक विरोधाभास एवं तनाव हैं। उदाहरण के लिए, तबनीकी इटिट से विशेषज्ञ एक नवागम्तुक कर्मचारी के बल वरिष्ठना के कारण पदमोदान में उच्च पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं कर सके। जो तत्त्व एवं इटिट से मगठन की कार्यकृतालता को ज्ञाने हैं वे ही प्रम्य इटिट से उसकी कार्यकृतालता को चुनौती भी देते हैं।

२. वेबर के विचार उपकल्पना के रूप में हैं, उनका कोई गवेषणात्मक आधार नहीं है। वह मानव मनोविज्ञान, व्यक्ति वे अनोन्यारिक सम्बन्ध तथा अपेक्षारिक प्रभावों पर विशेष ध्यान नहीं देता।

३. उसके चिन्तन में ऐसी विश्लेषणात्मक थेलियो का अभाव है जो नोवरशाही के विभिन्न सम्बन्धों के बीच विद्या-प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित कर सके।

४. वेबर द्वारा प्रयुक्त आदर्श रूप (Ideal Type) शब्द ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नोवरशाही में कुछ भी आदर्श नहीं है।<sup>1</sup>

५. यदि नोवरशाही के 'आदर्श रूप' की समस्त विशेषताएँ भी इसी मगठन में एक साथ अपना ली जाते तो 'भी ते अनिवार्यतः अधिकलम कार्यकृतालता पैदा नहीं कर पाती' क्योंकि यथार्थ में सम्बन्ध की कार्यकृतालता का निर्धारण कुछ विशेष सम्बन्धों के स्थितियों द्वारा होता है, जैसे—कार्यकर्ताओं का तकनीकी स्तर, सम्बन्ध के लक्ष्य तथा सम्बन्ध का सामाजिक बानावरण, आदि।<sup>2</sup>

६. मैक्स वेबर ने अपने 'आदर्श रूप' का प्रयोग एवं अवधारणात्मक भौजार के रूप में किया है जिसकी सहायता से हम सामाजिक परिवेश को मनो प्रकार 'समझ सहे' तथा आदर्श रूप एवं मूल स्थिति का विश्लेषण कर सकें। आलोचकों वा वहना है कि नोवरशाही के सेवा में वास्तविकता को समझने के लिए आदर्श

1 C J Friedrich: 'Some Observations of Weber's Analysis of Bureaucracy' in Robert K. Merton, op cit, p 33

2 Nicos P. Mouzelis, Organisation & Bureaucracy An Analysis of Modern Theory, 1967, p 48

रूप की आवश्यकता नहीं है बरन् आदर्श मॉडल बनाने के लिए वास्तविकता का कुछ ज्ञान आवश्यक है।

वेदवर ने नोकरशाही के पूर्णतः औपचारिक रूप का प्रधायन किया है तथा सामयिक घटनाओं या अनोपचारिक सम्बन्धों को केवल प्रसगनश मान कर छोड़ दिया है जबकि तथ्य यह है कि अनोपचारिक कार्य एवं सम्बन्ध औपचारिक संगठन के मुचाह कार्य सञ्चालन के लिए अति आवश्यक हैं।

वेदवर ने माना है कि उसके द्वारा बरिंग आदर्श रूप या औपचारिक संगठन ही पूर्णतः संगठन है। यह मत व्यास्तविक तथ्यों के आधार पर असत्य सावित होता है।

इस प्रकार वेदवर द्वारा प्रस्तुत नोकरशाही के आदर्श रूप की अवधारणा आलोचकों के तीखे प्रहारों का लिकार बनी है। आलोचकों ने वेदवर की प्रणाली, उसके लक्ष्य तथा उसके 'आदर्श रूप' की अवधारणा का अनेक क्षेत्रों पर मूल्यांकित किया है। इनमें परमी नोकरशाही के अध्ययन में वेदवर का अद्वितीय स्थान है। इनके कानूनी आलोचक केंड्रिक ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार करने हए उसे अध्ययन की महत्वपूर्ण दिशाएँ खोलने वाला बताया है।<sup>1</sup>

नोकरशाही का स्वरूप प्रत्येक राष्ट्र में भिन्न होता है यद्योंकि वह वहाँ के समाज की स्थिति तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति करती है। नोकरशाही की एक सामान्य विशेषता यह है कि यह परिवर्तन का विशेष और जल्दी की कानून करनी है। भैरव वेदवर ने बड़े आकार के संगठन का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। यह आदर्श (माडल) अनुमन्धान का एक प्रभावशाली साधन है तथा नोकरशाही का विशेषण प्रारम्भ करने का स्थल है।

### नोकरशाही के विकास के स्रोत

(Sources of the Growth of Bureaucracy)

नोकरशाही के विकास के लिए उत्तरदायी अनेक स्रोत अथवा परिवर्तियाँ हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं—

(१) संगठनात्मक एवं कानूनी स्रोत (Organizational and Legal Sources)—संगठन के आकार की वृद्धि के बारण नोकरशाही का विकास स्वामान्यिक बन गया है। बड़ी सेनाएँ और बड़े आकार के सरकारी संगठनों में पद-सौपान का होना बहुत जरूरी होता है। पुढ़ सौपान बनने के बाद धीरे-धीरे उसमें विशेषीकरण एवं औपचारिकतापूर्ण का विकास होने जाता है और यही मिलकर नोकरशाही का निर्माण करती है।

(२) बोद्धिकता एवं विशेषीकरण (Rationalization and Specialization)—जब संगठन में अम विभाजन किया जाता है और प्रशासकीय कानून का विकास होता है तो इसके फलस्वरूप संगठन में सत्ता की अवधिगत धारा और

1 Carl J. Friedrich op cit., p. 33.

सचार का अध्यतिगत मार्ग दबने से लगता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जो प्रक्रियाएं एवं व्यवस्थाएं निर्मित की जाती हैं वे कुछ समय बाद अपने प्राप्त में लक्ष्य बन जाती हैं। यह नौकरशाही के विकास के लिए एक प्राच्य परिस्थिति है।

(३) मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक (Psychological and Cultural)—लोगों में सुरक्षा और व्यवस्थित जीवन की इच्छा होती है जो नौकरशाही प्रवृत्तिया के विकास का सारण बनती है। जीवित्सु ने बनाया है कि अधिकारीयण नियमों एवं प्रतिशास्त्रों द्वारा अपने बलावरण को नियन्त्रित करके सुरक्षा की खोज करते हैं। इन सम्बन्ध में अब नौकरशाही के विकास का तुलनात्मक अध्ययन करें सो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जिस समाज में परम्पराओं और गीति-रिवाजों को आदर दिया जाता है उसमें नौकरशाही का विकास सुगमनापूर्वक होता है। यह प्रादर घारिक, सेनिक, राजनीतिक अध्ययनों द्वारा निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के परम्परा के लिए हो सकता है।

(४) तकनीकी आवश्यकताएं (Technical Requirements)—यह कहा जाता है कि केवल मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक व्यवहा जैविक आवश्यकताएं कितनी ही कम्हे न हो, नौकरशाही का विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक उसकी कुछ पूर्व आवश्यकताएं पूरी न हो जाएँ। पूर्व आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए, इन सम्बन्ध में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर भी कुछ ऐसी सामान्य बातों का उल्लेख किया जा सकता है जो व्यायोचित प्रतीत होनी हैं। नौकरशाही के विकास के लिए एवं स्थायी कर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नौकरशाही के विकास के लिए आवश्यक घन प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त समाज में बानून के पालन की प्रादृढ़ हो तथा पूर्णतया शान्ति-व्यवस्था हो। लोग नौकरशाही के नियमों का पालन उस समय तक नहीं करेंगे जब तक कि वे बानून एवं व्यवस्था का सम्मान न करें।

(५) उपयुक्त कार्यों का होना (Existence of Suitable Tasks)—नौकरशाही का विकास वही होता है जहाँ बनने के लिए ऐसे कार्य हों जिनमें विशेषज्ञों, प्रशासकों के सामाजिक तथा सेवाम्मों की पुनरावृत्ति की आवश्यकता हो। जहाँ पे विशेषताएं प्राप्त नहीं होनी वही प्रशासन में नौकरशाही का समावेश नहीं हो पाया।

स्पष्ट है कि नौकरशाही विभिन्न खोनों से विकास की प्रेरणा लेनी है। गोप में हम कह सकते हैं कि 'नौकरशाही' वडे स्न के प्रशासन की आवश्यकता है, यह एक बौद्धिक व्यवस्था है जो अधिकारीयण परिणाम उन्नत एवं सुन्दरी है, इसके द्वारा नवनीकी जागन स्थापित बनने की चेष्टा की जाती है, वह समाजवाद, पूर्वोत्तर राष्ट्र, राजनीतिक, अर्थशास्त्र एवं टक्कुल है। आवश्यकता, गरकार, का मूलभूत नौकरशाहीपूर्ण प्रशासन है।

## नौकरशाही को विशेषताएं (Characteristics of Bureaucracy)

विभी भी समाज में नौकरशाही पूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें थोड़ा बहुत विशेषीकरण (Specialization) तथा बोहिकीकरण होना चाहिए। नौकरशाही के विभाग के स्तरों का अध्ययन करने के अनिवार्य उसकी कुछ मामान्य विशेषताओं का अध्ययन करके इसका अर्थ स्पष्टन करना जा सकता है। ये निम्नवत् हैं—

१. कार्यों का बोहिकतापूर्ण विभाजन—ऐसम वेवर हारा प्रतिवादित भॉडल ने नौकरशाही की एक मुख्य विशेषता यह है कि इनमें बोहिकता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है अर्थात् यह प्रयत्न होता है कि नियोजित एवं बोहिकतापूर्ण वार्य की व्यवस्था की जाए। ऐसे समाज में बोहिकतापूर्ण अम-विभाजन होता है तथा प्रत्येक पद को कानूनी मत्ता प्रदान की जानी है ताकि वह अपने लक्षणों को प्राप्त कर सके। पिफनर ने नौकरशाही को परिभाषित करते हुए बताया है कि यह कार्यों एवं व्यक्तियों का एवं विशेष रूप में व्यवस्थित समाज है जो समूह के लक्षणों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सके। व्यक्ति के व्यवहार को नियमों, दबावों और अन्यगामी द्वारा एक विशेष स्पष्ट दिया जाना है। प्रत्येक स्थान पर अधिकारियों की प्राप्ति का विषम अपनाया जाना है। अधिकारियों की योग्यता, स्तरीकरण एवं निश्चितता को पर्याप्त मूल्य दिया जाना है। उदाहरण के लिए, मैनिक अनुसवन को निया जा सकता है। केंद्रिक इवर तथा जॉन टायर के कथनानुसार “नौकरशाही में कार्य अवश्य उत्तरदायित्व के हेतु इटोरता के साथ परिभाषित, विशेषीकृत और उपविशेषीकृत कर दिए जाते हैं।”

२. तकनीकी विशेषज्ञता—नौकरशाही की आवश्यकता पूर्ण व्यवस्था विशेषीकरण है। नौकरशाही के जन्म का एक कारण तकनीकी कुशलता की आवश्यकता भी है। एक विशेष कुशलता म प्रशिक्षित, उसे दारा-वार दोहराने वाला तथा अपने पद को आजीवन मानने वाला अधिकारी एक विशेष कार्य म पोर्य बन जाता है। यह विशेषीकरण इस तथ्य द्वारा भी प्रघित की जाता है कि वासा म प्रवेश और प्रगति के लिए एक विशेष कार्य म तकनीकी शोधना एवं अनुसव आवश्यक माने जाते हैं। इस प्रकार नौकरशाही विशेषीकरण का कार्य एवं परिणाम दोनों हैं।

३. कानूनी सत्ता—नौकरशाही समाज में अधिकारियों की सत्ता कानून पर आधारित होती है। कानून के अनुसार प्रत्येक अधिकारी उन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। अधिकारी की कुछ वाध्यकारी साधन प्रदान किए जाते हैं।

४. प्रद-सोपान का विद्वान्त—नौकरशाही समाज म कुछ स्वर होते हैं। स्तरों में शीर्ष का नेतृत्व, मध्यवर्ती प्रबन्ध, पर्यवेक्षक एवं कार्यवर्ती आदि के पद-सोगन बना दिए जाते हैं।

५. कानूनी रूप से कार्य-सचालन—नौकरशाही में मरकारी अधिकारी कानूनी

रूप से कार्य चारते हैं, इसलिए सगठन में लोचड़ीनना बढ़ जाती है। सरकारी अधिकारियों का व्यवहार कानून के जामन (Rule of Law) से सम्बद्धित रहता है, अत व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक कार्य स्वेच्छा अवधा व्यक्तिगत निर्देश पर आधारित रहने की अपेक्षा परम्पराओं पर आधारित रहते हैं। निनर नवा प्रीत्यन के कथनानुसार “सरकारी अधिकारियों को उन्होंने प्रत्येक कार्य का भीचार कानून या प्रशासनिक नियमों एवं कानूनी आदेशों के आधार पर मिल वरना चाहिए। जिस क्षेत्र में प्रशासनिक को स्वेच्छा दी जाती है उसमें भी नागरिक को कुछ अधिकार सौंपे जाने हैं। नागरिकों को प्रशासनिक निर्णय की मूलना दी जाती है उनकी गुरुत्वादी की जाती है और न्यायालय में निर्णयों के विशद भरीन करने का भवमर दिया जाना है। अधिकारियों के व्यवहार को सचाइन करने वाले नियम तकनीकी आदर्श भी हो सकते हैं।”

प्रशासनिक कानून, नियम, निर्णय आदि निविन रूप में निरूपित और अभिनेत्रित किए जाने हैं। विभिन्न आदाकारियों द्वारा शक्ति का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है तो भी उनके बीच समन्वय रहता है।

स्टॉफ को प्रकृति—नौकरशाही व्यवस्था के अन्तर्गत स्टॉफ का एक परिभासित देश एवं स्थिति होनी है। ये अधिकारी तकनीकी योग्यताओं के प्राधार पर नियुक्त किए जाते हैं। इनका पारम्परिक सम्बन्ध स्वतन्त्र और समझौतापूर्ण होता है। उभी अधिकारी अपने पद को प्राप्तीकरण सेवा के रूप में प्रहरण करते हैं। इनके बीच एक कठोर तथा व्यवस्थित अनुशासन रहता है। सगठन के समस्त वर्गोंमें अधिकारी, प्रधिकारी और कार्यकर्ता अपनी स्थिति या पद के स्वामी नहीं होते। वे मूल रूप में बैनन भोगी लोग होते हैं। सगठन में व्यक्ति को नहीं बरत कार्य को नियन्त्रित किया जाना है और उभी का मुआनन किया जाना है। यह जरूरी है कि व्यक्ति कार्य के अनुरूप प्रदने आएको दाले।

भूत्य व्यवस्था—प्रशासनिक अपने साधियों के प्रभावपूर्ण मनो एवं सांस्कृतिक भूम्यों से मर्यादित होते हैं। सामान्यत वे ऐसी मूल्य-व्यवस्था विकसित कर लेते हैं जो सगठन में उनके वायों के अनुरूप होनी है। इन प्रहार अधिकारियों का जो इंटरव्हिओर बनता है, वह उनके वायों को प्रभावित करता है। वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं पर विशेष जोर देकर नैतिक दल को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। नौकरशाही का मस्तिष्क उनके विशेषज्ञ होने वाया उन रूप में कार्य बरते पर निर्भर करता है। नौकरशाही में स्वामित्व किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बरत् अव्यक्तिगत वायों के प्रति होनी है। मिदान रूप से नौकरशाही को निरपेक्ष माना जाता है, इन्हुंने अवहार में उस पर राजनीतिक दल आदि इसी भी सत्या का प्रभाव हो सकता है। दूसरे नोयों की तरह नौकरशाही की भी राजनीतिक विचारणा राहीं है जो उनके निर्णयों को प्रभावित करती है। सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि सरकारी अधिकारी अकासानिक विशेषता एवं योग्यता को सुख्ता एवं निश्चित प्राप्त से बदल लेते हैं।

अन्त में नौकरशाही-स्थिति में एवं कार्यालय होता है जिसे एक ग्राजीबन व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। इस कार्यालय की कुछ शक्तियाँ होती हैं। एवं अधिक के रूप में नौकरशाही की सत्ता तथा उसके द्वारा वास्तव में प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों के बीच प्राय अलग रहता है। कार्य में अन्त होने पर नौकरशाही के पास माध्यरात्रि अधिक स्थिति में अधिक जकियाँ नहीं होतीं। उसकी सत्ता उम्मीदेवकी कार्यालय की मत्ता है जिसमें बहुत कार्य करता है।

**लालकीताशाही—** नौकरशाही की एवं विशेषता इसमें लालकीताशाही अथवा अनावश्यक औपचारिकता अपनाया जाता है। लालकीताशाही को हम नियमों-विनियमों के पालन में आवश्यकता से अधिक बारीकी की प्रवृत्ति कह सकते हैं। जब लालकीताशाही बहुत बढ़ जाती है तो प्रशासन में लचीलापन समाप्त हो जाता है। कल्पस्वरूप प्रशासकीय निर्णयों में देरी होती है और प्रशासकीय कार्यों के मन्त्रालय में सहानुभूति सहयोग आदि का महत्व गोण हो जाता है। लालकीताशाही नौकरशाही को कठोर, अन्वयत और अत्यन्त अनौपचारिक कार्यविधि बना देती है।

प्रो. फ्रेडरिक ने नौकरशाही के 6 लक्षण अथवा सिद्धान्त बनाए हैं जो इस प्रकार है—(1) कार्यों का विभिन्नीकरण, (2) पद-योग्यताएँ, (3) पद-मोरान-जम संगठन एवं अनुशासन, (4) कार्यविधि की वस्तुनिष्ठता, (5) लालकीताशाही एवं (6) प्रशासकीय कार्यों की गोपनीयता।

### नौकरशाही में आधुनिक प्रवृत्तियाँ

(Recent Trends in Bureaucracy)

प्रौद्योगिक एवं बैचारिक बातावरण में भाए अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने नौकरशाही संगठन के रूप और प्रक्रिया पर गम्भीर प्रभाव डाला है। नौकरशाही संगठन एक गत्यात्मक संस्था है। इसकी विशेषताएँ सदैव एवं जैसी नहीं इसी वरन् राजनीतिक परिवर्तनों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों, मानव मूल्य के नए सन्दर्भों और परिवर्तित समस्याओं की चुनौती द्वारा इसके लक्ष्य, संगठन, प्रविधि, औरित्य आदि को पर्याप्त बदला जाता है। बन्मात नौकरशाही में जो नवीन प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं, वे सदैप में नियन्त्रित हैं—

**अधिकारिक विशेषीकरण (Greater Specialisation)—** नवीन प्रविधि और समस्याओं का समाधान करने के लिए मन्त्री नौकरशाही संगठन का छोटी इकाइयों में विनियत कर दिया जाता है। प्रत्येक इकाई का दायित्व एक विशेषज्ञ अधिकारी को सौंपा जाता है। वासान्तर में प्रत्येक विशेष इकाई व्यापकता यहां कर लेती है। उसमें जान की नई दिशाएँ मुलती हैं और जिजासा वा क्षेत्र व्यापक बनता है। व्यष्टिगत अध्ययन के माय ही नौकरशाही में विशेषीकरण की प्रवृत्तियाँ बहुती चली जाती हैं।

**सदस्यों के बीच अन्तर्राज्यीय एवं पारस्परिक निर्भरता (Inter-relationship and Mutual Dependence Between Incumbents)—** अत्यधिक विशेषीकरण के प्रस्तवहृष्ट संगठन के वर्षचारियों के बीच पारस्परिक निर्भरता

उही है। प्रत्येक कर्मचारी के दायित्वों का मफल मचालन दूसरे कर्मचारियों के सम्मोऽपनम वायों पर आधारित हो गया है। किसी एक कर्मचारी के बायं में इकावट आने पर पूरे सगठन की बायं-प्रतिया अस्त व्यस्त हो सकती है।

**७ समुद्रत सेवीवर्ग नीतियाँ (Advanced Personnel Policies)**— सगठन के बायों और प्रकृति के परिवेश में अन्तर आने पर कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा की शर्तें आदि की दृष्टि से नई प्रभावशाली नीतियाँ अपनाई गई हैं। कर्मचारियों की भर्ती के यमय प्रवेशाधियों की योग्यताओं की समुचित जांच की जाती है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण के माय-माय प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कर्मचारियों को बायं करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं ताकि बायं में उनकी रचि और ऊँचा मनोबल बना रहे।

**८ नौकरशाही की सरचना और कायों में प्रजातान्त्रिक तत्व (Democratic Elements in the Structure and Functions of Bureaucracy)**—राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रजातान्त्रिक मूल्यों तथा आदर्शों में वना हुया व्यक्ति जब नौकरशाही सगठन में अपनी भूमिका निभाता है तो इन्हीं मूँगा से प्रभावित होता है। आज नौकरशाही का भुकाव प्रधिक से प्रधिक इस बात की ओर है जिन नियंत्र-प्रतिया में विचार-विगर्ह को महत्व दिया जाए अनिम्न नियंत्र सामूहिक रूप से दृढ़मत के आधार पर लिए जाएं, प्रत्येक वर्ग तदा व्यक्ति का उत्तरदायित्व स्पष्ट हो, प्रत्येक को उसके दायित्वों के अनुपान में सत्ता प्रदान की जाए, प्रत्येक सत्ता नियन्त्रित एव उत्तरदायी हो और पूरा सगठन व्यक्ति के गोरव और महत्व को ध्यान में रखने हुए कायं करे। सगठन की आन्तरिक रूप रचना के साय-माय उसके बाह्य सम्बन्ध भी प्रजातान्त्रिक आदर्शों पर आधारित रहते हैं। प्रत्येक नौकरशाही सगठन का मूल लक्ष्य जनहित के लिए कायं करना है।

**९ अनौपचारिकता की ओर झकाव (Bend Towards Informality)**— आधुनिक नौकरशाही सगठनों में अनौपचारिक सम्बन्ध निरन्तर बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों के सामाजिक स्तर प्रायिक हिन वैचारिक दृष्टिकोण मूल्यात्मक सरचना और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप अनौपचारिक सम्बन्धों का प्रतार हुआ है। इनके बारए सगठन का कायं शोध तथा उचित यमय पर सम्पन्न हो पाता है।

**१० विचारधारागत प्रायमिकताएँ और सगड़ित व्यवहार पर उनका प्रभाव (Ideological Preferences and their Impact on Organisational Behaviour)**— आज नौकरशाही सगठन में कायं करने वाला कोई भी कर्मचारी पहले की मानि भीचा-माचा और तटस्थ नहीं है। वह किसी न हिसी विचारधारा के मनुक और अन्य विचारधाराओं के प्रतिकूल दृष्टिकोण रखता है। सगठन के सदस्यों की विचारधारागत प्रायमिकताएँ उनके आपसी सम्बन्धों को कटू प्रवरा मधुर बनाने में उत्तेजनीय मूलिका निभाती हैं।

7. एक सुनियोजित और व्यवस्थित मानवीय सम्बन्ध हृष्टिकोण (A Well Planned and Systematic Human Relations Approach) — नौकरशाही संगठन की उपयोगिता एवं कार्यकुशलता बढ़ावे के लिए मानव-सम्बन्धों को सही बनाने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाया है। इसके लिए अनेक शोध किए गए हैं और उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं को सोजने की चेष्टा की गई है जिन्हे अपनाकर ममी स्तर के कर्मचारियों के बीच और कर्मचारियों तथा सेवित व्यक्तियों के बीच सम्भावित कटुताएँ मिटाई जा सकें।

### एफ. एम. मार्क्स के नौकरशाही के रूप

(Types of Bureaucracy According to F M Marx)

नौकरशाही नगठन का स्वरूप, प्रक्रिया, विद्युक्ति आदि यह सम्बन्धित देश और काल का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। उस देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भास्कृतिक, नैतिक, धार्मिक और दैनानिक परिस्थितियाँ उसके रूप-संधान में सहयोग देती हैं। यही कारण है कि विभिन्न देशों में प्रचलित नौकरशाही व्यवस्थाओं का रूप परस्पर भिन्न होता है। एफ. एम. मार्क्स ने नौकरशाही के इन रूपों को मूलत चार थेटिपों में बगीचा किया है—प्रभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, सरकार नौकरशाही तथा योग्यता नौकरशाही। मार्क्स की मान्यता है कि इन रूपों में से एक भी किसी देश में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होता। नौकरशाही का 'रूप' एक अमूर्ण एवं सामान्यीकृत घाररणा है। एक जैसी लगाने वाली अनेक चीजों को एक रूप के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध कर दिया जाता है।<sup>1</sup> यहाँ हम मार्क्स द्वारा वर्णित नौकरशाही के रूपों की विशेषताओं का संकेत में विवेचन करेंगे।

#### (1) अभिभावक नौकरशाही

(Guardian Bureaucracy)

नौकरशाही के इस रूप में नौकरशाही द्वारा एक अभिभावक जैसे दायित्व सम्पन्न किए जाते हैं। वह जन-सामान्य के हितों के लिए सदैव विनित रहती है। गूनानी विचारक ज्ञेयों की अदर्श राज्य की प्रोत्तरा अभिभावक नौकरशाही का प्राचीन उदाहरण है तथा इसके आधुनिक उदाहरण चीन (960 ई. नक) तथा प्रश्ना (1640 से 1650 तक) की नौकरशाही है। चीन की अभिभावक नौकरशाही द्वी कतिपय विवेचनाएँ निम्नलिखित हैं—

- (i) प्रशासकों के चयन में प्राचीन गैर्नरों का प्रभाव,
- (ii) प्रशासनिक भाचरण का भोत एवं भाषार प्राचीन गैर्न,
- (iii) शक्ति सम्पन्न नौकरशाही,
- (iv) प्रश्नराजादी एवं छदिवादी प्रकृति,
- (v) जनहित की समर्पणाओं से उदामीन।

1 "Type is always an abstraction and a generalisation of a single box into which we can throw things that look alike and have them come out again as a single composite" —F M Marx : op cit., p 54

चीन की अभिभावक नौकरशाही सामग्र्य हित की रक्षा के लिए ममरित थी, किन्तु प्रश्ना में इमंबा प्रमुख उद्देश्य राज्य की एकता एवं शक्ति की बढ़िया करना था। प्रश्ना वी इमं नौकरशाही की कठिपय विशेषताएँ निम्नलिखित थीं—

- (१) राज्य के हित में समर्पित,
- (२) एकीकृत एवं सन्तुलित प्रशासनिक व्यवस्था,
- (३) शिक्षित एवं योग्य प्रशासक,
- (४) राजतंत्र के साथ-साथ मध्यमवर्गीय गुणों का समन्वय,
- (५) सज्ज राजतंत्र (Enlightened Monarchy) के मूल्यों के प्रतुरूप,
- (६) जन-भावावेशों के प्रति अनुत्तरदायी।

उपरोक्त विशेषताओं से युक्त प्रश्ना की अभिभावक नौकरशाही में एक थेट्ट नौकरशाही के प्रायः सभी गुण विद्यमान थे। मावसं के शब्दों में, “राजा की पक्षपानी एवं उम्मी के माध्यम से जनना की सेवा करने वाली प्रश्ना की प्रारम्भिक नौकरशाही इस बात पर गर्व कर सकती है दि यह अपने उद्देश्य में अलोचनीय तथा ईमानदार, जनना के साथ सम्बन्धीय में सत्तावादी एवं सद्भावनापूर्ण तथा बाहरी प्रानोचनाओं में अप्रभावित बनी रही।”

## २५ जातीय नौकरशाही

(Caste Bureaucracy)

नौकरशाही वे इस रूप में सारी सत्ता एक वर्ग या जाति में वेत्तिन हो जानी है तथा उसके बाहर के लोगों को नौकरशाही में प्रवेश भी प्राप्त नहीं हो पाता। किमी जाति विशेष के साथ नौकरशाही का यह गठबन्धन अभिभायपूर्ण भी हो सकता है और एक आहसिन्ह घटना भी। कुनीनतभीय प्रशासन प्रणाली में नौकरशाही का जातिगत रूप नियोजित एवं अभिभायपूर्ण होता है किन्तु जनतान्त्रिक व्यवस्थाओं में योग्यता पर धारारित होने के बारए यदि नौकरशाही म कुछ जातिगत गुण द्वा जाएं तो यह एक अद्वारण नियन्त्रित है। जातीय नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) ग्रंथालिक योग्यता की अनिवार्यता,
- (२) पद एवं जाति में अन्तर्संम्बन्ध,
- (३) सेवा प्रश्ना पद का एक परिवार से जुड़ जाना,
- (४) दोषपूर्ण समाज व्यवस्था का प्रतीक।

मावसं ने जातीय नौकरशाही के पुरातन उदाहरणों में रोमन माझार्य तथा धर्वाचीन उदाहरणों में जापान के मेजी संविधान का उल्लेख निया है।

## ३५ सरकारी नौकरशाही

(Patronage Bureaucracy)

यह नौकरशाही का वह रूप है जिसमें लोह मेडर्सों की नियुक्ति उनकी दुष्करार्थक योग्यता के धारार पर नहीं दी जानी बरन् नियोना और प्रत्याक्षियों के

राजनीतिक सम्बन्धों के आधार पर ही जानी है। संयुक्तराज्य अमेरिका में काफी समय तक सुरक्षणा नौकरशाही का प्रभाव रहा। तदनुमार प्रत्येक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के साथ अनेक वार्षिक कर रहे उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी पदमुक्त कर दिए जाते थे और उनके स्थान पर ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जानी यी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव म भारी समर्थन किया हो, जो उनके दल का प्रमुख व्यक्ति हो अबवा अन्य इसी भी वारण से वह राष्ट्रपति को पदमन्द हो। अमेरिका में इस नौकरशाही का धीरगुण्डा राष्ट्रपति जैक्सन द्वारा किया गया था। सरकार नौकरशाही की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) इसमें कमंचारियों की भर्ती के समय उनकी जीवितिक अवधारणावालीयिक घोषणा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता।

(२) लोक सेवाओं से सत्ताधारी दल के कार्यक्रमों एवं नीतियों के साथ प्रतिवहता की अवैधता की जानी है।

(३) लोकसेवकों का कार्यकाल सुरक्षित नहीं होता। वे अपने पद पर तभी तक कार्य कर सकते हैं जब तक कि उन्हें सत्ताधारी दल का सरकार प्राप्त है। यदि दल सत्ता से हट जाए अथवा उसका सरकार समाप्त हो जाए तो पदाधिकारी को भी पद से हटा दिया जाता है।

(४) लोकसेवकों का मुख्य कार्य राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न रखना होता है। वे जनहित के लिए स्वयं पहल नहीं करते और न ही उसे प्रायमिकता देते हैं।

(५) प्रशासन राजनीतिक इष्ट से उद्यम नहीं रह पाता। इसके अनिरिक्त अनुशासन, पश्चात, अप्टाचार, भाई भनीजावाद आदि की समस्याएँ अपारिक बन जानी हैं।

### ५) योग्यता नौकरशाही

(Merit Bureaucracy)

नौकरशाही के इस रूप में लोकसेवकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर ही जानी है। योग्यता ही जैव के लिए विषय तथा वस्तुपति परीक्षाएँ यायोग्यिता ही जानी है। इस व्यवस्था में लोकसेवक किसी के प्रानुग्रह भार से देवा हृषा नहीं रहता तथा सदैव सामान्य हित की अभिवृद्धि में हित से नहीं है। यह सरकार नौकरशाही के पिछड़ एवं प्रतिक्रिया है। इसी कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) योग्यता के आधार पर नियुक्ति तथा नियुक्तियों की जैव के लिए विवादन परीक्षाएँ,

(२) कार्यकाल की सुरक्षा,

(३) नियमानुसार नियार्थित बैनर,

(४) विषय एवं नियंत्रणामूर्ति कार्य भवान,

- (४५) राजनीतिक विचारधारा या नीतियों के प्रति प्रतिवद्दता के स्थान पर देश के संविधान एवं अपने कर्तव्यों के प्रति मज़बूत,
- (४६) कालान्तर में सम्बन्ध वर्ग के हितों की रक्षक।

### नौकरशाही को समझने की आवश्यकता (Need for Understanding)

प्रजातन्त्र में नागरिक और उसकी सरकार के बीच पारस्परिक सहयोग रहना आवश्यक है। राजनीतिक नेताओं और नागरिकों के बीच स्थित सम्बन्ध के साथ-साथ नागरिक सेवकों नथा नागरिकों के बीच भी सम्बन्ध रहना चाहिए। नौकरशाही को चाहिए कि वह नागरिक वो समझे और नागरिकों को चाहिए कि वे नौकरशाही को समझें। समय की मीमांसा है कि नागरिक प्रशासनिक किया को अधिक से अधिक समझें। इम सम्बन्ध में गिम्निलिन बातें प्रहस्तपूर्ण हैं—

नौकरशाही की सीमाएं—नौकरशाही पर व्यक्तिगत क्षमताओं परिवार, कार्यालय एवं कानून आदि की सीमाएं रहती हैं। भर्ती से पहले नागरिक सेवक एक साधारण व्यक्ति होता है और उस व्याकुलता में बढ़िये विए निरन्तर अपनी योग्यताओं में बढ़िये करनी होती है।

एक अन्य सीमा उन नियमों एवं विनियमों की होती है जिन्हे नागरिक सेवा में वयों के इतिहास ने विकसित किया है। नागरिक सेवक अपने स्वयं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिक तथा सामरिक वातावरण में बहुत बड़ा सहायता ल सकता है। उसके बड़े से बड़े कार्य को प्रचार यन्त्र द्वारा दबाया जा सकता है।

प्रकारी सेवा की नीतिकृता—प्रकारी सेवा का एक उद्देश्य सरकार के माध्यम से समाज की सेवा है। इस उद्देश्य की पूनि गैर-प्रकारी सेवा में जान पर अधिक अच्छी तरह नहीं हो सकती। लोकसेवकों द्वारा स्वामिभक्ति की शपथ नीतिक घटनाएँ सहिता का कानूनी पहनू है जिनके द्वारा सरकारी कर्मचारी अपने कार्य के बारे में निर्देशित होता है। वाई भी प्रशासनिक अधिकारी भनना करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है। लोकसेवा के उद्देश्य की पूनि भी हो सकती है जब सरकारी वर्मचारी का अधिकार इमानदारी पूर्ण हो। वास्तव में नौकरशाही में गोपनीयता अथवा रहस्य की आवश्यकता कम है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी गतियों के लिये जबर्दस्त होते हैं। इन गतियों की पुनरावृत्ति न हो—इसके लिए तथा का प्रकारी आवश्यक है।

प्रशासनिक अनामिता का पद्धति—नागरिक सेवा के बारे में स्वाप्त आमत घारलायों को दूर बरने के लिए अधिकारी अनामिता के बारण समझना उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में दो पहलू हैं—प्रथम यह कि नौकरशाही अपने स्वामियों को परामर्श देने समय अनाम रहते हैं और दूसरी, वे सरकारी प्रशासन के कार्यों से अपने आप को जनका के साथ एक ही नहीं करते। कठूनी सरकार के अधीन कार्य भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अनामिता का पद्धति आवश्यक है। यह उस मूल मिदानत

का विरोधी है जिसके अनुसार प्रशासनिक अभिकरण मूल रूप से निष्पक्ष और अव्यक्तिगत साधन होते हैं जिनके द्वारा सरकार अपने कार्य सम्पन्न करती है। इन अभिकरणों के अधिकारी अपने कार्यों पर अपने व्यक्तित्व की मोहर नहीं लगाते। इमके विपरीत कार्य इतने कुशल होने चाहिए जिनके माध्यम से जनता को इच्छा अभिव्यक्त हो सके।

गलती का भय—अपनी गलतियों की आशका से एक नागरिक अधिकारी जनता से दूर रहने का प्रयत्न करता है। वह अपनी आपचारिकताओं की दीवार बना लेता है। नागरिक भी उस दीवार से परिचित होने लगते हैं। अनाम रहने के कारण अधिकारी अनुचित आलोचनाओं से बच जाते हैं तथा राज्य के वर्षों के अनुभव एवं स्वामिभक्तिपूर्ण सेवाओं की प्राप्ति होती रहती है। यदि नौकरशाही अपने कर्त्तव्यों से विमुख होती है तो ऐसी स्थिति में अभिकरण को जनता का समर्थन घास्त होना रुक जाएगा तथा इसकी कीमत लोकसेवक को चुकानी होगी। ऐसे कुछ लोग हमेशा होते हैं जो अपने उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों पर दोपारोपण करते रहते हैं। यही कारण है कि नौकरशाही जनता को जगती जानवर की तरह देखता है जिससे यथासम्भव बचा जाना चाहिए।

टीम तथा दाँते की मान्यता—नागरिक सेवक और नागरिकों के बीच अनामिता का सम्बन्ध होना चाहिए, किन्तु सगठन के अन्तर्गत अधिकारियों का पारस्परिक सम्बन्ध टीम तथा दाँते की मान्यता (Concept of Team and Dante) के अनुमार रहना चाहिए। कोई भी प्रशासनिक अभिकरण अपने वर्षों को सम्पन्न करने में उस समय तक सकल नहीं हो सकता जब तक उसका स्टाफ एक टीम की तरह काम न करे।

प्रत्येक कर्मचारी का कुछ अव्यक्तिगत दायित्व होता है जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है। इनने पर भी उसका व्यक्तिगत दायित्व सरकारी आवश्यकताओं का अधीनस्थ होना चाहिए नावि परिणाम अभिकरण की सफलता के रूप में साधने आए। स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को यह अनुशब्द करना चाहिए कि वह जो कुछ भी करता है एक सीमा तक अभिकरण के एक भाग के रूप में करता है। सगठन के अध्यक्ष की यह एक मुख्य समस्या है कि उसके अधीन कर्मचारियों में अनुकासन की स्थापना कैसे की जाए ताकि उनका पहल करने का उत्साह न मर जाए।

कई अधिकारी अपने इस दायित्व को सन्तोषजनक रूप से नहीं निभा पाते। वे अपने स्टाफ में गलती न करने के लिए इनना भय पैदा कर देते हैं कि स्टाफ के मदस्यों वी सकारात्मक गहयोग तथा प्रभावशीलता नष्ट हो जानी है। कुछ अधिकारी अपने सेवीवर्ग को इतनी नेबीरां और बड़ोर परम्परा में डाल देते हैं कि उनका अव्यक्ति भरकारी चक्र में एक दाँते जैसा बन जाता है। योग्य अधिकारी हमेशा अपने अधीनस्थों को उन सार्वजनिक उद्देश्य को स्पष्ट बनाने की पहल करते हैं जिसके लिए यह अभिकरण बनाया गया है। कर्मचारियों के वक्ष्याण् और भास्त्र विकास के

लिए सक्रिय योगदान करके ये अधिकारी स्टाफ के दूसरे सदस्यों में महयोग वी भावना जाएँ बर देते हैं।

१ नौकरशाही विचार-विमर्श का दायित्व—नौकरशाही अपने राजनीतिक अध्यक्ष वो अधिकारी अनामिता जी इट्टि से परामर्श देता है। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी-अनामिता वा पह मूलभूत दायित्व है कि वह अपनी योग्यता के मनुमार राजनीतिक प्रमुख को परामर्श दे और इस परामर्श में चाहे कितना ही स्वीकार किया गया हो वह इसे स्वामित्व और कुशलता के साथ मन्त्रित करे। नागरिक सेवकों में सार्वजनिक नीति-निर्धारण करने वी शक्ति नहीं होती और इसलिए उन्हें इसे बनाने वा दायित्व नहीं लेना चाहिए। अनामिता के सरकार भ रहकर नीतिक आचरण की सहित यह मौग बरती है कि वह अपने राजनीतिक प्रमुख की नीति और सामान्य कल्याण के अनिवार्य और सब कुछ भुला दे।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नागरिक और नौकरशाही वा परस्पर अनिष्ट मन्त्रित्व होता है। नौकरशाही पूरे राष्ट्र की साकार मूर्ति है और पूरे राष्ट्र को दोषी बनाए बिना इसे दोष नहीं दिया जा सकता।

### नौकरशाही और सामाजिक परिवर्तन

(Bureaucracy and Social Change)

नौकरशाही को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक असरगति माना जाता है। प्रो. लुड्विग (Ludwig) के मनुमार, "एक ही समय में बोईएक सही नौकरशाही तथा नवीन प्रयोगवर्त्ती नहीं हो सकता। प्रगति एक ऐसा तत्व है जिसे नियम और विनियम पहले से नहीं देख पाते। यह आवश्यक रूप से नौकरशाही विद्याओं के क्षेत्र से बाहर है।" स्पष्ट है कि नौकरशाही का एक मद्दत्य अपनी तरफ से प्राप्त किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता, बिन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि नौकरशाही के शार्य सामाजिक परिवर्तन के साथ नहीं हो सकते। नौकरशाही दौरे को समय के मनुमार बदला जा सकता है।

नौकरशाही परिस्थितियों कई प्रकार से परिवर्तन के प्रति अनुदून इट्टिकीए बनाती है—

१ उत्तेजनात्मक कठिनाइयों का अस्तित्व नए प्रयोगों के लिए सकारात्मक इट्टिकोए प्रकट बरता है ताकि उत्तेजनायों को दूर किया जा सके।

२ नागरिक सेवकों का हित उन नई नीतियों के समझा हो जाना है जो संगठन का प्रसार चाहती है।

३ घण्टिक घण्टिकारियों जी प्रगतिशील विचारधारा उद्देश्यों में तथा विवास उत्पन्न बरती है। ज्यो-ज्यो भ्रमिकारण के मूल उद्देश्य प्राप्त होने जाते हैं त्यो-न्यो इसके सदस्यों जी इच्छ नवीनता और प्रोत्त बढ़ती जाती है।

४ नौकरशाही उत्तरदायित्व की कठोर सीमाएं होती है और इसलिए नई नीतियों का अपनाने पर नागरिक सेवकों का काम नहीं बढ़ता। वे बिना इसी मध्य के इन नीतियों का समर्दन बर सकते हैं।

5 नम्बे समय तक कार्य करने के बाद अधिकारी अपने नाम में कुशल हो जाते हैं, इसनिए वे भी कार्यों में परिवर्तन से उत्पन्न हुई समस्याओं का स्वागत करते हैं ताकि उनका कार्य अधिक दिलचस्प बन सके। वह योग्य अधिकारी म्यत प्रक्रिया के उम माग वा कठोरता के साथ पालन करते हैं, जिसके साथ वे परिचिन हैं। यही कारण है कि वे प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तनों का विरोध करते हैं, यद्यपि नीति में परिवर्तनों का वे भी समर्थन करते हैं। नागरिक-सेवकों का पद सुरक्षित रहता है और इसनिए वे परिवर्तन के प्रति अनुकूल इटिक्टोगु प्रतवास करते हैं।

सामाजिक अमुख्या में स्थोरता आनी है और यह कठोरता कई प्रकार में प्रकट होती है। जिस अधिकारी का पद कम सुरक्षित रहता है वह परिवर्तन के प्रति कम रुचि लेता है। पद अमुख्यित रहने पर प्रत्येक प्रकार के जोखिम जो हर दीमत पर दूर किया जाता है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए थेएच साधनों की स्वेच्छा में हमेशा जोखिम बना रहता है, अब इस प्रबोग का बहिकार किया जाता है। इसके विपरीत नीकरशाही ढाँचे में सुरक्षित स्थिति और उसके नेतृत्व मापदण्डों में समृपता नक्ष्यों को विस्थापित करने का कार्य नहीं करती। जब कार्य पूर्ण करना दीनिक व्यवहार बन जाता है तो अधिकारी अपने को पुन व्यापक बनाने के लिए नए क्षेत्र सौजते हैं और इसनिए पुराने लक्ष्यों के स्थान पर नए लक्ष्य निर्धारित होते हैं।

नीकरशाही सगठन के सदस्यों वा प्रार्थिक व मनोवैज्ञानिक हिं इष बात में है कि वे नए उत्तरदायित्व ग्रहण करें। इससे उनके कार्यों में सञ्चोय वडेगा तथा पदोन्नति होगी। उच्च स्तर की समस्याओं को मुलभाना घट्यन रचिकर होना है। जब अभिकरण का प्रमार होता है तो वाम दूटने के अवमर कम हो जाते हैं और पदोन्नति के अवमर बढ़ जाते हैं। कार्य उपो-उपो प्रचलित होना जाता है तथो-तथो वह अहचिकर बनता जाता है और उसे छोटे से स्टाफ ढाग पूरा किया जा सकता है।

सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन होने के साथ-साथ प्रशासनिक ढाँचे में भी तादनुस्प समायोजन करने होगे। अनुकूल परिस्थितियों में भी गैर अधिकारी समयोजन उम समय तक नहीं हो सकता जब तक कि कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा मध्यन्त्रात्मक आवश्यकता का अनुमत न किया जाए। उत्तरदायित्व और भस्ता का पद सोनानयुक्त विनरण कार्यान्वय में समायोजन की आवश्यकता का भूत्पात करता है। उच्चस्तरीय अधिकारियों के व्यापक उत्तरदायित्व उन समस्याओं से भयानक है जिनका कार्य में आवश्यक हस्तक्षेप होता है।

नीकरशाही के विकास की प्रक्रिया कार्यकुशलता के लिए उपयुक्त है। यह समाज या उसके विभिन्न घण्टों पर अनुकूल प्रभाव दालनी है। कुछ प्रक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनके लिए सगठन सम्बन्धी आवश्यकता नहीं होती, किन्तु सगठन से बाहर के स्मृति के कार्य को बदलना होता है। कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा

संगठन की प्रावश्यकता उम समय तक पूरी नहीं की जाएगी जब तक वे यह अनुमति न करें कि उनका कार्य बाहिनी परिवर्तन किए दिना प्रक्रियकर बन जाएगा। जब बाहरी संगठनों के परिवर्तन संगठन की प्रान्तरिक आवश्यकता बन जाते हैं तो उनका प्रभाव उम हो जाता है। इसके लिए प्रजातन्त्रात्मक तकनीक विकसित करने की समस्या उत्पन्न होती है ताकि प्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों को नौकरशाही कार्यों के विभिन्न परिणामों के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके।

### नौकरशाही की विशेषताएँ

#### (Characteristics of Bureaucrats)

नौकरशाही एक सामूहिक पद है जिसके माग विभिन्न नौकरशाह होते हैं। डॉ जीनिस्म ने नौकरशाह की विशेषताओं का वर्णन किया है। उनके कथनानुसार “तानाशाही एक व्यक्तिका शासन है जबकि नौकरशाही नियमों का शासन है। प्रदूषे का उद्देश्य कार्य को करना है जबकि दूसरे का उद्देश्य कार्य को व्यवस्थित करना है।”

नौकरशाह एक प्राचलीयुक्त व्यक्ति होता है। उसका उद्देश्य आवश्यक स्थापित करना तथा उसे पूर्णता प्रदान करना होता है। अपने सबीरुं उद्देश्य में वह अपनी महसूवाकौशलाओं को जोड़ देता है। सामान्यत नौकरशाह अस्वच्छता से घूमा दरता है। वह अपने दैत्य को यथासम्भव साक रखने का प्रयास करता है। उग्रे कार्यालय को देखकर लगेता है कि सब कुछ एक नियोजित रूप से चल रहा है। वह प्रक्रिया सम्बन्धी स्वच्छता पर भी जोर देता है ताकि वह स्वयं अधिकारी कार्य व्यर्थ कार्य न करे। एक बड़े और जटिल कार्यालय की परिस्थितियों में उसे स्थापित्व का तत्त्व माना जा सकता है।

नौकरशाह निर्धारित समय का कठोरता से पालने करता है। वह अपने अवहार को निर्देशित करने के लिए अपने पूरे दिन का समय विभाजन कर लेता है। नौकरशाही में सकट का माना कोई छोटी बात नहीं है। वास्तव में प्रत्येक छोटी अनियोजित घटना एक सम्मानित सकट बन जाती है। इस सकट में आवश्यक रूप से कार्यालिका भी उत्तमता है। नौकरशाह अपने कार्य के तरीके को बदलकर उसका स्थायी रूप से निराकरण करता है।

एक तानाशाह के लिए नियम के बल उसके अधीनस्थी के लिए ही बाध्यकारी होते हैं, किन्तु नौकरशाह की दृष्टि से नियम मधी के लिए बाध्यकारी होते हैं जिसमें वह स्वयं भी सम्मिलित है। नौकरशाह अपनी कामना और आत्म मम्मान दोनों को नियमों के बटोर अनुपालन के माध्यम समझ बना लेता है। इस प्रकार वा नियम बनाना अधिकारी निर्देश देना अधिकारी आनंददायक समझा जाता है जिसे पाइ रखना अधिकारी उसका प्रमुखीलन करता होई मूलं नहीं सकता है।

प्रो एरिक स्ट्रॉस (Prof Erich Strauss) ने प्राचीन उस्तूर (The Ruling Servants) में नौकरशाही की विशेषताओं का विवरण दिया है। उनके वर्णनानुसार “एक प्रशासनिक व्यवसाय में सफलता को पूर्ण पदसोपान में प्राप्त

अधिकारी स्थिति द्वारा मापा जाता है। इसके साथ ही पश्चानति के अवसर, अधिक शक्तियाँ और अधिक माय भी इस दृष्टि से अपना उल्लेखनीय महत्व रखते हैं।” पदोन्नति के अवसर और प्रभाव व्यक्तिगत अधिकारी के लिए पर्याप्ति महत्वपूर्ण होते हैं और वे उसके दृष्टिकोण को एक स्तीरा तक प्रसारित करते हैं। नौकरशाह वाहरी दुनिया से बहुत कुछ अलग हट जाता है और अपनी उस अधिकारी दुनिया में स्वयं को आत्मसात कर लेता है।

जीर्ण के नौकरशाह सगड़न और अपने अधीनस्थों के स्वामी होते हैं। प्रत्येक अधिकारी यह जानता है कि उसकी उन्नति पूर्णत उसके उच्चस्तरीय अधिकारी के न्याय अथवा दुरायह पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में वह अपने अधीनस्थों पर निर्भर रहने की जोखिम नहीं उठाता और अपने उच्चस्तरीय अधिकारियों को चाटुकारिता करता है। नौकरशाही का प्रत्येक सदस्य अपने उच्चस्तर तथा अपने ही विभाग के नेताओं पर प्रत्यक्ष या भ्रप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। शिरांशीय एवं सम्भागीय अध्यक्ष अपना साझाज्य बनाने में लगे रहते हैं। यह बात पदसोषान में नीचे तक चलती है।

प्रशासनिक नौकरशाही का सर्वोच्च नियन्त्रण का प्राप्त करना होता है तथा इस शक्ति को कायम रखना और बढ़ाना उसकी नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। नौकरशाही के प्रमुख अपनी प्रकृति से अथवा धनुभव से यथार्थवादी और व्यावहारिक व्यक्ति होते हैं। वे तकनीकी रूप से अपने क्षेत्र में कुशल होते हैं; किन्तु इसके साथ ही वे अल्पदर्शी, सकीर्ण विचारों वाले और मन्देहशीत होते हैं। वे नौकरशाही का सेल अपने प्रतियोगियों की प्रपेक्षा अच्छी तरह खेलकर शीर्ष तक पहुँचते हैं, इसलिए वे इस कार्य के नियमों से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं।

प्रशासनिक नौकरशाही के प्रमुख शक्ति की राजनीति के बिदेश होते हैं, किन्तु उन्हें इसके सम्बन्ध में विश्वसनीय सूचना नहीं मिल पाती। वे अपनी स्थिति में बन्दी रहते हैं तथा अपने कार्यालय की कुत्रिम दुनिया से इतर शक्ति के बारे में मुश्य नहीं जानते। यह ही सकता है कि काम विना इसी परेशानी के सुगमतापूर्वक जलना ग्रह जबकि बाहरी दुनिया में इसके प्रति ऐसा असक्षोप हो जिसे दूर किया जा सकता है।

### नौकरशाही के कार्य (The Role of Bureaucracy)

मुख्य कार्यपालिका अर्थात् सरकार की निर्वाचित राजनीतिक शाखा और स्थायी नौकरशाही में अस्तर इतना नहीं है जिनमा बनाया जाता है। यही कारण है कि कई विचारकों ने नौकरशाही को सरकार की चौथी शाखा (Fourth Branch of Government) कहा है। सरकार की इस चौथी शाखा द्वारा नियन्त्रित कार्य इए जाते हैं—

मामाजिक परिवर्तन को कियान्वित करना (Implementing Social Change)—प्रजानामात्मक सरकार वा मच्चा मापदण्ड बदलती हुई मामाजिक

आवश्यकताओं को पहचानना और उनके घनुमार कार्य करना है। वर्तमान समय में सरकार के कार्य परिवर्तन विमृग्न हो गए हैं क्योंकि जनता को मांग है कि सामाजिक बदलाव की प्रोत्तवाहन देने के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। आज समाज वे प्रत्येक वर्ग में विभिन्न कार्य सरकार ने अपने ऊपर ले लिए हैं। उद्योगों में कार्य करन वासे मञ्जदूर अपनी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर देखते हैं।

स्वयं उद्योग भी बहुत कुछ सरकारी टेको पर निर्भर हैं। इस प्रतियोगी में सरकार विशेषी पक्षों के बीच मध्यस्थ से अधिक बन गई है। इसने सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा और सदृजीवन प्राप्त बनने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर निया है। यह परिवर्तन जनता की स्वीकृति से हुआ है, किन्तु परिवर्तन स्वयं अपने प्राप्ति विधानित नहीं करता। राष्ट्रपति विलसन का कहना या कि सविधान को विधानित करना उसे बनाने से शिखित कठिन है। मस्थाओं में नवीन प्रयोगों ने लिए आवश्यक कुशलता और घनुमत लोकसेवा द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। पिछले तथा प्रीस्थापिका के क्षेत्रानुमार “इस अर्थ में नौकरणाही एक सामाजिक माध्यन है जो व्यवस्थापिका के अभिप्राय और उसकी पूर्ति के मध्य स्थित दूरी को मरती है।”

जब एक बार व्यवस्थापिका निर्णय ले लेती है तो नौकरणाही उसे विधानित करने के लिए कदम उठाती है। विभिन्न सरकारी विभागों की नीतियों एवं कार्यों पर विभिन्न हित-ममूलों का प्रभाव पड़ता है। क्रियान्विति की प्रतियोगी नौकरणाही पर विभिन्न ममूल प्रभावित करते हैं। जब नौकरणाही व्यवस्थित तकनीको का विकास कर लेनी है तो यह विशेष हिनों के दावों का विरोध करने की शक्ति प्राप्त कर लेती है।

2. नीति को सिफारिश करना (Recommending Policy)—नौकरणाही का नीति-निर्धारण में भी योगदान होता है। व्यवस्थापिका बहुत कुछ प्रतामनिर विशेषज्ञों पर आधारित रहती है क्योंकि सार्वजनिक नीति में प्राय ऐसी तकनीकी जटिलताएं या जानी हैं जिनमें विशेष ज्ञान, और सोच-विचार की आवश्यकता होती है। व्यवस्थापिका के अधिमण्डप सदस्य अनुमतिहीन होते हैं जिन्हें बहुत युग्म विशेषज्ञों के निर्णयों पर निर्भर रहना होता है। उदाहरण के लिए, व्यवस्थापिका सेना सम्बन्धी निर्णय लेना चाहे तो इसके लिए उसे सम्बन्धित विशेषज्ञों से पूछना आवश्यक होगी।

वेवर का कहना या कि प्राप्तिनिक राज्य पूर्ण रूप से नौकरणाही पर निर्भर है। नीति-निर्माण पर नौकरणाही का प्रभाव व्यवस्थापिका की प्रतियोगी हो सोचनों में रहता है। प्रथम, नौकरणाही को प्राय व्यवस्थापन की पहल बनने तथा प्रस्तावित विधियों पर व्यवस्थापिका को सिफारिश करने के लिए भाग्यनिवार किया जाता है। दूसरे, व्यवस्थापिका द्वारा पारित व्यवस्थापन को विधानित करने में नौकरणाही कुछ स्वायत्तता का अवहार करती है। नौकरणाही का परामर्जन महत्व

रघवता है क्योंकि वह जाननी है कि नीति को किम प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा। यदि नीति के सङ्क्षेप उपलब्ध न विए जा सकें तो इसकी जातकारी भी नोकरशाही द्वारा ही पदान की जा सकती है। वह उपयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने में भी समर्थ है।

3. व्यवस्थापन करना (Framing Legislation)—प्रशासनिक जाता द्वारा व्यवस्थापन की पहल वी जाती है। वहाँ जाता है कि अमेरिकी कॉमिटी में आधे से अधिक व्यवस्थापन कार्यपालिका-विभागों और अभिकरणों में जन्म लेता है तथा राष्ट्रपति द्वारा बजट-बूरो के माध्यम से समन्वित किया जाता है। नोक-प्रशासन का एक प्रनिनिधित्वपूर्ण कार्य यह है कि इसकी नीति समूह के हितों को अभिष्ठान करनी है। कॉमिटी द्वारा किया जान वाला व्यवस्थापन प्रशासनिक अधिकारियों की विकारिशों पर आधारित होता है।

उच्चस्तर के अधिकारी नीकरशाही का समय व्यवस्थापन से सम्बन्धित कार्यों में अनीत होता है ताकि प्रशासन कार्य सरल बनाया जा सके। प्रशासनिक जाता प्रस्तावित विषय के बारे में देश भर के सम्बन्धित समूहों से पूछनाथ करती है। प्रशासक व्यवस्थापिका में स्थित अपने मित्रों ने विचार-विमर्श करते हैं। अधिकारी अभिकरणों में व्यवस्थापिका में अपने हितेपी होते हैं जो बदले में अभिकरण से कुछ लाभ उठा लेते हैं। इस प्रकार का सम्पर्क व्यवस्थापिका में प्रशासनिक प्रस्तावों की स्वीकृति को सफल बना देना है।

4. व्यवस्थापिका को प्रभावित करना (Influencing Legislature)—नोकरशाही का प्रभाव नीति पर उम समय पड़ता है जब व्यवस्थापिका द्वारा व्यवस्थापन पर विचार-विमर्श किया जा रहा हो। विशेषज्ञों की आवश्यकता नोकरशाही के योगदान को महत्वपूर्ण बना देती है। मुख्य विषयों पर व्यवस्थापिका की समितियों प्रशासनिक विभागों से लिखित बताव मांगा जाती है। प्रशासक कार्यपालिका की उन गुण बैठकों में भाग लेते हैं जिनमें प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। विभागों एवं अभिकरणों द्वारा समितियों को अंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि व्यवस्थापन के समर्थन में दोनों समय वे उनका प्रयोग कर सके। प्रशासक मम्मेलन-समितियों में बैठते हैं ताकि उनके विभागों को प्रभावित करने वाले विषयों पर परामर्श दे सकें।

नोकरशाही प्रनिहिन्दनापूर्ण बातावरण में कार्य करती है। शक्ति, सम्मान और अस्तित्व के लिए लगातार समर्पण जनता रहता है। अधिक कार्यक्रमों का अर्थ है कि उनके लिए अधिक धन एकत्रित विषय 'जाए और साथ ही कार्यक्रम में सामान्यता होने वाले समूह का समर्थन भी प्राप्त किया जाए। प्रशासन को न केवल नीति निर्धारण में अधिक भाग लेना पड़ता है बरन् उसे नीति को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक शक्ति का समान भी करना होता है। जिन सेवाधों को प्रमुख हित-समूहों का मनुष्यान्वित महत्वपूर्ण नहीं मिलता वे सम्बोधनकर्ता रुप से कार्य नहीं बरते। सरकारी अभिकरण और जनता के बीच पारस्परिक लाभ के

कारण ही मम्बन्ध स्थापित होता है। जनगत को आवश्यक सेवाएँ प्राप्त होती हैं जबकि नोकरशाही स्तर और शक्ति प्राप्त नहीं है।

5. प्रतिकूली हितों के बीच समायोजन (Weighing Competing Interest)—नोकरशाही व्यवस्थापन कार्य में कुछ विवेक से काम लेनी है और इस प्रकार उसकी शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। प्रशासक कभी-कभी सार्वजनिक हित को अपने कार्यों का आधार बनाकर अधिक विवेक का प्रयोग करने लगते हैं। इस सामान्य हित के बीच विशेष हितों को गोण बना दिया जाता है। यह बार्य प्रशासनिक प्रभाव का विषय है। नोकरशाही का सामान्य हित का अपना व्यक्तिगत मापदण्ड होता है और इसलिए वह विशेष हितों के दबाव को मुला सकती है। यह व्यवहार कुछ राजनीतिक वास्तविकताओं में सीमित हो जाता है। अधिकारी अपने अभिभवण को एक विशेष हित का प्रतिनिधि मानता है और इसलिए वह अन्य अभिभवणों के हितों का प्रतिवेदी बन जाता है। उच्चस्तरीय प्रशासक प्राय अपने विवेक का प्रयोग अपने अभिभवण द्वारा सेवित सर्वाधिक शक्तिशाली समूह को प्रोत्साहित बनाने के लिए करते हैं। व्यवहार में नोकरशाही अपने करने का ध्यान में रखता है। वह लोकहित के विरोधी दावों, नेतृत्व व्यक्तियों की मार्गों सुनठनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत मूल्य की प्रायमिकताओं में मन्तुतन स्थापित बरता है।

इस प्रकार प्रशासनिक अभिभवण आत्म-गिरंग होता है। उनकी प्रमुख स्वाविभक्ति प्राय सामनवादी प्रायिक हितों के प्रति होती है। यदि अभिभवण को जीवित रहना है तो उसे सगानार अपनी स्थिति का मूल्यांकित राजनीतिक वास्तविकताओं के सन्दर्भ में करना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।

6. व्यवस्थापन को क्रियान्वित करना (To Implement Legislation)—नीति वी क्रियान्वित पर भी नोकरशाही का प्रभाव पर्याप्त ‘महत्व रखता है। प्रशासनिक विवेक के बारें कई बार कुछ ऐसे कानूनों को लागू होने से रोक दिया जाता है जिनका जनमत विरोधी होता है। व्यवस्थापिक द्वारा निर्धारित नीति को व्यावहारिक रूप देने में प्रशासक पर्याप्त विवेक से काम लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी पूर्ण कानून के परिवर्तन या व्याप्ति के निए नियम और विनियम निर्धारित करने हैं। शोषोंगीकरण तथा नियामकीय कार्यों के विवास के बारें अपने सरकारी विभाग और अभिभवण नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करते हैं, यद्यपि शक्ति का यह प्रयोग हमें नियामन, विधायी-मापदण्ड के साथ अनुरूपता, कानून के शासन, प्रादि में सम्बन्धित होता है।

7. आवश्यक और नैतिक बातों के बीच सम्मुख स्थापित करना (Balancing Professional and Ethical Consideration)—नोकरशाही के बायों में आवश्यक मूल्य और नैतिक मूल्यों के बीच कई बार विरोध उत्पन्न हो

जाना है। निरंय लेते समय प्रशासनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत नैनिवता एवं व्यावसायिक मापदण्ड दोनों का ध्यान रखना होता है। इसी भी कम महत्वपूर्ण विषय पर नौकरशाह अपने व्यक्तिगत विचारों के बारण विरोध का सामना नहीं करना चाहता।

**8 सरकार के कार्यों को सम्पन्न करना (To Carry out the Work of Government)**—नौकरशाही द्वारा नीति-रचना पर डाले गए प्रभाव का पर्यं यह नहीं है कि उसे रियान्वित बनने में उनका कम योगदान होता है। सरकार के साधारण कार्यों को सम्पन्न बरना नौकरशाही के हाथ में रहता है। नागरिकों के दिन-प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमेइ कार्य नौकरशाही द्वारा सम्पादित जिए जाते हैं।

### नौकरशाही की आतोचना (Criticism of Bureaucracy)

'नौकरशाही' एक बुरा शब्द माना जाता है और इसकी कई प्रकार में आतोचनाएँ दी जाती हैं। नौकरशाही ढाँचा तथा इसमें कार्य करने वाले लोग प्रक्रिया की बढ़ोत्तरता को प्रो-मानव देते हैं और इसलिए संगठन के बाहर के लोगों के विरोध के कारण बनते हैं। यह कहा जाता है कि नौकरशाही एक ऐसी शक्ति है जो साधारण नागरिकों की स्वतन्त्रता वो स्तरे में डाल देती है। इसके कारण लाल-पीनाजाहों और लानाजाहों प्रादि की प्रदृष्टियाँ विकलिन होती हैं।

नौकरशाही के आतोचनों में रेमजेस्योर तथा लॉर्ड हीवट का नाम शेष रहनेवालीय है। रेमजेस्योर के यत्नानुसार नौकरशाही की जक्कियाँ प्रजातन्त्र के आवरण के नीचे फलनी फतही हैं। लॉर्ड हीवट ने नौकरशाही को नवीन निरकुशता का नाम दिया है। उनके यत्नानुसार नागरिक सेवा उस शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है जिसका उल्लेखनीय व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर है। रेमजेस्योर ने नौकरशाही की तुलना शगिन से की है जो सेवक के हृष में तो बहुमुर सिद्ध होनी है जिन्हें प्राप्ति या स्वामी बन जाने पर बातक बन जाती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति हुवर (Hoover) वा मन था कि नौकरशाही में प्राप्त स्वस्थितता, स्वविस्तार और अधिक शक्ति वी मौत तोर ऐसी प्रदृष्टियाँ हैं जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। कहा जाता है कि नौकरशाही नोरप्रिय मौमो के प्रति अनुत्तरदायी होनी है। नौकरशाही में शक्ति वी भूल होनी है और यह धीरे-धीरे नीति विमर्श के कार्य पर हावी होनी जा रही है। नौकरशाही की आतोचना करने समय जिन दोषों का उल्लेख किया जाता है उनमें से मुख्य निम्नवत् हैं—

**1 जन साधारण की नीतों की उपेक्षा (Unresponsiveness to Popular Demands)**—नौकरशाही यह मानव चलनी है कि वह लोकहित की मार्दान है और उसी के द्वारा जनहित की मही व्याधा की जा सकती है। यदि लोकमन जनहित के विरुद्ध है तो नौकरशाही उसकी उपेक्षा इन्हें में शागा-शीदा नहीं देती। इन-

तर्क के पांचार पर नौकरशाही जनमत की किसी भी माँग का विरोध कर देनी है। वह राजनीतिक बातावरण के परिवर्तन के अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं करती।

यह आलोचना बहुत कुछ तथ्यपूर्ण है। नौकरशाही का आधार प्रक्रिया के कुछ मापदण्ड निर्धारित कर देता है जिसके कारण परिवर्तन कठिन हो जाता है। सीधा सम्पर्क अव्यवहार अब रह जाता है और रहता भी है तो अधिकारी अव्यवधिक निरण दिलाई देते हैं। नियमित प्रक्रियाएँ (Routine Procedures) लोचहीनता लाती हैं। अधिकारी विशेषज्ञ बिन जाने हैं। वे लोगों की अपेक्षा तकनीको पर अधिक ध्यान देते हैं और बोह्मिक पार्थक्य की स्थिति में आ जाते हैं।

नौकरशाही अपने आप म एक आत्म-निर्भर स्थिता है। इसके मूल्यों का पद-सोचन, स्वर और शक्ति की महत्वाकौशल इनकी अपनी हीती हैं। दूसरी स्थिताओं की भाँति यह उन परिवर्तनों का विरोध करती है जो इनके हितों को चुनौती देते हैं। प्रतियाएँ और परम्पराएँ कार्यालय की गोपनीयता, व्यक्तिगत अधिकारियों के गामित्रिक मूल्य तथा वडे मण्डलों की सोचहीनता आदि सब नौकरशाही की जनमत के प्रति प्रतिक्रिया को मन्द बना देते हैं। यही कारण है कि नागरिक सेवा प्राय रुदियादी होती है। इसके उदाहरण विभिन्न देशों के प्रशासनिक इतिहास से देखे जा सकते हैं।

उपर्युक्त प्रालोचना में तथ्य होते हुए यह मन है कि उन्नेसान प्रजात-वात्पत्र नागरिक सेवा जनता को भावनाओं के परिवर्तनों पे साथ अपने आपको बदलनी रही है। इस व्यापक प्रथे में देखने पर अनुत्तरदायित्व के कारण की जाने वाली आलोचना अधिक महत्व नहीं रखती। नौकरशाही का नियन्त्रण अनियम रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में वह जनमत की पूर्ण अवहेनता नहीं कर सकती तो भी यदि हम प्रतिक्रिया की चाल को तज़ करना चाहे तो इसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

२. सालफीनाशाही (Redtapism)—नौकरशाही का एक दोष यह बनाया जाता है कि इसके कार्यों म परांपरा विनाश होता है। नौकरशाही के कार्य नियन्त्रण के होते हैं। अधिकारी प्रक्रिया की भौतिकताओं में विश्वास करते हुए बढ़ोत्तरा के साथ नियमों और विनियमों का पालन करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कार्य की सम्प्रत्यक्षता में बाधा पहुँचती है। नौकरशाही प्रक्रिया की भौतिकताओं को अपना उत्तेज बना लेती है जबकि वे जनता की सेवा के लिए माध्यम मात्र हैं।

सालफीनाशाही का विकास कई परिस्थितियों का परिणाम है। एक बड़ा कारण यह है कि कार्यक्रमों की दृष्टि से प्रशासन कार्य के कुछ सोसान हीबार बरते हैं। प्रशासन का व्रग, निश्चिन अवस्था, कार्य की निर्धारित गति तथा नियम, कार्य समाजिक आदि कुछ चीजें हैं जिनसे लानकीज़ नौकरशाही कम्फ लेती है। अधिकारियों उत्तराद्देश बरने की दृष्टि से सरकारी मण्डल कार्यों की नियमितता पर बाधी जोर देते हैं।

लालपीताशाही का दिकास इस कारण भी प्रोत्साहित होता है कि लोक-प्रशासन में कानूनों का अधिक महत्व है। प्रजातन्त्रामक सरकार किसी सरकारी अधिकारी की अस्तरात्मा से मचालित न होकर बस्तुयत नियमों से मचालित होनी है। लालपीताशाही वह साधन है जिसके माध्यम से यह निश्चित दिया जा सकता है कि सरकार सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। प्रशासनों का प्रत्येक कार्य जनता की आनन्दना और निरीक्षण के लिए मुला रहता है, इसलिए वह कानून के अनुसार कार्य करना उचित समझनी है।

**3. शक्ति प्रेम (The Lust of Power)**—इसमें कोई मन्देह नहीं कि नौकरशाह शक्ति के मूले होते हैं। विभिन्न विभागों के नौकरशाह शक्ति के सदर्शन में रत रहने के कारण भोक्तित को मुला देते हैं। स्थाई नागरिक सेवा के सदस्य प्रजातन्त्र के नाम पर विभागों की शक्ति में निरन्तर वृद्धि करने जा रहे हैं और मन्त्रियों के उत्तरदायित्वों के सिद्धान्त के नाम पर उभोने सारी ज़तियाँ स्वयं के हाथों में केन्द्रित कर ली हैं।

**4. विभागीकरण या सांख्याज्य-रचना (Departmentalism or Empire-Building)**—नौकरशाही में समाज से पृथक् रहकर कार्य करने की प्रवृत्ति होनी है। उनका एक पृथक् वर्ग बन जाता है। इस वर्ग के लोग अपने आपको दूसरे लोगों से थोड़ा समझने लगते हैं। वे सामाजिक जनता के साथ घुल मिल नहीं पाते। नौकरशाही के कारण सरकार के कार्य पृथक् भूषणों में विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक नागरिक-सेवा अपनी सत्ता एवं महत्व का प्रदर्शन करना चाहती है। प्रत्येक विभाग अपने आपको स्वतन्त्र और पृथक् इकाई मानकर भूल जाता है कि यह किसी बड़े समय का एक भाग है। वह अपने अधिकार-क्षेत्र को ही अपनी अनितम सीधा मानते लगता है।

**5. प्राचीनता के समर्थक (Supporters of Conservatism)**—नौकरशाही के सदस्य प्राचीन परम्परा एवं रीति-रिवाजों के समर्थक होते हैं। वे नवीनता और विकास के प्रति प्रायः विरोधी मानवा रहते हैं। जो व्यवहार प्रचलित परम्पराओं के प्रतिकूल है तथा जिसका पालन करने की उन्हें आदत पड़ गई है, उसे नौकरशाही के सदस्य उचित मानते हैं।

**6. तानाशाही प्रवृत्तियाँ (Despotic Tendencies)**—लॉर्ड टीवर्ट ने नौकरशाही को तानाशाही का नया रूप बताया है। उनका कहना है कि प्रशासनिक तानाशाही के बड़ने के कारण नागरिकों की स्वतन्त्रता धीरे-धीरे ममाप्त हो जाएगी। दिटिंश नौकरशाही का मूल्यांकन करते हुए हीटर्ट ने यह तक दिया है कि इस समय व्यक्तिगत अधिकार व स्वतन्त्रताएँ लगते में हैं क्योंकि उन्होंने नौकरशाही प्रवृत्ति के अधिकारी कृद्ध ऐसे ही विश्वासों के साथ कार्य दरते हैं। ये विश्वास निम्नलिखित हैं-

- (i) कार्यपालिका का कार्य प्रशासन करना है।
- (ii) गासन बरने के लिए उपयुक्त व्यक्ति जैविक विशेषज्ञ हैं।
- (iii) प्रशासन कला में विशेषज्ञ स्थाई अधिकारी होते हैं जो प्राचीन और

नियोगात्मक मदगुणों का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने आपको महान् कार्यों में गोप्य मानते हैं।

- (iv) ये विशेषज्ञ उत्तु-स्थिति के अनुमार अचहार करते हैं और जिन परिस्थितियों में रहते हैं उन्हीं वे अनुमार स्वयं को ढाल लेने हैं।
- (v) विशेषज्ञों के लाभदायक कार्यों ने दो प्रमुख अवरोध हैं—एक समद बी सम्प्रभुता और दूसरा बानून का ज्ञान।
- (vi) अबोध जनता की अन्ध-मृत्ति इन अवरोधों को दूर बरने में बाधक बन जानी है। विशेषज्ञों की समद के प्रभुत्व को प्रमावहीन बनाने के लिए बानून के ज्ञान को अपनाना चाहिए।
- (vii) इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए नौकरशाही को समर्दीय रूप प्रेरणा कर पहले अपने हाथ में मनमानी शक्तियाँ ले लेनी चाहिए और उसके बाद बानूनी अदालतों वा विरोध करना चाहिए।
- (viii) नौकरशाही का यह कार्य उम समय अत्यन्त मरन मिठ होगा जबति वह—(a) एक मोटी हपरेखा के रूप म पारित विधान प्राप्त बर सके, (b) अपने नियमों, आदेशों और विनियमों से उस विधान की रित्तता की पूर्ति कर सके, (c) समद के लिए अपने नियमों, आदेशों एवं विनियमों पर रोक लगाना बठिन या भ्रस्मभव बना दे, (d) उसके लिए बानूनी शक्ति प्राप्त कर सके, (e) अपने स्वयं के निरांय के तथ्य ही बैंधता के प्रमाण बन सके, (f) ऐसा प्रबन्ध कर सके जिसके निरांय के तथ्य ही बैंधता के प्रमाण बन सके, (g) कानूनी प्राप्ति वर सके और कानूनी न्यायालय में विशेषज्ञों की अपील को रोक सके या उपेक्षा कर सके।
- (ix) यदि विशेषज्ञ लोड चैम्बर से मुक्ति पा सके न्यायाधीशों के पद को नागरिक-सेवा की एक शास्त्रा के रूप म मीमित कर सकें, मुक्तदमों म पहले से ही अपनी राय पकट करने के लिए न्यायाधीशों को दायर कर सकें तथा न्याय मन्त्री कहूँ जाने वाले एक न्यायाधीशी के माध्यम से स्वयं ही उसकी नियुक्ति करें तो सारी बाधाएँ दूर की जा सकती हैं।

लोड हीर्ट द्वारा की गई उपर्युक्त भालोचताओं का धारार इस्तान्तरित विधान (Delegated Legislation) है। व्यवस्थापिता द्वारा मोटी स्तरेखा में युक्त बानून पारित कर दिया जाता है और इस बानून की टोटी मोटी बातों को नागरिक सेवक पूरा कर गकरे हैं। इस प्रकार नागरिक सेवकों को व्यवस्थापन के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नौकरशाही अनेक दोगों से पीड़ित रहती है। प्रो. रॉब्सन (Prof Robson) के अनुमार “नौकरशाही दिन दोगों में दूधित रहती है वे हैं—” द्विषिकारियों के भ्रात्म-गौरव की भ्रतिशयपूर्ण भावना घयवा। अपने बायां दथ

को इनावश्यक महत्त्व देना, व्यक्तिगत नागरिकों की सुविधाओं या भावनाओं के प्रति उड़ाभीनता दिग्नाना, विभाषीप्र निर्णयों की सत्ता की लोचहीनता एवं बाध्यकारिता (चाहे वे व्यक्तिगत मामलों में वितने ही अन्यायपूर्ण क्षेत्र न हो), विनियमों और श्रीपत्वारिक प्रक्रियाओं के प्रति सुभाव, प्रशासन की विशेष इकाइयों की विधाओं की अधिक महत्त्व देना और मरकार को एक सम्पूर्ण के हृषि में न देखना, यह न पहचानना कि प्रशासक और प्रशासितों के बीच स्थित सम्बन्ध प्रजातन्त्रात्मक प्रक्रिया का एक मूलभूत माया है।" नौकरशाही के अन्तर्गत साक्षमों को साध्य और संभों की साधन बना दिया जाता है तथा उसमें लक्ष्य भीर दूरविश्वास। वीकमी रहती है। नौकरशाही के सदस्य मत्ता वा दुरुपयोग करना चाहते हैं। उनमें वर्षीय माजानीय भावना का विकास होते जाता है। नौकरशाही के सम्बन्ध में प्रो लॉस्टी ने लिखा है कि "इसमें नियत नार्थ के प्रति भावना रहती है, नियमों वीकमीतदा का विनियोग विद्या जाता है, निर्णय लेने में देरी की जाती है तथा प्रयोग करने से इन्दार किया जाता है।"

### कुछ सुझाव (Some Suggestions)

नौकरशाही के दोषों को दूर किया जाना आवश्यक है। लोक-प्रशासन में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। नौकरशाही भाज के युग की एक प्रपरिहायना है। इसे सत्तदोय प्रजातन्त्र का मूल कहा जाता है। यथार्थ में नौकरशाही जपने सार में दुरी नहीं होती। इसमें जो बुगदायी पैदा होती है उन्हें दूर किया जा सकता है। यह माना कि नौकरशाही एक माया वी तरह है भीर यह स्वामी के रूप में विद्वस भी कर सकती है, दिन्हु हम क्षेत्र न इसे एक सेवक के रूप में रखें ताकि यह हमारे लिए अमूल्य बन सके।

नौकरशाही के दोषों को दूर करने तथा उसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए विचारकों ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं—

1. सत्ता का विकेन्द्रीकरण (Decentralisation of Authority)—  
नौकरशाही की शक्तियों को विकेन्द्रित कर दिया जाना चाहिए ताकि उनको सीमा के भीतर रखा जा सके। विकेन्द्रीकरण न होने पर नौकरशाही सत्ता के तानाशाही बनने वी सम्भावना बढ़ जानी है। प्रत्यक्षिक विकेन्द्रीकरण नौकरशाही को भ्रमेक दोषों से युक्त बना देता है जैसे पृथक्ता, मावृत्तिता, लोचहीनता, स्थानीय स्थिति के विषय में अज्ञानता, कार्य में विनाश, कार्य का वेडपापन, आत्मतोय आदि।

2. नियन्त्रण (Control)—नौकरशाही पर रोक और मन्त्रिमण्डल का प्रभावपूर्ण राजीविक नियन्त्रण रहना चाहिए ताकि उसके द्वारा संभावित शक्ति के दुष्प्रयोग पर रोक लगाई जा सके।

3. सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायित्व (Accountable Towards General Public)—नौकरशाही सत्ता में नौकरशाही के दोषों को दूर करने के लिए उसे न केवल सम्बद्ध भीर कार्यालिहा वे प्रति उत्तरदायी ही बनाया जाए वरन् उसे

मामान्य नागरिकों के प्रति भी उत्तरदायी बनाया जाए। ऐसा होने पर नौकरशाही अपने ग्रापको एक पृथक् वर्ग या जाति के रूप में मण्डित नहीं करेगी।

**4 प्रशासनिक म्यायाधिकरण (Administrative Tribunals)**—ऐसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित होने चाहिए जहाँ मामान्य नागरिक लोग-सेवकों के विश्वदृष्टि अपनी जिकायें रख सकें और उनको दूर करा सकें। यह सुविधा प्रदान करने में ममता किसी प्रकार वा नेतृत्व नहीं रिया जाना चाहिए।

**5 विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व (Representation of Various Classes)**—नागरिक सेवकों को समाज के विभिन्न आविष्करणों तथा सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिससे सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त हो सके और किसी के साथ अनुचित पश्चात्त न रिया जाए।

**6 प्रभावशाली सचार व्यवस्था (Effective Communication)**—प्रशासनिक मण्डल की सचार-व्यवस्था का प्रभावशाली होना ही पर्याप्त नहीं है, प्रशासनको और प्रशासितों के बीच भी सचार व्यवस्था का प्रभावशाली होना जरूरी है। पत्र-व्यवहार, मन्देशी वा आदान-प्रदान एवं अन्य माध्यमों से दोनों को एक दूसरे की ओर कहने-मुनने की पर्याप्त मुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

**7. बाहर के लोगों का योगदान (Contribution of Outsiders)**—प्रशासन को अधिक उपयोगी और मार्यज बनाने के लिए उसे सामान्य जनता का महायोग प्रदान रिया जाना चाहिए। गैर-ग्रामकारी लोगों का प्रशासन में योगदान प्राप्त करने से उसे मध्ये द्वारों में प्रशासनशास्त्र का बनाया जा सकता है। लोक-प्रशासन को जनता की आवश्यकीयों एवं आवश्यकताएँ के अनुसृत बनाया जा सकता है। अनिवार्य नौकरशाही ये मुधार वो प्रवृत्ति जाप्रत होनी है जो उसे उत्तरदायी, समर्थ एवं योग्य बनाती है।

### प्रतिवद्ध प्रशासन-तन्त्र (Committed Bureaucracy)

प्रशासन के सन्दर्भ में हाल ही में यह मार्ग उभर कर पाई है कि हमारा प्रशासन-नन्दन प्रतिवद्ध होना चाहिए। जब यह बात कही गई तो इसके पास और विषय में बहुत कुछ बाद-विचार हुआ। पहली बात तो यही उठी कि यदि प्रशासन-नन्दन प्रतिवद्ध हो तो विस्तै प्रति? सासीय दण के सोकतन्त्र में तो जहाँ दलीय सरकार बनती है, प्रतिवद्धना की यह गति और भी कठिन होगी। यदि प्रशासन-नन्दन उम दल विशेष के प्रति प्रतिवद्ध होना है, जो ग्राज गत्तारूढ़ है, तो क्या उम दल का शासन बदलने पर प्रशासन को भी नए शासन से अमह्योग ग्रायवा बिद्रोह वर सेना चाहिए? क्या प्रतिवद्धना का अर्थ यह होगा कि प्रशासन प्रारन्ती निश्चल प्रवृत्ति को स्थान वर सत्तारूढ़ दल ग्रायवा उसके सदस्यों के आदेश या हित की ओर उन्मुख हो? इस प्रकार के बहुत से प्रश्न इस सन्दर्भ में उठाए गए हैं। इसमें जड़ नहीं कि यदि प्रतिवद्धना की मार्ग का यह ग्रर्थ है कि प्रशासन ग्रानी ऐनिहासिक निष्ठाता का रूपान वर दे और बनेमान शासन और इसकी स्थापित करने वाले दल की ओर इस

दर्जे नक्क स्वामिभक्त बन जाए कि परिवर्तन की नमदीय प्रणालियों को मी प्रबल्द कर दे और ग्राम पंडकार बनेमान शासन का समर्वत दरे तो निश्चय ही ऐसी प्रतिवद्धता न तो नीतित्व वे तिए ही हितकारी हो। सकती है, न समाज के स्वस्थ विकास के लिए।

पर प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवद्धता वी मार्ग इस रूप में वी जा रही है। वास्तव में प्रशासन-नन्त्र से प्रतिवद्धता वी जो मार्ग की जा रही है वह व्यक्ति अथवा दल के प्रति नहीं, बल्कि उन सिद्धान्तों के प्रति है जो हमारे संविधान में प्रस्थापित है और जिनके क्रियान्वयन के लिए हमारी योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

उदाहरणार्थ, विधान कहता है कि सारे नागरिकों का नृन को दृष्टि में बराबर होगे और जिसी के मायथर्म जाति, जन-स्वामी आदि के ग्रन्तर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधान यह भी कहता है कि देश में द्युमाधून को सहन नहीं किया जाएगा और इसे अपाराधिक समझा जाएगा। नागरिकों को बोनने, एकत्र होने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, किसी भी प्रकार का पेशा करने आदि की स्वतन्त्रता होगी। विधान यह भी कहता है कि गाजब वा यह कर्तव्य होगा कि सब नागरिकों के लिए जीवन-पापन के वर्णन मुख्यों की स्वस्था करे और देश में उत्तापन साधनों वा इस तरह केन्द्रीकरण न होने दे फि देश का घन सार्वजनिक हितों के विरुद्ध थोड़े से कोनों में इकट्ठा हो जाए। यदि प्रशासन में, जिसके हाथ में शाज बहुत बड़े अधिकार हैं इन सिद्धान्तों के प्रति प्रतिवद्धता न हो तो इनका क्रियान्वयन प्राय अवश्यक हो जाएगा। वस्तुत्त्विति यह है कि शाज प्रशासन के कई क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रतिवद्धता नहीं है जिसके फलस्वरूप संविधान के साथ होने के 31 वर्ष याद मी द्युमाधून, अमानना, शोपण, साधनों का कुछ कोनों में बेन्द्रीकरण, कानून की दृष्टि में भेदभाव और पैसे या ताकत के बल पर आपाधारी बहुत-सी जगह अब भी कायग है।

सिद्धान्तों के प्रति प्रतिवद्धता वी कमी के बल प्रशासन में ही हो, ऐसी बात नहीं है। शामन और सार्वजनिक सहस्यानों में अपग्रेड लोग ऐसे भी नूड हैं जिनको अपने स्वार्थ के मामने संविधान का व्याप्त नहीं रहता और जो संविधान के क्रियान्वयन की भाड़ में जिकार खेलते हैं योर उनका हनन करते हैं। उन लोगों का जिनता विश्वास अपने स्वार्थ में है, उनका सामाजिक स्थाय में नहीं। अत कहना पड़ेगा कि सिद्धान्तों के प्रति यह प्रतिवद्धता न केवल प्रशासन नन्त्र के कुछ अगों से बल्कि शासन और समाज के और भी बहुत से घोटों से वैरहाजिर है। अत प्रतिवद्धता का तकाजा न केवल प्रशासन-नन्त्र में होना चाहिए, बल्कि सामाजिक सेवा और विकास से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति और सत्या से होना चाहिए।

कर्म के मात्र आपने अपने करण अथवा हृत्य की भावना को समुक्त कर देने की प्रतिया को भगवद्गीता के शब्दों में कर्म से विकर्म का मेल कहा जा सकता है। वर्म से विकर्म का यह सदोगति किए दिना कर्म की तत्त्वावार में घार नहीं आती, प्रदत्त में प्रेरणा और स्फूर्ति नहीं आती, अवल के माय दिन का मेन नहीं होता। जिस प्रथने म हृदय न लगा द्युमा हो प्रर्यात् जो आस्थाहीन, विश्वासरहित और

पगु हो, वह स्फूर्तिहीन और मृत होगा। यह जाने तिम तरह व्यक्ति के प्रपत्नों पर लागू है उसी तरह प्रजामन और समाज के प्रयत्नों पर भी। देश और समाज के विकास के लिए हम जो योजनाएँ बना रहे हैं उसके किश्चान्द्रयन में भी मानसिक आश्या और हार्दिक उत्साह का मैन होना जरूरी है। इसी मानसिक आश्या और हार्दिक उत्साह का नाम 'प्रतिबद्धता' है। यदि यह प्रतिबद्धता प्रयत्नों के साथ जुड़ी रह तो जिन लोगों के हाथ में गरीब सेतिहरों को जमीन बौठन का काम है, वे फर्जी नामों से जमीन को मुद नहीं हड्डेंगे या याने ऐसे विश्वासारों को नहीं बौठेंगे जिनका भी से कोई प्राप्तक गम्भीर नहीं है। वे मधु उद्योगों के लिए विनियत की जाने वाली मध्यार्दि वो जाले बाजार में नहीं बैठेंगे और उत्पादन के नाघनों का भाल ऐसे नोटों के पास भरह होते देन में मदद नहीं देते जिनके पास पहले से ही आवश्यकता में अधिक है। हमारे सामाजिक विकास में स्थान स्थान पर ये कमियाँ देखी जानी हैं। इसका प्रधान कारण यही है कि हमारे वार्षिकताओं में, चाहे वे प्रजामन के सदृश हों, चाहे विसी गवर्नीरिंग दर वे, नियानों के प्रति मच्ची आश्या और हार्दिक प्रतिबद्धता की बसी है।

आर्थिक योजना का है? समाज की सब प्रकार की वाजिब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन और उसके न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था करना। यह पर्याप्त उत्पादन और न्यायपूर्ण वितरण उम समय तक नहीं हो सकता जब सब ये लोग, जिनके हाथ में उत्पादन और वितरण का बाम है, समाज नियानों के साथ उन उद्देश्यों के प्रति प्रतिशिष्टन हो जो प्रजामन के बाम को कवार रोजगार का माध्यन न समझ कर समाज के प्रति वर्तमान रूप बना करत है।

प्रतिबद्धता की मौग के विषय यह बहु जाना है कि यदि आज जामन करने वाला इस बदल जाए और उनके स्थान पर सरकार में दूसरा दल आ जाए तो इस प्रकार की प्रतिबद्धता का क्या होगा? यह भय बहुत ही तक जाह्नविक ही है। वास्तव में प्रतिबद्धता व्यक्ति व्यवहा दल के प्रति नहीं, आदशों और नियानों के प्रति होनी चाहिए। जामन वोई भी दल सम्भाल, यह सम्भावना नहीं है कि वह नया दल जवहिन के सर्वेवाप्य नियानों को बिल्कुल उचट देगा। मात्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो साधन एं प्रक्रिया आज बाम में ती जा रही है उनम नए दल द्वारा कुछ परिवर्तन लिए जाने की चेष्टा की जा सकती है, पर नियानों को बिल्कुल नवार दिया जाए, यह कल्पनानीन है। उपनिए जवहिन के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता में यह भय नहीं है कि सोसायन्ट्रीय प्रक्रिया से ज्ञान की हुँस्मन बदल जाने पर बढ़ा होगा। योड़ी देर के लिए यह मान भी बिग जाए कि याने बाना नया जामन जवहिन के भौतिक उद्देश्यों में भी भारी उनट-हेर कर देगा जो यदि एसा उनट-हेर जन-प्रतिनिधियों की सांकेतिक गहरानी से ही होना है तो हमसे आपनी प्रतिबद्धता में आवश्यक परिवर्तन बर लेने में बड़ो नहीं होना चाहिए। यह निश्चय है कि प्रजामन वस्त्याएं जारी राज्य का समर्थक उसी समय हो भवना है जब देश के कन्याएं जारी सविचान और उसकी उत्तराधिक के लिए बनने वाली योवना में हमारा हार्दिक और मक्किय महरों हो। सहप्रयोग की इस भावना को भी प्रतिबद्धता समना जाना चाहिए।<sup>1</sup>

नौकरशाहों और वर्तमान सरकार : प्रजातन्त्र में नीतियों और विशेषज्ञों की भूमिका तथा उनका पारस्परिक सम्बन्ध  
 (Bureaucracy and Modern Government : The Role of Amateurs and Experts in Democracy and their Inter-relationship)

समाजात्मक प्रजातन्त्र में मन्त्रियों और लोकसेवकों के मध्य परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं। इन दोनों को एक प्रकार से प्रशासनिक यान के दो पहिए कहा जा सकता है। मन्त्रियों द्वारा नियित प्रशासनिक नीतियों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सोक्षेदारों के क्षेत्र पर रहता है। लोकसेवकों का कार्य नीति के क्रियान्वयन तक ही सीमित नहीं है बरन् वह उनको बनाने में भी (मन्त्रियों को) अपनी विशिष्ट भलाह देते हैं। इस तरह समक्षीय शासन-व्यवस्था, उदाहरणार्थ दिटिंग शासन-व्यवस्था, मारकीय शासन-व्यवस्था, अविशेषज्ञों (Amateurs) और विशेषज्ञों (Experts) के समन्वय पर आधारित है, पर्याप्त समक्षीय शासन-भूत्त का गच्छालन करने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं—मन्त्रिगण और लोकसेवक। मन्त्रियों में प्रशासनिक प्रभुभिज्ञता होती है जबकि लोकसेवकों में प्रशासनिक ज्ञान की विशिष्टता होती है। मन्त्रिगण किस प्रकार प्रशासनिक इष्ट से अनभिज्ञ अथवा अविशेषज्ञ हैं और लोकसेवक किस प्रकार विशेषज्ञ हैं, निम्ननिखित विवरण से स्पष्ट है—

### मन्त्रियों की प्रशासनिक अनभिज्ञता

मन्त्री यद्यपि उपने विभाग के प्रध्यक्ष होते हैं, तथापि विभाग के बास्तविक अनुमयों और प्रशासनिक दारीकियों का उन्हें प्रायः ज्ञान नहीं होता। मन्त्रिगण तकनीकी विषयों अथवा प्रशासन की गहराईयां में पहुँचने की सामर्थ्य नहीं रहते। यथापि मन्त्रियों को भी जिनका को समझाते पृथक् रूप से जानते का अवमर प्राप्त होता है, तथापि वे उनका वर्कशाफ्ट उनका तीक्ष्ण तथा विभिन्नगतात्मक रूप में नहीं कर पाते जिनका इसकी कमेंटारी करते या कर गकते हैं। मन्त्रियों के इए ऐसा होना स्वाभाविक भी है।

प्रथम मन्त्र-पद पर उनकी नियुक्ति गतकीतिक आधार पर होती है। राजनीतिक दल में उनकी हितविन, उनके व्यक्तित्व, उनकी व्यावहारिक एवं सामाज्य दोषेतता, प्रशासनमन्त्री की रैप्ट में उनका महत्व आदि बातों के आधार पर उन्हें मन्त्र-पद दिया जाता है, न वि उन्होंने कोई विशिष्ट प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है।

दूसरे मन्त्रिगण अम्भाई रूप में अपने पद पर रहते हैं। उनका कार्यकाल अनिविच्छिन्न होना है, और वे विभी विभाग के स्थाई प्रध्यक्ष नहीं होते। वे आने हैं प्रोग्राम के जाने हैं। अन अपना सारा समय और अम लगाकर उनसे विभाग की वारीकियों को जानने की आज्ञा नहीं की जा सकती। एक समय में उनके इए प्रशासन का पूरा-पूरा ज्ञान बरने करना असम्भव होता है।

तीसरे, मन्त्रियण राजनीतिक प्रपञ्चो और गतिविधियों में इतने केसे रहते हैं जि प्रशासन के वास्तविक बायं दो सचालिन करने का उन्हें बहुत कम अनुभव हो पाना है। मन्त्रियों दो समृद् में जनना म एव अन्य स्थानों पर अनेक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना पड़ता है। इन सबके बाद उसके पास इतना ग्राहिक समय नहीं बच पाता कि वे प्रशासनिक मामलों में ग्राहिक रुचि ल सके अथवा गहराई से जीव कर सके।

उक्त सभी बारणों से मन्त्रियों को नौसिनिर या अविशेषज्ञ कहा जाना है। दूसरे शब्दों में वे ऐसे व्यक्ति हैं जो देशेवर प्रशासन क नहीं होने, 'जिन्हें प्रशासन सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है और जिन्हें प्राप्त प्रशासन का पर्याप्त अनुभव नहीं होता। वे केवल राजनीतिक प्रशासन क लोगे हैं।

मन्त्रियों की इस प्रशासनिक अनिवार्यता के सम्बन्ध म विद्वानों ने अनेक रोचक बताई हैं। भनती ने निक्षा है—“कई अवसरों पर डिटेन युद्ध मन्त्री कोई दाखिलक या प्राप्ति का नौसेना मन्त्री कोई आपारी या वैरिस्टर और आपार मन्त्री विद्यालय का बोई प्रोफेसर रहा है। वित मन्त्री के सम्बन्ध में तो यह आगा की ही जानी चाहिए कि इस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति ही नियुक्त किया जाए जो अर्थ (Finance) की वारीकियों से परिचिन हो, पर नहीं, अनेक बार अर्थ मन्त्रियों के पद पर ऐसे व्यक्ति भी रह चुके हैं जो देशेवर राजनीतिक या वकील थे।”

मन्त्रियों के लिए कोई प्रशासनिक ज्ञान या प्रतियोगी परीक्षा म उत्तीर्णना प्राप्ति का आधार नहीं होता, इस बात पर प्रकाश ढालते हुए मिठानी लो ने कहा है कि—“वित मन्त्रालय मे द्विनीय श्रेणी के बलर्क का पैद प्राप्त करने के लिए नवयुवक को अरणित की परीक्षा मे उत्तीर्ण होना पड़ेगा, पर वित मन्त्री अवेद उम्म का एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो अको के अपने घोडे बहुत ज्ञान को भी भूल चूका हो जो उसने ईटन अद्यता अॉक्सोइं मे प्राप्त किया हो और जब दगमतव अको मे लेया उसके मामने पढ़नी बार रक्षा जाए तो वह उन छोटे छोड़े विन्दुओं का अर्थ जानने के लिए उत्सुक हो।”

उक्त प्रस्तुति मे यह स्पष्ट है कि इस बात को अब लोकसेवक मिठान्त माना जाने नया है कि मन्त्रियण प्रशासन के विशेषज्ञ नहीं होता।

**लोकसेवकों की प्रशासनिक विशिष्टता**

शासन-मूल सचालिन करने वाला दूसरा बर्य लोकसेवकों (Civil Servants) का है जो प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ (Experts) होते हैं। लोकसेवक मन्त्रियों द्वारा निर्धारित नीति को क्रियान्वित ही नहीं करते बरन् इसके बनाने मे भी मन्त्रियों को तरनीकी सकाह देते हैं। सकाह देते का यह बायं भी कम महत्वपूर्ण नहीं होना चाही इसी सकाह पर अनेक बार प्रशासन की सफलता और असफलता निर्भर रहती है। लोकसेवकों द्वारा दिया गया परामर्श वई बारणों से प्रभावशाली बन जाता है। लोकसेवक प्रशासन से सम्बन्धित छोटी-से-छोटी बात से परिचिन रहते हैं। उनमा प्रशासन मन्त्री प्रशिक्षण और अनुभव उन्हें ज्ञान कायं का विशेषज्ञ

और यदि सचमुच देखा जाए तो वे इमलिए और भी अधिक उपयोगी होते हैं कि उन्हे प्रशासनिक ज्ञान की विशिष्टता नहीं होती। निम्नलिखित विवरण से पहले स्पष्ट हो जाएगा—

1 मन्त्रियों का एहता मुख्य कार्य है कि वे प्रशासन की नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करें कि जिनसे अधिकाधिक सार्वजनिक हित हो मर्दे और सोकमत को समृच्छित आदर प्राप्त हो। मन्त्रियों वो जिनका भावी निर्वाचन जनता की कृपा पर निर्भर होता है निरन्तर इस बान का इशान रखना पड़ता है कि उनकी नीतियों और प्रशासन के कार्यों की जनता पर अनुकूल प्रतिक्रिया हो, अत वे मीनि-निर्माण में एक व्यापक इटिकोण अपनाते हैं। उनका इटिकोण समझौतावादी और प्रगतिशील विचारों वाला होता है। इसके विपरीत विशेषज्ञों का इटिकोण सकुचित होता है। वे छोटी छोटी पारिमाणिक वातों को विशेष महसूव देते हैं और किसी बात पर प्राप्त एकमत नहीं होते, अत यह बहुत परमावश्यक है कि मन्त्री लोकसेवकों की तरह प्रशासनिक विशेषज्ञ न हो, वयोंकि तभी वे उत्तरदायी इटिकोण अपना सकेंगे और पूरे विभाग पर इस इटि से आवश्यक नजर रख सकेंगे। यदि मन्त्री भी लोकसेवा सदस्यों की तरह ही प्रशासन-विशेषज्ञ होने लगें तो उन्हीं के मान वे “भी कार्यालय की फाइनों के कीड़े बन” कर रह जाएंगे। वे लोकसेवकों की भाँति विशेषज्ञ होने पर और सदैव प्रशासनिक एवं विभागीय कार्यों में व्यग्र रहने पर मन्त्रिमण्डल, प्रशासन का सचालन, निर्देशन और जनता वे साथ अपना निकट सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकेंगे और जनता के कान्ठों को अपना कष्ट नहीं बना सकेंगे। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों में तात्प्रेरण नहीं थैंड सकेंगे। जबकि ऐसा होना लोकतन्त्रात्मक शासन की सफलता के निए अनिवार्य है। यास्तब में मन्त्री ही राष्ट्र की नाड़ी वी गति को पहचान कर प्रशासनीय नीतियों को उदारवादी जामा पहनाते हैं और प्रशासन को लोकप्रिय बनाते हैं। रैमेजे मैक्डोनाल्ड (Ramsay MacDonald) ने ठीक ही बहुत है कि “मन्त्रिमण्डल जनता और विशेषज्ञ तथा मिट्टालत व व्यवहार को जोड़ने वाला युत है।” ओग (Ogg) के शब्दों में, “मन्त्री को विभाग और सोकमत के बीच एक मध्यस्थ के रूप में सार्व करता चाहिए ताकि विभाग वा सम्बन्ध सोकमत से बना रहे और लोकसभा को प्रशासन की आवश्यकता तथा समस्याओं का ज्ञान रहे।”

2 मन्त्रिमण्डलीय शासन का सार है मन्त्रियों का उत्तरदायित्व। मन्त्री अधिकार से अपने अपने विभाग के प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते हैं लेकिन मन्त्रिमण्डल के सदस्य होने के नाते वे सम्पूर्ण प्रशासन के सुमुकालन के सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे विभागीय हितों के साथ साथ सम्पूर्ण प्रशासन के हितों को भी ध्यान में रखते हैं, और चूंकि उन्हे सम्पूर्ण प्रशासन का ध्यान सबोंसे रखना होता है, वे मान विभागीय हितों की सीमा से छार उठे हुए होते हैं। एक मन्त्री किंवदं अपने विभाग से ही सम्बन्ध नहीं रहता, उसे दूसरे

विभागो की जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ना है। वह इस सद्य को कभी नहीं मूल मक्ता कि मन्त्रियों के मामूलिक उत्तरदायित्व के कारण विसी दूसरे मन्त्री की हार का नहीं जा सकता अर्थात् मन्त्रिमण्डल का पतन हो सकता है अब इस अनुमति के कारण उसका इष्टिरोग इनका व्यापक होता है कि वह अपने विभागों के कार्यों वा अन्य विभागों के कार्यों के साथ इस प्रकार नामजस्य बैठता है कि ममूची मरकार के लिए एक मामूलिक इकाई के स्पष्ट में कार्य करना सम्भव होता है। ममूची प्रशासन के मर्वोपरि हिनों को अविशेषज्ञ मन्त्री ही सोच सकता है जो कि विशेष लोकसेवक। प्रशासन के हिनों का समिट रूप से ध्यान रखना मन्त्री के लिए आवश्यक है। ओग (Ogg) ने बहा है कि “उसे (मन्त्री को) इस योग्य होना चाहिए कि वह अपने विभाग को समिट रूप से भी देख सके। उसे शौचित्य और मान्यताद्वारा का ऐसा ध्यान होना चाहिए कि विभाग को अपने उचित कायंक्षेत्र तक भीमित रखने में वह मार्ग-प्रदर्शक बन सके।”

समस्त प्रशासन के सर्वोपरि हिनों का विचार एक उदार और व्यापक इष्टिरोग वाला सुनभा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, प्रशासन की बारीकियों में फैसा हुआ मकुचित इष्टिरोग वाला व्यक्ति नहीं। विशेषज्ञ विभागीय प्रशासनिक पद्धतों में फैसा रहता है। उसका विभागवाद उसे विशाल दृष्टिकोण नहीं अपनाने देता। इसके अनिरिक्त विशेषज्ञ लोकसेवक ज्ञान की एक शाखा का विशेषज्ञ होता है और यह सम्भव है कि दूसरे विषयों में उमसा जान शून्य हो। इसके विपरीत मन्त्री का महत्व एक नामान्य शासक के स्पष्ट में होता है जो सभी विभागों के हित की दृष्टि से सोचता है और कार्य करता है। लास्की (Laski) ने ठीक ही निखार है कि ‘‘हम व्यक्तियों को गर्थ विभाग में इस कारण नहीं भेजते कि वे भूदश अपेंशास्थी हैं, इसी प्रकार हम उन्हे कृपि विभाग अधिकार शिक्षा मन्त्रालय में इसलिए नहीं भेजते कि वे कृपि विशेषज्ञ पा शिक्षामन्त्री हैं। वे शासकों के स्पष्ट म महत्व रखते हैं किन्तु इस कारण नहीं कि कियी विषय विशेष की विशिष्ट जानकारी रखते हैं बल्कि इस कारण कि हमको उनकी प्रशासनिक योग्यता पर विश्वास है शिक्षा के कारण उनमें वे गुण विद्यमान हैं जिनके कारण वे पहल व निरंय कार्य कर सकेंगे। वे ही वे गुण हैं जिनके बिना शासन चलाया नहीं जा सकता और ये गुण राजनीतिक अध्यक्ष म होने भी चाहिए यदि वह अपने पद का सफलतापूर्वक निवृहन करना चाहता है।’’

3 मन्त्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने हैं और उनके लिए आवश्यक है कि अपने हृदय में लोकसभा और उसके सदस्यों के प्रति आदर-भावना रखें। मन्त्री यदि विशेषज्ञ होगे तो इसका मनोवैज्ञानिक कुशलाव यह हो सकता है कि वे स्वयं को इनका ज्ञानवान् और महान् समझने लगें कि सम्भव है वे माधारण विधायकों के प्रति स्वयं को उत्तरदायी मानने में अपमान अनुमति करने लगें। वे ज्ञान ही अज्ञान के समथ समझने लगें और इस बात को धमन्द न करें कि सामान्य ज्ञान वाले विधायक समझ में उनसे इस प्रकार के प्रश्न करें जैसे स्वामी मेवको से प्रश्न करते हों। इस प्रकार की भावना वा सचार होने से मन्त्री स्वन् लोकसभा के प्रति अपने वास्तविक उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकेंगे और

उनसे उत्तरदायित्व के रथान पर निरकुणता के विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह विद्विन मन्त्रीय शासन-व्यवस्था के निए धारक होगी।

निष्कर्ष स्वरूप में यह इह जा सकता है कि मन्त्रियों के विशेषज्ञ न होने से प्रशासन में अधिकारी राजनीतिक क्षेत्र में उनकी उपयोगिता और महत्व को कोई आधार नहीं पहुँचता, प्रत्युत खास दृष्टियों से यह नाभिदायक ही है। एक विभागीय अध्यक्ष को जो कि राजनेता होता है, अपने विभाग के कार्य वी पूरी जानकारी होनी चाहिए लेकिन उसे उस विषय का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक विभाग अथ वाम बैटे होने हैं और अनेक समस्याएँ आती हैं जिनमें ऊँची योग्यता तथा जानकारी की आवश्यकता होती है। ऐसे विभागीय अध्यक्ष भी जो कार्यों से स्वाधीन स्वरूप में उस विभाग में कार्य कर चुके हैं, उन भव ममत्याओं पर एक-सी अधिकारपूर्ण जानकारी नहीं रख सकते तो किर मन्त्रियों के लिए जिनका वार्यकाल अल्प और सकृदमय होता है। यह समझना नहीं है कि वे इनने विभाग में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में अधिकारपूर्ण विशिष्टता प्राप्त कर सकें। मन्त्रियों को उम दुनिया भ नहीं रहना होता जिसमें सर्वसाधारण प्रबोध न पा सकें।

### मन्त्रियों और लोकसेवकों का पारस्परिक सम्बन्ध

(Relationship between the Ministers and Civil Servants)

मन्त्रियों और लोकसेवकों के पारस्परिक सम्बन्ध में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि लोकसेवकों का त्रिटिक्ष प्रशासन में इनका प्रभाव है कि मन्त्रीगण उनके नकेतों पर चलते हैं तथा वे उनके हाथ का खिलौना बन कर वार्य रखते हैं। उनका आरोप है कि त्रिटेन में बस्तुतः नौकरशाही का आधिकार्य स्थापित हो गया है। इस मत के विपरीत विद्वानों के एक दूसरे वर्ग का बहना है कि त्रिटेन में नौकरशाही के आधिकार्य की बात करना भास्तर है। यह सही है कि त्रिटिक्ष प्रशासन के सूत्र में लोकसेवकों का बाधी प्रभाव है और मन्त्रियों के वार्य उनसे प्रभावित होते हैं, परन्तु किर भी वास्तविक निर्णय शक्ति मन्त्रियों में ही निहित है। मन्त्रियों में, आपने विभाग के लिए नए होते हुए भी, नीति निर्धारण और निर्णय बरने की समता होती है और वे ऐसा करते भी हैं। लास्की (Laski) वा बहना है कि दोनों के सम्बन्ध बस्तुत उनके व्यक्तित्व पर आधारित होते हैं। यदि मन्त्री का व्यक्तित्व प्रभावी है तो वह लोकसेवकों पर हावी रहता है, यदि मन्त्री एक कमज़ोर हीला-डाला व्यक्ति है तो उसे लोकसेवकों के इकारों पर चलना पड़ता है, अच यह बहना अनुचित है कि प्रत्येक मन्त्री लोकसेवकों के हाथों का खिलौना होता है।

मतों वी ऐसी विभिन्नता में यह निर्णय करना कठिन है कि दोनों में बीन विसके द्वारा अधिक प्रभावित होता है तथापि वैद्यानिक स्थिति के अनुमार प्रशासन वा अन्तिम उत्तरदायित्व मन्त्रियों पर ही है अन लोकसेवकों को उग्ही की इच्छा के अनुरूप चलना पड़ता है। मन्त्री मन्त्रिमण्डल द्वारा किए गए निर्णयों की सीमा वे अन्तर्गत अपने अपने विभाग की नीति निर्धारित करते हैं और लोकसेवकों के माध्यम से उनको कियान्वित करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में लोकसेवकों का

मन्त्रियों पर हावी रहने का तब तक कोई प्रश्न नहीं उठता जब तक कि मन्त्री स्वेच्छा से अदावा अनुजाने में उन्हें ऐसा अवसर न दे।

इस महिला मूलिका के बाद अब हम कुछ विस्तार से यह देखने का प्रयास करेंगे कि नौकरशाही की गतिकथा है अर्थात् मन्त्रियों पर लोकसेवकों का क्या प्रभाव होता है और क्या मन्त्री लोकसेवकों के हाथों की कठपुतली होने हैं?

### मन्त्रियों पर लोकसेवकों का प्रभाव

यह सभी मानते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में लोकसेवकों का स्थान बड़े महत्व का है। मन्त्रियों के क्षायों पर उनका बहुत प्रभाव रहता है। मन्त्रियों को उनके सहयोग की अद्यतनता बनी रहती है—नीति-निर्धारण और योजनाधी के प्राप्ति बनाने से लेकर उनकी अनिम सफलता तक लोकसेवकों के सहयोग का विश्वित मूल्य है। शासन-सूत्र में उन्हें इस प्रभाव के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

प्रथम, मतिगण प्रशासन के विशेषज्ञ नहीं होने जबकि लोकसेवक उसके विशेषज्ञ होते हैं अन मन्त्रियों को विभिन्न मामलों में उनसे परामर्श लेना पड़ता है। नौकरशक्ति अपने बहुत प्रशासनीय ज्ञान और दीर्घकालीन अनुभव के कारण प्रशासन या उत्कर्तनीकी पक्ष और उनकी दारीकियाँ मन्त्रियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं ताकि वे (मन्त्री) अपने निर्णय करने में यथासम्भव कोई भूल न कर पाएं। चूंकि मन्त्रियों प्रशासनिक मामलों में इतना अनुभव नहीं रखता अन उन्हें स्वभावनः दश एव विशेषज्ञ लोकसेवकों के प्रभाव में रहना पड़ता है।

दूसरे, मन्त्रियों की यह विशेष प्रवृत्ति होती है कि वे प्रशासन की इसी बात को प्रदोष पर नहीं छोड़ते क्योंकि ऐसा करने से उनकी त्रुटियाँ प्रवापित होती हैं, जिनका न बेकाम उनके स्वयं के अविष्ट पर अदित्य उप राजनीतिक दल पर भी, जिसके बे मद्दय है, विद्यरीत प्रभाव पड़ता है। स्वयं पर और अपने राजनीतिक दल पर दोगारोपण की स्थिति से बचे रहने के लिए मतिगण प्राय प्रत्येक प्रशासन सम्बन्धी वार्ष लाक्ष्यों के विशेषज्ञ से परामर्श लेकर रखता ही अविक्ष मच्छा भग्नते हैं। लोकसेवक अनेक प्रवर्तनों पर मन्त्रियों के सम्मुख बहुमन से ऐसे मामले रखते हैं जिनके बारे में मन्त्रियों को ज्ञान नहीं होता। उन मामलों में लोकसेवक उन्हें सलाह देने हैं और अनेक तर्फों द्वारा उन मामलों या समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं, कल्वन मन्त्री उन पर हस्ताक्षर कर देता है। रैमजेम्पर (Ramsay Muir) वा मन है कि नीति-निर्माण, निर्णय और उनके क्रियान्वयन में मन्त्रियों पर लोकसेवकों का प्रभाव इतना अधिक रहता है कि मन्त्रियों वो लोकसेवकों के हाथों की कठपुतली मात्र समझा जाना चाहिए। उनके शब्दों में, “जब तक मन्त्री कोई स्वाभिमानी गधा न हो या असाधारण विवेक, अविज्ञ और साहस में परिपूर्ण अवधित न हो (और सफल राजनीतिज्ञ) में इन दोनों ही प्रवारों के लोग प्राय नहीं होते), सौ में से निव्यानवे मामलों में वह राजनीतिकों के विचार को स्वीकार कर लेता है और अकित पक्ष दर हस्ताक्षर

नाम्बी ने मन्त्रियों और लोकसेवकों के मध्य-पूर्वी वस्तुन उनके व्यक्तित्व पर आधारित मत है। इस इटिट से उमने मन्त्रियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है—शक्तिशाली अस्तित्व वाले लोकप्रिय व्यक्तित्व याने एवं भाष्य के भहारे चलने वाले। शक्तिशाली एवं प्रतिभासमग्न व्यक्तित्व वाले मन्त्री लगभग सभी प्रशासनिक समस्याओं को अपने नामाभ्य विवेक से समझ लेते हैं और उनके नामाभ्यान के लिए लोकसेवकों पर आधित नहीं रहते, अपितु घरमतानुदृत निरांय करके सोबासेवकों को उम निरांय की लागू करने का आदेश दे देते हैं। वे इस बात के प्रति पूर्ण सजग रहते हैं कि लोकमेयक कोई गलनी न कर बैठे और लोकसेवक स्वयं इस भव्य से आश्रित रहते हैं कि कहीं उनसे अमावश्यनी न ही जाए। वे ऐसे मन्त्रियों के निरांय के मुख्यापेक्षी रहते हैं। धीरे विस्टन चचिल ऐसे मशक्त प्रद्वितीय प्रतिभाशाली मन्त्री थे कि किसी भी विभाग में उनकी उपस्थिति मान से वहाँ के कर्मजागियों की भावनाएँ बदल जाती थीं।

कुछ मन्त्री विद्यापि शक्तिशाली व्यक्तित्व के घनी होते हैं, जिन्हुंने अपनी लोकप्रियता के बन पर लोकमेयकों पर हाथी रहते हैं। उन्हें लोकसेवकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनीय वारीविद्यों की परवाह नहीं होती। वे तो प्रत्येक निरांय और नीति को जनता की पसन्द की तराजू में लोकसेवकों के प्रत्येक परामर्श पर वे उसकी लोकप्रियता की इटिट में विचार करते हैं। वे लोकसेवकों को बना देते हैं कि जनता क्या पसन्द करेगी और लोकमेयक उन्हें ऐसा कोई सुझाव या परामर्श देने का साझम नहीं करते जो जनता को ताराज बरने चाहता हो। उन्हें अपनी नीकरणाई या कर्मचारीनम्ब की इच्छानुसृत लोकतन्त्रीकरण का जापा पहनाना पड़ता है।

कुछ मन्त्री न तो प्रतिभा सम्पन्न ही होते हैं और न लोकप्रिय ही, वे तो भागर के भरोसे जलने वाले होते हैं। उन्हें अपने अभाव के व्यक्तित्व की ही नहीं, प्रत्यक्ष अपने पद की चिन्ता भी वनी रहती है। वे प्रायः स्व-निरांय की अपेक्षा लोकसेवक-विदेषपक्षों के परामर्शों पर आधिक आधित रहते हैं। तथापि उन्हें पह अवश्य ध्यान रखना पड़ता है कि उनका विभाग दलीय-कार्यश्रम और मन्त्रिमण्डन द्वारा लिए गए निरांय के अनुष्ठान जनता रहे, क्योंकि ऐसा न करने पर उनका मन्त्री पद ही खतरे में पड़ सकता है।

उपर्युक्त सम्मूल विवेचन से स्पष्ट है कि मन्त्रियों के क्रियाकलापों पर लोकसेवकों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और लोकसेवकों का सहयोग प्रशासनतन्त्र को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए बहुतीय भी है। परन्तु मन्त्रिगण की विद्यति लोकसेवकों के हाथों की बढ़पुनर्नी जैसी नहीं है। नीति के निर्माता मात्री ही हैं और लोकसेवकों को व्यवहार में उनकी इच्छा का जालन करता पड़ता है। बस्तुतः इटिट में अदिक्षेषणों कीट दिक्षेषणों के लिए इक्षेषण प्रकार का सेर है। सरकारी कर्मचारी मन्त्रियों को आवश्यक जानकारी एवं तथ्य प्रदान करते हैं और सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। वे जानते पर यहाँ का ग्राम स नहीं करते, प्रत्यक्ष

शामन की प्रहृति व स्वरूप को बनाने में मद्दायक होने हैं। मन्त्रियों और उनके प्रधीनस्थ कर्मचारियों या लोकमेवकों के सम्बन्ध की व्याख्या लॉइंगिलनर में निम्नलिखित शब्दों में की है—

“प्रायः नियुक्त होने समय मन्त्री विभागीय वार्य-मचानन के बारे में कुछ नहीं जानते। उनके पास नीति होती है, अपने विचार होते हैं, लेकिन जब उनका समर्ग उन व्यावहारिक उठिनाइयों, नए महाटो, दिस्तृत सचिन जान तथा प्रनुभव में होता है जो स्वाधी अधिकारी विषय के बारे में रखते हैं तब उन विचारों में बहुत परिवर्तन हो जाता है। वस्तुत उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों वा मुख्य वर्त्तव्य राजनीतिज्ञों की अस्पष्ट व्याकाशाघो तथा उनके धूम्खने विचारों को मूर्त्तरूप देना है। जब मन्त्री वी नीति को असफल न बनाने की निष्पट भावना से कर्तव्य का सच्चाई के साथ पालन किया जाता है और कुछ उपयोगी बहुत वा निर्माण करने की सद्भावना रहती है तब प्रशासकीय अधिकारी राज्य की नीति को पर्याप्त प्रभावित करते हैं।”

पिश्चार के अनुमार, “मन्त्रियों का कार्य नीति का निर्धारण करना है और जब यह नीति एक बार निर्धारित हो जाए, तब प्रशासकीय अधिकारियों का यह नि विद्यमान कार्य हो जाता है कि उस नीति को कार्यान्वित करने के लिए सद्भावना रो ठीक ठीक प्रयत्न करें चाहे वे इससे महसूस हो या अनहसूत। यह तथ्य स्वतं मिछ और निर्विवाद है। इसके साथ ही प्रशासकीय अधिकारियों का परम्परागत कर्तव्य है कि जब निर्णय लिए जाएं तब अपने राजनीतिक अध्यक्षों को अपनी सम्पूर्ण जानकारी तथा प्रनुभव निर्भीकता तथा निष्पक्षतापूर्वक बना दें, चाहे उनका परामर्श मन्त्री के इष्टिकोण से उपयुक्त हो या न हो। मन्त्री के सामने मध्यान्धित तथ्य पेश करते हुए जिनका पना लगने पर स्वयं सारे विभाग को बड़ा परिश्रम करना पड़ता हो प्रशासकीय अधिकारी को अन्याधिकारी नावपाल रहने की ज़सरत है, क्योंकि उसके लिए प्रायः विभाग को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ऐसे तथ्यों पर प्रभाव डालने के लिए उसे अपनी योग्यता और निष्पक्षता को प्रयोग में लाना होता है।”

लास्की ने बधनानुमार, ‘प्रशासकीय सेवा परिणामों की दोनक है, आदेश देने की तरीं। यह मन्त्री का निर्णय होता है। प्रशासकीय सेवा का कार्य वह सब ममाना इकट्ठा करना होता है जिसके आधार पर इसकी ममान से एक उचित निर्णय लिया जा सकता है।’

रेप्ट्रे मैक्सोनाल्ड ने लिखा है, “मन्त्रिमण्डल जनना प्रोट विशेषज्ञों के बीच का पुर है जो गिरावंत और व्यवहार को मिलाता है। इसका कार्य प्रनुभव करने वाली स्नायुप्तो द्वारा प्राप्त रद्दरों को कार्य करने वाली स्नायुप्तो (Mother nerves) द्वारा आदेश में बदलना होता है। यह विभाग के मचानन में नहीं लगा रहता, प्रत्युत् विभाग को एक विशेष दिक्षा प्रदान करने का कार्य रहता है।”

निष्कर्ष रूप मे यह बहा जा सकता है कि मन्त्रिमण्डल लोकतन्त्र के माध्यम है जिससे यह आशा की जाती है कि वे लोकसेवा द्वारा दिए हुए परामर्श पर आधारित प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण बरते हो। नौकरशाही शायदा कर्मचारीतन्त्र शक्तिशाली अवश्य हैं, किन्तु इतना नहीं कि लोकतन्त्र उनके हाथों विक जाए। दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है और द्विटेन मे बड़े शादीय रूप मे दोनों ही अन्योन्याधित हैं। मुनरो ने लिखा है कि “प्रथम (अर्थात् मन्त्रिमण्डल) प्रशासन मे लोकतन्त्रीय तत्व की ओर द्वितीय (अर्थात् लोकसेवक) कर्मचारीतन्त्र के तत्व की व्यवस्था करता है। दोनों ही आवश्यक हैं—एक सरकार को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोट दूसरा द्वारा बायेंकुण्ड बनाने के लिए। एक सुन्दर प्रशासन की परंपरा यही है कि लोकतन्त्र और कार्यक्षमता वा सफल संयोजन हो जाए।”

अन्त मे, न्यूमन (Newman) के शब्दो मे यह कहना उन्नित होगा कि “अधिनायकवाद पा तानाशाह (कर्मचारीतन्त्र की) कहे जाने का कोई तप्त्युक्त कारण नहीं है।” यही यह याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश लोकसेवा राज्य के अन्तर्गत राज्य नहीं है जैसी कि जर्मन लोकसेवा थी, प्रत्युत् यह एक प्रजातान्त्रिक तथा उत्तरदायी सरकार का पद है जिसके अन्तर्गत यदि बड़े पैमाने पर शक्ति का दुरुपयोग किया गया तो इसकी तुरन्त ही सार्वजनिक प्रतिक्रिया होगी जिसके पालस्वरूप अनेक तिर लुड़ते नजर आएंगे। लोकसेवकों के तिर पर उत्तरदायी मन्त्री हैं जिनका काम लोकसेवकों को यह बताता है कि जनता व्या नहीं चाहती है ?

---

## लोक सेवाओं का विकास एवं महत्व

(Development and Significance of Public Services)

राज्य के सभी दायित्वों एवं कार्यों को सम्पन्न करने का मार उस राज्य के जिन कर्मचारियों पर होता है उन्हें लोक-सेवक कहा जाता है। ये लोक-सेवक विसी भी देश के लोक प्रशासन की जीवित या गतिशील आत्मा वही जा सकती है। लोक-सेवाएँ भाषुभिक राज्य की स्थाई कार्यपालिकाएँ हैं। ससद, मन्त्रिमण्डल तथा दूसरे उच्च राजनीतिक कार्यकर्ता समष्टि-समय पर बदलते रहते हैं किन्तु लोक-सेवाएँ स्थाई रूप से शासन सचालन में भाग लेती हैं। एक राज्य द्वारा प्रदान वी जाने वाली समस्त सेवाएँ लोक-सेवकों के माध्यम से ही जन-साधारण तक पहुँचनी हैं। जिस देश की लोक सेवा उदासीन और अक्षम होनी है वह देश विकास की अपेक्षा पन्न के गर्त में चला जाता है। डॉ. एल डी ह्वाइट के मतानुमार “लोक-सेवाएँ प्रशासकीय सगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने सद्यों को प्राप्त करती है।” डॉ हरमन पाइनर ने लोक-सेवाओं को प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना है।

लोक-सेवाओं को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—  
गैरिक तथा अर्मेनिक। लोक प्रशासन का सम्बन्ध अर्मेनिक सेवाओं से है। इनके अवधं तथा विशेषनाओं का बरंगत बरते हुए डॉ हरमन पाइनर ने लिखा है कि यह स्थाई वैतनिक तथा कार्यकुशल अधिकारियों वा समूह होनी है।

### लोक-सेवाओं का स्वरूप

(The Nature of Public Services)

लोक-सेवाओं के प्रथं एवं स्वरूप दो भली प्रकार समझने के लिए यहाँ हम सगठनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से उनकी व्यतियय विशेषनाओं वा विवेचन करेंगे।  
ये मुख्यतः निम्नलिखित हैं—

(i) कुशल कार्यकर्ता (Skilled Workers)—लोक-सेवक वेवल भागने कार्य में ही नहीं बरन् सगठन के भल्य कार्यकर्ताओं के कार्यों में भी पर्याप्त दर्शि तथा

निपुणता रखते हैं। इन्हें अपने कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त होता है तथा वे व्यावसायिक प्रतिभा से सम्पन्न हो जाते हैं।

(ii) राज्य व्यवस्था का अनिवार्य अग (Necessary Organ of the State System) — किसी देश का राजनीतिक स्वरूप, आकार, सगठन, प्राकृतिक स्वरूप, सरकार का रूप आदि चाहे किसी प्रकार अवधा अनुगत के हो, उन्नतु उसे लोक सेवा की आवश्यकता अवश्य होगी। इसका कारण यह है कि लोक-सेवाएँ राज्य की नीति रचना एवं कार्यान्वयन जैसे मूलभूत कार्यों में सहयोग देती है। इस सम्बन्ध में जो सेफ्टे-समैक्य तथा बर्डाँ रोडेनबर्ग ने लिखा है कि “नौकरगाही साम्यवाद समाजवाद अवधा पूँजीवाद किसी भी व्यवस्था का मौतिक तत्व नहीं है। यह किसी तरह के समाज में रह सकती है, जले ही उसमें निजी सम्पत्ति हो अवधा न हो और आधारभूत रूप में वह भले ही तानाशाही अवधा प्रजातान्त्रिक चातावरण लिए हुए हो।”<sup>1</sup>

(iii) वेतनभोगी कार्यकर्ता (Paid Workers) — लोक-सेवाएँ व्यवस्थित कार्य करने वाले लोगों का सगठन नहीं होती वरन् इनके सभी सदस्यों को नियमानुसार नियोजित वेतन प्राप्त होता है। वेतन की मात्रा पद के दायित्व, प्रोग्राम, जोगिम, श्रम आदि के आधार पर निश्चित ही जाती है।

(iv) स्थाई कार्यकारी (Permanent Tenure) — लोक-सेवक नियित समय एवं उम्र तक अपने पद पर कार्य करते हैं। यही कारण है कि लोक-सेवाएँ जीवन-हृति के रूप में अपना ली जाती हैं। राजनीतिक दलों के दौद-पेचों नवा राजनीतिक नेतृत्व बदलने का इनके ऊपर कम असर होता है।

(v) प्रशिक्षित कार्यकर्ता (Trained Workers) — लोक-सेवकों को उनके कार्यों तथा दायित्वों का समृच्छित प्रशिक्षण दिया जाता है वे गैर-अनुभवी नहीं होते। उन्हें दिए गए प्रशिक्षण का सम्बन्ध केवल उनके पद के दायित्वों से ही नहीं रहता वरन् उनके इटिकोल वा अधारपक बनाने तथा उन्हें सम्पूर्ण प्रशासनिक सगठन के सदृश और आदर्शों की समझाने में भी रहता है।

(vi) पद सोयाने का सिद्धान्त (The Principle of Hierarchy) — लोक-सेवायों के वर्मचारी वायं, दायित्व और सत्ता के आधार पर विभिन्न सोयानों के रूप में संगठित किए जाते हैं। उच्च सोयानों पर आमीन वर्मचारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देते हैं तथा उनके कार्यहसायों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त करते हैं। अधीनस्थ वर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के निरीक्षण और नियन्त्रण में रहकर कार्य करते हैं।

(vii) अनाधिकारी का सिद्धान्त (Principle of Anonymity) — लोक-सेवा के सदस्य जो कार्य करते हैं उनकी निन्दा अवधा थेप वे भागीदार वे स्वयं नहीं

<sup>1</sup> Joseph Bensman and Bernard Rosenberg : Mass, Class and Bureaucracy, p. 548

बनते । वे पर्दे वे पीछे रहकर बिना आपना नाम सामने लाए ही सारे कार्य सम्पन्न करते हैं । कायों वा मारा श्रेय जन-प्रतिनिधियों को प्राप्त होना है ।

(viii) तटस्थ इंटिकोए (Neutral Attitude)—लोक सेवा के सदृश्य स्थाई कर्मनारी होने हैं जबकि राजनीति नेतृत्व समव समय पर बदलता रहता है । ऐसी स्थिति में व्यावहारिक मुविधा के लिए वे राजनीति तटस्थता का इंटिकोए अपनाते हैं । यदि गत्ताधारी दल की नीनियों के साथ उनमें समर्पण की भावना रहती है तो यह भी उनके व्यापक तटस्थ इंटिकोए की ही प्रतीक है । बल यदि दूसरे दल की सरकार आ जाए तो नोडरशाही का समर्पण भाव उनके लिए मुड़ जाना है ।

(ix) भावुकता का अभाव, (Non-Emotional)—लोक-सेवाएं अपने दायित्वों वा निर्वाह करते समय प्राय भावनाओं ही से प्रभावित नहीं होती बरन् यह नियमों वे परिस्थिति में भी उचिती रहती हैं । लोक-सेवक दिमी विशेष इंटिकोए से प्रभावित होकर दिमी बात का समर्थन अधिक विरोध नहीं करते । देश वे सभी वर्गों, विचारधाराओं, क्षेत्रों और स्तरों के लोगों के लिए लोक-सेवक वा व्यवहार तथा इंटिकोए एक समान रहता है । सार्वजनिक दिन का ध्यान रखते हुए ही वे इस प्रकार वा इंटिकोए अपनाते हैं ।

(x) उत्तरदायित्व को भावना (Responsiveness)—प्रत्येक लोक-सेवक कुछ सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर अपने दायित्व पूरे करता है । वह देश की स्थिरत्वाधिकारी, व्यायामिक और वायर्सनिकों के नियन्त्रण तथा निर्देशन में उसे सौंप गए कार्य सम्पन्न करता है । स्वयं जनता और जनता के प्रतिनिधि लोक सेवक के व्यवहार पर यानी निरीक्षणात्मक इंटि रखते हैं ।

(xi) जीवनशृंति के द्वय में (As a Career Service)—लोक सेवक अपने एद पर जीवन-पर्यन्त धर्यात् कार्य करने वी उम्र तक कार्य करते हैं । लोक-सेवाओं को यथासम्भव आकर्षक बनाने की जेटा वी जानी है ताकि चरित्रबान, निष्ठाबान, योग्य और अनुभवी दृष्टिक इनकी ओर आकर्षित हो मावे । लोक-सेवाओं में शोभना के प्राधार पर भर्ती वी जानी है । योग्य व्यक्तियों को बौद्धनीय प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा वार्यकुलन बनाने के बाद यह आशा की जानी है कि वे जीवन-पर्यन्त अपनी सेवाएं प्रदान करते रहें । लोक सेवाओं को जीवनशृंति का द्वय प्रदान करने का उद्देश्य इनके देश को व्यापक बनाना और ध्योग्य व्यक्तियों वो घरग रखकर प्रतिमाणाली लोगों की लाज-सेवाओं की घार प्राप्तित बनाना है ।

### लोक सेवाओं का महत्व

(The Significance of the Public Services)

प्रशासन किमी भी देश के समाज तथा उसकी राजनीति वा एक अविभाज्य घण होता है । समाव वा स्वरूप तथा राजनीति व्यवस्था वी प्रहृति प्रशासन व दर्गन जै अस्तित्व होती है और इसका सर्वोत्तम प्रभाल, उक देश की लोक-सेवाओं में घाने वाला अधिकारी वर्ग होता है । इन्होंने वी प्रशासन प्रशासन-व दिन जन-

साधारण प्रशासन का पर्यावाची समझा है, इसी भी प्रशासन की रीति-नीतियों एवं पद्धतियों के चयन में नियंत्रिक मूलिका निभाता है। वे प्रशासक जो विभिन्न प्रकार की लोक-सेवाओं के सगठन में अनुशासित रहते हैं, एक पद्धति विशेष में मर्त्ता लिए जाते हैं। योग्यता के आधार पर चयनित विए जाने के कारण ये म्याई होते हैं और इन्हे बेतन, पदोन्नति तथा अन्य सेवा मुविधाओं के प्रबोधनों से सभजि के अन्य व्यवधायों से स्थीच वर लोक-सेवाओं में प्रविष्ट किया जाता है, जिसमें सरकार अपनी नीतियों के निर्माण और अनुपालिना में श्रेष्ठतम् एव योग्यतम् व्यक्तियों का अधिकातम् योगदान प्राप्त कर सके। जनतन्त्रात्मक ज्ञाननेत्रव्यवस्थाओं दे लिए भी यह आवश्यक माना गया है कि उनकी लोक सेवाएँ बौद्धिक योग्यता के आधार पर (Merit Oriented) रहिन की जाएँ और उनमें आने वाले अधिकारी प्रशासन को एवं जीवनवृत्ति (Career) मान वर उसमें आएँ। यह इसलिए और भी व्यक्ति आवश्यक है चूंकि जनतन्त्र में राजनीतिक मेना छोटे समय के लिए सत्तारूढ़ होते हैं और तुनाव की एकत्रित में उनकी बौद्धिक योग्यता अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। सभी जनतन्त्र राजनीति और प्रशासन को एक दूसरे का पूरक मानकर एक-दूसरे को सहायता एवं उनके बनाने की मूलिका में प्रस्तुत करते हैं। फिर भी राजनीति की तुलना में प्रशासन और अधीनस्थ स्थिति है, यद्यपि राजनीतिज्ञों की तुलना में प्रशासकों का बौद्धिक स्तर एवं प्रशासकीय अनुभव अधिक समृद्ध होता है और होना भी चाहिए।<sup>1</sup>

आधुनिक समाज में लोक सेवा (Civil Service) के महत्व को बताते हुए ऑग (Ogg) ने सधेष्प में कहा है कि “सरकार वा कार्य के बल राज्य सचिव तथा विभागों के अन्य प्रधानों, मण्डलों के सभापति, समर्दीय अवार सचिवों, कनिष्ठ अधिपति तथा शिष्ट अधिपति—दूहरे ग्रन्थ में मन्त्रिगण द्वारा ही पूर्ण नहीं किया जा सकता। इन सोगों में यह आशा की जानी कि वे कर एकत्र करें एवं लेखा परीक्षण, कारबानों का निरीक्षण, जनगताना आदि कार्य करें, हिमाव रखने, डाक वे विभाग और समाचार ले जाने की तो बात ही दूर है। ऐसे बहमुखी बायें तो उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं जिन्हे स्याई लोक मेवक बता जाना है। स्त्री पुरुषों वा यह विभाग समूह ही देश के एक दूरे में दूषरे द्वारा तक विधि का पालन करता है और इन्हीं के द्वारा जन-साधारण नियंत्रण राष्ट्रीय सरकार के निवट सम्पर्क से प्राप्त है। जनता की दृष्टि में इस निकाय का महत्व असे ही कम हो किन्तु भन्नालयों के लिए काम करने वालों की यह सेना भरकार के उन उद्देश्यों को, जिनके लिए सरकार विद्यमान है, पूर्ण करने के लिए यम प्रावश्यक नहीं है।”<sup>2</sup>

लोक सेवाएँ देश के मामात्रिक जीवन को व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करती है। देश के विकास संघर्ष गति व्यवस्था की दृष्टि में राजनीतिक स्तर पर जो

1 डॉ. डॉ. शर्मा, डॉ. एम. गर्ड एवं नीलम घोड़ा : भारत में लोक प्रशासन, पृष्ठ 219.

2 Ogg - English Government and Politics, p. 302

निर्णय लिए जाते हैं उनको कार्य रूप देकर लोक सेवाएँ देना वीं शान्ति व्यवस्था को सुधार प्राप्त करती हैं। सरकार द्वारा व्यवस्थापिका के मध्य पर तथा उसके बाहर जनता को अनेक प्रकार के आश्वासन दिए जाते हैं। इन आश्वासनों को पूरा करने के लिए लोकसेवामों द्वारा योजनाबद्ध रूप से प्रयास किए जाते हैं। लोकसेवाएँ नीति-रचना में सहयोगी द्वीपिट से महत्वपूर्ण भूमिका निर्दा करती है। वे अपने व्यापक प्रशासकीय ज्ञान तथा दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर प्रशासन के तकनीकी पक्ष तथा अन्य वारीकियों को मन्त्रियों के सामने प्रस्तुत करती हैं। आज लोकसेवामों का महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक निर्णय की कार्यान्वयन करना नहीं बरन् राजनीतिज्ञों को यह परामर्श देना है यि उनको वया निर्णय लेना चाहिए। फिशर के कथनानुसार प्रशासनिक अधिकारियों का परम्परागत कर्तव्य यह है कि जब निर्णय निए जा रहे हों तो वे अपने राजनीतिक अध्यक्षों को बिना किसी भय तथा पश्चात के अपना सारा अनुभव तथा जानकारी बता दें जाहे उनका परामर्श मन्त्री के ग्राम्यकालीन दृष्टिकोण के अनुकूल हो अथवा न हो।

लोकसेवाएँ जन-सेवा के लिए समर्पित होनी हैं। बी० सुब्रह्मण्यम ने लिखा है कि "महाभारत के ध्यास जैसे सम्भव" बुडरो विलमन जैसे प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा चाणक्य जैसे राजनीतिशास्त्री या एपलबी जैसे प्रशासनिक सुधारकों ने नागरिक कल्याण के लिए समर्पित लोकसेवा पर जोर दिया है।<sup>1</sup> लोकसेवाएँ जनतानिक व्यवस्था के सफल सचालन में अनेक दृष्टियों से सहयोग करती हैं। सही देशों में मन्त्रीगण अपने दोषों के लिए समद् के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस उत्तरदायित्व के निर्णायक के लिए प्रत्येक कदम पर लोकसेवकों का सहारा लेना पड़ता है। सौसदों के प्रश्नों वा उत्तर लोकसेवकों द्वारा तैयार किया जाता है। मन्त्री महोदय अपने अनेक दोषों को लोकसेवकों पर ढाककर अपना तात्कालिक बचाव कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में छठे लोकसमाई निर्वाचिनों के समय (मार्च, 1977) जब विरोधी दलों द्वारा कांग्रेस सरकार की परिवार नियोजन के लिए वीं गई ज्यादानियों का उल्लेख किया गया तो कांग्रेस ने स्वयं को निर्दीप सावित करने के लिए नोकरशाही को ढाल बनाते हुए कहा कि हो सकता है नोकरशाही ने ज्यादानियों नी होनी और ऐसे दोषी कर्मचारियों को दण्ड दिया जाएगा। नारमन जे पावेल (Norman J. Powell) का कहना है कि उत्तरदायित्व की सीदिपानिक व्यवस्था में नोकरशाही का कार्य निश्चय ही बढ़ जाता है।

लोकसेवाएँ सरकार की प्रतिनिधि प्रकृति को वास्तविक बनाती हैं, वे जनहित की साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा विकास कार्यों को सुदिपूर्वक सचालित करती हैं। लोकसेवामों के बिना उत्तरदायी सरकार का कार्य-सचालन छठिन बन जाता है। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चैम्बरलेन ने लोक सेवकों को

<sup>1</sup> V Subramaniam "Role of Civil Services in Indian Political System". IIPA, Vol. XVII, No 2, p.238

राष्ट्रोधित करते हुए इस कठिनाई को स्वीकार किया और कहा—“मुझे विश्वास है कि आप लोग हम लोगों के बिना भी विभाग का प्रशासन कर सकते हैं किन्तु मुझे आशका है कि हम लोग आपके बिना विभागीय कार्य नहीं कर सकते।” लोक सेवाएँ सरकारी नीति की रचना और वार्यान्विति के प्राय सभी स्तरों पर कार्य करती हैं। सर जोनप्रा स्टेप्प ने लिखा है कि ‘मैं प्रथमें मन्त्रिकार में पूर्णतः स्पष्ट हूँ कि अधिकारी को तबीत समाज का मूल स्रोत होना चाहिए। इसे प्रत्येक मोगान पर सुभाव देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए तथा परामर्श देना चाहिए।’

राज्य के बढ़ते हुए कार्यों के साथ ही साथ कार्यवद्धन का योग एवं महसूब मी बढ़ता जा रहा है। पहले जबकि सरकारें प्रवर्धन-नीति (Laissez Faire) में विश्वास करती थीं और अपने कार्यों को केवल समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित रखती थीं, उस समय तो वर्भचारी वर्ग के कार्य भी इन थोड़े से उद्देश्यों की पूर्ति तक ही सीमित थे। परन्तु विज्ञान तथा शिल्पकला की प्रगति के बहुमान युग में राज्य की क्रियाओं में असाधारण रूप में वृद्धि हुई है। आजकल तो राज्य जन्म से लेकर मृत्यु-पूर्वन्त मानवीय कल्याण में वृद्धि करता है। राज्य की क्रियाएँ प्रत्येक विस्तृत तथा विविध प्रकार की हो गई हैं। प्रत्येक स्थान पर राज्य बहुमान रहता है और कोई भी नागरिक राज्य के प्रभाव और उसकी शक्तियों में बच नहीं रह पाता। राज्य उन पर सिविल सेवकों (Civil Servants) के माध्यम से नायरिकों तक पहुँचता है जो कि पश्चिम-प्राचीन (Trained) निपुण, स्थायी तथा व्यवसायिक रूप से कार्य करने वाले वैनिक अधिकारी (Officials) होते हैं।<sup>1</sup>

अपनी व्यापक शक्तियों तथा कारण-लोकसेवक वास्तविक सत्ताधारी बन जाते हैं। रेमजेस्ट्योर की मान्यता है कि नीति-रचना, निर्णय-प्रक्रिया एवं निर्णयों की कार्यान्विति में लोकसेवकों का इनकर प्रभाव रहता है कि मन्त्रीगण उनकी कठपुतली मात्र बनकर रह जाते हैं। इन्होंने बड़े मनोरजक शब्दों में वस्तुमिथनि का वर्णन करते हुए लिखा है कि “जब तक एक मन्त्री कोई स्वामिमानी गधा अवश्य असाधारण विवेक शक्ति और साहस में युक्त व्यक्ति न हो तब तक 99 प्रतिशत मामलों में लोकसेवकों की राय मान लेता है तथा उनके हारा नितिन पत्तियों पर हस्ताक्षर बर देता है।” इनी बात को जारी बनाई गयी ने इन शब्दों में स्वीकार किया है—“यदि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में कठपुतली नाम की कोई चीज है तो वह है एक सर्वजनिक विभाग का अध्यक्ष-कैबिनेट मन्त्री।” यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण होते हुए भी लोकसेवाप्रो के महसूब एवं समर्थकता का परिचायक है। लोकसेवायों के प्रभावपूर्ण योगदान के सम्बन्ध में लाल्ही ने लिखा है कि “यह सरकार को मचानित करती है, आप चुनाव के परिणामों के जोखिम को सान्तुतित करती है तथा निष्पक्ष रूप से व्यावहारिक है उसमें जन-दब्दियों को जोड़कर राजनीतिक यत्र में तेज देने का कार्य करती है।”

<sup>1</sup> Introductory Memorandum to the Civil Service (1930), p. 2.

आधुनिक समाज की जटिल एवं पेचीदा समस्याओं को हेतु प्रधिकारियों की देखरेख में नहीं छोड़ा जा सकता जो कि अप्रशिक्षित (Untrained) अवैज्ञानिक, अशिक्षित (Illiterate) तथा अनिच्छुक हो। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी की वह कार्मिक व्यवस्था (Personnel System), जिसमें कि अप्रशिक्षित तथा अवैज्ञानिक वर्ग में सिविल कर्मचारी हुए करते थे वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त है। आधुनिक समय में तो कुशल, प्रशिक्षण-प्राप्त तथा मुश्किल व्यक्तियों के एक हेतु वर्ग ही आवश्यकता है जो कि राजदूती के लिए भवितव्य कर सके तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों को साझा कर सके। कार्यों का विभिन्नता के लिए अभिभाजन (Division of Labour) वर्तमान वैज्ञानिक युग की विशेषता है। एक ही आदमी सभी कार्यों के उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर सकता। अब प्रशासन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी नियुक्त हिए जाते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि सिविल सेवकों के एक व्यावसायिक वर्ग (Professional Class) के द्वारा प्रशासन-कार्य चलाया जाता है। ये कुशल प्रशासक तथा एवं आईडे एकत्र करते हैं, अनुमन्धान (Research) करते हैं और जनता की आवश्यकताओं को सम्मुख करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। यह बहुत ठीक है कि "लोक प्रशासन में कार्मिक वर्ग को ही मर्दोंच्च तत्त्व माना जाता है!"<sup>1</sup>

### भारत में लोक सेवाओं का विकास (Development of Public Services in India)

#### स्वतन्त्रता से पूर्व का विकास

भारत से लोक सेवाओं के विकास का प्रारम्भिक विमुद्ध प्राचीन काल से जुड़ा होता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में सरकार और जात्यान के साथ साथ घच्छी में वीरवंश व्यवस्था के लिए भी उल्योगी मुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। रामायण तथा महाभारत महाकाव्यों में सेवीवंश प्रशासन विधायक महस्तपूर्ण उद्घरण हैं। 300 वर्ष इसी पूर्व त्रिमुख गण कोटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि यदि व्यावहारिक राजनीति से अनुभवशून्य देवता मौद्रान्तिक जान प्राप्त व्यक्ति को राजकार्य सौना देया तो वह गम्भीर त्रुटियों करेगा। अब राजा को मन्त्री के रूप में ऐसा अन्तिम विषय करना चाहिए जो उच्च परिवार में जन्मा, तुदिमान पवित्र धात्मा बहादुर तथा स्वामिगत हो। मन्त्रियों की विषयक योग्यता के प्राप्तावर पर होनी चाहिए।<sup>2</sup> अर्थशास्त्र में सरकारी कर्मचारियों की परीक्षा के तरीकों उन्हें बैठन स्तर नया अन्य सेवीवंश सम्बन्धी विद्ययों का उल्लेख स्पष्ट है। प्राचीन भारतीय प्रशासन के समाज तथा व्यवस्था पर अर्थशास्त्र, महाकाव्यों एवं इत्यनियों के मुझावों नवा निर्देशों का काफी प्रभाव था। यह प्रभाव मध्यकाल तक व्याप्त रहा। बाद में मुग़लों ने इस व्यवस्था में गढ़भीर परिवर्तन किए।

1 डॉ. चाट प्रशासन भारती : लोक प्रशासन : विद्यान नवा अवधार, पृष्ठ 416.

2 कोटिल्य : अर्थशास्त्र, प्रनुदारक शास्त्री, 1951, पृष्ठ 494.

मुगल राज में विभिन्न प्रशासनिक विषयों में लोक सेवाओं का समर्थन किया गया। स्पानीय स्तर पर मुगल दूतेश्वरों ने कई प्रकार की सोन-सेवाएँ बठिन की तथा उनके बायों, अक्तियो एवं दावित्वों का निर्वारण किया। मुगलकालीन भारतीय प्रशासन अरब परम्पराओं तथा प्राचीन भारतीय परम्पराओं से प्रभावित पर ही तत्कालीन सेनिक और पुलिम अधिकारी 'अमीर' तथा राजकीय अधिकारी 'अमीन' अरब परम्पराओं के प्रतीक थे। उस समय की मूर-राजस्व व्यवस्था बहुत कुछ देश की प्राचीन परम्पराओं के अनुरूप थी।

18वीं सत्राब्दी में मुगल साम्राज्य का मूरज ढला और देश की राजवटा पर व्यक्ति ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रधिकार होना चला गया। इम्पनी की वाणिज्यिक प्रकृति ने तत्कालीन लोक सेवाओं को धोखता वी अपेक्षा लूट प्रयोग पर आधारित पर दिया। कम्पनी शासन के अधीन कुछ गवर्नर जनरलों ने प्रशासनीय दायें किया। इनमें बारेत हेस्टिंग तथा लॉड कार्नेवलिस का नाम उल्लेखनोप है।<sup>1</sup> लॉड वेलेजली ने सोन सेवकों के व्यवन तथा प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया। जब बम्पनी वे राजनीतिक कार्य दढ़ गए तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कवेनेन्टेड रथा एन्टकवेनेन्टेड के रूप में सेवाओं के दो विभाग कर दिए। प्रारम्भ में कवेनेन्टेड सेवाओं की भर्ती बोड बॉक डाइरेक्टर्स द्वारा किए गए मनोनयन से होनी थी किन्तु इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पनपने लगा। अन् 1854 में सर चाल्सेनुड द्वारा लॉड मैकाले की घट्टाखला में एक समिति बनाई गई। जब 1858 में कार्पनी के शासन के स्थान पर भारत में विट्ठि प्राउन का शासन स्थापित हुआ तो सारी सरकारी अक्तियाँ प्रशासनों के हाथों में केन्द्रित हो गई। सर एडमरण्ड ड्यूट के वथनानुसार, "उच्च भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अमन में भारत के स्वामी बन बैठे। ये किसी अन्य मत्ता वे प्रति उत्तरदायी होने की अपेक्षा परस्पर एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बन गए।"

1858 के भारत सरकार अधिनियम ने मरवित्यद भारत सचिव को मारतीय नागरिक सभा में प्रवेश के लिए नियम बनाने का अधिकार दी। भारत सचिव लोक सेवकों की परीक्षा, प्रमाणीकरण तथा ऐसे ही पन्थ भाग्यों के बारे में भी नियम-विनियम निषारत कर सकता था। सोन-सेवाओं के भारतीयकरण की मार्ग हमारे राष्ट्रीय प्राचीनकारी नेताओं द्वारा पुरजोर रूप से की जा रही थी। इस हेतु 1833,<sup>2</sup> 1861 और 1870 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम पारित किए गए किन्तु बहुत समय तक इनको व्यवहार म नहीं उतारा जा सका। 1876 में तत्कालीन बायमराय लॉड निटन ने भारत सचिव की महमति से इस सम्बन्ध में कुछ तिप्पणी निर्धारित किए। लद्दुगार कवेनेन्टेड लोक सेवा के लिए सुरक्षित कुल पदों में से 1/6 पर भारतीयों द्वारा नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। ये नियुक्तियाँ प्रान्तीय सरकारों द्वारा बयन के माध्यम से की जानी थीं। इन नियमों द्वारा भारतवासियों की उच्च पदों तक पहुँचने की आवश्यिकता न हो सकी तथा भारत का शिक्षित वर्ग

<sup>1</sup> Jadunath Sarkar, Mughal Administration, 1952, pp. 5-8

<sup>2</sup> R. B. Jain, Contemporary Issues in Indian Administration, 1976, p. 32

भारतीय राष्ट्रीय द्वायोग के मब्ब से सेवाधो दे भारतीयकरण की निरन्तर मौज़ करना रहा। इसे ध्यान में रखकर भारत सचिव नॉर्ड किम्बरले (Lord Kimberley) ने सर चाहर्म प्रधानमन्त्री की प्रधानता में एक आयोग नियुक्त किया।

**एचॉसन आयोग, 1886 (Aitchison Commission)**—इस आयोग ने जिल्हित भारतीयों से सम्पर्क स्थापित करने वाले मुह्यत ये सिफारिज़ों प्रश्नानुन की—  
 (i) क्वेनेटेड तथा अनक्वेनेटेड सेवाधो के अन्तर को मिटा कर इसके स्थान पर मानान्य सेवा तीन श्रेणियों में वर्गीकृत की जाए—भारतीय नागरिक सेवा प्राम्भीय में राष्ट्र एवं अधीनस्थ सेवा। प्रथम श्रेणी की सेवाधो में भर्ती के लिए इन्वेन्ट म प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की जाएँ जिनमे भारतीय एवं यूरोपीय प्रत्याशी मृत्युने हृषि में बैठ सकें। अन्य दो प्रकार की सेवाधो म प्रान्तीय स्तर पर भर्तियाँ की जाएँ तथा इनमे समान हृषि से भारतीय हो लिए जाएँ। प्रान्तीय नागरिक सेवाधो में अधिकृत पदों पर भर्तियाँ मृत्युने प्रत्यक्ष हृषि से की जानी ची किन्तु विशेष मामलों में अधीनस्थ सेवाधो में पदोन्नतियाँ भी की जा सकती थीं। (ii) आयोग ने भारत तथा इन्वेन्ट म एक साथ परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए विचार को स्वीकार नहीं किया। उच्च सेवाधो के लिए भारतीय प्रत्याशियों की आयु 19 वर्ष से 23 वर्ष तक रखने का सुझाव दिया गया।

**इस्लिंग्टन आयोग, 1912 (Islington Commission, 1912)**—लोड-सेवाधो का भारतीयकरण 1909 तक बड़ी धीमी गति से चलता रहा। इस वर्ष मार्टेन-मिष्टो सुवार दिए गए। इनके द्वारा भारतीय जनमन को और निराशा प्राप्त हुई। अन् 1912 म भारतीय लोड-सेवाधो पर एक शाही आयोग नॉर्ड इस्लिंग्टन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। इसना प्रतिवेदन 1917 मे प्रकाशित किया गया किन्तु परिवर्तित परिस्थितियों के कारण इसकी सिफारिज़ों महत्वहीन बन चुकी थी। आयोग की प्रमुख सिफारिज़ों ये थीं—(i) लोड-सेवाधों में भर्ती के लिए इन्वेन्ट तथा भारत म एक साथ प्रतियोगी परीक्षाएँ ली जाएँ। (ii) उच्चतर लोड-सेवाधो के 25% पद भारतीयों के लिए रखे जाएँ। इन पर प्रश्न मौज़ तथा अग्रणः पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाएँ।

**1919 का भारत सरकार अधिनियम**—यह अधिनियम भारतीय लोड-सेवा आयोग की स्थापना की दिशा मे प्रथम कदम माना जा सकता है। अधिनियम मे लोड-सेवों की भर्ती एवं नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य सम्बन्ध करने के लिए एक सोडसेवा आयोग की स्थापना का स्पष्ट प्रावधान था। इस आयोग म सभापति सहित प्रधिक से प्रधिक पौनच मद्दत हो सकते थे। प्रत्येक पौनच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। उनकी पुन नियुक्ति भी की जा सकती थी। इन मैट्स्पो की प्रोफेशनाएँ, खेत तथा अन्य आवश्यक सेवा की गति तथ वरने का अधिकार मपरिषद् भारत सचिव दो दिया गया। बंहु इस हेतु नियम भी बना सकता था। अधिनियम मे व्यवस्था होने हुए भी भारत सचिव ने लोडसेवा आयोग के सुरक्षण मे कोई नियम नहीं बनाया।

**स्टाफ चयन मण्डल, 1922-26 (The Staff Selection Board, 1922-26)**—इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा निम्ननर सेवाओं में भर्ती के लिए वी गई। एम ए मुनालिद ने इस मण्डल को निम्नस्तरीय सेवाओं के लिए लोकसेवा आयोग की सज्जा दी है।<sup>1</sup> इसमें एक सभापति, तीन सदस्य तथा एक सचिव रखा गया। तीन सदस्यों में दो भारतीय थे। सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाती थी। इन्हे पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता था। मण्डल के सत्रिधन में यह व्यवस्था की गई थी कि अधिनियम के अनुसार लोकसेवा आयोग की स्थापना हो जाए तो उसका अध्यक्ष ही मण्डल का भी सभापति करेगा। आयोग का गठन न होने के कारण यवर्नर जनरल ने अन्तरिम सभापति नियुक्त किया।

मण्डल वा क्षेत्राधिकार अत्यन्त सीमित रख गया। यह सहायक सचिवों, सहायकों लिपिकों, स्टेनोग्राफरों तथा टक्कणकर्ताओं की भर्ती एवं पदोन्नति करने वाला अभिकरण था। मण्डल वी स्क्रीकृति के बिना इन पदों पर किसी को नियुक्त नहीं किया जा सकता था और न किसी को स्थायी किया जा सकता था। यह मनालिय के माध्यम से इसका उभी विमाण से सम्बन्ध था। मण्डल ने लोकसेवा आयोग द्वारा इसके कार्य सम्भालने तक (1926) कार्य किया।

**ली आयोग, 1923 (The Lee Commission, 1923)**—लोक सेवाओं के मण्डन, सेवा की सामाज्य शर्त एवं यूरोपीय तथा भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति के तरीकों पर विचार करने के लिए विटिंग मरकार ने 1923 में लॉडे ली वी अध्यक्षना में एक आयोग स्थापित किया। इस आयोग का सम्बन्ध केवल उच्चतर लोक सेवाओं से था। आयोग ने यह सुझाव दिया कि लोक सेवा प्रायोग की स्थापना यथोमम्बव जीवन की जाए। इन प्रायोग में उच्चतर जन सम्मान प्राप्ति पौर्व सदस्य हो। लोक सेवा प्रायोग के कार्य दो प्रकार के हो—(क) लोक सेवाओं के लिए भर्ती करना तथा भर्ती के लिए उपयुक्त योग्यताओं का स्तर निर्धारित करना। (ख) लोक सेवाओं की भुक्ता एवं अनुज्ञासनात्मक नियन्त्रण। इन दोनों कार्यों के अनियिक लोक सेवा आयोग वे कार्य भी सम्बन्ध करेगा जो उसे यवर्नर जनरल अथवा प्रान्तीय सरकारों द्वारा सौंपे जाएंगे।

ली आयोग ने विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से लोक सेवाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया—(क) प्रशासन के सुरक्षित भाग से सम्बद्ध सेवाएँ जैसे—चाई सी एस, आई पी एस, भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियर्स सेवा प्रादि। भायोल की राय वी कि अधिनियम भारतीय सेवाओं की नियुक्ति एवं नियन्त्रण की जक्तियाँ भारत मंचिव के साम ही रहें। (ख) हस्तान्तरित सेवा की सेवाएँ जैसे—भारतीय शिक्षा सेवा, भारतीय कृषि सेवा, भारतीय पशु चिकित्सा सेवा प्रादि। इन सेवाओं के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव था कि अनिल भारतीय आधार पर इन पदों के लिए नियुक्तियाँ न वी जाएँ तबा भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति

<sup>1</sup> M A Murshid Union Public Service Commission New Delhi, 1967, p 31.

स्थानीय सरकारों द्वारा मर्ती करके दी जाए। (ग) भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय सेवर्ट जैरे—राजनीति विभाग इंडीप्रियल आवकारी विभाग तथा धार्मिक विभाग की तोर सेवाएँ। इन सभी सेवाओं पर नियुक्तियाँ भारत सचिव द्वारा दी जाएँ।

**लोक सेवा आयोग की स्थापना, 1926 (Establishment of Public Service Commission)**—फरवरी, 1926 में भारत सचिव द्वारा चार सदस्य तथा एक समायनि में युक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। सर रॉस बार्कर (Sir Ross Barker) इसके प्रबन्ध सम्बादिति नियुक्त बिए गए। आयोग को एक स्वतन्त्र नियाय बनाने की अपेक्षा गृह विभाग के साथ सम्बन्ध किया गया। इसने 1 अक्टूबर, 1926 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। यह आयोग रिटिश लोक सेवा आयोग द्वारा स्थापित पटडाफियों को अवश्यक नहा। 22 मिनप्वर, 1926 को भारत सचिव न आयोग की शक्ति एवं कार्यों के सम्बन्ध में नियम बनाए। इन नियमों के अनुमार लोक सेवा आयोग प्रतिज्ञ भरानीय सेवाओं के सम्बन्ध में सरपरियद् गवर्नर जनरल को प्राप्ति दे सकता था। यद्यपि ली कमीशन यह चाहता था कि लोक सेवा आयोग भारतीय लोक सेवाओं में मर्ती की दृष्टि से अनिम्न निरुद्घिक होना चाहिए किन्तु सरकार ने इन नियमारिति की ओर ध्यान न देकर आयोग को कड़वे प्राप्ति दाता के कार्य ही सौंपे। आयोग की कम शक्तियों के बारे में शिरायत करने हुए इसके समायनि सर वारर ने साइमन बमीशन को एक जापन प्रस्तुत किया। साइमन कमीशन ने लोक सेवा आयोग की शक्तियों को बढ़ाने सम्बन्धीय विधय का अपने प्रतिवेदन में उल्लेख भी नहीं दिया। इसने लोक सेवा आयोग के कार्यों की शक्ति अवश्य ही तथा कार्यकुण्डल एवं स्वामिनक्त लोक सेवाओं की स्थापना के लिए ऐसे ही आयोग प्राप्ति में भी गठित करने की सिफारिश की।

1930 के प्रयम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय लोक सेवाओं की समस्याओं पर विवार करने के लिए एक उत्तमिति नियुक्त की गई। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा यह स्वीकार किया गया कि केन्द्र सरकार तथा प्रदेश प्रान्त के लिए एक संविधीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। 15 मार्च 1933 को रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधानिक प्रस्तावा में तथा प्रगतिसुधारों पर मदुक्त समिति (1933-49) ने भी यही मन प्रकट किया। —

**1935 के प्रधिनियम में लोक सेवा आयोग (Federal Public Service Commission under the Act of 1935)**—1930 से लेकर 1936 तक मूरीय लोक सेवा आयोग के कार्यों का विवेचन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह सम्पूर्ण निकाली नहीं थी। मूरीय सम्बन्धीय बड़तशूलं निर्णय गृह विभाग में निए जाने वे तथा आयोग के कार्य उन्होंने स्वीकार करना पाया है। 1935 के प्रधिनियम की अवध्या के प्रदुमार प्राप्ति को भी लोक सेवा आयोग का गठन करना पा। हिसी प्राप्ति गवर्नर के लिए पर मूरीय लोक सेवा आयोग भी

उस ग्रान्त सम्बन्धी मेंदीवर्गीय प्रशासन का मत्तालन कर गवाना था। मधीय लोक मेंदा आयोग के कार्य मत्तालन के लिए भारत मंत्रिवाद तथा बवानेर जनरल डारा रियर दबाएँ जा सकते थे। बवानेर जनरल विमी भी मामने को आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रख सकता था। 1935 के अधिनियम ने लोक सेवा आयोग के कार्यों तथा शक्तियों का भी उन्नीकू दिया था। तदनुसार आयोग द्वारा मेंदा आयोग म मर्तों के लिए परीक्षाएँ आयोजित की जाती थीं तथा लोक सेवाओं मे मर्तों के तरीकों, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण तथा अनुशासन सम्बन्धी मामलों मे गवानेर जनरल को परामर्श दिया जा सकता था।

हिनीय विज्ञ यूद मे पूर्व आयोग द्वारा विमी भी विभाग मे एक रित पद के लिए लोक नामों की मुक्ती प्रेयित की जानी थी लिन्नु 1945 से बैदल एक ही नाम भेजने की परम्परा अपार्ट होई। यूद के बाद आयोग ने लोक सेवाओं की पदोन्नति सम्बन्धी दिवयों मे अधिक रुचि ली। इसने विभागीय पदोन्नति समिनियों म भी अपने मदस्य के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया।

हिनीय विज्ञ यूद भारत होने पर सरकार द्वारा मन्त्रालयों के हृष, कार्य एवं मरम्भना का पुनर्गठन करने के लिए उपराय मुझाने हेतु गर रिचार्ड टीटेन्हम को नियुक्त किया गया। इन्होंने 1944 मे प्रस्तुत अपने प्रविवेदन मे यह मिफानिं भी कि सरकार अपने नवालीन विभागीय नीति निर्माता एवं कर एवं विभिन्न करने वाले गवान्व से स्वस्य की दोड बर कल्याणकारी राज्य एवं सौविधानिक सरकार वी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को पुनर्गठित कर से। उसने आयोग के कार्य बढ़ाने का भी भवित्व किया।

**सधीय लोक सेवा आयोग, 1950 (Union Public Service Commission) —** जननवन्ना ग्राहित (1947) से जना मंत्रिवाद की स्थापना (1950) तर त्रिटिंग कालीन मधीय लोक मेंदा आयोग (FPSC) कार्य उरता रहा। भारतीय नागरिक सेवा (ICS) का स्थान मार्गीय प्रशासनिक सेवा ने यहां बर निया तथा मवीन भारतीय विदेश सेवा (IFS) की स्थापना की गई। इस वाले दे प्रायोग को यह विभाग की अपेक्षा गवानेर जनरल मे मनन कर दिया गया। इसकी बैठके प्रति सप्नाह होनी रही लिन्नु इसने प्रत्याखियों की आयु एवं योग्यता जैसे साधारण विषयों पर ही विचार किया। 26 जनवरी 1950 हो अपनाए गए नए मंत्रिवाद के अनुसार गठित मधीय नोड सेवा आयोग ने इस पूर्ववर्ती आयोग का स्थान प्रहला किया। नया लोक सेवा आयोग मण्डन एवं शक्तियों की दृष्टि से कलिपय नवीनताएँ रखता है। इसके मदस्यों की योग्यताएँ तथा कार्यकार गवानेर जनरल की स्वेच्छा पर छोड़ने की अपेक्षा मंत्रिवाद द्वारा ही निर्धारित बर दिए गए हैं। भारतीय मंत्रिवाद की घारा 16 के द्वारा स्थापित कुम्ही प्रतियोगिता के सिद्धान्त ने मधीय लोक सेवा का भृत्य प्रतेकाइन बढ़ा दिया है। मंत्रिवाद नियमिताओं ने न्यायशानिका एवं नियन्त्रक तथा महालेसा परीक्षा वी भाँति ही इसे

भी प्रजातन्त्र का प्राधार स्वस्थ माना है। यही कारण है कि लोक सेवायों में योगशता दे मिलान्त के बनाए रखने के लिए इसकी स्वतन्त्रता एवं विप्रकाशना के लिए मुख्यार्थ स्थापित की गई है। प्रायोग के मध्यापनि तथा सदस्यों का वार्षिकाल एवं जाते विविच्छिन्न हैं तथा उनके कार्यकाल में वे बदली नहीं जा सकती। इन्हें अपने वार्षिकाल के बाद विसी भी सरकारी रोजगार के लिए प्रध्योग्य माना गया है।

स्वतन्त्र भारत में सेवीवर्ग प्रशासन के प्रबन्ध का दायित्व तीन के बच्चों पर ढाना गया है—मध्यीय लोक सेवा आयोग, गृह मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय। सेवीवर्ग प्रशासन की किसी भी कमज़ोरी ग्रथवा दोष का दायित्व इन तीनों पर ही वरावर-वरावर आता है। लोक मेवा आयोग के समठन, वार्ष एवं क्षेत्राधिकार का बरांन अधिक विस्तार के माध्य हम यथा स्थान यागे रहेंगे।

### स्वतन्त्र भारत में लोक-भेदवाएं

स्वतन्त्रता के बाद आई मी एम को आई ए एम के नाम से रूपान्नरिण कर दिया गया। मिनम्बर, 1946 म आई मी एम के लिए जिन 53 प्रत्याशियों का चयन किया गया था उन्हें नई दिल्ली सिंह आई ए एम. के प्रशिक्षण स्कूल में एवं वर्षे का प्रशिक्षण दिया गया। उच्चतर सेवायों की मौग बढ़ने पर महटकालीन भवित्वी चीज़ गई। मन्त्रिमण्डलीय निर्गम्य के आधार पर 1948 में विशेष भर्ती बोर्ड स्थापित किया गया। इस बोर्ड ने तन्कालीन लोक सेवा आयोग (FPSC) के एवं एजेंट के रूप में वार्ष किया। आई ए एम तथा आई पी एम के लिए परोन्नति एवं मीधी भर्ती दोनों ही तरीकों से नियुक्तियाँ होने लगी। जब देशी रियासतों का भारत मध्य में विनाश हो गया तो उनके लिए भी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था की जाने लगी। नए सविधान के नामू होने पर सधीय एवं राज्य स्तरों पर लोक सेवा आयोग गठित किए गए।<sup>1</sup>

भारतीय लोक-सेवायों नथा सेवीवर्ग प्रशासन के समठन और वार्षों की दृष्टि से समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा प्रध्ययन किए गए हैं। 1951 से योजना आयोग के प्रत्युरोध पर ए डी योरवाला ने भारतीय प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का प्रध्ययन किया जिनमें सेवीवर्ग प्रशासन भी शामिल था। 1953 तथा 1956 म पाल एवं एपनवी ने भारतीय लोक-प्रशासन पर सधीय मन्त्रिमण्डल को प्रवन्ने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। एपनवी ने सरकारी समस्याओं के मध्यन्थ म निरन्तर गोप बरत भी सिफारिश भी दी। तदनुसार 1954 मे भारतीय लोक प्रशासन सम्बन्ध की स्थापना भी गई। इन वर्षों म सरकारी वार्षों का विस्तार तीव्र गति से हुआ तथा माध्य ही सरकारी क्षेत्राधिकारों की संख्या में भी बढ़ि हुई। बेवस केन्द्रीय सरकार के कमेंटारी ही 1948 से 1952 तक 14 45 लाख से 20 51 लाख हो गए अर्थात् 48% बढ़ गए। लोक-भेदवायों के वार्षों में होने वाली अधिप्रवित्ति भी जो रोज़ने के लिए 1956 मे गृह मन्त्रालय ने एक प्रशासनिक नवरूप सम्मानी की

<sup>1</sup> भारतीय कविता, भाग IV, शास्त्र 315-323 तर।

स्थापना की। इसी दृष्टि के न्दीय तथा अधिक मारकीय सेवाओं के बेनन स्तर एवं सेवा की शिलों की पुनरीक्षा के लिए एक बेतन आयोग की नियुक्ति की गई। इस बेतन आयोग ने 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।<sup>1</sup> लोक-सेवाओं में प्रशिक्षण वी रुट्ट में पौचवें दशक में नेशनल एकेडेमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा विशेषीकृत प्रशिक्षण अभिकरण स्थापित किए गए। राज्यों में भी इसी प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापन की गईं। इन्हें दशक में मध्यीय ऐह मन्त्रालय में एक प्रशिक्षण सम्बाग की स्थापना हुई ताकि यह देश में लोक-सेवाओं के प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकताओं एवं गतिविधियों का मूल्यांकन तथा समन्वय कर सके।<sup>2</sup> 1966 में लोक-सेवाओं के सगठन तथा कार्य प्रक्रिया में वांछनीय सुधार सुझाने की दृष्टि से एक प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने सेवीवर्ग प्रशासन के सम्बन्ध में विरतार में सपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

**सेवीवर्ग विभाग, 1970 (The Department of Personnel)**—1970 से पूर्व सेवीवर्ग प्रशासन का दायित्व सधीय लोक-सेवा आयोग, ऐह मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय तथा मन्त्रिमण्डलीय नियंत्रित के बीच चंदा हुआ था। इस प्रकार सेवीवर्ग प्रशासन का प्रबन्ध करने वाले अभिकरणों की बहुलता थी।<sup>3</sup> इस सम्बन्ध में तृतीय लोकसभा की प्राककलन मिर्जान ने अपने 93वें प्रतिवेदन (1966) में यह सुनाव दिया कि लोक-कल्याणकारी राज्य में स्वाभाविक रूप से बढ़ती हुई लोक-सेवाओं पर नियन्त्रण के लिए एक वन्दीय अभिकरण होना आवश्यक है। इस स्थिति का अध्ययन प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन द्वारा 1968 में किया गया। आयोग ने प्राककलन समिति की राय को स्वीकारते हुए यह मत प्रकट किया कि एक प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए एक वन्दीय अभिकरण होना आवश्यक है। इसके मुख्य कार्य हैं—(1) वन्दीय तथा अधिक मारकीय सेवाओं के लिए मामान्य सभी

प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन स्वीकार करने हुए भारत सरकार ने 27 जून, 1970 को केविनेट सचिवालय में सेवीवर्ग विभाग की स्थापना की। अगलत, 1972 को प्रमाणित एक अन्य अधिकूलना द्वारा मेवीवर्ग विभाग को वे सभी कार्य सौप दिए गए जिनकी प्रकारिण प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। इसके मुख्य कार्य हैं—(1) वन्दीय तथा अधिक मारकीय सेवाओं के लिए मामान्य सभी

1 India, Ministry of Finance, Commission of Enquiry on emoluments and conditions of service of Central Government Employees, 1957-59, Report, New Delhi, 1959, p 640.

2 India, Ministry of Home Affairs, Annual Report, New Delhi, p 68-69.

3 "There was therefore, a multiplicity of agencies performing the personnel management functions" —R B Jain, op cit, p 58.

4 Administrative Reforms Commission, Report on the Machinery of the Govt of India and its Procedures of Work, New Delhi, 1968, p 70.

मामलो पर सेवीवर्ग सम्बन्धी नीति वी रखना करना तथा उनकी कार्यान्वयिता का निरीक्षण एवं पुनरीधारा करना। (ii) प्रतिभाषों की खोज बरिष्ठ प्रबन्ध के लिए सेवीवर्ग का दिकाम तथा बरिष्ठ पदों पर नियुक्ति वी कार्यवाही। (iii) मानव-शक्ति नियोजन, प्रशिक्षण एवं आजीवन सेवा वा विकास। (iv) सेवीवर्ग प्रशासन में विदेशी सहयोग कार्यक्रम। (v) सेवीवर्ग प्रशासन में गोपनीय। (vi) कर्मचारी-वर्ग में अनुशासन तथा उनका कल्याण तथा कर्मचारियों की परिवेदनाओं के निवारण हेतु उपयुक्त घन्त वी व्यवस्था करना। (vii) मधीय लोक-सेवा आयोग, राज्य सरकारों, व्यावसायिक सम्प्रयोग इत्यादि के बीच बड़ी का कार्य वरना। (viii) स्थापना मण्डल के परामर्श एवं सहयोग से केन्द्रीय मंचिवालय में मध्यस्तरीय पदों पर नियुक्तियाँ वरना आदि।

वर्तमान में सेवीवर्ग विभाग यह मन्त्रालय से स्वतन्त्र एक अलग ही इकाई है। मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय में स्थित यह प्रधान मन्त्री के अधीन रहकर कार्य करता है। प्रधान मन्त्री वी सहायता सेवीवर्ग विभाग में राज्य मन्त्री द्वारा वी जाती है। इस विभाग में छ उच्च (Wings) हैं।<sup>1</sup> ये सभी उच्च सेवीवर्ग प्रशासन सम्बन्धी जो विभिन्न कार्य सम्पादित करते हैं वे मूल रूप से पहले यह मन्त्रालय द्वारा सम्पन्न विए जाते थे।

सेवीवर्ग प्रशासन पर परामर्शदाता परिषद् (Advisory Council on Personnel Administration)—सेवीवर्ग विभाग अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाह समुचित रूप से बर महे इस हेतु यह आवश्यक समझा गया कि इसे मेवीवर्गीय प्रवृत्ति सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर परामर्श देने के लिए कोई स्थाई सम्पादित नीति चाहिए। यह सम्पादा सोचने-विचारने वाले लोगों के व्यावसायिक समूह के हृषि में होनी चाहिए ताकि सेवीवर्ग प्रशासन सम्बन्धी भावी नीतियों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अपनी विशेषजटापूर्ण राय प्रस्तुत कर सके। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में इसकी मिफारिश वी थी।<sup>2</sup> इस मिफारिश को ध्यान म रखते हुए यह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री वे अधीन सेवीवर्ग प्रशासन पर एक उच्चस्तरीय परामर्शदाती नीति 15 सितम्बर, 1972 वो स्थापित की गई। इस परिषद् का उद्देश्य तथा मुख्य कार्य सेवीवर्ग प्रशासन में नीति सम्बन्धी विषयों पर सरकार वो परामर्श देना है। इसके प्रतिरक्त सरकार द्वारा इसे प्रान्त वायं भी सौंदर्य जा सकता

1 Policy and Planning Wing Training Wing All India Service Wing, Establishment Wing Vigilance Wing, E O S Wing

2 A R. C recommended that—"An Advisory Council on Personnel Administration may be set up to act as a feeder line of new ideas and thinking on personnel administration. It should be composed of official and non official expert in different aspects of personnel management drawn from all over the country." —A R C Report on the Machinery of the Govt of India and its Procedure of Work New Delhi, 1968, p. 70

है। इसका बार्यंबाल दो बर्प है। सेवीवर्ग विभाग का सचिव इन परिषद का उपमभाषण होता है। परिषद म प्राई ए एस तथा आई पी एस से तीन-तीन सदस्य निए जाते हैं। प्रशासन नर्या प्रबन्ध मे विशेषज्ञ। एव वैज्ञानिकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लोक प्रशासन के मारतीय मस्थान (IIPA) का निदेशक भी इस परिषद का सदस्य होता है।

**विभिन्न विभागों एव मन्त्रालयों का योगदान (Contribution of Various Ministries and Departments)**—सेवीवर्ग सम्बन्धी सभी वर्गों को इसी भी एक केन्द्रीय सेवीवर्गीय विभाग के स्वर पर बेन्द्रित नही किया जा सकता। इसके निए विभिन्न मन्त्रालयों एव विभागों को भी बौद्धिनीय शक्तियां प्रदान करने का समर्वन किया जाता है ताकि वे विभिन्न सेवीवर्ग सम्बन्धी वर्ग सम्पन्न कर सकें। विभिन्न मन्त्रालयों को अधीनस्थ सेवाप्रो के सम्बन्ध म नियुक्ति, पदोन्नति, बेतन तथा भरता के बिल बनाने, कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने तथा सेवीवर्ग सम्बन्धी अन्य दिन-प्रतिदिन वे मामलों का निपटारा करने की शक्ति प्रदान करने की चेष्टा की गई है। इस हेतु वडे मन्त्रालयों म पृथक् से संस्थापना विभाग प्रयोग सेवा सेवीवर्ग अधिकारियों की व्यवस्था की जाती है।

**सोइसेवाप्रों का बत्तमान वर्गीकरण**—मारत मे लोकसेवापा वा वर्गीकरण मुश्यत उन नियमों के अन्तर्गत होता रहा है जो भूत रूप से 1930 मे बनाए गए थे और जिनका साथोधन समय-समय पर किया जाता रहा है। बत्तमान काल मे यह वर्गीकरण इस प्रकार है—

- 1 प्रखिल भारतीय सेवाएं (All India Services)
- 2 केन्द्रीय (सधीय) सेवाएं प्रथम श्रेणी (Class I)
- 3 केन्द्रीय (सधीय) सेवाएं, द्वितीय श्रेणी (Class II)
- 4 प्रान्तीय (राज्य) सेवाएं
- 5 विजिएट सेवाएं (Specialist Services)
- 6 केन्द्रीय सेवाएं, तृतीय श्रेणी
- 7 केन्द्रीय सेवाएं, चतुर्थ श्रेणी
- 8 केन्द्रीय सचिवालय सेवा (Central Secretariat Services)—प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रो चतुर्थ श्रेणी।

**मारतीय प्रशासन सेवा (I.A.S.), मारतीय सेवा मुनिस (I.P.S.), मारतीय विदेशसेवा (I.F.S.) मारतीय अर्थ सेवा/मारतीय सौदिशी सेवा (Indian Economic/Statistical Services) आदि अविल भारतीय सेवाएं हैं। मारतीय विविधान मे केन्द्रीय सूची की गात्री अनुगूची म अविल भारतीय सेवाप्रो का उल्लेख निया गया है तथा राज्य सभा को यह अधिकार दिया गया है कि अवश्यकतानुमार 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने यह नई अविल भारतीय सेवाप्रो की स्थापना बर ले।**

आपात्काल में लोकसेवाओं की प्रकृति—26 जून 1975 में मार्च, 1977 तक चरने वाले आन्तरिक आपात्काल में भारत में राष्ट्रीय जीवन के अन्य पहलुओं की भाँति लोकसेवाओं के मगठन, कार्य एवं प्रकृति पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ा। देश में सम्मानित अराजकता एवं उपद्रवों की रोकथाम के लिए लोकसेवाओं को ध्यानमंडल बना गया। इस कानून में अनुशासन, ईमानदारी शुद्धिकरण, कार्यकुशलता आदि के नाम पर लोकसेवाओं की सरचना, कार्यप्रणाली, व्यवहार तथा सेवा की शर्तों में उन्नेशनीय परिवर्तन किए गए। सेवाओं में अनुशासन की स्थापना के लिए हड्डतानों, बद्दों तथा प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई। समय पर कार्यान्वय आने तथा निर्धारित समय पर कार्यालय छोड़ने पर जोर दिया गया। इसके लिए विभिन्न राज्यों में मुख्य सचिवों ने सचिवालय तथा अन्य वायलिंगों का अवानक निरीक्षण किया तथा समय की पावनी न बरनने वाले कर्मचारियों को दण्ड दिया गया। कार्य के शीघ्र निपटारे के लिए सभी स्तरों पर फाइल को रोकने का अधिकातम समय निर्धारित कर दिया गया तथा पूरे परिश्रम और समय में काम करके इम सीपा में फाइल निकालने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के समय जिन कर्मचारियों के पास पुराना काम का हुआ पाया गया उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। पदोन्नति की दृष्टि से वरिष्ठता मिट्टान की अपेक्षा योग्यता मिट्टान्त को महत्व दिया गया तथा इस प्रकार वरिष्ठता मूल्यों में आने वाले पुराने कर्मचारियों को पीछे छोड़ने कर मुक्त तथा कम अनुभवी कर्मचारियों को पढ़ोनन किया गया।

आपात्काल में लोकसेवाओं की सरचना एवं कार्यों की दृष्टि से भी जाने वाली कार्यवाहियाँ ऊपरी तौर पर अनुशासन, कार्यकुशलता एवं प्रतिवद्धता के आधार पर श्रीचिन्तपूरण ठहराई जाती हैं जिन्हुंने पर्यवेक्षकों तथा मुक्तभोगियों की मान्यता इसके विरोत है। उनका बहुना है कि इन सभी कार्यवाहियों के पीछे राजनीतिक लक्ष्य बायं कर रहे थे।

विभिन्न निर्णयों के कारण आपात्काल में सभी दगों के असन्तोष में तृप्ति हुई। तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमनी इन्दिरा गांधी सम्मवन बहुत कुछ 'अधिकार' में रही और अनेक बातों का उन्हीं पना नहीं चला। जनना का असन्तोष 23 मार्च 1977 को छठे लोकसभाई चुनावों के परिणामों में कांग्रेस की अप्रत्याशित पराजय के स्थान में प्रतिष्ठित हुआ। इन चुनावों में कांग्रेस के खोटी के नेता और मन्त्री स्तर के प्रत्याशी साधारण स्तरीय विरोधी उम्मीदवारों में पराजित हो गए। इन्हीं नक्कि कि देश के राजनीतिक इनिहाम में पहली बार प्रधान मन्त्री को भी पराजित होना पड़ा। आपात्काल में लोकसेवकों की असमिना के गिरावंत का दुरुपयोग किया गया। जनना गांटी के शासन के दौरान वद्यपि आपात्कालीन ज्ञानियों वा समाज कर्त्ता वा, अधिकारी, शाय, नेतृत्व, एवं लोकसेवकों की दृष्टि में, निवार नहीं हुआ। आपसी फूट के कारण जनना सरकार का पन्न हो गया और मारावधि चुनावों में विजयी होकर श्रीमनी इन्दिरा गांधी जनवरी, 1980 में पुनः

मनाल्प हुई। अपने पुनर्जीविन शासनकाल में वे लोक सेवा को रचनात्मक दिशा दान वी प्रयत्नशील रही और देश सेवा करते हुए 31 अक्टूबर, 1984 को हत्यारों की गोत्रियों से शहीद हो गई। श्री राजीव गांधी ने उसी दिन नए प्रधान मन्त्री के रूप में अपने पद की शपथ ली।

### वर्तमान भारतीय लोक सेवा का स्वल्प और विशेषताएं (Nature and Salient Features of Present day Indian Civil Service)

भारतीय सर्विक आयोग ने (जिसे साइमन आयोग भी कहा जाता है, वहींकि आयोग के सभापति का नाम साइमन था) 1930 में भारतीय सर्विकारिक सुधारों सम्बन्धी अपने प्रनिवेदन में कहा था—“प्रशासन ही मरकार है।” यह बात अन्य किसी भी देश की तुलना में भारत के निए अधिक सही है। भारतीय लोक सेवा के महत्व प्रोटर उम्मी विशेषता पर आयोग की टीका थी—

“दोटे-दोट धनहीन काशनकारो, डिन्हे मगठन का कोई अनुभव नहीं है” के देश में निजी क्षेत्र नवीन तथा महत्वपूर्ण प्रयोग हाथ में नहीं ले सकता। ऐसे समाज के लिए पश्चिमी प्रशासकीय अनुभव एवं ध्यावहारिक विज्ञान की उपयोगिता मुख्य बनाना केवल एक अभिकरण के लिए सम्भव है, वह है शासन। अन्य किसी के पास न तो धारपक्षक ज्ञान ही है और न धारपक्ष साधन ही। इस प्रकार भारत की नोक सेवा ने, जो धारम में राजस्व एवं विनाशक वर्तने वाले अभिकरण से अधिक नहीं थी, वहीं शारे अपने ऊपर क्षतियों का एक बहुत बड़ा भार बहुन कर निया है। जैसे-जैसे व्यायों में विशिष्टता खानी गई है, वही नई सेवाधारों की रचना करनी पड़ी है……… भारत में ऐसे बहुत से वार्ष सरकार द्वारा विए जाने की जनता आशा करती है जिन्हें पश्चिमी देशों द्वारा दिया जाना है।<sup>1</sup>

प्रनिवेदन की इस टीका से भारतीय लोक सेवा की मूल प्रकृति और प्रदोषता का सेवत मिलता है। प्रनिवेदन के बाद के दशकों में—विशेषकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त—प्रशासकीय कार्यों में अनि तीव्र गति से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य और समनावादी समाज की स्थापना के लिए कठिन है अब: स्वाभाविक है कि प्रशासनकाल नए और बड़ने हुए उत्तरदायित्वों को बहुत फरे तथा स्वयं को जनता का मैदान कर अपने कर्तव्यों को निभेए। भारत एक सधात्मक राज्य है जिसमें प्रशासनकाल केन्द्रीय, राज्यीय और स्थानीय स्तर पर विभाजित है तथा प्रशासनकाल के नियमों को अन्य देशों के नियमों से जुड़ी रहे। एक धर्मयन के प्रनुसार कुछ समय पूर्व भारतीय लोक सेवा में लगभग 21.5 लाख कर्मचारी थे।

भारतीय लोक सेवा के विभिन्न वर्गों के विवेचन से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रस्तुत करें जो इसकी प्रकृति को स्पष्ट करती हैं—

1. धर्मयन एवं सहायता के उपर्युक्त : वही, पृष्ठ 437-88.

(1) भारतीय सोक सेवा 'राजनीतिक सरकार' (Political Patronage)

अथवा 'स्पौल-सोइट प्रणाली' (Spoil System) के द्वायों से मुक्त है। इम प्रकार यह पदोन्नति की लोक सेवा में कहीं अधिक अधिक स्थिति न है। भारतीय लोक सेवा में भर्ती योग्यता (Merit) के आधार पर वी जानी है। योग्यता की जाँच सुनी प्रतियोगिता (Open Competition) द्वारा होती है तिसी घटवस्था के लिए एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा अद्वैतिक (Quasi judicial) लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया है।

(2) उच्च लोक सेवा में भर्ती वी पायु 21 से 24 वर्ष है। कला अथवा विज्ञान अपवा वाणिज्य की विश्वविद्यालयीय डिप्लो को उच्च लोक सेवा में भर्ती के लिए एक आवश्यक योग्यता माना गया है। यह भी मावश्यक है कि उच्च लोक सेवा में उच्चीद्वारा अपने विचारों में परिपक्ष हो, बोडिक रिट से धनी हो और अच्छा सामान्य ज्ञान रखने हो। इन गुणों की जाँच के लिए लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करता है। परीक्षा की दोनों प्रकार की घटवस्थाएँ हैं— निवित परीक्षा घटवस्था एवं साधात्कार घटवस्था। निवित परीक्षा का उद्देश्य होता है—प्रत्याजितों की विचार शक्ति, नियंत्रणशक्ति, अद्वैत घटवस्था शक्ति और सामान्य ज्ञान की जाँच करना। साधात्कार घटवस्था का उद्देश्य होता है—प्रत्याजितों के वैयक्तिक गुणों की जाँच करना जिनमें कुछ ऐसे मानसिक गुण भी महिनित हैं जिनमें जाँच निवित परीक्षा में बरता समझव नहीं होता।

(3) परीक्षायों के द्वारा लोक सेवा के लिए चुने गए स्नातकों को समूचित प्रशिक्षण दिए जाने की घटवस्था है।

(4) पदोन्नति के न्यायोचित भवसरो, शोकरी की सुरक्षा और अच्छे वेतन वी घटवस्था वर्ते लोक सेवकों के मनोबल (Morale) और उनकी कार्यक्षमता के स्तर को जैवा वताएँ रखने के प्रति जागरूकता वरती गई है।

(5) भारतीय लोक सेवा ने 'बहुदेशीय स्वरूप' प्रहरण किए हैं। यह 'सामान्य-वादी प्रशासनको' की जनक है अर्थात् इसमें प्रशासनक समय-ममता पर एसे पद पहला करने वाले शक्ति होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कर्तव्य और कार्य घन्तिहित हैं। उदाहरणार्थः भारतीय लोक सेवा में आई ए. एस (भारतीय प्रशासनिक मंत्रा) एवं प्रकार की बहुप्रदीप सेवा है जिसमें अधिकारी प्रशासन की किसी भी शाखा में कोई भी पद सम्मान सकते हैं। निम्न स्तरों पर भी घब गामान्यन यह प्रतृति बल पकड़ने लगती है ति बमंचारी विभाग की विभिन्न शाखायों में वापर करने सम्मूल विभाग की कार्य-प्रणाली का सामान्य ज्ञान घटवस्थ ही प्राप्त कर ले।

(6) केन्द्रीय और राज्यीय सोक सेवायों में अधिकारियों का एर चतुर्वर्गीय विभाजन मिलता है जिसे 'फॉर्म, सेक्शन, अड और कोर्ट वलाम एन्ड एन्ड' कहा जाता है। प्रयोग अंगी की प्रत्येक सेवा में सम्बन्धित औ नियुक्त एवं उत्तरियम बनाए गए हैं वे संविस्तार यह बनाते हैं ति अमुक वर्ग के अधिकारी का कुछ वर सकते हैं और वे दूसरी धैली घटवा प्राप्त वर्गीय अधिकारियों से विस प्रकार भिन्न हैं।

अधिक भारतवर्यों मेवाप्रो के मदस्य केवल 'राजपत्रित अधिकारी' होते हैं जिसमें अभियाय यह है कि इन मेवाप्रो के मदस्य प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में उत्तरदायित्व के पदों पर ही कार्य करें। भारत में इस नमय चार प्रक्रिया मारतीड़ मेवाएं, दस बेन्दीय 'बनाम I' मेवाएं (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर) तथा प्रनेक प्रकार की प्रान्तीय लोक सेवाएं हैं।

(7) लोक सेवाप्रो के पद प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों ही पद्धतियों द्वारा भरे जाते हैं। भर्ती के मम्बन्ध में योग्यता का मिद्दान्त (Merit Principle) भारत में 1853 से ही चला आ रहा है।

(8) अन्य मध्यस्थ मविधानों की भीति भारतीय सरिधान के अन्तर्गत भी ऐन्डीय सरकार और इंडिया राज्यों के प्रशासन के निए अपनी पृथक् लोक सेवाएं हैं, ग्राम प्रतिरक्षा, आयकर, सीमा शुल्क, डाक तथा तार, रेलवे इत्यादि सधीय विषयों के प्रशासन का कार्य करती है। भर्तीय मेवाप्रो के पश्चात्कारी पृथक् स्व सधीय गवर्नर के कर्मचारी होते हैं। इसी प्रकार राज्यों की अपनी पृथक् तथा स्वतन्त्र सेवाएं हैं जो भू राजस्व, कृषि, वन, जिला, स्वास्थ्य इत्यादि राज्य सम्बन्धी विषयों का प्रशासन करती हैं। गण्य सेवाप्रो के अधिकारी एवं कर्मचारी पृथक् हृष से विभिन्न राज्य सरकारों की सेवा में कार्य करते हैं। भारतीय प्रशासनीय प्रशासनीय की एक अन्य विशेषता यह है कि वृद्ध सेवाएं भूत तथा राज्य दोनों के लिए सामान्य रूप में गठित की गई हैं, जैसे कि अधिल भारतीय सेवाएं। इस प्रकार का सेवीर्ग सगठन बदाचित् पाकिस्तान वो छोड़कर अन्यत्र कही नहीं है। ये अधिकारी पूर्णत ऐन्डीय अथवा राज्यों की सेवा में नहीं होते अपिनु दोनों में से किसी एक के अन्तर्गत विभिन्न समयों पर कार्य करते हैं। इन सेवाप्रो की भर्ती समान अहनाप्रो तथा वेतनमान और अतिल भारतीय आधार पर ही की जाती है। यद्यपि राज्यों में उनको विभाजित किया जाता है लेकिन हर सेवा में एक सेवा होनी है। इनकी एवं समान प्रतिष्ठा होनी है और अधिकार तथा पारिथिक रूप भी एक समान होना है।

(9) भारत की सधीय नवा राजकीय लोक सेवाप्रो के सगठनों में सेवाप्रो के अन्दर तथा सेवाप्रो में आपस में प्रत्येक स्तर पर भारी असमानताएं हैं जिन्हें दिग्मनाएं भी कहा जा सकता है। प्रशासनीय मुद्धार आयोग द्वारा नियुक्त एवं अध्ययन दल ने निखा है कि "वेन्द्र और राज्यों में एक में तथा तुमनात्मन दल में समान कार्यों और उत्तरदायित्वों को बहुत करने वाले पदों के वेतनमानों में इस तीमा तक अन्तर एवं असमानता देखने को मिलती है कि उसे प्रशासन में एक चिन्मा का विषय कहा जा सकता है। इसी प्रकार अन्य-अलग राज्यों में एक ही तथा एक में कार्य करने वाले पदाधिकारियों की वेतन-शृंखलाप्रो का वैपक्ष निश्चय ही अनुचित लगता है।" तीन प्रकार की सेवाएं व्यवहार में ऐसी लगती हैं मानो उनमें आपस में कोई पदसम्पाद हो और आई ए. एम. सामाजिक सेवा का वर्चस्व ऐसी हिति उत्पन्न करता है जैसे ऐन्डीय और राजकीय लोक सेवाएं इस सेवा के अधीक्ष सेवाएं हो, यद्यपि वायों की दृष्टि में ऐसा सम्बन्ध सचमुक्त हो पह भावश्यक नहीं है।

प्रविन सारलीय सेवाओं की अपनी खेणीमें ही आई ए एम. की स्थिति आई थी एम. तथा इण्डियन फॉरेस्ट सेविंग की तुलना में तबा राजकीय सेवाओं में डॉक्टरों, दृष्टीनियगों और कृषि वैज्ञानिकों की तुलना में तबा राजकीय सेवाओं में अर्डिटसं एंड ब्राउडेंस अववा एम्प्लायमेंट आपीमर्म आदि की तुलना में इनकी प्रधिक गतिशाली एवं केन्द्रीय है कि गेर आई ए एम. सेवाओं के साथ समानता मिहान्त के अनुमार न्याय नहीं हो सका है।<sup>1</sup>

स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक दिनों में नवीन प्रशासनीय दौवे म प्रधिकारियों के विचार कुछ अनीवोलीव थे, उन्ह ग्रामन के नवीन राजनीतिक तत्व—मन्त्रियों—के माध्यम सद्मावना और महोग से बाम बरन म बठिनाई अनुभव होनी थी। उच्च पदामीन आई ए एम प्रधिकारी यह सोचते थे कि सरकार उन्हीं की इच्छानुसार चलनी चाहिए। मन्त्रियों वी तो बात ही अलग है स्वयं प्रधान मन्त्री का इन प्रधिकारियों को नियन्त्रण म रखन और अपनी नीतियों को उनसे क्रियान्वित कराने में बढ़िनाई का सामना बरना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे प्रशासनीय प्रधिकारियों वा यह रवंया बदलना गया, प्रशासन वा लोकनवीबरण होना गया और आज प्रधिकारी द्वारा 'लोक सेवर' बनने जा रहे हैं। प्रशासनीय प्रधिकारियों के कर्तव्यों और वापों में इन प्रकार के परिवर्तन लाए गए हैं कि बनना और उनक बाब की दूरी निरन्तर कम होनी जाए।

### ब्रिटेन में लोक सेवाओं का विकास एवं महत्व

(Development & Importance of Civil Services in Britain)

इसी भी देश की सासन अधिकारीय की अफलना अधिकारा विकास उसके लोक सेवकों के ऊपर नियंत्र करती है वयोंकि देश का वास्तविक प्रशासन इन लोक सेवकों वे ही हाथ में होना है। मन्त्रिगण तो बेवल नीति-निधारण मात्र ही बरते हैं, उस नीति का क्रियान्वयन इन लोक सेवकों के द्वारा ही किया जाता है। यदि ये वर्षावारी योग्य और कुशल होते हैं तो प्रशासन अच्छा होता है अन्यथा प्रशासन अच्छा नहीं होना। ब्रिटेन में लोक सेवाओं वा सेवकों अत्यन्त उच्च कोटि का है और स्थायी वर्षावारी बड़े योग्य, प्रतिमात्राली और निष्ठावान हैं। प्रशासनको वा वास्तविक वार्षिक लोक सेवक (Civil Servants) ही बहुत बरते हैं। लोक सेवकों वा विभाग समूह ही अपूर्ण देश में सासद द्वारा पारित विधियों वी लागू बरना है और प्रशासन विभाग को सामान्य नीति को क्रियान्वित करना है। देश के प्रशासन के क्रियमें सोकु सेवा का इनका महत्व है कि इस सम्बन्ध में जोसफ चेम्बरलन (Joseph Chamberlain) न यही नह बहा है कि "प्राप लोग (धर्मानुष सेवा के सदस्यताल) हमारे (धर्मानुष मन्त्रमण्डल के) बिना बाम चला सरने हैं, इस सम्बन्ध में भरा सन्देह पकड़ा नहीं पर हम (धर्मानुष मन्त्रिगण)

<sup>1</sup> अमृत शर्मा : भारतीय सोकु सेवा अन्तर्ना को विवरणियों, १३-२२ (यग्मान्त्र होमा, तुनाई, 1975)।

आपके (द्वारा लोक सेवा के सदस्यों के) बिना काम नहीं चला सकते, यह मेरा पक्षा विश्वास है।"

लोक सेवा का सदस्य अथवा लोक सेवक (Civil Servant) इग्लैण्ड में राजमुकुट (Crown) का कर्मचारी होता है जिसका पद न तो न्यायिक ही होता है और न राजनीतिक ही। उसको राजबोध से ब्रिटेन प्राप्त होता है। राज्य के पूर्वोक्त सभी अन्य प्रशासन विभागों के सभी स्थायी कर्मचारी लोक सेवा (Civil Service) के सदस्य होते हैं।

लोक सेवा के सदस्यों को सदस्य का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। 1937 से यह बात भी निश्चित हो गई है कि उनके राजनीतिक विचार उनके व्यक्तिगत मामले हैं और वे चाहे जैसे राजनीतिक विचार रख सकते हैं, वशतें विः उनके वे विचार उनके कार्यों पर विपरीत प्रभाव ढालने वाले अथवा राज्य के लिए मकान पंदा करने वाले न हों। लोक सेवा के सदस्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किभी भी सरकारी रहस्य अथवा सूचना का दुरुपयोग नहीं कर सकते। यद्यपि लोक सेवक धैर्यानिक रूप से राजमुकुट के सेवक होते हैं, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें अपने विभागीय मन्त्री के अधीन रहना पड़ता है। वे मन्त्रियों को नीति निर्माण में परामर्श देते हैं और उनके निर्णयों की कार्यान्वयन करने में सहायक होते हैं।

लोक सेवा की शर्तें भी अच्छी हैं। यदि लोक सेवक ईमानदारी और कुशलता से अपना कार्य करते हैं तो उनकी पदोन्नति भी होती रहती और 60 वर्ष की आयु तक काम करने के बाद उन्हें पेंशन मिल जाती है। लोक सेवक अपना मण्ड (Civil Service Association) भी बना सकते हैं, वशतें कि इन मण्डों का कोई राजनीतिक उद्देश्य या सम्बन्ध न हो।

समय-समय पर मन्त्रिगण बदल जाते हैं पर लोक सेवक स्थाई रूप से बने रहते हैं। ब्रिटेन में सरकार के परिवर्तन के कारण लोक सेवा के लोगों में परिवर्तन नहीं होता। वे स्थाई रूप से सभी सरकारों के अन्तर्यान कार्य करते रहते हैं।

लोक सेवा की सदस्यता के लिए निम्नसिद्धित योग्यताओं का होना आवश्यक है—

- (1) उच्चीद्वारा ब्रिटेन का जन्मजात नागरिक हो और उसका पिता भी ब्रिटेन का जन्म से नागरिक हो।
- (2) उसकी आयु लोक सेवा के लिए निर्धारित आयु-मीमा के भीतर आती हो।
- (3) उसने कोई शारीरिक विरुद्धता न हो जो उसके कार्य में बाधा डाले।
- (4) उसने सम्बन्धित परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित शिक्षा प्राप्त की हो।

### ब्रिटेन में लोक सेवाओं का विकास

प्रेट ब्रिटेन में लोक सेवों का धार्षुनिक रूप विश्व 100 वर्षों के त्रिमिक कास का परिणाम है। केन्द्रीकृत प्रशासन के प्रारम्भिक युग में मन्त्रि, लचित

तथा राजा के वरामशंदना अपने बर्मचारी-वर्ग की भर्ती एवं नियुक्ति स्वेच्छा में कर सेते थे और उनके हटने के साथ ही बर्मचारीगण भी हट जाते थे। 16वीं शताब्दी में लोक सेवाधो में कुछ स्थायित्व आना प्रारम्भ हुआ किन्तु यमी भी एवं हृष्णना का प्रभाव था। 18वीं शताब्दी के अन्त में स्थिति यह थी कि अनेक विभाग बने हुए थे, इनमें से अधिकारीग काफी घोटे-घोटे थे तथा मध्ये पूर्वक इकाइयों के रूप में संगठित थे और इनका प्रबन्ध अनेक प्रकार से होयित था।<sup>1</sup> 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुख्य मिनिष्टरी के मध्ये तक विभागीय बर्मचारीयों में कुछ एकलूपता एवं कार्यकुशलता आने लगी। पुरानी धरवस्था की धनेश दुराइयाँ धीरे-धीरे मिटने लगी। सामान्य मान्यता के अनुमार आधुनिक विटिंग लोक सेवा का प्रारम्भ 1853 से हुआ है।<sup>2</sup>

ये विटिंग में एक शताब्दी पूर्व तक अनुग्रह धरवस्था का व्यापक प्रभाव था।

उच्च पदों पर नियुक्ति के मध्ये प्रधानाधो की व्यावसायिक योग्यता न देखकर उसका ध्यक्तिगत प्रभाव, सम्बन्ध, परिचय, मध्यवंक आदि देखे जाने थे। यही कारण है कि 18वीं तबा 19वीं शताब्दी की विटिंग लोक सेवा कुलीननन्त व 'Outdoor Relief System' के नाम से जानी जाती है। लोक सेवा में अनुग्रह का प्रभाव तो वा इन्हीं रोटेशन (Rotation) की धरवस्था नहीं थी। एक बार नियुक्त होने के बाद व्यक्ति अपने पद पर बना ही रहता था जब तक कि मृत्यु अथवा स्वेच्छापूर्ण त्यागपत्र के बारण वह पद त्याग न कर। कानिधि तथा एडमण्ड वक़ी आदि विचारकों ने अनुग्रह धरवस्था की आलोचना की तथा लोक सेवा में सुधार पर जोर दिया। सुधारों का श्रीगणेश भारत भेजे जाने वाले प्रशासनों की नियुक्ति से किया गया। 1853 में जब बम्बनी वा चाटर समद वे सम्मुख नवीनीकरण के लिए आया तो इसमें भारतीय लोक सेवाधों वे लिए प्रतियोगी परीक्षाधों का प्रावधान था। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी लोक सेवा में सुधार आनंदोत्तम से जोर पकड़ा। सेवीर्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के अध्ययन हेतु अनेक समितियाँ तथा आयोग नियुक्त किए गए। इनकी बहानी ही विटिंग लोक सेवा के विकास की बहानी है।

(1) ट्रेवील्यान नार्थकोट प्रस्ताव (The Trevelyan Northcote Proposals)—19वीं शताब्दी के उनराझ में जिन तिदानों के आधार पर विटिंग लोक सेवा में सुधार एवं पुनर्गठन किया गया उनका आज भी महत्व है। इस काल की महत्वपूर्ण घटना 1853-54 में प्रकालिन स्थायी लोक सेवा के मण्ठन पर प्रनिवेदन (The Report on the Organisation of the Permanent Civil Service) है। यह सर चाल्मेंट्रे ट्रेवील्यान तथा सर स्टेफ़र्ड नार्थकोट

<sup>1</sup> Lord Bridges The Treasury, Chapter XI

<sup>2</sup> "the year 1853, which has as good a claim as any to be designated the birth date of the Modern Civil Service" —E M Gladden Civil Service of the United Kingdom 1855 1970, p 19

& "The British Civil Service in its present form dates from reform between 1855 and 1870" —Encyclopaedia Britannica, Vol. 5, 1972, p 847

द्वारा विभागीय जांचों को शुभला का परिणाम था। मुख्य सिफारिशों में थीं—  
 (i) एक उपयुक्त परीक्षा व्यवस्था द्वारा लोक सेवाप्रो में पर्याप्त वार्यकृशल कर्मचारी भेजे जाएं (ii) भभी लोक सेवकों के प्रशिक्षण द्वारा उनकी योग्यता बढ़ाई जाए तथा उच्चम वी प्रोत्साहित किया जाए। इसी योग्यता को उनकी पदोन्नति का आधार बनाया जाए। योग्यता प्राप्त कर्मचारी सेवा में थ्रेट पद पाने की आशा कर सकें, (iii) सेवा की विवरी हुई प्रकृति से उत्पन्न बुराइयों को रम किया जाए तथा सेवा में एकता के लक्ष्यों का धीरणेश दिया जाए। इस हेतु नियुक्तियाँ समान आधारी पर की जाएं, दूसरे विभागों में भी पदोन्नति के अवसर दिए जाएं तथा नीचे के स्तर पर ऐसे पद पर स्थापित किए जाएं जिनकी सेवाएं किसी भी कार्यालय में कभी भी उपलब्ध की जा सकें।

(2) लोक सेवा आयोग तथा 1914 तक के विकास (The Civil Service Commission and Developments upto 1914)—ट्रेवील्यान नार्थोट प्रमाणों वो स्वीकार करते हुए पहला महत्वपूर्ण सुधार 21 मई, 1851 के सपरियट आदेश द्वारा तीन महस्तीप लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के रूप से हुआ। इस समय तक विभागों के राजकीयिक प्रमुखों को यह नियोग करने का अधिकार था जिसे किसी खासी पद पर एक प्रत्याशी को मनोनीत करना चाहते थे अथवा कुछ प्रत्याशियों के बीच सीमित प्रतियोगिता चाहते थे। आयोग को कनिष्ठ पदों पर नियुक्त किए जाने वाले युवा प्रत्याशियों की योग्यता जांचने का कार्य सौंग गया। इस आधारन्दर यह अन्ते दस वर्षों में सीमित प्रतियोगिता की प्रभावशाली व्यवस्था स्थापित कर सका। 1870 के सपरियट आदेश द्वारा कुछ विभागों तथा पदों पर प्रतियोगी परीक्षाएं बाध्यकारी बना दी गईं। जब लोक सेवा आयोग सामान्य शिक्षा के प्रकार की खुली प्रतियोगिताएं प्रारम्भ कर सकता था तथा राजकोप के निर्देशन में अविल सेवा आधार पर स्टॉफ का स्तरीकरण कर सकता था। इसी आदेश द्वारा राजकोप को स्टॉफ नियन्त्रण की शक्तियाँ दी गईं। आयोग तथा विभागों द्वारा प्रत्येक परीक्षा के लिए आयु, ख्वास्य, चरित्र, ज्ञान एवं योग्यता के सम्बन्ध में बनाए जाने वाले नियमों को स्वीकार करने की शक्ति राजकोप को दी गई।

इस कान में लोक सेवा परीक्षाप्रो वी दृष्टि से लोक सेवाप्रो को दो भागों में विभाजित किया गया—Class I तथा Class II, इनमें प्रथम वर्ग में अपेक्षाकृत उच्चनर तथा थ्रेटर कर्मचारी थे। इसके सदस्य सेवा की बोडिक मार्ग को पूरा करते थे। दूसरे वर्ग में दिन-प्रतिदिन के नियमित कार्यों को सचालित करने वाले कर्मचारी थे। ये किसी भी विभाग में नियुक्त किए, जा सकते थे। ये प्रह्लाद विभागों ने सुरक्षा स्वीकार नहीं किए बरन् राजकोप तथा लोक सेवा आयोग ने इन पर नियन्त्र जोर दिया तथा समय-समय पर नियुक्त होने वाले आयोगों के मुकाबो

मेरे इनका गमर्थन किया गया।<sup>1</sup> जब समृद्ध ने प्रशासन को अनेक नए कार्य तथा दायित्व ग्राहे तो केन्द्रीय प्रशासन तत्र का विस्तार हुआ। 1914 तक प्रशासनीय-लिपिकीय क्षेत्र में सम्पूर्ण लोक सेवा के मामान्य वर्ग नागरिक सेवा सरचना के महत्वपूर्ण भाग बन गए। इनके साथ-साथ अनेक विभागीय वर्ग भी कायम रहे। कर्मचारियों के बेनन, कार्य के घटे, बीमारी घटकाश तथा दुष्टियों की स्फृति से एक स्वता वी स्थापना दी गई।

### (3) पुनर्गठन का काल (The Period of Reorganisation, 1920-39)-

1914 से 1918 के महायुद्ध में लोक सेवाधो के दायित्व भारी मात्रा में बढ़ गए। पलन लोक सेवकों द्वीप स्थान में पर्याप्त वृद्धि हो गई। इनमें से अनेक तो केवल युद्धकाल के लिए अस्थायी आघार पर ही नियुक्त किए गए थे। युद्ध के बाद लोक सेवा घटकर यथावत् हो गई किंतु परिवर्तित प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुकूल इसे बनाने वी आवश्यकता बनी रही। यह कार्य दो समितियों को सौंपा गया। राजकीय द्वारा 1917 में सर जॉन ब्रेडबरी (Sir John Bradbury) द्वीप स्थानादित भारतीय सम्बन्धी की अध्यक्षता में तथा 1918 में ग्लेडस्टन (Gladstone) की अध्यक्षता में ये समितियाँ नियुक्त की गई। लोक सेवा के विभिन्न वर्गों के संगठन पर विचार करने का कार्य राजकीय द्विटने परिवर्त द्वीप समिति को सौंपा गया जो पुनर्गठन समिति के नाम में जानी जाती है।

पुनर्गठन समिति द्वारा ग्रास्तादित सरचना इन मान्यता पर आधारित थी कि लोक सेवा के प्रशासनिक तथा विधिकीय कार्य दो थेगियों में बांटे जा सकते हैं—(व) नीति रखना सम्बन्धी कार्य तथा विद्यमान नियमो, नियंत्रण एवं व्यवहारों का परिवर्तन और सरकारी कार्य व्यापार का संगठन एवं निर्देशन, (ख) नवीन प्रकृति का प्रयोग विशुद्ध रूप में योग्यिता प्रहृति का कार्य। इन दोनों प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए संगठन समिति ने लोक सेवाधो के चार वर्गों का उत्तेष्ठ हिया। प्रथम थेगी के कार्य सम्पादित करने के लिए प्रशासनिक (Administrative) तथा कार्यपानिका (Executive) वर्ग तथा द्वितीय थेगी के कार्यों के लिए दो प्रकार भी विधिकीय सेवाएँ। समिति द्वारा मुख्य यह भी या कि Shorthand Typist तथा Typist वर्ग भी होना चाहिए। पुनर्गठन की यह दोनों सामाजिक स्वीकार की गई तथा 1920 में इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने पहले से विद्यमान वर्गों के कुछ सदस्यों का अमर नए वर्गों में विनाश किया। यह पुनर्गठन सम्पूर्ण लोक सेवा पर लागू नहीं हुआ था। कुछ विभागीय वर्ग इसके प्रभाव द्वेष से बाहर रहे, जैसे—रोजगार सत्रान्य, अन्दरीय राजनीति विभाग, नट्टर एवं

<sup>1</sup> These included • A Commission of Inquiry under the Chairmanship of Mr Lyon Playfair which reported in 1875, a Royal Commission under the Chairmanship of Sir Mathew Ridley, which published its final report in 1882, and a Royal Commission (Chairman Lord Mac Donnell), which published its final report in 1914.

आवश्यकारी विभाग आदि। बैंजानिक तथा व्यावसायिक स्टॉफ भी इम योजना से अशभावित रहा। ट्रेवोल्यान-नायर्सोट प्रनिवेदन के समय से ही विभिन्न समितियों तथा आयोगों द्वारा इस बाब पर जोर दिया जा रहा था कि परीक्षा की कोई भी प्रशाली व्यावसायिक पदों के लिए मुक्तोप्य पदाधिकारी नहीं दे सकती। उचित यह है कि उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो अपने व्यवसाय भ कुछ प्रतिष्ठा प्रौढ़ अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। 1937 में कुछ विभागों में कुछ स्तरों के लिए सामान्य बनने शुरू होने ए प्रारम्भ की गई किन्तु महायुद्ध के भव्यकाल में व्यावसायिक पदाधिकारियों की भर्ती, बेतन तथा सेवा की शर्तें बहुत कुछ विभागीय निर्णय के विषय देने रहे। 1931 में कार्यपालक समिति द्वारा सरकार ने बैंजानिक आधिकारियों तथा वैज्ञानिक सहायकों के दो मुख्य बाब स्थापित किए। इनके निए सामान्य बेतन शुरू होने पर सहायकों की शर्तें लागू की गई किन्तु भर्ती का कार्य अभी भी विभागों के हाथों में छोड़ा गया।

(4) -द्वितीय विश्वयुद्ध प्रौढ़ और उसके बाद का विकास (Development of Second World War and Aftermath)—प्रथम महायुद्ध की भाँति द्वितीय महायुद्ध ने भी नौक सेवायों के सामने प्रदेह नई उलझने तथा चुनौतियां ला दी। अन्तर यह था कि प्रथम महायुद्ध के बाद लोर सेवकों की युद्धवालीत सहया पट गई थी किन्तु यह द्वितीय महायुद्ध के बाद नहीं घटी। कारण यह था कि युद्ध के बाद राज्य के कायों में कमी नहीं हुई, देश में आविष्कार पुनर्रचना के लिए अधिक संवेदन नियोजन तथा इनकी कार्यक्रम आवश्यक बन गए। राज्य ने लोक कल्याण-कारी भूमिका अपना ली जीतयुद्ध प्रारम्भ होने के कारण रक्षा-कार्यों में बड़ी नहीं आई तथा बैंजानिक एवं तकनीकी आविष्कारों ने प्रशासनिक कायों को प्रभावित किया। और व्यापक बनाया। इन सभी बारहों से लोक सेवा युद्ध-पूर्व की स्थिति में नहीं आ सकी, इसके विपरीत सरकारी यज्ञ का निरन्तर प्रसार हुया।

युद्ध के तुरन्त बाद लोर सेवा की सरचना में कुछ परिवर्तन किए गए। 1946 में सामान्य व्यावसायिक कायों की शुरू होने ए प्रारम्भ की गई। इनकी भर्ती को केन्द्रीकृत किया गया तथा बैंजानिक और सेवा की शर्तों को यथावत् रखा गया। इन्हींनियरिंग तथा इससे मिलनी-जुनी सेवायों को सामान्य सरचना प्रदान की गई। जब कुछ विशेषज्ञों वा कार्य व्यापक हो जाता था तो सामान्य योगों को स्थापना कर दी जाती थी। इसने पर भी विभागीय विशेषज्ञों की व्यापक भिन्नता बनी रही।

लोक सेवायों में किए गए परिवर्तन के बाब सरचना तक ही भी मिल नहीं थे। इनमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण विकास भी हुए जो मुख्यत ये हैं—(i) राल्फ एशेटन (Ralph Assheton) की योजना में 1943 में नियुक्त समिति के प्रनिवेदन के अनुसार प्रशिक्षण के लिए नियोजित कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। (ii) सर्टिफिकेशन एवं प्रविष्टि (Organisation and Method) कार्य का विभाग हुआ। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोटे स्तर पर प्रारम्भ हुआ था किन्तु इसे पूर्ण मान्यता दिती य

दिश्व पढ़ के समय तथा उम्रके बाद प्राप्त हुई। (iii) वेनन तथा मेवा की अन्य शर्तों की पुनरीभा के लिए स्वतन्त्र निकायों की स्थापना की गई। (iv) कर्मचारियों की सहाया के सम्बन्ध में राजकोर द्वारा विभागों को सत्ता का अधिक प्रत्यापोत्तन दिया गया।

(5) फूलटन समिति का प्रतिवेदन (The Fulton Committee Report)—1966 में मनेश्वर विश्वविद्यालय के उपकुन्तवति नोडे फूलटन की अध्यक्षता पर एक समिति नियुक्त की गई। इसे देश की लोक सेवा की सरचना, भर्ती, प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण की परीक्षा करने का कार्य भर्ती द्वारा दिया गया। इसने 1968 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा लोक सेवा में परिवर्तन के मुझाव दिए। इसके बुद्ध उल्लेखनीय मुझाव ये हैं—(i) एक लोक सेवा विभाग की स्थापना की जाए जो लोक सेवा आयोग से भर्ती और चयन के कार्य से से तथा राजकोष से सेवाधर्मों के केन्द्रीय प्रबन्ध को प्रटृप्त कर ने। (ii) लोक सेवाधर्मों की विभागान वर्ग व्यवस्था को समरप्त करने एक एकीकृत स्तरीकृत सरचना अपनाई जाए जिसमें ऊपर से नीचे तक सभी सोइ मेवक जामिल किए जाएं। इन पदों पर चयन के समय व्यक्ति के कार्य वा मूल्यांकन किया जाए। (iii) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए लोक सेवा महाविद्यालय की स्थापना की जाए। (iv) विभागों में प्रबन्ध सेवा इकाइयों तथा नियोजन शोध इकाइयों बनाई जाएं। (v) भर्ती प्रक्रिया में विभागों को अधिक अस्तित्व प्रत्यायोजित की जाए। (vi) सभी लोक सेवकों के जीविका के प्रबन्ध अधिक माध्यनक्ति लगाए जाए। (vii) लोक सेवाधर्मों तथा अन्य रोजगारों के बीच अधिक गतिशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। फूलटन कमेटी ने मान्यना यह थी कि भर्ती का कार्य उम्हीं के हाथों में रहना चाहिए जो व्यक्ति के प्रशिक्षण, प्रनार एवं प्रशिक्षण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो।<sup>1</sup> कमेटी का कहना था कि लोक मेवा आयोग को एक पृयक् तथा स्वतन्त्र निकाय के रूप में न रखा जाए बरन् इसे नवगठित लोक सेवा विभाग का एक अंग बना दिया जाए। कमेटी का विश्वास था कि शोधना के आधार पर नियुक्ति की परम्पराएँ अब इन्हीं दृष्टि चुनौती हैं कि लोक सेवा आयोग को एक पृयक् संगठन रूप विना भी वे बनी रहेंगी।

सरकार द्वारा फूलटन कमेटी की रिपोर्ट का व्यापक रूप से समर्थन किया गया। इसके तीन प्रमुख सुझाव तुरन्त ही स्वीकार कर लिए गए थे—लोक सेवा विभाग, लोक सेवा महाविद्यालय तथा एकीकृत ऐडिंग सरचना। लोक सेवा विभाग ही स्थापना। नवम्बर, 1968 को वी गई तथा इसे वेनन तथा लोक सवा प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य मोर्ग गए। इसे मम्पूर्सं सरकारी क्षेत्र में वेनन और सेवा निवृति के बारे में सरकारी नीति के सम्बन्ध का काम दिया गया। लोक सेवा आयोग अब इस विभाग का अंग बन गया, किन्तु वह लोक सेवाधर्मों में नियुक्ति के लिए

<sup>1</sup> U.K. Report of the Fulton Commission on the Civil Service 1968, p. 24

स्वनन्न रूप से चयन कर सके इसके लिए समुचित व्यवस्थाएँ की गईं। प्रशासनमन्त्री लोक सेवा मन्त्री के रूप में इस नए विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इन कार्यों के दिन-प्रतिदिन के दायित्व एक विशिष्ट गंतव्यविधालय की स्थापना जून, 1970 में हो चुकी है तथा सभी सेवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा चुके हैं। 1 जनवरी, 1971 से सहायक सचिव तक तक के सभी प्रशासनीय निष्पादन एवं निपाईय (Administrative, Executive and Clerical) वर्गों का एकीकरण घोषित कर दिया गया है।

### वर्तमान में विटिश लोक सेवाओं का वर्गीकरण

प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में लोक सेवाओं की व्यवस्था है। वर्तमान विटिश लोक सेवाओं को छ वर्ग (Classes) में विभक्त किया जा सकता है। ये मुख्य वर्ग इस प्रकार हैं—

1. प्रशासनिक वर्ग (Administrative Class)—यह 'सारकारी प्रशासनिक सेवा' (L.A.S.) के समान है और सम्पूर्ण विटिश लोक सेवा का आधार है। इस वर्ग में स्थाई सचिव से लेकर सहायक प्रधान तक सभी अधिकारी आते हैं। नीति-विधायिक और विभाग-सचालन का मुख्य उत्तरदायित्व इसी वर्ग पर है। वर्तमान में इस वर्ग के लोक सेवकों की संख्या 4,000 से भी अधिक है। प्रशासनिक वर्ग में नियुक्ति के लिए प्रतिवर्ष कठिन प्रतियोगिता परीक्षा का प्रायोजन किया जाता है और 21 से 24 वर्ष तक की आयु के परीक्षोत्तीर्ण स्नातकों का सेवा के लिए चयन होता है। 25 प्रतिशत पदों की मर्मी 'प्रदोग्नि' (Promotion) द्वारा होती है।

2. अधिकारी वर्ग (Executive Class)—इस वर्ग के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 75,000 से भी अधिक है। इस वर्ग के लोक सेवकों का मुख्य कार्य दिन-प्रतिदिन के सरकारी काम-काज को निपटाना है। लैंबे दर्जे का हिसाब-किताब, राजस्व संग्रह, क्षेत्रीय और स्थानीय कायलियों के प्रबन्ध आदि का दायित्व मुख्यतः अधिकारी वर्ग पर ही है। इस वर्ग के कुछ कार्य प्रशासनिक वर्ग के कार्यों से मिलते-जुलते हैं, यह दोनों वर्गों के कार्यों के बीच कोई निपित्त विभाजन रेखा नहीं खीची जा सकती। जिस प्रकार सरकारी कायलेश का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए प्रशासनिक और अधिकारी दोनों ही वर्गों के कार्यों पर न केवल विस्तार होपा है बल्कि जटिलता भी बढ़ी है। विटेन के अधिकारी वर्ग भी समता भारत की 'मध्योनस्थ सेवाओं' (Subordinate Services) से की जा सकती है।

3. विशिष्ट वर्ग (Specialist Class)—इस वर्ग में व्यावहारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी स्टाफ (Professional, Scientific and Technical Staff) समाविष्ट होता है। वर्तमान में इस वर्ग में लगभग 1,14,000 लोक सेवक हैं। विशिष्ट वर्ग में वैस्टर, सोलिस्टर, इक्विटर, डॉक्टर, लाइब्रेरियन, वैज्ञानिक, सहायक, जिल्हे आदि सम्मिलित हैं। इस वर्ग के पदों पर नियुक्ति

प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नहीं होनी बहिक प्रतियोगियों को मान्य प्रोफेशना, विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा अनुमति के आधार पर साक्षात्कार-पढ़ाई द्वारा चुना जाता है।

**4. लिपिक वर्ग (Clerical Class)**—इस वर्ग के सेवकों वी सहयोगिता में सहभग 1,90,000 है। इस वर्ग में प्रतियोगीता परीक्षा के प्राप्ति पर 16-17 वर्ष के युवक-युवतियों द्वारा चुना जाता है। लिपिक वर्ग का काम सामान्य प्रवृत्ति का है यथा, रिकार्ड रखना, नियमों के अनुसार कागजों, दाबी प्राप्ति की जाँच-पड़नाल करना—प्रधिकारी वर्ग के प्रादेशिक नुसार नियतप्रति के सरकारी काम निपटाना, प्रावश्यक तथ्य एवं आँकड़े एकत्र करना, प्राप्ति।

**5. सेवक सहायक वर्ग (Writing Assistant Class)**—इस वर्ग में सहायक लिपिक, टाइपिस्ट, दुप्लीकेटर प्राप्ति मशीनें चलाने वाले होते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 1 लाख 6 हजार है।

**6. सदेशबाहुक व निम्न वर्ग (Messengerial and Menial Class)**—इस वर्ग के सदस्यों वी सहयोग वर्तमान में लगभग 35,000 के निकट जा पहुँची है। इस वर्ग में सदेशबाहुक (Messengers) के प्रतिरिक्त बागज रखने वाले (Paper Keepers), कार्यालय की सफाई करने वाले (Office Cleaners) और इसी प्रकार के मन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं।

इन सबके प्रतिरिक्त डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, शिक्षा विभाग प्राप्ति में 'विभागीय वर्ग' (Departmental Class) भी होते हैं जिनकी नियुक्ति सम्बन्धित विभागों द्वारा की जाती है। ब्रिटेन में समस्त लोक सेवकों की संख्या 1972-73 में लगभग 5 लाख थी जो वर्तमान में लगभग सात लाख तक जा पहुँची है।

### संयुक्तराज्य अमेरिका में लोक सेवाओं का विकास (Development of Public Services in U S A)

संयुक्तराज्य अमेरिका में लोक सेवाओं का इतिहास बास्तव में लूट प्रणाली (Spoils System) के जरूर, अवहार तथा प्रत का इतिहास है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने ईमानदारी, नियष्टाना, कार्यालय का स्थापित राजनीतिक दलों के दिवास तथा शक्ति के तिए उनके संघर्ष ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि सोन्तसेवाओं द्वारा दलीय राजनीति के हेतु से बाहर नहीं रखा जा सकता। वाशिंगटन के बाद यान बाने पर्व राष्ट्रपतियों ने कार्यालय तक राजनीतिक मिशों को सामने पहुँचाने तथा शत्रुओं द्वारा हानि पहुँचाने की भीति प्राप्तनाई जानी रही। इन्तु 'लूट का माल विदेशीमों को ही मिलना चाहिए', यह विचार 1929 में राष्ट्रपति बैंकरिंग के यह घटणा करने तक प्रभावग्रामी नहीं बन सका था।

**लूट प्रधा का प्रारम्भ (Beginning of Spoils System)**—अमेरिकी राज्यमें ने 1820 में चार वर्ष के कार्यालय का व्यवस्थित पारित बरके यह नियिक

वर दिया कि कुछ पदाधिकारी चार वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेंगे न कि राष्ट्रपति की इच्छापर्वत्त । राष्ट्रपति जैसन ने इस प्रधिनियम का सहारा सेकर लोकसेवा से अपने विरोधियों को निकाल दिया तथा उनके स्थान पर अपने समर्थकों द्वारा नियुक्त वर लिया । इस प्रकार लोकसेवाद्वारा में सूट प्रणाली का प्रारम्भ हुआ जो अमेरिकी प्रशासन पर लगभग पचास वर्ष तक थाई रही ।<sup>1</sup>

दिसम्बर 1829 में हरिस को भेजे गए अपने प्रबन्ध वार्षिक सन्देश में राष्ट्रपति जैसन ने सूट प्रधा का औरचारिक औचित्य प्रस्तुत करते हुए मुख्यतः ये तर्क दिए—(i) अधिक समय तक पद पर रहने से व्यक्ति के अनुभव का जो लाभ मिलता है उससे अधिक वह हानिश्वद सावित होता है । (ii) सीमित कार्यकाल के कारण प्रशासनिक कार्यकुशला बढ़ेगी और कम्चारी उद्यमी तथा ईमानदार बना रहेगा । (iii) जनहित के लिए बनाए गए सरकारी पदों पर स्थाई रहने का अधिकार हिसी व्यक्ति का नहीं है, अत उसे हटाया जा सकता है तथा उसके स्थान पर अन्य द्वारा नियुक्त किया जा सकता है । (iv) कार्यालय जनता की बीमत पर किन्तु विशेष व्यक्तियों द्वारा लाभ पहुँचाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, अत किसी को स्थाई नहीं रखा जा सकता । (v) व्यक्ति को जनसेवा के लिए पद सौंपा जाना है और यदि उसका के प्रनिनिधि चाहे तो उसे कभी भी हटा सकते हैं । (vi) पद से हटा व्यक्ति भी अपने गुणों के अनुसार नई जीविका ढूँढ़ने के उत्तरे ही अवमर रखता है जो सरकारी पद प्राप्त न करने वाले बरोड़ी लोगों को उपलब्ध हैं । (vii) पद पर स्थाई होने के कारण अधिकारी जनसेवक न रहकर स्वार्थ और अनुत्तरदायी बन जाता है ।

सूट प्रधा के परिणाम एवं प्रतिक्रिया (Results and Reaction of the Spoils System)—सूट प्रधा के अन्तर्गत प्रत्येक नए राष्ट्रपति ने साव पूर्वस्थित दृच्छ प्रशासनिक अधिकारियों को पदमुक्त कर दिया जाता था और उनके स्थान पर नई नियुक्तियाँ की जाती थीं । नियुक्ति का आधार प्रत्याशी की योग्यता, कुशलता, गुण आदि न होकर उसका राजनीतिक दृष्टिकोण, राष्ट्रपति से परिचय, मित्रता, चुनाव में की गई मदद आदि बातें होती थीं । बार-बार अनुभवी कार्यवत्तियों को हटाकर नए गैर-अनुभवी लोगों की भर्ती करने से सरकार की कार्यकुशलता तीव्र गति में घट गई । प्रशासन में न केवल अयोग्यता और अक्षमता का दोष आया बरन् भ्रष्टाचार, चोरी, हिंसा और गवन को घटनाएँ भी सामान्य बन गई । नैतिक आचार सहिताहीन बातावरण में अनेक ईमानदार लोग वैईमान बन गए ।

<sup>1</sup> "For half a century, from the 1830's to the 1880's the overwhelming majority of appointments in American Administration-national, state and local-were made on the basis of party patronage"—John A. Vieg in Elements of Public Administration, ed by F. M. Marx, 2nd ed 1964, p 19

लूट व्यवस्था की बुराई के कारण उसकी देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई। प्रशासनिक पदों पर तकनीकी योग्यता की आवश्यकता बढ़ने पर यह स्पष्ट हो गया कि ग्रामेक व्यक्ति किसी भी पद के लिए उपयुक्त नहीं होता। 1871 में अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि लोकसेवाओं में कार्यकुशल कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम और विनियम बना सके तथा प्रत्यक्षी की आयु स्वास्थ्य, चरित्र ज्ञान तथा योग्यता तथा वर्ण के लिए उपयुक्त व्यवस्था बना सके। इस व्यवस्थापन के आधार पर राष्ट्रपति ग्रान्ट (Grant) ने एक सुयोग लोकसेवा योग की स्थापना की किन्तु कांग्रेस का समर्थन तथा उपयुक्त विनियोग न होने के कारण 1875 में इसे अपना कार्य रोक देना पड़ा। 1877 में न्यूयॉर्क सोसाइटी मुशार पर राष्ट्रीय लोकसेवा मुशार लीग का मण्डन हुआ, जोंज विनियम कटिस (Curtis) जैसे आदर्शवादियों ने निरन्तर प्रशासनिक मुशारों पर जोर दिया तथा 1881 में एक पद-बोर्डी निराश व्यक्ति ने राष्ट्रपति गार्फील्ड की हत्या बर दी। इन सभी कारणों से लोक मेवाओं में मुशार की मांग बढ़वानी हो गई।

1882 के आम चुनावों का प्रमुख मुद्दा प्रशासनिक मुशारों को बना दिया गया। लोकसेवा मुशारों का पक्ष लेने वाले अधिकारी प्रत्याशी विजयी हो गए। जब वाँचिंग का अधिवेशन शुरू हुआ तो लोकसेवा मुशारों की ओर प्रथम दिन से ही ध्यान दिया जाने लगा। अन्त में 16 जनवरी 1883 में लोकसेवा अधिनियम पारित हो गया।

### पेंडलेटन अधिनियम, 1883 (The Pendleton Act of 1883)

1883 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मिलित सेवा अधिनियम पारित किया जो सामान्यत ऐंडलेटन अधिनियम' (The Pendleton Act) के नाम से विस्थान हुआ। यह कानून अपने लागू होने के दिन से ही अमेरिकी राष्ट्रीय सिविल सेवा में प्रवेश का नियंत्रण करने वाला एक गूलभूत कानून है, यद्यपि समय-समय पर उसमें अनेक सशोधन होने रहे हैं। इस कानून के फलस्वरूप संगभग 95 प्रतिशत मिलित सेवा अब प्रदानित योग्यता के आधार पर ही अपने पदों पर आसीन है। यद्यपि लूट ससोट प्रया यमी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, तथाहि यह भवश्य है कि ऐंडलेटन कानून के अनुमार अमेरिका की कामिनी व्यवस्था में योग्यता प्रणाली के गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इस अधिनियम के मुख्य नियमों को ढाँ सी भी भीमरी ने निम्नानुसार प्रकट किया है—

(1) इस अधिनियम में राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया है कि वह संघकराज्य मिलित सेवा आयोग (United States Civil Service Commission) का नियंत्रण करने के लिए, भीलेट के द्वारा और उसकी सत्ताह न्यूयार्क महानगर में सीन अधिकारी को मिलित सेवा आयुक्त (Civil Service Commissioner) नियक बर सके, परन्तु उनसे दो से अधिक व्यक्ति किनी एक ही दिन से सम्बद्ध न हो। ये आयुक्त के बाल राष्ट्रपति (President) द्वारा ही हटाए जा सकते हैं।

(2) इनका कार्य यह है कि राष्ट्रपति के व्यवनानुसार ऐसे उपयुक्त नियमों के निर्माण में राष्ट्रपति की सहायता करें जो कि अधिनियम वो कार्यरूप देने के लिए आवश्यक हो। एक बार जब इन नियमों की घोषणा कर दी जाए तो संयुक्तराज्य के प्रविकारियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे उन्हे किवान्वित बरन में महायता दें।

(3) "अच्छे प्रशासन की दृष्टि से जटी तर भी सम्भव होगा" इन नियमों के द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएंगी—(क) वर्तमान में वर्गीकृत अधिकारी में वर्गीकृत की जाने वाली लोक-सेवायों में प्रत्येक के इच्छुक प्राविधियों की उपयुक्तता एवं पात्रता की जाँच करने के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था, (ख) परीक्षाएँ व्यावहारिक प्रकृति की हाँगी और उनके द्वारा यह देखा जाएगा कि प्रार्थी उस सेवा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त पात्र है या नहीं जिसमें कि वह मपनी नियुक्ति चाहता है, (ग) प्रत्येक श्रेणी के पद उन व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे जो कि परीक्षाओं में सर्वोच्च कम से स्वातं प्राप्त करेंगे, (घ) वाजिगटन में स्थित पद विभिन्न राज्यों एवं प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के प्राप्तार पर बाट दिए जाएंगे, (इ) अन्तिम रूप से पुष्टिकृत (Confirmed) नियुक्ति से पूर्व परिवीक्षा (Probation) की अवधि वी व्यवस्था की जाएगी, (च) इन नियमों (Rules) के अवश्यक अवधारों (Necessary Exceptions) का उल्लेख नियमों में ही किया जाएगा और प्राप्तों के वायिक प्रतिवेदनों में उसके कारण (Reasons) दिए जाएंगे, (छ) प्राप्तों परीक्षाओं का सचालन करेंगे एवं कांप्रेस को व्येपित करने के लिए वायिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समझ प्रस्तुत करेंगा जिसमें अन्य बातों के साथ ही अधिनियम के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सुभाव दिए जाएंगे।

(4) अधिक व कारीगर तथा सॉनेट द्वारा पुष्टिकरण (Confirmation) के निए मनोनीत (Nominated) अक्ति अधिनियम के अधिकार सेवा के बाहर रखे गए हैं। इस प्रकार 'वर्गीकृत' (Classified) पदों पर योग्यता सिद्धान्त (Merit Principle) लागू होता है। कर्मचारी अब दलीय कायों की दृष्टि से विए जाने वाले मूल्यांकनों से मुक्त हैं और उन्हे यह अधिकार नहीं है कि वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। संयुक्तराज्य अमेरिका में सिविल सेवा सुधार का मुख्य रहभान, जो 'पेटेन्टेटन अधिनियम' के साथ आरम्भ हुआ था और अब इस उद्देश्य की ओर है कि प्रदक्षित योग्यता के प्राप्तार पर ही नियुक्तियों की जाएं और नियुक्ताधियों को यह आशासन दिया जाए कि कुशल कार्य सम्पादन तथा श्रेष्ठ व्यवहार की स्थिति में उन्हे पदावधि वी सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा आज यह मध्य सरकार के प्राप्त सभी सेवों पर लागू हो गया है।

लोक सेवाओं का प्रशासन (The Administration of Civil Services)—  
अमेरिकी लोकसेवा प्राप्तों में तीन प्राप्त होते हैं तथा इनमें दो से अधिक एक ही

दल वे नहीं हो सकते। आयुतों की नियुक्ति सीनेट के परामर्श तथा सहमति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये द्वंद्व वर्ष तक अपने पद पर बार्यं करते हैं। 1949 से एक सदस्य को इमका ममापनि नियुक्त कर दिया जाता है। छठी दशावधी के अन्तिम दिनों में आयोग का स्टॉक लगभग 5,300 था जिसमें से लगभग 2,000 इसके केन्द्रीय कार्यालय वाणिगटन में तथा ऐप्र प्रमुख नगरों में हित 10 देशीय कार्यालयों में बाप बर रहे थे। देश भर में इसके करीब 65 परीक्षक मण्डल कार्यरत हैं। लगभग 90% सधीय कर्मचारी वाणिगटन से बाहर क्षेत्रीय कार्यालयों में बार्यं करते हैं अतः सोकमेवा आयोग के कर्मचारी भी क्षेत्रीय स्तर पर बार्यं करते हैं।

लोकमेवा आयोग का मुख्य कार्यं सधीय विभागों को नियोजित करने के लिए नीति एवं नियोग प्रदान करना, मर्ती एवं परीक्षा तथा स्थिति वर्गीकरण के मापदण्ड तय करना, सेवीवर्ग की जीव बरना, सेवानिवृत्ति, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा, यह व्यवस्था, अभिकरण का नियोग सेवीवर्ग कार्यालय तथा रायपत्रिका सम्बन्धी कार्यं भव्यता करना आदि है। 1938 से प्रत्येक सधीय विभाग तथा अभिकरण में सेवीवर्ग कार्यालयों के सचालन के लिए एक सेवीवर्ग नियोजक (Personnel Director) होता है। ये नियोजक मिलकर एक अन्न अभिकरण परामर्शदाता समूह की स्थापना करते हैं जो लोकसेवा आयोग की नीति रचना भ सहायता देता है।

प्रारम्भ में लोकसेवा आयोग ने लूटप्रलाली के विरुद्ध लडाई में अपनी शक्तियों को केन्द्रित किया तथा बाद में जब योग्यता व्यवस्था का प्रभाव बढ़ा और अनुप्रयत्न के आधार पर होने वाली नियुक्तियों की संख्या घट गई तो आयोग उन्नतिशील सेवीवर्ग व्यवस्था के विकास तथा तहीं कैरियर व्यवस्था की रखना में सलाम हो गया। योग्यता व्यवस्था के प्रभाव में हायिम के व्यवस्थापन तथा राष्ट्रपति के कार्यपालिका आदेश महत्वपूर्ण मूलिका निम्ना रहे थे। इस हेतु 1940 में राम्पीक अधिनियम (Ramspeck Act) पारित हुआ। लोक-सेवाओं के विकास की दृष्टि से 1883 के वेट्टलेटन अधिनियम के बाद उठाए गए बुद्ध महत्वपूर्ण बदले गए हैं— कार्यों तथा व्यवस्थापूर्ण बेतन योजना के आधार पर पदस्थिति का वर्गीकरण (1923), सेवानिवृत्ति अधिनियम (1920), कानून द्वारा राज्य के उत्त कार्यालयों में योग्यता व्यवस्था का प्रभाव जिनमें गप मरकार द्वारा सहायता दी जा रही है (1936), 1939 तथा 1940 के हेच अधिनियम (Hatch Acts) द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध सुरक्षा 1919 तथा 1944 में युद्ध सेवियों को प्रायमिकता के लिए सविचारीय प्रबन्ध प्राप्ति। इसके अनिरिक्त लोकसेवा के विभिन्न वहनुओं को प्रभावित करने वाले अधिनियमों द्वारा ये व्यवस्थाएँ की गईं—नामदायक कर्मचारी मुभावों के लिए नकद एवं प्रबंधनिक पुरस्कार (1954), सहायता देने वाली बीमा योजना (1954), स्वास्थ्य बीमा (1959), नियोजन तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण (1958) आदि। ये सभी विकास व्यवस्थापन के द्वारा हुए।

कार्यपालिका द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकासों के उदाहरण ये हैं—  
वर्मचारी प्रबन्ध महकारिता पर एवं सरकार व्यापी नीति का निर्धारण (1962),  
समाज रोक्षार के अवसरों की व्यवस्था (1965-67), व्यापारिक एवं मजदूरी  
वायों के भूगतान के लिए सामान्य मापदण्ड एवं न्यवहार (1968), वेतन मुख्यार  
प्रधिनियम (1962), हाइट बालर कर्मचारियों के बेतन में अधिक दृढ़ि का  
प्रावधान ताकि उभी स्तर वें वैसे ही बायं करने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के  
बराबर उनका बेतन हो सके।

आज मध्युत्तराज्य अमेरिका की मधीय स्तरीय लोकसेवा के अधिकार वह  
योग्यता व्यवस्था के अधीन आ चुके हैं। कुछ अभिकरण या समूह ऐसे भी हैं जो  
लोकसेवा अधिनियम द्वारा नियन्त्रित नहीं होते हैं—जैसे, विदेश सेवा, अमेरिकी  
जन-स्वास्थ्य सेवा की क्षमीजड़ बोर्ड नीनेसी बैंली ऑफिटी, ग्रन्जुक्ति प्रायोग,  
संघीय जीव बूरो आदि। इकाइयों की अपनी पृथक योग्यता व्यवस्थाएँ हैं जो  
उनकी आवश्यकताओं एवं प्रकृति के अनुहण हैं। वैसे इनमें भी बेतन, प्रधिकरण,  
जीवन दीपा, स्वास्थ्य दीपा एवं भेवानिवृत्ति सम्बन्धी वे ही नियम अपनाए जा  
सकते हैं जो नियमित लोकसेवा में अपनाए जाते हैं।

#### अमेरिकी सिविल सेवा के मुख्य दोष तथा सुधार के उपाय

अमेरिकी विविन्द सेवा, बावजूद अपने गोरखपूर्ण इतिहास के, मुद्दत,  
निम्नलिखित दोषों की शिकार है—

1 यह उत्तरदायी प्रशासनीय पदों पर उच्च योग्यता सम्पद व्यक्तियों को  
प्राप्तिपद बनाए और बनाए रखने में अमरकम रही है। लोक सेवामो के लिए  
धेठतम, योग्यतम और गहन योग्यतान वाले व्यक्तियों को प्राप्तिपद करने के ठोक  
प्रयत्न किए गए हैं।

2 लोकसेवा में लूट-खसोट प्रथा (Spoils System) के अद्योप अभी तक  
विद्यमान हैं।

3 गैर-सरकारी व्यवसाय को तुलना में अमेरिकी लोकसेवा में बेतन कम  
मिलता है, फलस्वरूप योग्य और मुण्डी व्यक्ति कम आक्षयित होते हैं और यदि आने  
भी हैं तो निम्न बेतन तथा उन्नति के अवसरों की कमी के कारण श्याम-पत्र देकर  
चल जाते हैं।

4 अमेरिकी सिविल सेवा में 18 से 35 वर्ष बीच आयु का कोई भी व्यक्ति  
प्रवेश कर सकता है। आयु की यह सीमा दोपूर्ण है।

ग्रो हरमन फाइनर ने अमेरिकी विविन्द सेवा के प्रमुख दोषों को इस प्रकार  
गिनाया है—“(1) प्रशासनिक विज्ञ मण्डल (Administrative Brain Trust)  
के निदेशन को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। परीक्षा प्रणाली द्वारा भर्ती किए  
गए अधिकारी व्यक्तियों द्वारा प्रशासन का सामान्य कार्य सम्पादन नहीं है।  
(2) वरीक्षामो में तुच्छता (Triviality) वा भी प्रदर्शन है। (3) लूट खसोट

प्रणाली के प्रश्नोपाय अभी तक विद्यमान हैं पौर मिविल सेवा के प्रयत्न मर्जिथोष्ट प्रत्याशियों की प्राप्ति की दिशा में उन्हें नहीं रहे हैं जिन्हें केवल 'दुष्ट जनों' को सेवा से बाहर निवालने की दिशा में रहे हैं ।"

अमेरिकी मिविल सेवा द्वारा विद्यमान अमेरिकी राष्ट्र की अधिकारकताओं के अनुरूप बनाने के लिए निम्नलिखित गुम्भाव अपेक्षित हैं—

1. मिविल सेवा में भर्ती के ममय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि समाज की थोड़ी औद्योगिक क्षमता वाले व्यक्तियों को लिपा जा सके ।

2. लोकसेवा की भर्ती के लिए आयु मीमा 18 से 25 वर्ष तक रखी जानी चाहिए ताकि वे सिद्धिन सेवा को अपनी स्थायी जीवन वृत्ति (Permanent Career) बना सकें । यदि गोप्तवेश की भर्ती 35 से 40 वर्ष की आयु के लोगों के लिए खुबी रहनी है तो ऊँची आयु के ऐसे लोग भी सरकारी सेवा में प्रवेश कर सकते हैं जो व्यक्तिगत या निजी क्षेत्र में घरनहान सिद्ध हुए हाँ ।

3. मिविल सेवकों के बेतन म वृद्धि की जानी चाहिए । उच्च प्रशासनिक पदों के बेतन आवश्यक होने चाहिए ।

4. मिविल सेवकों को उपर्युक्त लिए पर्याप्त अवसर प्रस्तुत होने चाहिए ।

5. परीक्षाप्राप्त द्वारा प्रत्याशियों की सामाजिक औद्योगिक क्षमता की ठोक जोख भी जानी चाहिए ।

6. अमेरिकी मिविल सेवा में नियमित नमूने के प्रशासकीय वर्ग या प्रशासकीय विज्ञ मण्डल का निर्माण किया जाना चाहिए ।

7. लूट-लसोट प्रणाली के प्रवर्शयों को समाप्त किया जाना चाहिए ।

डॉ भास्मरी ने विनियम सील बार्येंटर द्वारा प्रस्तुत उन तीन मौलिक सुधार मुझादों का उल्लेख किया है जो कि सिद्धिन सेवा पद्धतियों को आजकल की सरकारों में कुशलता वे साथ बायं करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं—

1. अध्यवसायी द्वितीय मिविल सेवा आयोगों (Amateur Bipartisan Civil Service Commission) का स्थान वायिक वर्ग विभागों का दिया जाना चाहिए । ये विभाग एक आयुर्क (Commissioner) द्वे निर्देशन में कार्य करें जो कि मुख्य कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी हों ।

2. मानिक कर्मचारिया के मम्बायों की समस्या को हल करने के लिए बानून द्वारा पर्याप्त मशीनरी का निर्माण किया जाना चाहिए । यदि सरकारी सेवाओं को कुशलता वे साथ सचालित रखना है तो यह आवश्यक है कि सरकारी अधिकारी वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग में उचित सहयोग तथा माझेदारी होनी चाहिए ।

3. योग्यता प्रदानी वे विकास एवं विस्तार म इच्छा रखने वाले नागरिक समठनों से मजबूत बनाया जाना चाहिए ।

## फ्रांस में लोकसेवाओं का विकास (Development of Public Services in France)

फ्रांस में लोकसेवाओं की प्रमुख विशेषताएँ इन्हें कानून के बाद ही विकसित हुईं। प्रान्तिकारी व्यवस्थापिकारों ने पुराने समय के परम्परावादी एवं जटिल संगठन को समाज बरके एक नई रूपरचना की थी। यह दो सिद्धान्तों पर आधारित थी—एक रूप पदसोपान तथा बेन्द्रीयकरण। बाद की सरकारों द्वारा इस प्रशासनिक संरचना को बनाए रखने किन्तु इसे प्रजातात्त्विक सिद्धान्तों के अनुरूप ढालने की चेष्टा की गई। 19वीं शताब्दी के मध्य से होने वाले अमिक सुधारों ने कम्यूनों तथा विभागों में स्थानीय संस्थाएँ का विकास किया। अब स्थानीय सभाओं के निर्वाचन के रूप में लोग मार्गशिरिक कार्यों के प्रबन्ध में अधिक सक्रिय मार्ग लेने लगे। सरकार द्वारा नियुक्त और प्रीफेक्ट तथा कम्यून की परिपद द्वारा नियोन्चित भेपर के रूप में केन्द्रीय सेवाओं तथा स्थानीय अधिकारियों के बीच स्थाई विद्यमान स्थापित की गई। प्रत्येक विभाग में प्रीफेक्ट द्वारा उभी स्थानीय नियंत्रण पर नियन्त्रण रखा गया। 20वीं शताब्दी में प्रशासनिक कार्यों का विकास हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप लोकसेवों को सह्या भी भारी दृष्टि हुई। स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं प्रावास आदि कार्यों के लिए मन्त्रालय गठित किए गए। इन नए विकासों के परिणामस्वरूप फ्रांस की लोकसेवा इतनी उलझनपूर्ण हो गई कि बोई एक रूप नियमन करना अत्यावश्यक बन गया।

**लोक सेवाओं में भिन्नता (Diversity in Civil Services)—** फ्रांस की लोकसेवा परम्परागत रूप से भिन्नतापूर्ण रही है। यहाँ के स्कूल तथा कॉर्प्स (Corps) भिन्नरूपों को जन्म देते हैं। इनमें ऐसा प्रजिक्षण दिया जाता है जो एकरूप नहीं होता। फलत सभी भवालय प्रायः एक-दूसरे के विहंड़ बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि एक ही मन्त्रालय में आपसी गुटबन्धियाँ होती हैं। इस अनेकरूपता एवं भिन्नता की व्यवस्था के लिए बहुत कुछ नेपोलियन उत्तरदायी है। उसने दम्पीरियल विश्वविद्यालय की दीव रखते हुए बहा था कि “मैं कॉर्प्स (Corps) बनाना चाहता हूँ क्योंकि कॉर्प्स मरती नहीं है। यह आवश्यक है कि ऐसी कॉर्प्स को विशेषाधिकार सौंपा जाए तथा ये मनियों और बादामाह पर आधित न रहे!”<sup>1</sup> नेपोलियन द्वारा स्थापित स्वतन्त्र लोकसेवा कॉर्प्स ने सरकारी विभागों की संरचना को संघातमङ्क बना दिया।

**नेपोलियन की केन्द्रीकृत लोकसेवा (Centralized Public Service of Napoleon)—** नेपोलियन की प्रकृति, सामाजिक दायेंकम, निरन्तर युद्ध में व्यस्तता एवं कार्यकुशलता के मूल्य, में आस्था आदि वातों ने मिलकर उसके समय बीं लोक-सेवाओं को अत्यधिक बेन्द्रीकृत बना दिया। हरमन फाइनर (Herman Finer)

<sup>1</sup> Quoted by F. Ridley and J. Blondel, Public Administration in France

के कथनानुसार "नेपोलियन ने स्वयं कुछ अपत्रादों के साथ उच्च प्रशासनिक अधिकारियों विशेषत कौमिल टी एटा की व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति, पदोन्नति, पदावन्ति एवं पदमुक्ति आदि कार्य सम्पन्न किए।"<sup>1</sup> तत्कालीन स्थिति यह थी कि एवं मन्त्री विना सम्मान को पूछे किसी अधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकता था किन्तु मारे मन्त्री विना सम्मान कोई परिवर्तन किए विना बदले जा सकते थे। यदि कोई मन्त्री एक छोटे से लिखित की भी नियुक्ति करना हो तो उसे सम्मान के सामने प्रत्यागियों तथा उनका समर्थन करने वाली जनता का नाम प्रस्तुत करना होता था। कोमटे चेपटन के मतानुमार छोटी से छोटी बातें का प्रशासन भी बहु स्वयं करता था। उसके चारों ओर भयभीत एवं निष्क्रिय लोग रहते थे जो उम्मी इच्छा को पढ़ने और विना अपनी समर्थन की छाप ढालें, उसे कार्यान्वयन करते थे।<sup>2</sup> तत्कालीन कर्मचारियों वे मानव पर नेपोलियन का इतना भावक रहता था कि वे सदैव कार्य करते समय नेपोलियन की उपस्थिति घनूमत करते थे। उनको ऐसा लगता था कि नेपोलियन की हजार पाँच उनके सभी कार्यों एवं व्यवहारों का सदैव निरीक्षण करती रहती है।

नेपोलियन से तृतीय गणराज्य तक (From Napoleonic to Third Republic)—नेपोलियन के बाद राजा, चर्च और सदनों के बीच सत्ता के लिए समर्पण छिड़ा। इमरे पलहवहृष्ट कर्मचारियों की मर्ती में कार्यकुशलता के स्थान पर लूट प्रधान एवं घनूमत का प्रभाव बढ़ गया। बालज़ा (Balzac) ने उस समय की स्थिति का चित्रण करते हुए स्पष्ट निखारा है कि क्षमता उच्चोग तथा सार्वजनिक हित की भावना वा स्थान भ्रष्टाचार, निष्क्रियता एवं स्वार्थपरता ने ले लिया। दीम हजार सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति प्रत्याशी के राजनीतिक प्रभाव के माध्यार पर होने लगी तथा इस प्रभाव का कर्मचारी की प्रशासनिक कार्य करने की योग्यता से कोई सम्बन्ध नहीं था।<sup>3</sup>

सुधार के प्रयास (Attempts at Reform)—नोकरशाही में व्याप्त दोषों का निराकरण करने के लिए तृतीय गणराज्य से पूर्व की व्यवस्थायिका ने सुधार के लिए घनेक प्रयास किए। ये प्रयास वर्तपि उच्चकोटि के सौसिंदो द्वारा किए गए थे, हिन्मुख सफल रहे तथा जैसाकि दो हरमन फाइतर ने लिखा है—“1930 तक प्रैम की सोकमेदा घनेक भ्रस्मन्वप्यपूर्ण सविधीय प्रावधानो द्वारा नियमित होनी थी। यह उत्तरोत्तर सरकारो द्वारा प्रसारित बहुसंख्यक दिशीय तथा दौसिल डी

1 "He, therefore, with a few exceptions, personally appointed, promoted, delegated or dismissed the higher administrative officials, especially the Conseil d' Etat." —Herman Finer

2 Cf Comte de Chaptal : Mes Souvenirs sur Napoleón, 1893 p 228

3 "Today, the state is everyone. Now, every is not concerned in anybody. To serve everyone is to serve no one. None is interested in anyone." —Balzac in Les Employés, July, 1836

एटा के न्यायशास्त्र द्वारा नियमित होनी थी।<sup>1</sup> मुख्यार के इन प्रयासों को बांधकारी प्रस्तुतता प्राप्त न होने का मूल कारण यह था कि फैस के राजनीतिज्ञ दायंकुशल प्रशासन की अपेक्षा अन्य चीजों में अधिक हचि लेते थे।

1848 में यहाँ एक डिशी द्वारा प्रशासन विद्यालय की स्थापना की गई। इसमें प्रशासन की उन विभिन्न शाखाओं में मर्नी होने वालों को तैयार किया जाना था जिन्हे अन्य विद्यालयों में शिक्षा नहीं मिलती थी। सप्तदीय स्वीकृति न मिलने के कारण यह विद्यालय केवल 18 माह तक ही जीवित रहा। इस विद्यालय के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल सका, इसके निरन्तर वार्ष के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई जा सकी, प्रमुख राजनीतिज्ञों ने यहाँ पाठ्यक्रम घारमंडल तो लिए हिन्दु समयाभाव के कारण उनको पूरा नहीं कर सके। इसमें अतिरिक्त विधि सकार ने इस विद्यालय का कहा विरोध किया तथा विभागों ने भी विरोध किया क्योंकि वे अपने विभागीय सेवोंवर्ग की नियुक्ति पर पूरा एकाधिकार चाहते थे।

**तृतीय गणतन्त्र लोकसेवा** (Public Service in Third Republic)—फैस की सोक्सेवा के सम्बन्ध में सामान्य धारणा यह थी कि मरवार के सभी विभागों को समान सिद्धान्तों के आधार पर चलाना अनम्भव है। इसी कारण प्रत्येक मन्त्रालय में भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि विषयों पर अन्यग्रामीय नियमों का विचार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध तक फैस की लोकसेवा का सचालन मुख्य रूप से दो सिद्धान्तों के आधार पर होता रहा—(i) लोकसेवाएं ग्रामाधारण प्रतिभा के लिए सुनी ही हैं तथा (ii) प्रतिभागों को विशेष शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित किया जाए तथा विशेष परीक्षा द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए उनका चयन किया जाए। प्रतिशास्त्र एवं परीक्षा की प्रकृति प्रत्येक विभाग के लिए भलग में तय की जाए।

तृतीय गणतन्त्र में फौस के लोक सेवकों की भर्ती आदि का नियमन भलेक नियमों द्वारा किया जा रहा था। तदनुसार प्रतिभागों परीक्षाओं द्वारा मर्नी, प्रशासनिक ग्रेड के लिए लिखित एवं सौखिक दोनों प्रकार की परीक्षाओं द्वारा भर्ती, परीक्षाओं की तकनीकी प्रटृति, वहले की सफल शिक्षा का प्रयास-पत्र, सेवा में प्रदेश के लिए व्यापक आयु-भीमार्ग तथा परीक्षाओं का विभागीकरण आदि बारे व्यवहार में अपनाई जाती थीं। सत्त्वालीन लोकसेवा में प्रशासन के सम्बन्ध में डॉ हरमन फाइनर का विचार है कि पठापात तो या विन्दु यह भर्ती की अपेक्षा पदोन्नति में अधिक था।<sup>2</sup>

तृतीय गणतन्त्र के अधीन फैस की सोक्सेवा के प्रबन्ध में मुख्यतः ये अन्धादर्थी थी—(i) इसमें प्रत्याशी को उमी विभाग के लिए लिया जाना था जिसमें वह सेवा करना चाहता था, (ii) इसमें आधुनिक राज्य की यतिविधियों की

1 Dr. Herman Finer, op. cit., p. 814<sup>1</sup>

2 "There was favouritism but more in promotions than in recruitment"

—Dr. Herman Finer : op. cit., p. 817.

आधिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि के अध्ययन पर जोर दिया जाता था, (iii) उसमें विभाग के सभी सदस्यों तथा पद्धतिपाल के विभिन्न स्तरों का आमना-सामना करा दिया जाता था, ताकि लोकसेवा में अधिक सहप्रयोग एवं कार्यकुशलता स्थापित की जा सके। इन लाभों के अतिरिक्त इस व्यवस्था में कुछ हानिकारक असराएँ भी थी—(i) ग्रत्याशिषों के साथ विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत सम्पर्क रहने के कारण पक्षपात्र की आशका रहती थी, (ii) अपेक्षित विजेय ज्ञान प्राप्त भक्तीएँ तथा उपरी हो सकता था। तत्कालीन लोकसेवा की प्रनेक कुराइयाँ भाषान्यत स्वीकृत एवं निन्दा की पात्र थी बिन्दु फिर भी मन्त्रिमण्डल की अस्थिरता एवं भावात्मक सामाजिक संघर्षों के परिणामस्वरूप इनको सुधारा नहीं जा सका। तत्कालीन लोकसेवा की व्यावहारिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

(i) विभिन्न विभागीय सेवाएँ न केवल उनके कार्यों के कारण ही विजेपीकृत थीं बरन् अपनी शक्तिशालीता के कारण भी वे विजेयतापूर्ण थीं।

(ii) परिवीक्षा एवं सीखने का कार्य वास्तविक न होकर औपचारिक मात्र था। प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता था। अनुपयुक्ता के आधार पर कदाचित ही किसी प्रविष्ट कर्मचारी को निकाला जाता था।

(iii) लोकसेवाओं में भर्ती होने वाले प्रत्याशी जिन विद्यालयों में तैयार किए जाते थे उनकी शिक्षा का स्तर विज्ञ में सदसे ऊँचा था।

(iv) विभिन्न विभागों तथा झूरोज में स्वायत्तता की मानवता का जन्म हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच असहयोग तथा विरोधपूर्ण सम्बन्धों का विकास हुआ।

(v) सेवाधों का धर्मकरण स्पष्ट तथा व्यापक नहीं था। प्रजामनित्र धर्मी तथा निष्पादक धर्मी वे बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन न होने के कारण पर्याप्त अमर्गुर्ण स्थिति थी। एक पदाधिकारी द्वारा अलग अलग विभागों में अलग-अलग कार्य सम्पन्न किए जाते थे।

(vi) विभिन्न विभागों में आजीवन सेवा की सम्भावनाओं से पूर्ण कोई सामान्य ध्येयी नहीं थी। इसके परिवर्तन कुछ विभागों ने तो अमावास्या अविभाजित लोगों को आकर्षित किया जबकि अन्य विभागों के प्रनेक वद रिक्त ही पड़े रहे।

(vii) पदोन्नति की रूटिं से प्रत्येक कर्मचारी को उच्चतर पद तक पहुँचने का कानूनी अधिकार था। तुलनात्मक धोग्यता का विजेय व्यावरण नहीं रखा जाता था। किसी कर्मचारी को पदोन्नत करना है इस कारण आवश्यकता न रहते हुए भी नए पद सृजित बर दिए जाते थे।

(viii) उच्च अधिकारी असहगठित एवं सिद्धान्तवादी होने के कारण समन्वयपूर्ण नहीं थे तथा मार्वदनिष्ठ हिन के लिए अपनाई गई राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वदम से वदम नहीं मिलते थे।

(१८) यह मन्त्रालय, गोपनीय, शिक्षा मन्त्रालय एवं कौसिल डी एटा आदि केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा काँस की समस्त स्थानीय सरकार वी इकाइयों में एकहस्ता एवं एकीकरण लाने का प्रयास किया जाता था।

लोक सेवाओं में युद्धोत्तर सुधार (Post war Reforms in Public Services)—द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व फैस म लोकसेवाओं की कोई एक समान्य आचार-सहित नहीं थी। 19वीं शताब्दी में कुछ काँस्में में सेवा की जर्ती का नियमन किया गया था। तृतीय गणतन्त्र के समय भी लोकसेवाओं की कठिनपय समस्पादों के समाधान के लिए प्रयास हुए। 1905 में लोकसेवाओं में अनुशृण्णसन की समस्या तथा 1923 और 1924 में वैज्ञन की समस्या पर विचार किया गया। समद ने अभी तक कोई सामान्य आचार-सहित नहीं बनाई थी। कर्मचारियों की सेवा की जर्ती को स्वयं प्रशासन अधिकारी विभागों द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। प्रशासन की स्वेच्छाचारी शक्तियों को नियन्त्रित करने में कौसिल डी एटा द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी।

लोकसेवा सम्बन्धी नियमों का पहला सहिताकरण विचो (Vichy) सरकार द्वारा 1941 में किया गया, किन्तु यह बाद में रद्द कर दिया गया। इसके स्थान पर एक नया प्राइवेट बनाया गया। 1946 में ससद ने 'Statut General des Fonctionnaires' स्वीकार किया, जो लोकसेवा के लिए अधिकार-पत्र प्राप्ति जाता है। नए संविधान ने सरकार को महिला के नियमन की जल्दि प्रदान की थी। तदनुसार सरकार ने 1959 में एक अव्यादेश जारी किया तथा 1946 की सहिता में से कुछ विस्तृत विनियमों को हटा दिया गया। अब फैस में लोकसेवा मुख्यतः कानूनी द्वारा नियमित है।

नई संविधि के बन जाने के बाद भी लोकसेवा की कोई व्यापक तथा स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है। 1946 का कानून इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं देता। इसके द्वारा दी गई परिभाषा पर्याप्त अस्पष्ट है। इसमें सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को लोकसेवा के स्तर से बाहर रखा गया है। अधिनियम की प्रथम घारा में ही औद्योगिक तथा व्यापारिक नियमों के बीच मध्य बड़ाया गया है किन्तु यह अन्तर बहुत है। इसे स्पष्ट नहीं किया गया है।

एकहस्ता के प्रयास (Measures of Unification)—द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व फैस की लोकसेवा एकहस्त (Unified) नहीं थी। अनेक बार तो वास्तविक कार्यकर्ता इकाई विभाग नहीं बरते काँस्में होनी थी। इनमें से कुछ काँस्में पर्याप्त प्रतिक्रिया थे। उन्हें घपने समझने तथा प्रबन्ध की हस्त से बहुत कुछ स्वायत्तता प्राप्त थी। युद्ध के तुरंत बाद महीं विटिश मॉडल पर अधिक एकता प्राप्त करने के लिए सीन मुख्य द्वारा दिए गए। प्रथम, 1949 में एक लोकसेवा सम्बन्ध (Public Service Division) बनाया गया तथा इसे सीधा प्रधान मंत्री के अधीन रखा गया। प्रधान मंत्री को इसके कार्यों का पर्यवेक्षण करने का दायित्व सौंग रखा।

द्वितीय, 1945 में ही एक प्रशासनिक विद्यालय (The Ecole Nationale d' Administration) की स्थापना की गई। इस सुधार का लक्ष्य गैर-तबनीकी उच्च लोक सेवकों की भर्ती में एवं रूपता साना या। यह स्कूल केवल प्रशासनिक वर्ग के लोकसेवकों की नियुक्ति करता है। निष्पादकीय एवं लिपिक-स्तरीय कर्मचारियों की नियुक्तियों भी भी विभागों के हाथों में छोड़ दी गई हैं। यह स्कूल लोकसेवकों की भर्ती के साथ-माथ प्रशिक्षण का कार्य भी सम्पन्न करता है। तृतीय, 1946 के कानून द्वारा सेवा की सरचना को भी सुधारा गया है। तदनुसार सरकारी विभागों की सभी तबनीकी और गैर-तबनीकी लोकसेवाओं को A, B, C, D—चार शाखों में विभाजित किया गया है। इनकी सुलना प्रेट ब्रिटेन के प्रशासकीय, निष्पादकीय, लिपिकीय तथा टक्कणवर्ती वर्गों से बीं जा सकती है।

<sup>1</sup> उन तीनों ही सुधार महत्वपूर्ण में किन्तु विभागों की परम्पराओं नगा ग्राह कर्वर्स की प्रतिष्ठा ने वास्तविक एकता को यथार्थ बनाने की अपेक्षा आशा ही बना कर छोड़ दिया।

# सेवीवर्ग प्रशासन की प्रकृति

(Nature of Personnel Administration)

प्रशासनिक कार्यों का आज व्यापक विस्तार होता जा रहा है। फलस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तथा मरवार (केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार संयुक्त रूप में) सभ्ये बड़ी नियोक्ता (Employer) बन गई है। हम सभी पार्किन्सन के नियम (Parkinson's Law) या 'नौकरजाही' के उटते हुए 'पिरामिड' से परिचित हैं। पार्किन्सन-अनुसन्धानों ने प्रतिवर्ष 575 प्रतिशत औसत वृद्धि का उल्लेख किया है<sup>1</sup>। विभिन्न देशों की लोकसेवा में वृद्धि से मम्बन्धित आंकड़े इम तथ्य को स्पष्ट करते हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका में 1817 में संघीय कर्मचारियों की संख्या 6,500 से अधिक नहीं थी जबकि 1857 में, जब राष्ट्रपति थार्जनहावर ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद को शपथ ली, संघीय कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 23 लाख तक पहुँच गई थी। भारत में, दिनीय बैरन आयोग में अनुमार केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या 1 अप्रैल, 1948 को 14,45,050 थी जो दृढ़कर 30 जून, 1957 तक 17,73,570 हो गई। मार्च, 1970 में यह संख्या दृढ़कर 28 लाख तक पहुँच गई थी। दूसीय बैरन आयोग (1970-73) के प्रनुसार केन्द्रीय सरकार में कर्मचारियों की संख्या 1971 में 29.82 लाख हो गई थी, इनमें प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 0.34 लाख, दिनीय श्रेणी की 0.46 लाख, दूसीय श्रेणी की 15.45 लाख, चतुर्थ श्रेणी की 13.37 लाख और अवर्गीकृत कर्मचारियों की संख्या 0.20 लाख थी। इन 29.82 लाख कर्मचारियों में 25 प्रतिशत प्रशासकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक, कार्यपालक और नियिक वर्ग के कर्मचारी थे तथा केवल 75 प्रतिशत में उत्पादन व्याधिक और छादक कर्मचारी थे। अब तक ही केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या अनुमानित: 34 लाख तक जा पहुँची है। राज्य सरकारों में सेवारन लोकसेवकों की संख्या तो पौर भी विशाल है। जो सेवीवर्ग या कार्मिक वर्ग इतनी बड़ी संख्या में वार्षिकत है, उसकी प्रत्येक बात महत्वपूर्ण है और इसीलिए हरमन काइनर के अनुमार, "सोन प्रशासन में सेवीवर्ग

<sup>1</sup> Parkinson, C N · Parkinson's Law, p 14

की ही सबोच तत्त्व माना जाना है।<sup>1</sup> इसीलिए जब हम सेवीवर्ग प्रशासन की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान कर्मचारियों की मर्ती, प्रगिक्षण, पदोन्नति, बर्गीकरण, अनुशासन, योग्यता आदि विनाशी ही बातों पर जाता है।

### सेवीवर्ग प्रशासन का अर्थ

#### (The Meaning of Personnel Administration)

मार्शल ई डिमार्क की मान्यता है कि सेवीवर्ग प्रशासन ऐसी प्रशासनिक प्रविधिएँ हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं रोजगार सम्बन्धों का नियमन तथा परिवर्तन किया जाता है।<sup>2</sup> एडविन फिल्पो के मतानुसार सेवीवर्ग प्रबन्ध कार्य करने वाले लोगों की कार्य-मम्पन्नता को नियोजित, संगठित, निर्देशित एवं नियन्त्रित करना है।<sup>3</sup> सेवीवर्ग प्रशासन का यद्यवन्ध संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच हांदिक सहयोग की स्थापना हो तथा संगठन को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाए। ‘लोकसेवा’ शब्द का प्रचलित अर्थ राज्य की प्रशासनीय सेवा की असेविक शाखाएँ हैं। सामान्यतः लोकसेवा में राजनीतिक एवं न्यायिक पद तथा सरकार के लिए अर्थतनिक रूप में कार्य करने वाले और सार्वजनिक राजस्व से बेनेफिट करने वाले अधिकारियों को सम्मिलित नहीं किया जाता। अत लोकसेवा, हरमन फाइनर के शब्दों में ‘अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर निकाय है जो स्थाई बेनेफिट भोगी तथा कार्यकुशलता या दक्ष होना है।’ हाल ही में लोकसेवा में एक नया प्रबन्ध-शोधांगिक कर्मचारी-जोड़ा गया है और सार्वजनिक उपकरण के विस्तार के साथ-साथ शोधांगिक कर्मचारियों की सहाया बढ़ती जा रही है।

संगठन में मानवीय तत्त्व की दृष्टि से दो बातें आवश्यक हैं—प्रथम, संगठन में कुशल तथा अनुभवी कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएं और दूसरे, उन्हें कार्य की सन्तोषजनक शर्तें प्रदान की जाएं। ये दोनों समस्याएँ सेवीवर्ग प्रशासन का विषय हैं। कर्मचारियों की कार्यकुशलता की दृष्टि से इन बातों का ध्यान रखा जाता है—कर्मचारियों की वैज्ञानिक तरीके से भर्ती, कार्य का समुचित प्रशिक्षण, कार्यकर्ताओं की शिक्षा योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुरूप ही बास सौंपना, बेनेफिट भुगतान की वैज्ञानिक पद्धति, उनके कल्हाण हेतु की गई समुचित व्यवस्था और उनके अधिकारियों के निए आवश्यक कार्यवाही, प्रभावशाली जनसम्पर्क की व्यवस्था तथा सेवीवर्गीय कार्यकर्तों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना आदि।

### सेवीवर्ग प्रशासन के मूल तत्त्व

#### (Basic Elements)

सेवीवर्ग प्रशासन के मूल तत्त्वों में हम उन सभी बायों को शामिल करते हैं जो अत्यधिक अस्थाया अप्रत्यक्ष रूप से संगठन की कार्यकुशलता एवं सार्थकता को प्रभावित करते हैं। इनमें से उन्नेसनीय अवधारणा है—

1 D.mack & Others op cit., p 277

2 Edwin B. Flippo Principles of Personnel Management, p. 4

(ii) सही इयान पर सही व्यक्ति रखना (To keep right man at right place)—सेवीवर्गं प्रशासन द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि जो कर्मचारी क्रिया कार्य को करने के लिए उपयुक्त है उसे उसी कार्य में नियाय जाए। जहाँ एक टॉक्टर की आवश्यकता हो वहाँ इन्डिनियर वो नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो कर्मचारी क्षेत्रीय कार्यालयों में अच्छा कार्य करने में सक्षम हो उसे मुख्य कार्यालय में रख दिया गया तो वह शुटन का अनुभव करेगा। इसके विपरीत होने पर भी वह अमुविधा अनुभव करेगा। सेवीवर्गं प्रशासन ऐसी नीतियों का अनुज्ञान करता है ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त कर सके।

(iii) योग्य तथा कुशल कर्मचारी (Qualified and Efficient Personnel)—सेवीवर्गं प्रशासन द्वारा निरन्तर यह प्रयास किया जाता है कि विभिन्न प्रशासनिक पदों पर योग्य कर्मचारी कार्य करें। इस हेतु भर्ती की वैज्ञानिक विधियाँ अपनाई जाती हैं। नियुक्ति में पूर्व प्रत्यानियों की योग्यता एवं क्षमता को वस्तुगत रूप से मापने की चेष्टा भी जाती है, उनके प्रवेश-पूर्व तथा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण का प्रवर्गध किया जाता है। यदि इनमें पर भी कोई अद्योग्य तथा अक्षम कर्मचारी भर्ती हो त्राएं तो उसे व्यवस्था की जानी है। इसके अनियत विभिन्न पशाधिकारियों की अपेक्षित दोषपताघो का समय-समय पर भूम्यांकन किया जाता है। बर्तमान भौतिक एवं सेवीवर्गं प्रशासन योग्यता पर विशेष ध्यान देता है। बहुत समय कार्यरत होने पर भी अयोग्य तथा अक्षम कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति दे दी जाती है जबकि योग्य कर्मचारी घोक्षांकृत नए होन पर भी पदोन्नत कर दिए जाते हैं।

(iv) सेवा की सन्तोषजनक शर्तें (Satisfactory Working Conditions)—सेवीवर्गं प्रशासन द्वारा सभी लोअर-सेवकों के लिए कार्य की उपयुक्त शर्तों की व्यवस्था भी जानी है ताकि वे सन्तोष का अनुभव करते हुए अपने पद के दायित्वों को पूरा कर सकें। उन्हें पर्याप्त वेतन, कार्य के उपयुक्त घण्टे, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएँ आकस्मिन्द सकट के समय सहायता, पदोन्नति की समुचित व्यवस्था तथा सेवानिवृत्ति का समुचित प्रदान किया जाता है। इन प्रयासों के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी की योग्यता और क्षमता का मण्डन के लिए पूरा लाभ प्राप्त होने की चेष्टा भी जाती है।

(v) अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन (Encouragement for Good Work)—सेवीवर्गं प्रशासन का एक उद्देश्य अच्छे कार्य की प्रशस्ता करके उसे प्रोत्साहित करना है ताकि सम्बन्धित कर्मचारी सन्तोष अनुभव करें तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा अच्छे कार्य की प्रेरणा प्राप्त हो यहे। इस उद्देश्य से कर्मचारियों के कार्यों पर एक सजग दृष्टि रखी जाती है, सामयिक रूप में उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, और विशेष योग्य तथा कार्यकुशल पराएं, जरने द्वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पदोन्नति, विशेष सम्मान तथा कार्यकुशलता में प्रमाण-पत्र आदि के रूप में पुरस्कृत किया जाता है।

(vi) अनुशासन की स्थापना (To Maintain Discipline)—प्रशासनिक सगठन के कर्मचारियों में पर्याप्त अनुशासन वा होना बाह्यनीय है। इसके बिना कोई कर्मचारी अपने अपेक्षित कार्यों को सम्पन्न नहीं करेगा तथा सगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल हो जाएगा। अब. सेवीवर्गं प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि प्रत्येक कर्मचारी अनुशासन रह कर अपना दायित्व पूरा बरता रहे तथा दूगारा के कार्यों में अनावश्यक हर से दबलन्दावी न बरे, सगठन के लक्ष्यों के विरुद्ध कोई कार्य न करे तथा साथी कर्मचारियों के माय बाह्यनीय मानव-सम्बन्ध बनाए रखे। यदि कोई कर्मचारी इन अपेक्षाओं की अवहेन्ता केरके सगठन के अनुशासन को तोड़ता है तो सेवीवर्गं प्रशासन उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा और उसके लिए यथोचित दण्ड की व्यवस्था करेगा। यह दण्ड व्यवस्था प्रतिरोधात्मक और सुपारात्मक दोनों प्रकार वी होती है।

(vii) जन-सन्तोष एवं जनहित की उपलब्धि (To Achieve People's Satisfaction and Public Interest)—सेवीवर्गं प्रशासन जनहित की उपलब्धि के लिए उन साधनों तथा मार्गों का अनुगमन बरता है जो उस देश की सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यह ऐसा बातावरण प्रस्तुत करता है जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी जनहित के कार्यों में लगे रहें तथा अपने आचरण से जन-सन्तोष पैदा न होने दें। यहाँ इन कर्मचारियों को मर्दव इन बात का ध्यान रखना होगा कि केवल अच्छे व्यक्ति या कार्यकर्ता होना ही पर्याप्त नहीं है अग्रिम दूसरों को अच्छा लगना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली में बाह्यनीय जन-सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है जबकि जनता प्रशासनिक कार्यों के प्रति सन्तोष का अनुभव करती हो।

(viii) उत्तरदायित्व की भावना (Responsiteness)—जनतान्त्रिक प्रशासन 'जन-सेवक' की भूमिका निभाता है और इसलिए वह ऐसे कार्य करता है ताकि जनता वे प्रति उत्तरदायित्व की भावना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो सके। इसके लिए सेवीवर्गं प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की जाती है। भर्ती के समय यह ध्यान रखा जाना है कि जन सेवा की ओर उन्मुख प्रत्यागियों का चयन दिया जाए। जो कर्मचारी अनुत्तरदायी रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करता है उसके विषद् कार्यवाही करने की व्यवस्था वी जानी है। कर्मचारी की आचरण महिना में उन बातों का उल्लेख दिया जाना है जो कर्मचारी को उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण के लिए प्रेरित कर सके। देश की व्यवस्थाएँ एवं न्यायपालिका द्वारा लोक सेवकों के कार्यों पर समुचित नियन्त्रण रखा जाना है।

(ix) गतिशील एवं परिस्थिति परिस्थितियों के अनुकूल सामर्जस्य की समता (Capacity to Adjust According to Dynamic and Changing Conditions)—एक नदी की धारा की भौति प्रत्येक देश की परिस्थितियों बदलनी रहती है तथा उन बदली हुई परिस्थितियों के साथ ही प्रशासन के दायित्वों तथा चुनोनियों में भी अन्तर आ जाता है। सेवीवर्गं प्रशासन इस तथ्य के प्रति सजग रहे हैं एवं व्यवस्था

करता है ताकि बदली हुई परिस्थितियों का सामना करने में प्रशासनिक संगठन सक्षम रह सके तथा असामिक न बन जाए। मारत में सेवीवर्ग प्रशासन का स्वरूप स्वतन्त्रता से पूर्व, स्वतन्त्रता के बाद तथा आपातकाल की धौरणा से पूर्व आपातकाल की धौरणा के बाद यदि तुलनात्मक विष्ट से देखा जाए तो ज्ञान होगा कि इसके मूल्यों, प्रतिवादों तथा विट्टों से गम्भीर परिवर्तन आए हैं।

(x) संगठन के सिद्धान्तों का अनुशीलन (To Adopt the Principles of Organisation)—सेवीवर्ग प्रशासन द्वारा संगठन के आधारभूत सिद्धान्त, जैसे—पदस्थोपान, आदेश की एकता, नियन्त्रण का क्षेत्र, सचार व्यवस्था, प्रत्यायोजन आदि का समुचित ध्यान रखा जाता है और इन सिद्धान्तों के समुचित निर्वाही विष्ट से ही विभिन्न नीतियाँ अपनाई जाती हैं।

(xi) कुछ अन्य उद्देश्य (Some Other Objects)—सेवीवर्ग प्रशासन अपने उपरोक्त प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो तीर-तरीके अपनाता है वे उसके तात्कालिक लक्ष्य इन जाते हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय ये हैं—संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय माध्यनों का प्रभावशाली उपयोग, सञ्चोगकरक संगठनात्मक सरचना की स्थापना एवं अनुरक्षण, प्रशासनिक संगठन के साथ गैर-सरकारी तथा अनौपचारिक समूहों का एकीकरण, कर्मचारियों में संगठन के मूल लक्ष्यों के प्रति हचि, अपनत्व एवं स्वामिभक्ति जाग्रत करना, संगठन में उच्च मनोबल का अनुरक्षण तथा मानवीय साधन स्रोतों का निरन्तर मूल्यांकन आदि।

### स्वस्थ सेवीवर्ग नीति के लक्षण

#### (Characteristics of a Healthy Personnel Policy)

मैंस वेदर के मनानुसार एक स्वस्थ सेवीवर्ग नीति वह होती है जिसमें सभी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित वर दिए जाएं, इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए उन्हें पर्याप्त सत्ता सौंपी जाए तथा कार्य की एक उचित पदनि एवं व्यवस्था निर्धारित की जाए। उपयुक्त सेवीवर्ग नीति प्रत्येक संगठन की एक वाईटीय विशेषता है। सरकारी संगठनों में इसकी उपयोगिता एवं प्रभाव कुछ अधिक होता है। इसकी सहायता से एक देश के प्रशासन के सार्थक, उपयोगी, कार्यकुशल, प्रभावशाली, गितव्यपी तथा उत्तरदायी बनाया जा सकता है। सेवीवर्ग नीति के सम्बन्ध में कोई सामान्यीकरण नहीं किए जा सकते। यदि एक सेवीवर्ग नीति किसी देश विभेद में सफल तथा प्रभावशाली सिद्ध होती है तो भावशक्ति नहीं है कि व्याय देशों में भी वह उत्तीर्ण हो। प्रभावशाली प्रमाणित होनी। प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ बातावरण, समस्याएँ तथा अपेक्षाएँ भिन्न होती हैं। इनको ध्यान में रखकर ही सेवीवर्ग नीति निर्धारित को जानी चाहिए।

प्रत्येक देश की सेवीवर्ग नीति ही उपयुक्तना वही की इकॉलाजी के सन्दर्भ में ही जानी जा सकती है। यही बारण है कि इकॉलाजी मिल होने के कारण प्रत्येक देश में तोहमेवारी की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्तति, वेतन व्यवस्था, सेवानिवृत्ति, अनुशासन आदि के लिए मिल व्यवस्थाएँ की जानी हैं। एक देश के लिए स्वस्थ

सेवीबर्गं नीति अपनाने ममय मूल्यतः इन बातों का ध्यान रखना चाहिए—सगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति बौनसे हैं, इन व्यक्तियों की समस्याएं देखा है, ये लोग इस अभिप्रेरणा से जार्य करते हैं, इन व्यक्तियों ने ईमानदार तथा कार्यकुशल क्षेत्र बनाया जा सकता है, ये लोग राजनीतिज्ञ होने चाहिए अथवा नहीं, इनको हड़ताल करने का अधिकार दिया जाए, अथवा नहीं, आदि। इन सभी का समुचित ध्यान रखने के बाद जो नीति अपनाई जानी है वह सगठन के कर्मचारियों वे निए अधिकृतम् सन्तोषजनक तथा सगठन के लक्ष्यों को इष्ट से अधिकृतम् सार्थक हो नकेगी। लोक प्रशासन के बिंदुओं ने स्वैर्य सेवीबर्गं नीति के आवश्यक लक्षणों के बारे में चिठ्ठन करने के बाद मुझने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण माना है—

- (i) यह नीति सगठन के स्वयं तथा उद्देश्यों की इष्ट से उपयोगी एव सार्थक होनी चाहिए।
- (ii) यह नीति गत्यात्मक होनी चाहिए ताकि समय की परिस्थितियों एव नई चुनौतियों के साथ स्वयं को ढाल सके। इसमें सेवीबर्गं वे सभी सदस्य उत्साही हो तथा वे नवाचार के लिए सर्वे तत्पर रहें।
- (iii) इसमें कर्मचारियों की भर्ती का प्राथार प्रत्याशियों की सापेक्षिक घोषणा होनी चाहिए तथा यह लूट प्रणाली से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- (iv) इसमें प्राचीन सेवाप्रो की व्यवस्था भी जाती है। सगठन के सभी कर्मचारियों को भूरिष्ठ के प्रति प्राशादैर रहती है तथा पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- (v) एक स्वैर्य सेवीबर्गं नीति के निए स्पष्ट पदसोत्तम भी व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी कर्मचारियों को उनके बत्तेष्य तथा दावित्व बता दिए जाने चाहिए तथा प्रत्येक का उमके उच्च प्रधिकारी तथा अधीनस्थ प्रधिकारियों के साथ मम्बन्ध स्पष्ट कर देना चाहिए।
- (vi) स्वैर्य सेवीबर्गं नीति कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने का प्रयास करती है। यह राजनीतिक तटस्थिता इसलिए बीद्धतावीप है क्योंकि राजनीतिक दल मत्ता में आते और जाते रहते हैं \* हिन्तु लोकमेवकों ने इन परिवर्तनों से अप्रभावित रह कर तटस्थ मात्र से अपना कार्य करते रहना चाहिए।
- (vii) ऐसी सेवीबर्गं नीति म कर्मचारी अनाम रहकर कार्य करते हैं। उनके द्वारा सम्पन्न भी जाने वाली सेवाओं में बत्ता का माव नहीं रहता बरन् सेवक का माव रहता है। बत्ता के रूप में नाम राजनीतिज्ञ बा होता है।
- (viii) स्वैर्य सेवीबर्गं नीति कर्मचारियों में ऐसे मूल्य स्थापित करती है ताकि चैमेनियम अर्टिस्ट्स के साथ एक ऐसा अवधारणा भवे तथा इसी के भी साथ भैदभावपूर्ण नीति न अपनाएं।

## सेवीवर्ग प्रशासन सम्बन्धी नीति

(Policy Relating to Personnel Administration)

सेवीवर्ग के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति ही बहुत कुछ इस बात का निर्धारण करती है कि संगठन को धृपते सक्षय की प्राप्ति में कितनी सफलता मिलेगी। स्वस्य सेवीवर्ग सम्बन्धी नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित होनी हैं—

प्रथम, यह नीति कुछ लक्षणों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित की जाती है; पन्थ, इसकी सार्थकता भी इस बात पर निर्भर है कि यह लक्षणों को प्राप्त करने में कितनी सफल रही।

दूसरे, यह नीति प्रयाप्त गत्यात्मक होनी है। इसके सदस्य उत्साही एवं नए वर्ग बनाने के उत्तमक होते हैं।

तीसरे, यह नौकरशाहीपूर्ण नहीं होती।

चौथे, इसमें योग्यता व्यवस्था को प्रयत्नाया जाता है। सूट प्रणाली (Spoils System) जो इसमें स्थान नहीं दिया जाता।

पाँचवें, ये सेवाएँ आजीवन होनी हैं और सेवाकाल में आशाघो तथा पदोन्नति के अवसरों की पर्याप्त मात्रा रहती है।

छठे, एक अच्छी सेवीवर्ग नीति पदसोनात की उपबुक्त व्यवस्था करती है।

मानवों, यह लटक्क्य होनी है अर्थात् यह राजनीतिक गतिविधि से अप्रभावित रहकर बायं करती है। राजनीतिक दल आते और जाते हैं, सरकारें बदली रहती हैं, विनु सेवीवर्ग तटस्थ (Neutral) भाव से अपना बायं सम्पादित करता रहता है।

आठवें, इसके कार्यों में अनानामता (Anonymity) होनी है। जो भी कार्य सम्पन्न किए जाते हैं वे स्वयं के नाम से नहीं, बल्कि किसी और के नाम से किए जाते हैं।

नवें, यह नीति सेवीवर्ग के कार्यों में निष्पक्षता को प्रोत्त्वाहन देती है। स्वस्य लोक-प्रशासन वही है जिसमें सभी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाएं, उन्हें पूरा करने के लिए कर्मचारियों वो पर्याप्त सत्ता दी जाए हथा बायं-मन्त्रालय व्यवस्थित और प्रणालीवद हो।

मैक्स वेबर (Max Weber) ने लिखा है कि “एक स्वस्य सेवीवर्ग सम्बन्धी नीति वह है जिसमें सभी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाएं, उन्हें पूरा करने के लिए कर्मचारियों वो पर्याप्त सत्ता दी जाए हथा बायं-मन्त्रालय व्यवस्थित और प्रणालीवद हो।”

बास्तव में सेवीवर्ग यथवा कार्मिक-प्रशासन के लिए स्वस्य नीति की दिशा से किसी भी सरकार की निम्नलिखित चार सरकारी एजेंसियों वा विशेष उत्तरदायित होता है—(1) विधान-मण्डल, (2) प्रमुख बायेपालर, (3) सेवीवर्ग यथवा कार्मिक विभाग, एवं (4) सरकारी विभाग जहाँ कर्मचारी काम करता है। विधान-मण्डल वा दायित्व सेवीवर्ग प्रशासन सम्बन्धी आधारभूत नीतियाँ निर्धारित चाला है। “भारत के न्यौं संसदियाँ नहीं हैं। कुछ आधारभूत सच्च सभीवर्ग कर्तव्य गए हैं। उदाहरणार्थ, लोकसेवा धायोग, उसके सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति,

आयोग के कार्यालय आदि वा संविधान मे उल्लेख कर दिया गया है। संविधान मे नौकरसेवा के सदस्यो के लिए कुछ नियमो वा भी प्रावधान है। प्रमुख कार्यपाल का दायित्व नियमो को उचित रूप से क्रियान्वित कराना है। वह विधान-मण्डल को मिशनरिज भी वर सकता है कि परिमितियों और आवश्यकता की इट से नई नीतियों निर्धारित की जाएं अथवा वर्तमान नीतियों से परिवर्तन किया जाए। भारत मे नौकरसेवा आयोग के सदस्यों नथा जेवरमेन की नियुक्ति और सेवीवर्ग या कार्यपाल विभाग (Personnel Department) के उच्च प्रबिधारिया की नियुक्ति मुख्य कार्यपाल द्वारा ही की जाती है। सेवीवर्ग से सम्बन्धित नियुक्ति पदोन्तति, सेवा की जने आदि आदेश मुख्य कार्यपाल द्वारा ही प्रविहृत किए जाते हैं। पहली सेवीवर्ग प्रशासन का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यपाल पर है, तथापि व्यवहार मे जिम्मेदारी कार्यिक या सेवीवर्ग विभाग (Personnel Department) की होती है। भारत मे जहाँ सेवीवर्ग-विभाग नहीं हैं वहाँ गृह-विभाग, नियुक्ति-विभाग आदि इन उत्तरदायित्वो को निभाते हैं। सेवीवर्ग-विभाग मामान्यत वर्मनागीवर्ग की सभी समस्याओं, जैसे-भर्ती, चुनाव, प्रशिक्षण, वेतनपान आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। मारत मे सेवीवर्ग या कार्यिक समस्याओं के लिए नियुक्ति एवं गृह-विभाग उत्तरदायी है। अन्न मे, सरकारी विभाग मे सेवीवर्ग प्रशासन का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष (Head of the Deptt.) पर होता है। वह महायात्रा प्रधिकारी (Establishment Officer) की महायात्रा से प्रपते बायो वा निवेहन करता है।

उपर्युक्त चारों सरकारी एजेंसियो के कुशल उत्तरदायित्व पर ही स्वस्य कार्यिक या सेवीवर्ग प्रशासन की नीति निर्माण है। विशेषत जिसी भी कार्य को सम्बन्ध लगते हैं लिए यतीन, धन, जन और प्रणाली की प्रावश्यकता होती है और इनमे मतीन, जनसत्त्व का धन तथा प्रणाली से अधिक महत्व है। लोक प्रशासन के व्यवहाराती मन्त्रालय के मण्डल ने अक्ति के महत्व को विशेष रूप से प्रकट किया है।

यह भी घ्यान मे रखते योग्य बात है कि सेवीवर्ग वा व्यवहार अनुकूलतत्वो से प्रभावित होता है, अन बौद्धिकीय तत्वो को प्रोत्साहन देना तथा भवीद्धीय तत्वो को हतोत्त्याहित करना लोक-प्रशासन के व्यवहार का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। सामाजिक अवस्था, राजनीति दौरी, रोबगार की आवश्यकताएँ, अंशालिक अवस्था, ऐनिहासिक परम्पराएँ, आदि वा सेवीवर्ग की स्थिति पर पर्याप्त प्रभाव पहता है।

### सेवीवर्ग प्रशासन से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ (Personnel Administration : Some Problems)

सेवीवर्ग प्रधवा कार्यिक प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं को भारत जैसे विभिन्न देश हे सम्बन्ध म समझना अधिक उपयोगी होगा। भारत म सेवीवर्ग आज अपनी स्थिति से प्रमाण नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आधिक है। सेवीवर्ग को सरकार वी निष्पक्षता मे विश्वास नहीं रह गया है। भारतीय न्यायालयों मे कर्मचारी

वर्ग द्वारा भारी सत्या में दाधर किए जाने वाले मुदकमे इस बात के प्रमाण हैं कि वर्मचारी वर्ग के मन में कुछ ऐसी घारला बैठ गई है कि सरकार उनके साथ -प्रयोगिक व्यवहार नहीं कर रही है। प्रजातन्त्र शासन में यह सम्बन्ध नहीं है कि अस-तुष्ट वर्मचारियों को बल-प्रयोग द्वारा मनचाहे रास्ते पर लाया जाए। हण्डे का जोर प्रधिनापकवादी व्यवस्था में ही फाम कर सकता है। यही कारण है कि जगभग सभी प्रजातन्त्रिक देशों में और विशेषकर भारत में वर्मचारी-वर्ग नियमानुसार काम करने का आन्दोलन, धीरे धीरे काम करने का आन्दोलन, ऐराव, हड्डियाल, उग्र-प्रदर्शन आदि का भट्टरा लेता रहता है।

प्रथम समस्या से ही सम्बन्धित दूसरी गम्भीर समस्या यह है कि कर्मचारी-वर्ग सरकार की नीतियों और कार्यकमों को सफल बनाने का पूरा प्रयास नहीं करते। इसका उपाय यह सुझाया जाना है कि यदि वर्तमान कर्मचारियों के स्थान पर नवकारी नीतियों और कार्यकमों से प्रतिधृत (Committed) कर्मचारी हो तो सरकारी कार्यक्रम अधिक सहल न हो सकें। पर इस सुझाव पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में कर्मचारी वर्ग पर राजनीतिक लटकायता (Political Neutrality) का निर्दान लागू होता है। अत नागरिक मेवा के प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह सरकारी सेवाकाल में सरकार के सभी कानूनों, आदेशों और निर्देशों का पालन करे चाहे उसके राजनीतिक विश्वास और विचार कुछ भी हो। श्री पी. बी. आर राव के शब्दों में, “कर्मचारी-वर्ग का यह कर्तव्य है कि वह सरकारी नीतियों को स्वामिभक्ति से कियान्वित करे। किन्तु सम्भवतः यह नहीं बहा जा सकता कि कैतनभी कर्मचारी वर्ग का उन नीतियों में सन्तुष्टि शब्दों पर भी विश्वास होता चाहिए।” वास्तव में भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रतिश्रुत कर्मचारी-वर्ग (Committed Bureaucracy) का मौद्देल फिट नहीं बनता। यह मौद्देल तो प्रधिकारिता उन्नी देशों में उपयोगी निर्द हो सकता है जहाँ राजनीतिक सत्ता स्वायत्त रूप से एक दल के हाथ में हो। बहुदलीय व्यवस्था में प्रतिधृत कर्मचारी वर्ग से तो नहीं समस्याएँ खड़ी हो जातींगी।

तीसरी समस्या नीति निर्धारित करने वाले पदों पर सामान्य प्रशासकों के एकदृश्य अधिवारी की है। इस प्रवृत्ति के विरोध में अनेक देशों में कटु प्रतिनियाएँ हुई हैं। यह आलोचना की गई है कि आधिक और औद्योगिक दोनों में सरकार की प्रसफलताएँ के मूल में एक मुरुख कारण यही रहता है कि सामान्य प्रशासन ही सरकारी नीति-निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। कुल्टन समिति (1968) के प्रतिवेदन के प्रनुसार, “वैशानिकों, इनीतिवारों और अधिक विशेषज्ञ वर्ग के सदस्यों को न तो पूरा उत्तरदायित्व और अवसर ही दिया जाना है और न ही उन्हें अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए अधिकार ही दिया जाता है।” भारत में प्रशासकीय सुधार भविति का, यह भी, मुझात्मा है कि भारतीय प्रशासकीय सेवा के प्रधिकारियों, नूरुरु, रुक्मीति-निर्माण के एकदृश्याधिवार पर रोक लगाई जाए। इस सम्बन्ध में एक भारी विवाद सामान्य प्रशासकों और विशेषज्ञों के बीच है। सामान्य प्रशासक नीति-निर्माण का

अधिकार नहीं थोड़ना चाहूँते जबकि दूसरी ओर विशेषज्ञ नीति-निर्माणिकारी वर्ग पर अधिकार जमाना चाहते हैं। दोनों के बीच विवाद की समाजिक के लिए एक समन्वयकारी मार्ग यह है कि दोनों वाक्यां समान कर दिशा जाएँ और उनके वैतनमात्रों में कोई अन्तर न रखा जाएँ। चौथी समस्या लोकसेवा कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों में भव्यत्वों सम्बन्धों के विवाद की है। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत में लोकसेवकों और राजनीतिज्ञों में कुछ अधिक खींचातानी होने लगी है। राजनीतिज्ञों में लोकसेवा के सदस्यों का बदनाम करने की प्रवृत्ति विवित हुई और राजनीतिक हस्तधेप तथा अखाड़ेवाली वे फलमवहन लोकप्रवक्तों की प्रेरणा-शक्ति को आघात पहुँचा है। बास्तव में ऐसा बातावरण विवित किया जाना चाहिए जिसमें दोनों पक्षों में सहयोग और सद्भावना का विकास हो। भवदात्मक शासन वाले देशों में राजनीतिज्ञ और लोकसेवक गाटी के दो पहियों के समान हैं जिनके बिना प्रशासन-स्थपी गाढ़ी छारे नहीं बढ़ सकती।

पौचहों बड़ी समस्या यह है कि आज कर्मचारी वर्ग को यह भय बना रहता है कि यदि कानून और विभागीय प्रादेशों के अनुमान काम करते हुए भी अनजाने में उससे कोई भूल-चूक हो जाएगी तो विभाग के पदाधिकारी दण्डोत्तमक कदम उठाएंगे और उनके कामों का समर्थन नहीं करेंगे। इसी ओर विटिश शासनकाल में प्रत्येक थोटे-बड़े पदाधिकारी को यह आश्वासन था कि यदि जान बुझकर कोई गड़वड़ी नहीं की गई है तो विभाग कर्मचारी दो अपना समर्थन देगा। आज की सारकीय राजनीतिक और प्रशासकीय परिस्थिति में यह प्रावश्यक है कि ऐसी अवस्था हो जिसमें कर्मचारी वर्ग निर्भय होता रियासत ले जाके। आज परिस्थिति यह है कि राजनीतिज्ञ और लोकसेवक दोनों ही प्रशासकीय दूरी को दूर करने के प्रति ददार्शीत है क्षेत्रिक इसी एक मामले पर अविलम्ब निरांय लेने का मतलब यह होगा कि मिल हो आदएक भी बने घबबा नहीं, किन्तु पौचह जबु घबश्य बन जाएंगे। दोनों ही पक्ष मामले को यामाध्य बसीटों रहने के अभ्यस्त हो गए हैं।

इस स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा जनसाधारण हानि उठाना रहेगा क्योंकि उनके पामले वर्षों तक भट्टके पड़े रहेंगे जबकि समाज का सुविधा-सम्पन्न वर्ग अपना बाध किसी न किसी तरह करा ही लेगा।

### विवित देशों में सेवीवर्गं प्रशासन : तकनीकी प्रभाव के विशेष सन्दर्भ सहित

(Personnel Administration in Developed Countries with Special Reference to Technological Impact)

सेवीवर्गं प्रशासन वौ प्रवृत्ति पर सम्बन्धित देश वौ परिस्थितियों का भारी प्रभाव पहना है। यही कारण है कि विवित देशों में सेवीवर्गं प्रशासन वौ प्रवृत्ति विकासशील देशों से पर्याप्त भिन्न होती है। यह मिन्नना सूचना एवं प्रसार के साथनों वा विकास होने से काफी बहु हो गई है, तथापि आधिक एवं तकनीकी

स्तरों का अन्तर होने के कारण सेवीवर्ग प्रशासन की परम्पराओं के बीच अन्तर रहना स्वाभाविक है। यही हम विकसित देशों के सेवीवर्ग प्रशासन की कुछ सामान्य विशेषताओं का अवलोकन करेंगे तथा इसके बाद विकासशील देशों में इसके स्वरूप पर प्रकाश ढालेंगे।

विकसित देशों की श्रेणी में सुधुकृतराज्य अमेरिका तथा यूरोप वे देशों को शामिल किया जाता है। इनमें से अधिकांश देश राजनन्द से प्रजातंत्र अथवा सुसदीय व्यवस्था की प्रोटर उम्मुख हुए हैं। इन देशों की नीकरणाधी व्यवस्थाओं में कुछ सामान्य विशेषताएँ पाई जाती हैं तथा कुछ आधारभूत अन्तर भी है।

### सामान्य विशेषताएँ

#### (Common Characteristics)

(i) समाज में उपलब्ध वर्गों के समरूप ही लोकसेवाओं को प्रमुख धेरियों में विभाजित किया जाता है।

(ii) समाज में प्रजातांत्रिक परम्पराओं वे प्रसार के साथ-साथ इन धेरियों की सीमाएँ टूटती रहती हैं।

(iii) उच्च स्तरीय लोकसेवाओं में प्राय विशिष्ट वर्ग के लोग आते हैं जिनका समाज में मारी सम्मान होता है।

(iv) लोकसेवाएँ राजनीतिक औड-नोड से पृष्ठ रखी जाती हैं तथा उन्हें वार्षिकाल की सुरक्षा दी जाती है।

(v) कर्मचारियों की पदोन्नति में वरिष्ठना वो महत्व दिया जाता है।

(vi.) कर्मचारियों वो मध्य बनाने तथा मध्यों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करने की सुविधा दी जाती है।

(vii) कर्मचारियों का वेतन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में कम होता है।

उक्त सभी विशेषताएँ समान हैं से नहीं वरन् किसी के किसी मात्रा में प्राय सभी विकसित देशों में पाई जाती हैं। इन समानताओं के साथ साथ इन देशों के सेवीवर्ग प्रशासन में अन्यमानताएँ भी दर्शनीय हैं।

### मूलभूत अन्तर

#### (The Basic Differences)

(i) सभी विकसित देशों में कर्मचारियों की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है तथा योग्यता की जांच हेतु प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित ही जाती हैं। इन परीक्षाओं के प्रायोजन तथा रद्दिकोण में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। सुधुकृतराज्य अमेरिका में वस्तुनिष्ठ प्रकार वी छोटे उत्तरो वाली परीक्षाएँ जिनकी प्रक्रिया हैं उनकी और कही नहीं हैं।

(ii) योग्यता व्यवस्था के प्रमाण का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रायः सभी विकसित देशों में एक सेवीवर्ग अभिकरण की व्यवस्था दी जाती है किन्तु कुछ देशों में इनके द्वारा सेवीवर्ग प्रशासन के समस्त कार्य का नियंत्रण नहीं हिया जाना।

(iii) कार्यपालिका के नेतृत्व से सेवीवर्ग प्रशासन को प्राप्त होने वाली स्वतन्त्रता वा अनुपात सभी विकसित देशों में एक जैसा नहीं है।

(iv) कुछ विकसित देशों में मुख्य कार्यपालिका से जुड़ा हुआ एक विशेष अधिकारण रहता है। यह कुछ नीति सम्बन्धी पहल करता है तथा निर्देश सम्बन्धी सत्ता रखता है जो केन्द्रीय भर्ती अधिकारण को प्राप्त नहीं होती।

### सेवीवर्ग प्रशासन पर तकनीकी का प्रभाव

**(Impact of Technology on Personnel Administration)**

सेवीवर्ग प्रशासन की मरचना एवं कार्यों पर तकनीकी विवाद तथा मशीनीकरण का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। इसे देखते हुए विवेचनों द्वारा यह कहा जाता है कि पाश्चात्य देशों की सेवीवर्ग व्यवस्था का बहुमान स्वरूप बहुत कुछ तकनीकी एवं योग्यिक सम्यता की उपज है। मशीनों के प्राविष्टिकार ने कार्यालय में व्यव होने वाली मानव शक्ति की वज्रन की है। मशीनों द्वारा व्यवस्था में अपेक्षा मस्तिष्क से चलती है। एक ही मशीन जिसने कम समय में जितना अधिक काम लेती है उतना अनेक व्यक्ति काफी समय लगाने के बाद भी नहीं कर पाते। बड़े स्तर का संगठन आज एक बटन दबाने मात्र से सक्रिय हो जाता है। प्रयास है कि मानवीय मानव की अपेक्षा यांत्रिक मानव ही सारे कार्य कर लिया करेगा। इस मशीनीकरण एवं तकनीकी विकास का सेवीवर्ग प्रशासन पर बहुआधारी प्रभाव पड़ा है। इनमें से कुछ का अर्णुन निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(i) कार्य की सन्तोषजनक शर्तें (Satisfactory Working Conditions)—वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप यह सम्भव हुआ है कि कार्यालय में काम करने वाल कर्मचारियों को स्वास्थ्यप्रद वातावरण में रहा जा सके। अब काम करते समय उनकी मर्दी, यर्मी तथा वरसात से रक्षा का समुचित प्रयास किया जा सकता है। काम की जगह रोशनी की व्यवस्था की जाती है तथा बैठने का ऐसा प्रबन्ध किया जाता है ताकि कार्य की सम्पन्नता में किसी शकार की वाघान न आए। कार्य की इन वाहा परिस्थितियों के मन्तोपज्ञक तथा आरामदेह होने के कारण कर्मचारी वो अपने कार्य में आत्मगौरव की प्रतिष्ठिति होती है तथा वह अपने दायित्वों को अधिक इच्छा के साथ संपन्न करता है।

(ii) यातायात के द्रुतगमी साधन (Rapid Means of Communication)—वैज्ञानिक अविष्टिकारों के परिणामस्वरूप स्थान की दूरियां घट गई हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण मद्दत हो सका है, लेत्रीय कार्यालय अधिक स्थापित करने तथा उन कार्यालयों से अधिक शक्तियां सौंपने में मुश्किल हुई है, लेत्रीय कार्यालयों पर मुख्य कार्यालय के अधिकारियों के अधिक दौरे होने लगे हैं तथा उनका नियन्त्रण अधिक वास्तविक बन गया है। लेत्रीय कार्यालय के कर्मचारी भी आवश्यकतानुसार तुरन्त मूल्य कार्यालय पहुँच जाते हैं।

(iii) द्रुतगमी साधन (Rapid Means of Communication)—टाक, टार, टेलीफोन भादि सचार साधनों के विकास के परिणामस्वरूप प्रशासनिक

सगठनों की आनंदिक एवं बाह्य सचार व्यवस्था पर उन्नेल त्रिय प्रभाव पड़ा है, उच्च अधिकारी के नियन्त्रण के क्षेत्र बढ़ा है। वह समय पर प्रबीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दे पाना है, सगठन की समस्याओं एवं गतिविधियों का परिचय अन्यतरां में ही प्राप्त हो जाता है। प्रबीनस्थ कर्मचारी को भी मुख्य कार्यालय से आवश्यक निर्देश या स्पष्टीकरण प्राप्त वरने में विशेष समय नहीं लगता, भ्रत कार्य जीव सम्पन्न हो जाते हैं। कोई भी प्रशासनिक समस्या अब बाह्य भ्रम उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यालय से जीव सम्पर्क स्थापित करके उसे दूर किया जा सकता है।

(iv) कार्य प्रक्रिया में सहायीय यन्त्र (Mechanical Aids in Working Procedure)—सेवीवर्ग प्रशासन के कार्य, दायित्व एवं समस्याएँ उन विभिन्न वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों से भी काफी प्रभावित हुए हैं जिनकी सहायता से कार्यालय में कार्य की गति में तृद्धि हुई है। प्रेम, टाइप, टेरिकार्डर तथा ऐसे ही अन्य उपकरण प्रशासनिक गतिविधियों को प्रभावित करने में, महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

(v) सामाजिक मूल्यों तथा प्रशासनिक अपेक्षाओं में परिवर्तन (Change in Social Values and Administrative Expectations)—वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों के कारण सामाजिक मूल्यों में अमाधारण परिवर्तन प्राप्त है। सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन तथा भौतिक सम्पन्नता के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों ने समाज के पुराने मूल्यों तथा आस्थाओं को घटाशायी कर दिया है तथा उनके स्थान पर एक नई सम्भवता और सकृदित जन्म लिया है। 'इस नई सम्भवता के मूल्य, प्रारूपकारण तथा इनके द्वारा प्रशासन से की गई अपेक्षाएँ पहले की अपेक्षा काफी बदल गए हैं। इस परिवर्तन ने प्रशासनिक सगठन के स्वरूप तथा सेवीवर्ग प्रशासन के कार्यों और दायित्वों को भी प्रभावित किया है।

(vi) स्वचालितों का प्रभाव (Impact of Automation)—व्यावहारिक शोध में हो रही निरन्तर प्रगति ने 'बटन दबाओ' संस्कृति वा विकास किया है। इस नई दुनिया में व्यक्ति का अधिकारीग मानसिक तथा शारीरिक कार्य यान्त्रिक मानव (Robot) ने ले लिया है। स्वचालितों के आविष्कार के फलस्वरूप अमाधारण रूप से प्रशासनिक शियाएँ प्रारम्भ हुई हैं। कम्प्यूटर ने मानव शर्म को बचाने में बहुत कुछ योगदान किया है। इसके कारण विभिन्न उद्यमों की कार्य प्रक्रिया तथा सरचना में परिवर्तन प्राप्त है। कार्य सम्पन्नता में गति एवं निवित्तता दोनों बातें आई हैं। फलत, बड़े सगठन बनने लगे हैं, निजी एवं सरकारी सगठनों का भाकार पूर्विका बढ़ गया है। स्वचालितों के आविष्कार वा एक आशावनक सम्भावित प्रभाव यह समझा जाता है कि बड़े स्तर के सगठन में आनंदिक नियन्त्रण के विन्दुओं को न्यूनतम सम्भव घटाकर नीकरणाही के दोष कम किए जा सकेंगे। इस विकास वा एक अन्य प्रभाव यह हुआ है कि आनंदिक नियन्त्रणों के विस्तार के कारण विधायी पर्यवेक्षण अधिकरण सीमा तक बढ़ गया है तथा सगठन की आवश्यक भावना पर बुढ़ाराधार हुआ है। स्वचालितों की सहायता से इस

बुराई को नियन्त्रित किया जा सकेगा तथा इसके कलस्वरूप सरकारी कार्यों के प्रशासन में नई तकनीकी अपनाकर गतिशीलता लाई जा सकेगी। कार्यकुशलता एवं मितव्ययता बढ़ाने के लिए प्रशासन वी अनेक नई तकनीकें अपनाई जा सकेंगी।

### विकासशील देशों में सेवीवर्ग प्रशासन

#### (Personnel Administration in Developing Countries)

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के देश विकासशील देशों को थोड़ी में भा गए हैं। इन देशों के सक्रमणकालीन समाज में सेवीवर्ग प्रशासन की भूमिका पर्याप्त गहरवृद्धि है। इनमें से जिन देशों में पहले नोकरजाही वा समर्थन प्रभावहीन तथा प्रायसिद्ध था वहाँ एवं इसका निरन्तर विकास हो रहा है। विकासशील देशों के सेवीवर्गे प्रशासन की सामान्य विशेषताओं का विवेचन करने से पूर्व हम यहाँ ऐसी कुछ सामान्य समस्याओं का अवलोकन करेंगे। कठिपय सामान्य समस्याएं

#### (Some Common Problems)

- (i) बाह्य आत्ममणि के विद्वद् सुरक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था की स्थापना,
- (ii) शासन के भौतिक्य के प्रति सहमति बनाए रखना,
- (iii) विभिन्नापूर्ण धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा देशीय तत्वों को राष्ट्रीय राजनीतिक समुदाय में एकीकृत करना,
- (iv) बेंद्रीय, देशीय और स्थानीय सरकारों के बीच तथा सरकारी सत्ता और नियंत्री देश के बीच धौषित्वारिक शक्तियों तथा कार्यों का समर्थित एवं विनियित करना,
- (v) परम्परागत सामाजिक निया आदिक निहित स्वायों को हटाना,
- (vi) प्राधुनिक एकीकृत ज्ञान एवं संस्थाओं वा विकास,
- (vii) मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करना,
- (viii) राष्ट्रीय बचत एवं सम्यक वित्तीय घोलों को वित्तीय बनाना,
- (ix) विनियोग वा बुद्धिमूर्ख भावठन तथा सुविधाओं एवं सेवाओं का कुशल प्रबन्ध,
- (x) प्राधुनिकीरण की प्रक्रिया में सहभागिता को सक्रिय बनाना,
- (xi) धर्मराध्यक्ष समुदाय में एक सुरक्षित स्थिति प्राप्त करना आदि।

उक्त सभी समस्याओं के निवारण के लिए अनुभवी राजनीतिज्ञों के कुशल सरकारी नेतृत्व के साथ साथ सेवीवर्ग प्रशासन की दक्षता भी बहुतीय है।

#### कठिपय सामान्य विशेषताएं

#### (Some Common Characteristics)

विकासशील देशों के सक्रमणकालीन सेवीवर्ग प्रशासन की कुछ सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- (i) यहाँ वा सेवीवर्ग प्रशासन धर्म, जाति, जन-जाति, वर्ग एवं समूहों प्रादि

के प्रभावों तथा दबावों से पीड़ित रहता है। स्थानीय राजनीतिज्ञ एवं नौकरशाह अपने शक्ति स्थिति के साथ विभी प्रभाव का समझौता नहीं करना चाहते, भर्त: यह दबाव एक गम्भीर समस्या बन जाता है।

(ii) प्राय सभी विकासशील देश कभी यूरोपीय साम्राज्य का ग्रन्थ थे। यहाँ की नौकरशाही के समठन तथा कार्यों का स्वल्प साम्राज्यवादी देशों द्वारा निर्धारित किया गया था और तभी की परम्पराएँ यहाँ अब तक चली आ रही हैं। इन परम्पराओं की आज की परिवर्तित परिस्थितियों चुनौतियों तथा वानावरण में उपयोगिता नहीं रही है फिर भी स्वदेश के नाम पर इनकी रक्षा की जाती है तथा निहित स्वार्थों द्वारा इनमें प्रस्तावित प्रयोक्ता परिवर्तन का विरोध किया जाता है।

(iii) विकासशील देशों की नौकरशाही में निहित स्वार्थों को समस्या रहती है इसी कारण पुराने लोकसेवक सत्ताओं और महस्त के पदों पर पज्जा जमाए रहते हैं अथवा उच्च वर्ग के लोग उच्च पदों को चेर सेते हैं। ये निहित स्वार्थ सेवीवर्ग प्रशासन में बौद्धनीय परिवर्तन नहीं होते देते। इन देशों की नौकरशाही कभी कभी सभाज के उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने लगती है जिनके विचारों को नई पीढ़ी तथा चुनी है। जब नौकरशाही पदों पर प्रशिक्षित सेनिक अथवा उद्योगपति आ जाते हैं तो उसके विकास की गति प्रबल्द हो जाती है। विकासशील देशों में अधीनस्थ पदों पर प्रवेश की परम्परा, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, कार्यक्रम पूरण उत्तमाह की अपेक्षा निष्क्रिय निरपेक्षता पर जो तथा कार्यकाल की सुरक्षा आदि वार्ता पाई जाती हैं। इनके परिणामस्वरूप यथास्थिति को बनाए रखने का बातावरण बनता है और परिवर्तन तथा भागजस्य बढ़िन बन जाता है। इन देशों का अभिजात्य वर्ग अपनी शक्तियाँ, तथा विशेषाधिकार त्यागने को राजी नहीं है।

(iv) इन देशों में व्यावसायिक तथा तकनीकी सेवीवर्ग के लिए मतोपज्ञक अभिप्रेरणा नहीं रहती। इसके बिपरीत इन देशों के तकनीकी विकास के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की भारी भावशक्ता रहती है। सेवीवर्ग व्यवस्था पर गैर-विशेषज्ञों तथा निहित स्वार्थों का प्रभाव रहने के बारए डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि विशेष अधिकारियों को उपयुक्त वद प्राप्त नहीं हो पाता और वे सरकारी सेवा में अधिक समय नहीं रह पाते अथवा असन्तुष्ट बने रहकर अपने निजी व्यवसायों की ओर अधिक ध्यान देते हैं। इन देशों में मुख्य पदों पर गैर-विशेषज्ञ अधिकारी व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ अधिकारियों को प्रवेश नहीं पाने देते, फलत नीति-निर्माता राजनीतिज्ञ प्राय विशेषज्ञ अधिकारियों से विचार-विमर्श नहीं कर पाते।

### सेवीवर्ग प्रशासन पर विकास कार्यों का प्रभाव

(Impact of Development Activities on Personnel Administration)

विकासशील देशों में सेवीवर्ग प्रशासन को प्रयोक्ता परिवेशात्मक चुनौतियों वा सामना करना पड़ता है। इसे आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता, शिक्षा का प्रसार, समाज सुरक्षा आदि कार्यों की दिशा में उल्लेखनीय

दायित्वों वा निर्धार्ह करना पड़ता है। देश का नियोजित प्रायिक विकास भी अपने कनए दायित्व मौपता है। विकासशील देशों का एक दुखद तथ्य यह है कि यहाँ बौद्धनीय परिवर्तन नूने वाला मुख्य यत्र सरकार होनी है तथा गैर-सरकारी समस्याएँ सरकार के नियन्त्रण और निर्देशन के अधीन ही कुछ बायं वर पाते हैं, अन मौकरशाही का दायंक्षेत्र एवं प्रभाव-क्षेत्र बड़े जाता है। अपने परिवर्तन दायित्वों का निर्धार्ह करने के लिए नौकरशाही के सगठन तथा इटिकोल में परिवर्तन साना बौद्धनीय है। इस सम्बन्ध में कोटारी एवं रॉय का कहना सही है कि 'यदि एक प्रमुख सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में सरकारी नौकरशाही को सफल होना है तो इसे अपने कुछ परम्परागत इटिकोल एवं कार्य के तरीका को छोड़ना होगा। जिस जनता पर इसे जासन करने की आइन थी उसके प्रति इटिकोल बदल कर एक सहभागिता निमित बरनी होगी।' विकासवादी नीतियों के कारण मेदोदर्गं प्रशासन वीरुप-रचना पर मुख्य हर से निम्ननिवित प्रभाव पड़े हैं—

(i) जन आकांक्षाओं के प्रति सजग हृष्टिकोण (Conscious Attitude towards Public Expectations)—विकासशील देशों की नौकरशाही काफी सबैदनशील होनी है। यह सर्व सजग तथा सतकं रहकर प्रतीक्षा और शरा की दृष्टि से नौकरशाही के बायों का मूल्यांकन करने हुए यह जनने की चेष्टा करती है कि नौकरशाही उनकी समस्याओं के समाधान तथा विकास की दृष्टि से बया कर रही है। जागरूकी, धमताहीन, जनमाधारण अपनी समस्याएँ स्वयं नहीं मुलभा पाता यत नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी नीति एवं कार्यक्रम तथ करते समय जन आकांक्षाओं का समुचित ध्यान रखे।

(ii) साधारण जन के साथ घनिष्ठ सहयोग (Close Co-operation with Masses)—स्वर्गीय प्रधान मंत्री थी जवाहरलाल नेहरू का बहना या कि प्रशासनिक अधिकारी चाहे वह दिसी भी ह्यार वा हो, करोड़ो-करोड़ा साधारण जनों से सहवन्ध रखता है। इन लोगों वी समस्याएँ कार्यान्वय म बढ़ेवढ़े आदेश प्रसारित करने मात्र से दूर नहीं हो जाती वरन् इनके समाधान से निए उनके करोड़ो हाथों का सहयोग आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आग जनता को कार्य के निए प्रेरित करने की आवश्यकता है। नौकरशाही की जनता वे शासक की भौति नहीं बरन् सेवक तथा सहयोगी की भौति अवहार करना चाहिए।

(iii) उत्तरदायित्वपूर्ण हृष्टिकोण (Responsive Attitude)—विकासशील देशों की नौकरशाही अवस्थाविका एवं ग्राम्यालिका वे प्रति उत्तरदावी रहकर बायं करती है। यहाँ की बायंपानिका राजनीतिक परिवरता की समस्या से प्रस्तु रहकर जन-भावीक्षाओं की पूर्ति का प्रयाप करती है। विकास बायों के सेवा में की गई उपलब्धियाँ उनके बन समर्थन तथा राजनीतिक श्विरता का आधार बनती हैं। अत यह आवश्यक है कि नौकरशाही निरन्तर भवियों के निर्देशन तथा नियन्त्रण म रहकर बायं बरे और विकास बायों म सफलता का सेहरा स्वयं के सर बौधने की अपेक्षा सारा थेय मौन्ययों की हो लेने दे।

# भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में सेवीवर्ग प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन

(A Comparative Study of Personnel Administration in India, Britain, U.S.A. and France)

सेवीवर्ग प्रशासन सम्बन्धी कुछ संदर्भिक पहलुओं तथा सामान्य बातों का विवेचन करने के बाद इस अध्याय में हम भारत, ब्रिटेन, संयुक्तराज्य और फ्रांस के विशेष सन्दर्भ में सेवीवर्ग प्रशासन के व्यावहारिक रूप की क्विप्य विझेपताओं का अध्ययन करेंगे। इन विशेषताओं का अवलोकन अधिक अध्यायों में प्रस्तुत लोक सेवकों की भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, सेवा की शर्तों पार्दि की पृष्ठभूमि के रूप में भी साथें करहेगा।

**भारत में सेवीवर्ग प्रशासन**  
(Personnel Administration in India)

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय प्रशासन के विकास का अध्ययन प्राकर्पंड है क्योंकि भारत पहला स्वतन्त्र देश है जिसने प्रशासन के जरिए आधिक विकास करते हुए, प्रशासनिक ढाँचे में विस्तार और विविधता लाकर भी उस ढाँचे को बनाए रखने और इस प्रकार विस्तृत होने वाले प्रशासन का सासदीय लोकतन्त्र तथा प्राधिक विकास के साथ तालमेल बनाए रखने का अन्य नव स्वतन्त्र देशों की तुलना में विशेष सफल प्रयास किया है। इन तीनों कस्टियों पर आधारित भारतीय प्रशासन भी सफलता एंगिया और भक्तिका के नए स्वतन्त्र देशों के लिए मनुकरणीय है। अनेक दिनों के बावजूद भारतीय प्रशासन में सम्प्रत्यक्ष, सबोलेपन, कार्य-समता पार्दि के विशिष्ट गुण विद्यमान हैं और सहटकाल में तथा विशिष्ट स्थिरता पर भारतीय प्रशासन ने अपने इन गुणों का परिचय दिया है। 1982 में एंगियाड और 1983 में नियुंट शिवर सम्मेलन और किर राष्ट्रकूत सम्मेलन के घवसरी पर भारतीय प्रशासन ने अपनी कार्य-समता का जो परिचय दिया उसे विश्व के अग्रणी देशों ने भी सराहा है। सचयानुमार सभी स्तरों पर प्रशासन हो पुर्णगंदित

करने और सजाने-मचाने की प्रतिया चलती रहती है और ऐसे उपाय किए जाते हैं कि उसकी कार्य-शमता और कार्य-बदला में ठोस विकास हो। भारतीय सेवीवर्ग प्रशासन वी प्रकृति अथवा स्वरूप को हम निश्चिलिखित रूप में स्थित कर सकते हैं—

### (1) अतीत की विरासत

(The Legacy of Past)

वर्तमान भारत का सेवीवर्ग प्रशासन स्वतन्त्रता-पूर्व के द्वितीय-भारतीय प्रशासन का प्रतिरूप है। अंग्रेज शासकों ने पूरे भारत का राजनीतिक एकीकरण किया, कृष्ण प्रशासन यन्त्र की स्थापना की तथा प्रजानान्तिक शासन-ध्यवस्था की कुछ परम्पराओं का बीजारोपण किया। इसे वे भारत को स्वतन्त्रता देने के बाद अपनी यादमार के रूप में छोड़ गए। यह यादगार भारतवासियों को पर्याप्त महंगी पही द्योकि स्वतन्त्रता पूर्व की इसीनामी में विकसित सेवीवर्ग ध्यवस्था का मुख्य कार्य शान्ति-ध्यवस्था की स्थापना करता तथा राजस्व संप्रह करता था। आपिष्ठ और सामाजिक क्षेत्र में इसके दायित्व नगण्य थे। स्वतन्त्रता के बाद निमित्त नए परिवेश में यह ध्यवस्था प्रसारितिक बन गई।

द्वितीय भारतीय नागरिक सेवा केवल अंग्रेजों के लिए खुली थी। इसमें भारतीयों का प्रवेश केवल प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही हो सका।<sup>1</sup> अंग्रेज अधिकारी जातक होने के बहुत तथा थोड़ गोरी नस्ल की उच्चता की भावना से पीड़ित थे। एलेटों के सरकार-वर्ग की मानि वे तृणणा-प्रधान भारतवासियों पर पूरा नियन्त्रण रखने के पक्ष में थे। याज जनता भेद-वर्गियों की मानि विवेकानन्द-प्रहीन रहकर अंग्रेज अधिकारियों हो मार्ड-वाप कहने तथा ममन्त्रे वे रिए बाध्य थे। ऐसी नौकरशाही पूर्णत सत्तावादी, एकीकृत, भूमिक्त, भ्रमुत्तरदायी, स्वेच्छावारी तथा अप्रजातान्त्रिक बन गई। इसका लक्ष्य देश का आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, जनहित की उत्तमता तथा जन-सुविधाएं जुटाना कठारि नहीं था। यह अपनी कार्य-प्रतिया में सैनिक तौर-तरीके अपनानी थी। यही नागरिक सेवक अपने अधिकारी वायों के लिए किसी अन्य के प्रति नहीं वरन् स्वयं के प्रति उत्तरदायी रहता था।<sup>2</sup> ऐसी नौकरशाही स्वतन्त्र भारत के योजनाबद्ध विकास तथा प्रजानान्तिक मूल्यों के परिवेश में अपर्याप्त अपार्थित तथा अमनोद्यत्वक थी। इन्हें पर भी स्वतन्त्रता के बाद अनीन वी इस सामनवादी विरासत को बहुत कुछ अपीकार कर दिया गया।<sup>3</sup> आज भारत के प्रशासनिक ध्यवहार में अनेक बातें ऐसी हैं जो एक सम्प्रभु

1 For detailed study of recruitment and training of ICS please consult—  
N. C. Roy Civil Service in India, Calcutta, 1969

2 David Potter "Bureaucratic Change in India" In Asian Bureaucratic Systems emergent from the British Imperial Tradition, ed by Ralph Braibanti, 1966, p. 143

3 Paul H. Appleby Public Administration in India. Report of a Survey, Govt. of India Publication, Delhi, 1953, pp. 8—14

राजद वी नौकरशाही के साथ कोई समर्पित नहीं रखती बिस्तु अतीत को जिन्दा रखने मात्र के लिए इनको अपनाया गया है। ये अनीन के पराधीन उपनिवेशी व्यक्तित्व भी याद दिलाती हैं।<sup>1</sup> स्वतन्त्र भारत नी नवीन आवास्यकताओं के संदर्भ में प्रशासन की नई दिशाओं में नई परम्पराओं का विकास करना चाहिए था, किन्तु यह नहीं हुआ। तथा भारतीय नागरिक सेवा (I C S) का परम्पराएँ कायम रही।<sup>2</sup>

देश के आधिक विकास के लिए देश के सेवीवर्ग प्रशासन वा नवीनीकरण किया जाना परम ग्रादशक्ति था। ला पालाम्बरा (La Palambara) की मान्यता है कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के सशिय योग्यतान के साथ देश का आधिक विकास करना है तो एक नए प्रकार की नौकरशाही वाच्छनीय है जो ग्रोपचारिक व्यवहार, पदसोपान, वरिष्ठता आदि पर विशेष जोर न दे।<sup>3</sup> स्वतन्त्र भारत में आधिक विकास, जनतान्त्रिक परम्परा, जन-सहयोग भी अनिवार्यता, सामुदायिक विकास कायकम, पचवर्षीय योजनाओं की वार्षिकियता आदि की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश राज को सेवीवर्गीय परम्पराएँ असामिक बन गई हैं। एकीकृत, पदसोपनीय, ग्रोपचारिक, सत्ताधारी, अनुसंरक्षायी तथा स्वेच्छाचारी सेवीवर्ग व्यवस्था वी विरासत स्वतन्त्र भारत के दायित्वों के निर्वाह में केवल प्रभाव नीत ही नहीं है बरत् अनेक प्रकार से हानिप्रद और अडरोधक भी है। स्वतन्त्रता के बाद देश के मामाजिक वातावरण में गम्भीर गुणात्मक परिवर्तन आ गए हैं। राजनीतिक रदमच पर निर्वाचन, राजनीतिक दल, प्रतिनिधि मस्दाएँ, उत्तरदायी सरकार, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, जनसत की प्रभुता आदि उभर कर आए बिन्तु नौकरशाही अभी भी पीछे की ओर देख रही थी।<sup>4</sup> जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में ही स्वीकार कर लिया था वि 'ग्राई सी एस' की भावना का प्रभाव रहते हुए हमारा प्रशासन एव नौकर-सेवाएँ नई व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकती। नई व्यवस्था का श्रीगणेश होते से पूर्व ग्राई सी एस तथा ऐसी ही घन्य सेवाओं को प्राप्त कर देता चाहिए।<sup>5</sup>

परिवर्तित वातावरण में यह अपेक्षा की जाती है कि सरकारी अधिकारियों के नौकरिय नेता जैसे सभी गुण होने चाहिए। आज के प्रशासनिक प्रधिकारी से यह प्राप्त नहीं की जाती कि वह देहाती जनता का माई-बाप बनकर व्यवहार करे। उसे देहाती जीवन के माथ मिल जाना होगा। गैरिड के गोदर-कीचड से दूर हटकर नहीं बरत् उन्हे बदलकर ही नए समाज की रचना सम्भव है। भारतीय 'नौकरशाही'

1 Berr F. Hoselliz: "Tradition and Economic Growth" in Tradition, Values and Socio-economic Development, ed by Braibanti and Spengler, 1961

2 Leo M. Snowiss: The Education & Role of Superior Civil Service in India, EPA, VII, I, 1961, p 24

3 Joseph La Palombara: "An Overview", in Bureaucracy and Political Development, p. 12.

4 A R C Report on Personnel Administration April, 1969, p 56

5 Jawahar Lal Nehru Autobiography, London, 1953, p 282.

की प्रकृति में परिवर्तन की प्रावश्यकता स्वतन्त्रता की रजन-जयन्ती मनाने के बाद भी कम नहीं हो सकी है। अतीत की विरामक इमर्गी रग-रग में इतनी भर भुक्ती है कि इससे मुक्त होकर नए परिवेश के दायित्वों को समझाने में यह स्वयं को अक्षम गानी है। आपातकाल में नौकरशाही पर अकृश लगाकर उसे लोकसेवक बनान वीचेटा की गई थी किन्तु यह योग गया सेवा-भाव सेवक तथा सेवित दोनों के व्यापक असंतोष का कारण बना।

## (2) नई चुनीतियाँ और नए दायित्व

(New Challenges and New Responsibilities)

15 अगस्त 1947 को भारत में शक्ति का हस्तातरण होने ही सरकारी यन्त्र पूर्णत बदल गया। अनुत्तरदायी गवर्नर जनरल की अनुत्तरदायित्वहीन कार्यशालियों के स्वातं पर उन्नरदायी मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई। 26 जनवरी, 1950 को नया संविधान लागू होने पर प्रशासन को एक नया दर्शन तथा अपूर्व विषयवस्तु प्राप्त हुई। नए बानावरण में भारतीय सेवीवर्ग के सामने अनेक नई चुनीतियाँ पेंदा हुईं। इनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- (i) स्वतन्त्रता के बाद अनेक देशी रियासतें भारत में जामिल हुईं थीं। इन सभी रियासतों की विभेद समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी थी ताकि शीघ्र ही ये अपनी अवलोकन व्यवस्था पूर्य क्षमिति को छोड़कर देश की सामान्य पारा में एकत्र हो जाएं।
- (ii) भासीय प्रजानम्ब की स्थापना से प्रशासनिक मरमता का कार्यमार बढ़ गया। नए सरकारी संस्थान स्थापित हुए, फलत सेवीवर्ग प्रशासन के दायित्वों का सेवा व्यापक हो गया।
- (iii) द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद आधिक अध्यवस्था, मुद्राघटीति, स्वास्थ्य का असाव, आवश्यक वस्तुओं की महंगाई आदि की जो समस्याएँ पेंदा हुईं उनकी कानी द्धाया देश को पेरे हुआ थी। सेवीवर्ग प्रशासन को इसमें सोहा लेना था।
- (iv) स्वतन्त्रता के बाद सरकारी कार्यों की प्रकृति बदल गई। देश में सामाजिक तथा आधिक परिवर्तन के लिए वियोजन की पद्धति सेवीवार की गई। फलतः प्रशासनिक अधिकारियों का अधिकाधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकार होना आवश्यक बन गया। इस परिवर्तन कानावरण में जनरनिस्ट प्रशासन की भूमिका को अमाधिक तथा दोगपूर्ण माना जाने लगा।<sup>1</sup>
- (v) सार्वजनिक देश (Public Sector) के प्रमार ने साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों में यह आमा की जाने लगी है कि वे विभिन्न विभागों एवं सरकारियों में तरनीकी प्रकृति की नीति-रक्तना में महत्वों बने।

कर्मचारियों की इस विशाल संख्या (29,82,000) के कारण करदाताओं को 1971-72 में 1,000 लाख रुपयों की विशाल धनराशि का भार बहन करना पड़ा था। 1971-72 के बाद से केन्द्रीय कर्मचारियों के बेतन की राशि में और भी वृद्धि हुई है। इस धनराशि में कर्मचारियों को उत्कोच के रूप में विभिन्न कार्य बराने के लिए दिए जाने वाली धनराशि एवं विभिन्न वस्तुएँ शामिल नहीं हैं। क्या समाज को बदले में लोक-कर्मचारियों पर व्यय किए जाने वाली धनराशि का उचित प्रतिफल प्राप्त होता है?

राज्यों में सेवारत लोक सेवकों की संख्या निम्नवत् है-

राज्य	कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)
आंध्र प्रदेश	1.71
आसम	0.89
बिहार	2.44
गुजरात	1.24
जम्मू-कश्मीर	भौतिक उपलब्ध नहीं है
हरियाणा	1.06
हिमाचल प्रदेश	1.23
केरल	1.51
मध्य प्रदेश	3.86
कर्नाटक	1.74
महाराष्ट्र	2.88
उडीहा	भौतिक उपलब्ध नहीं है
पंजाब	1.51
राजस्थान	1.79
लमिलानाडु	2.04
उत्तरप्रदेश	4.43
पश्चिम बंगाल	2.64

भारत में लोकसेवाओं का बड़ा आकार अनेक कारणों का परिस्थापन है जैसे (i) स्वतन्त्रता के बाद से देश में अनेक नए मन्त्रालयों की स्थापना हुई तथा प्रायः सभी मन्त्रालयों ने अपने व्यापक कार्यों एवं दायित्वों के निर्वाह के लिए अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की है, (ii) जवाहर लाल नेहरू ने लोकसेवाओं के बातावरण में होने वाले परिवर्तनों को इसके लिए उत्तरदायी माना है,<sup>1</sup> (iii) लोकसेवकों के कार्यों का सम्बुद्धिन मूल्यांकन नहीं हुआ है तथा कार्य हे अमूल्यतम मापदण्ड तय नहीं किए जा सके हैं, अतः कर्मचारियों की संख्या अनियन्त्रित एवं अमर्गठित रूप से बढ़ती रही है, (iv) लोकसेवकों की ओर जनता वा विशेष

1 Jawahar Lal Nehru - 'A Word of Service', Indian Journal of Public Administration, Vol. I, No. 4, 1955, p. 301.

आकृप्ति है किंकि भारत एक पिछड़ा हुमा तथा विश्वासगीन देश है। यहाँ बेरोजगारी और अद्वैत बेरोजगारी की समस्या काफी गम्भीर है, (v) राष्ट्रीय आवश्यकनाओं को देखते हुए निजी औद्योगिक क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो सका है, (vi) सरकारी नौकरी में सेवा की सुरक्षा और निश्चितता रहती है, इन जीविका के साधन के रूप में इसे अधिक पस-इ-विधा जाना है, (vii) समाज में सरकारी नौकरी का बढ़ा सम्मान है। सोक्षेवाओं का उच्च संक्षणिक स्तर एवं उनके डाक्यमात्रिक मध्यम उन्हें सर्वथोर्थ सुगठित व्यावसायिक समूह के रूप में उभार देते हैं। लोकसेवक भारत का मध्यांधिक शक्तिगानी अभिजन-वर्ग है।

#### (4) लोकसेवाओं का स्तर

##### (The Status of Public Services)

भारत में लोकसेवाओं की शक्ति, प्रभाव एवं नियन्त्रण के कारण इनका पर्याप्त सम्मान है। आज भी प्रशासनिक अधिकारी के पास जनना को दण्डित एवं पुरस्कृत करने की पर्याप्त शक्तियाँ हैं। समाज में लोकसेवाओं का उच्च स्तर आधिक, सामाजिक ऐनिहासिक, राजनीतिक आदि घटेक कारणों वा परिणाम ३। आधिक बारण यह है कि देश में रोडवार के अवसर प्रतिपद्धति है जबकि लोकसेवकों को विशेष शक्तियों के साथ-साथ मोटी तनस्वाह भी प्राप्त होती है। नियन्त्रण या मध्यम थ्रेली के परिवार में जन्म लेने वाले महत्वाकांक्षी युवकों को मध्यस्थता की उच्च थ्रेली तक पहुँचाने वाला मुगम मार्ग यही है। माध्यनहीन होने के कारण ये लोग आवारी नहीं बन पाने विन्तु परिश्रम करके सरकारी अधिकारी अवश्य बन जाते हैं। भारतीय जनसानन अधिक जीवित उठाने में इच्छा नहीं लेता। उसकी हादिक अभिलाषा यही रहती है कि जीवन यथासम्भव सुरक्षित हो, निश्चिन धाराओं में बहे नया किसी प्रकार की दाधार्द न पाएं। धार्मिक विषयों तथा ईश्वर-भक्ति की प्रेरणा का आवार यही सबोहति है। विधन, बाधाएँ, असुख, जीवित, अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता, एकरूपता, सुरक्षा, समरमता आदि से युक्त होने के कारण सरकारी नौकरी की पोरं लजवायी नजर से देला जाता है। मिट्टानन कोई अक्ति प्रशासनिक अधिकारी बढ़ने का जीवित चाहे कुछ भी कह कर मिट्ट करना चाहे इन्हुंने यथार्थवादी धरानन पर कहे होकर यह देखा जा सकता है कि कम परिश्रम में प्रचुर धन, सत्ता और सम्मान सम्बन्ध सोक्षेवा के प्रतिरक्त धन्य किसी अवसाय में नहीं मिलता और दात सनूदा के शब्दों को दोहराने वाले हम भारतीयों के लिए इतना ही काफी है।

सोक्षेवाओं में प्रवेशार्थ सुनी अनियोगितार्द प्रायोजित की जाती है, इन प्राय योग्य और प्रतिभासाती सोग हन परों पर प्रतिष्ठित होते हैं। उनकी विट्ठना अपना प्रभाव छोड़कर पड़ को सम्मानजनक बना देती है। यह सम्मान पुन देश के योग्य तथा प्रोत्साहन को युद्धों को सोहतेवा को और प्रार्थित करता है। पतानिद्वारा का कहना है कि "ऐनिहासिक दृष्टि में शक्ति की मात्रा, धार्मिक पुरुत्त्वार,

बौद्धिक परम्पराएँ तथा वैद्यन्तिक आकर्षक व्यवसाय का अभाव सरकारी रोजगार के सम्बन्ध की निरन्तर इच्छि के अनुरक्षक तथा समर्थक बने हैं।<sup>1</sup>

कृष्ण समाजशास्त्रीय कारणों ने भी लोकसेवामों को सम्माननीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदा की है। इन पदों की आर रिक्डी जाति के बे प्रतिभाशाली लोग प्रशिक आकर्षित हुए जो जन्म के कारण अन्यथा उपयुक्त सम्भाव नहीं पा रहे थे। भारतीय संविधान द्वारा अनुमूलिक जातियों एवं जनजातियों को विशेष सुविधाएँ दिए जाने के कारण इन वर्गों के साधारण प्रतिभा के लोग भी इन सेवामों में प्रवेश पा लेते हैं। जब उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होकर ये ऊँची जाति बोलों पर शामन करते हैं तो मनियों से कुचला हुआ उनका अहभाव फड़क उठता है। उनकी हीनता की भावना मिट जाती है, वे समाज में अपनी उपयुक्त स्थान बना लेते हैं। इस व्यवस्था ने परम्परागत जाति व्यवस्था की कहीं को उखाड़ फेंका है, सारी सामाजिक हपरचना में एक गम्भीर परिवर्तन आया है।

वह स्वीकार का एक पक्ष है जो लोकसेवकों के स्तर को ऊँचा उठा देता है तस्वीर का दूसरा पक्ष वह है जिसमें लोकसेवकों की प्रतिष्ठा पतनोन्मुख दिखाई देती है। आज सत्ता का मापदण्ड जन प्रतिनिधियों के हाथ में है। प्रशासन के जननन्योग्य वरण के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियाँ कमज़ोर घटी हैं। उनका बेतव प्रब इतना आकर्षक नहीं रहा है। तीव्र औद्योगीकरण ने देश में योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए वैद्यन्तिक व्यवसाय के अवसर लोन दिए हैं। नियोग उद्यमों के आकर्षक बेतव और सेवामों की शर्तों में सरकारी पदों के आकर्षण को घटा दिया है। आज सरकारी पदों पर प्राप्य मध्यम प्रतिभा के लोग आते हैं। ऐसे लोग जिन्हे और अच्छा पद प्राप्त नहीं हो सका है ऐसी प्रनेक प्रतिभाएँ तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर उन्मुख हो जानी हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनने की अरेका बे चिकित्सा, अधियायित्रिकी, विज्ञान, विश्वविद्यालय अध्यापन अधिक व्यवसायों को प्राप्तिकरण देते हैं। इन कारणों से लोकसेवामों का सम्भाव योड़ा घटा है किन्तु जनमानस अभी तक उनके गौरवपूर्ण प्रतीत को मुला नहीं सका है। सरकारी नियमन, आधिक नियमण और सरकारी उद्यमों के प्रसार के बारण अभी भी उनका महसूव है। राजनीतिक नेताओं के अधीन रहते हुए भी वास्तविक व्यवहार में बे निरांयक भूमिका निभाते हैं।

### (5) संविधानिक प्रशासन

#### (The Constitutional Provisions)

भारतीय संविधान के दसवें भाग के प्रथम अध्याय में लोकसेवामों का वर्णन है। यही उनकी मर्ती, सेवा की दगाएँ, कार्यवाल, वृथत्वरण, अनुशासनाधिक कार्यवाही तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के भोटे सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं।

<sup>1</sup> V. A. Patwardikar. Personnel System for Development Administration, 1966 p. 50

संविधान ने लोइमेदाघो की मर्नी तथा सेवा की शर्ते नियन्त्रित करने की जक्तियाँ व्यवस्थापिका को सौंपी हैं। जब तक वह ऐमा न करे नव तक सध का राष्ट्रपति इस कार्य को ममता करेगा। संविधान में अखिल भारतीय सेवापो के लिए विशेष प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाएँ वे होती हैं जिनके सदस्य प्राप्त राज्यो की सेवा में रहते हैं जिन्हु इनकी नियुक्ति मधीय लोकसेवा प्रायोग द्वारा दी जाती है। इन्हे एक राज्य से दूसरे राज्य में या राज्य से केन्द्र में कार्य करने के लिए रखा जा सकता है। संविधान ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिम सेवा को अखिल भारतीय सेवा स्वीकार कर निया। तथा राज्य सभा को यह अधिकार दिया कि वह उपस्थित और मनदान करने वाले वर्म से कम दो-तिहाई सदस्यों की महसूति से नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के लिए समझ से कानून पारित करने का आद्यह करे, तब ही ममतीय कानून द्वारा ऐसी नई सेवा की स्थापना की जा सकेगी।<sup>1</sup>

समद् द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 को 1963 में संशोधित किया गया ताकि तीन और अखिल भारतीय सेवापों अर्द्ध भारतीय इज्जीनियर सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के गठन की व्यवस्था दी जा सके। भारतीय वन सेवा 1 जुलाई, 1966 को गठित कर दी गई थी। उक्त सेवापो की भव्य दो सेवापो/सदगों को गठित करने का प्रस्ताव, जिसे पहले छोड़ दिया गया था, सरकार के विचाराधीन है। भारतीय प्रशासनिक सेवा इस विभाग द्वारा नियन्त्रित की जाती है जबकि भारतीय पुलिम सेवा यृद मन्त्रालय द्वारा नियन्त्रित की जाती है। भारतीय वन सेवा हृषि मन्त्रालय (हृषि तथा सहकारिता विभाग) द्वारा नियन्त्रित की जाती है। किर भी, भारत सरकार (कारोबार का आवटन) नियमावली 1961 के उपबन्धों के अनुस्पर अखिल भारतीय सेवापो को शामिल करने वाले नियमों और विनियमों को तंयार करने और उनमें संशोधन करने से सम्बंधित कार्य इसी विभाग के पास हैं।<sup>2</sup>

संविधान के इसी मान के दूसरे अध्याय में मधीय लोइमेदा प्रायोग का उल्लेख है जो इन सेवापो की भर्ती करे तथा भारत सरकार को सेवा ममतीय विधयों में परामर्श दे।

### (6) सेवाकाल की सुरक्षा

(Security of Service Tenure)

भारतीय संविधान की शारा 309 केन्द्रीय समद् तथा राज्यो की व्यवस्थापिकाओं को उनके होते में लोइसेवापा की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों

1 The Indian Constitution, Article-312 (ii)

2 The Indian Constitution, Article-312 (i)

3 भारत सरकार वार्षिक और प्रशासनिक भुगतान विभाग, यृद मन्त्रालय को वार्षिक रिपोर्ट 1983-84, पृ 10

के नियमन का अधिकार देती है। धारा 310 में उल्लेख है कि 'लोकसेवा' के कर्मचारी केन्द्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपालों के प्रसाद-पर्यन्त ही अपने पद पर कार्य करेंगे। इस प्रावधान का यह धर्थ कदापि नहीं है कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल हेच्छापुर्वक कभी भी किसी अधिकारी को उसके पद में हटा देंगे। मविधान में लोकसेवकों की सेवा-मुख्यालय के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गयी है। धारा 311 के अनुसार लोकसेवा के किसी भी सदस्य को उसे नियुक्त करने कानून अधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता। किसी कर्मचारी को हटाने अथवा पदावनन करने से पूर्व उसे अपने पक्ष में सफाई देने का पूरा अवसर दिया जाएगा।<sup>1</sup> इस सम्बन्ध में आलोचकों की आपत्ति है कि सविधान द्वारा लोक-कर्मचारियों को इतनी मुख्या प्रदान करना कार्यकुशलता और अनुशासन के हित में नहीं है। सविधान के 15वें संशोधन द्वारा इस सियति को कुछ नरम बनाते हुए लोकसेवकों के विहृदय की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही को शीघ्रतर बनाया गया है। तदनुसार दोपारोपित सरकारी कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर केवल उस समय दिया जाता है जबकि उपयुक्त जैव में प्राप्त प्रमाणी के आधार पर उसके विहृद प्रस्तावित दण्ड को अन्तिम रूप दिया जाना होता है।

### (7) रोजगार के समान अवसर

#### (Equal Opportunities of Employment)

मार्गीय सविधान की धारा 15 (1) के अनुसार राज्य विस्तीर्ण नागरिक के साथ घमं, जाति, लिंग, नस्ल, जम्म-स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सरकार द्वारा प्रस्तुत रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में भी यह बात सामूहिकी है, किन्तु सविधान इतने से ही अनुष्ट नहीं होता। इसकी धारा 16 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य के अधीन नौकरी और पदों के बारे में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगे।<sup>2</sup> अवहार में यह व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से सरकार ने सामाजिक और प्रार्थिक विकास के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना प्रारम्भ किया है तब से सरकार में रोजगार के मवसर बढ़ गए हैं। शिक्षित वर्ग को रोजगार देने वालों में सरकार सबसे आगे है। रोजगार वी समानता के साथ-साथ सविधान ने जोपित समुदायों की मुख्या के लिए विशेष प्रावधान रखे हैं। तदनुसार एक निश्चित अनुपात में विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी पद अनुमूलित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए मुख्यित रूप लिए जाते हैं।

लोकसेवाओं में अवसर की समानता के सदर्न में प्रशासनिक सुधार ध्यायोग ने एक अन्य प्रश्न की ओर ध्यान धार्यित किया है। ध्यायोग ने पनि और पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी बनने पर एतराज उठाते हुए इसे सामाजिक ध्याय के

1 अपालकाल के समय सर्विधान का यह प्रावधान निर्विचित था।

2 "There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state."

प्रतिकूल बताया है। देश में रोजगार के सीधिन अवसर हैं। यदि एक ही परिवार के पास दो पड़ चुने गए तो दूसरा परिवार एक सम्भावित पड़ स बचित रह जाएगा। इस प्रकार बेरोजगारी वी समस्या यम्भीर बनेगी। प्रायोग ने सुझाव दिया कि सरकार में रोजगार के अवसर पनि और पत्नी में से एक को ही दिए जाएं। अवसर की समानता पनि और पा भी के बीच न होना परिवारों के बीच स्थापित की जाए। यह व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से भी उपयोगी है क्योंकि पति-पत्नी दोनों के सरकारी वर्मन्चारी होने पर उन्ह एक ही स्थान पर रखने की समस्या गम्भीर हो जाएगी।

भारतीय लोकमेवाप्ति में प्रवेश के लिए प्रवसर की समानता हेतु सांविधानिक, स्थानीय, व्यावहारिक तथा गुंदानिक सभी दृष्टियों से विभिन्न उपाय किए गए हैं जिन्ह स्वतन्त्रता के बाद के इतिहास और वर्तमान वस्तुस्थिति से स्पष्ट हैं कि “जितना किया इलाज मजबूत बढ़ाना ही गया।” योग्यता, कुशलता और प्रतिभा को यथोचित स्थान देने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं जिन्ह मध्ये प्रमुख हृए और योग्यता को चौराहे पर नीचाम होने में वहीं बचा मह। लोकमेवको की मर्नी के समय माई भनोजावाद रिश्वत के रूप म चौंदी का तूना, राजनीतिक पदाधिकारियों वा पशानपूर्ण दबाव जातिवाद, धर्मवाद, सम्प्रदायवाद, धोत्रवाद पर आधारित मवीर भनोवृत्तियाँ दादायीरों और गुणायीरों, खुशामद और चमचागीरों प्रादि विभिन्न राहु-केन्द्रों के बीच प्रतिमा और योग्यता का चन्द्रमा प्राप्त उभर ही महीं पाता। अनेक बार तो उसकी भूल-हत्या हो जानी है और प्रवसर की समानता की घोषणा देवन मृग-मरीचिरा बनकर रह जाती है।

### (8) दोषपूर्ण सेवीवर्ग व्यवस्था

(A Defective Personnel System)

विदेशा विनान, माहित्य और विदेशी की राष्ट्र से प्रभावित स्वतन्त्रता के बाद वी भारतीय सेवीवर्ग व्यवस्था अनेक दृष्टियों से दोषपूर्ण है। यह एक और तो वर्मन्चारियों के लिए असम्भोपनक है तथा दूसरी और जनहित की सिद्धि म असमर्प है। स्वतन्त्रता की रजन-जयनी मनाने के बाद भी यह जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकी है। इसने यहीं की जनता और नेता दोनों की प्रबहेनना की है। प्रशासनों के प्रति जन असम्मोध के बारण अनेक सरकारी योजनाएं वार्यान्वित, नहीं हो पानी अवयवा प्रसरण हो जानी है। अनेक अनुमत्वात्मक (Empirical) प्रधायनों से ज्ञान हुआ है कि प्रशासन और जनता के बीच का सम्बन्ध अविभाग, दिरोध, पृथक्ता, सघर्ष और अवहेनना पर आधारित है। जनता सोचनी है कि प्रशासन उनकी महायना करने की घोषित त्रुटियाँ तलाश करने म अधिक चिन्ह नेता है और प्रशासन के दिना रिश्वत निए कोई काम नहीं करते। प्रशासन म देरी, भ्रष्टाचार, उचित मचार का प्रमाद तथा उत्तरदायित्व की अवहेनना जैसे दोष भरे पड़े हैं। दूसरी ओर प्रशासन साबने हैं कि जनता जानदूष कर सरकारी

योजनाओं में टांग आढ़ाती है। वे राजनीतिक हस्तक्षेप को सारी बुराइयों की जड़ मानते हैं।

भारतीय नौकरसाही के विश्व की गई सारी बुराइयों की वास्तविक जड़ें सेवीवर्ग प्रशासन की दोपूरण तकनीको में निहित हैं। अधिकारियों का असहायतापूर्ण हास्तिकोण कार्यसम्पन्नता में अनावश्यक देरी, भट्टाचार आवश्यक वस्तुओं की अनुपूलविधि, जन-साधारण और सेवाएं प्रदान करने वाले अविकरणों को अवहेलना, भाई-भतीजेवाद और धक्षपति का प्रभाव, जनता की शिक्षायतें सुनने और उनका निवारण करने की अव्याप्ति व्यवस्था आदि दोष किसी तरफ में सेवीवर्ग प्रबन्ध की दोपूरण व्यवस्था के परिचायक हैं। शहरों से निकले शिक्षित वर्ग के प्रशासनिक अधिकारी अपने व्यावसायिक हितों में अधिक हिचे लेते हैं। जनता की सेवा उनके आदर्शों की कार्यसूची में कोई स्थान नहीं रखती।

### (9) सेवीवर्ग में राजनीतिक हस्तक्षेप

#### (Political Interference in Personnel Management)

भारत में सेवीवर्ग प्रशासन राजनीति के शिक्षे में प्रस्त है। मन्त्रियों और मंत्रिमंडों तथा विधायकों के टेनीफोन तथा निजी पत्र सेवीवर्ग की भर्ती, पदोन्नति, बेतन, प्रनुग्यासन आदि पर अनुचित दबाव डालते हैं। योग्य और प्रतिभावाली प्रत्याशी ताकते रह जाते हैं तथा मध्यस्थरीय अववा साधारण योग्यता वाले लोग सरकारी पदों को हड्डप लेते हैं। अयोग्य अववा वर्म योग्य कार्यकर्ताओं वे कारण प्रशासनिक बार्यकुशलता पट जाती है। पदोन्नति वे मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप कर्मचारियों के मनोबल को निरा देता है। वे अपने कार्य की ओर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा राजनीतिक जोड़-तोड़ में लग जाते हैं क्योंकि उन्नति का यही सरल और सफल मार्ग नेतृत्व रह जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में काफी राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है। राजस्थान के प्रशासनिक समुदाय में एक रोचक बाती प्रचलित है। तदनुसार एक मन्त्री की पक्षपात्रपूर्ण सिफारिश को जब उसके सचिव ने कई दिन तक कार्यान्वयन नहीं किया तो मन्त्री महोदय ने उसे बुला भेजा और अपने जूते की ओर इशारा करते हुए प्रश्न किया कि यदि दौर में जूता न आए तो दौर कटाया जाता है अववा जूता बदला जाता है। मन्त्री ने सचिव किया कि सचिव इनमें से ही सारी बात समझ ले। वहने का सात्यर्थ यह है कि अवौद्धनीय राजनीतिक नियन्त्रण द्वारा प्रशासनों को नियम विरोधी, अवियक्ति, अवौद्धनीय, पलायनपूर्ण जनहित विरोधी और अनुसरदावी कार्य करने के लिए भजवूर किया जाता है। फलत नौकरसाही प्रजातान्त्रिक आदर्शों और विकासवादी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती। भूतपूर्व सुखदा सचिव थीं पी वी शार राव ने इसका एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक मन्त्री ने एक गौवं में अपना दीरा करते समय कुछ लोगों को नूमि देने के आदेश प्रशासित किए। बाद में जब दूसरे मन्त्री इस गौवं के दीरे पर आए तो उन्होंने अपनी सार्वजनिक घोषणा में दूबे आदेशों को रद्द कर दिया। आवश्यक यह है कि यथार्थ में

इन दोनों ही मनियों को भूषि देने और न देने की सत्ता नहीं थी, यह इसी तीमरे मंत्री के लेखाधिकार का विषय था । थी राव को मत है कि मनियों द्वारा सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति पदोन्नति, स्थानान्तरण अनुशासनात्मक कार्यक्रमान्तरण एवं उपयोगिता पर यम्भीर प्रभाव पड़ता है । राजनीतिक स्वार्थं प्रशासनिक नियमों को बदल देते हैं । वे ऐसे घनेवं पदों का प्राविधिकार बरने हैं जिनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता न गवाय है इन्हुंने वेवल अपने समर्थकों एवं सजदनों में भरण-पोपण की व्यवस्था बे किए करदानाप्रो पर यह अनावश्यक भार ढाना जाता है । इसी प्रकार नए विज्ञान लोते जाते हैं तथा पुराने विमानों का विस्तार किया जाता है ।

राजनीतिक हस्तक्षेप और पक्षपात समटन के कुछ मदस्यों को लापरवाह बना देता है और अन्य की अमनुष्ट तथा बिड़ी बना देता है । फलत साठन में अग्राम की यम्भीर समस्या उठ खड़ी होती है । ऐसे बानावरण में प्रशासनिक कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षण भी ऐवल घोषकारिक और बागबी बनवार रह जाता है । कर्मचारी यह जानता है कि राजनीतिक पृष्ठपोषण वे होने पर प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है और न होने पर प्रशिक्षण अनुपयोगी है । राजनीतिक हस्तक्षेप के बारग पदोन्नति में बापी प्रनियमितनाएँ होती हैं । अधिक तथा योग्य कर्मचारी देखते रह जाने हैं और नीचे बालों को सर पर बैठा किया जाता है । इम सारी स्थिति का मरीच चिनण करते हुए एन थी बनर्जी ने लिखा है कि "प्रशासन का राजनीतिक दोनों के त्रिडा-स्थल में रूप में प्रत्यावर्तन तथा नियंत्री स्वार्थों की ओर भ्राताव चाहे यह समाजवाद या सामाजिक प्रशासन के आवरण में ही क्यों न हो, देश के मन्त्रों द्वितीय में नहीं है । इससे ऐवल अटाचार, माई भनीत्रावाद, अवार्यकुशलता एवं लेपवाद को ही बढ़ावा मिलता है जो स्वतन्त्रता के बाद सभी दोनों द्वारा युनिक श्रोत्तराहित किए जा रहे हैं ।"<sup>1</sup>

### (10) सेवीवर्गं की प्रकृति एवं चरित्र

(The Nature and Character of Personnel)

भारतीय सेवीवर्गं प्रशासन के पूर्ववर्णन दोनों का यम्भीर तथा तात्त्वालिक परिवाम प्रशासनिक पदों पर अधिकार, अधिकार्यकुशल तथा बैर्कमान एवं विवारियों की नियुक्ति थी है । यही इनियाजानी प्रत्याजी भी पूरे विष्वाम के साथ यह नहीं बह सकता कि उमरा चपन हो जाएगा वयोऽसि चपन के ममय मित्रारिण, रिश्वत, भाई-भनीत्रवाद और अटाचार जैसे अवाधिनीय नस्ता का बोनासा रहता है । इस दोड में अधिकार योग्य प्रत्याजी विद्युत जात है नवा गाधारण खुदि के सोग पदों पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं । सामाजिक सरकना में

1. P. V. R. Rao . Red Tap and White Cap, Delhi, Orient Longmans, 1970,  
p 109

2. A. B. Banerjee . Under Two Masters, 1970, p. 234

निम्न अधिकारी मध्यम वर्ग के होने के कारण ये अधिकृतर महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएँ इन्हे कार्यकुण्डलता की और प्रेरित करने की अपेक्षा उन्नेति के भ्रष्टतरीके अपनाने को प्रेरित करती हैं। ये धन-दीलत, प्रतिष्ठा और व्यक्ति की दौड़ में शामिन हो जाते हैं। इनके द्वारा 'रम, रमणी और रमी' (Wine, Woman and Wealth) के द्वारा कार्य किए और कराए जाते हैं। उनका पूरा दिनियोग बदल जाता है। ये स्वयं को जनसेवक मानने की अपेक्षा जनता को अपना सेवक मानने लगते हैं।

भारतीय लोक-सेवा के अधिकारी मध्यस्थ घनिक वर्ग के होने के कारण अधिकारी घनी बनने की अभिलाप्या से प्राय घनवानों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इनकी सारी नीतियाँ और रीतियाँ मध्यम वर्ग के हितोंकी रक्षा वा कार्य करती है। अनन्माधारण तथा निर्धन वर्ग के लिए इनका व्यवहार अहवार और मद से पूर्ण होता है। ये उपचुक्त मानव सन्दर्भों की स्थापना में प्रहरिकर, अक्षम और सदैव कुर्सी की प्राप्ति एवं अनुरक्षण में प्रयत्नशील रहते हैं। ये किनी भी प्रशासनिक समस्या पर विचार करते समय मानवता के आधार पर नहीं बरन् बोद्धिक या ताकिक रूप में सोचते हैं क्योंकि उनका चयन जिन प्रतिष्ठोगों परीक्षाओं द्वारा किया जाता है उनमें मातिमक गुणों का दोई महत्व इही होता बरन् बोद्धिक उपलब्धियों की स्पष्टी रहती है। कुल मिलाकर लोक-सेवाओं में कार्य का बानावरण इस प्रकार का बन जाता है कि लोक-सेवक बिना बष्ट उठाए अधिक फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये नेहरूजी के आदर्श वाक्य आराम-हराम हैं' की 'काम हराम है' के रूप में परिणत कर नेते हैं।

### भारत में विशिष्ट वर्गीय संरचना पर एक दृष्टि (A Glimpse of Elite Structure in India)

प्रत्येक समाज में शक्ति, प्रभाव सत्ता, प्रतिनिधित्व के गुण, स्वातन्त्र्य गमता, व्यवहार कौशल आदि की दृष्टि से लोगों में अन्तरों का रहना स्वाभाविक है और ये अन्तर ही समाज में विशिष्ट प्रथा अभिजन-वर्ग, साधारण वर्ग आदि की रचना करते हैं। विशिष्ट-वर्ग या अभिजन-वर्ग सिद्धान्त (Theory of Elite Class) के अनुमार जन-साधारण के बीच कुछ लोग निश्चय ही अन्य की अपेक्षा थेष्ट होते हैं और उनके विचारों तथा दृष्टिकोणों का अधिकृत आदार किया जाता है। ये श्रेष्ठतर व्यक्ति ही अभिजन-वर्ग प्रथा विशिष्ट-वर्ग को निर्माण करते हैं। समाज के कौन-कौन से व्यक्ति अभिजन-वर्ग में पाते हैं, यह बात अलग-अलग समाजों में अलग अन्तर पाई जाती है। सामाजिक क्षेत्र में भी विशिष्ट-वर्ग का अपना महत्व होता है और राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में भी विशिष्ट या अभिजन-वर्ग अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य-क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभिजन-वर्ग या विशिष्ट-वर्ग का महत्व बढ़ता जा रहा है।

किमी भी राजनीतिक व्यवस्था में लोग अपनी विशिष्ट योग्यताओं, कार्य-क्षमता, नेतृत्व आदि गुणों के कारण देश की राजनीति और समाज में प्रभाव जपा लेने हैं उन्हें राज्य विज्ञान की मापा में राजनीतिक अभिजन-वर्ग (Political Elite) कहा जाता है। राज्य मस्था के उदय से ही प्रशासनिक, राजनीतिक कार्यों के लिए ऐसे विशेषज्ञ स्तोर्गों की आवश्यकता रही है जिनमें विशेष शमनाएँ, विवेक गुण हो। राजनीतिक अभिजन-वर्ग की व्याख्या करते हुए कानून जे फ्रेडरिक ने तिथा है कि—यह उन लोगों का एक समूह होता है जो राजनीति में अद्वितीय कार्य-सम्पन्नता के द्वारा विशिष्ट होते हैं जो एक विशेष समाज के शमन को अपने हाथों प्रभावशाली रूप में एकाधिकृत कर लेते हैं और जिनमें समूह की एकता की भावना होती है जो समय-समय पर सहयोग के रूप में अभिव्यक्त होती है। एवं राजनीतिक विशिष्ट वर्ग क्षक्ति और शामन प्राप्त करने की योग्यता में काफी आगे बढ़ जाता है।

यद्यपि राजनीतिक अभिजन-वर्ग और प्रशासकीय अभिजन-वर्ग (Ruling or Governing Elite) में भिन्नता है, तथापि यह भिन्नता ऐसी नहीं है कि राजनीतिक अभिजन-वर्ग प्रशासकीय अभिजन-वर्ग से सम्बन्धित न हो या उस थेणी में आ न रहें। और इसी प्रकार प्रशासकीय अभिजन-वर्ग की थेणी में न आ सकें। अतक विचारकों का मत है कि दोनों वो परस्पर भिन्न किया जाना चाहिए लेकिन फ्रेडरिक आदि का मत है कि ऐसा करना अप्रोत्पादक होगा। जो व्यक्ति राज्य में विशेषज्ञ है वह प्रशासन से सम्बन्ध नहीं रखेगा, यह सन्देह की बात है।

### सरचना और संगठन (Structure and Organisation)

नौररणाही के प्रमग में जब हम विशिष्ट वर्ग (Elite) की बात करते हैं तो हमारा आशय प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन उन अधिकारियों से होता है जो आमान्यत, अपनी प्रकृति स्तर, विचार, पृष्ठभूमि आदि की इच्छा से आम स्तोर्गों से भिन्नता निए होते हैं, उनमें आप स्तोर्गों में अपने आपको अधिकार मानने वाला भावना (Superiority Complex) विद्यमान होती है, वे प्राय आम जनता वे साम घुमना-मिलना पसन्द नहीं करते, वे लोकतन्त्र की बात तो करते हैं पर उनका व्यावहारिक आचरण सोशलन्वीय नहीं होता। परतन्त्र भारत में इडियन विविल सर्विस (I C S) के अधिकारी इस नौररणाही विशिष्ट-वर्ग की साकार मूर्ति थे, तो स्वतन्त्र भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा (I A S) के बहुत से अधिकारी नए परिवेश में न्यूतापिक उमी परम्परा को निभा रहे हैं।

नौररणाही के प्रमग से वर्ग की प्रवचारणा को हम उदाहरण रूप में अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे और इसमें तिए आजादी से पहले के तथा आजादी के बाद के भारतीय उदाहरण अधिक उपयुक्त होंगे। स्वतन्त्रता से पूर्व तक इडियन मिलिन सर्विस (I.C.S), इडियन पुलिस सर्विस (I.P.S), इडियन फोरेस्ट सर्विस

सरकार का उच्चात्मक विशेषण दिया है और आई ए एम प्रधिकारियों की ग्रामीण एवं शहरी, जैक्सिक, व्यावसायिक, पैतृक आदि पृष्ठभूमियों को स्पष्ट किया है। उनके द्वारा सकलित् सारणियाँ प्रकट करनी हैं कि अपनी सामाजिक-आयिक पृष्ठभूमि में बत्तमान आई ए एस प्रधिकारी समाज में एक 'विशिष्ट-वर्ग समूह' (Elite Groups) माने जाते हैं।

वास्तव में जब तक नौकरशाही में एक 'विशिष्ट-वर्गवाद' (Elitism) विद्यमान है तब तक व्यवहार में यह अपेक्षित सीमा तक लोकतन्त्रात्मक नहीं हो सकती। निम्नता की परम्परा का निर्बाह भी तभी सम्भव है जब अधिकारी तथा भी उन व्यापक उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हो जो राजनीतिक सरकार अपने 'चुनाव घोषणा पत्रों' के माध्यम से जनता के समूल धोपित कर चुकी है। विभिन्न देश नमाजवाद अथवा सामाजिक छांचे वाली शासन-व्यवस्था की बातें करते हैं, ऐसिन यह दौचा उन अधिकारियों के माध्यम से सम्भव है जो अपने आपको विशिष्ट वर्ग समूह (Elite Group) मानकर चलते हैं, जिनकी सामाजिक, राजनीतिक, आयिक एवं जैक्सिक पृष्ठभूमि आम लोगों से भिन्न रही है और जिनमें सामान्य जनता के दुख-सुख या उनकी मावनायों को समझने की कोई क्षमता नहीं है।

### भूमिका या कार्य और सुझाव (Role and Suggestions)

अब यह देखना आवश्यक है कि भारत जैसे एक नौकरान्त्रिक देश में नौकरशाही की क्या भूमिका अपेक्षित है और तथाकथित विशिष्ट-वर्ग के विचार और व्यवहार में क्या परिवर्तन होने चाहिए।

जीवं के नौकरशाह यगठन और अपने अधीनस्थों के मालिक होते हैं। राजनीतिक सरकार न केवल नीति-निर्माण में उनसे सहायता एवं परामर्श सेनी है बल्कि नीतियों के क्रियावृत्त के लिए भी उन पर निर्भर करती है। यही कारण है कि अनेक विचारकों ने नौकरशाही को सरकार की चौथी शाखा (Fourth Branch of Government) तक बह दिया है। ये नौकरशाही जिनकी यएना प्रशासनीय विशिष्ट वर्ग में की जाती है, जो कार्य करते हैं और जो भूमिका इन्हें निभाती चाहिए उसे हम निम्नवत् रख सकते हैं—

1. किसी भी लोकतान्त्रिक सरकार का सच्चा भाष्यदण्ड बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं को पहचानना और उनके अनुसार कार्य करना है। सस्थानों में नवीन प्रयोग लाने के लिए नौकरशाही अथवा लोक-सेवा द्वारा आवश्यक कुशलता और अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए। इस अर्थ में नौकरशाही एक सामाजिक साधन है जो अवस्थापिका के प्रभिन्नाय और उसकी पूर्ति के मध्य स्थित दूरी को मरती है। अवस्थापिका के निर्णयों को क्रियान्वित करने का भार नौकरशाही पर होता है लेकिन समुचित हृप से इस भार वहन

तब तक नहीं किया जा सकता जब तक नौकरशाही समाजिक परिवर्तनों को समुचित हप में न पहचाने और प्रयत्ने रुद्धिमत्त इष्टिकोण की लकड़ीला न बनाए नौकरशाही विशिष्ट वर्ग प्राय दिनारो, कठोरताओं और मिशनाओं के तेज़े घेरे में फैला रहता है कि वह जन-साधारण की आवाज़शास्त्रों को समझने की परवाह नहीं करता और जब तक ऐसा नहीं करता और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बदलनी हुई सामाजिक मौगों के अनुरूप समुचित कार्य नहीं किया जा सकता।

2. नौकरशाही में विशिष्ट वर्गवाद की नवसे बड़ी प्रभित्वत्ति इस हप में है कि वे ऊँची कुर्मी पर बैठते ही स्वयं को जनता में ऊपर अधिकार जनता का स्वामी समझने लगते हैं और इस हैमियन से किसी वर्ग प्रथवा व्यक्ति विशेष के साथ पक्षापान करने में सहोच नहीं करते। एक लोकतान्त्रिक समाज में लोक प्रशासकों को स्वयं को जनता का सेवक मानना चाहिए। उनसे धैर्यकाल है कि वे जनता की बढ़िनाईयों को दूर बरे और जनता के प्रश्नों का समाधान करने को मद्देव तंथार रहे। उनके प्रशासन की धन्तिम कमीटी यही है कि वह जन-आवाज़शास्त्रों के विनाया अनुरूप है अन स्वाभावित है कि नौकरशाही लोक-मम्पर्वे में महत्व को समझे। नौक-मम्पर्व का मूल उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं को समझना, उनके साथ प्रशासनीय अनुभवों का ममन्वय बरना और व्यवहार में लोकप्रिय बनना है। लोक-मम्पर्व के माध्यम से बढ़िनाईयों को लाजरर उनके उचित निदान की ध्यान्या करना सम्भव है। समुचित लोक-मम्पर्व प्रशासकों में यह अनुमूलि पैदा करने में होगा कि वे साधारण जनता के खण्ड हैं जो वर्तन्यों का दायित्व निभाने के लिए कुर्मी पर बैठे हैं, अन उन्हें प्रयत्ने भाषकों कोई विशिष्ट वर्ग समूह (Elite Group), नहीं समझना चाहिए।

3. नौकरशाही विशिष्ट वर्ग का नीति-निर्धारण में योगदान होता है, अवस्थाविका बहुत कुछ प्रशासनिक विशेषज्ञों पर आधारित रही है, वयोंदि सार्वजनिक नीति ये प्राय ऐसी तकनीकी अटिलनाएँ या जननी हैं जिनमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। नीति-निर्माण पर नौकरशाही का प्रभाव अवस्थाविका की प्रक्रिया के दो सौरानों पर पड़ता है। प्रथम, अवस्थाविका द्वारा पारित विधियों को क्रियान्वित करने में नौकरशाही कुछ स्वायत्तता का प्रयोग करती है। नौकरशाही का प्रायमध्ये महत्व रखना है क्योंकि यह जानती है कि नीति हो अवहार में किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा। यदि नीति के उद्दय उपरक्ष नहीं हो पाने तो इसकी जानकारी भी नौकरशाही द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।

प्रशासनिक अधिकारी प्रयत्ने राजनीतिक प्रमुखों के माय चार प्रारंभ से महत्वपूर्ण हरने हैं। प्रथम, आवश्यक डैटा प्रशासन, करके नीतिनीतीमाला में महायन करते हैं, निमित नीति के अवहार की समस्याओं का उन्नेत्र करने हैं और उन

नीतियों पर एक विशेषज्ञ की हैसियत से स्वनन्त्र आयोवना प्रस्तुत करते हैं। हमरे, अपनी प्रशासनीय स्वेच्छा शक्ति क्षेत्र में वे नवीन नीतियों की रचना कर सकते हैं। तो नरे, राजनीतिक प्रमुख द्वारा निर्धारित नीति वो क्रियान्वित करने के मनदर्भ में अपने अधीनस्थाओं द्वारा आवश्यक निर्देश देकर उनके बायों का निरीक्षण करके और अन्य उपायों से अमृतां बायंक्रम वो पूरी गति दे सकते हैं। चौथे, वे अपने राजनीतिक वरिष्ठों वो किसी भी प्रमाण से सम्बन्धित अपने विचारों से परिचित बरा सकते हैं जिन पर कि परामर्श देन का अधिकार उनको मिला हुआ है।

जब नीति की मिशनिंग और नीति के क्रियान्वयन में नौकरशाही की इच्छनी प्रभावशाली भूमिका होती है तो उनसे अपेक्षित है कि वे सकुरित और विशिष्टवादी विचारधारा के खाल मन फसे रहे। बन-साधारणी की आमायों, आकृत्यायों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हय रहें, तो गंगा की अपेक्षायों को समझें और नीति सम्बन्धी सिफारिश के समय इन बातों का ध्यान रखें। नीटि-क्रियान्वयन के समय के प्रावश्यक अडिगेड़ाजी का रैख न अपनाएं। राजनीतिक प्रमुख प्राप्त जनना के निकट मम्पक्ष में रहने हैं अन नौकरशाही समुचित परामर्श देन हृष्ट उनने पूर्ण सहयोग करें। भारत जैसे देश में नौकरशाही के अडियत और कृष्णवादी हय के बारए ही बहुत भी नीतियां समुचित रूप से क्रियान्वयन नहो हो पानी और इसलिए प्रधान मंत्री महित धनक दूसरे भवियों को आई सी एम के नेतृत्व से प्रभावित प्रशासनिक मणीनरी को नया हाटिकोला देना होगा, “उत्तरो नर्द गति देनी होगी और ऐसा ढाँचा प्रदान करना होगा जो ममाजदारी समाज के उद्देश्यों को तेजी से पूरा करने में महायह हो सके तथा जो जन-नाधारणी की आशायो आकृक्षायों का नाय तादात्म्य बैठा कर कार्य कर सके।

4 नौकरशाही से अपेक्षित है कि वे प्रतिदूषी हितों के बीच कुशल समायोजन करें। वे सोक-हित विरोधी दावों, सेक्षित व्यक्तियों की मांगों, संगठनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत मूल्य की प्राप्तमिश्तायों के बीच सन्तुष्टन स्थापित करें। नौकरशाही के बायों में व्यावसायिक मूल्यों के बीच नई बार विरोध उत्पन्न हो जाना है अतः यह प्रावश्यक है कि निरुद्योग सेतै समय प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत मंत्रिकरा और व्यावसायिक मापदण्ड दोनों का ध्यान रखें।

हाल ही कुछ लोगों ने यह विचार श्रृंखला किया कि जूँड़ि प्रशासन वर्ग या वर्मंचारी वर्ग सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से प्रतिश्वत (Committed) नहीं हैं अन ये उन कार्यक्रमों को सक्षम बनाने का पूरा-पूरा प्रयास नहीं करते। यदि प्रतिश्वत प्रशासन वर्ग ही तो कार्यक्रमों के सफल होने की सम्भावना बढ़ जाएगी। वास्तव में प्रतिश्वत प्रशासक वर्ग वा मोड़ल उन देशों में उपयोगी मिल हो सकता है, वही राजनीतिक मना स्थायी रूप से एक दल के हाथ में रहनी हो, जैसे-सोकियत रूप में। जहाँ इस प्रकार वो परिस्थिति नहीं है और दलों के सत्ताहृष्ट होने और मत्ता से हटाने का कम बना रहा है, वहाँ पर प्रतिश्वत प्रशासक या वर्मंचारी वर्ग से अवेक प्रकार की समस्याएँ लड़ी हो जाएंगी।

हाल ही के दियों में सामाज्य प्रशासकों (Generalists) के कार्यों की कटु आलोचना हुई है। प्रायः वहा जाना है कि आधिक एवं शैक्षणिक दोनों म सरकारी अमरपत्रों का एक बढ़ा कारण यह है कि सामाज्य प्रशासकीय सरकारी नीतियों को बनाने के लिए उत्तरदायी होनी है। नीति निर्धारित करने वाले पदों पर सामाज्य प्रशासकों के एक छत्र अधिकार के प्रति अनेक देशों में बहु-प्रतिक्रियाएँ हुई हैं। 1968 में फ्रूलटन समिति भी रिपोर्ट में इहां यथा था—वैज्ञानिकों, इत्रीनियरों और पन्थ विशेषज्ञ वगों के सदस्यों को न तो पूरा उत्तरदायित्व एवं अवसर दिया जाता है और न ही उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अधिकार ही दिए जाने हैं। प्रशासकीय सुधार समिति ने भी आई ए एस अधिकारियों के उच्च नीति निर्माणकारी पदों पर उनके एकछत्र अधिकार पर अकृत लगाने का परामर्श दिया था। उसका बहना था कि इन अधिकारियों को मूल्य लगान, न्यायिक कार्य आदि दिए जाने चाहिए। नीति-निर्माणकारी पदों पर इनके एकछत्र अधिकार रोकने के लिए यह मुम्भाव भी दिया जाना था कि इन पदों को भी प्रदम अधिकारियों में से, जिनकी वरिष्ठना 8 से 12 साल के बीच 1 चुना जाना चाहिए। गामान प्रशासकों और विशेषज्ञों के बीच विवाद का अन्त बरन के लिए आवश्यक है कि दोनों का दर्जा समान बर दिया जाए और उनके बेतनमानों में कोई भेदभाव न हो।

वास्तव में भारत में प्रशासनिक बर्ग या नौकरशाही बर्ग अनेक दोनों में विभिन्न है। अधिकारियों में प्रात्म-विवादों का अतिशय भाव भरा है, वे अपने कार्यालयों को आवश्यकता से अधिक महसूल देने हैं अतिकाल नागरिकों की मुदियाओं या मादतामा के प्रति उदासीन रहते हैं, विभागीय नियंत्रणों की मना की नौकरहीनता और वाध्यकारिता के घेरे में कंसे रहते हैं तथा विनियमों और शैक्षणिक प्रक्रियाओं के प्रति पूरा भुकाव रखते हैं। वे प्रशासन की विशेष इकाइयों की प्रशिक्षणों को अधिक महसूल देने हैं तथा प्रशासक एवं मम्पुर्ण रूप में देखबर यह जानन का प्रयाम नहीं करते हैं कि प्रशासकों और प्रशासितों के बीच का सम्बन्ध नौकरानिक प्रशिक्षण वा एक मूलभूत भाग होता है। नौकरशाहों के इन दोनों को दूर दिया जाना अनिवार्य है। इनके लिए यादवर्य है कि—(1) भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः नौकरानिक बनाया जाए, उसमें राजनीतिक अनुष्ठान के लिए कोई स्थान न हो, (2) नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ ऐसी अवस्था हो कि समाज के सभी वगों को समुचित अनुपात में स्थान मिल सके, (3) नौकरशाहों को उम्मी लोगों के घन्दर रक्षणे के लिए उत्तरी शक्तियों को विभेन्द्रित कर दिया जाए, (4) नौकरशाहों पर संसद् और मन्त्रिमंडल का प्रभावशाली राजनीतिक नियन्त्रण रहे ताकि उनके द्वारा शक्ति के गम्भावना दुष्प्रयोग पर रोक लगाई जा सके (5) नौकरशाहों दो सामाज्य नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए ताकि वे अपने आपको एक पृथक् बर्ग घर जानि वे रूप में समझें, (6) ऐसे प्रशासनिक न्यायाविकरण इकाइयां लिए जाएं जहां सामाज्य नागरिक नौकरशाहों के विशद् घरनी गिरावटें

प्रस्तुत कर मके और दूर करा मरे, (7) प्रशासकों और प्रशासिनों के बीच समझके द्वी प्रभावशाली बनाए जाए, एवं (8) सामाजिक अनता का सहयोग प्राप्त किया जाए गैर-सरकारी लोगों को भी प्रशासन में योगदान के लिए आमंत्रित किया जाए। नौकरशाही की शानोचता के सन्दर्भ में हम यह भी ध्यान रखना होएं कि वे वर्तमान दौरे में व्यक्तिगत क्षमताओं, कार्यान्वय नियमों, विनियमों पारि की सीमाओं से बंधे रहते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आविष्ट तथा सामाजिक युक्तावरण में बहुत कुछ सहायता ले पाते हैं। मारा राजनीतिक दौरा उस प्रवार का है कि उनके बड़े में बड़े काम को प्रबार-व्यवस्था द्वारा दबाया जा सकता है। गलतियों की आशका से भी प्रधिकारी जनता से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। अब आवश्यक है कि कानूनी दौरे में भी युवाचित परिवर्तन किए जाएं और नौकरशाही के मन में दंडी आशकाएँ को दूर करने का दानावरण तैयार किया जाए। तथा उन्हें औपचारिकता की दीवार लोधने को उत्साहित किया जाए।

### ग्रेट-ब्रिटेन में सेवीवर्ग प्रशासन

#### (Personnel Administration in Great Britain)

ग्रेट-ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था में नामिति सेवाओं का पहचानुण्ड स्वान है। सिद्धनी तथा बेट्रिस वेब ने लिखा है कि “ग्रेट-ब्रिटेन में सरकार का सचावान न तो मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है और न व्यक्तिगत मन्त्रियों द्वारा, वरन् यह नामिति सेवा द्वारा किया जाता है।”<sup>1</sup> यह कथन अतिशयोक्तिमूर्ण होते हैं भी विटिश राजनीति में लोक-सेवाओं के पहचानुण्ड स्पष्टता प्रदर्शित करता है। जिन विभागों के मन्त्री प्रभावशाली एवं शक्ति सम्पन्न नहीं होने द्यवावा विभागीय कर्तव्यों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते उनके सम्बन्ध में यह पर्याप्त सही है। सरकार के कामे दिन-प्रनिधित्व विनाम अधिक जटिल और तकनीशी होते जा रहे हैं, प्रशासनिक व्यविधिकारियों का प्रभाव भी उतना ही अधिक बढ़ता जा रहा है। जनता के प्रनिधित्व प्रशासनिक जटिलताओं एवं तकनीकियों की विशेष जानकारी नहीं रखते किन्तु नौकरशासकों का इनसे निकट सम्बन्ध रहता है। अब इनकी पूरी तस्वीर उनके मालिक में स्पष्ट रहती है। वे विटिश प्रशासन के बाम्बिक विवरणात्मक बन जाते हैं। रेमजेम्पोर ने आलोचनात्मक शैली से पह माना है कि विटिश शासन-प्रणाली में नौकरशाही की शक्तियां प्रशासन, व्यवस्थापन और प्रित इन सीओं ही थेओं से व्याप्त हैं। वह मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के आवरण में फैन्केस्टीन (Frankenstein) के दृष्टि की भाँति पतली तवा विकसित हुई है और वह अपने सूप्टा का ही भक्षण करना चाहती है।<sup>2</sup> यह सब है कि नौकरशाही अपनी विशेषज्ञता, सलगता, भवकाश, समस्याओं की जटिलता, तकनीकी एवं व्यापकता के बारण मन्त्रिमण्डल पर विशेष प्रभाव रखती है। इस पृष्ठमूर्दि में यह अनिवार्य हो जाना

1. Sidney and Beatrice Webb : Constitution for a Socialist Commonwealth of Great Britain, 1920, p. 67.

2. Ramsay MacIver : How Britain is Governed, p. 51.

है कि गुण की दृष्टि से लोक सेवामंडो का उच्च स्तर हो तथा ये अपने दायित्वों को संभलता एवं बुशलता के साथ निभा सकें।

लोक सेवामंडो के उच्च स्तर की माँग अनेक प्रश्न उठाती है, जैसे—क्या लोक सेवामंडो के विभिन्न धर्म देश के प्रतिमानाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, वह उनके व्यय की व्यवस्था योग्यतम व्यक्तिमंडो द्वारा लेते का प्रबन्ध बारती है, वहा नियुक्त पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहते हैं वहा वे ज़िमी भी दल के मन्त्रियों के साथ निष्पक्ष तथा अनाम इंटिं से कार्य कर सकते हैं, आदि-आदि। इत प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर सेवीवर्ग प्रबन्ध की उपयुक्त व्यवस्था की माँग करता है। दूसरे शब्दों में लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन व्यवस्था, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्तति, सेवा-निवृत्ति आदि के लिए सन्तोषजनक व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रेट-ब्रिटेन में वहाँ की अन्य संस्थामंडो की माँति सेवीवर्ग व्यवस्था भी ऐनिहासिक विकास का परिणाम है।

1. लोक सेवा इनिहाय की उपज (Civil Service is the Product of History)—ग्रेट ब्रिटेन में लोक सेवामंडो का वर्तमान स्वरूप अधिक पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी तक वहाँ लोक सेवकों की नियुक्ति अनुप्रयोग (Patronage) व्यवस्था के आधार पर होती थी। एवं एम् स्टौट (H M Stout) के कथनानुमार अधिकारियों की नियुक्ति राजनीतिक एवं व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर वी जानी थी तथा आवासाविक योग्यतामंडो पर कम ध्यान दिया जाता था।<sup>1</sup> एक बार नियुक्त होने के बाद व्यक्ति अपने पद पर आजीवन दरहता था। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मेवीवर्ग व्यवस्था की इन बुराइयों के द्विषट शीघ्र आलोचनाएँ हुईं। थोंमस कार्डिलिय की तीसी बलम ने इन पर गम्भीर आपात किया, फलत इसमें सुधार के लिए प्रयाम किए जाने लगे। 1854 में ट्रेविलयन नॉर्थकोट रिपोर्ट (Trevelyan Northcote Report) समद वे सम्मुख प्रस्तुत हुईं। इसमें आधार पर प्रशासनिक एवं नियिक पदों पर सुनी प्रतियोगी परीक्षामंडो द्वारा नियुक्तियाँ की जाने सभी। अन्य दफ्टरों से भी दिटिंश लोक सेवा में अनेक सुधार किए गए। ग्लेडस्टन (Gladstone) के अनुरोध पर एक तीन सदस्यीय नागरिक सेवा आयोग स्थापित किया गया। 1870 में नागरिक सेवामंडो में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षामंडो वा शुभारम्भ हुआ। इसके बाद देश के राजनीतिक और सामाजिक बानावरण में भाएं परिवर्तनों के साथ-साथ लोक सेवामंडो में सुधार के लिए भी अनेक संवित्रियाँ और आयोग नियुक्त होते रहे। सामाजिक और आविक शेत्र में राज्य के बायों का विस्तार होने पर लोक सेवकों की संख्या बढ़ गई।

2. वर्तमान व्यवस्था (Present Framework)—दिटिंश लोक सेवा पद-सेवानीय रूप में व्याय एवं दायित्वों के आधार पर कुछ बगों में प्रबंधित है। स्टौट ने चिटिंग नागरिक सेवा के पांच बगों का उल्लेख किया है<sup>2</sup> ये हैं—

प्रशासनिक वर्ग (Administrative Class), अधिकारी वर्ग (Executive Class), लिपिक वर्ग (Clerical Class), लिपिक सहायक (Clerical Assistant), और ट्यूपस्टर्स वर्ग (Typist Class)। ये सभी नागरिक सेवा के राजनीतिक वर्ग हैं जो प्रशासनिक एवं लिपिकीय कार्य सम्पन्न करते हैं। इसके मनिरिक्त घनेरु विभागीय और व्यावसायिक वर्ग भी होते हैं जो किसी एक विभाग या कुछ विभागों से सम्बन्ध रखते हैं। विभागीय वर्ग में विशेष कुशलता और यानिक योग्यता वाले पदाधिकारी आते हैं। इनकी नियुक्ति खुनी प्रतियोगिताओं द्वारा की जाती है। व्यावसायिक वर्ग में किसी भान्य व्यवसाय से सम्बन्धित पदाधिकारी होते हैं जैसे—वैरिस्टर, डॉक्टर, शिल्पी, इजीनियर, बंडानिक आदि। इन पदों पर नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नहीं होती बरन् भान्य योग्यता, विशेष प्रशिक्षण या अनुमति से आधार पर प्रत्याक्षी के साक्षात्कार द्वारा होती है। विटिश लोक सेवा में लगभग 7,50,000 कर्मचारी कार्य करते हैं।<sup>1</sup> इनमें प्रशासनिक वर्ग के लोग लगभग 5,000 हैं। ये नीति, रचना, सरकारी यन्त्र के समन्वय और शुधार तथा लोक सेवा विभागों के सामान्य प्रशासन और नियन्त्रण से सम्बन्ध रखते हैं। प्रशासनिक नियन्त्रण उच्च पदाधिकारी लेते हैं और विस्तार की बातें छोटे पदाधिकारियों द्वारा समझ बी जाती हैं।

**3. विटिश ताज के सेवक (Servants of the Crown)**—कानूनी रूप से विटिश लोक सेवा वे सभी सदस्य ताज के सेवक होते हैं। इस अर्थ में वे गविन्डो के नामान हैं। घनेक बार न्यायालय में आने वाले विवादों में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च पदाधिकारी और निम्न पदाधिकारी समान रूप में आठन के सेवक हैं। ये सभी राजा के नाम से प्राप्तना कार्य सम्पन्न करते हैं किन्तु अपने सही और पतन कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी रहते हैं।

**4. न्यायपालिकाएँ लोक सेवकों से बाहर (Outside the Jurisdiction of Courts)**—न्यायपालिकाएँ लोक सेवकों से सम्बन्ध नहीं रखती। कानूनी रूप से सभी लोक सेवक ताज के सेवक होते हैं, यह ये न्यायालय के लेखाधिकार से बाहर रहते हैं। महारानी या महाराजा द्वारा इनको विना मुआवजा, पेशन या भत्ता दिए, विना किसी पूंज मूदना के पदभूत किया जा सकता है। कानूनी आधार पर उनकी मुरक्का के लिए न्यायपालिका सामने नहीं आ सकती। इनके पर भी यह एक जात तथ्य है कि विटिश लोक सेवा के सदस्यों का कार्यवाल काफी सुरक्षित है। गम्भीर निजी रोजगार में लगे दिसी भी कर्मचारी से अधिक सुरक्षित है। उनको सेवा निवृत्ति सम्बन्धी काफी प्रधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें वे न्यायालय द्वारा नहीं बरन् उपरुक्त प्रतिवाद द्वारा लाग करा सकते हैं। न्यायपालिका लोक सेवा के सम्पूर्ण संगठन को प्रशासकीय विवेक (Administrative Decision) का विषय मानती है। विटिश लोक सेवा की रचना और अस्तित्व प्रशासकीय नियन्त्रण पर प्राप्तारित है।

17वीं शताब्दी से आठन के कर्मचारियों को नियमित करने के लिए लाइसेंस आदेश प्रशासित होने लगे हैं। उस समय सरकार की सारी गतियां राजा वे हाथों में

केन्द्रित थी तथा उनको कार्यान्वयित बनाने के लिए वह कोई भी तरीका अपना सकता था। वह अपनी इच्छानुसार किसी पदाधिकारी को नियुक्त घटवा पदमुक्त कर सकता था। जब मसद् राजा के व्यय पर नियन्त्रण रखने लगी तो उसने कर्मचारियों की कुल मरुया का ही नियमन किया, व्यक्तियों का नहीं। 18वीं शताब्दी में विरोधी दल ने लोक सेवाओं की सहाया घटाने पर जोर दिया क्योंकि लोक सेवाएँ राजा का अनुश्रृत (Patronage) की शक्ति देती थी जिनके माध्यम से वह चुनावों तथा समद् के बहुपत को प्रभावित कर सकता था। मसद् के जो मदम्ब छाउन वे अधीन किसी पद पर रहते थे वे राजा या सरकार के प्रमाण म रहते थे।

5. प्रशासनिक आदेशों द्वारा नियमन (Regulation by Administrative Orders)—ब्रिटिश नागरिक सेवा का नियमन प्रशासनिक आदेशों द्वारा किया जाता है। 1855 में लोक सेवाओं का पुनर्गठन सपरिषद् आदेश के आधार पर ही किया गया था। उसके बाद समय-समय पर प्रशासनिक आदेश प्रभारित होते रहे हैं। प्रशासनिक आदेशों द्वारा नागरिक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। यह आयोग लोक सेवाओं की भर्ती, स्तरीकरण, बेतन, पदोन्नति, छुट्टी, काम के पट्टे, सेवा निवृत्ति की ग्राम्य आदि का नियमन करता है।

प्रत्येक विभाग के बायं एवं मगठन का नियमन मन्त्री द्वारा किया जाता है। मन्त्री के नियन्त्रण में रहकर ही विभाग का मुख्य नागरिक सेवक अनुशासन भी स्थापना करता है। यद्यपि मन्त्रियों पानी की तरह आने और हवा की तरह जाते रहते हैं किन्तु लोक सेवाओं के नियम पर्याप्त स्थिर रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विभाग में कुछ आन्तरिक नियम होते हैं। इनकी व्याख्या विभागीय मन्त्री द्वारा की जाती है। जीनियम के बाब्दों म, “समग्र सेवा के ऊपर आदेश, नियमन तथा राजकोष वे कार्य सक्षिप्त रहते हैं जो सभी लोक सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा की माने निर्धारित करते हैं।”

6. सेवा सुरक्षा (Security of Service)—विभागों के आन्तरिक कानून नागरिक सेवाओं को कुछ अधिकार दीपते हैं। यह एक सुल्लाहित नियम है कि विभाग द्वारा वी गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध बायंवाही रखन का अधिकार प्रत्येक लोक सेवक को है। लोक सेवाओं की सुरक्षा के लिए राजकोष द्वारा कुछ मिडान निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार कोई लोक सेवक तब तक अपने पढ़ से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वह लोक सेवा के महित कोई बायंवाही न करे अथवा सेवा निवृति की ग्राम्य तक न पहुँच जाए। अधिकारी यह है कि यदि विभी लोक सेवक को विभागीय अध्यक्ष द्वारा पदमुक्ति अथवा अन्य अनुशासनात्मक इरायंवाही का विहार बनाया गया है तो भनिम् नियंत्रण लेने से पूर्व सारे मारोप सम्बन्धित वर्मचारी को बाजा दिए जाने हैं। विभागाध्यक्ष ही यह निर्धारित करता है कि तथ्यों की आगे जाँच वी जाए अथवा नहीं भीर की जाए तो विस प्रकार ही जाए। बड़े विभागों के नागरिक सेवक को किसी नियम अधिकारी के सम्मुख भगीरत करने

का अधिकार दिया जाता है। छोटे विभागों में यह व्यवस्था नहीं होती क्योंकि यहाँ स्वयं विभागाधिक ही नियुक्तिक होता है। हर हास्त में ममद के अनुप्रय परीक्ष करने की व्यवस्था है।

**7. राजनीतिक तटस्थिता (Political Neutrality)**—ब्रिटिश नागरिक सेवा राजनीतिक रॉप्ट से पूर्णत तटस्थ होती है। सरकार चाहे दिनी भी दल की बने, नागरिक सेवक पूरी विद्धा के साथ पदासीन सरकार की सेवा करते हैं। लोक सेवायों के लिए 1954 में निमित सहिता के अनुमार लाक्सेवा के सदस्य देश दी राजनीति में जश्निय भाग नहीं ले सकते। मन्त्रियों के अधीन प्रशासनीय तर्फ व्यावसायिक दर्ग के लोक सेवक हथा उनके साथ कार्यरत लिपिक व अन्य कर्मचारी राजनीतिक कार्यों से पूर्णत पुरुष रखे गए हैं। अन्य कर्मचारी अपने विभाग से अनुमति तथा अवकाश लेने के बाद स्थानीय अववाह राष्ट्रीय राजनीति में भाग ले सकते हैं। परिं कोई कर्मचारी चुनाव लड़ना चाहे तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। कॉम्मन सभा नियोगिता अधिनियम, 1957 के अनुसार लोक सेवक का पद लाभ का पद माना गया है और सरकारी लाभ के पद पर कार्य करने वाला नागरिक निर्वाचन में प्रत्याशी नहीं बन सकता। ब्रिटिश नागरिक सेवा की राजनीतिक तटस्थिता ने वहीं की राजनीति और प्रशासन दोनों पर स्वस्य प्रभाव डाला है। लोक सेवकों के राजनीतिक कार्यों के सबैंशए के लिए नियुक्त समिति के मतानुमार लोक सेवायों की राजनीतिक तटस्थिता ब्रिटिश लोडिंग्स की आधारभूत विशेषता है।

#### (8) सेवा की अनुकूल शर्तें

(Favourable Conditions of Service)

प्रेट ग्रिटेन की लोकसेवाएँ प्रत्येक प्रवेशार्थी को उज्ज्वल भविष्य का अवमर "प्रदान करती हैं। वे लोकसेवा को छोड़कर निजी उदाम में जाने की प्रवेश सेवा में बने रहकर ही अपने भविष्य को सजाने, मौवारने में लग जाते हैं। भविष्य की आशाएँ और पदोन्नति के प्रवक्तर योग्य प्रत्याजियों को सेवकारी सेवायों ने और आकर्षित करते हैं। कुछ विशेषज्ञ और शीर्ष स्तर के पदों को "छोड़कर शेष लोकसेवकों का बेतन एक ऐसी बेतन शृंखला के रूप में दिया जाता है जिसमें तब तक वार्षिक वृद्धि होती है, जब तक कि अधिकतम शृंखला तक बेतन की प्राप्ति न पहुंच जाए। बेतन शृंखला का प्रारम्भ प्रवेशार्थी की उम्र तथा वार्ष के अनुसार होता है। ज्यो-ज्यो कर्मचारी अपने पद का अनुभव और कुशलता प्राप्त करता है, उसके बेतन में नियमित वृद्धि होती रहती है। बड़े स्तर के संगठनों में यह प्रभाव भी नहीं होता कि कर्मचारी का कार्य देखकर बेतन वृद्धि की जाए। इसके स्थान पर नियमित बेतन वृद्धि वा तरीका सरल और विषयता प्रतीत होता है। प्रारम्भ में महिला कर्मचारियों को तुरह कर्मचारियों की अपक्षा कम बैठेन दिया जाता था जिन्होंने 1955 के समझौते के अनुसार समान बेतन के नियन्त्रित नियान को अपना

लिया गया है। प्रारम्भ में लन्दन के कर्मचारियों द्वारा स्थानों के कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक बेतन मिलता था। अब इसके स्थान पर सभी क्षेत्रों के लिए एवं राष्ट्रीय दर स्थापित वर दी गई है तथा लन्दन क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी अनिवार्यता लागत के लिए मुद्रावज्ञा दे दिया जाता है।

बिटेन लोकसेवकों की पेशन वा निर्धारण 1934 से लेकर अब तक के अनेक अधिनियमों द्वारा हुआ है। ये अधिनियम पेशन की शर्तें निर्धारित बरते हैं। पेशन देने का बायं बिटेन राजकोप द्वारा किया जाता है। पेशन तभी दी जाती है जब कर्मचारी साठ वर्ष का हो चकी हो, उसका स्वास्थ्य गिर गया हो तथा उसकी मेवा सन्तोषजनक रही हो। यदि कोई पद समाप्त वर दिया जाए तो सेवानिवृत्ति भत्ता प्रदान किया जाता है। बिटेन नागरिक सेवा में पेशन Non-Contributory है। 1857 में प्रारम्भ इस व्यवस्था का अन्तर्गत पेशन का दावा एक अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। 1935 के पेशन अधिनियम में भी यह हिति बनाए रखी गई है। बर्तमान व्यवस्था के पनुसार पेशन की दर नागरिक सेवक की प्रतिवर्षीय कुल आय का 1/80वाँ मात्र होता है। 1949 के पेशन अधिनियम के पनुसार Contributory आवार पर विषदा एवं आधिकों के निका भी पेशन की रकम देने की व्यवस्था की गई है। एक कर्मचारी 50 वर्ष का होने पर व्यापक देने के बाद पेशन पाने का अधिकारी है। यह रकम उसे साठ मात्र का होने पर प्राप्त होती है। 2 जुलाई 1948 से बिटेन नागरिक सेवकों के निए अनिवार्य बीमा योजना भी लागू की गई है।

बिटेन य नागरिक सेवकों के लिए अधिकार विभागों में 5 दिन का सप्ताह स्वीकार किया गया है। छट्टी के लिए यह व्यवस्था है कि प्रतिवर्ष प्रत्येक कर्मचारी को 30 वार्ष के दिनों की छट्टी दी जा सकती है। 2 जुलाई, 1964 को नागरिक-सेवा मध्यस्थ पञ्च क्षेत्रों द्वारा यह निर्धारित किया गया कि लन्दन में साप्ताहिक बायं के घण्टे 41 और दूसरे स्थानों पर 42 होंगे। स्वत्वाहार का समय भी दसन शामिल है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नागरिक सेवकों के कल्याण की ओर दिलोए ध्यान दिया जाने लगा है। प्रारम्भ में यहे कार्य विभागाभ्यक्त एवं निरीक्षकों द्वारा समर्पित किया जाना था। इन्हें कर्मचारियों की अस्तित्वन कठिनाइया का समाधान विशेष हर से खफन किए गए कल्याण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कार्यक्रमालय मामान समिति युविधार्यों का द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के उपयुक्त स्थान आवायक माज मामान युव युविधार्यों का द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध की आवायक स्थान दिया जाता है।

ये ट्रिटेन में सेवीवर्ग प्रशासन की एक उत्तेक्ष्णीय बात यह है कि यहीं लोकसेवकों को अनेक सम्मानजनक उपाधियां सम्मान द्वारा प्रदान की जाती हैं। परमारणन रूप से सम्मान अपने सेवकों को उनकी सेवाओं के बदने पुरस्कृत करते

हैं। ये उपतिथियों लोकसेवकों के पद के अनुसार प्रदान की जाती हैं। कर्मचारियों को इनका कोई आधिक या नीतिक लाभ प्राप्त नहीं होता जिन्हें उनका स्तर एवं सम्मान समाज की नजरों में उठ जाता है। स्वयं नगरिक मेंक इन उपाधियों की दिननी परखाह करते हैं यह स्पष्टतः नहीं कहा जा सकता। केवल नाइटहूड (Knighthood) की उपाधि ही ऐसी होती है जो उन्हें उपयुक्त सम्मान तथा आधिक लाभ पहुँचाती है।

### संयुक्तराज्य अमेरिका में सेवीवर्ग प्रशासन (Personnel Administration in U.S.A.)

संयुक्तराज्य के सेवीवर्ग प्रशासन की प्रकृति, स्वरूप, संगठन एवं विशेषताएँ बहुत बुद्ध उठ समस्याओं से प्रभावित हैं जिनका समाधान अन्तिम रूप से इसका अभीष्ट है। प्रो. स्टॉल ने यहाँ के प्रशासन की इन पाँच समस्याओं का उल्लेख किया है—नियोजन, विधायकों तथा नीतराज्याहों के बीच उचित सचार व्यवस्था, विधेयता का अनुरक्षण, कार्यकुशलता वा अनुरक्षण और उत्तरदायित्व एवं जबाबदेश का अनुरक्षण। अमेरिकी सेवीवर्ग स्थवर्षा का सागठन इन सभी समस्याओं को व्याप में रखकर किया जाता है। प्रायः सभी सरकारी अधिकारियों के बायें इन्हीं समस्याओं की ओर लक्षित रहते हैं। यहीं प्रशासनिक कायकुगतता की बृद्धि के लिए कर्मचारियों की विशेषज्ञता और विशेष ध्यान दिया जाता है। उपयुक्त प्रशिक्षण और पदोन्नति व्यवस्था द्वारा सेवीवर्ग में उत्तरदायित्व एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ उनके दांधनीय सम्बन्धों का विकास किया जाता है। सेवीवर्ग प्रशासन देश की उत्पादिता एवं लाभ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है। अन उसकी प्रावश्यकताएँ देखकर ही देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किए जाते हैं, उसे राष्ट्रीय लद्यों के अनुरूप बनाया जाता है। सेवीवर्ग के कामों में गुणात्मक बृद्धि के लिए योग्यता को महत्व दिया जाता है। लोकसेवकों के पद की मुरक्का और उत्तरदायी कायों के बीच उपयुक्त सामन्य स्थापित किया जाता है। लोकसेवा अन्तिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी रहनी है, यह किसी विशेष समूह अपवा राजनीतिक दल के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती।

संयुक्तराज्य के सेवीवर्ग प्रशासन का स्वरूप, संगठन एवं कार्य प्रक्रिया वहाँ के परिवेश से बाफो प्रभावित होती है। इस परिवेश की रचना में वहाँ को राजनीतिक सम्बन्धों, आधिक समस्याओं, सामाजिक एवं सौभाग्यिक मूल्यों और धार्मिक विश्वासों एवं आमस्याओं का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। सरकार के कामों में निरन्तर बृद्धि होने के कारण सेवीवर्ग प्रशासन पूर्विका अधिक जटिल

1 "Awards to the civil service are made on a strictly guarded system, which appears to work out as follows : K.C.B for permanent Secretary, C.B.E. for Assistant Secretary, O.B.E for Principal or Chief Executive Officer and M.B.E for all lower grades."

—E.N. Gladden : Civil Service of the United Kingdom, 1855-1970, Frank Cass & Co Ltd., 1967, p. 60.

तथा गतिशील बन गया है। दूसरे तर्फ ने भी इसे प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रो. स्टॉट ने सेवीवर्ग तथा उसकी इकॉलाजी या परिवेश के पारस्परिक सम्बन्धों की घनिष्ठता के बारे में लिखा है कि “सेवीवर्ग प्रशासन संगठन के मानवीय साधन-स्रोतों के साथ समर्पन का सम्बन्ध है। यह संगठन एवं वानावरण के बीच प्रमुख कही है। यह अपने वातावरण के मूल्यों, नैतिक मान्यताओं तथा दर्शन से प्रभावित होता है और दूसरी ओर यह वानावरण को भी प्रभावित करता है।”<sup>1</sup> सेवीवर्ग के कार्य अनेक नाहरी और आनंदिक तत्वों में प्रभावित होते हैं। इन्हें संयुक्त रूप में सेवीवर्ग प्रशासन की इकॉलाजी का नाम दिया जा सकता है। संयुक्तराज्य में सेवीवर्ग प्रशासन की इकॉलाजी के उल्लेखनीय प्रभावक तत्व निम्नलिखित हैं, इन्हें अमेरिकी सेवीवर्ग प्रशासन की विवेदनाएँ भी कहा जा सकता है—

1. सरकार का व्यापक कार्य क्षेत्र और नौकरशाही का बड़ा आधार (Wide Governmental Functions and Big Size Bureaucracy)—संयुक्तराज्य में श्रीदोगीकरण तथा लोड-कल्याणकारी राज्य की प्रवधानगा के परिणामस्वरूप सरकार के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फलत लोडसेवकों की एक विशाल सेना का तंगठन किया गया है। 1970 में यहाँ<sup>2</sup> लोडसेवकों की संख्या अनुमानत एवं करोड़ तीस लाख थी। आज तक प्राय प्रत्येक मानवीय व्यवसाय लोडसेवा का परग बन गया है। अबेले सधीय स्तर पर ही विभिन्न प्रकार के लगभग 1500 व्यवसाय हैं। सधीय स्तर के उच्च पदाधिकारी प्राय महाविद्यालयी शिक्षा प्राप्त होते हैं। राज्य स्तर के व्यवसायों की प्रकृति प्राय तकनीकी होती है। प्रत्यक्ष रूप से राज्य कर्मचारी के रूप में कार्य वरने वाले कर्मचारियों के अनिवार्य ठेके के आधार पर सरकारी कार्य वरने वाले लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी कर्मचारी होते हैं। राज्य का कार्य दोष तथा आधुनिक शीवन में राज्य से को जाने वाली अपेक्षाओं के बढ़ जाने के कारण बड़े घानार की नौकरशाही प्रवरिहार्य बन गई है। नार्मन पावेल (Norman J. Powell) के विद्वानुसार अमेरिका में संयुक्तराज्य अमेरिका की नौकरशाही विशाल, महेंद्री और उत्तिष्ठात्री है। सरकार के कार्यों में हुई वृद्धि एवं लोडसेवाओं वा बड़ा आकार भवेंड परिणामों वा कारण बनता है। इसमें नौकरशाही की जक्तियाँ बढ़ जाती हैं और फलत भ्रष्टाचार जन्म लेता है। जो प्रो. बोइ (J. O. Boyd) ने लिखा है कि “नौकरशाही में निरन्तर वृद्धि का पर्याप्त प्रजानन्द के दिनाश का प्रतीक है। यह सारी प्रगति का दिनाश तथा स्वतन्त्र सरकार का पूर्ण दिवानिया है। यह फासीशाद या मर्वाधिकारवाद की ओर ले जाती है। सरकार का रूप उनमा ही बड़ा होता चाहिए जिन मुक्तमना में समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। देवल तभी उत्तरदायी मेवीवर्ग प्रशासन के जन्म की धारा की जा सकती है।”

<sup>1</sup> O. Glenn Stahl, Public Personnel Administration, 6th ed., 1971, p. 16.

**2 मानवीय साधनों की उपलब्धि (Availability of Human Resources)**—लोक प्रकाशन के मफ्तुल सचाइन के लिए आविष्कार और सामाजिक साधन-द्वारों वौ मानव जटिल भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इस हेतु योग्य व्यक्तियों वो उन पदों की ओर प्रभिष्ठित किया जाना चाहिए जिनकी समाज को आवश्यकता है और जहाँ उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं का सर्वथेष्ठ उपयोग किया जा सकता है। समाज वैज्ञानिकों का कहना है कि मानवीय साधनों के अनुरक्षण तथा विकास के लिए धर्मिक शिक्षा, उच्चतर बोधिक प्रतिभा वी मान्यता और युवक, युद्ध स्त्री-पुरुषों तथा ग्रल्पसंस्थाओं का पूरा समुदायोग होना चाहिए। केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। व्यावसायिक, तकनीकी और प्रतिमावान मानव-शक्ति ने विकास के लिए समृद्धि समर्थन व निर्देशन बोधनीय है। विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए आवश्यक तकनीकी कुशलता बाजार में स्वत ही उपलब्ध नहीं होती; इसके लिए उन्नत नियोजन विनिवार्य है। अमेरिकी सेवीवर्द्धन प्रशासन के कार्य का स्तर एवं उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि यहाँ की विभिन्न शिक्षण संस्थाएँ तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र किस स्तर के व्यक्ति उपलब्ध करा पाते हैं।

**3 राज्य के कल्याणकारी दायित्व (Welfare Responsibilities of the State)**—सेवीवर्द्धन में चयन में राज्य को योग्य व्यक्तियों के चयन तथा जरूरतम द लोगों के लिए रोजगार की आवश्यकता के बीच सामजिक स्थापित करना होता है। यदि केवल राजनीतिक दल के प्रति स्वामिभक्ति, सेवायता, व्यक्ति के लिए रोजगार की आवश्यकता या विशेष हित समूहों वी प्रायमिकता वो ही ध्यान में रखा जाए, तो सरकारी पदों पर योग्य व्यक्ति नहीं आ सकेंगे। राज्य ने अबते कल्याणकारी दायित्वों का निर्वाह करते हुए जरूरतमन्द लोगों को रोजगार देने के लिए अनेक कानूनी व्यवस्थाएँ बी हैं, जैसे—कोई व्यक्ति एक साथ दो पदों पर कार्य नहीं कर सकता, सरकारी सेवा में आने वाले एक परिवार के सदस्यों की मध्या सुविधा की रई है, सेवा म प्रवेश के लिए निवास को आवश्यक शर्त बनाया गया है, युद्ध वीडितों एवं उनके परिवारों को प्राविष्टिकता दी जाती है तथा पदमुक्ति प्रक्रिया पर अनक सीमाएँ लगाई जाती हैं। ये सभी व्यवस्थाएँ राज्य के कल्याणकारी दायित्वों के प्रतीक हैं।

सामाजिक और प्राविक मकान के समय सरकारी सेवा की एक शरण या राहत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह माना जाता है कि सभी को रोजगार मिलने पर सामाजिक बुराईयाँ स्वत ही दूर हो जाएंगी। यदि लोगों को निजी उद्योगों में पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाते तो राज्य को इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसी भावना के परिणामस्वरूप अमेरिका में युद्ध से लौटे हुए, आविष्कार द्वारा से विपन्न, शारीरिक रूप से प्रपन तथा मानसिक रूप से घननुसित लोगों, अवैध महिलाओं, विभिन्न ग्रल्पसंस्थाएँ समूहों तथा प्रशकाल के लिए उपलब्ध विद्यार्थियों को रोजगार देने के प्रयात्रि चाहिए हैं। यह उचित है कि इस प्रकार

के लोगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए इन्तु इन्हें सरकारी कार्यालयों में रोजगार देने की नीति सेवीवर्गं प्रशासन पर अबौद्धनीय प्रभाव ढालती है। प्रो स्टॉन ने लिखा है कि “इस प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष हानि केवल प्रशासनिक कार्यकारी की गिरावट नहीं है बरन् इससे लोकसेवामा की इमेज घिरती है। यह समझा जाना है कि सरकारी पद केवल पुरस्कार होते हैं। ये केवल जहरलग्न लोगों की आप का प्रदान्य करते कि निंग काम प हैं। जन-मानस में लोकसेवामा की प्रतिष्ठा गिर जानी है।”

**4 तकनीकी का प्रभाव (The Impact of Technology)**—धनेश तकनीकी आविष्कारों के कारण तकनीकी व्यवसायों की संख्या बढ़ गई है। इनमें नियुक्ति के लिए अधिक योग्य तथा उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की प्राप्तशक्ति है। ऐसे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग निरन्तर अपनी जान बूढ़ि में प्रयत्नजीन रहते हैं। उनके अनुकूलता में गतिशीलता रहती है। वे इसी भी सेवा या पद में सकान नहीं होते। सरकारी सेवा को वे आप मध्यान्तरकाल के लिए हीरोइन करते हैं, उसे आजीवन व्यवसाय नहीं बनाते। जो लोग ऐसा कर भी सकते हैं वे यहाँ से वहाँ भवना व्यवसाय बदलते हैं। तथ्य यह है कि अमेरिकी सरकारी अभिकरण अभी भी योग्य व्यक्तियों को प्राप्तिकरण करने के आदर्श में दूर है।

भवुकरात्मक के सेवीवर्ग प्रशासन पर तकनीकी का प्रभाव मुख्यत चार रूपों में है—(i) इसने ऐसी सेवीवर्ग व्यवस्था को आवश्यक बनाया है जो प्रत्येक स्तर पर नए प्रश्नाशियों के प्रवेश को स्वीकार एवं प्रोत्साहित कर सके। ऐसी होने पर नौकरगाहों का समाज से निकट सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा। नए बानावरण में सेवीवर्ग प्रशासन को भर्ती, बैनर, कार्यकाल एवं सेवा निवृत्ति के प्रावधानों में सेवीवर्ग रखने के लिए सदैव तंयार रहता चाहिए। (ii) तकनीकी विकास के पलहवहर सेवाकालीन प्रशिक्षण का महत्व बढ़ा है। भाज पह उचित नहीं है कि पूर्णसाक्षीन प्रशिक्षण के लिए वर्मचारी को बहुत समय तक सेवा से पृथक् रखा जाए तथा प्रशिक्षण के दृष्टि का भार उसके कंधों पर ढाला जाए। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था वर्मचारी को दृतयति से होने वाले तकनीकी परिवर्तनों के साथ परिचिन रखने में भी सक्षम नहीं है। सरकारी प्रयोगशालामों तथा कार्यालयों में वार्ष करने वाले इज्जीनियरों, बैंकानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, चिकित्सकों आदि के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाना नितान्त आवश्यक है। (iii) तकनीकी विकास का एह विनियोग यह है कि व्यावसायिक वार्षकर्ता तथा विशेषज्ञ बैंकानिक स्वयं को एक विशेष जाति का मानने सके हैं। वे जन-माध्यारण की सरकार पृथक् व्यवस्था एवं विशेषाधिकार की मौजू बरते हैं। वे घपने वस्त्रभ्या एवं दायित्वा की ओर ध्यान देने की अपेक्षा अपने पदस्थर को उंचा उठाने पर अधिक समय तथा शक्ति व्यवस्था करते हैं। (iv) यह मत है कि तकनीकी युग ने बैंकानिकों को कुछ मम्मान दिया है इन्तु मार्य ही इन पर बुद्ध दायित्व भी दाते हैं। उनमें यह अपेक्षा की जाती है कि सेवीवर्ग होने के नाते उन्हें बैंकानिक से कुछ अधिक होना चाहिए।

उनमें वैज्ञानिक कार्यक्रमों, लक्ष्यों तथा अपने समर्थन के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उनके बायों की सार्थकता एवं उपयोगिता समर्थन के लक्ष्यों के समर्द्ध में ही आकी जग सकती है।

**5. अन्त सरकारी सम्बन्ध (Inter-Governmental Relations)**—अमेरिकी विधान लागू होने के बाद से यहाँ की सध मन्त्रकार निरन्तर जटिलाली होती चली गई है। इसके हाथों में सहायता अनुदान की जटिलता व नामांकन की मारी जटिल है। त्रिसके परिणामस्वरूप राज्य एवं स्थानीय स्तरों की सरकारें निरन्तर कमज़ोर होनी चली गई हैं। अब इनका स्वतन्त्र अस्तित्व भी मद्देशम्बद्ध बनता जा रहा है। 1940 से अमेरिका के सभी राज्यों को कल्पाशा, गोजगार, मुरुदा, जन-स्वास्थ्य, व्यावसायिक पुनर्वास एवं नागरिक सुरक्षा आदि के लिए संघीय अनुदान प्राप्त हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप सरकारी क्षेत्राधिकार की अन्व निर्भरता बढ़ी है। संघीय प्रभिकरणों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य तथा स्थानीय स्तरों के कर्मचारी भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

**6. राजनीति एवं अनुप्रय (Politics and Patronage)**—प्राज संयुक्तराज्य में लोकसेवकों की भर्ती के लिए योग्यता का सिद्धान्त पर्याप्त लोकप्रिय बन चुका है तो भी यहाँ उस समय की पैराप्टराएं अभी मिटी नहीं हैं जब यह माना जाता था कि विजेना की लूट का माल मिलना ही चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने 1820 में अधिकारी संघीय अधिकारियों का कार्यकाल चार वर्ष निश्चित कर दिया था ताकि सामाजिक नवीनीकरण द्वारा प्रशासन में सुधार होता रहे। राष्ट्रपति जैक्सन के द्वारा से ही इस प्रावधान का प्रयोग राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाने लगा। सीनेटर मर्सी (Senator Marcy) ने इसे लूट व्यवस्था (Spoils System) का नाम दिया। इसमें प्रत्येक नए राष्ट्रपति के माध्य सभी प्रशासनिक कर्मचारियों को निकाल दिया जाता था और उनके स्थान पर नए 'बदमचों' को भर लिया जाता था। इस व्यवस्था की सुराइया जीघ ही प्रबट होने लगी। एक बीखलाए पश्चानीकी द्वारा 1882 में राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या कर दी गई। 1883 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक नागरिक सेवा बानून पास किया। तदनुसार संघीय स्तर के निम्न पदों पर नियुक्ति से राजनीति को भलग कर दिया गया। यह व्यवस्था की गई रिराष्ट्रपति तथा सीनेट द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों का सोक सेवा यादोंग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगा और अधिकारियों के माध्यम से राजनीतिक कोण एवं चित्रित नहीं कराया जाएगा। अमेरिका का वर्तमान सेवीवर्ग प्रशासन बहुत कुछ इसी अधिनियम पर भाष्टारित है।

व्यवहार में लूट प्रणाली धर्यवा अनुप्रय सिद्धान्त का प्रभाव प्राज भी पर्याप्त है। जनता की उदासीनता और निहित स्वाधीनों के प्रभाव के कारण अमेरिका में संघीय, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर अनुप्रय व्यवस्था का पर्याप्त प्रभाव है। इसमें सोकसेवा गम्भीर रूप से प्रभावित होती है। इसका प्रभाव वेवन प्रवेश या भर्ती तक ही सीमित नहीं है वरन् यह सेवीवर्ग प्रशासन के प्रत्येक पहनूँ को प्रभावित

करती है, जो उच्च अधिकारी योग्यता के आधार पर नियुक्त हुया है वह राजनीतिक आधार पर नियुक्त घरने अधीनस्थों पर बोई अनुशासन नहीं रख पाता। घरने के विधायक घरने की शक्ति का दुरुपयोग वरते हुए लोक सेवाओं की वार्षिक प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव डालते हैं। वे घरने मनदाताओं की प्रसन्नता या घरने अहंकार की पूर्ति के लिए पदोन्नति, स्थानान्तरण तथा सेवा की शर्तों को प्रभावित करते हैं। वे इसे घरने राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि एवं सस्ती लोकप्रियता की प्राप्ति का साधन बना लेते हैं। कौरेम अद्यता राज्य अवस्थापिकाओं की स्थायी समिनियों नागरिक सेवा को घरने साझाज्य का भग मानती है।

**7. राजनीतिक नेतृत्व (Political Leadership)**—राज्य की निर्धारिति या नियुक्त कार्यपालिका देश की नीतिरक्षाही को नेतृत्व प्रदान करती है और इस प्रबार प्रशासन को उत्तरदायी बनाए रखने की व्यवस्था करती है। यह नेतृत्व घरने आप में बुरा नहीं है किन्तु मारक। यह रहसी है कि वही इसके कारण लोकसेवक घरने व्यावसायिक इमानदारी से न फिल जाए। राजनीतिक नेतृत्व के प्रति स्थामिकति और कर्मचारी के स्वनन्दन विवारों के थीच एक उपयुक्त संनुलन की स्थापना की जानी चाहिए। दोनों बातें ज़हरी हैं, एक के लिए दूसरी का बलिदान बरना अनुचित है। लोक सेवक का घरना राजनीतिक इटिलोए कुछ भी हो नकला है तथा राजनीतिक नेताओं के प्रति उसी मारवाएं कंसी भी रह सकती है किन्तु उसे घरने वर्तम्य निर्वाह में इनको वापक नहीं बनने देना चाहिए।

मयूरराज्य में नीतरक्षाही का परीक्षाकाल बह होता है जबकि भारम चुनावों में बाद मध्य राजनीतिक नेतृत्व कुम्ही पर आता है। यह सत्रमण घरने का नए तथा पुराने दोनों ही अधिकारियों के लिए कष्टदायक बन जाता है। प्रो स्टॉल (Prof Stahl) के मनानुमार एक भव्यती सेवीवर्ग अवस्था की पहचान पह है कि वह नए राजनीतिक नेतृत्व को मरत रूप में सत्रमण प्रदान कर दे। राजनीतिक शक्ति और सेवीवर्ग दोनों द्वारा इटिलोए में उपयुक्त संनुलन की स्थापना के लिए सेवीवर्ग प्रशासन को बोद्धनीय परिस्थितियों पर दो बरसी होगी, प्रत्यक्ष लोक सेवक दो उमरे पद की मुरक्का देनी होगी तथा अन्य सावधानक घरेकाएं संनुष्ट करनी होगी। इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए यह बोद्धनीय है कि नोक सेवा में उच्च पदों पर वासी नोबद्धीनता एवं गतिशीलता रखी जाए और निम्न पदों पर निरन्तरता एवं स्थायित्व की अवस्था बीजाए।

**8 विशेष हित समूहों का प्रभाव (Influence of Special Interest Groups)**—हित समूह परिवर्ती राजनीतिक धिनिज की महत्वपूर्ण व्याख्याताएँ हैं। अन्य सरकारी व्यापक व्यापारों की भाँति सेवीवर्ग प्रशासन के द्वारा मध्य विशेष हित समूह गविर रहते हैं। यहीं इनकी सत्रियता एवं सगठन इनका उपास नहीं होता कि ये व्येष्ठ प्रशासन के हितों के समर्थन के लिए कोई संयुक्त सोचा बना मरे। यहीं वह कुछ मुश्वर हित समूह हैं—National Civil League, American Society for Public Administration, Public Personnel Association, The Society for

Personnel Administration आदि। ये हित समूह तकनीकी ईटिट से उचित बायं सचालन तथा योग्यता व्यवस्था के प्रसार में उपयुक्त भूमिका निभाते हैं। इनकी विशेष रूचि प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं सक्षमता में इतनी नहीं रहती। ये प्राय अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए प्रयाम करते हैं। सेवीवर्ग व्यवस्था में किए गए सुधारों पर भी इनका प्रभाव रहता है। इनने पर भी तथ्य यह है कि संयुक्त राज्य में कोई ऐसा हित समूह नहीं है जो निरन्तर व्यवस्थापिका कक्षों में जाकर अधिक धेठ, कल्यनाशील और रचनात्मक सेवीवर्ग प्रबन्ध के लिए सध्य है।

**9 लाइन तथा स्टॉफ (Line and Staff)**—अमेरिकी सेवीवर्ग व्यवस्था के परिवेशात्मक तत्त्वों में लाइन तथा स्टॉफ भी उल्लेखनीय हैं। यिन उद्देश्य के लिए संगठन की रचना की गई है उससे संबद्धित कार्य लाइन कहनाते हैं तथा संचालन बनने के कारण जो बायं जहरी बन जाएँ वे स्टॉफ सेवाएँ कही जाती हैं। स्पष्ट है कि लाइन कार्य प्रमुख तथा मूलभूत होते हैं तथा स्टॉफ को लाइन की सेवा बरनी चाहिए। स्टॉफ केवल परामर्शदाता है, नियन्त्रण नहीं करता। लाइन मुख्य सचालन है तथा स्टॉफ द्वारा उसकी सहायता की जानी चाहिए। वास्तविक व्यवहार में लाइन तथा स्टॉफ का अन्तर काफी आलोचनापूर्ण बन जाता है। मान्यताएँ यह सच है कि सरकारी सेवीवर्ग का प्रबन्ध सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। मरकार का प्रमाणित सेवीवर्ग की भर्ती, पद व्यवस्था, व्यनुशासन या अभियोगों के लिए नहीं है, किन्तु कुछ अवसरों पर स्टॉफ की भर्ती, बेतन प्रणाली, व्यनुशासन की प्रणाली तथा पेंशन व्यवस्था लाइन कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। आजवल लाइन तथा स्टॉफ का यह अन्तर कृतिम तथा महत्वहीन समझा जाने लगा है। स्टॉफ के कथनामुसार, “एक दुष्टिमान मुख्य कार्यपालिका इन दोनों के कृतिम अन्तरों के सम्बन्ध में विशेष चिनित नहीं होती, यही तक कि वह इन दो शब्दों का प्रयोग भी नहीं करती बरन् एक ही शब्द ‘सेवीवर्ग प्रशासन’ वाही उल्लेख किया जाता है।” सेवीवर्ग व्यवस्था के विभिन्न पहलू जनना की रूचि के केन्द्र होते हैं। प्रत्येक सजग नागरिक यह जानना चाहता है कि सेवकसेवकों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनको बिना बेतन मिलता है तथा उनके कार्य की शर्तें क्या हैं। संयुक्तराज्य में सघ, राज्य तथा स्थानीय संस्थाएँ भी लोइ सेवाओं में लगभग 13 मिलियन सेवकों कार्य करते हैं। उन सबकी सन्तोषजनक व्यवस्था बनाना एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्य है। यथ्य भी सरकारी कार्य इससे परस्पर गुणे हुए हैं तथा उनकी प्रभावशीलता इस पर आधारित है।

**10 सेवक सेवाओं का समिति सम्मान (Limited Prestige of Public Services)**—संयुक्तराज्य अमेरिका भी लोइसेवा बही के मामारिं वीवन में विशेष प्रतिष्ठित नहीं है। परम्परागत रूप से अमेरिकी लोइ चयने जीवन के कार्य व्यापार में सरकारी सहायता की क्षम अपेक्षा बरतते हैं। उच्च योग्यता प्राप्त अधिकारी युवक लोइसेवा में आना पसन्द नहीं बरतते। युवक लोइ केवल परिस्थितिवश या अवकूपनी स्थिति वे कारण सरकारी सेवा में अवेश पा सेते हैं प्रम्भरा

जान-बुझकर एवं पूर्व नियोजित तरीके से लोग बदाचित ही लोकसेवा को अपना ध्यावसाय बनाना चाहते हैं। वहाँ की शैक्षणिक संस्थाएँ एवं न्यावसायिक परामर्शदाना सौंगों को सरकारी सेवा की ओर प्रेरित करने में बहु रुचि लेने हैं। इन सबके बाद भी वहाँ की लोकसेवाएँ योग्य व्यक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट करने में संदेव मेंटेट रहती हैं। कुछ लोग सरकारी कार्यों की इटिट से इसे अपनी जीविता का साथन बनाते हैं। एवं अनुमववादी अध्ययन के अनुसार लोकसेवाओं में पधिकाँश लोग इमनिए बने रहते हैं क्योंकि वे इसे मनोरजक मानते हैं। वैसे आय तथा अन्य मुद्रितायों की इटिट से गंग-सरकारी सेवाएँ सरकारी सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रांतिक हैं। सरकारी पदों की लोचहीनता एवं पदोन्नति के सीमित अवसर योग्य प्रतिमायों के इनमें प्रवेश के मार्ग को अवश्य कर देते हैं। पधिकाँश साहसी एवं अत्याकृमक प्रहृति के लोग निजी व्यवसाय को प्रायमिकता देते हैं तथा सरकारी सेवाओं में जाकि वे प्रभिमायी महत्वाकांक्षी लोग प्रमन्द करते हैं। लोकसेवाओं की ओर प्रतिभाषाली लोगों को आकृषित करने वे लिए व्यावसायिक शैक्षणिक एवं राजनीतिक नेता समय-समय पर विचार प्रकट करते हैं। उनके अतिरिक्त नेतृगति विविध संविम लीग, गॉवफेलर फाउण्डेशन तथा अन्य जनसेवी मगठन प्रतिवर्ष मिपाधारण प्रतिभाषाली सौकरेवर्कों को महत्वपूर्ण पुरस्कार देते रहे हैं। लोकसेवाओं का सम्मान बढ़ाने पर समय-समय पर जोर दिया जाता है ताकि उच्च श्रेणी की योग्यता वाले लोगों को आकृषित किया जा सके। सरकारी सेवा के सम्बन्ध में प्रतिविन अफवाहों का व्यष्टन तथा प्रशासनों का समर्थन एवं प्रचार किया जाना है। इन सबके बाद भी उच्च यह है कि योग्य प्रतिमाएँ निजी सेवा की ओर ही आकृषित हो पानी है। इन दिनों में अभी काफी कुछ करना अपेक्षित है।

### फ्रैंस में सेवीवर्ग प्रशासन

#### (Personnel Administration in France)

फ्रैंस में सेवीवर्ग का प्रशासन वहाँ के सौकृतिक परिवेश से काफी प्रभावित है। वहाँ व्यवस्था के गुण, सामाजिक भूम्य, दर्यों व सम्बन्ध, शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं उपनिवेशीय व्यवस्था सेवीवर्ग प्रशासन के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रैंस की शिक्षा व्यवस्था नौकरसाहीपूर्ण है। तथा यह यहाँ के नौकरसाही मगठन की भ्रान्त प्राधारमूल व्यवस्थाओं को स्वतं सिद्ध कर देती है। शिक्षा व्यवस्था का मगठनात्मक रूप अत्यधिक केन्द्रीकृत तथा अव्यक्तिगत है। अध्यायन की कला में नौकरसाही के जीवाणु हैं तथा अध्ययन की विषयवस्तु नौकरसाहीपूर्ण है। यह लोगों को भावी उत्पादन कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने की घटाता उनका निश्चिन सामाजिक स्तर में प्रवेश के लिए बहुत बहुत बरती है। शिक्षा व्यवस्था को भावित फ्रैंस में अधिक आनंदोन्नतों तथा घोषोनिक सम्बन्धों का रूप भी नौकरसाहीपूर्ण है। इनकी प्रहृति राजनीतिक है और इमनिए निम्नस्तरीय वर्मेवारी

<sup>1</sup> "As a matter of fact the French Educational System may be called Bureaucratic." — Michel Crozier : The Bureaucratic Phenomenon, p 239

प्रन्यक्ष एवं मज़बूत रूप से उनम् मान नहीं लेते। फृठन नौकरशाही केन्द्रीकरण बढ़ जाता है।<sup>1</sup> फौसिं की राजनीतिक व्यवस्था में भी नौकरशाही लक्षणों का अवलोकन किया जा भक्ता है। इमम् पद एवं विजेपाधिकारों के बीच सम्बुद्धन की स्थापना की जाती है, यह नवीन नीतियों के प्रयोग से मर्दव कहराती है। फौसिं ने अपने उपनिवेशों में जो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संगठन स्थापित किए वे नवीन उपक्रम राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप थे अर्थात् उनम् नौकरशाही के गुण उपलब्ध थे। स्पष्ट है कि नौकरशाही की विशेषताएँ फौसिं व सांस्कृतिक परिवेश में पूरी तरह रमी हुई हैं। इस परिवेश ने बहाँ की सेवीवर्ग व्यवस्था को काफी प्रभावित किया है।

फौसिं में प्रशासन और राजनीति के बीच शतांकियों तक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। राजनीतिक व्यवस्थाएँ नो मिट गई किन्तु प्रशासन व्यवस्था की निरन्तरता एवं स्थायित्व के बारण अनेक राजनीतिक विद्वानों प्रशासन के प्रांगण में जीवन रह सके। फौसीसी व्यवस्था में एकमात्रा और स्थायीपन रहा है। नए विचारों तथा सामाजिक गतियों ने प्रवर्तित मिटान्हों पर नई अवधारणाएँ लाई हैं किन्तु इनके परिणामस्वरूप प्राचीन सरचना नष्ट नहीं हुई बरन् उसी प्रकृति में प्रभाव विवरित आ गए हैं। कलिष्ठ विद्वानों ने फौसिं के सेवीवर्ग प्रशासन की विशेषताओं का विवेचन करने की चेष्टा दी है। रिडले तथा ब्लॉडेल (F Ridley and J Blondel) ने इनकी कुछ परम्परागत विशेषताओं का निम्न प्रकार उल्लेख किया है—

1. मिशनरी भावना(Missionary Zeal)—प्रारम्भ से ही फौसीसी नौकरशाही मिशनरी भावना से कार्य करती रही है। प्रशासन के उदय से पूर्व गणतन्त्रमें व्यवस्था में फौसिं के राजाओं ने आने आयी स्थायी अधिकारियों में देश के आर्थिक जीवन के विकास की प्रेरणा जाग्रत् की। नेपोलियन भ्रम के समय में भी प्रशासन शायद के हस्तक्षेप के प्रति पर्याप्त मज़बूत रहा। 19वीं शती और उसके बाद के पूँजीवादी युग में राज्य के हस्तक्षेप की नीतियाँ कायम रहीं। चतुर्थ गणतन्त्र के समय नाशरिक सेवा ने हिंदू और उदयोग के आधुनिकीकरण के निए अनेक प्रमुख योजनाएँ प्रारम्भ कीं। यात्र भी फौसिं का सेवीवर्ग प्रशासन इसी प्रकार की मिशनरी भावना से बढ़ रहा है।

2. देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व (Representation of all classes in the country)—फौसिं दी लोकसेवाओं में देश के प्रायः सभी वर्गों के लोगों का प्रवेश है। बड़ा आदार होने के बारण यह विभिन्न वर्गों को आने का निम्नलिखित केन्द्री है। विटेन में बहाँ की जनस्थान के अनुपात में जिनमें लोकसेवक हैं उनसे दुगुने फौसिं में हैं। विटेन में जिन पदों पर स्थानीय सरकार के अधिकारी कायं दरते हैं उन पदों पर दूसी में लोकसेवक रखे जाते हैं।

3. देश के सभी भागों में विवरे हुए हैं (Spread all over the country)—शौश्य के लोकसेवक विटेन की भौमि देवल राजधानी प्रदेश और वडे नगरों में ही

1. "...It is a powerful reinforcing force for the French bureaucratic model" —ibid, p 251.

केन्द्रित नहीं हैं बरन् पूरे देश में व्याप्त हैं। केन्द्र सरकार की क्षेत्रीय सेवाएँ काफी व्यापक हैं। सम्भवत् प्रत्येक क्षेत्र में एक सरकारी वायलिंग है। तीन हजार क्षेत्रों तथा गांवों में सरकारी सड़क और इन्जीनियर रखे गए हैं। प्रत्येक पंचिल (Parish) में स्वूल मास्टर होता है जो स्वयं एक लोकमेवक है।

**4 अच्छे प्रत्याशियों का चयन (Selection of better candidates)—** फ्रैंस में लोकमेवुकों की ओर अच्छे और दोष व्यक्ति आरपित होते हैं। यहाँ स्पृधि पर्याप्त कठी होती है। सेवाओं में प्रबोध की परीक्षाएँ सामान्य योग्यता की मापक समझी जाती हैं। यद्यपि लोकसेवाओं में बेतन एवं अन्य गौणिक उपलब्धियाँ निजी उद्यमों की प्रपेक्षा कम होती हैं विन्तु इनकी प्रतिष्ठा और सम्मान इतना अधिक होता है कि लोग अल्पकाल के लिए भी इनमें प्राप्त वसन्द बरतते हैं। यदि एक दार मरकारी सेवा में किसी ने प्रबोध पा लिया हो तो फिर वह वही भी अपने भाग्य की परीक्षा कर सकता है। उसे एक प्रकार से मफ़्तना के लिए प्रमाण-पत्र मिल जाता है।

**5 शिक्षा से जुड़ी हुई है (Linked with the education)—** फ्रैंस की नागरिक सेवा तथा जिक्षण स्थायों के बीच सम्बन्धों की गर बड़ी मर्दव रहती है। अनेक स्कूलों में प्रबोध के लिए बड़े कठोर नियम हैं। यहाँ प्रबोधायियों में एक गम्भीर पर हस्ताक्षर बरता निए जाते हैं कि वे स्नानक होने के बाद कुछ वयों तक मरकारी सेवा में रहें। अध्ययनकाल में विद्यार्थियों को ऐसे विषयों का ज्ञान कराया जाता है जो मरकारी सेवा के दायित्वों एवं धारावशस्त्रायों के घनुष्ठ होते हैं। इन स्कूलों की परम्पराएँ लोकसेवाओं की परम्पराओं के सम्बन्ध होती हैं।

**6 विभिन्नताएँ (Diversity)—** फ्रैंस की नागरिक सेवा की एवं अन्य विशेषता इसकी भिन्नताएँ (Diversity) है। नागरिक सेवा अलग-अलग कोर्प्स (Corps) बने हुए हैं। अलग अलग स्कूलों में विभिन्न प्रकार की नागरिक सेवाओं की प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूलों तथा कोर्प्स के परिणामस्वरूप विभिन्नताएँ जन्म लेती हैं। यह व्यवस्था नेपोलियन द्वारा स्थापित की गई थी। नेपोलियन एक ऐसी नागरिक सेवा स्थापित करता चाहता था जिसका अपना जीवन हो। वह एसा करने में भावन भी हुआ। नागरिक सेवा कोर्प्स के स्वनृत्ता प्रदान की गई। इसके परम्परागत मरकारी विशेषों में सघात्मक मरचना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

फ्रैंस की नागरिक सेवा की उक्त परम्परागत विशेषताएँ भाज भी परिवर्तित हुए में यहाँ की लोकराजी से जुड़ी हुई हैं। नागरिक सेवा निदेशक पी चेटेनेट (P Chatenet) ने फ्रैंस की वर्तमान नागरिक सेवा को निष्ठनिवित चार विशेषताओं का उल्लेख किया है—

**(A) राज्य की सर्वोच्चता (Supremacy of the State)—** फ्रैंस में रोमन साम्राज्य की प्रेरणा से विभिन्न सम्बाधों का नियामनीय मिलान बानूत भी सर्वोच्चता है। यहाँ का प्रशासन राज्य की सत्ता पर निर्भर है। राज्यानन्द द्वारा ही प्रशासन और व्यक्ति के सम्बन्धों तथा प्रशासन की धारानिक मरचना को नियंत्रित हिया जाता है। इस व्यवस्था में राज्य और प्रशासन एक ही स्तर पर नहीं रहते।

प्रशासन राज्यमता के प्रधीन रहता है। राज्य नथा राज्य-कर्मचारियों के बीच कोई समझौता नहीं होता। मेंबीवर्ग प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न निर्णय राज्य द्वारा एकपक्षीय रूप से लिए जाते हैं।<sup>1</sup> इस असमानतापूर्ण स्थिति पर ही फौस के संबीचीय प्रशासन की अपनी विशेषता प्राप्तारित है यह है—केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति।

(B) केंद्रीकरण की प्रवृत्ति (Centralizing Spirit)—फौस से स्वेच्छाचारी राजतन्त्र ने दंबीय अधिकारों के मिदान के आधार पर जिस पूर्ण बल का प्रयोग किया था उसका स्वाभाविक परिणाम सेंबीवर्ग प्रशासन में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है। यहाँ की सरकारें प्राप्त सभ तमस व्यवस्था से मरमीन रहीं और इसनिए यहाँ स्वामीय सरकार का विकास नहीं हो पाया है। ऐसे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ने वहाँ की नागरिक सेवा को काफी प्रभावित किया है। 19वीं शताब्दी में ऐसे सामान्य नियमों की रचना की गई जो समूर्ण नागरिक सेवा पर सामूहिकता देते थे। नागरिक सेवा में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का एक छोटा सा उदाहरण यह है कि फौस के उपनिवेशीय लोकसेवक भिन्न परिस्थितियाँ होते हुए भी उन्हीं सामान्य नियमों के अधीन कार्य करते हैं जो राजधानी प्रदेश में रहने वाले उनके साथियों पर नामून होते हैं।

(C) स्थायित्व (Permanence)—फौसीमी प्रशासन अपने सेवीवर्ग के स्थायित्व के लिए हमेशा से प्रभिद्ध रहा है। यहाँ लूट प्रणाली का प्रचलन कभी नहीं रहा।<sup>2</sup> राजतन्त्र में अधिकारीगण पर्याप्त स्थायी होते थे। फौस का कोई भी लोक-सदक दल अधिकार सरकार से बंदा नहीं होता, वह राज्य का तेबक होता है और अपेनावृत अधिक स्थायी रहता है। यहाँ वीं दोहरी न्याय व्यवस्था नागरिक सेवा के स्थायित्व में सहयोगी बनती है। सेवीवर्ग के स्थायित्व को यहाँ जनरल का समर्थन प्राप्त है। व्यवहार में यहाँ की नागरिक सेवा का शुद्धिकरण कम हुआ है। यह जब भी कभी किया गया है तो इसकी प्रतिक्रियाएँ रूप से सेवा में अधिक स्थायित्व की व्यवस्था हुई है। एक मर्जे का तथ्य यह है कि 1847 से 1852 तक अर्थात् 5 वर्षों में ही फौस में चार सरकारें बदल गईं (ये थीं—July Monarchy, The Democratic Republic, The Conservative Republic, The Second Empire) जिन्हें उच्चतर और मध्यस्तरीय सेवीवर्ग में से केवल वे ही लोग हटे जिनका हटना उनकी मृत्यु अधिकार स्थागन के कारण अनिवार्य हो गया था। यहाँ बाल 1869-74 के समय के लिए भी सच है। फौस की लोकसेवा का यह स्थायित्व पीरे-धीरे सम्भागत बन गया है। इसका समर्थन करने वाले अनेक कानून बने हैं जिनके द्वारा लोकसेवकों को कार्यकाल की गारंटी दी जाती है। यहाँ राज्य को स्थायी बनाने के

1 ".....the various aspects of his employment are determined as in the case of a contract for ordinary work, but are decided unilaterally by the state in its role of political sovereign."

—P. Chateaubriand: The Civil Service in France, in William A. Robson, ed. The Civil Service in Britain and France, 1956, p. 162

2 "One can say that nothing like the spoils has ever existed in France"—Ibid., p. 164

लिए जो भी प्रयास किए गए हैं वे सब नागरिक सेवा में स्थायित्व लाने में सहयोगी बने। इसके कलस्वरूप लोकसेवाओं में एकीकरण की स्थापना हुई है और राज्य की सत्ता वा प्रभाव कम हुआ है। गारण्टी की व्यवस्था ने प्रैस के नागरिक सेवक को राज्य की स्वेच्छाचारी शक्तियों के विरुद्ध सर्वाधिक सुरक्षित नागरिक बना दिया है।

(D) गारण्टीज का विकास (The Development of Guarantees) ——  
फ्रैंस की नागरिक सेवा में हुए प्रवर्चनीय परिवर्तनों ने कमंचारियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं इन्हुंने इसके कलस्वरूप आधारभूत तिदानों में परिवर्तन नहीं हुआ है। नागरिक सेवकों की सुरक्षा के लए प्रत्येक नियम बनाए गए हैं। इन नियमों ने राजशक्ति की सीमा दौड़ी है। यद्यपि प्रभी भी राज्य प्रत्येक शक्तियों का प्रबोल करता है किन्तु वह किसी नी परिस्थिति में कमंचारियों वा दमन नहीं कर सकता। प्रभावित लोकसेवकों वा राज्य द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध घपील करने का अधिकार है। राज्य कभी एकपक्षीय कार्यवाही नहीं करता। किसी कमंचारी के विरुद्ध कोई कदम उठाने से पूर्व वह व्यावसायिक संघों वे माय समुक्त विचार-विमर्श करता है। नागरिक सेवाओं के हितों की रक्षा के लिए वी गई प्रत्येक व्यवस्थाएँ एक सम्मेलने विकास का परिणाम है। इस कार्य में व्यावसायिक संघों (Trade Unions) ने महत्वपूर्ण योगदान निभाई है।

फ्रैंस में व्यावसायिक सघवाद का विचार प्रत्येक उनार चढ़ावा के कलस्वरूप पनपा है। प्रारम्भ म प्रैम के जामको तथा व्यायाधीशा ने नागरिक सेवकों की संस्थाओं को सन्देह वी नजर से देखा। 1901 में व्यवस्थापन द्वारा प्रत्येक नागरिक को संस्था (Association) बनाने वा अधिकार दिया गया किन्तु नागरिक सेवक प्रभी भी व्यावसायिक सघ नहीं बना सकते थे। तत्कालीन सरकार को यह भय था कि यदि कमंचारियों वो सघ बनाने वा अधिकार दे दिया गया तो वे मजदूरों के साथ मिल कर सामान्य हड्डताल (General Strike) बरा देंगे। जब सरकार दो यह विश्वास हो गया ति व्यावसायिक सघ राजनीतिक वानिं वा माधव नहीं बनेंग और केवल व्यावसायिक हितों की ही रक्षा करेंगे तो उसका दृष्टिकोण बदला। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कमंचारियों वे प्रत्येक सघ बन गए। यद्यपि सरकारी प्राप्त्यता इनको प्रभी भी प्राप्त नहीं थी किन्तु किर भी सरकार द्वारा इनका दिरोध नहीं किया गया। 1946 के व्यवस्थापन द्वारा नागरिक सेवकों के सघ बनाने के अधिकार वो साम्यता प्राप्त हुई। वास्तविक व्यवहार में इन व्यावसायिक संघों ने इसी राजनीतिक वानिं में भाग लेने की व्यवस्था कमंचारियों वे हितों की रक्षा का वायं म ही दिया की। बेटिनट ने निला है कि “फ्रैंस में नागरिक मेवा मधवाद म कोमित्र वी एड़ा वी स्वेच्छाचारिता वे विश्व सघों वे प्रभावशाली योगदान दिया है।”

## 5

# भारत, ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस में सेवीवर्ग की भर्ती

(Recruitment of Personnel in India,  
U. K., U. S. A. and France)

मर्नी सेवीवर्ग व्यवस्था का मर्वाइश महत्वपूर्ण पर्याप्त है। सम्मिलन समूचे सेवीवर्ग प्रशासन में अन्य कोई मवस्था मर्नी के समान प्रभावपूर्ण तथा दूरगामी नहीं होती। कारण यह है कि जब तक आधारभूत सामग्री ही उपलब्ध नहीं होगी तब तक सोकसेवकों के प्रशिक्षण, नियोजन, बर्गीकरण, सोब, बेवा वी सम्बोधन इत्यादि वेनन आदि वी समुचित व्यवस्था प्रमाणितानो मिल नहीं ही सकती। परं हम इसी प्रशासनिक संगठन के सदपो को कम से कम मरम्य, श्रम एवं साधनों का व्यय करके प्राप्त करना चाहते हैं तो यह प्रावश्यक है कि संगठन के विभिन्न उत्तरदाती पर्याप्त विविध तथा सक्षम व्यक्तियों की भर्ती करे प्रम्यया संगठन के उच्चे लक्ष्य तथा सुनियोजित वार्षिक प्रक्रियाएँ वेवन नायजी महत्व के रह जाएँ। प्रो स्टोन वी मान्यता है कि "मर्नी प्रक्रिया सम्पूर्ण सेवीवर्ग सरचना की आधारिता है। जब तक अर्ती के लिए एक स्वस्य नीति नहीं अपनाई जानी लव तक प्रथम खेली के वर्चंचारी पाने ही आशा न्यूनतम रहती है।"<sup>1</sup> यदि संगठन के वार्यकर्त्ता वो व्यय तथा वार्यकुशल नहीं होंगे तो वे निष्ठव्य ही माननी वा प्रयत्नय करेंगे, जार्य महीं तरीके में नहीं होगा, संगठन के प्रति जन-प्रमाणों व्याप्त हो जाएगा, प्राविक्रिनाद्वारा वा अन्य अस्त-व्यस्त हो जाएगा तथा अनेक संगठनात्मक एवं प्रक्रियात्मक दोष जन्म लें सकेंगे। यह कहने में कोई प्रतिशयोक्ति नहीं है कि एक स्वस्य एवं उपलब्ध अर्नी प्रशासनी प्रशासनिक संगठन की सुरक्षना पर प्राप्त दृष्टि प्रभाव होनी है जो बीज,

1 \* It is the corner-stone of the whole personnel structure. Unless recruitment policy is soundly conceived, there can be little hope of building a first rate staff."

—O. Glenn Stahl, Public Personnel Administration, 1962, p. 51.

साद तथा पानी की उपयुक्तता एवं पर्याप्तता कमल की सम्पन्नता पर छालनी है। इन ब्लैडन ने लिखा है—“लोकसेवा का इतिहास एक प्रकार से अधिकारियों की मर्नी की कहानी है। इस प्रथम कदम पर ही प्रशासन यन्त्र की उपयोगिता निर्भर करती है।”<sup>1</sup>

### भर्ती : अर्थ एवं महत्व (Recruitment Its Meaning and Importance)

सेवीवर्ग प्रयत्न कामिक प्रशासन की एक प्रमुख समस्या ‘मर्नी’ की है। प्रशासनीय सरचना में मर्नी की प्रतिया का मम्पूर्ण कार्य प्रशासनन्य की दृष्टि से केन्द्रीय महत्व का है, योग्य भर्ती के द्वारा ही लोकसेवायों का स्तर और योग्यता निश्चित होनी है तबा इसी पर शासन की उपयोगिता और समाज एवं शासनन्य के सम्बन्ध का विर्णारण होना है। मर्नी जल्तिशाली लोकसेवा की कुञ्जनी है। स्टाल (Stahl) ने शब्दों में—‘यह मम्पूर्ण लोक-कर्मचारियों के द्वारे की प्राप्तार्थिता है।’<sup>2</sup>

सामान्य अर्थ में ‘मर्नी’ शब्द को नियुक्ति का समानार्थक भाना जाता है नेकिन यह सही नहीं है। मर्नी से आशय है—लोकसेवा की नियुक्तिया के लिए प्रतियोगिता करने हेतु उपयुक्त प्रत्यागियों को हूँढ़ने और उन्हे प्रेरित करने के प्रयत्न हिए जाते। प्रशासन की प्राचिक शब्दावली में मर्नी का अर्थ है—दिसी पद के लिए उत्तीर्णवारा या प्रत्यागियों को आकर्षित करना। भर्ती का उद्देश्य यह होना है कि इसी विगिट पद के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति हूँदा जाए। मार्गत डिमाक के पनुमार—“मर्नी का अर्थ सही व्यक्ति को एक विशेष कार्य पर लगाना है। हम बहुत मारे कर्मचारी प्राप्त करने वे लिए विज्ञापन देना होगा प्रयत्न विशेष कार्य के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को हूँढ़ना होगा।” मर्नी और नियुक्ति के अर्थ का अंडा घन्नर है। जहाँ मर्नी से आशय योग्य व्यक्तियों को संगठन की ओर आकर्षित करना है, वहाँ नियुक्तिरत्ती को इच्छाएँ प्रवान होती है। मर्नी व्यवस्था में योग्य व्यक्ति बहु होता है जो प्रतियोगिता में प्रथमे मार्गियों से ऊँचा मिठ हो जबकि नियुक्ति में योग्यता बहु है जिसे नियुक्तिरत्ती स्वीकार कर से।

मर्नी का समय यह स्थान रखा जाता है कि योग्य व्यक्ति को ही पद भोग जाए। बास्तव में यह एक जटिल समस्या है। हाइट ने ‘शब्द मर्नी की प्रतिया में विरोधी तत्त्वों में स्थीरानी पाई जानी है—एक ओर तो समानता तथा शानदार और दूसरी ओर विशेष योग्यता। भारत के विशाल प्रशासनिक यन्त्र में सेवीवर्ग की सद्या बहुत अधिक बड़ जाने से मर्नी की समस्या प्रत्यन्त जटिन हो गई है।

1 “Clearly civil service history can be epitomised as the story of the recruitment of officials, since on this first essential step largely rests the nature and degree of usefulness of the administrative machinery to the service of which the human elements are dedicated.”

—E N Gladden The Civil Service—Its problems and future, 2nd ed., 1968, p. 64

2 Stahl O Glenn : Public Personnel Administration, p. 59

मार्वंजनिक भर्ती की व्याख्या करते हुए किंग्सले (Kingsley) का कहन है कि 'यह प्रतिया है जिसके द्वारा लोकसेवामी के निए उम्मीदवारों को स्पष्टात्मक रूप में आवश्यित किया जा सकता है।' यह एक व्यापक प्रक्रिया चयन का आनंदिक भाग है जिसमें परीक्षा एवं प्रमाण सम्बन्धी प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित हैं। भर्ती करते समय लक्ष्य यही रहता है कि पद पर उचित व्यक्ति चाहीन हो, अतः भर्ती की कुछ ऐसी तकनीक विकसित की जाती है जिसके माध्यम से योग्य व्यक्ति उस पद का उम्मीदवार हो सके, योग्यतम दो छाटा जा सके और प्रत्युत्तम व्यक्तियों का पदाचारी बनाने के लक्ष्य से प्रशासकीय संगठन को बचाया जा सके।

मही ढग से भर्ती किया जाना। विसी भी कुशल प्रशासन की अविवाय इसे है। इस ढग समय को बढ़ावा नहीं दिलाये हैं कि रार्चरनिक हिन्द की अधिकतम उपलब्धि के लिए योग्य व्यक्तियों की सेवाएँ ही प्राप्त की जानी चाहिए तभी एक ऐसा स्वस्थ और आदर्श बातावरण बन सकेगा जिसमें जनता और वर्मनारी दोनों को मानसिक सनोष प्राप्त होगा और सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों की सफलता का डंडा पीटा जा सकेगा। गलत और प्रयोग्य व्यक्तियों की भर्ती वो लोक प्रशासन के लिए क्षय रोग के समान है। प्रत्युत्तराज्य अमेरिकी सामाजिक अनुभवान् परिपद द्वारा नियुक्ति एक जीव आदोग के प्रतिवेदन के प्रत्युत्तर, "जीवन-मुक्ति सेवा का कोई भी तत्त्व भर्ती वी नीति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।" राज्य के कल्पाशाकारी स्वरूप और वदले हुए सामाजिक-आर्थिक दौरे और विशाल प्रशासनिक यन्त्र ने भर्ती के प्रश्न को विशेष महत्वपूर्ण बना दिया है। भर्ती वा प्रश्न पदाधिकारियों द्वी समस्याओं का बेन्द्र बिन्दु दहाजा सकता है। प्रो. जिंक (Prof Zink) के अनुसार "भर्ती के अनिवार्य लोक प्रशासन का अन्द कोई आग महत्वपूर्ण नहीं है बदोकि जब तक आधारभूत सामग्री ही प्रत्युत्तर नहीं होती तब तक प्रशिक्षण, निरीक्षण, भेदाभ्यन्त, वर्गीकरण, सोज आदि के बहुत व्यापक होते हुए भी सार्वजनिक कर्मचारियों की पूति नहीं हो सकती।"

आधुनिक समय में समुचित भर्ती प्रणाली के शोगणेश वा येर प्रणिया ही है। मार्यत में भर्ती के लेन में योग्यता का दिलाल (Merit Principle) 1853 से प्रचलित है। ब्रिटेन में यह आर्थिक रूप में 1857 से और पूर्णतः 1870 से प्रचलन में है। ये से लोक कर्मचारियों वी भर्ती के प्राप्त का बर्वप्रथम वैज्ञानिक है। इस पूर्व पूर्वी शहारी में चीन में धाराघम हो चुका था।

### भर्ती की नकारात्मक और सकारात्मक धारणाएँ (The Negative and Positive Concepts of Recruitment)

भर्ती वी समस्या विसी भी देश के ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्दिक, शैक्षणिक प्रादि तत्त्वों से प्रभावित होती है। प्रायः इन तत्त्वों दे प्राप्त पर भर्ती के रूप ग्राम्य प्रकार भी विकसित हो जाते हैं और देश, बाल, सामाजिक और शैक्षणिक बातावरण के अनुकूल प्रयत्न वा प्रयोजनी द्वारा भर्ती वी जाती है अतः भर्ती का कोई मन्य प्रकार प्रपनाया जाता है।

आज विषय के अधिकांश सम्पर्कों में योग्यता के आधार पर भर्ती की जाती है और योग्यता के जीवन के लिए सूनी प्रतिशोधिता का आधार निया जाता है। तोह मन्त्रालय में की जाने वाली भर्तीयों को हम प्रोटो रूप में दो भागों में विभाजित करके देन सकते हैं—

(1) सकारात्मक भर्ती (Positive Recruitment)

(2) नकारात्मक या नियेधात्मक भर्ती (Negative Recruitment)

भर्ती की सकारात्मक अवधारणा (The Positive Concept of Recruitment) का आवध यह है कि विभिन्न मरकारी पदों के लिए उचित और योग्य व्यक्तियों की सूची के प्रयास किया जाते। आजकल विभिन्न देशों में जो सोरक्षका प्रायोग (Public Service Commission) पाएँ जाते हैं उनका यह शीलित रूप है कि वे मरकारी पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने की दिशा में कार्यशील हों। भर्ती की यह पद्धति न्यायपूर्ण है तिसमें लोक वर्गवाचियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन हो पाता है और उसी के आधार पर उन्हें उपयुक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है। सकारात्मक भर्ती के अनेक तरीके हो सकते हैं, जैसे—

प्रथम, सम्मानित उम्मीदवारों को विज्ञापनों, पोस्टरों आदि द्वारा आइचिन किया जाता है कि वे अपनी योग्यतानुमार पद प्राप्त करने में सक्षि में। यह तरीका मुख्यतः तभी अपनाया जाता है जब वही सहज में नियुक्ति करनी हो।

दूसरे, प्रदर्शनियों के योग्यतम से हिस्सी विशेष पद के लाभों के विज्ञापन द्वारा योग्य व्यक्तियों को उस प्रोत्तर आइचिन किया जाता है।

तीसरे, योग्य उम्मीदवारों के खोलन्मयों में प्रत्यक्ष बातचीत की जाती है। उडाहरणार्थ, यदि इज्जतियरों, हॉक्युरों, राजनीतिक मेवकों आदि की भर्ती करनी हो तो भर्तीकर्ता शीलित भूम्यामा में सम्पर्क स्थापित कर सकता है और उन्ह योग्य विद्यालियों की एक सूची देने की प्रारंभिक कर सकता है तिसके आधार पर वह मान्यताप्राप्त कर सके और योग्य विद्यालियों का जगत् कर सकता है।

चौथे उच्च पदों पर विभिन्न योग्यता और अनुमति की आवश्यकता होती है, घन भर्तीकर्ता अधिकारी इसके लिए उन्नुमति व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप में मापदंश कर सकता है और समझौता हो जाने पर उस व्यक्ति को योग्यताक्रिया रूप में आवेदन करने के लिए कहा जा सकता है।

भर्ती की सकारात्मक अवधारणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें योग्य और उचित व्यक्तियों को ही प्रतिशोधिता में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। यिसके नया व्रीष्टियन के शब्दों में, “इस पद्धति में ऐसों का बाहर रखने पर इनका बन नहीं दिया जाता तिनका इस बात पर यि राज्य के लिए नवोनिम व्यक्तियों को लिए नहर प्रोत्तमाहित दिया जाए और उनकी योग्यतामा का ऐसे मूल्यांकन किया जाए, ताकि प्रयोग व्यक्ति उसी पद को प्राप्त करे तिसके लिए वह योग्य है।”

भर्ती की सकारात्मक पद्धति (Negative Method of Recruitment) का उद्देश्य यह होता है कि मरकारी पदों में पूर्ण व्यक्तियों को दूर रखा जाए, तो

सेवाओं में पक्षपात और दलगत राजनीति के प्रभाव को मिटाया जाए तथा प्रशासन को यथासाध्य ईमानदार बनाया जाए। इम प्रक्रिया में भर्तीकर्ता कुछ ऐसे नियम बना देता है और घूनतम शर्तें निर्धारित कर देता है जिनके आधार पर नेवन योग्य व्यक्तियों को ही उच्चीदावार बनाने के अवसर प्राप्त हो सके और घूर्ते लोग सार्वजनिक सेवा के बाहर रहे जा सकें। किन्तु यह प्रणाली सफल नहीं हो सकती है क्योंकि घूर्तों को सेवाओं से दूर रखने के प्रयास में जाने-दबनजाने योग्य प्रोर बुद्धिमान व्यक्ति भी बाहर रह जाते हैं। यह विश्वास फलीभूत नहीं हो सकता कि यदि घूर्तों को बाहर रख दिया जाएगा तो योग्य व्यक्ति स्वत ही प्राप्त होने सकें, इसीलिए भर्ती के सकारात्मक उपायों को आज लगभग सभी देशों में अपनाया जाता है।

भारत में भर्ती का सकारात्मक दृष्टिकोण पक्षपात और भाई-भर्तीजेवाद को ग्रोसाहन देने में बहुत महायक रहा है। अब लोकसेवा आयोग भर्ती के लिए मुस्थित ऐसे नियम तथा आचरण सहित निर्धारित करता है ताकि घूर्तों को बाहर रखा जा सके और योग्य व्यक्तियों का नियन किया जा सके।

भारत में सेवाओं को मुश्यत चार थेलियों में विभाजित किया गया है—अविल भारतीय सेवाएं, केन्द्रीय सेवाएं, गव्य सेवाएं तथा केन्द्रीय मन्त्रिवालय सेवाएं। अविल भारतीय सेवाएं मध्य और राज्यों के लिए समान्य होती हैं। केन्द्रीय सेवाएं पूर्ण रूप से सध सरकार के अधीन कार्य करती हैं और आयकर, प्रावकारी, मुद्राधा प्रादि सर्वीस विषयों से सम्बन्ध रखती है। राज्य सेवाएं जिता, स्वास्थ्य, कृषि, मिलाई, स्थानीय सरकार आदि विषयों से सम्बन्ध रखती हैं और पूर्ण राज्य सरकार के अधीन रहती हैं। केन्द्रीय मन्त्रिवालयी सेवाएं विभिन्न थेलियों में विभाजित हैं। इनमें से कुछ की पूर्ति प्रधान भर्ती द्वारा और कुछ की प्रप्रधान भर्ती के द्वारा की जाती है।

### भर्ती की प्रक्रिया

(The Process of Recruitment)

लोकसेवाया में भर्ती की प्रक्रिया पर सम्बन्धित देश की राजनीतिक स्थ-रचना का निर्णयक प्रभाव होता है। इस प्रभाव के कारण ही लोकसेवाया में भर्ती गैर-सरकारी पदों पर भर्ती की अपेक्षा अधिक जटिल बन जाती है।<sup>1</sup> नार्मन जे पावेल के कथनानुसार, “भर्ती सेवीवर्ग कार्यक्रम का एक भाग है। यह सामाजिक तथा सरकारी नीति का एक घण है।”<sup>2</sup> द्रिपी वेपैन ने लिखा है कि भर्ती कुछ सीमा तक देश की नार्यकार सेवा के सामान्य संगठन से प्रभावित होती है।<sup>3</sup> ये सभी तत्त्व परस्पर सम्बन्धित होते हैं तथा भर्ती की प्रक्रिया एव स्वरूप पर उल्लेखनीय

<sup>1</sup> Simon, Smithbury and Victor A. Thompson : Public Administration, p. 313.

<sup>2</sup> Norman J. Powell, op. cit., p. 208.

<sup>3</sup> “Recruitment is to some extent affected by the general organisation of the civil service in a country.”

—Brian Chapman . Profession of Government, 1959, p. 75

प्रभाव डालते हैं। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक मूल्य एवं प्रायमिकताएँ, वानून वा स्वत्वा, गैर-सरकारी पदों की स्थिति आदि बातें योग्य प्रत्याग्रियों के सरकारी पदों की प्रोटोकॉलिस्टिक व्यवस्था के सम्बन्ध में भी प्रभाव डालती है। इन पदों पर प्राप्त होने वाला वेतन तथा सम्पादन भी प्रभावी उल्लेखनीय मूल्यिका विभाग है। किसी सरकारी पद पर दिए जाने वाले वेतन की मात्रा समाज के विभिन्न दशाओं मध्यहों की त्रिवाप्रतिविधियों द्वारा निर्धारित होती है। ये दशाओं मध्यह सरकारी पदों की प्रतिष्ठावाले में भी प्रभाव डालते हैं। जिन पदों द्वारा इन हिन सम्पूर्ण एवं दशाओं समूहों वे स्वार्थों को पूर्ण सम्बन्ध होती है वे पद इनके आकर्षण के केन्द्र बन जाते हैं तथा ऐसे पदों पर जोड़ने करके वे अपने आदमियों को नियुक्त कराने की चेष्टा बरतते हैं। स्पष्ट है कि पद हम किसी पद के लिए योग्य प्रत्याग्रियों को आकर्षित करना चाहते हैं तो उस पद को यथासम्भव महत्वपूर्ण तथा सम्प्रबन्धित करना चाहिए। इसी धर्म में हाँ एत ढी हाइट में लिखा है कि "भर्ती का तात्पर्य वेवल रिक्त स्थानों की सूचना देना तथा नियुक्ति रूप में स्वीकार करना मात्र ही नहीं है। लोकसेवायों की प्रावश्यकता के निर्वाह हेतु यह सत्रिय, स्त्रीजपूर्ण, चरणरागी आद्यहपूर्ण तथा विस्तर होनी चाहिए।"<sup>1</sup> अमर में भर्ती का बाईं मतल सेवीवर्ग प्रक्रिया की एवं बड़ी है। यह इस प्रक्रिया की धर्म कियोंके साथ घनिष्ठ रूपमें तुनी रहती है। इसके अनेक सूच देश की अर्थव्यवस्था एवं समाज व्यवस्था से तुर्दे रहते हैं। यही बाबा है कि एक प्रभावशाली भर्ती व्यवस्था की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि पूरी सेवीवर्ग व्यवस्था कार्यकुण्डल न हो। नार्थन जै पावेन के प्रनामामार लोकसेवायों के अवधियों की सूचनायों का बाराह प्रसारण ही प्राप्त नहीं है। लोगों को उपलब्ध पदों की व्यापक जानकारी देने का प्रयत्नियां मात्र ही नहीं होना चाहिए किन्तु ये पद प्राप्तपूर्ण तथा पहुंच के प्रन्तर्गत भी होना चाहिए।<sup>2</sup> यह बात ठीक हमी प्रकार है कि एक बस्तु की पद हम विशेष बहाना चाहते हैं तो हमने लिए वेवल विज्ञापन भीर प्रचार एवं प्रसारण ही काफी नहीं होना बर्बन बेची जात वाली उस बस्तु में गुण भी होना चाहिए।

भर्ती की प्रक्रिया के स्रोत रूप से दो प्रकार हैं—सर्वप्रथम इसमें प्रादियों को आदित्यित करने के प्रयास दिए जाते हैं। दूसरे लिए उपर्युक्त योगदानायों वाले लोकों दो प्रावेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद सबल आवेदनों पर स पद के लिए उपर्युक्तनम् अर्थित हा परा लगाया जाता है। जब सूट व्यवस्था के

1 "Recruitment involves more than mere announcement and passive acceptance, to meet the requirement of the public service it must be active, searching, selective, persistent and continuous" .

—Dr L D White op cit p 342

2 "Accent on wide dissemination of information about service opportunities is not enough, not only must there be a vigorous campaign to let people know about the jobs that are available, but the jobs must be attractive and accessible" .

—Norman J Powell, op. cit., p 209

स्थान पर योग्यता के आधार पर भर्तियाँ की जाने लगी तो प्रारम्भ में भर्तीकर्ता का यह मुख्य दायित्व माना जाना था कि वह चयन प्रक्रिया में पक्षपात पर रोक लगाए और प्रतियोगी परीक्षाओं में दर्शकीय नई योग्यता एवं क्षमता को विशेष महत्व प्रदान करे। यह कार्य मूलत नियेधात्मक प्रकृति बा था। इसमें विशेष घ्यान धूतों को बाहर रखने (To keep the rascals out) की ओर दिया गया था। यह माना जाता था कि यदि चयन प्रक्रिया से राजनीतिक पक्षपात को बलग हटा दिया जाए तो योग्य व्यक्ति स्वत ही लोकसेवाओं में आने लगेंगे। यह मान्यता भाषक सिद्ध हुई तथा धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि नियेधात्मक दृष्टिकोण बैचल धूतों को ही बाहर नहीं रखता बरन् इसके फलस्वरूप अनेक योग्य तथा दूरदर्जी व्यक्ति भी बाहर रह जाते हैं। बद अनुभवी तथा योग्य प्रशासनको की मान बढ़ी तो कमश - भर्ती की सकारात्मक तदनीके घणनाई जाने लगी। अब सर्वथेठ तथा योग्यतम व्यक्तियों को लोकसेवाओं की ओर आकर्षित करने के विभिन्न तरीके अपनाए जाने लगे हैं। केवल समाचार-पत्रों में खिल पदों की सूचना प्रकाशित कर दना ही पर्याप्त नहीं माना गया। इस ध्रीपचारिक तथा उदासीन व्यवहार से योग्य प्रत्याशी पर्याप्त मात्रा म प्राप्ती नहीं बन पाते और इसलिए विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्ति नहीं हो पाती। यह स्थिति सेवीवर्ग प्रशासन के लिए अभिज्ञाप बन जाती है। ये व न लिखा है कि “सेवीवर्ग प्रशासन की कोई भी व्यवस्था सुस्त और क्षमताजीवी लोगों को प्रतिभासाती एवं कुशल नहीं बना सकती।” अत यह आवश्यक है कि सेवीवर्ग प्रशासन के इस पहले कदम पर पूरी सावधानी एवं सजगता बरती जाए। समुक्त राज्य मनेरिका, लिटन, कॉस तथा भारत की लोकसेवाओं द्वे यह अनुभव सामान्य रहा है इसलिए इन देशों में नियुक्ति की सकारात्मक प्रक्रिया प्रयत्नाई जाती है।

प्रो स्टॉल की मान्यता है कि चयन के सकारात्मक अधिकार विधेयात्मक वार्षिकम में ये मूलभूत तत्व होने हैं—(i) सम्भावित पदों के लिए सर्वथेठ रोजगार बाजार की खोज तथा सबद्धन, (ii) भर्ती सम्बन्धी आकर्षक माहित्य का प्रयोग तथा उसका प्रचार, (iii) योग्यता की जांच के लिए थेष्ट, विश्वसनीय तथा घदतरं परीक्षणों का प्रयोग, (iv) मेडा के अन्तर्गत ही प्रत्याशियों की पर्याप्त खोज (v) सही कार्य पर सही व्यक्ति को रखने का स्थापन कार्यक्रम तथा (vi) भर्ती प्रक्रिया के प्रविच्छिन्न प्रग के रूप में कोई प्रशिद्धण कार्यक्रम।

सकारात्मक भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत योग्य तथा सक्षम व्यक्तियों की खोज के लिए अनेक क्रमिक प्रयास किए जाने हैं। इसमें मुख्य ये हैं—(1) सम्भावित प्रत्याशियों को विज्ञापनों, पोस्टरों, वर्चो अॅड द्वारा आकर्षित किया जाता है ताकि वे अपनी योग्यता एवं रदि के अनुसार सरखारी पदों के लिए आवेदन कर सकें। जब किन्हीं पदों पर बड़ी नक्का में भलियों दी जाती हैं तब यह कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। (2) इन्हीं विशेष पदों के महत्व तथा वायों वा विज्ञापन करने के लिए प्रदर्शनियाँ आयोजित दी जाती हैं एवं उन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। (3) सम्भावित योग्य

प्रत्याशियों के स्रोत स्थिति से सीधा सम्पर्क स्थापित किया जाता है। विभिन्न शैक्षणिक भस्याओं से योग्य विद्यावियों की सूची भींगी जाती है। विशेष योग्यता एवं प्रशुभव की आवश्यकता वाले उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्तियों से सीधे अनौपचारिक सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

### भर्ती के रूप

#### (The Types of Recruitment)

संयुक्तराज्य अमेरिका की सधीय लोकसेवा में भर्ती के चार रूप उपलब्ध हैं—सकारात्मक (Positive), प्रत्यक्ष (Direct), संयुक्त (Joint) तथा अग्रिम (Advance)। सकारात्मक भर्ती के अन्तर्गत योग्य व्यक्तियों को रिक्त पदों की सूचना दी जाती है तथा उनको आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह हर सम्भव प्रयाम किया जाता है कि उन्हें प्रत्याशी बना कर भर्तीकरण अभिकरण के सामने पहुँचा दिया जाए। प्रत्यक्ष भर्ती का प्रयोग प्राय निम्नतर श्रेणी के कार्यों पर नियुक्ति के लिए किया जाता है। इसमें कार्यकारिणी अभिकरण तथा नोटस्वा अधियोग के बीच एक समझौता हो जाता है तथा आयोग को भर्ती, परीक्षा एवं योग्य व्यक्तियों द्वीनियुक्ति की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरीके द्वारा प्रत्याशियों को भौके पर ही भर्ती किए जाने का भरोसा रहता है। इसमें समय की बचत हो जानी है तथा अनेक प्रत्याशी इधर-उधर भागने से बच जाते हैं। संयुक्त भर्ती व्यवस्था में भी कार्यवाही अभिकरण तथा आयोग के बीच समझौता हो जाता है। इसमें संयुक्त कार्यवाही द्वीनियुक्ति की योजना बनाई जाती है। संयुक्त साधात्वार द्वारा जाते हैं तथा नियुक्ति कर दी जाती है। अग्रिम भर्ती प्राय उन पदों के लिए करती जानी है जिन पर बड़ी मात्रा में रिक्त स्थान होने वी भाशा रहती है। इस विधि में प्राविद्या की पूर्ति वा एक मुरक्किन मण्डार बना लिया जाता है।

भर्ती के स्रोत द्वी दृष्टि से भर्ती प्रणाली को दो रूपों में विभाजित किया जाता है—पद्धति से भर्ती तथा बाहर से भर्ती। पद्धति से भर्ती को पदोन्नति भी कहा जा सकता है, बाहर में भर्ती नए प्रत्याशियों द्वी भर्ती है। भर्ती के दोनों रूप एक-दूसरे के पूरक हैं। एक वी कमियों तथा दोषों के निराकरण हेतु दूसरे को प्रयोगाया जाता है। सभी राज्यों के प्राय सभी विभागों में भर्ती के लिए इन दोनों रूपों को अपनाया जाता है। कभी-कभी तो दोनों रूपों के बीच अनुपात निश्चिन कर दिया जाता है। भौतिक्य की दृष्टि से वह भाना जाता है कि निम्न तरीके पर प्रत्यक्ष भर्ती, प्राय तरीके पर प्रत्यक्ष एवं पदोन्नति का विवरण तथा उन्हें पदों के लिए विनुद्द पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

### सूट प्रणाली एवं योग्यता प्रणाली (Spoils System and Merit System)

स्टोलेशन की भर्ती के समय टम्पे, राजनीतिक क्षेत्रात्, राज्य, र्फ्स्टेट, और महाराजा जाए अवधारा उनकी शीक्षणिक योग्यताओं एवं कार्यकुशलताओं को

प्राधिकता दी जाए, इस इंटिट से मर्ती प्रक्रिया दो रूपों में बर्मूँकृत की जा सकती है। जिम व्यवस्था में सरकारी पद पर नियुक्ति के समय आदेदव की राजनीतिक सेवाओं तथा इंटिटकोरों को व्याप में रखा जाता है वह लूट प्रणाली वा सरकारी प्रणाली (Spoils System or Patronage System) के नाम से जानी जाती है। इससे भिन्न जब भर्ती के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएं तथा योग्यतम प्रत्याशियों को ही सरकारी पद सौपे जाएं तो यह योग्यता व्यवस्था कही जाती है।

## लूट प्रणाली

### (Spoils System)

भर्ती की इस व्यवस्था के अन्तर्गत परम्परा यह रही है कि जो ही एक राजनीतिक पदाधिकारी सत्ता सम्भालता है वह समस्त उच्च प्रशासनिक पदों पर पहले से कार्यरत अधिकारियों को हटा देता है तथा उनके स्थान पर अपने समर्दकों, मित्रों तथा राजनीतिक दल के प्रमुख व्यक्तियों को नियुक्त कर देता है। ऐसे नवनियुक्त पदाधिकारी तब तक अपने प्रद पर वार्य बरते हैं जब तक कि उनका नियुक्तिवर्ती राजनीतिज्ञ अपने पद पर आसीन रहता है। उन्होंने हटाए ही इबको भी पद से हटा दिया जाता है। इस प्रणाली वा योग्यत्व यह बताया गया कि लूट का माल विजेता को प्राप्त होना चाहिए (To the victor belongs the spoils) तथा प्रशासनिक अधिकारी राजनीताओं की नीतियों में विश्वास बरने वाले होने चाहिए। प्रो ऑ जी. स्टॉल (Prof O G Stahl) के अनुसार मरक्कर शब्द वा वार्य लोअरसेवाओं में योग्यता के प्रतिरिक्त या भिन्न कारणों से नियुक्ति करना है। यह स्पष्ट है कि सरकार की व्यवस्था में मात्र राजनीतिक तत्त्व की प्रभाव नहीं रखता बरन् इसके अतिरिक्त खत सम्बन्ध, मित्रता एवं विमी ने किसी प्रकार के अहसान की भावना भी प्रभाव डालती है।<sup>1</sup>

संयुक्तराज्य अमेरिका में लूट प्रणाली का प्रारम्भ एंड्र्यू जैक्सन (Andrew Jackson) द्वारा किया गया था। इसके बाद यह अमेरिका के सेवीवर्य प्रशासन वा आदेदव अवश्यक बन गई। राष्ट्रपति जैक्सन ने अपने प्रवम वायिक सम्बेदन में (1829) इस व्यवस्था का बीजारोपण करते हुए बता था कि “समस्त सरकारी अधिकारियों के कर्तव्य सीधे और सरल होते हैं। इन्हे सम्बन्ध बरने के लिए कोई भी माधारण नुहिं का अविन घटने आपको योग्य बता गवता है। मेरा विश्वास है कि एक अविन के लम्बे समय तक पद पर रहने से हानि अधिक होनी है तथा उसके अनुबव से लाभ कम होता है।” जैक्सन के बाद यह प्रणाली उत्तरोत्तर व्यापक बनती चली गई। इसके चरमोत्तर में दिनों में एमस केन्डल (Amos Kendall)

1 "The term patronage has broad implications. As here used it denotes the appointment of the persons to the public service for reasons other than or in addition to merit. It is obvious that political considerations may not be the only ones involved mere 'favouritism, flattery and distinguishment of one sort or another also play their parts."

—O. G. Stahl : Public Personnel Administration, Fifth ed., 1962, p. 26

नामक व्यक्ति से उसके एक पदाधीक्षी मित्र ने कहा—“मुझे स्वयं पर भार्ती आती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिम व्यक्ति से भी मैं मिलना हूँ वह यह जानना है कि मैं क्यों आया हूँ।” इस पर केन्डल का जवाब था कि “स्वयं को परेशान मत बरो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो यही काम कर रहा है।” जैक्सन ने विभिन्न सरकारी पदों पर से एडम्स के मित्रों को हटा कर अपने मित्र नियुक्त किए।

यह सब है कि लूट प्रणाली का नाम संयुक्तराज्य अमेरिका के सेवीवर्ग प्रशासन से जुड़ा हूँगा है किंतु इसका अर्थ यह क्वापि नहीं है कि दूसरे देशों में इसका प्रचलन ही न हो। मुनरो तथा प्रम्पर (Munro and Ayer) के मतानुसार लूट प्रणाली का जन्म संयुक्तराज्य अमेरिका में नहीं हुआ बरन् यह काफी पहले से ग्रेट-ब्रिटेन में प्रचलित थी। उच्च वेतन वाले सरकारी पदों को राजनीतिक पुरस्कार के रूप में देना उचित माना जाना था। 19वीं शताब्दी की प्रथम दण्डियों में लॉइंग सभा के सदस्यों ने अपने इतने सारे सम्बन्धियों को सरकारी पद पर लगा दिया कि जॉन ब्राइट ने सरकारी नीकरी को ‘ब्रिटिश कुलीनतत्व वा ब्राउटडोर राहत विभाग’(Out-door Relief Department of the British Aristocracy) वह वर सम्बोधित किया है। उम समय ग्रेट-ब्रिटेन में नियुक्तियाँ निश्चित कार्यकाल के लिए नहीं होनी धीं तथा उनको किसी भी समय हटाया जा सकता था। मुनरो तथा प्रम्पर का निष्कर्ष है कि “एड्रियू जैक्सन तथा उसके मित्रों ने लूट प्रणाली का भाविष्याकार नहीं किया था। उन्होंने पुरानी दुनिया की इस सत्त्वा को नए बातावरण में आरोपित किया जहाँ इसका विकास दृष्टिकोण से हुआ। योदे ही समय में यह अमेरिकी राजनीति के धारों में एक हानिकारक घास-पाठ बन गया।”<sup>1</sup>

**लूट प्रणाली का मूल्यांकन (Evaluation of the Spoils System)**— संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन अथवा अन्य देश में लूट प्रणाली का विश्वास कुछ पाधारमूल मान्यताओं के भावाव पर कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया गया था। इस प्रणाली की उपयोगिता की स्पष्टि से ये बातें उल्लेखनीय हैं— (1) लूट प्रणाली के समर्थकों का विचार यह कि एक दुर्दिमान व्यक्ति को किसी भी सरकारी पद पर रखा जा सकता है और एक पद पर लम्ब समय तक किसी व्यक्ति को बताए रखने से हानि अपनी होनी है। (2) लोकसेवकों का मुख्य दायित्व राजनीतिज्ञों द्वारा तथा कोई गई नीतियों को कार्यान्वित करना है। इस दायें वी सनोपनक सकलना के लिए प्रशासकों का विषादी कार्यक्रम के प्रति सहानुभूतिरूप

1 “So Andrew Jackson and his friends did not invent the spoils system, they merely transplanted an old world institution to a new environment where it grew luxuriantly. In time it became one of the most motuous weeds in the garden of American politics.”

—W. B. Munro and Shearst, *The Governments of Europe*, 4th ed., 1963,

समर्थन अनिवार्य है। (3) जो लोग तत्त्व-मन-धन मेरा पद के प्रत्याक्षी की सहायता चुनाव के समय बरते हैं उनकी सरकारी पद पाने की आकृद्धि तथा निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा इस आकृक्षा की पूनि नीतिक एवं मानवीय आधार पर औचित्यपूर्ण है। (4) इस प्रणाली मेरा राजनीति और प्रशासन के बीच उपयुक्त समन्वय बना रहता है। राजनीतिज्ञों का अपने मित्र और दलीय साथी प्रशासकों पर पूरा विश्वास रहता है और दूसरी ओर प्रशासक भी अपने महादय राजनीतिज्ञों मेरे प्रत्येक प्रशासनिक गढ़योग पाने की आशा रखते हैं। (5) देश के दलीपतन्त्र से मरकारी पद पाने की इच्छा मेरे अनेक लोग दल के निए कार्य करते हैं। (6) लूट प्रणाली के अन्तर्गत राजनीतिज्ञ अपने नीति एवं कार्यशमों को बुशलतापूर्वक सम्पन्न कर पाते हैं। इसलिए वे जनता से इए गए वायदों को निभाने मेरे अधिक सक्षम हो पाते हैं, प्रशासन-अधिक जनतानिक बन जाता है और नेताओं के आश्वासन के बहुत शौकिक प्राप्ति मात्र नहीं रह जाते। (7) मरकारी पदाधिकारियों के परिवर्तन की व्यवस्था (Rotation) मरकारी पद प्राप्त करने मेरी नागरिकों को अवमर भी समानता देती है। (8) लूट प्रणाली के अन्तर्गत प्रजातन्त्र-विरोधी व्यावसायिक नीत्रजाही का उदय नहीं हो पाता। इसके यमात्र मेरी समाज स्पष्टत दो भागों मेरे खेट जाता है—मरकारी समंचारी और स्वाधारण जन। दोनों के बीच अधिक स्थिति, मामाजिक मूल्य रहने सहन के स्तर, भावी आकृद्धि आदि की दृष्टि मेरी अस्तर पैदा हो जाते हैं।

लूट प्रणाली के पक्ष मेरी नई उक्त वातो का अमेरिका के सेवीवर्ग प्रशासन पर एक लम्बे समय तक प्रभाव रहा, किन्तु इसके अन्तर्गत प्रशासनिक अट्टाचार, अनियमितता, लालकीनाशाही, वायों के प्रति उदासीनता, असमन्ना आदि दोषों का जन्म हुआ।<sup>1</sup> राष्ट्रपति जैनमन के विचार वास्तविक व्यवहार की कमीटी पर यमत्य साचित हुए। अब मामात्र धारणा के अनुसार अधिक सही यह समझा जाने लगा कि लोकेवकों के परिवर्तन से प्राप्त लाभों की अपेक्षा उनकी अनुभवहीनता के कारण हानियाँ अधिक होती हैं। आलोवको ने लूट प्रणाली के विरुद्ध मुख्यत ये तर्क दिए हैं—(1) लूट प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी पदों पर गैर-प्रनुभवी तथा अदाम लोग पहुँच जाने हैं जो एवं के दायित्वों की अपेक्षा कम योग्य होते हैं। (2) यह प्रणाली मागठन के अधिकारिक रूप, पदसोपान, आदेश वी एवं आदि के निए घातक बनती है और राजनीतिक यम्भ के द्वारा प्रयोग मेराए जाने वाले विभिन्न अनीपचारिक वियन्त्रणों को विकसित कर जाती है। (3) लूट प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करने वाले सरकारी अधिकारी अपने स्वयं के तथा व्यावसायिक अनुपायियों के विकास, अस्तित्व एवं समर्पन मेरा दृष्टि लेने हैं और इसके विए कानूनी

<sup>1</sup> "This took the form at one time or another of straight out embezzlement, bribery, payroll padding, contract graft and position graft."

तथा गैर-कानूनी सभी तरीके अपनाने हैं। ये मनदाताओं द्वारा समर्थित नीतियों की ओर ध्यान नहीं देने। (4) इस व्यवस्था में प्रभासन पर उपर्युक्त राजनीतिक नियन्त्रण नामूनहीं हो पाना प्रीत प्रशासनकरण राजकोष एवं सत्ता का जी होलकर दुराधीय बनते हैं। (5) एक भ्रष्टाचारी सदृढ़न प्रपने काने बारनामों में अधीनस्थ प्रशासनकों को भी सहमोगी कर लेता है। इनदातारी से काम बनाने वाले अधिकारी पुरमहूर होते थे प्रपेक्षा दण्डित किए जाने हैं प्रीत चारों भ्रष्टाचार का बोनदाना हो जाता है। (6) जब लोकसेवकों की पद सुरक्षा राजनीतिक दल के मामले पर नियंत्र हो जानी है तो योग्य व्यक्ति इन पदों की ओर अनुचित नहीं होते। (7) लूट प्रणाली के आलोचकों ने इसकी मूल मान्यता पर चोट करते हुए यह मिठ किया है कि एक राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त नमस्त सरकारी अधिकारी इन के बायेंकमों में पूरण विश्वास रख सकें यह अवश्यक नहीं। (8) लूट प्रणाली में लोकसेवक तटस्थ नहीं रह पाने प्रीत उनकी तटस्थता मन्यन्त अनिवार्य है ताकि वे मृत्यु की भावनाओं को लादे दिना विद्यायी निकाय की राजनीतिक इच्छा को कार्यान्वयन कर सकें। लोकसेवकों को मूल्य सम्बन्धी निर्णय नहीं लेने चाहिए वरन् राजनीतिक रूप से जो राज्य की इच्छा प्रकट की गई है उस कार्यान्वयन करना चाहिए। यह कार्य लट प्रणाली में सम्भव नहीं है। (9) लूट प्रणाली में लोकसेवकों की नियन्त्रित का आधार उनकी योग्यता व्यवहार कार्य ग्रन्थद नहीं होने दण्डित विभिन्न पदों पर समान प्रीत प्रयोग व्यक्ति पदामीन हो जाते हैं। इनहे हाथों राजकोष दा अवश्य एवं दुर्बंध होता है।

### योग्यता प्रणाली

#### (The Merit System)

लूट प्रणाली की कुराइयों को दूर करन तथा लोकसेवकों की योग्यता एवं हासना, तटस्थता एवं अवसर की समानता की स्थापना के लिए योग्यता प्रणाली का विकाय हुआ। योग्यता प्रणाली के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति के ममल प्रत्यागियों की राजनीतिक सेवा, स्टिटकोर्स अधिकारी एवं बासी ही अस्त्र बासी का ध्यान नहीं रखा जाना वरन् प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नियारित योग्यता की एकमात्र नियारित तत्व माना जाना है।

आजकल योग्यता प्रणाली (Merit System) भारत का प्रयोग केवल नोकरियों के लिये अवश्यक देश की सम्बोधित करने के लिए नहीं किया जाता वरन् इसमें सेवीवर्ग व्यवस्था के अन्य पहलू भी शामिल हो जाते हैं—जैसे वेतन व्यवस्था, पदोन्नति और अन्य सेवा की शर्तें। प्रो स्टोर्न न योग्यता प्रणाली के आपक अर्थ का उत्तेज करते हुए इस तेसी सेवीवर्ग व्यवस्था बताया है जिसमें सेवा में प्रत्येक व्यक्ति के लिये और प्रत्यक्ष पर मापेदार योग्यता अधिकारी उपचिति का प्रमाण रहता है। जिसमें कार्य सम्पन्नता की दरातः तथा पुरस्कार मेवा की कायमता देने वाली व्यवस्था है।<sup>1</sup>

1 "In its broadest sense a merit system in modern government means a personnel system in which comparative merit or achievement governs each individual's selection and progress in the service and in which the conditions and rewards of performance contribute to the competency and continuity of the service."

योग्यता प्रणाली के अन्तर्गत लोकमेवा में प्रबोहं प्रौद्योगिकि के निए साधारण सुनी और प्रतिपादी परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। सेवा में प्रबोहं द जिए श्रेष्ठताएँ गई योग्यता प्रणाली के मुख्य पहलू प्रो स्टॉर्न के मनानुसार निष्पत्तिसिंह हैं—

1 पर्याप्त प्रकाशन—रिक्त पढ़ी तब उनके लिए आवश्यक योग्यताओं की जानकारी जनता को दी जानी चाहिए ताकि सचिवीत नागरिकों को उनकी जानकारी हो सके।

2 निवेदन का अवधार—इच्छील नागरिकों को उनकी इच्छा द्वारा का अवधार दिया जाए और उनके निवेदन पर विचार दिया जाए।

3 यथार्थवादी सापदण्ड—आवश्यक योग्यता सम्बन्धी सापदण्ड रिक्त स्थानों के अनुकूल होना चाहिए और नभी धर्मेदारों पर नमाम हृष से लागू दिया जाना चाहिए।

4. भेदभाव का अभाव—प्रबोहं के लिए निर्दृष्टित सापदण्ड देवल रोडगार के लिए योग्यता और उपयोगिता से ही सम्बन्धित होने चाहिए।

5 योग्यता के आधार पर ऐलाइनी—योग्यता और उपयुक्तता के सामेजिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतीक्षियों द्वारा दर्शाई जानी चाहिए।

6 अरिणामों की जानकारी—जनता को चयन की प्रक्रिया की जानकारी दी जानी चाहिए और पद किसी की मानवता यह हो कि उसके बारे में उपयुक्त प्रतिपादा नहीं अपनाई गई है तो उस प्रशासनिक पुनरीक्षा का अवनार दिया जाए।

अमेरिका में योग्यता प्रणाली का विवास (Evolution of Merit System in U. S. A.)—मधुकराज्य अमेरिका में लोकमेवा हा इतिहास योग्यता प्रणाली के विकास का इतिहास है। इसे प्रो स्टॉर्न ने प्रोटे रूप से पौर्व भागी में विभाजित किया है—

(i) सामेजिक प्रशासनीय कुशलता का काल (Period of relative administrative efficiency), 1789-1829

(ii) प्रविच्छिन्न लूट प्रणाली का काल (Period of unmitigated spoils), 1829-1865

(iii) लूट प्रणाली के विहङ्ग बढ़ने हुए विरोध तथा सुधारों का काल (Period of agitation and rising resentment against the spoils system), 1865-1883

(iv) सुधार एवं नीतिकालीन के विवास का काल (Period of reform and bureaucratic evolution), 1883-1935

(v) सकारात्मक सेवीवर्ग प्रशासन का काल (Period of positive personnel administration), 1935-Present day.

प्रथम वाल योग्यितेश्वर अमेरिका की लूट प्रणाली से मुक्त परम्पराओं के साथ प्राप्ति हुपा। सप्त वर्षा राज्यों के माध्यमानों में कार्यान्वय में अमेरिकीना

(Rotation) रा शिद्धान्त शामिल होने के कारण शीघ्र ही इसके परिणाम मापने शुरू होने लगे : 1821 तक उत्तरी और पश्चिमी अमेरिका के प्रायः मध्ये राज्यों में सूट प्रशासनीय था तो मध्याह्नित हो चुकी थी अयत्ता होने वाली थी। 1820 में चार वर्षीय वानून (Four Years Law) पारित हो चुका था जिसके तहत चार वर्षीय वाद प्रशासनिक अधिकारी स्वत ही भवने पद में हट जाने थे। लूट प्रसा के यद्यप्योगी व्यवस्थाएँ वे श्रेष्ठ हुए भी गधीय लोकमेवा सम्बोधनक रूप से बायं बरनी रखी तथा पूरे 40 वर्ष के बाल में क्षमता एवं योग्यता को ही नियुक्ति के मध्य प्राप्तिका दी जानी थी। केन्द्रीय प्रशासन अपेक्षाकृत मुख्य रूप से सचानित होना रहा।

दूसरे बाल में राष्ट्रपति जैक्सन ने खुदकर लूट प्रणाली वा ममर्थन दिया। 1829 तक लूट प्रणाली अमेरिकी दल व्यवस्था का अभिन्न भाग बन गई। कॉर्सेन ने उल्लेख किया है कि जैक्सन से पूर्व लोकमेवाओं में नियुक्ति के प्रति असन्तोष व्याप्त हो गया था क्योंकि उपर्युक्तना वे नाम वर घनी एवं उच्च परिवारों की नियुक्ति होने नपी थी। इस प्रकार सरकारी नौकरियों में बुजीनव्वीय तत्त्व प्रभावशाली बन गया था। ऐसी परिस्थितियों में जैक्सन द्वारा लूट प्रणाली एवं अनुकूल विचार प्रबढ़ करना बहुत ही प्रनीत होता है। जैक्सनों गांतम्बू से प्रोत्साहित होकर लूट प्रणाली मयूरकर्त्तव्य अमेरिका की प्रत्येक स्तर की वरक रो पर छा गई तथा बरीव 30 वर्ष तक पुनीतीहीन रूप से कायं बरनी रही।

तीसरे 1860वीं दशाब्दी के अन्तिम दिनों में लोकमेवा को सुधारने के लिए मारारी कार्यकुशलता एवं सावंतव्यता ने निरन्तर नाम पर प्राप्तीलन दिया। इसका नेतृत्व बुद्धिमती एवं सार्वजनिकी के स्वरूप जाने गए कुछ बुद्धिमान लोगों द्वारा किया गया। परन्तु 1863 तथा 55 में पारित बाकूनों द्वारा पौच वडे गधीय विभागों ने नियुक्ति को उनके बताया के द्वायार पर चार समूहों में बांटा गया। उनकी नियुक्ति बोइंडरा सचाविन परीक्षाओं द्वारा की जाने नपी। इस समय नोहमवाद्या म नियुक्ति वा आदर्श पूर्णता अवैध्यों को दूर रखना था। इसमें वाद निरन्तर परीक्षा प्रणाली के प्रभाव होता रहा। 1876 में एक अधिनियम (Treasure of Office Act) पारित हुके यह व्यवस्था की गई कि जो नियुक्तियों सीमेट की स्वीकृति में की जाए उनको पदमूक्त बरने से पूर्वी भीनट की स्वीकृति लेना अनिवार्य हो।

चौथा दल मुख्यार का बाल था। 1883 में एक नायकिर देश अधिनियम पारित हुआ। जॉर्ज विनियम कर्त्त्व तथा उनक अनुसारी कुछ अन्य आदेशवादियों ने सोहनेवधों में सुधार की समस्या पर विगेठ ध्यान दिया। इनके मद्यपाना एवं विद्यम इस दिला में कुछ बायं करने को प्रेरित हुई। 1877 में गूग्गावं नायकिर मवा सुधार सप्त गठित किया गया तथा 1881 में जॉर्ज गार्डीर नायकिर मवा गुप्त एवं नीति की स्थापना हुई तो इस प्रभाव की रूप में रम 13 दस्ताएं गठित हो चुकी थीं। नीत न योग्यता व्यवस्था की स्थापना एवं विकास की दिशा में मन्त्रवूलं भूमिका निभाई है। मुख्यारको ने नियमा, प्रचार तथा प्रभाव के माध्यम से लूट प्रणाली पर ध्यान दिए। एक निराज ददान्वेषी द्वारा राष्ट्रपति गार्डीन की हाथ के बाद न्यू

प्रणाली का विरोध व्यापक एवं भावनात्मक तरीके से किया जाने लगा। इस सबके परिणामस्वरूप 1883 का नागरिक सेवा विधेयक पारित हुआ।

**1883 का नागरिक सेवा (पेडलेटन) अधिनियम (Civil Service Act of 1883)**—मध्यकालीन अमेरिका की नागरिक सेवा के विकास में यह अधिनियम एक आधारभूत सोयान का काम करता है। इनकी मुख्य धाराओं के प्रकार में समय समय पर छोटे-बड़े अधिनियम पारित किए जाते रहे। यह अधिनियम सेवीवर्गीय वी अप्रेजी व्यवस्था पर आधारित था। प्रो स्टार्न ने इस अधिनियम की सात विजेयताओं का उल्लेख किया है—(i) सेवीवर्गीय प्रशासन का काम मुख्य कार्यपालिका द्वारा नियुक्त तथा उसी से प्रति उत्तरदायी एक द्विपक्षीय (Bipartisan) आयोग का होना चाही, (ii) चयन व्यावहारिक प्रकृति की खुली गतिविधि परीक्षाओं द्वारा होना निश्चित हुआ, (iii) चयन प्रक्रिया के एवं आग के हप में परिवेश बाल (Probation period) की व्यवस्था की गई, (iv) युद्ध से लोटे प्रशम लोगों को वे सभी सुविधाएँ मिलती रहेंगी जो उन्हें अब तक की जाती रही थी, (v) बर्म-चारियों को राजनीतिक चन्दा देने से मुक्त रखा गया। अधिकारियों पर प्रतिदृग्य संगाया गया कि वे ऐसे पाठ्यन न तो एकत्रित कर सकते ये और न इनकी मांग कर सकते थे, (vi) आयोग को स्वयं की ओर से जांच करने का अधिकार दिया गया। उम राष्ट्रपति को तथा उसके माध्यम से बोर्ड को अपनी वादिक रिपोर्ट पत्र करने को कहा गया, (vii) ये नियम वार्गिंगटन स्थित सभी विभागों पर तथा अन्य वहीं स्थित डाकघर तथा चुनीकर कार्यालयों पर लागू होंगे। राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह अपने हृदयिक के आधार पर इन नियमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सह्या दो कर सके।

मुख्य कार्यपालिका ने इस अधिनियम के तहत प्रांत अधिकार वा प्रदोग तथा कार्यपालिका आदेशा द्वारा इसके क्षेत्र को कमश्य व्यापक बनाया। इस दृष्टि से व्यवस्थापिका न विरोधपूर्ण उदासीनता का है अपनाया। उसने लोकसेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने सम्बन्धी सभी सशोधनों का विरोध किया। बोर्ड का उल्लेखनीय कदम 1940 का राम्स्पेक अधिनियम (Ramspeck Act) था जिसने राष्ट्रपति को प्रतेक सेवाम् वो नियमित नागरिक सेवा के घन्तर्गत साल में सक्षम बनाया।

1935 से प्रारम्भ होने वाला योग्यता प्रणाली के विकास का पौर्वी वाल सदाचारात्मक सेवीवर्गीय प्रशासन का काम कहा गया है जिसके द्वारा इससे पूर्व सेवीवर्गीय नीति का मुख्य ध्यान लूट प्रणाली को सीमित करने की ओर था। आयोग तथा दुइनों दो दाहर रखने की नीति मूल स्वर से विवेचात्मक थी। अब इसके स्वाम पर विधायात्मक नीति प्रदत्तना आवश्यक समझा गया। इस दृष्टि से चार नए विकास उल्लेखनीय हैं—(i) अपूर्व क्षेत्रों में सरकार के कार्यों का निरन्तर प्रयार हुआ; (ii) लोकसेवाम् के अधिकार कार्यों की प्रकृति अधिकाधिक तकनीकी बनती चली गई, (iii) संरक्षारी वायों में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ, (iv) सरकार

के सभी स्तरो पर सरकारी सरकार का एकीकरण हो गया। इन सभी नए विभासों ने सन्दर्भ मे विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने प्रमेरिकी लोकसेवामों ने स्वरूप पर विचार किया। इनमे से प्रधिकारीश कुछ मूलभूत बातों पर एकमत थे, जैसे—कार्य-पालिका की शक्ति बढ़ाई जाए, प्रशासनिक प्रधिकारियों के कार्यकाल मे ममुचित समन्वय रहे, प्रशासनिक गतिविधियों मे कार्यात्मक विभागीकरण किया जाए, उत्तरदायित्व की निश्चिन रेखाएं तथा प्रशासनिक अधिकरणों के रूप मे कार्य कर रहे प्रत्येक मण्डलों तथा आयोगों को समाप्त किया जाए।

आज के बदले हुए सन्दर्भ मे केवल लूट प्रणाली को समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं भाना जाता बरन् योग्य तथा सक्षम कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर लाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाना बाह्यनीय समझा जाता है। प्रो. ईंडॉल ने लिखा है कि “आधुनिक काल मे सरकार केवल योग्य ही नहीं होनी चाहिए बरन् वह विशेषज्ञ, समन्वयपूर्ण, स्थायी तथा अनान्विक नियन्त्रण के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए।”<sup>1</sup> इस बात को ध्यान मे रखते हुए सेवीवर्ग प्रशासन मे यहान दृष्टि रखने वाले विचारकों ने योग्यता प्रणाली की स्थापना के लिए विषेषात्मक कदम उठाने पर विशेष जोर दिया तथा सरकारी उद्यमों के लिए ऐसे व्यापक कार्यक्रम सुझाएं जिनमे मानव शक्ति के तहव पर निरन्तर एव विशेष ध्यान दिया जा सके। इस दिशा मे प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यवस्थापन किए गए, सुधार आयोगों को समस्या पर विचार करने एव सुझाव देने का कार्य सौंपा गया, राष्ट्रपति के बार्यपालिका द्वादशों द्वारा स्थिति मे बाह्यनीय परिवर्तन लाने की चेष्टा की गई, लोकसेवा आयोग की शक्तियों तथा प्रधिकार क्षेत्र को व्यापक बनाया गया। सेवीवर्ग प्रशासन द्वा समग्र दृष्टिकोण ही बदल गया। अब यह स्पष्ट हो गया कि सक्षम मानविक सेवा की स्थापना के लिए प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति एव समाज कार्य के लिए समाज बेतन ही पर्याप्त नहीं है बरन् सेवीवर्ग प्रबन्ध के व्यापक कार्यक्षेत्र मे सुविधिक, सन्तुष्ट एव उत्पादक कार्यकर्त्ताओं की व्यवस्था भी जामिन है। यह मद होते पर ही बाह्यनीय प्रशासनिक नेतृत्व उभर पाना है, कार्यकर्त्ता सर्वाधिक उत्पादक कार्य कर पात है, कार्यकर्त्ता एव नियुक्तिकर्त्ता के बीच प्रजानान्विक सम्बन्ध स्थापित होत हैं तथा कार्य सचावन के प्रत्येक विश्व पर प्रभावशाली सम्बन्धों द्वा विकास होता है।

योग्यता प्रणाली का भूल्योक्त (Evaluation of the Merit System)— सेवीवर्ग की भर्ती के लिए प्रयत्नाई लाने वाली योग्यता व्यवस्था आज विश्व के प्राय सभी देशों मे मूल्यवान समझी जाती है। इस व्यवस्था के मुख्य लाभ ये हैं—  
 (I) योग्य तथा सक्षम कर्मचारी—इस व्यवस्था मे यह यात्रामन रहता है कि विभिन्न प्रशासनिक पदों पर वी गई नियुक्तियों मे योग्यतर प्रत्याशिया वो ही निया जाएगा। प्रत्येक पद के प्रत्याशियों दे लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं नियोगित कर दी जाती हैं। ये योग्यताएं पद के दायित्वों के अनुरूप होती हैं। मत्र म प्रबोश के बाद

भी कमचारी के प्रतिक्रिया तथा कार्यकुण्ठना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनमें मग्नार वे कार्यों का सुधारने प्रशिक्षित एवं दुष्टिग्रन्थियों द्वारा ही करा जाता है। (ii) अनुसन्धानी कमचारी—योग्यता के आधार पर नियुक्त कमचारी एवं नियन्त्रक कार्यकुण्ठना नक्ष प्रयत्न पद पर कार्य करते हैं। इनका कार्यकुण्ठन राजनीतिकों की जनप्राप्ति में प्रभावित रहता है। इन इनको बायं का पदार्थक अनुभव प्राप्त हो जाता है तथा वे विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं एवं उनके उपर्यन्त भौतिकानों में परिचित हो जाते हैं। ऐसे अनुभवी कार्यकर्ताओं के महत्वों में प्रकाशपद अर्थन लक्ष्यों पर एवं विषय है। (iii) ईमानदार प्रशासन—योग्यता के आधार पर नियुक्त कमचारियों पर जिनी का कोई अट्मान नहीं रहता। इसके बड़ने में उन्हें शास्त्र विषय करने वे विद्या मजबूर होना पड़ उन्हें जेता सुखा प्राप्त रहती है। यह भव तथा प्राप्ति के कारण भी वे अपने वर्तन्य पर्य से दिच्छित नहीं होते। (iv) प्रशासनिक बायं कुशलता—योग्य प्रशिक्षित एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं की विभिन्नता के बाराना प्रशासनिक कार्यकुण्ठना में प्रमाणार्थगत अवस्था में सामने पड़ता है। (v) मिल्डमन्यता—योग्य कमचारी जिनी बायं जो नुचिकोविन तरीके से जाने हैं और इनके उन्हें कार्यों में देशी, दलनी, दोगाव, अनादिष्टक प्रयोग, सम्बन्धप्राप्ति वीक्षण आदि दो सम्बन्धनामै न्यूनतम रह जाती है। यह जिनी बायं में वेदान्त उनका ही ज्ञान घट्य सर्वत है विद्या शिखिवाय है। (vi) तटस्थता—इस प्रशासनी द्वारा नियुक्त कमचारी की कोई राजनीतिक विचारधारा, प्रार्थनिकना एवं स्वायं नहीं होते, इन द्वारा वीक्षणाद्वारा एवं मूल्यों को आगेपिन किए जिन तटस्थ भाव में अवधारिता ही राजनीतिक उठाए जानी जाती है। (vii) प्रबन्धक की समाजता—राजनीतिक पश्चात् वे जिन योग्यता के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर भी समाजना प्राप्त होती है।

योग्यता प्रशासनी के दर्शन में ही जाने वाली उन दृष्टिकोणों के साथ-नाय आपोव्यज्ञों द्वारा उन्नितिक उनकी कमिया का उन्नेद भी अद्वितिय नहीं होता। यह प्रशासनी दिन द्वारा व्यावहारिक समस्याओं का जन्म होती है उनमें से उद्योग है—(i) योग्यता की साप का कोई बन्धुता, वेदान्तिक, विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों तरीका नहीं है। (ii) यह प्रशासनी प्रशासनको तथा राजनीतिकों के बीच ढार्य तालमेल बढ़ाने में वापर करती है। (iii) इस प्रकार नियुक्त होने वाले प्रशासन इन आकौशासों पर उन प्रतिनिधियों और परवान नहीं करते। (iv) योग्यता के बल्पना प्राप्ताद में बढ़ते प्रशासनकों द्वारा विभिन्न समस्याओं नक्ष उनके समाधारों का यथायं मूल्यांकित नहीं हो पाता। (v) कार्यकार ही सुखा एवं मेवा री जिग्नलरता के बाराण प्रशासनी में सामरकारी उपयोगिता अनुसन्धानित की जाती है। विकसित होनी है। साथ ही ताजिनीतान्वाही, अनियन्त्रिता, भ्रष्टाचार एवं पर्य प्रशासनिक रोगों का प्रत्योग वह जाता है। (vi) योग्यता प्रशासनी का क्षेत्रों के साथ योग्यता भावदीय आधार पर मेशानिहृत कीनित, नियुक्त नोगों, आदियों, महिलाओं आदि के विए दी जाने वाली प्राप्तिकर्ताओं का भी एवं अन्तर्दृष्ट करता है।

योग्यता प्रणाली के उक्त सभी दोष इसके अनन्तिहृत दोष नहीं हैं तथा सबसे प्रयास द्वारा उक्ता तिराकरण किया जा सकता है और किया जाता है। अधिकारी देशों की लोकसेवा का इनियाम इसी योग्यता प्रणाली के अधिक विकास का इनियाम है। विभिन्न देशों में लोकसेवा धायोग की स्थापना इस विकास का एक महत्वपूर्ण नीता चिह्न है। अमेरिका में लोकसेवा धायोग 1883 के नापरित सेवा अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया। एट विटेन में लोकसेवा धायोग 1855 में स्थापित हुआ हिन्दु निर भी यहाँ कर्मचारियों की मर्त्ती में सरकारी बदलस्या (Patronage System) कार्य करती रही। 1870 में यहाँ गुरुती प्रतिषेधिता द्वारा योग्यता को जीवने की व्यवस्था स्वीकार की गई। भारत में योग्यता प्रणाली का विदान अवैज्ञानिक राज के मध्य 1853 में ही स्वीकार कर लिया गया था। फ्रैंस में भी मन्त्र यूरोपीय देशों की मानि लोकसेवकों की नियुक्तियों प्रारम्भ में राजनीतिक पक्षान्त का आघारण होती थी। नियुक्ति एवं पदोन्नति दोनों ही कार्यों के लिए मन्त्री अवधार विभागाध्यक्ष का पक्षान्तरायूर्ण दबाव आवश्यक था। ऐसी नियुक्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार एवं अपव्यय का देश के उदारवादी जनमन ने बड़ा विरोध किया तथा इस प्रकार वी पदोन्नति व्यवस्था का स्वयं अधिकारियों ने विरोध किया। इस प्रकार दोहर दबाव के कारण प्रमुख परिवर्तन आया। विभिन्न पदों के लिए कानून घोषणा नियमन द्वारा प्रावश्यक नूनतम योग्यताएँ निर्धारित की गईं। स्वेच्छायूण व्यक्तिगत परम्पर पर रोक लगान के लिए मन्त्रालय के अन्तर्गत नियुक्ति एवं पदोन्नति मण्डल स्वापित किए गए।

### भर्तीकर्ता की नियुक्ति

(Appointment of the Recruitor)

भर्तीकर्ता की नियुक्ति भर्ती बत्ते वाली मत्ता की विश्वस्य ही अवधारणा महत्वपूर्ण समझा है। सेवीइंगें भर्ती बत्ते मध्य सबसे बड़ी वित्ताई यह उत्तमित होती है जिसकी करने वाला कौन हो जो योग्य अध्याविदों को चयन कर सके। विनोदी के अनुसार भर्ती बत्ते वाली सत्ता का प्रावश्यक देवत मन्त्रीवर्ग प्रणाली का ही नहीं बरन् देश की राजनीतिक अवधारणा का एक अनिवार्य लक्ष्य है। यह सम्भव्या परन्तु प्रारंभ में इनकी महत्वपूर्ण है जिसकी लगान भर्ती मध्य देशों के सिविलों द्वारा ही भर्ती करने वाली मत्ता का प्रावश्यक बन दिया जाता है। उदाहरणार्थ, मान्यतावाली गविधान में नदीर और राज्य सोसमेवा धायोग का प्रावश्यक है।

प्रावश्यकान्दित देशों में सोसमेवा की भर्ती के लिए नाइ सेवा आयोग (Civil Service Commissions) का प्रबन्ध ही अधिक है वर्तोंकि नदारामह के स्थान पर गवारामह भर्ती की नीतियों पर अधिक से अधिक बढ़ दिया जाता है। भर्ती पर गवारामह भर्ती की नीतियों पर अधिक से अधिक बढ़ दिया जाता है।

भर्ती करने वाली मत्ता कौन हो, इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों में विभिन्न अवधारणे की जाती हैं और इन्होंने भी भर्ती करने विभिन्न मन व्यक्ति दिए हैं—

1. प्रथम मत यह है कि भर्ती करने वाली सत्ता प्रत्यक्षत जनता में निर्दित हानी चाहिए बशेकि वास्तविक प्रजातन्त्र यही मौग करता है कि देश के भर्तीच्छ अधिकारी प्रत्यक्ष स्वर से जनता द्वारा चुने जाएं अर्थात् उनका निर्वाचित हो। इस व्यवस्था में पदाधिकारी अल्प अवधि (Short Term Period) के लिए निर्वाचित होंगे और भलदाताओं को उन्हें 'वापस बुलाने' (Recall) का भी अधिकार होता। यह व्यवस्था बड़ी आवश्यक और प्रजातन्त्रीय है तथापि ग्राज के विशाल राज्यों, जटिल समाजों और सुविस्तृत, प्रशासन-यन्त्रों के स दर्भं म व्यावहारिक नहीं लगती। प्रथम, बड़ी तरह में अधिकारियों को चुनते समय निर्वाचितों से यह आगा नहीं की जा सकती कि वे समुचित विवेक बुद्धि से काम लेंगे। साथारण जनता में कुशल अधिकारियों को चुनते की समता नहीं होती। दूसरे, इस बात की अधिक सम्भावना रहती है कि साथारण जनता वैयक्तिक स्वायों के प्रवाह में वह जाएगी। इन सम्भावित प्रवल दोषों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त यही है कि निर्वाचितों का प्रभाव केवल नियम राज्य पदाधिकारियों पर ही होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं।

2 दूसरा मत जो पहले मत के दोषों को ध्यान में रखते हुए निया जाता है यह है कि भर्तीकर्ता नियाय दो राजनीतिक हस्तेषण से दूर रखते हुए शक्ति स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन दी जाए। लोकसेवा यायोगों वा सगठन भी इस प्रकार वा हों ति वे नियम होकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रबोह हों सकें तभी यह सम्भव होगा कि सरकारी सेवा में योग्य और कर्त्तव्यपालण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी जा सकें। नियन्त्रका कार्यक्रम है कि मूल स्वर में सरकार द्वारा भर्ती का लक्ष्य कर्मचारियों के स्वयं व्यक्तियों में गरकार वे नियम बनाएं जाएं कि इसका अप्रत्यक्ष करना है। कुछ विचारकों वा मन है कि लोकसेवा यायोग वा सगठन सर्वोच्च न्यायालय की भाँति होना चाहिए ताकि वह स्वतन्त्रता-पूर्वक कार्य कर सके। इसके सदस्य भी इतने बरिष्ठ होने चाहिए ताकि वे अनुचित प्रभाव की उपेक्षा कर सकें और योग्यता के सही पारती हों। कुछ लेखों का यह सुझाव भी है कि लोकसेवा यायोग का स्वरूप नियमित होना चाहिए पर्याप्त उसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ समिक्षित होने चाहिए जोकि विही भी एक विषय के विशेषज्ञ के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह प्रत्येक पद के लिए उम्मीदवार वी योग्यता का मूल्यांकन कर सके। लोकसेवा यायोग म गविनियोंना होनी चाहिए और तदनुसार विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते समय यायोग के हृद में भी परिवर्तन होते रहने चाहिए। ऐसे भी विडान हैं जो यायोग वा नियोगालय (Directorate) के रूप में समर्थन करते हैं तिय तरह व्यापारिक सगठनों में भर्ती-वर्ती अधिकारी स्वयं काम का जानकर होता है उसी तरह सरकारी अधिकारियों की भर्ती भी जानकर भर्तीकर्ताओं द्वारा होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारों की भर्ती में सैनिक प्रशासन के अनुभव से भी बहुत कुछ नाभ उठाया जा सकता है। सैनिक सगठन में भर्ती करते समय मनोवैज्ञानिक जीव (Psychological Test) पर

याधिक बल दिया जाता है। प्रशासनिक प्रबिकारियों की भर्ती करते समय भी इस जीव को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। भर्तीकर्ता के रूप में सोहसेवा आयोग को मुख्य रूप से जो वार्ष करने चाहिए वे ये हैं—

भर्ती सम्बन्धी नीति के बारे में सरकार का परामर्श देना, भ्रम्याधियों की परीक्षाएँ लेना तथा उनसे साक्षाकार करना, पशोन्नति एव स्थानान्तरण की उपयुक्तता का परामर्श देना, अनुशासनात्मक कायों पर खलाह देना अस्थायी नियुक्तियों के सम्बन्ध में समाह देना, नई सेवा की रक्वना में मशोधन आदि मामनों वो मुलभाना, मुख्य वार्षिकानिका से सम्बन्धित किसी भी मामले पर विचार करना, समदृ को अपने कायों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आदि।

उपयुक्त दोनों मनो अधिका पद्धतियों के सम्बन्ध में विज्ञोवी ने लिखा है कि “स्पष्टन ये दोनों मन वयों राजनीतिक विचारधारा के उन दो सम्प्रदायों (Schools) का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने नोहतन्त्रामक एव प्रतिनिधित्यात्मक सरकार को अपना आदर्श मानते हैं।” दोनों ही प्रणालियों की तुलना करने पर व्यावहारिक दृष्टि से दूसरी प्रणाली वहाँ की अपेक्षा श्रेष्ठतर प्रतीत होती है। भर्तीकर्ता की समान्य विजेपताएँ

भर्तीकर्ता वा स्वरूप चाहे जो भी हो, उसमें निम्ननिमित्त मापाम्ब विजेपताएँ होना अपेक्षित हैं—

1 वह स्वतन्त्र और किसी भी प्रकार के बाह्य दोनों से मुक्त हो सकि वह प्रनुचित निरुपय केवे तिए बाध्य न हो सके।

2 वह इनानदार और वत्तंव्यनिष्ठ हो नाकि किसी प्रत्योगित में आज्ञार गत्व नायं करने के तिए बाध्य न हो जाए।

3 वह इनना योग्य और सक्षम हो कि भर्ती के प्रत्याशियों की कुमनताओं को भर्ती प्रकार जीव कर सके।

4 वह दहु-सदस्यीय हो क्योंकि एक सदस्य व्यक्तिगत मानवीय क्षमजोरियों और सीमाप्तों वा निकार बनवार कर्तव्य-च्युत हो सकता है। एक से अधिक सदस्य होने पर ‘निरोघ’ और ‘मनुकन’ तथा ‘प्रतिष्ठा’ और ‘नेतृत्व’ बनाए रखने की आवश्यकता वा मिटान्त किया जील होता है।

5 वह अद्वं राजनीतिक हो क्योंकि पूर्ण रूप से राजनीतिक रहने पर इससे ईमानदारी और निराकरण दी प्राप्ता नहीं हो जा सकती।

भारत में भर्ती के अभिकरण

(Agencies of Recruitment in India)

भारत में भर्तीकर्ता अपवा नोहसेवायों को भर्ती करने वाले मुख्य अभिकरण ये हैं—सर्वीय सोहसेवा आयोग, राज्य सोहसेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग तथा समिक्षिय निगमों के तिए निजी भर्ती माइत अपवा आयोग। इन प्रकार के भर्ती आयोगों का अपना महत्व है। ये राजनीतिक एव प्रत्य प्रभावों को भर्ती नी वो प्रक्रिया से दूर रहने हैं तथा योग्य कर्मचारियों के बहन को सम्भव बनाने हैं। भारतीय

संविधान केन्द्रीय एवं राज्य स्तरों पर वार्षिकालिका को स्वतन्त्र लोकसेवा आयोग स्थापित करने की व्यवस्था करता है। यह आदेश लोकसेवायोग में लूट व्यवस्था को पनपने से रोकता है तथा सेवीवर्ग के चयन में वार्षिकालिका के हस्तक्षेप को दूर रखता है। भारतीय नागरिक सेवा (Civil Service) के शाही आदेश ने अपने प्रतिवेदन (1924) में लिखा था कि—“जहाँ भी प्रजातन्त्रात्मक सम्पत्ति है वहाँ वार्षिकुशल नागरिक सेवा प्राप्त करने के लिए उसे राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रभाव से बचाए रखना अनिवार्य है। उसे सरकारी नीति वा निष्पक्ष और कुशल साधन बनाने के लिए स्वायित्व एवं सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।” यह कथन स्वतन्त्र भारत के सन्दर्भ में नागरिक सेवा पर उल्लंघन ही लगा उत्तरता है।

### भर्ती की आदर्श प्रणाली (An Ideal Method of Recruitment)

विभिन्न कारणों, समस्यायोगी और अनिवार्यतायोगी के प्रवाज में यह निश्चय बरता बड़ा कठिन है कि आज भर्ती की वया आदर्श प्रणाली निर्धारित की जाए। लोक प्रशासन में थेट्टनम पदाधिकारी नियुक्त करने की इष्ट से योग्यता-परीक्षा का विषय महत्व है। लेकिन यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जब तक उच्चीदारी को सरकारी सेवा की ओर आर्क्यित नहीं किया जाएगा, तब तक भर्ती की प्रणाली अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मफ्ऱुल नहीं हो सकेगी। डॉ ह्लाइट के अध्ये में, यदि सरकारी कार्य की सक्ति व्यक्तिगत रोजगार की अपेक्षा बहुत कम सम्भोगजनक होनी तो लोकसेवायोगी की ओर आर्क्यित होने वाले प्रत्याजियों की कुशलता और योग्यता का स्तर नीचा होगा। भर्ती की आदर्श प्रणाली के लिए यहाँ विवरण दिया है कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत सेवायोगी के प्रार्थणों वा सुचाए समन्वय किया जाए। बढ़मान पुण में यह प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है कि व्यावहारिक एवं मूलिक प्रशासन से महत्वपूर्ण गुण प्राप्त करके लोक प्रशासन के अधिकारी को प्रधिक तात्पुरता उपरोक्ती यादवा जाए। फिर भी यह मुनिशिवत है कि दोनों व्यवस्थायोगी के मूल आत्मरोपों को पूरी तरह नहीं मिटाया जा सकता। डॉ ह्लाइट ने ठीक ही जिता है कि “कुछ मामलों में जैसे कि भाग्य निर्माण के अवधार में सरकार व्यक्तिगत रोजगार से प्रतियोगिता नहीं बर सकती, किन्तु दूसरे मामलों जैसे सुरक्षा, सम्मान एवं सामाजिक उपयोगी कार्य के साथ एकरूपता आदि में यह बराबर ही नहीं थेट्ट प्रतियोगिता कर सकती है।”

विभिन्न पक्षों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनके आधार पर एवं आदर्श भर्ती-प्रणाली में घट्टनिकित विशेषताएँ होनी आवश्यक हैं—

1. अतिशीलता (Dynamism)—भर्ती के पुराने तरीकों को नए परिवर्तनों में बदला जाना चाहिए, वयोंकि स्थिरता प्रगति की विरोधी बन जाती है। समय के साथ याद लोक प्रशासन के उत्तरदायित्वों में भी परिवर्तन आते रहते हैं और यदि भर्ती के परम्परागत ढंग ही रहे तो लोक प्रशासन में विकास की गति घटकड़ हो जाएगी। यह प्रावश्यक है कि भर्ती की आदर्श प्रणाली सत्र गतिशील हो।

**2. सोचशीलता (Flexibility)**—भर्ती की पादर्श प्रणाली इतनी सोचशील होनी चाहिए कि विभिन्न पदों से सम्बन्धित प्रावस्थक योग्यताएँ अलग-अलग होनी चाहिए और पदों में यदि अधिक भिन्नता हो तो भर्तीवर्ती भी अलग होने चाहिए। भर्तीवर्ती समठन की रूप रचना पृथक् होनी चाहिए तभी मर्ती में पादर्श प्रणाली में गोपित लोचशीलता और वैज्ञानिकता का समावेश हो सकेगा।

**3. ईमानदारी (Honesty)**—भर्ती का तरीका ईमानदारीपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि प्रशासनिक पदों पर योग्य परिवारी नियुक्त किया जा सके। इसमें प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा कार्यकुशलता बढ़ेगी तथा योई अधिकारी विभी के अनुचित प्रसाद में नहीं आएगा। मर्ती प्रणाली में ऐसी व्यवस्था भी जानी चाहिए कि मन्त्री, राजनीतिज्ञ और पदाधिकारी अवैद्यनीय हस्तांत्रिक न कर सकें।

**4. नवोत्तम रीतियुक्ति (Innovation)**—प्रशासनिक अधिकारियों की मर्ती के भी नए-नए प्रयोग किए जाने चाहिए और नई-नई समस्याएँ समाधान के लिए नए तरीके अपनाएँ जाने चाहिए। विकसित देशों में मर्ती के क्षेत्र में जो प्रतिनिधि प्रयोग हुए हैं उनका यिद्धुत हुआ देशों को पूरा भाग उठाना चाहिए। मर्ती परीक्षा के परीक्षक वो ऐसे अनेक अवसर और पर्याप्त समय यिलना चाहिए कि वह उम्मीदवार वे विभिन्न अवकाशों का गहन अध्ययन कर उनकी योग्यताओं के सम्बन्ध में वस्तुगत, यथार्थ और वैज्ञानिक राय काप्रसं बर गड़े। उम्मीदवार की योग्यता को सही रूप में जानने के लिए आजकल अज्ञान साधारणकार (Anonymous Interview) लोकप्रिय होता जा रहा है। इसमें उम्मीदवार को यह पता नहीं रहता कि उसकी परीक्षा की जा रही है। होता यह है कि पद रिक्त होने पर भर्तीवर्ती सम्मानित उम्मीदवारों पर रहित रहता है और जब उसके घ्यान में बुझ ऐसे सोच आ जाते हैं तो वह एक विशेष माध्यम माना का प्राप्तोद्धन कर देता है। यही सम्मानित उम्मीदवारों को भावणा देने के लिए आमनिवन्ति किया जाता है तथा उनका योग्यता और विशेषता का सापेक्ष रूप में मूल्यांकन कर दिया जाता है।

**5. विशेषज्ञता (Expertness)**—लोक प्रशासन में विशेषज्ञ अधिकारी की नियुक्ति एक भिन्न समस्या है जिसके निराकरण के लिए उन्हीं उपयोग नहीं किया जा सकता जो अविशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति में काम में लिए जाते हैं। लोकसेवा प्रायोग की सामान्य सरचना विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति के प्रत्युत्तम है। इन मुभाव दिया जाता है कि जब किसी विशेषज्ञ की मर्ती करनी हो तो उसी प्रशासन का विशेषज्ञ प्रायोग में बैठा दिया जाए। हिन्तु यह मुभाव विशेष उपयोगी नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि डॉक्टर की मर्ती के समय एक डॉक्टर वो प्रायोग में बैठाया जाएगा तो वह विवित समय तथा साधारणकार की एक विवित प्रक्रिया में उम्मीदवार की योग्यता का पूरा परिचय प्राप्त नहीं कर पाता। इसके परिणाम, प्रायोग में विशेषज्ञ की नियुक्ति देश को उस विशेषज्ञ की सेवायां से बचने कर देती। उचित यह होता है कि विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए तत्त्वदृढ़ विशेषज्ञों का ही एक घनम प्रायोग गठित कर दिया जाए।

## भारत में सेवीवर्ग की भर्ती : मूल सिद्धान्त, ग्रहनताएं और प्रणालियाँ (Recruitment of Public Personnel in India : Basic Principles, Qualifications and Methods)

स्वतन्त्र भारत में लोकसेवकों की भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली नीति का लक्ष्य काफी समय तक पक्षपात्र और भाई-भनीज्ञाद को समाप्त करना रहा है। यह भर्ती नीति का नकारात्मक पहनू है। इसमें प्रत्याजियों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने पर जोर दिया जाता है। समय व्यनीज होने के साथ ही सेवीवर्ग की भर्ती के लिए भारारात्मक नीति का अपनाया जाना भी आवश्यक बनता गया। तदनुसार योग्य कमचारियों की भर्ती के लिए रिक्त स्थानों पर समृच्छित एवं प्राकर्षक विज्ञापन दिया जाता है, उच्च श्रेणी की तथा विश्वसनीय प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। विजेप भभिकरणां द्वारा नियोजित भर्ती वार्दंकों का विकास दिया जाता है चयनकर्ता भभिकरण तथा मन्त्रालयों के बीच सक्रिय महायोग की स्थापना की जाती है। सकारात्मक भर्ती के लिए इस गणना की गति एवं प्रभाव मनोवज्ञनक नहीं रहे। चिन्तनीय तथ्य यह है कि हमारे देश में नवीन तथा राज्य स्तरीय सोइसेवा आयोग सूचनः घूर्णी रो बाहर रखने का ही प्रयास करते रहे हैं। उनके प्रयासों का सुभाव उच्च श्रेणी के पदाधिकारी प्राप्त करने की अपेक्षा भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने पर अधिक रहता है। यहाँ हम भारत में लोकसेवकों की भर्ती के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे।

### भारत में भर्ती के मूल सिद्धान्त

1. लोकसेवकों की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है। योग्यता की जानकारी के लिए सुनी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था हो।

2. भर्ती करने वाली संस्था की रचना में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वह संस्था राजनीतिक प्रभावों से अप्रभावित रह कर विष्वकर्मा के अपना कार्य सम्पादित कर सके।

3. प्रत्यक्ष भर्ती की होती है और पदोन्नति द्वारा भी रिक्त स्थान भरे जाते हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का अनुपात प्राय सेवा की प्रहृति पर आधारित रहता है। पदोन्नति की तुद सीमाएं हैं। तुद पद विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रहृति के होते हैं जिनका दायित्व योग्य भीर सक्षम व्यक्तियों को ही मोर्पा जाता है।

4. तुद पद के बहुत पदोन्नति के लिए ही मुरक्कित रखे जाते हैं। उदाहरणार्थ राजस्थान राज्य सचिवालय अनुसार पदाधिकारियों के पद पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं। ऐन्ड्र में अनुभाग प्रधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष भर्ती की जाती है।

### पदाधिकारियों की आवश्यक योग्यताएँ

मध्ये लोकसेवानिक देशों की भाँति भारत में भी लोकसेवामों के लिए दो प्रकार की आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित हो गई हैं—

(क) सामान्य (General), एवं

(ख) विशिष्ट (Special)।

(क) सामान्य योग्यताएँ या अर्हताएँ (General Qualifications)—

भारत में लोकसेवामा वे लिए सामान्य योग्यताएँ या अर्हताएँ इस प्रकार हैं—

1. भारत में लोकसेवा के लिए आवेदन करने वाला वे लिए राज्य का नागरिक होना आवश्यक है। विदेशियों को सामान्यतया लोकसेवा में हासिल नहीं दिया जाता, यदि किसी विदेशी को नियुक्त कर भी लिया जाता है तो उसका बायंसाल थोड़े समय के लिए ही होता है। भारत में नेपाल के प्रजाजन के लिए भी लोकसेवा के पदों पर नियुक्ति की सुविधाएँ हैं।

2. भारत में घरिवास (Domicile) या निवास (Residence) नियम कुछ नमद पूर्वतः नागर्य ये वरन्तु लोक सेवा योजना '(निवास सम्बन्धी आवश्यकता) घरिवासम्, 1957 [Public Employment (Requirement as to Residence) Act 1957] द्वारा लोक नियुक्तियों के घरिवासम् प्रतिवर्त्यो वा अन्न कर दिया गया है। इस घरिवासम् में देश की लोकसेवामों में प्रवेश के सम्बन्ध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान कर देश की प्रशासकीय एकता को सुरक्षा बनाया है तथापि प्रधार प्रदेश के नेतृत्वाना शेष में दुख सेवामों में मुश्कियों को ही भर्ती के घरिवास प्राप्त हैं। मुरीदी तेलगाना शेष के स्थाई निवासी हैं।

3. निवास-भेद की अर्हता के सम्बन्ध में भारत में स्थो-पूर्व सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी भागलों में समान अवसर प्राप्त है। सविधान में साप्ट रूप से इच्छित है कि "सभी नागरिकों को राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति दियवा नियुक्ति सम्बन्धी मामलों में समान अवसर प्राप्त होये।" मार्तीय सोस-सेवामा भी इनीष्यों घरिवासाधिक प्रवेश पाकर अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही है।

4. भारत में 16 से 28 वर्ष की आयु के युवक लोकसेवामा में प्रवेश करते हैं परंपरा विशिष्ट हृत्या सम्बन्धी सेवामों के लिए अनुभवी व्यक्तियों को भी नियुक्ति दिया जाता है।

(ख) विशिष्ट योग्यताएँ या अर्हताएँ (Special Qualifications)—

भारत में लोकसेवामों के लिए विशिष्ट योग्यताएँ या अर्हताएँ इस प्रकार हैं—

1. शिशा सम्बन्धी अर्हतामों के बारे में भारतीय प्रणाली वर्तन दुर्घटित द्याव है। भारत में मोटे तौर पर प्रशासनिक सेवामा में प्रवेश के लिए प्रतिवार्य निमननम अर्हता करना या विशुद्ध दिक्षान वी विश्वविद्यालयी दिल्ली है। रिरिर द्वेषदर्दी (रिम्मरदर्दी) वे श्वेत यात्रने के लिए दूरननम अर्हता दर्दिक (दृष्टी दशा या भाष्यदिक परीक्षा या उसके समान) है।

सामान्यतः यह भास्त्रोद्धर्मा की जाती रही है कि भारत में लोकसेवामा के

लिए प्रचलित भर्ती-प्रणाली बहुत बड़ी सहजा में लोगों को विश्वविद्यालय की डिग्री पाने हेतु अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करती है। फक्कर्डरूप विश्वविद्यालयों में न केवल छात्रों की भरमार हो जाती है। इन्हें भौतिक स्तर भी जिर जाता है। इसके अनिरिक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा लिपिक या कवकी सेवाओं के लिए कोई विशेषण भी नहीं रखती। इस दिग्गज में जाँच और प्रनिवेदन ग्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल, 1955 में लोकसेवा (भर्ती के लिए आहंनाम) समिति<sup>1</sup> की स्थापना की थी। सरकार ने कुछ सशोधन के साथ समिति की तिकारियें स्वीकार कर ली थीं। सरकार के नियंत्रों के अनुमार अब नियिको, केन्द्रीय थेणी तृनीय एवं राज्य के अधीनस्त गैर-लिपिकों के पदों के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री द्वारा दिया जाता है। उच्च बंगे लिपिक और केन्द्रीय तृनीय थेणों के गैर-लिपिक पदों के लिए आवेदकों के पास इन्टरमीडिएट सीनियर कॉमिशन या उच्चार माध्यमिक प्रामाण-पत्र होना अपेक्षित है। विश्वविद्यालय की डिग्री अवित्त भारतीय एवं केन्द्रीय थेणी प्रथम (Central Class I), केन्द्रीय थेणी द्वितीय (Central Class II), राजपत्रित तथा अराजपत्रित, राज्य थेणी द्वितीय (State Class II-राजपत्रित) तथा राज्य की अधीनस्त (State Subordinate—राजपत्रित) सेवाओं के लिए आवश्यक है। केन्द्रीय थेणी द्वितीय (अराजपत्रित) और राज्य की अधीनस्त (राजपत्रित) 'सेवाओं के लिए आयु सीमा 20 से 26 वर्ष तथा राज्य थेणी द्वितीय (राजपत्रित) के लिए आयु-सीमा 21 से 26 वर्ष रखी गई है। 1979 से एक प्रत्याशी को लक्ष्यतार सेवा प्रैनियोगी परीक्षा में तीन बार तर्क बंदों की झूट है और साथ ही इन परीक्षाओं में बैठने की आयु 21 से 28 वर्ष तक रखी गई है।

2. प्राविधिक सेवाओं ने लिए धनुषद को एक बौद्धीय ग्रहना समझा जाता है।

3. अतिगत ग्रहनाओं पर काफी ध्यान दिया जाता है, वशेकि यह समझा जाता है कि एक लोकसेवक ये निष्पादक वीं योग्यता, चतुरता, मुक्ति, ईमानदारी, क्षमता और दूसरों के साथ मिल-जुलकर काम करने के गुण अवश्य होते चाहिए।

4. भारत सरकार अब अर्थशास्त्रवेत्ताओं, सांख्यिको, लेखापानी, कानूनी प्राक्षण्डाताओं, इजीनियरों वैज्ञानिकों तथा ऐसे ही अन्य प्राविधिक वर्मचारियों की ज्ञानकीय सेवा में अधिकारिक भर्ती कर रही है। भारत जैसे देशोंमें देश में काफी बड़ी सम्या में साधान्व (Generalist) प्रजानकों और प्राविधिक या तकनीकी (Technical) प्रशासकों की जर्नी तथा प्रशिक्षित करना आवश्यक है। प्राविधिकों के महत्व को उचित मान्यता देकर सामान्य और विशेषज्ञ-दोनों के ही दोनों द्वारा समाधान किया जाना चाहिए।

योग्यताएं या ग्रहनाएं निविच्छित करने की रीतियाँ

प्रशासकीय तथा अनेक निष्पादकीय या कार्यपालक सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष भर्ती सामान्यतया सघीय लोक सेवा प्रायोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के

आधार पर होनी है। यह परीक्षा IFS, IAS, IPS, IAAS जैसी कई सेवाधोर्मो के लिए संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। पराक्रांतियों की आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तक बी है। इसमें केवल विश्वविद्यालय के स्नातक (दी ए या बी एम-सी या इनके समकक्ष डिप्लोमा प्राप्त) ही भाग ले सकते हैं, मेटिक्सन छात्रों के अन्य स्नातक, इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। इस परीक्षा में उच्च स्तर का परीक्षण तो होता ही है, व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में सधीय लोकसेवा आयोग 'व्यक्तित्व का परीक्षण' भी करता है।

प्रतियोगी परीक्षा 1978 तक दो कमियों से प्रस्तृ थी—प्रथम, परीक्षाविधियों की सहाया में कमी-बेशी थी और द्वितीय, प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा में बैठने की दूष्ट थी—प्रारम्भिक छेँटनी बी कोई व्यवस्था नहीं थी। छेँटनी बी व्यवस्था न होने से अभ्यर्थियों की तस्वीर बेनहाशा बड़नी जाती थी। स्थिति यहीं तक पहुंच गई कि भवीय लोकसेवा आयोग बी 40,000 अभ्यर्थियों का सामना करना पड़ने लगा जबकि रिक्त स्थानों की कुल संख्या 400 से अधिक नहीं होती थी। इस रिटाइर्मेंट को दूर करने तथा अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से भवीय लोकसेवा आयोग ने 1975 में डा. डी. एम. कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की। इस समिति का काम था—प्राई ए. एम. तथा उच्चनर लोकसेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षा के रूप पर आनी हिकारिश प्रस्तुत कर लें। समिति ने मार्च, 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। कोठारी बाबू की मिकारिशों को कुछ संगोष्ठनों और परिवर्तनों के साथ केंद्रीय सरकार ने दिसंबर, 1978 में मान लिया और एनस्वरूप भर्ती बी नई परीक्षा प्रणाली 1979 से लागू हो गई। प्राई ए. एम. तथा उच्चनर लोकसेवाधोर्मो में भर्ती बी इस नवीन परीक्षा प्रणाली का मार्गनित बरुंग डॉ. घरस्थी एवं महेश्वरी ने निम्नानुसार चिह्नित किया है—

उच्चनर लोकसेवाधोर्मो में भर्ती बी परीक्षा में वे सभी भाग्यवीय नायरिट बैठ सकते हैं जो 21-28 वर्ष के हों तथा बी ए या इसके समकक्ष डिप्लोमा विए हुए हों। अनुमूलिक जानियों तथा अनुमूलिक जन-जानियों के लिए आयु में कुछ छूट दी गई है।

प्रतियोगी परीक्षा दो भागों में बैठती है। प्रथमेक अध्यर्थी एक प्रारम्भिक परीक्षा में बैठना है और जो इस परीक्षा में सफल होने हैं वे ही प्रमुख परीक्षा में बैठ सकते हैं। प्रारम्भिक परीक्षा वेवल घटनादायक है, इसमें घर प्रमुख परीक्षा में नहीं जुटने हैं।

प्रारम्भिक परीक्षा दो विषयों में होती है तथा प्रथमेक विषय में एक प्रश्नपत्र होता है। प्रश्नपत्र मान्येविटव टाइप के होते हैं जिनमें सभी उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती है। 'मान्य घटनादायक' (General Studies) सभी के रिए अनिवार्य है, तथा इसके 150 घर का एक प्रश्नपत्र होता है। दूसरा विषय बैंडनिप्प है, और एक अध्यर्थी निम्न विषयों में से बोई १५ विषय से उत्तरा है। इसमें 300 घर हैं।

हृषिकेशस्व, वनस्पतिशास्त्र, रमायनशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, ग्रंथशास्त्र; इजीनियरिंग (सिविल इलेक्ट्रिकल या सेकेनिकल), भूगोल, भूतत्वशास्त्र, भारतीय इतिहास कानून, गणित, दर्शनशास्त्र, मोनिकशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, पनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा जीव विज्ञान।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि वही अध्यर्थी जो प्रारम्भिक परीक्षा में सफल हो जाता है, आगे की प्रमुख परीक्षा में बेठ सकता है अत प्रारम्भिक परीक्षा छोटनी करने की परीक्षा है। यदि यह छोटनी गलत हुई तो लोकसेवा का हानि होगी। साथ ही, प्रारम्भिक परीक्षा के जिनसे द्वार विद्यार्थियों के लिए सुल मर्क उतना ही अच्छा है। लेद व दुख की बात है कि लोक प्रशासन जैसा लोकप्रिय विषय प्रारम्भिक परीक्षा में नहीं रखा गया है। लोकसेवा में जाने के लिए लोक प्रशासन के विद्यार्थी की उपयुक्तता तो स्पष्ट ही है।

जैसा कहा जा चुका है, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अध्यर्थी ही प्रमुख परीक्षा में बेठ सकता है। इसमें लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों आते हैं। लिखित परीक्षा पाँच विषयों में होती है पर सब मिताकर 3 प्रश्नपत्र होते हैं। प्रत्येक प्रश्नपत्र के 300 अंक हैं। इन पाँच विषयों में एक भारतीय भाषा (हिन्दी, उड्डूंगुजराठी, मराठी, बंगाली, असमी, उडिया, पञ्जाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सिन्धी, कश्मीरी तथा नेपाली भाषा में से एन) अविकार्य है। साथ ही, अप्रेज़ी तथा सामान्य अध्ययन भी अविकार्य है। भारतीय भाषा तथा अप्रेज़ी म एक-एक प्रश्नपत्र है, परन्तु सामान्य अध्ययन में दो प्रश्नपत्र हैं। अध्यविधियों को दो बैकलिंग विषय लेने पड़ते हैं और प्रत्येक में दो प्रश्नपत्र होते हैं। ये दो विषय निम्न विषयों में से लिए जा सकते हैं—

- (1) हृषिकेशस्व,
- (2) वनस्पति विज्ञान;
- (3) रमायनशास्त्र;
- (4) सिविल इजीनियरिंग;
- (5) वाणिज्य तथा सेवाक्रम;
- (6) ग्रंथशास्त्र,
- (7) इलेक्ट्रोकल इजीनियरिंग;
- (8) भूगोल;
- (9) भूतत्वशास्त्र;
- (10) इतिहास,
- (11) कानून,
- (12) निम्न भाषाओं में से एक का साहित्य-हिन्दी, संस्कृत, उड्डूंगुजराठी, असमी, बंगाली, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलायलम, उडिया, पञ्जाबी, सिन्धी, तमिल, तेलुगु, घरवी, फारसी, बेंगल, हनोर या अप्रेज़ी।
- (13) प्रबन्ध व लोक प्रशासन;

- (14) यालिन,
- (15) मिकेनिकल इंजीनियरिंग,
- (16) दर्जनशास्त्र,
- (17) भौतिक विज्ञान,
- (18) समाजशास्त्र,
- (19) मनोविज्ञान,
- (20) राजनीतिशास्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध।

प्रम्यर्थी अप्रेजी तथा भाषा विषयों को थोड़कर अन्य विषयों में हिमी भी भारतीय भाषा में उत्तर दे सकते हैं। दूसरे भाषों में, हिन्दी पे उत्तर देन की व्यवस्था है।

निवित परीक्षा में मफ्ल होने वालों को माधात्वार (इण्टरव्यू) के निए कुनाया जाता है। यह इण्टरव्यू मध्य लोकसेवा आयोग द्वारा लिया जाता है, जिसमें प्रम्यर्थी से 30 मिनट के लघुभग विभिन्न विषयों पर वातालाप हिया जाता है। इण्टरव्यू के 250 प्रव छोड़े होते हैं। इण्टरव्यू बोर्ड में 7-8 मन्त्री होते हैं जो प्रम्यर्थी की शक्ति, योग्यता, निर्णय लेने की कृशकता आदि बाँहें छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। निवित परीक्षा तथा माधात्वार के बाक जोड़कर मेरिट-लिस्ट पर्याप्त सफ्ट स्कोरिंग विषयों की सूची तैयार की जाती है। इसी सूची में चया दिया जाता है कि कौन किस क्षेत्र में गया है। इसके बाद सान बढ़ाउर गार्ड्री नेशनल प्रशादमी घोंड एक्सिस्टेंशन, मसूरी में प्रशिक्षण प्रारम्भ हो जाता है।

प्रम्यविषयों को आई ए एस आदि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के अधिकतम तीन प्रवासर मिलते हैं। अनुमूलिक जाति तथा जनजाति के प्रम्यर्थी के लिए इन प्रवासरों की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई, इनके लिए उच्चतम निर्धारित शायू के पन्दर पे ब्रिटने भी प्रवासर लेना चाहें ले सकते हैं।

यह आई ए एस तथा उच्चनर मवामों में भर्ती की परीक्षा-प्रणाली है। इस प्रणाली में कोठारी कमटी की प्रवास मिलारिंग मान ली गई है, परन्तु कुछ मिलारिंगों को ठुकराया भी गया है। इस कमटी के प्रनुमार, विभिन्न सेवामों में बैठने की प्रक्रिया प्रशिक्षण के उपरान्त होनी चाहिए थी, परन्तु बेन्द्रीय सरकार ने यह नहीं माना।

### भर्ती की रोतियाँ

भारतीय संविधान के अन्तर्गत सधीय नोक्सेवा आयोग और राज्य सोसायेटा आयोगों की नियुक्ति का द्वावधान है। ये आयोग सरकारी सेवामों में भर्ती और सामान्य वायों के माध्य ही सधीय तथा राज्य सरकार म नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयं भर्ती के लिए प्रतियोगी देना है, नियुक्ति की अनिम सानि कायंकारियों के हाथ में है। सरकार आयोग के परामर्श दो योजित महत्व दे, इसे लिए संविधान में व्यवस्था है कि जब वभी

कार्यकारिगी आयोग के परामर्श के विपरीत कार्य करे तो इसके लिए वह व्यवस्थापिका वे समझ पपने कार्य के लिए समुचित कारण बताने को प्रस्तुत रहे।

अतिल भारतीय सेवा वेन्ड्रीय सेवा और प्रार्थीय सेवा में भर्ती प्रतिवर्ष खुली लिखित प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है। लिखित परीक्षा के बाद व्यक्तित्व की जाँच की वरीदा होती है जिसमें केवल उन्हीं प्रत्याशियों को ग्रामनित्रन किया जाता है, जो लिखित परीक्षा में निर्धारित अक प्राप्त कर लेते हैं। लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व जाँच के अक मिलाकर योग्यता निर्धारित की जाती है। अतिल भारतीय सेवा में भर्ती राज्यीय लोकसेवा और राज्यीय पुलिस सेवा वे स्वायी सदस्यों की पदोन्नति करके भी की जाती है। इसी तरह केन्द्रीय सेवाओं में भी वहाँ सो नियुक्तियाँ पदोन्नति द्वारा होती हैं। वेन्ड्रीय सचिवालय म सचिव, दरिद्रिक सचिव संयुक्त सचिव और इन पदों के समान स्तर बाते अन्य पदों पर नियुक्तियाँ भारतीय लोकसेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा केन्द्रीय सचिवालयी सेवा के सदस्यों के सीमित प्रबंधि पदोन्नति के आधार पर की जाती हैं। ये सभी चयन-पद हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भी पदोन्नतियाँ योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

स्पष्ट है कि भारत म शासकीय कर्मचारियों के चर्चन के लिए भर्ती की दोनों ही रीतियाँ—प्रम्दर से भर्ती तथा बाहर से भर्ती—प्रचलित हैं। भारत मे प्रत्यक्ष भर्ती प्रत्येक सेवक के निम्नतम पदों और युवक प्रवेशार्थियों तक ही सीमित है। इसके साथ ही स्थानी वा एक निरिचन अनुग्राम पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए प्रत्यक्ष से सुरक्षित कर दिया जाता है। सामान्य स्थिति यह है कि जैसे ही किसी सेवा या थेणी का महत्व बढ़ता है, प्रत्यक्ष भर्ती भी प्राय उसी अनुपात मे बढ़ जाती है। प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति वा अनुपात प्रत्येक सेवा, वर्ग एवं विभाग का अलग-अलग होता है। उदाहरणार्थ, आयकर विभाग मे 20 प्रतिशत स्थान पदोन्नति द्वारा और ऐप 80 प्रतिशत स्थान प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। केन्द्रीय सरकार मे उच्च थेणी के लिपिको (U D C or Clerk Grade I) के लगभग सभी स्थान अब निम्न थेणी के लिपिको (L D C. or Clerk Grade II) की पदोन्नति करके भरे जाते हैं। अतिल भारतीय सेवाओं हेतु भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा वा आयोजन करके प्रत्यक्ष भर्ती की व्यवस्था है। लेकिन कुछ पद पदोन्नति द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (I A S) मे राज्यों के प्रशासनिक सेवा के सदस्यों म भी पदोन्नति की जाती है। प्रबंध थेणी की सेवाओं के सहान्य मे प्राय 25 से 30 प्रतिशत तक स्थान निम्न सेवाओं से पदोन्नत व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहे जाते हैं।

अतिल भारतीय और केन्द्रीय सेवा के अतिरिक्त कुछ सेवाओं वे रिवाय पदों वी भर्ती विभाग के माध्यम से प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है। इस भर्ती मे लिए लिखित परीक्षाएं नहीं होनी, परम्परा शैक्षणिक योग्यता, पनुमत, व्यक्तिगत वृत्त और मोगिक जाँच के आधार पर प्रत्याशियों को चुन लिया जाता है जिसमें मुख्य तौर पर आयोग वा एक सदस्य, एक या दो विजेताओं और सम्बन्धित मन्त्रालय के प्रतिनिधि होते हैं।

**परीक्षा योजना—**उच्च लोकसेवा के लिए विद्यारो की परिपक्वता, बोधिक प्रशिक्षण और गुद्ध ज्ञान आवश्यक है, यह इन गुणो की जीव के लिए लोकसेवा आयोग प्रतिक्रिया प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करते हैं। परीक्षणो की योजना भूष्यत इन विद्यारो पर प्राधारित है—

(१) एक ऐसी लिखित परीक्षा होनी चाहिए जिसके द्वारा प्रत्याशियों की विद्यार्थीता, निर्णय-गति, स्पष्ट व्याख्या करने की क्षमता और सामान्य ज्ञान की जीव की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्याशियों को तीन अनिवार्य प्रश्नपत्र (Compulsory Papers) में बैठना होता है—(१) निवाप (Essay) (२) सामान्य अंग्रेजी (General English) (३) सामान्य ज्ञान (General Knowledge)।

(२) एक लिखित परीक्षा द्वारा प्रश्नाशी की बोधिक अपना प्रौढ़ कालीन उपलिष्यों की जीव होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्याशी को बैहिक विषयों (Optional Subjects) में से कुछ में परीक्षा देनी होती है—इनिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र विधि एवं प्राकृतिक विज्ञान के विषय। भारतीय प्रशान्तिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के लिए प्रतियोगी ममी प्राप्ताशीयों को अनिवार्य प्रश्नपत्रों के हाथ में बोई दो विषय लेने होते हैं।

(३) प्रत्याशी ने बैंयविनियुक्तों की जीव के लिए माझात्कार (Interview) की व्यवस्था होनी चाहिए, इन बैंयविनियुक्तों में कुछ गम मानविक गुण सम्मिलित होने चाहिए जीव लिखित परीक्षा द्वारा सम्भव नहीं हानी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु माझात्कार परीक्षाएं ली जाती हैं।

निम्न परीक्षाएं प्रत्याशी की बोधिक माज सज्जा और योग्यता की जीव करती हैं, उमस अन्य महत्वपूर्ण बैंयविनियुक्त और मानविक गुणों की जीव तो साझात्कार आद्यवा मौखिक परीक्षा द्वारा ही सम्भव है। डॉ मिद्डन के अनुसार “माझात्कार का उद्देश्य योग्य एवं निष्पक्ष प्रेषकर” के बोड द्वारा इन वात की जीव करता होता है कि क्या प्रत्याशी उम सेवा या उन सेवाओं के लिए व्यवितरण है या उपयुक्त है जिसके लिए कि उमने प्रारंभनामन दिया है। माझात्कार में उसे जिन गुणों की जीव की जाती है उन्हें भोटे तौर पर प्रत्याशी की मानविक क्षमता या मूल्यांकित कहा जा सकता है.....। उमके लिए गुणों की जीव की जाती है उम से कुछ है—मानविक तत्परता, संपादने आद्यवा मात्रमात्र करने (Assimilation) की प्राप्तीकरणात्मक शक्तियाँ, स्पष्ट एवं तर्जनुग्रह अनिवार्यता (Exposition), मनुष्यित निर्णय, हितों की विधिना एवं गहनता, सामाजिक सम्पर्क एवं नेतृत्व की योग्यता, बोधिक एवं नीतिक सत्यविष्टा। माझात्कार की विधि का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्याशी से घटावह ग्रहण धूखे जाएं बल्कि एक ऐसी माझात्कार एवं उद्गम्पूर्ण बांधीत हो जिसमें द्वारा प्रत्याशी के मानविक गुणों का पता लग सके।

विज्ञापन करने प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती—प्रतिव भारतीय और बैन्डीय सेवा के अनिवार्य कुछ मवार्थों के लिए वहों की भर्ती विज्ञापन करना प्रतियोगिता के आधार पर भी हो जाती है। इन नहीं के लिए निम्न परीक्षाएं

नहीं होनी वरन् शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, व्यविनाशन कृत और मौखिक जीवि के आधार पर प्रश्नांशियों को चुन लिया जाता है। भर्ती का यह कार्य लोकसेवा आयोग के चयन मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें मुख्य तौर पर आयोग का एक सदस्य, एक या दो विषय विशेषज्ञ और सम्बन्धित मन्त्रालय के प्रतिनिधि होते हैं।

### भारत में भर्ती के अभिकरण : संघीय लोकसेवा आयोग (Agencies of Recruitment in India Union Public Service Commission)

भारत में लोकसेवाओं की भर्ती करने वाले मुख्य अभिकरण ये हैं—संघीय लोकसेवा आयोग राज्य लोकसेवा आयोग, रेलवे सेवा आयोग तथा सांविधानिक नियमों के लिए निजी भर्ती मण्डल अववा आयोग। इम प्रकार के भर्ती आयोगों का अपना महत्व है। ये राजनीतिक एवं अभ्यं प्रमाणियों को भर्ती की प्रक्रिया से दूर रखते हैं तथा योग्य कर्मचारियों के चयन को सम्भव बनाते हैं। भारत में प्रथम लोकसेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया था और 1976 में आयोग की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी।

लोकतान्त्रिक राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं में लोकसेवा आयोग के पार्षदम से नियुक्तियाँ करना एक सर्वविदित सिद्धान्त है। इसके अनुसार, भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 315 के अन्तर्गत वेद्य तथा सभी राज्यों के लिए-एक लोकसेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, किन्तु इसमें दो घटवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोकसेवा आयोग की भी अनुमति दी गई है बशर्ते कि तत्सम्बन्धी राज्यों के विधान-मण्डल के सदन अववा सदनों द्वारा इस प्राण्य का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया हो। इस मापदण्ड में तसद् एक कानून द्वारा उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त सेवा आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था कर सकती है। राज्य केन्द्रीय लोक-सेवा आयोग से भी अपनी ओर से कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं और केन्द्रीय लोकसेवा आयोग राष्ट्रपति की स्वीकृति से ऐक्य कर सकता है। संविधान में लोकसेवा आयोग के बारे में विस्तार से उपबन्ध भाग 14 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 से 323 में दिए गए हैं।

### संघीय लोकसेवा आयोग का संगठन

संविधान के अनुच्छेद 313(1) में व्यवस्था है कि—

“लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, तथा यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी।”

भारतीय संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। सदस्यों की संख्या तथा सेवा की शर्तें विभिन्न प्रकाशसभीय प्रकानों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। 1983 के अन्त में सदस्यों (अध्यक्ष सहित) की संख्या 8 थी जबकि संवीकृत पद-संख्या 9 है।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> शास्त्रीय एवं प्रशासनिक मुद्रार विभाग, दूह मन्त्रालय की शास्त्रीय लिटोट 1983-84, p. 63

संविधान में व्यवस्था है कि स्थायी अध्यक्ष के चुनी पर होने परवाना जिसी भी बारण से बायं न करने की स्थिति में उस रिक्त स्थान पर आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसे एक सदस्य को बायंवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है जिसे राष्ट्रपति (लघीय आयोग या समुक्त आयोग की प्रबल्ला में) नियुक्त करे। राज्य आयोग की प्रबल्ला में राज्यपाल ऐसे कायंवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

लोकसेवा आयोग के मदस्यों का बायंकाल, पद-भार पहुँच करने की तारीख से 6 वर्ष तक अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, होता है। राज्य आयोग या समुक्त आयोग की सूरत में 65 वर्ष की जगह 60 वर्ष की आयु का प्रावधान है। सघीय लोकसेवा का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल से पूर्व ही राष्ट्रपति वो सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर महिने लेख द्वारा पद व्याग कर सकता है। बुराचार (Misbehaviour) के आधार पर भी आयोग के मदस्य को हटाने या निलम्बित करने या किए जाने का प्रावधान संविधान में है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया का विवरण अनुच्छेद 317 के स्पष्ट (1), (2), (3), (4) में दिया गया है। संविधान की व्यवस्थाओं का सारांश यह है कि आयोग के मदस्यों को दुराचार के निए राष्ट्रपति वो आदेश द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। दुराचार को प्रमाणित करने की प्रक्रिया संविधान द्वारा निश्चित की गई है। राष्ट्रपति द्वारा यह विषय सर्वोच्च न्यायालय के पास विचारायं प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 145 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जीव करने के बाद न्यायालय राष्ट्रपति के समझ अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इस जीव के पूर्ण होने तक के समय में राष्ट्रपति उन सदस्यों को आयोग से निलम्बित (Suspend) कर सकता है। प्रतिवित कारणों वे उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी मदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है—(1) यदि वह अवित्त दिवानिया (Insolvent) मिल हो, (2) यदि वह अपने कार्यकाल में अपने पद से मिश्र द्वारा कोई सर्वेतनिक पद हस्तीकार कर ले, (3) यदि राष्ट्रपति वे विचार में वह अवित्त मन घबबा गरीब के अध्यक्षता के बारण प्रपने पद पर बायं करने के लिए असम्भव हो गया हो, एवं (4) यदि भारत सरकार अपना राज्य सरकार द्वारा अपना इनकी ओर से किए गए इसी ठेके अपना बरार के साथ उमड़ा (एक निर्गमित वक्ष्यनी के गावारण्य मदस्य को छोड़) अन्य कोई सम्बन्ध हो अपना उम्मे वह कोई साम्राज्य करता हो।<sup>1</sup>

संघीय आयोग या समुक्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति और राज्य प्राप्ता वे बारे में उम राज्य का राज्यपाल विनियम द्वारा आयोग की मरण, उनकी मवा या शर्तों प्राप्ति का निर्धारण करता है। आयोग के सदस्य की सेवा-शर्तों में उनकी नियुक्ति से बाद ऐसे परिवर्तन नहीं होते जो उम्मे लिए लाभहारी हो।

1 एवं शी शर्तों; भारत का हितान, पृ. 315-16.

पुनर्नियुक्ति, अन्य पद धारण करने आदि के सम्बन्ध में व्यवस्था

1 अनुच्छेद 316(3) के अनुसार लोकसेवा आयोग के सदस्य को, उसकी पदाधिकी की समाप्ति पर, उस पर पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता।

2 अनुच्छेद 319 के अन्तर्गत लोकसेवा आयोग के सदस्य के अपने पद पर न रहने पर अन्य लोकसेवा आयोग के सदस्य उसके पतिवन्ध लगाए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

(क) “सभ लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष भारत मरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और लोकसेवा के लिए प्रयोग होगा।”

(ख) “राज्य के लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष सभ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य के लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिए पात्र न होगा।”

(ग) “सभ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य मध्य लोकसेवा आयोग के रूप में अथवा राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिए पात्र न होगा।”

(घ) “किसी राज्य के लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य मध्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य राज्य के लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वा पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिए पात्र न होगा।”

सभ लोकसेवा आयोग की शक्तियाँ, कार्य एवं भूमिका

(Powers, Functions & Role of the U P S C)

लोकसेवा आयोग के वार्य संविधान के अनुच्छेद 320 में तो यिनाए ही नए हैं, किन्तु संविधान के अनुच्छेद 321 में यह व्यवस्था भी दी गई है कि सभ और राज्य विधान-मण्डल त्रिमश विधिद्वारा सभ तथा राज्य लोकसेवा आयोगों वो मध्य जो या राज्य को सेवायों के बारे में तथा किसी ल्पानीय प्रार्थकारी अथवा निम्नी सार्वजनिक संस्था की सेवायों के बारे में अतिरिक्त कार्य सौंप सकते हैं। चाहतव में लोकसेवा आयोग के सांविधानिक त्रौत मुहूरत, तीन हैं—

(इ) संसद द्वारा फिर कानून, जैसे टैरीटोरियल अधिनियम, 1956, द्वितीय नियमित व्यापोरेशन अधिनियम 1959 आदि, जिनके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि इन संस्थायों के उच्च पदों पर भर्ती मध्य लोकसेवा आयोग द्वारा

कराई जाएगी; (ख) नियम, रेग्लेशन्स तथा कार्यपालिका के प्रादेश, (ग) अभियान, जेमे सविधान द्वारा सेवा प्रो की भर्ती का कार्य आयोग को यद्यपि नहीं ली गया है किन्तु आयोग 1948 से ही कॅडेट्स (Cadets) की भर्ती के लिए नियमित परीक्षाप्रो का आयोजन करता रहा है और विशेष घोषणा वाले यंत्रानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के पूल (Pool) की भर्ती में भी आयोग भाग लेता है।

सधीय लोकसेवा आयोग के प्रमुख कार्यों का विवरण डॉ भास्मरी ने निमानुपार किया है—

1. भर्ती के तरीकों तथा सिविल अधिकारी असंनिक सेवाप्रो का तथा असंनिक पदों पर सीधी अदान पदोनति (Promotion) द्वारा नियुक्ति करने में भरताएं जाने वाले मिट्टानों से सम्बन्धित उभी मामलों पर सरकार को परामर्श देना।

2. नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण आदि के लिए प्रत्यागियों की उपयुक्तता (Suitability) के सम्बन्ध में परामर्श देना।

3. सेवाप्रो पर नियुक्ति वरने के लिए परीक्षाप्रो का मायालन करना।

4. लोकसेवकों को प्रभावित वरने वाले अनुशासनात्मक मामलों के सम्बन्ध में परामर्श देना।

5. सोह सेवा के किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य-पालन के द्विषय एवं कार्यों के सम्बन्ध में उसके विलम्ब की गई किन्हीं कानूनी कार्यवाहियों में जो लाचार उमे परनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है उनके दावे के सम्बन्ध में तथा इसी लोक सेवक द्वारा नियुक्ति-वेतन अधिकारों के लिए विए जान वाले उस दावे के सम्बन्ध में परामर्श देना जो कि वह अपने उत्तरदावित्वा का पालन वरने ममय चाट खाने की स्थिति में करता है।

6. अन्य बोर्ड ऐसा मामला जो हि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विशेष स्पष्ट से उनको ली जाए।

इस बात की व्यवहार्यता है कि ससद द्वारा अधिकारी राज्य विधान मण्डल द्वारा नियम सरकारी सेवाप्रो के ही सम्बन्ध में नहीं, बल्कि उन सेवाप्रो के सम्बन्ध में भी जो हि स्थानीय प्राधिकारियों (Local Authorities), नियमो (Corporations) अथवा सार्वजनिक संस्थाप्रो के प्रबोन हो, आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकेगा।

आयोग के कार्यशोष में कुछ पदों को अन्य वरने इसका अधिकार-देव दम दिया जा सकता है। नियमनिवित नियुक्तियों के चुनाव के सम्बन्ध में आयोग ने बोर्ड परामर्श नहीं दिया जाना—

(क) न्यायिकरण (Tribunals) अधिकारी आयोग की गद्दीना अधिकार अध्यक्षता।

(८) उच्च राजनीतिक प्रकृति के पद।

(९) तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के प्रविक्षण कर्मचारी, जिनकी महत्वा ऐन्ड सरकार के सम्बंधियों की कुल संख्या की १५८ प्रतिशत है, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं।

अप्रतिलिपि दसाओं के अन्तर्गत इन्हीं भी अनुशासन के मामले के सम्बन्ध में दिए जाने वाले आदेश के विषय में आयोग में परामर्श किया जाता है—

(१०) निम्नलिखित में से कोई भी दण्ड देने वाली स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा मूल आदेश जारी वरन के सम्बन्ध में—

1. निन्दा,

2. पदोन्नति अथवा वैनन्-चूदियाँ रोकना,

3. लापरवाही अथवा आदेशों का उल्लंघन करने के दारण सरकार द्वारा होने वाली किसी भी आदिक हानि का पूरण अथवा आंशिक भाग कर्मचारी के वैनन से वसूल वरना,

4. किसी वडी सेवा से निम्न सेवा में निम्न, पदब्रम अथवा पद पर अथवा निम्न समय-मान में या समय मान में निम्न स्तर पर लाया जाना,

5. अनिवार्य सेवा-निवृत्ति;

6. सेवा से हटाया जाना,

7. सेवा से पदच्युति (Dismissal)।

उपरोक्त हिसी भी दण्ड के सम्बन्ध में किसी प्रतीनिष्ठ मत्ता द्वारा दिए गए आदेश के विषद्द की गई याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा दिया गया आदेश :

(११) राष्ट्रपति या अधीनस्त सत्ता द्वारा उपरोक्त किसी भी दण्ड को लागू करने के लिए दिए गए आदेश में, याचिका या स्मरण-पत्र के आवार पर पुनर्विचार करने वे पश्चात् सशोधन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिया गया आदेश। आयोग सरकार को दिन मामलों के सम्बन्ध में जलाह देना है वे हैं—भर्ती के तरीके, नियुक्ति, पदोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरण इए जाने के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले सिद्धान्त प्रौढ़ एंसो नियुक्तियों, पदोन्नतियों वया बदलियों वे सम्बन्ध में प्रत्याशियों की उपलब्धता। निम्न मामलों में भी यह सरकार वो परामर्श देना है—

1. अनुशासन सम्बन्धी ऐसे सभी मामले जो मारत सरकार के कार्य करने वाले सिविल सेवकों को प्रमाणित करते हैं, जिनमें ऐसे मामलों से सम्बन्धित स्मरण-पत्र अथवा याचिकाएँ भी सम्मिलित हैं,

2. किसी भी सफ्टमर द्वारा दिया गया यह दावा है कि पदाधिकारी के हृष से दिए गए कार्य के सम्बन्ध में उसके विषद्द जो कानूनी कार्यवाहियों की गई है उनसे बचाव में लगी लागत को सरकार वहन नहीं, और

3 मरकारी बायं करते ममप नवी ओटो के सम्बन्ध में देशन के पुरस्कार सम्बन्धी बोई दावे तथा ऐसे पुरस्कार की मात्रा से सम्बन्धित बोई भी प्रश्न ।

सधीय लोकसेवा आयोग द्वारा समय समय पर विशेष बायों के तिन समितियाँ गठित की जाती हैं। लोकसेवा आयोग वर्षांति परामर्शदात्री सम्पाद्यां (Advisory Bodies) हैं, तथापि उनकी मिकारिशो प्राय ठुकराई नहीं जाती। यस्तु ये मिकारिशो परामर्शदात्री (Mandatory) होती तो सम्बन्धित इस प्रसाचशाली रहती, बयोकि तब मरकार और आयोग के बीच विवाद उठते रहने और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का ख़य हो जाता है, जिसमें दोनों ही एक से अधिक के अल्पगत प्रतिदूती सम्पाद्य बनवार पाक दूसरे पर अपनी इच्छा मानने का प्रयत्न करती। आयोग की मिकारिशो दो समुक्ति प्रत्यक्ष दिया जाए और सरकार उपेभाभाव न बरते दूसरे सिए नविधान में समदीय विषयालग स्थापित किया है। इसका आयोग का प्रतिवेदन मरकारी ज्ञापन सहित सद के समक्ष प्रतिवर्प्य प्रनिवार्पने प्रस्तुत हिया जाता है।

लोकसेवा आयोग के कार्यकलाल कुल मिसावर काफी निष्पक्ष और सराहनीय रहे हैं। कुछ ऐओ भ इस प्रकार के आयोग लगाए जाते हैं कि आयोग के मद्दयों पर अधिकार अधिकार दीप्ति के कारण राजनीतिक नेताओं द्वारा दबाव, डाला जाता है। यह भी आयोग लगाया जाता है कि आयोग अधिकारित उन्हीं प्रत्याशियों का दबाव करता है जो अच्छे शिक्षालयों म पढ़े हए होते हैं, केंद्र और राज्यों से सम्बद्ध होते हैं तथा अपेक्षी में अपने विचारों को भली प्रकार व्यक्त कर सकत हैं। यह भारोप भी लगाया जाता है कि वई बार आयोग के अध्यक्ष और मद्दयों के बीच आपसी संघर्ष या तनाव बना रहता है और प्रत्याशी के बार म आयोग का मूल्यांकन बाल्यांकन नहीं रह पाता। इन प्रकार की आलोचनाएं अवशाल स्पष्ट में कुछ घबराहो पर मढ़ी हो सकती हैं, लेकिन मामाम्यवदा आयोग ने घरने वालों का निर्वहन राजनीतिक दबाव। और पश्चात स परे रहने वाले रखा है।

### आयोग के प्रतिवेदन

(1) सधीय आयोग का यह बत्तेष्य होगा कि राष्ट्रपति को घरने द्वारा दिए गए काम के बारे म प्रतिवर्प्य प्रतिवेदन दे तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलन पर राष्ट्रपति इन मामलों के बारे में, यदि बोई हो, जिनमें आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के बारणा को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के महिने उस प्रतिवेदन की प्रतिनिधि मसद के प्रत्येक सदक के समक्ष रखदाएंगा।

(2) राज्य आयोग का मह बत्तेष्य होगा कि राज्य के राज्यपाल दो घरने द्वारा दिए गए काम के बारे में प्रतिवर्प्य प्रतिवेदन दे तथा मयुक्त आयोग (Joint Commission) का बत्तेष्य होगा कि ऐसे राज्यों में प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उद्देश आयोग द्वारा ही त्रानी है, राज्यपाल को उस राज्य के गवर्नर में घरने द्वारा दिए गए काम के बारे में प्रतिवर्प्य प्रतिवेदन दे तथा इनमें

ऐ प्रत्येक अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यास्तिविधि राजपाल उन मामलों के बार में, यदि कोई हो जिनमें कि प्रायोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है ऐसी अस्वीकृति के कारणों द्वारा स्पष्ट करते थाले जापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिविधि राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवाएगा।

सरकार द्वारा इस बात की स्वतन्त्रता होती है कि यह प्रायोग द्वारा दो गई सलाह को स्वीकार प्रथा अस्वीकार करे, परन्तु एक ऐसी प्रवस्था है जिसके अनुसार सरकार से यह मांग की जाती है कि वह आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करते समय, उन कारणों वा भी स्पष्टीकरण करे कि कुछ विशिष्ट मामलों में प्रायोग की सलाह यथो स्वीकार नहीं बीं जा सकी। आयोग वीं सलाह की उपेक्षा करके सरकार द्वारा बीं जाने वाली मनमानी कार्यवाही के बिल्द यह एक मुरक्खा है।

आयोग का निर्माण संविधान (Constitution) के द्वारा किया गया था। इस बात के लिए सभी उचित सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई थी कि इसको सभी प्रकार के अनुचित प्रमाणों से बचाए रखा जा सके और उसको इस योग्य बनाया जा सके कि जिससे यह अपने निर्धारित कर्त्तव्यों को निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा (Integrity) तथा विना भय या पश्चात के स्वतन्त्रता के साथ पूरा कर सके।<sup>1</sup>

#### आयोग का मूल्यांकन

सधीय लोकसेवा आयोग भारत में सेवीवर्ग प्रशासन का केन्द्रीय अभिकरण बन गुज़ा है। अतः इसकी कमियाँ तथा दोष लोकसेवाओं के दोष तथा कमियों के रूप में प्रतिक्रिया होते हैं। आयोग वीं कार्य प्रक्रिया एवं परिणामों की दृष्टि में मुख्यतः निम्नलिखित ग्राहोप किए जाते हैं—

(i) आयोग द्वारा आयोजित मौखिक परीक्षाओं तथा व्यक्तित्व परीक्षाओं में शहरी तथा असेंजी स्कूलों से प्राए प्रत्याशियों को देहाती प्रत्याशियों वीं अपेक्षा अधिक प्रथम दिया जाता है।

(ii) इसके द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के कारण केवल उच्च परिवारों के घनी प्रत्याशियों को ही उच्च सेवामो में प्रवेश मिल पाता है। ढौं भास्त्री ने लोकसेवा आयोग वो बन्द मौकरशाही निगम (Closed Bureaucratic Corporation) बहा है जो अपने भर्ती के तरीको द्वारा स्थापित सामाजिक नौकरशाही व्यवस्था को निरन्तर बनाए रखता है।

(iii) आयोग का कार्यमार अधिक है। वह सदैव अपने नियमित कार्यों में ही व्यस्त रहत वीं कारण भर्ती नीतियों में अधिक नए प्रयोग नहीं बढ़ता।

(iv) सरकारी कर्मचारियों वीं भर्ती में आयोग की भूमिका धरनत सीमित है। भारी सम्या में सरकारी पद इसके द्वेषाधिकार से बाहर-रहते हैं। इसके

<sup>1</sup> डॉ. वड्र प्रकाश मामली : दोक प्रशासन : विद्यात तथा व्यवहार, पृ. 478-480

अधिकारिक रैन्वे सेवा आयोग, डाक एवं तार मेवा मण्डल, विमानीय भर्ती अभिकरण, स्थापना वार्षिक, वेन्ट्रीय स्थापना वार्षिक, विमानीय स्थापना वार्षिक यादि भी लोकसेवाओं में भर्ती का कार्य सम्पन्न करते हैं।

(v) राज्यों में लोकसेवा आयोग को अपेक्षित महस्त्र नहीं दिया जाता। राज्य भरकारे जब तब आयोग के दोषाविकार के पदों को इससे छीनती रहती हैं। अभी वही आयोग के नियुक्ति सम्बन्धी सुभावों को अस्वीकार भी कर दिया जाता है।

(vi) मारत में लोकसेवा आयोग का हाईकोर्ट एवं कार्य प्रक्रिया अभी तक मूल हृषि से नकारात्मक है। यह घूटों को हूँ रखने का ही प्रयत्न बरता है। इन्हें द्वारा रिक्त पदों के लिए इए जाने वाले विज्ञापन योग्य तथा कुशल अध्यापिका को आवश्यित नहीं कर दिये।

(vii) आयोग की परीक्षा प्रणाली अद्यता दूषित है। इसके द्वारा अन्याशी वा बहुतुगन मूल्यकिण नहीं हो पाता बरत् पक्षपान नई-भतीजावाद, भृष्टाचार एवं योग्यता के विषद् खालवाजो को प्रोत्साहन आदि इच्छितयों बढ़ जाती हैं।

(viii) लोकसेवाओं में अनुशासन भी स्थापना की हाई सेन्ट्रीय गतिकर्ता आयोग लोकसेवा आयोग के साथ प्रतियोगी की भूमिका निभाता है। यदि इसी दर से मासूम में ये दाता अभिकरण अलग अलग गत प्रकट करे तो इसकी राय यो माना जाएगा यह एक सौविधानिक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है।

**कुछ अधिकारिक सुझाव (Some Practical Suggestions)**—उपरोक्त आलोचनाओं की गृहितमूलि भ लोकसेवा आयोग द्यावन अधिकार वर्त्तन्वी एवं दावित्वा वा पालन सम्बोधनकर हृषि से नहीं कर पाता। इस अधिकार सभाम तथा सरक बनाने के लिए समय-समय पर सोइ-प्रशासन के विद्वान् द्वारा अनेक सुझाव प्रस्तुत रिए गए हैं—

1. **आपोग्यमुख सेवाएँ**—सम्मेलन में तत्वावेदन प्रधान मर्ती श्रीमनी इन्दिरा गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि रोजगार नीति इस प्रकार दी अपवाहि जाए, ति लोकसेवाओं में अधिक से अधिक आपोग्यमुख प्रत्याजी शामिल हो सकें तथा जो लोग गांधी म साम करता चाहते हैं उन्ह अधिक अवमर मिल सकें। यह नीति इसी अ दर्शन पर नहीं बरत् वास्तविक यथार्थ पर आधारित है। देश की अधिकारीग जनसम्या गांधी मे रहती है तथा हमारी अर्थव्यवस्था हिं-प्रधान है, इन दिनी भी लाइनेज को सामान्य जनना वे योग्य बनाने वे रिए यह आवश्यक है, यि ऐने अधिकारी नियुक्त रिए जाएं जो गांधी मे बंदा हुए हो तथा गांधी को अच्छी प्रहार समझते हैं। यह कार्य राज्य तथा राजीव निर के लोकसेवा आयोग पर महत्व है।

2. **रिज्जा एवं आर्किशाप्टों के साप सामन्दर्श्य**—देश की परिस्थितियों एवं सोग श्री महावर्षीश्वर इवन्द्रिय के बाद शासी बदल चुकी है, यत् वेन्ट्रीय लोकसेवा आयोग के साप-साप राज्यों वे सेवकसेवा आयोगों को भी भर्ती वार्ष-

प्रणाली तथा संगठन पर पुनर्विचार करना चाहिए। आयोग को देश की जिक्षागति के साथ भी तात्पुर रखना होगा। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ न. प्रार विद्वाई के इच्छानुसार 'जिक्षा की अधिक मुद्रिताओं के बारे में युवकों की आवाजाएं काफी बढ़ गई हैं। इन्हे देखते हुए आयोग उस सीमित कायदेत्र में अपनी मूमिका मुश्किल से ही निभा न केंगा जो इसके लिए तीन दशहू पूर्व बनाया गया था।'" गैलिंग सम्बादी से भारी सूचा में युवक निकल कर आते हैं। इनके बारे में लोकसेवा आयोगों वा कार्य जटिल हो गया है। वे एक विचित्र भौति पर मौजूद हैं तथा ऐसे पह है कि विश्वविद्यालय का प्रबाल पत्र पाने ही व्यक्ति नीकरी की तलाश करने लगता है। इस प्रणाली में मुद्धार के लिए जिक्षा-प्रणाली वा पुनर्गठन करना आवश्यक है।

**3 समान मापदण्ड निर्धारित किए जाएं—**लोकसेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर जिन पदों को रखा जाए, सरकार द्वारा आयोग के परामर्श के बिना हिम पद पर तियुक्तियों की जाएं नई भर्ती तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में एकत्रका वायंवाही पर रोक लगाई जाए, राज्य सरकारें लोकसेवा आयोग से नियन्त्रक परामर्श लेती रहे आदि वातों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य मापदण्ड तथा लिए जाने चाहिए जिनका अनुशोधन समान रूप से सभी आयोग करें। युवक लोकसेवा आयोगों की कुशलता एवं नियन्त्रकों के बारे में कई बार शिक्षायें की जाती हैं। इसके प्रतिरिक्ष एवं राज्यों में आयोग की सिफारिशों को ताक पर रख कर सरकार भनमाने निर्णीप लेनी है, अब यह आवश्यक है कि राज्य लोकसेवा आयोग के क्षेत्राधिकार व सम्बन्ध में एक जैसी नीति निर्धारित कर ली जाए।

**4 राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा—**लोकसेवाओं में भर्ती के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि आज 100 में से लगभग 95 प्रत्याशी लघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रवृत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के रोजगार के लिए एक ही परीक्षा का प्रायोगिक विद्या जाता तो इन प्रवृत्तीर्ण घटनों में से एक तिहाई को विभिन्न प्रकार के कारों ने समाया जा सकता था। इस प्रकार की परीक्षाओं का धोधित्य यह है कि प्रत्याशियों को अलग-अलग और दियों के लिए आवेदन करते समय बार-बार एवं ही प्रकार की परीक्षा में बैठना पड़ता है। इसमें बन, समय और प्रत्याशियों के समय का अपव्यय होता है। यदि ऐसी घोरना बनाई जाए जिसमें प्रतिवर्ष नीकरी चाहने वाले सभी छात्रों को केवल एवं बार परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए और उसी परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें योग्यतानुसार अलग-द्वंद्व नीकरियों पर भेजा जाए तो आज की अवधिवस्था समाप्त हो सकती है। ये राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षाएं विदेशों में काम कर रहे युवकों के लिए भी लाभदायक हो सकती हैं जो प्राप्त देश लौटना चाहते हैं।

जहाँ तक प्रतिभा के प्रत्यापन का सम्बन्ध है उसके बारे में डॉ विद्वाई का यह विचार था कि भारत के सामने ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। हमारे यहाँ विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवकों की पर्याप्त सूचा है तथा हम चाहते हैं

कि ये अधिक से अधिक मात्रा में विकासशील देशों के विकास कार्यों में योद्धान करें। विदेशों में मार्गनीयों वे बाम बरने के एकमात्र स्रोत से ही आज हमारे देश को लगभग 120 करोड़ रु प्रतिवर्ष की विदेशी मुद्रा की प्राप्त होनी है। यदि प्रयास किया जाए तो यह आब दम गुनी हो जानी है।

राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा एवं प्रयोगिक विद्या है। इसके द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानव जनिक वा पूरा मदुपयोग किया जा सकेगा। इससे रोजगार के दृष्टिकोण को तुरन्त रोजगार पिल सकेगा तथा विभिन्न अनुसासनों एवं अवसरायों में उपलब्धियों के राष्ट्रीय मानक स्थापित हो सकेंगे। इसके साथ ही यह अवसर्या पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान कर सकेंगे। नियुक्तिकरणियों को उनके रिक्त पदों के लिए पृथक् से परीक्षाएँ विना आपोजित निए ही योग्य प्रत्याशी प्राप्त हो जाते हैं। इससे शिक्षा वा स्नात ऊचा उठेगा तथा अध्ययन के प्रति उद्देश्यपूर्णता का भाव जापन होगा।

5 पिछले बारों का प्रतिनिधित्व—मार्गीय सविधान द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रत्याशियों को परीक्षामो तथा नीवरिया में बुद्ध सुविधाएँ तथा ग्रियायत्रे देने वा केंद्रीय किया गया है। अवहार म अनुसूचित जातियों के लिए जो स्थान मुरक्खित रखे जाते हैं वे नो ममी भर जाते हैं विन्तु जनजातियों के स्थानों के लिए पर्याप्त प्रत्याशी ही नहीं मिल पाते।

उपरोक्त स्थिति वे करते हुए यह गुनाव दिया जाता है कि लोकसेवा आपोजोगी की परीक्षामो में बैठने से पहले इन जातियों के प्रत्याशियों को पर्याप्त स्थान से प्रगिक्षण दिया जाता। तैयारी के प्रगिक्षण की मुविधाएँ देश के बड़े-बड़े नगरों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6 आपोजोग आपने परम्परागत तरीकों एवं कार्य-प्रतियामों की वर्मजोगियों वे बारे म सदैव सावधानता रखे तथा भर्ती एवं चयन के क्षेत्र में नए तरीक़, प्रतिपाएवं साधन अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहे।

7 आपोजोग को चाहिए कि भर्ती और चयन के बारे म दूसरे देशों म आपनाएँ गए तरीकों वा तुननात्मक अध्ययन करे तथा उपयोगी बातों को स्वयं अपनाएँ।

8 रिति रैथानों के विज्ञापन के तरीकों तथा तकनीकों म सुधार दिया जाए तथा योग्य प्रत्याशी दृढ़ता दे निए अन्य आवश्यक तरीके अपनाएँ जाएँ।

9 आकामक सवीकरण नीतियों अपनाई जानी चाहिए।

10 आपोजोग आपने दक्षिणित दाविदों के मन्दिरों म अपने कर्मचारियों का व्यापारीयीकरण कर। आपोजोग वे योग्य, प्रगिक्षित एवं दुश्मन कर्मचारी ही इनके अपनाने कार्यों को गम्भीर बनाएँ। जब तब स्वयं चयनकर्ता ही योग्य तथा ईमानदार नहीं होगे तब तब यह आगा नहीं की जा सकती कि वे ईमानदार, करीक, कार्यकुर्ता तथा योग्य प्रत्याशियों का चयन कर सकेंगे।

सुनीत दिलेश्वरो वा १८१ मार्चेन इमानदार, १९५३ व सौ दिनों के दृष्टा वा विषया उद्घाटन वै-टीप पूर्वमन्त्री ने दिया वा और विदाई नामह गृह

यही इस बात को ध्यान में रखना मगत होगा कि विभिन्न प्रतिवेदियोंना परीक्षापो के लिए अनुमूलिक जानियो/अनुमूलिक जनजातियों के उम्मीदवारों का तंपार करने के लिए 60 शिखण्ड बैच्छ भी सोने गए हैं और जनजातियों के जमाव वाले थे जो म परीक्षा के बैच्छ भी सोने गए हैं जिसमें कि ऐसी प्रतिवेदियोंना परीक्षापो में बैठने म अनुमूलिक जानियो/अनुमूलिक जनजातियों के उम्मीदवारों को अधिक सहुलियत हो सके।

ममृह 'ष' तथा 'ष' के मौतकनीकी पदों और अर्थ-नक्कनीकी पदों की आरक्षणीयता को सीधी भवी में भवते के लिए मानव स्वर में दृट देने के बावजूद भी यदि अनुमूलिक जानियो/अनुमूलिक जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होते हों तो चयन प्राधिकारियों को चाहिए विवेचनुमूलिक जाति/पनुमूलिक जनजाति के जो उम्मीदवार विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरी करते हों, उनमें मैं मर्वोनम उम्मीदवारों को आरक्षणीयता की सीमा तक चुन लें और 'परिवेक्षण' के आधार पर नियुक्त कर लें और उसके बाद उन्हें कार्यान्वय के भीतर मैत्राकानीव प्रणित्यशण दें जिसमें कि प्रशासन की कार्यक्रमता बनाए रखने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को अपेक्षित न्यूनतम मानव स्वर तक लाया जा सके।

पदोन्नति में आरक्षण—अनुसूचित जानियो/अनुमूलिक जनजातियों के लिए (i) सभी प्रेडो और सभी समूहों में उपयुक्तता की जाने पर वरिष्ठता द्वारा, (ii) ममृह 'स', 'ष' तथा 'ष' में सीमित विचारणीय परीक्षा द्वारा और (iii) ममृह 'क' के निम्नतम स्वर तक चयन द्वारा की जाने वाली पदोन्नति में भारक्षण सागू है। यथोपि ममृह 'क' के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में कोई विचारणीय परीक्षा नहीं है, किंतु भी पदोन्नति के इस क्षेत्र में अनुमूलिक जानियो/अनुमूलिक जनजातियों के अधिकारियों को विशेष रियायत प्राप्त है। सरकार ने इस आशय के अनुदेश त्वारी लिए हैं विवेचन 2250—प्रति माह वे अधिकतम बेनन वाले समृह 'क' के पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति के लिए अनुमूलिक जानियो/अनुमूलिक जनजातियों के उन अधिकारियों को, जो पदोन्नति के लिए विचारणा क्षेत्र में इतने वरिष्ठ हैं। और रितियों की उस सहजा के भीतर आते हों जिनके लिए प्रवर सूची तंयार की जा रही हो, उन्हें प्रवर सूची म जामिल कर निया जाए हिम्मत जाने यह है कि वे पदोन्नति के लिए अनुपर्युक्त न समझे जाएं। इस तरह के भी द्वावधान हैं विवरण के सामान्य क्षेत्र के भीतर जब अनुमूलिक जानियो/अनुमूलिक जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त मत्त्वा में उपलब्ध न हो तो वरण के क्षेत्र दो बड़ाकर रितियों की मस्त्या से पौच गुणा कर दिया जाए और वरण के बड़ाए गए क्षेत्र के भीतर आने वाले अनुमूलिक जानियो/अनुमूलिक जनजातियों के एसे उम्मीदवारों पर भी उनके लिए मारक्षण रितियों के लिए विचार किया जाना चाहिए। अनुमूलिक जानियो/अनुमूलिक जनजातियों के उम्मीदवारों के हित म अब यह भी प्रावधान निया देता है कि अनुमूलिक जानियो/अनुमूलिक जनजातियों के वे अधिकारी जो विचारण के बड़ाए गए क्षेत्र से भी चुने गए हों, उनकी वरिष्ठता वर्म नहीं ही

जाएगी अपिनु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनका जो पढ़क्रम निर्धारित किया गया है, उनमें अनुसार प्रबल सूची में अपना उचित स्थान बनाए रखेंगे। समूह 'ग' और 'घ' में चयन द्वारा पदोन्नति में अनुमतिवाली जानियो अनुमूलित जनजातियों के लिए विचारण का क्षेत्र अलग से लागू हिया जाता है (हालांकि विचारण के क्षेत्र का आकार बही रहता है) चयन द्वारा पदोन्नति में यदि सामाजिक मानदण्डों के अनुसार अनुमूलित जानियो अनुमूलित जनजातियों के उम्मीदवार अपेक्षित सहवा में उपलब्ध न हो तो इस अन्तर को पाठने के लिए इन समुदायों के ऐसे उम्मीदवारों को, उनके योग्यता क्रम पर विचार किए दिना चुन निया जाएगा जो विचारण के क्षेत्र में आते होंगे परं विदोन्नति के लिए उपयुक्त हो।

अधिकमण्ड के बारे में अनुमूलित जातियों/अनुमूलित जनजातियों को प्राप्त सुरक्षा—इस प्रागत्य के अनुदेश भी विद्यमान है कि यदि अनुमूलित जानियों/अनुमूलित जनजातियों के पाव्र उम्मीदवार उपलब्ध हो लेकिन उनके लिए आवश्यक रिक्तियों पर उनकी नियुक्ति न की जाए अथवा उन रिक्तियों के लिए उनका चयन न किया जाए तो अधिकमण्ड के लिए मामले (समूह 'क' पदोन्नति के मामले में) मध्यविधिन मन्त्री को प्रमुख विधि जारी प्रबल सूची (समूह 'स' की पदोन्नति के मामले में) को अनिम हृषि दिए जान के एक महीने की अवधि के भीतर मध्यविधिन मन्त्री दो रिपोर्ट दी जाए और समूह 'ग' तथा 'घ' पदों पर अथवा समूह 'ग' तथा 'घ' के भीतर पदोन्नति के मामले में इस विभागाध्यक्ष को बनाया जाना चाहिए और जहाँ विभागाध्यक्ष ही नियुक्ति प्राप्तिकारी हो वहाँ प्रशासनिक मन्त्रालय/विभागाध्यक्ष को बनाया जाना चाहिए। इन अनुदेशों को पदोन्नति में अनुमूलित जानियों/अनुमूलित जनजातियों के अधिकमण्ड के बारे में गुरुकार के हृषि में स्वीकार किया गया है।

विभागीय पदोन्नति समिति/चयन बोर्ड में अनुमूलित जातियों/अनुमूलित जनजातियों के सदस्य—सरकार ने इस प्रागत्य के प्रादेश भी जारी किए हैं कि मध्यविधिन/विभाग प्रपत्ते अधीन पदा और सेवाप्रो के लिए भर्ती/पदोन्नति के लिए, विशेष हृषि से जहाँ वही सम्भा में रिक्तियां अवैद्य एक ही समय में 30 या अधिक रिक्तियों के लिए भर्ती/पदोन्नति की जानी हो वहाँ विभागीय पदोन्नति समितिया/चयन बोर्डी द्वादिका पठन बरते समय अनुमूलित जानियों/अनुमूलित जनजातियों के अधिकारियों को नामिन बरते के लिए अधिकतम सम्भव सीमा तक प्रयास करें। समूह 'ग' तथा 'घ' पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के मध्यविधिन में यह प्रावधान किया गया है कि समिति का एक सदस्य दिसी ऐसे विभाग का होना चाहिए विभाग सम्बन्ध उस विभाग से न हो जहाँ पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है और इस तरह का बाहरी प्रतिनिधि अनुमूलित जानियों/अनुमूलित जनजातियों के समुदाय का अधिकारी होना चाहिए और ऐसा न होने पर उसी विभाग के अनुमूलित जानियों/अनुमूलित जनजातियों के हिस्से अधिकारी को विभागीय पदोन्नति हस्तित में नामिन किया जा सकता है। यदि दिसी भी वारण से,

विभागीय पदोन्नति समिति मे नामित किए जाने के लिए बाहरी सगठन या उसी विभाग का अनुमूलिक जातियो/अनुसूचित जनजातियो का कोई अधिकारी उपलब्ध न हो तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किए जाने से पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय वे सम्पर्क अधिकारी से इस आशय की पुष्टि करा ली जानी चाहिए कि विभागीय पदोन्नति समिति के लिए अनुमूलिक जातियो/अनुमूलिक जनजातियो के किसी अधिकारी को ढूँढ़ने के लिए सभी प्रयत्न किए गए हैं तेकिंजे इसमे सफलता नहीं मिली है।

**सदर्यं पदोन्नतियां—पद्यादि सामान्य स्थिति** यह है कि नोकहित मे अपरिहार्य स्थितियो मे ही तदर्यं पदोन्नतियो का सहारा लिया जाए फिर भी पहले यह प्रावधान किया गया था कि जहाँ ऐसी तदर्यं पदोन्नतियो की जाए वहाँ पदोन्नति के ध्वेत्र मे आने वाले अथ पात्र व्यक्तियो क साथ-साथ अनुमूलिक जातियो/अनुमूलिक जनजातियो के पात्र अधिकारियो के द्वारा पर भी विधिवत् विचार किया जाना चाहिए, हालाँकि ऐसी पदोन्नतियो मे अनुमूलिक जातियो/अनुसूचित जनजातियो के लिए कोई शोपचारिक आरक्षण नहीं होता था। अनुमूलिक जातियो/अनुमूलिक जनजातियो के उम्मीदवारो पर विचार करने के लिए अब विस्तृत मार्गदर्शी मिदान, जारी कर दिए गए हैं। इन मार्गदर्शी मिदान्तो के अधीन तदर्यं पदोन्नतियो के मामले मे भी अनुमूलिक जातियो/अनुमूलिक जनजातियो के हितो को पर्वाप्त संरक्षण प्रदान किया गया है।

**आरक्षण का अप्रेनीत किया जाना—सरकार द्वारा किए गए अधिकाधिक प्रयाम के दावजूद भी जब अनुमूलिक जातियो/अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवार पर्याप्त सह्या म उपतब्ध नहीं होते हैं तो ग्रामस्थि रिक्तियो को अनारक्षित करने की अनुमति दी जाती है ताकि अनुमूलिक जातियो/अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारो की कमी से अनमती रह गई रिक्तियो के बारह सरकारी रोकान्त्र मे कमी न आने पाए। ऐसे अनारक्षण के कलस्वरूप सामान्य वर्षो के उम्मीदवारो की नियुक्ति अनुज्ञेय है। साथ ही साथ सभी मामलो मे (समूह 'ग' से समूह 'ख' मे, समूह 'ख' के भीनर और समूह 'ख' से समूह 'क' के निम्नतर स्तर पर चयन द्वारा पदोन्नति दो छोड़कर) तीन अनुवर्ती भर्ती वर्षो तक आरक्षण को अप्रेनीत करने की प्रक्रिया द्वारा अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारो के हितो दो सरक्षण भी प्रदान किया जाता है। जब भी रिक्तियो तीन अनुवर्ती भर्ती वर्षो तक अप्रेनीत की जाती है तो अप्रेनीत किए जाने के तीसरे और अन्तिम वर्ष मे यह आरक्षण अनुमूलिक जातियो और अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारो के बीच अदला-ददली करने योग्य बन जाती है। चयन द्वारा पदोन्नति मे समूह 'ग' से समूह 'ख' मे समूह 'ख' के भीनर तथा समूह 'ख' से समूह 'क' के निम्नतम स्तर मे चयन द्वारा पदोन्नति मे अप्रेनीत किए जाने का लाभ उपलब्ध नहीं है और अनुमूलिक जातियो तथा अनुसूचित जनजातियो के बीच एक ही वर्ष मे रिक्तियो की अदला-ददली भी जा सकती है।**

इस आशय के अनुदेशों को पुन दोहराया गया है कि भारताण, छूट तथा अन्य रियायतों के माध्यम मे सिविल सेवाओं तथा पदों मे अनुमूचित जानियों/अनुमूचित जनजानियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न नियमों तथा आदेशों का कठाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि जानवृक्ष वर नियमों के उल्लंघन, लापरवाही प्रथा गलतियाँ किए जाने को गम्भीरता से दिया जाएगा तथा जो अधिकारी भारताण आदेशों का उल्लंघन करे उनके बिल्ड बारंबाई की जानी चाहिए।

सरकारी उद्यम स्थूरो वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किए राष्ट्रपति के निदेशों के अनुगाम भारताण की योजना को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों मे भी सागृ किया गया है। मन्त्रालयों/विभागों से वहा गया है कि वे उन जातों मे भारताण के लिए एक उपयुक्त प्रावधान समिक्षित कर से जिनके अधीन उनके नियन्त्रणाधीन स्वेच्छिद्व अभिकरणों को सहायता अनुदान दिया जाना है।

सरकार ने एक प्रापारिक बचाना बनाई है जिसमे रोस्टर समर्क अधिकारी विशेष एक्ज जैमे विभिन्न तन्त्र समिक्षित हैं जो अनुमूचित जानियों तथा अनुमूचित जनजानियों के लिए किए गए भारताणों छूटा तथा अन्य रियायतों को सरकार बदान बरने हैं “जो सभी बैन्डीय सेवाओं म अनुमूचित जानियों तथा अनुमूचित जनजानियों के लिए भारताण सम्बन्धी विवरणिका” छठा सस्करण मे सहायता किए गए हैं। इस विवरणिका को और अधिक सूचनात्मक तथा उपयोगी बनाने के लिए इसे पूर्णत संशोधित कर दिया गया है। अनुमूचित जानियों/अनुमूचित जनजानियों के प्रायुत, अनुमूचित जानियों/अनुमूचित जनजानियों सम्बन्धी घायोग, अनुमूचित जानियों अनुमूचित जनजानियों की कम्बाण सम्बन्धी समीकर समिति जैसे संस्थागत सरकार भी विद्यमान हैं जो अनुमूचित जानियों/अनुमूचित जनजानियों के लिए भारताण से सम्बन्धित सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के कालर ढग मे सागृ बरने पर संगतार नजर रखत हैं। वे सरकार को नई नीतियों बनाने के सम्बन्ध मे भी सहाय देने हैं।

जैसा कि नीते दिए आदेशों से देखा जाएगा 1-1-1965 से 1-1-1982 वे दोरान अनुमूचित जानियों तथा अनुमूचित जनजानियों की सम्पूर्ण सरकार मे तथा बैन्डीय सेवाओं के सभी वगों (धेणियो) मे कम्बारियों की युव सस्या म उनके प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता मे निरन्तर वृद्धि होनी रही है—

संग्रह	इन्द्रियों की बुल संख्या	अनुमूलिक जाति	प्रतिशतता	अनुमूलिक जनजाति	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1-1-1965 को स्थिति					
क (थेटी I)	19,379	318	1.64	52	0.27
घ (धर्मी II)	30,621	864	2.82	103	0.34
ग (धर्मी III)	10,82,278	96,114	8.88	12,390	1.14
ष (थेटी IV)	11,32,517	2,01,073	17.75	38,444	3.39
(साकाई वालों को छोड़कर)					
कुल	22,64,795	2,98,369	13.17	50,989	2.25
1-1-1975 को स्थिति					
क (थेटी I)	35,061	1,201	3.43	218	0.62
घ (धर्मी II)	54,129	2,695	4.98	322	0.59
ग (धर्मी III)	16,25,826	1,74,119	10.71	36,893	2.27
ष (थेटी IV)	12,38,818	2,30,864	18.64	49,464	3.99
(साकाई वालों को छोड़कर)			-		
कुल	29,53,834	4,08,879	13.84	86,897	2.94
1	2	3	4	5	6
1-1-1982 को स्थिति					
क (थेटी I)	54,265	2,980	5.49	633	1.17
घ (धर्मी II)	66,221	5,970	9.02	947	1.43
ग (धर्मी III)	19,09,805	2,55,730	13.39	65,278	3.47
ष (थेटी IV)	10,94,569	2,56,261	23.41	81,496	7.45
(साकाई वालों को छोड़कर)					
कुल	31,24,860	5,20,941	16.67	1,49,354	4.78

1-1-1982 को समूह 'घ' में उनका प्रतिनिधित्व 23.41% या 1 समूह 'ग' में भी उनका प्रतिनिधित्व आरक्षणीय की अविल आरक्षीय प्रतिशतता ओ 13.39% है, से बहुत नीचे नहीं है। समूह 'क' तथा 'घ' सेवामो में प्रतिशतता भी रक्षित से अनुमूलिक जातियों के घटके अभी बांधित स्तर से नीचे ही हैं, तो भी यह इहना अप्राप्यताका न होता हि 1-1-1965 की तुलना में, दोन समुदायों की वास्तविक संख्या में 6 से 9 गुणा तक की वृद्धि हो गई है।

पर्यं 1965 से 1982 के दौरान अनुमूलिक जातियों/अनुमूलिक जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वास्तविक संख्या में धोर प्रतिशतता में—दोनो ही इटियों में वृद्धि हुई है। प्रतिनिधित्व सारणी से यह तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है—

पर्याप्ति	प्राप्ति पूर्ण करने वाले	कल्पना में दर्शि		प्राप्ति विवरण अवलोकन		संक्षेप में दर्शि	
		1965 में	1982 में	प्राप्ति पूर्ण करना	1965 में	1982 में	
₹	318	2980	2662	837 10	52	633	581
₹	864	5970	510	590 97	103	547	644
₹	96114	255664	159550	166 00	12390	66278	53888
₹	201073	256261	55188	27 45	38444	81496	43052
₹	298369	520875	222500	74 57	50939	149354	98365
				—	—	—	192 91

हालाँकि ममू़ 'क' मे 1-1-1982 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 549 प्रतिशत तथा 117% है, परं भी यह घटना देने योग्य है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा मे उनका प्रतिनिधित्व काफी अच्छा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा मे अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 9.5% से और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 4% से अधिक है। भारतीय पुलिस सेवा मे अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 3 प्रतिशत से भी अधिक रहा है। उनके सम्बन्ध मे आँकडे नीचे दी गई सारणी मे दिए गए हैं—

कुल अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
1-1 1983 की स्थिति के अनुसार				
4236	404	9.54	181	4.27
2198	230	10.46	77	3.50

इन तीनों अखिल भारतीय सेवायों मे जर्नी की बर्तमान प्रवृत्ति यह भी प्रबट करती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करीब करीब सभी रिविटर्स अब इन समुदायों से सम्बन्धित डम्मीदवारों मे भरी जानी हैं—

वर्ष	भरी गई गिरियों की संख्या	धारणिन की जाने वाली अपेनिन संख्या		वास्तविक रूप से भरी गई संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6
भारतीय प्रशासनिक देश					
1979	122	18	10	18	10
1980	126	19	9	19	9
1981	128	19	10	18	9
1982	145	22	11	22	11
1983	156	24	11	21	11
भारतीय पुलिस सेवा					
1979	54	8	4	9	4
1980	51	9	4	6	4
1981	64	11	5	10	4
1982	64	11	6	10	6
1983	80	11	6	10	6
धारणिन वर्ण सेवा					
1979	87	12	7	12	7
1980	91	15	8	15	8
1981	93	15	8	15	8
1982	109	18	9	18	9
1983	120	18	9	17	8

## भारत में भर्ती की समस्याएं और सुधार के सुझाव (Problems of Recruitment in India and Suggestions for Improvement)

भारत में लोकसेवकों की भर्ती के लिए जो तरीके प्रचलित हैं, विभिन्न दोशों में उभयन्तरी मुहूर्त नियन्त्रित आनोचनाएँ की गई हैं—

1. भौतिक साक्षात्कार की जो पद्धति प्रचलित है, उसके तीन प्रधान दोष गिनाए गए हैं—

(क) यह पद्धति मनमानी (Arbitrary) है, क्योंकि भौतिक परीक्षा के अव (I. A. S. के लिए 300, I. F. S. के लिए 400, अन्य बैन्ड्रोय सेवाधो के लिए 200) पूर्णतया यायोग के सदस्यों की इच्छा पर निर्भर होते हैं। इस पद्धति द्वारा प्रत्याशी के व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ प्रयत्ना व्यक्ति निरपेक्ष जैव (Objective Test) नहीं की जा सकती। 20 या 30 मिनट में समाप्त हो जाने वाले साक्षात्कार में वैद्यतिक गुणों की जैव विस्तृ प्रकार से हो सकती है?

(ख) एक प्रत्याशी को उच्च मिडिन सेवा के लिए प्रतियोगिना करने के तीन प्रबन्ध प्राप्त होते हैं। प्राप्त ऐसा होता है कि मपने प्रथम वर्ष के साक्षात्कार में एक प्रत्याशी को 30 घण्टा 40 घण्टा प्राप्त होते हैं, किन्तु दूसरे या तीसरे वर्ष में वही प्रत्याशी 100 या 200 घण्टा प्राप्त कर सेता है, प्रश्न यह पैदा होता है कि एक या दो वर्ष की सक्षिप्त अवधि में उस प्रत्याशी के व्यक्तित्व में विस प्रकार इतनी तीव्र गति से सुधार हो गया?

(ग) भौतिक साक्षात्कार के समय चुनाव-मण्डल (Selection Board) के सदस्यों का व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि उसमें प्रत्याशी (Candidate) घबरा जाता है। सदस्य प्रत्याशी को जरा भी प्रोत्ताहित नहीं करते और प्रत्याशियों के व्यक्तित्व (Personality) की जैव यायोग के सदस्यों की आत्मनिष्ठा घण्टा घण्टा व्यक्ति सारेभ सावनाधों (Subjective feelings) के याधार पर ही की जाती है; भा प्र से (I. A. S.), भा वि से (I. F. S.), भा पु से (I. P. S.) व भा से तथा ते सेवा (I. A. and A. S.), यादि उच्च मिडिन सेवाधो में भर्ती की इस पद्धति के इस दोष का उल्लेख ए ढी शोरदाला ने भी किया था। उन्होंने कहा है कि “यह प्रथमत प्रावश्यक है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षाधो की महता घनुभव की जाए और जने-जने वे भौतिक परीक्षाधो का स्थान से से। अपरिवित प्रत्याशियों के साथ होने वाली पन्द्रह मिनट की बातचीत यद्यपि लोकसभा यायुक्तों वे व्यापक घनुभव से सबूढ़ होती है तथा यह उस कुशल मनोवैज्ञानिक परीक्षा का स्थान नहीं से सकती किम्बा उद्देश्य प्रत्याशी के मानविक गुणों तथा भावनात्मक रूपों पर एक वैज्ञानिक घन्नरैटिंग दानना है”।

2. परीक्षा के तरीके अद्यतन नहीं हैं। प्रश्नामनिष्ठ योगदानाधो की जानकारी के तरीके पूर्णत मनोवैज्ञानक नहीं हैं, विवरण द्वारा परीक्षा प्रणाली घासाइयित है, प्रश्नामनिष्ठ नहीं है।

3 भर्ती का विज्ञापनी तरीका अधिक प्रावृद्धक नहीं है। रिक्त स्थानों के विज्ञापन मीथे जब्दों में केवल मूचना मात्र होते हैं। वे कुशल विज्ञापनबाजों द्वारा जन-सम्पर्क के व्यक्तियों द्वारा नहीं निखे जाते।

4 यमी पदों पर लोकसेवा आयोग द्वारा नियुक्ति नहीं बी जाती। सरकार कुछ पदों को आयोग के सेवाधिकार से बाहर रख सकती है, अतः सम्मानवादी रहती है कि सरकार की शक्ति का दुष्प्रयोग करते हुए नियुक्ति करने वाला अधिकारी कुछ उम्मीदवारों का अनुचित पक्षपात करे।

5 अप्रूयोग द्वारा विभिन्न पदों पर प्रावृद्धक न्यूनतम योग्यताएँ कम रखी जाती हैं। फलस्वरूप हजारों उम्मीदवार प्रार्थी बन जाते हैं। उनके समय और शक्ति का अपव्यय होता है।

6 आयोग की सिफारिशों वाध्यकारी नहीं होतीं। सरकार पद्धति उनको प्रायः मान्यता देती है तथा वदाचित् ही प्रस्तीकार करती है, इन्हुंने भी पद्धति उदाहरण हैं जबकि सरकार ने आयोग की सिफारिश को ठुकरा दिया।

7 कुछ पद विशेष व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं। उनमें सम्बन्ध में आयोग पर यह प्रारोप लगाया जाता है कि वह विशेष पद वे-लिए योग्य व्यक्ति तलाश करते ही अपेक्षा व्यक्ति विशेष के लिए पद तलाश करता है।

8 कुछ पद जिनके लिए तकनीकी योग्यता प्रावृद्धक होती है, रिक्त ही रह जाते हैं वयोंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाते।

9 लिनिन परीक्षण-नीति के यमभीर दोष की ओर सरेन करते हुए गोरक्षाला ने लिखा है कि—“ये शिकायतें बहुधा की जाती हैं कि ऐच्छिक विद्ययों के लिए बनाए गए पत्रों का स्तर नीचा होता है और विक्षण काल में उन विद्ययों का प्रध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को उनका अनुचित लाभ मिलता है।” कभी-कभी ऐमा होता अपरिहायं है किन्तु जहाँ तक सम्भव हो परीक्षा में पर्चे ऐसे आने चाहिए कि सभी को यथासम्भव समान अवसर प्राप्त हो।

चुनाव पदनि की सामान्य अनुपयुक्तता पर टिप्पणी करते हुए नौल एप्लबी ने विशेष रूप से कहा है कि “जिस मानदण्ड को लेकर सोइसेवा आयोग कर्मचारी वर्ग का चयन करते हैं वह उपयुक्त नहीं है और परीक्षा लेने का दण तथा मूल्यांकन करने की तकनीकें आधुनिक नहीं हैं। चयन प्रायः एक विशेष प्रकार के लोगों द्वारा किया जाता है जो स्वभावतः भपने विशेष प्रकार के द्यावत् रखना चाहते हैं। विशेषित अभिलेखों तथा भनुभवी परीक्षकों के मूल्यांकनों के रूप में ही चुनाव अधिक होता है और लोक प्रशासन में भत्यन्त महत्वपूर्ण बहुत मी पन्थ पहलुओं की दृष्टि से तो बहुत ही कम।”“अन्य वालों पर तो चयन में नहीं के बराबर ही ध्यान दिया जाता है, सबसे अधिक ध्यान आत्मपूरक एवं प्राइमिंग विनाश की दामनों की ओर दिया जाता है।”<sup>1</sup>

1 परस्परी एवं बाहेवरी : वही, पृष्ठ 358,

## मुधार के मुमाल

1 साधात्कार पद्धति को व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए प्रो. फाइनर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित निदानों को घण्टाया जाना उचित है—

(अ) साधात्कार वी धर्वधि घण्टा घटा होनी चाहिए।

(आ) साधात्कार के मामय पूर्णतया प्रत्याशी की जैशापिक दृष्टि के ऐसे विषयों पर वाद-विवाद होना चाहिए जो कि उसके परीक्षा पाठ्यक्रम में उन्नियत हो।

(इ) साधात्कार को एक अनुपूरक परीक्षा (Supplementary Test) बनाया जाना चाहिए, चुनाव बरने को एक निर्णयिक (Decisive) परीक्षा नहीं।

(ई) साधात्कार माइल में एक व्यावहारिक प्रशासक तथा एक विश्वविद्यालय का प्रशासन होना चाहिए।

(उ) साधात्कार लिखित परीक्षा से पहले नहीं, बन्क वाद में होना चाहिए।

(क) जब तब कि साधात्कार का निर्णय न हो जाए तथा धक्का न दिए जाएं तब तक विश्वविद्यालय के शिक्षकों की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(ए) चूंकि साधात्कारों में अभी तक स्वेच्छाचारिता पाई जानी है, इनको सीमित करने के लिए साधात्कार के यदों की गत्या 300 से घटाकर 150 वर देनी चाहिए।

2 बुद्धि और कार्यवीक्षण परीक्षाएँ प्रत्याशियों की क्षमता एवं शोधता का प्रता धारने के लिए भी जाती हैं। प्रयत्न मह होना चाहिए कि इन परीक्षाओं में से भावात्मक तत्व (Subjective Element) को समाप्त किया जा सके। ऐसे प्रत्येक उपाय को घण्टना लेना चाहिए जो कि व्यक्ति-विभेद भाव से प्रत्याशियों की मोर्चनाओं का निर्वाचन कर सके। जब भी कोई दोष प्रकाश में आए तभी इन परीक्षाओं पर चुनविकार किया जाना चाहिए और इससे प्रतिरिक्त विसी भी परीक्षा को निर्णयित नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा पूर्णतया वैज्ञानिक, विश्वस्त, प्रामाणिक तथा मूर्ने-पूर्फ (Fool proof) नहीं होती।<sup>1</sup>

3 शोलवासा द्वे घनुभार, “परीक्षा में ऐसे वचे धारे चाहिए जो उम्मीदवारों के लिए समान होते हों और प्रश्न-पत्रों में वर्तमान की प्रेक्षा पाठ्यक्रम के सामान्य भाग में से प्राप्त धर्वधि घनुभास में धारे चाहिए, जिसमें सारेश गुणों का धर्वित एवं टीका-टाक भौतिकता दिया जा सके।”<sup>2</sup>

1 नम्बरेन डायर : वरी, वृष्ट 315-316.

2 वी. वी. चाम्परी : वरी, वृष्ट 434-35.

4 योग्यताओं के निर्धारण के लिए सोकसेवा आयोग में ऐसे सदस्य नियुक्त किए जाने चाहिए जिनका अक्षित्व बहुत ऊचे दर्जे का हो और जो राजनीतिक दलवानी के शिकार न हो सके।

5 भर्ती प्रथमा नियुक्ति में 'योग्यता के सिद्धान्त' को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए। राजकीय सेवा में दक्षता के लिए यह आवश्यक है कि नियुक्तियाँ धमता पर आधारित हों। कम खर्ची और दक्षता के उद्देश्य की पूर्ति तभी सम्भव है जब राजकीय सेवाओं को 'स्पॉर्टल्स' (Spoils) के कुप्रभावों से निकाल कर ऐसे व्यक्तियों से संगठित किया जाए जो उम क्षेत्र में सबसे अच्छे हों, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह प्राप्तवश्यक है कि नियुक्ति के ऐसे माध्यम खोजे जाएं और उन पर आमल किया जाए जिनसे केवल उपयुक्त व्यक्ति ही नियुक्त हो सके, तथा उन प्रभावों को रोका जा सके जो धमता के महत्व को गोए सिद्ध करके नियुक्ति को अन्य प्रकार से दरते हैं। धमता के तर्क में दो बातें निहित हैं—(1) प्रतियोगिताओं के आधार पर देवल योग्य व्यक्ति ही चुने जाएं (2) इसी भी प्रकार से योग्यता के माध्यम में नियुक्तियाँ न हों, ताकि राजकीय सेवा में दक्ष और बुद्धिमान व्यक्ति ही रहें।<sup>1</sup> योग्यता का 'सिद्धान्त' के प्रभावों को हम इह प्रकार रख सकते हैं—सोकसेवाओं में नियुक्ति का आधार प्रतियोगिता होगी—यह प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में यह निश्चित करेगी कि कौन व्यक्ति अधिक योग्यता रखता है—इस प्रतियोगिता में निष्ठतम गोक्षणिक योग्यता के आधार पर सभी नायरिकों को भाग लेने का अधिकार रहेगा। इस प्रकार की परीक्षाओं में दक्षता और निष्पक्षता रखने के लिए एक स्थूल-त्र स्थाया—सोकसेवा आयोग आदि के द्वारा ही प्रतियोगिता आदि मणित की जाएंगी, नोकसेवा आयोग परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति की सिफारिश दरेगा—नियुक्ति के उपरान्त, कार्यकाल, वेतन, सहानियतें तथा पदोन्नति एवं पदमुक्ति आदि वा आधार नोकसेवा के अधिनियम करेगे। इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति प्रत्यनी सफलता के लिए किसी के प्रति इतन नहीं होगा और इसी बारण वह अपने वायों में अधिक स्वतन्त्र व्यवहार रख सकेगा, वह यह अनुभव करेगा कि उसकी नियुक्ति का आधार उसकी अपनी योग्यता ही है।

6 कुछ क्षेत्रों में यह सुभाव भी दिया गया है कि सरकारी रोजरार को विश्वविद्यालय ही उपायि से असम्बद्ध बर दिया जाए। भारतीय प्रशासन सेवा ने प्रत्यालियों को स्कूली शिक्षा के बाद नोकरशाही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सेवीवर्ग प्रशासन विभाग के एक भूतपूर्व राज्य मन्त्री योगम भेहता द्वारा प्रस्तावित योग्यता के मनुमार केंद्रीय तथा राज्य प्रशासन सेवाओं के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के प्रशिक्षणीय विशेष रूप से नियमित स्थानों में प्रशिक्षित किए जाने चाहिए। हाथर संहण्डी स्तर पर अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा मार्ई ए एस के प्रत्यालियों का उद्घास कर दिया जाए स्थान इम्फे, चार० या चैत० अंडे के लिए एस. प्रशासनी में

1 यह, पृष्ठ 436.

रखा जाए। इस अकादमी का व्यापक रूप ठीक वैसा रखा जाएगा जैसा कि चडगवामना स्थित सेनिर अकादमी का है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप एक और तो विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए एकत्रित भीड़ कम हो जाएगी तथा दूसरी ओर विश्वविद्यालय वास्तव में उच्च शिक्षा के बेन्द्र बन सकेंगे।

7 लोकसेवायों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएँ मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञानों में ली जानी चाहिए। यदि योग्य और प्रतिभावाली प्रत्याशियों को लेने की वजह से यह न भी किया जा सके तो कम से कम प्रशिक्षण के समय तो अवश्य ही प्रत्याशी, को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों वालामध्येर अध्ययन करना चाहिए।

8 मार्कीय प्रशासन सेवा के उच्च ग्रेडग के लिए अधिक आयु के प्रत्याशियों में से भी नियमित रूप से भर्ती की जानी चाहिए। साइंशॉलिक एवं आयोजित शैक्षणिक विज्ञान के प्रतिभावाली लोगों की सेवाएँ प्राप्त भी जा सकें।

9 वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त अपेक्षी स्कूलों में पढ़े विद्यार्थी ही माफ़िल हो पाते हैं तथा देहानी प्रवाशियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिल पाना। प्रशासन को देहानी मम्मान देने के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षा में एवं प्रश्न-पत्र में सा जाए जो देहानी इलाकों के ज्ञान से सम्बन्धित हो। मार्गान्कार वे समय भी देहानी प्रत्याशी को प्रायविकास दी जानी चाहिए। चयन के बाद भी प्रत्याशी वो एक बर्च तक देहानी जीवन का ज्ञान कराया जाए।

### संविधीय निकायों के लिए भर्तियाँ (Recruitments for Statutory Bodies)

राज्य एवं संघीय सोसेवा आयोग ने बेकल मरकारी विभागों के लिए वरन् मन्य संविधीय निकायों के लिए भी वर्तमानियों की भर्ती करते हैं। 1974-75 में संघीय सोसेवा आयोग ने ऐसे निकायों जैसे दिल्ली नगर निगम, वर्मचारी राज्य चीमा निगम, वर्मचारी भवित्व निधि समाजिक प्राप्ति के लिए 986 पदों पर द्वारा होना है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेता सेवा आदि में नियुक्तियाँ प्रशासनिक सेवा की भाँति ही होती हैं। राजस्थान लोकसेवा प्रायोग द्वारा इन पदों पर मर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित भी जाती हैं। प्रनुसूचित जाति एवं अनेकानि के प्रत्याशियों को आयु में अधिकतम छूट पांच वर्ष की दी जाती है। प्रत्याशी वो जंशलिङ्ग दोषकाल कला, विज्ञान, वालिंग आदि विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षायों में बार अनिवार्य विषय—हिन्दी, अपेक्षी, सामान्य ज्ञान तथा प्रतिदिन का विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 ऐचिद्रूप विषयों का चयन करना होता है। प्रतियोगी परीक्षायों में बार योग्यता मूल्यों पर पाने वाले प्रत्याशियों के लिए हारिचंड्र मालुर मरकार, जयपुर में एक बर्च का प्रशिक्षण दिया जाता है। तमस्वराम् वे सेवीय प्रशिक्षण वे लिए जेव दिए जाते हैं।

प्रधीनस्थ सेवायों तथा लिपिकवर्गीय सेवायों में नियुक्तियाँ लिखित एवं साधारणत्वार्थ के आधार पर ही जानी हैं। 1 सितम्बर, 1984 से राजस्थान में इन सेवायों में प्रवेश की आयु 16 से 33 वर्ष तक है। राज्य सरकार जहाँ चाहे वही आयु सम्बन्धी दूट प्रदान कर सकती है। सभी थेणियों ही सेवायों में पदोन्नति हारा नियुक्ति की व्यवस्था की जानी है। पदोन्नति वा आधार प्रश्न-प्रोग्राम एवं अंशन वरिष्ठना है। बरिष्ठ लिपिक से उपर वे पद पर ही जाने वाली पदोन्नतियाँ विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर ही जानी हैं। रम्भारी की सेवा का विद्वान रिकार्ड देखने के बाद उनकी पदोन्नति का नियुक्ति विभागीय पदोन्नति रम्भिति हारा निया जाना है जिसकी अध्यक्षता राजस्थान लाइसेंस आयोग के अध्यक्ष अध्यक्ष विकासनिह मेंदा में ही जाती है। जब विकासनिह रम्भारी की पदोन्नति नारतीय प्रशासनिह मेंदा में ही जाती है तो पदोन्नति समिति का सभापतित सभीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अध्यक्ष अग्न्य विकासनिह सदस्य हारा किया जाता है। पदोन्नति हारा भर्ती का नियनीश विभिन्न सेवायों में अलग-प्रलग रहता है।

### ग्रेट ब्रिटेन में सेवोदय की भर्ती

#### (Recruitment of Personnel in Great Britain)

भारत में लोकसेवायों की भर्ती का तरीका ब्रिटेन लोकसेवायों में भर्ती के तरीके से पर्याप्त प्रभावित है क्योंकि पूर्ववर्ती ने परवर्ती से विरासत के रूप में बहुत कुछ लिया है। ग्रेट ब्रिटेन ही लोकसेवायों में भर्ती के तरीके वा समिक्षण विवेचन निम्न प्रकार किया जा सकता है—

### भर्तीकर्ता अभिकरण

#### (Recruiting Agency)

ग्रेट ब्रिटेन में स्थायी सरकारी पदों पर नियुक्ति एवं प्रमाणीकरण का कार्य लोकसेवा आयोग हारा सम्पन्न किया जाता है। आयोग की स्थापना 31 मई, 1855 को ही गई थी और बहुत समय तक यह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता रहा। 1968 से यह लोकसेवा विभाग का एक भाग बना दिया गया है। अब यह स्थायी एवं अस्थायी रम्भारियों की नियुक्ति, प्रक्रियाएँ तथा अधिकारिक विकास सम्बन्धी नीतियों से निकट सम्बन्ध रखता है। प्रारम्भ में इसमें तीन सदस्य थे जिन्हें अब इसमें 6 सदस्य हैं। आयोग के सदस्य अपने कार्यों का सञ्चालन स्वतंत्रतापूर्वक वर सर्के इसमें उनकी नियुक्ति सीधे ताज हारा की जाती है तथा उसी के प्रमाद पर्यन्त ये अपने पद पर बने रहते हैं। आयोग का प्रथम आयुक्त इसका अध्यक्ष तथा लोकसेवा विभाग का उपसचिव होता है। यह भर्ती नीति के निर्धारण एवं नियोजन के लिए उत्तरदायी है। आयोग का द्वितीय आयुक्त लोकसेवा विभाग के अध्यक्ष, भर्ती के निदेशक तथा वैज्ञानिक एवं तदनीकी परामर्शदाता के रूप में प्रथम आयुक्त ही सहायता करता है। आयोग के पांच सम्भाग (Divisions) हैं।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> These are the Executive and Clerical division, Administrative division, the General competition division, the Science division and the Technology division.

प्रत्येक सम्भाग में अनेक सेवा उपवर्ग हैं जो विशेष क्षेत्रों में भर्ती सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया के लिए प्रारम्भ से भर्ती तक उत्तरदायी होते हैं। इसमें एक शोध सम्भाग (Research Division) भी है जो भर्ती के क्षेत्रों में उठने वाली समस्थापनों की जीव करता है। आयोग की बनेसान सक्षा का आधार 3 अगस्त, 1956 का लोकसेवा सम्बन्धी परिवर्त्यक आदेश है जिसमें यह कहा गया है कि स्थायी नियुक्ति से पूर्व प्रत्येक प्रत्याशी की योग्यताएँ आयोग द्वारा जीची जाएँगी तथा विशी छानि को तब तक सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि आयोग द्वारा उसे योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना। ताकि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त अधिकारी सक्षम द्वारा इस गर्व से उन्मुक्त विधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

विशुद्ध रूप से असदायी पदों पर, जिनकी सहाया काफी है, भर्ती का कार्य नियुक्तिकार्ती विभाग द्वारा ही समाप्त किया जाता है तथा इससे लोकसेवा आयोग का सम्बन्ध नहीं रहता। लिखित पद के प्रत्याशियों की भर्ती भी विभाग द्वारा बर नी जाती है। यही लोकसेवा आयोग केवल परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है तथा प्रत्याशियों को अधिकारी योग्यता प्रमाण-पत्र जारी करता है। सन्देशवाहकों, बनीनरी तथा ऐसे ही अन्य अधीनस्त पदों पर नियुक्तियाँ सम्बन्धित विभागों द्वारा की जानी हैं तथा एक निश्चिन बगाय तक सतोपन्नव सेवा के बाद उनकी स्थायी नियुक्ति के प्रश्न पर आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

लोकसेवा आयोग द्वारा लोकसेवा के रिक्तपदों का समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है। इसके साथावा व्यावसायिक पुस्तिकाला, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से भी सम्भावित प्रत्याशियों को रिक्त पदों की सूचना दी जानी है। आयोग निश्चिन परीक्षाएँ तथा सामाजिक आयोगिन करता है। यह प्रत्याशी के स्वास्थ्य एवं चरित्र आदि की अवश्यक जीव करने के बाद ऐसे प्रमाण-पत्र जारी जाना है जो प्रत्याशी को स्थायी नियुक्ति के योग्य साक्षित बनें। जब एह विशेष प्रसार की नियुक्तियाँ<sup>1</sup> दियागा में एक कार्य भी जानी हैं तो सरकार प्रत्याशियों को दौटने का बायं आयोग द्वारा ही किया जाता है। कुछ वरिष्ठ विज्ञानिक एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों के परिवोग्रा काल में भी यह सम्बन्ध रखता है।

### प्रत्याशियों की योग्यताएँ

(Qualifications of the Candidates)

डिटेन लोकसेवा में प्रदेश ने लिए आवश्यक योग्यताएँ सेवा की घेणी के पनुमार पत्रण पत्रण हैं। यही लोकसेवा की नीन प्रमुख धेनियाँ हैं—प्रशासनिक धेनी (Administrative Class), प्रधिकारी धेनी (Executive Class) तथा निश्चिनीय धेनी (Clerical Class)। डेट-डिटेन में लोकसेवापत्रों की भर्ती अवस्था

<sup>1</sup> The British Civil Service, Reference Division, the Central Office of the Information, London, Jan 71, p 16.

की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विनिमय श्रेणियों में प्रायाशियों के प्रबोध वो गिरावचवस्था के विभिन्न स्तरों के समरूप बनाया गया है। लद्दुसार प्रशासनिक निम्नतर श्रेणियों में प्राथमिक विद्यालय की गिरावच पर्याप्त मानी जाती है। तो इसेवा यायोग वा यह देखने का दायित्व है कि किसी विशेष पद का प्रत्याशी उस पद के लिए निर्धारित योग्यताएँ रखता है अथवा नहीं।

आयु की दिट्ठ से विटिश लोकसेवा की तीनों श्रेणियों की स्थिति इस प्रकार है—प्रशासनिक श्रेणी के लिए 20 से 28 वर्ष, अधिग्रामी श्रेणी के लिए 17½ से 28 वर्ष तथा लिपिबीप श्रेणी के लिए 15 से 20 वर्ष, 20 से 40 वर्ष तथा 40 से 59 वर्ष है। नियमित सेनाधी में तथा सभाद् की समृद्धारीय लोकसेवाधी में कार्य करने वालों को आयु सम्बन्धी विशेष छूट दी जाती है। इस प्रकार साधारणत विटिश लोकसेवा के लिए आयु सीमा 15 से 59 वर्ष की है। बिन्दु व्यवहार में प्राय स्कूल से निवालने वाले प्रत्याशियों को प्रायमित्ता दी जाती है। वैज्ञानिक एवं तरनीकी पदों के लिए भी परनग-प्रानग आयु सीमा निर्धारित की गई है।

प्रेट-चिटेन की लोकसेवा वा सदस्य देखने के लिए वही का नागरिक होना भी यावश्यक है। लोकसेवा आयोग द्वारा यह देखा जाना है कि प्रत्याशी एक विटिश प्रजा हो अथवा एक विटिश सरकारी व्यक्ति (British Protected Person) हो अथवा ग्रायरिज गणराज्य का नागरिक हो। उसके अनियिक वह जन्मजात नागरिक होना चाहिए। यदि वह इस जन्मजात नागरिक होने की जनन को पूरा न करता हो तो उसे प्रदेश एवं वर्षों से किसी राष्ट्रमण्डलीय देश का निवारी अथवा कमंचारी होना चाहिए। अस्यायी पदों पर नियुक्तियाँ अधिक स्वतंत्रतापूर्वक वौं जा सकती हैं पश्चात् कि कोई उपयुक्त स्थानीय प्रत्याशी प्राप्त न हो।

निग की दृष्टि से उन्नेक्षनीय है कि प्रेट-चिटेन में महिलाओं को प्राय उच्च टक्काकर्ता एवं प्राइवेट सेंचेटरी के रूप में ही हृषा करती थी। ध्यावहारिक जटिलताधी वे कारण प्राय विवाहित महिलाओं को सरकारी सेवा के अधिकार माना जाता था। अन्तनुवर, 1946 में शादी सम्बन्धी प्रनिवन्ध वो हटा लिया गया क्योंकि महिलाएँ कार्य के लिए युवा अविवाहित सदिकियों पर्याप्त नहीं मिल पाती थीं। प्रब महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन देने की व्यवस्था की गई है। कलतः महिलाएँ लोकसेवाधी की ओर अधिक पाकपित होने लगी हैं।<sup>1</sup>

विटिश लोकसेवाधी में प्रबोध के लिए एक अन्य धावश्यक योगदाना यह मानी जानी है कि प्रत्याशी में ऐसा कोई शारीरिक दोष अथवा दीमारी नहीं होनी चाहिए जो उसके पद के दायित्वों के निर्धारित में वाधक बने। लोकसेवा आयोग द्वारा इसी

1 प्रशासनिक श्रेणी के पद महिलाओं ने लिए पुरुषों के नाम जाने पर 1925 में खुले हैं।  
2 E N Gladden op cit., p 68

स्थायी तथा पेशन योग्य पद पर तभी नियुक्ति की जा सकती है। इस पूर्व आवश्यकता के अभाव में बेबत अस्थायी रूप से बिना पेशन के अधिकार एवं बोमारी अवकाश की मुश्यमता के नियुक्ति की जा सकती है।

प्रत्याशी के राजनीतिक अभिमत के प्रायः लोकसेवायों में प्रवेश के लिए बाधक नहीं माना जाना किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कुछ विशेष पदों पर विशेष प्रकार का अभिमत रखते वालों को नियुक्त नहीं किया जाता।

सेवीवर्ग के लिए प्रवेश-परीक्षाएँ

#### (Entrance Tests for Personnel)

1938 से पूर्व ब्रेट-बिटेन में लोकसेवायों की प्रवेश परीक्षाएँ पर्याप्त सीधी और सरल थीं किन्तु आज इनका रूप एवं प्रक्रिया जटिल बन गई है। यह प्रक्रिया अभी तक परिवर्तन के दौर में है। यहाँ हम बिटेन लोकसेवा की तीनों थेणियों में प्रवेश-परीक्षायों का मुक्तेष में उल्लेख करेंगे।<sup>1</sup>

(क) प्रशासनिक थेणी में प्रवेश परीक्षाएँ (Entrance Tests for Administrative Class)—इन थेणी के लिए भाष्योजित प्रतिवेदी परीक्षायों में 20 से 28 वर्ष की आयु वाले प्रत्याशी भाग लेते हैं। ये परीक्षाएँ मुख्यतः दो प्रकार की हैं जिन्हें तरीका-I तथा तरीका-II के नाम से जाना जाता है। दोनों के सम्बन्ध में थोड़ी जानकारी यहाँ उपयोगी रहेगी।

तरीका-I—यह अकादमिक परीक्षा (Academic Examination) का गुणना तरीका है। इसके दो भाग हैं। पहले भाग में निवन्ध, अपेजी वा परवा तथा एक सामान्य परचा होता है। इस भाग में अपेजिन स्तर प्राप्त करने के बाद ही दूसरे भाग की परीक्षा में प्रतिवेदी बनने दिया जाता है। इस भाग में साधात्कार तथा लिखित परीक्षा की अवस्था है। लिखित परीक्षा में विश्वविद्यालय आनंद स्तर के घनें परवे होते हैं।

इसके प्रतिरिक्त साधात्कार मण्डन द्वारा साधात्कार किया जाता है। विवित परीक्षा तथा साधात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के धाधारे पर योग्यता निष्पारित भी जाती है। इन परीक्षायों के लिए कोई आवश्यक अंकालिक योग्यता नहीं रखी जाती किन्तु आनंद में दिनीय थेणी से कम के प्रत्याशी के सफल होने के बम ही प्रवत्तर रहते हैं। कुछ प्रमाणाधारण प्रतिभा वाले प्रत्याशी निजी अध्ययन के आधार पर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह तरीका 1969 से कार्यरत नहीं है।<sup>2</sup>

तरीका-II—यह तरीका 'House Party Method' भी बहा जाता है। यह चैव का आधुनिक तरीका है जिसमें बेबत बोद्धित योग्यता की प्रवेश प्रत्याशी के अनिश्चित एवं निरुप्य की तीव्रता चैव पर जोर दिया जाता है। यह तरीका युद्धकाल में संनिवेश अधिकारियों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था जाना या। इसके

<sup>1</sup> This description is based mainly on E. H. Gladden, op. cit., pp. 72-82.

<sup>2</sup> R. B. Jain : op. cit., p. 103.

ग्राम्यसंवंत प्रशासनी नागरिक सेवा चयन मण्डल (Civil Service Selection Board) की देखरेत में 2-3 दिन रखा जाता है तथा मैत्रीपूर्ण तरीके से उसके व्यक्तिगत गुणों तथा बुद्धि की जाँच की जाती है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रत्याशी कम से कम प्रथम या द्वितीय श्रेणी की सानर्थ की उपाधि अवश्यक तकनीकी से दिखलोंगा प्राप्त होना चाहिए। इस परीक्षा के बीच सोचान है—सर्वप्रथम प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हीनी है। दूसरे, इसमें सम्बोधजनक प्रदाता के बाद वर्धित एवं साधारणकार के लिए प्रत्याशी को नागरिक मेवा चयन मार्गदर्शन के सामने उपस्थित होना पड़ता है। तीसरे, प्रत्याशी प्रतितम माधारकार मार्गदर्शन के सामने प्रत्युत दिया जाता है जो प्रत्याशी के सम्बन्ध में घब तक एक ऐसी शर्त सारी सूचनाओं का समालूप करता है तथा स्वयं साधारणकार से आवारण पर नियमों से उत्तम भौतिकता है और उसके बाद सफल प्रत्याशियों की व्रानुसार सूची तैयार करता है।

ग्राम्यमें तरीका II कुल प्रशासनिक सेवायों से बेवल एक तिहाई पर ही लागू किया जाता या इन्हुंने इसकी सोक्रियता के कारण अब 50% भविष्य इसी तरीके के आधार पर की जाती है। नागरिक सेवा के बाहर कार्य करने वाले भवनभवी तथा बड़ी उच्च की लोगों की भारी के लिए ही वह तरीका अपनाया जाता है। ऐसी परीक्षा के लिए प्रत्याशियों के जिज्ञासित वैच बना दिए जाते हैं। एक दैवत की परीक्षा साधारणत दो दिन तक चलती है। इस प्रकार यह एक लम्बे समय का साधारणकार है। कुछ समय पहल तक यह लम्बन में होना या इन्हुंने अब प्रोटोटाइप के सोइसेवा अधियोग के मुख्यालय बासिंगस्टोक (Basingstoke) में होता है। इस प्रकार के साधारणकार से बाध्य बालावरण को यथासम्भव इवाधातिक बनाए रखा जाता है और इस प्रकार प्रत्याशी के व्यक्तिगत गुणों की जाँच निकटता से हो पाती है।

(ब) प्रधिकारीय श्रेणी के लिए प्रवेश परीक्षाएं (Entrance Tests for Executive Class)—ये परीक्षाएं ग्राम्यमें स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तुली रहती थीं विन्तु इनके परिणामस्वरूप मध्य एवं निम्न श्रेणी के पदों की भोट योग्य प्रत्याशियों का आनन्द रुक गया। फलतः 1953 में यह निरांय किया गया कि लिखित परीक्षा के स्थान पर General Certificate of Education (G.C.E.) रखा जाए। लिखित एवं कठोर प्रतियोगी परीक्षाएं अधिक मात्रा में उपर्युक्त प्रत्याशियों को मार्कपात नहीं कर देती। अब प्रधिकारीय श्रेणी की परीक्षायों में प्रवेश के लिए वह आवश्यक समझा जाता है कि प्रत्याशी 17 से 28 वर्ष की वायु का हो तथा अवैज्ञानिक भाषा सहित पौच हीकृत विषयों में जाप होने के साथ-साथ G.C.E. रखता हो। इस सेवा में उपन साधारणकार के आधार पर किया जाता है।

(ग) लिपिकोष श्रेणी के लिए प्रवेश-परीक्षाएं (Entrance Tests for Clerical Class)—1966 में हिए गए वरिष्ठतमों के भवनुसार निपिकीय श्रेणी में प्रवेश हेतु सचालिन प्रतियोगितायों को लम्बन तथा उसमें याहर दो भागों में बट

दिया गया है। इसमें प्रवेश के लिए अपनी जी मावा सहित पौच विषयों में उत्तीर्ण तथा G C E की प्राप्ति होनी चाहिए। जहाँ तक लन्दन थेट का सम्बन्ध है यहाँ के रिक्त स्थानों की पूँजि के लिए लोकमेत्रा आयोग घनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित करता है। उनमें कुछ मुख्य ये हैं—15 से 20 वर्ष की आयु के स्कूल से निकले प्रत्याशियों के लिए, 20 से 40 वर्ष तथा 40 से 59 वर्ष की आयु तक के पुराने प्रवेशायियों के लिए लिखित खुली प्रतियोगिताएँ और 20 वर्ष से कम उम्र वालों तथा 20 वर्ष से अधिक वी उम्र वाला के लिए पृथक् पृथक्, G C E प्रतियोगिताएँ।

लन्दन के अतिरिक्त स्थानों पर इस स्थानों की पूर्ति का अधिकार इव विभागों को द्वारा है। उपर्युक्त प्रत्याशियों के नाम विभागों द्वारा लोकमेत्रा आयोग को भेज दिए जाते हैं। नाम के साथ ही प्रत्याशी की उम्र, स्वास्थ्य, चरित्र एवं राष्ट्रीयता सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी भेजे जाते हैं जिनके प्राधार पर आयोग समस्याएँ सम्बन्धी अन्तिम नियंत्रण लेता है। यद्यपि सेवायों में प्रवेश आयु 15 से 59 वर्ष है किन्तु विभाग स्कूल से निकले प्रत्याशियों की नियुक्ति पर विशेष जोर देते हैं। उग्ह पशासनमें सामूहिक रूप से बायं वरने को कहा जाता है। विभागों की घयन प्रतियोगिता में कुछ हेच्छावारिता भी दिखाई देती है।

नियिकीय थेटी के कुछ पद अधिकारी थेटी के असफल प्रत्याशियों को मौग जाते हैं। गैर-भौतिक तथा भौतिक शृंखलाओं के कार्यकर्ताओं के लिए भी सीमित प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।

(८) अन्य पदों के लिए प्रवेश परीक्षाएँ (Entrance Tests for Other Posts)—नियिकीय सहायकों के पद पर नियुक्तियों के लिए भर्ती प्रयोग करने के बाद घन्त में वही तरीका अपनाया जाता है जो नियिकीय थेटी में मर्ती के लिए प्रयुक्त जाना है। इसमें प्रत्येकहूँ कुछ उदारता वर्ती जाती है। टाराकर्त्ताओं (Typing Grades) की नियुक्ति सभी विभागों में ध्यायक रूप से वी जाती है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। नियन्त्रम स्नार के टाराकर्त्ता वी गति एक मिनट म 30 शब्द वी होनी चाहिए। पर्येशालारम्भ पदों के लिए कुछ उदारता योग्यता वी अपेक्षा होनी है। इन पदों पर मर्ती वर्ते समय लोकमेत्रा द्वारा जो गैर-गरकारी देन से भागी प्रतियोगिता वर्ती वहनी है जहाँ इन कर्मचारियों की मौग अधिक रहती है तथा देन भी अविहूमिता है।

वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक वर्गों (Scientific and Professional Classes) में उपर्युक्त योग्यतावारी प्रत्याशियों को माधारार द्वारा कभी भी मर्ती दिया जा सकता है। इन पदों पर माधारक आयु 29 से 32 वर्ष है। महायक प्रयोग अधिकारी वी आयु भीमा 18 से 28 वर्ष तथा प्रयोग अधिकारी के लिए 26 से 31 वर्ष है। सोहमेत्रा आयोग भी भर्ती तरनीकी एवं व्यावसायिक पदों पर मर्ती के लिए प्रतियोगिताएँ आयोजित वर्ता है। इन भर्तियों के लिए प्राय कुछ न्यूनतम व्यावसायिक योग्यताएँ रखी जाती हैं। इम प्रधार मर्ती की प्रतियोगिताएँ

निरन्तर चलनी रहती हैं तथा लोकसेवकों की मृत्यु, व्यवसाय-परिवर्तन, सेवा निवृत्ति आदि के कारण स्थान रिक्त होते रहते हैं।

उक्त भूमियों के प्रबन्धन विभागों द्वारा अनेक अस्थायी नियुक्तियाँ भी दी जाती हैं। इनके लिए प्राप्त उन्हीं योग्यताओं एवं विधियों को अपनाया जाता है जो स्थायी नियुक्ति के लिए निर्धारित हैं। अस्थायी कर्मचारी के प्रमाणीकरण के लिए लोकसेवा श्रापोग के पास उसका नाम भेजा जाता है तथा उपयुक्त जौव के बाद श्रापोग उसे स्थायी बनाने का आदेश दे देता है।

### परिवीक्षा काल

#### (Probation Period)

प्राप्त सभी थेगियों के सभी कर्मचारियों के लिए प्रारम्भिक नियुक्तियाँ परिवीक्षा काल के लिए की जाती हैं। परिवीक्षा काल की व्यवस्था का नियमन ट्रेजरी के नियमों द्वारा किया जाता है। तदनुसार एक स्थायी पद पर नियुक्त होने वाला प्रत्याशी सर्वप्रथम परिवीक्षा काल के लिए नियुक्ति किया जाता है। यह काल रामान्यत दो वर्ष का होता है जिन्हें इसे व्यक्तिगत मामलों में विभागाध्यक्ष द्वारा तथा सामान्य रूप से ट्रेजरी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नियमानुसार परिवीक्षा काल में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्याशी की योग्यता एवं क्षमता जौची जाती है तथा उसे स्थायी पद पर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यवनी उपयुक्तता सन्तोषजनक रूप से प्राप्त कर दे।<sup>1</sup> इस रूप में प्रत्याशी को इसी योग्यता निर्देश करने का समुचित समय दिया जाता है।

### फुल्टन समिति के सुझाव

#### (Suggestions of the Fulton Committee)

1966 में नियुक्ति की गई फुल्टन कमीटी ने लोकसेवकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सुझाव देने की कार्रवाई की थी—

(i) भर्ती एवं प्रशिक्षण को परस्पर एकीकृत किया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि भर्ती का कार्य दो लोग करें जो बाद में प्रत्याशी के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(ii) लोकसेवा श्रापोग के स्थान पर एक नया लोकसेवा विभाग बनाया जाए।

(iii) 'भर्ती' वादों के विशेष थेगों में की जानी चाहिए।

(iv) भर्ती कार्य में विभागों का योगदान घण्टिक होना चाहिए। विभागों द्वारा प्रशिक्षण रूप से की जाने वाली भूमियों का प्रयोगात् घण्टिक होना चाहिए।

<sup>1</sup> "In the U.K., it is described, more elaborately, as a testing time, during which a recruit establishes by his performance in a particular post or grade, his fitness or otherwise for a permanent post in the Civil Service, in that particular post or grade, and at the end of which his appointment is either confirmed or terminated" —United Nations, op. cit., pp. 66-67.

## मर्ती प्रणाली की आलोचना

### (Criticism of the Recruitment Process)

येट ब्रिटेन में लोकसेवकों की मर्ती प्रणाली की आलोचना करने से पूर्व कदम बातें उल्लेखनीय हैं। पहली बात तो यह है कि चपून का वास्तविक तरीका, जिसे तरीका-II कहा जाता है, के मध्य-ब मध्यी रूप में कुछ नहीं बहा जा सकता क्योंकि साधारकार के समय अपेक्षित मापदण्ड ताक योग्यताएँ अज्ञान रहनी हैं। दूसरे, तरीका-II की प्रशासनिक थेमों में नियुक्ति का एकमात्र तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए, 1966 में सुनी प्रतियोगिता के प्रवेशार्थी 44, प्रत्यक्ष मर्ती के 66 तथा अधिकारी थेमों से पदोन्नति किए गए प्रत्याशी 43 थे। तीसरे मर्ती के लिए अपनाएं जाने वाले इस तरीके का टेब्लिज़ समिति (Davies Committee) ने पर्याप्त समर्थन किया है। यह समिति पुस्टन समिति की प्रतिक्रिया स्वरूप नियुक्ति की गई थी। समिति के वयनानुसार विश्वविद्यालय से वी गई गवाहियों का विश्वामित्रों के प्रत्याशियों के बहुमत द्वारा तरीके-II को मर्ती का स्पष्ट एवं न्यायपूर्ण तरीका माना जाता है। सभी गवाहियों को घ्यान में रखकर यह बहा जा सकता है कि तरीका-II नदा नागरिक में व्यवन मण्डन पर ब्रिटिश लोकसेवा गर्व कर गक्नी है। इस गृहभूमि के माध्यम हम ब्रिटिश लोकसेवा में मर्ती के तरीके की कुछ आलोचनाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

रिचार्ड ए. चैपमेन (Richard A. Chapman) ने अपनी पुस्तक (The Higher Civil Service in Great Britain, Constable, 1970) में यह उल्लेख किया है कि "दर्तनान लोकसेवा वी व्यवन प्रक्रिया के समर्थक यह तर्क देते हैं कि सुनी प्रतियोगिता की प्रणाली सशक्त, प्रज्ञानात्मिक एवं न्यायपूर्ण है। यह प्रत्याशी भी इसी विशेष कार्य को करने वी योग्यता के आधार पर निर्णय लेती है। यह पारिवारिक सम्बन्धों तथा वक्त वरम्परागत प्रभावों का ध्यान रखे बिना ही लोगों का व्यवन करनी है। इसके व्यवन का आधार जान परिमितियों में निर्धारित परीक्षा का सामान्य नियम है।" इस प्रशासनिक व्यवन्याद का एक दूसरा गहनू भी है जिसके अनुसार यह बहा जा सकता है कि ब्रिटिश लोकसेवा अंग व्यवन की प्रक्रिया परेक दोष तथा विषयों से युक्त है। इसकी मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

"(1) गुणात्मक आलोचना—मर्ती किए गए कर्मचारी विषय कार्य के लिए मर्ती किए जाने हैं उसके लिए वे इतने उपयुक्त रहते हैं, यह जानने के लिए पर्याप्त साम्यकीय प्रभाल नहीं मिल पाते। इतने पर भी दो जाने तो स्पष्ट कर में वही जा सकती है। पहली बात तो यह है कि लोकसेवकों भी मर्ती के लिए जो परीक्षा प्रणाली एवं व्यवन प्रक्रिया अपनाई गई है उसके फलस्वरूप लोक प्रशासन वंशानिक नहीं बन सका है। दूसरी बात यह है कि प्रत्याशी भी उदार शिक्षा (Liberal Education) पर ध्याक जोर दिया जाता है तथा कार्य के अनुदृत विज्ञा की प्राप्तिकरता नहीं दी जाती।"

(ii) अधिकारीका को घटवहेन्टना—प्रत्याशी के व्यक्तिगत वी परीक्षा के लिए कोई वस्तुगत जांच का तरीका नहीं है और इस प्रकार मुख्य नियायिक मूल्यांकनकर्ता भी केवल विधयगत सम्बन्ध की ही माना जाता है। इस प्रणाली में वे लोग सफल हो जाते हैं जिनकी सामाजिक तथा शैक्षणिक पृष्ठभूमि अच्छी होती है। प्रचले पराने के प्रत्याशी अपने व्यक्तिगत का प्रभाव अधिक ढाल पाते हैं। हमारी ओर योग्य क्षमताएँ कुण्ठित होकर रह जाती हैं।

(iii) वर्गजेव को बढ़ावा—इस विधि प्रक्रिया का परिणाम यह है कि उच्च पदों पर केवल उच्च वर्ग के लोग ही आ पाते हैं और इस प्रकार लोकसेवा के विभिन्न पद विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों से सम्बद्ध हो जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से सम्मानहीन विलक्षण प्रतिभाएँ इस व्यवस्था में लोकसेवा से बचित रह जाती हैं।

(iv) कुछ विश्वविद्यालयों की प्रभुता—लोकसेवकों की प्रशासनिक थेटी के लिए धारे वाले प्रार्थना-पत्र मुख्यतः शॉर्टलिस्टों द्विश्वविद्यालय के कलां स्नातक होते हैं। 1948-63 के बीच लोकसेवाधी भी प्रविष्ट शॉर्टलिस्टों द्वारा कंगड़ा के स्नातक 68 प्रतिशत वे बिन्दु बाद में यह प्रतिशत बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया। उसके बाद यद्यपि यह सहस्रा दिरी है तथा 1968 में 59 प्रतिशत हो रही इन्हें फिर भी इन दोनों विश्वविद्यालयों से निकलने वाले कुल 14 प्रतिशत स्नातकों को तुलना में यह सहस्रा भी भी अधिक ही है।

(v) धाहरी भनुभव की कमी—लोकसेवाधी में मर्ती बिए जाने वाले प्रत्याशियों को अधिकारी, उद्योग भवित्व अन्य किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी प्रतिष्ठान ने प्राप्त कोई भनुभव नहीं रहता। पूर्व भनुभव पर विजेय ध्यान ही नहीं दिया जाता।

(vi) तकनीकी मनोवृत्ति—मर्ही किए जाने वाले कर्मचारियों में यह नहीं देखा जाता कि वे तकनीकी समाज के जटिल कार्यों को सम्पादित करने में कितने सक्षम होते, वे स्वयं की तकनीकी कार्यों के अनुरूप ढारा सकते यथवा नहीं।

### संयुक्तराज्य अमेरिका में सेवीवर्ग की भर्ती

(Recruitment of Personnel in U. S. A.)

संयुक्तराज्य अमेरिका में लोकसेवा धार्योंगो द्वारा प्रतियोगी परीभाएँ धार्योंजित भी जाती हैं। सधीय स्तर पर ऐसी परीक्षाएँ 1820 से ही धार्योंजित भी जा रही हैं। प्रारम्भ में जल, धन और नम-सेवा अकादमियों में डेफिक्ट कोर्स वे प्रवेश हेतु परीक्षाएँ सम्पन्न की गई थीं। 1853 में कॉमिट्टी ने वानून द्वारा यह धारावशक बना दिया कि विभागीय नियिक द्वे पद पर नियुक्ति में पूर्व एक परीक्षा भी जाए। 1883 में लोकसेवा धार्योंगो भी स्थापना के बाद ये परीक्षाएँ धार्योंगो भी देख-रेख में सम्पन्न होने लगीं।

## भर्तीवित्ती अभिकरण (The Recruiting Agency)

लोकसेवा व्यवस्था पारित होने से पूर्व सयुक्तराज्य अमेरिका मे प्रत्येक सरकारी विभाग तथा अभिकरण अपने सेवीदगं सम्बन्धी कायों वा मत्तालन स्वय ही करता था। 1883 मे पेण्डलेटन अधिनियम तथा एसे ही अन्य राज्य व्यवस्थापनो के पारित होने पर नाइसेवाप्रो मे प्रवेश के लिए की जाने वाली भर्ती एव परीक्षा सम्बन्धी सारी गतिविधियों लोकसेवा आयोगो दो हस्तान्तरित कर दी गई। इसके बाद अमर अस्य सेवीदगं सम्बन्धी कायं भी साइन अभिकरणों से लेकर स्टाफ अभिकरणो को दिए जाते रहे। एक लम्बे विकास के बाद सयुक्तराज्य के लोकसेवा आयोग दो इतनी सत्ता प्राप्त हो गई जिनमी कि किमी भी देश मे इसके समवक्ष सह्या के पास नहीं होनी।

आयोग के कार्य (Functions of the Commission)—डॉ. एल डी हाईट ने सोफ्टसेवा आयोग के नियन्त्रित कायों का उल्लेख किया है—

- (i) परीक्षाएं सम्भन्न करना, नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र देना तथा अपने नियमों की कार्यान्वयन की जांच करना।
- (ii) पद वर्दीकरण के लिए मापदण्ड निर्धारित करना तथा वर्दीकरण कायों का सेवा परीक्षण करना।
- (iii) राष्ट्रीय कम्बनारियों तथा संघीय कोष का भजन प्राप्त बरने वाले राज्य एव स्थानीय कम्बनारियों की राजनीतिक गतिविधियों के विरुद्ध प्रतिवन्ध लगाना।
- (iv) नाइसेवा सेवा सवानिकृति अधिनियम का प्रशासन करना।
- (v) संघीय कम्बनारियों के रोजगार भ्रमिनेश तंत्रांक करना।
- (vi) रोजगार हेतु प्रावेदन-पत्रों की जांच करना तथा मुरादा हेतु कम्बनारियों की जांच करना।
- (vii) मूल्यांकन सेविका प्राप्तिकर्ता अधिनियम को प्रशासन करना।
- (viii) प्रनिकरण की कार्यसम्पत्ता मूल्यांकन योग्यताप्रो को स्थीरार करना तथा मूल्यांकन आयोग व्यवस्था को प्रशासित करना।

## आयोग का संगठन

### (Organisation of the Commission)

लोकसेवा आयोग नीत सदस्यों का संगठन है जो राजनीतिक प्रमाण मे स्वतन्त्र रहकर कार्य करता है। आयोग मे 4 ब्युरोज हैं—Programmes and Standards Bureau, Departmental Operations Bureau, Field Operation Bureau and Inspection Bureau इनके द्वारा आयोग का अधिकार

<sup>1</sup> "As a result of long term trends, American Civil Service Commission have acquired authority far beyond that found in corresponding agencies in most countries of the world" —Dr L D White op cit., p 321.

कार्य सम्पन्न किया जाता है। आयोग के Bureau of Management Services के अन्तर्गत अनेक सहायक सेवाएं सम्पन्न की जाती हैं, जैसे—इजट एवं वित्त, सेवी-वर्ग, वार्षिक सेवाएं, पुस्तकालय संगठन एवं प्रविधि, तथा सौहित्यकी। आयोग में अनेक वार्षिक शामिल हैं, जैसे—विधि कार्यालय, सुरक्षा मूल्यांकन कार्यालय, जन-सूचना कार्यालय, अधीन एवं पुनरीक्षा मण्डल, व्यायपूर्ण रोजमार मण्डल, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कर्मचारी स्वाभिभक्ति मण्डल, आदि। आयोग के कुल बम्चारियों की संख्या 5 हजार से भी ज्यादा है।

Programmes and Standards Bureau नियोजन एवं मापक निर्धारण का कार्य करता है। इमपे कार्यक्रम नियोजन सम्भाग, नियोजन एवं निर्देशन सम्भाग, मापक सम्भाग आदि शामिल हैं। Bureau of Departmental Operations में परीक्षा सम्भाग अभियोग सम्भाग, जैव सम्भाग, मेडिकल सम्भाग तथा सेवानिवृत्ति सम्भाग शामिल हैं। Bureau of Inspection and Clarification Audits के द्वारा विभिन्न अभिकरणों के कार्यों का पर्यंत विधि किया जाता है। इसका मुख्य कार्यालय विशिष्टन में है तथा अन्य ।। क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

संयुक्तराज्य अमेरिका में विभिन्न विभागों तथा सरकारी अभिकरणों के कर्मचारियों द्वी भर्ती लोकमेवा आयोगे तथा स्थिर विभागों के लाइन अभिकरणों द्वारा भी जाती है। इन्हें जहाँ तक उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वी नियुक्ति का प्रश्न है, यह कार्य सीनेट द्वी स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा सम्पन्न किया जाता है। संयुक्तराज्य के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श एवं स्वीकृति से राजदूतों तथा अन्य राजनयिक अधिकारियों, संघोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य उन सभी अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जिनकी प्रभावता नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यम चाहे तो नीचे वे पदों पर नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को दे सकती है। सीनेट के अवसान ताल में हुए दिन पदों को राष्ट्रपति द्वारा भरा जा सकता है। इन्हें बाद में उन पर सीनेट द्वी स्वीकृति लेनी होगी। इस प्रकार नामांकन (Nomination) एवं नियुक्ति में अन्तर होता है। अधिकारियों का नामांकन राष्ट्रपति अवैत्त ही करता है किन्तु उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एवं सीनेट द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। एक विविध परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्तियों करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य के सीनेटर से विचार-विमर्श कर लेता है, तत्पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट स्वीकार कर लेती है।

राष्ट्रपति की नियुक्ति सम्बन्धी जकितर्दी राजदूतों, मनियों एवं अन्य राजनयिक अधिकारियों तक सीमित है। यह घटिगासी विभागों के प्रध्यक्षों तथा विभिन्न स्वतन्त्र मण्डलों एवं आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति वरता है। इनके नीचे के कर्मचारियों द्वी नियुक्ति जनक विभागाध्यक्षों, भूरो एवं सम्भागों के प्रमुखों तथा उनके नियन्त्रण अधीनस्थो द्वारा भी जाती है।

## प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताएँ

(Essential Qualifications for Entrance)

भर्ती की योग्यता अवस्था के अनुरूप लोकसेवायों में वही व्यक्ति प्रयोगी उन सकते हैं जिनमें कुछ आवश्यक योग्यताएँ हो। उप्र, अनुमति, शिक्षा, निवास, नागरिकता एवं विशेष योग्यताएँ प्रत्येक पद के लिए अलग प्रत्येक निर्धारित ही जाती हैं। सदूचनराज्य में लोकसेवायों के लिए आवश्यक योग्यताओं में एक 'नागरिकता' है। प्रधिकारी पदों के लिए ऐसी नागरिक जो भ्रष्टोप्य ठहरा दिया जाता है। केवल विदेशी में अपने दायित्व को निर्वाह के लिए सरकार विदेशी नागरिकों की सेवा स्वीकार करती है। विभिन्न राज्यों के सेवीवर्ग अधिकरणों को यह अधिकार दिया जाता है कि पदिक्षियों पद विशेष के लिए योग्य नागरिक नहीं प्रिल पा रहा हो तो उस पद पर विदेशी को नियुक्त कर लिया जाए। इस अधिकार का प्रयोग कराचित ही किया जाता है।

दूसरी आवश्यक योग्यता निवास है।<sup>1</sup> या तो नागरिक सेवा विधि प्रयत्न सेवीवर्ग अधिकरण के नियमों द्वारा सरकारी पदों की देश, राज्य प्रयत्न नगर के निवासियों के लिए सीमित कर दिया जाता है। वाशिंगटन में विभागीय सेवायों के सम्बन्ध में यह अवस्था है कि ये विभिन्न राज्यों के निवासियों को उस राज्य की जनसभ्या के अनुरूप में दी जाती है। उपर्युक्त एक राज्य के लिए निर्धारित कोटा पूरा हो जाता है तथा ही उस राज्य के निवासियों की नियुक्ति पर रोक नहीं जाती है। यह अवस्था योग्यता प्राप्तानी के विषद् है जिसके अन्तर्में योग्यतम प्रत्याशी को लिया जाता है जबहै वह वही भी रहता है।

तीसरी आवश्यक योग्यता आयु है। विभिन्न सरकारी पदों के लिए प्रत्येक प्रयत्न आयु सीमाएँ रखी गई है। इन सभी के पीछे मूल विचार यह है कि प्रत्येक पदों को लोकसेवायों में अवसर प्राप्त हो सके। 1938 में अमेरिका राज्य में सभी आयु सीमाएँ हटा दी गई थीं। बाल अवधि अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष की अनुनतम तथा सेवा-निवृति अधिनियम के अनुसार 80 वर्ष की अधिकतम आयु रखी गई है। बायिस ने 1952 में निर्दास्त रूप में सर्वीय परीक्षायों में आयु सीमा के विषद् घोषणा की जिन्हें लोकसेवा आपोग को यह गति दी गई कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित कर मरे। इस प्रावधान के तहत आपोग ने बनिष्ठ सदूचनराज्य परीक्षायां तथा अपिकारी वैज्ञानिक तथा अवधारणिक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक कर दी। उच्चस्तरीय पदों के लिए बोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई तथा भूतपूर्व सेविया के लिए आयु सीमा सम्बन्धी सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए। इन सभी प्रयत्नों के पीछे मूल रूप से मानवतावादी माननाएँ कार्य कर रही थीं तथा विश्वयना एवं प्रशासनिक बाबुलुशनों के हितों को होने वाली हानि

1 "In the national government this question of residence or domicile, unfortunately plays an important part in the personnel system."

—W. F. Willoughby, Principles of Public Administration, 1962, p. 237.

की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था।<sup>1</sup> समेरिका'ने आयु सम्बन्धी मीमा क्षमता उन्हीं मेवायों में प्रवेश के लिए लगाई जानी है जिनमें प्रशिक्षण की प्रावश्यकता होनी है अथवा इन्हें नियंत्री शारीरिक क्षमता एवं जक्कि योक्षित है अन्यथा 70 वर्षों या उससे अधिक उम्र के लोगों को भी क्षम में वर्म प्रस्तावी विधुति दी जा सकती है।<sup>2</sup> सम्पूर्ण राज्य समेरिका में उम्र क्षमता की प्रावश्यकता के परिणामस्वरूप स्कूल में नियन्त्रने वाले युवा प्रत्याशी प्रश्न लोकलेटर जे प्रदिव्य नहीं हो पाते जबोकि उनको कार्य का कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं होता और वे यादिक उम्र के लोगों से स्पष्ट नहीं हर पाने। आयु सम्बन्धी व्यवस्था के बारण ही मेवा में प्रवेश के लिए ली जान वाली परीक्षण भी यामान्य अंतरिक्ष उपचारित्रों का निर्वाचण हरत की प्रेक्षा प्रत्याशी की तकनीकी योग्यतायों को जावनी है। स्पष्ट है कि आयु सम्बन्धी प्रावश्यकता ने प्रमेरिका के सेवीयों की प्रकृति एवं परीक्षा के हड़ की निर्धारित रूप से महत्वपूर्ण बूँदिका दियायी है।

चौथी योग्यता शिक्षा के दो घर्थ हैं—एक तो शैक्षणिक स्तर्याद्वारा द्वितीय विद्यायियों को दी जाने वाली साधारण शिक्षा और दूसरे व्यावसायिक स्कूलों में दी जाने वाली विशेष शिक्षा। व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रकृति के पदों पर सर्वी ने निए तदनुहृत आवश्यक दोषप्राप्ताएँ विवरित कर दी जाती है। इन्हें प्रतिरिक्ष व्यधिकांश पदों पर इसी प्रकार वी शैक्षणिक योग्यता की सीमा लगाना समानन्। एवं प्रजातन्त्र के मिलानों के अनुकूल नहीं माना जाता। 1935 में मैनाचूसेट्स राज्य में कुछ व्यावसायिक पदों को छोड़कर अन्य सभी से शिक्षा की पूर्व-प्रावश्यकता की हुटा दिया गया। 1944 में वैरेस ने भी व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों से अंशणिक पूर्व-प्रावश्यकता को पूर्णत हटा दिया।<sup>3</sup>

पांचवीं योग्यता, अनुभव है। अनुभव का घर्थ उम प्रशिक्षण में है जो प्रत्याशी वो वास्तविक कार्य सम्पन्न करने पर शाप्त होता है। परीक्षा व्यवस्था में मित्रव्यवस्था की दृष्टि से यह उचित समझा जाता है कि प्रत्याशी को कार्य का अनुभव होना चाहिए किन्तु समानता की धारणा एवं वेरोत्तरारों जो रोकपार देने की व्यक्तिगत इस बात की मांग करती है कि अनुभव को लोकसेवा में प्रवेश की आवश्यक शर्तें न दर्नाया जाए। ऐसा करने पर अनेक होताहर मुख्य लोकसेवा में प्रवेश में विचित्र हो जाते हैं।

एठी योग्यता व्यक्तिगत गुण है। प्रत्येक लोकसेवक में यह धारा की जाती है कि उसका व्यक्तिगत या नैतिक अरिक इमानदारी, मन्त्रार्द, शक्ति, साधन-समर्पण, कुशलता, धौरज, विवरणीयता, प्रशिक्षाती प्रोग्यता, याकृत शरीर-रक्तना एवं तहबीब से युक्त हो। ऐसी गुण निश्चय ही प्रत्याशी के कार्य एवं

1 L D Mie : op cit., p. 340

2 O G Stahl : op cit., p. 59

3 58 Stat 387, Sec 5 (June 27, 1944).

च्यवट्टार पर गम्भीर प्रभाव डानते हैं यहाँ तक कि श्रीदबारिक शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान भी इनका उपयोगी तथा साध्यक सावित नहीं होता। इन व्यक्तिगत गुणों का महत्व जितना अधिक है उनको निर्धारित करना उतना ही कठिन है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं, प्रश्नावलियों एवं कापड़गतना अभिलेखों के माध्यम से इनके निर्णयरण की चेष्टा की जा सकती है।

गान्धी, निगमेद का भर्ती प्रतियोगी पर प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में प्रारम्भ से ही महिलाओं को उच्च पदों के अधिकार माना जाना रहा है। यह सच है कि मध्यक राज्य में कोई कानूनी आवधान ऐसा नहीं है जो महिलाओं को सरकारी सेवा में अधिकार ठहराता हो किन्तु इवटार में पुरुष-प्रधान मंत्रालय ने महिलाओं के लोकसभा में प्रवेश और प्रवेश के बाद उनके कार्य की जरूरी ये निम्नभाव का इवटार विषय है। महिलाओं को उनका न्यायद्युवक दिलाने के लिए एवं लम्बा सधर्य दिया गया है जो कि अनी तक जारी है। फरवरी 1976 में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फोड न विद्यु एवं महिला कमेंटारी ने गर्वोच्च न्यायालय में यह इंवा प्रस्तुत किया कि "ममान पद पर ममान कार्य करने वाले पुरुष कमेंटारी को उनसे अधिक बेतन दिया जा रहा है और इस प्रकार राष्ट्रपति निगमेद वर्तन के दोषी हैं। स्टॉन ने स्वीकार किया है कि "यदि बानून में नहीं तो रम में रम इवटार से तो निगम प्रतिरोध अभी तक कायदा है तथा ये निश्चय ही भर्ती के द्वेष को प्रभावित करता है।"<sup>1</sup> अनेक पदों पर नियुक्ति के समय आवेदन पत्र में आवेदन से उपर निगम का उल्लेख करते को कहा जाता है तथा आवेदन-पत्र की छेंटनी करते समय महिला आवेदनों को मूच्ची सहा दिया जाता है और कोई कानूनी वाधा भी नहीं पानी। इसके पश्च में यह कहा जा सकता है कि अपनी अकृति एवं भासीर रखना के बारमुह महिलाएँ कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं होतीं।

### भर्ती के तरीके

#### (Methods of Recruitment)

भर्ती के लिए सद्युक्तराज्य अमेरिका के विभिन्न सोसायनी में कार्यवाही समाज की जाती है। इसका महत्व पहला और मुख्य सोसायन रिक्स स्थानों की सूचनाओं सम्भावित प्रत्यागियों तक पहुँचाना है। साथारागत इनके लिए तीन तरीके अपनाए जाते हैं—समाचार पत्र में उम पट की घोषणा कर दी जानी है, सावंतवित भवनों या लोकों के एकत्रित होने के स्थानों पर पोस्टर लगा किया जाने हैं, उन व्यक्तियों, संगठनों एवं सम्पाद्य को रिक्स स्थानों की मूच्ची भेज दी जानी है जो उम्मुक प्रत्यागियों के सम्पर्क में रहते हैं। मूच्चनों के ये श्रीदबारिक माध्यम अधिक प्रभावशाली नहीं माने जाने तथा इनके आपार पर थेल्प प्रत्याशी प्राप्ति करने की प्राप्ति नहीं की जा सकती। स्टॉन ने किया है कि मूच्चनों का प्रमार श्रीवन्न तथा

1. "Nevertheless, sex barriers still exist in practice, if not in law, and definitely effect the field of recruitment." —O. G. Stahl, op. cit., p. 61.

रोचक रूप में होना चाहिए।<sup>1</sup> लोकसेवामो के लिए योग्यतम् कर्मचारी प्राप्त करने के लिए यह आधारक है कि सूचना प्रसारण एवं भर्ती के लिए शाकमण्डारी नीति अपनाई जाए। इनीय हूबर योग्योग ने भर्ती के तरीकों के महत्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। इसका मत था कि सभी सरकार को रिक्त स्थानों की घोषणा की प्रहृति एवं वितरण में सुधार करना चाहिए। जनता को सूचित करने के लिए पर्याप्त कार्यतम् अपनाने चाहिए तथा बोनेज से की जाने वाली भनियों का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए।<sup>2</sup>

सूचना प्रसारण के बाद दूसरा कदम यह है कि रिक्त पदों के लिए भनेक लोगों द्वारा जो प्रार्थना-पत्र भेजे गए हैं उनकी जीवं की जाए। आवेदन-पत्र इस रूप में प्रस्तुत रिया जाना चाहिए ताकि उसके आधार पर यह जाना जा सके कि आवेदक विचाराधीन पद के लिए प्रतिशोधी बन सकता है यथवा नहीं। इससे आवेदक का परिचय, शिक्षा, अनुभव, आदतें, प्राथमिकताएं आदि का पूर्व ज्ञान हो जाना है तथा नियुक्ति के बाद ये सूचनाएं बर्मचारी के रिकाँड का काम देती हैं। आवेदन-पत्र के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में हूबर योग्योग ने 1949 में यह बताया था कि किती पद के लिए आवेदन-पत्रों का समय नहीं बीधना चाहिए। यदि कोई पद रिक्त है तथा प्रत्याशी में उसके अनुकूल योग्यताएं हैं तो उसे आवेदन-पत्र देने की प्रनुभति दी जानी चाहिए वरन् उसकी योग्यता एवं अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के बाद स्वयं ही यह तय करना चाहिए कि आवेदक विस पद के योग्य है।

प्रार्थना-पत्र की पुनरीक्षा के बाद उसे रद्द किया जा सकता है यदि आवेदक पद के लिए आवश्यक भर्तीताएं पूरी नहीं करता हो, उसने कोई तथ्य छिपा कर या गलत कह कर थोका दिया हो यथवा वह कानूनी अवेक्षाएं पूरी नहीं करता हो।

#### परीक्षा के तरीके

(Methods of Examination)

संयुक्तराज्य भ्रमेत्रिका में सेवीवर्ग की भर्ती के लिए परीक्षा प्रणाली का महत्व योग्यता व्यवस्था के महत्व के अनुपात में बढ़ा है। परीक्षा का साम केवल यही नहीं है कि इससे पूर्ण तथा योग्य लोगों को लोकसेवा के बाहर रखा जा सकता है किन्तु इसका सकारात्मक साम भी है कि योग्य तथा सक्षम व्यक्ति विभिन्न सरकारी पदों पर रखे जा सकते हैं। प्रत्येक सरकारी पद के कुछ विशेष दायित्व एवं कार्य होते हैं जिनके सम्बन्ध निर्वाह के लिए बुद्धि विशेष योग्यताएं अवशिष्ट हैं। परीक्षा प्रणाली द्वारा इन योग्यताओं की जीवं सेवा में प्रवेश से पूर्व ही कर ली जाती है। प्रत्याशी की योग्यता को जीवं सेवा के भनेक तरीके हैं। प्रो. विलोबी<sup>3</sup> ने भ्रमेत्रिका के प्रसार में इन तरीकों का उल्लेख किया है—

1. *Stahl* op cit., p 51.

2. Commission on Organisation of the Executive Branch of the Govt. Personal and Civil Service, Washington, Feb 1965, p 60

3. *W. F. Willoughby* : op cit., pp 241-42

- (i) नियुक्तिकर्ता प्रधिकारी का व्यक्तिगत निर्णय ।
- (ii) चरित्र, योग्यता आदि के प्रमाणन्दर्श ।
- (iii) पूर्व-प्रनुभव वे रिकार्ड्स जिनमें जैक्यातिक एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार के अनुभव शामिल हैं ।
- (iv) गैर-प्रतियोगी तथा प्रतियोगी परीक्षाएँ ।

प्रो. स्टॉल ने वस्तुगत परीक्षा के 5 रूपों का उल्लेख किया है ।<sup>13</sup> ये हैं—गिरावच अनुभव का व्यवस्थित मूल्यांकन, लिखित परीक्षा कार्य सम्पन्नता परीक्षा, मौखिक परीक्षा तथा प्रमापीकृत योग्यता जैसे । गैर-निपिकीय तथा गैर यान्त्रिक मेंदाघों में नियुक्ति के लिए प्राप्य गिरावच एवं प्रनुभव के व्यवस्थित मूल्यांकन का तरीका प्रयत्नाया जाता है । कभी-कभी इसके साथ मौखिक परीक्षाएँ लगा योग्यता जैसे जैसे अन्य प्रणालियों का भी सहारा ले लिया जाता है । गिरावच तथा प्रनुभव के मूल्यांकन का आधार प्रत्याशी का आवेदन-पत्र तथा उसके साथ सबसे अन्य बागवत-पत्र होते हैं । इसमें स्वयं प्रत्याशी को बुलाने की प्रावश्यकता नहीं होती, यह इस प्रणाली को अनेकांत परीक्षा (Unassembled Test) भी कहा जाता है । इसमें पद्धत्यात् एवं विषयगतता को रोकने के लिए दो परीक्षक रहे जाते हैं जो हर पापने का स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन करते हैं ।

लिखित परीक्षाघों का प्रयोग संयुक्तराज्य में अधिकारी सेवीवर्ग समिकरणों द्वारा किया जाता है । इसमें एक ही समय में बहुत से प्रत्याशियों की योग्यता वीजैच हो जाती है, यह यह सरल और समी है । यह वस्तुगत मूल्यांकन की दृष्टि से भी स्थिक मूलगम है । लिखित परीक्षाएँ मोटे रूप से दो भागों में बांटी जा सकती हैं—विषयगत एवं वस्तुगत या स्वतन्त्र उत्तर एवं द्विटे उत्तर की परीक्षाएँ । निमित्त परीक्षाएँ खुली प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं । इनमें पहले से ही निश्चय एवं प्रत्याशित योग्यताघों की जैसे वीजैच होती है ।

प्रतियोगी तथा गैर-प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे वीजैच की प्रहृति से तो एक जैसी ही दिलाई देती है जिन्हें दोनों का मुट्ठा घस्तर यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्यता-क्रम निर्धारित रूप दिया जाता है तथा नियुक्तियों इसी क्रम से वीजैच होती है तथा गैर-प्रतियोगी परीक्षाघों में नियुक्ति रखने वाले वो यह स्वतन्त्रता रहती है कि परीक्षा पास करने वाले प्रत्याशियों में से वह जिसी वीजैच भी नियुक्त करे । प्रतियोगी परीक्षाघों के घनेक रूप होते हैं । यहाँ में लोगों की एक साथ परीक्षा करने के लिए मशीनों द्वारा लघु-उत्तर प्राप्त तंत्रार द्वारा जाते हैं । उच्च विजेतीहृत पदों के लिए प्रत्याशियों का मूल्यांकन देवता उनकी गिरावच एवं प्रनुभव का मुण्डात्मक एवं स्वयंत्रम् मूल्यांकन पर के दिया जाता है । प्रत्याशी के सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिनियों द्वारा चरित्र एवं योग्यता सम्बन्धीयों प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं उनका भी

स्वयं म भृत्य होना है तथा जैमा वि विलोक्ती का मत है, प्रत्याशी का मूल्यांकन करने समय टनबो भी प्रथम दिग्गजाना चाहिए।<sup>1</sup>

परीक्षा की अन्य प्रणाली मौखिक जीवन के जिसमें प्रदाताओं के साक्षात्कार के समय मौखिक वार्तालाप द्वारा उसके चराक देने की क्षमता, बोहिक स्तर, जानकारी, बोनने एवं प्रमुखीकरण के तरीके, बान को समझने की क्षमता, कारीगरीक बनावट, निर्णय लेने की क्षमता प्रादि का अनुमान लगाया जाना है। मौखिक साक्षात्कार निजित वरीक्षा के दाद उसके साहायक के रूप में अपेक्षा स्वतन्त्र हर से सम्बन्ध नहीं जाता है। समुक्तराज्य अपेक्षा की लोकसेवा में मर्त्तों के समय मौखिक वरीक्षाओं का उपयोग कम ही होता है। इसकी अपेक्षा निजित वरीक्षा को परिवर्तित करना जाता है।<sup>2</sup>

वरीक्षा का एक तरीका कार्य-सम्पन्नता की जांच है। प्रमेरिकी लोकसेवा में नियुक्ति के लिए इसे आजकल काफी अपेक्षा जान लगा है। यह तरीका न मौखिक है और न नियित ही है। इसमें कार्य का यथार्थ म प्रदर्शन किया जाता है। प्रत्याशी नियुक्ति में अपेक्षा स्वयं कुछ करके दिखाता है और परीक्षक इस कार्य-सम्पन्नता का घबलोकन करना रहता है। स्टेनोशाफर, ट्रैक्शनकर्ता एवं अन्य तत्त्वों की वरीक्षा के लिए इस प्रकार की जांच आवश्यक नहीं जानी है।

प्रत्याशी की योग्यता जीवने के लिए उनकी योग्यताओं के सम्बन्ध में पूछताछ का तरीका भी अपनाया जाता है। विलोक्ता अनुभव, योगदाता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रादि महस्त्वपूर्ण ता है किन्तु गर्वात् नहीं है। औपचारिक परीक्षाओं द्वारा इन सभी की दृष्टि में उपयुक्त रहने वाला प्रत्याशी भी उसके चरित्र, स्वभाव, कार्य करने के दण प्रादि के बारए प्रनुपयुक्त सावित हो सकता है, परन्तु सेवा म प्रबोध से पूर्व प्रत्याशी के इन गुणों की पूरी जानकारी की जानी चाहिए। यह कार्य एवं प्रतिशिल्द स्टॉफ़ द्वारा ही किया जा सकता है। प्रत्याशी के भूनपूर्व नियुक्तिकर्ता एवं परिवित मित्रों से इन बातों की जानकारी की जा सकती है। परिवेक्षाकाल में तथा नियुक्ति के दाद भी इस प्रकार की जानकारियों जारी रखी जांसून्ती है। यह व्यक्तिगत जीवन पर्याप्ति समय एवं धन की अपेक्षा करती है। इमलिए केवल केवल प्रत्याशी होने पर ही कुछ पद विशेषों के सम्बन्ध में इने अपनाया जा सकता है।

आधुनिक लोकोविज्ञान का विकास होने के साथ-साथ लोकसेवाओं में प्रबोध के लिए प्रत्याशियों की योग्यता जीवने समय उनकी कुशलता एवं मनःस्थिति, शुद्धिमत्ता एवं जिसी विशेष कार्य के करने की क्षमता प्रादि की जांच भी की जानी है। पिछली कुछ दशाविंदियों से सरकारी रोजगार को प्रमेरिका में घायीदार रोजगार बनाने की परम्परा चली है। एक बर्मबाजारी में सेवा में प्रबोध के समय दिन योगदाताओं की अपेक्षा की जाती है वे उमड़े तिरमन्तर बढ़ते हुए दायित्वों के सम्बन्ध में

1 W F Bullooughby : op cit., p. 243

2 O G. Stoll : op cit., p. 76

यहाँ चली जानी है। इन आजीवन सेवा (Career Service) का विकास होने पर यह आवश्यक बन गया है कि प्रत्याशी की योग्यताओं की परीक्षा ऐवं सेवा में द्वेष के मद्देन्द्रि द्वारा दायित्वा को देखहार ही न ली जाए बल्कि भविष्य के दायित्वों को भी ध्यान में रखा जाए।

प्रत्याशी की परीक्षा के समय उसकी पूरी मनोवैज्ञानिक जीव की जानी चाहिए वर्तीव्यक्ति की क्षमताएँ का विकास तथा नए गुणों का जन्म उसकी मन स्थिति के प्राप्तान्तर पर ही होता है। व्यक्ति की मानसिक क्षमता, मनोभावना, मादियो के साथ व्यवहार, आस्तीनाएँ, महार की स्थिति, मूल प्रवृत्तियों सीखने की क्षमता आदि वास्तों की जानकारी प्राप्त्यन्तर प्राप्त है। मनोवैज्ञानिक जीव के लिए अन्यकान्यों द्वारा प्रश्न रखने जाने हैं तथा उसके तौर-नीति, व्यवहार, कुशलता, अविश्वासी दृष्टिकोण, शक्ति माध्यन-मध्यन्तर, तकनीकी ज्ञान कुशलता आदि अनेक बातें जानने की चेष्टा की जानी हैं। इस प्रकार के व्यक्तिगत गुण उम्बेदकारी की कार्यकृताएँ एवं क्षमताएँ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मुहिमा निभाने हैं।

परीक्षा के समय प्रत्याशी की सामान्य वुड्डि की जीव भी की जानी है। इन नोड्युलों प्रायों के मद्देन्द्रि को किसी विशेष कुशलता या ज्ञान के एक विशेष क्षेत्र में ही मर्जन्वर्ती होने की घरेला मानसिक विकास के लिए क्षमता-मध्यन्तर होता चाहिए। उनका स्वयं का दोषिक रूपरेखा भी जानी है।

लोकसेवकों की भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षा प्रणालियों में से कौन-सी अधिक उपयुक्त रहेगी यह प्रश्न इन बात पर निर्भर करता है कि इस पद पर नियुक्ति की जा रही है। इसका साथ ही किसी परीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता और योग्यता निर्धारण में उसकी क्षमताएँ बहुत हुद रुप कुशलता पर निर्भर करती हैं जिसके साथ इसे कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह तो स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष पद के दायित्वों के प्राप्तान्तर ही उसके अपेक्षित योग्यताएँ तय की जानी हैं और इन योग्यताओं के प्राप्तान्तर पर ही यह नियुक्त विधाय जा सकता है कि इस परीक्षा प्रणाली को प्रयोगनामा जाए। माध्यारहन परीक्षाओं द्वारा प्रत्याशी के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जानी है उसमें से कुछ बातें ये हैं—प्रत्याशी की सामान्य योग्यताएँ का पता लगता, उसकी विशेष योग्यताओं एवं ज्ञानसंरचितों का पता लगता, प्रत्याशी की उपलब्धियों की जानकारी करता, उसके स्वास्थ्य एवं शरीर रक्षणा का ज्ञान, उसके व्यक्तिगत एवं मात्रनामों का ज्ञान प्रादि-प्रादि।

इस सम्बन्ध में एक अनिवार्य उल्लेखनीय बात यह है कि मध्यसुतराज्ञ अमेरिका में बड़ी सम्भावा में अन्यकान्यों, मध्यकानीत या अनुशवन्तावृत्ति पर्यावरण स्थानों पर कार्य करने वालों तथा उनके विभिन्न प्रावधानों में युक्त पदों पर नियुक्ति के समय इस प्रकार की योग्यता परीक्षा नहीं जी जानी। एम पर्सों पर नियुक्ति के लिए अमेरिकी नोड्युलों प्रायों कुछ न्यूनतम मापदण्ड तया प्रदद मुरकायों की अवधारणा कर देता है। इस प्रकार के पद प्रायों की यदृसूची 'A' में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए एटार्नी छीनी व्यास्ताना, राष्ट्रपति भवन की विस्तृत बातों में

सम्बन्धित गुप्तचर सेवा, विदेश विमान की शोषणीय अद्यावसायिक एवं तकनीकी सेवाएँ, सैनिक प्रश्नातात् के मेडिकल एवं हैटन नोमिनेशन आदि। वे सभी पद प्रतियोगी बर्डीकृत सेवा में शामिल नहीं हैं, इनमें बोर्ड रक्षापी मनर नहीं है, जब्ते रोजगार के कारण इन पदों पर स्थायी सेवा का शर्त नहीं किया जा सकता, पदमुक्ति के विषद् तथा पुनर्नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं है तथा इन पर सेवानिवृत्ति व्यवस्था नाम नहीं होती।

### भूतपूर्व सेनिकों के लिए प्राथमिकताएँ (Veteran Preference)

'सदृशतात् यमेरिका वे द्वारा सभी सरकारी अर्नेकरणों द्वारा भूतपूर्व सेनिकों को भर्ती के समय प्राथमिकता दी जाती है। सैनिक कर्मचारियों की सेवाओं के प्रति राष्ट्रीय सम्मान के कारण उनको अनेक प्राप्तवायत पूर्वं प्राथमिकताप्री में छुटकारा दिया जाता है। प्रशासनिक कार्यक्रमनालौ वो दृष्टि से इसका चाहे हानिकारक प्रभाव होता ही किन्तु कौप्रेष तथा राज्य व्यवस्थापिकान् कानून द्वारा भूतपूर्व सेनिकों के प्रति धरने असुधार वो इतारने में दीक्षे नहीं रहती। 3 मार्च, 1865 को कौप्रेष ने कानून द्वारा यह प्राव भान दिया कि "यह सेना द्वारा जन नेता में अवृत्ति जा लडाई के मैदान में घायल श्रद्धा बीमार होने के कारण अक्षम तथा सेवा के शोषण हो जाएँ उन्हें प्रसंनिक कार्यालयी में नियुक्ति के समय प्राथमिकता दी जाएगी, यदि उनमें उन कार्यालयों में कार्य करने वी आवश्यक व्याख्यातिक अवृत्तिक अभ्यास द्वारा भी जाए तो। यह प्रावधान 1883 के लोकसेवा अधिनियम द्वारा भी जाए रहा गया। एटार्नी जनरल द्वारा इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा गया कि एक पद के समान योग्यता रखने वाले अन्य भोगी वी अपेक्षा भूतपूर्व सेनिकों की प्राथमिकता दी जाएगी।'अन्य वार्ता समान रहने पर प्रसंनिक कार्यालयों में नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सेनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। 1888 में नोकसेवा आयोग ने इस प्राथमिकता को द्रष्टिक लेकर बनाने द्वारा योग्यता दी जाते वो हटा दिया। 1910 में जन एटार्नी जनरल ने इसकी व्यवस्था की तो वे और प्राप्त बहुत तथा यह घोषित किया कि 1865 के अधिनियम की भावना के प्रनुसार अन्य लोगों का मूल्यांकन सूची में जाहे कुछ भी स्थान रहा हो उनकी अपेक्षा भूतपूर्व सेनिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 11 जुलाई, 1919 को, कौप्रेष ने सुन: कानून पारित किया जिसके अनुसार धायल सैनिकों एवं नाविकों की पत्नियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया। इसके बाद समय-समय पर कार्यालयिक प्रादेश तथा व्यवस्थापन द्वारा भूतपूर्व सेनिकों की प्राथमिकता के प्रावधान में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे।

### फ्रांस में सेवीयर्थ की भर्ती

#### (Recruitment of Personnel in France)

पांस में अन्य यूरोपीय देशों वी भौति लोकसेवकों की नियुक्तियाँ राजनीतिक प्रशासन के प्राप्तार पर होती वी। नियुक्ति एवं पदोन्नति दोनों कार्यों के लिए

रिगी मन्त्री घबड़ा विभागाध्यक्ष का पक्षपात्र भनिवायं होना था। ऐसी नियुक्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार एवं अप्रवर्यता का देश के उदारवादी भवनमन ने विरोध रिया। गदोप्रति में होने वाले पदाधार का स्वयं प्रधिकारियों ने विरोध किया। इस दाटरे दबाव के कारण वहनुस्थिति में क्रमशः परिवर्तन आने लगा। सूट प्रणाली पर रोक लगाने के लिए प्रतेक प्रयाम किए गए। विभिन्न भरकारी पदों के लिए बासुन घबड़ा नियमन के आधार पर आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित की गईं, स्वेच्छापूर्ण व्यक्तियों परम्परा या नापमन्द को रोकने के लिए मन्त्रालयों के घब्लयें नियुक्ति एवं पदोन्नति-मण्डन स्थापित किए गए।

फ्रैंस की लोकसेवा में भर्ती वा तरीका अन्य देशों की भाँति वहाँ की लोक-सेवा के मामाय सम्बन्ध में वर्धान प्रभावित है। यहाँ सम्पूर्ण लोकसेवा के लिए एवं जेने मामान्य बगं है। ये बगं चार हैं—मर्वोच्च बगं, मध्यम बगं, निपिक्क बगं तथा चतुर्थ थेली बमंचारी। फ्रैंस में सेवा के इन बगों का नामकरण ABCD के रूप में हृदया है। इन चार मामाय थेलियों के बाहर किन्तु वेनन मरकना में इनहें समर्पण दिलोपज होते हैं। इनका माज़ वे प्रशासन में व्यापक तथा महत्वपूर्ण स्थान है।

**भर्तीकारी अभिकरण (The Recruiting Agency)**—फ्रैंस में 1945 तक लोकसेवकों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी कोई केन्द्रीय संस्था नहीं थी।<sup>1</sup> यह स्वयं कायं मन्त्रालयों एवं विभागों द्वारा सम्बन्धित किया जाना था तथा प्रत्याशियों के लिए यावश्यक योग्यताएँ स्वयं मन्त्रालय द्वारा ही तय की जानी थीं। लोकसेवाया में भर्ती के लिए सुनी प्रतियोगी परीक्षाएँ प्रायोजित ही जानी थीं। इनमें सर्फकना के लिए प्रत्याशी से काफी तंयारी की चाहेका थी जानी थी। 1935 के अनुमानों के अनुसार इन प्रकार नगरम 200 परीक्षाएँ प्रतिवर्ष आयोजित की जानी थीं। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय फ्रैंस के अनेक प्रबुद्ध न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों ने जनरल डिपार्टमेंट के साथ इस्लैंड में प्रैम की लोकसेवा में भूधार की समस्या पर विचार किया। युद्ध के बाद यहाँ ही वेनिस को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई उसके बाद लोकसेवा में सुधार के लिए प्रस्ताव तंयार करने हेतु एक तीन सदस्यों की समिति बनाई गई। इस समिति के सुभाव पर्याप्त व्यापक एवं सुविचारित थे।<sup>2</sup>

सुधार समिति ने ही एक सुभाव के अनुसार सभी उच्चतर नागरिक मवाद्रों में भर्ती तथा प्रगिक्षण का बायं सम्भव करने हेतु Ecole National d' Administration की स्थापना की गई। B C D तथा विशेषीहृन कोर्स में भर्ती का बायं अनिवार्य मन्त्रालयों द्वारा ही सम्पन्न होता रहा। E N A का सुच्च दायित्व उच्च थेली के एस नागरिक मेवह तंयार करता है जिनको एक मन्त्रालय से दूसरे मन्त्रालय मेवहता जा सते। फ्रैंस में मर्वोच्च थेली की उच्च सेवाया में

प्रतिवर्ष लगभग 80-90 पद रिक्त होते हैं। इन पर नई भवित्वी करने के लिए E N A मुली निखित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा उम्मीदवारों का चयन करती है।

**राष्ट्रीय प्रशासन विद्यालय (L'Ecole National d' Administration)–** राष्ट्रीय प्रशासनिक विद्यालय द्वारा अनेक उद्देश्यों वाली पुस्ति की जाती है। इसकी स्थापना (1945) से पूर्व फ्रांस के लोकसेवकों की प्रवेश परीक्षाएँ अलग-अलग विभागों द्वारा की जाती थीं जिन्हें अब इनके स्थान पर यह विद्यालय एक वापिक प्रतियोगिता आयोजित करता है। इसमें साबनहीन प्रतिभावों को भी अवसर प्राप्त होना है क्योंकि इसमें प्रवेश के बाद तीन वर्ष तक अध्ययन के लिए यह अपनी ओर से आधिक व्यवस्था करता है। विद्यालय में प्रतिवर्ष असाधारण योग्यता वाले 100 से अधिक प्रत्याशी प्रविष्ट होते हैं। इनको किनाबो और कक्षाओं के निर्देशों के अतिरिक्त विभिन्न व्यावहारिक बायों का क्रमिक अनुभव दिया जाता है ताकि भावी प्रशासक अपने मन्त्रिष्ठ और आदतों की ओर प्रतिवर्ष में प्रशासनिक बायों के प्रति अधिक सक्रिय और सजग हो सकें। विद्यार्थी ने समाज विज्ञान के अनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता है किन्तु इसमें भी अधिक इनका समय विभिन्न प्रशासनिक प्रभिकरणों के व्यावहारिक अध्ययन में अतीत होता है।

प्रौढ़ों के इस विद्यालय की असाधारण विशेषता यह है कि यह अधिकारियों में नैतिकता के विषाम हेतु प्रयत्नशील रहता है। विद्यालय के इस दायित्व के सम्बन्ध में इसमें गस्त्यापक मार्शल डेब्रे (Marcel Debre) ने विभारपूर्वक बर्णन किया है जिसका सार यह है कि विद्यालय का बायं राजनीति मेलना प्रथम विक्षी सिद्धान्त को योग्यना नहीं है बरन् इसे नाबी अधिकारियों को राज्य की मानवता निखानी चाहिए, उन्हे प्रशासनिक उत्तरदायित्व समझाने चाहिए, इसके प्राप्त्यापकों को इतिहास के महान् उदाहरणों तथा महामुर्मायों का चित्रण करते हुए उच्च आदर्श स्थापित बरने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में हर प्रकार का बायं करने वी शक्ति, जोखिम के समय निरुद्ध लेने की योग्यता तथा तिर्भवनापूर्ण बल्यना शक्ति वा विकाय करना चाहिए। ये सभी महाविद्यालय के महत्वपूर्ण दायित्व हैं।

विद्यालय में प्रवेश के लिए दो पृष्ठक परीक्षाएँ हैं—एक नए विद्यार्थियों के लिए और दूसरी लोकसेवा में बायं कर रहे अधिकारियों के लिए। नए प्रत्याशियों की आय 26 वर्ष से कम तथा राजनीति के सम्बन्धों का डिज्लोग प्राप्त होना चाहिए। अधिकारियों की उम्र 26 से 30 वर्ष तक हो और वे 5 वर्ष सक या इससे अधिक सरकारी सेवा कर चुके हो। इस प्रकार अधिकारियों के विषयों को प्रशासनिक बायं में प्रवेश पाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। प्रवेश हेतु परीक्षाएँ राजनीतिशास्त्र और प्रबंधशास्त्र के शेष में सी जाती हैं जिनकी प्रहृति विशेषज्ञतापूर्ण न होकर सामान्य होती है। प्रत्याशियों भी तुम्ह आरीरिक परीक्षाएँ भी होती हैं

और वह भाषा की जाती है कि वे द्वारा सेवा करने के लिए अपनी सेवीकारी सेवा प्रीरी कर चुके होंगे। नए और विभागीय प्रत्याजियों का अनुशासन अनुमति पर छोड़ दिया गया है।

विद्यालय चार मम्भागों में समर्पित है—सामाजिक प्रशासन, अर्थशास्त्र एवं वित्तीय प्रशासन, सामाजिक प्रशासन और विदेशी मामले। प्रत्याशी को स्वयं उत्तेजित करना होता है कि वह इस मम्भाग में प्रवेश लेगा। इसके पीछे विचार यह है कि प्रत्याशी को स्वयं की इच्छा के व्यवसाय में प्रवेश का अवसर दिया जाए। प्रवेश परीक्षामा में यह व्यवस्था की जाती है कि प्रत्याशी द्वारा दिये गये विशेष क्षेत्र में उत्तर दे सके। परीक्षक प्रत्याशी की सामाजिक मस्तृकि, व्यक्तिगत और चरित्र पर विशेष ध्यान देते हैं। पीछना के आधार पर प्रत्याजियों की सूची बनाई जाती है और उनके स्थान के आधार पर वे इच्छित मम्भाग में जाना चाहेंगे यदि पूर्ण जाना है। यदि कोई प्रत्याशी प्रवेश इच्छित मम्भाग में न जा सके तो वह तो उसे अन्य मम्भाग में जाना होगा अथवा अमले वर्ष पुनः प्रप्राप्त बनाना होगा।

विद्यालय में प्रवेश पाने के बाद उसी विद्यार्थी लोकसेवा की अनुशासनात्मक आचार-भौतिक के अधीन आ जाते हैं। उन्हें बैठन मिठाना है तथा वे 12 वर्ष तक राज्य की सेवा करने वा वचन देते हैं। ऐसा न बरतेपर उन्हें विद्यालय से प्राप्त तीन वर्ष वा बैठन-राज्य को बाधम नोटाना पड़ता है।

विद्यालय के तीन वर्षों में से प्रथम वर्ष व्यावहारिक वार्ष का होता है और द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में स्कूली शिखा और व्यावहारिक कार्य दोनों साथ चलते हैं। तीन वर्ष की समाप्ति पर विद्यार्थी अधिकारियों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अधम तथा अद्योग्य लोगों को बाहर निवाल दिया जाता है। इस विद्यालय के स्नातकों द्वारा जिन मरकारी अधिकरणों में सेवा की जाती है वे मुख्यतः ये हैं—कौसिन डी एटा, सेक्षा न्यायालय, म-जूनियो के केन्द्रीय प्रशासन वा उच्चन्द्रम स्नात, राजनीतिक सेवाएँ वित का भवानिरीक्षणालय, प्रशासनिक सेवायां वा महानिरीक्षणालय यथा निरीक्षणालय, प्रीफेक्ट मम्बर्सी कैरियर यादि। कौसिनी मरकार वे केन्द्रीयरण्ण ने इन सभी पदों को महत्वपूर्ण बना दिया है।

4

जब भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा हप में राज्य की सेवा में प्रवेश करते हैं तो वे फ्रिटेन की भर्ती ही प्रशासनिक बेडेस अथवा Assistant Principals वे हप में प्रवेश करते हैं। कुछ स्थान बाहर वाली तथा पदोन्नति से निए जाने वालों के लिए रखे जाते हैं। कुछ पदों पर मन्त्री प्रपनी स्वेच्छा में नियुक्ति करते हैं।

**विद्यालय का समाजन (Organisation of the School)**—फ्रैंस में राष्ट्रीय प्रशासन विद्यालय उच्च लोकसेवायों के लिए प्रतिवर्ष घरन 90-100 विद्यार्थियों में से नए प्रवेशार्थी प्रस्तुत बरता है। पुराने लोकसेवकों की नया उम्माह तथा ज्ञान देने वा वार्ष उच्च द्वार्पाल बे-इ (Centre des Hautes Etudes) द्वारा दिया

जाता है। इस बेन्द्र का लघु तकनीकी, विशेषीकृत एवं स्थानीय सेवाओं में कुछ वर्ष काम वर लेने वाले लोकसेवकों को पुन शिक्षित एवं तरोन्ताजा करना है। नाट्टीय प्रशासन विद्यालय Ecole Libre des Sciences Politiques वी तूबंवर्नी परिपद में स्थित है। इसके मतालन का ध्यय भार राज्य द्वारा उठाया जाना है। गरबार तथा विद्यालय के आपसी मम्बत्व भी पर्याप्त रोचक हैं। यह मन्त्रि-परिपद के अध्यक्ष वी प्रत्यक्ष भूता एवं नियन्त्रण में रहता है। अध्यक्ष के अधीन एक सोक्सेवा निदेशालय (Directorate of Public Service) भी स्थापना की गई है जो लोकसेवाओं के लिए सामान्य नीति सम्बन्धी रेखाएं तैयार करता है तथा अभिलेख एवं सांख्यिकी रखता है। इसके अतिरिक्त यह निदेशालय स्नारों के सम्बन्ध, बेन्त के निदान, पेशन की योग्यताएं तथा सेवाओं के साङ्गत्य वा कार्य भी रखता है।

निदेशालय के साथ-साथ एक स्थायी प्रशासन परिपद (Permanent Council of Administration) भी है। लोकसेवा मम्बत्वी नीति का अध्ययन तथा स्पष्टीकरण करती है, उसे सम्मूलं प्रशासन व्यवस्था पर लागू करती है और उसके बाद लोकसेवा संविधियों का पर्यवेक्षण करती है। विद्यालय द्वारा भर्ती लिए गए लोकसेवकों पर ग्रनुशासन की व्यवस्था का दायित्व यही परिपद निभाती है परिपद में एक सभापति, दो अधिकारी तथा लोकसेवा से बाहर के दो वक्ति होते हैं।

विद्यालय का प्रशासन एक निदेशक तथा प्रशासन परिपद द्वारा किया जाता है। निदेशक की नियुक्ति मन्त्रि-परिपद के एक प्रादेश द्वारा भी जानी है तथा उसे विद्यालय की प्रशासन परिपद के मतकं नियंत्रण द्वारा निकाला जा सकता है। कौसिल छी एटा का उपाध्यक्ष प्रशासन परिपद का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त परिपद में विद्यालय से आए सदस्य, प्रधिकारी एवं सेवा से बाहर के अधिक होते हैं। विद्यालय का एक अधिकारी लोकसेवा को निदेशक होता है, दो अधिकारी लोकसेवा मध्ये द्वारा नामजद किए जाते हैं। विद्यालय के अध्यापक प्राचार्यों तथा प्रशासकों में से लिए जाते हैं।

### प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताएं

(Essential Qualifications for Entrance)

फैस में लोकसेवाओं का वर्गीकरण चार श्रेणियों में किया गया है तथा प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम इकाना के मिन-मिन स्तरों वी व्यवस्था भी गई है। लोकसेवा की सर्वोच्च श्रेणी में उन प्रत्याशियों को लिया जाता है जो स्नानक्रोतर परीक्षा दे चुके हैं। मध्यम श्रेणी के पदों पर नहा विद्यालय स्तर के तथा लिपिक श्रेणी में विद्यालय स्तर की परीक्षा देने वाले प्रत्याशी उपर्युक्त माने जाते हैं। कमंचारियों की चौथी तथा अन्तिम श्रेणी के पदों पर प्राय दो प्रत्याशी जाते हैं जो प्राविनिक शिक्षा पूरी कर चुके हैं तथा प्रायु की ईट से भरपरिपक्व हैं। यहीं लोक-सेवाओं में भूतपूर्व मंत्रिकों तथा भ्रशनः अपाहिजों को प्राविनिका दी जाती है।

विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम शिक्षा की व्यवस्था के पीछे भूल विचार यह रहता है कि कर्मचारी में उसके पद के अनुज्ञान शिक्षा तो रहनी ही चाहिए ताकि वह अपने पद के दायित्वों का निवार्त्त कुशलतापूर्वक कर सके। शिक्षा वी शर्त के कारण प्रत्याशियों की सहाया सीमित हो जाती है तथा योग्य व्यक्ति के चयन में सुविधा रहती है। यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान न रखा जाए तो किसी भी सरकारी पद के लिए प्रत्याशियों का जमघट लग जाएगा तथा वस्तुगत रूप से योग्यता की जाँच बरका बढ़िन बन जाएगा।

लोडमेन के विभिन्न पदों के लिए अनुभव एवं सक्षीकृत कुशलता की वैधतीय योग्यता माना जाना है। यह अनुभव प्रत्याशी को या तो अन्यद वार्षे करने से प्राप्त होता है यथा वह प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण से प्राप्त करता है। तबनीकी एवं व्यावसायिक पदों के लिए व्यावसायिक योग्यता प्रत्याशी के लिए अनिवार्य बना दी जाती है। फ्रैंस में गाड़िय सेवा के लिए इंजीनियर्स को प्रशिक्षित करने की परम्परा बहुत पुरानी है। यह कार्य मुख्यतः तीन सहस्राब्दों द्वारा किया जाना है, यह—Ecole Nationale des Ponts et Chausses, The Ecole Nationale Supérieure des Mines Ecole Polytechnique इनमें प्रथम दो की स्थापना 1747 में हुई थी तथा अन्तिम और तीसरा 1794 में स्थापित किया गया था। एकोने पोनी टैक्नीक में प्रवेश के लिए संस्कृती पास तय 18 से 20 वर्ष की आयु के प्रत्याशियों को कही प्रतियोगिता वा सामना करना होता है। प्रवेशाधिकारी पर यह शर्त नहीं जाती है कि प्रशिक्षण कोमें वी समाप्ति के बाद उनको कम से कम दस वर्ष तक राज्य की सेवा करनी होती। एकोने पोनी टैक्नीक में विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र प्रादि विषयों का दो वर्ष तक प्रशिक्षण किया जाता है। उसके बाद प्रत्याशी की परीक्षा ली जाती है तथा योग्यता के आधार पर प्रत्याशियों को बगीचूत कर दिया जाता है तब तक प्रत्याशी अपने भावी व्यावसाय का निष्कर्ष कर सकते हैं। वे या तो तबनीकी कोर्स में चले जाने हैं यथा मेना की तबनीकी कोर्स में शामिल हो जाने हैं। नामिक तबनीकी कोर्स का चयन इरने वाले लोग Ecole des Mines प्रथमा Ecole des Ponts et Chausses में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं यहाँ प्रत्याशियों को जो प्रशिक्षण किया जाता है वह उनको न बेबल सुपोग्य इंजीनियर ही बना देना है बरन् सद्गम प्रशिक्षण भी बनाना है। इस कोर्स के बारां फ्रैंस के राष्ट्रीयहृन उद्यमों के मालालन के लिए योग्य कार्यकर्ताओं की यूनिवे एक सम्मोहनजनक खोल मिल जाना है। चैरमेन ऐ बचनानुगार फ्रैंस की लोडमेन का उच्चस्तर बहुत बुध इन कोर्स के अस्तित्व पर निर्भर है।<sup>1</sup> फ्रैंस की तबनीकी लोडमेन के सामने बहुत बुध बही समस्या है त्रिमाण सामना उमे घामनी शोष सोडमेन में बरना पड़ता है।

फ्रैंस का उच्च प्रयोगी दे तबनीकी प्रशासन प्राप्त करने की बही बही बही तक दे दिए कोई किना नहीं रहती। वह प्रशासनिक अनुभव से युक्त प्रथम श्रेणी दे

इन्जीनियरों की 90% आवश्यकता की पूर्ति करने में सदैद सक्षम है किन्तु विभाग का विषय यह है कि माध्यारण इन्जीनियरों तथा अन्य कुशल कारीगरों की पूर्ति करने में कौस वी लोडसेवा अक्षम ठहरती है। दूसरे देशों में प्रायः स्थिति विपरीत रहती है। वही कुशल कारीगर तथा साधारण इन्जीनियर तो पर्याप्त मिल जाते हैं किन्तु उच्च थेएटी के विशेषज्ञ इन्जीनियर पर्याप्त नहीं मिल पाते। ब्रिटेन में विज्ञापन तथा मानविकी के बीच जो विभाजन किया गया है उसके परिणामस्वरूप व्यावहारिक व्यक्ति तथा नागरिक सेवक के बीच एक अजनबी विभाजक रेखा बन जाती है। कौस में ऐसा नहीं होता। यही सरकारी तथा निजी उच्चोंसे के बीच विशेषज्ञ प्रविकारियों का आना-जाना बना रहता है।

विदेश सेवा में नियुक्ति के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है। कौस में E N A के अन्तर्गत विदेशी मामलों के लिए अलग से विशेष सम्मान हैं, यद्यपि सभी प्रत्याशी सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने हैं। विदेश सेवा पर विशेष ध्यान देना कारण यह है कि विदेशी में जाकर राजनविक कार्य सम्पन्न करने वालों से कुछ विशेष कुशलता, सामाजिक नममधारी तथा आदिगान की अपेक्षा बीजाती है, अतः सेवा में प्रवेश के पूर्व भली प्रकार उनकी जांच करना आवश्यक है। सेवीवर्ग के लिए प्रवेश परीक्षाएं

#### (Entrance Examinations for the Personnel)

कौस में ब्रिटेन, जर्मनी तथा अमेरिका की भाँति एक परीक्षक निकाय नहीं है। यहीं प्रत्येक विभाग द्वारा पृथक् में भर्ती की जाती है तथा प्रत्येक विभाग स्वयं ही कमचारियों के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित करता है। इसी प्रकार परीक्षाएं भी विभागों द्वारा स्वयं द्वारा संचालित की जाती हैं। यहीं तक उच्च नोकमेंवकों के चयन एवं प्रशिक्षण का मम्बन्ध है, यह कार्य Ecole Nationale d' Administration द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यहीं लोडसेवा सम्बन्धी सुधारों वे परिणामस्वरूप विभिन्न विश्वविद्यालयों में बाहर Institute d' Etudes Politiques स्थापित किए गए हैं। इनमें विद्यार्थियों को अर्द्धशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं अन्य समाज विज्ञानों का ज्ञान कार्यान्वयन की जाती है। ये विषय उच्च सेवाओं में प्रवेश के लिए उपयोगी बनते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 80-90 उच्च थेएटी के ५८ रिक्त होते हैं। इन पर भर्ती के लिए E N A द्वारा सुनीलित प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। E. N. A. के निदेशक इन वाधिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। परीक्षकों की नियुक्ति एक आदेश द्वारा वरिष्ठ नागरिक सेवकों द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में से की जाती है। E N A का प्रशिक्षण कोई तीन वर्ष चलता है। प्रशिक्षण दो बाले ये लोग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा वरिष्ठ नागरिक सेवक होते हैं। इनकी नियुक्ति निदेशक द्वारा की जाती है।

उच्च पदों के लिए परीक्षाएं—सम्पूर्ण नागरिक सेवा के उच्च पदों पर French Ecole d' Administration द्वारा परीक्षाएं सी जाती हैं। इसके लिए नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। ये दो प्रकार की होती हैं—एक

विश्वविद्यालयी योग्यता एवं रखने वाले लोगों के लिए तथा दूसरी तीसरी वर्ष से कम की उम्र दाले उन लोगों के लिए जो किसी प्रशामनिक पद पर कम से कम पाँच वर्ष तक काम कर चुके हों। दूसरी थेली को प्रतियोगिता के लिए किसी प्रकार वी शैक्षणिक योग्यता की जोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी थेली के पदों में सुरक्षित पद रखने की परम्परा नहीं है। दोनों थेलियों के लिए योग्यता के सम्मिलिन उम्र की मूली तैयार की जाती है।

द्वितीय थेली (B) के पदों के लिए परीक्षाएँ—इनमें वे प्रत्याशी भाग लेते हैं जो अपनी उच्चतर स्तरीय विधा समाज कर चुके हैं। इन्हुंने अभी तक यूनिवर्सिटी में नहीं गए हैं। यूनिवर्सिटी के स्नातक मीडियमिटी की सेवामा की ओर पर्याप्त शार्फित होते हैं। E N A के उच्च स्तरों के बारे में यूनिवर्सिटी में उच्चतर उच्च सेवामों में विवरित ही प्रवेश कर पाते हैं, अतः वे द्वितीय थेली की विवाहीयों की ओर लोटते हैं। इनमें से कई लोग तो जीवनमर बाहर निवास कर उच्च सेवामों में प्रवेश नहीं कर पाते। द्वितीय थेली के लिए निर्धारित योग्यता वाले लोग बाहर रह जाते हैं और उनको तृतीय थेली (C) की परीक्षामों में शामिल होने के लिए लौटना पड़ता है। इस प्रकार वे भी अपनी योग्यता से नीचे दें पद पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

E N A द्वारा आयोजित वार्षिकी प्रतियोगितामों में प्रारम्भिक स्कूल शिक्षापत्र भी शामिल होते हैं क्योंकि वे राज्य शैक्षणिक सेवा के मद्देस्त होते हैं।

परीक्षामों के दो भाग—‘प्रधिकारी’ एवं ‘विद्यार्थी’ दोनों थेलियों की प्रवेश-परीक्षामों के दो भाग हैं—प्रारम्भिक भाग (Preliminary Part) तथा दोहरीकृत भाग (Classifying Part)। जो प्रत्याशी प्रारम्भिक भाग में एक निर्धारित स्तर तक पहुंच पाते हैं उनको वर्गीकृत भाग में देखने की अनुमति दी जाती है। विद्यार्थी थेली के लिए प्रारम्भिक भाग की परीक्षा के बारे मांग हैं। इनमें से तीन लाख-पाँच पर्याप्त तरह चलने वाले तीन निवास के देशों होते हैं। इनमें प्रथम वा तिसरा, दूसरे वा चौथा है—प्रमुख राज्यों की राजनीतिक सम्पादन या काम का प्रगत्यापनिदेश वाला, तीसरे वा चौथा है—राजनीतिक संरचनात्मक जैसे—1945 में प्रमुख दशों की गोटिक नीति। चौथा भी पर्याप्त वर्षों के बीच विद्यार्थी विद्यालय, इंटर्नियन, राजियन तथा परेक्सिक छात्रियों में से हिस्सी भी विदेशी भाषा का हाल हांसा है। प्रधिकारी थेली (Official Category) के लिए प्रारम्भिक परीक्षा में भी विद्यार्थी थेली की नीति तीन निवास के पारे होते हैं इन्हुंने यहाँ पूछे जाने वाले प्रश्न प्रत्याशी वे जारीदारियां जान पा भविक और देने हैं। यहाँ चौथे विदेशी भाषा के पर्याप्त स्तरान पर काम करने में इसी एक परियोग या कुछ परिपत्रों का समिक्षीयरण कराया जाता है। इनमें एक 1000 गढ़ों का तथा दूसरा पचास गढ़ों का होता है।

बर्गीहृत परीक्षा उन विद्यार्थी एवं प्रधिकारी प्रत्याशियों की जीती है जो प्रारम्भिक परीक्षा पास कर सकते हैं। इस परीक्षा द्वारा उनके प्रधिक विजेतृहृत ज्ञान की जीत भी जीती है। परीक्षा में जामिल होने से पूर्व प्रत्याशी को चार व्यवसायों में से एक चुनने को कहा जाता है, ये हैं—सामान्य प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, सामाजिक प्रशासन तथा विदेशी मामले। E N A का मध्यापा भी इसी विभाजन पर निर्भर करता है। बर्गीहृत परीक्षा में चार जीत की जीती है। इनमें से तीन वा चार विषय वही होता है जो प्रत्याशी ने इच्छा से इच्छा से निर्धारित किया है। प्रथम विद्यार्थी परीक्षा में प्रशासनिक विधि, वित्तीय विधि, सामाजिक अर्थशास्त्र या 1815 से अन्तर्गत द्वितीय सम्बन्धों पर एक प्रश्न होता है। चार घटें के इस पेशर में परीक्षार्थी को अपने प्रश्नभाग के शनुसार जवाब देना होता है। तीन विद्यार्थी-परीक्षार्थी मीलिंग होती है। प्रथम परीक्षा में विद्यार्थी की परीक्षक मण्डल के सामन प्रस्तुत होने से आधा घटे पूर्व सामान्य विषय बता किया जाता है। जिस पर वह मण्डल के सामने 10 मिनिट तक बोलता है। उसके बाहे गण पर मण्डल द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय एवं तृतीय परीक्षाओं में प्रत्याशी से उसके द्वारा उत्तेजित विषय पर 15 मिनिट तक पूछताछ की जाती है।

'प्रौढ़िकारी' प्रत्याशियों के लिए बर्गीहृत परीक्षाओं के बेबस तीन मात्र होते हैं। इनके मिलाकर कुल अक्ष उतने ही होते हैं जिनमें विद्यार्थी थेण्टी बातों के चार परीक्षाओं के कुन पक होते हैं। इनका मीलिंग साक्षात्कार भी दो क स्थान पर एक ही होता है, क्वल प्रदूह मिनिट के लिए। दोनों ही थेण्टी के प्रत्याशियों से यह प्राप्ति की जाती है कि दीड़, कूद, खडाई, ढंरावी, भारोत्तोलन प्रादि में एक विशेष स्तर की योग्यता रखते हैं। यदि कोई प्रत्याशी शारीरिक हृष्ट से अपग है तो इन खेल-कूदों में उभयुक्त रखा जा सकता है। तभी प्रत्याशियों को यह अद्वार प्राप्त होता है कि वे तीन आधारों पर धृणी विशेष योग्यता का प्रदर्शन कर सकें-यदि वे पाँचनट हो यथवा पैरागूट जम्पर हों। यदि उनको द्वितीय विदेशी मामला में प्रश्न सुन प्राप्त हो यदि, वे मीलिंग साक्षात्कार के समय वैज्ञानिक विषयों की विशेष जानकारी दिला सकें।

रिक्त सरकारी पदों की मूल्यांकन की धोषणा (Direction de la Fonction Publique) द्वारा परीक्षा से पूर्व ही कर दी जाती है तथा परीक्षा यादोग धोषणा दे आधार पर प्रत्याशियों की सूची बनाता है। यदि दो प्रत्याशी समान अक्ष प्राप्त करें तो परीक्षक मण्डल उन दोनों को चुनाकर पुन माक्षात्कार लेता है तथा योग्यता का चयन करता है।

कुछ उल्लेखनोय विशेषताएं (Some Remarkable Characteristics) — पांस में सोइसेवा की भी मती व्यवस्था भी कठिन विशेषताएं हैं जो उसे दिटिंग, जम्बन तथा अन्य यूरोपीय देशों की सोइसेवा से भिन्न बनाती हैं। इनमें से मुख्य ये हैं—(1) पांस में प्रत्याशी का कानून में मवीएं पर्सी में विशेषज्ञ होना ही पर्याप्त नहीं ममझा जाना। बरन् इसके स्थान पर दूरे विषयों के ज्ञान का सबोग

वरें उम्र के विषय दोष को व्यापक बना दिया जाना है। (ii) पौसीमी परम्परा यह विश्वास नहीं करती कि प्रत्याग्री को बुद्धि को किसी भी ग्रनुशासन में जौचा जा सकता है और प्रत्येक प्रकार का व्यक्ति एक अचल प्रशासक बन सकता है। फौस में यह मान्यता है कि एक अचल प्रशासक को कुछ विषयों का ज्ञान होना ही चाहिए। ये नोमिनियों को प्रशासन में नहीं रखना चाहते। फौसीमी लोकसेवा की दृष्टि से एक व्यक्ति के पास ग्रन्थ मस्तिष्क हाना ही परामर्श नहीं है वरन् यह मस्तिष्क उन विषयों में प्रशिक्षित न होना चाहिए जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्यों से है। (iii) पौम में उच्च नागरिक सेवा तथा अध्य स्नायी सेवा के बीच ऐसा गहरी भाई है। मध्यवर्ती प्रशासनों के लिए उच्च नागरिक सेवा में स्वातं मुरक्षित नहीं रहते, न ही उनके लिए प्रतियोगिता में शामिल होने का कोई विशेष अवसर रहता है। उन्ह मनुनी प्रतियोगिता में बाहर बालों के साथ ही अवसर दिया जाना है। फौसीसी लोकसेवा में प्रशासनिक धर्मों के धर्मिकारियों की योग्यताएँ उच्च बोडिंग प्रशिक्षणीयों की होनी हैं। प्रानोचनों का कहना है कि प्रत्येक प्रशासनिक पद के लिए इतनी बुद्धिमत्ता आवश्यक नहीं होती। अत व्यापक ज्ञान, प्रशासनिक विशेषज्ञता, धर्मशील बुद्धि आदि की तोत में पौसीसी लोकसेवा मीड-मीड दायित्वी वाले पदों को भी मिलत्यपना के साथ नहीं भर पाती। चैनमेन के व्यवसायुमार, "एक दोहे के घोड़े में हल दिव्यतात् उसी प्रवार मूर्त्यतापूर्ण है त्रिम प्रवार एक तरींगे के घोडे से हड्डी जीनों की धारण करना।"<sup>1</sup> (iv) पौम में भर्ती के लिए ली जाने वाली धर्मशास्त्रों में चरित्र का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। यह प्रधान दिया जाना है कि धार्म बड़े प्राकार के लोह प्रशासन में विभिन्न प्रकार की प्रहृति एवं स्वभाव वालों को लिया जाए। यह स्वभाव एवं चरित्रपूर्ण विद्वान प्रशासनिक कार्यक्रमों पर अनुदून भ्रमर दानती है। (v) पौम में उच्च शिक्षा ना स्वरूप Career-Oriented है। (vi) यही प्रशासन के तरनीकी एवं परामर्शदानों कार्यों में बहुत कम अनुर किया जाता है। पौसीमी विशेषज्ञ कर्मचारियों को तरनीकी मध्यवर्ती तथा मध्यम प्रशासक दोनों ही पाना जाता है जूपा तरनीकी एवं प्रशासनिक दोनों ही वार्ष्यों के महसूसों को प्रशासनिक पदों पर पढ़ोन्त दिया जा सकता है। (vii) पौम में भोज प्रशासन की प्राजीविहा को व्यावरायिक प्रबन्ध एवं तरनीकी संपूर्ण नहीं दिया जाता।

<sup>1</sup> "It is just stupid to make a race horse pull a plough as it is to expect a cartorse to win the Derby" —Brian Chapman : op. cit., p. 93

## 6

# भारत, ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस में सेवा वर्गीकरण की व्यवस्था (System of Service Classification in India, Great Britain, U. S. A. and France)

---

सेवीवर्ग प्रशासन में उनके दृष्टियों से एक व्यवस्थित मेवा-वर्गीकरण व्यवस्था का उत्तेजनीय महत्त्व है। विवेदी के मनानुमार सरकारी रोजगार का वर्गीकरण और स्नायीकरण निश्चय ही एक ऐसा प्रारम्भिक विन्दु अधिका प्राधार है जिन पर समप्र सेवीवर्ग सम्बन्ध निर्भर करती है।<sup>1</sup> सम्मिल इसमें विना सेवीवर्ग प्रशासन की प्रनेत्र ममम्याद्वारा को सत्तोप्रबनक तरीके से नहीं भुनभाया जा सकता। संयुक्तराज्य अमेरिका में पद वर्गीकरण व्यवस्था है जबकि अन्य देशों में वर्गीकरण, वर्गीकरण है।

## सेवा वर्गीकरण का अर्थ

(The Meaning of Service Classification)

सेवा वर्गीकरण की व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्राधार पर विशेष वर्ग समूहों में स्थोत्रित कर निया जाता है। यह व्यवस्था प्रशासनिक कायदङ्कशनता, कर्तव्यों की स्पष्टता और कर्मचारियों के उपयुक्त प्रबन्ध के साथ-साथ उनके बीच निर्धारण तथा अन्य सेवा की शर्तों के निर्धारण में भी उपयोगी मिठ्ठ होनी है। साइमन तथा अन्य के वर्णनानुमार, “एव वर्गीकरण के पीछे मूल विचार यह है कि एक सम्बन्ध में उन सभी पदों को शर्तों, बीच तथा अन्य सेवीवर्ग विषयों के सम्बन्ध में एक ही समूह में समूहीकृत कर निया जाए जो बहुत कुछ एक जैसे वायों एवं दायित्वों का निर्धार करते हैं।”<sup>2</sup>

1 W. F. Willoughby, op. cit., p. 204

2 “The basic idea in a position classification is that all those positions in an organisation which involve closely similar duties and responsibilities should be grouped together purposes of recruitment compensation and other personnel matters” —Simon and others, op. cit., p. 353

आज प्राय सभी देशों की सभी सरकारें अपनी प्रशासनिक सरचनाओं में सेवा वर्गीकरण की व्यवस्था की ध्यानाली हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका की सधीय सेवा में सेवा वर्गीकरण का प्रत्यक्ष गणराज्य की स्थापना के गाय हो जो गया था। नव इंद्रजा लक्ष्य 'समान कार्य के लिए समान वेतन' (Equal Pay for Equal Work) या और तभी में इसी लक्ष्य की उपलब्धि के लिए आज तक व्यवस्थापन होना रहा है। डब्ल्यू बी ग्रेव (W B Graves) के माननुमार "वर्गीकरण तुलनात्मक बठिनाई और दायित्व के घनुगार कार्य को उत्तरोत्तर अमेरिका से निश्चित बरते के लिए परिभ्रान्ति दिया जा सकता है।"<sup>1</sup> मिस्रेड ने यह स्वीकार दिया है इस कार्य के विवेयण पर आधारित तोन के कारण सेवा वर्गीकरण एक अडिन कार्य है। यह व्यक्ति से नहीं बरन् उसे द्वारा मध्यन होने वाले कार्यों से मध्यन्ध रखता है। यही मध्यस्था यह है इस एक व्यक्ति अनेकों प्रकार के कार्य करता है जिनमें धनग-धनग ज्ञान, दुश्लता, बठिनाई और दायित्वों की आवश्यकता रहती है।

सेवीवर्ग प्रशासन में पद (Position) का पर्याय उन कर्तव्यों एवं दायित्वों के समूह से है जिनकी ओर एक कर्मचारी अपने नियमित कार्यकारी समय में व्याप्ति देता है। पद बदले जा सकते हैं और प्राय बदले जी जाते हैं। कार्य की योजना, गणठन की सरचना एवं कार्य करने के तरीके की एक तथा कर्मचारियों की योग्यता एवं कार्य सम्पन्नता के पर्यवेक्षक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर पदों में समय-समय पर परिवर्तन होने रहते हैं।

### सेवा वर्गीकरण के मूल तत्त्व

#### (The Essentials of Service Classification)

सेवा वर्गीकरण का पद वर्गीकरण का पर्याय विभिन्न स्पष्टता समझने के लिए इसके मूल तत्त्वों पर विचार करना। सार्वतंड रहेगा। अमेरिका के सेवीवर्ग प्रशासन अग्रणी के निर्देशक फ्रेड टेलफोर्ड (Fred Telford) ने पद वर्गीकरण के निम्नलिखित मूल तत्त्वों का उल्लेख किया है—

1. प्रत्यक्ष व्यक्तिगत पद से सम्बन्धित व्यक्ति के बारे में विस्तृत तथा एकत्रित लिए जाते हैं तथा सगठन में उस पद के स्थान और स्वयं सगठन हे कार्य तथा प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में भी तथा का सरदन किया जाता है।

2. इस मूलना के आधार पर व्यक्तिगत पदों को वर्गों में समूचीकृत किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में साने वाले सभी उन बहुत कुछ एक जैसे होते हैं। उनके लिए समुचित कार्य सम्पन्न होतु एक जैसी योग्यताओं की आवश्यकता होती है, इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एक समान परीक्षाते ली जाती है और सभी के लिए समान बेनेफिट्स की व्यवस्था ही जा सकती है।

1. W' Brooke Graves - op cit., p. 127.

2. Fred Telford. "The classification & standardization movement in the Public Service." Annals of the American Academy of Political and Social Service, May 1924.

3 सभी पदों के बर्ग की निर्धारित परिभाषा अववा व्याख्या की जाती है। इस परिभाषा में उस बर्ग के सभी कर्त्तव्यों का उल्लेख किया जाता है।

4 उस बर्ग के कार्य एवं दायित्वों के नफल निर्वाह के लिए कर्मचारी की प्रपेक्षित शिक्षा, मनुभव, ज्ञान, कुशलता आदि सम्बन्धी न्यूनतम योग्यताएँ लिख दी जाती है।

5 प्रत्येक बर्ग के कार्यों एवं दायित्वों को देखते हुए उसे तदनुकूल नाम दे दिया जाता है।

6 इसमें निम्न पदाधिकारी से उच्च पदाधिकारियों तक पदोन्नति की शृंखला स्पष्ट कर दी जाती है।

7 प्रत्येक बर्ग के लिए बेतन मूची का उल्लेख पर दिया जाता है। उस बर्ग में विभिन्न कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम, अधिकतम और मध्यम थेणी की बेतन दरें स्पष्ट बर की जाती हैं।

8 पद वर्गीकरण की योजना सभी सम्बन्धित लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। नियुक्तिकरण, नियन्त्रण इत्यादि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सेवा वर्गीकरण की योजना स्पष्ट बना दी जाती है।

### सेवा वर्गीकरण की विशेषताएँ

#### (Characteristics of a Classification Plan)

प्राय सेवा वर्गीकरण वा वार्य एवं दायित्व केन्द्रीय सेवीबर्ग विभिन्नकरण की तौर पर जाता है। अन्य विभिन्नकरण अथवा सम्बन्धित योजना की यदा-यदा उसकी सहायता कर देते हैं। वर्गीकरण योजना के विकास की प्रक्रिया में मुहूरत चार सीढ़ियाँ होती हैं। प्रो स्टॉल के मतानुसार ये सीढ़ियाँ ऋषि निम्नलिखित हैं—

1 कार्य की व्याख्या—योग्यता—उन पदों का वर्गीकरण किया जाता है उनकी विनियमनाएँ एवं कर्त्तव्यों का विवेयण तथा अभिलेखन किया जाता है। सभी व्यक्तिगत पदों के बारे में सभी सूचनाओं के आधार पर समान वार्य के लिए समान बेतन का सिद्धान्त लागू हो सकेगा तथा पदोन्नति की रेटा बनाई जा सकेगी। यह सूचना तीन प्रकार की होगी—पद के कर्त्तव्यों से सम्बन्धित, दायित्वों से सम्बन्धित और अवश्यक लोडों से प्राप्त की जा सकती है। सूचना प्राप्ति के लिए प्रश्नावलियों का प्रयोग हिया जाता है।

2 पदों को वर्गों में प्रवर्णित करना—विभिन्न पदों को उनकी समानता के आधार पर एक बर्ग में समूहीकृत किया जाता है। एक बर्ग (Class) विभिन्न पदों का ऐसा समूह है जिसके सभी पद अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के आधार पर विभिन्न रोपणार प्रक्रियाओं में समाज अवहार को उचित ठहराते हैं। यह बार्य व्याख्यान, स्पष्टकरण और उन्नयनपूर्ण है इन्हिन् वर्गों का वर्णन साधारणी बहनी जाहिए। पदों का मूल्यांकन एक नियिक वित्तान के रूप में नहीं हिया जा सकता। इसमें विषयवस्तु व्याख्याएँ तथा मूल्यों और विभिन्न योग्यताएँ सम्बन्धी मनमाने अनुमान सम्बन्धी

है। फिर भी यह एक व्यवस्था और तर्बे का अधिकार है अन्यथा पदों के सम्बन्ध में धराजक्ता और भ्रम पैन जायगा। सेवा वर्गीकरण की प्रक्रिया को सर्वद जांचते रहना चाहिए ताकि विभिन्न पदों के सम्बन्ध में नई-नई सूचनाएँ मिल सकें। यह जांच का बायं कर्मचारियों की भज पर जाकर उनके वास्तविक बायं-व्यवहार को देखकर किया जा सकता है।

3 वर्ग मानवों की सेवारी—जब विभिन्न पदों के कार्यों एवं दायित्वों सम्बन्धी गृच्छना एकत्रित हो जाती है तथा उमड़ा विड्लेपण करने के बाद प्रारम्भिक दर्ते बन जाते हैं तो घरगुले बदम पर सामाजीकरण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक बग की परिभाषा इस प्रकार बनता है ताकि उसे अन्य बगों से स्पष्टता अनुग्रह किया जा सके और सम्बन्धित पद को उपर्युक्त आमिन किया जा सके। प्रत्येक वर्ग का नामकरण किया जाता है और उनके द्वारा आवश्यक व्यूननम् योग्यताएँ निर्धारित की जाती हैं। इस प्रक्रिया में कभी-कभी प्रारम्भिक वर्गीकरण को पूरी तरह परिवर्ति और समोद्दित भी कर दिया जाता है।

4 वर्गीकरण योजना को साझा करना—उन सीढ़ियों के बाद अगला बदम पद वर्गीकरण योजना को साझा करने तथा इसके प्रशासन से सम्बन्धित है। इस हेतु वर्गीकरण योजना को स्वीकार किया जाता है इसके प्रशासन हृत अभिकरण का निर्धारण किया जाता है वर्गीय मानवा का निर्धारण किया जाता है, बगों के लिए पदों का प्रारम्भिक आवटन होता है वर्गीकरण के प्रशासन के लिए घोषकारिक नियम स्वीकार किए जाते हैं और आवटन सम्बन्धी घोषों पर मुनाफ़ाई की अवस्था की जाती है।

### सेवा बगोंकरण का भृत्य एवं आवश्यकता

(The Importance and Necessity of Service Classification)

प्राधिनिक सेवीयं प्रशासन का गुभारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक प्रशासनिक कर्मचारी ने पृथक् से नियुक्त किया जाता था और उनके बेनक की रागि उनके अक्षियन तथा शक्तिनीतिक शक्तिक क्षमता वह निश्चित ही जानी थी। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विभाषों, सम्पाद्यो घरवाला एवं त्रिविभाग में एक जैसे बायं करने वाले लोगों दो घरगुले दर दर बेनक देन से पर्याप्त ज्ञान और प्रयत्नोंपर उत्तमन होता था। इस स्थिति के परिणामस्वरूप कर्मचारियों का मनोवृत गिर जाता था और दूसरी कुदू परेणालियों ने उत्तमन हासी थीं। ऐसा वर्गीकरण की अवस्था का जन्म होने पर स्थिति में हासी कुदू गुरुर्गुरुपा हुए। इसका मरण केवल नियोगात्मक ही नहीं है बरन् इसके अनेक महाराम्भ साम भी है, जैसे—एक ही परीक्षा में घाघार पर अनेक लोगों की एक समय नियुक्ति, प्रकल्प को मझी बजट अनुमान लगाने में महायह पदों नहि एवं स्थानान्तरण बायं में मुगमना घाइ। कुत्रि प्रियारर दर बहा जा गया है जि पद वर्गीकरण अन्य सभी प्रकार की सेवीयं नियिषियों का मूल आधार है। समझन एवं बायं प्रक्रिया की रूपीत में पद

दर्तीकरण न होने पर जो अमन समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं वे सब इससे दूर हो जाती हैं और विभिन्न सेवीय सम्बन्धी विषयों का ग्राह्यपूर्ण तथा वस्तुपूरक सचालन सम्भव हो पाता है।

सेवा वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पर्यवेक्षक का कार्य अनेक दिवियों से मुगम बन जाता है। इसकी सहायता से वह अपने कार्यों को नियोजित कर सकता है वह निभिन्न पदाधिकारियों के कार्यों का सही प्रतिवेदन लेंवार कर सकता है तथा अपने क आप वह उसके सामने स्पष्ट हो जाती है। पद वर्गीकरण की सहायता से वह यह जानता है कि जिन कर्मचारियों का वह पर्यवेक्षण कर रहा है, उनके ऐसा कार्य है, जो कितनी दृश्यता से सम्भव होने चाहिए, किस कर्मचारी को इनने विशेष प्रशिक्षण और निर्देशन की आवश्यकता है तथा जिसी कर्मचारी ने अपने दायित्वों का निर्वाह किस सीमा तक किया है।

भर्ती के समय सेवा वर्गीकरण को व्यवस्था अनेक प्रकार से उपयोगी साधन होती है। इसके आधार पर ही भर्ती करने वाली सम्भा विभिन्न पदों के लिए आवश्यक रिक्त स्थानों की घोषणा करती है, विभिन्न पदों वे लिए आवश्यक चूनतम् योग्यताएँ निर्धारित करती है, प्रत्याशी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्ण प्रयोगित करने के कार्यों, दायित्वों और विभिन्न पदों के साथ-साथ उनसे प्राप्त सुविधा, सम्मान, वेतन, पदोन्नति के अवसर आदि से परिचित हो जाते हैं। पद-वर्गीकरण कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्य प्रक्रिया में अतिशाय और दुर्घटन पर रोक लगाता है।

सेवा वर्गीकरण का एक मुख्य लाभ समान कार्यों के लिए समान वेतन ही व्यवस्था के रूप में पापत होता है। सदूकराज्य अमेरिका में 1921 के कार्यपालिका आदेश द्वारा कर्मचारियों के वर्गीकरण वो वेतन स्तरीकरण व्यवस्था का साधन माना गया था। सेवा वर्गीकरण और वेतन नियरिशन कार्यों के बीच पारस्परिक सम्बन्धों की विनियोग के कारण ही दोनों को अनेक बार समानांग मान लिया जाता है। स्टॉल के कथनानुसार “कर्तव्यों के वर्गीकरण का उद्देश्य वेतन प्रशासन, भर्ती प्रक्रिया, प्रवेश की योग्यताएँ और वरीक्षा कार्यक्रम की प्रकृति पादि के सचालन में सहयोग देना है।”<sup>1</sup>

वर्गीकरण के उपयोग का उल्लेख करते हुए नौरमन जे गावेल ने इसकी विभिन्नतित उपयोगिताएँ एवं लाभ चर्चाए हैं—

१। वेतन की दरे नियित करना—किसी भी कार्य या पद के लिए वेतन की दर का नियंत्रण लेने से पूर्व प्रशासक वो कई तथ्य और आकड़ों की आवश्यकता

<sup>1</sup> “But the purpose of a civil service's classification is to aid in the handling of such personnel matters as salary, administration and the recruitment process, tolerance qualification and the nature of the testing programme.”

होनी है ताकि सम्बन्धित कर्मचारी के कार्य दबा सकान म उसके कर्तव्यों और दायित्वों का स्तर जाना जा सके। 'समान कार्य के लिए समान बेतन' का सिद्धान्त व्यवहार में नभी सारांश हो सकता है जबकि सल्लोगदानक कर्मीहरण योजना कायम हो। बिना कर्मीहरण योजना के विभिन्न पदों को दिए गए नाम प्रार्थनीय बन जाने हैं और इनमें न्यायपूर्ण बेतन व्यवस्था नहीं हो पानी। अमेरिकानापूर्ण बेतन व्यवस्था पद कर्मीहरण के अभाव का परिणाम है। यह नियोजित भी हो सकती है और परिस्थितिज्ञ भी।

2. प्रशासक को उत्तरदायी बनाने में सहयोगी—कर्मीहरण योजना द्वारा कायों और पदों की प्रार्थनीय परिमाण की जाती है। पद का नाम लेने ही उसके दायित्वों और कर्तव्यों का एह चिह्न हमारे मामले उभर आता है। यदि कोई कर्मचारी इस चिह्न के प्रतिकूल व्यवहार करे तो उसे तुरन्त नियतिन दिया जा सकता है तथा उसे कार्य के लिए उत्तरदायी बना कर प्रतुगातनामक कार्यवाही की जा सकती है।

3. सेवीवर्ग की भर्ती खपन प्रार्थनीय में सहयोगी—किसी सकान म लिए जाने वाले कायों की प्रकृति सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने के बाद ही उन पदों में लिए बुद्धिपूर्ण और विनष्टिविनापूर्ण तरीके से नियुक्तियाँ की जा सकती हैं। यदि प्रयोग पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्यग से विचार किया जाए और नियुक्तिकर्ता यन्त्र प्रत्यग से कार्य करे तो यह महेंद्रा और उनकनपूर्ण रहगा किन्तु यदि एक जैसे पदों को एक बग में समूहीकृत कर दिया जाए तो नियुक्तिकर्ता यमिहरण एक साधारणतृतीय से कर्मचारियों की भर्ती कर सकता है।

4. कर्मचारियों के यनोदल और अन्त सचार को प्रोत्साहन—कर्मचारियों का कार्य अनेक तर्फों से प्रभावित होता है। उत्तरदायक के लिए बेतन की न्यायपूर्ण दर, पदोन्नति के पर्याप्त व्यवस्था, कार्य सम्बन्धों के लिए उचित मापदण्ड आदि। एक उचित कर्मीहरण योजना इन मूल कायों की स्वापना म सहयोग प्रदान करती है। यह पदों के विभिन्न कार्यों में पदोन्नति की रेताएँ रखत करके तथा इनी पदों परेशित कार्य की मात्रा और गुण निर्धारित करके कर्मचारी के यनोदल को ऊंचा बढ़ानी है। इसी प्रकार पद कर्मीहरण योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेवीवर्ग सम्बन्धी दृष्टिकोणीय कायों में भी परेशित सुविधा पहुँचानी है। परेशित कार्य की सूचना प्राप्त होने के बाद कर्मचारी को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने में सुविधा रहती है। सेवा कर्मीहरण के बारता पर्यवेक्षक और कर्मचारी के बीच सामान्य समझ पैदा होनी है और इस प्रकार कर्मचारी तथा प्रशिक्षण के सम्बन्ध मुप्रत है।

5. सकाननामक साम्राज्य—वगों के नियिकन नामों का प्रयोग होने के बाइंग एक जैसी सम्भावनी का प्रयोग सम्भव होता है। इसमें प्रयोग पद की विस्तीर्ण व्यवस्थाओं द्वारा जाती है। इसमें बहुत उचित हो सकते हैं कि यह है, पद कर्मीहरण प्रयोग पद के कायों सम्बन्धी सूचनाएँ प्रदान करके सकान की

समस्याओं तथा प्रतियादों के विशेषण में मदद करता है। इसके द्वारा कायों के दोहराव, असंगति प्राप्ति वातों वा पता लगाया जा सकता है।

6 सोइसेवाओं में मूल्यों की स्थापना—वर्गीकरण के फलस्वरूप नागरिक और करदाता यह जान जाते हैं कि सेवीवर्ग प्रशासन पर होने वाले धैर्य और दी जाने वाली सेवाओं के बीच एक उत्कृष्ट सम्बन्ध है। इसके प्रतिरिक्त वर्गीकरण सरकारी व मन्चारियों का वेतन निश्चित करते समय सम्मानित राजनीतिक पक्षों पर रोक लगाता है।

7 प्रबन्ध के अस्त्र के रूप में—वर्गीकरण 'प्रशासनिक पदसोपान विकसित करने तथा समुचित कार्य विभाजन करने से महायोगी वन वर प्रबन्ध के कार्यों को सरल बना देता है। प्रबन्ध उमड़ी सहायता से अपना कार्य विभिन्न स्तरों के बीच कार्य तथा स्तरों के महत्व के आधार पर वितरित वर देता है।

8 कर्मचारियों के सन्तोष को बढ़ावा देकर वर्गीकरण योजना एक वस्तुपरक मापदण्ड प्रस्तुत करती है और स्वैच्छिकारी दण्डों पर रोक लगाती है। कर्मचारियों को भी यह विश्वास रहता है कि वायं की शतों और लुभियाओं की ईष्ट से किसी के साथ कोई प्रतुचित पक्षपात नहीं आया जा रहा है। उनके मन में मुख्या और न्याय की भावना के साथ-साथ मनोरूप के भाव भी जागत होते हैं।

9 निवेशन, नियन्त्रण और प्रभित्रेरण में सहयोगी—वर्गीकरण की सहायता से प्रबन्ध अपने कर्मचारियों के भायों वा निवेशन और नियन्त्रण नहीं पाना है। प्रबन्धक को यह जानने में मुश्विरा रहती है कि कौनसे कर्मचारी या कार्य वर रहे हैं तथा उन्हें क्या कार्य करता चाहिए। यदि कोई कर्मचारी अपने कर्त्तव्य पालन में विशेष लमता प्रदर्शित करता है तो उमड़ी योग्यताओं और प्रयासों को मान्यता दी जाती है। वर्गीकरण के रूप में उचित पदसोपान बन जाने के बाद प्रबन्ध के कर्मचारियों के सामयिक नियन्त्रण में गुविधा रहती है। प्रायोग्य तथा योग्यता कर्मचारियों को या तो निकाला जा सकता है यद्यपि उन्हें उन्हीं पदों पर रोका जा सकता है जहाँ से आगे वे योग्यता प्रदर्शित नहीं करते।

नियन्त्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए वर्गीकरण हार्दिकरण कार्यों के स्तर निर्धारित किए जाते हैं। योग्यता के अपन्याय को बचाने के लिए समय समय पर यह देना जाता है कि एक कर्मचारी अपने एड और बुजलना के प्रतुकूल कार्यों प्राप्त कर सका है यद्यपि नहीं। यदि इसमें अपन्याय दिखाई दे तो तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

10 अद्यतन सेवीवर्ग अभिलेख—वर्गीकरण के कारण मेवीवर्ग अभिलेख को अद्यतन बनाए रखना सरल हो जाना है। प्रत्येक व्यक्तिगत कर्मचारी और सेवा के पूरे समूह के सम्बन्ध में सारी वातें अभिलेख रूप में तैयार रखी जाती हैं। प्रत्येक स्तर तथा वार्षिक भूमूह परी सेवा के पाकार का अध्ययन करने के लिए

अभिलेख उपलब्ध रहने हैं। इनके फलस्वरूप प्रबन्ध अनेक मेर्वा सम्बन्धी समस्याओं को मुनाभाने, योजनाएँ की प्रवृत्तियों और रूपों का अध्ययन करने तथा सेवीवर्ग के कार्यकर्मों और नीतियों की योजना बनाने में इनका मदुपयोग करता है।

### सेवा अथवा पद-वर्गीकरण की सीमाएँ एवं समस्याएँ (The Limitations and Problems of Service or Position Classification)

मेर्वा अथवा पद-वर्गीकरण करने वाले अधिकारी का यह मुद्दा कर्तव्य है कि वह समान कार्य उत्तरदायित्व पद कठिनाई बाले पदों को एक वर्ग विशेष मनिशन कर दे। ऐसा करते समय वह उस पद के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का अध्ययन करेगा। यदि वोई पद अपने वर्ग के उत्तरदायित्वों में सिस बन चुका है तो उसे उस वर्ग से निकाल लेगा। मेर्वा अथवा पद-वर्गीकरणकर्ता केवल तथ्यों का अध्ययन करता है। वह पद को कवन उसी रूप में देखता है जैसा कि वह है। इस अधिकारी का पदों के बारों में हेर केर करने आन्तरिक सम्बन्ध में परिवर्तन करने, किसी कर्मचारी को पदोन्नत या पदावनत अधिकार स्थानान्तरित करने का अधिकार नहीं होता। पद-वर्गीकरण के कार्य ऐसे कुछ सीमाएँ हैं। पद-वर्गीकरण का कार्य, जैसा कि हाँ ल्हाइट का कहत है, एवं अध्यक्ष कठिन और आपत्तिजनक कार्य है। इस जोखिमपूर्ण कार्य को करने के लिए जिन परीक्षाओं एवं विशेषणकसाम्रौपी की आवश्यकता हो वह तकीड़ी योग्यता सम्मान होने चाहिए। उनमें सामान्य स्तर से अधिक सामाजिक बुद्धि होनी चाहिए क्योंकि उनके कार्य से सोनों के नाराज होने की समस्यावनाएँ अधिक रहती हैं। उनमें इनकी योग्यता एवं कुशरना होनी चाहिए कि नाराज कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी भी उन्हें ईमानदार समझे। जिन समय के प्रमाण एकत्र बरे और गवाहों की परीक्षा करें तो उनमें एवं न्यायाधीश की सीमितता और अस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अधिकारियों को कठिन सम्बन्ध के कार्यों का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए। यद्यपि ये अधिकारी सोइसेवा आदोग एवं पद-वर्गीकरण योजना के प्रति अपनी स्वाभिमति रखें तथापि इनका अधिक स अधिक प्रयान्त्र यह होता चाहिए कि कानून की सीमाओं में रहकर विभागों को अधिक से अधिक महायना प्रदान करें। ये अधिकारी पद-वर्गीकरण के लक्ष्यों एवं मानाय सिद्धान्तों से भी दरिचिन होने चाहिए ताकि उनका वोई कार्य विवरीत दिया जे सकान्ति न हो सके।

सेवा अथवा पद-वर्गीकरण की प्रक्रिया के मार्ग में आवहारिक इटिंग म जा चुने ह समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो इस प्रकार हैं—

1. सबसे बड़ी समस्या यह उठती है कि इसी पद का कार्य में इस प्रकार समिक्षिति हिया जाए, यह विण्यु रिस प्रवार रिया जाए कि अमुक पद अमुक वर्ग में प्राप्त चाहिए। वही बार ऐसा होता है कि अनग-प्रत्यग रियने वाले पदों में भी मुनाभूत समानता रहती है जबकि एक समान लगत वाले पदों के बीच सीमित समानता वे तत्त्व दियाई देते हैं। कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की बेवज गता भर

न कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उनका महत्व वे दस्ति से भूल्योकन किया जाना बहुत जरूरी है। यदि वार्ष जिनका महत्वपूर्ण है उनका ही जटिल एवं कठिन भी है। उदाहरण के लिए यदि प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठ निपिक्क को समान गमभा जाएं, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए तथा सेवा सम्बन्धी सुविधाएँ, वेतन आदि एक समान प्रदान किए जाएं तो इसे न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। कई वार्षिकों में वरिष्ठ लिपिक पर इनका कार्यभार होता है कि उसे सौनौ नेते को कुरसत नहीं होनी जबकि कुछ घन्य कार्यालयों में वरिष्ठ लिपिक किसी प्रभार अपना समय व्यनीत करने की चिन्ता में रहते हैं। एक का सिर उत्तरदायित्वों के दोभ से झुका रहता है जबकि दूसरा इनसे मुक्त रहता है। इन दोनों को एवं ही वर्ग में वर्गीकृत करना उचित नहीं होगा।

2 पदों को वर्गीकृत करने के लिए निश्चित विषय नहीं होता जिसके आधार पर दो पदों को एक ही वर्ग में रखा जा सके। विद्या, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, कार्य की कठिनाइयाँ, जटिलताएँ—ये सब इनके व्यधिक मापदण्ड हैं कि प्राप्त उचित निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इन मापदण्डों में परस्पर सघर्ष उत्पन्न होने की सम्भावनाएँ भी रहती हैं। यदि एक बात समान है और दूसरी बात असमान है तो निर्णयको तत्काल किसी माना जाएगा, यह स्पष्ट नहीं होता।

3 जब पदों वा वर्गीकरण करने से व्यक्तिगत पद की विभेदताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है तो पदों के भ्रनेक वर्ग बन जाते हैं जिनके बीच बहुत कम अन्तर रह जाता है। इस प्रक्रिया से पदोन्नत सीधानों की मात्रा बढ़ जाती है। और एक पदाधिकारी को वैचालीय पद तक पहुँचने के लिए बहुत सीढ़ियाँ पार करनी होती हैं। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों व पदाधिकारियों का मनोबल घिर जाता है और कार्यों के प्रति उनका उत्साह छोला पड़ जाता है।

4 सेवा अवधार पद वर्गीकरण कई बार अधिकारियों के बीच सघर्ष उत्पन्न कर देता है। उनमें परस्पर हैप तथा मन-मुटाव पैदा हो जाते हैं। सटवारी सेवाओं में वर्गीय जावना कुत पिलाकर प्रशासनिक असुविधाओं का कारण बन जाती है।

5 केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय कर्मचारियों के बावं वो स्थिति एवं समस्याओं में पर्याप्त भिन्नता रहती है। भ्रत इन दोनों स्तरों पर पद-वर्गीकरण के लिए कोई निश्चित आधार नहीं अपनाया जा सकता। जिसके परिणामस्वरूप पद वर्गीकरण दृढ़पी बन जाना है और इसलिए इसमें पर्याप्त भ्रम रहने की गुणाङ्क रहनी है।

सेवा अवधार पद वर्गीकरण के विभिन्न प्रशासनिक ग्रस्ताओं पर टोरपे ने विस्तार से चर्चा की है। उनके मतानुसार ये समस्याएँ निम्न हैं—

- (1) अपर्याप्त रूप से तंत्रायर किए हुए पद विवरण (inadequately prepared position descriptions),
- (2) व्यक्तिगत वर्गीकरण सम्बन्धी वायों के लिए आवश्यक वालावधि (Length of time required for individual classification action).

- (3) प्रसामयिक पद-विवरण (Out dated position descriptions),
- (4) दबाव (Pressures),
- (5) अपूर्ण वर्ग-विशेषीकरण (Incomplete class specification)
- (6) कर्मचारी प्रीर अंतर्वेशक में विश्वास का प्रभाव (Lack of confidence between employee and supervisor),
- (7) यह विश्वास कि उच्चस्तरीय पद को प्रदेशेश्वर का उत्तरदायित्व मौजना प्राप्तिकर है (Belief that supervisory responsibility is necessary for allocation to higher level position\*)
- (8) सुरक्षात्मक प्रयास (Security precautions), एवं
- (9) वर्गीकरण-प्रतियोगी का दुष्प्रयोग (Misuse of classification process)

सेवा अधिकारी पद वर्गीकरण की एक स्वस्थ व्यवस्था

#### (A Sound System of Service or Position Classification)

प्रशासनिक संगठनों में किया जाने वाला पद वर्गीकरण सेवीवर्ग प्रबन्ध की एक महत्वपूर्ण एवं बेन्ट्रीय प्रारंभण की गमतया है जिसका मनोप्रबन्ध समाधान इस बात को तय करने में प्रभावशील है से भाग लेना है कि संगठन में कार्यकुशलता रहेगी अथवा नहीं और रहेगी तो किस मात्रा में रहेगी। पद-वर्गीकरण का ऐसा कार्य जो आ और उसमें इन विशेषताओं को समन्वित किया जाए—इस सम्बन्ध में नोन प्रशासन के विचारकों ने घनें महत्वपूर्ण सुभाव प्रस्तुत किए हैं—

प्रथम, यह कहा जाना है कि पढ़ी का वर्गीकरण उत्तरदायित्व के आधार पर किया जाए, बायों के आधार पर नहीं। कार्य तो दो घणितारियों के समान हो सकते हैं अथवा तुननात्मक है से एक घणितारी के कार्य कुछ घणित हो सकते हैं किन्तु इस रूप्टि में उनके स्तर वा निर्धारण करना उपयुक्त नहीं है। उच्च पद उभी घणितारी को सौंप जाना चाहिए जो घणित उत्तरदायित्वा से युक्त हो।

दूसरे, यह सुभाया जाता है कि वर्षोंकरण का है स्पष्ट होना चाहिए। प्रस्तुत वर्गीकरण संगठन के वर्तन्यागियों के दिन में घनें प्रकार के भ्रम वैदा वर घनें संस्थाप्तों को ज्ञान देना है। पद वर्गीकरण की बदल दही योजना संकलन हो पानी है जिसमें सभी पदाधिकारी शावान हो जाएं। स्टॉन महोदय न निका है कि जो पद-वर्गीकरण करनी पड़ती है ताजा को गुल रमना है वह अपने योजन में प्राप्त अस्त्रे सम्बन्ध नहीं रख पाना।

तीसरे, कुछ विचारकों वा कहना है कि सेवा अधिकारी पद-वर्गीकरण की योजना में कुछ स्थायित्व रहना चाहिए, याहि यहि उमम प्रतिदिन परिवर्तन की नीति अपनाई गई तो उसमें प्रत्यागित लाभ प्राप्त नहीं हो पाएंगे। एक वर्ग के निए आद कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं—उन कुछ दूसरी, अधिकारी यात्रा उस वर्ग का नाम कुछ रखा गया है और उन कुछ मोर तो इस मवके परिणामस्वरूप संगठन में पर्याप्त भ्रम उत्पन्न हो जाएगा।

चौथे, भविर्बांश अमेरिकी लेखक यह मानते हैं कि लोकसेवा स्वायी चीज नहीं है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धन्य तत्वों में भोड़ आने पर प्रशासनिक अधिकारियों के उत्तरदायित्वों की प्रकृति एवं मात्रा में गम्भीर परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के अनुसार यदि पद-वर्गीकरण की योजना से भी सक्रियता न छिए गए तो वह असामिक (Out of date) बन जाएगो। वर्गीकरण योजना को सामिक रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए उसका समय-समय पर निष्पक्ष मूल्यांकन होना रहना चाहिए।

पाँचवें, पद-वर्गीकरण की एक अच्छी योजना प्राय सहकारी प्रयास (Co-operative Effort) होती है। योजना वी मार्पिकन। एवं प्रभावशीलना इस बात पर निर्भर करती है कि सगठन में इस समझा और स्वीकार किया जाए, इसके लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने को उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। योजना के विकास एवं क्रियान्विति में मार्गीदारी की समान रूप से भाग लेना चाहिए। वर्गीकरण के लक्ष्यों को विभागों एवं सम्भागों के प्रबंधकों के सम्मुख प्रदर्शी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए, इकाई के सभी कर्मचारियों से मिलना चाहिए तथा योजना को बनाते समय कर्मचारी मध्य के प्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। इन सभी को यह अवसर देना चाहिए कि वे प्रत्येक स्तर पर आलोचना एवं सुभाव प्रस्तुत कर सकें।

छठे, पद-वर्गीकरण के वर्गों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, अर्थात् वे एक-दूसरे से जुड़े हुए हो। पद-सौपान की भौति सर्वोच्च पद एवं निम्न पद के बीच अनेक ऐसी कड़ियाँ हों जो उनको जोड़ने का कार्य करें। ऐसा न होने पर वर्गीकरण की व्यवस्था पदान्विति के कार्यों को अत्यन्त जटिल बना देती है।

सातवें, पद-वर्गीकरण की एक अच्छी योजना को केवल अनुशासन, पदोन्नति अथवा नियन्त्रण के लिए ही नहीं, बरन् मुख्यत मनोवैज्ञानिक उठाने, प्रेरणा पैदा करने एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सब्वालित विद्या जाना चाहिए। यह योजना सगठन के कार्यों में एकरूपता, प्रमापकता, क्रियान्विति की गति एवं लोचशीलता वायम रखने वाली होनी चाहिए।

आठवें, इनमें उन बर्मिंघारियों एवं अधिकारियों की अपीलें मुनने का प्रावधान भी होना चाहिए जिनको पद-वर्गीकरण की इस योजना से किसी प्रहार का अभाव-अभिवोग हो। वर्गीकरण में पदों के बीच नाम ग्रादि के ग्राधार पर ऐसा अन्तर न रखा जाए कि उनमें वर्ग-संघर्ष पैदा हो जाए।

### सेवा वर्गीकरण की प्रमुख प्रणालियाँ (Major Systems of Service Classification)

विभिन्न देशों में प्राप्त सेवा वर्गीकरण व्यवस्थाओं को भोटे रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें एक ग्रेट ब्रिटेन में तथा दूसरी संयुक्तराज्य अमेरिका में उभयन्ध होती है। संयुक्तराज्य अमेरिका वाँ वर्गीकरण व्यवस्था अधिक

विकसित और कठोर है। यह पद और वर्गिकरण की अवधारणाओं पर आधारित है। पद का धर्य उन वर्त्तनों द्वारा उत्तरदायित्वों से है, जिनके प्रति विभी व्यक्ति में समय और ध्यान देने की आशा की जाती है, इसी द्वारा वर्ग ऐसे पदों का समूह है जिनका बेनन और अन्य शोजगार प्रक्रियाएँ दूसरे वर्गों के पदों से भिन्न हैं। सयुक्तराज्य में मुख्य मान्यता यह है कि विसी पद की स्थिति उसके द्वारा मन्यन कार्यों पर नियंत्र है व्यक्ति की पूर्व सेवा पर नहीं। यही व्यक्ति को नहीं बरन् उसके पद को महत्व दिया जाता है।

प्रेट ब्रिटेन में ट्रेजरी थ्रेलियो<sup>1</sup> की नेतृत्व सामान्य कार्यालयक थ्रेलियो के आधार पर कुछ व्यापक सेवायां से यक्ष होती है। नदनुसार ये सेवाएँ प्रशासनिक थ्रेली, निष्पादक थ्रेली ट्रेलेकर्शन, लेखन सहायता, निपिक राइ ये विभाजित की जाती हैं। इन थ्रेलियों में भर्ती के समय इन दात का ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न पदों पर कुली प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा उच्चवकाको नियुक्त किया जाए। भर्ती परीक्षाओं में प्रत्याशी की तकनीकी और जैक्सिक तथा विशेषज्ञानाद्वारा योग्यताओं की अपेक्षा सामान्य योग्यता और बुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शरकार का कार्य भर्ती किए गए पदाधिकारियों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता बरन् वहें वहें तरफ़ों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न तरफ़ों के लिए विशेष स्तर की शैक्षणिक योग्यता बाने विसी भी योग्य प्रत्याशी द्वा नियुक्त किया जाता है। ट्रेजरी थ्रेलियों के बाहर अधिकार विभागीय सदाएँ प्रयत्ने पद वर्गीकरण में योग्यता करते, सयुक्तराज्य अमेरिका की व्यवस्था के अधिक निकट हो गई है। ये सदाएँ मुहर तकनीकी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति की है और इसलिए इनम् कार्यों तथा दायित्वों के आधार पर व्यवस्थित वर्गीकरण अपनाया गया है।

अमेरिकी और रिट्रिवर योग्यताओं का अन्तर मुख्यतः पद (Position) और रेट (Rank) का छन्द है। थ्रेली की मान्यता यह है कि बेनन, सम्मान, अधिकार इत्यादि के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होने वाला स्तर एक मिश्र चीज़ है, चाहे उस सम्मन बरने के लिए कार्य कुछ भी दिया गया हो। इस उत्तराध्याय में विसी कर्मचारी का व्यावराधिक भवित्व कुप्रिय लिए बिना आवश्यकतानुसार यहीं भी उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसी द्वारा अमेरिकी व्यवस्था में पद की धारणा यह है कि व्यक्ति वा स्तर उसके द्वारा लिए जाने वाले पार्य पर नियंत्र बरना है न कि उस व्यक्ति पर जो कार्य सम्मन बरना है। दोना इवस्थाओं का यह अन्तर अधिक प्राप्तारभूत और मोर्चिक नहीं है, बरन् मुख्य प्रभाव जोर देने द्वारा मात्रा का है।

पद वर्गीकरण के धर्य, महत्व स्वरूप तथा रूपों के मध्यवर्त्त में कुछ प्रारम्भिक जानकारी के बाइ प्रब्लम इम विचाराधीन देखो में पद वर्गीकरण की स्थिति भी बढ़ेगी में प्रवर्तन करेगे।

1. R. J. M. Macken-je and J. W. Grove Central Administration in Britain, 1966, pp. 18-19.

## प्रेट ग्रिटेन मे सेवा वर्गोकरण (Service Classification in Great Britain)

**प्रेट ग्रिटेन** मे व्यापक रूप से लोकसेवाओं को चार श्रेणियों मे विभाजित किया जाता है, ये हैं—(i) ग्रीष्मोगिक तथा गैर-ग्रीष्मोगिक सेवा—ग्रीष्मोगिक लोक-सेवक वे बहुताते हैं जिन्हे अस्त्र कंशिद्यों जैसे स्थानों मे नियुक्त किया जाता है। इनका बैतन मन्त्रालय उद्योग द्वारा ही निर्धारित होता है तथा इन्हे व्यावसायिक सघों म समर्थित रहने की मुविया रहती है। डाकघर के व्यावर्ता भी ग्रीष्मोगिक लोकसेवक माने जाते हैं किन्तु इनका बैतन राष्ट्रीय हिंडले परियोग के समझौते द्वारा निश्चित किया जाता है। गैर-ग्रीष्मोगिक लोकसेवाएँ वे हैं जो ग्रीष्मोगिक की परिभाषा मे नहीं आती। (ii) सुस्थापित और गैर-सुस्थापित सेवाएँ—सुस्थापित लोकसेवक ये कहे जाते हैं जिनकी नियुक्ति राजकोप द्वारा स्वीकृत सुस्थापित पदों पर होती है। दूसरी ओर गैर सुस्थापित लोकसेवक वे हैं जो या तो अस्थायी पदों पर नियुक्त हैं अथवा अस्थायी किन्तु गैर-सुस्थापित पदों पर हैं तथा उनकी स्थायी नियुक्ति अभी विचारधीन है। (iii) राजकोपीय अथवा विमानीय थेली—विभागीय लोकसेवक सामान्यतः एव विभाग तक प्रतिवर्धन होते हैं और उनकी सेवा की शर्तें बहुत कुछ उनके विभाग द्वारा नियन्त्रित होती हैं। राजकोपीय थेली के लोक-सेवक विशेष विभाग के लिए नहीं बरत् सामान्यतः विभाग के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनकी सेवा की शर्तें राजकोप द्वारा निर्धारित होती हैं। (iv) सामान्य और विशेष सेवाएँ—विशेष सेवाएँ वे होती हैं जो वंजानिक, तकनीकी या व्यावसायिक प्रकृति के कार्य मम्पन करती हैं। बैकल, दॉक्टर, परियन्ता, प्रयोगशाला सहायक प्रादि सेवाएँ इसी थेली मे आती हैं। इनके परिवर्तक सेवाएँ सामान्य की थेली मे आती हैं।

ब्रिटिश लोकसेवा के उपर वर्गों मे परस्तर अनिराव और दुहराव है। यही 1853-54 मे ट्रेवोल्यान नायंकोट प्रतिवेदन के सुझावों के आवार पर विवर्णिय लोकसेवाओं का विकास हुआ किन्तु इस विवर्णिय रूप रचना मे एट ग्रिटेन की वर्तमान लोकसेवाएँ जामिल नहीं हो पाती। आज संरक्षणीय प्रशासन के बढ़ते हुए थेल के अनुसार अनेक नई व्यावसायिक सेवाएँ प्रारम्भ हुई हैं, जो इन तीनों वर्गों मे नहीं आतीं।<sup>1</sup> प्रोफेसर ई एन ग्लेडन ने ब्रिटिश लोकसेवाओं को खोटे रूप मे तीन नायों मे वर्णित किया है—(i) गैर-ग्रीष्मोगिक नायारिक सेवा, (ii) ग्रीष्मोगिक नायारिक सेवा तथा (iii) महामहिम की राजनविक सेवा। इनमे से प्रथम थेली वो उन्होने पुन इन भागों मे वर्गीकृत किया है—(क) व्यावसायिक वर्ग, (ख) निष्पादकीय, लिपिकीय तथा अन्य कार्यालय मम्प-धी वर्ग, (ग) व्यावसायिक, वंजानिक एव वंजानिक एव तकनीकी वर्ग, (घ) छोटे तथा सहायक वर्ग।

<sup>1</sup> "The service generally has a much greater complexity than the three class pattern suggests" —E. N. Gladden op cit., p 33

ग्रेट ग्रिटेन की वर्णनान् लोकसेवाएँ मूलतः 19वीं शताब्दी की उपज हैं। 19वीं शताब्दी तक यहीं लोकसेवायों के मगठन का मामान्य रूप नहीं उभर सका था। तब सर्वार्थ प्रतिष्ठान (Patronage) पर पावारित थी, नियुक्ति का कोई स्वीकृत मापदण्ड नहीं था तथा वेतन-भुगतान का मानक तरीका नहीं था। ट्रेवीन्यान नायंटोट (Trevelyan Northcote) ने 1854 में ग्रस्तुत प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में मुझाव दिए। इस मुझावों को कमश 1855 और 1870 में स्वीकार हिया था। 1870 में सभी सेवायां को एक ही सेवा में एकीकृत कर दिया गया तथा उनके लिए मामान्य वेतन एक सेवा नियुक्ति की दरे निर्धारित की गई। इसके बाद रिडले कमीशन-1890 (Ridley Commission-1890) मैकडोनल कमीशन-1914 (Mac-Donnell Commission-1914) ग्लॅडस्टन कमीशन-1918 (Gladstone Commission-1918) टोमलिन कमीशन-1931 (Tomlin Commission-1931) तथा फुल्टन कमीटी-1966 (Fulton Committee-1966) आदि के हांग सोसायटीयों व वर्गोंविरण को अधिक व्यावहारिक, सच्चित, उपयोगी तथा कार्यकुशल बनाने के लिए मुझाव दिए गए।

उन्हें ऐनिहामिक एवं परिचयात्मक पृष्ठभूमि के बाद हम दिटिंग लोकसेवा के कुछ प्रमुख वर्गों वा संकेत में विवेचन करेंगे।

### (1) प्रशासनिक वर्ग

(The Administrative Class)

ग्रेट ग्रिटेन की नागरिक सेवा व सभी उच्च पदों पर इस धेरेली के सदस्य शामिल हैं। 1966 में इनसी महाया लगभग 2500 थी। इन पदों पर नियुक्तियाँ अधिकतर योग्यतर स्नानका भग्न प्रत्यक्ष रूप में दी जाती हैं किन्तु अनुकूल पद (वर्षभय 40%) आनंदित पश्चात्ननि यथवा धेरेली परिवर्तन द्वारा वी जान वाली नियुक्तियाँ से भी भरे जाते हैं। यह धेरेली प्रशासनिक चक्र की पुरी है जो एक तरफ से समीक्ष्य यन्त्र से सम्बन्ध है और दूसरी ओर प्रशासन वी अधिकारी मुकाब्ला में।<sup>1</sup>

साधारणतः इस वर्ग के प्रशासकों का कार्य सरकारी नीति की रचना, संरक्षण वा समन्वय तथा विभागों वा मामान्य प्रशासनिक नियन्त्रण करना है। कार्यकर्त्ता नीति-रचना के कार्य में इस वर्ग का योगदान इनका अधिक बना दिया जाता है फिर इसके प्रशासनिक कार्य पृष्ठभूमि में चमे जान हैं। इस वर्ग के कुछ प्रमुख कार्य हैं<sup>2</sup>—

(1) वित्तीय कार्य (Financial Functions)—ये प्रशासक व्ययों का पूर्व धनुषान संगते हैं, विभागीय कार्यों पर वित्तीय नियन्त्रण रखते हैं, उपयोग विविधों कार्यक्रमों की तुलीका करते हैं।

1 "This class is the hub of the administrative wheel, on one side it is attached to the Parliamentary machine, on the other to the Executive arms of the Administration" —Herman Finer, The Theory and Practice of Modern Government, Asia, 1965 p. 763

2 M. P. Barber, Public Administration, M. E. Handbooks, 1972, p. 61

(ii) नीति रचना (Policy Formulation)—ये अधिकारी मरकारी नीति वे विचारम्, रूप-रचना एव कार्यान्वय से सम्बन्ध रखते हैं। ये नई नीतियों के मामलों मरकार को मुझाव तथा परागन देते हैं। ये नीतियों के भागणों के विषय सामग्री तंयार करते हैं। नीति गम्भीरी वायं का सम्पादन करते समय इन अधिकारियों को आदर्शरूपतातुमार गट्टीय उद्घोषी के साथ समझोता बातिए करनी होती है। ये निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करते हैं तथा स्थानीय अधिकारियों से बाती करते हैं।

(iii) प्रबन्ध सम्बन्धी वायं (Management Function)—ये विभागीय स्थापना सम्भाग तथा इटों प्रबन्ध को नियंत्रण प्रदान करते हैं। प्रत्येक विभाग में एक केन्द्रीय स्थापना सम्भाग होता है जो विषय सचिव के अधीन वायं करता है। प्रशासनिक वर्ग का यह प्रबन्धात्मक वायं प्रनेत्र बार आतोचना का विषय बनाता जाता है।

(iv) समिति कायं (Committee Work)—प्रशासनिक दर्पण समस्याओं का कार्य समय समितियों में व्यवस्था होता है। ये समितियाँ विभागीय प्रबन्ध सम्बन्धीय बोगो प्रदार बोहो सहनी हैं। अन्तिमागीय समितियों में सामान्य सेलेक्सिवाश्वाका के दीच समन्वय स्थापित किया जाता है।

प्रशासनिक दर्पण में भर्ती के दो तरीके हैं। प्रथम तरीके में पहले तो सामान्य योग्यता की जिवि के लिए नियित परीक्षा होती है और उसके तहत बाद तो मौखिक साकाहार किया जाता है। दोनों के आधार पर योग्यता मूली तंयार की जाती है। दूसरा तरीका प्रथम या द्वितीय योग्यता की उत्तराधिकारी प्रत्यानियों के लिए होता है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के बाद परीक्षकों द्वारा दो दो दिन तक प्रत्याशी का मूल्यांकन किया जाता है। यह 'House Party Method' कहा जाता है। इसमें प्रत्याशी का मामलन्य आन, अभिभ्युक्ति वी क्षमता, समिति वायं में भाग लेने की क्षमता आदि का अवलोकन किया जाता है। इन परीक्षाओं के बाद प्रत्याशी वा साकाहार नियत जाता है तथा उसके स्वभाव, अतितत्त्व, खुदि प्रादि की जानकारी की जाती है।

प्रत्येक यती हारा आने वाले प्रशासकों के नियत प्रदेशोत्तर प्रतिक्रिया की अवस्था की जाती है। प्रत्येक प्रत्याशी का विभिन्न सम्भागों के वरिष्ठ अधिकारी के सहायक के हृष में दो वर्ष तक रखा जाता है। तब प्रशासनिक प्रधानपत्र वेद्म में 20 सप्ताह तक उसे सामान्य ज्ञानांकिक एव कार्याधिक विषयों का ज्ञान स्तराया जाता है। बाद के दो या तीन वर्ष वह पुनः नियमी प्रविधारी के सहायक वा कायं करता है तथा बाद में एक वर्ष के लिए मन्त्री प्रधान स्थायी सचिव के निजी कार्यालय में वायं करता है।

प्रशासनिक वर्ग की कायं-प्रशासनी तथा रूप-रचना की आतोचना करते हुए वह बड़े बातें कही जाती हैं। इनमें बुद्धि मुद्ध ये हैं—

विशेषज्ञ वर्ग इन पदों से बाहर रह जाते हैं। यद्यपि निष्पादक वर्ग के अधिकारियों को प्रबन्ध के लेख में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो जाता है किर भी वे अपने विभागों के शीर्षस्थ पदों में बचत रहते हैं।

इस वर्ग की सेवाओं के कार्य सचालन के बारे में मुख्यतः ये आलोचनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं—(i) इन अधिकारियों को कार्य करते हुए प्रबन्ध की तकनीकों का विषय ज्ञान तथा अनुभव हो जाता है कि तु फिर भी इसे मान्यता नहीं दी जाती और उच्च पदों पर इनको पदोन्नति के प्रबन्ध नहीं मिलते। कारण यह है कि सेवाओं में वर्गों के बीच मोटी दीवार रहती है जिसे पार नहीं किया जा सकता। (ii) इसके अनिवार्य मान्यता यह है कि पदोन्नति के लिए केवल विशेषज्ञ बन जाना ही पर्याप्त नहीं है बरन् समग्र प्रशासनिक क्षमता प्रदर्शित की जानी चाहिए। आलोचकों का बहना है कि प्रबन्ध कार्य की बढ़ती हुई वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण इन पदों पर वैज्ञानिक अधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए किन्तु ऐसा हो नहीं पाता वयोंकि विशेषज्ञ थेणी से निष्पादक थेणी में स्थानान्तरण का कोई प्रावधान नहीं है। यदि ऐसा स्थानान्तरण हो भी जाए तो स्तर की हानि भी सम्भावना है। (iii) निष्पादक वर्ग के कार्यकर्ताओं को विशेषज्ञ बनने के लिए कोई प्रेरणा नहीं रहती।

निष्पादक वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 1965 में 77,800 थी।

### (3) लिपिक वर्ग

#### (The Clerical Class)

इस वर्ग में सामान्य लिपिक वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं जो उच्च लिपिकीय एवं लिपिकीय अधिकारियों के रूप में विभाजित रहते हैं। साथ ही लिपिकीय महायक वर्ग भी इसमें शामिल है। इन पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती G C E O' स्तर के मानक पर होती है तथा लिपिकीय महायकों और दूसरे नीचे की श्रेणियों से पदोन्नति के माध्यम से होती है।

इस वर्ग के कर्मचारियों (लिपिकीय सहायकों) के कार्य ईस्टाकोड (Estacode) में इस प्रकार वर्णित हैं—मौसिकीय एवं अभिलेखों की तैयार करना तथा जाँच करना, उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में रहकर अन्य अभिलेख तैयार करना, सरल तरीके के पजीकरण कार्य करना तथा सरल प्रकृति का पत्र व्यवहार करना। लिपिकीय अधिकारियों के कार्य में ये सभी तो शामिल हैं ही, इनके अनिवार्य वे लेखों की जाँच करते हैं, सरल प्रारूप रचना करते हैं, लिपिकीय महायकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा वह सामग्री एकत्रित करते हैं जिसके आधार पर निष्पादन लिया जा सके।

इस वर्ग के कर्मचारियों की संख्या लगभग 2,00,500 है। इनकी पदोन्नति जूनियर स्तर के निष्पादक वर्ग में हो जाती है। पलत निष्पादक लिपिकीय (Executive-Clerical) लेख प्रबन्ध प्रशासनिक पदोन्नति पाए एक मर्ग बन गया है।

सरकारियों का अधिकारियों प्रयोग होने के माथ ही इस वर्ग के कर्मचारियों का कार्य पश्चोर रूप से बदल गया है।

भारतीयों ने इस वर्ग की कार्य-प्रणाली एवं स्थिति के बारे में कुछ धारणाएँ दी हैं—(i) लिपिकीय अधिकारियों को पर्यावरणात्मक दायित्व अपेक्षाकृत बम दिए गए हैं, (ii) इस वर्ग में अतिव्याप्ति कार्य विभाजन किया जाता है और इसलिए यहाँ पूरे वार्ष का दायित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता, (iii) रिपिकीय अधिकारी एवं सहायक ना अन्तर घटनावशक लक्ष्या मानव-शक्ति का अवृद्धि पृष्ठ है, \*(iv) लिपिकीय अधिकारियों के व्यावसायिक विकास के लिए बहुत बम प्रयोग किए गए हैं, (v) उच्चतर लिपिकीय अधिकारियों के योग की समाप्ति के बाद इस वर्ग के कर्मचारियों की निष्पादन वर्ग में पदोन्नति का मार्ग रख गया है। दोनों वर्गों ने बीच का पुल टूट गया है।

उक्त दोनों वर्गों ने प्रतिक्रिया कुछ मन्त्र सेवाएँ भी खिटाई लोड प्रशासन में कार्यरत हैं। इनका महत्वपूर्ण विवरण निम्न प्रकार है—

#### (4) व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी वर्ग

(Professional, Scientific and Technical Classes)

इस वर्ग के कार्यकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 82,000 है। इस मूल के कर्मचारी प्रशासनिक वर्ग के निम्नेन ये वार्ष वर्तन हैं। कुछ धन्य विभागों में वार्षिकी, यदोकल तथा वैज्ञानिक कार्य के वारिष्ठ पद व्यावसायिक वर्गों के हाथ में रहते हैं, इनका मन्त्र प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष द्वारा होता है। परम्परागत रूप से व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक कर्मचारियों ने पृथक् इकाइयों में मार्गित विवा जाता है तथा प्रत्येक विभाग के कार्य का दायित्व मामान्य प्रशासनिक विभाग में रखा जाता है। मामान्य तथा व्यावसायिक कर्मचारियों का आपसी सम्बन्ध पर्याप्त विवाद का विषय बना है। इस विवाद को तय करना दोहरे सरल बारे नहीं है वर्षोंका प्रत्येक विभाग में वैज्ञानिक अधिकारियों की स्थिति एवं वार्ष मन्त्र-प्रशासन है।

#### (5) छोटे तथा सहायक वर्ग

(Minor and Auxiliary Classes)

प्रशासनिक, निष्पादक, व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक प्रहृति के सभी अधिकारियों को दिन-प्रतिदिन वा वार्ष सम्भालने के लिए सहायक वर्ग की विभाजन आवश्यकता है। इनका कार्य एवं स्वागत विभिन्न विभागों में अलग-अलग होता है। इनको उच्च वर्ग के पदों पर पश्चे नहीं का अवसर प्राप्त होता है किन्तु ये अधिकारियों की स्थिति में ही आमतौर पर्याप्त रहते हैं। इन पर प्रनितम नियमण वरिष्ठ वर्ग के कार्यकर्ताओं का रहता है।

#### (6) शोधोगिक लोकमेवा

(Industrial Civil Service)

इस वर्ग के कर्मचारियों की संख्या लगभग 2,35,800 है। यह बोई पृष्ठ देश नहीं है, वर्षारि इसको स्वतंत्र ग्रन्थालय जाता है। इसमें व्यावसायिक तथा

ओद्योगिक कार्यकर्ता भास्मिल रहत हैं। इन पर ओद्योगिक एवं व्यावसायिक सेवों की परम्पराओं तथा नियमों का प्रभाव रहता है। ये मुख्या एवं उद्दृष्टि विभाग, स्टेशनरी ऑफिस, होम ऑफिस, जगतात आयोग, सार्वजनिक भवन एवं निर्माण मन्त्रालय आदि से सम्बन्धित ओद्योगिक संस्थानों में कार्य करते हैं। इनमें पर्यवेक्षक तथा निदेशक के पद अन्य रहते हैं।

### (7) महामहिम की राजनयिक सेवाएँ

#### (Her Majesty's Diplomatic Services)

ये सेवाएँ शृंग लोकसेवाओं (Home Civil Services) से पूर्णत भिन्न होनी हैं तथा इनका स्वयं का स्थायी अध्यक्ष अलग होता है जो राजकोप के भयुक्त स्थायी सचिव के ममकक्ष होता है। विटिंग लोकसेवाओं की समुद्रपाठीय शाखाएँ बहुत पहले से ही अलग रखी गई हैं। इनकी नियुक्ति तथा साठन अलग होता है। 1943 के पुनर्गठन के बाद विदेश सेवा को ताज की पृथक् सेवा की ओपचारिक मान्यता प्राप्त हो गई। 1965 म विदेश सेवा को राष्ट्रमण्डलीय सेवा के राथ जोड़ दिया गया।

संक्षेप में, ग्रेट ब्रिटेन में लोकसेवाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है—

#### Classification of British Civil Services

##### Broad Classification.

- (1) Industrial and Non-Industrial
- (2) Established and Non-Established
- (3) Treasury Class and Departmental Class
- (4) Generalist and Specialist

##### Major Classes of Today.

- (1) Administrative Class
- (2) Executive Class
- (3) Clerical Class
- (4) Professional, Scientific & Technical Classes
- (5) Minor and Auxiliary Classes
- (6) Industrial Civil Service
- (7) Her Majesty's Diplomatic Service

भारत में सेवा वर्गीकरण व्यवस्था

#### (Service Classification System in India)

##### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

##### (Historical Background)

अप्रैली राज के समय भारतीय लोकसेवाओं के व्यवस्थित वर्गीकरण की प्रारंभिक ध्यान दिया गया था। 1858 म आजीवन भेवाओं की स्वापना प्रौढ़ 1887 म अधीसन कर्मीशन की रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक भावशरनाओं की पूर्ण के लिए सेवाओं की शृंखला रखी गई। सकल सेवाओं को चार वर्गों में नमूदीकृत किया गया—इमोरियल सेवाएँ, प्रान्तीय सेवाएँ, अधीनस्य सेवाएँ प्रौढ़ हीन सेवाएँ।

तृनीय थेणी में लिपिक एवं टक्करात्तरी वर्ग की सेवाएँ थीं जबकि चतुर्थ थेणी में चरपासी प्रीर और संदर्भवाहक थे। प्रथम दो सेवाएँ उच्चतर लोकसेवाएँ रही जानी थीं। इनसा वर्गीकरण उनक कर्त्तव्यों एवं कार्यों के किसी वृद्धिपूर्ण आधार पर निभर नहीं था बरन् उनकी नई पर आधारित था। ये भारत सचिव द्वारा नियन्त्रित सेवाएँ थीं। भारत में लोकसेवाओं पर शाही प्रायोग ने यह मुझाया कि लोकसेवाओं का नया वर्गीकरण किया जाए। जिसमें प्रथम प्रीर द्वितीय थेणी की सेवाएँ ही। प्रायोग के मतानुसार उच्चतर प्रीर प्रधीनस्य सेवाओं के बीच सेवाओं को प्रान्तीय सेवाएँ बहा जाए। यदि प्रान्त द्वारा उनका समर्थन हो तो उस प्रान्त के नाम में उन्हें पुसारा जाए और यदि भारत सरकार द्वारा समर्थन हो तो दोनों सेवाओं को प्रथम प्रीर द्वितीय थेणी की सेवाएँ कहा जाए।

1919 में भारत सरकार प्रधिनियम द्वारा इम्पीरियल सेवाओं को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। यह विभाजित प्रधानित विषय के आधार पर था—भारत सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण वाले विषय प्रीर प्रान्तीय सेवाओं द्वारा मुख्य नियन्त्रित विषय। इनमें प्रथम का वापिल है-डीव सेवाओं को नया द्वितीय वा अधिन भारतीय सेवाओं को सौंपा गया। यह प्रधिन भारतीय सेवाएँ मुख्य प्रान्तीय वर्गस्यारों के अधीन नाय करती थीं। इन्हें भारत के किसी भी भाषा में नाय न रखने से निए भारत सचिव द्वारा नियुक्त किया जाता था।

1946 में बन्दीप वेनन प्रायोग न सेवाओं के वर्गीकरण पर विचार किया। उस समय प्रधिन भारतीय सेवाओं और बन्दीप नान्तर सेवाओं के प्रतिरिक्त चार गोंप में सेवाएँ विभाजित थीं—प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी प्रधीनस्य सेवाएँ और हीनतर सेवाएँ। प्रायोग ने मुझाया कि घन्तिम दो सेवाओं को तृनीय थेणी प्रीर चतुर्थ थेणी की सेवाएँ बहा जाना चाहिए। तकनीकी सेवाओं को भी दोषी वर्ग में प्राप्तिर वर निया गया और उनके लिए प्रत्यग में थेणी नहीं बनाई गई। कुछ तोहा न है-डीव वेनन प्रायोग ने मुझाव दिया कि भारत में चिटिश राजकीय व वर्गीकरण को प्रयत्ना किया जाए। प्रायोग न इस मुझाव को प्रयत्नीतर बरत हुए रहा कि भारत में विभी प्रधिकारी को प्रशासनिक या नियान्त्रक नाम देना सम्भव नहीं है वशीकि प्रनक्ष प्रधिकारी दोनों प्रसार के बायं रहते हैं। 1946 में बन्दीप सेवाओं के प्रतिरिक्त तीन प्रत्यार की सेवाएँ और थीं—प्रधिन भारतीय सेवाएँ, विभेद गवाएँ और प्रान्तीय सेवाएँ।

भारतीय पद-वर्गीकरण व्यवस्था वेनन की दर और समादित वायं दी प्रदृष्टि दोनों तरफों पर साधारित रही है। यह वर्गीकरण पदाधिकारियों की प्रदुषामनामक वायंदाही और वशीक की मुविधा वे विदेशाधिकारों पर प्राप्तिर रहा है।

वर्तमान वर्गीकरण व्यवस्था

(Classification System of Today)

"वर्तमान सेवा प्रश्ना दर्शन एकोहन नहीं है किर नी विशेषोहन वायं एवं

सामान्य प्रकृति के कार्यंतया विभिन्न प्रकृति वाले कार्यं के सम्बन्ध एवं एकीकरण से जिए जाने वाले कार्यों को सचालित करने के लिए उपयुक्त है।<sup>1</sup> मारतीय लोक सेवा की सरचना में सधीय और राज्य दोनों ही स्तरों को सेवाएँ हैं। ये राजनीतिक कार्यालिका की नीति-रचना और कार्यान्वयन करने में सहयोग देती हैं। सरकारी नीतियों और कार्यनभों की वास्तविक कार्यान्वयन के लिए या तो सामान्य सेवाएँ अथवा कार्यात्मक सेवाएँ उत्तरदायी हैं। कार्यात्मक सेवाएँ वही स्थापित की जाती हैं जहाँ सम्बन्धित कार्यं विशेषीकृत प्रकृति का है और मात्रा में इतना अधिक कि उसके लिए पृथक् सेवा की आवश्यकता है। जैसे आयकर, नुगी, आवकाशी, लेखा एवं लेखा-परीक्षा सेवाएँ आदि इनके उदाहरण हैं। कार्यात्मक सेवाओं की भाँति विशेषज्ञ सेवाएँ भी होती हैं जिन पर नियुक्तियाँ व्यावसायिक वोग्यताओं के प्रानुभव के आधार पर की जाती हैं।

भारत में सेवाओं के वर्गीकरण की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ केवल प्रसंस्कृति के लिए वर्गीकृत नहीं किया गया वरन् प्रसंस्कृति पदों को भी वर्गीकृत किया गया है अर्थात् थ्रेणी, स्तर और विशेषाधिकार पदों के साथ जोड़ दिए गए हैं। इसी-कमी एक पदाधिकारी अपनी योग्यता और वारिष्ठता ने अपेक्षा ऊंचे पद के दायित्व भी निभाता है। यह स्थिति कार्यवाहक (Officiating) कही जाती है जो अस्थाई अथवा मध्यकालीन होती है। यहाँ वर्गीकरण स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के पदों का होता है। यदोही ऐह मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय से विचार करके कोई पद नियमित होता है तोही उसे वर्गीकृत कर दिया जाता है। वर्गीकरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि पद किस थ्रेणी का है तथा यह लिपिकवर्गीय पद है अथवा गंर-लिपिकीय पद है। यह अन्तर स्पष्ट करता है कि लिपिकीय सेवाएँ अधीनस्थ सेवाएँ होती हैं और इनके काम पूरणतः या मूलतः लिपिकीय प्रकृति के होते हैं।

गंर-संस्कृति सेवाएँ पुन राजपत्रित एवं अराजपत्रित इन दो भागों में विभाजित की जाती हैं। राजपत्रित सेवाएँ वे होती हैं जिन पर नियुक्ति की मूलना मारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। यह स्तर एवं मान्यता प्रब्रह्म थ्रेणी (Class I) की सभी सेवाओं तथा द्वितीय थ्रेणी के गंर-लिपिकीय एवं निष्पादक पदों को दिया जाता है। सामान्यतः द्वितीय थ्रेणी के लिपिकीय पद तथा तृतीय एवं चतुर्थ थ्रेणी के सभी पद अराजपत्रित माने जाते हैं। दोनों के बीच कुछ अन्य व्यवहारिक अन्तर भी हैं जैसे राजपत्रित कर्मचारी का वेतन 500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक होता है, वे अपना वेतन सीधे प्राप्त करते हैं तथा वे महालेखापाल में सीधा पथ व्यवहार कर सकते हैं।

<sup>1</sup> "The present service structure, though not unified, is balanced enough for the purpose of carrying out specialised work as well as tasks of general nature and tasks requiring co-ordination and integration of work of diverse character."

—I I P A . The Organisation of the Government of India, 1971, p 489.

भारत में सेवाओं का वर्गीकरण मूल्यवान् उन विद्यों के अन्तर्गत होना रहा है जो पूरुष में 1930 में बनाए गए थे और जिनमें सज्जोष्ण समय-समय पर विचा जाना रहा है। वर्तमान साल में यह वर्गीकरण इस प्रकार है—

- (1) अधिल भारतीय सेवाएँ (All India Services)
- (2) केंद्रीय (संघीय) सेवाएँ, प्रथम श्रेणी (Class I)
- (3) केंद्रीय (संघीय) सेवाएँ, द्वितीय श्रेणी (Class II)
- (4) प्रान्तीय (राज्य) सेवाएँ
- (5) विशिष्ट सेवाएँ, (Special Services)
- (6) केंद्रीय सेवाएँ तृतीय श्रेणी
- (7) केंद्रीय सेवाएँ चतुर्थ श्रेणी
- (8) केंद्रीय सचिवालय सेवा (Central Secretariat Service) प्रथम, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी।

### अधिल भारतीय सेवाएँ (All India Services)

स्वयं सचिवालय के भीतर अधिल भारतीय सेवाया का प्रावधान किया गया है। भारतीय प्रभावन सेवा (I.A.S.), भारतीय पुलिस सेवा (I.P.S.), भारतीय विदेश सेवा (I.F.S.), भारतीय पर्याप्ति सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा (Indian Economic Statistical Services) आदि अधिल भारतीय सेवाएँ हैं। भारतीय शर्यत सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा का गठन 1961 में किया गया था, जबकि कुछ पदों पर पर्वंशास्त्र तथा सांख्यिकी के विशिष्ट ज्ञान की प्रावधानता होनी है। 1963 में तीन नई अधिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया गया था, यह है—भारतीय बन सेवा, इशोनियरों की भर्ती सेवा तथा भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा।

अधिल भारतीय सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती संघीय लोकसेवा आयोग द्वारा ही जानी है और इन्हें भारत या भारत के बाहर बहों भी काम करने के लिए भेजा जा सकता है। इसस्या यह है कि भारतीय प्रभावन तथा पुलिस सेवाया के प्रधिकारी एक निष्ठांतिक कोट (Fixed Quota) के साथार पर विभिन्न राज्यों द्वारा दिए जाते हैं। सचिवालय के पन्तर्गत सरदूरों पर यह प्रधिकार है कि वह सभ तथा राज्यों के लिए समान रूप में काम करने वाली एक या अधिक अधिल भारतीय सेवायों के नियाएँ हैं जिए बानूद बनाए, पर यह तभी सम्भव है उन्हि राज्य सेवा में इनके लिए प्रस्ताव पेन हो और उपस्थित गद्दीय दो-निहाई भर्तों से उन प्रस्ताव द्वारा प्रत्युभीकृत करें। प्रधिक भारतीय सेवाएँ इन्हें उच्च स्तर की होती है कि वे स्थानीय प्रभावों में ग्राम सुन्दर रहती हैं। प्रभावन नन्द की मबदूल बनाने की रक्षा व भारत परवार सभी राज्य भरवायों तथा एक सम्बान्ध के मध्य राज्य द्वारा इशोदत में प्रत्युभीकृत कर सकती है कि व अधिक भारतीय सेवाया के एक सदस्यों के मामलों का पुनरीक्षण करे जिन्होंने 50 रुपये की आयु प्राप्त करती हो

अथवा 30 वर्ष की अंहड़ मेंदा पूरी करली हो ताकि उन्हें धार्म सेवा में बनाए रखने के लिए उनकी उपमुक्तना आदि का निर्णय किया जा सके।

प्रतिल भारतीय सेवाप्रो की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण केन्द्रीय सेवा की भौति केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इन्हे कार्य के लिए विभिन्न राज्यों में भेज दिया जाता है जहाँ वे राज्य सरकारों की सेवा करते हैं तथा उनके सेवा सम्बन्धी प्राचणान भी राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। इनके विश्व ग्रन्थालयमात्रक कार्यवाही भौतीय लोकसेवा आयोग के प्रशिक्षण के राष्ट्रीय द्वारा की जाती है। डेप्यूटेशन पर ये, केन्द्र सरकार की सेवा भी कर सकते हैं किन्तु तीन से पाँच वर्ष तक कार्य करने के बाद उन्हें अपने राज्य में वापस लौटना पड़ता है। भर्ती के तरीके चयन, बेनन, सेवा का स्तर, थेगी तथा अन्व विज्ञेयाधिकारों की रूप्ट से प्रतिल भारतीय सेवाएँ प्रथम थेगी की केन्द्रीय सेवाओं के नमकक्ष होती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा बहुत कृष्ण समान स्तर की हैं। इनमें प्रथम प्रतिल भारतीय सेवा है किन्तु द्वितीय केन्द्रीय सेवा (प्रथम थेगी) है। सधीय लोकसेवा आयोग दोनों प्रकार की सेवाओं के लिए प्राप्त समुक्त परीक्षाएँ घायोजित करता है।

### केन्द्रीय (सधीय) सेवाएँ

#### (Central Civil Services)

केन्द्रीय नौकर सेवाएँ जार थेलियों के खर्मोकृत वीर्य हैं—केन्द्रीय सेवाएँ प्रथम थेगी, केन्द्रीय सेवाएँ द्वितीय थेगी, केन्द्रीय सेवाएँ तृतीय थेगी तथा केन्द्रीय सेवाएँ चतुर्थ थेगी। प्रथम थेगी में केन्द्रीय सामाजिक सेवाएँ प्राप्ती हैं। ये सभी केन्द्रीय सेवाएँ उन विषयों का प्रशासन वर्तती हैं जो सब सरकार के विभागिकार में हैं। उदाहरण के लिए, विदेश सेवा, प्रायकर सेवा, नूर्मी, रेल्वे, डाकघर आदि। ये नमों तक नीती तथा वैज्ञानिकीय दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं। गैर-तकनीकी सेवाएँ ये हैं—भारतीय विदेश सेवा भारतीय सेवा परीक्षा एवं सेवा सेवा, भारतीय डाक सेवा (प्रथम थेगी), भारतीय सुरक्षा सेवा सेवा, भारतीय रेल्वे सेवा सेवा, भारतीय रेल्वे यातायात सेवा, रेल्वे बोर्ड सचिवालय सेवा आदि।

प्रथम थेगी की देशीय सेवाप्रो के पदाधिकारियों को अपने-प्रपने विभाग में ज्येष्ठ पदों (Senior Posts) पर रखा जाता है। भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय सचिवालय के तथा अन्य प्रशासनीय पदों पर उन्हें नियुक्त किया जाता है। उनकी भर्ती एक लेसी समुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (Combined Competitive Examination) के परिणाम के आधार पर की जाती है जो सभी नौकर सेवा आयोग, प्रतिल भारतीय सेवाप्रो तथा ग्राम परिवर्तन एवं द्वितीय थेगियों वी सेवामां के लिए प्रत्यक्षियों वा चयन करने हेतु घायोजित करता है।

डॉ प्रदस्थी एवं भाहेश्वरी ने भारत में केन्द्रीय लोकसेवा (प्रथम थेगी) में अपनी विधि 33 सेवाएँ गिनाई हैं—

- 1 पुरातत्त्व सेवा (प्रथम थे ली)
- 2 भारतीय बनस्पति सर्वेक्षण (प्रथम थे ली)
- 3 केन्द्रीय इन्डोनियासिंग सेवा (प्रथम थे ली)
4. देन्हीय चियुन् यात्रिक सेवा (प्रथम थे ली)
- 5 देन्हीय स्काम्प्य सेवा (प्रथम थे ली)
- 6 देन्हीय राजस्त रामायनिक सेवा (प्रथम थे ली)
- 7 देन्हीय मिचिवानज मेवा
  - (अ) विशिष्ट चयन योद्धा
  - (ब) योद्ध प्रथम
- 8 शामान्य कन्दीय सेवा (प्रथम थे ली)
- 9 भारतीय भू-मवेक्षण सेवा (प्रथम थे ली)
- 10 भारतीय नदा परीक्षण एव सेवा सेवा
- 11 भारतीय मुख्या उडा सेवा
- 12 भारतीय विदेश सेवा (प्रथम थे ली)
- 13 भारतीय योवयमेवा (प्रथम थे ली)
- 14 भारतीय डाक सेवा (प्रथम थे ली)
- 15 भारतीय डाँस नार यचानन सेवा (प्रथम थे ली)
- 16 भारतीय राजस्व सेवा
  - (अ) मीमा गुन्ह शावर (भारतीय मीमा गुन्ह सेवा-प्रथम थे ली)
  - (आ) देन्हीय एकानाइज शावा (केन्द्रीय एकानाइज सेवा-प्रथम थे ली)
  - (ब) आवदर शावा (आवदर सेवा-प्रथम थे ली)
- 17 भारतीय नमक सेवा (प्रथम थे ली)
- 18 अधारिक बहावरानी प्रजित्तण उत्त्यान सेवा (प्रथम थे ली)
- 19 खगित्र विभाग (प्रथम थे ली)
- 20 मसुइ पार यचार सेवा (प्रथम थे ली)
- 21 भारत मवेशण सेवा (प्रथम थे ली)
- 22 तार यानिक सेवा (प्रथम थे ली)
- 23 भारतीय जन्मु सरेक्षण (प्रथम थे ली)
- 24 भारतीय सीमा प्रसानन सेवा
  - (अ) योद्ध प्रथम
  - (आ) योद्ध द्वितीय
- 25 केन्द्रीय विधिक सेवा (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एव चतुर्थ थे ली)
- 26 रवदे निरोधण सेवा (प्रथम थे ली)
- 27 भारतीय विद्युत सेवा शावा (ब)
  - (अ) शामान्य डाँस—योद्ध (सोटि) प्रथम
  - (आ) शामान्य डाँस—योद्ध द्वितीय

- 28 भारतीय निरीक्षण सेवा (प्रथम थेर्णी)  
 29 भारतीय पूर्ति सेवा (प्रथम थेर्णी)  
 30 केन्द्रीय सूचना सेवा  
     (अ) बारिश प्रशासनिक बेतनमान  
     (आ) बनियंठ प्रशासनिक बेतनमान  
     (इ) ग्रेड प्रथम  
     (ई) ग्रेड द्वितीय  
 31 भारतीय सांच्चिकी सेवा  
 32 भारतीय अधिक सेवा  
 33 तार यातायात सेवा (प्रथम थेर्णी)

प्रथम थेर्णी की उपरोक्त केन्द्रीय सेवाओं में विशेष महत्वपूर्ण है—केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय लेखा प्रशिक्षण तथा लेखा आखा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा तथा भारतीय प्रतिरक्षा सेवा। यह सुभाव दिया जाता है कि भारतीय प्रशासन सेवा तथा प्रथम थेर्णी का केन्द्रीय सेवाओं का परस्पर विलय कर दिया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार के अधीन सभी गंगरनकनीकी विभागों के लिए एक ही 'उच्चतर प्रशासनीय सेवा' होनी चाहिए।<sup>1</sup>

डॉ अबस्थी एवं महेश्वरी ने केन्द्रीय सेवा (द्वितीय थेर्णी) में निम्नलिखित 26 सेवाएँ गिनाई हैं<sup>2</sup>—

1. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संक्षय अधिकारी ग्रेड)
2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड चतुर्थ)
3. केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (ग्रेड प्रथम)
4. केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सम्मिलित)
5. ग्रेड (कोटि) द्वितीय एवं तृतीय
6. थम अधिकारी सेवा (द्वितीय थेर्णी)
7. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (द्वितीय थेर्णी)
8. भारतीय जलवायु सेवा (द्वितीय थेर्णी)
9. डाक निरीक्षण सेवा (द्वितीय थेर्णी)
10. पोस्ट मास्टर सेवा (द्वितीय थेर्णी)
11. तार यानिक एवं बेतार सेवा (द्वितीय थेर्णी)
12. तार यातायात सेवा (द्वितीय थेर्णी)
13. केन्द्रीय एक्साइज सेवा (द्वितीय थेर्णी)  
सुपरिटेंडेंट द्वितीय थेर्णी (मुख्यालय सहित)  
कलेक्टर के अधीनस्थ एवं जिला अफील प्रधिकारी (द्वितीय थेर्णी)

1 सौ. शे. भास्मरी : वही, पृष्ठ 412.

2 अबस्थी एवं महेश्वरी : वही, पृष्ठ 373.

- 14 सीमा शुल्क प्राप्ति करने सेवा (द्वितीय थेरेणी)
- मुख्य ग्राहक एवं प्रधान धोरण
- 15 सीमा शुल्क ग्राहक सेवा—द्वितीय थेरेणी (ग्राहक)
- 16 सीमा शुल्क निरोधक सेवा—द्वितीय थेरेणी (मुख्य निरोधक)
- 17 सीमा शुल्क निरोधक सेवा—द्वितीय थेरेणी (निरोधक)
- 18 आदकर सेवा (द्वितीय थेरेणी)
- 19 भारतीय भू सर्वेषण सेवा (द्वितीय थेरेणी)
- 20 भारतीय बनस्पति सर्वेषण सेवा (द्वितीय थेरेणी)
- 21 भारतीय सर्वेषण सेवा (द्वितीय थेरेणी)
- 22 भारतीय बन्तु सर्वेषण सेवा (द्वितीय थेरेणी)
- 23 देवदीय विनृत याचिक सेवा (द्वितीय थेरेणी)
- 24 कन्दीय याचिक सेवा (द्वितीय थेरेणी)
- 25 भारतीय नवाल सेवा (द्वितीय थेरेणी)
- 26 सामान्य केन्द्रीय सेवा (द्वितीय थेरेणी)

तृतीय और चतुर्थ थेरेणी के लिए समान अधीनस्व सेवाएँ (Subordinate Services) हैं जिनमें लिपिकार्य (Clerical), मन्त्रीय (Ministerial), विधायक (Executive) प्रवक्ता वाह्य कर्तव्य वाल (Outdoor duties) पद सम्मिलित रिए जाते हैं। उन्नेष्वनीय हैं कि प्रथम थेरेणी की समाप्ति/पदों पर सभी प्रथम नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा दी जाती हैं, जबकि पन्थ प्राप्ततों पर निम्न प्राप्तिकारिया (Lower Authorities) को ऐसी नियुक्तियाँ करने का अधिकार प्राप्त है। प्रथम थेरेणी के सभी इष्ठ और द्वितीय थेरेणी के बहुत से पद राजपत्रित (Gazetted) होते हैं, इन्हुंने नहीं होते। राष्ट्रपति प्रथम थेरेणी के लिए धनुशासनिक प्राप्तिकारी (Disciplinary Authority) तथा द्वितीय थेरेणी के लिए धनुशासनिक प्राप्तिकारी (Appellate Authority) है। जबकि तृतीय और चतुर्थ थेरेणी के लिए मनुशासनात्मक प्रयोग प्रथम थेरेणी की समाप्ति/पदों की सीधी भवी अधीन तोहनेवा प्राप्ततों के प्रत्यार्पण ते ही जाती है (जबकि इसी देश को इन प्रतिवन्ध में वाल तोहर पर भूल न रखा गया हो)। जबकि तृतीय एवं चतुर्थ थेरेणी की सेवाओं के सम्बन्ध में ऐसा बाई सामान्य नियम नहीं है।

बर्दीकरण का एवं धायार राज्यरित (Gazetted) और धराज्यरित (Non-gazetted) थेरेणी दो हैं। राज्यरित पद के हैं जिनके दशाप्रियारियों के नाम नियुक्ति, पदोप्रति, मेरानिवृति आदि के बारे म भरतारी यजट म इकायित रिए जाते हैं। धराज्यरित पद के हैं जिनके पदाप्रियारियों के नाम भरतारी यजट म नहीं पढ़ते। तृतीय और चतुर्थ थेरेणी के रम्बवारी राज्यरित नहीं होते।

## राज्य सेवाएँ

### (State Services)

ये सेवाएँ पूरुण रूप से राज्य सरकार के द्वारा विधार ने रहती हैं तथा राज्य मूल्य में उल्लिखित विषयों का प्रशासन करती है। अखिल भारतीय सेवाओं में लगभग 25 प्रतिशत रिक्त पदों पर नियुक्ति राज्य सेवा में से पदोन्नति करके दी जाती है।

भारत में लोकसेवाओं का वर्गीकरण यहाँ की सामिधानिक रूप-रचना से मैत्र याता है। जिस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा सभी प्रशासनिक विषयों का वेटबारा मध्य सूची, राज्य सूची, तथा समवर्ती मूल्यांकों में किया गया है, उसी प्रकार लोकसेवाएँ भी केन्द्रीय सेवाएँ अखिल भारतीय सेवाएँ तथा राज्य सेवाओं के हृष में बौद्धी गई हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका में सधारणक व्यवस्था होते हुए भी अखिल अमेरिकी सेवाओं का कोई प्रावधान नहीं है जो सध तथा राज्य दोनों सरकारों की सेवा करें।

राज्य सेवाओं (State Services) में मुख्य हैं—

- 1 राज्य प्रशासनीय सेवा (State Administrative Service)
- 2 राज्य पुनिष सेवा (State Police Service)
- 3 राज्य प्रकेक्षण एवं लेखा सेवा (State Audit and Accounts Service)
- 4 राज्य शिक्षा सेवा (State Education Service)
- 5 राज्य सहकारिता सेवा (State Co-operative Service)
- 6 राज्य रोजगार सेवा (State Employment Service)
- 7 राज्य जेल सेवा (State Jail Service)
- 8 राज्य प्राविधिक सेवाएँ (State Technical Services)

### केन्द्रीय सचिवालय सेवाएँ

केन्द्रीय सचिवालय की निम्ननिमित्त तीन सेवाएँ हैं—

- (i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में चार घेड हैं, प्रथम—
  - (क) चयन घेड (रुपये 1500-2000)
  - (ख) घेड-1 (रु 1200-1600)
  - (ग) घनुमाण अधिकारी घेड (रु 650-1200)
  - (घ) सहायक घेड (रु 425-800)
- (ii) केन्द्रीय सचिवालय आगुलिपिक सेवा में चार घेड हैं, प्रथम—
  - (क) घेड क (रु 650-1200)
  - (ख) घेड ख (रु 650-1040)
  - (ग) घेड ग (रु 425-800)
  - (घ) घेड घ (रु 330-560)

- (iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा मे निम्नलिखित दो घेड हैं अर्थात्-
- (क) उच्च श्रेणी लिपिक (इ 330-560)
- (ख) घबर श्रेणी लिपिक (इ 260-400)

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का भ्रान्तमाग अधिकारी घेड तथा सहायक सचिवालय घेड और केन्द्रीय प्रान्तिकिपर्स सेवा के सभी घेड इन्हें द्विकृत हैं अर्थात् नियुक्तियाँ, पदोन्नति तथा स्थायीकरण सवालवार हिए जाने हैं। प्रत्येक सदगे मे एक अधिकारी एक मे अधिक मन्त्रालय, विभाग तथा महाभागी सम्बद्ध कार्यालयो के पद शामिन होने हैं : केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन घेड तथा घेड 1 केन्द्रीकृत हैं अर्थात् नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ तथा स्थायीकरण पुरे नियिकालय के पाधार पर हिए जाने हैं। तिरंगदीकृत सदगो के सम्बन्ध म, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग पश्चलनि वे दोष नियत बरने के लिए और प्रतियोगिता तथा विभागीय परीक्षाओ के माध्यम न रिक्तियाँ मरने के लिए विभिन्न सदगो दी ग्रावरक्षनांशा वा मूल्यांकन बरता है और नगानार मानीटर बरता रहता है।<sup>1</sup>

### भारत मे सेवा अधिकारी पद वर्गीकरण : व्यवस्था की समीक्षा

भारत मे सवालो के वर्गीकरण की व्यवस्था की दोनों क्षेत्रो मे प्रारंभन होनी रही है। प्रो. एपनबी ने इनके बृहत् दोशो को दिनाया है, यह है—  
 (1) कठोरता (Rigidity), (2) रोदिक प्रशुद्धेति (Intellectually Oriented),  
 (3) विश्वापक्ति (Disjointed) (4) स्तर स प्रभावित (Status Oriented),  
 (5) प्रतिविभागीय इर्ष्या (Interclass Jealousy), एवं (6) यंत्र-विनेपना मे प्रभावित (More Generalist Dominated)। इन दी शर्मा म तीन प्रथम प्रालोचनाओ को इन प्रकार व्यक्त किया है—पहली तो यह कि दियो वैज्ञानिक प्रथमा स्टाट मिडान पर प्राप्तारित नहीं है, न तो इसका प्राप्तार आव अवका कर्तव्य है और न यह मध्यमी दावितव। प्रथम तथा द्वितीय दोनों की सवालो के लिए मान वाल उम्मीदवारो म समान प्रकार दो ही योग्यता प्रदत्तिन मानी गई है तथा प्राप्त दोनों म कोई पन्नर नहीं है। दोनों ही मर्नी नाकसाधा प्राप्तों द्वारा प्राप्तों विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओ प्रवका चयन द्वारा की जाती है तथा एमी दोनों दोनों के लिए एक सुनुक परीक्षा क प्राप्तार पर भर्ती कर ली जाती है। इही बारत है कि द्वितीय दोनों के प्रधिकारियो के प्रतिनिधियो व इन दोनों योग्यता के विषय की मात्रा दो भी। दूसरी बात यह है कि भारतीय वर्गीकरण, भर्ती करने वाली उच्चतर और निम्नतर वक्ताओ के प्राप्तार पर दिया जाता है। विषुक कारण घरेवो द्वारा प्रदत्ताई जाने वाली भेदभाव दो नोनि दोनों तर तरी प्रा रही है और यह निश्चित रूप मे प्राप्तुनिक तोहतन्त्रात्मक व्यवस्था के प्रतुरूप नहीं है। तीसरी बात यह है कि भारतीय वर्गीकरण इनका स्पष्टक नहीं है कि उनके

1 भारत वाकार, राजिक और व्यापक दृग्गर विभाव, एक समाजव दो शास्त्रिक फोटो, 1983-84, पृ. 17

भीतर प्रत्येक प्रकार की लोकसेवा का समावेश हो सके तथा वह सभी मन्त्रालयों और विभागों में एक सरीखा भी नहीं है।

कुछ ग्रामोचनाओं में सत्याग्रह है, तथापि यह कहना भी अनुचित होता कि सभी विभागों में वर्गीकरण को गूर्ह अमरुपता अमम्भव है क्योंकि कुछ विभागों में विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। यह सुझाव भी विशेष बैजन नहीं रखता कि प्रथम और द्वितीय थेणी के बीच का भेद मिटा देना चाहिए। डॉ भास्मभरी के शब्दों में, ‘यह भेद जारी रहना चाहिए, क्योंकि द्वितीय थेणी की सेवाओं के बहुमत्या अधिकारियों की सीधी भर्ती (Direct Recruitment) नहीं होती और द्वितीय थेणी के एसे सब इत्क स्थान तृतीय थेणी के अधिकारियों को रद्दोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं। इस प्रकार वही द्वितीय थेणी के पदाधिकारियों तथा प्रथम थेणी के कनिष्ठ शाखा (Junior Branch) के पदाधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व एक से हैं वही उनके पारिथितिक (Remuneration) तथा उनकी पदस्थिति (Status) में पाई जाने वाली विभिन्नता वो इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि प्रथम थेणी में पदाधिकारियों की भर्ती उच्चतर पदों के सम्भालने के लिए वो जाती है और इसी थेणी वे कनिष्ठ बैठनकर्म वाले पदों (Junior Scale Posts) का उद्देश्य केवल यह होता है कि वे पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के आधार के रूप में (As Training Ground) कार्य करें और उनको उन उच्चतर उत्तरदायित्वों को बहन करने के योग्य बना दें जिनके लिए उनकी भर्ती वो गई है। इसके विपरीत द्वितीय थेणी के पदाधिकारियों की भर्ती चाहे वह पदोन्नति द्वारा की जाए अथवा सीधी ही, उस पदक्रम (Grade) के कर्तव्यों को सम्पन्न करने के लिए की जाती है, जिस पर कि उनकी नियुक्ति वो जाती है। इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय थेणी के बीच का भेद जारी रहना चाहिए।’

भारतीय लोकसेवाओं के वर्गीकरण को सन्तोषजनक बनाने के लिए एक सुझाव यह दिया जाता है कि यहाँ संयुक्तराज्य अमेरिका की भाँति पद-वर्गीकरण किया जाए सापेक्ष ही सेवा वर्गीकरण पर विचार करते समय विकास प्रशासन वी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए।

### संयुक्तराज्य अमेरिका में पद-वर्गीकरण (Position Classification in U. S. A.)

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**  
(The Historical Background)

संयुक्तराज्य अमेरिका में पद-वर्गीकरण में निहित विचार कीव नवा तो कर्ण पूर्व ही विकसित हो चुके थे। 1838 में भ्रान्त सरकारी लिपिको ने जब समान वार्य के लिए समान बैठन की भाँग रखी तो सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिया कि वे लिपिको वा वर्गीकरण तैयार करे तथा ऐसा करते समय इन बातों वा ध्यान रखें—प्रावधान धर्म की प्रकृति, सौना यथा

दायित्व, अन्य सेवाओं की व्यवस्था प्रत्यक्ष ऐलो डॉ.रा दी गई हेवाओं का जनवाके निए मूल्य प्राप्ति। निविकों के लिए सविधीय वर्गीकरण योजना दीरेस द्वारा 1853 म बनाई गई। इहके स्थान पर 1923 म कौरेस ने एक व्यापक वर्गीकरण की योजना स्वीकार दी। मधीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय सभ के प्रयासों के पुनरुत्थापन मधीय वर्गीकरण अधिनियम 1923 म ही बन मवा। 1925 म डाक सेवा का पुनर्वर्गीकरण किया गया तथा 1928 म एक सामान्य सर्वेक्षण बरके नघीय व्यवस्था को खेत्रीय स्तरों पर भी लागू कर दिया गया। प्रार्थिक भूमि के कारण सम्बन्धित व्यवस्थापन म देरी हुई किन्तु 1940 के राष्ट्रीयिक अधिनियम (Ramspeck Act) म यह बात स्वीकार बर ली गई।

एक वर्गीकरण के लिए इस जाने वाले इस महत्वपूर्ण आन्दोलन के जूम तथा विराम के चिना उत्तराधीय दुष्कारणा का उल्लेख किया जा सकता है। इनम पहला था योग्यता अधिकार की स्वीकार कर लाना। यदि पदाधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर करनी थी तो यह आवश्यक था कि विभिन्न पदों के साथ बनाए जाते तथा उत्तरक निए प्रावश्यक योग्यताओं का उल्लेख किया जाता। दूसरी बात यह है कि वर्गीकरण आन्दोलन लोकसभा म सुधार कार्यक्रम के पुनरुत्थापन था। तीसरे, समाज कार्य के चिना समाज वेतन की मौजूद निरन्तर जोर पकड़ती जा रही थी। इन सब शारणों न मिलकर 1923 के अधिनियम को पारित कराने म योगदान किया। यह अधिनियम सेवीवग व्यवस्थापन का महान् मीदा चिह्न कहा गया है।<sup>1</sup> इसक बाद समय समय पर इस अधिनियम म उल्लेखनीय नरचनात्मक पारवतंत्र जुड़त गए। 1949 म इस अधिनियम का स्थान पूण्यस्थल से एक नए वर्गीकरण अधिनियम न ले लिया। प्राय सभी राज्य तथा स्थानीय देशाधिकारा म पदों के मूल्यांकन तथा वर्गीकरण का कार्य केन्द्रोंप सेवा ग्राफिक्स द्वारा किया जाता है। सम्बन्धित विभागों द्वारा छिकारिजों की जानी है।

अपरिको पद-वर्गीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बरंग म उन समस्याओं तथा दागो का उल्लेख करना भी ग्रामिक हाथो जो धार्मिक वर्गीकरण मे पहल मौजूद थे। तत्कालीन सेवाओं की स्थिति म नारी भ्रम, पर्याप्त धार्वद्य नहारो कर्मचारियों के काय तथा वेतन तथा बरन म अनियन्त्र राजनीतिक एव अनियन्त्र पश्चात्तर रहता था। विभिन्न कार्यों का काई मानक नाम नहीं था। यिन प्रहृति के घनक कार्यों से एक ही नाम म जाना जाता था तथा एक ही काय का घनक नामा म पुकारा जाता था। उग्र के वेतनमान भी घनक-प्रदग होता था। वेतन का सम्प्रद विए जाने वाले कार्य म कोई मध्यन्ध नहीं था, घन अनियन्त्र एव राजनीतिक पश्चात्तर के ग्रामार पर वेतन का नियांकरण हो जाता था। 1920 म मधीय सेवा की स्थिति इनकी गराब हो गई थी कि पुनर्वर्गीकरण पर कौरेस के मध्यूक मध्यस्थन न बड़े नियन्त्र ग्रामों म इसकी बढ़ु धारोवना ही।<sup>2</sup>

1 O G Singh, op cit., p. 150.

2 House Doc. 636, 66th Cong., 2nd Sess., 1920, p. 34.

## 1949 का वर्गीकरण अधिनियम (The Classification Act of 1949)

इस अधिनियम द्वारा कौशेम ने कार्य की कठिनाइयों एवं दायित्वों तथा किए जाने वाले कार्य के प्राधार पर पदों का व्यवस्थित विश्लेषण एवं प्रबन्ध करने वो चेष्टा की। पहले वर्गीकरण की योजना बास्तविक उपचार में प्रशासनिक कार्यों द्वारा नाकार की जाती है। इसीलिए 1949 के अधिनियम ने व्यवस्थापिक तथा कार्यपालिका के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन किया था। इसमें कौशेम ने मूल रूप से तीन बांधों की व्याख्या की थी—

(i) कार्यम द्वारा पहला काम यह किया गया कि इसने सभी सधीय पदों के लिए मूल वेतन मूची तेजार की। ऐसा करते समय कार्य के बाजार मूल्य को व्यापार में रखा गया तथा कार्यों के प्राप्तसी महत्व एवं उपयोगिता को भी देखा गया। उदाहरण के लिए, GS-5 का वेतनमान 3410-125-4160 डॉनर तय किया गया। यह ऐसा पद है जिस पर विभाजित तथा महाविद्यालय के बैर-ग्रन्तुर्भवी स्नातकों को लिया जा सकता है।

(ii) कौशेम ने दूसरा कार्य यह किया कि इसने सम्पूर्ण सधीय सेवा को दो मोटे बंगों में विभाजित कर दिया—(A) General Schedule (GS), तथा (B) Crafts, Protective and Custodial Schedule (CPC)। इसने GS में 18 प्रैदेन स्थापित किए तथा इनमें व्यावसायिक एवं बैंगानिक, घट्ठ-व्यावसायिक, लिपिकीय, प्रशासनिक तथा वित्तीय पदों को शामिल कर लिया गया। इसने CPC में 10 प्रैदेन स्थापित किए। कौशेम ने प्रत्येक प्रैड के कार्य दो उसके दायित्वों एवं कठिनाइयों के सन्दर्भ में परिभासित करने की चेष्टा की। प्रत्येक प्रैड के बारे में एक स्पष्ट किंतु व्यापक वक्तव्य दिया गया। यह थेसी विशेषज्ञ नहीं एवं वरन् उसके द्वारा प्रैड की सीमाएँ स्थापित की गईं जिनके उपर्युक्त पदों की थेणियाँ भा सकती थीं। थेणियों की व्याख्या तथा एक उपयुक्त प्रैड में थेसी के रूप में उसके आवटन का कार्य लोकसेवा आयोग के लिए छोड़ दिया गया।

(iii) कौशेम ने मूलभूत कार्य-भवालन के नियम स्थापित किए तथा वर्गीकरण व्यवस्था के प्रशासन का प्रधिकार प्राप्तिट दिया। इसने पद, थेसी तथा प्रैड की परिभासाएँ कीं, लोकसेवा आयोग को यह अधिकार दिया कि वह विभिन्न पदों को उनकी उपयुक्त थेणी तथा प्रैड में शामिल करने के लिए मानक हैंपार बनें, वह प्राप्त की कि प्रशासन, बजट तथा प्रार्थिक मामलों में कुछ मापदण्ड तय किए जाएं। कौशेम ने वर्गीकरण व्यवस्था का प्राधार निर्धारित कर दिया तथा उसे आयोग विरसित करने तथा बनाए रखने की सत्ता हस्तान्तरित कर दी। यह हस्तान्तरण अमेरिकी सोकसेवा आयोग को किया गया। आयोग ने कुछ विशेष मामलों में प्रापदण्ड निर्धारित किए तथा सम्पूर्ण व्यवस्था पर सकल रूप से भी दृष्टिपात दिया। प्रत्येक थेसी के विशेष वर्णन में आयोग द्वारा एक प्रतीक निश्चित किया गया। उदाहरण के लिए, GS के सभाज विज्ञान, मनोविज्ञान तथा वल्याएवारी समूह के

जिए 100 से सेवर 200 तक के घटक निर्धारित किए गए। किसी भी संसूह की प्रत्येक विशेष शृखना को एक विशेष घटक प्रदान किया गया, जैसे वन प्रबंधास्थ (Forest Economics) की शृखना को 118-घटक दिया गया। इस सेवा के प्रत्येक पद वो GS-118 के परिचय प्रतीक से जाता जाएगा। इसी शृखना के एक पद वो यदि ये इ-5 म रखा गया है तो इसका पूरा परिचय प्रतीक इस प्रकार होगा—GS-118-5 य प्रतीक एक प्रकार स मुविधाजनक आशुलिलियाँ थे। आयोग न इस सम्बन्ध म जो प्रारंभिक निर्धारित हिए उन्हीं के अन्तर्गत प्रत्येक पद को उपयुक्त योगी तथा ग्रेड म आवटन वरन की शक्ति विभाग दो दी गई। इनका निर्णय, यदि आयोग द्वारा न बदला जाए तो प्रनिम होता था। आयोग को यह अधिकार था कि विभाग द्वारा किए गए आवटन का निरीक्षण करे, तुटियों वो नहीं वर प्रोर यदि इनी अनिकरण न इसके मानकों को नहीं प्रत्यापना करता है तो उसका शक्ति वो वापस दीने दे।

इस प्रकार वर्गीकरण व्यवस्था में कार्यसे तथा कार्यालयों दोनों द्वीपिल कर कायं करत है। वौश्रेष आधारभूत नियम प्रदान करती है तो उसका आयोग उनको अधिक स्पष्ट बरता है, अभिकरण इन नियमों के तहत वर्गीकरण व्यवस्था वो कार्यकृत देता है। आयोग इस काय में सहायता तथा पुलिमेन वा कायं करता है।

अमेरिका दी पद-वर्गीकरण व्यवस्था सकले रूप म एक ढाँचा है जिसके ऊपर सेवा की सेवीय सम्बन्धी रूप रचना तंयार की जाती है। सरकारी राजगार में जितन प्रवार के कार्य हैं तथा उनके उत्तरदायित्वा की मात्रा है उन सभी का तरं-समत विशेषज्ञ वरने के दाद पद वर्गीकरण किया जाता है। यह पदों की उन्नत-पूर्ण भीड़ वो व्यवस्थित सम्बन्धों म बदल देती है तथा कायों एव दायित्वों पर जोर दन के बारए यह व्यवहारिक समस्याओं को अधिक बुद्धिपूर्ण रूप से समझने म सहायता देती है। यह आजीवन सेवा के विभाग के लिए मूलभूत है जिसके द्वारा उन सेवाओं का वर्णन वर दिया जाता है जिनमें होकर एक तए प्रवत्तकता वो उच्च पद पर पहुँचने के लिए निर्भलना होता।

#### Position Classification in U S A

**General Schedule (GS)**  
18 Grades

**Crafts, Protective and Custodial Schedules (CPC)** 10 Grades

**पद-वर्गीकरण की विधि**  
(Position Classification Method)

पद-वर्गीकरण की प्रक्रिया में चार मुख्य अभिनव होत है—संबंधारी, पर्यंवेदक अभिकरण, सेवीवर्ग वायानय घोर नोरमना आयोग। मामान्यन बमकारी द्वारा मूल प्राइवेट प्रस्तुत किए जाते हैं, पर्यंवेदक इन प्राइवेटों की तुलनीया करके जो

प्रावश्यक हो वह अभिमत प्रकट करता है। यमेरिकी मधीय सेवा में पद-वर्गीकरण 'प्रायोग' द्वारा स्थानेत मानकों के अनुसार लाइन सेवोंकों कार्योत्तम द्वारा किया जाता है। लोकसेवा प्रायोग अभिमत के कार्यों की देख-टेल और मूल्यांकन करता है। इसका प्रभाव व जक्ति पद-वर्गीकरण को बस्तुपत, एकीकृत, एकहृषि और निष्पक्ष बनाने का प्रयास करता है।

विंस। पद के वर्गीकरण की अपनाई जाने वाली विधि अनेक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, जैसे—एक स्थवस्थित योजना का पहले से होना, कमचारी संगठनों की जक्ति, समाज उपनावसाली समूहों द्वारा विरोध के बाद भी किया गया वर्गीकरण सर्वेक्षण, योग्यता व्यवस्था का न होना आदि-आदि। पद-वर्गीकरण की प्रक्रिया में मुख्यत निम्ननिम्नित कदम उठाए जाते हैं—

1. एक उत्तरदायी अभिमत की यह उल्लेख करता है कि पद-वर्गीकरण के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इस उल्लेख में मम्बनिष्ट पदों का नाम और सर्वेक्षण की समय-मीमांसा का उल्लेख किया जाता है।

2. किसेपरणकर्त्ता अध्ययन के लिए एक योजना बनाता है और उसे वीर्यनिष्ट करने का प्रयास करता है। वर्गीकरण सर्वेक्षण पर्याप्त महंगे और समय लगाने वाले होते हैं। इनमें छ माह से एक वर्ष तक का समय लग जाता है और प्रत्येक वर्ग के वर्गीकरण में बहुन से डॉनर तक हो जाते हैं।

3. किया गया अध्ययन महयोगी अभिमतको और अक्तिवों को बताया जाता है। विसेपरणकर्त्ता इसके लिए अपने पास के सभी सूचनाएँ साखनों वा प्रयोग करता है।

4. व्यक्तिगत पदों के मम्बनिष्ट में विए गए कार्य की सूचना। एकत्रित हो जाती है। यह काम प्रश्नावाली, साक्षात्कार एवं निरीक्षण के माध्यम से किया जाता है।

5. कार्य की विभिन्न थेणियों का तात्कालिक विवरण तैयार कर दिया जाता है और व्यक्तिगत पद उपयुक्त थेणी में रख दिए जाते हैं।

6. तात्कालिक विशेष विवरणों एवं प्रावटनों की पुनरीक्षा दी जाती है। प्रशासकों, पर्यवेक्षकों और प्रभ्य सम्बन्धित व्यक्तियों तथा ममूहों के परामर्जन के प्राप्तार पर इसमें परिवर्तन और सशोधन किए जाते हैं।

7. अध्ययन के परिणामों को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

8. इन में वर्गीकरण योजना घयना सी जाती है और उसके निरन्तर प्रशासन के लिए प्रावधान किया जाता है।

**पद वर्गीकरण की मूलभूत समस्याएँ**

(Basic Problems of Position Classification)

पद-वर्गीकरण कार्य में मूलभूत रूप से चार प्रश्न उठते हैं—थेणियों तथा देहसंघों सामान्य सचरना निर्धारित करने में किन बानों का ध्यान रखा जाए ?

विशेष विवरण को विषय-वस्तु बता हो ? प्रावटनों में निश्चितता और न्याय किए प्रशार प्राप्त हो ? और वर्गीकरण योजना को विस प्रकार अचलन बनाए रखा जाए ? इन प्रश्नों के सम्बन्ध में यहाँ संक्षेप में विचार करना उदयोगी गहेया ।

1. विभिन्न थेलियों द्वारा बैडम की सामान्य मरम्भना का निर्णय नहीं समझ रखन्हारी वी बुद्धि, प्रति ना तथा उम्हे दायित्वों के आपसी सम्बन्ध पर विचार किया जाए । इनके अनिरिक्त वार्यंदार की लोकप्रीतता पढ़ोननि और स्थानान्तरण यन्त्र की उपयोगिता, सामान्य और विकेत शिक्षा के मूल घटकों और थेट्ट परीक्षाओं का उपयोग आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक अधिक हो सके कम थेलियों बनाई जाएं । थेलियों के बीच इन्होंनी चाहिए ताकि अपने रिए आवटित पदों के कार्य की पर्याप्त रूप से ध्यास्या कर सकें । इस् मापदण्ड को हम जब वर्तनियत मापदंशों पर नाम बरतें हैं तो वाकी कठिनाई नहीं है क्षेत्रिक अभी दो पद पूर्णरूप से एक जैसे नहीं होते । उदाहरण के लिए, दो कमेंचारी अपने दाक और खोजने के प्रलाभ कुछ नहीं बरते एक तीसरा अपनिक घाने वाली दाक वो सम्बन्धित अक्षत तक पहुँचान के लिए एक वरक रख देता है, जोया अपनि दाक को उपयुक्त अधिकारी तक पहुँचाना है । प्रश्न यह है कि क्या इन चारों पदों को एक थेली में रखा जाए इसका उत्तर ही मैं हूँ यदोहि ये मभी एक जैसा मध्य वार्य बरत है जिसम इसी विशेष पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है । इन्हें एक प्रशार में जर्नी किया जा सकता है समान बेतन दिया जा सकता है तथा एक जैसा नाम दिया जा सकता है । यदि इन सरल वार्यों के द्वारा नए वार्य जुड़ जाएं तो पद के नाम, बेतन, प्रशिक्षण, भर्नी का नरीका योग्यता और मधुमेह प्रादि मिन्ह हो जाएंगे । वर्गीकरण मरम्भना करने से पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका ममूर्ग प्रभासनिक प्रक्रिया और शिक्षा अवस्था पर अमर रहता है ।

2. विशेष विवरण की विषय-वस्तु के रूप में चार बातें उल्लेपनीय हैं— पद का नाम इतनेवों सम्बन्धी सामान्य दरबार, विवक्षण वार्य और न्यूनतम स्वीकार्य वायनाएँ । पद का नाम दोष वर्गों वालोंक और लोगों की समझ में पाने वाला होना चाहिए । ये मभी बातें किसी न किसी मापदंश में परस्पर अपर्यंपूण भी हो सकती हैं और तब एक पनुरवनवारी इष्टिकोण अपनाना चाहिए । यदि इन बातों को पूरा करने हुए किसी विज्ञान नाम में अक्षिल दो सम्मान दिया जा सके तो उपयुक्त होगा । पदाधिकारी के कर्तव्या सम्बन्धी सामान्य वक्तव्य में सम्बन्धित कार्यों को बढ़िनाइयों और उत्तरदायित्वों का उल्लेप किया जाता है । विवक्षण वार्यों के उल्लेप में किसी पद के बीच वे वार्य बनाए जाते हैं जो यन्त्र पदाधिकारियों द्वारा नहीं लिए जाने । न्यूनतम योग्यताया भी उपर्युक्त में पद के लिए आवश्यक शिक्षा, मधुमेह, भारीरिक योग्यताएँ प्रादि का उल्लेप किया जाए ।

3. एक दो घारटन में निश्चितता एक समानता के लिए दैनिक अधिकृत, गमनकार तोयों के साथ सम्बन्धित तथा प्रभावशाली अर्थी-रीय यन्त्र की रखना प्रादि उपयोगी होते । अर्थीन समान में बट अधिकरण, सेवीवर्य इकाई और नातरिक

समठन के प्रतिनिधि तथा निर्वाचित निष्पादक वायरिन्य रखा जा सकता है। पदों का आवृटन करत ममय जिन तत्त्वों का उपयोग किया जाता है अथवा जिन बातों का उपयोग रखा जाता है, वे गुण्यत ये हैं—(i) कार्य का प्रकार और रूप, (ii) कार्य सम्बन्धों के लिए उपलब्ध मार्गनिर्देशों की प्रकृति और मात्रा, (iii) कार्य पर दूसरों द्वारा रखे गए पूर्ववेक्षणात्मक नियन्त्रण की प्रकृति, (iv) आवश्यक पहल, मीलिंकता एवं निर्णय शक्ति, (v) कार्य द्वारा प्रयोगित व्यवितरण मम्पकों का लक्ष्य एवं प्रकृति (vi) मम्पन्पित मिफारियों निर्णय एवं निष्कर्षों की प्रकृति तथा लेन (vii) एक कर्मचारी द्वारा व्यवाहारण रूप में कार्यकुशल सेवा में प्रयोगित अतिरिक्त उत्तरदायित्व (viii) प्रयोगित ज्ञान, योग्यता एवं अन्य गुणों का प्रकार, दर और मात्रा, (ix) आवश्यक अनुभव, प्रतार, दीर्घता और गुण, (x) कार्य पर पूर्ववेक्षणात्मक नियन्त्रण की प्रकृति और मात्रा आदि। इन नभी बातों के आधार पर यदि पदों का आवृटन दिया गया तो निश्चिन्ता, न्याय एवं धमता की प्रेरणा की जा सकती है।

4 वर्गीकरण योजनाएँ सर्वत्र बनाने वाली प्रक्रिया है, यह कभी पूरी नहीं होती। व्यक्तिगत पदों और कार्यों की इकाइयों का सकलन की विशेषताएँ बदल जाती है। यह परिवर्तन ममाज की गत्यात्मक प्रकृति एवं कार्यकर्ताओं के स्वभाव के कारण भाना है। पद-वर्गीकरण कार्य वी तुलना प्रायः सड़क की रचना में की जाती है, जैसे सड़न बनाने के बाद उसमें जहाँ तहाँ मरम्मत कार्य की आवश्यकता पैदा करदी जाती है उसी प्रकार ज्योही वर्गीकरण योजना स्थापित होती है तो उसमें यहाँ-तहाँ होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन और ममायोजन भी आवश्यक बन जाते हैं।

मवा अथवा पद के दायित्वों में आए परिवर्तनों की जानकारी या नो स्वयं वर्गीकरणकर्ता द्वारा करनी चाहिए अथवा सम्बद्धित कर्मचारियों से प्राप्त की जानी चाहिए। वैसे अबहार में कार्यकर्ताओं का विश्वास करके उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता कि वे परिवर्तनों की तुरन्त मूलना दे देंगे। कारण यह है कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कार्यों में व्यस्त रहता है और पूरे मगठन में उसके पद का महत्व और स्थिति बदल गई है इसकी ओर कम ध्यान दशा है। उचित यह होगा कि वर्गीकरणकर्ता स्वयं ही प्रशासकों और पूर्ववेक्षकों के साथ अनोपचारिक स्थितिगत 'सम्बन्ध स्थापित करे।

**अमेरिकी पद वर्गीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन**

(Critical Evaluation of American Position

Classification)

प्रमेरिकी पद-वर्गीकरण अवश्या का मूल्यांकन करते हुए इसकी प्रशस्ता और आलोचना दोनों इष्टियों से कई बातें कही जाती हैं। आलोचने की मान्यता है कि यह वर्गीकरण अनेक पूर्वधारणाओं पर आधारित है। ये पूर्वधारणाएँ यावर्य में सही नहीं हैं। एक पूर्व प्रवधारणा यह है कि एक पद को उसके कार्यकर्ताओं से छलग दिया जा सकता है। यही कारण है कि यह केवल पद और उसके कार्यों पर ध्यान

- (2) पद को प्रबंधारणा व्यवस्था प्रदान करती है। इसके द्वारा प्रबंधन प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। व्यक्ति की प्रबंधनित गोपनीयता की अपेक्षा उसके कार्य पर प्रबंधन को विशेष महत्व दिया जाता है। इस सम्बन्ध में विलियम लेहमन (William Lehman) ने लिखा है कि "हमारी मर्फ़ी प्रौढ़ परीक्षा प्रणालियों पुरा अंकितों को बाध्य करती है कि यदि वे लोकसेवा में प्रवेश पाना चाहते हैं तो विशेषज्ञ बनें। जो लोग मानविकी एवं उदार कलाओं का अध्ययन करते हैं उनके लिए सोक्रेतिया के दरबाजे कमज़ बन्द हो जाते हैं।"  
 (3) इस व्यवस्था में जातिवाद के विरास की आगवाने नहीं रहती।  
 (4) यह व्यवस्था पद-वर्गीकरण के साथ-साथ श्रेणी-वर्गीकरण को भी प्रपनामी है। प्रथम का प्रयोग उच्च वदों के लिए तथा द्वितीय का प्रयोग निम्न वदों के लिए किया जाता है।

#### फ्रांस में सेवा वर्गीकरण

#### (Service Classification in France)

फ्रांस में लोकसेवाओं की सूखचना की तार इकाइयाँ हैं—थेलियाँ (Classes), कॉर्प्स (Corps), सेवाएँ (Services) तथा ग्रेड्स (Grades)। थेलियों को अभ्यन्तर (Horizontal) रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। ये थेलियों प्रशासन में मुख्य रूप से व्यक्ति की शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती हैं तथा देश के प्रशासन में व्यापक भूमिका निभाती हैं। कोर्प्स एक व्यापक नाम है। उभी लोकसेवक जित किसी आजीवन सेवा के सदस्य बनते हैं वह सेवा एक कोर्प्स का भग होती है। कोर्प्स की तुलना में वहों का नहर्त्य कम होता है। इनकी परिभावा लोक-सेवकों के ऐसे समूह के रूप में की जाती है जो समान ग्रेड्स के लिए एक जैसे नियमों तथा योग्यताओं से प्रशासित होते हैं।<sup>1</sup> प्रत्येक कोर्प्स एक सीलबन्द इकाई के समान है। 'सेवाएँ' लोकसेवाओं के लम्बागत विभाजन का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सेवा में सम्पूर्ण में सम्बन्धित विभिन्न कोर्प्स की एक शृंखला होती है। पेरिस विधान प्रबंधनीय सम्पाद्यों द्वारा नीति रचना एवं क्षेत्रीय सेवाओं की दृष्टि से एक सेवा में एक हप्ता की स्थापना की जाती है। ग्रेड्स के इकाइयाँ हैं जो प्रत्येक कोर्प्स में अस्तित्व रखती हैं।

फ्रांस की लोकसेवाओं का वर्तमान वर्गीकरण द्वितीय दिश्वयुद्ध के बाद में 1946 में दिए गए व्यवस्थाएँ का वरिगुणन है। इसमें पूर्व फ्रांस में विभिन्न विभागों में Redacteurs थेरेणी भी जो प्रशासनिक कार्य सम्बन्ध करती थीं। दूसरी प्रौढ़ नियादक नियिकों वर्ग (Executive Clerical Class) था। इन दोनों के बीच

1 William Lehman "International Personnel Administration" Personnel Administration, Vol 10 (Sept. 1949) pp 56

2 "Corps have been defined as groups of civil servants governed by the same regulations and qualifications for the same posts"

—M P Barber, Public Administration, M & E Handbooks, 1972, p 68

काथो की व्यवस्था पर्याप्त भ्रमपूर्ण थी। कारण यह था कि उच्चनर वर्तमानों तथा प्रतिदिन वे चालू वर्तमानों के बीच अन्तर बरने की चेष्टा नहीं की गई थी। विभिन्न दिभाग समय समय पर होने वाले रिक्त स्थानों पर स्वयं ही नियुक्ति करते थे। अपने कामों का विभाजन भी स्वयं विभाग द्वारा ही किया जाता था। अत मुदिधा के लिए विभिन्न विभाग उच्च पदों दो नीचे के तथा निम्न पदों को ऊचे पदों के कार्य सौन्ध देने थे, परन्तु काथो एवं पदों के बीच प्रव्यवस्था उत्तम हो जाती थी। इस समस्या के समाधान का केवल एक ही रास्ता था कि एक ऐसे बगं की स्थापना ही जाए जो मध्मी विभागों में कार्य बरे। उसमें एकोवरण के लिए सामान्य शिक्षा, सामान्य परीक्षाएं तथा सामान्य स्तर की स्थापना जी जाए। यह कार्य 1946 के व्यवस्थाएँ द्वारा सम्पन्न किया गया।

## युद्धोत्तर विवास

### (The Post-War Developments)

युद्ध में पूर्व कोस की लोकसेवा एकहय नहीं थी। अनेक बार वाहनविकास कार्यकारी इकाई विभाग न होकर कोसी होती थी। कुछ कोर्स तो इतना अधिक सम्मान रखती थी कि वे सेप्टेम्बर तथा प्रबन्ध की इटिंग से प्राय स्वापत्ति इन नहीं थी। इस प्रशासनिक एवं जनता और भ्रम की स्थिति के म्यान पर एकहयता नाने के लिए युद्ध के तुरन्त बाद कीन महत्वपूर्ण सुधार किए गए—

(1) लोकसेवा निदेशालय (Civil Service Directorate)—1945 में लोकसेवा निदेशालय की स्थापना की गई। यह भीष्म प्रधानमन्त्री के अधीन रखा गया। 1946 तथा 1959 के प्रधिनियमों में यह स्पष्ट उल्लेख था कि इन कानूनों को कार्यान्वयन बरने का दायित्व प्रधानमन्त्री का होगा। यह दायित्व दूसरे कानूनों सम्मिली दायित्व जैसा नहीं था बरन् लोकसेवामी का प्रबन्ध बरने का वाम प्रधानमन्त्री को इसी रूप में नौकर गया जिस प्रकार दूसरे मन्त्री अपने विभागों का सचालन बरते हैं।

यह निदेशालय सामान्य सचिवालय से जुड़ा हुआ विभेदज्ञों का निकाय होता है। यह बहुत कुछ रेकीवर्ग विषयों से भवित्व रखता है तथा भीण रूप में प्रशासनिक विषयों में सुधार से सम्बद्ध था। यह भर्ती, बर्तीकरण, तथा सेवा की शर्तों को नियन्त्रित करने की प्रयोग सामान्य रेकीवर्ग प्रशिक्खण के रूप में विभिन्न मन्त्रालयों के बीच थोक सम्बन्ध की स्थापना के लिए परामर्श देना है। निदेशालय को लोकसेवामी में एकहयता नाने का वाम भी कीरा गया है। इस कार्य के क्षेत्र इसने दाया कि विभिन्न मन्त्रालयों में भर्ती तथा पदोन्नति में सम्बन्धित लगभग एक सी प्रत्येक-प्रत्येक मन्त्रिविधि है। निदेशालय ने कुछ नॉडल प्रबन्ध भी किए हैं। इसने सभी सोइडेस्ट्री को ABCD चार अंगियों में विभाजित किया तथा विभिन्न मन्त्रालयों के विनाश के माय सुभाव भी किए हैं कि उन्हें स्वयं के अवहार को किम प्राप्त काम प्रस्तुपूर्ण बनाना चाहिए।

(ii), प्रशासन इंस्टीट्यूशन की स्थापना (Establishment of Schools of Adminstration)—1945 में प्रशासन विद्यालय (The Ecole Nationale d'

Administration) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य गैर-तन्त्रीयी उच्चतर लोकसेवकों की भर्ती में एवं स्पना स्थापित करना था। पेट ग्रिटेन के लोकसेवा प्रायोग से मिम्न प्रशासन विधायक सोक्सेवकों के बेबल उच्चतर वर्ग के लिए ही विकृति करता था और निष्पादक तथा लिपिक शैठ के पदों की नियुक्ति भी विनाशों के हाथों में छोड़ दी गई थी। विधायक द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त ही नहीं विद्या जाता था वरन् उनको पशिकण देने का कार्य भी घृह करता था। इसकी स्थापना के बाद प्रबोक्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारम्भ हुई।

(iii) सेवा संरचना में सुधार (Reforms in the Structure of Service)—1946 के अधिनियम ने फ्रैंस की लोकसेवा की संरचना में काफी सुधार किए। एवं सभी विनाशों में सोक्सेवकों की चार सामान्य थे लियो इता थी गई। सभी तकनीकी एवं गैर-तन्त्रीयी सोक्सेवकों को इन्हीं चार थेरेलियों में रखा गया। इन थेरेलियों को ABCD का नाम दिया गया। ये थेरेलियों पेट ग्रिटेन की प्रशासनिक, निष्पादक, लिपिकीय तथा टक्कलकर्ता थेरेलियों के समवत हैं।<sup>1</sup> इन थेरेलियों में हवारो प्रकार दो कार्यों नो, कार्यों नी समस्तता एवं खेत्र दरों के आधार पर कर्त्तव्य किया गया। एकत्र थेरेलियों वी भौति न्यायपूर्ण पदोन्नति, बेलन, रोजवार में स्थायित्व प्राप्ति की समस्या को सुलभा दिया गया। पेट ग्रिटेन से बिन्न फाँट वी Conseil d' Etat ने राज्य कर्मचारियों वो एह विशेष प्रधिकार दिया है कि यदि किसी कर्मचारी को दण्ड की वेतावनी दी जाए या उसना अनिवार्यपूर्ण स्थानान्तरण किया जाए यथवा पदोन्नति को रोका जाए तो वह अपनी सम्बन्धित पत्रावली (File) देखने और तदनुसार न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकारी है।<sup>2</sup>

प्रैम की लोकसेवा का अनुवर्गीय विभाजन कार्यों पर प्राधारित है। लोकसेवा के चार वर्गों के बारे में चार कार्य सम्पन्न करते हैं—(i) नियोजन एवं निर्देशन का कार्य, (ii) कार्यान्वयि का कार्य जिसमें कुछ प्रशासनिक समझ तथा पहल एवं नियंत्रण वी आवश्यकता होती है; (iii) कार्यान्वयि के विकेषीकृत कार्य, जिसमें तन्त्रीयी कामता अपेक्षित है, (iv) गैर-विशेषीकृत कार्य नियमे प्रारम्भिक तथा सरल व्यावसायिक योग्यता वी आवश्यकता होती है।

#### *Service Classification in France*

- (1) Class A—Whose main Function is Planning and Directional  
(de conception et de direction)
- \*(2) Class B—Whose main Function is applicational  
(d' application)

1 "These classes were to be known as categories A, B C and D They are roughly equivalent to the British administrative, executive, clerical and typist classes" —F. Ridley and J. Blondel op cit., p 33

2 Dr Herman Fisher: The Major Government of Modern Europe, 1960, p 346

(3) Class C—Whose main Function is executiveal

(d' execution)

(4) Class D—Whose main Function is support  
(Subalterne)

1946 के अधिनियम में वर्गीकृत सेवाएँ

(The Services Classified under the Act of 1946)

1946 में तत्कालीन प्रस्तावीय सरकार ने ग्रध्यक्ष जनरल डिगोल (General De Gaulle) ने 'कोसिल डी' एट के एक सदस्य मार्सेल डेब्रे (Marcel Debre) वो नोकसेवायों व आनिवारी परिवर्तन के लिए मुख्य तंडार करने का काम की गया। यह मुख्यार का काय उच्च प्रशासनिक सेवा तथा विभाग व्यवस्था दोनों मध्य साथ दिया जाना था क्योंकि एट के दिना दूसरा मुख्य यायहोन था। 'कोसिल डी' एटा, मन्त्रिपरिषद् एव परामर्शदाता सभा ने इस ममस्या पर पूरी तरह में विवार दिया पीर उसके बाद 10 अक्टूबर, 1945 को मुख्य अध्यादेश, दिग्गी तथा विनियम प्रवागिन लिए गए। अक्टूबर, 1946 में नोकसेवकों के अधिकार तथा वर्तन्यों पर प्रहारा डालने हुए एक अधिनियम पारित किया गया।

1946 के अधिनियम ने जिन चार प्रकार की सेवायों का उल्लेख किया हुमें से दो अधिकारियों वर्ग (Professional Class) की थी जो नीति रखना एवं नीति कार्यान्वयन के कार्यों में मात्रांशुत थी। इनमें प्रथम की असेनिक प्रशासक (Civil Administrators) वहा गया तथा द्वितीय को प्रशासित गविव (Secretaries of Administration) वहा गया। इन दोनों सेवायों के नीति अधिकारियों के दो वर्ग रहे गए जिनको चालू नियंत्रण का कार्य सौना गया। इन दोनों वर्गों के वर्तन्यारी प्रेट ब्रिटेन के व्रमणः लिपिह वर्ग तथा सन्देशवहक वर्ग का ममस्या थे। यही हम प्राप्त की उच्चतर लोकसेवा धर्मांत्र प्रथम दा वर्गों का परिचयात्मक विवेचन नियन्त्रित दर्जियों में करेंगे।

(i) असेनिक प्रशासक (Civil Administrators)—इन वर्ग की सरचना प्रेट ब्रिटेन के प्रशासनिक वर्ग के मॉडल की ध्यान में रखत हुए दी गई है। यह प्रशासकों का ऐसा समूह है जिसके लिए मुख्य स्थान में प्रशासनिक मुख्यार दिए गए हैं। इन वर्ग के सभी गदर्शय, जाहे वे रियों मी विभाग में कार्य पर रहे हैं, एक जैम प्रशासनात्मक नियमों के अधीन रहते हैं तथा एक ही समूह एवं आवीजन सेवा दा प्रतिविधिव करते हैं।<sup>1</sup> इन अधिकारियों की सेवाएँ किसी मी विभाग में तथा इसी भी स्तर पर—स्थानीय, राष्ट्रीय, समुद्राधीय पर्यवा विदेशी—मम्पत्र की जा सकती हैं, इन्हुंने एक ही कोप्स (Corps) के ममस्या माने जाते हैं। ये गवाएँ

1 \* The civil administrators constitute a single class responsible for the top policies for management within the government, "स्थानीय, राष्ट्रीय, समुद्राधीय पर्यवा विदेशी—मम्पत्र की जा सकती हैं, इन्हुंने एक ही कोप्स (Corps) के ममस्या माने जाते हैं" अनुसारी नियमों के अनुसार विवरण दिया गया है।

—Carter, Ranney and Herz: Major Foreign Powers, 1952, p 349

5 श्रेणी में विभाजित हैं जो बीच से अपश्य इस प्रकार प्राप्त होती है—Administrators adjoint Administrative Class three, Administrative Class two Administrative Class one and Class Exceptional इन सभी स्तरों ने प्रशासनिकारियों की नियुक्ति नव-नियमित राष्ट्रीय प्रशासनिक स्कूल द्वारा होती है।

इस थेरेणी के लोकसेवकों के कार्यों का उल्लेख करते हुए मासेन डेब्रे, (Marcel Debre) ने मुख्यतः ये कार्य गिनाए हैं—प्रशासनिक मामलों के आचरणों को नरकार की सामान्य नीति के अनुरूप ढालना, कानूनों प्रीत नियमों तथा मन्त्रालयी नियंत्रण के प्राप्त होना, उनके कार्यान्वयन के निए निर्देश होना, उनके कार्यान्वयन के निए निर्देश होना तथा लोकसेवकों की गतिविधियों के दीच समन्वय स्थापित करना।<sup>1</sup> 1964 में इस थेरेणी के सदस्यों को गृह्या लगभग 1900 वीं जो कार्य प्रीत दायित्वों के बहुते के साथ-साथ नियंत्रण बढ़ती चली गई।

प्रशासनिक थेरेणी के कर्मचारियों की स्थिति इनकी भर्ती, कार्य प्रीत आजीवन सेवा के अनुरूप अन्य थेरेणीयों से भिन्नतापूर्ण है। इस थेरेणी के कर्मचारी के विशेष कार्य प्रबंध दायित्वों को देखते हुए राज्य का पहला कार्य यह हो जाता है कि इस थेरेणी में भर्ती हेतु योग्यता लोगों को आकृपित करे। इस थेरेणी वे सभी कर्मचारी लोक प्रशासन के राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा भर्ती निए जाते हैं। इस थेरेणी वीं पूर्वोक्त पांचों वर्षों में पदोन्नति वरिष्ठता की अपेक्षा सुविधा प्रीत योग्यता के आधार पर की जाती है। व्यवहार में इस नियम का अपवाद नी सम्भव है जिन्हें सिद्धान्त में यह बात पूर्ण स्थापित की गई है। राष्ट्रीय विद्यालय के अनिवार्य अद्वा दिना अर्थात् प्रशासक के रूप में नियुक्ति के बाल अपवादस्वरूप होती है। यदि कभी ऐसा विचार जाए तो इसके लिए यह आवश्यक शर्त है कि सम्बन्धित प्रस्तावी नियन पद पर कम से कम 10 वर्ष सेवा कर चुका हो। इस प्रकार की अनाधारण नियुक्तियों का नून द्वारा कुल नियुक्तियों की गृह्या का 10% निश्चिन बनाया गई है।

नियादक सचिव (Executive Secretaries or Secretaries d' Administration)—यह प्रारंभी वीं उच्च सेवाओं की द्वितीय थेरेणी है। यह थेरेण विटेन के नियादक वर्ग से समानता रखती है। इस थेरेण में सभी उच्चतर गैर-लिपिकीय कार्य जैसे अनुवाद कार्य, सेवा कार्य आदि शामिल कर लिए जाते हैं। इस थेरेणी के सदस्यों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा माध्यमिक विद्यालय के स्नातकों में से की जाती है।<sup>2</sup> विभिन्न मन्त्रालयों के बीच कार्य करने के कारण इस थेरेणी के

1 " . . . to fit the conduct of administrative affairs to the general policy of the Government, to prepare-drafts of law and rules and ministerial decision to formulate the directives to their execution and to co-ordinate the march of the public services " — Cf Marcel Debre "La Reform de la Fonction Publique" in Revue d' Ecole d' Administration, May, 1946, p 34

2 Ordinance No 45-2283 of October 9, 1946, the Provincial Government of the French Republic, Ibid, p 55.

वर्मचारियों में भिन्नता स्थापित की जाती है। इन्हें मुख्य रूप से विभागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पदोन्नतियाँ पूर्णरूप से योग्यता के आधार पर की जाती हैं। इस श्रेणी के पदों के लिए बिना परीक्षा के की जग्ने वाली श्रमाधारण नियुक्तियों के बीच 12 वर्ष तक सेवा कर चुके लोगों में से ही भी ज्ञा महनी है। कानून द्वारा ऐसी नियुक्तियों को 10% तक सीधी रसा देया है। मासिन डेवरे ने इस श्रेणी के वर्मचारियों को प्रशासनिक सेवाओं के तकनीकी विशेषज्ञ कहा है। इन्हीं के बिनानुमान इस श्रेणी के मुख्य वार्ष हैं—नीनि कार्यान्वयन के कार्यों को प्रशासनिक बदला और कुछ विशेषीकृत वार्ष सम्पादन करना। जिनके लिए काफी ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है।<sup>1</sup>

इन अधिकारियों को श्रीरं ने कार्यालय प्रबन्धक बहां जा सकता है। 1964 में इनकी संख्या लगभग 1200 थी।

प्रीमीनी लोकसेवा में उत्तर दो उच्चतर श्रेणियों के अनिवार्य नियिक, ट्रायलर्टी और इय से वाम बरने वाले वार्षकर्ता भी होते हैं। इस दर्शकरण के अनुस्वरूप प्रैन की लोकसेवाओं का एक व्यापक तथा अप्ट विभाजन हो सका है। इसमें पूर्व विभिन्न मन्त्रालयों में जो भ्रम और अस्पष्टता वी स्थिति थी वह अब समाप्त हो गई है। यह वर्गीकरण लोकसेवाओं में जाति व्यवस्था के विवाद को शोषणात्मक नहीं देगा।

एकीकृत प्रशासनिक सेवा (Unified Administrative Service)—फ्रैन में फ्रेट फ्रिटेन की भौति स्थायी सचिव के रूप में एक ही कार्यालय के विचार का विवाद नहीं हो सका है। अधिकारियों में यही अनेक नियेशालय हैं तथा प्रत्येक की घट्टता एवं महानियेशाल द्वारा दी जाती है। इस पद पर आन बाना अकिं प्रायः इकाई के प्रन्दर से पदोन्नत होकर नहीं आना बान् प्राइड कोर्ट में वा प्रदत्य होता है। एकीकृत प्रशासनिक सेवा की स्थापना दी रिट से नवम्बर, 1964 में कुछ नियमन दिया गया। इसके द्वारा कुछ यात्रा में गनिहीनता को शोषणात्मक दिया गया है तथा एकीकृत सेवा की अवधारणा को सारू करने की चेष्टा भी गई है। इसके लिए एक प्रशासनिक इकाई में वार्ष करने वाले प्रमेन्विक अधिकारियों पर उस इकाई का वार्षकारी नियन्त्रण समाप्त करके उसके स्थान पर एकीकृत सेवा की अधिकारियों द्वारा जाएगी औ प्रत्यक्षतः प्रधान मन्त्री के अधीन रहे तथा जिसमें पदान्वितियों होने रहें।

बोर्ड का अस्तित्व (The Existence of Corps)—फ्रैन में लोकसेवाओं में पुनर्गठन तथा दर्शकरण के बाद उच्चस्तरीय बोर्ड को उनके उच्च सम्मान के बारण बनाए रखा गया है। उदाहरण के लिए 'बोर्ड ऑफ' एटा बोर्ड, ब्रिटेन बोर्ड तथा दिल्ली नियोगितालय भारत। इनको पूरी तरह समाप्त करना ज्ञानमन्त्री

का कार्य माना गया और इस दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि यहाँ की लोकसेवा दो कभी पूरा बहाव प्राप्त नहीं हो सका। उच्चस्तर पर प्रशासनिक एकरूपता नहीं थी जो सभी वरन् यह केवल पद्धतिर पर ही प्राप्त हो सकी। संदान्तिक दृष्टि से यह व्यवस्था की गई है कि कोई प्रशासक नीचे से उन्नति करना हुआ उच्च पदों तक पहुँच सकता है, किन्तु व्यवहार में यह नहीं होता। व्यावहारिक दृष्टि से सभी उच्च पदों पर Grand Corps का एकाधिकार है। इस कोर्स के अधिकारियों को अभी तक परम्परागत स्वाधत्ता प्राप्त है। यह समझ जाता है कि इन कोर्स में फौरन की लोकसेवा के सर्वाधिक दोष्य व्यक्ति होते हैं जो प्रायः सभी विभागों में फैले रहते हैं। तबनीकी तथा गैरन्नकनीकी ग्राह्ड कोर्स के सदस्य सरकारी विभागों के प्रायः सभी मुख्य पदों पर उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि इह सरकारी निगमों तथा स्थानीय सरकार के पदों पर भी उपलब्ध किया जा सकता है।

फौरन की लोकसेवाओं का कोई एक कोर्स नहीं है। एक ही मन्त्रालय अधिकारियों में अनक कोर्स का अस्तित्व है। 1964 में इस प्रकार के पृथक् कोर्स की संख्या 22 थी। ऐवल वित मन्त्रालय में ही 5 कोर्स बहुमान थे। इन कोर्स के सदस्यों का पारस्परिक व्यानान्तरण पर्याप्त कठिनाई के बाद ही पाता है। निष्कर्ष रूप से रिडले तथा ब्लोण्डेल (Ridley and Blondel) के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि "1944-46 के सुधारों ने सेवा को एकीकृत बनाने का कुछ प्रयास किया है किन्तु विभागों की परम्पराओं तथा ग्राह्ड कोर्स के सम्पादन में विलकर वास्तविक एकरूपता को यथार्थ की प्रयोज्ञी आशा मात्र बना कर छोड़ दिया है।"<sup>1</sup>

### तुलनात्मक विश्लेषण

#### (A Comparative Analysis)

भारतीय लोकसेवक चार थे लियो में से किसी एक थे रुपी का सदस्य होता है जबकि तयुक्तराज्य अमेरिका में सभी सरकारी सेवा में कार्य करने वाले कमचारी वहाँ स्थापित 18 प्रेड़स में से किसी एक के सदस्य होते हैं। ये प्रेड़स Gs-1 से Gs-18 तक हैं जिनमें कमचारियों को उनके कार्य तथा दायित्व के आधार पर रखा जाता है। भारत में कार्य तथा थे रुपी का आवश्यक सम्बन्ध नहीं है। किसी कमचारी की थे रुपी के हारा देवल उसके स्तर (Rank) का जान ही पाता है, उसके कार्यों का नहीं होता। भारतीय एवं अमेरिकी वर्गीकरण के अन्तर की दृष्टि से अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि अमेरिकी व्यवस्था के प्रेड़स किमी भी पदाधिकारी में न तो वर्गीय जेतना का विभाजन करते हैं और न उसके स्तर का विभाजन करते हैं वयोंकि यहाँ पद का वर्गीकरण किया गया है, पदाधिकारियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। भारत में प्रयम थे रुपी का अधिकारी कही भी तथा

1 "The reforms of 1944-46 thus went some way to unifying the service, but the traditions of the departments, combined with the prestige of the grand corps, have remained sufficiently alive for real unity to be more of a hope than a reality."

—F. Ridley & J. Blondel : op. cit., p. 34

दिसी भी विभाग में वार्ष वर महता है। इसमें मिन्ह अमेरिका में एक ही घोड़ का अधिकारी दूसरे विभाग में उभो घोड़ के पद पर वार्ष वरने योग्य नहीं माना जाता। बारत यह है कि प्रत्येक विभाग में प्रत्येक घोड़ के कार्य तथा शायिल अन्य घरण हैं। भारत में सिवनि इसमें मिन्ह है। इसे लाईट करते हृए द्वितीय वेतन यांगोग के प्रतिवेदन में बहा गया पा कि सेवाओं के विभाजन वी रेताएं सेवा के पार मानने रूप में चलती है। इसके परिणामस्वरूप गैर-विभारीय एवं गैर-व्यापारिक प्रधार पर सेवाएं तथा पद ममूरीहृन हो जात हैं। यहाँ एक ही सेवा में प्रत्येक घोड़पर में जा सकते हैं जो पदाधिकारी के वेतन तथा पदमोगान म उसकी स्थिति वा दिव्याशन सो करा देत है किन्तु उसके बावें अधिकार वी गूचना नहीं दे पाते।

तोक्सेवापा म आवादनाप्रिक तथा तबनीरी नस्व की इट्टि से भी अमेरिकी एवं भारतीय वर्गीकरण अवस्था का अन्यार दर्शनीय है। भारत में लोकमवापो का मण्डन विशेषज्ञता के मिदान्त के प्रधार पर नहीं वरन् गैर विशेषज्ञता के मिदान्त के आवार पर लिया जाता है। मामान्य प्रशासक एवं व्यावायिक पदों पर प्रवेश के लिए कोई विशेष आवश्यक दोषताएं नियोगित नहीं की जाती। यहाँ नव विवायायिक पदों के बायक्तप्रां को भी उनके बावें का प्रशिक्षण सेवा म प्रवेश के बाद दिया जाता है। यहाँ मयूक्कराज्य अमेरिका वी भानि सेवाओं का बढ़ोर हृप स्ववासीकरण नहीं किया जाता।

भारत म लोकमवको की भी गियर्फ़ी प्रशासनिक मान्डन के पदमोगान म उनका स्थान निर्धारित वरती है किन्तु मयूक्कराज्य अमेरिका में एक घोड़ में सम्बन्धित पदाधिकारी के पदमोगानीय स्तर का कोई ज्ञान नहीं हो पाता। एक विभाग म घोड़ Gs-8 का जो स्तर है दूसरे विभाग में यह आवश्यक नहीं है कि उस वही स्तर प्रदान किया जाए।

भारतीय वर्गीकरण दरवाया खिटिल वर्गीकरण अवस्था में मिलती है। ये ट ब्रिटेन म सेवाओं का वर्गीकरण एवं पदाधिकारी की पदमोगानीय स्थिति का मारतीय वर्गीकरण वी भानि परिचय वरा देता है। भारत म प्रथम थेगी की सेवाओं में जो पदाधिकारी आमिल है वे खिटिल नागरिक सेवा के प्रशासक वर्ग के समवधि हैं। उदाहरण के लिए इस थेगी म सचिव अतिरिक्त मनिक मयूक्क वाव आदि जामिल हैं। खिटिल नियादक वग की समानता मध्य प्रबन्ध के प्रधिकारियों-उप सचिव तथा प्रबन्ध म वी जा सकती है। घोट ब्रिटेन म एक नियिकीय अधिकारी वर्ग भी है जिसकी समानता भारत में संक्षेप अधिकारी वा अधीक्षक म वी जा सकती है। प्रावजपत्रिन द्वितीय थेगी की सेवाओं के समान महायह तथा वरिष्ठ वित्ति वा पद है। इनिक वित्ति, द्वारा नर्ना तथा एन ही ग्रन्य पद तृतीय थेगी में ममूरीहृन है। अनुयं थेगी के कम्बवारियों में चारामी, गन्देश्वारक तथा ग्रन्य ऐसे ही बावें वरने वाल लोग चारते हैं। पदमोगान के प्रधार पर लिया गया भारतीय सेवा वर्गीकरण प्रौंस के इसी प्रधार पर लिया गए वर्गीकरण के भी कुछ मनुष्य माना जा सकता है।<sup>1</sup>

1 "The classes are defined as A, B, C and D in decreasing order of hierarchical importance" —United Nations, op. cit., p. 166

# वेतन प्रशासन : भारत, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस

(Salary Administration in India, U. K., U. S. A. and France)

सेवों की वित्तीय समस्याएँ तथा प्रश्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोकसेवकों को उनकी सेवाओं के बदले दिए जाने वाले वेतन से सम्बन्धित रहते हैं। लोकसेवकों की भर्ती एवं उनकी कार्य-सम्पन्नता पर इसका उल्लेखनीय प्रभाव रहता है। वित्तीय उपलब्धियों का आकर्षण, योग्य प्रत्याशियों को आकर्षित करने, उन्हें सेवा में बनाए रखने और पूरी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार कार्यकुशलता प्रकट करने की प्रेरणा देता है। 'वेतन' लोकसेवकों द्वारा सम्पन्न कार्यों का प्रतिक्रिया है। यह वह धनराशि है जो प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य के बदले मासिक, साप्ताहिक अवधारणा दिविक रूप से मिलती है। वेतन अवधारणा प्रतिकल दे रूप में प्राप्त धनराशि से लोकसेवक अपनी तथा अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताएँ पूरी करता है। एक कर्मचारी को प्राप्त होने वाले वेतन की मात्रा, उसके समान, लोकसेवाओं में उसके स्तर तथा कार्य के प्रति सन्तोष का आधार बनती है। किसी धनराशि से कोई लोकसेवक सम्बोध का अनुभव कर सकेगा, यह बात अनेक तर्फों पर निर्भर करती है; उदाहरण के लिए, कर्मचारी की स्थिति की तथा पारिवारिक भौतिक आवश्यकताएँ, समाज में उसकी प्रतिष्ठा एवं रहन-जाहन का स्तर, पद के दायित्वों की प्रकृति पद के जोखिम की प्रकृति, वैसे ही कार्य के लिए अन्य सहायानों में प्राप्त वैनन की मात्रा आदि। यही कारण है कि विभिन्न सरकारी पदों के लिए वेतन निर्धारित करते समय इन विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखने की चेष्टा की जाती है।

लोकसेवकों के जीवन में वेतन के अधिक महत्व और उपयोगिता के कारण यह विषय अनेक भौमों और सम्पदों का आधार बन जाता है। यह बात नियी प्रशासन की मपेशा सरकारी प्रशासन पर अधिक लागू होती है। कारण यह है कि सरकारी शैक्षणिक में अनियम नियोक्ता जनता होनी है जो करदाता के हर में हैमेशा इस बात पर जोर देती है कि न्यूनतम लागत से अधिकतम सेवाएँ उपलब्ध कराई

जाएँ। इस प्रकार सेवीवर्ग अधिकारी पर दुहरा दबाव पड़ता है। ऐसा और नोक-मेवरों द्वारा दबाव वेतन नीति प्रदानाकर अधिक वेतन देने की मांग की जाती है और दूसरी ओर कर्माना मरकारी उपयोगिता के लिए लोकमेवरों का वेतन बढ़ाव देने का दबाव दाता है। मुख्य परेशानी की बात यह है कि आम जनता प्रशासनिक मिल्डलवर्ग के माध्यम ही योग्य और कार्यकुशल वर्मचारियों से अधिकारी जनमेवा प्राप्त करना चाहती है।

स्टड्ट है कि सम्पूर्ण सेवीवर्ग प्रशासन स्वयं लोकमेवर और आम जनता वी हाई से लोकमेवरों का वेतन एवं प्रतिक्रिया पर्याप्त महत्व रखता है। लोकमेवर वी कार्यालय उनके जीवन स्तर की नियोजित रखती है। अर्थात् और प्रसन्नोपयजनक वेतन नीति के कारण वर्मचारियों का मनोवृत्त गिर जाता है, कार्यकुशलता घट जाती है और सम्पूर्ण प्रशासनिक संगठन प्रसन्नोपयजनक रूप से कार्य करता हुआ संपत्ति की प्राप्तियों में उत्तर जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश में सेवीवर्ग प्रशासन के इस पद्धति पर विविध ध्यान दिया जाता है।

भाजे नोड-कम्याएंडारी राज्यों में मरकार के कानूनों का होना पर्याप्त छापक हो गया है। विनाकादादी नियोजन के कारण वंकानिकों तथा तकनीशियों का कार्य काफी महसूपूर्ण बन गया है। अत वेतन-मरकार ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्राधिक मूद्दों में प्राप्त हुए विवरणों को अनियन्त्रित कर सके। अपने व्यापक प्रभाव के रूप के कारण मरकारी देश के वेतन सम्पूर्ण धर्म-व्यवहार की प्रभावित करते हैं तथा वर्तमान मजदूरी का स्तर भी इससे प्रभावित होता है। अन्य राज्यों की मानि भारत में भी मरकारी रोकणार वी मात्रा में काफी बढ़ि हुई है। यही 1956 में केन्द्र मरकार के वर्मचारियों की महसा लगभग 1.86 मिलियन वी जो 1972 तर बढ़ार लगभग 2.84 मिलियन हो गई पर्याप्त 52.7 प्रतिशत वी बढ़ि ही गई।<sup>1</sup> 1984 तर तो इस सम्बा में और भी जाही बढ़ि हो चुकी है। यह बढ़ि आने वाले भवित्व में भी इस प्रशार होनी रहेगी, यह प्रागा की जा सकती है और इसनिए यह तथ्य स्वीकार किया जा सकता है कि सरकार इस लिए आने वाले वेतन नियोजितरण का ममक धर्म-व्यवस्था पर उल्लेखनीय प्रभाव होता है।

### स्वस्य वेतन संरचना की विशेषताएँ

#### (Characteristics of a Sound Pay Structure)

एक स्वस्य वेतन स्ववस्था की तीन प्रमुख विशेषताएँ जानी जाती हैं—  
समुक्तीकरण (Inclusiveness), प्राप्ति (Comprehensibility) एवं पर्याप्ति (Adequacy)।<sup>2</sup> इन तीनों का संभिज्ञ वर्णन निम्न प्रकार से दिया जा सकता है—

#### (I) समुक्तीकरण (Inclusiveness)

इस विशेषता का अर्थ यह है कि सरकारी वर्मचारियों की वेतन मरकार

1 Report of the Third Central Pay Commission, 1973, Vol. I, Ministry of Finance, Govt. of India, p. 23.

2 United Nations, op. cit., p. 85.

जैसी अपनाई जाए वैसी ही स्वायत्तशासी तथा अर्द्ध-सरकारी तमगठनों द्वारा भी अपनाई जानी चाहिए। प्रायः सभी देशों में गैर-सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों का नियन्त्रण प्रसार होता जा रहा है। ये प्रयत्ने दिन प्रतिदिन के प्रशासन में सरकारी नियन्त्रण से उन्मुक्त रहते हैं तथा इन्हें अपना सेवीवर्ग प्रबन्ध एवं वित्तीय प्रशासन करने वी पर्याप्ति स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। इसके फलस्वरूप एकलकारी का अभाव पाया जाता है तथा विभिन्न भवित्वों द्वारा एक जैसे कार्यों के लिए अलग-अलग बैननमान की व्यवस्था की जाती है। इसमें प्रशासन में अनेक समस्याएँ तथा अध्ययन देवा हो जाते हैं।

मधुकरीकरण के सिद्धान्त का उल्लंघन वही स्वपरि में की जाने वाली आकस्मिक, मक्टव्यालीन तथा अस्वाधीन नियुक्तियों में किया जाता है। इन मामलों में रोजगार पर रहे गए व्यक्ति का बेतन पूर्णतः मौग तथा पूर्ति की दशाघों द्वारा तथा विषय जाता है न कि सामाजिक धार्य एवं समानता के विचारों के प्राधार पर। सुरक्षा के अभाव में ये कर्मचारी अपना सर्वेष्ट योगदान नहीं दे पाते। वियोक्ता अधिकारी इनको कभी भी हटा सकता है इतिहास इनका कार्यकाल अनिश्चित रहता है।

### (2) ग्राह्यता (Comprehensibility)

अच्छी बेतन व्यवस्था की यह दूसरी विशेषता है। इसका अर्थ यह है कि— सरकारी कर्मचारियों का बेतनमान ऐसा हो जो उनकी आय की पूरी नस्वीर प्रस्तुत कर सके। एक कर्मचारी की कुल आय में विभिन्न प्रकार के भत्ते तथा अतिरेक शायित रहते हैं। इनमें से कुछ भत्ते तो ऐसे होते हैं जो कर्मचारी की आय में दोई वृद्धि नहीं करते वरन् जो कुछ भी उसके द्वारा व्यय किया गया है उसी का मुगदान मान करते हैं, जैसे—स्थानान्तरण होने पर यात्रा व्यय, विकित्सा व्यय आदि। दूसरे प्रकार के भत्ते विजेत बेतन के रूप में होते हैं जो कर्मचारियों को उनके विशेष कार्यों एवं दायित्वों के बदले दिए जाते हैं। तीसरे प्रकार के भत्ते ऐसे अत्पष्ट रूप में होने हैं जिनके व्यवस्था विनीय रूप में कर्मचारी को किनारा प्राप्त हो सकेगा यह स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए दिना किराए के घर की सुविधा का प्रावधान। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की मूल बेतन के साथ-साथ अनेक प्रकार की वित्तीय उपलब्धियाँ प्रदान की जाती हैं। एक स्वस्थ बेतन व्यवस्था वह होती है जिसमें इस बात की स्पष्टता हो कि कर्मचारी को कुल मिलाकर वित्तीय उपलब्ध हो जाएगी।

### (3) पर्याप्तता (Adequacy)

सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला बेतन पर्याप्त होना चाहिए। इस पर्याप्तता के दो पहलू हैं—ग्रात्मक तथा बाह्य। बेतन ग्रात्मक रूप से पर्याप्त होना चाहिए अर्थात् इसे निर्धारित करने समय सम्बन्धित कर्मचारी के गुण, शिक्षा, प्रियदारण, कुशलता, कर्तव्य एवं दायित्व आदि का समुचित व्यापार जाना चाहिए। बेतन बाह्य रूप से भी पर्याप्त होना चाहिए अर्थात् यह इतना हो जिए कि एक कर्मचारी अपना सन्तोषजनक जीवन स्तर बनाए रख सके। ऐसी व्यवस्था भी जानी चाहिए

ताकि बड़ी हुई महोगाई तथा वेतन त्रुटि के परिणामस्वरूप कर्मचारी का जीवन-स्वरूप तरों में न पड़ जाए। प्राचिक प्रभाव के बारए कर्मचारी को इस प्रकार रहने के लिए मजबूर न होना पड़े कि उसकी सारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाए तथा अपने समाज की परम्पराशी को छानाने में वह अत्युत्तम रहे। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी निर्णयित्व स्थिति में वह पर अपेक्ष महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने हैं। उनकी वस्तुगतना एवं नियन्त्रण में विश्वास रहना चाहिए। वह सच है कि पदाधिकारियों का उच्च वेतन उनकी ईमानदारी तथा नियन्त्रण की कोई गारंटी नहीं होता लेकिन उपर्युक्त मात्रा से उप वेतन प्रत्यक्ष रूप से वेद्यमानी और भव्यतावार को प्रोत्याहन होता है। जब तब एक कर्मचारी को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाएगा तब तब मगठन में अनुग्रामन नहीं बनाए रखा जा सकता। अनुग्रामन की स्थापनार्थ की जाने वाली सारी वार्यदातियों तब प्रभावहीन हो जाती है जबकि कर्मचारी के सामने विनीय हानि उठाए जिन वैरलिङ्ग गोत्रगार भी रहते हैं। वेतन की पर्याप्ति मात्रा के साथ-साथ मेवा की सम्पूर्ण भौतिकीय अवधारणा रखनी है। उदाहरण के लिए, कार्यकाल की सुरक्षा वदोन्नति के अवमर, अवकाश, सेवानिवृत्ति के प्रविकार प्राप्ति। इनके साथ-साथ मरकारी मेवा का अम्मल भी प्रत्याशियों को इस ओर प्राप्तियां बढ़ाता है। नियन्त्रण ही धनायिक तर्दों का प्रभाव रहता है किन्तु वे पर्याप्त वेतन का स्थानादान नहीं बना सकते। बारए पह है कि मरकार को घोष कर्मचारी प्राप्त करने के लिए गैर-मरकारी डब्ल्यूए एवं सस्तानों से सहाय करती होती है, अत पर्याप्त वेतन की मात्रा एवं नियन्त्रण तत्त्व बन जाती है।

प्राजक्षल सरकारी पदों के प्रति रहने वाला प्राक्षण्ण समाज प्रायः ही गया है तथा इनके विवरीत गैर-मरकारी योग वा प्राक्षण्ण नियन्त्रण बढ़ाता जा रहा है। वही शास्त्र विकितसा सुविधाएँ, सेवानिवृत्ति, उदार माम्यनिधि, बोनस की अवस्था प्राप्ति के बारए योग्य प्रत्याशी उपर प्राप्तियां होने लगे हैं। सरकारी मेवा से रहने वाले प्रत्येक प्रतिवेदन भी इसके प्रति लोगों की अभिहिति रूप करते हैं। स्फृत है कि पर्याप्त वेतन का मापदण्ड मध्यम उलझनपूर्ण है। ध्यावहारिक रूप से इसे तभी प्रयोग के प्रतिवेदन के प्रनुभार, "पर्याप्त वेतन का मापदण्ड प्रत्यक्ष रूप से पह है कि प्रस्तावित वेतनमान पर योग्य प्रत्याशी प्राप्त हो जाए तथा प्राप्त करने के बाइ पह पर ही बने रहे।"<sup>1</sup>

प्रत्यक्षल में, एवं स्वस्व वेतन सरचना की पूर्व प्राक्षयक्ता यह है कि इसे सरल तथा बुद्धिमूर्ग हाना चाहिए। एवं हे बाद एक नए वेतनमानों की ध्यावस्था पर्याप्त भय तथा अस्पष्टना का बारए बन जाती है। दो पदों के बीच वेतनमानों का योग्यान्तर प्रबन्ध रहते वर भेदभाव भी विकायने की जाती है तथा इस आधार पर वेतन परिवर्तन की मात्रा ही जाती है। अब उपर्युक्त होया कि कुछ वेतनमानों को

1 Report of the Third Central Pay Commission, 1973, Vol. I, Ministry of Finance, Govt. of India, p. 31.

ब्याएक बताया जाए ताकि इम प्रकार की शिकायतें न आ सकें। वेतनमानों वी महत्वपूर्ण पटाना प्रशासनिक इटिट से भी मुविधाजनक रहेगा। वेतन मरम्मना सरल होते के कारण वेतन वित तैयार करना मरम्म होगा, बजट के प्रावदालों को चैक किया जा सकेगा तथा विभिन्न प्रकार की शिकायतों को रोका जा सकेगा।

### भारत में वेतन प्रशासन

(Salary Administration in India)

भारतीय सेवीवर्ग प्रशासन के इन्हीं पहलुओं की भाँति यह<sup>1</sup> का वेतन प्रशासन भी विटिज राज की विरासत को काफी कुछ सजोए हुए है।

वेतन निर्धारण के सिद्धान्त

(Principles of Pay Determination)

भारत में लोकसेवकों का वेतन निर्धारित करते समय जिन मुख्य मिडानों को ध्यान में रखा यथा है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1 मार्ग तथा पूति सम्बन्धी विचार (Supply and Demand Considerations)—1915 के इस्लिंगटन आयोग (Islington Commission) ने यह मिदान त्रिनिपादित किया था कि सरकार को अपने कर्मचारियों को केवल इतना वेतन देना चाहिए कि विभिन्न पदों पर घोषणा कर्मचारी विषुल दिए जा सके तथा उन्हे इतना शाराम और सम्भान देना चाहिए कि वे बाहरी सालव से बच सके तथा मेवा पर्यन्त कायेकुशल रह सकें। यह गौण तथा पूति के नियम के समरूप था, आयोग ने बताया कि भारत सरकार व्यवहारत, एकाधिकारी नियोक्ता थी। इस पर व्यावसायिक सधों का कोई दबाव न था और अम बाजार की पूर्ति काफी थी। इन कारणों से सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन दरें तय करने का पूरा अधिकार था। स्वयं आयोग ने भारतीय कर्मचारियों के लिए ये दरें निर्धारित नहीं भी तथा मस्तेपन के आदर्श पर ही विशेष जोर दिया।

भारत के प्रथम लोकसेवा आयोग ने इस्लिंगटन आयोग के सिद्धान्त का उन्नेत्र लिया तथा बताया कि वह रिकार्डों से प्रभावित तथा 19वीं शताब्दी के पूँजीवादी इटिटों पर आधारित था। आयोग ने लोकसेवाओं में व्यावसायिक सधो के विकास तथा समाजवाद को नई प्रवृत्तियों पर प्रकाश दाला। आयोग के शब्दों में, "हमारी यह मान्यता है कि निजी रोजगार में मजदूरी का निर्धारण विशुद्ध रूप से सोटेवाजी ढारा हो सकता है किन्तु जब 'सरकार नियोक्ता हो तो यह नहीं होना चाहिए तथा इसी 'नेतृत्व सिद्धान्त' को प्रवृत्त अपनाया जाना चाहिए।"<sup>1</sup> इस आधार पर आयोग ने यह राय प्रकट की कि विसी मी

1 "We recognise that even if wages in private employment could be allowed to be fixed by pure bargaining—but this too is no longer the case—application of some 'moral principle' is expected, when the Government happens to be the employer."

परिवर्तन में कमचारी का बेनन उन्होंने निर्वाह योग्य बेनन में कम नहीं होना चाहिए। इसे आयोग द्वारा न्यूनतम बेनन बनाया गया है। द्विनीय बेनन आयोग का निष्पर्यं यह था कि न्यूनतम मजदूरी बेनन प्राधिक आधार पर तय नहीं की जानी चाहिए वरन् यह सामाजिक परीक्षा में भी उपयुक्त मानित होनी चाहिए। उच्चनर बेननों के निष्परिण में भी प्राधिक एवं सामाजिक तत्वों का महयोग प्रमाणित रहना चाहिए। द्विनीय आयोग ने इसनिटेन प्रायोग द्वारा निष्परित मापदण्ड की उपयोगिता को स्वीकार किया। आयोग की स्पष्ट मान्यता थी कि यद्यपि माँग और पूति के विचारों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए किन्तु यदि इन्हीं को पक्कात निष्परिक तत्व बना दिया गया तो भारत जैसे देश में जहाँ अकुशल अधिकों की पूति मारी भाता रहे हैं, भजदूरी की दर भूते भरने के स्तर नक गिर जाएगी। अब यहाँ न्यूनतम बेनन निष्परित बनने समय माँग और पूति की दशाओं के अनावा अधिक की मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं एवं उसके आधिकों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। मरकारी क्षेत्र में बेनन सञ्चना की पर्याप्तिना वैकल्पिक रोडपार में तुलना बरके देखी जानी चाहिए। यदि सरकारी क्षेत्र में बेनन का स्तर प्रेसाहृत नीचा है तो इस क्षेत्र में उपयुक्त सेवीवर्ग की पूति प्रश्ने आप घट जाएगी। इसी आधार पर द्विनीय बेनन आयोग ने यह मुझाया या कि यदि किसी एवं विशेष के लिए उपयुक्त कमचारियों की पूति बढ़ जाती है तो बेनन को अधिक आवर्द्धन बनाया जाना चाहिए तथा साथ ही सेवीवर्ग के आवश्यक प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

मध्यवर्ती पक्का उच्चस्तरीय पदों के लिए बेनन स्तर कहाँ तक जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर बेनन प्राधिक आधार पर नहीं बरन् सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर दिया जा सकता है। मध्यवर्ती पदों पर कमचारियों की मन्दा अधिक रहनी है इसलिए उनके बेनन की मीमा अर्थव्यवस्था की शमना के आधार पर तय की जाती है। उच्चस्तरीय कमचारियों की महशा कम होती है, अब उनके बेनन निष्परिण में गामाजिक स्वीकृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माँग और पूति के बीच स्थापित अमनुसन्धान को बेनन निष्परिण में अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

**2. समान कार्य के लिए समान बेनन (Equal Pay for Equal Work)-** प्राय सभी कमचारी मध्य द्वारा मरकारी कमचारियों के बेनन निष्परिण के लिए 'समान कार्य के लिए समान बेनन' का सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है। कमचारी सेव कार्यों के मूल्यांकन पर जोह देते हैं। उनके मनानुभार कार्य मूल्यांकन की तरफी के बेनन विभिन्नताएं निष्परिण करने तथा बैंगानिक आधार पर बेनन मरकारा नामू बरने में अपनाई जा सकती है। मूल्यवेन आयोग के सम्मुख केन्द्रीय मरकारी कमचारी एवं मजदूरों के सभ और हाल तथा नार कमचारियों के राष्ट्रीय सभ ने यह किछार रखा या कि "प्रतिक्रिया की प्रत्येक घोरी के दावों की प्रति वही जानी चाहिए तथा बैंगानिक आधार पर उनके कार्यों का मूल्यांकन और बेनन

भिन्नताएँ निर्धारित की जानी चाहिए। कार्यों का मूल्यांकन प्रबन्ध एवं मजदूर दोनों के मिथित सम्मानों द्वारा दिया जाए।" भारतीय रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय सघ का बहना या कि "वार्षिक मूल्यांकन तहनीके सारकारी कर्मचारियों द्वी बेतन सरचना निर्धारित बरने में सागु भी जा सकती है।" अतिन भारतीय रेल कर्मचारी सघ (AIRF) ने अपने स्परण १५ में यह उल्लेख किया कि "रेल कर्मचारियों की बेतन सरचना प्रोर्ट सेवा की शर्ते उनके कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बेतनमानों भी सह्या १२ तक सीमित भी जानी चाहिए और अधिकारी वर्ग के लिए केवल ४ तक रखी जानी चाहिए।"

तृतीय बेतन आयोग ने समान कार्य के लिए समान बेतन तथा भारतीय परिस्थितियों में कार्यों के मूल्यांकन सम्बन्धी विषय पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया। भारतीय संविधान की धारा 39(d) में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि राज्य प्रधनी भीनियाँ इस प्रकार निर्देशित करेगा ताकि स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान बेतन प्रदान किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दुमतान एन्टीबायोटिक्स के मामले में इस निर्देशक सिद्धान्त को पर्याप्त व्यापक रूप से परिमापित किया।

बेतन निर्धारण के इस सिद्धान्त के विरुद्ध यह आपत्ति की जा सकती है कि इस व्यवहार में सागु करना अत्यन्त कठिन है। प्रशासनिक कर्मचारी एक पद-सौपान के रूप में समिति होते हैं। पद सौपान का प्रत्येक स्तर दिनका पैरेंवेक्षण करता है उनकी अपेक्षा अधिक दायित्व स्वीकार करता है। इसके लिए उसे नियन्त्रण ही प्रविष्ट बेतन प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उच्च पदों पर पदोन्नति गाने तथा अधिक दायित्व स्वीकार करने की प्रेरणा समाप्त हो जाएगी। इनीय हथा तृतीय बेतन आयोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। एक अन्य बिडिनाई यह है कि न्यायपूर्ण सापेक्षताएँ निर्धारित करने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। इसी पद के कार्यों एवं दायित्वों के अतिरिक्त सेवा की अन्य शर्तों को भी बेतन निर्धारण के समय ध्यान में लेना आवश्यक होता है। यदि सेवा की शर्तें भिन्न हो तो कार्य एवं दायित्व समान होते हुए भी समान बेतन की व्यवस्था भी जा सकती है। ऐसा बरता निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं है क्योंकि हड्डी द्वारा पुरुषों के लिए ये असमान बेतनमान भी समान रूप से लागू निए जाते हैं।

प्रशासनिक मुद्राएँ आयोग ने सेवीवर्गं प्रशासन सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में यह सुझाया था कि नागरिक सेवा के विभिन्न पदों को प्रोडेस में समूहीकृत विद्या जाना चाहिए ताकि समान क्षत्तंश्यो एवं दायित्वों वाले पद एक ही प्रोडेस में शामिल हो सकें। एक प्रोडेस के सभी पदों का समान बेतनमान होना चाहिए। प्रोडेस की संख्या 20-25 रखी जा सकती है। सम्बन्धित ग्रेड में शामिल करने में लिए प्रत्येक पद का उचित मूल्यांकन किया जाए। यह योजना एकीकृत प्रोडेस सरचना (Unified Grade Structure) के रूप में जानी गई। इसके माध्यम से प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित

व्यवित प्राप्त किए जा सकेंगे।<sup>1</sup> मारकारी प्रशासनिक सुधार आयोग की नीति ब्रेट रिटेन में भी उमी समय सुनून्टन कमेटी (19 जून, 1968) वही की नागरिक सेवा की सरचना, भर्ती और प्रबन्ध का अध्ययन कर रही थी। उसने भी पेडम की सरकार कम करने प्रीत कायों के वैज्ञानिक विश्लेषण एवं मूल्यांकन के प्राधार पर पाकीहन ग्रेड सरचना (Unified Grading Structure) स्थापित करने का सुझाव दिया।

**3 उपयुक्त तुलना (Fair Comparison)**—ममान कार्य के लिए ममान बेतन ने लिहान्त बो गरकारी देश की परिधियों में दाढ़िया तिकाने कर देना जाए तो यह गैर-सरकारी देश के साथ उपयुक्त तुलना का मिहान बन जाना है। इस आधार पर यह बहु ज्ञान सकता है कि ममान कार्य, चाहे वह सरकारी देश में ही अथवा गैर-सरकारी देश में, वे लिए ममान बेतन दिया जाना चाहिए। तृनीय बेतन आयोग के सम्मुख आए मभी स्मरण पत्रों में इस बात का उल्लेख किया गया था कि समिति निझी देश के कर्मचारियों का बेतन समान कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के बेतन वी प्रेक्षा अधिक होता है। यह गौण बी गई कि सरकार तथा सरकार के वाक्त्र कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायियों तथा उनके बेतन वी उपयुक्त तुलना की जानी चाहिए। बेन्द्र सरकार के कर्मचारियों की यह शिक्षायन भी थी कि सरकारी देश के उदामो म समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनकी अपेक्षा मारी बेतन दिया जाता है। इसका घोचिय उच्चतर कर्तव्यों एवं शायित्वों और अधिक योग्य कर्मचारियों की मर्ती की आवश्यकता प्रादि के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। जो सरकार सरकारी उदामो की वित्त व्यवस्था दरती है, वह स्वयं प्रयत्ने कर्मचारियों की अपेक्षाहृत कम बेतन प्रदान करे, यह चिनानीय स्थिति है। इस मसले पर विचार करने के लिए इन्हें आयोग और समितियों नियुक्त वी बढ़। प्रथम बेतन आयोग, दों दी आर गाडगिल ट्रिनीय बेतन आयोग प्रादि ने इस प्रश्न पर विचार करने दूए यह मन प्रकट दिया कि सरकारी कर्मचारियों वा बेतन तद करने समय निझी सर्वानो के कर्मचारियों वे बेतन से भी तुलना की जानी चाहिए। ट्रिनीय बेतन आयोग ने इस कार्य म द्वाने वाली गम्भीर आवहारिक सीमाओं का दी उल्लेख किया और यह बनाया हि—(क) निझी देश वी बेतन दर की पूरी और अवस्थित मूल्यांकन प्राप्त करना चाहिए है, (म) घनेह सरकारी पदा का गैर-सरकारी देश में कोई समझ नहीं होना।

तुष्ट अन्य देशों म भी नागरिक मेवडो का बेतन निर्धारित करने के लिए उपयुक्त तुलना का मिहान अपनाया जाता है। ब्रेट रिटेन म ग्रीन्स्ले कमीशन ने सरकारी कर्मचारियों और घोटोगिक कर्मचारियों के बीच उपयुक्त सापेक्षना के निर्धारण पर जोर दिया। आयोग का मन था कि एह वापेक्षन लोहमश दो पर्याप्त आवश्यक होना चाहिए, प्रत्येह कर्मचारी को इनका बेतन प्राप्त होना चाहिए जो गमांज के लिए, दिभाग के अध्यक्ष के लिए और स्वयं कर्मचारी के तिरायायां

है। उपयुक्त तुलना का सिद्धान्त भ्रष्टनाने पर घोष्य कर्मचारी नियुक्ति की जा सकते हैं तथा नियुक्त कर्मचारियों में मनोग्रन्थ की आवाना पेंदा की मरणी। ऐड चिठ्ठेन की पुस्तक कमटी ने भी इस मिदान्त का समर्थन किया है।

मध्यूक्तराज्य अमेरिका में सत्रिष्ठ द्वारा सब सरकार के कर्मचारियों एवं गैर-सरकारी व्यापार तथा उद्योगों के कर्मचारियों के बीच उपयुक्त तुलना की व्यवस्था भी गई है। इस हेतु एक व्यवहार एकत्रित करने और विभिन्न वदों के बीच समानता स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। मध्यूक्तराज्य अमेरिका की पद्धतिगत व्यवस्था प्रारम्भिक रूप मूलशीर्षक वर आवाहित है। यहाँ एक ऐड के अन्तर्गत मनोक व्यावसायिक समूह आ जाते हैं।

फ्रैंस में सरकारी वदों का वेतन विभिन्न मापदण्डों पर विचार करने के बाद तथा किया जाता है। यह प्रभावी बाजार द्वारा बजट सम्बन्धी विचारों आदि पर निर्भर करता है। तोक्सेवा कानूनों एवं व्यवहारों पर सधुक्तराज्य की लघु पुस्तिका के प्रत्युक्तर फौत बेसे आधिक रूप से सम्पन्न देश में नियमी क्षेत्र की सदृशी, नागरिक सेवा मध्ये भी उत्तिक और सम्बद्धतः वहाँ के राजनीतिक दशन ते मुद्रा प्रभार के प्रभावों के विषद् सोइसेवकों को पर्याप्त वेतन सम्बन्धी नियायोजन करने की धमता ही है। यह त्रियती प्राय वरिष्ठ पदों पर लागू नहीं होती। फ्रैंस के बारे में यह प्रश्न चिह्न है कि यहाँ की लोकसेवा गैर-सरकारी क्षेत्र के छोंच मापदण्डों को प्राप्त करने में महत हो सकी है व्यवहा नहीं। यहाँ प्रबन्ध तथा द्विनीय धेरणी के पदाधिकारी यह सोच सकते हैं कि उनको अपेक्षाकृत वर्म वेतन दिया जा रहा है। यह बहना गलत नहीं होता कि फौत में देशगिर्वेतन की प्रभावी बाजार दरों सरकारी वेतनों को प्रभावित करती है किन्तु उपयुक्त तुलना को शीघ्रचारिक मिदान्त के रूप में यहाँ भ्रष्टनाया गया है। गैर-सरकारी क्षेत्र भी वेतन दरों का प्रभाव दर्शक बाहरी तरहों पर निर्भर करता है तथा सरकारी लोइसेवकों का वेतन विवर्णित करने में पर्याप्त लोचशीलता भ्रष्टनाड़ा है।

भारत में द्विनीय वेतन नायोजने इस तथ्य का उल्लेख किया कि उद्योग एवं व्यापार के मुख्यालय क्षेत्रों में भी वेतन की दरों से सम्बन्धित व्यवस्थित सूचना उपलब्ध नहीं होती। दूनीय वेतन धार्योग ने जब विभिन्न गैर-सरकारी वदों की वेतन दरों जानने का प्रयास किया तो वही मनोरंजक तथ्य सामने आए। इससे ज्ञान हृदय के सरकारी उद्यम भारी हानि उठाने हुए भी अपने वर्षचारियों को प्रधिक वेतन प्रदान वर रहे थे। इसका कारण केवल बेग़द सरकार द्वारा हन्ते ही जाने वाली वित्तीय भ्रष्टनाया थी।

तृतीय वेतन शायोग ने विभिन्न देशों की सक्रिय जनसंख्या और राज सेवारत वर्षभारियों के घनत्वान सम्बन्धी जो प्रौद्योगिक प्रस्तुति इए, वे निम्ननिम्निन हैं—

**Ratio of the No. of Central, Federal Govt Employees to the Total No. of Salaried Employees for Various Countries**

Country	Year for which data available	Total of economically active population	Salaried employees and wage-earners outside agriculture (Millions)	Ratio of 4 to 3 as %age	No. of Central, Federal Govt Employees (Millions)	Ratio of col (9) to col (4) as %age
			4	5		7
India	1971	183.61	24.09	13.1	2.77	11.5
France	1970	21.33	15.58	73.0	1.60	10.3
U.K.	1966	24.86	21.97	88.4	0.69	3.1
USA	1970	84.90	75.98	88.5	3.08	4.1

Source Year Book of Labour Statistics (ILO), 1971.

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत में वैनिक वर्षभारी एवं मजदूरों की संख्या कुल आधिक इटि में सक्रिय जनसंख्या का एक छाटा मात्र प्रतिशत है। दूसरे, यहाँ बैन्ड मरकार के कर्मचारियों की संख्या अन्य देशों की भवेशा कुल वेतन प्राप्त कर्मचारियों और मजदूरों का प्रयाप्त उच्चतर प्रतिशत है। भारत में सरकार का दोहरा भावं है। यह न केवल देश में प्रशासन और विकास के लिए इस्तरदायी है बरन् यह सब्द के कर्मचारियों के सन्तोष, कांपेंगनना और भोरेन को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है। यह आगा वी जानी है कि इन दोनों काव्यों के बीच उपयुक्त संतुलन रखा जाएगा और एक की कीमत पर अन्य को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाएगा।

नोडसेवकों के वेतन निर्धारण में उपयुक्त तुलना के सिद्धान्त को घनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए इन्हुंने दूसरी ओर यह भी भव है कि मणिक दैर-सरकारी दोनों द्वारा सरकार की भवेशा अधिक वेतन दिया गया और सरकार न इसकी अवहेलना की तो उसके कर्मचारियों के गुण एवं कुर्दिंगा निरन्तर हास होना चाहा जाएगा। वनेशान वाले में सरकार के वायों का दोनों द्वारा की रहा है तथा यह भारी उत्तरदायित्व प्रसनाती जा रही है यह इसकी पहली आवश्यकता कांपेंगनन है। यह उब तक प्राप्त नहीं हो सकता उब तक इन बुद्धिगूण वेतन वाक्यों न प्रत्यार्द्द जाएँ जो बाहरी दुरिया के वेतन के स्वरूप म होने वाले परिवर्तनों को भी अविवर्तन कर सकें। उपयुक्त वेतन होने पर ही सरकारी पदों की धूर योग्य तथा समनावान अधिक आर्द्धित हो सकेंगे और निरन्तर संवा में वन रह सकेंगे।

इसके अनिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को अपने बैठन और सेवा की जर्ती से पर्याप्त मन्त्रीय रहेंगे तभी वे अपना श्रेष्ठतम् योगदान कर सकेंगे। यदि तब बैठन पर्याप्त नहीं है तब तब उपयुक्त सेवा की जर्ती भी निरर्थक बन जाती है। दह तक अपने प्राप्त में महत्व नहीं रखता कि योग्य कर्मचारी सरकारी पदों की ओर आ रहे हैं इसलिए उनका बैठन सन्तोषप्रदनक ही होगा। इन पदों की नियमित पर सरकार का एकाधिकार होता उनका बम बैठन होते हुए भी कोई दिक्षण न होने के बारण योग्य कर्मचारियों को मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है। ये असमुच्छ वर्मचारी निश्चय ही अपनी योग्यताओं का समूचित लाभ नहीं दे सकते। तथा तो यह है कि सरकारी कर्मचारी स्वामानिक हृष से गैर-सरकारी सेवा के कर्मचारियों के बैठन पर तुलना-मक्क दृष्टि रखते हैं और यदि अमानन्दार्थ गम्भीर है तो इनके अन्याय की भावनाओं का जम्म होगा जो उनके मोरेल की गिराएंगा, असन्नोपर्यंदा वरेगा तथा बायंकुशलता पर विपरीत प्रभाव दालेगा। पर्याप्त बैठन प्राप्त होने पर सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के नारण-पोषण की चिन्नाचार्य से मुक्त रहकर अपना पूरा ध्यान तथा शक्ति अपने पद के दायित्वों का निर्धारित करने में लगा जाते हैं। प्रसंतुष्ट तथा निराकार लोकमेडा सङ्कट के समय सन्तोषयनकार्य नहीं कर सकती।

इस सम्बन्ध में तृतीय बैठन आयोग ने अपना मह प्रबन्ध वरेते हुए मुख्य निम्नलिखित बातें बही हैं—

(i) सरकारी दीप्र तथा सागड़िन व्यापार एवं उद्योग के हीत के बीच बैठन की गम्भीर अवधानता का दीर्घकाल में सोक्षेवास्त्रों की बायंकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(ii) सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी उद्योगों ओर निजी सेवा के कर्मचारियों के बैठन के बीच व्याप्त मन्त्र इतने गम्भीर हैं कि इस समस्या की ओर व्यवस्थित तथा लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। मजबूरी मम्बन्धी पीकड़े एवं त्रिन करने के लिए एक भ्यायी यात्रा की स्थापना की जानी चाहिए।

(iii) सरकारी सेवा के उद्योगों के बैठन, मजबूरी तथा सेवा की जर्ती के बारे में एक समान नीति बनाई जानी चाहिए।

(iv) एक कही तथा प्रभावशाली ममन्दवकारी ममीनती की स्थापना की जाए जिसम वित मन्त्रालय तथा सेवीदं मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व रखा जाए।

(v) यह समन्वयकारी ममीनती ही सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों के बैठन सम्बन्धी अन्तरों को दूर कर सकें।

(vi) नौमनो तथा मजबूरी की दरों में स्थायित्व ताने के लिए निजी सेवा में मजबूरी की दर को नियन्त्रित करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए।

4 कार्य का मूल्यांकन (Job Evaluation)—लोकसेवकों ने बैठन निर्धारण का एक अन्य आधारभूत मिलाते कार्य का मूल्यांकन है। अमरांध्रीय अम बार्यालय

द्वारा इसकी परिभाषा करते हुए बहा यहा कि “कार्य मूल्यांकन कार्य घटस्तोपान में विभिन्न कार्यों की स्थिति निर्धारित हरने के लिए उनका मूल्यांकन करना है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मजदूरी दर भी सरचनाओं को स्थापित करने तथा मजदूरी भी अमर्मानताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। वह कार्यों में जगे व्यक्तियों के गुणों भी अधेशा हमेशा कार्यों से सम्बन्धित रहता है।”<sup>1</sup> दूसीय वेनन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार कार्य मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य वेनन सरचना के आपार के रूप में कार्यों का स्तर तय करना है। इसका लक्ष्य एक सामान्य मापदण्ड का प्रयोग करते हुए विचाराधीन तभी कार्यों की तुलना करना तथा एक कार्य से दूसरे कार्य के सम्बन्ध को विश्लेषित करना है।<sup>2</sup> कार्य मूल्यांकन निवैदिकितक होता है यद्यकि इसका सम्बन्ध कार्य की विशेषताओं से होता है कार्यकर्ताओं से नहीं।

कार्य मूल्यांकन के प्रनेश तरीके होते हैं। इनमें से कुछ तो गैर-विनेपणात्मक होते हैं तथा कार्य पर समग्र रूप से विचार करते हैं जबकि ग्रन्यतरीके विनेपणात्मक होते हैं, जिनमें कार्य को विभिन्न तत्वों अथवा निर्माणक प्रणो, जैसे—कुशलता, मानसिक अथवा ग्रेडिंग अवश्यकताएँ, उत्तरदायित्व एवं कार्य की दशाघो के रूप में विभागित कर दिया जाता है।

कार्य मूल्यांकन के प्रनेश वर्तमान रूप में कुछ तात्पर हैं किन्तु इसकी प्रनेश सीरीए भी है। यह दम्भी तक मुहूरत औरोपिक कार्यों पर ही लागू हो सका है। उच्च वेनन वाले पहले कदम चितू ही इस प्रकार के विनेपण का विषय बनते हैं। कार्य मूल्यांकन वी व्रियान्म वियवहर तत्व का प्रमाण अधिक रहता है। इसके प्रतिरक्ति यह तकनीक समय अधिक तात्परी है तथा परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ इसकी निरन्तर पुनरीशा की जानी चाहिए।

5 मजदूरी एवं उत्पादकता (Wages and Productivity)—सरकारी वर्तमानियों का वेनन निर्धारित भरते उसे उत्पादकता के साथ जोड़ने हा प्रयास हिया जाता है। यह एक अर्थमान्त्रीय व्यवायर्थ है कि वेनन में वी जाने वाली बृद्धि वास्तविक भाष्य में तब तक कीई बृद्धि नहीं कर सकती जब तक वि उसे उत्पादकता के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में मजदूरी की उत्पादकता के साथ जोड़ना अंधिक अर्थमान्त्रा जाता है किन्तु कभी-कभी भजदूर तुष्ठों की मार्ग के दबाव में याकूब उत्पादकता से अमर्दद वेनन-बृद्धि कर दी जानी है। उस समय मुद्रा अमार

1 “Job evaluation is the evaluation or rating of jobs to determine their position in a job hierarchy ... Job evaluation is widely used in the establishment of wage rate structures and in the elimination of wage inequalities. It is always applied to jobs rather than the qualities of individuals in the jobs.” —I. L. O., Job Evaluation, p. 9

2 “The principal purpose of job evaluation is to rank jobs as a basis for a pay scale, i.e., to determine, therefore, to compare all jobs under review using common criteria.”

के दबाव बढ़ जाने हैं तथा बेतन में होने वाली वृद्धि वा कोई वास्तविक लाभ कमचारी को प्राप्त नहीं हो पाता।

**6 मॉडल नियुक्तिकर्ता की प्रवधारणा (The Concept of the Model Employer)**—तृतीय बेतन आयोग के सामने ग्रनेक कमचारी संघों तथा सत्याघों ने यह माँग की थी कि सरकार वो कमचारियों का बेतन और मजदूरी तय करते समय एक मॉडल नियोक्ता के रूप में वापस करना चाहिए। दोनों ही रेखे सर्वों ने इस मिट्टान को मान्यता प्रदान की। NFIR के अनुसार 'सरकार नियोक्ताओं से उनके कमचारियों को जो दिलाने की आकृद्धा वर्ती है वह उसे पहले स्वयं अपने कमचारियों को देना चाहिए।' मारत सरकार सबसे बड़ा नियुक्तिकर्ता है। सरकारी क्षेत्र व उच्चमों की स्थापना के बाद इसके रोजगार की सहयोगीपौ बढ़ गई है। सरकार के कार्यों में लाभ वो मान्यता नहीं होती, यह उसके लिए यह सम्भव है कि अपने कमचारियों वो श्रेष्ठतर कार्य की शर्तें प्रदान कर सके। हमरी गैर-सरकारी नियोक्ता चाहे कितना ही सदगत तथा जागरूक व्योन हो, लाभ की आकृद्धा से प्रेरित होने के कारण अपने कमचारियों को सरकार के समान कार्य की दशाएँ नहीं दे पाएंगा।

मॉडल नियुक्तिकर्ता शब्द का प्रारम्भ ऐट बिटेन के मैडानहैड आयोग (1912-15) से हुआ है। इसका कहना था कि सभी पक्षों ने इस मिट्टानको स्वीकारू किया है कि सरकार वो मॉडल नियुक्तिकर्ता होना चाहिए। सम्भवत इसका अर्थ यह है कि सरकार को अपने कमचारियों को कार्य की ऐसी दशाएँ तथा इनका बेतन देना चाहिए जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र के नियुक्तिकर्ताओं के लिए एक मॉडल बन जाए। इसकी एक अन्य व्याख्या यह है कि सरकार वो अन्य नियुक्तिकर्ताओं की पदोन्नति यादि निपक्ष तथा वस्तुगत रूप से की जा सके, सेवा की अधिकतम सुरक्षा हो, कार्य के दशाएँ तथा निवारण की व्यवस्था सन्तोषजनक हो।

इस सिद्धान्त का अर्थ यह कहायि नहीं है कि सरकार अपने कमचारियों को एक विशेषाधिकार प्राप्त करें बन। दे। हम इस तथ्य का धृते भी उल्लेख कर सकते हैं कि अनेक पक्षों पर गैर-सरकारी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक बेतन दिया जाता है। सरकार का खुजाना इस बात की अनुमति नहीं देना किंवदृ एक आदर्श नियोक्ता बनने की गरज से इस अन्तर को दूर करने की जेष्टा बरे। द्वितीय बेतन आयोग का कहना था कि यदि सरकार मॉडल नियुक्तिकर्ता बनने वे तिए अन्य नियुक्तिकर्ताओं से अधिक बेतन प्रदान करे तो यह अपव्यय साना जाएगा। तृतीय बेतन आयोग का इस सम्बन्ध में यह सत था कि मॉडल नियुक्तिकर्ता की प्रवधारणा की अनेक प्रवार की अवस्थाएँ की जा सकती हैं जिन्हु व्यावहारिक मूल्य वा कोई निश्चित विदेशमूल प्राप्त नहीं हो पाता। एक अच्छे नियुक्तिकर्ता के लिए यह आवश्यक नहीं होता। कि यह तर्बीच बेतन दरें प्रदान कर। इसके मुख्य अन्य लाभ भी हो सकते हैं जैसे रोजगार का स्थापित तथा निरन्तरता, प्रगिधण, एवं

पदोन्नति के लिए पर्याप्त सुविधाएँ, इमानदारी तथा निष्पक्षता का उच्चतर स्तर धार्दि। इन मर्मी बातों की प्रीत विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यद्य तब हृष्ट यह है कि इन भौतिक वर्ग सम्बन्धी विधयों की प्रीत बहुत कम ध्यान दिया जाता है, इसी कारण लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार तथा ग्रन्थ समस्याओं का जन्म हुआ जो शाज भी मध्यूत्तर समाज पर कोड की भौति छाया हुआ है।

### तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें

(Recommendations of the Third Pay Commission)

तृतीय वेतन आयोग ने लोकसेवकों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न मिटानों का उल्लेख करने के बाद वेतन निर्धारित करने के बारे में सवय का हिटोला प्रस्तुत किया है। आयोग के मतानुसार इसके लिए कोई एक सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि केन्द्रीय सरकार की गतिविधियाँ अत्यन्त व्यापक हैं और वर्मचारियों की थेलियाँ अस्त्य तथा मिन्न-स्थिरी हैं। ऐसी स्थिति पर वेतन निर्धारण के लिए किसी एक मिटाने की प्रपत्ताकर कठोरतापूर्ण घबराहर बरने की घोषणा आयोग न बैन्ड सरकार के विभिन्न परों और सेवाप्रों के वेतनमान निर्धारित करते रहने विभिन्न मिटानों और दशाघों की ध्यान में रखा है। आयोग ने मुख्य गुण रूप से निम्नलिखित है—

(A) सरकार एक प्रमुख नियुक्तिकर्ता है जिन द्वारे अपनी आवश्यकता के पनुहून वेतन निर्धारण के प्रयत्न मिटाने सवय ही तरह करने चाहिए। ऐसा करने का अपय सरकार भर्ती सम्बन्धी इठिनाइयों तथा लोकसेवायों में उच्चमरीय कार्य-कुशलता की स्थापना का ध्यान रखे। म.तोपञ्जतन वेतन व्यवस्था का सच्चा मार्गदण्ड यह है कि क्या सरकारी सेवा आवश्यकतानुहून वर्मचारियों को आर्किवित एवं सेवारन रख पाती है और क्या वे इन्हें वेतन व मेवा की अन्य शर्तों में सनुष्ट हैं। परिचिति परिस्थितियों के साथ-साथ सरकार की विभिन्न थेलियों के वर्मचारियों का वेतन प्रीत सेवा प्राप्त गर्ने वालना आवश्यक बन जाता है। इन सम्बन्ध में आयोग न लोकसेवा इठिकोला प्रयत्न को कहा है।

(B) वेतन सम्बन्धी पहली बात मूलतम वेतन वा निर्धारण करना है। आयोग ने मनानुसार यह सामाजिक मूल्यों के अनुमार निर्धारित होना चाहिए ताकि मौग और दूनि भी दशाघों का विचार किए जिन एक उपयुक्त भौतिकतर वा बनाए रखा जा सके। सरकारी सेवा के लिए लोग बाही सत्या य उत्पत्ति होने हैं, यह न्यूनतम वेतन का पूरा साम प्राप्त करने के लिए वर्मचारियों की योग्यताएँ और भर्ती के स्तरों को बढ़ा दिया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी भविष्यक रखने के बाइ योग्य अतियों की नियुक्तियों को शायमिकता दी जानी चाहिए। न्यूनतम वेतन म बृद्धि के साथ ही उनी अनुपात में ऊपर के वर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिए। वेतन-बृद्धि के साथ-साथ वर्मचारियों की सहस्रा की भी नियन्त्रित किया जाए।

(C) उच्च पदों के बेतन की सीमा सामाजिक स्वीकृति के आधार पर तय भी जाए। सामाजिक दत्तव एवं आयु की असमर्पित घटाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(D) मध्यवर्ती स्तरों पर बेतन निर्धारित करते समय 'समान कार्य' के लिए समान बेतन' का मिदान्त अपनाया जाना चाहिए। आयोग के मतानुसार भेदभालक विशेषताओं के अभाव में विशेष शास्त्राध्यों के समान कर्मचारियों को समान बेतन दिया जाना चाहिए, यदि किसी सुनियत मापदण्ड के आधार पर उनका कार्य समान मूल्य का साधित होता हो।

(E) इस मिदान्त को मूर्त रूप देने तथा तुलना के लिए आधारभूत तत्त्वों वो तय करना आवश्यक है। आयोग के मतानुसार मध्यवर्ती स्तरों पर एक पद का बेतन उस पद के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों, नियुक्ति के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताओं, पर्यवेक्षण की मात्रा आदि के आधार पर तय किया जाना चाहिए। बेतन निर्धारण के लिए कुछ प्रन्य प्रमुख तत्त्व ये हैं—कुशलता की मात्रा, कार्य की परेशानियाँ आवश्यक अनुभव, प्रवेक्षित प्रशिक्षण, निहित उत्तरदायित्व, मानसिक एवं शारीरिक प्रपेक्षाएँ, कार्य की स्वीकृति की सम्भावनाएँ, आवश्यक स्वप्रस्थितियाँ, आने वाली यकाद, मर्ने का तरीका, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं तात्त्वनीतीय योग्यताएँ, जनसम्पर्क, पदोन्नति के आवगत तथा कार्यों के साथ सापेक्षिक सम्बन्ध।

(F) आयोग के मतानुसार बेतनमान निर्धारित करते समय सम्पन्न किए जाने वाले कार्य की कठिनाइयों, बढ़िलताओं तथा उत्तरदायित्वों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। एक कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन उसके निम्न तथा उच्च अधिकारियों द्वारा सम्पन्न कर्त्त्वों के आधार पर किया जा सकता है। एक कर्मचारी का उत्तरदायित्व उस पर रखे गए पर्यवेक्षण की मात्रा और उसके कार्य के परिणामों पर निर्भर करता है। आयोग ने बेतनमान निर्धारित करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखा।

(G) बेतन सरचना सरल एवं बुद्धिपूर्ण होनी चाहिए तथा बेतनमानों की भारी सह्या को कम किया जाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न थेलियों एवं व्यवसायों वे पदों को एक योड़ में समूहीकृत कर दिया जाए।

(H) प्रेदेश की स्थानीय सम्मीली रूप से घटाना भी गैर-लाभदायक और खतरनाक है। केन्द्र सरकार के 28 मिलियन कर्मचारियों को केवल 20 या 25 थेलियों में रखना सम्भव नहीं है। इसके परिणामस्वरूप कुछ थेलियों में पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाएंगे। पदोन्नति न केवल पदोन्नत हुए लोगों की कार्यकुशलता को प्रभावित करती है बरन् उन्हें भी प्रभावित करती है जो इसकी आकौशित रूपते हैं। पदोन्नति के पर्याप्त अवसर होने से कर्मचारियों में विश्वास जापत होता है तथा संगठन की कार्य प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके लिए प्रेदेश की पर्याप्त सह्या होना आवश्यक है।

(I) बेतन मरचना को सरलीकृत बरते के लिए समन्वय वी तुलनाएँ आवश्यक बन जाती है। कार्य मूल्यांकन की तकनीक को प्रारम्भ में प्रायोगिक आधार पर उपनाया जाए और उसके बाद यदि उपयोगी समझा जाए तो इसे जारी रखा जाए।

अन्त में तृतीय बेतन धायोग ने विध्वंस हृषि से यह मत प्रकट किया कि मजदूरी और बेतन की दरें रोजगार के क्षेत्र में प्रबोध पाने वाले स्त्री व पुरुषों के निरंयों को प्रभावित बरती हैं। विभिन्न व्यवसायों का वित्तीय आर्थिक इस प्रशार वा होना चाहिए ताकि उपनव्य मानवीय मामधी वा बुद्धिपूर्ण आवटन हो सके और समझ लान को अधिकतम लिया जा सके। बत्तमान मार्ग तथा पूनि के अमन्तुलन को मुष्ठारा जाना चाहिए तथा तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक प्रजातान्त्रिक प्रतिनिधि शासन होने के नात सरकार को सामाजिक न्याय को महसूव देना होगा। इसे मानवीय आवश्यकताओं तथा आईक्याओं की ओर भी उपयुक्त ध्यान देना होगा। सरकारी वर्मचारियों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनका बेतन गोर-सरकारी क्षेत्र के वर्मचारियों से बम नहीं है। ऐसी स्थिति म मानवीय तथा प्रशासनिक कारणों से केवल आर्थिक दृष्टि से निर्धारित बेतनमानों में पूर्ण परिवर्तन आवश्यक बन जाता है। तृतीय बेतन आयोग ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा इस्तादित नए बेतनमानों के कारण सरकारी राजकीय पर ध्येयमार बढ़ जाएगा किन्तु सरकारी वर्मचारियों के सन्तोष एवं आरम्भुणित के लिए यह आवश्यक है।

### म्यूनिटम प्रतिफल

(Minimum Remuneration)

म्यूनिटम प्रतिफल या निर्धारण बाजार की मार्ग तथा पूनि की गणियों द्वारा न होइर विभिन्न सामाजिक आर्थिक तस्वीरों के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष समिनियों, धायोगी, न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि अभिन्न वी म्यूनिटम आवश्यकताओं के आधार पर उसके बेतन वा निर्धारण दिया जाना चाहिए। गरकारी सेवा में म्यूनिटम बेतन निर्धारित बरते में देश की गामान्य आर्थिक दियति, इमर्झी प्रति व्यक्ति आव, बोरोजगारी का स्तर, सरकार की वित्तीय स्थिति, साधन योग्यता को हनिमान करने की इमर्झी इच्छा एवं योग्यता, देश के विकास के लिए इन योग्यों पर पड़ने वाला भार आदि तस्वीर उल्लेखनीय भूमिका यदा करते हैं। इव्य वर्मचारी वी म्यूनिटम आवश्यकताएँ, वर्ड बानों के आपार पर तय होती हैं, जैसे—(i) उसके परिवार की आवश्यकताएँ, (ii) उसके तथा उसके परिवार के सोडन की आवश्यकता, (iii) पर्याप्त वस्त्रों का प्रवृत्ति, (iv) निशाम-स्थान की मुद्रिया, (v) मेडिकल उपचार की आवश्यकता, (vi) अवास्था की रक्षा, (vii) जिता वा प्रवृत्ति आवश्यक है विनकी पूनि वर्मचारी वे सन्तोष एवं वार्युशताका के लिए आवश्यक है।

तृतीय वेतन आयोग ने आवश्यकता पर आधारित मूलतरम् प्रतिकल को मुख्यतः इन बातों पर आधारित किया—शाकाहारी मोजन का व्यव, कर्मचारी का अधिवार, जिसमें तीन ददक्ष सदस्य शामिल हैं, कपड़े की आवश्यकता, जिसमें 18 रुपय प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 72 रुपय कपड़ा प्रतिवर्ष आवश्यक होगा। कुल आय का 7½% मास मकान के विराए के रूप में तथा अन्य स्थानों जो कि कुल आय का 20% होगा। इन सभी आँहड़ों को आयोग ने विभिन्न तालिका में प्रस्तुत किया है—

**Actual figures of Need based Minimum Remuneration**

Items	Expenditure
	(Rs per month)
1 Food (Simple average of four cities)	— 131 70
2 Clothing @ Rs 1.91 per metre (Rs 1.75 per yard) for 5.5 metres (6 yards)	— .. 10 50
3 House rent @ 7 % of the total	— .. 14 71
4 Miscellaneous expenditure @ 20% the total	— .. 39 23
	.....
	196 14
	.....
	Rs 196 in round figures

### आयोग द्वारा प्रस्तुतावित वेतनमान

#### (The Pay Scales Proposed by the Pay Commission)

तृतीय वेतन आयोग ने वेतन विधारण के विभिन्न सिद्धान्तों तथा कर्तव्यों, दायित्वों, पोष्यताप्रमाणे एवं अन्य सम्बन्धित बातों का ध्यान रखने हुए केन्द्र सरकार द्वारा अधीन पदों की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 80 वेतनमान मुकाए।<sup>1</sup> इनको मणिम तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है—

#### PROPOSED SCALES OF PAY (in rupees)

- 1 160-2-170.
- 2 185-2-193-3-205-EB-3 220.
- 3 190 3-208-4-220-EB 4-232.
4. 193-3-208-4-220-EB 4-240.
5. 200-3 212-4-240-EB-5-260
- 6 200-3-212-EB-240-4-EB 5-280.
- 7 225-5 260 6 290 EB 6-308.
- 8 225-5-260-6-326-EB-7-350.

<sup>1</sup> Report of the Third Central Pay Commission, Para 55

- 9 260-6-326-EB 8-350
- 10 260-6-290 EB-6-326 8-366-EB 8 390-10-400
- 11 260 8-300-EB-8-340 10-383-EB-10-430.
- 12 260-8-300-EB 8 340-10-360-12-420-EB-12-430
- 13 290 6-326 EB-8-350
14. 290-6-326-8-350 EB 8-390-10-400
- 15 290 8-330 EB 8 370 10 400-EB-10-480
- 16 290-10-350 EB-12-410 EB 15-500
- 17 290-8 330-10-380 EB-12 500-EB-15 500
- 18 320 6-326-8-390-10 400
- 19 330 8-370-10-400 EB 10-480
- 20 330 10-380 EB 12 500 EB 15-560.
- 21 380 12-500 15-530
- 22 380-12-500-EB 15 560
- 23 380-12-440 EB 15-560 EB-20 640.
- 24 425-15 500 EB-15-560-20 600
- 25 425 15-560-EB 20 640
- 26 425-15-500-EB-15-560-20-700
27. 425-15-500-EB 15-560-20-640-EB-20-700-25-750
- 28 425-15-500 EB 15-560-20 700 EB-25-800
- 29 440 15-515 E B 15-560-20-700-EB-25-750
- 30 455-15-560-EB-20-700.
- 31 470-15-560-20 580
- 32 470-15-530-EB 20-650-EB-25-750.
- 33 500-20-700 EB-25-900
- 34 500-15-560-20-620
- 35 550-20-650-25-700.
- 36 550-20-650-25-750
- 37 550-20-650-25 800
- 38 550-25-750 -EB 30-900
- 39 600 25-750
- 40 650-30-710
- 41 650-30-740-35-880 EB-40-960
- 42 650-30-740-35-880-EB-40-1040.
43. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200
- 44 700-30-760-35-900
- 45 700-40 900 EB-40-1100-50-1300
- 46 700-40-900-EB-40-1100-50-1250-EB-50-1600
- 47 740-35-880
48. 775-35-880-40-1000
- 49 775-35-880-40-1000-EB-40-1200

- 50 840-40-1040  
 51 840-40-1000-EB-40-1200.  
 52 900-40-1100-EB-50-1400.  
 53 1050-50-1600  
 54 1050-50-1500-EB-60-1800.  
 55 1100-50-1500  
 56 1100-50-1600  
 57 1100-50-1500-50-1800  
 58 1200-50-1600  
 59 1200-50-1700  
 60 1200-50-1500-50-1800  
 61 1200-50-1300-50-1600-EB-60-1900-100-2000.  
 62 1300-50-1700.  
 63 1500-960-1800  
 64 1500-60-1800-100-2000.  
 65 1650 75-1800  
 66 1800-100-2000  
 67 1800-100-2000-125/2-2250  
 68 1850 Fixed  
 69 2000-125/2-2250.  
 70 2000-125/2-2500  
 71 2250-125/2-2500  
 72 2250-125/2-2500-EB-125/2-2750.  
 73 2500 Fixed  
 74 2500-125/2-2750  
 75 2500-125/2-3000  
 76 2750 Fixed  
 77 3000 Fixed  
 78 3000-100-3500.  
 79 3250 Fixed.  
 80 3500 Fixed.

*Source—Report of the Third Central Pay Commission, op. cit., p 85*

सरकार ने तृतीय वेतन सायोग की मधिकांग सिफारिशों को मान लिया है। 1983 में गठित चतुर्थ वेतन सायोग द्वीरिपोर्ट अमी प्रतीक्षित है।

**एकीकृत सामान्य वेतन योजना का अभाव**

(Lack of Integrated General Pay Plan)

भारत में सामान्य एकीकृत योजना को कभी लागू नहीं किया गया। इसमें दरिलामनवस्तु सोशलसेवाएँ भी जारी थेगिर्हों में 500 में भी अदिक वेतनमात्र बत-

गए हैं। सामान्य वेतन योजना न होने के बारण प्रत्येक पद और सेवा के लिए अपने से वेतनमान निर्धारित किया जाता है। पदों की संख्या में दृढ़ि के साथ-साथ वेतनमानों की संख्या भी बढ़ जाती है। पनुमत साक्षी है कि वेतन आयोगों द्वारा वेतनमान कई गुना बढ़ जाते हैं। प्रथम वेतन आयोग ने कुल 150 वेतनमानों की निर्धारिति की थी। द्वितीय वेतन आयोग के समय वेतनमानों की संख्या 500 को पार कर चुकी थी। द्वितीय वेतन आयोग ने 140 वेतनमानों की निर्धारिति दो जिमके फलस्वरूप वेतनमानों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई दिन्हु। जनवरी, 1971 तर इन्हीं संख्या 500 से ऊपर पहुँच गई।

दूसरी वेतन आयोग ने इन संख्या को गम्भीर रूप से कम करते हुए कुल 80 वेतनमान सुझाए।

भारतीय वेतन अवस्था की एक अम्बु विजेपना समयमान (Time Scale) अवस्था है। इसका अर्थ ऐसे वेतन से है जो सामयिक दृष्टियों द्वारा न्यूनतम दरों से अधिकतम दरों तक पहुँच जाता है। इस अवस्था में दक्षता अवधोष (Efficiency bar) भी मलबा है। इसका अर्थ यह है कि वेतनमान के एक निश्चित विन्दु पर पहुँचने के बाद आगे वेतन दृढ़ि करने में पूर्व यह देखा जाता है कि एम्बुचारी में उच्च पद के वायित्व विभाने की भवता है अथवा नहीं। अनेक उच्चतर सेवाओं में वही विशेष ग्रेड नहीं है जहाँ समयमान की अवस्था की गई है।

एक सुनिश्चित वेतन योजना न होने के कारण भारतीय सेवीवर्ग प्रशासन घटेक प्रशासनिक कठिनाईयों में उनमें जाता है। यहीं विभिन्न वेतनमानों के लिए अन्तर-अन्तर लेखा तानिस्ताई बनानी पड़ती है। प्रत्येक सेवा और पद के लिए गृह्यता से नियम निर्धारित करने पड़ते हैं। आनोदकों का इहना है कि भारतीय वेतनमान अवस्था ने लोकसेवकों में जातीय अवस्था को प्रोत्तमाहन दिया है। इसकी अपनूण्य अवस्था में कोई दुष्टिगत तथा एकहार कार्यवाही अपमूल्य बन गई है।

### वेतन विभिन्नताएं

#### (The Pay Differentials)

भारतीय सेवीवर्ग प्रशासन की सामान्य नीति के पनुकार कुछ वेतन सम्बन्धी विभिन्नताएं अनिवार्य रूप से प्राप्त होती हैं जिन्हें भ्रम निवारण हेतु एक स्तर क सभी कर्मचारियों का वेतन एक जैसा बनाए रखने की चेष्टा भी जाती है। यदि इसी पराप्रिकारी को प्राप्ति पद के कर्तव्य समाप्त करते समय अथवा पद की प्रतेकाधी के कारण कोई हानि होती है तो उस हानि के बड़े मुमाले के स्थाने उसे विशेष रितीय लहाना दी जा सकती है। बड़े शहरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रपेशाइन अधिक महंगाई के कारण जीवनयात्रा अवधि करना पड़ता है, परन्तु उन्होंने वेतन के प्रतिक्रिया नियाम स्थान-मत्ता, शहरी मत्ता आदि अन्य मत्ते भी प्रदान हिंदू जात हैं। इसी प्रकार विदेशों में कार्य करने वालों के लिए समुद्राधारी भत्ता प्रदान हिया जाता है।

## बेतन प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी (The Authority Responsible for Salary Administration)

भारत में सरकारी कर्मचारियों के बेतन प्रशासन तथा विकास का कार्य प्रत्येक मन्त्रालय पर व्यक्तिगत रूप से छोड़ दिया जाया है। यह मन्त्रालय वित्त मन्त्रालय के सम्प्र पर्यवेक्षण में रह कर बार्य करता है। किसी मन्त्रालय में जब कोई नया पद स्थापित किया जाता है तो सर्वप्रथम वह मन्त्रालय विचाराधीन सेवा के कार्यों तथा सारित्वों की प्रहृति पर विचार करता है। उसके बाद वह गृह मन्त्रालय के स्थापना प्रधिकारी, वित्त मन्त्रालय के व्यय विभाग तथा सूचीय लोकसेवा आयगों के साथ विचार-विमर्श करके उस पद या सेवा का बेतन तथा अन्य कार्य की शर्तें निर्धारित करता है। इष्ट है कि किसी पद या सेवा के बेतनमान का विकास एक अन्तर्विभागीय विषय है।

बेतनमान के प्रशासन के लिए एक अलग तरीका अपनाया जाता है। इसे हेतु समस्त लोकसेवाएं दो थेगियों में समूहीकृत की गई हैं—राजपत्रित एवं अराजपत्रित (Gazetted and Non-Gazetted)। सभी राजपत्रित प्रधिकारी अपना बेतन एवं भत्ते स्वयं ही प्रत्यक्ष हृप से प्राप्त करते हैं और इसी कारण उनको 'Self-drawing Officers' कहा जाता है। इस प्रधिकारियों की नियुक्ति भारत के राजपत्र मधिमूलिक की जाती है। इस राजपत्र अधिसूचना की एक अधिक प्रतिलिपि नियुक्ति-पत्र की प्रतिलिपि के साथ सम्बन्धित पॉडिट या बेतन सेवा प्रधिकारी के पास भेज दी जाती है। लेखा परीक्षा प्रधिकारी द्वारा नियुक्त प्रधिकारी को बेतन पर्ची (Pay Slip) प्रदान की जाती है जिसके द्वारा उसे नियुक्ति के बाद से ही बेतन एवं भत्ते सेवे का प्रधिकार प्रदान किया जाता है। यह बेतन पर्ची राजकोष प्रधिकारी अधिकारी अधिकारी बेतन एवं लेखा प्रधिकारी को सौंदर्यी दी जाती है जो आवश्यक जीव-पड़नाल के बाद मुगानान के लिए विस को पास कर देता है।

प्राज्ञपत्रित प्रधिकारियों का बेतन एवं भत्ते स्वापना बेतन विल (Establishment Pay Bill) के द्वारा एवं विभागीय प्रधिकारी द्वारा उठाए जाते हैं। प्रधिकारी बेतन विलों को निकालने तथा बोटने के लिए ब्रिस्मेदार होता है। ये स्वापना बेतन विल सम्बन्धित कार्यालय की स्थापना जाता द्वारा कर्मचारी वर्ग की शेरों के आधार पर तंयार किए जाते हैं। इस प्रकार एक ही शेरों वे सभी अराजपत्रित प्रधिकारियों का एक ही विल बना लिया जाता है। इन विलों पर प्राप्तिकृत विधासन एवं विनाशक प्रधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं तथा उसके बाद यह मुगानान के लिए पास होने को राजकोष प्रधिकारी/बेतन एवं लेखा प्रधिकारी के पास भेज दिया जाता है। नियुक्ति वर्त को कंगियर द्वारा इमंचारी वर्ग के सदस्यों को एक परिवर्य रोन पर उसके हस्ताक्षर देकर वित्तिल दर दिया जाता है।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> IIPA, The Organisation of the Govt. of India, 1971, pp. 499-500

वेतन सम्बन्धी समस्त मामले तथा प्रभिलेख प्रहालेखाकार द्वारा बनाए व रखे जाने हैं। इस प्रकार कानूनी भाषा में यह कहना सही तोगा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन प्रशासन का दापित्र प्रहालेखाकार के कार्यालय वा होता है। यथार्थ में केवल राजपत्रिन अधिकारी ही अपना वेतन यहां बदलने के लिए मन्त्रिलेखाकार के कार्यालय के मध्यके में आते हैं अन्यथा गैर-राजपत्रिन कर्मचारियों का कार्य तो सम्बन्धित मन्त्रालय के प्रशासनिक कार्यालय हारा ही सम्पन्न कर दिया जाता है।

### प्रेट ब्रिटेन ने वेतन प्रशासन

#### (Salary Administration in Great Britain)

ब्रिटिश राजनीति द्वारा प्रोटोस्टन कमीशन (1953-55) के प्रमुख प्रस्तुत परिचयात्मक तथ्यगत जापन भृत्यालीन वेतन मञ्चनावे चार स्तरों का उल्लेख हिंदा गया था।<sup>1</sup> ये स्तर निम्नलिखित हैं—

(A) शाट स्केल्स (Short Scales)—मदेज वाट्टो, इनीरो, डाकघर इत्यानियरों प्रब्रह्मद्वारा गैर-कार्यालयी द्वैड्स के लिए।

(B) लॉन्ग स्केल्स (Long Scales)—नियादिर अधिकारी जैसे प्रगेक मूलभूत एवं मर्की योड़ने के लिए।

(C) मीडियम लैंग स्केल्स (Medium Length Scales)—मध्यम थेएटी वे कार्यालयी कर्मचारी के लिए।

(D) शाट स्केल्स (Short Scales)—उच्च थोली के कार्यालयी कर्मचारी वर्ग के लिए।

### वेतन नियादिरण के सिद्धान्त

#### (Principles of Pay Determination)

प्रेट ब्रिटेन की नोट्सेवाएँ इस तथ्य से परिचित हैं कि कर्मचारियों का मानिह वेतन लोकमेवको की सेवा वी जानी म सदमे महावपूर्ण है। यदि कर्मचारियों को अपेक्षित ग कम वेतन दिया जाना है तो इनकी कार्यकुशलता घट जाती है तथा उसमे गुधार क निए द्विग द्वारे वाले विभिन्न प्रयाम निर्धन क साधित होते हैं। मही वेतन नियादिरण के निए यही समय समय पर विभिन्न गिरावनों वा समर्थन किया गया है। इनमे से मुख्य निम्नलिखित हैं—

(1) ग्रादंग नियोक्ता का सिद्धान्त (Principle of Model Employer)—यही प्रयम दिश्युद्ध से पूर्व यह माना जाता था कि सरकार को प्रपने कर्मचारियों का वेतन इस प्रकार नियादिरण बरता चाहिए कि गैर सरकारी नियुक्तिरत्ताओं दे रिए एक प्रादर्ग बन सके। 1914 म ब्रिटानलड कमीशन ने इस पॉइन्ट एमतायर

1 W J M Mackenzie & J W, Grove : Central Administration in Britain, 1957, pp 45-46.

(Model Employer) के नियमों को शीहार दर निया तथा 1922 में राजकोप प्रबक्ता ने इसका समर्थन किया।

(2) कार्यकुशलता का सिद्धान्त (The Principle of Efficiency)— प्रथम महायुद्ध के बाद उत्तर भारत मुक्ति के समय इस स्पष्टि से एक नए युग का सूनपात हुआ। 1923 में राज्य कर्मचारियों के बेतन पर विचार बरने के लिए नियुक्त एंडरसन समिति (Anderson Committee) का विचार या कि<sup>1</sup> केवल एक ही सिद्धान्त में उत्तरदायित्व जीवन-निर्वाह व्यय, शादी बच्चे, सामाजिक हित आदि तहत शामिल हो जाते हैं। यह सिद्धान्त है कि नियुक्ति कर्ता द्वारा उत्तर देना चाहिए जितना कार्यकुशल कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति तथा उसे पद पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है।<sup>2</sup> एंडरसन समिति के निष्कर्षों को कई दर्शितों से सत्य स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में एक प्रकार से आम सहमति है कि लोकसेवकों को इनका बेतन तो दिया ही जाना चाहिए कि कार्यकुशल कर्मचारी भर्ती किए जा सके। इस सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न ये उठते हैं कि कार्यकुशल कर्मचारी किसे माना जाए, वह किसने बेतन पर वार्षिक रह सकेगा, उसे किसने समय तक सेवा में रखा जाना चाहिए तथा सेवा की अन्य शर्तों को कितना मूल्य दिया जाना चाहिए, आदि।

(3) निर्वाह व्यय का सिद्धान्त (The Principle of Cost of Living)— आजीवन सेवाओं के लिए विर्धारित बेतनमान निर्वाह व्यय (Cost of Living) में आने वाले उत्तर-चढ़ावों से काफी प्रभावित होता है। प्रथम विश्वयुद्ध के समय तथा उत्तरे बाद भारिक सकट के समय बढ़नी हुई महेंपाई का सामना बरने के लिए मूल बेतन के साथ बोनस प्रदान बरने की भी व्यवस्था की गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लोकसेवाओं के स्टॉफ प्रतिनिधियों ने निर्वाह व्यय बोनस व्यवस्था पर कोई जोर नहीं दिया। इसके स्वान पर उन्होंने समक्त (Consolidation) को प्रधिक उपयुक्त माना। इस समय निर्वाह व्यय निरन्तर बढ़ना जा रहा था और इसलिए बेतन का मूल्य कम होता जा रहा था। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए राजकोप ने कुछ मुझाव प्रस्तुत किए, किन्तु ये अमरोपनक थे। यन कर्मचारी सघों तथा हिटले परिषदों ने निरन्तर राजकोप के दृष्टिकोण का विरोध किया, फलतः इस समस्या के समाधान का कार्य लोकसेवा प्रचनिलंद व्याधिकरण (Civil Service Arbitration Tribunal) को सौंपा गया।

(4) उचित तुलना का सिद्धान्त (The Principle of Fair Comparison)— इस सिद्धान्त का समर्थन प्रीस्टले आयोग द्वारा किया गया था। एक अन्तिम बेतन आयोग के रूप में इस आयोग की स्थापना 19 नवम्बर, 1953 को सर रेमण्ड एडवार्ड प्रीस्टले की अध्यक्षता में की गई। इस शाही आयोग ने 12 सदस्य थे।

<sup>1</sup> "In our view there is only one principle in which all factors of responsibility, cost of living, marriage, children, social position etc are included—employer should pay what is necessary to recruit and to retain an efficient staff"

—Quoted by E N Gladden, op cit., p 47

इसे अन्य वायोग के सामन्याय लोकसेवाप्राप्ति के लिए वेतन स्थिरीकरण का नाम भी मर्हेंगा गया। आयोग वा प्रनिर्देशन 1953 में प्रकाशित किया गया। इसमें आयोग ने वेतन निर्धारण के प्राथमिक मिद्डल के रूप में उचित तुलना के सिद्धान्त की मिफारिश की। तदनुसार लोकसेवकों के वेतन का निश्चय करते समय लोकसेवाप्राप्ति के बाहर वैसे ही कार्यों के लिए दिए जा रहे वेतन वी मात्रा का ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्रीष्मट्टेने कभीशन के शब्दों को उद्धरित करते हुए यह कहा जा सकता है कि “... सामान्य समाज, लोकसेवा प्रशासनक तथा व्यक्तिगत लोकसेवकों के हितों के बीच सन्तुलन रखा जाना चाहिए। समाज को यह सन्तुलन होना चाहिए कि उसे कार्यकृति में वा प्राप्त हो रही है तथा इसके लिए उसे अधिकतम बीमन का मुग्धनान नहीं करना पड़ रहा है। लोकसेवक को यह सन्तुलन होना चाहिए कि उसे बुद्धिमत्ता-पूर्ण वेतन प्राप्त हो रहा है। हम सीचने हैं कि मर्ही सन्तुलन के बलं तभी प्राप्त विधा जा सकेगा जबकि लोकसेवकों के वेतन वा प्रमुख मिद्डल सेवा की अन्य शर्तों को ध्यान में रखत हुए उनके वर्तमान वेतन के समरूप वाहरी रोजगार के वेतन के साथ उचित तुलना वा बनाया जाएगा।”

आयोग के भावनुसार उचित तुलना का सिद्धान्त मुख्यत दो कारणों से समाज के लिए लाभदायक है—(1) यह एक करदाता के रूप में प्रत्येक साधारण नागरिक के हितों की देखभाल करता है। यदि सरकार अपने वर्मचारी को उतना ही वेतन दे रही है जिनका कि वैसे ही कार्य के लिए गंग गरकारी सहायाओं द्वारा दिया जा रहा है तो साधारण जनना अपना शोषण होने की गिकायत नहीं कर सकती। उसे यह भी दिखाया हो जाता है कि यदि कर्मचारी को वेतन कम दिया गया तो उसे वार्षिकुलन सेवाएँ प्राप्त नहीं हो सकेंगी। (ii) यह सिद्धान्त राजीविक दबावों वे विद्युत लोकसेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है।

ग्रिटिंश मर्क्कार ने ग्रीष्मट्टेने कभीशन के सुभावों को स्वीकार कर लिया तथा 1956 से अपने वर्मचारियों के वेतन का निर्धारण इसी मिद्डल वे शाधारण पर दिया। प्रमुख वज़ा यह उल्लेखनीय है कि उचित तुलना के लिए तथ्यात्मक सामग्री आवश्यक है जिसके ध्यान पर तुलना वी जा सके। ग्रीष्मट्टेन कभीशन ने इसके लिए एक वेतन शोष इकाई (Pay Research Unit) की स्थापना का सुझाव दिया जो कि लोकसेवाप्राप्ति से बाहर रिए जा रहे वेतन मुग्धनान सम्बन्धी तथ्यों का ध्यायन कर सके। इस इकाई का मञ्जिल विभेदन हम आगे करेंगे।

(5) प्रान्तरिक सापेक्षता वा सिद्धान्त (The Principle of Internal Relativities) — वेतन निर्धारण वा यह मिद्डल भी ग्रीष्मट्टेन कभीशन द्वारा ही मुभाया गया था। तदनुसार लोकसेवकों वा वेतन तथा करते समय उसी सेवा के दूसरे प्रैट्टन का तथा दूसरी सेवा में उसी प्रैट्टन का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। आयोग का मुझाव था कि विभिन्न व्यवसायों में सेवा के बाहर उनके मानेशिक मूल्यों में जो परिवर्तन आए उन्हें सेवा के भवन्दर भी अभिव्यक्त होना चाहिए। वर्मचारीगण अपने वेतन की तुलना गंग-मरकारी रोजगार में प्राप्त वेतन से ही मही

करते बरन् मरकारी गोजगार म ही अन्य समकक्ष पड़ो पर किए जा रहे बेतन भुगतान से भी करते हैं। यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने बेतन की पर्याप्तता जानने के लिए समान कायों बाले अपने साथी कर्मचारियों के बेतन से उसकी तुलना करता है। यदि सांख्यिकों का बेतन उम्मेद अधिक है तो वह यह जानना चाहता है कि उसका बेतन भी उतना क्यों नहीं है। कर्मचारी के सन्तोष के लिए आनंदिक सांख्यिक उपयोगी है।

### नागरिक सेवा बेतन शोध इकाई

(Civil Service Pay Research Unit)

इसकी स्थापना 1956 में की गई है। निधानतापूर्ण वार्ष-मनालन की शैट से इसे किसी गरकारी विभाग का अग नहीं बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता एक निदेशक द्वारा की जानी है जो सहायक सचिव के स्तर का लोकसेवक होता है। इसकी नियुक्ति ह्विटले परियद के दोनों पक्षों से परामर्श करके प्रधानमन्त्री द्वारा की जानी है। इकाई के अन्य कर्मचारियों ने सर्वेक्षणों का निर्देशन करते बाले नियन्त्रण अधिकारी, सर्वेक्षण अधिकारी तथा कृच्छ्र अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं। ये सब 5 वर्षों के लिए वार्ष करते हरतु उम इकाई में आते हैं। इकाई का दायित्व मन्त्रालय से पूर्व प्रत्येक कर्मचारी को 15 दिन का आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। इकाई दो मन्त्रालयों में बैठी हूई है। प्रत्येक मन्त्रालय एक उपनिदेशक के प्रधीन रहता है। इसमें प्रशासन शाखा तहिं बुल सात शाखाएँ हैं। ये सभी उपनिदेशकों के अधीन कार्य करती हैं।

इकाई का मुख्य वार्ष ह्विटले परियदों के कहने पर बेतन स्थिरीकरण हेतु बेतन शोध सर्वेक्षण कराना है। कर्मचारियों के बेतन का निर्धारण राष्ट्रीय ह्विटले परियदों के सरकारी एवं कर्मचारी पक्षों के पारस्परिक विचार-विनियय के परिणाम-स्वरूप दिया जाना है। बेतन शोध इकाई एक तथ्य ज्ञाता निकाय है। यह अपने कायों का प्रतिवेदन राष्ट्रीय ह्विटले परियद की सचालन समिति को प्रस्तुत करती है। इकाई द्वारा आयोजित बेतन शोध सर्वेक्षणों में लिपिकीय महायज्ञ से लेकर सहायक सचिव तक के सभी शेड शामिल रहते हैं। अबर सचिव तथा उससे ऊपर के अधिकारी इसके लेत्राधिकार का विषय नहीं है। इसके लिए उत्तरदायी एक अन्य निकाय है जो शीर्ष बेतन पुनरीक्षा निकाय (Top Salaries Review Body) अथवा बॉयले बॉडी (Boyle Body) के नाम से जाना जाता है।

इकाई के वार्ष का शुभारम्भ राष्ट्रीय ह्विटले परियद की पहल होता है। परियद द्वारा इकाई के वार्षिक में शामिल होने वाली श्रेणियों का निरुद्ध निया जाता है। प्रत्येक सर्वेक्षण की विस्तृत बातों का निरुद्ध सरकारी पश, कर्मचारी संघाएँ तथा स्वयं इकाई के पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा लिया जाता है। निरुद्ध वे समय प्राप्त हैं जो बातों पर विचार किया जाता है कि सर्वेक्षण में किन शेड्स को शामिल किया जाएगा, मेवा में कहीं उनके वार्ष का प्रधान विषय जाएगा, वे औन से बाहरी मण्डन होने विनके वायों की तुलना करनी है, प्रादि। शोध इकाई मनसे

पहने थ्रयना 'सेम्पुल' निर्धारित करती है। राष्ट्रीय हिटले परियद् के दोनों पक्षों की ओर से ऐसा सेम्पुल चुना जाता है जो सम्बन्धित फ्रैट वा सही प्रतिनिवित्त करना है तथा गैर-मरकारी रोबगार में जिमका समक्ष मी मिल सके। 'सेम्पुल' का आकार भी तय कर लिया जाता है ताकि प्रतिवेदन आने पर उसकी आलोचना न की जाए सेम्पुल में आने वाली फर्म का नाम तथा म्यान मरकार तथा कम्चारी किसी भी पक्ष को नहीं बताया जाता। यदि इन प्रणों के बारेमें हिटले परियद् के नीनो पदों में मतभेद हो जाए तो निदेशक द्वारा निर्णय लिया जाता है। इकाई नियंत्री उच्चोगों के तुलनीय पदों से सम्बन्धित मूल्यना एकत्रित करती है। कुछ उच्चोगों द्वारा अपने विभिन्न पदों का विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है। यह इकाई को यथावत् प्राप्त हो जाता है, किन्तु यदि किसी उच्चोग में यह नहीं किया गया हो तो यह इकाई मुख्य में उसके लिए यह काय समान बताती है। इसके लिए इकाई गैर-मरकारी संगठनों के साथ निकटवर्ती एवं मोहाइपूर्ण सम्बन्ध रखती है फलत इसे बांधित मूल्यना एकत्रित करने में कठिनाई नहीं होती। यह व्यापार मध्या में प्राप्त दोई सम्पर्क नहीं रखती। यह सर्वोक्तुण के समय प्राप्त समस्त सूचनाओं को गुप्त रखती है तथा उनके स्रोत का प्रकाशन नहीं करती। इकाई द्वारा अपने कायों का प्रतिवेदन सोक्सेवा विभाग तथा सम्बन्धित कम्चारी समय को प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा अनिम निर्णय पर पहुँचते हैं। एक अधिसमय के अनुसार विचार-विमर्श के समय किसी भी पक्ष द्वारा इकाई की आलोचना नहीं की जाती।

### श्रीर्ण वेतन पुनरीक्षा निकाय (Top Salaries Review Body)

वेतन शोध इकाई के बार्डेक्टर म 70% लोकसेवा आ जाती है। योग 30% लोकसेवा के लिए अन्य निकाय उत्तरदायी है जिसे बांडी अपवा श्रीर्ण वेतन पुनरीक्षा निकाय कहा जाता है। इसकी नियुक्ति 1971 म की गई थी। यह प्रधान-मन्त्री को जिन उच्च विकारियों के वेतन के बारे में परामर्श देती है उनम मुख्य है—राष्ट्रीयकृत उच्चोगों के भव्यता एवं सदम्य, उच्चतर न्यायानिका, वरिष्ठ लोक-सेवक, संगस्त्र सेनाधो के वरिष्ठ भवितव्या तथा अन्य सेवा-मध्यूह जो इसे मोदे जाएं। यह दो वर्ष बाद श्रीर्ण के वेतनों की पुनरीक्षा करता है। इस निकाय के अनुमधो के आधार पर यह कहा जाता है कि श्रीर्ण वे पदों की वेतन शृङ्खलाधो वी तुलना गैर-साकारी सत्याधो के समरक पदों से बरना बहुत कठिन है। ये श्रीर्ण वे पद परस्पर अनेमिन होते हैं कि उनके बीच तुलना करना सम्भव नहीं होता। बांडी बांडी ना रिटार्न यह है कि श्रीर्ण वे पदों का वेतन निर्धारित करने समय यह उचित रहेगा कि उनमे ऊपर के पदों के वेतन से तुलना की जाए तथा कायों वे अन्तर को ध्यान में रखने हुए औचित्य का गिराव लिया जाए।

फ्रैट विटेन म लोकसेवकों का वेतन निर्धारित करने वाला उपर्युक्त तुलना (Fair Comparison) का मिडान स्वहार में इतना सख्त नहीं है। ऐसी तुलना

को उपयुक्तता एवं सत्यता के बारे में प्रश्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोक-समाज में अनुकूल पद ऐसे हैं जिनमें तुलना बाहर के विभीषि पद से महीनी की जा सकती। इस प्रकार यह निदान सदैव घोटक जटिल प्रश्न पैदा करता रहता है। एक अन्य समस्या यह है कि ऐसी तुलना के लिए व्यापारिक सम्बन्धों के साथ सही सम्बन्ध स्थापित करना लहरी है। जिन सम्बन्धों का सर्वेषण किया जाता है वे कभी-कभी जोध डार्कों को एक नियंत्रण रूप से कार्य करने को आग्न्य करते हैं। इकाई को पर्याप्त सतर्क रहकर अपने इच्छित सदमाव की रक्षा करनी होती है। इसके अतिरिक्त डार्कों का काम अत्यधिक गोपनीय प्रकृति का है जो हवय में कई प्रकार की समस्याएँ पैदा करता है।

### उच्च अधिकारियों का वेतन

(Salary of Top Civil Servants)

बिटेन की उच्च धरोंगों के लोकसेवकों को कभी अधिक वेतन नहीं दिया गया। केवल लोकसेवाओं के प्रति स्वामीभक्ति के कारण ही कम वेतन पर असाधारण अमला वाले व्यक्ति नियुक्त किए जा सके तथा सेवा में बने रह सके। वे नियम वी लोकसेवा से बाहर रहते हों भ्रष्टेशाहुत अधिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं। डिलीप विश्वनाथ के दावे जब बाहर की अनियोगिता बढ़ी हो भीरुस्तरीय लोक-सेवाद्या भी इच्छित रिहाई गई। लोकसेवाओं में चंडानिक तथा अग्न आत्मायिक कर्मचारियों की बढ़ती आवश्यकता ने कारण यह आवश्यक हो गया कि उग्रे प्रनियोगी वेतन प्रदान किया जाए। इसके फलस्वरूप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन चंडानिकों की तुलना में पीछे रह गया। 1949 में चोले मिति (Chortley Committee) द्वारा की गई विशेष जांच एवं पत्ताओं के परिणामस्वरूप शीर्षस्तरीय वेतनों पर महत्वपूर्ण मुद्धार किए गए।

### वार्षिक वेतन वृद्धि की व्यवस्था

(The System of Annual Increments)

कुछ विशेषज्ञ एवं शीर्षस्तरीय पदों का वेतन निश्चित होता है। इनके अतिरिक्त पदों पर वेतनमान वी ऐसी व्यवहारा रहती है जिसमें व्यक्ति वी तत्त्व तक वायिक वेतन वृद्धियाँ दी जाती हैं जब तब वह अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा तक न पहुँच जाए। उच्च की महत्व देते हुए नवीन जनी निए गए कर्मचारियों का वेतन उनकी उच्च वेतनक प्रदान किया जाता है। उसके बाद दो जाने वाली वेतन वृद्धियाँ व्यक्ति वी निरन्तर बढ़नी ही हैं। ये कुलतता के मापार पर दी जाती हैं। यह माना जाता है कि कार्य बरते हुए व्यक्ति का ज्ञान एवं अनुभव स्वाभाविक रूप से ही बढ़ेगा। बड़े प्रशासनिक सम्बन्धों में यह नम्भव नहीं हो पाता कि प्रत्येक कर्मचारी वी बढ़ती ही है योग्यता एवं कार्य-अद्यतनता की जीव वी जाए, पर यही वेतन वृद्धि सक ही होती है। इष प्रकार एक लोकसेवक जा वेतन उनकी योग्यता एवं कार्य के मूल्यांकन का परिणाम न होकर सम्बन्धित वृद्धि की वेतन शर्तों पर आणात होता है।

## महिलाओं को समान वेतन (Equal Pay for Women)

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद लिंग के आधार पर समानता को मानवना प्राप्त होने के साथ ही महिलाओं के लिए वेतन की समानता का आनंदोलन चल पड़ा। टॉमलिन कमीशन (Tomlin Commission) ने 'A fair field and no favour' के गिरावन्त की मिकारिश की तथा इसे सामाजिक स्वीकार भी किया गया तो भी व्यवहार महिलाओं को समान कार्य के लिए भी पुरुषों की तुलना में 80% वेतन देने की व्यवस्था बनती रही। गवर्नर ने समान वेतन का गिरावन्त केवल सिद्धान्त रूप में ही स्वीकार किया किन्तु मित्रव्यविधि एवं कार्यान्वयिति में आगे बढ़ावी बढ़िनाइयों के कारण इस व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका। इधर बर्मचारी मध्यों ने समान वेतन की स्वीकृति पर विजेता जोर दिया। कुछ महिलाओं तथा अनेक पुरुषों द्वारा द्वितीय एवं तीसरी व्यवहारिकता में सम्बद्ध था कि न-इसे चुनौती देने की हिम्मत किसी भी नहीं थी। अन्त में राजनीतिक दलों की सहायी, जनसत का समर्थन एवं बाहर के वियोजनाओं के लिए आदर्श प्रस्तुत करने का लक्ष्य भावित के बारण इसे मान्यता देनी पड़ी। इसका दीर्घगामी प्रभाव यह हुआ कि अविवाहित महिलाओं को राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा दिया जाने लगा। इसके साथ ही यह समस्या भी उत्पन्न हुई कि अविवाहित महिलाओं को वेतोजगार दर्दी वाले विवाहित पुरुष के समक्ष रखना कठीन तक व्यायपूर्ण व्यवहा सामाजिक दृष्टि से बीदर्दी है? वित्तीय नृविधि की व्यापार में रखते हुए 1955 में एक ममझीना हुआ, तदनुसार पुरुष एवं महिलाओं के समान वेतन के प्रति यह वर्ष तक क्रमिक दर्शकों अपनाने की बात् तथा भी गई। सामाजिक लोकसेवाओं में इस नियम का स्वागत हुआ।

## स्थान-जग्गा विभिन्नताएँ (The Differentials of Place)

समान पदों पर समान दावितों का निर्वाह करने वाले कमेंटारियों को भी कार्य के स्थान की मिशना के आधार पर अलग-अलग वेतन दिया जाता है। 1920 की पुनर्गठन समिति ने बर्मचारी सम्पों ने भी सिद्धान्त हार में यह व्यवस्था स्वीकार की थी। इसके आधार पर लन्दन तथा मन्य महीने स्थानों पर निर्वाह व्यवह के अनुसार अधिक वेतन देने की व्यवस्था भी गई। इस हेतु अधिकारी लोकसेवकों के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था (Three Tier System) अपनाई गई। अल्लराग लन्दन के लिए वेतन की सर्वोच्च दर निर्धारित भी गई, बाह्य लन्दन तथा कुछ बड़े लस्टो के लिए मध्यवर्ती दरें रखी गईं तथा अन्य स्थानों के लिए प्रान्तीय दरें बायम भी गईं। वेतन दरा का निर्धारण लन्दन में कार्य कर रहे लोगों के लिए दिया जाता था। उसमें 30% कटौती करके मध्यवर्ती दरें तथा 5% या 6% कटौती करके प्रान्तीय दरें, निर्धारित भी जानी थीं। यह व्यवस्था अपापक विरोध का आधार बनी।

मूल्य बर्मचारी सम्पों ने उक्त व्यवस्था का विरोध किया। इसके विरुद्ध यह तर्हं दिए गए—(1) सेश बे थोटे से भाग (लन्दन) में आधार पर वेतन दरों को

निश्चित बताना अनुपयुक्त है। (ii) आजकल सेवा को मुस्यातय सेवा नहीं बरन् राष्ट्रीय सेवा समझा जाता है अत सन्दर्भ सेवा को अनुपयुक्त महत्व देना अनुचित है। (iii) वेतन वी इटि मे सीमा-रेयाएँ बना देना और उनके आधार पर अन्तर करना अनेक व्यावहारिक बठिनाइया पेंदा कर देता है। यदि सन्दर्भ सेवा से एक कर्मचारी का प्रान्तीय सेवा मे स्वानाम्भरण हो जाए तथा उसका परिवार सन्दर्भ सेवा मे ही निवास करता रहे तो कर्मचारी को दुघारी तलबार का बार सहना होगा। एव यो तो उसे छोड़े निर्बाह व्यव मे परिवार का पालन-पोषण करना होगा तथा दूसरी ओर उसे प्रान्तीय दरे प्राप्त होनी। ऐसी स्थिति मे कोई कर्मचारी स्वानाम्भरण के बाद पदोन्नति भी नहीं चाहेगा। इन सभी बातो को सोचकर ही यह सुझाव दिया गया कि तीन के स्थान पर दो-मनीय वेतन दरे निर्धारित की जाएँ। वेतन की मूल दरो का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए। प्रान्तिक सन्दर्भ की विशेष वेतन दरे प्रभ्य सेवाओ के समझ कर्मचारियो की दरे देखकर निश्चित भी जाएँ।

प्रीस्टले कमीशन (1953-55) की निपाटियो के बाद वह व्यवस्था नी गई है कि सभी देशो के तिए कर्मचारियो को वेतन वी राष्ट्रीय दरे प्रदान भी जानी है तथा न-दरे सेवा के कर्मचारियो को निर्बाह व्यव हेतु मुआवजा दे दिया जाता है। इम मुआवजे की राशि मे सभ्य-सभ्य पर परिवर्तन होना रहना है। वर्तमान व्यवस्था की प्रक्रिया भिन्न है किन्तु प्रभाव भी इटि से पह पूर्ववत् है।

### संयुक्तराज्य अमेरिका मे वेतन प्रशासन (Salary Administration in U S A.)

संयुक्तराज्य अमेरिका मे अनेक वदो पर वेतन वी दरो का निर्धारण परम्परा द्वारा या पक्षपात एव राजनीतिक दबाव हे प्रभाव पर होता है। केवल कुछ मामलो मे ही बुद्धिमत्त स्प से शोधना के आधार पर कर्मचारियो का वेतन निर्धारित किया जाता है। पक्षपात तथा राजनीतिक दबाव का प्रभाव होने के कारण अमरिकी लोक सेवक के सम्बन्ध मे याम धारणा प्राप्त यह रही है कि उसे अत्यधिक वेतन दिया जाता है वह विना काम के वेतन पाना है, वह वेतन पाना नहीं है वरन् साता है भादि। वर्तमान परिस्थितियो मे ये धारणाएँ तथ्यगत नहीं हैं। प्रो स्टॉन ने लिखा है कि मरकारी वेतन मरकवा वी यह विजेता है कि नीचे के वदो पर दिया जाने वाला वेतन नेर-मरकारी वेतन दरो की अपेक्षा अधिक होता है किन्तु अक्षमाधिक एव निष्ठादक रोजगार के निए वेतन दरे अपेक्षाकृत नीची हैं।<sup>1</sup> प्रथम विश्वयुद के मुरल बाद मरकारी कर्मचारियो वी भोदित भाष मे पर्याप्त बुद्धि हुई किन्तु भाषिक मन्दी के पागमन पर यह प्रवृत्ति कुछ रक गई। यसे कर्मचारियो की भोदित भाष मे बुद्धि स्वय मे विशेष महत्व नहीं रखनी जब तक कि निर्बाह व्यव एव देश की सापेक्षिक उत्पादकता मे बुद्धि को भी ध्यान मे न रखा जाए। संयुक्तराज्य अमेरिका

में सरकारी रोजगार की वेतन सरचना वा भवलोकन करने के बाद कुछ सामान्य निर्धारण निकासे जा सकते हैं—(i) पहली बात तो यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त के बारे में यद्यपि जबानी जमा-खचं वाली किए गए हैं तिन्हीं व्यवहार में घनेक महत्वपूर्ण सरकारी पद इससे अप्रभावित हैं, (ii) तच्चन वर पदों के लिए कोई उन्नेलेखनीय सामान्य अधिकार मूल वेतन नीति नहीं है; (iii) कासी सुधार हो जाने के बाद भी लोडसेवाओं में वेतन का सामान्य भूत पर्याप्त नीता है, (iv) प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक प्रकृति के उच्च पदों के लिये एवं सरकारी वेतन अन्यों में भारी असमानताएँ हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रनियोगिता में सरकारी उठाप की हानि होती है, (v) निर्वाह व्यय बढ़ने पर सरकारी मजदूरी की दरें नियमी उत्तमों की भौति न तो शीघ्र बढ़ती हैं और त निर्वाह व्यय घटने पर शीघ्र ही घटती है; (vi) सरकारी वेतन दरों का सम्बन्ध बाजार दरों से बहुत कम रहता है और ऐसे कॉलर अमिको (White Collar Workers) का तो प्राय रहता ही नहीं है।

### वेतन योजना के आधारभूत सिद्धान्त

(Basic Principles of Pay Plan)

अमेरिकी मेंदीवरी प्रणालीने दीर्घिकारी सेवक प्रो फ़स्टोल की मान्यता है कि वैज्ञानिक वेतन शू खला जैसी कोई चीज ही नहीं होती। वेतन को निर्धारित करने में घनेक तत्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे—सापानिक नीति परम्परा एवं रीनि-टिवाज, घोषोगिक उत्पादकता, अमिको को आपूर्ति, गोदेवाजी की जक्कि प्रादि आदि। इन सभी उत्तरों को मोटे रूप से आधिक, नैनिक तथा सामाजिक वे रूप में बर्गीकृत किया जा सकता है। अमेरिका में घनेक सरकारी पदों वा वेतन निर्धारित करने में वरम्पराएँ, पदाधार एवं राजनीतिक दबाव प्रादि वाले काफी प्रभाव दाती हैं। वेतन को निर्धारित करने वाले इन सभी आधारभूत तस्वीरों अद्यता सिद्धान्तों का सक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है—

1. आधिक सिद्धान्त (Economic Considerations)—आधिक पिछाने के अनुसार एक अमिक का वेतन उसके द्वारा उत्पादित मूल्य के आधार पर तय किया जाना चाहिए। सारा समाज आधिक रूप से संगठित है और इसनिए लोड-सेवकों के वेतन की ग्राहिता पर व्यावहारिक सीमाएँ हैं। यह सीमा उद्योग के कुन उत्पादन तथा उत्पादन वे दूसरे तस्वीरी की मीठी द्वारा निश्चित की जाती है। इस रूप में तय की गई मजदूरी आधिक मजदूरी (Economic Wage) कही जाती है। जो उद्योग अनाधिक मजदूरी (Uneconomic Wage) देने का प्रयास करते हैं वे बद्द हो जाते हैं।

सरकारी उद्योगों का सेवामो पर एकाधिकार रहता है तथा उन्हें प्रतिस्पर्धी बीज़दी प्रतियोगिता में होकर नहीं गुज़रना पड़ता। वेतन वे रूप में होने वाले सरकारी अधिक पर मूल्य सीमा बरदाना की जैव द्वारा लगाई जाती है। इसके अनियोगित यह भी उचित समझा जाता है कि वेतन दरों निश्चित करने समय नियमी उद्योगों द्वारा

निर्धारित आविक स्तरों का भी व्यान रहा जाए। अब बाजार में सरकार द्वि स्पद्धि निजी उद्यमों से रहती है। यदि सरकारी पदों पर निजी उद्यमों की आपेक्षा बेतन का मामान्य स्तर नीचा रहा तो सम्भव है कि योग्य व्यक्ति सरकारी मेवा में नहीं आ सकेंगे। दूसरी ओर यदि यह आपेक्षाकृत ऊंचा रहा तो इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक कार्यकृत लोग निजी उद्यमों से भाग आएंगे पौर इस प्रकार देश का उत्पादन गिर जाएगा। स्पष्ट है कि सरकारी बेतन दरें निर्धारित करने में अम की बाजार दरें महस्वपूर्ण प्रभाव ढालती हैं। इनमें पर भी बाजार दरों को एकमात्र प्रभाव तत्त्व नहीं कहा जा सकता, इसके दो कारण हैं—(क) आवाहारिक हर से किमी पक्ष विशेष की बाजार दरें निर्धारित करना अत्यन्त कठिन होता है, (ल) अनेक लोकमेवायों का निजी उद्यमों में कोई समझ नहीं होता है।

**2 सामाजिक तथा नैतिक सिद्धान्त (Social and Ethical Considerations)**—मामाजिक तथा नैतिक इटि से राज्य बेतन निर्धारित करने में उतना स्वतन्त्र नहीं है। राज्य का मुख्य दायित्व सामान्य कल्याण एवं औद्योगीय सामाजिक परिस्थितियों की व्यवस्था करना है। इसके अनिरिक्त सरकारी कर्मचारियों की सौदेबाजी करने की ज़क्कि भी सौमित्र होती है, बयोकि—(व) अनेक लोकसेवकों के हड्डताल करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिनिधि होते हैं, (ग) सरकारी वायों की प्रहृति इतनी विशेषीकरणयुक्त होती है कि वोई कर्मचारी इसे छोड़कर निजी द्वारा नैकरी पाने की आशा नहीं कर सकता। इन कारणों से स्वयं राज्य का ही यह विशेष दायित्व हो जाता है कि वह अपने कर्मचारियों के मायन्याय करे। कर्मचारियों की सौदेबाजी करने की कमज़ोर हिति के बारए बेतन के सम्बन्ध में इन्हे सरकार के भेदभावपूर्ण तथा द्वेच्छापूर्ण आचरण का शिकार बनना पड़ता है। सरकारी अन्याय के विरुद्ध मुख्य प्रतिवन्ध बेतन स्वप्नारोगित ही है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार एक मौंडल नियुक्ति करती होती है।

कर्मचारियों को कम से कम इतना बेतन व्यवश्य मिलना चाहिए कि वे अपना जीवन पापन कर सके। इस मान्यता के पीछे कोई आविक तर्क नहीं है बरन् यह नैतिक मान्यताओं पर-आधारित है। नैतिक मान्यता यह है कि ग्रत्येक व्यक्ति को इतने साधन उपलब्ध हो सके कि वह समाज के स्तर के अनुकूल घैंपने रहन-सहन का स्तर बना सके। ऐनतम बेतन की व्यवस्था में अनेक आवाहारिक प्रश्न उलझते हैं किन्तु किर भी प्रो स्टॉल की मान्यता है कि सरकारी बेतन नीति निर्धारित करते समय निर्वाह मजदूरी की अवधारणा को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।<sup>1</sup> उन्हीं के शब्दों में, “एक निजी उद्योग, जो पर्याप्त मुद्रावजा नहीं दे पाता, वह प्राप्तिवाद है तथा सामाजिक रूप से विवरकारी है, जो राज्य यह नहीं कर पाता : वह अपने श्रमिकों पर एक प्रकार वा दुर्बाय लाद देना है।”<sup>2</sup>

1 Ibid, p. 176

2 “The private industry which cannot pay adequate compensation is uneconomic and socially destructive, the state which does not do it is imposing a kind of serfdom on its workers.” —Ibid, p. 177

**3. ग्राम्य तत्त्व (The Other Factors)**—सोबतेरवां के वेतन को निर्धारित करने में प्रभाव रखने वाले ग्राम्य, सामाजिक एवं नैतिक तत्त्वों के अतिरिक्त कुछ ग्राम्य तत्त्व भी उल्लेखनीय होते हैं। इनमें से मुख्य ये हैं—छुट्टी सम्बन्धी ग्राम्यधान कार्य के घट्टे, कार्यान्वय की सापेक्षिक सुरक्षा, पेशन, मेवा निवृत्ति सम्बन्धी विशेषाधिकार आदि। इन सभी तत्त्वों के प्रभाव दो निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता।

वेतन की दर निर्धारित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वेतन की उच्च दरे कार्य करने की मुख्य प्रेरणा होती हैं। प्रशासनिक सगृठन में मनोवेदन को कैंचा ढान के प्रेरक के रूप में वेतन उच्च वेतन ही सब कुछ नहीं होता ग्राम्य तत्त्व भी ग्राम्यधान होते हैं, किन्तु यह सत्य है कि निम्न वेतन दरे होने पर सगृठन के मनोवेदन हो कैंचा ढान सरल नहीं होता। कर्मचारियों की वेतन-दरे में वीवरण ग्राम्यानन के ग्राम्य पहलुओं पर भी अमर ढालती हैं। यदि राज्य ने अपने कर्मचारियों के निए उदार वेतन नीति अपनाई तो उसे चयन तथा कार्य सम्बन्ध के निए ऊंचे मापदण्ड स्थापित करने होंगे।

### वेतन सम्बन्धी विभिन्नताएँ

#### (The Pay Differentials)

ममान पदों पर रह रह वर समान दाविदारों का निर्वाह वरने वाले कर्मचारियों का वेतन माध्यारंगत समान होता है विभूति के विशेष कारणोंबाट उनके दीच विभिन्नताएँ भी स्थापित की जाती हैं। ये विभिन्नताएँ कार्य औ विशेष परिस्थितियां जौलिम, कट्ट, भ्राताकर्यव वातावरण आदि से जन्म लेती हैं। इनका संक्षेप में निम्न प्रकार विवेचन किया जा सकता है—

**1. भौगोलिक भारत (Geographical Reasons)**—एह निश्चित स्थान पर कार्य करने वाले सभी कार्यों के कर्मचारियों की वेतन दरें दूसरे स्थान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की वास्तविक भाव के समान बनाने के निए बड़ा दी जाती है। यह ग्राम्य ऐसे रोजगारों में दिया जाता है जहाँ सेवीय गेवाएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं। मानवता यह है कि वास्तविक वेतन की समानता या द्वारा द्वारा कर्मचारी को ग्राम्य धन की मात्रा में तद नहीं होती वरन् इस बात में तय होती है कि कर्मचारी उस धन से क्या तथा विनाश घरीद पाते हैं। मिठान में यह बात चाहे जिनकी भी प्रभावशील हो किन्तु अवहार में किसी भौगोलिक दोष में वेतन दरों निश्चित करना असंभव विचारपूर्ण विषय है। इसमें कार्ही राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहता है।

**2. न्यूतरनाल धार्य (Hazardous Work)**—जिन पदों पर कार्य करन वाले कर्मचारियों का जीवन समाप्तारण रूप से भवते हैं, धारन कोट नगने वा भय रहता है या कार्य में भ्राताम बनाने वाली बीमारी वा भय रहता है, उनके निए अनिवार्य वेतन की घटस्था की जाती है। निर्माण, निरीक्षण, जौव, प्रयोगगाना, प्रस्तुतान, पार्किंग में सतान इम्बारीयल ऐसे सताने वा सामना करते हैं। न्यूतरनाल धार्यों के लिए अनिवार्य वेतन घटस्था के बारे में अनुग्रहात्मक राय है। जो तोग

ऐसे वार्षिकों के लिए प्रतिरिक्षण बेतन न देने की राय प्रकट करते हैं उनकी मानदण्डना यह है कि पद के लकड़ी को कम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था, योग्य वर्मचारियों का चयन कार्य की शर्तों का सावधानीपूर्वक समायोजन तथा कार्य पर वर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाए।

**3 प्रादेशिक, महाद्वीप वाह्य तथा विदेशी पद (Territorial, Extra Continental and Foreign Posts)**—विदेशी म कार्य कर रहे कर्मचारियों का निर्धारण यह निश्चिन ही अधिक होता है, पन उनकी बेतन दरें अपेक्षाकृत अधिक रखी जाती हैं। देश के अन्तर्गत ही एक स्थान के निवासियों को जब दूरस्थ प्रदेशों में नियुक्त किया जाता है तो परिवार की अन्य अमुविधायों के कारण अधिक बेतन दिया जाना न्यायोचित बन जाता है।

**4 ओवरटाइम, रात्रि तथा अवकाश का बेतन (Overtime, Night and Holiday Pay)**—ओवरटाइम कार्य करने के लिए कर्मचारी को छेड़ गुना बेतन दिया जाता है। यह प्राय उन व्यवसायों में चलता है जो चौबीस घण्टे सत्रातिर होते हैं। अवकाश के दिन काम करने के बदले कर्मचारियों को या तो अतिरिक्त अवकाश प्रदान किया जाता है प्रथम इसके लिए प्रतिरिक्षण बेतन दिया जाता है।

उक्त सभी तर्फों के आधार पर सभान पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच भी बेतन सम्बन्धी मिशनाएँ स्थापित की जाती हैं। व्यवस्थापिका द्वारा सेवीवर्ग अभिकरण को यह शक्ति प्रदान की जाती है कि वह बजट अभिकरण तथा नियुक्तिकर्ता अधिकारियों से वातिलाप करके स्वयं ही बेतन सम्बन्धी विभिन्नाओं को निर्धारित कर सके।

**बेतन योजना के लिए उत्तरदायी सत्ता (Authority Responsible for the Pay Plan)**—बेतन योजना बनाते समय दो काम किए जाते हैं—(i) विभिन्न पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए बेतनमान निर्धारित कर दिया जाता है तथा (ii) बेतन योजना तथा पद वर्गीकरण योजना को कुछ-कुछ एक जैसा माना जाता है। ये दोनों समर्प लोकसेवा की सरचनात्मक प्रतिलिपि होते हैं। एक अच्छी बेतन योजना वह मानी जाती है जो नियिकत हो, सक्षिण हो तथा किसी भी श्रेणी के पद पर तुरन्त सामूहीकृत जा सके।

बेतन योजना का कार्य मर्वर्धेष्ठ रूप से मुख्यत उभी अमीकरण द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है जो वार्षिकों के वर्गीकरण के लिए उत्तरदायी है अर्थात् सेवीवर्ग अभिकरण। बेतन तथा अवधारणा से सम्बन्धित विभिन्न मामलों के बारे में सेवीवर्ग अभिकरण, वित्तीय अभिकरण तथा व्यवस्थापिका वा सहयोगपूर्ण प्रयास बीचीय है। सेवीवर्ग अभिकरण द्वारा बेतन योजना तंत्रार की जाती है जिन्हें उस पर अनियम रखीहति देने का अधिकार व्यवस्थापिका का होता है। जिन पदों वी बेतन योजना व्यक्तिगत विभागों, स्थान-व अभिकरणों या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तप की जानी है उनमें भी वित्तीय आवश्यकताओं की पूति के लिए व्यवस्थापिका की स्वीकृति सी

जाती है। वेतन व्यवस्था प्रशासनिक कर्मचारियों की मुख्य प्रेरणा होती है और प्रशासन इसका पूरा उपयोग करता है। रोजगार तथा प्राविक परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रभुत्वात् वेतन में भी शीघ्रतापूर्वक समायोजन हो जाना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि वेतन प्रशासन वा कार्यवित्तीय प्रभिकरण के परामर्श तथा सहयोग के साथ सेवीवां प्रभिकरण द्वारा सम्पन्न होया जाए।

संयुक्तराज्य अमेरिका की वेतन व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद विचारकों ने निष्कर्ष रूप से पहले बताया है कि यहाँ एक समानतापूर्ण तथा न्यायपूर्ण वेतन संरचना निर्धारित करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसके फलस्वरूप वेतन अनुमूलिकियों में अनमानता है गैर सरकारी रोजगार की कारबंदी के कारण भर्ती एवं स्थानान्तरण की समस्याएँ पैदा होती हैं, वार्डकुण्ठनता का होती है सर्वोच्च गिर जाना है। यहाँ सर्वीय स्तर वीक्सन वीक्सनाद्वारा में भी उपयुक्त सम्बन्ध प्राप्त नहीं होता। यहाँ वेतन वी दर सम्बन्धी मूलभूत प्राकड़ों की व्याख्या के लिए कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो उचित कारबंदी ही कर सके तथा राष्ट्रपति अधिकारीयों वी प्रदान प्रतिवेदन दे सके। अधिकारीय सम्बन्धारी प्राधिकारी वेतनक्रम का प्रयोग प्रेरक के रूप में नहीं कर सके हैं। स्वतन्त्र ही वेतन वृद्धि प्रमाणाद न होकर एक नियम है। एक स्वामिभक्त गाधारण बुद्धि के कर्मचारी को, भी उतना ही पुरस्कृत दिया जाता है जिनमा एक रचनात्मक प्रयामकता को किया जाता है। वेतनक्रम को प्रमाणीकृत करने का आमदोनन पदवीकरण के साथ साथ चला है। यह मुख्य रूप से उच्च पदों के सम्बन्ध में अधिक सक्त रहा है।

### फ्रैंस में वेतन प्रशासन

(Salary Administration in France)

फ्रैंस में सोइसेवकों द्वारा दिया जाने वाला वेतन प्रभी भी 19वीं शताब्दी के मूल्यों से प्रभावित है। तदनुसार एक कर्मचारी को जो वेतन दिया जाता है वह उसके द्वारा यथार्थ में किए जाने वाले कार्यों का मुद्रावाच्च नहीं है बरन् वह उस इमतिए दिया जाता है ताकि वह समाज में अपना उपयुक्त जीवन स्तर बनाए रख सके तथा भौतिक चिन्मार्घों से प्रसन्न रहे जिन स्वयं को जनमेवा के लिए प्रवित कर सके। अवधार में यह मिट्टान स्तर्यात् सीमित प्रमाण रखता है। इसके फलस्वरूप अनेक जटिल समस्याएँ पैदा होती हैं। उच्च तथा निम्न पदों पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारी यह गिरावट बरते रहते हैं कि उनको दी जा रही वेतन राशि से वे समाज में अपनी स्थिति नहीं बनाएँ रह सकें। वे सर्वे गैर-सरकारी रोजगार की वार्ता वी शर्तों से अपनी तुलना करते रहते हैं।

### वेतन निर्धारण का आधार

(The Basis of Pay Determination)

फ्रेट ब्रिटेन की भावित प्रैंस में सोइसेवकों का वेतन मुहूर्मनः इन वालों से प्रभावित हीना है—देग के बजट की विधि, नियंत्री क्षेत्र में भवदूरी की सामान्य प्रदृष्टि तथा गरवाई एवं संस्करणारी दोनों में तुलना बराबर की कर्मचारी स्थितियों की बाती ही शमना प्राप्ति। प्रैंस में मुद्रान्मीमि में उत्तरपूर्विक्षियों वा मामना

करने के लिए लोकसेवकों के बेतन में समायोजन किए गए। इस व्यवस्था के प्रत्यक्षरूप बठिनाइयाँ तो हैं किन्तु आन्तरिक भेदों को दूर किए दिना ही बेतन को जीवन अवय (Cost of Living) के अनुसार समायोजित कर लिया जाता है। यह घोट खिटेन की सामग्रिक बेतन आयोग व्यवस्था की अद्वेष्य अधिक लोकानन्द है। यह सुकृकरण आहुता एवं पर्याप्तता के मापदण्डों पर भी खरी उत्तरी है।

दो विश्वयुद्धों के बीच प्राइम अधिक मन्दी तथा मुद्रा प्रसार से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए फौम के लोकसेवकों का भत्ता बढ़ा दिया गया। ऐसा करने समय बजट सम्बन्धी स्थिति को भी गुरु ध्यान में रखा गया था तथा कम से कम प्रदान करने की नीति अपनाई गई थी ताकि अर्थव्यवस्था दूर न जाए। फलत, कम बेतन पाने वालों की बृद्धि आनंदात्मक रूप से अधिक की गई। इस प्रकार अधिकतम और न्यूनतम बेतन का अन्तर भी बहुत हिंदा गया।

फौम की लोकसेवा के बेतन निर्धारण में उचित तुलना का सिद्धान्त भी अपनाया जाता है। गैर सरकारी उद्योगों में समकक्ष कार्य एवं पदों पर प्राप्त होने वाले बेतन की दरें देखकर सरकारी कर्मचारियों के बेतन में तदनुसार परिवर्तन चिह्न जाते हैं।

### मूल्यांक व्यवस्था (Index Number System)

1946 में अधिनियम द्वारा लोकसेवकों के बेतन के लिए प्राप्त उस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया जो दो विश्वयुद्धों के बीच अपनाई गई थी। तदनुसार प्रत्येक पद अवयव। पदों के समूह को एक मूल्यांक प्रदान दिया जाता है। इसमें बेतन बृद्धि का मान स्पष्ट कर दिया जाता है। यह अब अवयवों मान (Scale) किसी भी पद के पद मोरानीय मूल्यांकित की दरवाजा है। यह एक प्रबार्द्ध से पद-वर्गीकरण के अभियक्त करता है। ऐह केवल तभी बदना जा सकता है जबति सम्बन्धित पद से जुड़े बत्तेंबों में गम्भीर परिवर्तन हो जाए। इस प्रकार सौमित्र सेवकों के बेतन में एक निर्धारित मूल को पद के मूल्यांक से युलित करके रखा जाता है। बेतन में सामग्री व लिए मूल राशि राशि में सामग्री किया जाता है। प्रारम्भ में जब सूचकांक निश्चित किया गया था तो उसकी अधिकतम राशि 800 निदेश के लिए थी तथा न्यूनतम राशि 100 एक नए मर्ती किए गए अपिको के लिए थी। मूल रूप से सूचकांकों को गुद बेतन (Net Salary) के समान बोला गया पर्याप्त। यह वह राशि थी जो बरी तथा सेवानिवृति की कटौतियों को काटने के पाइ शेष छोड़ जाए। यदि उस समय के बरे को भी गामित कर लिया जाए तो मूल्यांक का मान 100 से 800 की अपेक्षा 100 से 1163 हो जाता है। उस समय के सामान्य शानून वे धनुसार भल्तों एवं बेतन के अतिरिक्त की जाने वाली राशियों पर प्रतिवर्त्त लगाया गया था।

गुद सूचकांकों के प्रयोग का प्रमाण यह है कि सामान्य जनता पर लागू प्रत्यक्ष करों में होने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध नागरिक सेवक सुरक्षित हो गए। विग्रु इस व्यवस्था में समय-समय उनके बेतन में बटोरी की जो अवस्था थी उसकी मारी भालोकरा की गई। यह तक दिया गया था कि केवल वे ही वर्षों इस प्रकार

बति के बकरे बनाए जाएं फलत शुद्ध (Net) सूचकांक की घारणा को सकल (Gross) सूचकांक के रूप में बदल दिया गया।

व्यवहार में कठिनाई यह थी कि यह स्ववस्था अधिकारिक प्रभावशाली थी और इसलिए इसका बदल अधिकारियों द्वारा स्वायत्त नहीं किया गया। मूल राशि के साथ सामजस्य द्वारा की जाने वाली वेतन बढ़ि का बदल पर गम्भीर प्रभाव पड़ता था। फलत मूल राशि के साथ, सामजस्य को टाला जाता था तथा कानून द्वारा स्थापित मीमांसी के होने हुए भी मुद्रा प्रमाण के प्रभावों का मुकाबला तदर्थ भत्तों के द्वारा किया जाता था। फलत मध्यम बर्ग तथा उच्च बर्ग लाभों से बचने रह जाते थे तथा कम वेतन पाने वालों को साम मिल जाता था। इसके परिणामस्वरूप मूच्छी द्वारा स्थापित अन्तर समाप्त हो गया तथा इस प्रकार सारी योजना ही प्रभावहीन बन गई। 1955 तक वेतनों के बीच का अन्तर 100 से 1163 तक की अवधि 100 से 731 तक रह गया तथा सेवदों का पद-मोपान भी अनुसार ही परिवर्तित हो गया। इसके परिणामस्वरूप भला भी रूप में मुकाबले प्राप्त करने का प्रयत्निक दराव बढ़ा तथा इस दराव को वित्त मञ्चालय तथा लोकसेवा के निए उन्नतायी मन्त्री द्वारा टाला नहीं जा सका।

### 1955 के बाद की हिति (The Situation after 1955)

1955 के बाद से स्थिति पर्याप्त बदल गई है। मूल वेतन का अधिक स्वतन्त्रता के साथ सामजस्य किया जाना है। पिछले कुछ बर्गों से नो यह प्राय प्रतिवर्ष होने लगा है। ऐसा करते समय गैर-सरकारी क्षेत्र के वेतनों में होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाना है। इस हिति की तुनना ग्रेट इंट्रेन के साथ की जा सकती है जहाँ लोकसेवकों के वेतन की प्रतिवर्ष निजी संस्थानों के वेतनों से तुनना की जानी है। भत्तों को घटा दिया गया है तथा इनको कठाई के साथ नियन्त्रित किया गया है। यह योजना अब इस रूप में कार्यान्वित की जा रही है जैसी कि प्रारम्भ में सोची गई थी।

वर्तमान स्थिति के प्रत्युमार पौय वे लोकसेवकों के वेतन के रूप में प्राप्त होने वाली भाव में ये चीजें गानिल रहती हैं—(i) मूल वेतन की राशि, (ii) क्षेत्र सम्बन्धी भिन्नताएं जो कि ग्रेट इंट्रेन की अवधि परिषिर हैं, (iii) पारिवारिक वेतन पूरक, (iv) वे वो तस्वीर भत्तों जो दिये रखा रखा में सामान्य कानून द्वारा प्रधिकृत है। प्रत्येक 1965 में सूचकांक सरन रूप में (In Gross Terms) 100 से 1000 ये तथा वास्तविक रूप में 100 से 760 तक ये। प्रत्येक 1965 में नए शुचकांक भी प्रारम्भ किए गए। उन्नेक्षीय है कि पुनर्मूचकांकन की इस प्रक्रिया में नियन्त्रित स्तरों पर पदों के सूचकांक घट यए तथा उच्चस्तरीय पदों पर बढ़ गए। इस परिवर्तन एवं दिक्षाम की तुनना हम ग्रेट इंट्रेन के ग्रोटने कमीजन के इस मुकाबले के कारण भरते हैं कि लोकसेवकों में योग्यता को बनाए रखने तथा योग्य प्रश्नाविषयों को धारित करने के लिए वेतन सम्बन्धी प्रन्तरी को इस करवे की नीति खोई अच्छी नीति नहीं है।

### मूल्यांकन (An Evaluation)

पाँच मे वेतन नीति का इनिहाम यह प्रदर्शित करता है कि वेतन को बेवल एक बजट सम्बन्धी मामला समझने के परिणाम घातक रहे हैं। इसे रोकने के लिए एक शक्तिशाली बेन्द्रीय स्थापना वार्तानिय भव्यन्त प्रावश्यक है। यहाँ की मूलकाँक व्यवस्था स्पष्ट रूप से मूल वेतन के साथ जुड़ी हुई पद वर्गीकरण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के सफल कार्य सचालन के लिए दो परिमितियाँ आवश्यक हैं—  
 (i) वर्गीकरण को तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि उस पद के कठांगों में आमूल-चूल परिवर्तन न हो जाएं, (ii) जब जीवनधारण-व्यष्ट बदल जाए तो मूल वेतन को भी तुरन्त ही बदल दिया जाना चाहिए। इन दोनों शर्तों में से एक का भी पूरा होना सरल काम नहीं है। मूलकाँकों में सशोधन के लिए, विशेषत बम वेतन पाने वाले पदों के सम्बन्ध में लगातार दबाव रहता है। मूल वेतन का सामृद्ध्य बरने की ओर प्राय प्रस्तुति रहती है।

लोकसेवकों को प्रन्थ नामिकों की भौति पारिवारिक भत्ता मिलता है। इसके प्रतिरिक्त कुछ प्रन्थ विशेष नाम भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे—पारिवारिक वेतन पूरक। यह एक प्रकार से पूरक पारिवारिक भत्ता होता है। इसकी दरें मूल वेतन की मात्रा तथा बच्चों की महादा के आधार पर अलग अलग होती हैं। यह केवल कम वेतन पाने वाले कमचारी वर्ग को दिया जाता है। प्रनेक सरकारी अधिकारियों को निवास स्थान की मुद्रित प्राप्त होती है।

---

# पदोन्नति : भारत, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराज्य, स्पैसिटिका तथा फ्रांस

(Promotion Policies in India, Great Britain U. S. A. and France)

पदोन्नति को मैकीवर्स प्रशासन में चयन प्रक्रिया का उन्नता ही महत्वपूर्ण पहचु माना जाता है जिनमा इन प्रारम्भिक भर्ती को<sup>1</sup> पदोन्नति में एक ही थेली के विभिन्न घोड़े के बीच तथा विभिन्न थेलियों के बीच होने वाली प्रगति को शामिल किया जाता है। श्री बैपमेन (Brian Chapman) ने मज़ानुसार प्रगतियाँ (Advancements) तीन प्रकार की हो सकती हैं—(i) एक कर्मचारी को प्रशासनिक घोड़े के बत्तेमान स्तर पर रख कर बहुत कुछ स्तर ही उमड़ी वेतन वृद्धि होनी रहे, जैसे एक नियिक पद पर ही बना रह वार साप्रविह वेतन वृद्धियाँ प्राप्त करता रहे। (ii) जिसी कर्मचारी को एक ही सामान्य थेली के अन्तर्गत प्रगते उच्चनर पद पर पदोन्नत बर दिया जाए; जैसे नियिक महायक घोड़े उच्चनर थेली में पहुँचा दिया जाए। (iii) एक कर्मचारी को उमड़ी थेली में पदोन्नत बरके उच्चनर थेली में पहुँचा दिया जाए, जैसे ग्रेट ब्रिटेन के सन्दर्भ में नियादक बर से प्रशासनिक बर में पदोन्नत कर दिया जाए। इस प्रकार वह उमड़ी थेली को ही त्याप देना है जिसमे शारम्भ में उमड़ी नियुक्ति हुई थी। पदोन्नति की रूट से मर्वायिक उच्चनर प्रशति मन्यवर्ती है। ऐसा मात्र वेतन वृद्धि में कर्मचारी के उत्तरदायिकों एवं कार्यों में बोई विशेष अन्तर नहीं पाया जान वह पदोन्नति नहीं है। पदसोयान के अन्तर्गत कर्मचारी पदसोयान के निम्न स्तरों से कमश उच्च स्तरों की ओर उपग्रह होता है। जिस प्रगति में थेली ही बदल जाती है वह पदोन्नति कम और नई नियुक्ति घटित है।

1 "Promotion is as important an aspect of the selection process in public personnel administration as original recruitment"—Public Personnel Association (formerly the Civil Service Assembly). Placement and Probation in the Public Service, Chicago, 1946, p. 80

2 Brian Chapman, op cit., p. 165

'पदोन्नति' योग्य तथा सभाम वार्यवर्तीयों को उनकी सेवा के बदले दिया गया पुरस्कार है। इसके द्वारा योग्य कर्मचारियों को उन पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था की जाती है जहाँ के सर्वाधिक उपयुक्त सावित हो सके।<sup>1</sup> बेतन वृद्धि प्राप्त पदोन्नति के साथ जुड़ी रहती है किन्तु यह इसका प्रावधान अन नहीं है। दिना पदोन्नति के बेतन वृद्धि हो सकती है तथा बेतन वृद्धि के बिना भी पदोन्नति हो सकती है। पदोन्नति वी प्रावधान के विशेषता कर्मचारी के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वा में होने वाला परिवर्तन है। यह निम्न पद से उच्च पद पर नियुक्त होने की व्यवस्था है। श्री पिफनर ने सही निहार है कि "पदोन्नति का अर्थ प्रतिष्ठान की व्यवस्था से कुछ अधिक है। पदोन्नति के साथ सामान्यता बेतन वृद्धि होती है किन्तु एक कर्मचारी दिना पदोन्नति हुए भी अचिक बेतन पा सकता है। पदोन्नति प्रशिक्षा की मुख्य विशेषता वस्तव्या म परिवर्तन है। इस प्रकार पदोन्नति निम्न पद से उच्च पद की ओर प्रगति है जिसके साथ-साथ कर्तव्यों में भी परिवर्तन हो जाता है।"<sup>2</sup>

### उपयुक्त पदोन्नति व्यवस्था का महत्व

(Importance of a Proper Promotion System)

पदोन्नति व्यवस्था के दो पक्ष हैं—एक सोबोदक तथा दूसरा सेवीदर्शी प्रशासन। पदोन्नति के द्वारा लोकसेवक के वार्य एवं दायित्व बढ़ जाते हैं तथा दूसरी ओर सेवीदर्शी प्रशासन को उपयुक्त स्थान के लिए उपयुक्त वार्यवर्ती प्राप्त हो जाता है। श्री बिलोडी ने पदोन्नति ई समस्त सेवीदर्शी प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना है।<sup>3</sup> कारण यह है कि पदोन्नति वार्य के सफल प्रौद्योगिक सन्तोषजनक प्रशासन द्वारा ही सम्भाल सेवीदर्शी व्यवस्था को वार्यकुशलता विवारित होती है। सेवीदर्शी व्यवस्था म पदोन्नति के महत्व तथा उपयोगिता की रैटिंग से मुह्यत ये बातें उल्लेखनीय हैं—(i) यह अच्छे कार्य का पुरस्कार है। इसकी प्रारंभिक मोहरमेवक अपने वार्य समुचित रूप से सम्मन दरते हैं तथा जिन्हें पदोन्नति प्राप्त हो जाती है वे अपने बठिन परिश्रम, ईमानदारी, सजगता, वार्यकुशलता आदि के प्रति सन्तोष का अनुभव करते हैं। प्रोफेटर के क्षयनानुसार कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पुरस्कार अथवा सम्मानित पुरस्कार के रूप में प्रत्यक्ष महत्व की जीज है। वाभिक एवं पदोन्नति तो पुरस्कार है ही किन्तु पदोन्नति का अवसर भी सम्मानित पुरस्कार है।<sup>4</sup> (ii) यह उपयुक्त सेवीदर्शी प्रशासन की व्यवस्था करता है। इसके प्रभाव से सम्मन प्रशासन प्रत्येक स्तर पर लाभान्वित होता है। पदोन्नत कर्मचारी सन्तोष का अनुभव करता है। वह पद पर बने रहते तथा इच्छा-उच्चर जाने की नहीं सोचता तथा कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों को पूरा करने की चेतावनी है ताकि प्रपत्ती पदोन्नति

1 "Fitting the square peg into the square hole."

—E N Gladden op cit., p 108.

2 J. M. Pfiffer, Public Administration p 303

3 "Promotion of employees from one position to another probably ranks first in importance" —W. F. Willoughby op cit., p 249.

4 Procter, Principles of Personnel Administration, pp 173-74

का ग्रौचित्य सिद्ध कर सके। (iii) पदोन्नति प्रत्येक कर्मचारी के लिए व्यापक प्रेरणा का सान है। यह कर्मचारी के लिए ऐसा बाह्य आवर्यंग है जो उसमे आन्तरिक भावताएँ प्रेरित करता है। (iv) इससे प्रशासनिक बार्यंकुशलता बढ़ती है। बारण यह है कि पदोन्नति के कारण एक और ही कर्मचारियों द्वा अपने कार्ये वे प्रति सन्तोष रहता है तथा दूसरी ओर उच्च पदों पर अनुभवी, दामतावात, कार्यंकुशल बनिय एव सगठन से पूर्णत परिचित कर्मचारी नियुक्त हो पाते हैं। (v) पदोन्नति व्यवस्था सगठन को अनेक रूपों म नाजानित करती है। इसके फलस्वरूप उपयुक्त कार्यकर्त्ता विभिन्न पदों पर नियुक्त हो पाते हैं इसके कारण कर्मचारी ग्रधिक समय तक अपने पद पर कार्य कर पाते हैं, इससे कर्मचारी का प्रशिक्षण तथा धार्त्म सुधार का कार्य प्रभावित होता है इसमे सगठन मे बांधनीय अनुशासन रह पाना है यह सगठन के लिए घटेक्षित सदृइच्छा एव उन्साह को प्रभावित करता है तथा कुल मिलाकर इसके कारण सगठन की कार्यंकुशलता प्रभावित होती है। (vi) इमवा अभाव हानिकारक है। यदि किसी सगठन मे लोडसेवकों को पदोन्नति के उपयुक्त अवसर दोप्तव न हो मक्के तो योग्य तथा सक्षम कार्यकर्त्ता उसकी ओर आकर्षित नहीं हो पाएगे। जो लोग कार्य कर रहे हैं वे भी निरन्तर यह प्रबल करते रहेंगे कि जयो ही अवसर प्राप्त हो तो ही वे इस सगठन को त्याग कर रेस सगठन भ प्रवेश कर ले जहाँ पदोन्नति के पर्याप्त अवसर मिले। यदि पदोन्नति के मतालन मे घाँटिली होती है तथा पक्षपात्रपूर्ण नीतियों अनावृत्ति है तो कर्मचारियों म असन्तोष पैदा होता है। ग्रौ एल डी ल्हाइट की मान्यता है कि दुनियोक्ति पदोन्नति व्यवस्था न केवल अद्योग्य लोगों को सामन साकर सगठन को हाति पहुँचाती है बरन् इसमे सम्मूर्ख समूह का मोरेल गिर जाता है।<sup>1</sup> श्रो मेयर्स का मन है कि पदोन्नति व्यवस्था मे होने वाली त्रुटि का परिणाम प्रारम्भिक भर्ती मे होने वाली त्रुटि मे भी ग्राहिक स्थकर होता है। यदि भर्ती के समय ग्राहिक योग्य की ग्राहेश कम योग्य का चयन कर नियत जाए तो यह बात बहु ही सम्भवित नोगो को जात होती है तथा प्रभावित व्यक्ति सगठन से बाहर हो रहता है। दूसरी ओर यदि पदोन्नति व्यवस्था मे गडवडी की गई तो यह बात सभी कर्मचारियों को जात हो जानी है तथा सभी सम्बन्धिन एव सम्प्रावित कर्मचारियों मे असन्तोष पैदा करती है, उनकी पहल को धारान पहुँचाती है तथा सामान्यन मनोवृत्त वो गिरा देनी है। यन भर्ती से ग्राहिक कार्यंकुशल तथा नियिचन तरीके पदोन्नति के लिए घटनिवर्य है।<sup>2</sup> (vii) सगठन मे उच्च पनोबत की इक्टि से उपयुक्त पदोन्नति व्यवस्था विशेष रूप म महत्व रखती है। पिपनर के व्यवनानुभाव इस इक्टि मे 'निधरदाता' सगठन म मनोबत की स्थापना के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इसमे थ्रेट सेवीवर्स' सेवा म बड़े रहने के लिए प्रोत्साहित होगा तथा गैर-मरकारी हरे-मर

1 "A badly planned promotion system harms an organisation not merely by pushing ahead unqualified persons but also by undermining the morale of the whole group" —L D White op cit, p 400

2 Meyers The Federal Service, p 317

सत्त दायों के प्रलोभन में नहीं पड़ेगा।<sup>1</sup> डॉ. एल डी ह्लाइट का कहना है कि यदि उपयुक्त पदोन्नति व्यवस्था अमपल हो जाती है तो इसका भर्ती पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इससे अच्छा बायं करने की प्रेरणा मर जाएगी तथा कर्मचारियों का मनोबल नीचा हो जाएगा।

### उचित पदोन्नति व्यवस्था की विशेषताएँ

(Characteristics of Proper Promotion System)

पदोन्नति व्यवस्था की मस्फूतता अनेक बार तो राजनीतिक, धार्यिक और सामाजिक बाधणों से होनी है किन्तु कमी-कमी यह इसलिए भी हो जाती है कि सेवीर्ण प्रबन्ध उपयुक्त पदोन्नति व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं में परिचित नहीं था। श्री विलोबी ने मधेप में इन विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार किया है—

- (1) सरकारी सेवा के सभी पदों के लिए पदाधिकारियों की सभी प्रावस्थक योग्यताओं एवं वर्त्तयों का उल्लेख करते हुए कुछ मापदण्ड निर्धारित किए जाएँ।
- (2) इन सभी पदों का विभिन्न सेवाओं में वर्गीकरण किया जाए। प्रत्येक सेवा की सामान्य प्रकृति एक जैसी हो। प्रत्येक सेवा के सन्तरंगत पदों की व्यवस्था उनके सारेकिं घट्टत्व के प्रत्युमार-घटसोपान के हृष में प्रनिविष्ट भी जाए।
- (3) इह वर्गीकरण में राजनीतिक प्रकृति की सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी उच्चतर प्रशासनिक पद शामिल किए जाएँ।
- (4) यह सिद्धान्त स्वीकार किया जाना चाहिए कि जहाँ तक हो सके उच्चतर पदों के रिक्त स्थानों की पूर्ति सेवा के विभिन्न स्तरों से पदोन्नति करके अथवा दूसरी सेवाओं से स्थानान्तरण करके की जाएगी।
- (5) यह सिद्धान्त स्वीकार किया जाए कि पदोन्नति द्वारा कर्मचारियों के चरण का आधारमूल सिद्धान्त बेबल योग्यता होगा।
- (6) पदोन्नति के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की सारेकिं योग्यताओं को निर्धारित बरने के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाए।

उल्लिखित सेवाओं को अपनाने के बाद यह बहुत कुछ निश्चिन्त हो जाता है कि कर्मचारियों की पदोन्नति एक वैज्ञानिक आधार पर हो सकेंगी और विभिन्न उच्च पदों पर न बेबल योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकेंगा बरन् सम्बन्धित तथा सम्मानित कर्मचारियों के मन में इसकी विद्यशता के प्रति सन्तोष भी पैदा किया जा सकेंगा। प्रत्येक पदाधिकारी इस सुधारन्थ में आश्वस्त हो जाएगा कि यदि उसने योग्यता से बाह लिया तो उपयुक्त अवसर आन पर वह उच्च पद वे लिए घबराय चुना जा सकेगा। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी के साथ सर्वधेष्ठ कायं करने वे लिए

<sup>1</sup> J M Pfiffer, op cit., p 303.

एक प्रभावशाली अभिप्रेरणा रहेगी जिसके कारण वह न बेबल बत्तेमान पद के कार्यों  
वरे मली प्रवार सम्पन्न करेगा वरन् भावी पद के लिए भी तैयार रहेगा।

### पदोन्नति के लिए पात्रता (Eligibility for Promotion)

सगठन में कार्य बर रहे विभिन्न वर्मचारियों में से उच्च पद के लिए इसे  
पात्र माना जाए, यह प्रश्न पदोन्नति व्यवस्था म पर्याप्त महत्वपूर्ण है। यह पात्रता  
एक वर्मचारी को पदोन्नत हीन का अधिकारी बना देनी है। प्रो विलोबी ने पदोन्नति  
के लिए पात्रता के दो आधारों का बताना किया है, ये हैं—सेवीदर्गं वी योग्यताएं  
तथा उनकी सेवा की स्थिति।

(1) सेवीदर्गं की योग्यताएं (Personnel Qualifications)—पद-  
वर्गीकरण के समय प्रत्येक पद के कार्यों, दायित्वों एव योग्यताओं का निर्धारण  
किया जाता है। इस योग्यताओं में ज्ञान, कुशलता, अनुभव, जैशिक योग्यता  
नियंत्रण, नियास, तकनीकी कुशलता आदि प्रमुख होती हैं। जिस पद के लिए पदोन्नति  
किया जाता है उसके लिए सभी आवश्यक योग्यताएं सम्बन्धित प्रत्याशी म होती  
चाहिए। इनके दिन पदोन्नति के लिए किसी वर्मचारी के नाम के सम्बन्ध में  
विचार ही नहीं किया जा सकता। जब ये आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की जाती  
हैं तभी यह तय हो जाता है कि पदोन्नति के लिए प्रत्याशियों का छेत्र व्यापक रहेगा  
अथवा सबीएं।

(2) सेवाका स्तर (Service Status)—व्यक्तिगत योग्यताओं की  
मानि पदोन्नति वी पात्रता का एक घन्य आधार प्रत्याशी की सेवा का स्तर है।  
इसके मन्त्रमेत यह निष्ठापति किया जाता है कि पदोन्नति के लिए सम्भावित  
प्रत्याशी वहीं हों प्राप्त किए जाएंगे। प्रायः सेवा वे नियमों में ही यह निष्ठापति कर  
दिया जाता है कि किसी विशेष पद के रिक्त स्थान की पूलि वे निए पदोन्नति उसी  
पद के तुरन्त नीचे बाते पदों की जाएंगी या उस सगठन के किसी भी वर्मचारी में  
की जाएंगी या उस व्यूरो के किसी वर्मचारी से की जाएंगी जिसका वह सगठन एक  
आप मात्र है या सम्बन्धित विभाग के किसी भी वर्मचारी से या रम्भूण सरकारी  
सेवा के किसी वर्मचारी से की जाएंगी। इन विवरों को निश्चित कर देन पर  
पदोन्नति की रेखाएं स्पष्ट हो जाती हैं।

पदोन्नति के छेत्र को सबीएं ही से पर्याप्ति बरना आवश्यक है।  
इसमें पदोन्नति की रेखाएं दूर निश्चय के साथ तय हो जाती हैं। वर्मचारियों को  
यह स्पष्ट हो जाना है कि किस पद तक पदोन्नत हो सकेंगे, वहीं उनको जिसका  
आधिक साम मिल महेगा तथा वहीं तक पहुँचने के लिए उन्हें कौन-सी योग्यताएं  
विभिन्न रूपों चाहिए। इस व्यवस्था की हानि यह है कि इसमें नवाचरण वर्मचारियों  
में पदोन्नति में अवगत रूप रह जाते हैं, साथ ही योग्य प्रत्याशियों का सम्भावित  
छेत्र भी छोटा हो जाता है। उन सामों तथा हानियों का सापेक्षित ग्रभाव इस

बात पर निर्भार करता है कि सेवा अथवा सगठनात्मक इवाई का दोष कितना व्यापक है।

प्रो विलोची की मान्यता है कि विभिन्न कर्मचारियों की सेवा की जाती भे भारी अन्तर रहते हैं इसलिए यदि उन सभी के लिए एकरूप व्यवस्था स्थापित करने की चेष्टा की गई तो यह घातक होगी। इस दृष्टि से कुछ सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किए जा सकते हैं। ये निम्नलिखित हैं—

(i) प्रत्येक सेवा के लिए पदोन्नति की व्यवस्था स्वयं की होनी है तथा यह अम्य सेवा से पर्याप्त भिन्न है यदि प्रत्येक सेवा में पदोन्नति की समस्या पर पृथक् से विचार किया जाना चाहिए।

(ii) जहाँ तक सम्भव हो सके, सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक में अधिक प्रवस्तर प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिए।

(iii) पदोन्नति द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करते समय सम्बन्धित सगठन के कर्मचारी को सगठन के बाहर के कर्मचारी की श्रेष्ठता प्राप्तिकरण दी जानी चाहिए।

### पात्रों में से चयन के निर्धारक तत्त्व

#### (Factors in Determining Selection among Eligibles)

किसी पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने के बाद एक अम्य प्रश्न यह उत्तिष्ठत होता है कि एक से अधिक पात्रों में से पदोन्नति के लिए चयन करने का आधार क्या होना चाहिए। विभिन्न देशों के सेवीरांग प्रकाशन में पदोन्नति के लिए प्रचलित व्यवहार के आधार पर पात्रों में से चयन के दो आधारमूल तत्त्वों का उल्लेख किया जा सकता है। ये हैं—वरिष्ठता एवं योग्यता। इनका विवेचन हम अप्रिय पक्षियों में कर रहे हैं।

#### (1) वरिष्ठता अथवा सेवा की लम्बाई

##### (Seniority or Length of Service)

प्रायः सभी सरकारी सेवाओं में सेवा की लम्बाई पर विचार किया जाता है। यह बात अनग्रह है कि वही इसका कम महत्त्व प्राप्त होता है तथा दूसरी बातें अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं और दूसरे स्थानों पर यहीं एकमात्र निर्णयित तत्त्व बन जाता है। वरिष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के पक्ष में प्रो मायर्स ने ये दातें कही हैं—

(i) सेवा की लम्बाई द्वारा कर्मचारी में तकनीकी योग्यताएँ बढ़ जाती हैं, (ii) इसके बारण पदोन्नति के लिए सगठन के कर्मचारियों के मध्य होने वाला सघर्ष स्तर ज्ञाता है, (iii) पदोन्नति करने वाले प्रधिकारी राजनीतिक एवं अम्य प्रकार के दबावों से मुक्त हो जाते हैं, (iv) इससे कर्मचारियों में यह भावना पनपती है कि पदोन्नति न्यायपूर्ण, निष्पक्ष एवं विना किसी भेदभाव के दो जा रही है, अतः कर्मचारियों का सामान्य रूप से मतोबद्ध बढ़ता है, (v) पदोन्नति की निष्पक्षता एवं

स्पष्टना होने के कारण पञ्च सोग सरकारी पदों की प्रोग्रामिंग होने लगते हैं तथा (vi) अनेक महत्वपूर्ण पश्चाधिकारी सेवा में रहते हैं जो कि अन्यथा सेवा से बाहर जा सकते थे।

वरिष्ठना के प्राथर पर पदोन्नति करना अन्य कई दृष्टियों से भी लाभदायक मिल होता है। यह एक बर्मचारी द्वारा किए गए कार्य एवं उससे प्राप्त अनुभव वा उपयुक्त पुरस्कार होता है। इसमें पदोन्नतिकर्ता प्रधिकारी को व्यक्तिगत निर्णय से फायद नहीं लेना अड़ना इसलिए विशेषज्ञता की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से पदोन्नति हृषा बर्मचारी दिसी का अहमानमन्द मही रहता, इसमें उसे दिसी की दिया गया हृषा पर विभर रहने की आवश्यकता नहीं होती। पदोन्नति की रेखाएँ स्पष्ट हीने के कारण बर्मचारीगण सेवा को जीवनदृष्टि के रूप में अपना लेते हैं। पदोन्नति काय म किसी वे हस्तक्षेप की तुलादेश नहीं रहती।

वरिष्ठना के प्राथर पर की जाने वाली पदोन्नति की कुछ वस्त्रोतियाँ निया हानियाँ भी हैं—(1) एक बात तो यह है कि इस प्रणाली के द्वारा योग्यतर सोमों के पदोन्नत होने की गारण्डी नहीं होती। केवल अधिक समय तक कार्य कर सेना ही योग्यता की प्रतिक्रियां नहीं बन जाता। इस अलोकना के विरोध में यह कहा जा सकता है कि प्रारम्भिक भर्ती के समय आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में ही कर्मचारी की योग्यता भर्ती प्रकार देख सी जाती है। (2) वरिष्ठन एवं विरुद्ध यह वहा जाना है कि लम्बी मिया वा धर्थ आवश्यक स्वरूप से योग्यता और कुशलता में वृद्धि नहीं है। यह भी हो सकता है कि लम्बे समय तक एक ही कार्य को करते रहने के कारण उस कार्य के प्रति व्यक्ति की हचि में जग नष्ट जाए। सभी सेवा का अनुभव एक ही वर्ष के द्वारा नीं हर वर्ष दोहराने से अधिक कुछ भी नहीं होता। इसमें बर्मचारी को कोई नई उपलब्धि नहीं हो पाती बरत् वह एक घेरे में घूमना हृषा कुछ प्रयत्न विरोधों रुद्धियों विवरित कर लेना है। (3) इसके पश्चात्वहर योग्यता प्रतिभावान व्यक्ति सेवकसेवा में नहीं आते तथा वे निजी प्रशासन में जाना अधिक पसंद करते हैं। इस अवस्था में उन्नी ही तथा अधिक योग्यता वाले बर्मचारियों के लिए कोई दिगेप प्रयत्न वे प्रवक्तर नहीं होते। अत वे यातो सेवा से बाहर चले जाते हैं अथवा अपनी प्रहृति बड़ल हर दोनों दाले रूप में निरक्षमाहृतवद स्वरूप से कार्य करते रहते हैं। बर्मचारी वर्ग में आवश्यकीय मावना भर जाती है। (4) इसके परिणामश्वल्प मारा बगड़न लानफीताजाही के दोष से प्रस्तुत हो जाता है। इसमें सार्वजनिक हिन्दी वी उपेक्षा की जाती है। सगड़न की सारी कार्यकुशलता समाप्त हो जाती है। (5) पदोन्नति एवं प्रधिकार के रूप में हचि ही वरिष्ठ कर्मचारियों को प्राप्त होने सकती है। इस प्रकार से पदोन्नति हृषा कर्मचारी प्राप्त वरिष्ठ प्रधिकारियों के प्रति हिन्दी प्रतार का मद्भाव नहीं रख पाता। (6) वरिष्ठना का विद्यमान बगड़न के लिए हानिकारक है वरोंकि इसमें नवागन्तुर योग्यता कुशल बर्मचारियों को वरिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में पदोन्नति नहीं दी जाती तो वे शायद देकर प्रम्युक्त चले

जाते हैं। यदि वे पदों पर बने भी रहते हैं तो अपनी योग्यता प्रदर्शन की ओर से उदासीन हो जाते हैं। पिफनर की मान्यता है कि ज्येष्ठता सिद्धान्त के अन्तर्गत सनकी किसी के लोग पदोन्नत हो जाते हैं तथा इन्हें कारण सारे सगठन को हानि पहुँचनी है। (7) यह मिद्दान्त सगठन को प्रतिनियातादी बना देता है क्योंकि डॉके पदों पर आसीन हड्डिवाली और परम्परानिष्ठ व्यक्ति स्वयं को नए बातावरण तथा नई आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में प्राय असमर्थ रहते हैं।

वरिष्ठता सिद्धान्त की आलोचना करते हुए श्रो पिफनर ने लिखा है कि केवल वरिष्ठता को ही पदोन्नति का आधार बनाने से उच्च पद अद्योत्पत्त तथा असमर्थ व्यक्तियों से भरने लगते हैं। इसके कारण कर्मचारियों की महत्वाकांक्षा नष्ट हो जाएगी तथा वे प्रेरणाएँ समाप्त हो जाएंगी जिनके कारण कर्मचारियों में व्यतिरिक्त, साहस आत्मविमर्श और प्रशिक्षणील दृष्टिकोण वा विकास होता है।

श्रो ई एन ग्लैडन वा भत है कि वरिष्ठता सिद्धान्त बुध गलत मान्यताओं पर आधारित है। ये गलत मान्यताएँ सक्षेप में ये हैं—(1) इसमें यह मान लिया जाता है कि एक ग्रेड के सभी कर्मचारी समान रूप से पदोन्नति के योग्य हैं, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। (ii) यह मान लिया जाता है कि ज्येष्ठता सूची सभी को पदोन्नति के अवसर प्रदान करेगी किन्तु ऐसा होता नहीं है। (iii) यह मान लिया जाता है कि निम्न पदों की अपेक्षा उच्च पदों वा प्रतिशत अधिक होता है, अत एक न एक दिन प्रत्येक कर्मचारी को उच्च पदों पर काम वरने का भवसर प्राप्त होगा, परन्तु व्यवहार में यह सम्भव नहीं होता। (iv) यह मान लिया जाता है कि रिक्त स्थान कामी बड़ी सह्या में उत्पन्न होते हैं, जबकि आवश्यक रूप से ऐसा होता नहीं है।

## (2) योग्यता अध्यवा प्रतियोगी परीक्षाएँ

(Merit or the Competitive Examinations)

योग्यता सिद्धान्त वरिष्ठता अध्यवा वरिष्ठता में सिद्धान्त का प्रतिस्पदी है। इसके अनुसार यह माना जाता है कि पदोन्नति के लिए पात्रों का चयन करने समय निरूपिक तरक्त प्रत्याशियों की तुलनात्मक योग्यता को माना जाना चाहिए न कि उनकी सेवा की दीर्घता को। एक कर्मचारी दस वर्ष से सुगठन में कार्य करते हुए भी पिछले वर्ष आने वाले कर्मचारी की तुलना में कम योग्य हो सकता है, भल जब इन दोनों में से पदोन्नति के लिए किसी एक को चुनने का प्रान उपस्थित हो तो वरिष्ठ भी अपेक्षा योग्य वा ही चयन किया जाना चाहिए।

योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लक्ष में दिए जाने वाले तर्क प्राय अकादृश हैं किन्तु यदि इस सिद्धान्त को पदोन्नति का आधार बनाया जाए तो समस्या यह उत्पन्न होती है कि योग्यता और गुणों की जांच किंग प्रकार की जाए। किसी व्यक्ति की योग्यता एव इसका का सही प्रमाण लगाना वास्तव में टेड़ी खीर है। इसके लिए वस्तुगत (Objective) परीक्षाओं वा सुभाव देया जाना है। कर्मचारियों की योग्यता आने के लिए मान्यता: तीन विधियाँ प्रयत्नाई जानी हैं—

(क) प्रतियोगी परीक्षाएँ (Competitive Examinations)

(ख) सेवा अभिलेख (Service Records)

(ग) विभागाध्यक्ष वा व्यक्तिगत फिल्म (Personal Judgement of the Departmental Head) .

(क) प्रतियोगी परीक्षाएँ (Competitive Examinations)—यह कर्मचारियों की योग्यता की जांच के लिए प्रथम व्यक्ति-निरपेक्ष रिक्ति है। प्रतियोगी परीक्षाएँ पदोन्नति के त्रिप्रकार रूप से आयोजित की जाती हैं और इनमें इन्हें पदोन्नति परीक्षाएँ (Promotional Examinations) कहा जाता है। ये परीक्षाएँ प्रायः लोकसेवा आयोग द्वारा सचानित की जाती हैं तथा मुख्य रूप से नीन प्रकार की होती हैं—

(i) खुली प्रतियोगी परीक्षाएँ (Open Competitive Examinations)—इनमें बैठने का अवसर सभी अधिकारियों को मिलता है जाहे वे पहले से सेवा में हो प्रथम न हो। सेवा से वाहर वे अधिकारियों को रिक्त पद व लिए प्रतियोगिता करने की खुली छूट देना उन कर्मचारियों को अवश्यक नहीं होता जो पहले से ही सेवा में प्रोत्तु दृष्टि है। उनका तर्क यह है कि पदोन्नति का रिक्त स्थान बेबत उन्हीं लोगों के लिए होता चाहिए जो पहले से ही सेवा में हैं।

(ii) सीमित प्रतियोगी परीक्षाएँ (Limited Competitive Examinations)—यह पदोन्नति परीक्षा का दूसरा रूप है। इसमें वे व्यक्ति भाग लेते हैं जो पहले ही सेवा में सीजूड हैं। यही कारण है कि जटी पहली पढ़ति को खुली पढ़ति (Open System) कहा जाता है वही दूसरी पढ़ति को बंद पढ़ति (Closed System) का नाम दिया जाता है।

(iii) उत्तीर्णता परीक्षाएँ (Pass Examinations)--इस परीक्षा में प्रायः अधिकारियों ने वह उत्तीर्ण होना पड़ता है। इस प्रकार यह मिट्ठ हो जाता है कि इसमें मूलनाम योगदान है। उत्तीर्णात्मक के प्राप्तार पर योग्य कर्मचारियों की एक सूची नियार कर ली जाती है तथा स्थान रिक्त होते पर इस सूची के आधार पर पदोन्नति कर दी जाती है। सारत में प्रतियोगी एमी अनन्द पदोन्नति परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं।

परीक्षा पढ़ति का मूल्यांकन (Evaluation of the Examination System)—योगदान की माप के लिए आयोजित परीक्षा पढ़ति के पास और विभाग में बहुत कुछ बहुत जाता है। इस पढ़ति के पास में प्रायः ये तर्क दिए जाते हैं—  
 (i) यह अधिकारि-निरपेक्ष होती है। (ii) पड़तानरहित होने वाला इसमें भागीदारी की सम्भावनाएँ कम से कम रहती है। (iii) इस व्यवस्था में सभी को आपनी योगदान प्रदानित करने का समान अवसर प्राप्त होता है। (iv) कर्मचारी की वरिष्ठता उसकी योगदान का आमानित प्राप्त होती है। प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली को ही भवित विवरणीय बहुत जो सबना है।

परीक्षा प्रणाली के विषय में मुख्य हा में ये तर्क प्रम्भुत जाने हैं—

(i) लिखित परीक्षा के मध्यम में प्रत्याशियों के व्यक्तिगत को सही तथा पूरी जांच नहीं हो पाती। साधारण योग्यता वाले कर्मचारी भी कुछ प्रश्नों अपवाह तथ्यों को रटकर परीक्षा में अच्छे अंक ले पाते हैं। (ii) लिखित परीक्षा में अच्छे योंक पाने के बाद भी यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि प्रत्याशी में उच्च प्रशासनिक पदों के लिए आवश्यक व्यक्तिगत गुण मौजूद हैं। (iii) लिखित परीक्षाओं द्वारा नेतृत्व के गुणों की जांच सम्भव नहीं है।

परीक्षा प्रणाली के उक्त दोषों के कारण ही इस्टेंड तथा कॉर्स आदि देशों में पदोन्नति के लिए इसे अनुपयुक्त नामका जाता है। सयुक्तराज्य अमेरिका में पदोन्नति के लिए परीक्षा ऐ आयोजित की जाती हैं इन्हुंने इनका क्षेत्र कुछ संपीड़ विभागों तक सीमित है।

(iv) सेवा अभिलेख या कार्यकुशलता माप (Service Records or Efficiency Ratings)—पदोन्नति के लिए योग्यता जांचने की यह दूसरी विधि है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी की सेवा वा अभिलेख रखा जाता है। इसके आधार पर वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी की कार्य सम्बन्धता की क्षमता का मूल्यांकन कर लेते हैं। इन सेवा अभिलेखों के आधार पर एक शैरी के विभिन्न कर्मचारियों की सायेक्षणिक योग्यता वा निष्पारण कर लिया जाता है और तब रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। सेवा अभिलेख पढ़ति को विवरण प्रणाली (System of Report Forms) भी कहा जाता है। इन विवरणों में कर्मचारियों की कार्यकुशलता मापक दरों (Efficiency Ratings) का उल्लेख रहता है।

सयुक्तराज्य अमेरिका में कार्यकुशलता मापों या मापकदरों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में अनेक व्यापक तथा सूझ प्रणालियाँ अपनाई जा रही हैं जैसे—उत्पादन अभिलेख (Production Records), बिन्दुरेखीय दर-मापन (Graphic Rating Scale) तथा व्यक्तिगत तालिका (Personality Inventory)। उत्पादन अभिलेख पढ़ति में कर्मचारी की कार्यकुशलता उनके कार्य वे उत्पादन द्वारा आँकी जाती है। यह पढ़ति उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में बात में ली जाती है जिन्हें यान्त्रिक प्रवृत्ति का कार्य करना पड़ता है, जैसे—मशीन अंपेटर, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर आदि। बिन्दुरेखीय दर मापन पढ़ति में एक फार्म रहता है जिसमें लगभग 3। मात्रोंचित गुणों की सूची रहती है तथा मापन अधिकारी इन गुणों में निशान लगाता है और इसके पार्श्व पर प्रायः इन श्वेतियों में बैट देता है—उत्कृष्ट (Outstanding), अति श्वेत (Very Good), सन्तोषजनक (Satisfactory), उदात्तीम (Indifferent) तथा निष्पष्ट (Poor)। व्यक्तिगत तालिका पढ़ति में भानव स्वभाव के तत्त्वों को एक व्यापक सूची बनाई जाती है जिसमें गुणों तथा अवगुणों दानों का उल्लेख रहता है। मापक अधिकारी इस सूची में से उन तत्त्वों को छाट लेता है जिनसे इसी कर्मचारी के स्वभाव या व्यक्तिगत वो जाना जा सके। इन गुणों तथा अवगुणों के आधार पर कर्मचारी की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।

पदोन्नति के लिए बर्मचारी वी योग्यता मापने के इस तरीके की अनेक सीमाएँ हैं। ग्रो विलोडी ने इम सम्बन्ध में तीन बातों का उल्लेख किया है—  
 (i) सेवा अभिलेख एवं कर्मचारी की वर्तमान पद पर कार्य करने की सारेकिं कुशलता वा वर्णन करते हैं। इनके आधार पर उच्च पद के दायित्वों को निभाने वी योग्यता वा पना नहीं समाप्त जा सकता। यह ही मतना है कि एक कर्मचारी प्रपते पद के दायित्वों एवं कार्यों की मानवाधारेवं सम्बन्ध करे दिन्तु उच्च पद के बाबौ नथा दायित्वों के बारे में वह युक्त भावित हो जाए। (ii) जब पदोन्नति के लिए पात्र विभिन्न मम्भागों में कार्य करने वाले अधिकारी होते हैं तब यह विधि उनकी योग्यता मापने में विशेष महत्वों नहीं बन पाती। कारण यह है कि इन मम्भी का सेवा अभिलेख एक ही प्रकार से नहीं रखा जाता तथा इनकी मापेकिं योग्यताएँ की तुलना भी सम्भव नहीं होती। ऐसे मामलों में सबसे अच्छा तरीका प्रतियोगी परीक्षाप्रो का है। (iii) सेवा अभिलेख पदोन्नतिकर्ता अधिकारी के निर्णय पर वायरियो भक्ति बन जाते हैं और इनके आधार पर पदोन्नति कर्मचारियों वा प्रपते उच्च अधिकारियों के साथ दौख्तीय सम्बन्ध नहीं रह पाता।

कार्यकुशलता मापन विधि की एक सीमा यह भी है कि यह व्यक्तिगत (Subjective) होती है। एक मापक अधिकारी किसी कर्मचारी को उत्कृष्ट (Outstanding) की श्रेणी में रखता है तो दूसरा मापक अधिकारी उसी कर्मचारी की प्रति श्रेष्ठ (Very Good) की श्रेणी में रख देता है। इससे अतिरिक्त एक कार्यकुशल कर्मचारी के अक्षय गुणों के सम्बन्ध में भी विचारक एकमत नहीं है।

(g) विभागाध्यक्ष द्वारा अक्षय निर्णय (Personal Judgement of Departmental Head)—पदोन्नति के लिए योग्यता वी जांचने की तीमरी विधि विभागाध्यक्ष अधिका पदोन्नति मण्डल के व्यक्तिगत निर्णय दी है। एक कर्मचारी विभागाध्यक्ष ने अधीन रहकर जप्ती तक बायं करता है, अत उसके गुण तथा अवगुणों की वह पूरी जानकारी रखता है। विभागाध्यक्ष वा निकट व्यक्तिगत मम्भर्कं कर्मचारियों वी वायरियों के मूल्यांकन वा अधिक मही तथा प्रामाणिक आधार होता है।

पदोन्नति वी इस पदनि का पम्भीर दोष यह है कि विभागाध्यक्ष वा निकट व्यक्ति पदोन्नति पूर्ण रहता है। कर्मचारियों द्वारा भी इस पदनि वा विरोध किया जाता है क्योंकि उन्हें पदोन्नति में अप्टाचार, मनमानी तथा बेईमानी वा भय रहता है। चाप्तमूल तथा वर्मचारियों करने वाले कर्मचारी प्राप्त त म भी इन्हि में रहते हैं जबकि स्वनन्द विचारों वाले योग्य अक्षयों से हाति उठानी पड़ती है।

इस पदति के दायों को दूर बरने के लिए विभागीय पदोन्नति मण्डल (Departmental Promotion Board) स्थापित किए जाते हैं जिनमें विभागीय अध्यक्ष के अनिरिक्त कर्मचारियों के अक्षय भी रहते हैं। बाहर के भी कुछ सदस्य मण्डल में रहे जाते हैं। पदोन्नति मण्डल द्वारा मम्भी कर्मचारियों के बास की समीक्षा भी जाती है, उन्हें मेवा अभिलेखों वा मूल्यांकन किया जाता है और तद

पदोन्नति वे बारे में सिफारिश की जाती है। यदि किसी कर्मचारी को ऐसा लगे कि पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई अनियन्त्रिता यथवा गवत् हुई है तो वह कर्मचारियों के नियन्त्रण के माध्यम से पदोन्नति मण्डन से अतीत कर नक्ता है। भारत में कुछ सेवाओं में उच्च पदों के लिए पदोन्नति मण्डनों की स्थापना की गई है। शिक्षायों की शैक्षिक प्राय विभाग के बाहर स्वतन्त्र निकायों के पाय में भी जाती है। साधारणतः यह काम नोडलेवा आयोगों को सौंपा जाता है जो अधीनों पर प्रावश्यक विवाद-विषय तथा जीनु पड़ताल करके अपना नियंत्रण देते हैं।

एक शैक्षिक पदोन्नति व्यवस्था न केवल यायोजित "प्रशासन-रहित व्यक्ति-नियन्त्रण और ठोस होनी चाहिए बरन् यह सम्बन्धित कर्मचारियों को ऐसी प्रतीत भी होनी चाहिए। पदोन्नति की सफलता का मापदण्ड कर्मचारियों में सामाजिक सन्तोष, उच्च सनोबल, बहुधनिष्ठा और सहयोग की सावना का प्रोत्साहन है। यहाँ हम संदानिक पृष्ठभूमि के आधार पर मारत, शैक्षिक विवेचन, मयुक्तराज्य और फौस में पदोन्नति व्यवस्था के व्यावहारिक स्वरूप का विवेचन करेंगे।

### \* भारत में पदोन्नति व्यवस्था

(Promotion System in India) .

भारत में लोकसेवाओं में होने वाले ग्रिका स्थानों की पूर्ण कुछ बाहर से प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा और कुछ भीतर से पदोन्नति द्वारा की जाती है। इन तरीकों का अनुपात विभिन्न सेवाओं तथा श्रेणियों में अन्य-अन्य रहता है।

**पदोन्नति के अवसर या प्रतिशत**

(Promotion Opportunities or Percentage of Promotion)

भारत में, कुछ अपदादों को छोड़कर, विभिन्न सेवाओं में रिक्त स्थानों की एक विशिष्ट मरुपा उन कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती है जो दिन पदकम (योड) में पहले से ही काम कर रहे होते हैं। इस मरुपा का अनुपात सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में भिन्न-भिन्न होता है। नीचे विवित नेवा की विभिन्न श्रेणियों से भरे जाने वाले पदों के अनुपात या प्रतिशत की सौंधी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है—

1 प्रथम श्रेणी के पदों में लगभग 45% नवियाँ पदोन्नति द्वारा होती हैं तथा 55% पर सीधी भर्तियाँ भी जाती हैं। इसका अनुपात विभिन्न सेवाओं में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, भारतीय विदेश मेवा की शाखा 'P' में पदोन्नति द्वारा केवल 10% भर्तियाँ की जाती हैं जबकि केन्द्रीय सचिवालय तथा अन्य एक-दो सेवाओं की शादृ-प्रतिशत भर्तियाँ पदोन्नति द्वारा ही होती हैं। 25 से ले कर 33% पदों की प्रथवा एवं सामाजिक वर्षे में उत्पन्न होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा होता एक सामान्य बात है।

2 द्वितीय श्रेणियों के राजपत्रित विविकारियों के 65% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। तृतीय श्रेणी में नवियाँ को ही पदोन्नति दरके में पद दिए

जाते हैं। प्रत्यक्ष मर्ती के बल वैज्ञानिक, मेडिकल तथा इंजीनियरिंग सेवाओं में ही होती है। द्वितीय श्रेणी की विभिन्न राजपत्रित सचिवालय सेवाओं (Gazetted Secretariat Services) में 50% रिक्त स्थानों को पूर्ण भी सीधी मर्ती द्वारा ही की जाती है। अन्य सेवाओं की अविर्क्षण मनियाँ पदोन्नति द्वारा ही होती हैं।

3 द्वितीय श्रेणी के अराजपरित कर्मचारियों की मर्ती पदोन्नति द्वारा होती है। लगभग 78% पदोन्नति पर सीधी मनियाँ की जाती है। ऐसे पद अधिकारियत वैद्यीय सचिवालय में महाप्रक तथा शाशुलिपिक और वैज्ञानिक सम्बादों में हैं।

4 तृतीय श्रेणी हे पदोन्नति प्रायः अन्विताधीय पदोन्नतियाँ होती हैं। इन्हीं अन्विताधीय पदोन्नतियाँ द्वितीय श्रेणी में नहीं होती। तृतीय श्रेणी में उच्च वेतन शृंखला वाले प्रायः सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

5 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति बरके तृतीय श्रेणी में प्रायः कम लिया जाता है। यह पदोन्नति के बल रेतवे तथा डाक तजुर विभागों नक ही मीमिन है। रेतवे में तृतीय श्रेणी के लगभग 10% पद चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति करके भरे जाते हैं। ग्रनुमानतः डाक एवं सार विभाग में प्रत्येक श्रेणी के लगभग 40% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। रेतवे ने अनेक मासलों में पदोन्नति के निर्धारित लक्ष्य (Quota) में हाल ही में दूढ़ी दी है।

### पदोन्नति के आधार

#### (The Basis of Promotion)

भारत में कर्मचारियों की पदोन्नति करते समय सामान्यतः वरिष्ठता और योग्यता के दो आधारों को साधने राता जाता है। वरिष्ठता कर्मचारी के सेवावाल में सम्बन्ध रखती है। इस आधार पर उस कर्मचारी को पदोन्नति के योग्य माना जाता है जिसको सेवा बरते हुए अधिक समय हो गया है। इस मापदण्ड को आपनाने पर अनुचित पश्चात या राजनीतिक हस्तक्षेप वीं सम्भावना नहीं रहती। कर्मचारी भी यह मान सेते हैं कि पदोन्नति व्यायपूर्ण तरीके से हुई है। उनकी सद्मावना बड़ी है और नेतृत्व वरिष्ठ ऊँचा उठना है। इस तरीके का दाग यह है कि इसमें घेठ व्यक्ति वे चर्चन का निश्चय नहीं रहता। कम समय तक सेवा करने वाला व्यक्ति बहुत बायों से सेवा कर रहे व्यक्ति से अधिक योग्य हो सकता है। वरिष्ठ व्यक्ति आवायक कृप से अधिक योग्य नहीं होता। श्रो विकनर ने वरिष्ठता के सिद्धान्त पर कहु प्रहार बरते हुए कहा है—“देवत पात्र वरिष्ठता को प्राप्त बनाने पर उच्च पद अपने व्यक्तियों से भर जाएंगे। इसमें भृत्यार्थियों को निराश होती तथा वह प्रेरणा लुप्त ही जाएगी जो व्यतिरिक्त, साहस, आत्मविश्वास और प्रगतिशील रूपों की विभिन्न फर्मी है।”

पदोन्नति वा दूसरा प्राप्त योग्यता है। इसमें अनुमार प्राधिकारियों को उनके सेवावाल के आधार पर नहीं बरन उनको योग्यतादो तथा कुशलतादो के आधार पर पदोन्नति दिया जाता है। योग्यता में जीवलिंग उन्नतियों के साथ साप-

व्यक्तित्व, नेतृत्व की क्षमता, चरित्र वी मरिमा आदि को शामिल किया जाता है। आजकल एक तीसरा आधार भी पदोन्नति के लिए अपनाया जाने लगा है। यह बरिष्ठता एवं योग्यता का मिला हुआ रूप है। निम्नस्तर की सेवाओं के लिए बरिष्ठता और उच्चस्तरीय सेवाओं के लिए योग्यता वो पदोन्नति का आधार बनाया जाता है।

### भारत में पदोन्नति की रीतियाँ और सिद्धान्त

(Methods & Principles of Promotions in India)

मनविधान में व्यवस्था है कि एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नतियाँ करने और ऐसी पदोन्नतियों के लिए प्रत्याशियों की उपयुक्तता (Suitability) के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले मिदानों के बारे में सरबार मधीय लोकसेवा आयोग द्वे परामर्श करेगी। किन्तु व्यवहार में, जब तक कि सम्बन्धित भर्ती-नियमों के विपरीत कोई विशेष उपचार न हो, सरबधान के अनुच्छेद 320 (3) के अन्तर्याम बनाए गए विनियमों के द्वारा तृतीय और चतुर्थ थेरेणी में और इनमें से ऊपर की ओर जाने वाली पदोन्नतियों को आयोग के अधिकार-धंत्र से विमुक्त कर दिया गया है। विभिन्न विभागों ने पदोन्नति के अपने नियम बना लिए हैं अथवा अपनी अधीनस्थ सेवाओं के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। पदोन्नति के सम्बन्ध में इन विभागीय नियमों में काफी अन्तर पाया जाता है। पदोन्नति ही जो रीतियाँ अपनाई गई हैं, माझे तोर पर वे निम्नानुमार हैं—

- (प्र) योग्यता के आधार पर पदोन्नति,
- (ब) योग्यता और अधिकार (Merit-cum-Seniority) या अधिकार और योग्यता (Seniority cum-Merit) वे आधार पर पदोन्नति,
- (स) अधिकार के आधार पर पदोन्नति (वज्रने कि अधिक अधिकारी को सेवा दे लिए अद्योग्य धोयित न कर दिया गया हो)।

मिलिट सेवा के लिए, पदोन्नतियाँ वरने में अपनाए जाने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अधिकारी वे ही आदेश नाम होते हैं जो स्वराष्ट्र मन्त्रालय में मई, 1957 में जारी हिंग गए थे। ये आदेश वेवल 'चयन पदो' (Selection Posts) के ही सम्बन्ध में हैं। 'चयन पद' उन ही माना जाता है जिन्हे एक मन्त्रालय ऐसा धोयित करता है। अभिप्राय यह हुआ कि मन्त्रालय अपने अधीन पदों को 'चयन पदो' तथा अभ्यं पदो में वर्गीकृत कर सकता है। चयन पदों के सम्बन्ध में जो आदेश है उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(i) 'चयन पदो और' 'चयन पदयमो' (Selection Posts & Selection Authority) वे लिए नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर को जाएँ और इसमें अधिकता वा शायत वेवल नियम सीमा तक ही रहती जाएँ।

(ii) विभागीय पदोन्नति समिति अथवा चयन सत्ता (Selecting Authority) मर्वश्वय चयन-धंत्र वा निश्चय करे अर्थात् पदोन्नति वी प्रतीक्षा

वरने वाले ऐसे पात्र अधिकारियों (Eligible Officers) की सम्मा निश्चित करे जिन्हे नि 'चयन सूची' (Select List) में सम्मिलित किया जाता सम्भव हो। अगाधा-रु योग्यता वाले अधिकारी वो, इस नियम का उल्लंघन करने भी, पात्र अधिकारी की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है।

(iii) जो अधिकारी पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त हों, उन्हें छोड़ दिया जाए। ऐसा अधिकारियों को उन योग्यता के आधार पर जो वि उनके प्राप्ते प्रयत्न मेंशा-अभिलेखों (Service Records) द्वारा निश्चित वी जाए, 'उत्कृष्ट (Out standing), 'वहूत अचूक' (Very Good) एवं 'अचूक' (Good) के रूप म वर्गीकृत रर निया जाए, और फिर इन वर्गों के आधार पर अधिकारियों की 'चयन सूची' तंपार वी जाए। प्रत्येक वर्ग की चयन सूची म जो भी अधिकारी आने हो उनम परस्पर ज्येष्ठना का ध्यान रखा जाए।

(iv) पदोन्नतियों 'चयन सूची' के ब्रम हे अनुमार की जाए, जिसी प्रवाद वी बाल घलन है।

(v) निश्चित अवधियों के बाद चयन सूची का युनरावलोक्न किया जाए और उन अधिकारियों के नाम उस सूची से हटा दिए जाएं जो पहले ही पदोन्नति लिए जा चुके हों और उस पद पर अब भी कार्य कर रहे हों। ऐसे नामों की ही चयन सूची में अन्तिम रूप से विचारार्थ रखा जाए।

यद्यपि पदोन्नतियों के सम्बन्ध में (चयन पदों के अनियन्त्रित) विभिन्न विभागों के प्राप्ते-प्राप्ते नियम हैं तथा दोटे तीर पर इन नियमों म उच्चनर तथा मध्यम स्तर के पदों के लिए को 'योग्यता' (Merit) पर वल दिया गया है और निम्न स्तर के पदों के लिए 'ज्येष्ठता तथा उपयुक्ता' (Seniority-cum-fitness) पर। कुछ विभिन्नों म उच्चनर और मध्यम स्तर के पदों के लिए भी 'ज्येष्ठता और योग्यता' तथा 'योग्यता एवं ज्येष्ठना' के सिद्धान्त को प्रपनाया जाता है। इन मिट्टास्तों के वास्तविक अनुमरण के बारे में विभिन्न विभागों और सेवाओं म बोई एवं रूपता नहीं पाई जाती।

**भारत में पदोन्नति की प्रक्रिया**

(The Process of Promotion in India)

भारत में पदोन्नति के लिए प्रपनार्द गई प्रक्रिया निम्न ग्रन्त है—

1. कुछ विभागों में पदोन्नति के लिए मतलग से एक बोइं प्रथमा मिलित नियुक्त कर दी जाती है। उदाहरण के लिए, बैन्ड्रीय सचिवालय की पदोन्नति समिति का नामोत्तेज दिया जा सकता है। इस समिति में सोहसभा का एक सदस्य भी रहता है।

2. विभागों वो पदोन्नति समिति का निरुद्योग अन्तिम नहीं होता, यह केवल विकारिग मात्र होता है जो नोक्सेवा आयोग को भेज दिया जाता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुहण है, जिसमें वहा गया है, कि एक सेवा में दूपरी में

पदोन्नत करने तथा प्रत्यागिगो की उपयुक्ता के मध्यम में अपनाए जाने वाले सिद्धान्तों के विषय में सधीय लोकसेवा आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिए।

३ प्रत्येक राज्य में इसके लिए एक नार्य समिति (Working Committee) रखी जाती है। इसमें सधीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष या एक सदस्य और उसके विरिट कर्मचारी भी जाते हैं। यह समिति राज्य लोकसेवा के ऐसे कर्मचारियों की मृच्छी तैयार करती है जिनको उपयुक्ति के लिए उपयुक्त ममता जाए। इसके लिए योग्यता एवं वरिष्ठता दोनों को ही आधार बनाया जाता है। विरिट कर्मचारी के अयोग्य होने पर उसके विरिट कर्मचारी को पदोन्नति के द्वारा मान दिया जाता है। समिति राज्य सरकार के माध्यम से प्रत्येक विधारियों के न्द्र सरकार द्वारा भेजती है। कोई स्थान गिरते होने पर इस मृच्छी के कर्मानुसार भर्ती दी जाती है। इसे केंद्रीय पूल व्यवस्था (Central Pool System) कहा जाता है।

### पदोन्नति के लिए मुख्य अभिकरण

#### (The Important Agencies for Promotion)

कर्मचारियों के प्रति म्पाय दी जावना बरहने के लिए पदोन्नति का उपयुक्त नियंत्रण एवं कार्यक्रम तरीका प्रयोग का प्रयास किया जाता है। प्रत्याय को गोकर्ने के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था की जाती है। पदोन्नति दी उपयुक्त प्रतियों को सचालित करने वाले मुख्य अभिकरण निम्ननिम्नित हैं—

१ लोकसेवा आयोग (The Public Service Commission)—भारतीय मविधान की घारा 320(3) के तहत सधीय हथा राज्य लोकसेवा आयोगों द्वारा पदोन्नति के सिद्धान्त निर्धारित करने एवं कर्मचारियों का वयन करने की दृष्टि से व्यापक अभियान प्रदान नहीं गई है। अध्यार में तृतीय एवं चतुर्थ अधिकारी की पदोन्नति दी आयोग के अधिकार में जाहर रखा गया है। इसके लिए विभाग स्वयं के नियमों का धानन करते हैं। इन नियमों में पर्याप्त भिन्नता रहती है। वही कही विन मन्त्रालय की स्वीकृति भी प्रावश्यक दन जाती है।

२ विभागीय परोन्नति समितियाँ (Departmental Promotion Committees)—कुछ विभागों में परोन्नति दी दी जानी है। सधीय लोकसेवा आयोग के प्रथम प्रनिवेदन (1951) में विभागीय समिति का उल्लेख किया गया था। इसमें सधीय लोकसेवा आयोग का सदस्य समाप्ति होता है तथा मन्त्रालय द्वारा विभाग के विरिट याचिकारी होते हैं जो कर्मचारियों के नामों में परिचित होते हैं। इस विभागीय समिति की सिफारियों को सधीय लोकसेवा आयोग के सम्मुख रखा जाता है।

३ पूल व्यवस्था (Pool System)—उच्चतम प्रशासनिक पदों के लिए पदोन्नति दी कार्य एक पूल बनार रखा जाता है। इसके उपर्योगी द्वारा वयन सधीय लोकसेवा आयोग के परामर्श पर सरकार द्वारा किया जाता है। समितियों द्वारा शीर्ष दी पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है किन्तु इनकी स्वीकृति के लिए

गृह सचिव या वित्त सचिव का परामर्श लिया जाना है तथा राज्य का मुख्य मंत्रिव राज्य में होने वाली पदोन्नतियों को प्रशादित करता है।

4. भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए पदोन्नति (Promotion for the I.A.S.)—भारत एवं संघ गण्य है और इनीलिए यहाँ गण्य के लोकसेवकों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किया जा सकता है। इसका निरांयं राज्य के लिए निमित्त एवं समिति द्वारा किया जाता है। इसके मध्यमें तथा बाधों का उल्लेख पड़ने दिया जा सकता है। इस समिति द्वारा पदोन्नति के लिए जो सूची बनाई जाती है उसमें वरिष्ठता एवं योग्यता दोनों का ध्यान रखा जाना है। चयन के लिए बम संक्षम आठ वर्षों की सेवा प्रशिक्षार्थी योग्यता के प्राप्ते वरिष्ठता के मिद्दोन्न को मीट छोड़ा जा सकता है। उच्चतम दरों के लिए पदोन्नतियों के लिए वेविटेट की समिति द्वारा की जानी है। इसमें प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सम्बन्धित विभाग का पन्थी रहता है। मन्त्रिमण्डल का सचिव इस समिति वे सचिव के हृषि में कार्य करता है।

#### पदोन्नति के सम्बन्ध में वेतन घायोग की सिफारिश

(Recommendations of the Pay Commission (1957-59) Concerning Promotions)

वेतन घायोग द्वारा पदोन्नति के सम्बन्ध में एक सफारिश निम्नलिखित थी—

1. उच्च पदों पर पदोन्नति करते समय घोषणा को सापेक्षपूर्ण बनाना चाहिए और निम्न स्तर के पदों पर वरिष्ठता एवं उत्तमता को घोषणा बनाना चाहिए।

2. पदोन्नति के लिए योग्यता परीक्षाएँ कठिन उन्हीं पदों के सम्बन्ध में जानी नाहिए जिनके लिए विशिष्ट ज्ञान को आवश्यकता होती है। इस घोषणाद बोर्ड कर द्यन्य पदों पर पदोन्नति करते समय योग्यता का नज़ीका नहीं घोषणाद जाना चाहिए।

3. तृतीय थेरेटी तथा राजपत्रित द्वितीय थेरेटी वर्मचारियों की पदोन्नति करते समय शीर्षित प्रतियोगी वरीयताओं की ध्येयता को जानी चाहिए।

4. कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन का हर उन कर्मचारियों के वर्गे दे वायं की प्रकृति से सम्बन्धित होना चाहिए। इसके प्रतिरिक्ष यह उपासमन्वय ग्रहण होना चाहिए। कार्ये के विभिन्न शीर्षिकों में कर्मचारियों की योग्यता का निश्चय दिया जाना चाहिए।

5. योग्यताएँ विवरण का प्रत्येक उच्च स्तर पर मूल्य परीक्षण करके वह प्रत्येक समायोजन जाना चाहिए इसे सम्बन्धित घनुमेत्रा के घनुमार ही तंत्राय दिया जाया है। ऐसा न होने पर उसे संशोधन के लिए वाद्य लौटा दिया जाना चाहिए।

6. चयन सूची को सम्बन्धित पर बदलने रहना चाहिए। पदोन्नति रिप्रेसेंटेटिव एवं कर्मचारियों का नाम सूची में हटा दिया जाना चाहिए।

## प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें (Recommendations of Administrative Reforms Commission)

प्रशासनिक सुधार आयोग का 11वाँ प्रतिवेदन सेवीवर्ग प्रशासन के सम्बन्ध में (प्रब्रेल, 1969) था। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

1. विभागीय पदोन्नति समिति—आयोग के मतानुसार जहाँ विभागीय पदोन्नति समिति नहीं है वहाँ इसका गठन किया जाना चाहिए। इस समिति का मामला पर्याप्त उच्च स्तर का होना चाहिए। इस समिति वा एक सदस्य ऐसे विभाग से लिया जाना चाहिए जिसकी पदोन्नति के मामले विचाराधीन रहीं हैं।

2. कार्य सम्पन्नता प्रतिवेदन—वर्ष के अन्त में विस अधिकारी को आविस का प्रतिवेदन किया जाए उसे प्रतिवेदन के साप्रधिक से अधिक 300 शब्दों का एक सार नेतृत्व देना चाहिए जिसमें वर्तमानी के कार्य एवं विशेष उपलब्धि का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह सारलेख गोपनीय प्रतिवेदन का भाग बना किया जाए तथा मूल्यांकनवर्ती अधिकारी तक भेजा जाए। यह अधिकारी चाहे तो अपना मत भी उस पर अद्वित बर सकता है।

गोपनीय प्रतिवेदन पर केवल तीन अंगीकारण किए जाने चाहिए—  
(क) असाधारण रूप से पदोन्नति के योग्य है, (ख) पदोन्नति योग्य है, तथा  
(ग) अभी पदोन्नति के योग्य नहीं है। ऐसी बोई थेरेण्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है जिसमें पदोन्नति के ग्रंथोच्च लिखा जाए। प्रथम थेरेण्टी में केवल 5 से 10% तक कर्मचारियों की ही लेना चाहिए। साथ ही उनके असाधारण वर्ष का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बादिक प्रतिवेदन को गोपनीय रपट (Confidential Report) न कहकर कार्य सम्पन्नता प्रतिवेदन (Performance Report) कहा जाना चाहिए।

3. द्वितीय थेरेण्टी से प्रथम से पदोन्नति हेतु परोक्षाएँ—आयोग ने पहले मन व्यक्त किया कि द्वितीय थेरेण्टी के अधिकारियों को प्रयन थेरेण्टी में पदोन्नत करने के लिए उपलब्ध आधे स्थानों को तो बतंमान प्रक्रिया द्वारा ही भरा जाना चाहिए फिन्टु शेष प्राप्तों के लिए परीक्षा ली जानी चाहिए। द्वितीय थेरेण्टी के जो अधिकारी एक विषयागत समय (जैसे पांच वर्ष) तक सेवा कर सकते हैं तथा अभी पदोन्नति के लिए अप्रयोग नहीं ठहराए गए हैं वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा के असाधार पर प्रत्याशियों की 'ए', 'बी' तथा 'सी' तीन थेरेण्टी बनाई जानी चाहिए। 'सी' थेरेण्टी में वे प्रत्याशी रहे जाएं जो अभी पदोन्नति के योग्य नहीं हैं, 'बी' में वे जो बीचीय स्तर के पनुद्रूव हैं तथा 'ए' में असाधारण का रखा जाए। इन थेरेण्टों के प्राप्तार पर एक सूची बनाई जाए। एक ही थेरेण्टी के प्रत्याशियों ने सूचीबद्ध बरते समय उनकी वरिष्ठता का घ्यान रखा जाए।

4. दृतीय थेरेण्टी वालों को द्वितीय थेरेण्टी में पदोन्नति—ऐसे कर्मचारियों की सह्या कापी होती है जो तृतीय थेरेण्टी से द्वितीय थेरेण्टी में पदोन्नत हिए जाते

है। ऐसे 50% पदों पर पदोन्नति के लिए वरीशा प्राप्ति की जानी चाहिए। शेष 50% की पदोन्नति के लिए वर्तमान तरीका ही अपनाया जाना चाहिए।

### तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें

#### (Recommendations of the Third Pay Commission)

तृतीय वेतन आयोग ने विभिन्न थेमों के वर्तमारियों की पदोन्नति के लिए कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की।<sup>1</sup> इनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं—

(i) अतुर्धर्ष पव नूतीय थेमों के वर्तमारी बर्ग के लिए अध्ययन अवधारणा देने की व्यवस्था की जाए ताकि वे अपनी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएँ बढ़ा सकें। इस प्रशार्य योग्यता बढ़ाने वाले वर्तमारियों को आयु सम्बन्धी दूर देवर उच्च पदों के लिए बाहर काना वे माध्य प्रतियोगिना वा अवसर दिया जाए।

(ii) उच्च थेमियों के लिए पदोन्नतियाँ अनेक दारणों से धीमी गति से होनी हैं। आयोग के मतानुसार यदि द्वितीय एवं तृतीय थेमों के वर्तमारियों को शीघ्र पदोन्नति का अवधार प्राप्त हो सके तो इनमें अधिक योग्य अधिक आने लगेंगे। इन हतु वर्तमान पदोन्नति का रियतीग (Quota) बढ़ा देना भी उपयोगी रहेगा।

(iii) सेवागत कमचारियों को पदोन्नति के मामले में केवल आयु सम्बन्धी दूर दी जाए उनको शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं से कोई दूर न दी जाए तथा व्यावसायिक परीक्षा का स्तर भी ममान रखा जाए। नीचे के स्तर के कमचारियों को केवल तभी पदोन्नति किया जाए जबकि वे उच्च पद के दायिन्वों एवं मायों को पूरा करने में मग्नम शिक्षा हो जाए।

### भारत में पदोन्नति व्यवस्था के दोष

#### (Defects of the Promotion System in India)

भारत में नोक्सेवर्कों की पदोन्नति एवं लोर्ड वेंजानिक तरीका नहीं अपनाया गया है। यही बारगा है कि स्वयं नोक्सेवर तथा मामान्य अनन्त द्वारा इसकी प्राप्तिकरण की जानी है। पदोन्नति का आधार कभी नोक्सेवर अध्यक्ष की इच्छा को बनाया जाता है और कभी वर्तमारी के बायों को, कठनः पर्याप्त वे अवधार बटन हैं और योग्य तथा क्षमतावान व्यक्ति पदोन्नति होने में बचिन रह जाते हैं। हमारी पदोन्नति व्यवस्था के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

1. वर्तमारी की व्यक्ति दानों को पदोन्नति के अध्य देखा जाता है वह पूरी जीव-पहाड़त तथा निष्पक्षता के माध्यम से नहीं बनाई जानी।

2. योग्यता के मिटान की पदोन्नति के समय उपर्युक्त स्थान नहीं मिल पाता। इसके अनुशीलन की अपेक्षा उन्नतिका अधिक विद्या जाता है।

3. बहुत से वर्तमारियों के पदोन्नति के द्वारा अन्तर्भूत विभिन्न व्यवस्था द्वारा विचारार्थ प्रेयित नहीं किए जाते। नोक्सेवर आयोग उन पर विचार ही नहीं वर उन पर इसनिए ऐसे वर्तमारी पदोन्नति के लाभ में बचिन रह जाते हैं।

1. Report of the Third Central Pay Commission, op. cit., p. 82.

4 विभागीय अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में प्राप्त शक्तियों का कई बार दुर्घटपौर किया जाता है। इसके लिए या तो कोई हृदयन्त्र अभिकरण बनाया जाए अथवा कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस कार्य में भाग लें।

5 रिक्त स्थानों की सूचना को कर्मचारियों से चुप्त रखा जाता है और इस कारण कभी उभी तो वे आगे प्रति किए गए प्रश्नों पर जवाब देने परिवर्तित ही रह जाते हैं।

6 कई पदोन्नतियाँ स्वेच्छाचारी तथा प्रसम्बद्ध रूप में होती हैं। जिन गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर ये की जाती हैं उसका निष्पक्ष एवं विश्वासनीय होना भी सुन्दरजनक है। प्राप्त ये रत्नवेदन खातापूर्ण एवं ग्रैपचारिकता निर्वाह के लिए तैयार किए जाते हैं। सम्बन्धित शिक्षिकारी से व्यक्तिगत समरक अथवा पूछताह नहीं की जाती।

7 ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा प्रभावित कर्मचारी अपनी पदोन्नति सम्बन्धी शिक्षायों का निदान या मक्के। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ शिक्षिकारी के प्रतिवेदन पर विरोध या व्यापत्ति प्रकट नहीं करते, उसे यथावद् स्वीकार कर लेते हैं।

8 पदोन्नति के अवसर वर्म और प्रत्याशी अधिक होते हैं। इस प्रकार प्रतियोगिनों वड़ जाती है। यह व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक गम्भीर समस्या है। इससे दोषनामे अविश्वास पैदा होता है तथा अयोग्य दूसरे तरीकों को अपना कर गफनता प्राप्त वर लेते हैं।

उपरोक्त दोषों को ध्यान में रखकर मदि सुधार किए जाएं तो पदोन्नति व्यवस्था को पर्याप्त बदलाव जा सकता है। पदोन्नति के आधार, प्रक्रिया, प्रभार एवं व्यवस्था में बाहित परिवर्तन होने पर संगठन अधिक सक्रिय, समर्थ और संतुष्ट बन सकता है। प्रो एन सी राय के मतानुमार, “प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए अधिकारी ही एवं संगठन ने प्रकृति निर्धारित करते हैं, भन पदोन्नत कर्मचारियों की सम्प्या इतनी ही जो उच्च सेवा में इस प्रकार समाहित हो जाए कि उसकी प्रकृति एवं परम्पराओं को बदल न सके। पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष भर्ती का अनुपात इसी मापदण्ड के आधार पर तय किया जाना चाहिए।” सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में जो एक के बाद एक कदम उठाए हैं, उनसे कार्मिक प्रशासन और प्रबन्ध के लिए भी चढ़ेमुखी सुधार हुआ है।

### ग्रेट ब्रिटेन में पदोन्नति व्यवस्था (Promotion Systems in Great Britain)

डॉ हरमन पाइनर ने लिखा है कि ग्रेट ब्रिटेन में 1919 के सुधारों से पूर्व पदोन्नति की कोई स्थिरकारिक प्रक्रिया नहीं अवश्याई जाती थी, उपनिविष्यों वाले कोई विचित्र एवं तुलना योग्य अभिलेख नहीं रहता था तथा उच्च श्रेणियों में पदोन्नति प्रवर्तन श्रेणियों की सहज वीज्ञेका अधिक थे। 1920 के मूनर्फेंटन प्रतिवेदन

वे बाद यही पदोन्नति के घटनाकाल बढ़ गए हैं इन्हें पिछे भी निपिक वर्ग घटनाएँ वी कमी की शिकायत भरता रहता है।<sup>1</sup> प्रेट क्रिटेन में मण्डन की Personal Rank Scheme को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत पदोन्नति के विभिन्न स्तरों को समान उत्तरदायिता किन्तु भिन्न तरीके बाले करत्या सौंप दिए गए हैं। इस व्यवस्था में पदोन्नति की विकाशी व्यवस्था और कठिन बन जाती है। इसमें भिन्न वर्गहृत योजना में कर्मचारियों के कार्यों एवं उत्तरदायितों में पदोन्नति के अनुमार भिन्नहृपता होती है। इसलिए वर्ती पदोन्नति बरबा अविक्ष मुविधाजनक होता है।

### पदोन्नति के सिद्धान्त (Principles of Promotion)

विटिल लोडमेंटे के प्रारम्भिक इतिहास में पदोन्नति का मुख्य आधार वरिष्ठता था। इसके पात्तवस्था उच्च पदोन्नति पर अधिकारी था एवं तथा लोड-मेंटवालों की सामान्य कार्यक्रमाला को हानि पहुंची। ट्रेनीमियन-नाथेंकोठ प्रनिवेदन (1853-54) में इसकी भारी दारोंवाला की गई तथा दोषिता व्यवस्था का समर्थन किया गया। बाद में शान बाल योग्यों एवं जीव यमियों ने इस मन का समर्थन किया। लैक्सफर यायोग (Playfair Commission 1875) के शब्दों में ‘एक अधिकि की पदोन्नति का आधार यह नहीं होता चाहिए कि उससे उपर चाने लोग इसके लिए प्रत्युपयुक्त ये बरत् यह होता चाहिए कि वह अधिकि ही उस स्थान विशेष के लिए सर्वथेष्ठ याति है। इस दृष्टि से कोई सीधी अधिकि प्रत्युपयुक्त नहीं है तथा वरिष्ठता के बावजूद भी योग्यता के आधार पर उस पदोन्नति दिया जा सकता है।’

अमरन में वरिष्ठता एवं योग्यता दोनों एक दूसरे की सहायक तथा प्रनुपुरव्व है। इनमें से किसी की अवहेलना करने वाली व्यवस्था दोषपूर्ण बन जाएगी। प्र. ई. एन. रेनेइन ने लिखा है कि एक प्रभावशाली पदोन्नति व्यवस्था मुहूर्त नीन उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है—(i) उच्च पदोन्नति के लिए सर्वथेष्ठ अधिकारी का चयन, (ii) मानविक लोगों को यह सम्मोहन कि यह उचित योर-यापूण है तथा (iii) समय कर्मचारी सरकार के पर रखनात्मक प्रभाव।

पदोन्नति का सम्बन्ध में विटिल लोडमेंटा की प्रतियोगी के सामान्य मिदान राष्ट्रीय हिटले परियद की पदोन्नति समिति के दो प्रनिवेदनों (1922 तथा 1938) पर आधारित है। मार्च, 1954 में इसमें परिवर्तन भी किया गया है।

### पदोन्नतिकर्ता यन्त्र (The Promotion Machinery)

नागरिक सेवायों में पदोन्नति मुख्य रूप से एक विभागीय विषय है, यह सामान्य सेवा का विषय नहीं है। कर्मचारी वर्ग के चयन का दायित्व विभागाध्यन, मन्त्री तथा अवकाश भी स्थायी सरिव एवं उच्च स्तरों पर पदोन्नति करते गमय राष्ट्रकोष के संयुक्त स्थायी सरिव से परामर्श लिया जाता है जो कि नागरिक सेवा के अध्यक्ष की हैविषय में सार्व भरता है। स्थायी सरिव, उपसरिव, प्रमुख वित्त अधिकारी तथा अमुख स्थायी सादि के विभागीय वदा हो भरने मध्य

1. Herman Finer, The Theory and Practice of Modern Govt., 1963, p. 347.

विषयवस्तु ही हो सकता है। इमंडे प्रतिरिक्ष प्रतिवेदनकर्ता के इस कार्य में प्रधान मन्त्री की राय ली जाती है। आजवर्त एक से प्रधिक विभागों में नियक्ति होने वाले विशेषज्ञ व्यावसायिक एवं तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नतिरूप में प्रधिकरण अनाविभागीय रूप में होने लगी है।

येट घटेन वे बनेमान पदोन्नति यन्त्र के दो ग्रन्थ हैं—(i) प्रत्येक विभाग में मन्त्रिविभाग से सराठिन पदोन्नति मण्डल तथा (ii) पदोन्नति के क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों के लिए मानक प्रतिवेदनों की व्यवस्था। घटिंग लोकसेवाधोर में पदोन्नति व्यवस्था को द्वारा नीतेन्जी तथा ग्रोव ने सक्षेप में निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है।

(1) स्टाफ प्रतिवेदन (Staff Reporting)—ऐसले वरिष्ठता के प्राधार पर पदोन्नति न करके जब योग्यता को महत्व देने की चेष्टा की जाती है तो व्यक्तिगत वर्मचारियों के कार्य मध्यमी प्रतिवेदनों को मानक बनाया जाता है। ऐसा होने पर निष्पक्ष तुलना तथा निष्पक्ष चयन हो पाता है। ये मानक प्रतिवेदन मध्यप्रथम 1922 में प्रारम्भ हुए। इस प्रकार के प्रतिवेदन सामर्थ्यिक रूप में, प्राप्य प्रतिवेदन एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सभी कार्यकर्ताओं के बारे में उच्च अधिकारी को प्रस्तुत किया जाते हैं। इनमें कुछ मीमित शीर्षक होते हैं, जैसे—जाल, व्यक्तिगत, चारित्रिक गति, नियंत्रण लेने की शक्ति इत्यादि। प्रत्येक शीर्षक के अधीन अनेक घोड़म होते हैं, जैसे—उत्कृष्ट, प्रतिश्वेष्ठ, सन्तोषजनक उदासीन, निकृष्ट आदि। यदि इसी व्यक्ति का मूल्यांकन निम्नतर घोड़ में किया जा रहा है तो प्राप्य उसे वह बना दिया जाता है ताकि वह या तो विरोध प्रवट कर सके अथवा स्वयं को मुधार सके। इन प्रतिवेदनों पर प्रस्तुतकर्ता से प्रब घोड़ वरिष्ठ प्रशिक्षिकारी वे प्रतिहस्ताधर कराता जाते हैं और उसके बाद यह सम्बन्धित स्थापना भव्हन (Establishment Division) को भेज दिए जाते हैं। यहाँ इसे कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावारी (Personal File) में जोड़ दिया जाता है ताकि आवश्यकता के मध्य पदोन्नतिकर्ता अधिकारी इसे देख सके।

वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग हम प्रतिक्षया से मुक्त है। इस मुक्ति के लिए उपयुक्त वेतन स्तर का निश्चय प्रत्येक विभाग द्वारा वर्मचारी वर्ग से विवार-विमर्श करके किया जाता है। ये पदोन्नति प्रतिवेदन प्राप्त उन घोड़म के लिए अधिक महत्व के होने हैं जिनमें कर्मचारियों की दर्दी सम्प्या होती है। छोटे पदों पर पदोन्नतियाँ बहुत कुछ वरिष्ठता के प्राधार पर कर दी जाती हैं तथा उच्चनर पदों के अधिकारियों की सम्प्या कम होती है तथा वे निराविको में व्यक्तिगत रूप से परिचित होते हैं इसनिए उनके सम्बन्ध में भी पदोन्नति प्रतिवेदन का विशेष महत्व नहीं होता।

प्रतिवेदन का रूप विभिन्न विभागों तथा श्रेणियों में अन्तर-अन्तर होता है इन्हुंने एक विभाग की एक ही श्रेणी के सभी अधिकारियों के लिए यह एक जैसा होता है। यह तरीका पदोन्नति प्रक्रिया को मानक बनाने की समस्या को नहीं

सुनभाता वयोःि आचिर प्रतिवेदनों की तुलना करके लिया जाने वाला निर्णय प्रो शोपचारिकानावश ही करते हैं तथा कर्मचारियों के अक्तिकान गुणों पर विशेष ध्यान ही कार्य के लिए स्थानों की पूर्ति मात्र करते हैं।

(2) विदेश कार्यालय के अतिरिक्त सभी सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर इन रियानों की पूर्ति सम्बन्धित मन्त्री द्वारा प्रधान मन्त्री वी महमति से की जाती है। प्रधान मन्त्री गृह नागरिक सेवा अध्यक्ष के परामर्श पर काय करता है। इस पदोन्नति के लिए बहुत कुछ उत्तरदायित्व गृह नागरिक सेवा अध्यक्ष (Head of the Home Civil Service) का हो रहता है। लियुक्तियों पर अविस्तरणों की सीमा भी लगी रहती है। उस समय उच्च पदों पर सेवा के बाहर से किसी भी लियुक्ति करना बहुत ही बठिन है। लियुक्तिने के समय वरिष्ठता को प्रमार दिया जाता है। अन्य वाले समान होने पर वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति किया जाता है। मैकेन्जी तथा गोव के इथानानुसार, "गृह नागरिक सेवा के अध्यक्ष को लोकसेवकों के भविष्य पर महान् शक्तियाँ प्राप्त हैं किन्तु उसे गदेव लोकसेवा वी आखोचनापूर्ण निगाहों के नीचे काम करना होता है।"

(3) महायक सचिव तथा उससे ऊपर वी ममो थेलियों ये पदोन्नेतिर्या स्थाई सचिव के परामर्श पर विभागीय मन्त्री द्वारा की जाती है। यहाँ स्थाई सचिव अनोपचारिक रूप म इमलिए कार्य करता है ताकि उसके विभाग का प्रबन्ध मुचारु हूप से चलना रहे। वह अपने प्रमुख स्थापना अधिकारी स समर्क स्थापित करता है तथा विशेषज्ञों की लियुक्ति के समय अपने विभाग की उसी विशेष श्रेणी के वरिष्ठ मदस्य से परामर्श लेता है। उदाहरण व लिए शिक्षा निरीक्षालय म वरिष्ठ पदा पर पदोन्नति के समय शिक्षा मन्दालय का स्थायी सचिव प्रमुख शिक्षा निरीक्षक के कहे अनुमार कार्य करता है। कुछ प्रभार मारेजिक वरिष्ठता को भी दिया जाता है किन्तु अन्तिम निर्णय लियुक्तिकर्ता अधिकारी के स्वविवेक द्वारा ही लिया जाता है।

(4) पदोन्नति मण्डल (Promotion Boards)—निम्नस्तरीय पदों पर पदोन्नति का दायित्व किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं रहता तथा भारी सम्प्य म पदोन्नति के मामलों पर विभागीय पदोन्नति मण्डल द्वारा विचार किया जाता है। इस मण्डल (Board) की रचना इस बात पर निर्भर करती है कि वी जान वाली पदोन्नति की वरिष्ठता, कितनी है। शाय स्थापना अधिकारी (Establishment Officer) अथवा उसकी प्रोर से अन्य कोई व्यक्ति इसका सभापनिष्ठ करता है। इसकी सहायता के लिए स्टाफ के दो अन्य वरिष्ठ मदस्य होते हैं। इनमें से एक उमी विवाराधीन ग्रेड का व्यक्ति होता है। कर्मचारी वर्ग के पक्ष का मण्डल मे प्रतिनिधित्व नहीं होता वयोःि कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधि पदोन्नति के व्यक्तिगत दावों के बारे म बाद-विवाद नहीं बरता जाता। इनमें पर भी कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधि खोड़े के मध्युल उपस्थित अदरश्य हो सकत है ताकि यह पना लग सके कि सटपत सामान्य नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। इस विषय को ये वापी महसूपूर्ण मानते हैं।

पदोन्नति मण्डल के द्वारा प्रत्येक मामले पर विचार करते समय सभी उपनिषद् प्रमाण तथा गवाहियाँ ध्यान में रखी जाती हैं। यह सम्बन्धित प्रत्याशियों का साक्षात्कार भी ल मरुता है। साक्षात्कार करने के लिए बनाई गई पेनल में वरिष्ठ अधिकारी रहे जाते हैं।

पदोन्नति मण्डल द्वारा प्रत्येक मामले पर विचार करते समय सभी उपनिषद् प्रमाणों एवं गवाहियों वो ध्यान में रखा जाता है। पदोन्नति करने से पहले प्रत्याशी की योग्यता मापने के लिए उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। ऐसे साक्षात्कार के समय जो पेनल बनाई जाती है उसमें वरिष्ठ अधिकारी रहे जाते हैं। पदोन्नति मण्डल वो विभिन्न प्रत्याशियों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली सूचनाओं के स्रोत बनेत्र हैं जैसे—कर्मचारी की सेवा का व्यक्तिगत अभिलेख, उच्च प्रधिकारियों की विशेष मिफारियों, विशेष प्रतिवेदन, व्यक्तिगत परिचय, कर्मचारियों के वारिंग प्रतिवेदन आदि। इन सभी घोटों से प्राप्त सूचनाओं एवं तथ्यों के आधार पर ही पदोन्नति मण्डल पदोन्नति की पात्रता रखने वाले प्रत्याशियों की योग्यताओं का तुनात्मक विवेचन करता है।

### पदोन्नति की प्रक्रिया (The Process of Promotion)

विभिन्न विभागों तथा थेगियों के पदोन्नति की प्रक्रियाओं में थोड़े बहुत अन्तर रहते हैं बिन्तु सामान्य हृष प्राप्त एक जैसा ही होता है। पदोन्नति के लिए सबसे पहले रिक्त स्थानों का होता आवश्यक है। रिक्त स्थान होने पर पात्रता रखने वाले प्रत्याशियों को वरिष्ठना के आधार पर प्रतिवेदन में शामिन किया जाता है। पदोन्नति का अन्तिम निर्णय या तो केवल प्रतिवेदनों और सेवा अभिलेखों के आधार पर किया जा सकता है अथवा इस हेतु साक्षात्कार का तरीका भी घपनाया जा सकता है। कुछ विभागों में यह नियम है कि यदि पात्रता रखने वाले प्रत्याशियों को पदोन्नति मण्डल द्वारा तीन बार अस्वीकार कर दिया जाए तो उसके बाद वह पदोन्नति के लियोग्य बन जाता है। यदि इसी अधिकारी की पदोन्नति नहीं की जानी अचान्क तथा कोई पदोन्नति के मध्य भी में कोई शिकायत है तो ऐसा प्रभावित व्यक्ति थार्न करने वा अपराधी है। यदि कर्मचारी यह अनुभव करे कि पदोन्नति के किसी मिदान का उल्लंघन हुआ है तो वह ड्रिटले रौसिल के स्टॉफ पक्ष से इस मामले को सुनवा सकता है।

पदोन्नति सम्बन्धी अपीलों का रूप विभिन्न विभागों में एक जैसा नहीं होता है। छोटे विभागों में स्वयं विभागाध्यक्ष द्वारा ये प्रपोले मुनी जाती हैं। बड़े विभागों में अपील मुनवाई के लिए प्रलग तो व्यवस्था की जाती है। प्रभावित पक्ष की शिकायतें निलिन हृष में कागज पर ले ली जाती हैं। अपील की यह प्रक्रिया विशेष सन्नोद्य-जनक नहीं मानी जाती तथा जब तक ऐसा कर्मचारी वे पक्ष में नहीं होता, उसे यह विश्वास नहीं हो पाता कि उसकी शिकायतों पर पुनर्विवार किया जो गया है। अपील का प्रनिम निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा दिया जाता है जो कि पदोन्नति का निर्णय नेतृत्व वाला अधिकारी है। रेडन के मतानुसार यह कोई मजबूती प्रपील

व्यवस्था नहीं है। कहावन के अनुमार यह सीजर के विरुद्ध सीजर में अशील करते जैसी स्थिति है। ड्रिटेन मध्यम की भौति प्रशासकीय व्यापालय की व्यवस्था नहीं बी गई है। यदि कोई लोकसेवक अपने पश्चोन्नति सम्बन्धी शिकायत अपने सौमिद को जिल बर भेजता है तो वह एक प्रकार से सेवामुक्त होने का जोखिम उठाता है। इस दृष्टि में ड्रिटिंग नोक्सेवक द्वितीय श्रेणी का नागरिक है।

पदोन्नति के अवमर एक विभाग में होने वाले रिक्त स्थानों से प्रभावित होते हैं। पदोन्नति को धर्मिक वस्तुनिष्ठ वदाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ प्रारम्भ बी गई हैं। यदि एक एकाधिकारी को निष्पादक वर्ग से प्रशासकीक वर्ग में पदोन्नति किया जाता है तो Method II से भीमित प्रतियोगी परीक्षाएँ उन प्रत्यक्षियों की नी जाती हैं जो 20 से 28 वर्ष की आयु के हो तथा कम में कम दो वर्ष तक स्थायी पेशनयुक्त पद पर कार्य कर चुके हों। 1966 तक की स्थिति के अनुमार प्रशासनिक वर्ग के 20% रिक्त स्थानों की पूर्ति इसी प्रकार नी जाती थी। यह अनुपात समय-समय पर बदलता रहता है। ड्रिटिंग लोकसेवायों में पदोन्नति के लिए भी जाने वाली प्रतियोगी वर्गाधीयों का एक धर्म उदाहरण चुनी नथा आवकारी दिनांग में है। यही सर्वेक्षण जा महत्वपूर्ण पद तुरन्त नीचे वे घोड़े के तेमें प्रधिकारियों की परीक्षा लेकर भरा जाता है तो कम में कम 15 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर चुके हों। परीक्षा पदोन्नति को टमलिंग प्रशनाया गया वयोकि प्रत्यक्षी बड़ी सम्भाव्य में पूरे देश म पूरे हुए हैं तथा भरे जाने वाले उच्च पदों की सम्भाव्य संदेश कम रहती है।

ड्रिटिंग पदोन्नति व्यवस्था की एक उत्तेजनीय बात यह है कि इसका आधार स्थल विभाग है, यह कोई सेवा व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यही मेंवा एव नहीं है, परन्तु है। पदोन्नति के अवमर न बेबत द्वे दो वीच ही मिन्न भिन्न होते हैं वरन् विभिन्न विभागों में एक ही घोड़े में भिन्न-भिन्न होते हैं।

### सम्युक्तराज्य में पदोन्नति व्यवस्था (Promotion System in U S A)

सम्युक्तराज्य अमेरिका क सर्वीवर्द्ध प्रशासन में पदोन्नति के महत्व एव प्रभाव बो गम्भते हैं एव मुनियोजित एव वंशानिक प्रतियोगी धानाने बी चेष्टा की गई है। प्रशासनिक वर्गाधीयों को वायर बी द्वेरला के रूप म प्रतिनिधि वित्तने अवमर दिए जाएं, इन पदों पर योग्य नथा अनुभवी वर्गाधीयों को पदोन्नति वरके भत्तियों नी जाएं, वर्गाधीयों की पूरी कमता का विश्वास बरबे उमड़ी योग्यताधीयों का बीसे ममुक्षा प्रयोग विद्या जाएँ, अन्दर से तथा बाहर से की जाने वाली भर्ती व बीच बीचे उपयुक्त सम्मुखन रता जाएँ, यदि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहीं पर्याप्त विचार विद्या गया है। इनने पर भी पदोन्नति सम्बन्धी भर्ती प्रश्न सभी तक मनमिनता का विषय बने हुए हैं। पदोन्नति वायंकर्म की व्यापकता के सम्बन्ध में भी सभी एकमन नहीं हैं। बुद्ध सेवीवर्द्ध तथा वर्गाधीयों की राय है कि नभी कर्माधीयों को समक समय एव पदोन्नति वर अवसर मिलता रहता छाहिए। दूसरे नेता इनसे ही दूसरे वर्गों वड वर बहने हैं कि सीधी सर्ती बेबत दुष्य निम्ननर पदों को घोड़े वर सभी वे निए

पुरी तरह समाप्त कर दी जानी चाहिए। कुछ की मान्यता है कि 'पदोन्नति' योग्य व्यक्तियों को पद पर लेने की सामान्य स्टॉफ नीति वा एक भाग मात्र है तथा बाहर से बीं जान पाली भर्ती भी इसी वा एक भाग है।

अमेरिका में पदोन्नतियों के आधार के रूप में वरिष्ठता को अधिक महत्व दिया जाता है। एक समय ग्रॉविं वॉर्प के रूप में काम बरने वाला व्यक्ति भर्ती का प्रमुख बन जाता है। कभी-भी ऐसे लोग असाधारण रूप से प्रतिभावात्मी मिल होते हैं जिन्हुंने प्रायः ये उच्च पदों के लिए अनुप्रुक्त होते हैं। 'वर्षों के अनुभव' पर जोर देना अवैज्ञानिक है। प्रो. स्टॉल के मतानुसार '20 वर्षों का अनुभव' केवल एक वर्ष का अनुभव है जिसे बीम बार दोहराया गया है। निष्पादक (Executive) पदों पर कार्य करने वाले अनेक लिपिक ऐसे हैं जो अभी भी लिपिकीय तरीकों से ही काम बरते हैं।<sup>1</sup> पदोन्नति व्यवस्था के वास्तुविक व्यावहारिक स्वरूप वे इन आत्मोचनाओं का अर्थ यह कहाँपि नहीं है कि पदोन्नति की व्यवस्था को छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ केवल यही है कि इमरे कार्यहृष में जहाँ-तहाँ आवश्यक परिवर्तन किए जाएं ताकि इसे दोप्रमुक्त किया जा सके।

### पदोन्नति के अवसरों की व्यापकता

#### (Scope of the Promotion Opportunities)

पदोन्नति के सम्बन्ध में सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि कितने उच्च पदों को प्रश्नक भर्ती द्वारा तथा कितनों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना उचित होगा। इस प्रश्न का उत्तर अनेक बातों से प्रभावित होता है, जैसे—मण्डन की कार्यक्रमशाला, कर्मचारियों का मोरेल, भर्ती और चयन की स्थापित प्रक्रिया की प्रकृति, पदोन्नति का क्षेत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि। पदोन्नति द्वारा भर्ती के कारण लोकमेवाश्रों की ओर अधिक योग्य व्यक्ति आकर्षित होते हैं। यदि किसी मण्डन में अधिक योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने वी आवश्यकता एवं सम्भावना हो तो पदोन्नति के अवसर अधिक रखे जाते हैं। इसके विपरीत यदि ऐसी कोई सम्भावना नहीं हो तो केवल पुराने जग लगे तोपों वी उच्च पदों पर बैठाने का आविष्ट्य नहीं है।

अमेरिका में अधिकांश उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियाँ वी जाती हैं तथा एट ब्रिटेन की भाँति यहीं योग्यता सिद्धान्त का इतना प्रभाव नहीं है। एट ब्रिटेन में राजनीतिक नियुक्तियों के बहुत स्थायी अवर सचिवों से ऊपर के पदों पर ही ही हैं, किन्तु अमेरिका में तहायक सचिव, अक्लित सहायक, अवर सचिव, उप-प्रशासक, आदि अपने राजनीतिक सम्पर्कों के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। ऐसी नियुक्तियों द्वारा अनेक बार योग्य एवं प्रतिभावात्मी व्यक्ति भी आ जाते हैं। द्वितीय हूबर प्रायोग के टास्कफोर्म ने 1955 में इस नीति को जारी रखते हुए विभागाधारों को उच्च पदाधिकारियों वी नियुक्ति में व्यापक व्यवतन्त्रना देने वी बात कही थी।

1 "Twenty years of experience is merely one year of experience 20 times. Many are the clerks in executive jobs who are still operating them as clerical posts." —O. G. Stahl, op. cit., pp. 109-10

आजकल यह प्रवृत्ति बदल रही है, मुख्य रूप से वह अधिकार शेषी के विषय में। सधीय सेवा में प्रशिक्षण घोड़ी की मान्यता, इन्टर्न कार्यक्रम तथा पदोन्नति परिवर्तनों का सहीर समाज आदि बातें इस बदलती हुई प्रवृत्ति की परिचायक हैं। इसी कर्मचारी के पदोन्नति के प्रभाव समग्र में पदोन्नति की महत्वावनाएँ दी कुल सम्भा पर ही नियंत्र नहीं करते वरन् इस बात पर भी नियंत्र करते हैं कि अपनाएँ जाने वाले सेवीकारी एवं तरीकों की प्रकृति बना है।

मोरेल तिर्थीना द्वे स्व में पदोन्नति का व्यापक पहचान होने हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सेवा के बाहर में योग्य प्रत्याग्रिया की समाज का भी अपना महत्व है, अस्थासमग्र के कर्मचारी एवं अधिकारी की भावना में जड़ जाएंगे तथा समग्र को विभिन्न खोतों से अनुभवी व्यक्ति प्राप्त नहीं हो सकेंगे। स्टॉन का बहना है कि “अधिकारी समग्रों के बहुत से पद पूर्णतः अन्दर में मर्दी के त्रिए अवन रहे जाएं विन्तु अन्य के लिए बाहर से मर्दी करने हेतु पाता के रजिस्टरों की सौज भी छलती रहे।”<sup>1</sup>

### चयन एवं पदोन्नति का क्षेत्र

(Area of Selection and Promotion)

पदोन्नति के त्रिए जहाँ से प्रत्याग्रियों को लूँडा जा सकता है उस क्षेत्र का प्रभाव अनेक दृष्टियों पर प्राप्त है, जैसे उम सेवा या व्यवसाय का प्राकार पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यताएँ, किसी थेली अवधारणा एवं अधिकारी का आवश्यकता, विशेष विभाग अवधारणा सम्बन्धी आवश्यकता, पदोन्नति के लिए अपनाएँ जाने वाल नहीं के तथा स्थानान्तरण नीति आदि। पदोन्नति का काय दृष्टिपूर्वक सचानित करने के लिए यह प्राप्त है कि काथों का मर्दी वर्गीकरण किया जाए तथा समग्र के विभिन्न पदोन्नतों के लिए विवरण करने के लिए गठित किया जाए। वर्गीकरण याजना के कारण प्रत्यक्षस्था स्थापित होनी है तथा एक ही नियम में सभी पदोन्नति उनके शापमी सम्बन्धों को देखना सरल हो जाना है।

वर्गीकरण योजना की प्रवृत्ति उस क्षेत्र पर सीधा प्रभाव दाती है जहाँ से पदोन्नति के लिए पात्रों को प्राप्त किया जा सकता है। पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रतिवन्ध यह है कि बिग पद पर पदोन्नति की दाती है क्योंकि उसमें तुरन्त नीति के घोड़ वाले कर्मचारी ही उसके प्राप्तानी बन सकते हैं। इस प्रतिवन्ध के विरोध में ये बातें कही जाती हैं—(i) प्रत्याग्रियों को सूची मीमित करने पर प्रत्यक्षियों का बम ही जानी है तथा इसके कल्पनापूर्वक चयन घोषणा नहीं हो पाता। (ii) उस नीति के बाराण प्रशासन की विभिन्न शास्त्राध्यों में पदोन्नति का अवधारणी की गम्भीर असम्मानना पैदा हो जाती है। (iii) इस नीति के बाराण जिन कर्मचारियों को पदोन्नति का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता उनमें निराग की भावना मर जाती है।

मप्रकारात्मक अमेरिका में पदोन्नति के क्षेत्र की इटि में परम्परागत व्यवहार यह है कि इसे कम से कम प्रतिवन्धित करने की जिम्मा ही जानी है। परम्परा कर्मचारी

अपनी इकाई में होने वाले रिक्त स्थान पर पदोन्नत होना अपना निहित अधिकार मानता है तथा विभिन्न इकाईयों का कार्य इन्हीं भिन्न प्रकृति का होता है कि एक ही बग के कमेंचारी अन्य विमागों के कार्य से अपरिचित रह जाते हैं।

### पदोन्नतिकर्ता अभिकरण

#### (The Promotion Making Agency)

पदोन्नति नीति पर विचार बरते समय मुहूर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इसकी नियन्त्रण नेश्वीय सेवीवर्ग अभिकरण के हाथ में रहना चाहिए परवा भिन्न-भिन्न नियुक्तिकर्ता अधिकारियों के हाथ में। लेविस मेयर्स (Lewis Mayers) ने ठीक ही लिखा है कि 'पदोन्नति के लिए नदयन का ऐसा औपचारिक तरीका ढूँढ़ना, जिसमें सर्वथेड योग्यता प्राप्ति को तुरन्त चुना जा सके, सेवीवर्ग प्रशासन के समस्त क्षेत्र म सर्वाधिक महसूस्यपूर्ण समस्याओं में से एक है।'<sup>1</sup> इस सम्बद्ध में अन्तरिक्षी सन्दर्भ म अलग-अलग भूत प्रकाट किए जाते रहे हैं। एक और विचारको का विचार है कि प्रशासनिक अधिकारियों को पदोन्नति के बारे में पूर्ण स्वविवेक की शक्तियाँ रहनी चाहिए दूसरी ओर आय दिच्चारक प्रत्येक पदोन्नति-पर केन्द्रीय अभिकरण का नियन्त्रण चाहते हैं। इन दोनों अनियों के मध्य भी कई प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं।

### पदोन्नति के आधार

#### (The Bases of Promotion)

विसी प्रत्याजी की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता वो जीवने वा कोई भी एक तरीका स्वयं में आर्याप्त है। इसके लिए अनक तत्वा से आधार बनाया जाता है, जैसे—शिक्षा एवं घनुभव, सेवा की लम्बाई, कार्य सम्पन्नता, लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं के परिणाम तथा नेतृत्व, व्यक्तित्व एवं सहयोगिता आदि अक्षिगत गुण। सयुक्तराज्य अमेरिका में प्रमाणी पदोन्नति के आधारों का भव्ययन निम्न-लिखित शीर्षकों से किया जा सकता है—

**1. तुलनात्मक कार्य-सम्पत्ति (Comparative Performance)-पदोन्नति** के लिए उपयुक्त पात्रों में से उनकी तुलनात्मक कार्य-सम्पत्ति के आधार पर चयन का निर्णय लिया जाता है। इसके लिए दो बातें ज़रूरी हैं—(i) सभी कमेंचारियों के कार्यों एवं योग्यताओं का शृद्धात्मन अभिलेख रखा जाए, तथा (ii) विचाराधीन वित्त पद के लिए सुपाशों को पाने का क्षर्यकुञ्जल तरीका ढूँढ़ा जाए।

कमेंचारी वो व्यक्तिगत उपलब्धियों के अभिलेखों में परीक्षा सम्बन्धीय अभिलेख, वाय-सम्पन्नता-अनिवेदन, विशेष योग्यताएँ, जिक्षा एवं प्रज्ञानण, घनुभव, हॉबीज़, रचियी आदि वातें शामिल की जाती हैं। इनसे सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण पात्रों वो भी तुरन्त अभिलेख में शामिल किया जाता है वयोंकि ये निरुद्धिक तत्व होते हैं।

1. Lewis Mayers. The Federal Service - A Study of the System of Personnel Administration of the U S Govt., 1922, p 317.

वर्मचारी की उपलब्धियों का भवतन अभिनेता रखने का दायित्व एकमात्र वर्मचारी के हथों पर ही नहीं रखा जाता बरन् सेवीवर्ग प्रशासन भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

योग्य प्रत्याशियों का सूचर्वाई तंयार किया जाता है। सभी अभिनेतों को भवतन रखने की उपयोगिता नव तक कुछ भी नहीं है जब तक कि उनके प्राप्तार पर पात्रों को ढूँढ़ने का सरल तरीका नहीं खोज लिया जाए। बड़े सगड़नों में इसके लिए एवं काँई व्यवहा इन्व्य इलेक्ट्रोटिंग तरीकों की महायता ली जाती है। छोटे सगड़नों में इन्व्य तरीके प्रयोग ज्ञा सहने हैं।

**2. वरिष्ठता (Seniority)**—अमेरिका में वर्मचारियों की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता व्यवहा सेवावाल जी लम्बाई जो पर्याप्त महत्व दिया जाता है। अनेक उदाहरणों में तथा नरकारी अधिकारियों में इसका व्यापक प्रभाव है। परिषदीश मामलों में वरिष्ठता को दूसरे प्राप्तारों का संदृग्दोषी बनाया जाता है। वरिष्ठता के समर्थकों की मान्यता है कि नम्बे ममण तक एक पद पर कार्य करना इस बात का प्रमाण है कि कर्मचारी इससे उच्च पद पर भी कार्य कर सकता। यह एक प्रसत्य मान्यता है कि उच्च पद के कार्य एवं दायित्व भिन्न होते हैं। सेवा की लम्बाई जो महत्व दिया जाता जाहिए अवश्य नहीं, यह वैमान सेवा तथा भावी सेवा के कार्यों की प्रकृति एवं पारस्परिक प्रभावों पर निर्भर करता है। मामान्य रूप से 'वरिष्ठता' निर्णय लेने में एक सहायक तस्व होना चाहिए।

**3. परीक्षा (Examination)**—मधुकराज्य अमेरिका में जित पदों पर पदोन्नति के लिए योग्यता व्यवस्था को प्रदानाया जाता है वहीं प्रतियोगी प्रयवा गैर-प्रतियोगी प्रवार नी पदोन्नति परीक्षाएं धार्योगित की जाती हैं। येर प्रतियोगी परीक्षायों में नियुक्तिवर्ती अधिकारी की चयन की स्वतन्त्रता पर उनका अम्भीर प्रतिबन्ध नहीं अस्त।

पदोन्नति परीक्षा द्वारा वर्मचारी के उच्च पद के लिए बौद्धिनीय ज्ञान तथा गुणों की जांच की जाती है तथा उसके मानसिक गुणों और धार्याओं का पना संग्रह जाता है। पदोन्नति के लिए चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षायों वा भारी उपयोग किया जाता है। ये परीक्षाएं प्रौद्योगिक लिखित प्रतियोगिता पर विशेष जोर नहीं देनी बरन् प्रत्याशी के सगड़न में प्राप्त अनुभवों, प्राप्तियों, अविद्या एवं सद्यों को महत्व दिया जाता है। प्रौद्योगिक लिखित परीक्षाएं प्राप्त उन पदों के लिए उपयोगी रहती हैं जहाँ बड़ी महत्व में नियुक्तियों की जानी हो तथा प्रत्याशी भी भारी महत्व में हो।

**4. कार्य पर परीक्षा (Trial on the Job)**—अमेरिका में पदोन्नति के लिए एक अन्य तरीका कार्य पर परीक्षा है। इस पद पर पदोन्नति की जानी है, गम्भीर प्रत्याशी को उस पद पर प्रस्तावी हृप से कार्य करने का अवमर दिया जाता है तथा उसके व्यवहार कार्य-संभवता, इवि दृष्टिकोण प्राप्ति पर निराकृ रही जानी है। उन्से ज्ञानीय है कि इस प्रवार की प्रत्याशी नियुक्तियों उच्च अधिकारी

के छुट्टी पर जाने के समय अथवा अन्य अवसरों पर इस प्राप्ति की जाती है ताकि कमचारी यह न जान पाए कि पदोन्नति के लिए उमड़ी जाँच की जारी ही है। पता लगने पर यदि उगे पदोन्नत मर्ही किया गया तो उसका मोरेन गिर जाएगा। इस विधि की सीमा यह है कि इसे बेबल कहूँ उच्च पदों के बारे में ही अपनाया जाता है तथा वहीं अपनाया जाना है जहाँ प्रत्याशियों की सत्या कम होनी है।

### आदर्श पदोन्नति व्यवस्था

#### (Ideal Promotion System)

**आदर्श पदोन्नति व्यवस्था** के दो पहलू हैं—(i) यह प्रबन्ध को विश्वास दिलाती है कि सगड़न को विभिन्न उच्च पदों पर थोड़े प्रनिमाशाली व्यतियों की मेवा का लाभ मिलेगा। (ii) यह कमचारियों को विश्वास दिलाती है कि पदोन्नतियाँ योग्यता के आधार पर की गई हैं तथा पदोन्नति के अवसर व्यापक हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए स्टॉल महोदय ने मुस्यतः निष्ठलिखित मुभाव प्रस्तुत किया है जिसे अपनाकर आदर्श पदोन्नति व्यवस्था को नाम दिया जा सकता है—

(i) यदि ऊँची योग्यता वाले प्रत्याशी महान में नीजूद हो तो ऊँचे पदों को उमर्ही की नियुक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए किन्तु बाहर से प्रवेश को पूरी तरह अवश्य नहीं करना चाहिए।

(ii) उच्च पदों के लिए प्रशिक्षण वार्यंक्रम तथा वार्य पर प्रशिक्षण का विकास किया जाना चाहिए।

(iii) सम्पूर्ण सेवा के हिन के लिए ही पदोन्नति का लेन प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए। जहाँ सम्भव हो सके वहाँ अन्वितागीय एवं प्रृत्यंष्टिलीय पदोन्नतियाँ होनी चाहिए।

(iv) नई मर्ही की भाँति पदोन्नति के समय भी अवसर की समानता का ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी योग्यता प्राप्त कमचारियों के बारे में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए।

(v) पदोन्नति के लिए कोई भी एक मापदण्ड पर्याप्त नहीं है तथा एक उपयुक्त पदोन्नति व्यवस्था में प्रणाली की स्टैट से लोचशीलता रहनी चाहिए।

(vi) पर्यंतेक का योगदान महत्वपूर्ण है। सेवीवर्ग प्रधिकारियों द्वारा अभिलेप प्रणाली तथा अन्य प्रक्रियाओं द्वारा पदोन्नति के पात्रों का निर्धारण वरने पर्यंतेक को बताना चाहिए तथा अन्त में उमड़ी तुलनात्मक योग्यताप्रो के आधार पर पदोन्नति का निर्णय किया जाना चाहिए।

### फ्रांस में पदोन्नति व्यवस्था (Promotion System in France)

पौर मेवीवर्गको की वर्तमान पदोन्नति व्यवस्था एवं ऐरिहामिक विकास का परिणाम है। तुनोय गणराज्य के समय व्याप्त वरिष्ठता के मिदान के प्रति धीरे-धीरे मन्देह का माव उभरने लगा था। वयों तक परिवर्तन लाने के लिए यही

प्रयाम चलते रहे। योग्यता के आधार पर तथा वरिष्ठता के आधार पर वीज जाने वाली पदोन्नतियों के दीच अनुमान निश्चित बरने के प्रयाम चलते रहे। इन प्रयामों की वेवल यही उपलब्धि हो सकी कि मामला एक सारदीय आदोग वो सौंप दिया गया। इसके प्रतिक्रिया पदोन्नति निर्णायित करने के निए विभागीय परिषदें स्थापित की गईं। इन परिषदों में विभागीय थ्रेड के कमानी वर्ग वो अनामव्यक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

वर्तमान समय तक पदोन्नतियाँ विभागों ने विभिन्न बरने के लिए प्रसारित फ्रेशीज के प्रनुह्य होनी रही है। फैव के लोग जब प्रगति (Advancement) शब्द वा प्रयोग करते हैं तो उनका मतलब उसी थेटी में ऊपर की ओर तथा उच्चतर थ्रेड की ओर गति में रहता है। इनमें प्रथम पर द्वितीय की अपेक्षा वरिष्ठता का प्रभायु अधिक या तथा इसमें नोक्सेवर को अपेक्षाकृत अधिक वेतन दिया जाता था। सच्ची पदोन्नति—पर्याप्त उच्चतर थ्रेड पर पदोन्नति मुख्यतः विभाग अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर थी जिसका अर्थ अद्वाहर में उच्च अधिकारियों का प्रयाम था। 1912 के अधिनियम द्वारा पदोन्नति सूची वो व्यवस्था करके पक्षपात पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई। पदोन्नति सूची सामान्यतः विभागाध्यक्ष द्वारा अपने कुछ अधीक्ष्यों की मकान में प्रतिवर्ती तैयार की जाती थी। कर्मचारियों के वार्षिक प्रतिवेदन में उनकी जिक्र, चरित्र, आचरण, उच्च अधिकारियों से सम्बन्ध, जनता से सम्बन्ध, विशेष गुण आदि बातों का उल्लेख किया जाता था और इनका 'खाराव' अथवा 'अमाधारण' के रूप में मूल्यांकन किया जाता था। इस व्यवस्था द्वारा राजनीतिक पक्षपात वो बम बरने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया जा सकता।

सर्वुर्थ लालाज्य में फैव में लोक्सेवरों को Status General des Functionnaires द्वारा एक व्यवस्थित स्तर प्राप्त हो गया। इसके द्वारा पदोन्नति वो भी नियमित किया गया। तदनुसार लोक्सेवरों के चार मुख्य थ्रेड स्थापित किए गए—A, B, C, D इनकी भविष्याँ पृथक् रूप से होने लगी। पदोन्नति में नियन्त्रीय थ्रेड C तथा D के लिए B तथा A थ्रेड तक पहुँचने की परीक्षाया वे अवसर दिए गए। A तथा B में केवल 10% पद ही पदोन्नति के लिए रखे गए।

### वार्षिक प्रतिवेदन तथा मूल्यांकन

(Annual Report and Rating)

फ्रैंस में विभिन्न थ्रेडियों (Cadres) के बीच पदोन्नतियाँ कर्मचारियों के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर होती हैं। यह वार्षिक प्रतिवेदन महानिदेश (Director General) से नीचे के मर्मी पदों के बारे में प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न थ्रेडियों के अधिकारियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रश्नों के प्रतिवेदन पार्थ द्वारा होते हैं, जो अधिकारियों के द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा होते हैं, जो मुख्यतः कार्य का ज्ञान, कार्य सम्बन्धी सामान्य गिराव, दुश्मनता, सोहमेवा के सम्बन्ध आदि से सम्बन्धित होते हैं। डी' बैहर के अधिकारियों के लिए इन प्रश्नों का सम्बन्ध उद्युक्ता, सजगता, नियमितता, कार्य पर पाचरण

प्रादि से रहता है। सभी श्रेणियों के अधिकारियों का जनता के साथ व्यवहार करने में कमी योग्यता एवं समता रही है, यह भी जहाँ सम्भव हो वहाँ उल्लेख कर दिया जाता है। प्रत्येक विषय के लिए 0-5 तक भक्ति दिए जाने हैं तथा अन्तिम मूल्यांकन 20 में से होता है। चारिक रिपोर्ट का बर्ता उपयुक्त अधिकारी सेवा का अध्यक्ष है किन्तु नव्यगत रूप से निकटवर्ती उच्च अधिकारी रिपोर्ट का प्रथम प्राप्त तैयार करना है और उस सेवा के प्रध्यक्ष के मामले प्रस्तुत कर देना है, जो उसे स्वीकार कर लेता है। कर्मचारी के कार्य का एक सामान्य मूल्यांकन भी किया जाता है जो मूलत गुणात्मक होता है। इसे अको में प्रस्तुत नहीं किया जाता। कर्मचारी को वादिक रिपोर्ट 'Commission Administrative Paritaire' को प्रस्तुत की जाती है। यह मूल्यांकन के अक तथा सामान्य मूल्यांकन दोनों की जांच करता है। इसके द्वारा सेवा के प्रध्यक्ष से किसी विशेष अधिकारी के मूल्यांकन की पुनरीक्षा करने को कहा जा सकता है। सेवा अध्यक्ष वो इसका उत्तर देना होगा। वह मूल रिपोर्ट में बोई परिवर्तन करने से मना कर सकता है किन्तु ऐसा करने पर उसे कारण स्पष्ट करने होगे।

प्रांस की रिपोर्ट तथा मूल्यांकन व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका वी व्यवस्था में पर्याप्त मिलती है। डॉ. हरमन फाइनर ने इसका कारण यह बताया है कि जर्मन आधिपत्य के समय कीमिल डी एटा के कुछ अधिकारी अमेरिका और ब्रिटेन में प्रांस की सेनाश्री के पाय रहे थे। इस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण प्रांस में मधुक समितियों की स्थापना है जिनमें प्रत्येक विभाग के उच्च अधिकारी तथा विभिन्न कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि रहते हैं। ये समितियाँ ब्रिटिश हिटले परिषदों के समकक्ष हैं। इन मधुक समितियों द्वारा बदोन्नति सूची की पुनरीक्षा की जाती है तथा ये हिसी नोकसेवक की प्रारंभिक पर उसके हित में सूची के दरिकर्तन पर भी दिचार कर सकती है।

### पदोन्नति सूची

(Promotion List)

पदोन्नति सूची (Tableau d' Advancement) द्वारा प्रशासन की मनमानी शक्ति पर रोक लगाई जाती है। इस सूची में अधिकारियों का नामांकन उनकी व्यावर्गीक योग्यता के आधार पर किया जाता है। यह सूची प्रतिवर्ष बनाई जाती है तथा एक प्रामाणीदाता समिति को प्रस्तुत की जाती है जिसमें रम्पचारी वर्ग तथा अधिकारी पक्ष के बराबर बराबर प्रतिनिधि होते हैं। अन्तिम शब्द सदैव प्रशासन का ही रहता है। यह पर्याप्त महत्वपूर्ण होती है। इसके आधार पर यह भी जाना जा सकता है कि एक विशेष कोर्स में एकेलेस (Echelons) प्रयुक्त है परवर्ती श्रेणियाँ (Classes)। यदि किसी विशेष प्रोड में एकेलेस नहीं हैं तथा केवल श्रेणियाँ हैं तो समिति की सदस्यता में प्रशासन का मजबूत प्राधिपत्य रहेगा। दूसरी

और यदि उसमें कुछ श्रेणियों किन्तु अधिक एकेलग्न हैं तो प्रशासन की जकिन कम हो जाती है। उदाहरण के लिए 1964 के द्वीरान म्यायपालिका में श्रेणियों की मस्त्या घटी और उसी प्रत्युषात में एकेलग्न की मस्त्या बढ़ी तो पदोन्नति की दुष्टि में म्याय मन्त्रालय का प्रभाव घट गया तथा उनकी ही न्यायाधीशों की स्वतंत्रता अधिक मुश्किल हो गई।

पदोन्नति मूची बना देने के नीन इन बाद यह सभी अधिकारियों को दिल्लाई जानी चाहिए नारि सम्बन्धित पक्षों द्वारा इसे चुनौती दी जा सके। नीचे बी येड ने इसी अधिकारी को उच्च येड के अधिकारी पर बीब रखार पदोन्नति नहीं दी जा सकती है।

### पदोन्नति के रूप

#### (Kinds of Promotion)

ए. बी. सी तथा डी चारों प्रकार की श्रेणियों के अन्तर्गत दो प्रकार की पदोन्नतियाँ की जा सकती हैं—एकेलग्न द्वारा तथा येड द्वारा। एकेलग्न द्वारा की गई पदोन्नति येड के अन्तर्गत होनी है। यह वरिष्ठता एवं वार्ष्यकुशलता अभिलेख के आधार पर होती है तथा पदोन्नत हुए अधिकारियों को बेतन वृद्धि दिलाती है। प्रत्यक्ष एकेलग्न में एक औमन योग्यता वाले अधिकारी द्वारा विनापा यथा औमन समय उम्मीद वार्ष्यकुशलता के आधार पर तथ्य होता है। यदि कार्यकुशलता अभिलेख द्वारा यह अधिकारियों जाए कि वह औमन से अधिक है तो एकेलग्न में इन्हीं जाने वाले उसके बार्यं घट जाते हैं तथा उसे तुरन्त पदोन्नति मिल जाती है। यदि वह औमन से कम रहता है तो उसे पदोन्नति प्राप्त नहीं होती, वह जहाँ वा तहाँ बना रहता है अधिकारियों द्वारा तुरन्त नहीं दिया जाता तथा उच्च अधिकारी को योग्यता के प्राप्तार पर चुनने की स्वेच्छा होती है।

### सोबैसेवा वी केन्द्रीय स्थिति

#### (The Central Position of the Civil Service)

प्रार्थना योजनामेवार्थ अधिकारियों जीवन के चौराहे वा मध्य दिन्हु हैं जहाँ से विभिन्न द्रिष्टियों से गमन दिया जा सकता है। प्रधिकारी योजनामेवार्थ अपनी बौद्धिमत्ता में सेवा करते हैं। अपनी बांधन स बने रहने तथा योजनामेवार्थ से त्यागरत्न देने के बीच में तो योजनामेवार्थों को विभिन्न विविधियों से रखा जा सकता है जैसे—उग्हें प्रस्तावी रूप से अन्य वर्गियों से रखा जा सकता है अधिकारी सरकारी विभाग स्थानान्तर मस्त्या अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय मगठन में रखा जा सकता है। ऐसा होने पर वह Detache अधिकारी Hors Cadre बन जाता है। रोकारार के पैसमों परिवर्तन प्रशासन की प्राप्तेना पर होने हैं इसलिए योजनामेवार्थ अपने अधिकारों, विभेदन में विविहति अधिकारों से बीच महान होता है। अनेक बार ऐसे स्थानान्तरण स्वयं योजनामेवार्थ निवेदन पर भी होते हैं। यह Grand Corps के महान्यों की अन्य सरकारी अभिलेखों का

उन्निवेशीकरण करने की प्रवृत्ति का प्रतीक है। लोकसेवक निजी रोजगार में जाने के लिए भी अपनी कॉर्पस को छोड़ सकता है, ऐसा होने पर भी अपने कॉर्पस से उसके मम्बांओं के सूत्र पूरी तरह नहीं टूट जाते, उसे अबैतनिक अर्बकाश प्रदान किया जा सकता है। सेवा रथागत के समय उसके सेवानिवृत्ति धर्मिकार समाप्त हो जाते हैं किन्तु उसकी वरिष्ठता बनी रहती है तथा भविध में वह कभी भी अपनी कॉर्पस में शामिल हो सकता है।

लोकसेवक की ये विभिन्न स्थितियाँ व्यवहार में काफी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इनके माध्यम से लोकसेवा की सभी शालाओं में तथा लोकसेवा और निजी रोजगार के बीच निरन्तर प्रवाह बना रहता है। इस दृष्टि से फँस का व्यवहार अमेरिकी व्यवहार से ठीक विपरीत है। अमेरिका में शीर्ष के अधावकाशिक निष्पादकों द्वारा अस्थायी रूप से लोकसेवा का पद प्रहरण करने को कहा जाता है जबकि कॉर्पस में शीर्ष के लोकसेवक चयवसाप में जाते हैं। ये यही राजनीति में भी आ सकते हैं। पचम गणतन्त्र में अनेक लोकसेवकों को मन्त्री बनाया जाता था। ये समद के रूप में राजनीति में शामिल होते हैं तथा बाद में मन्त्री बन जाते हैं। स्पष्ट है कि फँस में लोकसेवा एक बेन्द्रीय तत्त्व है तथा अनेक उच्चस्तरीय लोकसेवक घन या शक्ति के लिए सेवा को छोड़ देते हैं किन्तु अपनी कॉर्पस से मम्बन्ध की कड़ी बनाए रखते हैं।

# प्रशिक्षण : भारत, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त- राज्य अमेरिका तथा फ्रांस

(Training : India, U. K., U.S.A. and France)

लोकसेवकों की भर्ती सोक्सेवा आयोग द्वारा भी जानी है बिन्दु उनमें प्रशिक्षण का दायित्व मरकार वा होता है। भर्ती वे सभी प्रत्यागी की प्राय सामाजिक एवं सामाजिक का अनुभाव लगाया जाता है। इस अनुभाव को माकार रूप देने तथा प्रधिकारी को उनके कार्य के घनुरूप डालने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

## प्रशिक्षण : अर्थ (Training Its Meaning)

प्रशिक्षण में वीचर्म की महसूस में मध्यनिधन एक बहुत ही महसूसपूर्ण तत्त्व है। इस पर बहो हृद तक प्रशासकीय वायेकुलता निर्भर करती है। प्रारम्भ म साकारी वार्ष अधिक विशेषीकृत और तकनीकी प्रहृति के नहीं ऐ अन सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता अधिक महसूसपूर्ण नहीं थी। लेकिन आज स्थिति हूमरी है, ऐ प्रशासन वा व्यवालन करने वालों के समुद्दिन प्रशिक्षण की आवश्यकता वी उपेक्षा नहीं बी जा सकती। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण (Training) और शिक्षा (Education) दो प्रस्तुत-प्रत्यय बातें हैं। दोनों वा उद्देश्य एक है तथापि मुख्य अन्तर यह है कि प्रशिक्षण एक शेष उपेक्षात्मक मनुष्यिन होता है और उद्देश्य सीधिन, जबकि शिक्षा वा धेश विस्तृत रहता है और उद्देश्य प्रत्यक्ष व्यापक है। दिला अक्ति के जीवन वा लक्ष्य एवं मूल्य निर्धारित करती है जबकि प्रशिक्षण उसे व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। टिक्कोर (Tickeon) के मनानुभाव, 'शिक्षा अक्ति वे बचान से प्रारम्भ होती उनके चुरिच, प्रादन एवं तरीकों का समोरान बरती है। इसके द्वारा मानविक तथा जारीरिक दमरा का निर्माण किया जाता है।'<sup>1</sup>

'प्रशिक्षण' प्रबन्ध का सर्वप्रथम एवं महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। प्रबन्ध का प्रमुख लक्ष्य है अभिकरण के कार्यों को सम्पन्न कराना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह सुधार के घट्टीनस्य अधिकारियों के आदर्शपद प्रशिक्षण की दरवाया करता है। स्टाल (Stahl) के अनुसार, 'कर्मचारी बर्न के विकास में प्रशिक्षण मानवीय प्रयोग का मूल तत्व है और इन हृः में यह उस समय अधिक प्रभावशाली रहता है जबकि इसे नियोजित व्यवस्थित एवं मूल्यांकित विद्या जाना है।'<sup>1</sup> 'प्रशिक्षण' का आधिक पर्याप्त हिस्सी विज्ञाप करता, कार्य या व्यवसाय में निर्देशन एवं अनुशासन है। जब तक अधिकारी की कुशलता, शक्ति, दुष्टि एवं इंस्ट्रुमेंट को एक निश्चिन्त दिशा में संगठित करने का प्रयाप किया जाता है तो वह 'प्रशिक्षण' कहनाना है। टोर्पे (Torpey) के अनुसार 'प्रशिक्षण' का पर्याप्त एक ऐसी प्रक्रिया से है जो कर्मचारियों की कुशलता, प्रादर्श, ज्ञान और इंस्ट्रुमेंट को विकसित कर सके ताकि वर्तमान सरकारी स्थिति में उनकी प्रभावशालीताएँ बढ़ाया जा सके और कर्मचारियों को भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके।<sup>2</sup> प्रतीपचारिक रूप से जो प्रशिक्षण कर्मचारी प्राप्त करते हैं उसके लिए कोई दोबना नहीं बनाई जाती।

प्रशिक्षण को श्रेणी प्रभिकरण (Line Agency) का कार्य माना जाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारी प्रपने कार्यों को प्रधिक प्रभावी रूप से सम्पन्न करने में समर्थ होता है। व्यक्ति भी जो कुशलता, प्रादर्श, ज्ञान प्रयोग का इंस्ट्रुमेंट प्रदाने से ही विद्यमान हैं उन्हें वह प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित कर देता है। प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों से ये कुशलताएँ, प्रादर्श, ज्ञान और इंस्ट्रुमेंट भी विकसित किए जाते हैं जिनके माध्यम से वे प्राप्ति के लिए पद के उत्तरदायित्वों को भग्नभास्तवे में समर्थ बन सकें। किसी भी कर्मचारी को प्रशिक्षण व्यवस्थित एवं सामूहिक दावी ही रूपों में प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण किसी प्रभिकरण के कक्षा-वक्ष में भी हो सकता है और कार्य स्थल पर भी किया जा सकता है। प्रशिक्षण देने का कार्य स्वयं केन्द्रीय प्रभिकरण भी कर सकता है और केन्द्रीय प्रभिकरण भी। वास्तव में प्रशिक्षण सम्बन्धित प्रभिकरण द्वारा ही किया जाना चाहिए। मेग्रोर (Maguire) के मतानुसार, "सामाजिक रूप से प्रशिक्षण उनी ही कार्य है जो कार्य के लिए वेदोंवाच कर्मचारी से बीच के प्रभिकरण का।" यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

### प्रशिक्षण के उद्देश्य (The Objects of Training)

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में कार्यकुशलता जाना है, तभी कार्य का स्वर ऊँचा हो सकता है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों में उच्च स्तर के कार्यों का उत्तरदायित्व बढ़ाने की सम्भावना विकसित की जा सकती है और उत्तरी तरफ़ीकी योग्यताओं के विकास द्वारा प्रयोग स्वयं के कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है।

1 G G Stahl, Public Administration, p 279

2 William G Torpey, Public Personnel Management, p 154

जबकि उनके नैनिक चरित्र का विकास प्रप्रत्यक्ष रूप से सगठन की कार्यक्रमता पर प्रभाव होता है। प्रशासन में प्रशिक्षण इन दोनों ही तत्त्वों में विकास करता है अर्थात् एक विशेष कार्य में अधिकारी की तकनीकी कृगतना और सगठन के मशस्हूर मामूलिक लक्षण ही एवं दृष्टिकोण।

नैनिक प्रशासन में दिया जाने वाला प्रशिक्षण कार्य में एक हृष्ण लाता है। प्रशिक्षित संनिवेश अधिकारी, जिन्हें एक ही कॉलेज में प्रशिक्षण दिया गया है, आमतौर से यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक विशेष परिवर्तिति में उनका साथी अधिकारी किस प्रकार वा अवक्षार करेग़। प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण द्वारा जो विभिन्न लाभ प्राप्त विए जा सकते हैं उनका बल्लंग बरते हुए टोर्पे (Torpey) ने बताया है कि “प्रशिक्षण अवक्षारित प्रशिक्षण द्वारा सम्पन्न कार्य में अक्तिगत अक्षमता वे बारम्बाँ उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं, अर्थ के कार्यों के कुलता, गतियों के बढ़ती हुई उदासीनता, शिकायत और असन्तोष को रोका जा सकता है।”<sup>1</sup>

नागरिक सेवकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित एशेनट समिति के अनुसार लोक-प्रशासन में प्रशिक्षण के मुख्यतः पौच लक्षण होते हैं—

- (1) प्रशिक्षण द्वारा ऐसे नागरिक सेवक उपन्ति किए जाते हैं जो कार्य अद्यावार में स्पष्टता ना मिले।
- (2) परिवर्तन विश्व में नवीन उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता नागरिक सेवकों में प्रशिक्षण द्वारा विकसित की जाती है।
- (3) प्रशिक्षण द्वारा नागरिक सेवक दो नीतिरणाही की मशीन में यतीकृत होने से दबाया जाता है और उसमें समाज सेवा के भाव जाग्रत रखा जाते हैं।
- (4) प्रशिक्षण द्वारा अक्ति को न केवल बर्तमान कार्य में कृजन बनाया जाता है बरन् वह उत्तरदायित्व एवं उच्चतर कार्यों का भार सम्भालने के लिए भी तैयार किया जाता है।
- (5) सफ्ट प्रशिक्षण योजनाएँ कर्मचारी कर्म के नैनिक चरित्र को ऊचा उठाने का कार्य बरतती है। इस प्रकार प्रशिक्षण द्वारा नागरिक सेवकों को प्रशासनिक सफ्टन, उसके कार्य, जनहित और स्वयं कर्मचारियों के हित आदि की दृष्टि से उपयोगी बनाया जाता है।

यह कहा जाता है कि प्रशिक्षण द्वारा अक्ति को पद प्रहरण करने से पूर्व ही अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का ज्ञान प्रदान बर दिया जाता है। जब पहली बार अधिकारी अपने पद के कार्यों की सम्पन्न करने सकता है तो उसे प्रत्येक बढ़िताइयों का सम्मान बरता पड़ता है। वह यह पनुभव करता है कि उसमें अनेक विफियाँ हैं। प्रशिक्षण द्वारा अधिकारी में आवश्यक योग्यताएँ विकसित बरते उसे प्रशासन की वैद्युतीय आवश्यकताएँ भरने की क्षमता है। प्रत्येक सरकारी

पढ़ के वार्यों का एक निश्चिन तरीका है जिसे कोई भी व्यक्ति जन्म से ही सीखकर नहीं प्राप्ता। उमे ये „सब प्रशिक्षण द्वारा मिलाए जाते हैं। प्रशिक्षण के अभाव में वह इन तरीकों को ‘भूल और सुधार’ (Trial and Error) की एक लम्बी प्रक्रिया द्वारा ही सीख पाएगा। प्रशिक्षण द्वारा प्रविकारी को परिवर्तित परस्परियों के अनुरूप बनाया जाता है। नए बातावरण के अनुकूल बनकर वह आधुनिकतम बन जाता है। ‘प्रशिक्षण’ प्रशासनिक अधिकारियों एवं जननाम के बीच परस्पर सहयोग एवं सम्मानपूर्ण सम्बद्धों का विकास करता है। एकाटन ममिनि के अनुसार प्रविकारी में जनता एवं उनके व्यापार के प्रति मही दृष्टिकोण का विकास करता नागरिक मेवा-प्रशिक्षण का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।“

प्रशिक्षण द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जाता है। नाइग्रो (Nigro) का कहना है कि “प्रशिक्षण वा कार्यक्रमचारियों द्वारा न केवल तान्त्रिक दृष्टि से कुशल बनाना है बरन् उसके दृष्टिकोण द्वे इनमा व्यापक बनाना है जिनमें कि एक लोकसवक के लिए आवश्यक होता है।”<sup>1</sup> पदाधिकारी की मानविक एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रशिक्षण प्रशासनिक कार्यों में एक रूपना लाना है। उनका व्यवहार, विचार एवं दृष्टिकोण बहुत कुछ एक जैसे होते हैं। इन प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप समस्याओं वा समाधान बरने में संयुक्त प्रयास किया जा सकता है।

निखंय रूप में, प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्नतित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित किया जाता है—

- (1) विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यावर्गायिक कुशलता की प्राप्ति,
- (2) नवीन लक्ष्य एवं नातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना,
- (3) प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता को वौद्धनीय भर्ती के लिए योग्य बनाना,
- (4) प्रशिक्षणार्थी को आधुनिकडम बनाना,
- (5) दृष्टिकोण एवं भ्रविष्य को व्यापक बनाना,
- (6) पदोन्नति एवं उच्च स्थिति के योग्य बनाना,
- (7) आजीवन सेवाओं में क्षमताओं का विकास,
- (8) मण्ठन के स्तर को ऊँचा उठाना,
- (9) लोकसेवाओं में ईमानदारी तथा मनोवेदन को ऊँचा उठाना, एवं
- (10) दृष्टिकोण में एकरसता लाना।

### प्रशिक्षण की प्रणालियाँ (The Methods of Training)

प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाए—यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरिक सेवा सभा के अनुसार एक अनिवारण अपने कर्मचारियों को इस प्रकार प्रशिक्षण

<sup>1</sup> The Report, p. 11

<sup>2</sup> Felix A Nigro Public Administration, Reading and Documents, pp. 253-54

प्रदान करेगा, यह सचावारी एवं प्रशासनीय नीति पर निर्भर करता है। यह बहुत कुछ उन नियमितियों पर निर्भर करता है जो प्रत्येक प्रधिकार क्षेत्र में इन्न-भिन्न होती है।

प्रशिक्षण का वार्य एक ऐसा वार्य है जिसे थेणी अधिकरण एवं स्टॉक प्रधिकरण दोनों में ही समाहित किया जा सकता है। इसे थेणी का वार्य इमलिए वहा जाता है क्योंकि इसका सचालन बहुत कुछ थेणी प्रधिकारियों द्वारा किया जाता है। एक प्रधिकरण में जिस प्रधिकारी को प्रशासन का उत्तरदायित्व मौजा जाता है वहाँ प्रधिकारी को प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व मौजा जाता है और थेणी (Staff and Line) दोनों का। ऐसा नहीं हो सकता कि वह प्रशिक्षण की प्रतिक्रिया द्वारा-केवल थेणी पर्यंतक के कार्य तक ही सीमित रहे।

प्रधिकरण की प्रशिक्षण शाखा द्वारा जो स्टॉक के कार्य किए जाते हैं, वे हैं—(i) आवश्यकता, सुविधा एवं प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में स्वाध्ययन करना, (ii) प्रधिकरण के बाहर के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम तथा, पढ़निंयोगी आदि की सूचना देना, (iii) पर्यंतकों एवं प्रशासकों को विशेषण नियोजन, पढ़नि आदि के सम्बन्ध में सनाह देना, (iv) प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के मूल्यांकन के तरीकों का निश्चय करना, (v) कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं एवं आवश्यकताओं के बारे में परामर्श देना, (vi) प्रशिक्षण सम्बन्धी मूचना में सम्बन्ध स्थापित करना आदि। प्रशिक्षण शाखा द्वारा थेणी प्रधिकरण के कार्य किए जाते हैं—(i) सुविधाओं एवं निर्देशों के लिए संगठनों के साथ समझौते करना, (ii) निर्देशों का बयन करना, (iii) व्यक्तिगत अभिलेखों में कर्मचारी के स्वर की अविन करना, आदि। आवश्यक नहीं है कि इन सभी कार्यों को एक ही प्रधिकरण द्वारा सम्बन्धित किया ही जाएगा। उसकी प्रशिक्षण शाखा केवल कुछ कार्य सम्बन्ध कर सकती है।

प्रशिक्षण की विधियों वा 'प्रावश्यकताओं' के साथ सम्बन्ध रहना चाहिए। प्रशिक्षण की प्रतिया प्रशिक्षण के हो से एवं उसमें उत्पन्न कियायों से प्रभावित होती है। टोर्पे (Torpey) के प्रतानुसार प्रशिक्षण के उचित तरीके चुनने का मापदण्ड स्वस्य शिक्षा-हिदायतों का आधार पर तय किया जाना चाहिए। लोक-प्रशासन में प्रशिक्षण की किया सम्बन्ध बरने के लिए जिन घनेह तरीकों का प्रयोग किया जाता है वे इस नियंत्रण के साथ-साथ वरिष्ठन होते रहते हैं कि प्रशिक्षण व्यक्तिगत रूप में किया जाना है अथवा सामूहिक रूप में। यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना हो तो उसके लिए विवार-दिमांग, वार्य परिवर्तन, भौपवारिक पाठ्यक्रम, पत्रकार पाठ्यक्रम, सामुदायिक शिक्षा व्यवस्था, पर्यंतक शिक्षण-प्रधान अध्ययन विषय आदि। यदि प्रशिक्षण समूह को प्रदान करना हो तो उन्न्य प्रकार के तरीके प्रदान एवं या सकते हैं, जैसे-जैसे विवार, सम्मेलन, सामूहिक विवार दिमांग, दीशीय दौरे, चारण, निरीक्षणात्मक दौरे, आदि। प्रशिक्षण की प्रतिया में बचार-साधनों का प्रविश्यायित प्रयोग भी उपरोक्त रहता है। इस रचित से रेटिंग, टेनीशन, समाचार-यन्त्र, ऐस-

आदि का पर्याप्त उपयोग किया जा सकता है। किनी भी प्रशिक्षण-कार्यक्रम की प्रभावशीलता इस बाब पर निर्भर करती है कि उसमे किन तरीकों को अपनाया गया है।

सोबत-प्रशासनको के प्रशिक्षण मे जिन विभिन्न विधियों को अपनाया जा सकता है उनका वर्णन विभिन्न विचारको ने किया है। उदाहरण के लिए स्टाल (Stahl) इन तरीकों को निम्नलिखित भावों मे वर्णित है—

1. सामूहिक प्रशिक्षण (Group Training)—प्रशिक्षण की इस विधि मे कुछ लोगों द्वारा एक साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसे देखा और मारा जा सकता है। प्रशिक्षण के इस रूप मे ग्रीष्मचारिक पाठ्यक्रम, कक्षा के विचार-विमर्श ग्रीष्मचारिक भाषण, सामग्रिक बार्ता, प्रटर्जन, प्रयोगशाला कार्य आदि की गणना द्वारा जा सकती है। समय-समय पर होने वाली स्टॉर्क की मीटिंग और कर्मचारियों की सभाएँ भी इस प्रकार के प्रशिक्षण मे सम्मिलित हैं।

2. कार्य पर निर्देश (On the Job Instruction)—कार्य पर व्यक्तिगत निर्देश प्रशिक्षण का एक प्रसिद्ध प्रकार है। इस रूप मे एक नए कर्मचारी को गर्यारेक द्वारा पूर्ण सहायता दी जाती है। जब समूह बड़ा होता है तब निर्देशन के लिए एक अलग व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, किन्तु अधिकतर पठवेक के सुयोग्य व्यक्ति होता है और वह अपने अधीक्षितों द्वारा निर्देश देता है।

3. लिखित परिपत्र (Manuals and Bulletins)—मण्डन के अधिकारियों को विभिन्न निर्देश समय समय पर लिखित रूप मे प्रमारित किए जाने चाहिए। लिखित रूप मे भेजे गए इन परिपत्रों वा आकर्षक होना अत्यन्त आवश्यक है परन्तु वे अधिक प्रभावशाली नहीं होते। इस रूप से कर्मचारियों को पुस्तकालय मे जाने के लिए भी ग्रौसाहित किया जाना चाहिए।

4. पत्राचार पाठ्यक्रम (Correspondence Courses)—मण्डन के अधिकारी कर्मचारी व्यापक देश मे रहते हैं। उनको दाम मे बाधा पड़ूचाएँ विना ही प्रशिक्षण देने के लिए पत्राचार विधि जाम म लाई जाती है। प्रशिक्षण का यह प्रकार परिक्ष सनोख्यनक नहीं होना योग्य इसे सचानित करने मे बहुत व्यय करना पड़ता है और व्यक्तिगत विचार-दिमाग तथा विचारों वा आदान-प्रदान नहीं हो पाता। अतः इन्हे केवल बही अपनाया जाता है कहीं दूसरे तरीके काम पे नहीं आ सकते।

5. अध्य-दृश्य साधनों का उपयोग (Use of Audio-Visual Aids)—जब कर्मचारी कार्य के रेलाक्षित्रों को देखकर तथा अध्य रूप मे प्रस्तुत करने मे इच्छा मेते हैं तो उनके प्रशिक्षण का यह तरीका उपयोगी होता है। इसमे उनको चित्र, नक्शे एवं चलचित्र आदि के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। रेडियो, टेलीविजन, रिवाइंड एवं चलचित्रों वे द्वारा कर्मचारियों मे भावनात्मक उत्साह जापन किया जाता है।

6. अन्य विधियों (Other Methods)—प्रशासनिक मण्डलों मे अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित करने को एक मुख्य विधि यह होती है कि उनके लिए प्रशिक्षित होने

का धनुकूल बातावरण तंद्रार दिया जाना है—एक लेगा वानावरण जिसमें डर के स्थान पर आशा का स्थान हो। कमचारियों ने बीच मानवीय सम्बन्धों को बढ़िपर जोर दिया जाना चाहिए। परिवारियों को उच्ची प्रकार निर्देश लिखने, व्यापक गवर्नमेंट भवार दबस्ता रखने, गृहनायी का आदान-प्रदान करने, प्रतिवेदनों को वितरित करने आदि हे लिए प्रो-मास्टिन दिया जाना चाहिए। स्टाल (Stahl) ने लिखा है कि यह अनिश्चयोत्तिन नहीं होगी कि एक स्टॉक कबन प्रत्यक्ष प्रशिक्षण नवनीकी दाता ही विरास एवं प्रगति कर सकता है किन्तु इसक निए उसे प्रदाय वी राइट मरना होता है और उन गमों कायी वो करता होता है जो इन प्रकार की प्रगति एवं विरास को पार्श्वक, स्वाभाविक और सन्तोषजनक बनाए।<sup>1</sup>

### प्रशिक्षण के प्रकार

(The Types of Training)

मरकारी परिवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण को भोटे हुए म दो भागों म विभाजित किया जा सकता है—

(1) अनोपचारिक प्रशिक्षण (Informal Training)

(2) शौचालिक प्रशिक्षण (Formal Training)

### अनोपचारिक प्रशिक्षण (Informal Training)

यह प्रशिक्षण धनुभव पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति जब कार्य करता है तो वह अपना अपने आप सीखता चलता है। प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया परम्परागत है और प्राची भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लैडन (Gladden) के मतानुसार ‘यह मृत्यु हृष्ण से लितिक-शास्त्रामा म किया जाता है कि नवायन्त्रक को योड़ा प्रारम्भिक परामर्श देकर कार्य पर भेज दिया है और उसे प्रपने साधियों की दबा पर छोड़ दिया जाता है जिन पर पहले से ही बहुत वाप है।’<sup>2</sup> अनोपचारिक प्रशिक्षण की कुछ अनन्ती कमजोरियां होती हैं। इस प्रकार सीखना बड़ा बड़िन तथा प्रधिक समय लेने वाला होता है। केवल योग्य तिथार्थी ही उसका ताम उठा सकते हैं। याधारण अमचारी तो कुछ सीखने की अपेक्षा कुछी आदर्शे विकसित कर सकता है। उसे निराशा एवं निश्चाह ही प्राप्त होता है। यदि उसे कुछ प्रशिक्षण प्राप्त भी होता है तो वह बहुत धीमी गति से प्राप्त होता है। अनोपचारिक प्रशिक्षण का एक दग्धा हृष्ण वंशिति सम्पर्क के हृष्ण में होता है। इसमें नवलियून अधिकारी को प्रो-माहित किया जाता है कि वह प्रपने वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्बन्ध रखे, उनके विरास स्थान पर जाए, उनको कार्य-क्षयवहार करता हूँगा देने और उसमें कुछ धनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त करे।

प्रारम्भ में नवीन अमचारी पर किसी प्रकार के पूर्वविद्युत का प्रभाव नहीं रहता, इसनिए वह प्रत्येक उच्ची वात को कीवने के लिए उम्मुक रहता है। यह उत्सुकता कभी-कभी दिरोप म भी परिवर्तित हो जाती है और अधीनस्थ अधिकारी को कुछ

<sup>1</sup> Q. G. Stahl: op cit., p. 305

<sup>2</sup> E. N. Gladden, Civil Service, Its Problems and Future, p. 99

सिवाने की अपेक्षा उसके भीखने की मामर्य दो सीमित कर देनी है। मैण्डल का यह कहना सही है कि “चूँकि इस प्रशिक्षण का मम्बन्ध कर्मचारी के नियमित कार्य से होता है, अब वह अपने स्वयं के अनुभव के साथ सर्वोत्तम ढग से लाभ उठा सकता है। इस मम्बन्ध में उम पर कोई दबाव नहीं होता। इसनिए उमकी प्रेरणा सकारात्मक होनी है। इसका प्रमाण चाहे घट्टा हो या बुरा, बहरा होता है।” प्रनोपचारिक प्रशिक्षण के इस रूप की सकलता मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करती है। प्रथम, वरिष्ठ अधिकारी योग्य होना चाहिए, दूसरे, वरिष्ठ अधिकारी अनुभवी होना चाहिए और तीसरे, नवनियुक्त अधिकारी के प्रति उसम रवि होनी चाहिए। जब उच्च अधिकारियों पर कार्यभार बहुत रहता है तो वे अवैतनिक्य के प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाने और प्रन्ततोगत्वा अधानस्थ को ‘प्रयत्न और मूल’ द्वारा ही सीखना होता है। इस मम्बन्ध में डी गोवासा का यह सुकाव सराहनीय है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी ने वर्त अवैतनिक्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ही नियुक्त निए जाने चाहिए।

### औपचारिक प्रशिक्षण (Formal Training)

औपचारिक प्रशिक्षण एक व्यवस्थित तथा निर्धारित रूप में अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कार्य भ कुशलता प्रदान करता है। प्रनोपचारिक प्रशिक्षण की दमियों को औपचारिक प्रशिक्षण द्वारा दूर निया जाता है। यद्यपि प्रशिक्षण के इन दोनों रूपों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, फिर भी जागरूकता, सोहेज्य प्रयाम आदि कुछ बातों के अधार पर दोनों के बीच भेद प्रदर्शित किया जा सकता है। औपचारिक प्रशिक्षण समय की दृष्टि से, प्रक्रिया को दृष्टि से एवं विषय की दृष्टि से अनेक प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अवधि के अनुसार प्रशिक्षण दी कुछ योजनाएँ अलगावीन होती हैं जबकि अन्य प्रशिक्षण योजनाएँ दीर्घकालीन होती हैं। उद्देश्य की दृष्टि से भी यह देखा जा सकता है कि प्रशिक्षण प्रशासनीय है अवयव तकनीकी या व्यावसायिक या लिपिक वर्ग का है या अधिकारीय रीयर्ड का है अथवा पर्यवेक्षकों के लिए है। औपचारिक प्रशिक्षण के विभिन्न रूपों को घोटे तीर से निम्नलिखित शब्दों में विभाजित किया जा सकता है—

- (A) प्रवेशपूर्व प्रशिक्षण (Pre-entry Training),
- (B) सेवानामीन प्रशिक्षण (In service Training) और
- (C) प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण (Post entry Training)।

प्रशिक्षण के ये सभी प्रत्यक्ष व्यापक हैं। इनमें प्रन्ततोगत हम प्रशिक्षण के अन्य अनेक रूपों का ध्यायन कर सकते हैं।

### प्रशिक्षण की समस्याएँ

#### (The Problems of Training)

ओक प्रशासन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित अनेक ममस्थाएँ हैं जिनकी प्रवहेतना करने पर कोई भी प्रशासन अधिक मम्ब तक सफल हो सकार्य नहीं कर सकता। एक मूल समस्या यह है कि योग्य एवं धारावान

प्रशिक्षण नहीं मिल पाते जो सगठन के कार्यकर्ताओं को नवीन ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ उनकी व्यवहार-माध्यमिक समस्याओं में इच्छा है। प्रशिक्षणार्थियों को क्या विषय पढ़ाया जाना चाहिए, यह भी एक प्रमुख समस्या है। पाठ्यक्रम निर्धारित करना बड़ा जटिल कार्य है क्योंकि दुख विषय ऐसे होते हैं जिनको कुछ इष्टियों से पढ़ाया जाना आवश्यक होता है किंतु प्रभर इष्टियों हें वे पुण्यत मनुष्योंगी और कभी-कभी हानिकारक बन जाते हैं। प्राथमिकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निश्चय एक महत्वपूर्ण किन्तु इठिन कार्य है। यह कार्य भी यदि ही जाए तो अन्य समस्या यह उठती है कि इस पाठ्यक्रम को किस प्रवार प्रशिक्षणार्थियों के विचार एवं व्यवहार में नाया जाए कि वे सगठन के लिए उपयोगी बन गए। प्रशिक्षण की तरफ़ीके एवं तरीके, उनकी उपयोगिता एवं माध्यकता का निश्चय करने में अन्यन्य महत्वपूर्ण होते हैं। प्रशिक्षण व्यक्तिगत प्राप्ति पर दिया जाए अथवा मामूलिक भाषार पर, यह भी ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना जल्दी होता है।

व्यक्तिगत प्रशिक्षण में अनेक बातें स्वयं प्रशिक्षक स्पष्ट नहीं कर पाता और कुछ को प्रशिक्षणार्थी नहीं समझ पाता। दूसरी ओर जब प्रशिक्षण सामूहिक रूप में दिया जाता है तो प्रशिक्षण प्राप्तिकर्ताओं के बीच द्विरचारिक सम्बन्ध नहीं रह पाते और ऐसा होने पर प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थी दोनों को इठिनाई होती है। सामूहिक प्रशिक्षण में समूद के मदायोजन की समस्या (Problem of Group Adjustment) भी अलगत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण में दुख व्यावहारिक इठिनाईयी भी प्राप्ती है। यह तथ करना कभी-कभी मुश्किल होता है कि दिया जाने वाला प्रशिक्षण उपयुक्त है या नहीं। मात्र ही प्रशिक्षण का समय किनका होना चाहिए, यह नी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रशिक्षण के लम्बे समय की सगठन बदान नहीं कर सकता और कम समय में दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्रश्नावहीन हो सकता है।

उम समय के प्रशिक्षणों में यह समस्या रहती है कि जब तक प्रशिक्षणार्थी अपन प्रशिक्षण का सक्षम, विषय, प्रक्रिया, साम आदि वी जानकारी भी पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाता। तब तक उनके प्रशिक्षणका समय समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सगठन एवं प्रशिक्षणार्थी दोनों की इष्टि में प्रशिक्षण मनुष्योंगी एवं निर्यंत्र बन जाता है और उने देने वाले तथा सेने वाले दोनों ही उपेक्षा की इष्टि से देने लगते हैं। प्रशिक्षण से अव्यवहित एक अन्य समस्या वानावरण भी है। क्या एक बन्द व्यक्ति में दिया गया प्रशिक्षण उपयोगी रहेगा अथवा ऊचे-ऊचे मिलानों का अध्यापन व्यावहारिक जीवन में दुख सरान होगा अथवा सफल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए बेवज 'बाय' पर ही बन दिया जाना चाहिए? ये प्रश्न अपन महत्वपूर्ण हैं और ये समान हृष से प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थी और सगठन तीनों के ही मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं।

टोरपे वा भत

प्रशिक्षण से सम्बन्धित अनेक प्रशासनिक समस्याएं भी उल्लंघ होती हैं।

प्रशिक्षण कार्य से सलग एक महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन टोरपे (Torpey) ने निम्नांकित प्रकार से किया है :<sup>1</sup>

1. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुचित मूल्यांकन (Improper Evaluation of Training Programmes) — प्रशिक्षण को प्रभावज्ञी नहीं एवं सफलता वा निश्चय इसमें होता है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्राप्तिकर्ता को क्या लाभ हुआ। यदि प्रशिक्षण होने के बाद उसे कोई आधिक लाभ नहीं होता या सम्पादन प्राप्त नहीं होता तो यह उसमें उदासीन दृष्टिकोण अपनाएगा। इसी प्रकार यदि प्रशिक्षण कार्य के स्तर को ज्ञेना नहीं उठाता, उसे मात्रा एवं गुण की दृष्टि से आंखें नहीं उठाता, तो समर्थन उम्मीद प्रकार की अदि नहीं लेगा। प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थी दोनों इस बात को भुला देते हैं। परिणाम यह होता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर किया गया समय अर्थ चला जाता है। जहाँ सेवीवर्ग अधिकारियों का यह विवरण होता है कि प्रशिक्षण प्रशिक्षण के लिए होनी चाहिए वही प्रशिक्षण द्वारा दिनहोर प्राप्तिकर्ता की पूर्ति का कोई प्रबन्ध ही नहीं उठता।

इसी भी सम्बन्ध में प्रशिक्षिता सदस्यों की अधिक सम्भावा, उनको सिखाए गए विषयों की मात्रा, प्रमाण-पत्रों की संख्या आदि का स्वयं में कोई महत्व नहीं होता और वे आवश्यक रूप से एक सम्भल प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतीक नहीं हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उचित मूल्यांकन करत समय प्रशिक्षक को कार्यक्रम के नहशों की दृष्टि से विश्लेषण करना चाहिए। स्टाल (Stahl) ने भी निकाल है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम वा मूल्यांकन उसके लक्ष्यों की दृष्टि से किया जाएँ चाहिए। उनके मतानुसार यह निष्पत्ति तुरन्त (Immediate) का तथा दूरगमी दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार वस्तुगत दृष्टि से किया गया मूल्यांकन भावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्तमाहन देना है।

मूल्यांकन करते समय प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणामों को देखना चाहिए। पर केवल परिणामों पर आधारित मूल्यांकन भी वेजानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कई बार यनेक अप्रत्यक्ष अवधीर प्रशिक्षण के एक श्रेष्ठ कार्यक्रम को भी परिणामों की दृष्टि से गूम्य बना देता है। कई बार यह मुश्किल दिखा जाता है कि यह मूल्यांकन यदि प्रशिक्षण समिनि द्वारा किया जाए तो उपयुक्त होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया को यनेक ऐसी घटनाओं द्वारा अविन रिया जा सकता है जिन पर नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता। उदाहरण के लिए, नई कार्यपालिका का बनना, बजट में कमी होना, समाचार-पत्रों की आलोचना, अन्य राजनीतिक क्रियाएँ आदि। फिर भी स्टाल की मान्यता ने अनुमार प्रशिक्षण का निश्चिन एवं न्यायिक मूल्यांकन करने के लिए लक्ष्यों एवं उपके परिणामों पर केन्द्रित रहना कह बार अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है।<sup>2</sup>

1 William G. Torpey op cit., pp 170-180

2 O G Stahl op cit., p 106

**2 विभिन्न उच्च स्तर के प्रशासकों में प्रशिक्षण वृत्ति का अभाव (Lack of Training mindedness among Various Top-level Administrators)—** कुछ प्रशासक इस प्रशिक्षण के होने हैं जिन्होंने वार्षिक बार्य को बानू समझने हैं। वे प्रशिक्षण-वार्यक्रमों को देखते हैं इसीलिए समर्थन देने हैं बदोहि ये लोकप्रिय हो चुके हैं, किन्तु ग्रन्थ प्रबन्धक महोगी से वे हाथ छीच लेते हैं। यदि किसी प्रशिक्षण में कोई नया उच्चाधिकारी एसा या जाए जो प्रशिक्षण वार्यक्रमों की उपयोगिता में विश्वास नहीं रखता, तो वह अब तक उनीं आ रही प्रशिक्षण योग्यताओं को छिप-मिप बर देगा। प्रशिक्षण वार्यक्रम के प्रति भ्रष्टाचार का बारण कुछ भी हा नहीं है। प्रायः ऐसा अधिकारी जो अपने परिवर्त्म और मेहनत से उच्च वद पर आया है और यिन्हे प्रशिक्षण योग्यताओं का कोई लाभ नहीं उठाया, वह दिल से इनका समर्थन नहीं होता। दोरप वा रहना है कि किसी प्रभिवरण में प्रशिक्षण वार्यक्रम की मानना के लिए उच्च प्रबन्ध की उमसी मूलभूत प्रबन्धकता पहचाननी चाहिए और उसे प्राप्ति हादिक गमर्दन देना चाहिए।<sup>1</sup>

**3 प्रशिक्षण वार्य को रूप देने में विधान सभाओं की धीमी गति (Slowness of Legislatures to Formalize the Training Function)—** प्रशिक्षण वार्यक्रम के लिए बानूमी प्रारूप प्राप्त व्यवस्थापिकारा द्वारा तयार किया जाता है किन्तु वे अपने वार्य में कई बार प्रसफ्ट रहती हैं। यही बारण है कि कई बार प्रशिक्षण की वेष्टना को इस प्रावाहन पर चुतौती दी जाती है कि प्रशिक्षण वार्यक्रम को मन्तव्यित करने के लिए बायपासिका वा पास पर्याप्त व्यवस्थापिका भक्ति नहीं यी।

**4 भूमिकारों के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यों के बीच दोनों सम्बन्ध (Loose Co-ordination Between Employment and Training Functions)—** सभी भूमिकारों की भर्ती तथा उनके प्रशिक्षण की समस्याएँ परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। यदि धर्याय व्यक्तियों की भर्ती कर ली गई तो वहाँ से प्रचल्ये से प्रचल्या प्रशिक्षण वार्यक्रम भी उनको दोष नहीं बना सकता। इसी प्रकार यदि प्रशिक्षण वार्यक्रम निर्बन्ध हो तो भर्ती किए गए व्यक्ति को उत्कृष्ट योग्यताएँ भी कुछित हो जाएंगी अतः यह जहरी है कि भर्तीकर्ता एवं प्रशिक्षणकर्ता दोनों के बीच उचित समन्वय हो। इस समन्वय का भ्रमाव प्रशासन की एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या वा सम्बन्ध मानव भक्ति के उपयोग से है। एक दृष्टि से भर्ती एवं प्रशिक्षण दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। एक दी कमी को दूसर द्वारा पूरा किए जाने की चट्ठा भी जाती है। उदाहरण देने विषये, जहाँ योग्य क्षमतारों प्राप्त रहना बहित होता है वहाँ प्रशिक्षण वार्यक्रमों पर प्रधिक द्वारा दिया जाता है। कुल मिलाकर दोरप वा यह रहना सत्य है कि सेवीकारों प्रशासनों को भर्ती एवं प्रशिक्षण के बीच पर्याप्त सम्बन्ध दो समझना चाहिए और इन क्रियाओं के बीच सम्बन्ध भ्रमावजीन समन्वय स्थापित रखना चाहिए।

1 William G. Torrey : op. cit., p. 177.

**5. सामान्य सेवीवर्ग कार्यों से प्रशिक्षण का प्रशासकीय पार्थक्य (Administrative Separation of Training from General Personnel Functions)**—प्रत्येक बार प्रशिक्षण वार्य को मेंदीवर्ग कार्यों से प्रशासकीय रूप में घटक कर दिया जाता है अथवा सेवीवर्ग के कार्यों का प्रशासन एवं प्रकार से होना है और प्रशिक्षण कार्यों का प्रशासन दूसरे प्रकार से। इस प्रकार के पार्थक्य में प्रशिक्षण को एक ऐसे अधिकारी के हाथों में सौंप दिया जाता है जो मेंदीवर्ग अधिकारी से स्वतन्त्र रहता है। प्रशिक्षण सेवीवर्ग से अलग रूप से सम्बन्धित कार्य है, अतः इसे अन्य कार्यकों प्रत्येक गणठनात्मक समर्पण के समस्याओं को उन्म दिया जाता है और समर्थन के एक स्पष्ट अवहार में दाखाएँ उत्पन्न की जाती है।

**6. सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्राप्तालिक्ता (Accreditation of In-service Training Courses)**—जब तक प्रशिक्षण का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता, तब तक प्रशिक्षणार्थी उसमें अपना पूरा ध्यान एवं शक्ति नहीं लगा पाता। यदि सेवाकालीन प्रशिक्षणों को पदोन्नति आदि की दृष्टि से महसूस नहीं दिया जाता तो प्रशिक्षित व्यक्ति को धीर निराशा होती है। प्रत्येक प्रशासकीय समर्थनों में यह सामान्य प्रवृत्ति है कि पदोन्नति करते समय केवल प्रशिक्षण को धोखाता वा आधार नहीं बनाया जाता। यदि एवं प्रशिक्षित व्यक्ति को पदोन्नति का अवसर दिया जाता है तो इसके दूसरे कई बारण होते हैं न कि यह उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रायः यह सुझाया जाता है कि प्रशिक्षण अधिकारियों तथा सेवीवर्ग अधिकारियों के बीच इस प्रकार का समझौता होना चाहिए कि अमुक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने में बाद एक व्यक्ति को पदोन्नति तथा अन्य लाभ का पाश मान लिया जाएगा। प्रशिक्षण वार्य को पदोन्नति कार्यक्रम अभिकरण का एवं अभिनन अग्र बना देना चाहिए।

**7. कार्यभार (Work-load)**—कुछ अभिकरणों में कार्यभार इतना अधिक होता है कि पर्यावरक एवं वर्मचारी दोनों ही यह अनुभव करते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उनके पास समय नहीं है। प्रशिक्षण अपने बतंमान वार्य को रोक वर ही प्राप्त दिया जा सकता है और इसके लिए नगठन के उच्चाधिकारी एवं स्वयं प्रशिक्षणवर्गी भी कई बार तंयार नहीं होते किन्तु व्यावहारिक बास्तविकताएँ इससे बिना हैं। अध्ययन करने पर जात हुआ है कि जब पर्यावरकों एवं वर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया जाता है तो बतंमान एवं भविष्य में कार्य या गुण एवं मात्रा बढ़ जाती है।

**8. मर्दों का अभाव (Lack of Funds)**—प्रत्येक बार एन का अभाव प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सहानुभाव को मन्द कर देता है। जब इन कार्यक्रमों को वार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त स्टॉफ मही दिया जाता या प्रशिक्षणाधिकारियों के कार्य को सम्पन्न कर करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त नहीं दिया जाता या प्रशिक्षण के लिए आवश्यक साधन एवं सामान नहीं पुटाए जाते तो इन कार्यक्रमों की सहानुभाव

सदिग्द बन जाती है। जब प्रतिविन के कार्य को सम्मादित करते के लिए समठन में पद्धति कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते तो इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए नियमित रूप से सदस्य नहीं मिल पाते। इसी प्रकार प्रावश्यक वस्तुओं का प्रभाव प्रशिक्षणों को वह प्रशिक्षण देने से रोक सकता है जो प्रमिकरण के लिए अत्यन्त प्रावश्यक है। टोरेपे का यह कथन यथार्थ है कि विना पर्याप्त प्रशिक्षण के स्टॉर, नियोजन, थेली के लिए महत्वोग, समन्वय, एवं सूचनाएँ ब्रिक्षियादों में बाधा उत्पन्न होती है।<sup>1</sup>

प्रशिक्षण की प्रक्रिया में पर्याप्त घटक की प्रावश्यकता होती है। इसमें घटक इवा गया धन उसी समय कोई साम प्रदान नहीं करता। नकान की इटिंग से तो वह अत्यन्त हानिकारक प्रतीत होता है किन्तु भविष्य की इटिंग से हम इसे उपयोगी मान सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सचालित करने के लिए एक मानी के बैंसा घंवं चाहिए, क्योंकि फल का दृष्ट आरोपित करने में मानी को पर्याप्त परिधिय वरना दृष्ट है और एक लम्बे समय तक उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। वह सारा अप भविष्य की आगामी के बीच ही बरता है। कुछ प्रभिकरण में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भविष्य भी ऐसा नहीं होता जिसे जो आविष्कै इटिंग से उपयोगी माना जा सके। कारण चाहे सही हो या गलत, कुदिपूण हो ग्राहक बुद्धिमूल, किन्तु यह एक तथ्य है कि जब तक पर्याप्त धन प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक प्रशिक्षण के सरन, सार्वत्र एवं प्रभावशील होने की सम्भावना नहीं रहती।

### भारत में लोकसेवकों के लिए प्रशिक्षण दिवस्या

(Training of Public Personnel in India)

- परीधादी द्वारा उच्च लोकसेवा के लिए जो स्नानरूप चुन जात है उन्ह प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है। भारत में केन्द्रीय सेवागत प्रशिक्षण (Central Institutional Training) और साथ ही काम पर प्रशिक्षण (On the Job Training) की पढ़ति प्रसनार्द गई है। इस कार्य के लिए एक राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (National Academy of Administration) है, जहाँ पर सभी चुने हुए प्रशिक्षियों को एक नियित भविष्य के लिए भेजा जाता है। यह भिन्न सेवाओं के लिए पृथक्-पृथक् प्रशिक्षण सूखत है जिनम उन सेवाओं के लिए चुने गए प्रशिक्षणीय व्याख्यादाता के स्वर में घोषचारिक घनुदेश (Formal Instructions) प्राप्त करते हैं। इनका प्रशिक्षण पा चुनने के बाद उग्रे कार्यात्मकों में खेजा जाता है जहाँ के अपावर्त्तिरूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार काम पर प्रशिक्षण' प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण में पुनर्ज्ञानी पाठ्यक्रमों (Refresher Courses) के दियोग द्वारा लोक-सेवकों के हानि और कुशलता हो गदानन बनाए रखने का ग्रहन किया जाता है।

सर्वेदयप 1954 के भारत में राज्य सरकारों को एक आदेश दिया गए थे जिनमें प्रशिक्षण भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाया (वर्ग प्रशिक्षण) के पदाधिकारियों

के प्रभिनव पाठ्यक्रमों (Refresher Courses) के प्रदान सम्बन्धी एक योजना प्रस्तावित की गई थी। 1957 में इस दिशा में प्रारम्भिक कदम उठाया गया और उन आई ए एस पदाधिकारियों के लिए जो छँ से दस वर्ष तक वे नौकरी कर सुके हो शिमला में आई ए एस स्टाफ कॉलेज (I A S Staff College) में प्रभिनव पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए। इसके बाद ही अप्रैल, 1958 में गृह मंत्री ने यह निर्णय घोषित किया कि गृह मंत्री ही एक 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्बन्धी' (National Academy of Training) वी श्यापना की जाएगी। तत्पश्चात् विभिन्न मन्त्रालयों को आमंत्रित किया गया कि वे विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण मस्था की श्यापना पर इमर्ज हो गए और तब जुलाई, 1959 में दिल्ली में आई ए. एस प्रशिक्षण स्कूल में एक समृक्त पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रबंधों के पदाधिकारी भाग लेने लगे—

- (1) भारतीय प्रशासकीय सेवा (Indian Administrative Service)
- (2) भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Service)
- (3) भारतीय लेखा-परीक्षण दंथा लेखा सेवा (Indian Audit & Accounts Service)
- (4) भारतीय सुरक्षा लेखा सेवा (Indian Defence Accounts Service)
- (5) भारतीय डाक सेवा (Indian Postal Service)
- (6) भारतीय आयकर सेवा (Indian Income-Tax Service)
- (7) भारतीय प्रायात कर दंथा प्रायकारी सेवा (Indian Customs & Excise Service)

भौतिक पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ होने के तुरंत बाद गृह प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि दिल्ली के आई ए एस प्रशिक्षण स्कूल और शिमला के आई ए एस स्टाफ कॉलेज ने आपस में समृक्त कर दिया जाए, और मंत्री ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की श्यापना की जाए। इसके पश्चात् ही एक सितंबर, 1959 से मूर्हे में यह अकादमी कार्य करने लगी।

इस पृष्ठमूलि के उपरान्त उपयुक्त होगा कि हम भारत में प्रशिक्षण के प्रबार और विभिन्न लोकसेवाओं के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था पर ध्येयपात करें।

### प्रशिक्षण के प्रकार

भारत में प्रशिक्षण के प्रकारों पर ढॉ. अवस्थी एवं माहेश्वरी ने ऐतिहासिक पृष्ठमूलि सहित जो प्रकाश ढाला है उसका सारांश इस प्रवार है—

प्रशिक्षण भौपचारिक या भौपचारिक दोनों ही प्रवार का हो सकता है। भौपचारिक प्रशिक्षण तह प्रशिक्षण है जिसमें वाँच वरके नुटियों में सीखकर एवं ग्रन्थामं के भाष्यम से प्रशासकीय कुक्षात्ता प्राप्त की जाती है। चूंकि भौपचारिक प्रशिक्षण अशत्यक्ष रूप से दिया जाता है, इस यह प्रशिक्षणार्थी के मन पर गहरा

प्रभाव छोड़ता है। कर्मचारी तथा उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वाच देनन्दिन मामूल्यों, सभाद्भीं तथा कर्मचारी बच्चे की देंठकों, कर्मचारियों के सगठन के समाजारपत्रों तथा प्रवासीयों, व्यावसायिक संघों का देंठकों तथा उन साहित्य के पढ़ने और प्रध्ययन करने से, जो कर्मचारी स्वयं अपने महल्य में या अपने पर्यवेक्षक के मुभाव पर प्रयोग में लाते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। चूंकि ऐसे प्रशिक्षण का सम्बन्ध कर्मचारी के नियमित कृत्यों से होता है, अन वह उमे अपने निजी अनुभव से समृद्ध नरके उसका सबोत्तम लाभ उठा सकता है। चूंकि इसके बारे में कोई बाध्यता नहीं है, अन इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक होती है। इसका प्रभाव गहरा होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसी प्रकार के प्रशिक्षण की रूपि अधेशों ने भारत में अपनाई थी। नवनियुक्त सोक्सेवर को इसके लिए प्रोत्साहित निया जाना था कि वह प्राय जिलाधीश के निवास स्थान पर जाया करे और उसमें पैंपकिंज सम्पर्क बढ़ाए। प्राय नवीन अधिकारी जिलाधीश के पास जाता था और अपनी सेवा के आरम्भ में कुछ दिनों तक जिलाधीश के माथ रहता था। दौरे के समय वह किसी वरिष्ठ अधिकारी के माथ हो लेता था तथा विसी वरिष्ठ बन्दोबस्त अधिकारी वे मार्गदर्शन में लगाने बन्दोबस्त के मामलों सम्बन्धीय विवादों को निपटाता था। इस प्रकार जासन-कना वा बस्तुनः प्रदोग करने और माय ही उसका प्रयोग देखकर उमे समझने का अवसर मिलता था। प्राय वह अनन्त न म ही कुछ अद्दने तथा मापदण्ड लगाने लेता था। प्रशिक्षण की लेखी प्रताक्षी की प्रशस्ता हरते हुए ट्रिवेलियन (Trivellyan) ने, जिसका नाम भारतीय सोक्सेवर विवास तथा उत्थान के साथ अमिट रूप से समृद्ध है, कहा था कि (भारत म) सोक्सेवर की वास्तविक गिराव उस उत्तरदायित्व में निहित है जो उस पर उस छोटी-सी प्राय में पा पहना है। अतएव हम, उनके प्रत्यनिहित गुण प्रकट हुए विना नहीं रहते; माय ही लोक्सेवाप्रो को अमित न करने का दायित्व उमे कर्तव्यों की विभिन्न तथा प्राकृत्यं प्रहृति और उसके उन वरिष्ठों के उदाहरणों तथा उपदेशों में भी निहित होता है जो उसे एक अधीनस्थ अधिकारी की अपेक्षा एक छोटे भाई के हाथ में प्रवित्र मानते हैं।

हिं भी अनोपचारिक प्रशिक्षण की मन्त्रिम मफनता उच्च प्रशिक्षारी की वरिष्ठना तथा अनुभव और नवनियुक्त अधिकारी के प्रति उसकी रुचि पर निर्भर करती है। सरकारी बाणी में प्रमाणारण इदि होने के फलस्वरूप वरिष्ठ अधिकारी बब इन्हे अस्त रहते हैं कि व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु उनके पास भेजे गए मुद्रक अधिकारियों पर वे पर्याप्त ध्यान दया ममय नहीं दे पाने। परस्पराल्प, नए अधिकारी अपने वरिष्ठ माधियों दे अनुभव का लाभ नहीं उठा पाने हैं, अन विवर होकर उह प्रयोग तथा उदाहरण की रूपि द्वारा ही मीलना पड़ता है। यह विवरित उत्थाहवद्दक नहीं है। हम गोरबाना के इस मुभाव से सहमन हैं कि हुये उत्थाहवद्दक अधिकारियों को (उनकी वरिष्ठता के होने हुए भी) कुछ विशेष में इसलिए भेजना चाहिए कि इन गिरों को मुद्रकों के त्रिए प्रशिक्षण दीव बनाया जा सके।

ओपचारिक प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी के सेवाकाल में विभिन्न घटणों पर सुनिश्चित पाठ्यक्रमों द्वारा प्रकाशित बुकालता का साचार करना है। इस पर अब अधिकारिक ध्यान दिया जा रहा है, वशोकि अब प्रशासनको वी सह्या बढ़ाने तथा उन्हें उन्नत करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। परिणामत अनोपचारिक प्रशिक्षण की पूर्ति अनिवार्यत ओपचारिक प्रशिक्षण द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण योजनाएं ओपचारिक अनुदेश जारी बनके बढ़ाई जाएं। यह प्रशिक्षण अनुदेश व्याप्त्यान तथा समूह चर्चा, सेवीवर्ग प्रशासन के सिए विशिष्ट पाठ्यक्रम वित्तीय प्रबन्ध, सम्मेलन, निर्माणशाला तथा गोष्ठियों का आयोजन बरबे दिया जा सकता है।

(1) प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण (Pre entry Training)—नौकरसेवकों के लिए प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण का महसूल दिन-प्रनिदिन बढ़ता जा रहा है। सेवा में प्रवेश करने से पूर्व ही उसके सम्बन्ध में उम्मीदवार द्वारा विश्वविद्यालय, समाज, प्रशिक्षण संस्था, पुस्तकालय आदि स्थान। पर जो प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है वह सब इस थेटी में आता है। गढ़ प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण' किसी घटने या घटवाया को सहेत नहीं बताता। भारत में शायद ही कोई 'प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण' योजना हो परन्तु राजस्थान सरकार ने प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण का एक माश्वर्यदनक उदाहरण 'प्रस्तुति' किया है। इम प्रकार सरकार द्वारा 1960 में तय किया गया था कि जो उम्मीदवार सचिवालय तथा व्यवसाय प्रशिक्षण के जूनियर डिप्लोमा कोर्स में 65 प्रतिशत या डगरो प्रधिक अक प्राप्त करेगा, उच्च थेटी के लिएको के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। यह परीक्षा जुलाई, 1959 म राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रारम्भ की गई थी।

(2) पुनरावलोकन प्रशिक्षण (Orientation Training)—पुनरावलोकन प्रशिक्षण का उद्देश्य नव-नियुक्त कर्मचारी को कार्य सम्बन्धी बुतियाई प्रवधारणाओं, उसके नवीन पर्यावरण, सागठन तथा उसके सक्षय से परिचित कराना होता है। मारत में 'पुनरावलोकन प्रशिक्षण' महसूलपूर्ण बनता जा रहा है ताकि नौकरकाही, विशेषकर प्राप्ति नौकरकाही, नवीन उत्तरदायित्वों से तात्पर्य मिलाकर चल सके। मसूरी में मामुदायिक विकास योग्यतन तथा अनुसन्धान का बेन्द्रोप विद्यालय विशेष रूप से इसी समस्या के भमाधान में लगता है।

(3) सेवाकालीन प्रशिक्षण (In-Service Training)—सेवाकालीन प्रशिक्षण के साथ दो लक्ष्य होते हैं— पहला, कर्मचारी को अच्छे पहले प्रयत्नों से निर्देशित करना; और दूसरा, उनके कार्यपालन को सुधारने में उपकी राहायता करना। भारतीय भर्ती प्रणाली में, जिसके प्रभार्यन सामान्य योग्यताएं रखने वाले युवकों दो लोकसेवकों दे लिए जाता है, उच्चतर सेवामो के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की एक व्यापक योजना वी व्यवस्था की गई है, और कुछ ही कदों में उच्चतर सेवामो के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक जाल-जा बिद्य गया है।

(4) प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण (Post entry Training)—प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण के मध्य हृष्ट भेद एक नहीं होता, और मिलते हमें भेद ने इस भेद का बहुत वरते हुए कहा है कि 'प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण यद्यपि बहुत अल्पों में कर्मचारी के कार्य से प्रशिक्षण सम्बन्धित नहीं है विन्तु मगड़न के लिए यह आवश्यक ही सहायता सिद्ध हाता है। लोक निर्माण या राजमार्ग विभाग में किसी विशेषज्ञ कर्मचारी के लिए अभियानिकों ने प्रशिक्षण इस प्रकार के प्रशिक्षण का एक उदाहरण है। इस दृष्टान्त से कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्य या लोक-प्रशासन में दिए गए प्रशिक्षण को सेवाकालीन प्रशिक्षण समझा जा सकता है; किर मी हमारे इस उदाहरण में अभियानिकों प्रशिक्षण में सेवीय प्रशासन के निकट रूप में सम्बन्धित कर्मचारी के प्रशिक्षण में गणित मूल्यवान है।' यद्यपि प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण का एकदम सीधा सम्बन्ध कर्मचारियों के कार्य से नहीं होता है किर मी यह मगड़न बड़े काम की वस्तु है। भारत में प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण की आवश्यकता को अधिकाधिक ग्रन्ति किया जा रहा है। इसका मैत्री इस बात से मिलता है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के अध्ययन हेतु युटी सम्बन्धी व्यवस्था को अधिक उदार बना दिया गया है। 1961 में केंद्रीय सरकार ने निश्चय किया था कि अध्ययन के लिए युटी ऐवल ऐंस अध्ययनों के लिए ही दी जा सकती है जो भले ही कर्मचारी के कार्य से निकट या मीमा सम्बन्ध न रखने हों इन्हें लोकसेवक के हर में उसकी पोषणायां में गुणार हेतु महायक हों और उसे इस योग्य बनाने हों कि वह लोककेवा वी प्रथा शालायों में कार्य वरने वाले कर्मचारियों को सहयोग दे सकें।

### कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (गृह मन्त्रालय) का प्रशिक्षण विभाग

इस विभाग का प्रशिक्षण प्रभाग मुख्यत लोक-प्रशासन तथा सामान्य प्रबन्ध के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों तंत्रार करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों वा समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यक्रमों के सुधार लाना तथा उसे अधिक व्यापक बनाना है ताकि विकास कार्यक्रमों के द्वारा लीकरनि से जनता की आकृद्यायी दृष्टि पूरा करने के लिए भारतीय प्रशासन को बुल्ल बनाया जा सके।

प्रशिक्षण प्रभाग की जिम्मेदारी—केंद्रीय सरकार की सामान्य प्रशिक्षण नीतियों तंत्रार करना, राज्य सरकारों की घटनी प्रशिक्षण नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रनियादन में सहायता करना, प्रशिक्षण की आवश्यकतामों वा पता लगाना, रिपोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम तंत्रार करना तथा उनका स्वाक्षरन करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धीय लागतों को सहायता उपलब्ध कराना है। यह सीधे लाइ बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रजापन प्रशासनी, मसूरी और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। वर्ष 1981 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली भी इस विभाग के नियन्त्रणाधीन आ गया है। प्रशिक्षण प्रभाग, भारतीय सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अमिक्सरणों के

साथ ममवद्य करने वे निए बेन्द्रीय मरकार के एक मॉडल एंट्रेंसी वे रूप में भी कार्य करता है।

प्रशिक्षण नीतियों का निहरण—प्रशिक्षण प्रशासन बेन्द्रीय मन्त्रालयों, विभागों और सर्वग्रंथाधिकारणों के प्रशासनों में एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम तंयार करता है।

इम योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) कार्यात्मक प्रशिक्षण—बेन्द्रीय मरकार के मन्त्रालय / विभाग द्वारा इन विभिन्न कार्यालयों सेवा में प्रशिक्षण की आवश्यकतामों का पता लगाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तंयार करने और उन्हे संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रशिक्षण प्रशासन प्रशिक्षण की आवश्यकता का पता लगाने, प्रशिक्षण नीतियों तैयार करन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की हारंता तंयार करने में व्यवस्थक सहायता तथा सलाह देना है।

(2) सामान्य प्रबन्ध प्रशिक्षण—प्रशिक्षण प्रशासन सामान्य प्रबन्ध के द्वेष में (विभिन्न स्थापित सेवाओं के शुप 'क' तथा 'क' अधिकारियों के लिए) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को योजना बनाना है और उन्हे संचालित करना है। इम प्रशिक्षण सा चढ़े य लिट फ्रबन्ध कार्य की जुनीनियों वा सामना करने के लिए मध्यस्थतायी अधिकारियों को तंयार करना होता है।

(3) समूह 'ग' तथा 'घ' के प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षण—प्रशिक्षण प्रशासन सचिवालय प्रशिक्षण नया प्रबन्ध संस्थान के साम्बद्ध ने विभिन्न विभागों के समूह 'ग' तथा 'घ' कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणों के प्रांतिकरण के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है ताकि समूड़ 'ग' तथा 'घ' के अधिक सहयोग में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने वे लिए मत्रालयों / विभागों में विदेन्द्रीकरण के आधार पर उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा सकें।

(4) विदेशों में प्रशिक्षण—बोर्डों योजना के अधीन भारतीय सोसायेटी वे अधिकारी विभिन्न द्वितीय मन्त्रालयों द्वारा विश्वविद्यालयों में निम्न-भिन्न विषयों पर अन शक्ति विकास परियोजना में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

(5) विदेशी प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण—यह विभाग विदेशी देशों के द्वीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने के अपने प्रयास वे एक भ्रश के रूप में विकासशील देशों के प्रशासकों को प्रशिक्षण देने में सहाय रूप से लगा हूमा है। यह कार्य विकास प्रशासन प्रशिक्षण वे देश में विकासशील देशों के द्वीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने के प्रशासकों की नियमित विशेषता है। 1982-83 तक नगरम 50 विदेशी देशों से 350 से अधिक विकास प्रशासकों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया था।

(6) खान (योजना) के अधीन कार्यक्रमों का प्रशिक्षण—योजना के कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले कार्यों के मम्बन्ध में प्रशिक्षण की आवश्यकता वा उपनपूर्वक अध्ययन करने के बाद 'विकास प्रशासन' के लिए कार्यक्रमों का

'प्रशिक्षण' के लिए योजना वर्ष 1976-77 से पौच्छी पब्लिक योजना में एक योजना शामिल कर ली गई थी। इस योजना का विस्तार छठी पब्लिक योजना में भी कर दिया गया है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपग्रहों में वर्तित तथा मध्य-स्तरीय प्रधिकारियों के भीतर योजना के कार्यान्वयन की धमना बढ़ाए जाने के विचार से विभिन्न घटान दरियोजनाओं की, योजना, निर्माण, मूल्यांकन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन वे कार्यों में लगे हुए वामिकों के लिए इस योजना के अधीन बहुत स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस योजना के अधीन शामिल किए गए मध्य कायकमों के होते हुए इस प्रवार है—प्रशिक्षिकों वा प्रशिक्षण, वित्तीय प्रबन्ध, निर्माण योजना, कार्यक्रम मूल्यांकन, प्रबन्ध मूलना प्रणाली जिला तथा खण्ड स्तर की योजना, लोकोपयोगिताओं का प्रबन्ध परिवर्तन प्रबन्ध तथा आदिकासी विकास प्रशासन आदि। उम्मीद वर्गों को लगा सहायता, शहरी वस्तियों में परिवहन व्यवस्था, दूरीनिवेश के प्रस्तावों का मूल्यांकन और व्यवहार की अवधिकारी मित्रत्वपूर्ण, भारी प्रबन्ध और प्रणाली विशेषण परिवर्तन के गहनुप्रोग, जिला उद्योग केन्द्रों के मुद्दे, प्राप्ति विकास की विशेष योजनाओं आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय। पर अनुमति पर आधारित प्रनेक अनुकालीन संप्रिद्धियों का भी प्रायोजन निया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को एक मध्यक नियन्त्रित द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है जिसमें कार्यिक और प्रशासनिक विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग, योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय के योजना वित्त प्रभाग व प्रतिनिधि शास्त्रिय होते हैं। यह समिति मधुक सचिव (प्रशिक्षण) की प्रबन्धना में कार्य वरती है।

(7) ह्याप्रत्त सहाय्यों के सहयोग से आर्यारी तथा प्रबन्ध विकास कार्यक्रम—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के समूह 'क' अधिकारियों के लिए प्रायोजनीय सेवाहानी तुलश्वरी पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रशासनिक गुशार आयोग की सिफारिश के अनुसारा में प्रशिक्षण प्रभाग कार्यकारी तथा प्रबन्ध विकास कायक्रम का आयोजन करता है।

(8) प्रशासन फ़िल्में—केन्द्रीय विभागों, राज्यों तथा गरिमारी उपग्रहों की प्रशिक्षण संस्थाओं को फ़िल्में उपार देने के लिए प्रबन्ध फ़िल्म पुनर्वाचन बनाए जाने से सम्बन्धित काम समय-तारखों वे अनुसार आगे बढ़ रहा है। विदेश में बनाई गई प्रबन्ध फ़िल्में भारतीय परिविहितियों के लिए अधिक अनुकूल नहीं होती। इस बायी वो दूर करने के लिए इस विभाग ने देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग में प्रबन्ध फ़िल्म बनाने का आम हाथ में लिया है। 1982-83 के दौरान प्रशिक्षण विभाग ने 'अनन्त प्रबन्ध संस्थान' मद्दाम के सहयोग से संखारी तत्र म लक्ष्यपरक प्रबन्ध' (मैनेजमेंट बाई और्डरेविट्व इन गवर्नेंट मेंट एवं) नामक एक फ़िल्म बनाई। मरकार ने गट्ट / सी वी एम. का प्रयोग (पूर्ण धारा वी ई धार टी/ सी वी एम. एवं एम. एड्युकेशन), के नाम से एक दूसरी फ़िल्म बनाने का आमंत्र नहु भर, दिया गया है। इस विभाग ने प्रबन्ध विकास मस्थान, गुडगांव द्वारा नियमित

योजना (बारपोरेट एकानिय) विषय पर फ़िल्म बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली ने एकीकृत परियोजना प्रवर्ध्न, (इन्स्टीट्यूट ऑफिशल मैनेजमेन्ट) पर एक फ़िल्म बनाने का प्रस्ताव भेजा है जो इस विमान के विचारधीन है।

(9) अनुसंधान एवं मूल्यांकन—वामिक प्रशासन के बड़े क्षेत्रों जैसे भर्ती, पदोन्नति, निधादन भूत्याकृति, सर्वग्रं प्रवर्ध्न आदि में निरन्तर अनुसंधान करने के लिए स्थायी व्यवस्थाएँ बिद्यमान हैं। जिन क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है उनका पना लगाने तथा उनमें सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों के सुझाव देने हेतु बिद्यमान नीतियों तथा पद्धतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के प्रयास किए जाते हैं। मूल्यांकन किती भी प्रशिक्षण प्रश्न का महत्वपूर्ण अंग है। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अपने प्रशिक्षण वार्षिकों का मूल्यांकन करने के लिए शपनाई गई विभिन्न तकनीकों तथा पद्धतियों का पना लगाने के लिए मौद्देशण किया जाता है। इस प्रशोजन के लिए 1982-83 में एक प्रश्नावसी तैयार की गई थी और 70 प्रशिक्षण संस्थाओं ने भेजी गई थी जिनमें से 43 संस्थाओं ने उत्तर भेजे। इन संस्थाओं से प्राप्त उत्तरों का अब विश्लेषण कर लिया गया है और इस विषय पर एक रिपोर्ट जीघ्र प्राप्त हो जाएगी।

(10) प्रकाशन—प्रहृ विभाग समद समय पर प्रकाशन नियंत्रिता रहता है। संस्थान मुख्य रूप से अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के लिए विभिन्न विषयों पर कई प्रकाशन तथा सोनोग्राफ समय-समय पर प्रकाशित करता रहा है।

### प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान

भारत में तोड़े नेवरो के लिए जो प्रशिक्षण संस्थान हैं उनमें विजेप इप से उल्लेखनीय है—(1) लाल घाटादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी, (2) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, (3) मचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रवर्ध्न संस्थान, नई दिल्ली, (4) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद, (5) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एम्युनिटी इवल्यूमेन्ट, हैदराबाद, (6) पुलिम प्रशिक्षण महाविद्यालय, मावू।

(1) मसूरी की राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी नोटी 2 अक्टूबर, 1972 से साल वहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कहा जाने लगा है। इसमें प्रशिक्षण के लिए गिरावटों की एक स्थाई मॉडली है। उनके अतिरिक्त, वहाँ लोक प्रशासन के भारतीय संस्थान के कम्मानियू अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ धार्मकुकों से भी व्याख्यान दिलवाए जाते हैं। निम्न-भिन्न विषयों का एक-एक दस बनाकर सामूहिक प्रवर्धन होता है और पुस्तक संग्रहालय विधि का भी प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षायियों में शारीरिक और मानसिक गुणों के विकास के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद, निशानेबाजी, पूड़मुवारी, तंत्राबी, मोटर-चालन आदि की व्यवस्था है। भारतीय प्रशासन सेवा के परिवीदाधीन प्रशिक्षायियों के लिए 1960 से 'मैट्रिक्युले प्रशिक्षण

कायंत्रम्' भी लागू किया गया है जो इस प्रकार होता है—(१) परिवीभावीन अधिकारी या माहत्मा भवादमी में रहता है, (२) सम्बन्धित राज्य में एक वर्ष तक प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, (३) फिर छ दो माह के प्रशिक्षण के लिए अकादमी में पुन लौट आता है। अकादमी में तीन प्रशार के पाठ्यक्रमों का विधान है—(ए) भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के लिए एकवर्षीय पाठ्यक्रम, (पा) जो दस या चाल हाल की भारतीय प्रशासनिक सेवा वर तक है उन वरिष्ठ अधिकारियों के लिए छ दो माह का अभिनव प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, (इ) अधिकारीय सेवादी और बैन्ड्रीय मेवाप्रो (प्रथम वर्षीय) के गभी अधिकारियों ने लिए पांच महीने का मधुक पाठ्यक्रम। इन सभी पाठ्यक्रमों का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों के रैलीकोण को व्यापक बनाना है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रवृत्ति समन्वयवादी है।

(२) भारतीय लोक प्रशासन सम्बन्ध, नई दिल्ली द्वारा प्रलप्तालीन पाठ्यक्रमों को शामिल सेवा में कायंत्र वर्षनारियों अधिकारीयों विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य में सेवे व्यक्तियों के लिए मजाकिन लिया जाता है। साधारणतया बैन्ड और राज्य सरकारों के उप-सचिव और अवर-सचिवों की बैठकों के कर्मचारी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं। मध्यम वर्षों के अधिकारियों के लिए इस सम्बन्ध के अभिनव पाठ्यक्रम बड़े सामर्थ्यवाले सिद्ध हुए हैं। ये पाठ्यक्रम एक और तो पदाधिकारियों के माध्यम सम्पन्नी समस्याओं के सम्बन्ध में अमंचारियों को आघुनिकतम विचारों के सम्बर्द्ध में रखते हैं। सामान्यत मारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अधिकारीयों विषय विशेषज्ञ प्रश्नों व्याख्यानों से कर्मचारियों का प्रशिक्षण करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों के लिए यह व्यवस्था भी है कि वे भारत सरकार के कायंत्रियों को देखें और वहाँ की कायंत्र पद्धति देखकर अपने ज्ञान तथा अनुभव में बढ़ि जाएं। यह सम्पादन अध्यादित स्तर के प्रशासनों से लिए प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा प्राप्तिजित कायंत्रारी विकास कायंत्रमों का बैन्डविष्ट है। भारतीय लोक प्रशासन सम्बन्ध म प्राप्तिजित कायंत्रक्रम, विभिन्न बैन्डीय मन्त्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों सरकारी एवं उपक्रमों और बैन्डीय तथा राज्य प्रशिक्षण सम्पाद्यों में कायंत्र वर रहे अधिकारियों के लिए तंत्रार लिए जाते हैं। इन कायंत्रमों की एक हृष्टरेणा द्वारा प्रशार है—

(१) सक्रिय अनुमधान तथा नियंत्रण लेने सम्बन्धी कायंत्रम, (२) प्रशासनिक नेतृत्व तथा अवदार सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (३) लगातार परिचय पर पाठ्यक्रम, (४) अधिनेत्र प्रबन्ध सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (५) जनतानीति विद्यान प्रशासन सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (६) प्रशासनिक नेतृत्व तथा अवदार सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (७) सक्रिय अनुमधान परिचय सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (८) प्रशिक्षण पद्धनियों तथा तहनीयों पर कायंत्राना, (९) कायंत्र नीतियों तथा अवदार सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (१०) विषय अध्ययन तथा अन्य ग्रीष्मकालीन सम्बन्धी कायंत्राना, (११) परियोजना नियंत्रण तथा मूल्यांकन सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (१२) प्रशासन विद्यान सम्बन्धी

पाठ्यक्रम, (13) बजट तथा वित्तीय नियन्त्रण सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (14) मामग्री आयोजना सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (15) सक्रिय अनुसंधान परिचय सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (16) जिला आयोजन सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (17) वार्षिक प्रशासन सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (18) विधि और व्यवस्था प्रशासन में मरणों के प्रयोग सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (19) प्रशासन में मानव-व्यवहार का पता लगाने सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (20) प्रशासनिक नेतृत्व तथा व्यवहार सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (21) जनजातीय विकास प्रशासन सम्बन्धी पाठ्यक्रम, (22) नीति-निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी पाठ्यक्रम, एवं (23) सगणक पद्धति, विश्लेषण तथा डिजाइन सम्बन्धी पाठ्यक्रम।

(3) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली हाय शास्प्र-अधिकारियों महायोग्यों और निम्न वर्गीय लिपियों के लिए चुने गए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका पुराना नाम बैन्ड्रीय सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल था जिसकी स्थापना मई, 1948 में हुई थी। इस संस्थान में मरण और रीतियों, कार्यालयों की कार्य प्रणाली, वित्तीय नियम, विनियम आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद प्रशिक्षणादियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संकालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है। उच्च श्रेणियों में लगे कर्मचारियों के लिए वह संस्थान अभिनव पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

(4) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज, हैदराबाद की स्थापना प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी प्रतिलिपि भारतीय परिषद की सिफारिश पर 1957 में ही हुई थी। यह इन्सेंट वे हेलेन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज के नमूने पर गठित है। प्रविवरण (Prospectus) के अनुसार “यह कॉलेज ऐसे अध्ययन की व्यवस्था करता है, जिससे रावेंजनिक जीवन में सगठन और प्रशासन की प्रशिक्षियों तथा मिलानों का अनुसंधान विद्या जा सके। कॉलेज प्रशासकीय क्षमता के अनुभवी निष्पादकों को निकट लाने वा प्रयत्न करता है और उन्हे विभिन्न प्रशासकीय कार्य-प्रणालियों में परीक्षण का अवसर प्रदान करता है ताकि वे भविष्य में और उच्च दायित्वों के लिए अपने को तंपार कर सकें और उस कालेज की मान्यता है कि स्त्री-पुरुषों वो जीवन के विभिन्न घेवांसे—जैसे, निजी उद्योग, वाणिज्य तथा लोकसेवा एवं स्थान पर जाइर उनके अनुभवों तथा विचारों के प्रादान-प्रदान में अधिकतम सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इस प्रकार भाग लेने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत की समृद्ध बनाया जा सकता है, तथा इससे विभिन्न उद्योगों में प्रशासकीय कुशलता विधिक बढ़ जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी।” इस कलिङ्ग में नवागमनुव व्रेश नहीं पाते, यह अनुभवी विद्यारियों और प्रशासकों को ही विचार-विनियम का प्रबन्ध देना है। प्रशासक गण वेवल राजकीय घेवांसे के ही नहीं बरन् व्यापार, उद्योग तथा ग्रन्थ घेवांसे के भी हो सकते हैं। कॉलेज में यद्यपि प्रयंकास्त्र, योजना, प्रबन्ध, हिसाब-विताव, संविधान और सरकारी प्रशासन पर अधिकारी विद्यार्थी से स्थापना दिलाए

जाने हैं तथा पि कोई नियमित अध्यापन-क्रम नहीं चलता। पठ्यक्रम के मुहर भाग सभी बी सरचना, आनंदित और बाह्य सम्बन्ध अर्थात् इस और प्रशासन तथा जीवन शक्ति से सम्बन्धित होते हैं।<sup>1</sup> प्रशिक्षण पढ़ने मामूलिक विचार-वित्तिपत्र द्वारा अध्ययन करने भी है। स्टॉक बॉलिंग, हैदराबाद के प्रशिक्षण-कार्यक्रम का सूचप और विषय-बस्तु पौंछ मूल वातो पर धारालित है—प्रथम, कुछ सामान्य मन्त्रालय होती है। वे सभी प्रशासनी के समझ चाहे वे दिमी देश से बात करते हैं अनिवार्य प्राती हैं। द्वितीय, प्रशासनी के बत्तें तावंजनित तथा निजी दोनों ही दोओं में दिन-प्रशिक्षित जटिल तथा वैसियश्वरूप होते जा रहे हैं। तृतीय प्रत्येक प्रकार के प्रशासन को उन लोगों बी तुलना में जो निजी दोनों में तथा अन्य दोनों में समझ है, तथा सोइहित बी तुलना में, जो यथार्थ भूमिका धरा करती पड़ती है, उसकी निरन्तर समीक्षा की आवश्यकता है। चतुर्थ, भाज के अन्यन्त वैविध्यवृत्ति प्रशासनिक समाज में उद्देश्यों तथा संगठनों बी नटिता में इड़ा होते के कारण उपके अध्ययन के लिए रुदिवादी प्रणाली की ओर रा विचारोत्तेजक एवं लोचदार प्रणाली की प्रावश्यकता है। पन्थ, अध्ययन की प्रणाली ऐसी होती चाहिए जो उन गुणों तथा कुशलताओं को प्राप्त कर सके, जो ऐसे स्थियों या पुरुषों वे लिए वैष्णवीय हो और जो प्राप्त अनुभव तथा व्योग्यता के कारण प्रथमी व्यापारिक मत्त्यादी के भावी विकास में एक प्रभावशाली भूमिका धरा करने वे लिए प्रभावशाली रिए जा सके।<sup>2</sup>

(5) सामुदायिक विकास तथा पचायनी कार्यक्रमों से सम्बद्ध मूल धारणाओं और उद्देश्यों बी समुचित जानकारी बड़ाने के लिए राज्य सरकारों बी देखरेख में सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र सोने गए हैं। वही इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं को विभिन्न राज्य सरकारों बी देख-रेख में प्रशिक्षण दिया जाता है।

इन प्रशिक्षण भूम्यानो में सबसे ऊपर हैदराबाद का स्वायत्तशासी सामुदायिक विकास राष्ट्रीय मस्थान है जिसकी स्थापना जून, 1958 में मसूरी में भी गई थी। 1964 में इसे हैदराबाद से जाया गया और 1965 में इसे एक रजिस्टर्ड सोसायटी में बदल दिया गया।

यह सामुदायिक विकास मस्थान अपने चौहरे उद्देश्यों के व्यापक ढाँचे के भीतर कार्य करता है। इसके चौहरे उद्देश्य हैं—

(1) महसूलवूर्ण सरकारी कार्यकर्ताओं तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के सामुदायिक विकास और पचायनी राज्य के विद्वानों तथा उद्देश्यों के बारे में पनुगियाल तथा प्रशिक्षण देने के लिए एक शीर्ष नस्था से रु में कार्य करना,

1-2 स्तरों एवं बाह्यकरी : इह, एवं 403

3 Govt. of India, Rural Development Deptt. Report, 1975 76.

(2) सामुदायिक विकास के माध्यम से सुनिश्चित सामाजिक परिवर्तन पर विशेष बल देते हुए सामाजिक विहान में प्रध्ययन तथा अनुसंधान के कार्यक्रम हाथ में लेना,

(3) देश के विभिन्न भाषों में प्रशिक्षण बेन्द्रों को जैशलिंग मार्ग प्रदर्शन करना और उनके शिक्षक-वर्ग को प्रशिक्षण देना, और

(4) सामुदायिक विकास और पचायती राज सम्बन्धी मूचनों के लिए शोभन गृह के रूप में कार्य करना।

इस संस्थान में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों थेनों के प्रमुख सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ राज्य सरकारों वो यताह-सेवा देने का कार्य भी किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में संस्थान का बुनियादी उद्देश्य 25-25, दिन के पुनरावलोकन पाठ्यक्रमों (Orientation Courses) को आयोजित करना है। इन पाठ्यक्रमों वा मुख्य उद्देश्य न वेबल सामुदायिक विकास और पचायती राज की विचारधारा को समझना है बल्कि कर्मचारियों में विचारोत्तेजना उत्पन्न करना तथा विचार और अनुभवों का आदान प्रदान करना भी है। ये पाठ्यक्रम प्रशिक्षणाधियों को प्रशासन के साधारण कार्यों के प्रति नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

(6) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, झाड़ू भी स्थापना हिन्दूबाबर, 1948 में हुई और इसका उद्देश्य है भारतीय पुलिस देवा में प्रविष्ट नवजन्मतुक का प्रशिक्षण। इसका प्रधान एक सेनाध्यक्ष (Commandant) होता है जिसकी सहायता के लिए उचित योग्यता प्राप्त अन्य प्रशिक्षक होते हैं। प्रशिक्षण विधि नहीं है जो ममूरी वे राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की है, पर यहाँ अवंशास्त्र और लोक प्रशासन विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। विशेष बल फौजदारी यानुन और उसके व्यवहार की विधि, अपराध विज्ञान, शारीरिक व्यायाम, निशानेबाजी तथा धुड़तबारी पर दिया जाता है। प्रशिक्षणाधियों वो कुछ समय के लिए सैनिक दलों के साथ लगाया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति वे उपरान्त उन्हें चार से छ घंटीने तक जिता पुलिस विभाग में बाब देकर प्रशिक्षित किया जाता है। थोड़े-थोड़े समय के लिए उन्हें बाने के मुख्य कौस्टोद्या, नायव यानेदार, यानेदार तथा निरीक्षक के पदों पर नियुक्त किया जाता है ताकि पुलिस सेवा वा व्यायाम अनुभव उन्हें प्राप्त हो सके। तत्पश्चात् उन्हें उपाधीक (Dy S P.) के रूप पर नियुक्त किया जाता है।

#### (7) प्रमुख सेवाओं का प्रशिक्षण

देश के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों का उल्लेख करने के उपरान्त हम एवं प्रमुख सेवाओं के प्रशिक्षण को लेंगे—

(1) भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशिक्षण (Training for I.A.S.)— ममूरी की राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में एक वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात् आई.ए.एस. के सभी परिवीक्षाधीन अधिकारी एक परीक्षा में भाग लेते हैं जिनका संचालन सघीय लोकसेवा ग्राम्योग करता है। इस परीक्षा में सफल होने और एवं वर्ष या अद्यारह माह (राज्यों में वार्तविक बजल मिम्न-हिन्न है) की सेवा पूर्ण कर लेने के

बाद उन्हें सेवा में स्थाई किया जाता है। उन्नेपत्रीय है ति अकादमी में आई ए.एम के सदस्यों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे ये काम करते हुए प्राप्त करते हैं। पहले वर्ष प्रशिक्षण का एक नियमित कार्यक्रम होता है, तत्पश्चात् उन्हें एक अनुभिमाण सौन दिया जाता है। प्राय दो वर्ष काम करने के बाद उनका स्थानान्तरण एवं जिले से दूसरे जिले से बदल दिया जाता है। लगभग अट्ठारह महीने के तिए उन्हें अवर-सचिव (Under Secretary) के रूप में गविवालय में कार्य करना पड़ता है और तब अन्त में उन्हें जिलाधीश बनाया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एम.) वा बोई भी पदाधिकारी प्राय सेवा के छठे वर्ष में जिलाधीश के पद का कार्य भार सम्भालन के योग्य हो जाता है। इस समय तक वह प्राय ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है ति इसी सरकारी विभाग में कोई भी उत्तरदायित्व का पद सम्भाल सके।

(2) भारतीय विदेश सेवा का प्रशिक्षण (Training for I. F. S.)—भारतीय विदेश सेवा नवागतुकों को एक विवरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में होकर गुजरना पड़ता है। प्रशिक्षण का वर्तमान मुद्र्य कार्यक्रम, जैसा कि ढाँ भास्त्रीय ने निक्षा है, इस प्रकार है—राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मामूरी में चार माह के अध्यारम्भ पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल नई दिल्ली में चार माह का प्रशिक्षण, विदेश मन्त्रालय में छः माह कार्य करना, और सेनिक इवाई तथा भारत दूसरे देशों पाठ्य, विदेश के मिशन पर जाना ताकि विदेशी भाषा का अध्ययन एवं अन्य सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सके इन्हु इसकी अवधि एवं वर्ष में अधिक नहीं होती। पिछलई समिति द्वारा भारत विदेश सेवा पर जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें इस सेवा के सदस्यों के तिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम की मोटी स्पष्टेता इस प्रकार है—

(1) राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ऐसे पाठ्यक्रम वा अध्ययन वित्तीय सामाजिक एवं सौहानीय इतिहास, राजनीतिक मिदान्त, भारत का संविधान और प्रशासन, कानून, अर्थशास्त्र और हिन्दी भी सम्भवित है।

4 माह

6 माह

(2) जिला प्रशिक्षण।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं राजनय स्कूल तथा दिल्ली विश्वविद्यालय मादि म ऐसे पाठ्यक्रम का अध्ययन जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सामन्य और समठन, अन्तर्राष्ट्रीय विधि और राजनय (Diplomacy), अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वा बालिज्य हो।

6 माह

(4) विदेश मन्त्रालय में कार्य का प्रशिक्षण तथा सामान्य परिचय प्राप्त करना।

8 माह

(5) दूसरे भाषाधी क्षेत्र के मिशन में तृनीय राजिक के रूप में परिवीक्षा पर।

12 माह

36 माह या

योग — 3 वर्ष

(3) भारतीय पुलिस से इ के लिए प्रशिक्षण (Training for I.P.S.)—भारतीय पुलिस सेवा मे प्रवेश पाने वालो के प्रशिक्षण के लिए 1948 मे माउण्ट आबू मे एक सेन्ट्रलीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज (Central Police Training College) की स्थापना की गई जिसमे अध्ययन के मुहूर विषय हैं—दण्ड-विधि दण्ड प्रक्रिया, भारतीय संविधान, भारतीय माद्राय अधिनियम आदि। विशेष बल काव्याय (ड्रूच) तथा हिंसारो के प्रयोग पर दिया जाता है। अवृ-शस्त्र बचावे का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उन्ह 'सैनिक इकाइयो' मे भेजा जाता है। एक बर्ध प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हे जिलो मे भेजा जाता है जहाँ वे 'काम पर प्रशिक्षण' प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षणार्थी वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारियो के मार्ग-दर्शन मे अतेक अधीक्षण अधिकारियो का कार्य बरके भरने का वी गिराव प्राप्त करते हैं। लगभग ३० बर्ध के इस प्रकार के प्रशिक्षण वे उपरान्त हो एक भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी को सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप मे नियुक्त कर दिया जाता है।

भारत सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीनो के संस्थानत प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमो मे जो मनोधन किया है उम्हे अनुसार सिरडीवेट कार्य तथा दर्शन-दादविवादो (Group Discussions) पर अधिक बल दिया जाता है। साथ ही अपराध मनोविज्ञान, अपराध-मन्वेषण मे सहायक वैज्ञानिक उपकरणों, अप्टीचार वा मुकावना करने की शीतियो, आज्ञा और गक्ट से रक्षा आदि का अध्ययन मौ समिक्षित किया गया है। ►

(4) भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लेखा सेवा के लिए प्रशिक्षण (Training for Indian Audit & Accounts Service)—भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लोग सेवा से मर्ती होने वाले परिवारियो को विभागीय प्रशिक्षण स्कूल, शिवला मे एक बर्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण उन्ही विषयो मे दिया जाता है जिनका परिवीक्षाधीनो के काम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। पाठ्यक्रम के मुख्य विषय हैं—लेखक-परीक्षण, लेखांकन (Accounts), भारतीय संविधान, सरद का विभीतीय नियमण, दण्ड तथा स्थानीय विधियो, वाणिज्यिक बही-साना, लेखा-महिताए (Account Codes), आधारभूत नियम, प्रादेशिक भाषा आदि। प्रशिक्षणार्थीयो को कार्य का व्यावहारिक अवधार प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न लेखा-कार्यालयो घोर जिला राजकोषो मे सम्बन्ध कर दिया गया है।

(5) आयकर सेवा के परिवीक्षाधीनो को प्रशिक्षण (Training for Income-Tax Probationers)—आयकर सेवा के परिवीक्षाधीनो को नागपुर के प्रशिक्षण स्कूल मे लगभग १८ मास का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लेखा-सेवा (I.S. & A.S.) के प्रशिक्षण के समान ही होता है।

(6) यानायात, पर्यटन तथा वाणिज्य विभाग घोर रेलवे लेखा-सेवा के नवनियुक्त कर्मचारियो मे प्रशिक्षण के लिए बड़ीदा मे एक स्टॉफ कॉलेज (Staff College) है। इसके प्रनिरूपित यह कॉलेज सेवा करने वाले प्रशिक्षकारियो के लिए

विशेष और अभिनव पाठ्यक्रम का पायोजन भी करता है। प्रशिक्षणाधियों को ऐसे भावी तकनीकी और प्रवीण कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है जो उनके लिए नवीन होते हैं और जिनका उनके कार्यों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना है। स्टॉफ बॉर्ड में पातायात, परिवहन तथा वाणिज्य विमान व नवनियुक्त वामचारी साथे तीन महीने का प्रशिक्षण (दो माह धारम में और छेड़ माह प्रशिक्षण के द्विवर्षीय वार्षिक्रम के मध्य) प्राप्त करते हैं।

### भारतीय प्रशिक्षण व्यवस्था की समस्याएँ व दोष और सुधार के सुझाव (Problems and Defects of Training System in India & Suggestions for Improvement)

लोड सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए अपनाई गई व्यवस्था को प्रत्यक्ष विवरणित समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का निराकरण करके ही कुशल एवं मरम्म प्रशिक्षण व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। ये समस्याएँ भारतीय सम्बद्ध में अनेक कारणों से यथावृत्त रह कर विभिन्न दोष उत्पन्न करती हैं। इन समस्याओं तथा तदृग्दनित दोषों में से कुछ निम्नलिखित हैं—

1 योग्य तथा धमतावान प्रशिक्षक नहीं मिल पाते जो सगठन के वार्षिकस्त्रीओं को ज्ञान देने के साथ-साथ उनकी व्यावहारिक समस्याओं में भी रुचि ले सकें।

2 दूसरी समस्या वाठेक्रम निर्धारित करने की है। विषयों का चुनाव एवं जटिल वार्ष्य है विषय एवं शिष्ट से जो विषय उपयोगी है वह अन्य इष्ट से अनुपयोगी तथा हानिकारक सिद्ध होता है।

3 प्रशिक्षण का तरीका एवं तकनीकें इस प्रकार भी अपनायी जाएं, यह तथ्य करता भी समस्याप्रद है। विषय-सामग्री उपयुक्त होने कुएं भी पर्दि उमे गतन तरीके से पढ़ाया गया हो तो वह अनुपयोगी सावित हो सकती है। प्रशिक्षण के व्यक्तिगत एवं सामूहिक दो मूल्य तरीके हैं। इन दोनों की अपनी अपनी नीमाएं तथा समस्याएँ हैं। व्यक्तिगत तरीके ये अनेक बातों को प्रशिक्षण स्पष्ट नहीं कर पाता और अनेक वो प्रशिक्षणार्थी सुख नहीं पाता। गामूहिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षणाधियों के बीच अनोन्यकारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पात। यहां सबूद म समायोजन की समस्या भी उठ ली होती है।

4 प्रशिक्षण के समय की समस्या भी उत्तेजनीय है। विष्ट लम्बे समय तक इए जाने वाले प्रशिक्षण का भार सगठन अहन नहीं कर सकता। इस समय में दिया गया प्रशिक्षण प्राप्त प्रशावहीन रहता है जब तक प्रशिक्षणार्थी प्रयत्न प्रशिक्षण का सहाय, शिष्य, प्रशिक्षण एवं लाभ प्राप्ति वारे में भी जावकारी प्राप्त नहीं कर पाते हि प्रशिक्षण का समय ही समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रशिक्षण वार्षिक वा महावर वेवल घोषकारिक सानापूर्ति तक ही सीमित रह जाता है।

5 प्रशिक्षण का बानावारण इस प्रकार का होता चाहिए यह जो एक मूल्य प्रश्न है। बन्द करने की घाहरीशारी में बनाए गए डैन्स-डैन्स निदान

ध्यावहारिक जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे यह सन्देहास्पद है। इसी प्रकार आधारभूत सामान्य सिद्धान्तों के बिना कार्य पर दिया गया प्रशिक्षण किनारा ग्राह्य बन सकेगा, यह भी एक प्रश्न है।

6 दोपे ने प्रशिक्षण कार्यक्रम से भलान जिन समस्याओं का उल्लेख किया है, वे हैं—(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमी का अनुचित मूल्यांकन, (ख) विभिन्न उच्च स्तर के प्रशासकों में प्रशिक्षण का अभाव, (ग) प्रशिक्षण-योजना को रूप देने में व्यवस्थापनिकार्यों की धीमी पति, (घ) कर्मचारी के कार्यों तथा प्रशिक्षण कार्यों के बीच हीला समन्वय, (च) सामान्य सेवीवर्ग कार्यों में प्रशिक्षण विभाजन, (छ) सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अप्रामाणिकता, (झ) अभिवरणों का कार्यभार लथा (झ) घन का अभाव। ये सभी समस्याएँ भारतीय प्रशिक्षण व्यवस्था में उपलब्ध हैं।

7 भारतीय प्रशिक्षण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण धोष यह है कि यही प्रशासनिक विषयों का ज्ञान उच्च स्तर पर कराया जाता है। दूसरी धोषी के प्रधिकारियों को भर्ती के समय यह प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

8 वेदान्तीय सम्भालों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण अधिकार और चारिक तथा अपर्याप्त होता है। कार्य पर ध्यावहारिक प्रशिक्षण बहुत कम दिया जाता है। इसे अधिक गम्भीरता से नहीं देखा जाता।

9 प्रशिक्षणार्दों की व्यक्तिगत विभिन्नों को पूरा करने के लिए कोई वर्दम नहीं उठाया जाता। यदि अध्ययनकाल में उपर्युक्त किसी विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो प्रशिक्षणकाल में उसे विशेष ५ से पढ़ने का प्रबंध नहीं किया जाता।

10 रिकेशर पाठ्यक्रमों की समस्या एक ऐसा विषय इतना बहुत तथा सीमित होता है कि नागरिक सेवक प्रशासन एवं नियोजन की आधुनिक तकनीकों से अपरिचित रह जाते हैं।

11 भारतीय सन्दर्भ में एक समस्या यह है कि प्रशिक्षक अपने कार्य की गम्भीरता को समझकर उसे हजिए एवं इसके लिए जबकि वाहनाविक विषय अवश्यक होता है। शीघ्र पदोन्नति और स्थानान्तरणों के कारण वायं पर प्रशिक्षण की योजना निरर्थक बन जाती है। आज बल प्रत्येक प्रशिक्षिकारी वे दायित्वों का क्षेत्र अन्वन्न व्यापक होता है। उनमें से किस को प्रशिक्षण के लिए चुना जाए, यह समस्याप्रद बन जाता है। सहानुभूतिपूर्ण प्रशिक्षण तथा निर्देशन के अभाव में नवागत्वक प्रशिक्षिकारी स्वप ही अपने प्रशिक्षण का क्षेत्र धोर तरीका निर्धारित करते हैं।

12 भारतीय प्रशिक्षण व्यवस्था में लिपिव-वर्ग तथा वार्दालिय अधीक्षकों के प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता जबकि वाहनाविक व्यवहार में प्रशासनिक नीतियों की रचना एवं क्रियान्वयन में उतना विशेष हास्य रहता है।

### मुद्धार के लिए सुझाव

(Suggestions for Improvement)

भारत में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए विचारों द्वारा प्रसिद्धि निर्धारित मुझाव प्रस्तुत लिए जाते हैं—

1. जिन पदाधिकारियों की सीधी भर्ती को जा रही है उनके लिए इस से वह एक वर्ष के संयुक्त प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया जाए। इस एटिंग से उच्च या निम्न पदों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इस प्रक्रिया से बर्म्बारियों में भावनात्मक एकता विस्तित होनी है।

2. प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए ऐसे विषय रखने चाहिए जिनके अध्ययन से प्रशिक्षणार्थी में नेतृत्व के गुण, सामाजिकता एवं परस्तार महायोग की मानवता विस्तित हो सके।

3. सरकार को प्रधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था बरनी चाहिए। प्रशासन के सचालन का भार बहुत कुछ इम्हीं के बन्धा पर रहता है। ऐसे उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण से प्रशासन कार्यक्रम नहीं बा मकान।

4. प्रशिक्षणार्थी को देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था का दुनियाभर अध्ययन बरके के रूपमें देश के लिए उपयुक्त व्यवस्था का निर्णय ले पाने हैं। इस प्रकार भारतीय प्रशासन विदेशों के अवदार, अनुराग तथा परम्पराओं से सामान्य हो सकेगा।

उक्त मुझादों को ध्यान में रखने हुए परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसुधा निर्णय लिए जाने चाहिए। एक निर्दोष प्रशिक्षण अवस्था कुशल प्रशासन की महत्वी आवश्यकता है। प्रशिक्षण का सही रूप ऐसी साद और पानी है जो प्रशासन के पौर्ये के विकास के लिए परम आवश्यक है। इसके बिना वह दोषा मूल बर नष्ट हो जाएगा।

### ऐट ब्रिटेन में प्रशिक्षण (Training in Great Britain)

ऐट ब्रिटेन में लोर्सेज़बो के प्रशिक्षण का सरचनात्मक ढाँचा ऐटेन मिति (Assheton Committee) की सिफारिशों पर प्राधारित था। इस मिति ने घरने प्रतिवेदन में प्रशिक्षण के पांच मुख्य उद्देशों का उल्लेख किया, ये ये—  
 (i) कार्य मनावन में नियन्त्रण एवं स्पष्टता प्राप्त करना। (ii) परिवर्तित समय की नई आवश्यकताओं के साथ एटिंग्सेण एवं प्रणालियों का नियन्त्रण समायोजन,  
 (iii) कार्यक एटिंग्सेण का समावेश, (iv) व्यक्तिगत लोकसंघ की धमता का विकास ताकि वह घरने वर्तमान कार्य में कार्यक्रमनाम बड़ा सबै तथा उच्चनर दार्य एवं बड़े दायित्वों के लिए स्वयं दो तेलार कर सके, तथा (v) कर्मचारी वर्ग के मोरेन को सुधारना, मुख्यतः उनका जो दस्तूरी कार्य में सलग रहते हैं। इन लक्षणों दो प्राप्त बरने की एटेन से मिति ने मुझाद दिया कि राजकोष दो मवा में प्रशिक्षण पर नियन्त्रण करना चाहिए, प्रत्येक विभाग में प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को अवस्थित करना चाहिए तथा राष्ट्रीय एवं विभागीय द्विटों परिपक्षों की भागीदारी होनी चाहिए।

इटिंग मरकार ने ऐटेन समिति को मिर्कारिंग स्वीमार करती तथा इसके बाद राजकोष के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं विद्या सम्बन्ध की स्थापना की,

विभागों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की एवं प्रशिक्षण पर लोकसेवा गट्टीय हिटले परिपद की संयुक्त समिति की स्थापना की। इसके साथ ही विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्र को पर्याप्त व्यापक बनाया गया। इस विभाग में प्रशिक्षणाधिकों की सहाय कम थी और पृथक् विभागीय प्रबन्ध करना उपर्युक्त नहीं था वहाँ केन्द्रीय तथा बाहर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

### ऐतिहासिक विकास

#### (Historical Development)

1960 ईंद्री दशकी में प्रशिक्षण की इन प्रवृत्तियों का व्यापक विस्तार हुआ तथा सुधार भी हुआ। व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक लोकसेवकों की आवश्यकताएँ पूरी करने के प्रयास किए गए। एशेटेन समिति तो मुख्य रूप से प्रशासनिक, नियादकीय एवं नियिक वर्गों में सम्बन्धित थी। अब प्रबन्ध तकनीकों के गोपन धन्य की ओर अधिक ध्यान दिया जाने थगा। 1963 में प्रशासनिक प्रबन्धन के लिए केन्द्र (CAS) की स्थापना की गई। यह कुछ लोकसेवकों द्वारा निर्देशित था, इसमें पटाने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों, व्यापारिक एमों, व्यावसायिक संघों के आगमनक लोग थे। यह केन्द्र धर्मशास्त्र एवं प्रशासनिक विषयों में पाठ्यक्रम सचालित बनाता था। 1965 के करीब CAS द्वारा धर्मशास्त्र के सिद्धान्तों के लिए अत्यधिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए। अधिक वरिष्ठ लोक-सेवकों द्वारा लिए पाठ्यक्रम तथा विचार योग्यियों विस्तृत थी गढ़। इमंतारी वर्ग ने प्रशासनिक स्टॉफ महाविद्यालय, हेनले (Henley) तथा नए व्यावसायिक स्नातक विद्यालयों में प्रशिक्षण पाया। इसके साथ ही प्रबन्धकीय सेवाओं में प्रशिक्षण का प्रमाण हो गहा था। इसमें व्यवस्था विश्लेषण (Systems Analysis) तथा अन्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा प्रणाली तकनीकों को जागिल किया जाने लगा। प्रेट्रिटेन ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापकता का प्रनुभाव इस द्वारा से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1968-69 में 1,82,000 में भी अधिक लोकसेवकों ने विभागीय प्रश्वास केन्द्रीय रूप से मणिल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि योग्यता करीब एवं मिलियन प्रशिक्षणार्थी प्राप्तिन आए।

जब 1968 में नागरिक सेवा विभाग गठित हुआ तो राजस्वीय का प्रशिक्षण एवं जिता सम्भाग इसकी स्थानान्तरित कर दिया गया तथा भवित्वकी वर्ग की नियुक्ति की गई। जुलाई, 1969 के अन्त तक लगभग 100 नागरिक सेवक केन्द्रीय नागरिक सेवा प्रशिक्षण कार्यों में सलग थे। जून, 1970 में सभी केन्द्रीय नागरिक सेवा प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों का दायित्व लोकसेवा कॉलेज (Civil Service College) ने सम्भाल लिया। नागरिक सेवा विभाग में प्रशिक्षण तथा गिर्डी मम्भाग से सम्बन्धित कर्मचारी भव कॉलेज स्टॉफ के सदस्य दब गए। इस विभाग में एक 'Training Requirements Division' स्थापित किया गया तथा इसे प्रशिक्षण एवं जिता सम्भाग के दायित्व भी दिए गए। इस नए सम्भाग का कार्य कॉलेज के साथ मिलकर प्रशिक्षण की प्रावश्यकताओं का विश्लेषण एवं

निषिद्धण वरना तथा विभागीय प्रशिक्षण के क्षेत्र में परमांदाना एवं समन्वयकारी दायित्व निभाना है।

### लोकसेवा महाविद्यालय

(The Civil Service College)

इस महाविद्यालय में एक मुख्यालय तथा प्रबन्ध, प्रशिक्षण पौर शोध के निम्न दो क्षेत्रों केन्द्र हैं। इसका मुख्यालय बर्कशाफर (Berkshire) में एमफोट ने नज़दीक सिंगहेड वार्क में तथा प्रावेंगिक केन्द्र लन्दन पौर एडिनबर्ग में है। जनवरी, 1971 तक इन संस्थानों की घटना एक मध्य में लगभग 530 विद्यार्थियों की स्थापित वरने की थी। अब यह संख्या 1100 के लगभग है।

महाविद्यालय का पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि जैशास्त्रिक योग्यता, कृत्यानन्दना एवं कार्य बाने प्रशिक्षणार्थियों के निम्न सचान्ति किया जाता है। यह दो भेंटियों में बर्गीकृत किया जा सकता है—युवा निष्पादक अधिकारियों के लिए, स्नातक प्रशासनिक प्रशिक्षार्थी के लिए, मध्य प्रबन्ध, उच्च प्रबन्ध विभागीय प्रशिक्षणों तथा अन्य विशेषज्ञों के निम्न तथा प्रबन्ध संवादी के वर्मधारी वर्गों के लिए। सेवा में इन दो येंगियों का परिवर्तन निम्न प्रकार है—

(i) युवा निष्पादक अधिकारी (Young Executive Officers)—युवा निष्पादक अधिकारियों के लिए प्रबन्ध पाठ्यक्रम वा प्रशिक्षण चार सप्ताह के लिए दिया जाता है। इसमें स्नातक स्तर से निवालत ही नागरिक सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। पाठ्यक्रम न अन्य विषयों के साथ-साथ मानात्मक तकनीकों का प्रशोग तथा सार्वानन्द प्रबन्ध को समझाएं भी शामिल रहती है।

(ii) स्नातक प्रशासनिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए (Graduate Administration Trainees)—प्रशासनिक प्रशिक्षणार्थी के प्रथम वर्षों में नीन सोशलों में 44 सप्ताह वा प्रशिक्षण इस रैलिंग ट्राईरा दिया जाता है। इसमें चार सप्ताह वा मानात्मक विशेषण तथा सरकार की सरचना व बारे में परिचयान्वयन पाठ्यक्रम होता है। इसके बाद बारह सप्ताह वा सरकार पौर सगड़न सम्बन्धी पाठ्यक्रम है। इसमें सगड़न एवं स्टाफ प्रबन्ध तथा सरकारी धन्य में प्रशिक्षण की शामिल किया जाता है। इसके बाद 28 सप्ताह का पाठ्यक्रम है जिसके दो भाग होते हैं—बाईं सप्ताह वा पार्श्व तब सामाजिक प्रशासन में प्रश्नायन पौर द्वा र सप्ताह वा प्रध्यादन के परिक्रमियोंकी दोषों में पाठ्यक्रम।

(iii) मध्य प्रबन्ध (Middle Management)—वैज्ञानिक इन्जीनियरिंग तथा अन्य स्थावरायिक पौर विशेषज्ञ वर्गों में मध्य ये एक क प्रशिक्षकारियों, प्रशासनी तथा निष्पादकों के लिए अन्य ग्रन्ति विषय प्रबन्ध पाठ्यक्रमों की एक शूल्का प्रस्तुत की जाती है। इस शूल्का म ग्रन्ति, सामाजिक प्रशासन समिक्षकी तथा निर्णय रक्तना, सगड़न पौर स्टॉफ प्रबन्ध म विशेषज्ञ शोध के उपरोक्त प्रादि को शामिल किया जाता है।

(iv) वरिष्ठ प्रबन्धक (Senior Managers)—महाविद्यालय के प्रशासनों, वैज्ञानिक, इन्जीनियरों तथा अन्य स्थावरायिक एवं विशेषज्ञ ये एकों के

लोकसंबंधो के लिए महाविद्यालय द्वारा दो प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें पहला चार मण्डाह का पाठ्यक्रम है जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ प्रबन्ध अर्थ-शास्त्र, व्यवस्था इन्जीनियरिंग, प्रबन्ध मूलना व्यवस्था, सांख्यन आवटन तथा सरकार और उद्योग के बीच भानव मम्बना के अन्दर पहुँच मी जामिन होते हैं। दूसरे पाठ्यक्रम में लगभग 20 विभिन्न विषयों पर चर्चाई गई अन्वेषणीय विचार गोटियाँ हैं जैसे—पूँजी निवेश मूल्यीकरण, प्रबन्ध मूलना व्यवस्थाएँ, आर्थिक मूल्यीकरण की नानीके वित्तीय प्रबन्ध एवं नियन्त्रण तथा मनार के विभिन्न पहलू।

(३) प्रशिक्षण एवं भव्य विशेषीकृत पाठ्यक्रम (Instructor and Other Specialised Courses)—विभागीय प्रशिक्षणों, नवनिपुक्त मूलना प्रधिकारियों, मरीड़ग वार्षी में एवं स्त्री पुरुषों तथा दून्दाले प्रधिकारियों के लिए पाठ्यक्रमों की एक शृङ्खला संचालित की जाती है।

(४) प्रबन्ध सेवाएँ पाठ्यक्रम (Management Services Courses)—प्रबन्ध सेवाओं के विषय में लगभग 20 पाठ्यक्रमों से भी अधिक का कार्यक्रम सञ्चालित किया जाता है। इनमें कामनं हिजाइन, माइक्रोकोविंग, सेवानाहर सेवाएँ, विपक्षीय कार्य माप प्राप्ति पर संशिखण विद्यार गोटियाँ, नगठन एवं विधि विशेषज्ञों के लिए चार मण्डाह का पाठ्यक्रम तथा व्यवस्था विशेषण पर छः सेष्टाह का कार्यक्रम आदि शामिल रहते हैं।

निष्पादक एवं लिपिकीय कर्मचारी वर्ग  
(Executive and Clerical Staff)

इस वर्ग के कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण मुहूर रूप से विभागों द्वारा मन्त्रालय द्वारा जाना है। इनमें छोटें-बड़े विभागों के बीच अन्तविभागीय सहयोग रहता है तथा CSD सामान्य पद्धति-प्रदर्शन एवं परामर्श देना है। इन प्रशिक्षण का अधिकन्तर भाग कार्य पर (On the Job) मन्त्रालय होता है। विभागीय प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा भी कुछ पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जो विशेष प्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राय व्यावधारिक एवं तकनीकी प्रकार के होते हैं।

टक्कणकर्ता ग्रेड (Typing Grade)

23 अन्तविभागीय टाइपराइटिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में टाइपिंग, गॉट्ट हैंड तथा आडियो टाइपिंग के प्रशिक्षण तथा जारी की व्यवस्था को बढ़ाती है; प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम तथा परीक्षाओं के मन्त्रालय के लिए CSD उन्नरदायी है।

विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण (Training for Specialists)

व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्टॉर्के के लिए कुछ प्रशिक्षण गैर-सेवासेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है तथा येर्व की व्यवस्था CSD द्वारा नियमित सामान्य नीति के अन्तर्गत दिमानों द्वारा भी जारी है। अग्रवालीय अन्यवत में येर्व कर्मचारियों के लिए अवधारणा देना, वित्तीय सहायता देना, सेष्टविविध पाठ्यक्रम चलाना, विविद्यालयों में पूर्णवालीय पाठ्यक्रम चलाना, प्राप्ति का प्रबन्ध किया जाता है। कुछ विभाग रवय भी अपनी विशेष प्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्तोत्तिकरते हैं।

## बाहरी प्रशिक्षण (External Training)

प्रशासनिक स्टॉफ कॉन्वेंज, हैलेस, द्यावसायिक स्कूलों तथा ऐसे ही अपने सम्मानों में सभी प्रकार के चुने हुए नागरिक सेवकों को अभी भी प्रोत्साहित किया जाता है। 1968-69 में भव्य एवं उच्च प्रबन्ध स्तर के 29 लोकसेवकों ने लन्दन, मैनचेस्टर, थ्रॉन्सफोड, विंसेट और नोर्थेंड शादि के द्यावसायिक स्कूलों में प्रशिक्षण निया, 21 ने प्रशासनिक स्टॉफ कॉन्वेंज में रिया, 4 ने समुक्त सेवा स्टॉफ कॉन्वेंज लेटीमर में लिया तथा 10 ने लन्दन स्थित रॉयल कॉलेज थ्रॉन्सफोड हिलेन्स स्टडीज में रिया। इनके अतिरिक्त एक रुदी बहुता में कर्मचारी बाहरी प्रशिक्षण मिशनों द्वारा बनाए जा रहे अध्यात्मानीत पाठ्यक्रमों में शामिल हुए। 20 ने प्रबन्ध अध्ययनों में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए लन्दन के रीजेस्ट्रेट स्ट्रीट पॉन्टेट्वनीर में एवं वर्ष का पाठ्यक्रम अपनाया।

मिटी पुनिवसिटी बेजुएट दिजिनर लैन्टर, लन्दन में व्यवस्था-विश्लेषण (Systems Analysis) में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार बाहरी सम्मानी द्वारा भी पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

## शिक्षा की सुविधाएँ (Educational Facilities)

विशेषज्ञों के अनुसार अन्य नागरिक सेवक यदि फैर-वाक्सायिक बारती में अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो मान्य परिस्थितियों में उनको अपने दिलाग से वित्तीय गहावना प्राप्त होनी है। माध्यरागन यह आशा की जाती है कि वे ऐसा अध्ययन। इस परिणाम समय में ही करें। आगे की शिक्षा के लिए लोकसेवा परिषद् द्वारा कुछ प्रतिरिक्ष प्रबन्ध भी बिए गए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र वाले को शाम, सबेरे या दिन में अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा प्रवक्ष्य दिया जाता है। यह परिषद् प्रीट शिक्षा के मध्य-धर्म में भी परामर्श देनी है।

उत्तरदायिक पूर्ण पदों पर बायं बरने वाले लोकसेवकों के प्रानुभव वो व्यापक बताने के लिए तथा उनका दातावरण परिवर्तित बरने के लिए, व्यक्ति के बहुते पर पूरे बेनन के साथ सुट्टी दी जाती है। यह सुरक्षी नीत माह से लेकर एवं वर्ष तक वी हो सकती है। इसमें विश्वविद्यालय की एन्नोशिय भी मिल सकती है तथा दूसरे देशों की सरकार नाम प्रशासन का अध्ययन करने के लिए यात्रा अध्ययन भी मिल सकता है। नोकसेवकों द्वारा विशेष योग्य बनाने के लिए सरकारी खर्च तथा अवकाश पर विश्वविद्यालय एवं कॉन्वेंज में पढ़ने भेजा जाता है।

## राजनयिक सेवा (The Diplomatic Service)

राजनयिक सेवा में प्रवेश पाने वाले नए इमरजारियों द्वारा विभाग पर्यवर्तन द्वारा अपनाया जाना जाता है। एवं वर्ष के बाद प्रशासनिक अभियान में भर्ती किया गए अधिकारियों द्वारा गाधारगत विदेशी में नियुक्त वार दिया जाता है पर्यवर्तन की विदेशी मात्रा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। एवं या द्य वर्ष की सेवा के बाद तथा प्रवेश परिवर्तन के बाद में पदोन्नत होने से यूवं प्रधारी अधिकारी मित्रित सर्विस कॉन्वेंज में उपयुक्त

पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं। निष्पादकीय एवं नियिक-वर्गीय कर्मचारियों को दो या तीन वर्ष जनदल में अध्ययन के बाद विदेशों में नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रशिक्षण के बाद सभी प्रेस्टिज के प्रशिक्षणों को किसी दूरांदाम या उच्चाधोग में भेज दिया जाता है जहाँ के अपनी मीठी जापा का प्रयोग कर सके। दो या तीन वर्ष बाद उसको जनदल में किसी विभाग में या विदेशों में कहीं और भेज दिया जाता है।

राजनीतिक सेवायों के लिए भी इसके बायों के विशेषज्ञतापूर्ण पहलुओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कनूनी पाठ्यक्रम प्रशासन, नेतृत्व, पुरातत्व पाठ्यक्रम, सूचना पाठ्यक्रम आदि गामिन होते हैं। राजनीतिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण देने वाले मन्द्यानों में कुछ इनमें से हैं—Royal College of Defence Studies, The Joint Services Staff College, The Administrative Staff College, The NATO Defence College, Canadian National Defence College आदि। विदेश एवं राष्ट्र-मण्डलीय कार्यालय भी यानि कर्मचारी-वर्ग के लिए कुछ विशेष समस्याओं पर पृष्ठभूमि पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

### संयुक्तराज्य अमेरिका में प्रशिक्षण

(Training in U. S. A.)

### ऐतिहासिक विकास (Historical Development)

1906 भ नगरपालिका शोब के न्यूयॉर्क ब्लूरो की स्थापना तथा इसका प्रशिक्षण ब्लूरो संघरण ग्रन्य में लोकसेवकों के प्रशिक्षण के इतिहास के महत्वपूर्ण मोह है। इसमें पूर्व इस प्रशिक्षण मूलत यन सेना, जल-नेत्रा एवं ग्रीष्मलिङ्ग मस्थाप्ता तक ही सीदित था। 1906 के बाद इसका सातरिह जीवन में प्रवेश हुआ। थोरे-धीरे लोकसेवा मुद्दाएँ के प्रशासनों के फलस्वरूप यह विचार पतनपन लगा कि मर्दी के समय परीक्षा द्वारा बिन प्रकार योग्यना की परीक्षा तो जानी है उसी प्रकार परीक्षण के समय भी तो जानी चाहिए। यह प्रवृत्ति रामभरोमे निदान वे स्थान पर सरकारी सेवायों के प्रसार, सरकारी नियमन की बढ़ि एवं सरकार में लक्नीती और बैंडानिक विशेषज्ञों की बढ़ती मार्ग की भी परिवर्तित थी। इस परिवर्तित बाह्यकरण में लोकसेवायों के प्रशिक्षण में प्रभावग्रामी रवि जायत हुई।

1930 से 1940 के मध्य प्रशिक्षण ममन्दी जनित प्रतिस्पद्धि से प्रभावित था। इस बाल में प्रियम विकासितात्मकी न लोक-प्रशासन में प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण बीच घटस्था हो गई। 1937 म न्यूयॉर्क राज्य के निकाय विभाग में लोकसेवा प्रशिक्षण ब्लूरो हायांसित विधा यथा तात्त्विक राज्य एवं स्थानीय सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास एवं भवन्दय रियर जा रहे। TVA के लिए सेवावानीत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हुए तथा समाज बल्लरण बोर्ड एवं कुछ अन्य न्यूयॉर्क अमिकरियों में सेवावानीत प्रशिक्षण

शुहू हुया। 1938 के कार्यपालिका आदेश द्वारा सधीय लोकसेवा आयोग को यह अधिकार प्रदान किया गया कि यह विभागों एवं मस्थानों, शिक्षा कार्यालय निजी एवं सरकारी विद्यालयों के सहयोग से लोक-र्मणारियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करें। प्रत्येक विभाग में तथा कुछ प्रशासनिक अधिकारणों में एक सेवीबांग निदेशक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया।

शिक्षा मन्त्रालय के व्यावसायिक विद्या सम्भाग के तत्त्वावधान में राज्य एवं स्थानीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए धन की घटवस्था करने वा प्रावधान रखा गया। युद्धालीन सरकारी कार्यों के परिणामस्वरूप सेवाकालीन प्रशिक्षण पर विशेष और दिया गया तांकि वर्मन्चारियों की कार्यकुशलता सुधारी जा सके और उनमें अधिक जाम निया जा सके। पथम और द्वितीय हृत्र भाइयों ने अपने प्रतिवेदनों में पश्चिम वार्षिक भूमि पर विशेष और दिया। 1955 में ह्लाइट हाउस में कर्मचारियों के प्रशिक्षण को सधीय सेवा के कुशल मन्त्रालय के लिए एक मूलभूत सहयोगी स्वीकार किया गया। 1958 में विंस द्वारा सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण अधिनियम पासित किया गया। इसमें अन्य बातों के अनिवार्य बाहरी स्थानों का प्रयोग प्रशिक्षण के लिए करते की बात रही गई। इसके बाद अपने ऐसे कार्यों में निरन्तर इन बड़ी गई जो नियादित्रों एवं पर्यवेक्षकों से सुन्दरित थे। मैनिंग शिक्षण सम्यादी के समकक्ष प्रशासनिक स्टॉफ़ बॉर्डिंग का सी सुझाव आने लगा।

राज्य तथा स्थानीय दोनों विधिकारों वा निरन्तर प्रसार होना गया। इसके परिणामस्वरूप कार्यकुशल एवं दक्ष कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण बनता चला गया। बड़े-बड़े शहरों में विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अध्ययन वाले के अनिवार्य समय में मध्य, राज्य तथा स्थानीय कर्मचारियों के लिए प्रबन्धकारी एवं तजनीकी विद्ययों पर पाठ्यक्रम चलाए गए। इसके लिए कभी-कभी सरकारी अधिकारणों द्वारा विशेष प्रबन्ध किया जाता था अथवा निजी मन्त्रालयों द्वारा सहायता प्रदान किया जाता था। फलत प्रशिक्षणाधियों का युनिवर्सिटी बम हो जाना था।

### प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण (Pre-entry Training)

यह प्रत्याशी वो सरकारी सेवा में प्रवेश के उद्द्योग बनाना है तथा उनमें संस्थाएँ की योग्यताद्धो एवं ज्ञान का विकास करता है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण इन बाग की गारण्टी नहीं होनी कि व्यक्ति वो सरकारी सेवा में ले ही लिया जाएगा। ऐसा प्रशिक्षण देने वाली मस्थान एवं प्राय बॉर्ड, टंकनीकी स्कूल एवं विश्वविद्यालय होते हैं। प्रवेश-पूर्व परीक्षा के दृष्टिकोण में काफी भिन्नताएँ पाई जाती हैं, अन डाम प्रवेश के लिए प्रशिक्षण भी मनन-दृष्टिकोण प्राप्त कर दिया जाता है। युद्ध में द्वारा द्यावसायिक प्रहृति की होनी है। उनमें प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं योग्य मरकार वी अपेक्षाद्धो वा ध्यान रखा जाता है। अमेरिका में जग्नान, सार्वजनिक ग्राम्य सेवा आदि दृष्टि ही सेवाएँ हैं। दृष्टि मरकारी पदों के लिए विशेष गंधारिक तंत्रार्थी भी होई आवश्यकता नहीं होती। परीक्षाएँ सामान्य दृष्टि वी जीव बरती हैं तथा वोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता। यह प्रदृष्टि याकृत

बहनी जा रही है तथा स्कूलों और कॉलेजों पर विशेष व्यावसायिक हेतुशी का मार नहीं आता। कुछ गदों के लिए वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की धावशक्ता रहती है।

गेर-विशेषज्ञ (General) तथा विशेषज्ञ (Specialist) विद्याएँ की मार को पूरा करने के लिए प्रयोगिकों वे व्यावसायिक स्कूल (Professional Schools), स्नाइकर्स स्कूल (Graduate Schools) तथा उदार कला महाविद्यालय (Liberal Arts Colleges) हैं।

मध्युक्तराज्य नोर्डरेवा आवोग के क्षेत्र में आने वाने विभिन्न कॉलेजों में मुख्य सामान्य विषयों के लाए में पर्याप्त घनिष्ठता रहती है जैसे—पाठ्यक्रम का निर्धारण, परीक्षा का समय परिवर्त दर्शन में समर्थन, विज्ञानों वी विशेष समस्याएँ आदि। 1934 से सधीय मेंवा में विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की परीक्षा नेने की परम्परा है। कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं मार्कार अनेक महत्वपूर्ण वालों वर तथा पिलकर विकार करते हैं तथा अध्ययन की विषय-संस्कृत और तरीके का निर्धारण करते सभी लोकविदाओं की अपेक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। स्टॉल वे शहदों में, 'स्पष्ट प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण देश की ज्ञानशालिक स्थानों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।'

### सेवाकालीन प्रशिक्षण (In-service Training)

प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण प्रायः उन पदों तक ही सीमित रहता है जिनमें निरन्तर तथा बड़ी मात्रा में मार्ग रहती है तथा जिनके लिए व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह प्रशिक्षण सेवा में प्रवेश के बाद एवं पृष्ठभूमि के रूप में महत्वपूर्ण है किन्तु किसी पद विशेष के दायित्वों को पूरा करने में पृष्ठ विशेष सहयोग नहीं दे पाती। इस हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण मन्त्रालय में दिया जाना आवश्यक है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कर्मचारी को वर्तमान कार्य सम्पन्न करने के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जो उसे पहले प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अनिवार्य नेवाकालीन प्रशिक्षण पुराने कर्मचारियों को वर्तमान कार्य सम्पन्न करने में प्रधिक कार्यकृति बनाने तथा पदोन्नति के लिए तैयार करने का कार्य भी करता है। इस प्रकार सेवाकालीन प्रशिक्षण कभी समाप्त नहीं होता, यह सदैव चलता रहता है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण की विधि से भार वाले उल्लेखनीय हैं—(i) प्रशिक्षण अध्यवा कर्मचारी का विकास एक निरन्तर प्रशिक्षण है (ii) स्वयं कार्य भी प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है, (iii) प्रशिक्षण का एक अन्य माध्यन प्रशिक्षण की प्रशिक्षण में उपलब्ध होता है तथा (iv) एक समठन में ताजा, नए और पहुँच के लिए विकारों का प्रवेश काफी सामर्थ्यावाह है।

### प्रशिक्षण के ह्य एवं तरीके

#### (Forms and Methods of Training)

मध्युक्तराज्य अमेरिका में सोक्सेन्स को के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। ये तरीके अहीं के विभिन्न अनुमत तथा व्यावहारिक मनुष्याल वे विभिन्न हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय प्रक्रिया त्रिलिंग है—

**1. सामूहिक प्रशिक्षण (Group Training)**—प्रशिक्षण के इस तरीके में लोगों ने समूह के हर मुक्तिवाले शिक्षा जाता है। प्रमेरिकी प्रणाली में सामूहिक प्रशिक्षण के अनेक उदाहरण देख जा सकते हैं। इन प्रणाली में औरतारिक भाषण, बाहर का ध्ययन, व्यापार-विचार-विमर्श, औरतारिक पाठ्यक्रम, विचार गोष्ठी जैसे सम्मेलन, प्रश्नान प्रयोगशाला व्यवहार आदि शामिल रहते हैं। गमूह प्रशिक्षण के दो अत्यधिक रूप ये हैं जिनमें रुप में स्टॉक की मीटिंग की जानी है तथा एक समग्रता के सभी वर्तावारियों की सामिक्षा समाइए की जानी है। इनी समग्रता के प्रमुख तथा उनके अधीनस्थों के बीच होने वाली बैठकें संदर्भ प्रशिक्षण की उपयोगिता नहीं रखती किन्तु इनको बुद्धिमत्तापूर्वक बनाया जाए तो ये पर्यंतकरण तथा वर्तावारी दोनों के लिए हितकारी होती हैं। प्रमेरिकी सरकारी व्यवस्थाएँ ये कमी कुमी गमूहों होती हैं इन्हें प्रजातान्त्रिक प्राप्ति पर इनका व्यवालन नहीं हो पाता वर्तावारी इनमें इनाई के बारों के बारे में स्वतन्त्र विचार-विनियम नहीं होता वर्तन् पर्यंतकरण द्वारा प्राप्ति दिए जाते हैं। यहाँ प्रशिक्षण अधिकारी का यह दायित्व हो जाता है कि इन मोटिवेशन को महीं रूप में सचारित कराए। इस प्रणाली की विडिनाई यह है कि पूरी इनाई के सभी वर्तावारियों के बैठने के दोष उपर्युक्त स्थान नहीं मिल पाता।

**2. कार्य पर प्रशिक्षण (On the Job Instruction)**—कार्य पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण का प्रयोग व्यापक हर में शिक्षा जाता है। नए प्रवेशकतादों के लिए बुद्धि भीमा तक पर्यंतेवाली की मदद प्राप्त होता बैद्यनीय है। यह मदद नियोक्तिन तरीके से दी जाए तथा समग्रता और व्यवस्थित रूप में हो। समग्रता का आकार बड़ा होने पर पर्यंतेवाला प्राप्त होता यह कार्य दूसरे वर्तिक वर्तावारियों को भी गौर समझता है किन्तु इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपर्युक्त व्यक्ति पर्यंतेवाला ही होता है।

**3. मंत्र्युग्म तथा बुलेटिन (Manuals and Bulletins)**—समाज के वर्तावारियों में लिखित सामग्री का वितरण किया जाता है जिससे उत्तरोंग करके वे अपने कार्य को अधिक बुगतना, योग्यता और मठी हर में करने की पोर व्रेत्रित होते हैं। इसके लिए हैण्डबुक्स ऐन्युग्म, सामिक्षा बुलेटिन आदि विनियम लिए जाते हैं जो यथासम्पत्ति व्यापार्यक बनाए जाते हैं। कर्तव्यारियों को पुस्तकालय-नामगी का प्रयोग बताने के लिए पर्याप्त ज्ञान दिया जाता है। सम्बन्धित व्यवहार की पुस्तक तथा सामिक्षा प्रकाशनों का कर्तव्यारियों के बीच वितरण किया जाता है।

**4. पत्राचार पाठ्यक्रम (Correspondence Courses)**—वर्तावारियों में लिखित रूप स्तर पर बाईं करते हैं यह इनको प्रशिक्षित करने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम प्राप्त किए जाते हैं। यद्यपि भाषा में सभी उन्नत प्रशिक्षण सेवाओं के लिए यह तरीका अप्रभाया जाता है। मिटी घेनेत्रम तथा नगरपालिका के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलता है। इस तरीके के विद्युत यदृ पढ़ा जाता है कि एक प्रशिक्षण विधि के रूप में यह प्रधिकार मन्त्रालयन नहीं है वर्तीक एक तो यह तरीकी प्रधिक है तथा दूसरे इसमें व्यक्तिगत विचार-विमर्श एवं विचारों का प्राप्तान-प्रदान नहीं हो पाता। इनी लिए यह देवन वर्ती प्रदर्शन इनाई जानी है तदृ पूर्णता तरीका उपलब्ध नहीं होता।

5 दृश्य धर्म साधनों का प्रयोग (Use of Audiovisual Aids)—  
कार्यवाचियों को प्रतिक्रिया करने की सहायता के लिए सिल्हो तथा प्रदर्शन योग्य सामग्री का महत्व होता है। इसी प्रशिक्षण विधि को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भी ये तरीके अपना लिए जाते हैं। प्रशिक्षण वे लिए सहायता ऐसी सामग्री में विश्र, मॉडल, नमून, पोस्टर, नवज्ञ, वाट्स, फिल्म, स्लाइड्स तथा चलचित्र, फोटोग्राफ रिकार्ड, रेडियो आदि उन्नेपनीय हैं। चलचित्रों के द्वारा एवं पाठ बहुन से लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ये भावनात्मक निश्चय और उत्ताह बढ़ाते, तर्क जाग्रत बरने, मौलिकता एवं मानीदारी विकसित बरने, विचार-विमर्श को प्रोत्साहित बरने तथा विषय को संधिष्ठन बरने में उपयोगी साबित होती हैं।

### मेवाकालीन प्रशिक्षण के कुछ उदाहरण

(Some Illustrations of In-service Training)

संयुक्तराज्य अमेरिका में व्यवस्थित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रयम विश्वपृष्ठ के बाद प्रारम्भ हुआ है। इसके मुहर उद्देश्यों को प्यान में रखने हुए इस प्रशिक्षण का हृष प्रमुखत ध्यावहारिक तथा निश्चिन रूप गया है। इसके लिए ट्रेट्रीरिपन व्यवस्था, बेस्टिकुर ध्रवया ओरियनेटेशन व्यवस्था, मूर्क्सर ध्यवस्था आदि का उपयोग किया जाता है। इन तरीकों से कनिष्ठ सेवीवर्ग को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण संस्थाओं में उल्लेखनीय अमेरिकी कूपि विभाग का ग्रेडुएट स्कूल है। इसका लक्ष्य प्रशिक्षण की ओरपक्षारिक सुविधाओं द्वारा विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाना है। संयुक्तराज्य लोकसेवा आयोग मानान्वत विभागीय सेवा के लिए जूनियर नियोजन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सचालित करता है। यह छ वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। इसमें लिए मनोनयन विभागों एवं अधिकारणों द्वारा किए जाते हैं। मनोनयन वा आधार कुद्र लिखित परीक्षाएं तथा मौलिक साक्षात्कार होता है। प्रायाग्रीयों की बुद्धि, व्यक्तित्व, कार्यों की आदतें, प्रभिलेख, प्रतिष्ठा, महत्वाकौशल आदि के आधार पर उनका चयन किया जाता है। प्रत्याशी की आयु 25-30 वर्ष होती है। यह कार्यक्रम 1945 में प्रारम्भ किया गया था।

ऐसे ही कुछ सेवीय सेवा के कार्यक्रम भी हैं। उदाहरण के लिए, लोकसेवा आयोग के न्यूयॉर्क लेट्रीय कार्यालय द्वारा सचालिन जूनियर प्रबन्ध विद्यास कार्यक्रम का नाम दिया जा सकता है। यह 6 माह का पाठ्यक्रम 1952 में प्रारम्भ किया गया। इसमें अध्ययन, विचारणाएं, विचार-विनियम आदि आमिन किए जाने हैं। इसमें विद्यार्थी Gs-5 तथा Gs-7 ग्रेड की स्वापी सेवायों से लिए जाने हैं।

विभिन्न संघीय संस्थाएं अपनी मानवशक्तियों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रपनाते हैं, जैसे, नौसेना विभाग द्वारा सचालिन Civilian Management Training Programme का नाम दिया जा सकता है। यह 2 वर्ष का एक कार्य जनवरी में सेवारन व्यो-मुख्यों के लिए तथा जुलाई में इतिहो, विश्वविद्यालयों के स्नातकों के लिए होता है।

राज्य स्तरो पर सेवाकालीन प्रशिक्षण मुख्य रूप से गूढ़याँई तथा बैलीकोनिया में दिया जाता है। न्यूयॉर्क राज्य में इसका दायित्व लोकसेवा प्रशिक्षण सम्भाग द्वारा नियाया जाता है। लोकसेवकों के लिए पर्यवेक्षण प्रशिक्षण, पुनिस प्रशिक्षण, टेलीकोन होज़्यता, प्रारम्भिक सीमियकी, IBM तकनीक आदि के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। बैलीकोनिया में राज्य लोकसेवा ग्रामोग प्रशिक्षण की ईच्छा से एक प्रोत्साहक तथा सुविधा देने वाल अभिकरण के रूप में कार्य करता है। अधिकांश प्रशिक्षण सम्बन्धी अभिकरण में तथा उसी के द्वारा दिया जाता है तथा सम्पन्न इए जाने वाले बायों से प्रत्यक्षतः सम्बन्ध रखता है। हाइड्रोल ब्रावादमी महाइये पुनिस बो प्रशिक्षण दिया जाता है, औपोगित सम्बन्ध विभाग समझौता प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण देता है, प्राकृतिक साधन विभाग अग्नि नियन्त्रण बायों का तथा पी डब्ल्यू डी दुर्घटना रोकने का प्रशिक्षण देता है।

स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण की दिशा में नगरपालिकाओं की प्रबंध-सरकारी सीम द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया यथा है। मिनेसोटा कन्सास, वर्झीनिया, न्यूयॉर्क आदि में इसका योगदान उल्लेखनीय है।

व्यावहारिक ईच्छा से सेवाकालीन प्रशिक्षण कायक्रम आवश्यक रूप से नियन्त्रण ग्रेड के कायों से सम्बन्ध रखते हैं। इन ग्रेड में प्रशिक्षण का एक लाभदायक परिणाम पह होता है कि उच्च श्रेणी के पदाधिकारी मर्दव धरने कार्य तथा दायित्वों के प्रति सज्ज रहते हैं ताकि उन्हें अपने अधीनस्थों के मामने किसी प्रकार शर्मिन्दा न होता पढ़े।

### फ्रांस में प्रशिक्षण (Training in France)

प्रांग में अधिकारी तथा लिपित बर्गीय नवागम्भुज कर्मचारियों को इंग्लैण्ड की भौति कार्य पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यहौं उच्च नाशरिव सेवा के अधिकारी दो पदों पर विद्यायियों को मर्नी के बाद या तीन वर्ष वे नियंत्रित व्यावर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह व्यवस्था 19वीं तथा 20वीं शताब्दीयों में धीरे-धीरे विकसित हुई है। इस बाल में आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं गैरन्न-तकनीकी सेवाओं के लिए स्कूल स्थापित विए गए हैं। इस व्यवस्था का जन्मदाना होने का धैर्य नेपोलियन बो दिया जा सकता है क्योंकि उसने यह नियंत्रण निया या कि 1975 में स्थापित Ecole Polytechnique को अवश संकेत स्कूल वे रूप में रखा जाए तथा अगले लोक-सेवकों के प्रशिक्षण के लिये तकनीकी स्कूल के रूप में रखा जाए। बाद में यह अपने गाम्याधीयों के लिए एक सौहाल बन गया। गैरन्न-तकनीकी शैक्षण में प्रशिक्षण ज्ञानाधीयों का विकास पर्याप्त धीमी गति से हुआ है। द्वितीय विश्वयुद्ध में तुच्छ समय पूर्व उपनिवेशों के लोकसेवकों के लिए एक स्कूल खोला गया इन्हुंने प्रशासनिक श्रेणी के इन्हरे पदों पर नियुक्तियाँ अभी भी प्रत्यक्ष रूप से होती रहीं। 1945 में प्रशासनिक स्कूल की स्थापना के साथ इस दीर्घकालीन रिक्त स्थान की पूर्ति की जा रही।

1945 के बाद कुछ विशेषीकृत स्कूल भी इसके माध्यमों द्वारा हैं, जैसे—Ecole Nationale des Impôts राजस्व विभाग के बरिट्ट पदों के लिए लोकसेवक नियाय करता है। उच्च मेवा क प्राप्त नभी पदों के मन्दन्यमें प्रवेशीतर प्रशिक्षण का मिलान अपना लिया जाता है। रिडले और ब्लॉडेल (Ridley and Blondel) का कहना है कि "प्रशिक्षण प्रोग्रामों की जर्नी में अधिकारी मन्य दोस्तों की अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण भाग बनता है।"<sup>1</sup>

फ्रांस ने लोकसेवकों के लिए प्रशिक्षण सम्याचारों का एक जान सा विद्या दृष्टा है। ये सम्याचार सामान्य तथा विशेषज्ञ विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। यह किसी विश्वविद्यालय में समान नहीं होती और न ही जिज्ञा मन्दन्यमें समान होती है। उच्च उन मन्दन्यमें समान होती है जिनमें सेवा करने के लिए विद्यार्थियों को ये प्रशिक्षित करती है। Ecole Polytechnique समस्त सेवाओं के मन्दन्यमें द्वारा नियन्त्रित है, Ecole National d' Administration प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, Ecole Nationale des Impôts वित्त मन्दन्यमें द्वारा, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees जन-कार्य एवं यानायान मन्दन्यमें द्वारा नियन्त्रित होती है। इन प्रशिक्षण सम्याचारों में कुछ एक प्रकार से स्नातकोत्तर स्कूल होते हैं, उदाहरण के लिए, Ecole Nationale d' Administration जिन्हें अधिकतर स्कूल ऐसे पाठ्यक्रम चलाते हैं जो कि विश्वविद्यालयों के समानान्तर होते हैं। काम के अधिकारी विश्वविद्यालयों में इन्हींनियाय एवं प्रबन्धक तंत्रार करने की अपेक्षा बड़ी, डॉक्टर एवं अव्वारक तंत्रार के लिए जाने हैं। यहाँ हम फ्रांस की नियपय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सम्याचारों का संक्षेप में विवेचन करेंगे।

### राष्ट्रीय प्रशासन विद्यालय

(The Ecole Nationale d' Administration)

इतिहास (History)—1945 तक उच्च सेवा की गैर-उच्चनीयी आवासों में नियुक्तियाँ व्यनियोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर दी जाती थी। परीक्षाओं के बाद कोई शौपचारिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता था। उच्च गैर-उच्चनीयी मेवाएँ छठोर स्पष्ट में विभाजित हो गईं। भर्ती के समय कानूनीकृत स्तर पर विशेष ज्ञान दिया जाने लगा। बरिट्ट लोकसेवक विभिन्न विभागों में अपने नियोगी और मन्दन्यमें बो भरने के लिए दोषी ठहराए गए। यह आलोचना इस दाराएँ भी सारभून थी क्योंकि भर्ती की परीक्षाओं के लिए संकरीय देवल एवं ही दियालय में होती थी। यह दियालय (Ecole Libre des Sciences Politiques) गैर-सरकारी सम्याचार या संपादन सुन्दर अपेक्षाकृत मारी थी। इन्हें बेदन उच्च वर्ग के घरीयानी लोग ही नोकसेवाओं में प्रवेश कर पाते थे। दियालय के बाद सरकार ने मूल समस्या की बढ़ो पर ही कूटाराधान करने का निर्णय लिया। मुख्यन् पौत्र प्रधार के गुणार निए गए। प्रधार, Grands Corps

1. "Training plays a much greater part in the recruitment of the French Civil Service than it does in most other countries."

के लिए होने वाली पृथक् परीक्षाएँ समाप्त कर दी गई और विभिन्न भवनानयों द्वारा प्रशासनिक थे ली बी विभागीय शासकाओं के लिए ली जान वाली पृथक् परीक्षाएँ समाप्त बरके एक सामान्य परीक्षा द्वारम्ब वी गई। दूसरे, सभी सहन प्रत्याजियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशासन वा स्नातकोत्तर विद्यालय स्थापित किया गया। इस विद्यालय में प्रशिक्षित लोकसेवकों को ही पढ़ दिए जाने लगे। नीमरे, Ecole libre वा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसे पेरिस विश्वविद्यालय वे साय जोड़ दिया गया। शुल्क घटाया गया और बजीपा दिया जाने लगा। खौदे, पेरिस के अन्तर्गत, आठ अन्य स्थानों पर ऐसी ही स्थानों लोकी गई। पौचवे राष्ट्रीय प्रशासन विद्यालय के लिए वैकल्पिक प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित की जाने लगी।

इन सुधारों का यामाजिक पहलू की हाईट में विशेष प्रभाव नहीं हुआ। राज विज्ञान के प्रान्तीय महानों में केवल यामिक सफलता प्राप्त हो सकी बड़ी बोलि इसमें पेरिस जैसा स्टांफ नहीं पा तथा वे Grands Corps में अग्रकालीन प्रबलता को प्राप्तिपूर्ति करने में असफल रहे। मुपारों के बाद भी लाकसेवाओं में मध्य एवं उच्च मध्य वर्ग के लोग यात रहे। राष्ट्रीय प्रशासन विद्यालय की स्थापना का एक महत्वपूर्ण साम यह हुआ कि येर-नडीनीयों लोकसेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण में वाली मात्रा में एक स्पष्टा प्रा गई।

इन्हाँमें को लेट में राष्ट्रीय प्रशासन विद्यालय (E N A) कोई नया प्रयोग नहीं है बरन् इससे पूर्व जो तकनीकी प्रशिक्षण विद्यालय कार्य कर रहे थे उनके अनुभव में दूसरे पर्याप्त लाभ उठाया। E N A द्वारा एक नया काम यह रिया गया कि दूसरे विद्यायियों को प्रान्तों में वरिष्ठ प्रशासकों के अधीन रखे जाने की अवस्था की जिसे Stage कहा गया।

राष्ट्रीय प्रशासन विद्यालय का प्रशिक्षण वाल (The Period of Training in Ecole Nationale d' Administration)—इस विद्यालय का प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन वर्ष से तक चलता है। प्रशिक्षणार्थी का प्रथम वर्ष पेरिस में पूर्णत Stage के हाथ में अधीन होता है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थी को विभागों में प्रोफेशन या प्रशासकों या पल्जीरिया, सोरको और दृष्टिगिया वे नागरिक नियन्त्रणों के सरकार में रखा जाता है। इस अवस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चरित्र का विकास दिया जाता है तथा सभी प्रशासनिक समस्याओं में गहरा अनुज्ञान प्रदान किया जाता है। तकनीकी रूप से उन्हें बताया जाता है कि समस्याओं को उन्हें मुक्तभावा जाए, स्थानीय आवश्यकताओं को समझ व उन्हें मुक्तभावा जाए तथा प्रशासन के तरीके एवं प्रक्रियाओं को दृढ़ा जाए। अन म स्टेज के अधीन द्वारा प्रशिक्षणार्थी के सम्बन्ध में रियालय को निविन प्रभिमत दिया जाता है तो उनके अवृत्तिका भूमिका तत्त्व बत जाता है। इस अभिमत एवं स्वयं के निर्णय के आधार पर Directeur des Stages द्वारा प्रभिये गम्भिर प्रशिक्षणार्थी को घट

प्रदान किए जाते हैं। Stage के अन्त में प्रशिक्षणार्थी में किसी प्रशासनिक समस्या के बारे में 25-30 पृष्ठ का लेख लिखने को चाहा जाता है जिसमें वह सम्बन्धित समस्या का नमाधार भी सुझाना है। एक दिशेप जूरी द्वारा इस लेख की जीवंती जाती है तथा प्रावश्यकता हो तो आगे भी स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। ENA के तीन निदेशक हैं, इनमें से एक प्रशिक्षणाधियो के बायो पर पर्यवेक्षण रखने के लिए उत्तरदायी है इसके लिए वह बड़े पर्यन्त घूमना रहता है तथा विद्यार्थीयों और अधिकारियों से सम्पर्क बरता रहता है।

द्वितीय वर्ष में प्रशिक्षण स्वयं ENA में परिम में ही दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को सामान्य प्रशासन सम्भाग, विस्तीर्ण एवं प्राधिक सम्भाग, सामाजिक प्रशासन सम्भाग तथा विदेश मामले सम्भाग में में किसी एक सम्भाग में रहा जाता है। प्रत्येक सम्भाग विद्यार्थीयों को दिशेप सम्भालयों में सेवा के लिए तयार करता है। इस द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण दो भागों में विभाजित रहता है—(१) सामान्य प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम जो कि सभी अध्यवा कुछ सम्भागों के लिए सामान्य रहता है और (२) व्यक्तिगत सम्भागों की आवश्यकता के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। इस प्रकार ENA उच्च प्रशासनिक शिक्षा एवं संस्कृति और व्यावसायिक निकाय दोनों ही होने का प्रयास करती है। प्रथम भाग के पाठ्यक्रम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे—(क) दिशेप महत्व के राष्ट्रीय प्रश्नों पर सामान्य पाठ्यक्रम, (ख) उत्तरी अमेरिका की समस्याओं सम्बन्धी पाठ्यक्रम, जैसे—मुस्लिम इतिहास नवा समाजशास्त्र, प्रौढ़ों द्यूनिशियन कन्वेंशन, 1955 वर्षा अलजीरिया, द्यूनिशिया और मोरक्को में भर्ती की समस्याएँ आदि, (ग) बिडान् विशेषज्ञों द्वारा दिए सामान्य भाषण, (घ) विद्यार्थीयों को सेवीय स्तर पर अपने गाधियों की समस्या समझने की क्षमता दी जाती है। जिस सम्भाग की समस्याओं को बताया जा रहा है उसके अतिरिक्त हीनो सम्भागों के विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। दूसरे भाग के पाठ्यक्रम व्यक्तिगत सम्भागों की आवश्यकताओं के अनुसृत विशेषीकृत होते हैं, उदाहरण के लिए प्राधिक मामलान के सम्भाग में वर्ष में तीन पाठ्यक्रम होते हैं—मार्बंजनिक वित्त एवं लेख, प्राधिक कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त एवं मुगानान संबंद्हन की समस्याएँ। इसके अतिरिक्त प्राधिक एवं विस्तीर्ण मामलों में तथा गोद्वारिक प्रशासन में विचारणोंठियों का कार्यक्रम भी रहा जाता है। द्वितीय वर्ष के अन्त में जबकि विभिन्न पाठ्यक्रम, भाषण, विचारणोंठियों, लेखन कार्य आदि पूरा हो जाता है तो प्रतिष्ठित थेएवं वर्षा परीक्षा आयोजित की जाती है। यह एक प्राथमिक द्वारा सत्त्वालित की जाती है। इस आयोग द्वारा कोई सदस्य ENA में अध्यापन कार्य महीने दरता। यह व्यवस्था यथासम्भव नियन्त्रित बनाए रखने के लिए भी जानी है। परीक्षा तिवित एवं भौतिक दोनों प्रकार भी ली जाती है। इसके बाद सभी विद्यार्थीयों की एक विदेशी भाषा में भौतिक परीक्षा भी जाती है। विदेशी मामलात में सम्भाग वाले विद्यार्थी तथा विदेश में नियुक्त भी परीक्षा रखने वाले विस्तीर्ण तथा प्राथमिक सम्भाग के विद्यार्थी दो विदेशी भाषाओं द्वी परीक्षा देते हैं। इन

परीक्षाओं में विद्यार्थी के चरित्र की अपेक्षा उसकी बोलिक धरनाओं को महत्व दिया जाता है। परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बताने की पूरी चेष्टा भी जानी है। इनमें प्राप्त अको को निश्चित कार्य तथा प्रधम वर्ष के अको के साथ जोड़ दिया जाता है। इन सभी अको का योग प्रतिम सूची में विद्यार्थी के स्थान को निर्धारित करता है।

अन्तिम परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व सरकारी ग्रामेश द्वारा प्रत्येक मन्त्रालय तथा प्रशासन में रिक्त स्थानों की संख्या निश्चित की जाती है। इस सूची में से विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार पदों का चयन कर लिते हैं। चयन के मध्य दो बातों की सीमा रहती है—(i) वह पद उन मन्त्रालयों के मूल्य में होना चाहिए जो उनके वृद्धमात्र के अनुरंग हैं (ii) कुछ पद जैसे नौसिल ही एटा के मध्ये पद तथा उत्तरी प्रफीक्षा के नागरिक प्रशासन के पद, सभी सम्भागों के विद्याविषयों के लिए खुले रहते हैं जबकि कुछ पदों पर सीमाएँ भी रहती हैं।

सृष्टीय वर्ष के प्रारम्भ में विद्यार्थी नो पुन एक बार en Stage भेज दिया जाता है। इस समय तक प्रत्येक विद्यार्थी वह जान जाता है कि उसका भावी पद क्या होगा। यह सीसरा वर्ष मुख्य हृषि से उसके इटिकोल को व्यापक बनाने तथा माध्यीकनियर के कार्यों को समझने से सम्बन्धित रहता है। यह द्वितीय Stage दो या तीव्र महीनों तक चलती है। इसमें विद्यार्थी वह औद्योगिक, व्यापारिक तथा वृत्ति उद्यमों से कार्य करता है। लक्ष्य यह रहता है कि विद्यार्थी वह जान ले कि ये सगठन विद्यार्थी के कार्य करते हैं, उद्यम के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सम्बन्ध कैसा रहता है, प्रशासनिक नियमों का क्या प्रभाव है? इसके अतिरिक्त उसे व्यावसायिक सभी तथा मन्त्रालयों की दुनिया में प्रवेश का यथेष्ट प्रबन्धन प्रदान किया जाता है। Stage की प्रकृति एवं प्रकार विद्यार्थी के भावी पद के अनुसार बदलता रहता है। उत्तरी प्रफीक्षा के नागरिक प्रशासन में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी वृत्ति एवं देहान्ती इन्डिनियरिंग स्कूल भेजे जाते हैं तब भावी वाणिज्यिक दूा आयान-नियांत्रित अधिकारणों व्यावसायिक बैंकों तथा व्यावसायिक गृहों को भेजे जाते हैं।

अपनी परन्ती Stages सत्रम करने के बाद विद्यार्थी ENA में लौट आते हैं तथा वहाँ अब भावी कार्य से सम्बन्धित विद्या प्राप्त करते हैं। बरिष्ठ प्रशासनों के भावणणी द्वारा उनका कार्य से प्रवेश कराया जाता है तथा वे दिमांगीय एवं अन्तर्राज्यीय समितियों में भाग लेते हैं। विद्यार्थी से यह भावा भी जानी है कि वह बिल्डिंग कार्यों को गठन करेगा। वह उसने सम्बन्धित मन्त्रालय या प्रशासन व सभी सम्भागों के कार्य की गहराई से परीक्षा करता है।

प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थी वह कुछ समय वा अवकाश दिया जाता है और उसके बाद वह प्रपत्त एवं पहला कर लेता है।

**मूल्यांकन (The Evaluation)**—ENA नागरिक सभी के प्रशिक्षण का मार्फांचिक अधिकारण है। एक नम्बे अनुभव तथा प्रयोगों के बाद वह फैस व नोर अधिकारण वा व्यावसायिक बन गया है। इनके प्रशिक्षण अधिकारण अपने लाइसेन्स के बोधिपत्ता, शमता, और्यना, प्रशासनिक एवं मानवीय माइनि प्रदर्शित की है वह

धन्य देशों के इस उम्म के लोकसेवकों में कदाचित् ही प्राप्त होती है। ENA द्वारा भावी लोकसेवकों में जो मूल्य स्थापित किए जाते हैं वे जीवनभर उन्हें बायो-एव विचारों की प्रशासन करते रहते हैं। Stage की व्यवस्था का भी पर्याप्त सकारात्मक लाभ है।

बहुस्थिति का दूसरा पहलू भी है। आलोचकों का कहना है कि प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था पर देशिय का अधित्य छापा रहता है। ENA में प्रवेश के लिए मानक काफ़ी ऊँचा रखा जाता है। इसने प्रवेश के लिए आवश्यक लम्बी तैयारी तथा उसके भी प्रनिष्ठित परिणाम के कारण अनेक सम्भावित स्रोग भयबहात हो जाते हैं। ENA ममात्र के दक्ष श्रमिक वर्ग में से लोगों की भर्ती वरने में असफल रही है। इसी कारण मम्भवतः काँस वी उच्च सेवा के प्रज्ञातश्चीकरण के लिए विए गए प्रयाम पूर्णतः सफल नहीं हो सके। प्रशिक्षण कानून की लम्बाई तभी प्रवेश परीक्षा का अत्यन्त उच्चस्तरीय मानक किसी भी प्रत्याशी को स्वयं के साधनों पर निर्भर रहने से रोकता है।

आलोचकों के मतानुसार ENA का कोई भी प्रत्याशी इस बात के लिए निश्चित नहीं होता कि उसे वह पढ़ पाए हो ही जाएगा जिनकी वह प्रभिलाप्त कर रहा है। वह कौमिन डी एटा में प्राइडिटर होने का स्वधन लेकर सेवा में प्रवेश करेगा तथा फैमीली रेडियो में प्रशासक के रूप में सेवा ममाप्त न कर देगा। प्रतेक बार यह जिकायत की जाती है कि क्षेत्रीय सेवाओं में नियुक्त ENA से प्रशिक्षित कर्मचारी गुणों में घपने पूर्ववर्तियों से कमज़ोर हैं। ENA के विद्यार्थियों वे लिए दौड़ीय सेवाएँ नदेसे कम आवर्यक होती हैं, परिक्रांत प्रतिभागाली लोग देशिय में ही रहना पस्त करते हैं। केवल वे ही विद्यार्थी क्षेत्रीय सेवाओं में जाते हैं जो कमज़ोर होते हैं तथा जिनके माध्यमे कोई विवल्प नहीं रहता।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ENA ने उन पक्षों का स्वर मिराया है जो अपेक्षाकृत कम आवर्यक है तथा इसने केन्द्रीय प्रशासन की उच्चतर नागरिक सेवा के कर्मचारियों का स्तर ऊँचा उठाया है।

### तकनीकी प्रशिक्षण

#### (Technical Training)

राज्य सेवा के लिए प्रशिक्षित इजीनियर तैयार करने की दफ्टर से फौस का इनिटियस वाली लम्बा है। इस कार्य के लिए पहरी तीन प्रमुख संस्थान हैं—

(i) Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (1747)

(ii) The Ecole Nationale Supérieure des Mines (1747)

(iii) Ecole Polytechnique (1794)

### The Ecole Polytechnique

प्रथम दो विद्यालयों में शिक्षित विद्यार्थी तृनीय महा Ecole Polytechnique से पाते हैं। इस संस्थान की पहचान ने दुष्ट नैनित तत्त्वों की गाथ है। इसका सचानन एक मेनालनि द्वारा दिया जाता है तथा इसके विद्यार्थियों द्वारा सेना

वा बैडेट माना जाता है। ये द्योपचारिक अवसरों पर 18वीं शताब्दी का पहलावा पहनते हैं । या गोरिन सेनिक अनुशासन म रहकर कायें करते हैं। एडवाम्स्ट संक्षेपी स्कूल पास करने काल 18 से 20 वर्ष की प्रायः बाले प्रत्याशी इसम प्रवेश के लिए स्पर्धा करते हैं। प्रगतिशाली के लिए प्रवेश से पूर्व विद्यार्थी को यह जर्न स्वीकार करनी पड़ती है ति वह कम से कम दस वर्ष तक राज्य सर्वा मे रहेगा। तिशा एवं भोजन का प्रबन्ध नि शुल्क रूप से किया जाता है साथ मे कुद मता भी मिलता है।

इस विद्यालय म प्रध्ययन के पाठ्यक्रम मुख्यत वैज्ञानिक, प्रगति, रसायन-शास्त्र एवं भौतिकशास्त्र हैं तथा इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तथा इज्जीनियरिंग विषयों मे अधिक विजेताका के लिए बोद्धित नीव तंयार करना है। यहाँ का पाठ्यक्रम दो वर्ष का है। इसके अन्त मे परीक्षाएँ होती हैं तथा विद्यार्थियों को योग्यता के प्राप्ति पर वर्षीयन कर दिया जाता है। योग्यता-क्रम के प्रनुभार ही विद्यार्थी अनन्ता मात्री व्यवसाय चुनते हैं। वे या तो घरेलिक तकनीकी कार्पें मे प्रध्यवा मैनिक तकनीकी कार्पें मे जाते हैं।

जो विद्यार्थी प्रसंतिक तकनीकी कार्पें मे जाने वा निर्णय लेने हैं वे धन्य दो तकनीकी विद्यालयों म से किसी एक मे प्रवेश लेने हैं। प्रवेश पाते ही उनको मरकारी स्तर प्राप्त हो जाता है तथा तदनुभार ही उनको बेतत भी मिलता है। वे स्कूल मे तथा क्लैब म तीन वर्ष तक प्रतिशाला पात हैं तथा अन्त मे वे अपने मध्यविद्युत कार्पें म चले जाते हैं। इन विद्यालयों द्वारा बेवल योग्य इज्जीनियर ही तंयार नहीं किए जाते बर्दू तक्षण प्रभासक भी बनाए जाते हैं। उनकी मात्री योग्यन-वृत्ति भी विजेतीतरण और प्रभासन के बीच बदलनी रहती है तथा जा नील अपन ध्यावमाय के बीच पर पहुँच जाते हैं वे एक विलक्षण कार्पें की रुचना करते हैं, यह है—तकनीकी प्रभासन (Technocratic Administrator) की बहावें।

#### Ecole des Mines and Ecole des Ponts et Chaussees

ये दोनो विद्यालय विभिन्न द्वारा से अपने विद्यार्थी प्राप्त करते हैं तथा उन्हें सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनो प्रबाल की सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करते हैं। वे योग्यतर विद्यार्थी सरकारी सेवा मे जाना अधिक प्रभाव वर्ष मे लिया जाता है। ये विद्यार्थी Ecole Polytechnique मे पहने से ही दो वर्ष प्रतिशाला प्राप्त कर लुके होते हैं, इन्हे सरकारी प्रधिकारी दा स्तर प्राप्त होता है, ये पूर्णशालीन बेतत-भौती तथा 10 वर्ष तक दुर्जय सेवा करने के लिए बचनबढ़ होते हैं।

इन विद्यालयों मे अपनाया जान वाला पाठ्यक्रम निश्चय ही उत्तोतनीय होता है। इनका पाठ्यक्रम तीन वर्ष का है। इनमे मे प्रध्यम वर्ष म य द्वेषो म अपनी व्यावर्गादिक तकनीको को इसी वरिष्ठ महस्य के सामान्य पर्यावरण मे शायंकृष्ण प्रदान करते हैं। दूसरी बाल यह है ति इन्हे जानवृक्ष कर एना प्रशिक्षण दिया जाता है औ इसको अत ऐ उच्चतर प्रकृत्य एवं प्रभासन के उपर्युक्त करा सके। उदाहरण हे लिए, Ecole des Mines म प्रध्यम वर्ष मे प्रशिक्षणार्थी

को सामान्य धातु शोधन विद्या (Metallurgy), भूगर्भशास्त्र (Geology), धातुओं का प्रतिरोध, खनिज तकनीक, औद्योगिक ताप, खनिज विद्या आदि का अध्ययन कराया जाता है। इस प्रथम वर्ष में ही उनको अप्रैली तथा जर्मन भी पढ़ाई जाती है तथा सामान्य अर्थशास्त्र का भी ज्ञान कराया जाता है।

द्वितीय वर्ष में प्रशिक्षणार्थी को सरकारी नियन्त्रण के अधीन किसी प्रमुख उच्चम से रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भविष्य में प्रशिक्षणार्थी को किस सेवा में विशेषीकरण प्राप्त करना है। विभिन्न प्रवार की सानों के बीच चयन किया जाता है। इस वर्ष प्रशिक्षणार्थी को सगठन में विशेष दायित्व मौजूद जाते हैं। उनके उच्च अधिकारी द्वारा उसकी क्षमताओं के द्वारे में वर्ष के अन्त में विद्यालय को प्रतिवेदन दिया जाता है। यह प्रतिवेदन बाद में उसका भावी पदोन्नति म महत्वपूर्ण बन जाता है।

तृतीय वर्ष में प्रशिक्षणार्थी के लिए ये पाठ्यक्रम रखे जाते हैं—उनके तकनीकी, विद्युत इंजीनियरिंग, औद्योगिक रसायन, व्यावहारिक भूगर्भशास्त्र, धातु शोधन विद्या एवं खनिज विद्या तथा नक्शा रचना। इनके अतिरिक्त कानून, अर्थशास्त्र, सामाजिक और वित्तीय प्रशासन तथा साहित्यिकी आदि का विशेष पाठ्यक्रम चलाया जाता है। यह विशेष पाठ्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों को भावी व्यवसाय के लिए तैयार करने के लिए चलाया जाता है जबकि उन्हें व्यापक प्रशासनिक दायित्वों के लिए बुलाया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों के लिए तकनीकी अध्ययन के साथ-साथ वैज्ञानिक अध्ययन पर भी जोर दिया जाता है तथा उनके अतिशय वैज्ञानिक इटिकोलोजी को मानविकी बनाने की चेष्टा की जाती है। मुख्य आदर्श यह है कि उने एक तकनीकी प्रशासक बना दिया जाए। वह अपने विषय का पूर्व विशेषज्ञ हो जिन्हें स्वयं को मर्यादित न करे। एक इंजीनियर को एक प्रशासक के रूप में सोबते तथा सगठन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह एक एसा प्रशासक बन जाता है जो पूर्ण अधिकार के साथ वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों के कार्यों को निर्देशित कर सकता है। सामान्य प्रशासन की तथा विशेषज्ञ अधिकारियों के गुणों का यह मरम कॉस के तोक प्रशासन तथा प्रशिक्षण व्यवस्था भी विलक्षणता है।



# आचरण के नियम-तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदमुक्ति एवं अपीलें, सेवा निवृत्ति लाभ

(Conduct Rules and Disciplinary Action,  
Removal and Appeals, Retirement  
Benefits)

प्रत्येक देश के संविधान तथा सेवा-नियमों द्वारा लोकसेवारों के आचरण मध्यवर्धी कुछ नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं ताकि वे अपने कायों एवं दायित्वों का समुचित निर्वाचित कर सकें। ये नियम लोकसेवारों की सार्थकता, ईमानदारी, कार्य-कुशलता, मत्रता प्राप्ति की इटिं से उपयोगी होते हैं। लोकसेवारों की सुरक्षापूरण स्थिति को देखते हुए आचरण के इन नियमों का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। नियमों प्रशासन में यदि किसी कर्मचारी के अकृत्यल कार्य सचासन से सगठन को वित्तीय हानि होती है यद्यपि समाज में उसकी प्रतिष्ठा विर जानी है तो सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही दी जाती है तथा उसके लिए यथोदित दण्ड की व्यवस्था की जाती है। इसमें जिन लोकसेवाएं प्राप्त गैर-प्रतियोगी तथा गुरुत्वादी शहृनि की होती हैं, यत यह जान नहीं हो पाना ति इन कर्मचारी के इस प्राचरण से सगठन को किन्तु हानि उड़ानी पूरी है। इन यहाँ आचरण के नियमों का व्यवहारिक महत्व है। एक अन्य इटिं ने भी इन नियमों की उपयोगिता एवं सार्थकता है। व्यवहार ऐसे लोकसेवाएं ही राज्य का मूर्ने रूप होती है, यत अपने विवित व्यक्तियों एवं माधियों के माध्यमिक व्यवहार में उनको द्योटी सहायाप्रों की भाँति व्यवहार नहीं करना चाहिए।

## आचरण के नियम

(The Conduct Rules)

इसी देश की लोकसेवा के आचरण के नियम वहीं की पारम्पराप्रो, पाइयो, प्रारौप्यायो, बन्दीवत वी मानवाधी प्राप्ति के आधार पर तय निए जाते हैं। यही कारण है कि उनका बलेवर एक प्रहृष्टि परस्तार विनाशकी बने जानी है, जिन्हें सोक्षेवरों के आचरण के निए कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो देश और राज की परिचया से प्रभावित रहते हैं। इन्हें हम आचरण के मामान्य नियम कह सकते हैं।

आचरण के इन सामान्य एवं विशेष नियमों का सम्बन्ध मुरुखत इन विषयों से होता है—(क) सरकार के प्रति दड घनुरक्ति और प्रपने उच्च अधिकारियों के प्रति सदृश्यवहार, (ख) कर्मचारियों के निजी व्यापार और व्यवसाय पर प्रतिवाचन्य जिससे वे ईमानदार बने रहे, (ग) कर्मचारियों के कर्ज लेने तथा सम्पत्ति के कद-विकल्प पर प्रतिवाचन्य, (घ) राज्य कार्यों में और घरेलू तथा निजी जीवन में आचार-व्यवहार का उच्च स्तर और (च) कर्मचारियों के राजनीतिक राय-स्कूल, सार्वजनिक भाषण, समाचार पत्रों में लेख आदि के प्रकाशन पर प्रतिवाचन्य।

स्पष्ट है कि लोकमेवको के आचरण के ये नियम देश के सामान्य नियमों और बानूनों के ऊपर होते हैं तथा राज्य कर्मचारियों के आचरण को नियन्त्रित करते हैं। ये नियम एक सीमा तक कर्मचारियों के नागरिक अधिकारों पर प्रतिवाचन्य लगाते हैं यिन्तु इनका अधिक्षय दो नारणों से है। पहला कारण यह है कि इन कर्मचारियों को कुछ ऐसे नाम और मुखियाएँ प्राप्त होते हैं जो सामान्य नागरिकों को नहीं होते। दूसरे, राज्य कर्मचारियों के पद के अनुरूप उन्हें कुछ इत्तेव्य भार सौंपना उपयक्ता भी है। यहाँ हम ग्रेट ब्रिटेन, भारत, सद्यकनराज्य और कॉलं में राज्य कर्मचारियों के आचरण के लिए निर्धारित नियमों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे—

1. सविधान और बानूनों के अनुरूप आचरण और अधिकारियों के आदेश वा पालन (To Behave in Accordance with the Constitution and Laws and to Obey the Orders of Superiors)—राज्य कर्मचारी से यह आशा वी जानी है कि वह अपने कर्ता वा पालन वरते समय देश के सविधान एवं बानून के अनुरूप आचरण करे और अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करे, यदि वे सविधान के विराम न हो। कर्मचारियों को सदैव अपने कार्यालयों के सम्मान के प्रनुरूप ही आचरण करना चाहिए। अधीनस्व कर्मचारी का कोई यह नहीं है कि वह अपने उच्च अधिकारियों के आदेश पर नीति ममत्वी एवं भौतिक साम-हानि सम्बन्धी दृष्टियों से बिचार करे। यदि उच्च अधिकारियों के आदेश में चार बातें उपलब्ध हो तो वह पालनीय है। प्रथम, यह उच्च अधिकारी के अधिकार एवं धर्मता के अन्तर्गत हो, द्वितीय, इनका पालन अधीनस्व अधिकारी के दायित्व में जानिल हो, तृतीय, यह सविधान तथा बानूनों के विपरीत न हो और चतुर्थ, इसका स्वरूप नियमानुकूल हो। इन पूर्वशर्तों के होने पर भी यदि कोई कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के आदेश का उल्लंघन वरता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को जा सकती है।

राज्य कर्मचारियों के आचरण वा यह नियम काफी महत्वपूर्ण है। नीति-निर्माण निकायों वे सदृश्य स्वतन्त्र विचार एवं मत की स्वाधना के लिए इस नियम व पालन से उन्मुक्त रहे जाते हैं। यन्य समठनों में भी तात्पालिक भाजाकारिता एवं स्वतन्त्रता के बीच एक विभाजक रेखा दीची जानी चाहिए। प्रति-आवश्यक सेवाओं में प्राज्ञ वा पालन तुरन्त रिया जाना चाहिए। इनमें काम पहले और बातें बाद में करने की अवश्यक जानी चाहिए।

2 गम्भीरता, ईमानदारी, निष्पत्तता एवं परिषम से कार्य करना (To Work with Greatest Sincerity, Probity, Impartiality and Industriousness) — राज्य कर्मचारियों को अपने कार्यालय का काम नियती स्वाक्षरों को महसूद दिए दिना पूरी गम्भीरता एवं ईमानदारी से करना चाहिए। कर्मचारी के निर्णय व्यवहार के लिए घोटे नियम निर्धारित किए जाते हैं जैसे—जिन कार्यों में कर्मचारी के नियती स्वाक्षरों पर प्रबोच बढ़ना हो उनसे वह स्वप्न को प्रचल रखें, यदि सरकारी कार्यों में दूषणे को लाभ होता हो तो उनके द्वारा वह बहुत बोई धन स्वीकार नहीं करे, कर्मचारी को अपना काम पूरी महसूत में करना चाहिए यादि। प्राचरण के नियमों के अनुसार पड़ाव शारीरिक अभ्यास तथा मानसिक असन्तुलन की शिक्षण में राज्य कर्मचारी को मेवामुक्त कर दिया जाएगा इन्हुंने यदि वह काम के समय शरण नहीं ले गया अपने माली कर्मचारी से गधे लड़ाकर अपना तथा उम्रका समय खराब कर तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यशाली दी जाएगी।

ऐट डिटेन में वह व्यवस्था है कि स्टोरेजेइन अपने सेवा सम्बन्धी दावों की धौंग करने समय बाही अपवाह राजनीतिक दबाव न डलाए। वह अपने १३ से बोई अनुचित नाम न डाला, बाहरी व्याकरणायिक गतिविधियों में केवल नियमानुगार ही शामिल ही और सरकारी छेंडों में नियती नाम न देनाए तथा सरकारी जानकारी के आधार पर नियती व्यवसाय न चलाए।

भारत म गरीबी तथा कम वेतन के कारण रिश्वत, गवन शाड़ि वित्तीय शरणार्थों की अपमानना अतीक अदमरो पर यार्यावं दब जाती है। यहीं नेतिरता की शायदना के लिए अपापक नियमन किया जाता है। राज्य कर्मचारियों के दुराचरण को पौजदारी अपराध माना जाता है। वे किसी से चेंट स्वीकार नहीं कर सकते अपने अपापिकार के भू स्वामियों से न कर्जे ले सकते हैं और उन्हें कर्जे दे सकते हैं उन्ह अपनी तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों की अचन माननि भी पोराए बरनी होगी, बोई राज्य कर्मचारी प्रथम उपके परिवार ता बोई गद्य ऐसू विनियोग नहीं करेगा जिससे उसके नियमित कार्य-सचावन म गाधा उत्पन्न हो। बोई राज्य कर्मचारी दूर्वा अनुमति के बिना किसी व्यापार अवगत गोदावार में शामिल नहीं हो सकता। प्रथम थेगी की बैन्डीय मेवापां के राज्य कर्मचारियों को मनाने यदि नरकारी शायदना-शाल उदाम में रोदगार करना चाहती है तो इसके लिए पूर्व अनुमति चाहीदी है। राज्य कर्मचारियों के आचरण ने नेतिरता सम्बन्धी इन नियमों को लागू करने के लिए मारन सरकार ने एवं भाष्याचार निरोष इन तथा प्रभागनिक गतर्व सम्भाग की स्थापना भी है। ये प्रभागरण राज्य कर्मचारियों के प्राचरण की विस्तृत अनिवार्यताओं की गोदावाद सन्तुत हैं।

प्राप्ति में राज्य कर्मचारियों के प्राचरण के सम्बन्ध में वह व्यवस्था है कि बोई भी कर्मचारी राज्य सेवा के बाहर बैनिक नियमितिविधा म भाग नहीं ले सकता। गतिविधि सेवा में इसे दूर बहु सेवा के बाहर, जिए गए कार्यों के लिए बोई भागना, स्थीरार नहीं कर सकता।

**3 समय को पालनी (Punctuality of Time)**—राज्य कर्मचारियों को अपने कार्यालय आते समय तथा छोड़ते समय सही समय का पालन होना चाहिए। वह समय के बाद में न आए और समय से पूर्व ही उठकर न बढ़ा जाए।

**4. बहुमान कार्य का प्रसार अथवा परिवर्तन (An Extension and Alteration of Existing Functions)**—राज्य कर्मचारी के प्रशिक्षण प्रोग्रामों के अनुष्ठय उसके बहुमान कार्य में प्रसार तथा परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए वह अलिंगित बैतन का दावा नहीं कर सकता। यदि हड्डाल के कारण अनिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए उच्च प्रधिकारियों द्वारा उसे आदेश दिए जाएं तो उनका अनुशोधन किया जाना चाहिए। हड्डाल के समय उच्च प्रधिकारियों को भी शारीरिक परिध्रम के लिए संयार रहना चाहिए।

**5 नीर-सरकारी आचरण पर परिसीमाएं (Limitations on Non-Governmental Behaviour)**—राज्य कर्मचारी की आचरण सहित में उसमें केवल कार्यालय सम्बन्धी जीवन ही नहीं आता बरन कार्यालय के बाहर का जीवन भी प्राप्ता है। प्रत्येक कर्मचारी को कार्यालय के बाहर इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए ताकि कार्यालय के भीरव विश्वास तथा सम्मान पर विरोध प्रभाव न पड़े। इस दृष्टि से उसका अनियमित जीवन, जुआखोरी, कर्जदारी और नीचतापूर्ण आचरण आदि प्रतिबन्धित हैं। यित्त विभागों से सम्बन्धित कर्मचारी मट्टेबाजी और गरायखोरी के लिए पदमुक्त किए जा सकते हैं। योन द्रुम्बन्धी तथा विवाह सम्बन्धी की दृष्टि से भी लोकसेवकों का आचरण मन्तुनित एवं नामांजिक दृष्टि से स्थीकार्य होना चाहिए। कर्मचारियों के निजी आचरण पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगानि का मुख्य उद्देश्य यह है कि उनके आचरण पर बाहर के लोगों का अनुचित दबाव न पड़े तथा वे धन, घराव और नवजीवनाओं के प्राकर्पण में भटक कर यात्रा एवं पश्चातपूर्ण कार्य न कर दें। \*

ग्रेट ब्रिटेन में प्रत्येक राज्य कर्मचारी का प्रथम तथा महत्वपूर्ण शायद दूर समय और प्रत्येक अवसर पर राज्य के प्रति प्रविमाजित स्वामीभक्ति रखना है। भारत में यह व्यवस्था है कि जिनकी एक से प्रधिक पत्नियाँ जीवित हैं उनको राज्य-सेवा में नहीं लिया जा सकता। पहली पत्नी के जीवित होते कोई कर्मचारी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। विवाहित महिलाएं भारतीय प्रशासन सेवा में नहीं ली जा सकती। यदि नियुक्ति के बाद वे विवाह कर लें तो सरकार उनसे स्थागपत्र मार्ग सकती है। अहीं तक उपहार प्रदान करने वा सम्बन्ध है भारत में यह व्यवस्था है कि यदि विवाहोत्सव, जग्मदिवस, अन्येष्टि अथवा पार्विक उत्सव में अविकरी को 20 रु से प्रधिक मूल्य की कोई भेंट मिले तो उमरा विवरण तुरन्त सरकार द्वारा देना चाहिए। सरकार स्वयं यह आदेश दे सकती है कि उस भेंट का क्या रिया जाए।

**6. गोपनीयता (Secrecy)**—कार्यालय के कार्य सम्बन्ध बारते समय प्रत्येक कर्मचारी को ईमानदारीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऐसा न ही यि कार्यालय के लिए महत्वपूर्ण तथा बाहर प्रकाशित न कर दिए जाएं। गोपनीय कार्य कार्यालय के

बाहर गया थन्डर के असम्बन्धित कर्मचारियों में चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। प्रेट-ट्रिटेन में यह अवस्था है कि बोई राज्य कर्मचारी बिना विभागीय पूर्वांगनों के अपने कार्यालय के अनुभव या सूचनाओं के आधार पर बोई पुस्तक या लेख प्रकाशित नहीं कर सकता और न ही ऐडियो ग्राफिक या टेलीविजन पर प्रशारण कर सकता है। कार्यालय में कार्य करते हुए यदि राज्य कर्मचारी बोई आविष्कार करता है तो उसे पेटेट करना होगा और हो सकता है कि उसे नियन्त्रण का अधिकार लाउने को देना पड़े।

भारत में भी इसी प्रकार वे प्रतिक्रिया हैं। यहाँ राज्य कर्मचारी अपने स्वतन्त्र विचारों को आवाजारणी या समाचार-पत्रों द्वारा प्रसारित नहीं कर सकता। सरकार को उत्तराधिकारी या अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रभावित करने काने सेवा प्रबोधित करने पर प्रतिक्रिया है।

7 उच्च अधिकारियों का आदर (Respect for Superiors)—कार्यालय के बाहर तथा भीनर के उच्च अधिकारियों का प्रत्येक राज्य कर्मचारी का सम्मान करना चाहिए। यदि उनके कार्य एवं चरित्र प्राप्तिजनक हो तो भी वे सम्मानजनक समझे जाने चाहिए। कुछ राज्यों में इस आदर भाव को प्रवक्त बरने के लिए विशेष नियमों वी अवस्था भी नहीं है, जैसे—उच्च अधिकारियों का प्रतिरिद्ध लक्ष्यकार दिया जाए, कमरे में उनके प्रवेश करने पर सहें होनेर आदर दिया जाए, बातचीत करते समय आदरसूचक शब्दों का प्रयोग दिया जाए आदि।

8 किसी के द्वारा अपमान सहन न करें (Must not Allow Insults to Pass Unnoticed)—राज्य कर्मचारियों को चाहिए कि अपने पद एवं कार्यालय की प्रतिष्ठा के लिए वे इसी का सम्मान सहन न करें। यदि कोई अपमान करना है तो उसके विरुद्ध या तो स्वयं कार्यवाही करें या अपने उच्च अधिकारी में कहें। आपमानित अकिञ्चित महत्वपूर्ण नहीं है किन्तु उसके पद और कार्यालय वी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। फैस के Statut des Fonctionnaires द्वारा सरकारी अधिकारियों को समझी, हमला अपमान और भानहानि के विरुद्ध रक्षा का अधिकार दिया गया है। प्रशासन का यह नियम है कि उनकी रक्षा करें।

9. अतिरिक्त रोकार स्वीकारन करना (Not to Accept Additional Offices or Employments)—राज्य कर्मचारियों को अपने उच्च अधिकारी वी पूर्वस्वीकृति के बिना अपने पद सम्बन्धी कार्यों के अनिवार्य कार्य अपका रोकार स्वीकार नहीं करने चाहिए। एक सामान्य मान्यता के अनुसार उन्हें प्रदना जारा समय एवं जितन प्रपने पद के दायित्व पूरे करने म ही लगानी चाहिए। कर्मचारी वी परनी, दब्बे और नीहरों को बेदन बहु कार्य करते वी अनुमति दी जानी है जो सोहसेवायों के गोरव के विपरीत न हो।

10 सुरक्षा सम्बन्धी दायित्व (Security Responsibilities)—राज्य वी सुरक्षा वी ईच्छ सोहसेवायों के प्राचरण पर कुछ प्रतिक्रिया लगाए जाने हैं। पट-ट्रिटेन में साध्यवादी दस तथा पासीवादी मवठना के उत्तिष्ठ सदस्यों की तरफ उनके

महानुभूति रखने वालों को शोपनीयता के पढ़ो पर नियुक्त नहीं किया जाना। यदि विभागाधीश यह अनुभव करे कि किसी कर्मचारी के विषद् स्पष्टत मुरक्का सम्बन्धी मामला बनता है तो वह उसे डाँ बान की मूचना प्रदान करेगा तथा स्पष्टीकरण मौगगा। यदि कर्मचारी उन आपत्तियों से मना कर दे तथा उच्च अधिकारी अपने पूर्व निएंग को न बदले तो यह मामला प्रशासनिक न्यायालिकरण के मामले रखा जाएगा। येट ब्रिटेन में इस प्रशासनिक न्यायालिकरण की स्थापना 1948 में मुरक्का सम्बन्धी आशारो पर कर्मचारियों की पदमुक्ति अथवा स्थानान्तरण के विषद् प्रयोगों नुसने के लिए भी गई थी। यह न्यायालिकरण प्रमाणों पर विचार करने के बाद नवीं को अपना परामर्श भेज देता है। मत्री ही अन्तिम निर्णय नेने के लिए उत्तरदायी है। येट ब्रिटेन में प्रत्येक भर्कःरी विभाग में एक मुरक्का भगठन होता है जो सेवीवर्ग मुरक्का एवं अभिलेख नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय मुरक्का का कार्य मुरक्का सेवा द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यह गृह विविध के प्रति उत्तरदायी महानिदेशक के अधीन इकान्त्र रूप से कार्य करती है। इसके प्रतिरिक्त यहाँ एक मुरक्का आयोग भी है। यदि विरोधी दल वे नेना से रामलेले प्रधान मन्त्री वह तो यह आयोग लोकसेवकों द्वारा मुरक्का के उन्नयन की ओर कर सकता है। तथा मुरक्का अवृस्था में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार भी मुझ सकता है।

भारत में भी लोकसेवकों के सुरक्षा सम्बन्धी दायित्वों को पर्याप्त महत्वपूर्ण माना जाता है। गुजरात एवं दिल्लीनीय सूचनाओं सम्बन्धी पढ़ो पर नियुक्तियों करने में पूर्व मामलिका प्राधारी की मुलिस द्वारा पूरी जीवं दी जाता है। राष्ट्रीय मुरक्का के लिए 1953 में केन्द्रीय लोकसेवा नियम बनाए गए। इनके तहत राष्ट्रदति को यह अधिकार है कि विनाशकारी गतिविधियों में मनमन कर्मचारियों को वह अनिवार्य सदानिवृति प्रदान कर सकता है। नागरिक मुरक्का कानून (MISA) के अन्तर्गत भी ऐसे कर्मचारियों के विषद् कही कार्यवाही भी जा सकती है।

**11 नागरिक तथा राजनीतिक हिति (Civil and Political States)-** भारत में राज्य कर्मचारियों के लिए राजनीति में भाग लेने प्रीत मरकार भी नीतियों तथा कार्यों की आओवना करने पर प्रतिवन्ध है। इस इटि से कोई कर्मचारी मुतेज्जाम भागणा देने, नमाजार पत्रों में बक्तव्य देने या 'पुस्तक' लिखने प्रादि से रोका गया है। कोई कर्मचारी किसी राजनीतिक दल अथवा मगठन का बदल्य नहीं हो सकता और न उहे प्रायिक सहायता प्रदान कर सकता है। वह अव्यवस्थापिता एवं स्थानीय स्थायियों के चुनावों में किसी के पास अथवा विपक्ष में विचार नहीं कर सकता। उसे बेकल मत देने का अधिकार है। अपनी सेवा की शर्तें सुधारने के लिए जानेवाले प्रदूशनों एवं हड्डालों पर भी विशेष अनिवन्ध है। कोई कर्मचारी ऐसे कर्मचारी मध्य का बदल्य नहीं हो सकता जिसे सरकारी मान्यता नहीं है अथवा सरकार ने जिगकी मान्यता समाप्त कर दी है। राज्य कर्मचारियों की नागरिक स्वतन्त्रताएं भी भीमित हो जानी हैं। वे माधारण नागरिकों की भ्राति पत्र-एविजनों में स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रमने विचार प्रबन्ध नहीं कर सकते, वे पनाम स्व

से या किसी अन्य के नाम से बोई लेन नहीं लिख सकते। आदानप्रदानी पर उनका वक्तव्य प्रसारित नहीं हो सकता। कर्मचारी का ऐसा बोई भी लेन या मापण पा प्रमारण संबंध नियिद्ध है जिसका अन्तर्गत्वा सम्बन्धों पर प्रभाव पड़े तथा जिससे सरकार किसी घर्म सहट में पड़ जाए। यदि कर्मचारी के लेन विजुद्ध रूप से साहित्यिक और बलात्मक है तो उनके प्रबाधन पर बोई रोक नहीं है।

फ्रांस म राज्य कर्मचारियों वा राजनीतिक गतिविधियों म भाग लेने वा अधिकार वही की कोसिल डी एटा द्वारा समय-समय पर परिभ्रापित होता रहता है। इस दृष्टि से यही के कर्मचारी दो भागी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। कर्मचारियों की भागी महसा वो राजनीतिक दलों का सदस्य बनने और उनकी गतिविधियों म भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। उत्तरदायी पदा एवं काय बरने वाले कर्मचारी इस दृष्टि में कुछ रिजर्व रखते हैं किंतु भी उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ पूर्णस्वरूप से गतिविधित नहीं होती। मुख्य बात यह है कि जब ये कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों म भाग लेते हों जबता के सम्मुख अपनी पद स्थिति की पोताना न करे तथा लार्यान्य म प्राप्त सूचनाओं का अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्णि के निए प्रयोग न करें। इन सौमान्यों का सही अद्यों म पालन करने पर उच्च पदाधिकारी कुम्ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेन से स्वत ही बचिन रह जाने हैं। फ्रांस मे जुनावों म प्रत्याशी बनने वा पदिकार अवृद्धि उदार है। एक सरकारी कर्मचारी उस परिषद के लिए चुनाव लड़ सकता है तथा जीतने के बाद उसकी गतिविधियों म भाव ले सकता है जो उसके पद पर नियन्त्रण नहीं रखती। प्रारम्भ मे लोअसेवक समूद्र के सदस्य भी बन सकते थे जिन्हु तुइ किलिप (Louis Philippe)-दे शामनवाल मे इस गुरिथा रा दुहराया दुमा। इसपर 1948 से इस पर प्रतिवर्ष लगा दिया गया। फ्रांस की एक उल्लेखनीय घटनाया यह है कि समाजीय चुनाव लड़न के निए राज्य कर्मचारी को प्राप्ते पद से हार्या पत्र नहीं देना पड़ा और जुनाय जीते जाने पर भी वह Detaches बन जाता है या बाद मे वापर मेवा मे लिया जा सकता है।

स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य मे कर्मचारियों के आचरण के चिए व्यापक नियम यनाए जाते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे इनका आदर करें। इनका उल्लंघन यद्यपि अव्याप्तना बरने पर पद-मुक्ति तक के विभिन्न दण्डों की अवश्या की जाती है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सरकारी पद का गोरव ये प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ-साथ उनकी कार्यकुण्ठता भवृद्धि करना होता है। प्रत्येक राज्य मे उनका बलेवर तथा स्वरूप भिन्न हो सकता है जिन्हें दोने प्रवाय हैं। एट रिटेन मे ये राजनीतिक सचिव तथा नियिद्ध एवं विभागीय नियमों के हन मे उपलब्ध होते हैं। संयुक्तराज्य अमरिका मे विभागीय नियम तथा कुछ सविविधियों के कुछ सौंत्रों म इनकी व्यवस्था है। भारत मे भट्टाचारा विरोदी अधिनियम 1947 और 1954-56 के बीच नेट्रीय लोअ सेवाओं, रेलवे व्यापारा, पर्सिल भारतीय सेवाओं तथा अन्य सेवाओं के निए भी आवरण के नियम बनाए गए।

कॉस मे 1946 की नियमित तक अनेक सिद्धान्त अपनाए गए थे जिनका आधार वह घारणा थी कि लोकसेवक को राज्य की सेवा करनी चाहिए। ये सिद्धान्त समय-समय पर कौमिल हो एटा द्वारा अभिष्ठत होते रहे हैं।

**हड्डतालो एवं प्रदर्शनों की समस्या**

(The Problem of Strikes and Demonstrations)

सरकारी कर्मचारियों के आचरण तथा अनुशासन पर हड्डतालो एवं प्रदर्शनों का भारी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि उनके आचरण के नियन् तय करते समय इस सम्बन्ध मे भी उचित व्यवस्था की जाती है। हड्डतालों तथा प्रदर्शनों से सम्बन्धित व्यवस्था कर्मचारियों और नियुक्तिकर्ता के आपसी सम्बन्धों पर प्रभाव डालती है। हड्डताल का मुख्य कारण कार्य की शर्तों के प्रति कर्मचारियों का असनोय होता है। यह असनोय इन कर्मचारियों के बेतन और भत्ते कार्य के घट्टे, दुष्टियाँ प्राप्ति से सम्बन्धित होता है। इसे दूर करके हड्डतालों की सम्भावना को मिटाया जा सकता है।

हड्डतालों हमेशा विद्युतिकारी, उपग्रही, अस्थानितपूर्ण, जन-जीवन तथा देश के लिए प्रहितकर होती हैं। उनका तात्कालिक प्रभाव सदैव ही सोचनीय होता है। सरकारी कर्मचारियों की हड्डतालों तो और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण होती है। समाज मे सरकारी कर्मचारी का एक विशेष स्थान होता है। वह प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके कुशल तथा निर्बाध कार्य-सञ्चालन पर न बेबल समाज की मुख्य सुविधाएं बरन् समाज का अस्तित्व भी अवलम्बित है। वह चाहे इसी भी एद पर रह कर कोई भी कार्य सम्पन्न करे किन्तु उसके कार्यों का जनना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यही स्थिति उसकी दक्षिण और सम्मान का स्रोत है। समाज उससे यह आशा करता है कि वह अपने इसी कार्य द्वारा समाज-विकास को खतरे मे न ढाले। आजकल सरकार के कार्यों वा क्षेत्र जीवन के प्रत्येक पहलू तक अधिकत है और इसलिए हड्डताल द्वारा सरकारी कार्य को कुछ संघर्ष के लिए रोक देना भी अत्यन्त दुखदायी बन जाएगा। अत यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी अपने प्रत्येक कार्य के निवारण के लिए बातचीत और समझौते पूर्ण तरीके अपनाएं तथा प्रशासन के कुशल सञ्चालन मे इसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। कामेश्वर प्रसाद बनाम विहार राज्य (A I R 1962) (S C R 1166) के भाग्यले मे सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीदोगिक विवाद अधिनियम द्वारा प्रशासनिक न होने वाले सभी साकारी कर्मचारियों के हड्डताल करने पर प्रतिबन्ध का समर्थन दिया था।

प्रशासनिक मुद्दाओं आधीरों ने सरकारी विभागों मे हड्डतालों को कोई स्थान नहीं दिया।<sup>1</sup> आयोग वे मतानुसार सरकारी सेवा मे प्रवेश पाने वाले व्यक्ति को यह स्पष्टत समझ लेना चाहिए कि वह हड्डताल के माध्यम से इसी तरफ को प्राप्त

1 "We wish to record as our considered view that strikes are out of place in Government Departments"

करने वा अधिकार नहीं रखता। ऐसा भै प्रवेश के समय कर्मचारी से यह प्रतिज्ञा-पत्र निलवा लेना चाहिए कि वह कभी हड्डताल में जानित नहीं होगा। इस नियन्त्रण घोषणा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव मूल्यवान रहेगा।

ग्रामरण के नियमों द्वारा हड्डताल का नियेध निए जाने पर यह स्वामानिक है कि जो कर्मचारी हड्डताल से भाग लेंगे उनके बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही वी जाएगी। सरकारी विभाग में होने वाली हड्डताल वी मम्बीरता को देखकर यह उचित बहीन होता है कि उसे कानून के भ्रमुकार दण्डनीय घोषित कर दिया जाए। इस इटिट से आयोग ने आवश्यक सेवा अधिनियम, 1968 (Essential Services Maintenance Act, 1968) को समाजनीय माना है। भ्रमुकार सरकार आवश्यक सेवाओं में हड्डताल पर प्रतिवध नहा सकती है और प्रतिवधित हड्डताल में भाग लेने वाले ग्रेटिकरने करने वाले तथा घन देने वाले व्यक्तियों को दण्डन कर सकती है। उचित शिकायतों का निराकरण

### (Redressing the Legitimate Grievances)

हड्डतालों और प्रदर्शनों को रानुनी रूप से दण्डनीय करा देना मात्र ही समस्या का निदान नहीं है। इनके मृद वारणी पर प्रहार करना होता। कर्मचारियों की आयोगित भौतिकी को उपद्रवकारी तत्वों का लिमवाड बनाने से पहले ही स्वीकार किया जाना चाहिए। समझोतापूर्ण इटिटवेग प्रबनामकर कर्मचारियों को सम्मुख रखना चाहिए। सेवा की गति से सम्बन्धित विवादों के नियावरण के निए समुक्त विचार-विषयों के बन्द वी अवस्था की जानी चाहिए। जो विवाद इस बन्द द्वारा नय नहीं निए जा सके उनके सम्बन्ध में आयोगिकरण का बोड़ बनाया जाना चाहिए। इसका नियंत्रण बैठक नमद द्वारा ही बढ़ावा जा सके जो कि अनियम सम्बन्ध है। प्रशासनिक मुधार आयोग ने मनानुमार राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों तथा शिक्षायनों के नियावरण के लिए एक समुक्त विचार-विषयकता यम (Joint Consultative Machinery) स्थापित किया जाना चाहिए तथा इसे बानुनी प्रावार प्रदान किया जाना चाहिए।

इन समुक्त विवादों में कर्मचारियों को वर्तमान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। बनेमान इतिहास यह है कि मान्य समय द्वारा इन विवादों में कर्मचारियों के प्रतिरिदि भौतिकी निए गए तात्परता है। यह परम्परा दोषपूर्ण है, क्योंकि सुध के सदस्य बैठक मुद्य ही कर्मचारी होते हैं और वह इन्होंने वा प्रतिनिधित्व करता है। इन गतों में इटाफ के कार्यकलापों का स्थान नहीं होता। इकल इनके द्वारा छिए गए समझोतों पर मापाम्य स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। विकाशपूर्ण प्रश्नों को विर दूसर साथों से सुनभाने वा प्रयास किया जाना है जिसमें सारा प्रश्नामनन्त्र बनुपित हो जाता है। इस विषय को मुधारने के निए प्रशासनिक मुधार आयोग ने सुभाव किया है कि कर्मचारियों का इन विवादों में प्रतिनिधित्व नियावरण द्वारा तय किया जाना चाहिए। दोषीय परवाना दिक्कतीय कार्यालयों के निम्न स्तर के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए और उच्चस्तर के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष

वा स्वस्थ तंथार किया जाना है। इसी समय कर्मचारी को निलम्बित किया जा सकता है। कर्मचारी के विरुद्ध आरोपोन्त्या उसके बचाव के तकनी की मुनवाई की जाती है। दोनों पक्षों को जानन के बाद उच्च अधिकारी अपनी राय कायम करता है और प्रतिवेदन के स्पष्ट में प्राप्त उच्च अधिकारियों को भेजता है। यहाँ प्रमियोग के विरुद्ध दण्ड की घावस्था की जाती है और यदि आवश्यक हो तो दण्ड के विरुद्ध अधीलों की मुनवाई की जाती है। स्पष्ट है कि आचरण के नियम, प्रनुशासन, सेवा-मुक्ति आदीने आदि एक ही प्रक्रिया से परस्पर सम्बन्धित सोनान हैं।

एक शाढ़ी अनुशासन व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि यह नकारात्मक की अपेक्षा कुछ सकारात्मक कदम उठाए उच्च अधिकारी नेतृत्व के मुलों से युक्त हो तथा विवेक और सन्तुलन से काम ले, अनुशासन का प्रयोग वेवन अवैधतीय तत्त्वों को दबाने के लिए किया जाए। इसका लक्ष्य कर्मचारी के भावी व्यवहार से सुधारना हो। यह समय पर तथा तुरन्त किया जाए। इस इष्ट में कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अभियुक्त की अपनी मकाई में तरं देने का पूरा व्यवसर मिलना चाहिए। और अनुशासनात्मक वार्यवाही का रूप गुप्त रहना चाहिए। भारत में अनुशासन सेवा मुक्ति एवं अपीलें

#### (Disciplinary Action, Removal and Appeals in India)

भारत में यत्कृत आचरण करने से बाले अवयवा अपने दायित्वों को पूरा न करने वाले राज्य कर्मचारियों वे विरुद्ध प्रतेर प्रवाह की अनुशासनात्मक वर्गाद्वाहियों की जाती हैं। इनकी प्रकृति गुप्तारात्मक की अपेक्षा प्रतिरोधात्मक प्रविक्त है। दण्ड का निश्चय अपराध की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। विना किसी कारण अपवा वेवन शका मात्र से किसी को दण्ड नहीं दिया जा सकता। दण्ड की मूली का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। यह ध्यान रखा जाना है कि लोटी कर्मचारियों को मद्देव उपयुक्त दण्ड ही दिया जाए। द्वेष अपराध के लिए गम्भीर दण्ड देना प्रथम्या वा प्रतीक है तथा यह दण्ड की गम्भीरता को बता बताता है। इसी प्रकार गम्भीर अपराध के लिए हृत्का दण्ड देने से अपराधों का हौलिया बढ़ जाता है।

अनुशासन अधिकारी (The Disciplinary Authority)—नियुक्ति एवं पदोपनि की मानि अनुशासनीय वार्यवाही करने का अधिकार भी विभागीय प्रधान को दिया जाना है किन्तु अधीनस्थों की बड़ी सल्ला के कारण व्यवहार में यह अधिकार अन्य अधीनस्थों को प्रदत्त वर दिया जाना है। भले किसी विनेप पास्ता पा दार्यन्त्र के कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन की वार्यवाही वही के मुख्य अधिकारी द्वारा ही की जाती है। यदि दण्डित अकिञ्चन का कार्यवाही को अभ्यायपूर्ण मानता है तो उच्चवनर अधिकारी के यही अपील कर सकता है। कुछ विचारकों की मान्यता है कि दण्ड देने और अपील मुनबत का कार्यक्रम बहारी स्वनन्त उत्ता द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे—लोकसेवा आयोग आदि। मधुसूतराज्य अपेक्षिता आदि कुछ देशों में यह व्यवस्था है। इसके पैकड़ में यह दर्शन दी जाती है कि प्रारोड गताने वाले अधिकारी को

निष्ठायिक स्थायाधिकारी नहीं होता चाहिए। निष्ठाकर्ता और स्थाय के लिए यह प्राप्तशक्ति है कि वे दोनों शक्तियों अनग-अनग हाथा में रहें।

वाही स्वनन्न मता के विश्वद आपत्ति यह भी जानी है कि इससे लोकसेवाओं की कार्यवाही पर फ़िरीन प्रभाव पड़ता है। इससे विभागाध्यक्ष निवृत्त हो जाता है। वाही मता स्वातन्त्र्य की अन्वेषित कार्यवाही से अपरिचित रहती है, यदि पूर्ण स्थाय न देकर ऐचन दया और मिट्टान के प्राधार पर निर्णय देनी है। यदि वाही निर्णय के प्राधार पर कोई कर्मचारी प्रभाव पट्टे पट पर पुन आमीन हो जाए तो उसके कारण विभागीय सम्बन्ध विगड़ जाते हैं तथा कानूनी सहाइ के कारण तनाव का बातावरण बन जाता है। ट्रेट चिटेन के टाम्पनिन आयोग (TomlinCommission) तथा भारत में बेनन आयोग इस यह बन जा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में विभागीय अधिकारियों की शक्तियाँ प्रश्नात्मक बन जाएं।

भारतीय मविधान वी धारा-311 के अनुसार अधिन भारतीय, वेन्ड्रीय अधिकार सेवाया के विसो प्रधिकारों को उसके निष्ठुक्तिकर्ता से हीनतर शेषी के अधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। तदनुसार अधिन भारतीय सेवाओं के तथा सेना के आयुक्त अधिकारी ऐचन राष्ट्रपति द्वारा ही पदमुक्त किए जा सकते हैं। अन्य वगों के सम्बन्ध म अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रधिकार भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को है। छोटी सोटी अनुशासनात्मक कार्यवाही अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी की जा सकती है। गजों म कार्य बरने वाले अधिन भारतीय मेडाप्रा के मद्दत्या को राज्य द्वारा दण्डित किया जा सकता है किन्तु बठोर दण्ड के लिए वेन्ड्रीय अनुशा अपेक्षित है।

**अनुशासनात्मक कार्यों की प्रक्रिया (The Procedure of Disciplinary Actions)**—लोकसेवाओं के सभी कर्मचारी ज्ञाहे वे विसो भी पट पर काय करते हों जनता के सेवक होते हैं। कोई भी उच्च अधिकारी प्रभावे अधीनस्थ को सनमाना दण्ड नहीं दे सकता और न ही उसके माय प्रभाव नौकर जैसा अवहार करगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही के समय उसे एक निर्धारित प्रतिया का अनुग्रीन दरना होता है। इस प्रतिया के उत्तीतर चरण इस प्रहार है—

1. विस कर्मचारी के विश्वद कार्यवाही भी जानी है उससे पहने जबाब तब बह दिया जाता है कि उसे धनी इनी के दारे में रेखा रहना है। विसी राज्य कर्मचारी जो होई भी दण्ड देने वा आदेश नब तब जारी नहीं किया जाता जब तब वि उसे उन कारणों की विलिन मूलना न दे दी जाए विनके प्राधार पर दण्ड दिया जा रहा है। उसे प्रभावे बचाव का पर्वत प्रवास दिया जाता है।

2. यदि कर्मचारी का जबाब नहीं विकला प्रथा भमनोपजनव दिलखा है तो उसके दोषों भी तानिका तंगार की जानी है। इन निरिचन अधिकारियों को मूलना ताप्तिपन कर्मचारी भी दे दी जानी है।

3. संविधान रमेश नी से यह कर्मचारी भी जानी है कि वह प्रभाव बचाव के राज्य से एक विलिन बत्तम दे प्रवदा स्वय मुनवाई के लिए उपस्थित होन की

इच्छा जाहिर बरे। ऐसी स्थिति में वह सरकार से यह प्राप्तंता कर सकता है कि उसे आवश्यक सरकारी वायजान पाव अभिलेख देने की अनुमति प्रदान दी जाए। सरकार को अधिकार है कि वह ऐसी अनुमति दे शक्ता न दे।

4 यदि कर्मचारी के पद पर बने रहने में जीवन-पड़ताल में वापस उपग्रह होने की आशंका रहती है तो उसे सेवा से निलम्बित किया जा सकता है।

5 कर्मचारी का निलित उत्तर प्राप्त होने अथवा न होने पर सरकार यदि आवश्यक समझे तो आरोपी की जाँच के लिए एक जाँच अधिकारी अथवा जाँच मण्डल नियुक्त कर सकती है अथवा अप्प प्रकार से जाँच करा सकती है।

6 यदि जाँच मण्डल की नियुक्ति की जाती है तो उसमें कम से कम दो दरिच अधिकारी तथा एक मम्बन्धिन कर्मचारी की मेंदा का पदाधिकारी लिया जाएगा। जाँच के समय कर्मचारी अपने पश्च में मौखिक गवाही दे सकता है, इसके बारे सबता है तथा इच्छानुसार गवाही को बुला सकता है।

7 जो निर्णय दिया जाता है उसका पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस निर्णय में यदि प्रस्तावित दण्ड पदच्युति (Dismissal), पदमुक्ति (Removal), अनिवार्य निवृत्ति (Compulsory Retirement) या पक्षिक्ष्यति (Reduction in Rank) से मम्बन्धित है तो जाँच के प्रतिवेदन की एक पतितिवित सम्बन्धित कर्मचारी को दी जाएगी तथा उसे कारण बताने वा एक अवसर और दिया जाएगा। कर्मचारी का उत्तर आने के बाद प्रस्तावित दण्ड को परामर्श के लिए लोकसेवा आयोग के पास भेज दिया जाता है। आयोग स्वयं सारी स्थिति का मूल्यांकन करता है। यदि वह प्रस्तावित दण्ड से सहमत है अथवा उसे कम करने का परामर्श देता तो प्रनृगति, अधिकारी तदनुसार बायंवाही मम्पन्न करता है। यदि आयोग वे मनानुसार विचाराधीन मामले मम्बन्धित कर्मचारी के आरोप अधिक गम्भीर प्रहृति के हैं तथा उन पर अधिक गम्भीर दण्ड दिया जाना चाहिए तो इस स्थिति में कुछ प्रतिरिक्त प्रतियात्मक औपचारिकताएँ भी मम्पन्न की जाती हैं। इसके लिए कर्मचारी को पुनः 'कारण बताने नोटिस' दिया जाएगा।

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को दिए गए दण्ड के बारे में लोकसेवा आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। यही स्वयं राष्ट्रपति ही दण्ड की आवश्यकता एवं इसे मम्बन्ध में निर्णय लेता है तथा तदनुसार आदेश प्रसारित कर देता है। इस स्थिति में भी यदि कर्मचारी को गम्भीर दण्ड दिया जा रहा है तो उसे 'कारण बताने नोटिस' दिया जाता है।

निर्णय आवश्यक है से दण्ड के है में ही नहीं होना बरन् तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कर्मचारी को आरोपों से बरी भी किया जा सकता है।

8 अग्रीत की आवश्यकता होने पर शरीन की जाती है।

भारत में राज्य कर्मचारियों को अनगासनारमक बायंवाही द्वारा दण्ड देने पर दो मुख्य परम्पराओं का अनुशीलन किया जाता है—(i) दण्ड देने वाला अधिकारी नियुक्त करने वाले अधिकारी के ममान स्वर का होना चाहिए, उसमें नीचा नहीं, तथा (ii) दण्ड देने से पूर्व नियोक्ता अधिकारी में राष्ट्र सी जानी चाहिए।

**अपीलें तथा गुनविचार (Appeals and Review)**—यदि प्रसावित वर्तमारी महं पनुभव बरे कि उसे दण्ड देने अन्याय किया गया है तो वह अपील कर सकता है। प्रत्येक गरवारी वर्तमारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह सरकार द्वारा निकाले गए दण्डादेश के विहङ्ग केन्द्र सरकार से अपील बर सके। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा वो गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के विशद अपील नहीं की जा सकती। नियमानुसार देवन अपीलस्व अनुशासन अधिकारी के नियंत्रण वे विशद उम्मेद उच्चतर अधिकारी के सम्मुख परीक्षा की जाती है। चतुर्थ एवं तृतीय धेरेली के वर्तमारियों द्वारा इस मुदिया का पूरा लाभ उठाया जाता है। प्रथम धेरेली की सेवायों के सदस्य राष्ट्रपति से लीके के अधिकारियों द्वारा दण्ड होने पर राष्ट्रपति से अपील बर सकते हैं। सभी प्रकार की अपीलें, दण्डादेश प्राप्त होने के बाद तीन माह के अन्दर-पन्दर प्रस्तुत की जाती चाहिए। इस अपील वे नाय प्रस्तावित कार्यवाही वी एक प्रतिनिधि, सभी प्रावश्यक बलून एवं आधारभूत तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं।

अपील अधिकारी की कुछ परिसीमाएं भी हैं। राज्य कर्मचारी देन्द्र सरकार द्वारा पारित आदेश वे सम्बन्ध में परीक्षा कर सकता। अपील पर प्रतिवाचन लगाने वाले सभी प्राधिकारी के आदेश के विशद भी परीक्षा की जा सकती।

अपील मामूलिक रूप से नहीं की जानी वरन् अपील करने वाला प्रत्येक वर्तमारी स्वयं परन्ते नाम से नया पृष्ठक रूप में ऐसा परन्ता है। प्रत्येक अपील स्वराष्ट्र मन्त्रालय में भारत सरकार के सचिव को मम्बोचिन की जाती है। प्रत्येक अपील में यह घान इतना जाना है कि इसमें सम्बुद्ध सामग्री, विवरण-पत्र एवं दलीलें शामिल हो जिन्हें अपीलकर्ता अपने पथ में प्रस्तुत करता चाहता है इसमें अपमान-जनक तथा अनुषित भाषा वा प्रयोग न हिया जाए तथा यह प्रत्येक वहाँ से पूर्ण हो। प्रत्येक अपील सम्बन्धित कर्मचारी के कार्यान्वय प्रमुख तथा दण्डादेश जारी करने वाले अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है।

अपील मुनने वाली सत्ता द्वारा मुहूर रूप से इन बातों की जानकारी की जाती है कि जिन तथ्यों के आधार पर दण्डादेश दिया गया है वया वे दास्ताविक हैं, वया इन तथ्यों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए थी, वया दिया गया दण्ड अधिकृतिक है, पर्याप्त है अवधारणा अपर्याप्त है। इन सभी बातों पर विवार करने के बाद अपीलीव सत्ता उन मामलों की सारी परिस्थितियों को घान में रखते हुए भाली रूप से उचित एवं न्यायमन्त्र प्रादेश प्रस्तावित करेगी। इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया प्रादेश अनिम होता है तथा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उस प्रादेश को तुरन्त वार्यान्वित दिया जाता है।

देश सरकार अवधार राज्य सरकारी को अपने दण्डादेशों पर पुन विवार एवं परिवर्तन का अधिकार है। इस अधिकार का प्रशील नियिवन कान-प्रशिपि में दिया जा सकता है जो प्रादेश वारी बरन की नियि से प्रशील दावदर होन की मियनि में छ गाह के अन्तर्गत और अपील न होने पर एक वर्ष की होती है। यदि पूर्व-

आदेश में परिवर्तन बाते हुए दण्ड में बृहि की जाती है तो सम्बन्धित कर्मचारी को उसके विरुद्ध आगरा बनाने का घबराहर दिया जाता है। एक अन्य उल्लेखीय बात यह है कि यदि राज्य या बेन्द्रीय सरकार ने पूर्व-आदेश लोकसेवा आगे बढ़ने के पश्चात् के बाद जारी किया हो तो उसमें सशोधन के लिए भी आवश्यक का परामर्श आवश्यक है।

यदि अपील करने के बाद सम्बन्धित कर्मचारी का सम्मोगजनक परिणाम प्राप्त न हो तो वह अनिम्न अपील के रूप में राष्ट्रपति के पास अभ्यावेदन भेज सकता है। यह अभ्यावेदन उचित प्रणाली द्वारा दण्डादेश जारी होने की नियम 3 वर्ष के अन्दर भेजा जाता चाहिए। इस पर सम्बन्धित विभाग और राज्य सरकार द्वारा अपना अभियन्त्र प्रस्तुत किया जाता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति का निर्णय अनिम्न होता है। अपील के ये सभी नियमिक सोपान कार्यपालिका क्षेत्र के हैं।

यदि कार्यपालिका क्षेत्र में की गई अपीलों से कर्मचारी को सम्मोप न हो तो वह अपना मामला न्यायालय में ले जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की इन व्यवस्था से कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना विकसित होती है, किन्तु अधिकारी कर्म इसे विभागीय आसुविधा का ग्रांथार मानता है। उनका नक्का यह है कि वो कर्मचारी न्यायालय के आदेश द्वारा पुनरावलोकन किए जाते हैं वे समाज के मानव सम्बन्धों को कठु बना देते हैं। वे सुनेश्वाम विभागीय आदेशों और नियमों की अवहेलना करके अनुचित बानावरण उत्पन्न करते हैं।

**संविधान की धारा 311 (Article-311 of the Indian Constitution)-** विभिन्न विभागीय और भेजा नियमों सम्बन्धी प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय संविधान द्वारा भी सधी तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षाएँ प्रदान भी जाती हैं। इस दृष्टि से भारतीय संविधान की धारा 311 उल्लेखनीय है। इस धारा भी उल्लेखनीय व्यवस्थाएँ ये हैं—

(i) राज्य अधिकारी मध्येष्ठ असैनिक भेजा के मद्दत्यों को उन्हें नियुक्त करने वाले श्राधिकारी स नीचे वे किसी प्राविकारी द्वारा पदचयन नहीं किया जाएगा।

(ii) सधीय अधिकारी राज्य स्तरीय असैनिक भेजा के किसी मद्दत्य को हटाने से पूर्व उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों संबंधित कराया जाएगा, उसे दोषीरों के बारे में सुनवाई का युक्तियुक्त प्रवसर दिया जाएगा, यदि उस पर न्यौदी दण्ड आरोपित किया गया है तो उसके बारे में उसे अधील करने का प्रवसर दिया जाएगा।

(iii) एक अधिक पदमुक्त अधिकारी विभिन्न से अधील करने वा अधिकार रखना है।

अनिम्न दो प्रावधान उन समय साझा नहीं होने जरूरि—(क) एक कर्मचारी को ऐसे आचरण के आधार पर पदमुक्त या पत्तिच्युत किया गया है जिसके बारण पौजदारी आरोप में उस पर मुकदमा चल रहा है। (ख) यदि उसे पदमुक्त अधिकारी पत्तिच्युत करने वाली सत्ता कुछ कारणों से, जिनका वह विलित रूप में उल्लेख नहीं, यह समझे कि उस अधिकारी को कारण बनाने वा सम्बाद देना तर्जनीय रूप से

आवादारिक नहीं है। (ग) यदि राष्ट्रपति ग्रथवा गवर्नर के मतानुसार इस व्यक्ति को ऐसा अवसर देना राज्य की सुरक्षा के हित में उपयुक्त नहीं है।

(iv) जिस मामले में यह कार्यवाही की जा रही है उसे सम्बन्धित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रमिलेपित किया जाना चाहिए। \*

धारा 311 की व्याख्या (The Interpretation of Article 311)—  
मंत्रिमान की इस धारा का मूल उद्देश्य राज्य कर्मचारियों को भरोसित सुविधा प्रदान करना है क्योंकि यह व्यवस्था की गई है कि वे राष्ट्रपति ग्रथवा ग्राहकान के प्रबाद-पर्यान् ही यापने पद पर बने रहें। इस मध्यमे इस धारा की कुछ अधिक व्याख्या बोधनीय है जिसके पाठ्यार पर निपटनिकृत बाने स्पष्ट होती हैं—

1. कर्मचारी की पदच्युति एवं पदमुक्ति नियोता अधिकारी से निपटनर अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती।

2. यह धारा केवल उभी लागू होगी इक्कि किसी कर्मचारी को उसका

निपटनिकृत कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पदमुक्त ग्रथवा पक्षिक्ष्यूत किया जाएगा।

4 प्रत्येक प्रभागित कर्मचारी को अपने पक्ष में सफाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। न्यायालिका को यह तय करने का अधिकार होगा कि इसी मामले में युक्तियुक्त अवसर दिया गया या ग्रथवा नहीं। यदि इसी मामले में ऐसा अवसर नहीं दिया गया है तो इसे धारा 311 का उल्लंघन समझा जाएगा।

5 सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार यदि 25 वर्ष की उमेर पूरी करने के बाद इसी कर्मचारी को दुराचार, प्रकार्यदुश्लगना आदि कारणों से मेवानुक किया जाता है तो इसे धारा 311 के विद्युत नहीं माना जाएगा।

6 समझौते की गतीया या सेवा की गतीया के अनुसर सेवा मुक्ति के मामलों में यह धारा लागू नहीं होगी।

7 पद ही समाप्ति एवं अस्थायी अधिकारियों को हटाना भी अमीदियानिक नहीं है क्योंकि ऐसा अधिकारी की नियुक्ति स पहले ही तत्त्वम्बन्धी समझौता का निया गया था।

8 परिवीक्षाधीन को परिवीक्षा बात में हटाना या पदच्युत करना अमीदियानिक नहीं है।

9 विभागीय जीव के ममय किसी अधिकारी को निलम्बित करना अमीदियी कार्य है जिसे दण्ड नहीं बहा जा सकता और इसलिए यह 'कारण बाप्तों' का अवसर देने की आवश्यकता नहीं होती।

सोक्षेदार्यों के आचरण और अनुग्रासन पर प्रशासनिक सुपार आपोग की मिशनिंग

(A R C Recommendations on Public Service Conduct and Discipline)

इस अस्त्रय में प्रशासनिक सुपार आपोग की सुख्य रिपोर्टें प्रष्ट-रितिन हैं—

1. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को पद प्रहृण करने से पूर्व एक शपथ-न्यून हर हस्ताक्षर करने चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में हटाल नहीं करेगा। आवश्यक हेतु सम्बन्धी अधिनियम, 1968 द्वारा देश सरकार को वह शक्ति दी गई है कि आवश्यक सेवाओं में हटाल पर प्रतिबंध लगा दे और प्रतिबंधित हटालों में भाग लेने वालों को दण्डित करे।

2. एक बानुन दारित करके सरकारी कार्यालयों में ऐसे प्रदर्शनों को अपनाए औपेपित किया जाना चाहिए जो अधिकारी और जानिपूर्ण कार्य में बाधा पहुँचाके हैं तथा इसके लिए दण्ड भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

3. यदि विभागीय जांच का काम अधिक हो तो एक विभाग में इसके लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्ति भी जानी चाहिए जो अनुग्रासनात्मक वर्षें बाहिरों के सचालत में पूरी तरह प्रशिक्षित हो।

4. अनुग्रासनात्मक जांचकर्ता अधिकारी को गवाहों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, अभिलेख उपस्थित कराने आदि की शक्तियों होनी चाहिए।

5. पदोन्नति रोकने को दण्ड सूची से निकाल दिया जाए।

6. न्यायालय में विचाराधीन मामलों से सम्बन्धित कर्मचारियों के अलावा अन्य किसी कर्मचारी को तीन माह से अधिक नियमित न किया जाए।

7. विभिन्न प्रकार के अनुग्रासन सम्बन्धी मामलों के शोध निवाले के लिए नियम बनाए जाएं।

8. सभी परिवीक्षा अधिकारियों को कर्त्तव्यों की प्रवहेषना करने पर घरने अधीनस्थों को नियमित करने की शक्ति भी जानी चाहिए। इस अधिन की पुनरीक्षा अगले उच्च अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

9. पदच्युति, पद से हटाना और पदच्युत करना जैसे गम्भीर दण्ड के आदेनों के सम्बन्ध में अनुनुम अधीनीय अधिकारों के रूप में कार्य करने के लिए लोकसेवा न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए।

10. केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर अन्य-व्यवस्था का विवरण भी स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक न्यायाधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उतने ही योग्य अन्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। इसमें एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी प्रशासनिक अनुबंध से मुक्त जनता का अधिन भी होना चाहिए। बेंगलुरु तथा राज्यस्तरीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और गम्भीर गवर्नर न्यायालय प्रशासन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर नियुक्त हिए जाने चाहिए।

11. गम्भीर दण्ड पान वाले व्यक्ति को वहें विभागीय प्राधिकारी से धरोत्त का अधिकार हो तथा न्यायाधिकरण का दोषाधारण तथा दण्डों के सम्बन्ध में धरोत्त में गुनने का अधिकार हो। न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद दण्ड नियरिण के बारे में लोकसेवा धायोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं रहे।

### संयुक्तराज्य में अनुशासन, पदमुक्ति एवं अपीलें (Discipline Removal and Appeals in U. S. A.)

संयुक्तराज्य अमेरिका में यह राज्य कर्मचारियों द्वारा उनके कर्तव्यों की अवहेलना की जाए तो सूचीन नियन्त्रित दण्ड देने की व्यवस्था की गई है—

1. फ़िड्डो देना या बेनावनी देना—यह सम्भवतः सबसे कम गम्भीर दण्ड है। जो मामले अत्यत गम्भीर हो सकते हैं उनको बेनावनी या फ़िड्डिंग देकर पहने ही सम्भाल लिया जाता है। अनौपचारिक मौतिह किड्की के समय अधिकारी वा व्यक्तिगत सम्पर्क एक रचनात्मक एवं समारात्मक प्रभाव छोड़ता है।

2. कम बांधित कर्तव्य सौंपना—यह भी अपेक्षाकृत हल्का ही दण्ड है। पुलिस वाले शेवीय कार्यकर्त्ता एवं विभिन्न स्थानों पर काम करने वालों को इस प्रकार दण्डित किया जाता है। इसे एक ही व्यक्ति पर बार-बार लागू करने से भाव भी अपेक्षा हानियां प्रविष्ट होती हैं।

3. कार्य का कम मूल्यांकित करना—यह बुद्ध धर्मिक गम्भीर दण्ड है क्योंकि यह भावी पदोन्नति में बाधा छालता है। कर्तव्य की अवहेलना का तथा कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में निव दिया जाता है तथा सम्भावित पदावनि के समय उसका अद्यान रखा जाता है।

4. आधिक दण्ड—यह व्यवस्था पुनिग के अतिरिक्त अन्य विभागों से समाप्त प्राय हो गई है। कारण यह है कि आधिक दण्ड कर्मचारी के आधिकों एवं परिवारात्मकों परों दुखी करता है तथा यह नोक्सेगामों के सम्मान के भी विद्ध है।

5. बेतनहीन नियन्त्रित—यह दण्ड वा एक सामान्य तरीका है जिसमें कर्मचारी को बिना बेतन के नियन्त्रित कर दिया जाता है। नियन्त्रित वा बाल नियन्त्रित किया जाता है। अमेरिका में राज्य एवं स्थानीय स्तर के अनेक पदों पर यह समय प्राय तीस दिन का होता है।

6. पदावनति एवं बेतन से कटौती—इसमें कर्मचारी की भावित आदर घट जाती है और इसलिए यह दण्ड उसके पूरे कार्यहाल तक जारी रहता है। इसके अतिरिक्त पदावनति के बाद भी यह कार्य, हो सकता है उसे अधिक प्रगति न हो। पदावनति कर्मचारी के अनोखत तथा उत्साह को तोड़ देनी है इसलिए सावधानी के साथ इसका प्रयोग किया जाता चाहिए।

7. पदमुक्ति या सेवा से हटाना सर्वाधिक बढ़ोर दण्ड है जिसके परिणाम-स्वरूप बेतन आय तथा स्वर भी हानि होती है बरन् पेन्जन के अधिकार भी गमाप्त हो जाते हैं। इस दण्ड की अधिक गम्भीर बनाने हुए सम्बन्धित कर्मचारी को एक नियन्त्रित समय तक प्रयत्न कर्मेण एवं तिए पुनर्नियुक्ति के प्रयोग ठहरा दिया जाता है।

पदमुक्ति वा धर्य एवं महत्व (Meaning and Significance of Removal)—पदमुक्ति वे विषय अनेक मुक्ताधारों में युक्त अधिकारी नोक्सेवारी भावीकर मेवाएँ हैं। इन भी अगलों एवं दुराचरण गरावक्षोरी, जोरी धार्दि वे तिए हिसी भी राजकर्मचारी को सेवा से बाहर किया जा सकता है। योगना

व्यवस्था वा प्रमाद बढ़ने के साथ ही यहाँ अधोग्र तथा अक्षम कर्मचारियों को हटाने की परम्पराएँ काफी प्रमादजाली बन गईं।

पदमुक्ति एक अत्यन्त अस्थिपूरण वर्सब्य है। प्रत्येक सगठन यह चाहता है कि उसके कर्मचारी व्यायामस्थव बने रहें। मानवता एवं मानवीय सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए यह कदम पर्याप्त सोच समझ कर उठाया जाता है।

पदमुक्ति का निर्णय कार्यपालिका द्वारा लिया जाता है। इस शक्ति का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार नियोक्ता अधिकारी, विभागीय सेवीवर्ग अधिकारी, विभागीय सेवीवर्ग मण्डल, विशेष अनुशासन व्यायामिकरण अध्यवा केन्द्रीय सेवीवर्ग अभिकरण द्वारा किया जाता है। अध्यवार में दृढ़ता एवं तुरन्त कार्यवाही वे निए अनुशासन की मत्ता एक ही अक्ति के हाथों में सौंधी जाती है। संयुक्तराज्य अमेरिका में अनुशासन सम्बन्धी भागलों द्वी नौलिक सत्ता विभागाध्यक्षों में निवास करती है।

पदमुक्ति की प्रक्रिया मह है कि सरकार द्वारा अधिम रूप से कर्मचारी को मूलना दी जाती है तथा लियित रूप में उसे वे कारण बना दिए जाते हैं जिनके आधार पर उसे हटाया जा रहा है। कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। पदमुक्ति का निर्णय धार्मिक, जातीय एवं राजनीतिक में भाव के कारण नहीं लिया जाना चाहिए। 1912 के अधिनियम (Lloyd Lafollette Act of 1912) के अनुसार सगठन में कार्यकुशलता बढ़ाने की सहित से पदमुक्ति के सम्बन्ध में असमानताएँ बरती जा सकती हैं। भूतपूर्व सेनिक कर्मचारियों द्वारा हटाने के लिए 30 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए और हटाने के कारणों का उल्लेख स्पष्टत दृष्टि विनाश से करना चाहिए।

**अपील करने की व्यवस्था (The System of Appeals)**—संयुक्तराज्य अमेरिका के अधिकारियों द्वारा द्वारा द्वारा यह सेवामुक्ति जैसे कठोर कदमों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया गया है। अपील मूलत बाली स्थित बहु-सदस्यीय होनी है। इसमें प्राय तीन सदस्य होते हैं जो कानून द्वारा स्थायी रूप में अध्यवा विभागाध्यक्ष द्वारा तदर्थं रूप से नियुक्त दिए जाते हैं। इसका एक सदस्य कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कुछ सेवाप्रभों में एक स्थायी मामान्य अपील समिति नियुक्त की जाती है। कभी-कभी अपील मण्डलों में जनता का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है। इसका सगठन चाहे कुछ भी रहा हो किम्बु इनकी वायं प्रशिया हमेशा व्यायालय जैसी औपचारिक न हांकर अनोयचारिक होती है। इनके परामर्श विभागाध्यक्ष के लिए बाध्यकारी न होकर परामर्शदाता प्रकृति के होते हैं।

सगठन जितना बड़ा होता है उसमें अपील व्यवस्था की उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ अपील व्यवस्थाएँ होने के साथ-नाथ अमेरिका में सोकसेवा धायोग को भी कुछ अपील सम्बन्धी अधिकार दिए गए हैं।

### चेट ब्रिटेन और फ्रांस की लोकसेवा ओर से अनुशासन (Discipline in British and French Public Services)

प्रत्येक ब्रिटिश गज कर्मचारी का वादिक प्रतिवेदन उसके विभागाध्यक्ष द्वारा तेजार किया जाता है। इस प्रतिवेदन में कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन होता है। कार्य की अवहेलना वरने वाले अवकाश दुराचरण के द्वारी कर्मचारियों को चेनावनी भी जाती है तथा भिरकियों द्वारा जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरे दण्ड प्रदान करके अनुशासन की स्थापना की जाती है। ब्रिटिश लोकसेवकों को दिए जाने वाले कुछ प्रमुख दण्ड ये हैं—वार्यिक देने वृद्धि रोक देना, कार्य से निलम्बित कर देना और मेव निहृति लाभों से बचन करके पद से हटा देना आदि।

अनुशासन अधिकारी का निश्चय सम्बन्धित अपराधों की गम्भीरता के प्राधार पर किया जाता है। छोटे-मोटे अपराधों के लिए कर्मचारी के निकटवर्ती उच्च अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। यह चेनावनी एवं निन्दा जैसे छोटे-मोटे दण्ड भी प्रदान कर सकता है। प्रभावित कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध गरीब इग्ने का भी अधिकार है। ब्रिटिश अनुशासन अवस्था के मध्य घे एक उल्लेखनीय नस्य यह है कि यहाँ पदापात या भेदभावपूर्ण अवहार के विरुद्ध शोषणात्मक तथा स्पष्टत परिमापित समुचित गुणाएँ नहीं हैं।

फ्रांस में राज्य कर्मचारी द्वारा कार्य की अवहेलना अथवा अनुचित समादान के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी जा सकती है। कभी-कभी यह कार्यवाही कर्मचारी द निवी जीवन सभी सम्बन्ध रखती है—कार्य करते समय निष्परित स्त्रीमाझो वा छान न रखना अथवा अपने अवहार से लोकमाझो को बढ़ाय दरना। फ्रांस में लोकसेवाया के सम्भावित अपराधों के अनुकूल ही सम्भावित दण्डों की अवस्था की गई है। इनमें कुछ उल्लेखनीय दण्ड ये हैं—चेनावनी, निन्दा, पदोन्तति की गूची ग स नाम हटा देना, अनाकर्यों और असचिपूर्ण स्वान पर निषुक्ति, वरिष्ठता भी समाप्ति, पदावनति, सेवानिवृत्ति अधिकारा सहित अपवा रहित पद मुक्ति।

दोनों कर्मचारी के विरुद्ध आगोप भी तेजारी निकटवर्ती उच्च अधिकारी द्वारा भी जाती है। अनुशासन सम्बन्धी सभी भाषणों वी मुनवाई विशेष रूप से निषित समुक्त कर्मचारी समझने के मध्यना में भी जाती है। यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही के समय विसी अधिकारी द्वारा शक्ति का दुष्कर्योग किया गया है अथवा इसी प्रक्रिया को दोडा गया है तो प्रभावित कर्मचारी सर्वोन्नत प्रशासनिक व्यावालयों में शपील बर सकता है।

### सेवा निवृत्ति साभ (The Retirement Benefits)

राज्य-कर्मचारियों द्वारा अपने जीवन की कार्यशील उम्र में पूरी कामता और शक्ति से साथ दायित्वों दा निवृहि किया जाता है। इसके दरसे सरकार द्वारा उनके

मरण-पोषण के लिए समुचित बैतन की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न यह है कि बृद्धावस्था में जब लोकसेवक कार्य करने में अक्षम होगा औथवा किसी दुर्घटना या लम्बी बीमारी के कारण वह अपनी मेवाते प्रदान नहीं कर सकेगा तो उसके भरण-पोषण की क्या व्यवस्था की जाएगी? इस प्रश्न के समाधान के लिए विभिन्न देशों में कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृत्ति लाभों की व्यवस्था की जाती है। उनकी पात्रा, समय और स्वस्पद विभिन्न देशों में विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग होता है। सेवा निवृत्ति की व्यवस्था योग्यता प्रणाली के प्रभाव का प्रतीक है तदनुसार शारीरिक द वौद्धिक क्षमता घटने के साथ ही बृद्ध राज्य-कर्मचारियों को मेवा से पृथक् किया जाना चाहिए। यह कार्य कर्मचारी को नौकरी से निकालना नहीं है बरन् यह नियमित मेवा में नियमित आवाग-प्राप्ति है।

### निवृत्ति के उद्देश्य

(Aims and Objects of Retirement System)

निवृत्ति एक निश्चित आयु सीमा के बाद आवश्यक बन जाती है, वर्तोंकि उम्र छलने के साथ ही कर्मचारी की कार्यक्षमता और नवीनता के प्रति उसकी अभिरुचि घटने समती है, उसका जीवन बहुत कुछ उदासीन, एकान्तप्रिय और चिन्ताशील बन जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को निवृत्त करना एक साध प्रयोग उद्देश्यों की पूर्ति का प्राधार बन जाता है। प्रो एल डी हाइट के व्यवानुसार, असंनिक कर्मचारियों के लिए निवृत्ति व्यवस्था मुख्य रूप से उन स्थी-पुरुषों के रोजगार को निलम्बित करने की गुविधा प्रदान करती है जिनकी शक्तियाँ उम्र के कारण घट गई हैं या जो अन्य कारणों से कार्य नहीं कर पाते। इन्हे अतीत में मेवाघों के लिए भत्ता दिया जाता है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों को लाभ दिया जाता है तथा प्रार्थिक सुरक्षा की भावना पैदा करके मेवाघों का मनोबल बढ़ाया जाता है।

### निवृत्ति के कुछ प्रमुख उद्देश्य ये हैं—

1 निवृत्ति के द्वारा बृद्धावस्था या शारीरिक श्रथवा मानविक कमज़ोरी के कारण अपने कार्यों का समुचित रूप से सम्पन्न करने में अक्षम कर्मचारियों को मेवा से बाहर किया जाता है और इस प्रकार लोकमेवाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि की जाती है। जले हुए बोयले इंजिन से निकाल दिए जाते हैं क्योंकि उनकी गर्भी भव इंजिन को गति नहीं दे पाती।

2 सेवा-निवृत्ति की व्यवस्था पदोन्नति के लिए आवश्यक है। बृद्ध जनों को मेवा-निवृत्ति किए जाने पर होने वाले रिक्त स्थानों पर संगठन के योग्य व्यक्तियों की पदोन्नति की जा सकती है। पदोन्नति के पर्याप्त यवसरों के कारण संगठन के कर्मचारियों में एक नया उत्साह द लगन जाग्रत होती है।

3 प्रत्येक संगठन नई समस्याओं और चुनौतियों का नामना करने के लिए नए इंटिकोए तथा तरीके अपनाएं जाने की आवश्या रखता है। इसके लिए नवीनता

विरोधी और हिंदिवादी इटिकोण में प्रभावित बृद्ध जनों को निवृत्त कर देना उपयोगी तथा आवश्यक है।

4 बृद्ध कर्मचारियों को निवृत्त दरके लोकसेवाओं में युवा और सक्षम व्यक्तियों के लिए जगह बनाई जा गहरी है। इसके कारण लोकसेवाओं में नष्ट रक्त और नवीन विचारों का प्रबोध हो पाना है।

5 सेवा-निवृत्ति के बाद पेशन की व्यवस्था से कर्मचारी सम्मुच्छ रहते हैं और इस प्रकार लोकसेवाओं में अनुभवी तथा सज्जम कर्मचारियों का बोने रहना सम्भव होता है। कर्मचारियों को पेशन व्यवस्था के कारण अपने भविष्य की अधिक चिना नहीं होनी इसलिए भ्रष्टाचार और रिश्वत पर रोक लगती है।

6 पेशन व्यवस्था व कारण प्रतिभागियों लोग लोकसेवाओं की ओर प्रार्थित होते हैं और इस प्रकार देश की विलक्षण प्रतिक्रिया से लोकसेवाएँ लाभान्वित हो पाती हैं।

7 राजद एक आदर्श नियोना है और इसनिए यह म्यायपूरण नहीं होगा कि जिन लोगों ने अपनी युवावस्था में पूरी स्वानिष्ठता और धनता में राज्य की सेवा की है उन्हें बृद्धावस्था में राज्य उन्हीं के भाग्य पर छोड़ दे। न्याय की ओर यह है कि बृद्धावस्था में राज्य को उनकी देखभाल करनी चाहिए।

8 सेवा निवृत्ति व्यवस्था लोकघरन के अदर्श्य को रोकने का एक गहरापूरण साधन है। बृद्धजनों व वतन के रूप में जिनका धन व्यवहार किया जाता है वहाँ में उनका कार्य ये नहीं कर पाते। दो बृद्ध कर्मचारियों द्वारा मुाशक्ल से इतना कार्य किया जाना है जिनका एक स्वस्य व्यक्ति घरकेता कर सकता है।

स्पष्ट है कि मानवना की इटिक से मुगठन की भलाई और व्यायंकुण्ठता के लिए तथा स्वयं व्यक्ति के भाराम और कल्याण के लिए प्रत्येक प्रशासनिक समृद्धि में सेवा-निवृत्ति लाभ की व्यवस्था आवश्यक और उपयोगी है।

### निवृत्ति की आय

#### (The Age of Retirement)

निवृत्ति अपवास अवकाश प्रहरण करने की आयु अलग-प्रत्यक्ष देशों में भिन्न-भिन्न है। इस आयु के निश्चय पर देश की जनवायु तथा जनता की झोलन आयु, इन दो बातों का प्रभाव पड़ता है। मध्यूत्तराञ्चल अमेरिका में यह आयु 65 से 70 के बीच, डिट्रिन में 60 से 65 के बीच तथा भारत में 55 से 60 के बीच है। प्रेट डिट्रिन में राज्यकर्मचारी 60 वर्ष का होने पर स्वेच्छा में अवकाश प्रहरण कर सकता है जिन्हें 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर अवकाश अनिवार्य है। डिनोप्र विश्वव्यूद के बाद यह व्यवस्था की गई है कि दिसो प्रकार की अपोपता होने पर 50 वर्ष में भी अवकाश प्रहरण किया जा सकता है।

भारत में सेवा-निवृत्ति के लिए आयु प्रयोगानुन बहु रक्ती गई है। कारण पट है कि यहाँ की उच्च सेवाओं में पहले पूरीप्रवासियों की सदा अविश्व थी तथा

वे यहाँ की जनवायु में शीघ्र ही थक जाते थे। इसी कारण वर्षीय कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्ति के लिए निर्धारित की गई।

अधिकारी-प्राप्ति की आयु सीमा के सम्बन्ध में दो विरोधी भत हैं। एक और जनता एवं कर्मचारियों की दृष्टि से अनुभवी और प्रशिक्षित मेंबीवर्ग की सेवाओं का सामने लड़ाने के लिए यह आयु सीमा अधिकारी-वर्ग के लिए रक्षी जानी चाहिए। इसके विरोद्ध नवागतुक कर्मचारियों के अनुसार ऐसा करने से पदोन्नति के अद्यत छट जाएंगे तथा नए लोगों को सेवा में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकेगा।

### सेवा निवृत्ति सामने आवित्य एवं उपयोगिता

#### (Justification and Significance of Retirement Benefits)

प्राय सभी देशों में दृढ़वस्था के कारण सेवा-निवृत्ति हुए लोगों के भरण-पोगण के लिए व्यवस्था की जाती है। उनको या तो मासिक पेशन दी जाती है अथवा एक ही वार में भविध निधि (Provident Fund) का मुगलान दिया जाता है। अधिकारी-प्राप्ति के समय यदि व्यवस्था न की जाए तो दसवें दो परिणाम हो सकते हैं—(क) कर्मचारियों को आजीवन वार्ष्य पर रक्षा होगा जिसके कारण बृद्ध तथा अक्षम कार्यकर्ताओं की भरमार हो जाएगी, अथवा (ख) अनेक भूत्यर्थ कर्मचारी वटीगत वर्ग की सांति निरावृत्य होकर कष्ट कर जीवन ध्यतीन करेंगे। दोनों स्थितियों प्रशासनिक कार्यक्रमनाला एद मानवीय दृष्टि से गलत है अतः सेवा-निवृत्ति काल में सरकार दी ओर में आधिक सहयोग का प्रावधान आवित्यपूर्ण है।

इस आवित्य के सम्बन्ध में मुहूर्मत चार निदान प्रचलित हैं—(i) यह बृद्ध कर्मचारियों के प्रति सरकार की उदारता का प्रतीक है, (ii) यह कर्मचारी के प्रत्येक कार्य का पुरस्कार है, (iii) यह सामाजिक स्थान की एक योजना है, (iv) यह कर्मचारियों का ऐसा हृद्या वेनन है जिसके बे अधिकारी हैं। य चारों निदान प्रवर्ण-अवगत समय की गतीयतिक विचारधारा के परिणाम है। इनम से किसी वो योग्य सत्य अथवा पूर्ण सत्य नहीं इहा जा सकता। विभिन्न देशों में वहाँ के संविधान तथा कानून द्वारा अनग-प्रलग व्यवस्थाएँ की गई हैं। सभी के पेनन सम्बन्धी नियम मी अलग अन्य हैं। कुछ देशों में पेनन सम्बन्धी नियम कानूनबद्ध हैं तथा न्याय-पालिका द्वारा उनको लागू किया जाता है।

### निवृत्ति सामने आवित्य एवं भविध निधि

#### (Two forms of Retirement Benefits—Pension and Provident Fund)

एक निर्धारित उम्र पर निवृत्त होने वाले कर्मचारी को मोटे हृप से दो प्रशार की सुधाराएँ प्रदान की जाती हैं—पेनन तथा भविध निधि। पेनन निवृत्त कर्मचारी को मासिक या वार्षिक हृप से प्राजीवन दी जाती है। बाही-बाही यह कर्मचारी के मरणोपरान्त भी उसके आधिको को प्रदान की जाती है। भविध निधि का मुनाफा

एक ही बार में किया जाना है। इस रागि में कर्मचारी के देनन से काटी गई रागि भी शामिल होनी है।

निवृत्ति लाभ के इन दोनों रूपों की तुलनात्मक उपयोगिना का विवेचन किया जा सकता है। येशन की व्यवस्था का लाभ यह है कि इसका मुगलान जीवनपर्यन्त मिलना रहता है। सरकार की इट्ट में भी यह व्यवस्था उपयोगी है क्योंकि उसे घोड़ी-घोड़ी रागि प्रतिमाह देनी पड़ती है। इसके अनिरिक्त येशन व्यवस्था में सरकार कर्मचारी पर समुचित नियन्त्रण रख पाती है। येशन कर्मचारी के निया अरेभाइन अधिक आधिक मुरुगा का प्रतीक है क्योंकि उसकी यूननम आवश्यकताएँ नियमित रूप में जीवनपर्यन्त पूरी होनी रहेगी। इसमें किसी प्रकार को हानि या कठिनाई की आगवा नहीं रहती। भविष्य निधि के रूप में ग्राप्त होने वाली एक दर्दी रक्षम को मुरादित रखने तथा लाभ पर लगाने की पश्चीमी चिन्ता बनी रहती है। अमावस्यानी या किन्तु अब्दी के बारात कई कमी यह रागि भी द्वंद्व समाप्त हो जाती है तथा कर्मचारी और उसके परिवार का जोग जीवन परेशानी से बचनी होता है, उस येशन व्यवस्था अधिक उपयोगी मानी जाती है।

भविष्य निधि का लाभ यह है कि इसके रूप में एक बड़ी रागि एक ही बार में ग्राप्त हो जाती है किसी सदायना से निवृत्ति कर्मचारी कोई नया उत्तम या अवश्यक प्रारम्भ पर सहना है जो उसके तथा उसके परिवार को मुश्हमाली का द्वन्द्व बन जाता। भविष्य निधि का ग्राप्त दोनों नियमित प्राप्त होता है जबकि येशन मजर्न होनी है तथा किसी भी शर्त के पूरा न होने पर इसका मुगलान लटाई में पड़ जाता है। येशन के अनेक उन्में हुए मामले कर्मचारी की मृत्यु तक भी नहीं मृत्यु दाने और अनेक उन्में हुए मामले कर्मचारी की गठरों को मन में बौध ही रखना है नियामना पड़ जाता है। येशन की व्यवस्था उस कर्मचारी के स्वजनों के लिये हानिवारक होनी है किसी निवृत्ति के बुद्ध समय पहन प्रपत्रा तुलन बाद मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में भविष्य निधि का परिवारजना को मुगलान किया जाता है। भविष्य निधि की व्यवस्था में कर्मचारी आवश्यकता के समय जब आहे तभी निवृत्ति पा सकता है, किन्तु येशन व्यवस्था में ग्राम का भूत उस अधिक समय तक मेवा भ बनाए रखता है। येशन मध्ये नथा अच्छी मेवा का पुरस्कार है इसकी विश्व हातर कर्मचारी अधिकतम बाल तक मेवा में बते रहता चाहता है। भविष्य निधि की व्यवस्था में कर्मचारी स्वनन्तरा और आम समझान के माय जाएं करता है तथा उस उच्च प्रधिकारियों के प्रतावश्यक आनंद में नहीं रहता पहता।

सच्च है कि येशन एवं भविष्य निधि दोनों व्यवस्थाओं के अन्ते अपने लाभ तथा हानिर्दी है। उस आवश्यक निवृत्ति लाभ के स्वरूप विधित निधि का विधान दिया जाता है, तदनुसार येशन का एह माय भविष्य निधि में जया बरा दिया जाता है तथा उसका मुगलान मृत्यु प्रपत्रा निवृत्ति के समय एह मुत्त कर दिया जाता है। इनी प्रकार भविष्य निधि को रागि बापिह दान के स्वरूप परिवर्तित कर दी जाती है तथा कर्मचारी को घोड़ी-घोड़ी रागि का मुगलान नियमित रूप में होता रहता है।

निवृति लाभ के दोनों हथों की उपयोगिता का तुलनात्मक विवेचन करने के बाद हम इन दोनों के स्वरूप के बारे में कुछ प्रधिक विवार में विवेचन करेंगे।

**1 पेंशन व्यवस्था (The Pension System)**—पेंशन प्रणाली (Contributory) तथा गैर-प्रशिक्षणीयी दोनों प्रकार की होती है। प्रशिक्षणीयी पेंशन में सरकार तथा कर्मचारी दोनों का अनुदान होता है जबकि प्रशिक्षणीयी पेंशन में सरकार दी जाती है। यह व्यवस्था कर्मचारी के आत्मसम्मान के अनुकूल है तथा उसमें अपनेगत तथा अधिकार की भावना भी जागत बरती है। इन व्यवस्था में कर्मचारी कुछ करने का अधिकारी भी बन जाता है।

पेंशन प्रदान करने की परिस्थितियों के अनुमार इसे मामाल्य तथा प्रभावात्मक दो हृषा में विभाजित किया जा सकता है—(i) बृद्धव्यवस्था पेंशन—यह उम कर्मचारी को दी जाती है जो एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद (जैसे 58 या 60 वर्ष) सेवा-निवृत्ति किया गया हो, (ii) अवकाश पेंशन—यह उस कर्मचारी को दी जाती है जो इच्छा प्रकट बरता है। इस समय तक बास बरने के बाद स्वयं ही निवृत्त होने की इच्छा प्रकट बरता है। इस समय की भीमा 30 वर्ष या 25 वर्ष या इन्हें कुछ ही सकारी है, (iii). महानुभूति पेंशन—यह उस कर्मचारी को दी जाती है जो शारीरिक या मानविक अवसर्वता के कारण काम करने में अव्योग्य हो जाता है, (iv) शनियूनि पेंशन—यह उम कर्मचारी को प्रदान की जाती है जियका पद गमाप्त किया जा चुका है किन्तु उसके बाद वापस पद दिया नहीं जा सका है, (v) मदस्पदा पेंशन—यह उम कर्मचारी को दी जाती है जो दुरुचार या अकार्यकुशलता के कारण सेवा-निवृत्ति किया गया है किन्तु महानुभूतिवश जिसे पोर्णवृत्ति प्रदान की जाती है।

प्रभावात्मक पेंशन ऐसे कर्मचारी को दी जाती है जो अचानक ही मृत्यु का घ्रात बन गया हो। इसका लक्ष्य कर्मचारी की विधवा पत्नी एवं बच्चों का पासन-पोशण बरता होता है। यदि मृत कर्मचारी के माना-पिना देस्तारा रह जाएं तो उन्हें भी इस प्रकार की पेंशन उपलब्ध कराई जाती है।

वैधानिक रूप से कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। सरकार द्वारा पेंशन को कभी भी रोका जा सकता है। जब भी सरकार यह अनुभव बते कि सम्बन्धित कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में माय सेत लगा है या उसने विदेशी मानविकता प्राप्त कर ली है या वह सरकार के सम्बान्दित तथा हितों को हार्नि पहुंचा रहा है या कर्मचारी अपराध एवं दुरुचार का दोषी पाया गया है तो सरकार द्वारा उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। येट बिटेन में ऐसे विवादों का भवित्व निर्णय बरन की शक्ति वही के राजबोय को प्राप्त है।

स्पष्ट है कि पेंशन की मौजूद न संचारी द्वारा अधिकार रूप में नहीं की जाती बरन् यह राज्य द्वारा सशर्त रूप में प्रदान की जाती है। इसकी मुख्य गतें ये हैं—

(i) यह तभी प्रदान की जाती है जबकि सम्बन्धित कर्मचारी का रायं पूर्णतः सन्तोषदानक रहा हो;

- (ii) अमन्त्रोदाजनक कार्य होने पर पेन्जन की राशि में सरकार द्वारा इच्छानुकूल नभी की जा सकती है,
- (iii) सम्बन्धित कर्मचारी की नियुक्ति नियमानुसार की गई हो तथा वह नियमित कर्मचारी रहा हो;
- (iv) कर्मचारी राज्य का पूर्ण-चारी (Full time) कार्यकर्ता रहा हो,
- (v) कर्मचारी का वेतन पूर्णत्व से सरकारी कोड से मिलता रहा हो,
- (vi) कर्मचारी ने कुछ न्यूनतम वर्षों तक राज्यसेवा की हो,
- (vii) कर्मचारी पेन्जन की उम्र तक पहुँच जुका हो अथवा उतनी उम्र तक न पहुँचा हो तो प्रान्तिक या शारीरिक इष्ट से कार्य करने मुश्यमर्थ हो।

पेन्जन के सम्बन्ध में कुछ मूलभूत प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका समाधान विभिन्न देशों में अनग प्रत्यग प्रकार से किया जाता है। ये निम्नलिखित हैं—

(ब) पेन्जन अधिकार के निए न्यूनतम सेवाकाल भारत में 58 वर्ष तथा 60 वर्ष है। इस उम्र वाले कर्मचारी भी तभी पेन्जन पाने के अधिकारी होते जबकि वे दस वर्षे तक राज्यसेवा में रह चुके हो। इससे कम अवधि में निवृत्त होने के बाद कर्मचारी जो सहायता राखी दी जाती है जो इयक वर्ष के एक माह के वेतन के बराबर होती है। यदि 58 या 60 वर्ष की उम्र पूरी होन से पहले ही कर्मचारी की 30 वर्ष की सेवा हो जाए तो वह पेन्जन के साथ अवकाश प्रहरण कर सकता है। 25 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर भी उसे आविष्क या प्रशासनिक आवश्यकता के कारण निवृत्त किया जा सकता है। यकार्यकुशल कर्मचारी भी प्रतिवार्ष रुप से निवृत्त किए जा सकते हैं।

(स) क्या प्रस्थाई सेवाकाल की घटाना जी जाए? सामान्यत वही प्राविकारी पेन्जन पाने का अधिकारी होता है जो स्थाई पद पर स्थाई रह कर सरकार से वेतन प्राप्त करते हुए निश्चिन कार्यकाल तक सेवा कर पुका हो। विशेष नियमों के अनुसार यदि प्रस्थायी कर्मचारी बाद में स्थाई हो जाए तो उसका प्रस्थाई सेवाकाल का आधों समय विहित रात में गिन लिया जाता है।

(ग) वेतन श्रम (Pay Scale) तथा पेन्जन का अनुपान क्या रखा जाए? इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशा पर 1 अप्रैल, 1950 से यह अवस्था की गई है कि सरकार के प्रत्येक वर्ष के द्विमत वेतन का 80वाँ भाग जोड़ा जाना है। 30 वर्ष या 25 वर्ष की सेवा कर नुक्ते वालों को द्विमत वेतन का प्रदान-बेन्चर पेन्जन के रूप में प्रतिमाह आजीवन मिलता रहता है। प्रब राज्य कर्मचारियों को मृत्यु एवं नियुक्ति सहायता तथा परिवार पेन्जन देने की भी अवस्था भी मई है।

(घ) यदि सेवाकाल में कर्मचारी का देहावस्था हो जाए तो उसे सहायता के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाती है जो उमरे उस समय के बेतन का अधिक 12 गुना भाग हो जाती है। यदि निवृत्त कर्मचारी की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाए तो जो राशि वह वेतन के रूप में ले जुका है, यदि वह अनिवार्य बर्ग के वेतन के बारह गुने से कम है तो यह राशि उसके परिवार वालों को दे दी जाएगी।

परिवार पेनशन वा नियम यह है कि यदि 25 वर्ष की सेवा के बाद किन्तु नियमित निवृत्ति से पूर्व वर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को पौँछ वर्ष तक उसे दी जाने वाली पेनशन का प्रदान ग्राहन होता रहता है। पारिवारिक पेनशन किसी स्थिति में 150 हपए मासिक से अधिक नहीं होती।

## 2 भविष्यनिधि योजनाएँ (Prudent Fund Schemes) — नियुक्त

राज्य कर्मचारियों के लिए पेनशन के अतिरिक्त वीमा अथवा भविष्य निधि जैसे नाम भी प्रशान लिए जाते हैं। ये पेनशन योजना से दो बातों में भिन्न हैं—(i) ये प्राप्त-प्रशानाधी होते हैं। सरकार तथा कर्मचारी दोनों ही प्रतिमाह आधा-आधा जमा कराते रहते हैं। वीमा योजनाएँ तो पूर्णत अशाधाधी होती हैं। इनका पूरा बन कर्मचारी की ओर से ही बटता है तथा सरकार द्वारा केवल इसकी व्यवस्था हेतु ही व्यय किया जाता है। (ii) ये नाभ निवृत्ति के बाद प्रतिमाह अदा नहीं किए जाने वरन् इनको एक ही बार में अदा कर दिया जाता है।

भारत में अप्रैल 1950 से राज्य कर्मचारियों के लिए वीमा योजना एवं भविष्य निधि योजनाएँ प्रारम्भ की गई। इस दिन तक जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष की हो चुकी थी उनको इन योजना के अन्तर्गत आने का विकल्प दिया गया किन्तु बाद में सेवा में आने वालों को आवश्यक रूप से इसे अपनाने को कहा गया। यहाँ तीन वर्ग के कर्मचारी मुख्य रूप से इस योजना के अन्तर्गत आते हैं—(क) रेलवे कर्मचारी जिनके लिए पेनशन वी व्यवस्था नहीं की गई है, (ख) वितेपत्र जिनके अनुबन्धीय रूप से पांच अथवा अधिक वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, (ग) इसी किसी विभाग के प्रस्थाई कर्मचारी, जैसे केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय विभाग, टक्काल घर, डाक-तार के भारताने, युद्ध सामर्थी बनाने वाले भारतानों के कर्मचारी आदि।

जहाँ तक रेलवे कर्मचारियों का प्रश्न है उनमें सभी स्थायी कर्मचारियों वे लिए भविष्य निधि योजना में शामिल होना जरूरी है। तीन वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने वाले कर्मचारियों के लिए तथा चतुर्थ थर्णी के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना यैक्सिक है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी के बेतन का बारहवाँ मास अशानन के रूप में बटता है, सरकार भी उतनी ही रकम इसके साथ जोड़ देती है जिन कर्मचारियों का सेवाकाल 15 वर्ष से अधिक हो जाता है उनको प्रत्येक वर्ष के निया आध बेतन के हिसाब सहायता घन प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा यह है कि इस प्रकार दी जाने वाली राशि या तो कुल 15 महीने के बेतन के योग के बराबर हो पा 25 हजार हपए की अधिकतम राशि हो। इन दोनों में जो राशि कम होती है वही देय मानी जाती है।

अनुबन्धीय विशेषज्ञों की सेवा के लिए भविष्य निधि योजना में बेतन का अनुबन्ध 5% तथा अधिकतम 10% अशानन के रूप में बटता है। सरकार द्वारा भी उन्होंना ही भज जोड़ा जाता है तथा सार्वजनिक उद्देशों पर दिए जाने वाले व्याज भी दर से उम रकम पर व्याज भी जोड़ा जाता है।

प्रस्थाई कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की योजना के अन्तर्गत अशानन की राशि एवं सरकारी अनुदान भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है।

# कर्मचारी संगठन एवं प्रतिनिधित्व, स्टाफ परिषदें, सेवा विवाद, इंग्लैण्ड में विहटलेवाद, . हड़ताल का अधिकार तथा नागरिक सेवकों के राजनीतिक अधिकार

(Employees Organisation and Representation, Staff Councils, Service Disputes, Whitlayism in England, Right to Strike and Political Rights of Civil Servants)

11

कानून मार्गमें ने प्रानुभाग कर्मचारी एवं नियुक्तिरक्ती के हित परस्पर मिलन एवं एक-दूसरे के विरोधी होने हैं। सगठन चाहे व्यक्तिगत हो अथवा सार्वजनिक, दोनों में नियुक्तिरक्ती मुद्दन यह चाहना है कि वह कर्मचारियों के बेनक, मनोरजन, कल्याण, निवास-स्थान वादबों की गिरावंश की बातों पर क्या से क्या व्यवहार के प्रविक्षण से अधिक लाभ प्राप्त करें। सगठन के प्रत्येक सुधार और प्रतियोगी संस्थान-योग प्रयोग एवं बायं-मत्वालन के नियमों के पीछे मूल उद्देश्य यह रहना है कि सगठन से अधिक लाभ किम तरह प्राप्त किए जा सके और प्रगत्यानन को कैसे मान बनाया जा गके। नियुक्तिरक्ती घपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावशील और अधिक सफल होता है क्योंकि उससे हावे में आविक जागित्यां होती हैं तथा वह (सोक प्रगत्यानन में तो) राजनीतिक शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। दूसरी ओर कर्मचारी प्रवेत्ताहृत कमबोर स्थिति म होता है। प्रत्येक उनसे हिन और लक्ष्य नियुक्तिरक्ती से मिलन एवं विपरीत होते हैं, तथापि वह इन्हें प्राप्त करने के लिए उनकी शक्ति एवं दाव्यता का प्रयोग करने म प्रसंगर्थ रहता है। कर्मचारी वर्ग का मुख्य आकर्षण बेनक की मात्रा और मेवा से मिलने वाला सामाजिक सम्मान, आप गौरव एवं सम्म बल्यालकारी उपादान हैं। वह इन सबको प्रविक्षण से प्रविक्षण मात्रा में प्राप्त करना चाहता है। नियुक्तिरक्ती और कर्मचारी वर्ग के द्वान विरोधी हितों से बीज सम्बन्धन स्थापित करने के लिए कर्मचारियों का सप्त और स्वानंत्र्य का निर्माण करना होता है।

'संगठन म शक्ति है' यदि सभी कर्मचारी मिलकर सभी अधिकारी सहस्रा के हप में समर्थित हो जाएं तो नियुक्तकर्ता उनकी माँगों को ढूकराने तथा उनके हिसों की अबहेनना करने वा साहम नहीं कर सकता। कालं मावर्मं ने बताया था कि मध्यदूर उस समय तक पर्याप्त एव सलोकजनक मजदूरी नहीं पा गवते जब तक कि वे मगठित होकर अपनी माँगे प्रस्तुत न करें और पूँजीपति नियुक्तिकर्ता को चुपोड़ी देकर उन्हे स्वीकार करने के लिए बाध्य न करें। यही बात न्यूनतम रूप में सरकारी क्षेत्रों म पाई जानी है। वाल्टर शार्प (Walter Sharp) के अनुसार "हर जगह सरकारी कर्मचारियों का यह भनुभव रहा है कि उनके भौतिक स्तर की उन्नति के लिए प्रारम्भिक शक्ति के हप में मगठित दबाव होना चाहिए।"<sup>1</sup> संगठन के मूल में प्राय अधिक वेतन प्राप्ति की इच्छा निहित रहती है। पिगर्स तथा मेर्यर्स (Pigors and Mayers) के अनुसार 'एक कर्मचारी सघ का सदस्य इमलिए बनना' चाहता है किंतु वह यह समझता है कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को अपेक्षे अचले वी अपेक्षा सघ का सदस्य बनने से अधिक सम्झोदय मिलेगा।<sup>2</sup> संगठन के प्रबन्धकों को सघ की रचना को अपनी प्रमाणिता एव अप्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं समझता चाहिए बल्कि उसे रचनात्मक सम्बन्धों के विकास के लिए पहले करनी चाहिए। वर्तमान समय में कर्मचारियों वे बढ़ते हुए सघों एव संस्थाओं की पृष्ठभूमि में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि सेवीवर्ग अधिकारी इनको सहन परें, सकारात्मक रूप से प्रोत्साहन प्रदान करें तथा सरकार एव सेवाओं के बीच पच्चे सम्बन्ध कायम करने वे लिए उनका मदुरयोग वरें। कर्मचारियों वे सघ एव संघ संस्थाएं यद्यपि सेवीवर्ग प्रबन्ध का एक आवश्यक अंग नहीं हैं, किन्तु इनका कर्मचारियों के दृष्टिकोण एव मनोवेत वर गहरा प्रभाव पड़ता है जिसका उत्तरधन कर कोई भी योग्य सेवीवर्ग अधिकारी संगठन को धक्का पहुँचाने वी गनती नहीं करता चाहेगा।

### कर्मचारी संगठनों का लक्ष्य

(The Purpose of Employees Organisations)

प्रशासन को नियन्त्रण रखने के लिए सरकारी सेवकों को यह प्रधिकार नहीं दिया जाता कि वे कोई राजनीतिक दल बना सकें या किसी राजनीतिक दल म संचिय हप में भाग ले सकें। यद्यपि प्रशासन की ईमानदारी, एकरूपता, भावश्रियता आदि की दृष्टि से यह सीमा अत्यन्त आवश्यक है, पर भी एक नागरिक वे रूप में उनकी स्वतन्त्रताओं के विरुद्ध है। प्रजातन्त्रात्मक राज्यों वे सरकारी कर्मचारियों वी विचार अभिव्यक्ति एव सभ्यता बनाने वी स्वतन्त्रता वी ध्यावहारिक बनाने के लिए उन्हें यह अधिकार दिया जाता है कि व्यावसायिक, सौस्कृतिक, प्राविक प्रादि संघों के लिए वे मंध तथा मस्थाएं स्वाप्ति कर सकते हैं। ये मस्थाएं सामान्यन

1 Walter R. Sharp : The French Civil Services—Bureaucracy in Transition, p. 493

2 Pigors and Mayers : op. cit., pp. 42-43.

व्यापारिक सभ घटकस्थापन (Trade Union Legislation) के अन्तर्गत स्थापित होती है। ज्योंही किसी विभाग घटका सेवा में सभ का निर्माण किया जाता है त्योंही उसका लक्ष्य एवं विधान विभागाध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। प्रत्येक ऐसे सभ को सरकारी मान्यता प्राप्त होता आधारित है। भारतवर्ष में प्राप्त ममी सरकारी विभागों एवं निगमों के कर्मचारियों वो सभ बनाने का विविच्छार दिया जाता है किन्तु पुनित सेवा के कर्मचारियों को निर्वाचनुमार सभ बनाने के लिए अनुमति नहीं है। सरकारी कर्मचारी गढ़ों का निर्माण तथा उनकी सदस्यता यहाँ बरते समय एक डिपोजिटावादी एवं लक्षावहारिक इटिकोए अरना कर चलते हैं। हात वा बहना है कि “बभी-कभी कर्मचारी गढ़ म इमनिए सम्मिलित होते हैं कि वे अनुभव करते हैं कि प्रशूचित प्रबन्ध के विरुद्ध उनके हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार की मुरक्का अत्यन्त आवश्यक है।”<sup>1</sup> सरकारी मण्डनों के कर्मचारी जब सधों एवं सम्बाधों के सदस्य बनते हैं तो उनके द्वारा उनके कई लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। एक सभ द्वारा उनके सदस्यों को जो सेवाएँ प्रदान की जाती हैं वे मुक्ति निष्ठ हैं—

1. सधों एवं सम्बाधों के माध्यम से सरकारी कर्मचारी व्यवस्थारिका शाखा एवं प्रबन्ध के सम्मुख अपना इटिकोए प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक ऐसे विषय होते हैं जो बेबल पर्यवेक्षकों एवं विभागाध्यक्षों की शक्ति के बाहर होते हैं। उनकी मुलभाने के लिए उन्हें कर्मचारियों और उनके प्रतिनिविदों के साथ महत्वगं बरते चलता होता।

2. सभ घटका सम्बाधा एक प्रकार से कर्मचारी वा ही व्यापक व्यक्तिगत है। सध जो कुछ बरता है प्रयत्न करने की चेष्टा करता है वह सब कर्मचारी मे घनिष्ठ हा मे सम्बद्धित है। वास्तव म कर्मचारी और सम्बाधा के बीच एकल्पना (Identification) स्थापित हो जाती है और उनके प्रतिनिविदों के साथ महत्वगं बरते अनेक व्यक्तिगत दिना की साधना कर लेता है।

3. जब बभी सेवीजमें प्रबन्ध को एक विषय विशेष पर कर्मचारियों का मन जानने की आवश्यकता होती है तो वह उनके सभ या सम्बाधों से समर्थ स्थापित बरते एका करता है। सध घटका सम्बाधों के प्रभाव मे पर्यवेक्षका एवं उच्च अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया मन बस्तुत मन्दूरो वा मन नहीं होता।

4. इवेच्छा पर आधारित कर्मचारी-सम्बाधो द्वारा सदस्यों की स्थानांतर एवं सामाजिक महत्वाकांक्षाओं के प्रतिपन के बबवर प्रदान किए जाते हैं। ये भवमर बर्मचारी द्वो घटना एक जैना वार्ष बरते रहने पर प्राप्त नहीं हो पाते। कोई भी कर्मचारी घटने पद के दायित्वों को पूरा करने मात्र से ही मनुष्ट नहीं हो जाता, उपर्युक्त के कुछ अन्य पहलू भी होते हैं जिन्हे सम्मुष्ट बरता उसका बनाय है। मपा एक सम्बाधो का सदस्य बनते हैं बाई कर्मचारी म स्वाभिमान विभिन्न होता है तथा उनमें घटने वायं वे प्रति समीक्षा भी भावना जाइत होती है।

5. ये सगठन अपने सदस्यों में एकता और सहयोग की भविता प्रोत्साहित बरते हैं।

6. इन सगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार से याचिका व्यवस्था की रक्षा और प्रसार की जेष्ठा भी जाती है।

7. ये सगठन वर्मचारियों की वार्य की दशाएँ, स्तर और मौतिक कल्याण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयत्न करते हैं।

8. इनका उद्देश्य लोक प्रशासन के गुण में सुधार करना है।

उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राय सभी वर्मचारी सगठन प्रयत्नशील रहते हैं—एक सगठन किसी लक्ष्य को प्राप्तिकर्ता देना है और दूसरा किसी अन्य को। प्रायेक सगठन अपने उद्देश्य और लक्ष्यों का उल्लेख अपने गविधान में स्पष्ट कर देता है। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वर्मचारी सगठनों द्वारा प्रत्येक प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जानी हैं।

### वर्मचारी संघों या सगठनों के प्रकार (The Types of Employees Organisations)

वर्मचारी संस्थाओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम प्रकार की संस्थाएँ वे हैं जिनके सदस्य किसी वार्य के विशेषज्ञ होते हैं। इन संस्थाओं को व्यावसायिक संस्थाएँ (Professional Associations) कहा जाता है। दूसरी प्रकार की संस्थाओं को व्यापार-संघ (Trade Unions) कहा जाता है। जो सामान्य व्यापार-संघ वान्डोन का एक भाग है, जिनका जन्म 19वीं शताब्दी के समाजवाद तथा श्रोतृगिक शक्ति के प्रारम्भ से हुआ था। ये दोनों प्रकार की संस्थाएँ उद्देश्य एवं लक्ष्यों की इटिंग से कुछ भिन्नता रखती हैं, और इनके द्वारा सेवीवर्ग प्रशासन में भिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न की जानी हैं।

#### व्यावसायिक संघ (Professional Associations)

ये मध्य साक्षात् वर्मचारियों के वे सगठन हैं जिनके उद्देश्य एक ही व्यवसाय से सम्बद्धित होते हैं और अपने व्यवसाय की प्रगति के लिए मूलतात्री तथा अनुमति के आदान-प्रदान की इटिंग से परस्पर मिलते हैं। ऐसे संघ प्राय वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं—जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वकील आदि। इसके व्यतिरिक्त यह भान भी है कि सरकारी सेवा मान अपने-आप में एक व्यवसाय बन गई है। लोक प्रशासन के वार्यालापों ने विस्तार के साथ-साथ विशेषीकरण का रूप घनिष्ठ होता जा रहा है और प्रशासनीय वर्मचारी भी स्वयं व्यावसायिक संस्थाओं में मतिष्ठ करने लगे हैं। जिलाधीशों के सम्मेलन, सचिवों के सम्मेलन आदि इसमें उदाहरण हैं। डॉ ह्लाइट न व्यावसायिक सगठनों दो व्यावाहारिक मानते हुए कहा है कि “इन सगठनों द्वारा प्रत्येक वर्मचारी अपने ही ममुदाय का सदस्य बन जाता है। अपने भौतिक विस्तृत एवं विज्ञान समुदाय के साथ तादात्म्य (Identification) हो जाने से उसे अमन्त्रोप

मिलता है। उसकी जड़ समाज में गहरी जम जानी है और वह अकेला या एक पृथक् दबाई नहीं रहता।"

व्यावसायिक तत्त्वजीवी लघो के सदस्य समय-समय पर मिलते रहते हैं और अपने व्यवसाय से सम्बन्धित बातों पर विचार विनियम बरतते हैं। व्यक्तिगत जोधो से मामूलिक लाभ उठाया जाता है और विभागीय ज्ञान-पण्डित से बढ़ि होती है। ये सभ प्राय राजनीति में भाग नहीं लेते और सांविधानिक उपायों में विश्वास बरतते हैं। ये अपने उहेश्यों की प्राप्ति के लिए आवामक हथकर्षक भी नहीं अपनाते और ट्रेड यूनियनों द्वारा अपनाए जाते हैं। ये सभ तो एक प्रकार से विशेषज्ञ निवाय होते हैं जो आदरशकता के समय सरकार को उचित मन्त्रलाल और मुभाव दे सकते हैं।

इन व्यावसायिक संगठनों के लक्ष्य प्राय ये हैं—कर्मचारियों में सामूहिक चेतना और सहयोग जापन करना, कर्मचारियों का मनोवत्त ऊँचा उठाना, कर्मचारियों के लिए आवार-नहिना बनाना, सेवा दशाओं में सुधार के मुभाव देना, पारसारिक अनुभवों और विचारों के आदान-प्रदान के लिए मब प्रस्तुत करना, व्यवसाय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करना, व्यावसायिक अनुमन्यान बरतना, सेवा को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ बनाकर उसकी प्रतिष्ठा में व्यक्तिवृद्धि करना प्राप्ति। ही हाइट की मान्यता है कि 'व्यावसायिक संगठनों वे विकास से सरकारी सेवाओं की शेषता पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।'

### ट्रेड यूनियन (Trade Unions)

अब सभ अधिकारी ट्रेड यूनियन आधुनिक विकास के लिये योग्य देशों में मान्यता प्राप्त है और कुछ ऐसे नहीं। सरकार द्वारा ट्रेड यूनियनों को अक्ति प्रशासन की जानी है। वे प्राय व्यक्तिगत सम्बाधों से सम्बन्धित ट्रेड यूनियनों की अस्तित्व से बहुत बहुत ज्ञानी हैं। ट्रेड यूनियन अपनी मार्गे मनवाने के लिए हड्डाल को अनियम अस्त्र के रूप में प्रयोग म लाती हैं।

ट्रेड यूनियनों की मार्गे प्राप्त इस प्रकार की होती है—भर्ती का आधार केवल योग्यता हो, परों का बर्गीकरण उनमें सम्बन्धित बायों की प्रहृति के अनुसार हो, कर्मचारियों को उचित बैनल और भर्ता प्राप्त हो, अनुनय मूलि कानून पारित हिता जाए, सेवा अभिवेद (Service Record) विधिवत् नैयार रिपोर्ट जाए, गवा निवृति की योजनाएं बनाई जाएं, कायं की दशाओं में सुधार रिए जाएं, प्राप्ति। सर्वांग का भन है कि 'अधिकारी कुछ कर्मचारी यूनियनों के सदस्य इतिहा बनते हैं क्योंकि वे यह महसूल बरतते हैं कि अप्रदृढ़ प्रबन्ध (Unenlightened Management) के दिहद सरय ह दितों की रक्तों के निए हिन्दी प्रहार की ढोक एकता (Solidarity) अत्यावश्यक है।'

### कर्मचारी संगठनों की गतिविधियाँ

#### (The Activities of Employee's Organisations)

त्रिभुवन कर्मचारी संगठन अस्ति, असंघन और उपर्योगी, मार्गित बरने के लिए जो देश प्रकार की गतिविधियों सम्बन्ध बरतते हैं, वे मुख्यत निम्नलिखित हैं—

- 1 मामाजिक और मनोरजनात्मक गतिविधियाँ ।
- 2 सेवा और सहानुभूतिपूर्ण गतिविधियाँ ।
- 3 गैंगणिक एवं प्रचारात्मक गतिविधियाँ ।
- 4 प्रशासनिक धर्मिकारियों के नम्मुन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ।
- 5 व्यवस्थापिका के सम्मुख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ।

6 मामाजिक हृषि से समाचार-पत्र या पत्रिकाएँ प्रकाशित वर्तना जिनमें विभिन्न प्रकार की मूचनाएँ हो, जैसे कर्मचारियों के लिए हचिपूर्ण गरकारी विभासों का उल्लेख, कार्य की प्रशासनियों और तरीकों से सम्बन्धित मूचनात्मक लेख, सगठन की स्थिति और सदस्यों से सगठनों की भावना के विवास के लिए सम्पादकीय लेख, सदस्यों से सम्बन्धित गतिविधियाँ और समाजिक समाचार आदि ।

### भारत में कर्मचारी संघ (Employees' Organisations in India)

सबसे पहले 1897 में भारत और बर्मा के रेल कर्मचारियों ने एह संघ की स्थापना की थी और, होकिन बास्तविक हृषि में भारत में दर्मचारी संघों की स्थापना का इतिहास प्रथम महायुद्ध के बाद से भाना जाना चाहिए । 1922 में रेल कर्मचारियों और डाक-विभाग के कर्मचारियों ने अपने संघों की विधिवत् स्थापना की, जिन्हें अमर्त-रेल-वोर्ड और डाक-विभाग महानिदेशक ने भान्यता प्रदान कर दी । 1926 में भारतीय बापादार संघ कानून पारित हुआ जिसके द्वारा व्यापार संघों को कानूनी भान्यता दिली तथा उनके कार्य वैध समझे जाने लगे । इसके पश्चात् धीरे-धीरे व्यावसायिक संघों की स्थापा बढ़नी शाली गई और 1946 तक दर्मचारी संघ इतने प्रधिक हो गए तथा उनके कार्य रनापों को इनका महत्व दिया जाने लगा कि बेन्ट्रीय बैनर आयाग के प्रतिनेदन में बारह पृष्ठ कर्मचारी संघों के ही सम्बन्ध में थे । यद्यपि विभिन्न विभागों में कर्मचारी संघ सगठित हुए किन्तु प्रधिकौश सगठन पूर्ण और सूमन्वयित नहीं थे । उनके आधार मान नहीं थे और उनका प्रबाल क्षेत्र भी प्रबन्ध-प्रबल था । सहयोगी की इटिंग में स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय कर्मचारी सगठन काफी प्रचुर मात्रा में थे किन्तु सुमगठन, स्थिरता एवं दिया ज्यापार की इटिंग से केवल कुछ ही सगठन सन्मोयप्रद थे । सभी सगठनों को राज्य की समान मान्यता प्राप्त नहीं थी पौर सभी को सुरक्षा से सीधी बानी का धर्विकार नहीं था । स्वतन्त्र भारत के सदिधान में घारा 19 घारा कर्मचारियों के मध्य का कानूनी अव निर्धारित दिया गया । घारा 13 के बनाव (1) में इह गया है कि सभी नागरिकों को बोलने, अभिधक्ति, सस्था बनाने आदि का मौलिक धर्विकार है । इस घारा के बनाव (2) में यह उल्लेख है कि राज्य की सुरक्षा वे हित में राज्य इन परिवारों के प्रयोग पर बुद्धिगमन प्रतिबन्ध लगा देता है । सविधान की घारा 309 व्यवस्थापिका को यह प्रधिकार देती है कि वह लोक संवादों में नियुक्त हुए जोगों की नई और सेवा की शर्तों को नियमित कर सकती है । बास्तविक व्यवहार में

राज्य के हित में यह जरूरी है कि वर्मचारी ईमानदार, निष्पक्ष, कार्यकुशल, ग्रनुशासन-युत और ऐसे ही अन्य गुणों में पूर्ण हों। इसलिए राज्य द्वारा लोकसेवकों के शोनिहार प्रधिकारों पर उचित प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। ये उपयुक्त प्रतिबन्ध बना होंगे, इनका निषेध भी स्वयं सरकार ही करती है।

स्वतन्त्र भारत में केन्द्रीय और राज्यीय स्तरों पर बड़ी सह्या में वर्मचारी संघ और महामान अस्सित्व में आ गए हैं। वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के वर्मचारियों ने महत्वपूर्ण संगठन ये हैं—

- (1) प्रतिव्रत भारतीय रेल वर्मचारी संघ
- (2) प्रतिव्रत भारतीय प्रनिधान वर्मचारी संघ
- (3) डाक व तार वर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ
- (4) केन्द्रीय सचिवालय तथा मम्बद्द बायांलयों के वर्मचारियों का संघ

केन्द्रीय सरकार के वर्मचारी कुछ छोटे-मोटे अपवादों को छोड़कर, तीन। मुख्य बगों में विभाजित हैं—

- (क) गैर-प्रौद्योगिक (Non-Industrial) वर्मचारी बगं, जिसमें डाक व तार तथा नागरिक उड़ायन विभागों में कार्य करने वाले वर्मचारी और गौद्योगिक संस्थानों में 500/- दस्तऐ या इसमें अधिक वेतनभोगी राजपत्रिया या अन्य वर्मचारी सम्मिलित हैं।
- (ख) गौद्योगिक (Industrial) वर्मचारी बगं, जिसमें रेलवे के अलांगत ग्राने वाले वर्मचारियों को छोड़कर अन्य गौद्योगिक वर्मचारी सम्मिलित हैं।
- (द) गौद्योगिक तथा गैर-गौद्योगिक रेलवे वर्मचारी बगं।

संगठन अवयवा संघ निर्धारण तथा सेवा-शर्तों से मम्बनिधन मामलों के बारे में हड्डनाम घासित का सहारा लेने के वर्मचारियों के अधिकार के सम्बन्ध में भारत सरकार ने उपर्युक्त तीन बगों के लिए निम्नानुमार नियम बनाए हैं—

(1) गैर गौद्योगिक वर्मचारी बगं के लिए नियम—इस वर्मचारी बगं पर केन्द्रीय प्रबंधनिक सेवा (ग्रामाचार) नियम 1955 (Central Civil Service Conduct Rules, 1955) के उपरबन्ध लागू होते हैं, जो निम्नानुमार हैं—

1. कोई भी वर्मचारी सेवा-शर्तों से मम्बनिधन इसी भी मामले में न को हड्डनाम बरेगा और न ही ऐसे मामले के बारे में भागीदारिया इसी प्रदर्शन में भाग लेगा।

2. कोई भी वर्मचारी ऐसे संघ का सदस्य नहीं बनेगा, जो

(प्र) स्वायत्ता के छह माह के भीतर शामन की मान्यता प्राप्त नहीं कर सेता है।

(व) शामन द्वारा अपान्य घोषित बार दिया जाया है अथवा जिसकी मान्यता शामन ने बायक ले ली है।

3. कोई भी वर्मचारी अपने नाम अथवा इसी अन्य वे नाम से ऐसा विचार प्रवर्त नहीं बरेगा जिसमें केन्द्रीय या किसी ग्रामीय शामन की प्रचलित नीति अथवा बार्देशाही की अवहेलना होती हो।

4 बोई भी कर्मचारी, सरकार की अद्यता घन्य किसी ऐसी सता की पूर्वानुभवि वे बिना, जिसे सरकार ने अपने उत्तरकाशित्व पर यह अधिकार दे रखा हो, इसी भी प्रकार का चन्दा नहीं मिलेगा और न ही स्वीकार करेगा, अथवा विसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए घन एकत्र करने के कार्य से स्वयं को किसी रूप में सम्बद्ध नहीं रखेगा।

5 कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा-स्थितियों से सम्बन्धित किसी मामले में अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने वरिष्ठ प्रधिकारी पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव या अस्त्र बाहु प्रभाव नहीं डालेगा।

(II) ग्रोटोगिक कर्मचारी वर्ग के लिए नियम—इस वर्ग के कर्मचारियों पर अभी हात की व्यवस्था के अनुसार उपर्युक्त उपबंध और 1955 के उपर्युक्त नियमों के मुद्द घन्य उपचान्व लागू नहीं होने और नियम 6 (I) भी केवल इस प्रबन्धात्मक प्रावधान वे साथ लागू होता है कि इस वारा की कोई भी वात कर्मचारी की ऐसी किसी विश्वसनीय प्रभित्वात्ति पर लागू नहीं होगी जो सम्बन्धित अधिक संघ के कर्मजारियों की सेवा-शर्तों में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रगट की गई हो।

(III) ग्रोटोगिक तथा गैर-ग्रोटोगिक रेलवे कर्मचारी वर्ग के लिए नियम—इन कर्मचारी वर्ग का नियम रेलवे सेवा (ग्रामाचार) नियम 1956 (Railway Service Conduct Rules, 1956) द्वारा किया गया है। रेलवे कर्मचारी जहाँ ग्रामा-व संघों की सदस्यता, प्रदर्शनों, हड्डतालों आदि का आश्रय लेने के मामलों में ग्रोटोगिक कर्मचारी वर्ग जैसी स्थिति में हैं वहाँ अधिक संघों की बायंवाहियों के सम्बन्ध में उन पर कुछ प्रतिवर्ण लगे हैं।

भारत में कर्मचारी संघों को सरकारी मान्यता प्राप्त होने के लिए जो शर्तें हैं, उनका उल्लेख आये 'कर्मचारी संघ की प्रमुख ममस्था' शीर्षक के घन्तांन किया गया है। कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान करना या न करना सरकार वे विवेक (Discretion) पर निर्भर है।

विटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस में

कर्मचारी संगठनों का विकास

(Evolution of Employees' Organisations in  
Britain, U S A and France)

कर्मचारी संगठनों का विकास मुख्यतः ग्रोटोगीकरण की परिस्थितियों का परिणाम है। प्रारम्भ में इन संगठनों भी, संघों नी और वियोता सरकार द्वारा मदेह की रूपीत से देखा गया और इसीलिए इन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बनंतान में यह विरोध समाप्त ही चुना है तथा सरकार द्वारा न केवल उन्हें स्वीकार किया जाता है बरन् भवेक प्रवाह से उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। विभिन्न देशों में इन कर्मचारी संगठनों का विकास एक उत्तार-चढ़ाव की बहानी है।

येट ड्रिटेन ये सबसे पहले 1971 के ब्यापारिक सघ ग्रधिनियम (Trade Union Act, 1971) द्वारा कर्मचारी संगठनों को मान्यता प्राप्त हुई जिन्हें फिर भी बहुत नमम पतवा इन सभों द्वारा कोई विशेष वार्षिक समाप्तिन नहीं दिया गया। 19वीं शताब्दी के अन्त तक बहुत कम कर्मचारी संगठन बन पाए। केवल डाक तथा नाविक विभागों में कुछ संगठन थे जिन्हें प्रशासनिक और लिंगिक विभागों में इनका भ्रमण था। इस बाल के कर्मचारी संगठन प्रायः विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए जाते थे जैसा, 1846 में वेश्वरन व्यवस्था में मुख्यतः के नियम एवं सघ बनाया गया। जब इस समस्या पर विचार हेतु एक चयन समिति की नियुक्ति हो गई तो यह सघ समाप्त हो गया। 1906 में डाक सभों की सफलता से प्रभावित होकर दूसरे लोक मेवडों द्वारा भी कर्मचारी सहयोग की दिना भ महत्वपूर्ण वार्षिक प्रारम्भ हुए। 1906 म सिडनी व्हेस्टन ने यह घोषणा की कि मरकार कर्मचारी संगठनों को मान्यता देने की नीति अपना रही है इसके फलस्वरूप कर्मचारियों में बासी उत्साह की तहर दोड गई। अनेक नए संगठन बने और 1924 तक सामूहिक मौदेवाकी का तरीका मिदान रूप में सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया। यद्य प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रयत्नी समस्या अधिकारियों से बहने के स्थान पर सध वी प्रोटो से यह कार्य दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया ने आगे चर कर हिटले वाद को प्रोत्पादित किया।

मध्यूत्तराज्य अमेरिका में सामान्य जनना और शामन दोनों ने मध्यवाद का विरोध किया। पहले 1880 से पूर्व राष्ट्रीय गिरजाक सघ के अनावा कोई अन्य व्यावसायिक संस्था संगठित नहीं हो सकी। अगले 20 वर्षों में व्यावसायिक एवं सघ प्रकार के विभिन्न संगठन अस्तित्व में ग्राए। व्यावसायिक सभों की रचना दूसरे संगठनों की भाँति तीव्रता से होने लगी और इनके द्वारा प्रशासनिक व्यवहार के स्तर को मुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाने लगी। अमेरिका भ म सर्वप्रथम सरकारी सेवा सध डाक सेवा में प्रारम्भ हुई। इन्होंने कार्य की प्रत्यक्षीय दशाघो के विरुद्ध विरोध किया। अगले वर्षों में ये सरकारी संगठन डाक सेवाओं के मायनाय ऐन मेवडा और प्रन्य सेवा गो में भी संगठित होने लगे। प्रथम विश्वयुद्ध और 1930 की आर्थिक घन्डी के परिणामस्वरूप कर्मचारी संगठनों की प्रावश्यकता अधिक हो गई और सधीय स्तर पर National Federation of Federal Employees, American Federation of Govt Employees, National Customs Service Association आदि संगठित हो गए।

पीम में व्यावसायिक सभों का बहुत सार्वतंत्र प्रतिवन्धित रखा गया। वहाँ 19वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्वर्षीय में प्रशासनिक व्यवस्था अनेक दोषों के चक्रांतुरूप में उत्तम भी हुई थी। अनिविच्छिन्न कार्यकाल, भर्ती और वदोवति में राजनीतिक प्रभावात, प्रमाणन वार्षिक की छानों तथा वेनव वार्ता पद-वर्गोंवरेण लोक मेवडों के व्यक्तिगत, राजनीतिक और धार्मिक वार्षों पर जामूली आदि में लोक मेवडों पीडित थीं। 21 जार्च, 1884 के एष मान्यती लान (The Law of Association) गृहित हुआ जो अधिको एवं व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के सम्बे सधें वा परिणाम था।

इस कानून द्वारा कुछ सेवामो वो सघ बनाने की छप्ट मिल गई, फलतः अनेक सिण्डीकेट स्थापित हुए। इनके सुरक्षा को देखकर उच्च अधिकारियों ने भी अपने सघ स्थापित करना प्रारम्भ किया किंतु प्रशासन ने इन पर रोक लगा दी। 1887 में स्वप शिक्षा मंत्री ने प्रीफेक्ट को सम्बोधित अपने पत्र में इन सघों को स्पष्टता सार्वजनिक कार्यों के विहङ्ग बताया। सड़क नाफ करने वालों तथा नगरपालिका कर्मचारियों ने अपने सघ बनाए किन्तु प्रीफेक्ट द्वारा उन्हें रोक दिया गया। ऐसे कर्मचारियों और तम्बोदू तथा मार्विस फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को सघ बनाने का अधिकार दिया गया। 1894 में कर्मचारी सघों पर लगे सरकारी प्रनिवास में घोड़ी ढील दी गई अतः डाक-तार और टेलीफोन सेवामों में अनेक सघ मठित हुए। अध्यापकों तथा दूहरे कर्मचारियों ने भी अपने सघ बनाए। 1901 में सघ कानून दुरारा पारित किया गया। अब सघ बनाने वा अधिकार कुछ अपवादों के साथ सभी नागरिकों को दिया गया।

1906 और 1909 में फ्रैंस के डाक कर्मचारियों ने हड्डताल कर दी, फलतः कर्मचारियों के सघ के प्रति सरकार का रैष्टकोण कड़ा हो गया और द्वितीय महायुद्ध तक यही स्थिति बनी रही। चतुर्थ गणराज्य द्वारा राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सघ स्थापित करने का अधिकार मिल गया, इसके साथ कुछ सीमा तक उन्हें हड्डताल करने की ग्रन्तुमति भी प्राप्त हो गई। 1946 में कानून द्वारा नागरिकों के व्यावारिक नगठनों के रूप में बिना किसी सीमा के मठित होने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। यह अधिकार पुनः 1959 में मान्य किया गया। कर्मचारी मण्डन बनाने के लिए एकमात्र अपेक्षा देवल यह की जाती है कि सघ के नियमों और इसके अधिकारियों के नाम सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत किए जाएं।

फ्रैंस में यद्यपि व्यावायिक सघ आम्दोनन में अनेक विभाजन हैं, फिर भी नागरिक सेवकों के सब कार्यों शक्तिशाली हैं। वहाँ माझवादी दल, कंयोलिंग और समाजवादी दल द्वारा प्रभावित राष्ट्रीय व्यापार सघ क्रमशः C G T, C F T C तथा C G T, F O कायम हैं। इनके अन्तर्गत पृथक नागरिक सेवक सघ स्थापित हुए हैं। ये नागरिक सेवक सघ मन्त्रालयों तथा भौगोलिक क्षेत्रों दोनों आधारों पर संयुक्त किए गए हैं। एक बहुत ही प्रभावशाली कर्मचारी मण्डन प्राधिक मिशन के अध्यापकों वा सघ हैं जिसके अनेक सदस्य साम्पवादी हैं, फिर भी इस सघ का स्वतन्त्र अस्तित्व है।

### कर्मचारी संघों को प्रमुख समस्याएँ

(Main Problems of Employees' Associations)

प्रायः प्रत्येक देश में ग्राज़ कर्मचारी सघ काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। फिर भी ऐसी अनेक समस्याएँ हैं जो इनके सफल कार्य सञ्चालन में बाधा डालती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं—

क्या कर्मचारियों को संगठन बनाने का अधिकार देना उचित है? यदा सरकारी कर्मचारियों के सभ पर राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार दिया जाए? इन सभों का जीवन पर कितना प्रभाव है? हियुक्तिकर्त्ता और कर्मचारी के बीच विवादों को कैसे मुलभाया जाए? कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार दिया जाए यद्यपि नहीं दिया जाए? ये सभी समस्याएँ कर्मचारी सभों के बारे में पैदा होती हैं। इनके सम्बन्ध में विभिन्न देशों में विभिन्न नियम और व्यवस्थाएँ बनी हैं।

### (1) संगठित होने का अधिकार

(Right to Organise)

अप्रजातानिक शासन प्रणालियों में सरकारी कर्मचारियों को संगठन बनाने का बोई अधिकार नहीं दिया जाता था इन्तु ग्रजातानिक परम्पराओं के प्रसार के माय ही कर्मचारियों के संगठित होने के अधिकार को सामान्यन स्वीकार किया जाने लगा है। इस सम्बन्ध में मुख्य समस्या यह उठती है कि सरकारी कर्मचारियों पर सेवा में प्रवेश के बाद विशेष स्वामिभक्ति के दायित्व आ जाते हैं इसलिए प्रत्येक सज्जूरों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों की अनुमति उन्हें नहीं दी जा सकती। इनके अनियन्त्रित कानूनी रूप से राज्य पूर्णत सम्बद्ध है और इसलिए उपर्योग का विरुद्ध और आनंदारी, है। स्टाल के मनानुमार कर्मचारी संगठन की त्रियायों पर विशेष सीधाएँ स्पष्टित कर दी गई हैं और उन पर प्राय गमी जगह कुछ विशेष प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

प्रेट्रिटेन में लोकसेवायों को सभ बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता है इन्तु सरकार द्वारा प्राप्ता प्राप्ति करने के लिए सभों को कुछ जाते पूरी नहीं चाहिए। यहाँ पान मियन के अनुसार विटिग कर्मचारी संगठन बाहर की दृढ़ यूनियनों और राजनीतिक दलों में स्वयं को अनुग्रह रखते हैं। किर भी एक विभाग के कर्मचारियों का सभ मजदूर दन संघिण रूप से सम्बन्धित है। कर्मचारी संगठनों पर यह प्रतिबन्ध है कि वे प्राप्ती सामान्य नियम में से राजनीतिक प्रयोजन के लिए धन खर्च नहीं कर सकते।

संयुक्तराज्य अमेरिका में सभ कर्मचारियों को सभ बनाने का अधिकार है। इन पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे कर्मचारियों को सभ वे विरुद्ध हड़ताल वे लिए बाध्य न करें।

भारत में लोकसेवदों को संगठन बनाने और किसी भी संगठन का सदस्य बनाने का अधिकार है इन्तु वह सभ-राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यदि इसी संगठन दो प्रस्तुति में प्राप्त हो छ भी वे भी राज्य द्वारा मान्यता न दी जाए यद्यपि राज्य मान्यता देने से प्राप्त हो दें तो सो हसेवह ऐसे संगठन के सदस्य नहीं बन सकते। सरकार द्वारा किसी संगठन को मान्यता नहीं दी जाती है जबकि वह गे शर्त पूरी करता है—(८) बोई

गैर-सरकारी कर्मचारी उस संघ से सम्बन्धित न हो, (ब) संघ की वायंकारियों उसके सदस्यों में से ही नियुक्त की जाए, (ग) संघ के बीच कुछ सदस्यों के लाभार्थी ही मत्त्यान्तिक न किया जाए और (घ) संघ विसी राजनीतिक दल का प्रचार न करे और उसके पास कोई राजनीतिक निष्ठि न हो। संघ की मान्यता के बारे में सरकार के नियम निश्चय ही कठोर हैं। किसी द्वारा यह संघ को सदस्यता की अनुशासनात्मक अपराध माना जाता है।

## (2) सम्बद्धता का प्रश्न

### (The Question of Affiliation)

कर्मचारी संगठनों की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि इन्हे गैर-सरकारी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित रहना चाहिए या नहीं। इसके विरोधियों का लक्षण यह है कि ऐसी सम्बद्धता से प्रशासन में विरोध पूँजने की आज़का रहेगी और ये सरकारी व्यक्ति अपना संस्थाओं द्वारा सरकारी मत्ता का प्राप्तने पक्ष में प्रयोग करने की सम्भावना बढ़ जाएगी। विरोधी दल के नेताओं का प्रभाव बढ़ने से सरकार वे प्रति कर्मचारियों की निष्ठा घट जाएगी और राजनीति के इलादल में लोड़ प्रशासन की एक हपता और जनहित की छिन्न-भिन्न मावना हो जाएगी। यही सोच कर कर्मचारी संगठनों और संस्थाओं को राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से अलग रखने का समर्थन किया जाता है। दूसरी ओर इस हस्तक्षेप के समर्यादों का बहना है कि गैर-सरकारी संस्थाओं और राजनीतिक दलों के प्रभाव से ही कर्मचारियों के संगठन दबाव समूह के हृदय में सरकारी कालों और नीतियों वो प्रभावित दर पाते हैं और अपने सद्य प्राप्ति में सफल होते हैं। कर्मचारी संगठनों का प्रभाव तभी हो पाता है जबकि इनके पीछे राजनीतिक फ़ाक्त हो और वे विरोधी प्रथेवा तत्त्वावारी दल से सम्बद्ध हो।

म्युक्टरारेंड अमेरिका में लाइड ला पालेट अधिनियम (Loyd La Pallet Act) द्वारा कर्मचारी संगठनों की सम्बद्धता का प्रधिकार व्योपक बना दिया गया है जिसने आलोचकों द्वारा इस अनुचित बना कर राखने की बात बही जाती है। येट इंटेन में 1927 के ट्रेड यूनियन कानून द्वारा सम्बद्धता पर रोक लगाई गई किर भी 1946 में वही अनेक कर्मचारी संगठन ट्रेड यूनियन कंफ्रेंस से सम्बद्ध हो गए।

मारन में सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों वी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध न होने के कारण सम्बद्धता की राज्य की मान्यता नहीं है बिन्दु किर भी कानूनी सीमाओं से परे वास्तविक घबराहर में विभिन्न संगठन गताधारी घटवा विरोधी राजनीतिक दलों से सम्बद्ध रहे हैं।

## (3) प्रतिनिधित्व की समस्या

### (The Problem of Representation)

कर्मचारी संगठनों वी एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि विभिन्न उल्लेखनीय प्रानों पर विचार-विमर्श के लिए विसी कर्मचारी के मन का सच्चा प्रतिनिधि माना जाए। इस क्षमत्य में स्पेरो (Sparo) का मन है कि पश्चामन के कर्मचारियों के

बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ही प्रभिकरण से विवार-विमर्श करना चाहिए। जब कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ही समूह होना है तो प्रशासन को सौदेबाजी करने में सुविधा रहती है। एक ही समूह का होना स्वयं कर्मचारियों के लिए भी उत्तम है क्योंकि इससे उनमें एवता की भावना और निपट के प्रति जेतना उत्पन्न होनी है। प्रो. स्टाल ने इसका समर्थन किया है। उनके मतानुसार यह व्यवस्था सरल है। इसमें प्रबन्ध और कर्मचारीगण एक दूसरे को समझने तथा ममताओं के लिए तंयार होने में सुविधा बनूमद करते हैं। जब एक ही मण कर्मचारियों के लिए सौदेबाजी करने वाला एकमात्र प्रभिकरण होता है तो मत विप्रता, विरोध और भ्रान्त धारणा का निराकरण हो जाता है।

#### (4) हड्डताल करने का अधिकार

(Right to Strike)

कर्मचारी एवं कर्मचारी संगठनों को सरकार के विषद् हड्डताल करनी चाहिए अथवा नहीं, यह एक अन्य विवादपूर्ण प्रश्न है। यह सच है कि हड्डताल वे शारण प्रशासनिक एनिग्रेष, अव्यवस्था, प्राधिक हानि और जनता की तरफी से बढ़ती है, किन्तु दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा वाजिब प्रांगों को स्वीकार कराने वे निए इसे प्रशासनात्मी गाहर के रूप में स्वीकार भी किया जाता है। इस विवादपूर्ण प्रश्न पर थोड़ा प्रधिक विस्तार में आगे विवेचन किया जाएगा।

#### सेवा विवाद एवं ह्विटले परिषदें

(Service Disputes and Whitley Councils)

सरकारी कर्मचारियों के सेवा की शर्तों से सम्बन्धित घनें प्रकार वे विवाद होते हैं। इन विवादों का समाधान प्रशासनिक वार्यदुर्जलता और कर्मचारियों के सलोय वी दृष्टि से अस्त्यन्त आवश्यक है। उचित है कि सरकार तथा कर्मचारियों के बीच विवादों का समाधान बातचीन द्वारा ही कर लिया जाए। बातों के लिए उपयुक्त यन्त्र वी व्यवस्था वी जाए जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध सद्भाव तथा महयोग में बास ले। इस हेतु सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining), एचनिर्णय (Arbitration) तथा ह्विटले परिषदों को अपनाया जाता है। ह्विटले परिषदों वी प्रणाली में प्रबन्ध और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक परिषद् बना भी जाती है जो दोनों पक्षों के मध्य स्थित विवादों को दूर करने में महाप्रयत्न देनी है। ह्विटले परिषदों का प्रारम्भ

(The Origin of Whitley Councils)

1916 में ब्रिटिश सरकार ने गैर-मरकारी उद्यमों के अधिकों और मानिहों के बीच सम्बन्धों में स्थायी सुधार लाने के लिए सुभाव देने हेतु तत्कालीन सैमिड जे एच ह्विटले (J H Whitley) वी अध्यक्षता में एक समिति नियुन की। इस समिति में ऐसी परिषदों के गठन का सुभाव दिया जिनमें विवादों का निवारण करने के लिए कर्मचारियों तथा मानिहों, दोनों के प्रतिनिधि हों। नागरिक सेवकों वे विभिन्न संगठनों ने इस सुभाव का समर्थन किया और ह्विटले द्वारा प्रस्तावित

परिषदों की स्थापना की मांग की। सरकार ने यह मांग 8 अप्रैल, 1919 को स्वीकार कर ली और उसके बाद व्रेट व्हिटेन के सरकारी विभागों में ह्विटले परिषदों की स्थापना की गई।

### ह्विटले परिषदों का अर्थ एवं उद्देश्य

(Meaning and Objects of Whitley Councils)

डॉ. एल डी ह्वाइट के मतानुसार ह्विटले परिषदें स्वतंत्र, यमापति विहीन तथा अनिवित्क व्यापक युक्त समूक चर्चा मण्डल हैं।<sup>1</sup> उन्होंने यन्त्र स्थापना पर निखारा है कि "वर्तमान पीढ़ी में व्रिटिश नागरिक सेवा में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह सम्बन्धित ह्विटले परिषदों की स्थापना ही है। इन निकायों में सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि भमान सहया में होते हैं तथा ये निकाय अनेक विवादपूर्ण समस्याओं के भमाधान तथा सुलह की बातचीत के लिए कर्मचारियों के विचारों और आलोचनाओं को प्रस्तुत करने वाले मूल्यवान अभिवरण सिद्ध हुए हैं।"<sup>2</sup>

ह्विटले परिषदें मुख्यतः तीन स्तरों पर होती हैं—राज्यीय विभागीय और जिला एवं कार्यालय स्तर। प्रो स्टाइल के मतानुसार इन सभी स्तरों की परिषदों की एक मामान्य हितेपता यह है कि इनमें सरकार और नागरिक सेवकों का समान प्रतिनिधित्व होता है।<sup>3</sup> स्नाइडर (Schneider) की मान्यता है कि ये परिषदें व्रिटिश लोकसेवा की सुस्थापित और मूलभूत विशेषताएँ बन यई हैं। ये परिषदें ऐमा पत्र प्रस्तुत करती हैं जिसके द्वारा सरकारी सेवीवर्ग नीति के प्रायः सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है और विरोधी हितों के बीच सघर्ष मंत्रीपूर्ण बन जाता है।<sup>4</sup>

ह्विटले परिषदों की स्थापना मुख्यतः इन उद्देश्यों के लिए की जाती है—नियोक्ता राज्य एवं लोकसेवकों के बीच अधिकाधिक महायोग स्थापित करना ताकि कार्यकुण्ठता लाई जा सके और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके, कर्मचारियों वी शिकायतों को दूर करने के लिए एक यन्त्र की व्यवस्था करना तथा विभिन्न लोकसेवाओं के अनुभवों और विचारोंको एक स्थान पर जुटाना।

ह्विटले परिषदें बेबल दो हर्बार औष्ठ तक वापिव बेतन पाने वाले मैर औदोगिक कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित हैं। अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की पूति के लिए ये ह्विटले परिषदें अनेक वार्ष सम्पन्न करती हैं। इनके बुद्ध प्रगुल कार्य ये हैं—

1 L D White Whitley Councils in the British Civil Service, 1933, p 10

2 L D White The Civil Services of the Modern State, A Collection of Documents, p 23

3 O G Stahl op cit., p 236

4 Carl J Schneider "The Removal of Whitleyism in British Local Government," Public Administration Review Spring, 1953, pp 97-15

- (1) ये कर्मचारियों के विचारों और अनुभवों का उपयोग करने के लिए भर्तौलम उपायों की व्यवस्था करती है।
- (2) परिषदों द्वारा कर्मचारी वर्ग को उनकी सेवा की ज्ञानों के निर्धारण और निरीक्षण में व्याधिक भाग लेने का अवसर मिलता है।
- (3) ये परिषदें कर्मचारियों की सेवा की ज्ञानों का नियमन बरने वाले सामान्य पिछाना का निर्धारण करती हैं।
- (4) ये लोक सेवकों द्वारा प्राप्त शिक्षा प्राप्ति बरने के लिए प्रोत्साहित करती हैं तथा उन्हें उच्चतर प्रशासन और संगठन का प्रशिक्षण देनी है।
- (5) ये कार्यालय में संगठनात्मक सुधार मुभाती हैं और इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के सुभावों पर विचार का व्यवार देनी है।
- (6) ये लोकसेवकों सम्बन्धी विधि निर्माण के सम्बन्ध में मुभाव प्रस्तुत बरती हैं।

### हिटले परिषदों का संगठन

(The Organisation of Whitley Councils)

हिटले परिषदों का संगठन ऐनोक्त लीन स्तरों में होता है। ये राष्ट्रीय परिषद्, विभागीय परिषद् और ज़िला या देशीय समितियों के रूप में संरचित होती हैं। यद्यपि इन स्तरों के बीच पद भोगान का सम्बन्ध नहीं है फिर भी यह व्यवस्था की जाती है कि राष्ट्रीय परिषद् विभागीय परिषदों के संविधान को स्वीकार करे। विभागीय परिषद् उन विधयों को राष्ट्रीय परिषद् के पास भेज देती है जो या तो गांधीय हितों के विषद् दिक्खाई देते हैं अथवा जो सम्बन्धित अधिकार देश से बाहर है। विभागीय परिषदों के नीचे ज़िला तथा प्रादेशिक समितियाँ होती हैं जो देश के सभी कर्मचारियों की स्थानीय समस्याओं से सम्बन्ध रखती हैं।

राष्ट्रीय परिषद् में 54 सदस्य होते हैं, इनमें आधे सरकारी पद के होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा लोकसेवकों अथवा अन्य उच्च अधिकारियों में से की जाती है। इममें राज्यकोष तथा अन्य मन्त्रालय का कम से कम एक प्रतिनिधि शावश्य होता है। परिषद् के दोष मदस्य कर्मचारी संगठनों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह राष्ट्रीय परिषद् अपनी सुविधा के लिए राष्ट्रीय समितियों, विशेष समितियों, दक्षम समितियों आदि नियुक्त करती है तथा उन्हें शक्ति हस्तान्तरित करती है। राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों का बायंहास निश्चित नहीं होता। ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि स्वयं स्थापना न हो अथवा नेतृत्वात् न हो जाते। इममें एक समापनि और एक उपसमापनि होता है। समापनि प्रायः सरकारी पद का और उपसमापनि कर्मचारी पद का होता है। परिषद् इन दोनों पदों में से सचिव नियुक्त करती है।

विभागीय मामलों के लिए विभागीय परिषदें नियुक्त की जाती हैं जिनमें सरकारी तथा वर्मनारी पद के आधे आधे सदस्य होते हैं। सामान्यतः एक विभाग में एक ही विभागीय परिषद् स्थानित होती है, इन्हुंने बटे विभाग में एक से

परिषद् परिपदे भी स्वापित की जा सकती हैं। सरकारी पक्ष के सदस्यों की नियुक्ति विभागाध्यक्ष प्रधान मन्त्री द्वारा होती है और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि उम्मीदवाले विभाग सम्बन्धी कर्मचारी समठन द्वारा नियुक्त बिए जाते हैं। स्वापित सम्भाग का कोई सदस्य इस परिषद् का सचिव होता है। विभागाध्यक्ष को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। एक में अधिक विभागों की परिषि ने आने वाले मामलों की रिपोर्ट विभागीय परिषद् द्वारा राष्ट्रीय परिषद् को दी जाती है। विभागीय हिंटले परिषदों की संख्या 80 है।

जिस अध्यवा क्षेत्रीय समितियों विशुद्ध रूप से कर्मचारियों की स्थानीय समस्याओं को मुनाफ़ाती है। इनका समठन भी विभागीय परिषदों की भाँति किया जाता है।

### परिषदों की कार्य-प्रणाली

(Procedure and Work of the Councils)

राष्ट्रीय परिषद् की बैठकें तीन माह में एक बार होना अनिवार्य है। वैमे आवश्यकतानुसार इसकी अतिरिक्त बैठकें कभी भी दुलाई जा सकती हैं। परिषद् के महसूलपूर्ण कार्यों के सम्पादन हेतु समितियाँ होती हैं। इन समितियों तथा परिषदों की बैठकों की अव्यक्तता प्रायः सरकारी पक्ष के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। उपाध्यक्ष कर्मदारी वर्ग का होता है। परिषद् के निरांय मतदाता के चालाक पर नहीं होने वाले उपकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष दोनों विभाजनहीन रूप से मत प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही पक्षों को स्वीकृत होने के बाद ही ऐसी निरांय मताय बनता है। परिषद् के समस्त नियंत्रणों पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की स्वीकृति ली जाती है। इसके बाद के कार्यरूप में परिणाम बिए जाते हैं। विभागीय परिषदों की कार्य-प्रणाली भी राष्ट्रीय परिषद् की कार्य-प्रणाली के समान होती है।

### परिषदों का मूल्यांकन (Evaluation of the Councils)

हिंटले परिषदों की उपयोगिता एवं उपलब्धियों के बारे में अलग-अलग भल प्रकट किए गए हैं। उप समाजवादी एवं अप साठनवादियों ने इनकी कटु आलोचना की है क्योंकि उनकी राय से ये परिषदें अधिकों द्वारा लेना वो धूमित बनाती है। पौर उनकी अनिक प्रवृत्ति पर कुठाराघात करती है। उच्चवर्गीय लोक सेवाएँ भी हिंटले परिषदों को सहानुभूति एवं समर्थन की नजर से नहीं देखती। कारण यह है कि दस वर्ग के कर्मचारियों का उच्चनम प्रविहारियों से सीधा मम्पक रहता है। इसनिए अनुकूल सेवा की शर्तें निष्पत्ति कराने के लिए उन्हें इन परिषदों की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐसा लगता है कि हिंटले परिषदें दबीनस्थ कर्मचारियों की दशायों के बारे में निरांय लेने के उनके अधिकार को क्षति रह जाएंगी। फलत टोमिनिन आपायों के सम्मुख याधी देते समय कुछ विभागों के अध्यक्षों द्वारा हिंटले परिषदों को समाप्त करने का जोरदार समर्थन किया गया।

हिटले परिषदों की सफलता और असफलता बहुत कुछ इनके प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों के दबित्कोण पर निर्भर रही है। जहाँ कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने सहकारिता की भावना में कार्य किया वहाँ इन परिषदों को सफलता प्राप्त हुई इन्हुंने जहाँ उच्च अधिकारियों ने उन्हें मपने निहित विशेषाधिकारियों पर अनिवार्य माना तथा कर्मचारियों ने विना समर्पण के केवल प्राप्त करने का स्वार्थ्यूण मार्ग ग्रहण किया वहाँ ये बौद्धिकीय मतनां प्राप्त नहीं कर सकीं।

परिषदों की अनेक व्यावहारिक कमज़ोरियाँ होते हुए भी ये अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी भाव विकसित करने का प्राधार बनी हैं। परिषदों के मध्य पर इन दोनों पक्षों के बीच अनौपचारिक विचारों के आदान प्रदान से दोनों ने एक दूसरे को समझा है और इस प्रकार समस्याओं के विराकरण का मार्ग सुनाय बना है। इन परिषदों की अधिक मकाना के निए चार बातें प्रावश्यक हैं—  
 (क) राज्य कर्मचारी विभिन्न संघों और संस्थाओं में समठन हो, (ख) दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों का चयन साधारणीयूर्वंक किया जाए, (ग) कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सुनाह कार्य सचालन के तिए आवश्यक सुविधाएं दी जाएं और उन्हें हिसी भी विरोधी स्वार्थवाही के भव से मुक्त किया जाए, (घ) अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों पक्ष विवेह, नम्रता, अहंकारहीनता, स्वार्थहीनता, सहकारिता और सहयोग की भावना से घोष-प्रोत हो।

### परिषदों की सत्ता पर सीमाएँ

(Limitations on the Authority of Councils)

हिटले परिषदों की कार्य-प्रणाली और सफलता पर उन गोमांडो का उल्लेखनीय प्रभाव रहता है जो परिषदों की मत्ता पर रखी गई है। सीमाएँ ये हैं—

1. हिटले परिषदें केवल परामर्शदाता निकाप हैं। इनके सभी निर्णय मन्त्रमण्डल के सम्मुख रखे जाते हैं जो इन्हें स्वीकार अवश्यकार करने की प्रतिम गति रखता है।

2. ये परिषदें केवल दो हजार पौर्ण प्रतिवर्ष बेतन पाने वाले पश्चाधिकारियों के बेतन आदि के बारे में ही विचार कर सकती हैं। इन्हें उच्च पश्चाधिकारियों के बेतन के सम्बन्ध में विचार करने की गति नहीं होती।

3. परिषदों के होने हुए भी अव्यहूर में कर्मचारियों की अनेक समस्याएँ परिषदों का सहारा निए विना प्रत्यक्ष बातीं द्वारा सुन्भाई जानी हैं।

4. इन परिषदों द्वारा प्राप्त गम्भीर और महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं दिया जाना बरन् ये छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान दूड़ने में ही लगी रहती है।

5. ये केवल सामान्य दृष्टि पर विचार करती हैं। अतिगत मामलों पर दिलचस्पी करती हैं। किसी ऐसी अपेक्षा के लिये विशेष के अनियन्त्र प्रक्रिया प्राप्त प्रत्यक्ष बातीं द्वारा ही निवार जाते हैं।

उक्त मीमांसो के होते हुए भी हिटले परिषदें राज्य कर्मचारियों के विवादों के सुनभाने का महत्वपूर्ण नाभन है। अनोपचारिक बायं-प्रणाली का विकास इन परिषदों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। डगलस हॉटन (Douglas Houghton) के शब्दों में, "हिटले परिषद के प्रतिदिन के कार्यों से अनेक अधिकारियों द्वारा में विधा होने जा रहा है इस बात का पहले से ही पना लग जाता है और तर्फ-विकलों के पश्चों द्वारा कहने की अपेक्षा पहले से ही एक तथ्यपूर्ण इटिक्सोल घपना लिया जाता है।" अतन में हिटले परिषद व्यवस्था मानव ममित्यों का एक ऐसा रूप है जिसम प्रत्येक पक्ष को कुछ देना पड़ता है और प्रत्येक पक्ष कुछ प्राप्त करता है।

### सेवा विवाद सुलभाने के अन्य तरीके

#### (Other Techniques of Solving Service Disputes)

यद्यपि हिटले परिषदें सेवा विवादों को सुलभाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मूलिका अदा करती है दिन्ह यह पर्याप्त नहीं है। जब परिषदों में होने वाला विवाद-विनियम विभी निर्णय तक नहीं पहुँच पाना तो कर्मचारी और अधिकारी दोनों दो अपने विवाद तथ वरने के लिए अन्य तरीकों की ओज वरनी पड़ती है। अन्य तरीके मुन्हत चार प्रकार के हैं— (क) विलाजुला विनियम, यह विवाद से मध्यविनियम दोनों पक्षों के बीच होता है और इसी वाहरी व्यक्ति दो बीच में लाने की प्रावश्यकता नहीं पड़ती। (ख) मध्यस्थता के मन्त्रगत विभी द्वारे व्यक्ति या सम्पादक सहयोग लिया जाता है जो दोनों पक्षों का विश्वसनीय हो। मध्यस्थ द्वारा दोनों पक्षों को स्वीकार होता है। (ग) समझौता एव पक्ष निर्णय समझौता भी विभी वाहुगी व्यक्ति-द्वारा कराया जाता है। पक्ष निर्णय द्वारा फैलता है। कुछ पक्ष निर्णय वैकल्पिक भी हो सकते हैं। (घ) विविधमत न्याय का सहारा तब लिया जाता है जब अन्य तरीके वारंगर सिद्ध नहीं होते। पक्ष निर्णय के प्रतिकूल होने पर प्रभावित पक्ष उच्चगर अदालत में अधीन कर लाता है। न्यायालय वा निराय वाध्यकारी प्रकृति का होता है। ये सभी तरीके परिस्थिति और प्रावश्यकता के अनुसार सेवा विवादों को सुनभाने के लिए घपनाएँ जाते हैं।

#### (Grievances Redress Procedure in France)

फ्रांस में चतुर्थ गणराज्य के अधीन बेन्द्र मरकार के स्तर पर हिटले व्यवस्था द्वारा घपनाया गया। यहाँ लोकसेवाओं की एक सर्वोच्च परिषद् है जिसम मिनिस्टरियल द्वारा नियुक्त 24 सदस्य होते हैं। इनम से 12 सदस्यों को नियुक्ति लोकसेवा मंत्री की विकारिग पर की जाती है। इस परिषद की व्यवस्था प्रधान मन्त्री व्यवस्था उप-प्रधान मन्त्री करते हैं। इसका मुख्य कायं सेवीवर्ग सम्बन्धी नीनि, सेवा की जाने तथा विभागीय परिषदों के इटिक्सोल और कायं में समन्वय स्वाक्षित वरता होता है। एट रिटेन वी नीति फ्रांस में भी प्राप्त प्रत्येक विभाग में ऐसी प्रतिनिधि परिषद है जिसम अधिकारी एव कर्मचारी दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। ये विभागीय परिषदें

भर्ती की प्रक्रिया, कार्यकुगलता प्रभिलेख, पदोन्नति, प्रनुशासन एवं पर्याय सेवीवर्ग सम्बन्धी प्रश्नों पर देखरेख रखती है।

### संयुक्तराज्य अमेरिका में परिवेदना समितियाँ (Grievance Committees in U. S. A.)

अमेरिका में सधीय स्तर पर विभागीय अपील समितियाँ हैं, इन समितियों में विभागीय अध्यक्ष और सोहकसेवा पार्योग के एक अधिक प्रतिनिधि होते हैं। ये वर्गीकरण, पदोन्नति, बतन आदि विषयों पर विचार-विमर्श करते रहते हैं।

### स्टाफ परिषद दें (Staff Councils)

शेषबा

### भारत में सुलह-घार्ता और विवादों के निपटारे की व्यवस्था (Machinery for Negotiations and Settlement of Disputes in India)

शयवा

### भारतीय नागरिक-सेवा में हिटले परिषदें (Whitley Councils in Indian Civil Services)

भारत में हिटले परिषदें जैसी कोई बीज नहीं है, तथापि यहाँ हिटले वाद यो मौदान्तिक रूप में पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त हुआ है। श्रीयोगिक क्षेत्र में इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय कार्य दिए गए हैं। अन्त अनिनगत उदाहों में प्रबन्ध एवं कर्मचारियों के महायोग के लिए प्रयम स्तर की व्यवस्था की गई है। प्रशासकीय क्षेत्र में हिटले परिषदों की पावशक्ति को कर्मचारी-वर्ग की समितियों अधिकार परिषदों के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया है। तथापि ये परिषदें बहुत कुछ त्रिटिश हिटले प्रणाली पर ही भास्तारित हैं, तथापि इनमें हिटले वाद की आत्मा तथा मूल तत्त्व का भवान है। भारत में त्रिटिश राष्ट्रीय हिटले परिषदों की भाँति कोई प्रतिविम भारतीय समठन नहीं है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट रखने योग्य बात यह है कि कर्मचारियों के सभों को इन परिषदों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाया है।

भारत में कर्मचारी-वर्ग की समितियों की स्थापना के लिए 1954 में यह मन्त्रालय द्वारा प्रयास किया गया। गृह मन्त्रालय ने विभिन्न मन्त्रालयों के इस सम्बन्ध में जो निर्देश दिए, उनके साथ ही प्रस्तावित समिति वा विधान भी मेज दिया गया, और मन्त्रालयों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते थे। प्रत्येक मन्त्रालय में एक कल्याण-प्रधिकारी होता है जो कर्मचारियों एवं प्रधिकारियों के चहूँसुसी विवास और कल्पाण की दोजनाओं वा निर्माण और क्रियान्वयन करता है। 1957 में गृह कर्मचारी-वर्ग समितियों वा नाम बदलाव वर्मचारी-वर्ग परिषदें रख दिया गया। वहंमान भारत में प्रत्येक मन्त्रालय ने घन्टाने दो कर्मचारी-वर्ग परिषदें हैं—प्रयम बरिट र्मचारी वर्ग परिषदें (Senior Staff Councils) और डिनीय, कनिष्ठ कर्मचारी वर्ग परिषदें (Junior Staff Councils)।

**वरिष्ठ कर्मचारी-बर्ग परिषदें (Senior Staff Councils)** ये परिषदें द्वितीय एवं तृतीय शेरणी के कर्मचारियों के लिए होती हैं। इनमें ये सदस्य होते हैं— सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी, शाखा के अधिकारियों के प्रतिनिधि महाप्रबंध, आवृत्तिपक्ष लिपिक यादि भी होते हैं। सरकारी प्रतिनिधियों को तत्त्वम्बन्धी मन्त्रालय द्वारा उस विभाग के अधिकारियों में से ही नामाद किया जाता है। नामजद किए गए अधिकारी का स्तर प्रबंध-मंत्रिवाल (Under-Secretary) से नीचा नहीं होता चाहिए। ये सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्मचारी-बर्ग के प्रतिनिधियों वो प्रेट ड्रिटेन की माँसि कर्मचारी सभों द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है। इनमें निम्न ये प्रतिनिधि प्रत्यक्ष हृष से कर्मचारियों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरी तथा तीसरी शेरणी के विभिन्न कर्मचारी ग्रीष्म के ऊपर एक के घनपूर्ण से घर्षने प्रतिनिधियों का निर्वाचन होते हैं। 1957 से पुर्व इन प्रतिनिधियों का चुनाव एक वर्ष के लिए किया जाता था जिसमें बाढ़ में उत्तरी अवधि दो वर्ष कर दी गई। इस चुनाव-व्यवस्था में पहला लगातार रहता है जिसमें शाखा अधिकारी सेवा-विभेद को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व मिल जाए और अन्य को छिन्नकूल भी नहीं। सम्बन्धित मन्त्रालय का सचिव शाखा सहायता सचिव या द्वारा इस परिषद् का सभापति चुना जाता है।

**कनिष्ठ कर्मचारी बर्ग परिषदें (Junior Staff Councils)**—ये परिषदें चतुर्थ शेरणी कर्मचारियों में सम्बन्ध रखती हैं। इनका संगठन वरिष्ठ कर्मचारियों के संगठन से मिल होता है। इन परिषदों में सरकार का प्रतिनिधित्व उन प्रशिक्षिकारियों द्वारा किया जाता है जो सहायक शेरणी के नीचे दर्जे के नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। सम्बन्धित मन्त्रालय द्वा उप-मंत्रिवाल परिषद् का सभापति होता है। कर्मचारी बर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव चतुर्थ शेरणी कर्मचारी प्रत्यक्ष हृष से होते हैं। प्रत्येक दण सदस्यों में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव कर्मचारियों के दो समूहों में से किया जाता है। प्रथम समूह में दफ्तरी और अभियाल पृष्ठकार आदि होते हैं और दूसरे समूह में चर्चाली, पर्याप्त जमादार, भाड़ा सराने वाले आदि होते हैं। इन दोनों समूहों में से प्रत्येक दो एक ऐसा प्रतिनिधि चुनने की प्रत्युमति दी जाती है जो उच्च बर्ग का सरकारी कर्मचारी होता है किन्तु यह शाखा अधिकारी (Section Officer) से ऊपर नहीं होता। परिषद् के सचिव को सभापति द्वारा कर्मचारी-बर्ग के प्रतिनिधियों की राय से मनोनीत किया जाता है। स्टॉफ के प्रतिनिधि प्रथमे पद पर एक वर्ष तक रहते हैं जिसमें उनको पुन चुने जाने का अधिकार भी होता है। यदि इसी कर्मचारी जो दूसरे मन्त्रालय में अन्य स्तर पर पदीक्षित या स्थानान्तरित नहीं दिया जाता है तो वह इस परिषद् का सदस्य होने से रुक जाता है और उसके स्थान पर दूसरे प्रतिनिधि या नुनाव होता है।

**कर्मचारी बर्ग परिषदों के कार्य**

(The Functions of Councils)

जब इन परिषदों वी स्थापना के लिए यह मन्त्रालय द्वारा नियांसित भी गई

थी तो इनकी स्थापना के लिए विषयान भी तंदार किया गया था। उम विधान के अनुसार इन परियदो के जो कार्य एवं उद्देश्य निर्धारित लिए गए, वे मुख्यतः निम्न प्रकार हैं—

- (1) कार्य के स्तरों को सुधारने के लिए दिए जाने वाले मुकाबों पर विचार करना।
- (2) कर्मचारी-वर्ग के सदस्यों को कोई ऐसा साधन प्रदान करना जिसके द्वारा वे इन विषयों पर अपने दृष्टिकोण से माकार को भवयत करा सकें जो उनकी सेवा की शर्तों पर प्रभाव डालते हैं।
- (3) कर्मचारी वर्ग और अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत ममकं के साधन प्रस्तुत करना ताकि उनके बीच मेंशीरूण ममदंघों का विकास हो मदे, और कर्मचारी-वर्ग अपने कार्य में अधिक रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित हो।

ये परियदें परामर्शदात्री निकाय (Advisory Bodies) हैं जो प्रतिलिपि मामलों पर विचार कर सकती हैं—कर्मचारियों के कार्य करने की दशाएं एवं शर्तें, सेवा शर्तों का विनियमन करने वाले सामान्य मिडॉन्ट, कर्मचारी-वर्ग का कल्याण, कार्य-कुशलता एवं कार्य-स्तर में सुधार सम्बन्धी मामले आदि।

भारत में कुछ राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार की परियदों का विवास कर दिया है और वहीं ये इसी प्रकार का कार्य कर रही हैं। इस सम्बन्ध में व्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रथम थेगी के कर्मचारियों को इस प्रकार भी परियद बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। इन परियदों के लिए तीन महीने में बम से बम एवं बार अपनी बैठक बुलाना जरूरी है। इस बीच यदि कर्मचारी-वर्ग के प्रतिनिधियों का पौच्छारी भाग चाहे तो सभापति को विशेष अधिवेशन में भी बुलाना पड़ता है। बैठकों का कार्यक्रम सचिव द्वारा तैयार दिया जाना है और सभापति द्वारा उसे स्वीकार दिया जाना है। बैठक से तीन दिन पूर्व यह कार्यक्रम प्रत्येक सदस्य के पास भेज दिया जाना है। यदि कोई प्रतिनिधि कार्यक्रम में बौद्धि नहीं बात जोड़ना चाहे तो सचिव को तत्सम्बन्धी मूलगा दे देना है। गणपूनि के लिए कर्मचारी-वर्ग के एवं निर्देश प्रतिनिधियों का होना जरूरी है। किसी भी बात पर निरुण्य तब निया जाता है जबतक दोनों पक्षों का बहुमत उम्मा समर्थन करे। परियद ममदंधन मन्त्रालय की प्राप्ती मिटारगे प्रस्तुत करती है जो उसके अनुसार भी जाने वाली कार्यवाही पर विचार करता है।

### परियदों का मूल्यांकन

(Evaluation of the Councils)

कर्मचारी-वर्ग भी परियदों के अधिवेशनों की सम्या, भी गई मिफारियों की सम्या तथा शियान्वित मिसारियों की सम्या को देखने के बाद निरीज़हों ने भारी प्रभावों पर व्यक्त किया है। कर्मचारी-वर्ग परियदे प्रशासन पर कोई मदूरत्वपूर्ण प्रभाव

डालने में प्राय असमर्थ रही है। कर्मचारी-वर्ग की इन परिषदों के अद्द तक के कार्यों में अनेक दोष रहे हैं—

प्रथम, परिषदों ने जिन विषयों पर विचार किया, वे विभिन्न प्रकार के थे। इन विषयों पर परिषदों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनमें केवल वे ही स्वीकार की गई जिनका सम्बन्ध अपेक्षाकृत गोल विषयों से था। इस प्रकार ये परिषदें कार्यालय के अन्दर कार्य की दशाघो को सुधारने में बहुत अमफल रही हैं। संगठन के ५०-वर्गीकरण, पदोन्नति, बरिष्ठता की मूली उंयार करने आदि विषयों पर ये परिषदें कोई प्रभाव नहीं डाल पाई हैं। सगड़न के इन महत्वपूर्ण विषयों पर कर्मचारियों को कोई निश्चयिक अधिकार नहीं है, वे इन पर केवल विचार माप कर सकते हैं। दूसरे, परिषदों में अधिकारी वर्ग ने जो सब प्रपनाया है वह हिटलेराद की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। उच्च अधिकारी यहाँ भी उच्चता की भावना से दीड़िन हैं और अधीनस्थ कर्मचारी हीनता की भावना से प्रभावित रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच स्वतन्त्र विचार-विमर्श का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरे इस परिषदों की बैठक नियमित रूप से नहीं की गई है। चौथे, परिषदों द्वारा जो मिफारिशें प्रस्तुत की गईं उन पर अविलम्ब ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर ये परिषदें उन आशाओं को पूरा करने में असमर्थ रही हैं जो कहते रहनाकारी ने इनसे की थी। मारतीय प्रशासन आज भी प्रबन्ध एवं कर्मचारी वर्ग के निकट अनिष्ट एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के अभाव से हृषित है। दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति अनेक बल्त कहमियाँ पाई जाती हैं, प्रौर ये तब तक पाई जाएंगी जब तक कि दोनों पक्षों के स्वतन्त्र, सहयोगपूर्ण, निर्भय तथा मिश्तपूर्ण वार्तानाम के लिए कोई समुचित साधन न होगा।

### समन्वय समिति (Co-ordination Committee)

हाल ही में स्थापित की गई इस समिति में शृङ्ख-निर्मलेण एवं पूर्ति भन्नालयों के तीन बरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। इस समिति को ऐस विवाद सोचे जाते हैं जिनका समाधान कर्मचारी वर्ग परिषदों (Staff Councils) में नहीं हो पाता।

### भारत में संयुक्त परामर्श तन्त्र (जे. सी. एस.)

### तथा अनिवार्य विवाचन (आरबिट्रेशन)

इस सम्बन्ध में कामिक एवं प्राथमिक सुधार विभाग की रिपोर्ट 1983-84 का विवरण इस प्रकार है—

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए समुक्त परामर्श तन्त्र तथा अनिवार्य विवाचन योजना में संयुक्त परिषद् स्थापित किए जाने की व्यवस्था है। इनमें कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार करने के लिए सरकारी पक्ष प्रौर कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि भागिन किए जाते हैं। परिषदों के कार्यक्षेत्र के प्रत्यंतर्भूत कर्मचारियों के कल्याण, उनकी सेवा तथा कार्य की जाती तथा कार्य-कुशलता एवं उसके स्तर म सुधार से सम्बन्धित सभी मामले आते हैं, किन्तु शर्त यह है कि—

1 भर्ती, पदोन्नति तथा अनुशासन के बारे मे परामर्श, सामान्य मिलानी से मध्यविनियम मामलो तक ही सीमित रहेगा, और

2 व्यक्तिगत मामलो पर विचार नहीं किया जाएगा।

जब कोई मामला संयुक्त परिवदो मे बातचीत द्वारा तथ नहीं किया जा सकता तो योजना मे इसी अंदरूनी अवधा येड़ के कर्मचारियो के निम्नलिखित विषयो के बारे मे अनिवार्य विवादन की व्यवस्था है—

(क) वेतन तथा खत्ते,

(ख) सप्ताह मे कार्य के घट्टे, और

(ग) छुट्टी।

अंदरूनी मदो के लिए अमरहवाति के मामले मे कर्मचारी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर अनियन्त्रियो की समिति के साथ प्रत्रचार विद्या जा सकता है।

**राष्ट्रीय परिषद्—राष्ट्रीय परिषद्** जो समुक्त परामर्श तत्व की योजना के अन्तर्गत शीर्षस्थ निकाय है, जो स्थापना अक्टूबर 1966 मे हुई थी और तब से अब तक इसकी 26 साधारण और दो विशेष बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय परिषद् की प्रतिनियं बैठक मई, 1982 मे हुई थी। राष्ट्रीय परिषद् की ओपचारिक बैठक के अंतिरिक्त, इस परिषद् की समितियो की कई बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं। इन समितियो को भेजे गए मामले विचार के विभिन्न चरणो म हैं। इससे अनिरिक्त कर्मचारी पक्ष के अनिवार्यियो के साथ कई ओपचारिक/प्रानीपक्षारिक विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित विषयो के गोपन्य मे वह महत्वपूर्ण मदो पर समझौता किया गया है—

(i) 1 जून, 1983 मे 1599 रुपए वेतन पाने वाले सभी केंद्रीय मरणारी कर्मचारियो को नीचे दर्शाए गए ढग से अन्तरिम राहत का भुगतान—जिसे केवल सेवा निकृति के लाभों के प्रयोजन से परिलिखियो के हप मे समझा जाएगा—

वेतन शीर्षा	अन्तरिम राहत
(i) रुपए 299/- तक	रु 50/- प्रति मास
(ii) रुपा 300-699/- तक	रु 60/- प्रति मास
(iii) रुपा 700-1599/- तक	रु 70/- प्रति मास

(ii) रु 1200/- तक वेतन पाने वाले ऐसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो को जो इसी येड़ से 2 वर्ष या उससे भ्रष्टिक अवधि से उम्म येड़ की प्रधिकतम गुम्फा पर प्रतिरोध पर पड़े हुए हैं प्राप्त वी गई प्रतिनियं वेतन वृद्धि के बराबर एवं प्रतिरोध वेतनवृद्धि का भुगतान दिया जाना।

(iii) राष्ट्रीय परिषद् मे लम्बित कुछ ऐसी मदो जिन्हे चोये केंद्रीय वेतन शीर्षों को भेजा गया।

(iv) वेन्ड्रीय वेतन आयोग को भेजे जाने के लिए विभिन्न विभागीय परिषदो मे लम्बित मदो का पक्ष लगाने की कार्य प्रलापो।

**विभागीय/कार्यालय परिषद्—समुक्त पश्चात्य बोड़ना के पश्चीन परिकल्पना कुल 22 विभागीय परिषदों में से, विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में 21 विभागीय परिषदों की स्थापना की जा चुकी है। वार्डों एवं विभागीय परिषद् की स्थापना इए जाने के बारे में सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। मन्त्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कार्यालयों में विस्तरीय (व्यावर्त्य) परिषदों की स्थापना करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यालयों में अब तक लगभग 1000 से अधिक कार्यालय परिषदों की स्थापना की जा चुकी है। भारत के महापञ्चायत्र के मुद्द्यालय में भी एक अनिवार्य परिषद् की स्थापना की जा चुकी है।**

**विवाचन (प्राविदेशन) — 31 दिसंबर, 1983 तक विवाचन बोर्ड की 157 मामले भेजे जा चुके हैं जिसमें राष्ट्रीय परिषद् के 10 मामले भी शामिल हैं। बोर्ड द्वारा 128 मामलों में अधिनिर्णय दे दिया गया है, इनमें से 100 मामलों में कर्मचारी पक्ष की ओर पूर्णतः असत् स्वीकार कर ली गई है और 28 मामलों को नामज्ञान दर दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच, अद्यौत् कर्मचारी पक्ष और मरकारी पक्ष में सहमति हो जाने के कारण 9 मामलों को वापिस लेने की अनुमति दे दी गई है। एवं 20 मामले विवाचन बोर्ड के समक्ष लम्बित पड़े हैं।**

भन्नियों की समिति को मामले भेजा जाना—कर्मचारी पक्ष के अनुरूप पर गैर-विवाचनीय मदों से सम्बन्धित 4 ऐसे मामले जिनमें उनकी मार्गों पर सहमति देना सम्भव नहीं हो पाया था, भन्नियों की समिति को भेज दिए गए।

### समुक्तराज्य अमेरिका में ह्वाइटलेवाद

(Whitleyism in U S A)

समुक्तराज्य अमेरिका में ह्वाइटलेवाद जैसी बोई सम्पत्ति नहीं है जिन्हें भावार तथा राज्य कर्मचारियों के दीच मधुर मध्यवर्धनाएँ रखने के लिए दुख्य भव्य तरीके अपनाएँ जाते हैं। यहूं कर्मचारी सघों के नाम सेवा नीतियों के बारे में प्रत्येक विवाच तथा सुभाव सरकार के सामने रखते हैं। कर्मचारी सघों द्वारा सेवा-नीतियों एवं सेवा शर्तों के बारे में कार्येतारी के याचना दरबे परिवर्तन बरगदा जाना है। ये सभ राष्ट्रपति से सीधी अपील दर सहते हैं और पर-प्रिवाक्षो द्वारा प्रपत्त हिन्दी के अनुकूल लोकमन जापत कर सकते हैं। लोकसेवा भाषोग द्वारा विभिन्न कर्मचारी सघों से सेवीवर्गों के बारे में उदारतापूर्वक वरामर्श लिया जाता है।

### हड़ताल का अधिकार एवं नागरिक सेवकों के राजनीतिक अधिकार

(Right to Strike and Political Rights of Civil Servants)

राज्य कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न इए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की वृच्छ-भूमि में पह उत्तम मात्रा जाना है निः उनकी विनियम नालिख स्वनन्वनामों पर सीमाएँ लगाई जाएँ। इन राष्ट्रिय सेवायां द्वारा लेखन द्वारा उनकी अधिकारिता की स्वनन्वना, सध बनाने की स्वनन्वना और सक्रिय राजनीति में मार्ग लेने की स्वतंत्रता प्राप्ति पर सीमाएँ और प्रतिवर्ष संगाएँ जाते हैं। राज्य कर्मचारियों की व्यापारमध्य

राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ बनाए रखने की व्यवस्था की जाती है। इसी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर उन्हें विभिन्न राजनीतिक अधिकार सौंपे जाते हैं। इन अधिकारों का विवेचन करने से पूर्व हम राज्य कर्मचारियों के हड्डाल के अधिकार के ग्रन्तित्य एवं विभिन्न देशों में तद्दमन स्थिति का अवलोकन करेंगे।

### हड्डाल करने का अधिकार

#### (Right to Strike)

प्रसंनिक कर्मचारियों का सरकार के विशद्द हड्डाल करने का अधिकार बहुत ग्राहित विवादापद और बहुचर्चित प्रश्न है। हड्डाल से प्रशासनिक गतिरोध तथा अव्यवस्था, भाविक हानि और जनता के कष्ट उत्पन्न होते हैं। इनके कुर्भरिणामो से \* उदासीन नहीं रहा जा सकता। हमारे देश के बेंगलुरु और राज्य कर्मचारियों की हड्डाल सरकार और जनता के प्रत्येक वर्ष के लिए भारी प्रेसांनी का कारण रही है। राज्य कर्मचारियों को अपनी सेवा शर्तों के मध्यवन्ध में प्रदर्शन तथा हड्डाल करने और अपनी कुछ समस्याओं एवं शिकायतों के लिए काम बन्द करने की अनुमति के बारे में विभिन्न देशों में अलग-अलग नीतियाँ अपनाई गई हैं। \*

ब्रिटेन में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ग्रामेनिक हमेंचारियों की हड्डालों को नियन्त्रित ठहराता हो। किंतु भी सरकार हड्डालों को ग्रोसान्ड्रित नहीं करनी और हड्डाल करने वाले सोसाइटी-कर्मचारियों के विशद्द अनुशासनात्मक वायंबाही करनी है जिसमें भर्तीना, पदचयनि, पेशन की सुमाप्ति ग्रादि दण्ड शामिल हैं।

संयुक्तराज्य अमेरिका में हड्डाल गंग-कानूनी है। यद्यपि मधीय हमेंचारियों द्वारा सप्त बातें वा अधिकार दिया गया है किन्तु उन्हें हड्डाल करने अवधा राज्य-विरोधी हड्डालों का आयोजन करने वाले समगठनों से मध्यवन्ध रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। एक समय था जबकि यहाँ राज्य कर्मचारियों के हड्डाल करने पर कानूनी प्रतिवन्ध नहीं था, किन्तु धीरे-धीरे प्रत्येक सरकारी विभाग एवं कर्मचारी के हड्डाल करने पर बाहरी समगठन के माध्य सम्बद्धता रखने पर रोक लगाई गई। इन कानूनी प्रतिवन्ध से पूर्व स्वायत्तशालिका का दृष्टिकोण से राज्य कर्मचारियों के हड्डाल के विशद्द नहीं था। जब विभिन्न कर्मचारी समगठनों द्वारा अनेक गम्भीर हड्डालों की गई तो कायंपालिका का दृष्टिकोण इनके विशद्द हो गया। सरकार ने इन्हें रोकने के लिए कानून बनाए और स्थापित कानूनी द्वारा सी इन्हें प्रतिवन्धित करने की घोषा की गई। द्वारा व्यवस्था को रोकना एवं अवरोध था और सरकार-विरोधी पड़वन्त्र एवं दण्डनीय हृत्य था जिनके नाम पर 1915 में 25 द्वारा हमेंचारियों द्वारा दिए गए स्वाग पत्र से सरकार मफरनापूर्वक निराट हरी। अमेरिका के वर्तमान कानूनी ने लगभग सभी राज्य कर्मचारी संघों को हड्डाल वा प्रयोग करने के माना वर दिया है। 'धर्म-प्रबन्धहस्ती सम्बन्ध' (टप्ट हाट्ट) अधिनियम, 1947 (Labour Management Relations (Taft Hartley) Act, 1947) के प्रभागेन सरकार के हित्त हड्डाल बरता अवधि घोषित किया गया है। अधिनियम वा उन्नयन करने वाले पर दण्डनीय दिया अवधा तीन वर्ष के लिए सेवा के लिए

अधिकार ठहराया जा सकता है। 1955 मे पारित एक कानून (Public Law 130-48 the Congress) द्वारा संघकरण अमेरिका मे हड्डताल सम्बन्धी नियम प्रोटोकॉल को सरकारी पद के अधीक्षय माना जाता है। सरकारी कर्मचारी किमी ऐसे सध का सदस्य नहीं बन सकता जो हड्डताल करने के अधिकार का समर्थक हो। अधिनियम का उल्लंघन करने पर चुम्पने अथवा केंद्र दोनों की सत्रा दी जा सकती है। डाकघर लिपिको के सदृक्ष (United Federation of Post Office Clerks) ने स्वीकार किया है कि अवस्थायों के निवारण के लिए मूल्य माध्यन हड्डताल नहीं है बरन् व्यवस्था है। इसी प्रकार सधीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय सध (National Federation of Government Employees) भी मान्यता है कि यह सस्था संघकरण की सरकार के दिल्ली न कभी हड्डताल करेगी प्रोटोकॉल का समर्थन करेगी। इस प्रकार की घोषणाएँ सरकारी कर्मचारियों के अमेरिकी सध (American Federation of Government Employees), अग्रिम सामको भी अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध (International Association of Fire Fighters) आदि अन्य कर्मचारी सधों द्वारा भी गई हैं। इन आत्म-नियन्त्रित घोषणाओं के प्रसवहृष्ट सरकारी बानूदी अवस्था काफी प्रभावशाली बन गई है। अनेक राज्यों द्वारा भी हड्डताल विरोधी अधिनियम पारित किए गए हैं।

भारत मे हड्डताल करना निपिछ तो नहीं है (आपातकालीन स्थिति एवं अपवाद है) इन्हुंने इसे 'अनुशासन भग' माना जाता है प्रोटोकॉल सरकार हड्डताली कर्मचारियों के दिल्ली अनुशासनात्मक बाध्यवाही कर सकती है। अनिवार्य सेवाओं (Essential Services) मे हड्डताल पर प्रतिबन्ध है। दूसरे शब्दों मे यह कहना चाहिए कि बेन्द्रीय सरकार के लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारी हड्डताल नहीं कर सकते और शेष कर सकते हैं लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही का सतरा उठा कर।

कर्मचारियों द्वारा हड्डताल प्रोटोकॉल सरकारी प्रनिवन्ध आदि के बारे मे मूल्य रूप से तीन विचारधाराएँ प्रस्तुत की जाती हैं—(1) अर्थात् कर्मचारियों द्वारा प्रधिकार सधों (Trade Unions) के सभी प्रधिकार दिए जाएँ प्रोटोकॉल हड्डताल करने की अनुमति मिले। यदि सरकारी कर्मचारियों को अमर्हनीय परिस्थितियों मे भी हड्डताल करने का अधिकार नहीं दिया जाता तो उनकी स्थिति गुरुदोषों जैसी रहती है। साथ ही यह अनोकतान्विक भी है। (2) सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसा कोई प्रधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जिससे वे हड्डताल कर सकें प्रधका हड्डताल म भाग ने सके। हड्डताल एक राजनीतिक हवियार है जिससे सफन होने का अर्थ है प्रशासन का पन्न प्रोटोकॉल भी सरकार इसकी अनुमति नहीं दे सकती। जब सरकारी प्रधिकारियों प्रोटोकॉल कर्मचारियों द्वारा प्रशासनिक नीतियों तथा कार्यालयों द्वारा अधिनियम भरते जा प्रधिकार सौंपा गया है, यदि उन्हीं द्वारा सरकार के हाथ काटने का प्रधिकार मौजूप किया गया तो स्थिति बदलता हो जाएगी। (3) सरकारी कर्मचारियों द्वारा वस

बुद्ध ही स्थितियों में हड्डाल करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, और शेष स्थितियों में उनकी हड्डाली प्रक्रियाओं पर फूलें प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए, जो सरकार ने समचारी सार्वजनिक महात्म के कामों में लगे हुए हैं, उन्हें हड्डाल का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, पर जो अधिक सरकारी औद्योगिक मस्थानों में है उन्हें हड्डाल का अधिकार देना निरापद भी है और सावधयक भी।

भारत में द्वितीय वेतन आयोग, प्रशासकीय सुधार आयोग तथा अन्य अनेक सेवा द्वारा सरकारी कर्मचारियों के हड्डाल के अधिकार का नैतिक, व्यावहारिक एवं शासनिक कारणों से विरोध किया गया है। द्वितीय वेतन आयोग (Second Pay Commission) की राय इस प्रकार थी—‘हमारा यह विशित विचार है कि लोडसेवकों द्वारा हड्डाल का आश्वय नेता या उमकी बमारी देना सर्वेत गलत है। पहले और भी गलत है कि उन्हें समृद्धय के चीज़न के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रदर्शन का उत्तराधित्व सौंपा गया है, वे स्वयं अपने हिन्दू-माधव के लिए उन सेवाओं में विघ्न उपस्थित करें तथा उनका विघटन करने का प्रयत्न करें। इस नैतिक पथ के अन्तरिक्ष भारत में जहाँ समाज के किसी न किसी वर्ग में अनुशासनहीनता के भीषण विस्कोट भी सम्भावना प्राप्त बनी ही रहनी है, सरकारी सेवकों की हड्डाल या पदसंघों से सामान्य रूप में अनुशासनहीनता के लिए विशित ही मार्ग प्रस्तुत होता है।’ प्रशासकीय सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission) ने अपने प्रतिवेदन में कहा था—“हमारा यह सुनिश्चित मत है कि शासकीय विभागों में हड्डालों का नोई स्थान नहीं है। शासकीय अधिकारी तो, प्रशासन का धर्म होने के बारण समाज में विशेष स्थिति प्राप्त है। उसके कार्य एवं आचरण का जनना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे उसे विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो जाती है। फलस्वरूप, यह सत्ता एवं समाज का अधिकारी होता है अतः समाज उससे एवं आदर्श नागरिक की भौति आवरण करने की सहज रूप में अपेक्षा करता है जिससे उसके किसी वार्य में समाज का प्रहित न हो। बहुमान में जब शासकीय कामों का प्रभाव सर्वव्यापक है, किसी एक अधिकारी भी भ्रष्टमरण की भत्ते ही वह अल्पकालीन हो, समाज पर अपराध हानि पहुंचा सकती है, अतः शासकीय अधिकारियों को अपनी वैयक्तिक या सामूहिक गिकायनों को दूर करने के लिए प्रतिवायन विचार-विभाग के उपर्युक्त भाष्यमें ही प्रयोग का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें किसी भी अवस्था में प्रशासन का शान्तिपूर्वक धार्य-समानन को अवश्वस्थन करने वाले विष्वसक नरीके नहीं अपनाने चाहिए, अतः अपने सदृश वी प्राप्ति के लिए हड्डाल का मार्ग उसके लिए सुना हुआ नहीं है। इस विचार को भली प्रकार स्वीकार करने हेतु यह आवश्यक है कि शासन में पहले पहले, बरते मण्डल-प्रशिकारी, न्यू हॉल्ड, एक-एक-भारतीय-के अवश्वस्थे में आपसूची घोषणा करनी चाहिए।”

सरकारी कर्मचारियों को जनहित साधन के लिए कुछ कार्य मौजे जाते हैं और यह सर्वथा अनुचित है विं बे इन कार्यों को पूछने की अपेक्षा अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए समाज विरोधी साधन अपनाकर देश और समाज में प्रशासनिक तथा आर्थिक स्कॉट उपचित बरें और विकास की गति में बाधा पहुँचाएं। विश्व का अधिकारी जनपत सरकारी कर्मचारियों की हड्डतालों का विरोधी है, अतः उपयुक्त मार्ग यही है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों का समाप्तान बांधकारी द्वारा किया जाए। बार्टा के लिए समुचित साधन (For Machinery for Negotiation) अपनाएं जाएं और दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति सद्भाव तथा सहयोग से बाहर लें। एक उपाय वचनिर्णय (Arbitration) का है। प्रारम्भ में यह विचार प्रबल था कि राज्य मम्प्रमुहु है, अतः वह वचनिर्णय के माध्यम से कर्मचारियों के साथ अपने विवाद नहीं मुलझा सकता। इमनिए सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था को उपयुक्त समझा गया। बत्तमान समय में वचनिर्णय (Arbitration) व्यवस्था बाज़ी लोकप्रिय होती जा रही है। भारत में सार्वजनिक धेत्र में कर्मचारियों के साथ उठेने वाले विवादों में इस उपाय को विशेष मुदिताजनक और लाभकारी पाया जा रहा है। एक सरीका यह भी है कि प्रबल और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की परिपद बना दी जाए और वह दोनों के बीच विवादों को निपटाने में सहायता दे। हिटले परिपद इसका सुन्दर उदाहरण हैं।

### हड्डताल-विरोधी नीति का शौचित्र्य (Justification of Anti-strike Policy)

अनेक बार यह प्रश्न किया जाता है जब सरकार द्वारा गैर-सरकारी उद्योगों में श्रमिकों के हड्डताल करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की जाती है तो फिर सरकारी कर्मचारियों के हड्डताल के अधिकार को मान्यता दी जाती।<sup>1</sup> इस प्रश्न के उत्तर में विचारकों द्वारा एडनाल-विरोधी नीति का शौचित्र्य मिठ करने के लिए कुछ तर्क वित्तिक किए गए हैं, इनमें मुख्य निम्ननिवित हैं—

1. राज्य मम्प्रमुहु है और उसके आदेशों की अवहेलना अवधा उनके विरुद्ध हड्डताल करना राज्य के प्रति विद्रोह माना जाएगा। इसी तर्क के प्राधार पर 1946 में अमेरिकी कॉमिटी ने यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति संयुक्तराज्य की सरकार के विरुद्ध किसी हड्डताल में शामिल होना है वा सरकार विरोधी हड्डताल वे प्रविधार पर जोर देने वाले किसी सरकारी कर्मचारी मण्डन का सदस्य होना है वह एवं गम्भीर अपराध करने का दोषी होगा।

2. सरकारी गतिविधियों एवं अधिकारी प्रहृति नी होती है, इनमें द्वारा देश की सामाजिक व्यवस्था और मुरक्खा तथा जन-स्त्वारण, गम्भीर रूप से प्रभावित होना है। अन्तर्वरण ऐसे कार्यों के विरुद्ध हड्डताल करने से जनता को अमुख्या और दारण

1 Robert E. Catt, Should Public Employees Have the Right to Strike ? Public Personnel Review (U S A ) Jan 1968, Volume 29, No 1, pp 2-6

दूसरे प्राज्ञ होंगे तथा यह एक जन-प्रत्याग्रह ममझे जाएगा। मरकार द्वारा ऐसे बायं सम्पन्न किए जाने हैं जो समाज के अस्तित्व एवं कल्याण के लिए अनि आवश्यक होते हैं। यानायान के मामूल, खाद्य पदार्थों का उत्पादन पौर वितरण, सचार के मामूलों की व्यवस्था आदि कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनमें हड्डनाल का घर्यं पूरे कामाचिक जीवन में पक्षांशात् वी हिति है। राज्य द्वारा प्रदत्त भूलभूत सेवाओं पर हड्डनाल से देश का सम्पूर्ण धार्यिक जीवन चरमरा कर गिर जाएगा।

3 राज्य कर्मचारियों का कर्मचारी जनना की सेवा करता है। ये एक प्रकार में सरकार द्वारा जन कल्याण के वायित्व को पूरा करने के लिए बाढ़े पर रखे गए प्रभित्ती होते हैं। ऐसी स्थिति में हड्डनाल द्वारा विभिन्न सेवाओं की ठप्प करने वाले राज्य कर्मचारी जनहिन-विशेषी बन जाएंगे। प्रमेहिकी राष्ट्रपति हब्बेन्ट ने 1937 में सधीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय सघ (National Federation of Federal Employees) के प्रध्यक्ष को निहें गए अपने पत्र में इसी तकं का समर्थन हिया था तथा राष्ट्रीय सघ के सचिवान के इस प्रावधान के प्रति सन्तोष प्रस्तुत किया था कि इन्हीं भी परिस्थितियों में यह सम्या मधुनराज्य की सरकार के विषद्द हड्डनाल नहीं करेंगी और न उनका समर्पन ही करेंगी।

4. जब राज्य द्वारा अपने कर्मचारियों को भागारण नामिकों की प्रत्येका विशेषाविकार की स्थिति में रखा जाना है तथा उनकी सेवा की जाने व्यवस्थापन द्वारा मुरलिन की जानी है तो इन कर्मचारियों से भी यह उम्मीद की जानी है कि वे बदले में मुकाबला से सेवाएँ सञ्चालित करें।

5. सरकारी कर्मचारी इनके विश्वमनीय और उत्तरदायी पक्षों पर होते हैं कि वे चाहे तो पूरे देश की स्वतंत्रता में हाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें हड्डनाल का प्रविक्षार नहीं दिया जाना चाहिए।

### हड्डनाल के प्रधिकार का औचित्य

(Justification of Right to Strike)

प्रथमि उपरोक्त वारणी में विभिन्न देशों में हड्डनाल विरोधी नीतियाँ प्रयत्ना कर व्यवस्थापन किए गए हैं इन्हुंनी इनके पलम्बवरूप हड्डनाल हानि को रोका नहीं जा सका है। अमेरिका में हड्डनाल देश की हामाचिक और प्रायिक दशाओं का परिणाम होती है। कर्मचारियों द्वारा हड्डनाल की महारा प्रावारण ही नहीं लिया जाना चाहत् अपनी अम्लनीय रायं की दग्धायों तथा धार्यिक स्थिति के कारण कर्मचारी समझों द्वारा हड्डनाल करने का विरुद्ध लिया जाना है। हड्डनाल विशेषी कानूनों के होते ही भी विभिन्न देशों में राज्य कर्मचारियों द्वारा अधीन दृढ़नाले की जानी है। सार्वत्र में रेखे में जा, हार कर्मचारी, प्रध्यापक, युनिस सेवा पादि में समर्पनमय पर देगन्यायी हड्डनाले होती रही हैं। इन हड्डनालों में मूल हड्डनाल, नाम बन्द, नोडोइ, हिमाल्यक बारदाने, सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त करना पादि तरीके प्रयत्नाएँ भी हैं। अगस्त, 1917 में कुछ केन्द्रीय सेवाओं ने जो प्राप्त हड्डनाल की घमस्ती दी तो सरकार द्वारा सेवाओं में हड्डनाल को बंद करना पड़ा। केन्द्रीय

नागरिक सेवा नियमों में यह जापित किया गया कि दोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा की जरूरी के सम्बन्ध में किसी प्रदर्शन आवाह किसी प्रकार की हड्डताल में भाग नहीं लेगा। इसके बाद भी उच्च यह बताते हैं कि विभिन्न सेवामों के कर्मचारियों ने गैर-कानूनी हड्डतालों की प्रेरण सरकार के हड्डताल-विरोधी दण्डों की परवाह न करके जन-जीवन को अस्त-व्यस्त बिया। न केवल भारत में बरन् ब्रिटेन, अमेरिका और प्रायः मध्ये भी राज्य कर्मचारियों की हड्डताले होनी रही हैं। इस्टर्न डे में 1926 में आम हड्डताल हुई। प्रधानमन्त्री विलमन के वार्षिकाल ने आनं भजदूरों ने गम्भीर हड्डताल भी। इसी प्रकार संयुक्तराज्य अमेरिका में भी हड्डतालों का दौर चलता रहा। 1940 में डेविड जिस्किंड (David Ziskind) ने सरकारी कर्मचारियों की 1116 हड्डतालों की सूची बनाई।

स्पष्ट है कि कानूनी प्रतिबन्ध हड्डतालों का रोकने का अपर्याप्त गाथन है। यदि कर्मचारियों की कार्य की दशाएँ खराब हैं तो कानूनी मान्यता न होने हुए भी हड्डताले होकर रहेंगी। इन हड्डतालों का होना तुरंगमन और सकारण है। इनके पीछे यह श्रीचित्त है कि—(1) इनके माध्यम से कर्मचारी प्रभावजाली तरीके से अपनी भागे प्रस्तुत करते हैं। (2) हड्डतालों के द्वारा राज कर्मचारी अपनी सेवा की जरूरी के सम्बन्ध में सीदेवाजी की उपयुक्त स्थिति में रहने हैं। (3) हड्डताले अमिक दर्गे की एकता और चेतना का प्रतीक समझी जाती है। (4) हड्डतालों द्वारा प्रबन्ध की मनमानी और एकाधिकार पर रोक लगाई जाती है। (5) हड्डतालों द्वारा कर्मचारियों के भन के प्रवाध-विरोधी विचारों और भावों को अभिव्यक्त होने का अवसर दिया जाता है।

स्पष्ट है कि यदी तक हड्डताल का अधिकार एक विवादपूर्ण विषय है। तुद्य का विवाह है कि इस विषय में पर्याप्त कानून होते हुए भी हड्डतालों को जन-वल्याएँ विरोधी बनने से रोकने के लिए पूर्णिम और सेना की सहायता लेना आवश्यक होगा। यदि हड्डताल विरोधी कानून न हो तो स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती है, घन वालन द्वारा हड्डतालों को प्रतिबन्धित बरके राज कर्मचारियों की जनसेवा के लक्ष्य के प्रति संदेश संबंध बनाए रखना चाहिए। दूसरी ओर हड्डताल-विरोधी व्यवस्थाएँ के आलोचकों का वहना है कि ऐसे कानून प्रभावहीन होते हैं। साथ ही ये प्रवादपूर्ण भी हैं। प्रो. स्टॉल ने शब्दों में "हड्डताल के अधिकार को अस्वीकार किए बिना ही हड्डताले रोकी जा सकती है। यससे मेरे इस प्रकार हड्डताल के अधिकार को प्राप्तीरार करने की अपेक्षा अधिक प्रभावजाली तरीके से रोकी जा सकती है।"<sup>1</sup> डॉ एन डी हाइट की मान्यता है कि "हड्डतालों को रोकने के लिए हड्डताल विरोधी कानून बनाने की अपेक्षा ऐसी रचनात्मक नीति अवश्यकी चाहिए जो हड्डताल द्वे कारणों को समाप्त बरके इस दर रोक लगा सके। इनके समानुसार ऐसी नीति की तुद्य उल्लेखनीय बातें ये हो सकती हैं—

1 It is probable that strikes can be prevented without denying the right to strike. In fact they may even be prevented more effectively than by denial of the Right." —O. G. Stahl : op cit., p 254.

1. राज कर्मचारियों को कार्य की न्यायपूर्ण दशाएँ उपलब्ध कराना जो गैर-सरकारी उद्योगों के समक्ष हो।

2 लोकसेवाओं में शैक्षणिक और प्राप्ति कार्य की दशाओं एवं दायित्वों को प्रबन्ध द्वारा संष्ठित घोषित किया जाए।

3 कर्मचारियों के समिति होने और प्राप्ति कार्य की दशाओं के सम्बन्ध में सामूहिक प्रतिनिधित्व एवं बातचीत करने के लिए उपयुक्त सरकारी अधिकारियों में मिलने के पथिकार को मान्यता दी जाए।

4 ऐसे ममुखित बन्ध की व्यवस्था की जाए जिसमें कर्मचारी और प्रबन्ध दोनों का विश्वास हो तथा जो कर्मचारियों की दशाओं को सामूहिक पा व्यक्तिगत रूप में सुनाना का प्रयास कर सके।

संष्टि है कि राज कर्मचारियों को हड़ताल के मार्ग पर अग्रसर होने में रोकने के लिए वेवल नवारात्मक नीतियाँ, बानूनी प्रतिबन्ध और सैनिक कार्यवाहियाँ पर्याप्त नहीं हैं वरन् सवारात्मक नीतियाँ प्रयत्नाते हुए कर्मचारियों की व्यवहारें सुनने के लिए उपयुक्त सौविधानिक प्रवत्तन प्रदान किए जाने चाहिए। कर्मचारियों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे आगनी व्यवहारें उपयुक्त प्रधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत बर भर के। सरकार के साथ विवाद वी लिप्ति में पव-निर्णय की व्यवस्था भी जानी चाहिए। यदि कर्मचारियों को यह सरोका रहा कि उनकी बातें समुखित रूप से सुनो जाएंगी तो हड़तालें नहीं होंगी। डॉ हरमन फाइनर ने हड़ताल सम्बन्धी विश्लेषण का सक्षेप तीन प्रस्तावों के रूप में किया है। उनके अनुसार—

(इ) यदि राज्य द्वारा अपने कानून और परम्पराओं के माध्यम से लोकसेवाओं को कुछ अधिकार प्रदान किए जाएं तो वदले में कर्मचारियों से यह आशा की जा सकती है कि वे सरकार के सम्मुख हड़ताल की प्रमुखिया उत्पन्न नहीं करेंगे।

(उ) राज्य द्वारा सचालित सेवाओं का सम्बन्ध अति आवश्यक और भीड़न परण की प्रकृति के द्वारा से रहता है। इनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता चाहिए अन्यथा यहांसीर वठिनाई पैदा हो जाएगी।

(ग) यदि लोकसेवाओं की मार्ग प्रस्तुत करने के लिए ऐसे अवेदन सौविधानिक मार्गों की व्यवस्था की जाए जिनके द्वारा इनकी मार्गों पर विचार किया जा सके और यदि वे न्यायपूर्ण हैं तो उन्हें सम्मुख भी दिया जा सके तो ऐसी स्थिति म हड़ताल अनावश्यक हो जाएगी।

### नागरिक सेवाको के राजनीतिक अधिकार

(Political Rights of Civil Servants)

राज्य कर्मचारियों दे राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रश्न दो तिरोधी मूल्यों से प्रभावित हैं। एक ओर प्रजातात्मिक मिट्टान् लोकसेवकों को समान राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता एवं प्रदान करने का पक्ष लेने है, दूसरी ओर लोकसेवाओं में कार्यकुराचा भी मार्ग इनके राजनीतिक आवश्यक प्रतिबन्ध लगाने का

समर्थन बरती है। एक और प्रशासनिक दक्षना यह माँग करती है कि राज्य कर्मचारी निवेशीय और निरपेक्ष रूप से वार्षिक करें जिन्हे दूसरी ओर उनकी बढ़नी हुई संख्या दे बारण। यह नीति समाज के एक बहुत बड़े अंग को राजनीतिक दृष्टि से पगु तथा निभिक्य बना देगी। इस प्रकार यह एक गम्भीर समस्या है कि राज्य कर्मचारियों की व्यापकात्मक निवेशीय बनाए रखते हुए उन्हें किस प्रकार सामाजिक नागरिक अधिकार मौजूद जाए। भारत में राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार की नीति एवं वायरनम वी आलोचना बरना तथा राजनीति में भाग लेना मना है। उग्हे मुद्रेप्राप्त मापण देने और समाचार पत्रों में वक्तव्य देने या पुस्तकों लिखने आदि से प्रतिवर्धित होता है। कर्मचारियों को राजनीतिक आनंदोत्तन में भाग लेने से रोका गया है, यहाँ तक कि कर्मचारी के आधिकार भी ऐसी कार्यवाहियों में भाग नहीं ले सकते। सप्तद तथा विधान सभा के लिए निर्वाचितों में राज्य कर्मचारी जिसी पदों का समर्थन या विरोप नहीं कर सकता और न स्वयं चुनाव लड़ सकता है। उसे केवल मतदान का अधिकार है। जहाँ तक नागरिक स्वतन्त्रताओं को सीमित करने का प्रयत्न है उनकी दृष्टि से राज्य कर्मचारी आपस, लेपन आदि द्वारा अपने विचार प्रणट नहीं कर सकते जब तक कि सरकार से पूँजी स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए।

राज्य कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारी में शीटे हृष से दो बारें जामिल है—मताधिकार एवं राजनीतिक निविविधि और विधान सभाओं के लिए प्रत्याशी बनना। आजकल प्राप्त किसी भी देश में लोकसेवकों को मताधिकार में विवित नहीं हिया जाता। इसके विपरीत प्राप्त जनता में पहने हो उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया या क्योंकि प्रजातान्त्रिक शक्ति प्राप्ति के सघर्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों ने पह आपांत्री की कि लोकसेवकों का गत उन्हें प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार नोकसेवकों के मताधिकार को राजनीतिज्ञों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया गया इन्हुंने लोकसेवकों की सहाया बढ़ावे पर भासूहिक आधिक हिन्दौं के प्रुति उनके अधिक सज्ज होने से अब वे राजनीतिज्ञों के मोहरे मात्र नहीं रह गए। फिर भी वर्तमान स्थिति में यह सम्भव नहीं था कि लोकसेवकों को दिए गए मताधिकार उनमें वापस लिए जाते। वर्तमान में लोकसेवकों को मताधिकार का प्रयोग करते समय बाहरी हस्तक्षेप और धमकियों के विद्व सुरक्षा दी जाती है। स्वयं अधिकारी-वर्ग में भी अपनी सत्ता वा दुर्घटना करते हुए अन्य नागरिकों के मताधिकार के निरुद्योग को प्रभावित नहीं कर सकता।

### फ्रांस में राजनीतिक गतिविधियाँ (Political Activities in France)

फ्रांस में राज्य कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों की अधिकतम स्वतन्त्रता प्राप्त है। यहाँ राजनीतिक गतिविधियों को न मना हिया जाता है और अप्रतिष्ठित राजनीतिक है। ये ज्यादा एवं अधिक हैं। चर्चे हैं यिन इमारतों सरकार के ममर्जन में हो तथा इसे देशमत्ति विरोधी, सेना विरोधी, मिशनीकलवारी तथा धर्म से द्रभावित न माना जा सके। धर्मीतात्त्वाल में लोकसेवकों के युवानीतिक

शब्दार के सम्बन्ध में व्यक्तिगत फाइलें बनाई जानी थीं किन्तु अब जीमिल हो, एटा के लेत्राधिकार में राजनीतिक आधार पर अनशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति शामिल नहीं है। इतने पर भी किसी घटिकारी को इतनी स्वतन्त्रता नहीं दी जाई है कि वह मामांस्य हित की प्रवहेतना करते हुए प्रपत्ती खीमांसों से बाहर राजनीतिक, दार्शनिक या धार्मिक दृष्टिकोण से व्यवहार करे।

### ब्रिटेन में नागरिक सेवकों की राजनीतिक गतिविधिया (Political Activities of Civil Servants in Great Britain)

सेट ब्रिटेन में 1910 के मपरिषद् आदेश द्वारा लोकसेवा के परम्परागत शिवाजी को स्वीकार करते हुए कहा गया कि धर्मसिक्षित सेवा के कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक मामलों में स्पष्टत भाग नहीं लेना चाहिए। अनेक विभागीय नियमों द्वारा कर्मचारियों से राजनीतिक स्थायों ता सदस्य बनने राजनीतिक प्रचार करने पर अन्य राजनीतिक प्रदर्शनों में भाग लेने से भना किया गया। 1925 में लोकसेवकों के समूद्र और नगरवालिका के लिए प्रत्याशी बनने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक राजदौलीय समिति बनाई गई। समिति के मतानुसार लोकसेवायों को निष्ठाक बनाए रखने के लिए इन्हे राजनीति में दूर रखना आवश्यक है। लोकसेवकों के लिए राजनीतिज्ञों के व्यवसाय को खुता रखना समिति की राय में लगते हैं लाली नहीं या कशेकि ऐसी स्थिति में लोकसेवक अपने कार्यालय की क्षमता वा प्रयोग राजनीतिक स्वायों की पूर्णि के लिए बरेगा तबा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कार्यालयी स्वायों की पूर्णि के लिए करेगा। 1927 में कर्मचारियों का मस्दीय प्रत्याशी नियम पास हुआ। इसके द्वारा प्रौद्योगिक स्थायों के कर्मचारियों को मस्दीय प्रत्याशी बनने की शक्तियाँ दी गई। 1948-49 में नियुक्त मास्टरमैन समिति (Masterman Committee) ने लोकसेवायों को दो थेंगियों में वर्गीकृत किया। प्रथम थेंगी में वे राज्य कर्मचारी रहे गए, जिनके कार्य में समूद की सदस्यता से हानि तथा झकाझट या सकती थी। दूसरी थेंगी में वे कर्मचारी रहे गए जो सौमद बनने के बाद भी अपने कार्य निर्वाचित हैं से बर सकते थे। द्वितीय थेंगी में तरनीकी एवं प्रौद्योगिक कार्य सम्पन्न बनने वाले कर्मचारियों को रखा गया। समिति का मुझाव यह कि ऐसे कर्मचारियों को खुनाव के लिए एक यास का अवकाश दिया जाए, यदि उनकी सेवा इस वर्ष या उससे भवित हो चुकी है तो उनको पूर्ण वर्दं वा प्रवृत्तिक प्रबद्धता दिया जाए तथा उसके बाद पुनः पढ़ पर ले लिया जाए। समिति के मुझावों के मनूक ही ब्रिटेन में यह व्यवस्था है कि सौमद बनने के बाद प्रौद्योगिक हत्या कानूनी आवश्यकता वे सून में कर्मचारी से त्यागपत्र ले लिया जाता है किन्तु इसके बारे उसकी पुनर्नियुक्ति में इसी प्रकार वी बाबा नहीं आती। अग्र राजनीतिक गतिविधियों की दृष्टि में भी प्रौद्योगिक तथा हाथ से बास करने वाले कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई है कि वे इसी राजनीतिक दृष्टि में सदम्प हो सकते हैं, पूर्ण समा में आपसे बर सकते हैं, लेत लिख सकते हैं दृष्टि में एवं इहां बर सकते हैं, उसके हृत में बायं बर सकते हैं, किन्तु उन पर प्रनिवन्ध यह है

कि वे कार्यालय के गृह कानून का पालन करें तथा कार्यालय के प्रौद्योगिक या भवन में, सरकारी कार्य करते सभी राजनीतिक प्रशंसक पड़ने हुए राजनीतिक कार्यवाहियों अथवा वार्ताद्वारा में भाग न ले। जहाँ तक दूसरी भेणी के कर्मचारियों का प्रश्न है उनमें उक्त राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

प्रिंटिंग राज्य कर्मचारियों को स्थानीय स्वशासन के कार्यों में भाग लेने की स्वतन्त्रता दी गई है। 1909 में बहु यह नियम है कि दिल्लीमें गवर्नर चैम्बर से आज्ञा प्राप्त करने के बाद राज्य कर्मचारी स्थानीय स्वास्थ्य, शिक्षा, सचिवालय, प्रकाशन-व्यवस्था आदि स्थानीय सभस्थायों के समाधान में सहित महत्वोंग प्रदान कर भवता है। बत्तेमान बाल में स्थानीय स्वशासन के कार्यों पर राजनीति वा प्रभाव होने के बारण राज्य कर्मचारियों को दी गई इस सुविधा को सुधेहु की नजर से देखा जाने लगा है।

### भारत में नागरिक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियाँ

(Political Activities of Civil Servants in India)

भारत में सभी प्रबाल के राज्य कर्मचारियों पर केंद्रीय अथवा राज्य व्यवस्थाविकासी के लिए प्रत्याशी घनने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। कोई राज्य कर्मचारी अपने पद से त्यागपत्र दिए बिना विसी चुनाव के निए खड़ा नहीं हो सकता। जहाँ तक अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का प्रश्न है, यहाँ प्रत्येक कर्मचारी से आज्ञा दी जाती है कि वह राजनीतिक मामलों में भौत रहेगा तथा विसी गठ के साथ अपनी सलगता प्रदर्शित नहीं करेगा। वह राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता, उसमें कार्यवाहियों में भाग नहीं ले सकता, दल में कोई पद गढ़ा नहीं कर सकता, शाम समा में भाषण नहीं दे सकता, लेख नहीं निख सकता, चुनाव में हिसी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में प्रबाल नहीं कर सकता। जहाँ तक स्थानीय सभस्थायों के बर्यों में भाग लेने का प्रश्न है, इस मम्बन्ध में 1919 में नगरपालिका एवं स्थानीय स्वायत्त शासन कानून पारित हुआ है। तदनुसार राज्य कर्मचारियों को इन सभस्थायों की सदस्यता से बचन कर दिया गया है।

### संयुक्तराज्य में नागरिक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियाँ

(Political Activities of Civil Servants in U. S. A.)

संयुक्तराज्य अमेरिका में सब सरकार के गवर्नर्स एवं कर्मचारियों को अन्तेवार माने जाता है। इसलिए उनके आचरण का सबर अधिक प्रतिविधियाँ होते हैं। गैर-सरकारी रोजगार वी प्रेस्डा उच्चतर होना चाहिए। यहाँपर सरकार कर्मचारियों वे निजी जीवन में विसी प्रबाल का हस्तरेष नहीं करना चाहती। बिन्दु उनमें पह आणा प्रबश्य करती है कि वे ईमानदार, विश्वसनीय, भरोसेमन्द, सचिवित शीलदात और प्रतिष्ठातृयों द्वारे रखेंगे। इसी लक्ष्य की दृष्टि से राज्य-कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों की प्रतिबन्धित भी नियमित किया जाता है। इस दृष्टि से कुछ उल्लेखनीय बाले निम्नलिखित हैं—

(1) मताविकार एवं निजी मत की स्थतग्रता—अन्य नावरियों की भाँति

राज्य कर्मचारियों को भी मताधिकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उन्हें ऊपर या बाहर के दबाव या आतक के विहङ्ग मुरक्का प्रदान की जाती है। कोई अधिकारी अपनी शक्ति या स्थिति का दबाव अन्न नामियों पर नहीं डाल सकता। भ्राताचार-विरोधी व्यवस्थापन में इस प्रकार के अनेक प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं।

प्रत्येक नागरिक सेवक अपनी नौकरी के अतिरिक्त समय में अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता रखता है किन्तु उसे रेफियो अथवा सभाचार-पत्र में किसी एक पक्ष के प्रति भूकंपर बान नहीं करनी चाहिए, उसे जनविवाद अथवा प्रचार के कार्यों के नहीं उत्तरफला चाहिए।

(ii) अन्य संस्थाओं में गतिविधियाँ—नागरिक सेवक ऐर-राजनीतिक प्रकृति की धारियाँ, सामाजिक एवं आधिक संस्थाओं में भाग ले सकते हैं। उन्हें अपनी व्यावसायिक संस्थाओं में भाग लेने के लिए विशेष रूप से प्रोत्तमाहित किया जाता है। सरकार द्वारा यह जीच करने का पूरा अधिकार है ताकि नागरिक सेवक बिन संस्थाओं में सुक्रिय हैं वे प्रतिबन्धित या राज्य-विरोधी तो नहीं हैं। कर्मचारियों द्वारा अपनी व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी सेवा की जर्ती के हित में व्यवस्थापिक, राजनीतिक दल तथा जनमन को प्रभावित किया जाता है। इनका यह कार्य बहुत कुछ राजनीतिक प्रकृति का बन जाता है।

(iii) राजनीतिक प्रतिबन्ध—नागरिक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। न्यायमूर्ति होम्स (Justice Holmes) के एक प्रमिद्ध वचन के अनुसार 'एक याचिका करने वाला राजनीतिक चर्चा का सांविधानिक अधिकार रख सकता है किन्तु उसे एक रियाही बनने का सांविधानिक अधिकार नहीं है।' कर्मचारी ने निर्धारित जर्ती पर रोजगार स्वीकार किया है इन्हिं वह शिक्षायन नहीं कर सकता।<sup>1</sup> सधीय व्यवस्थापन द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से वार्षिक नियम (Hatch Act) में सुन्दरत इन ग्रावर्थानों को शामिल किया गया तथा सधीय सेवीवर्ग नियमावली (Federal Personnel Manual) के अन्दर में इन नीतियों एवं नियमों को स्थापित किया गया। राज्य कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबन्धों को सुन्दरत चार प्रकारों वे अन्तर्गत रखा जा सकता है।

A) कोई भी राज्यकर्मचारी दलीय प्रचार के लिए तथा दल के बोग के लिए न हृदय योगदान करेगा और न अन्य को ऐसा बरेने के लिए दबाव डालेगा। यह प्रावधान लोकसेवाओं द्वारा निष्पक्षता एवं दोटे कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों तथा दलीय नेताओं के शोषण से बचाने वा प्रयास करता है। नयरपालिका स्तर पर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, जो एक गम्भीर बात है।

(B) राज्यकर्मचारी चुनाव प्रचार में भाग न ले। सधीय लोकसेवकों द्वारे में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी सधीय कर्मचारी अपने पद की सत्ता या

<sup>1</sup> Mc Aniffe v. New Bedford, 155, 216, 1892, 29, NE 517 in Ex parte Curtis 106, U S 371, 1892.

प्रभाव वा प्रयोग चुनावो या उसके परिणामों को प्रभावित करने के लिए नहीं करेगा। वह किसी राजनीतिक प्रबन्ध या प्रचार में सक्रिय भाग नहीं लेगा। उसे मनदान करने तथा सभी राजनीतिक विषयों एवं प्रत्याशियों पर विचार प्रकट करने का अधिकार होगा।<sup>1</sup>

1939 तथा 1940 में पारित हेच अधिनियमों (Hatch Acts) ने उमस सभी संघीय कर्मचारियों तथा संघीय कौप से महायता प्राप्त लालो राज्य एवं नगर-पालिका कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों से अनन्य रखने की व्यवस्था की। इन अधिनियमों में गिनाई गई प्रतिबन्धित राजनीतिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से ये थी—(i) किसी राजनीतिक सम्मेलन में प्रतिनिधि बनाना, (ii) दलीय अधिकारी या दल की समिति के मदस्य वे रूप में कार्य करना, (iii) राजनीतिक रैनियों का भगठन एवं आयोजन, (iv) राजनीतिक मापणादाजियों, (v) दल के लिए चर्चा एकत्रित करना व्यवहा नन भैयना, (vi) किसी प्रत्याशी, दल या गुट के पक्ष या विरोध से कोई वक्तव्य प्रकाशित करना, (vii) राजनीतिक परेड का संयोजन व्यवहा सत्रिय भाषीदारी, (viii) राजनीतिक प्रचार साहित्य का विवरण, (ix) मार्वजनिक वार्यानिय के लिए दलीय प्रशंसा के रूप में प्रयास करना।

(C) राज कर्मचारी राजनीतिक पद के लिए प्रत्याशी नहीं बन सकता। अमेरिका में राजनीतिक प्रत्याशी होना नागरिक सेवक के पद-सम्मान के विपरीत माना जाता है। यही कारण है कि इसके विरुद्ध कठोर कानून बनाए गए हैं। पह ममवत लूट प्रताली की अति के प्रति प्रतिक्रिया का प्रतीक है।

राज्य कर्मचारी का राजनीतिक निर्बाचित पद पर न होना कई कारणों से उपयोगी है। यह लोकसेवायों की निष्पत्ति की रक्ता करता है। राजनीतिक पद से लौटे वर राज्य कर्मचारी न तो जनता की निगाह में निष्पक्ष रह पाता है और न चासनव में निष्पक्ष व्यवहार कर पाता है। राजनीति से लौटे कर्मचारी ने पद का सतर तय करना भी कठिन बन जाता है। इसके विपरीत लोकसेवक के राजनीति में भाग लेने के पक्ष में यह कहा जाता है कि नागरिक सेवक मूलत एक नागरिक है तथा दाद में वह एवं राज्य कर्मचारी है, अत उसे अन्य नागरिकों की भाँति राजनीति में भाग लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

(D) राज्य कर्मचारी कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते और न है। ऐसे संगठन की मदस्यता बढ़ाने का प्रयास वर सकते हैं। मयुक्तराज्य अमेरिका में सामान्य नियम यह है कि व्यक्तिगत रूप से यही राज्य कर्मचारी जो कार्य नहीं वर सकते, वह वे सत्या का मदस्य बन कर नामूहिक रूप से भी नहीं कर सकते। कर्मचारी गढ़ों को राजनीतिक कार्यों से बालग रखा गया है किन्तु व्यवहार में कर्मचारी गढ़ों वे कार्यों का राजनीतिक बनने से रोकना कठिन सांवित हूँगा है। ये संगठन अपने हिनों की गृहि वे निए राजनीतिक दाव-पेंचों में पड़ने से नहीं हिलते।



## Appendix-1

# कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(भारत सरकार गृह मन्त्रालय)

वर्ष 1970 में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक सुधार आयोग जी मिशनिंग के आधार पर एक स्वतंत्र विभाग के रूप में अस्तित्व में आया। यह विभाग हृषि मन्त्री वे नियन्त्रणाधीन वार्ष करता है। इस विभाग के दो दृष्टक स्वरूप प्रथमिक स्वरूप और प्रशासनिक सुधार स्वरूप हैं। कार्मिक स्वरूप कार्मिक प्रशासन के भीतर वहनुपो, जिसमें भर्ती सेवाओं में अनुमूलित जातियों तथा अनुमूलित जनजातियों के लिए प्रारक्षण, पदोन्नति, कैरियर प्रदर्शन, देश के भीतर और विदेश में प्रविष्टण, अनुशासन यनोवत तथा धन्य सेवा वी जनों से सम्बन्धित आमयोग पर कारंवाई करता है। यह विभाग इस दान पर भी विशेष ध्यान देता है कि सेवाओं में भ्रष्टाचार के क्षेत्रे पर रोक लगाई जाए। प्रशासनिक सुधार स्वरूप भारत सरकार के प्रशासनिक दृष्टि में तुषार नाने से सम्बन्धित स्वरूप है जो प्रबन्ध व्यवस्थों परामर्शी सेवाएँ तथा प्राधिकरण व्यवस्था पद्धतियों के विचार की भी व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रखिल भारतीय सेवाओं तथा बेन्द्रीय प्रिविले सेवाओं जैसे भारतीय धर्म सेवा भारतीय सौरियकीय सेवा तथा बेन्द्रीय सर्विकारण सेवाओं का नियन्त्रण तथा विनियमन करता है।

यह विभाग मध्य लोकसेवा आयोग, बेन्द्रीय सरकारी आयोग, इमंगारी व्यवस्था आयोग, बेन्द्रीय ध्यान्वेषण न्यूरो, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से सम्बन्धित प्रशासनिक विषयों पर भी कारंवाई करता है।

यह सुनिश्चित करने की उट्टि से ति केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में गारिम गिए यह कार्मिक उचित रूप से दाये बरें तथा सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के प्रदुनार काये करे, प्रणाली तथा कारंवार कार्मिक प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश से वर्षभारियों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था वी गई है तथा विभाग ने हम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नालवटाहुर शासनी राष्ट्रीय प्रशासन प्रकार्डमी, मम्पो और प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण, तथा प्रदर्शन गश्यान, नई इन्फ्री, जैसे दो प्रशिक्षण संस्थान खोले हुए हैं।

मणिठनात्मक दृष्टि से इस विभाग का प्रशासनिक विषयत्वाणि सत्त्विद के हाथ में हैं जिनकी सहायता के लिए अन्य सहयोगी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के धनाचारा दो प्रबल सत्त्विद तथा छः सदुकृत सचिव हैं। इस विभाग का कार्य निम्न-निमित्त आठ प्रभागों में बांटा गया है—

- प्रशासनिक सुधार
- प्रशासन और प्रशासनिक सतर्कता
- स्थापन
- देवदीय सचिवालय सेवा सहित नीति योजना
- सेवाएँ
- स्थापना अधिकारी का कार्यालय
- कर्मचारी नियाण्ट तथा
- प्रशिक्षण।

इस विभाग के विभिन्न कार्यकलाप संकेत में निम्नानुमार हैं—

#### वार्षिक प्रबन्ध

‘मम्पूर्ण वार्षिक प्रबन्ध, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार के प्रमुख कार्यों में से एक है। इस कार्य में मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर समुचित व्यावसायिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि बाले अधिकारियों का स्थान शामिल है जिसमें कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी दक्षता में सातमल बिठाया जाता है और देश के बाहर और भीनर केरियर प्रबन्ध योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके विकास पर भी ध्यान दिया जाना है।

हमारे कार्यकारी अधिकारियों के लिए इस बात की सर्वेक्षणशक्ति ही है कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्बन्धित विषयों के व्यावसायिकों के साथ समुचित सम्पर्क स्थापित करके अपने ज्ञान को विकसित करने और समय-समय पर उसे अद्यतन करने के प्रबन्ध मिले, अत यह विभाग बाहर के विभिन्न विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय असिकरणों के फैलोशिप के प्रत्तायों और प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करके अपने कार्यकारी दिक्षात कार्यक्रमों की कमी को पूरा करता है। इससे हमारे अधिकारियों को अपनी वर्तमान और भावी नियुक्तियों की भविक प्रभावकारी दृग से निपटादित करने में काफी मदद मिलती है।

इस विभाग का एक अन्य कार्य है विदेश नियुक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न विशेषज्ञताएँ रखने वाले भारतीय विगेषजों वा स्थायी रोस्ट रखना। इस विभाग में जिन विदेश नियुक्तियों पर कार्रवाई की जाती है वे मोटे तौर पर तीन लाख की होती है। विभिन्न विषयों के भारतीय विवेषज (अ) अम्य विकासालील देशों को द्वितीय नियुक्तियों के अध्ययन-पर, (ख) सदुकृतसाध्य और उक्ते सहृदय प्रशिक्षण, को अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के आधार पर और (ग) मित्र देशों को भारतीय सहायता कार्यक्रम के अधीन प्रायोगित लिए जाते हैं।

## सबर्गं प्रबन्ध

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का एक मुन् बायं अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय पर्यं सेवा, भारतीय मौलिकीय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सदाचारों का नियन्त्रण और विनियमन करना है। नभी राज्यों को मिलाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा की सबर्गं पद संस्था लया पहली जनवरी, 1984 को कार्यरत अधिकारियों की संख्या अमंज 5043 तथा 4353 थी। पहली जनवरी, 1983 की स्थिति के अनुसार तमस्वर्णी घोरवे अमंज 4859 थोर 4245 थे।

भारतीय वन सेवा से सम्बन्धित कार्य, जो 31-5-1983 तक इस विभाग ये किया जाना था, दिनांक 1 जून, 1983 से कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग को धनतरित कर दिया गया है।

जहाँ तक कार्मिक और प्रशासनिक मुद्दाएँ हैं, शाकहरतन समिति ने 'अखिल भारतीय सेवाओं' के विषय का अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं जैसे अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 वे प्रधीन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन, संघर्ष-समय पर उसमें किए गए संशोधन, पानिती, इनीशियरी, विकित्सा और स्थानान्तर जैसे दोनों में अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के सम्बन्ध में भी गई कारंडाई, प्रत्येक अखिल भारतीय सेवा में प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट की भूम्पा निधारित करने का तरीका, भर्ती, प्रशिक्षण, कंट्रियर विकास, परीक्षा का तरीका, पाठ्यपत्रम् इत्यादि, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की बोर्डीय सरकार/राज्य सरकारों/सर राज्य देशों/सांबंद्धिक दोनों के उपकरणों द्वायादि म प्रविनियुक्त रहने के सम्बन्ध में नीति और पिछले 10 वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं के बार्फबालाओं की जांच वरने के लिए गठित की गई दिल्ली समिति/आयोग की रिपोर्ट पर प्रारंभिक सामग्री मिलाई गई थी यह अधिकारित मूलता लोकसभा सचिवालय को भेज दी गई थी। बाद में प्राइवेट समिति के अध्यक्ष की इच्छानुसार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग दे सचिव ने 16 घोर 23 दरवरी, 1984 को समिति दे समझ घोषित साध्य दिया था।

अर्थशास्त्र और मौलिकीय सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले कार्मिकों की सरकार की मीण वो पूरा करने के लिए 1961 म भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय मौलिकीय सेवा का गठन किया गया था। यह विभाग मन्त्रिमण्डल सचिव की प्रध्यक्षता में भारतीय अर्थ सेवा बोर्ड/भारतीय मौलिकीय सेवा बोर्ड की माझाह ने इन सेवाओं पर नियन्त्रण रखता है। विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से बन्नुप्रेष दिया गया था इन देशों की समीक्षा वर्ते दिनके कार्य आदिक और मौलिकीय सेवायक है और जो प्रभी नी भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय मौलिकीय सेवा से बाहर है। इन कारंडाई वा दुष्क नाभ दृष्टा है और भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय मौलिकीय सेवा के विभिन्न देशों में प्रत्यावृत्ति पदों को नवने में जापित रहते दिल्ली सरकारी भी या रही है। इनमें अधिकारियों पदों को समुचित देशों में सवर्णीकृत कर दिया

गया है और बाकी पदों को सबगीकृत किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। मारतीय और सेवा/मारतीय साहियकी सेवा के सम्बद्ध में आधिक और साहियकीष कार्यों वाले सबगं—द्वाद्यु पदों की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी घोड़ तथा मधिकालय घोड़ और केन्द्रीय प्राशूलिक सेवा के राभी घोड़ विकेन्द्रीकृत हैं अर्थात् नियुक्तियाँ, पदोन्नति तथा स्पायीकरण सबगंवार किए जाने हैं। प्रत्येक सदग में एक अधदा एक से अधिक मन्त्रालय, विभाग तथा सहभागी सम्बद्ध कार्यालयों के पद शामिल होते हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा वा चयन घोड़ तथा घोड़—I केन्द्रीकृत हैं अर्थात् नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ तथा स्पायीकरण पूरे सचिवालय के आचार पर विए जाते हैं। विकेन्द्रीकृत सबगों के सम्बद्ध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग पदोन्नति के थेट्र नियत करने के लिए और प्रतियोगिता तथा विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से रिक्तियाँ भरने के लिए और विभिन्न सबगों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है और लगातार मानीटर करता रहता है।

### नीति और योजना

इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सेवाओं के कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन और सबगं पुनरीक्षा के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित प्रनुसारण विषयक कार्यकलापों और उससे जुड़े हुए अन्य बायंचालन सम्बन्धी मामले आते हैं।

**अनुसंधान**—वर्ष 1970 में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का गठन करते समय, कार्मिक प्रबन्ध तथा प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान से सम्बन्धित कार्य को भी इसके मुख्य कार्यों में शामिल किया गया था। यह कार्य विभाग के नीति तथा योजना प्रभाग को सौंपा गया था। तदनुसार नीति तथा योजना प्रभाग जनशक्ति नियोजन, मर्त्ति, पदोन्नति नीति, बायं-निष्पादन मूल्यांकन, कंसियर विकास तथा सबगं प्रबन्ध के क्षेत्रों में अनुसंधान पुनरीक्षा तथा मूल्यांकन के कार्यों में लगा हुआ है। विद्यमान नीतियों द्वारा प्रक्रियाओं का विवेकानामक मूल्यांकन करने और जिन क्षेत्रों की भौत ध्यान-दिया जाना आवश्यक है उनका पता लगाने के लिए, जहाँ अपेक्षित हो नुष्ठार के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देने के प्रयत्न किए जाते हैं।

केन्द्रीय सेवाओं की सबगं पुनरीक्षा—नीति और योजना प्रभाग वा एक महत्वपूर्ण बायं समिति केन्द्रीय सेवाओं की सबगं सरचना की आवधिक पुनरीक्षा वरने से सम्बन्धित है। यह प्रभाग सबगं नियन्त्रक प्राधिकारियों को इस विषय पर सलाह दिया बरता है। यह सबगं पुनरीक्षा के प्रस्तावों पर बारंबाई करता है और समूह 'R' वे केन्द्रीय सेवाओं के सबगों की पुनरीक्षा करने के लिए गठित सबगं पुनरीक्षा समितियों के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सबगं नियन्त्रण प्राधिकारियों को समय-समय पर मार्गेदर्शी सिद्धान्त भेजे जाते हैं ताकि सबगं पुनरीक्षा प्रस्ताव तैयार बरने में उनकी मदद हो सके। पिछले दुष्ट समय से यह प्रभाग समूह

'क', 'य' और 'व' सबगों की सर्वर्ग पुनरीज्ञा के कार्य में भी अधिकाधिक व्यस्त रहा है।

### कामिक नीतियाँ

भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और सेवा शर्तों से सम्बन्धित कामिक नीतियाँ तैयार करना कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कामिक नीतियाँ निर्धारित करने तथा इनकी व्याख्या करने सम्बन्धी अपने काय मध्यम ग्रन्थ माध्यमों पर कार्रवाई करने तथा सेवा नियमों द्वारा आदेशों की रचना के सम्बन्ध में सकाह देने के कार्य में सक्तुरित व्यायपूर्ण तथा लोकोपकारक दृष्टिकोण की धारवश्यकता का पूरी तरह ध्यान रखा गया था।

### प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में इस विभाग के मुख्य कार्य ये हैं—

—प्रशासनिक सुधारों से सम्बन्धित नीतियाँ तैयार करना,

—वेम्ब्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी भेत्र के उपकरण तथा स्थानीय निकायों के संगठनों के लिए प्रबन्ध परामर्शात्मक सेवाएँ जुटाना,

—सरकार में प्रबन्ध सम्बन्धी प्रयोग्यों को बढ़ावा देना तथा उनका विकास करना,

—प्रबन्ध शिक्षा की व्यवस्था करना और प्रशासनिक परियोग्यों तथा आधुनिक प्रबन्ध तत्त्वों से सम्बन्धित ज्ञानवारी का प्रसार करना।

इन बाईं को पूरा करने के लिए केन्द्र के विभिन्न मन्त्रालयों तथा राज्य प्रशासनों से लगातार समर्पक बनाए रखा जाता है ताकि सुधार के लिए नए क्षेत्रों का पना लगाया जा सके और इस दिशा में पहले से ही आरम्भ किए गए उपायों से गम्भीर से अनुवर्ती कार्रवाई वी जा सके। प्रशासनिक सुधार संघ केन्द्र तथा राज्यों—दोनों स्तरों पर सुधार सम्बन्धी उपायों के बारे में सूचना-वित्तिमय कार्रतिप का काम भी करना है।

प्रशासनिक सुधारों के द्वेष के विशिष्ट विद्यालयों को निष्ठलिलित शीर्षकों में भवीन रखा जा सकता है—

—प्रबन्ध अध्ययन

—प्रशासनिक सुधार लाने के उपाय

—प्रबन्ध सेवाएँ

—प्रबन्ध शिक्षा

—प्रबन्ध विज्ञान सम्बन्धी प्रकाशन

—नियमों और आदेशों का सुक्रियरण और सर्वोन्नति

### प्रगिक्षण

वार्षिकता तथा सम्प्र प्रशासनिक कार्यक्रमनाम में सुधार लाने के लिए प्रगिक्षण में महत्व वो व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। यह भी माना गया

है कि विद्वास योजनाओं तथा कार्यक्रमों की यथासमय अभियुक्ति के लिए 'प्रशासनिक कार्यक्रमता' को बढ़ाने में प्रशिक्षण लाभकर हो सकता है। इस सन्दर्भ तथा पृष्ठभूमि में, प्रशिक्षण प्रभाग, लोक प्रशासन तथा मामान्य प्रबन्ध के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों के प्रतिपादन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, निश्चन्त लगा रहा है। प्रभाग के उत्तरदायिकों में राज्य सरकारी वी प्रशिक्षण नीतियों के प्रतिपादन तथा अध्याक्षतापों में अधिकारी की आवश्यकताओं का यता लगाने में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने तथा प्रायोजित करने में उनकी सहायता करता और प्रशिक्षण गतिविधियों, स्थानों तथा संगठनों को सहायता प्रदान करना शामिल है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ममूरी तथा सचिवालय प्रशिक्षण प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली की प्रशासनिक जिम्मेदारी भी इसी प्रभाग पर है।

प्रशिक्षण प्रभाग प्रशिक्षण के क्षेत्र में अल्टर्नेटीय अभिकरणों के साथ पारस्परिक सहयोग की इटिंग से सम्बन्ध रखने के लिए वेद्वीय सरकार की एक शीर्षस्थ एजेन्सी भी है।

### प्रशासनिक सतर्कता

(प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग की भूमिका)

कार्यक और प्रशासनिक सुधार विभाग एक प्रमुख संगठन है जो लोक सेवाओं में अनुशासन बनाए रखने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों का निर्धारण करता है। इस हैतियत में यह विभाग विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के अध्यक्षों के बायकलापों में सम्बन्ध स्थापित करता है क्षेत्रिक ये अध्यक्ष अपने अध्ययन संस्थानों/विभागों में अनुशासन बनाए रखने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह विभाग केंद्रीय अन्वेषण स्कूल और केंद्रीय सतर्कता विभाग से सम्बन्धित सभी प्रशासनिक और नीति विषयक मामलों पर भी कार्रवाई करता है।

कार्यक और प्रशासनिक सुधार विभाग मार्तीय प्रशासनिक सेवा और वेद्वीय सचिवालय सेवा (सेवा के बैड-1 और उसके ऊपर) के सदस्यों के विच्छ सतर्कता सम्बन्धी मामलों की जांच करने और उन पर निर्णय लेने के लिए भी जिम्मेदार है।

### कर्मचारी कल्याण

भारत सरकार की कार्यक प्रबन्ध नीति को इन प्रबार से निर्धारित किया जाता है कि उससे प्रशासन वे सभी स्तरों पर कार्यक, मुख्यरित और मम्मुष्ट रख सके और उसी पृष्ठभूमि में एक प्रमुख भविकरण के रूप में कार्यक और प्रशासनिक सुधार विभाग सम्पूर्ण देश में सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए अनेक बह्यालकारी कार्यकलापों को बढ़ावा देना है। ये कार्यकलाप इर्मचारियों के कार्यालय के कार्य समय में और वार्षिक तमाद के बाद उनकी धारासीय कालोनियों में दोनों ही स्थानों पर उनके बह्याल की भावना से व्रेत्ति होने हैं।

### अन्य विषय.

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का सम्बन्ध मुख्यतः, केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित सेवा विषयक मामलों के साथ रहता है। इस विभाग को कठिनतया ऐसा मामलों पर भी कारबाई बरती होनी पड़ती है जो स्पष्टतः इस थेएसी म नहीं आने जैसे कि—(i) 1956 में राज्यों द्वारा पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सेवाधो का एकीकरण पौर (ii) सार्वजनिक शिकायतों का निवारण। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग एक मॉडल प्राविकरण है जो सार्वजनिक शिकायतों का निवारण करने के सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों का भीतर निर्देशन देता है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के मध्ये सार्वजनिक शिकायतों के घायल भी हैं। लोगों से उनकी शिकायतों के बारे में प्राप्त अन्यावेदनों/गिरायतों पर सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के साथ सम्पर्क किया जाता है जिसमें कि उनका निवारण किया जा जाते हैं।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> भारत नदीरा, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, पृष्ठ मांगानक, वारिक दिसेंट 1983-84, दृष्टि 1 से 104.

## Appendix—2

# प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

मारतीय लोक प्रशासन के व्यापक एवं गहन अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय निमिति के गठों वा सुभाव सर्वप्रथम स्वर्गीय थी शशोक चन्द्र ने प्रशासन मन्त्री थी नेहरू को दिया था। 1958-59 में ऐसी ही माँग तत्कालीन वित्त मंत्री थी गोरारजी देसाई ने भी की थी। वर्ग की एक उच्चस्तरीय सुधार समिति थी नियुक्ति के पक्ष का समर्थन मारतीय लोक प्रशासन सम्यान द्वारा आयोजित प्रशासनिक सुधारों पर किए गए एक सम्मलत में किया गया। भाष्टाचार्य विरोध पर सन्धानम प्रतिवेदन के पश्चात् यह माँग जनता एवं सदूच में बलवती हुई। 1964 में जब केन्द्रीय सरकार ने यह मन्त्रालय में पृथक् प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की तो प्रशासनिक सुधार के प्रश्न का राष्ट्रीय महत्व अधिक स्पष्ट होकर सामने आया। इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टियत रखते हुए मारतीय सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना का विर्यंय लिया तबा 5 जनवरी, 1966 को मारतीय सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति का आदेश प्रसारित किया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रयत्ने विभिन्न प्रतिवेदन जिन सिद्धान्तों को दृष्टियत रखते हुए दिए हैं उनका उल्लेख यह मन्त्रालय के 5 जनवरी, 1966 के प्रस्ताव में कर दिया गया था—

1 प्रशासनिक न्यूनता या उपयोगिता की मात्रा अथवा प्रसार को ध्यान में रखा जाए, अर्थात् आयोग सिफारिश करते समय यह विवार करें कि प्रशासन मन्त्री अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए भी उन्हें प्राप्त कर सकेगा अथवा नहीं।

2 प्रशासनिक व्यवस्था तथा प्रक्रिया को विवास कायों की आवश्यकताओं अथवा माँगों के अनुरूप ढाना जाए।

3 प्रस्तावित सुधारों को प्रशासनिक, सामाजिक एवं राजनीतिक चुनौतियों के अनुरूप बनाया जाए।

4 राष्ट्रपुरुषता सुधारने, मिलव्यविता लाने तथा प्रशासनिक स्तर को ऊचा उठाने वी आवश्यकता वो ध्यान में रखा जाए।

5 प्रशासनिक परिवर्तन एवं नवीनीकरण तथा प्रशासनिक स्थायित्व के बीच सन्तुतन बनाए रखा जाए।

6 प्रशासन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया को सुधारने वी आवश्यकता वो स्वीकार किया जाए।

7 प्रशासन में सुधारों की आवश्यकता की समीकरता को प्रशासनों को समझाया जाए।

इन मिल्डाम्बों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने अपने साड़े चार माल के बार्यहाल के समय में भारत सरकार द्वारा 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार हैं—

1. जनन्यभियोग निराकरण की समस्याएँ	1966
2. नियोजन-तम्भ का व्यापक प्रतिवेदन	1967
3. सोक उच्चम	1967
4. वित्त, लेखा एवं अवैधेय	1968
5. आधिक प्रशासन	1968
6. भारत सरकार का प्रशासन तम्भ एवं कार्य-प्रणाली	1968
7. जीवन धीमा निगम	1968
8. नियोजन तम्भ (अन्तिम प्रतिवेदन)	1968
9. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन	1969
10. बेन्द्रगामिन प्रदेशों तथा नेपा का प्रशासन	1969
11. कार्यिक प्रशासन	1969
12. वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रतिवेदन	1969
13. बैंड-राज्य सम्बन्ध	1969
14. राज्य-प्रशासन	1970
15. लघु स्तर प्रदेश	1970
16. रेलवे	1970
17. राजकोष	1970
18. रिक्वें चैक और इंडिया	1970
19. डाकतार	1970
20. वैज्ञानिक विभाग	1970

इन सबै अनिवार्य प्रायोग द्वारा नियुक्त विभिन्न घट्यवन दलों ने 33 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। प्रायोग द्वारा प्रस्तुत सेवीवर्ग प्रशासन सम्बन्धी तथा प्रशासन तम्भ एवं उसकी कार्य-प्रणाली सम्बन्धी मुख्य मिलारियों द्वारा सर्वथी पी डी शर्मा, डी एम. शर्मा एवं नीतम ग्रोवर ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

#### (A) सेवीवर्ग प्रशासन से सम्बन्धित आयोग की मिलारियों

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सेवीवर्ग प्रशासन के विभिन्न गहनुप्रो पर सम्पर्क से विचार किया। केन्द्रीय एवं अविन भारतीय सेवाओं में कार्य, वर्करिंरण, भर्ती, नीति, प्रशिक्षण, पदोन्ननि तथा सेवा एवं अनुशासन सम्बन्धी जनों के बारे में आयोग की महत्वपूर्ण मिलारियों इस प्रकार हैं—

1. आयोग ने इहां है यि भारत सरकार के दायी को विभिन्न भायों में

तिश्चिता मे बौद्धा जाना आवश्यक है। एक ही प्रकार की प्रहृति के कार्यों को एक ही लेन मे वर्णीकृत कर समर्थित कर दिया जाना चाहिए।

2 अधीन सचिव तथा उपसचिव के पदों के बारे मे यह निर्धारित कर दिया जाए कि ये पद केवल मार्गीय प्रशासनिक सेवा के कुछ विशिष्ट अधिकारियों द्वारा अथवा अन्य विशेष प्रकार के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्देशित हो सकें। अधीन सचिव के ये पद जो किमी विशेष शास्त्रा के अन्तर्गत नहीं प्राप्त उन्हें केवल पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

3 उपर्युक्त व्यक्तियों के चुनाव के लिए एक समिति नियुक्त वी जानी चाहिए, जिसका मध्यस्थ केन्द्रीय लोकसेवा आयोग का एक सदस्य हो। इस समिति मे दो उपसचिव होंगे। चुनाव के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार प्रणालीय अपनाई जानी चाहिए तथा नियुक्ति से पूर्व तचिव तथा उसके नामकरण पदों के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

4 प्रशासनिक मुख्यार्थ आयोग की मिफारियों की क्रियान्विति के लिए गृह मन्त्रालय के वायिक विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

5 भर्ती नीति के सम्बन्ध मे प्रशासनिक आयोग का कहना या कि प्रधम थेसी के सदस्य तथा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सदस्य प्रतिवेदी परीक्षायों के माध्यम से चुने जाने चाहिए। परीक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा अधिक से अधिक 28 वर्ष हो तथा एक अस्ति को दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किए जाएं। प्रतियोगियों वी योग्यता परीक्षण के लिए एक बोर्ड गठित किया जाए, जो कि “उनसी लिखित परीक्षा ले, किन्तु अन्तिम रिएर्य केवल केन्द्रीय लोकसेवा आयोग का ही जाना जाए। आयोग ने सुभाव दिया है कि इस पद्धति को पहले तीन वर्षों तक अपनाया जाए और यदि बाद मे उचित जान पड़े तो इसमे पर्याप्त एव समुचित संशोधन किए जाएं।

6 सेवायोग मे प्रधम थेसी के चालीस प्रतिशत पद अनिवार्य हृष से पदोन्नति द्वारा ही भरे जाने चाहिए। द्वितीय थेसी की सेवायोग ये सी अधिक से अधिक पदोन्नति द्वयन मर्ती के हृष मे स्वीकार वी जाए।

7 भर्ती करने वाली समितियों के सम्बन्ध मे आयोग का भत या वि लोक-सेवा आयोग के सदस्यों के चुनाव के लिए लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सम्बन्धित राज्यपाल से परामर्श लिया जाना उपयोगी होगा। केन्द्रीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष का चुनाव अधिकारीय राज्यों वी लोकसेवा आयोग के सदस्यों मे से ही किया जाना उन्नित होगा। प्रत्येक राज्य के लोकसेवा आयोग मे एक सदस्य दूसरे राज्य से लिया जाना चाहिए तथा उसकी गैरक्षणिक योग्यता भी कम से कम स्नातक स्तर दी होनी चाहिए। जो सदस्य केवल चुना जाए वह सरकारी कार्यक्रम मे वाम मे कम दस वर्ष तक बायं कर चुका हो तथा उसका स्तर विभागीय अध्यक्ष अथवा उसके समरक्षीय पद वा हो। यदि गैर-सरकारी व्यक्ति निया जाए तो उसे शिक्षण कार्य प्रथा वकालत आदि का अपेक्षित अनुभव आवश्यक है। केन्द्र मे जो

शक्तियाँ केन्द्रीय लोकसेवा आयोग को प्रदान की गई हैं वे ही शक्तियाँ राज्यों के लोकसेवा आयोग को भी तोनी आएँ।

8 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के वर्षचारियों की भर्ती सरकार के विभिन्न विभाग एक ही एजेन्सी के माध्यम से करें तथा तकनीकी पदों के लिए एक बोर्ड बनाया जाएँ।

9 सुधार आयोग ने सेवोंगं के प्रशिक्षण पर अत्यधिक व्ल दिया है। आयोग का मत था कि अनुभवी एवं प्रशिक्षण व्ल प्रशासनको द्वारा ही प्रशिक्षण नीतियाँ एवं लक्ष्य निर्धारित करवाए जाएँ। सभी मन्त्रालयों को प्रशिक्षण में स्थान दिया जाए और प्रशिक्षणकर्ता पूर्णकालीन सदस्य हो। प्रशासन की राष्ट्रीय प्रकारमी का आधारमूल कोर्स प्रथम श्रेणी की सभी सेवाधारों के लिए अनिवार्य किया जाए तथा आवश्यकतानुसार उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी किए जाएँ। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन प्रामीण क्षेत्र में रहना चाहिए जिससे कि वह गांव की परिस्थितियों से परिचित हो सके। सरकार वो चाहिए कि वह गैर-सरकारी व्यक्तियों, अनुभवी प्रशासकों तथा विशेषज्ञों की एक विशिष्ट समिति गठित करे, जो आधारमूल पाठ्यक्रम में अवधि-समय पर सहोषण करनी रहे। सभी भारतीय प्रशासनिक सेवाधारों के मदस्यों के लिए फील्ड ट्रेनिंग की अवस्था होनी चाहिए तथा इसे परिस्थिति के अनुभाव राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। प्रशिक्षण अवधि में घणिकारियों को ऐसे वरिष्ठ घणिकारियों के साथ कार्य में लगाना चाहिए जिनके आचरण से वे कुछ सीख सकें और प्रेरणा ले सकें। देन्द्रीय सचिवालय सेवाधारों के अधीन सचिवों के लिए बारह सप्ताह की घणवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। सभी प्रकार वो प्रशिक्षण अवस्थाधारों में नीहि तथा योजनाधारों से सम्बन्धित जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए।

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की वर्तमान प्रशिक्षण अवस्था को पुनर्गठित किया जाना चाहिए, जूँकि नवीन परिस्थितियों के अनुसार उसमें सुधार लाया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय प्रशिक्षण डिवीजन के प्रशिक्षण के बारे में नए गोब किए जाएं तथा प्रशिक्षण पद्धति में भी सुधार किया जाए।

10 प्रशासनिक सुधार आयोग ने पदोन्नतिनीति में भी सुधार लाने की मिफारिश की है। आयोग के महानसार जहाँ विभागीय पदोन्नति समितियों नहीं हैं, वहाँ उसका गठन किया जाना आवश्यक माना जाए। इस समिति का अध्यक्ष पर्याप्त उच्च स्तर का घणिकारी होना चाहिए। इस समिति में एक सदस्य ऐसे विभाग में दिया जाए जिसके अधीन पदोन्नति सम्बन्धी समाजों न हो।

प्रत्येक वर्ष के भन्ता में जब इसी घणिकारी के कार्य का मूल्यांकन किया जाए तो उस प्रतिवेदन के साथ एक 300 शब्दों का सार सेव समितिन किया जाना चाहिए। इस बार सेव में इमंडारी द्वारा शपने वाये एवं विशेष उपचारियों का विवरण दिया जाना चाहिए। यह सार सेव में योग्यनीय प्रतिवेदन का ही एक भाग माना जाना चाहिए तथा मन्त्रिम मूल्यांकनकर्ता वरिष्ठ घणिकारी के पास मिजवाना

चाहिए। प्रथम अधिकारी यदि चाहेतो इस सार सेख पर आपना महत भी अक्षित कर सकता है। गोपनीय प्रतिवेदन में मूल्यांकन में केवल तीत थेणीकरण किए जाने चाहिए—(1) असाधारण रूप से पदोन्नति की योग्यता, (2) पदोन्नति की सामान्य योग्यता, तथा (3) बर्तमान में पदोन्नति के लिए अयोग्यता। ऐसी थेणी बनाने की आवश्यकता नहीं है जिसमें किसी अधिकारी को पदोन्नति के लिए स्थाई रूप में अयोग्य माना जाए। प्रथम थेणी में केवल 5 से 10 प्रतिशत तक की सीमा के कम्बंचारियों को ही लिया जाए, साथ ही उनके असाधारण कार्य का उल्लेख भी दिया जाए। वापिक प्रतिवेदन वो गोपनीय रिपोर्ट (कॉनफ़िडेंसल रिपोर्ट) न वह वर कार्य निष्पत्ति प्रतिवेदन (परफोर्मेंस रिपोर्ट) कहना समुचित होगा।

यायोग ने यह मत व्यक्त किया है कि द्वितीय थेणी के अधिकारियों को प्रथम थेणी में पदोन्नत करने के लिए उपलब्ध आवेद्यानों को तो बर्तमान प्रतिवा द्वारा ही भरा जाना चाहिए जिन्हें शेष आवेद्यानों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं ली जानी चाहिए। द्वितीय थेणी के जो अधिकारी एक निर्धारित समय तक सेवा कार्य कर चुके हैं तथा अभी पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं ठहराए गए हैं, उन्हे इन परीक्षाओं में जामिल होने का अवसर दिया जाए। परीक्षा के प्राचार पर प्रत्याशियों की 'ए', 'बी' तथा 'सी' नाम से तीन थेणियों बनाई जा सकती है। 'सी' थेणी में केवल वे ही प्रत्याशी रखे जाएं जो अभी पदोन्नति के बोग्य नहीं हैं। 'बी' में अधिकारी आने चाहिए जो बांधीय स्तर के अनुकूल पाए गए हैं तथा 'ए' में असाधारण योग्यता के अधिकारी को सम्मिलित किया जाए। इन थेणियों के प्राचार पर एक मूल्ची बनाई जा सकती है। एक ही थेणी के प्रत्याशियों को सूचीबद्ध करते समय उनकी वरिष्ठता वा यथेष्ट ध्यान अवश्य रखा जाए। चूंकि ऐसे कम्बंचारियों की मस्तक काफी होनी है, जो तृनीय थेणी से द्वितीय थेणी में पदोन्नति किए जाते हैं, प्रत ऐसे 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारम्भ करता दिवंकसगत होगा। शेष 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के लिए बर्तमान प्रशासनी को ही चान्स रखा जाए।

11 प्रशासनिक मुधार यायोग ने सेवीवर्णं प्रशासन से सम्बन्धित अन्य सामान्य पटनुश्यों पर भी अनुशासन दी है। यायोग ने सुभाव दिया है कि 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरान्त एक सरकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने का विवरण दिया जाना। न्यायसगत है और उसे तदनुसार पेन्जान दी जा सकती है। इसके साथ ही जो कर्मचारी पदोन्नति नीति से किसी कारणवश अमनुष्ट है उनकी सेवा यदि दस वर्ष की अवधि की हो चुकी है तो उन्हे समान सेवा शानी पर सेवा निवृत्त हो जान जी बैलिपिक मुदिधा प्रदान की जानी चाहिए। जहाँ लोकसेवकों को उनकी किसी अधिकता अवधार कार्यक्रमालन के कारण 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर अवधार 25 वर्ष की सेवा अवधि की समाप्ति पर सेवा निवृत्त करना हो वहाँ तो मोक्षार्थीयों की एक मूल्ची बनाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा गठित की जानी चाहिए। यदि कोई मस्थाई कर्मचारी लगातार दृष्ट वर्ष या इससे

अधिक समय तक सरकारी सेवा करता रहा हो तो उसे स्थाई कर्मचारी की भाँति पेशन का पात्र एवं अधिकारी माना जाना चाहिए। इम समय पेशन वी माना रिद्युते तीन वर्ष की सेवा में प्राप्त धौमत बेतन का  $3/8$  भाग है, जिस बद्वावर  $3/6$  किया जाना न्यायमग्न होगा। बरंगान में यह भी प्रतिवार्ष है नि सेवा निवृत्त होने के बाद कोई भी कर्मचारी दो वर्ष तक किसी व्यवसायिक श्रद्धालु अन्य स्थान आदि में कार्य नहीं कर सकता। यह प्रतिवार्ष भवाल किया जा सकता है।

आयोग ने ऐकीवर्ग के आचरण तथा अनुशासन सम्बन्धी नियमों पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अभी तक भर्ती एवं सेवा की सम्पूर्ण शर्तें सीधानिक धार्यार पर राष्ट्रद्वारा द्वारा बनाई जाती रही हैं। यह व्यवस्था कालू रखी जा सकती है किन्तु इन्हे ममदं के समझ प्रस्तुत करना भी अविवार्य किया जाना चाहिए। राज्यों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई जा सकती है।

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सेवा में प्रवेश लेने से पहले यह बताना दे कि वह किसी भी हितनि में हड्डताल पर नहीं जाएगा। आयोग के मनानुभार सरकारी सेवा में मनी होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि वह हड्डताल के साध्य द से किसी लाइ को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सेवा में प्रवेश के समय कर्मचारी से यह प्रतिज्ञा-पत्र लिखवाया जाना चाहिए कि वह हड्डताल में शामिल नहीं होगा। इस घोषणा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पोदी होगा। एक प्रस्ताव द्वारा भरकारी सेवको के सरकार-विरोधी प्रदर्शनों आदि पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए। दिरोध प्रदर्शनों को एक कानूनी प्रवराध घोषित किया जाना चाहिए और इस प्रकार की गणिविधियों के लिए दण्ड-व्यवस्था होनी चाहिए।

विसी भी सरकारी कर्मचारी को तीन माह से अधिक लम्बी अवधि के लिए निम्निकृत नहीं किया जाना चाहिए। यदि उसका केस अद्यालत म हो तो यह अवधि नम्बी हो सकती है।

इस प्रकार प्रशासनिक सुधार आयोग ने कामिक प्रशासन वर्ग के नर्ती, श्रियाण, पदोन्नति तथा आचरण और अनुशासन से सम्बन्धित विभिन्न स्थितियों पर विचार कर उनमें सुधार हेतु जो अनुशासन अस्तुत की है, वे प्रशासन वी काय-कुण्डला एवं उद्देश्योन्मुक्तता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गम्भीर हैं।

### (B) भारत सरकार का प्रशासन तन्त्र तथा

#### उसकी कार्य प्रणाली

भारत सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशासन तन्त्र की नाये प्रणाली पर भी प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

1. ऐनीय मन्त्रिमण्डल में प्रधान मन्त्री सहित मन्त्रियों की कुल संख्या 17 होनी चाहिए तथा अन्त्र-परिषद में यह संख्या अधिक से अधिक 45 नह हो सकती है। सब सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि ऐनीय मन्त्रिमण्डल का प्रधार घोट हो जिन्हे वह एक विशित सम्बन्धित वरने के पक्ष म नहीं है।

2 समदीय सचिव का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश को भारत सरकार ने इमलिए नहीं माना कि समदीय सचिव वा पद उच्च उत्तरदायित्वों को बहन करने की क्षमता बढ़ाता है। इनी प्रकार इस पद को भावी उपभण्डियों, राष्ट्रीय भण्डियों तथा मन्त्रियों के लिए अनुभव प्राप्त करने की एक महत्त्वपूर्ण सीढ़ी कहा जा सकता है।

3 सरकारी प्रशासन तन्त्र को सदाक्ष भगठनारमक सम्बल प्रदान करने के लिए यायोग जाहता था कि उपप्रधान मन्त्री का पद ग्रौपचारिंग रूप से स्वीकार कर दिया जाए। यह उपप्रधान मन्त्री ऐसे सभी विषय एवं वार्षों को सम्भाल सकता है जो प्रधान मन्त्री द्वारा समय समय पर उसे प्रत्याधिकृत किए जाएं। इस सम्बन्ध में सरकार का मत यह रहा है कि उपप्रधान मन्त्री का पद यदि स्थाई रूप से गठित किया जाता है तो आवश्यक जटिलता उत्पन्न हो सकती है। अतः इस पद की रचना प्रधानमन्त्री की इच्छा पर छोड़ दी जानी चाहिए।

4 सामान्यत प्रधान मन्त्री प्रत्यक्ष रूप से किसी भी विभाग के लिए उत्तरदायी न होकर बेबत निर्देशन गमन-वय तथा पर्यवेक्षण का कार्य करे। सरकार के मत में यह प्रधान मन्त्री के स्वित्रिक पर निर्भर रहना चाहिए कि वह निन-निन विभागों को परने प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रखना चाहता है।

5 सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिखित घर्यमिलेसित किए जाने चाहिए, विशेषतया ऐसी स्थिति में जबकि सरकार की नीति किसी ऐसे मामले में पूर्णत स्पष्ट न हो तबा किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर मन्त्री तथा सचिव विभिन्न मत रखते हों। सरकार ने इस सिफारिश को सिद्धांतत स्वीकार कर लिया है।

6 यदि लोकसेवक मन्त्री द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करें, सरकार की स्वीकृत नीतियों के विरुद्ध प्रावधारण करें अथवा बुरे इरादों से कार्य करे तो ऐसी स्थिति में मन्त्री अपने अधीन लोकसेवकों के वार्षों के लिए उत्तरदायी नहीं उद्धराया जाना चाहिए। भारतीय उत्तरदायित्व के मिदान में इस प्रकार आमूल-चूल परिवर्तन बरने की लिकारिश को सरकार नहीं किया है तथा इस परमार्थ में आस्था प्रकट की है जिसके अन्तर्गत मन्त्री अपने अधीन लोकसेवकों के हर कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना है।

7 आयोग की मान्यता थी कि मध्यधान में उल्लिखित राज्य मूल्यों के विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय मन्त्रालय आवश्यक नेतृत्व प्रदान करे राष्ट्रीय नियोजन-निरूपण में सहायता प्रदान करे, राष्ट्रीय स्तर पर अनुमन्धान करे तथा आधारभूत दण के प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। उन्ह चाहिए कि वे कार्यश्रम के मूल्यांकन में पहले वर्ण, राज्यों के बीच अधिक विचार-विनियम मम्बव बताएं तथा प्रावश्यक समन्वय मी स्थापित करें। सरकार ने इस सिफारिश को मिदानत स्वीकार कर दिया है।

8 आयोग जाहता था कि भारत सरकार में एक पृथक् रामिर विभाग की

स्थापना की जाए जो एक सचिव के अधीन रहकर कार्य करे। यह विभाग केन्द्रीय तथा अविन भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में कार्मिक नीतियों का विलेपण करे तथा समय-समय पर उनका मूल्यांकन भी दरे। उसमें यह अपेक्षा भी जाती है कि वह मानव-कृति का नियोजन करे कार्मिक प्रशासन पर शोध करे। मधीय लोकसेवा आयोग राज्य सरकारों तथा व्यावसायिक मण्डलों आदि से सम्पर्क एवं सम्बन्ध स्थापित करे। सरकार ने इस<sup>३</sup> मिफारिंग की उपयोगिता को स्वीकार कर पृथक् कार्मिक विभाग की स्थापना कर दी है। सरकारी निर्णय के अनुसार कार्मिक विभाग मौत्रिमण्डल सचिव के सामान्य निर्देशन में कार्य कर रहा है तथा प्रधान मंत्री स्वयं इम विभाग का पर्यवेक्षण करता है।

इन सुझावों के अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय विभागों तथा मन्त्रालयों में सामान्य परिवर्तनों के लिए अन्य अनुशासनों भी की हैं जिनमें से प्रमेक स्वीकार की जा चुकी हैं। उपर्युक्त विवेदन में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रमुख विभिन्न प्रतिवेदनों में से केवल मुख्य प्रतिवेदनों की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों की व्याख्या मात्र की गई है। यदि प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों का विस्तार से विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि जिन सिद्धान्तों पर आयोग ने वल दिया है उनमें से अधिकांश लोक-प्रशासन की परम्परावादी विचारधाराओं से सम्बन्धित हैं। आयोग ने प्रशासनिक कुशलता, समन्वय, प्रशासकीय शक्तियों के प्रतिविधान, नवीन प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, विकेन्द्रीकरण तथा विशेषीकरण आदि के महत्व पर पर्याप्त बल दिया है। प्रशासन के मानवीय पहलुओं वो सुधारने की आवश्यकता पर भी आयोग ने अपने कार्मिक प्रशासन के प्रतिवेदन में विस्तार से चर्चा की है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि इस पक्ष पर उसना बन नहीं दिया गया जिनना कि प्रयेक्षित था। आयोग ने अपने 20 प्रतिवेदनों में भारतीय प्रशासन के लघुभग सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की है तथा इन सभी क्षेत्रों में सुधार हेतु रचनात्मक सुझाव भी दिए हैं। विश्लेषण की गहनता के बावजूद भी आयोग यह स्थाप्त नहीं कर सका कि विभिन्न स्तरों पर (जैसे जिला, राज्य तथा केन्द्र स्तरों पर) प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रमों को इस प्रकार समन्वित किया जाएगा जिसमें कि वे सहयोगात्मक ढंग से कार्य कर सकें।

### आयोग की सिफारिशों का वार्तान्वयन

प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 20 रिपोर्टों में 578 मिफारिंगें भी थीं। इनमें से 51 मिफारिंगें पूर्ण हो गए थीं और 8 सिफारिशों अक्षत राज्य सरकारों से सम्बन्धित थीं। ऐप 527 (जिनमें 8 भूती सिफारिशें शामिल थीं) मिफारिंगे केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित थीं। मार्च, 1977 तक सरकार ने 518 मिफारिशों पर पूरी तरह से भौत 3 मिफारिशों पर कार्मिक तौर पर निर्णय ले लिए थे। बाद के वर्षों में ऐप मिफारिशों में से अधिकांश पर पहले जनता सरकार ने और तदात्तु पुनर्विभास नरसार ने निर्णय ले लिए।

# प्रश्नावली

## (University Questions)

शधाय 1 (नौकरशाही इसकी प्रहृति और भवपारणाएं, आधुनिक प्रबृत्तियाँ, मास्टिन मार्क्स के विशेष सन्दर्भ में नौकरशाही के रूप)

1 'नौकरशाही' से आप क्या समझते हैं ? इसके गुणों एवं दोषों की विवेचना कीजिए ।

What do you understand by Bureaucracy ? What are its merits and demerits ?

2 नौकरशाही से आप क्या समझते हैं ? मास्टिन मार्क्स द्वारा दिए गए इसके वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए । (1981)

What do you understand by Bureaucracy ? Discuss its classification as given by Morstein Marx

3 नौकरशाही की परिभाषा बताइए । मास्टिन द्वारा दिए गए नौकरशाही के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए । (1981)

Define Bureaucracy. Discuss its merits and demerits as outlined by Morstein Marx

4 "एक समाज कल्याण राज्य में जननम्ब एक घोटा है, वास्तव में शासन तो नौकरशाही का रहता है ।" इस कथन की विस्तृत व्याख्या करते हुए आधुनिक प्रशासन में नौकरशाही का भूत्त्व को समझाइए ।

"In a social welfare state democracy is a misnomer. It is the Bureaucracy that really rules." Elucidate the statement and show the importance of Bureaucracy in Modern Administration

5 नौकरशाही से मापदंश क्या तात्पर्य है ? क्या नौकरशाही प्रशासन के लिए अनरा उत्पन्न करती है ? (1982)

What is meant by Bureaucracy ? Do you think it poses a threat to democracy ?

6 नौकरशाही का अर्थ बताइए तथा इसकी प्रहृति व नश्शेषों का भी वर्णन कीजिए ।

Define Bureaucracy and analyse its nature and attributes.

7 आधुनिक नौकरशाही के सत्तगों का उल्लेख कीजिए । नौकरशाही के मिदान व विकास में मास्टिन मार्क्स के योगदान का परीक्षण कीजिए ।

Give the characteristics of Modern Bureaucracy. Examine the contribution of Morstein Marx to the development of the theory of Bureaucracy

- 8 मार्सेल मार्क के प्रनुसार नौकरशाही की विभिन्न किसियों का विवेचन कीजिए ।  
 (1984)  
 Discuss the various types of Bureaucracy according to Marx
- 9 परम्परागत तथा कल्याणकारी प्रशासन में नौकरशाही की मूलिका की तुलना कीजिए ।  
 (1984)  
 Compare the roles of Bureaucracy in a Traditional and Welfare Administration
- 10 विकासात्मक और कल्याणकारी राज्य में अफसरशाही की मूलिका की चर्चा कीजिए ।  
 (1983)  
 Discuss the roles of Bureaucracy in a developing and welfare states
- 11 नौकरशाही की आधुनिक प्रवधारणाओं पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए ।  
 Attempt a short essay on the modern concepts of Bureaucracy
- 12 नौकरशाही के द्वारे मेंक्य वेवर के विचारों वा आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।  
 Discuss critically the ideas of Max Weber about Bureaucracy
- 13 नौकरशाही के विकास के स्रोत क्या हैं ? नौकरशाही की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए ।  
 What are the sources for the growth of Bureaucracy ? Describe the characteristics of Bureaucracy ?
- 14 नौकरशाही की आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं ?  
 What are the recent trends in Bureaucracy ?
- 15 नौकरशाही के दोषों को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे ?  
 What suggestions would you like to make to remove the effects of Bureaucracy
- 16 'प्रतिवद्ध प्रशासननन्य' पर एक विस्तृत नोट लिखिए ।  
 Write a detailed note on "Committed Bureaucracy"
- प्रश्नावली 2 (लोकसेवाओं का विकास एवं महत्व)**
- 17 लोकसेवाओं के विकास एवं महत्व पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए ।  
 Write a short essay on the development and significance of Public Services
- 18 लोकसेवाओं के स्वरूप को बनाइए । लोकसेवाओं की विशेषताएँ क्या हैं ?  
 Describe the nature of Public Services What are the characteristics of Public Services ?
- 19 1945 के पश्चात् फ्रांस की लोकसेवाओं में किए गए प्रमुख परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए ।  
 Bring out the main changes introduced in the civil service of France since 1945
- 20 संयुक्तराज्य अमेरिका में लोकसेवाओं के विकास वा वर्णन कीजिए ।  
 Describe the development of Public Services in U.S.A
- 21 ब्रेट ब्रिटेन में लोकसेवाओं के विकास वा वर्णन कीजिए ।  
 Describe the development of Public Services in Great Britain

- 22 फ्रांस में लोकसेवाओं के विकास का वर्णन कीजिए।  
 Describe the development of Public Services in France.
- 23 भारत में लोकसेवाओं के ढाँचे के विकास का वर्णन कीजिए। इस दिशा में भारतीय प्रशासनिक सुधार प्रायोग ने जो परिवर्तन मुझाए हैं, उनकी समीक्षा कीजिए।  
 Trace the evolution of the structure of civil services in India. Critically examine the changes suggested by the Administrative Reforms Commission in this respect.
- 24 आधुनिक प्रशासन में लोकसेवाओं के योगदान की विवेचना कीजिए।  
 Examine the role of Civil Service in Modern Administration.
- अध्याय 3 (सेवीवर्गीय प्रशासन की प्रकृति)**
- 25 कार्यिक प्रशासन की परिभाषा बनाइए तथा इसकी हाल की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। (1982)  
 Define Personnel Administration and discuss recent trends in it.
- 26 एक आधुनिक प्रजातात्रीय सरकार में कार्यिक प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? (1981)  
 What are the main objectives of Personnel Administration in a Modern Democratic Government?
- 27 कार्यिक प्रशासन की विषय-वस्तु की व्याख्या कीजिए, एवं हाल के वर्षों में इसके बड़ते हुए महत्व के विषयों पर ध्यान डालिए। (1981)  
 Discuss the subject matter of Personnel Administration and state the reasons for its growing importance in recent years.
- 28 गणतन्त्रात्मक राज्य में कर्मचारी प्रशासन के मुख्य लक्षणों का परीक्षण कीजिए। (1983)  
 Examine the main features of Personnel Administration in a democratic state.
- 29 कार्यिक प्रशासन की परिभाषा कीजिए और इसके मुख्य उद्देश्यों और कार्यों का विवेचन कीजिए।  
 Define Personnel Administration and discuss its main objectives and functions.
- 30 एक अच्छी कार्यिक प्रशासन व्यवस्था की प्रकृति तथा तत्वों का विवेचन कीजिए। (1979)  
 Discuss the nature and elements of a good Personnel Administration System.
- 31 एकार्यिक अधिकारी सेवीवर्ग प्रशासन का अर्थ समझाइए। इसके मूल तत्व या हैं? Explain the meaning of Personnel Administration. What are its basic elements?
- 32 सेवीवर्ग प्रशासन के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।  
 Explain the objects of Personnel Administration.

- 33 एक स्वस्थ सेवीवर्ग नीति के लिन लक्षणों का आप पक्ष लेंगे ?  
What characteristics would you advocate of a healthy personnel policy ?
- 34 सेवीवर्ग प्रशासन व्यवस्थी नीति की व्याख्या दीजिए ।  
Describe the policy relating to Personnel Administration.
- 35 सेवीवर्ग प्रशासन से सम्बन्धित समस्याएँ क्या हैं ? आगे उन्हें दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे ?  
What are the problems relating to Personnel Administration ? Suggest remedies.
- 36 'विकसित देशों में सेवीवर्ग प्रशासन' पर एक मध्यिक लेख लिखिए ।  
Write a short essay on Personnel Administration in Developed Countries .
- 37 विकासशील देशों में सेवीवर्ग प्रशासन की सामान्य विशेषताओं को चिनाइए ।  
Indicate the common characteristics of Personnel Administration in developing countries .
- आध्याय 4 (भारत फ्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में सेवीवर्ग प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन)**
- 38 भारत में कार्यिक अध्यवा सेवीवर्ग प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख दीजिए ।  
Describe the characteristics of Personnel Administration in India .
- 39 भारत सरकार की कार्यिक प्रशासन व्यवस्था अध्यवा संयुक्तराज्य अमेरिका की कार्यिक प्रशासन व्यवस्था का आन्वेचनात्मक परीक्षण दीजिए । (1979)  
Critically examine the system of Personnel Administration either in the Government of India or in the Government of United States of America .
- 40 फ्रिटेन में कार्यिक अध्यवा सेवीवर्ग प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख दीजिए ।  
Describe the characteristics of Personnel Administration in Britain .
- 41 संयुक्तराज्य अमेरिका में सेवीवर्ग प्रशासन की विशेषताएँ चिनाइए ।  
Describe the characteristics of Personnel Administration in U.S.A .
- 42 फ्रैंस में सेवीवर्ग प्रशासन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?  
What are the main characteristics of Personnel Administration in France .
- आध्याय 5 (भारत फ्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस में सेवीवर्ग की भर्ती)**
- 43 लोकसेवाओं में भर्ती की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना दीजिए । आप इनमें किन सुधारों का सुझाव देंगे ?  
Describe the various methods of recruitment to civil services . What improvement would you suggest ?
- 44 लोक कर्मचारियों की भर्ती कैसे होती है ? इन सेवाओं में अधिकारी योग्य अंकितों की आप किस प्रकार गारंटी करेंगे ?  
How Public Servants are recruited ? How will you guarantee the recruitment of ablest persons in these services ?
- 45 भर्ती का अर्थ एवं भर्ती की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट रूप से व्याख्या दीजिए ।  
What do you understand the meaning and procedure of recruitment ? Explain clearly .

46 भर्ती के विभिन्न रूपों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

Write a short essay on different types of recruitment!

47 'प्रान्तरिक भर्ती' व 'बाह्य भर्ती' से बायः अभिप्राय है? इनके गुण व दोषों की विवेचना कीजिए।

What is the meaning of 'recruitment from within' and 'recruitment from without'? Discuss their merits and demerits.

48 आधुनिक साम्य में उच्च प्रशासनकीय सेवाओं में भर्ती होने की प्रणालियों का परीक्षण कीजिए तथा इस माध्यम में जिन सुधारों को आप शूद्रवश्यक समक्ति है, उनका उल्लेख कीजिए।

Examine the systems of recruitment for higher civil services in a modern state and describe the improvements you suggest in this connection.

49 भारत के तिए आप किस प्रणाली को अधिक प्रसन्न करते हैं—'सूट प्रणाली' या 'योग्यता प्रणाली'? कारण दीजिए। सरकारी कर्मचारियों के तिए आप सामान्य योग्यता या विशिष्ट ज्ञान यिनकी बाँब अधिक प्रसन्न करेंगे?

Which system do you prefer for India. Spoils System or Merit System? Give reasons. Will you prefer a test of general ability or specialized knowledge for public employees?

50 अविन भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं में उच्चतर सेवाओं की भर्ती प्रणाली की व्याख्या करें। नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था की तुलना में कहाँ तक अधिक उत्तम है?

(1981)

Explain the system of recruitment of higher civil servants in All India and Central Services. To what extent is the new system a reform over the old one?

51 'प्रतिलिपि भारतीय सेवाएँ' क्या हैं? इनमें आमतौर पर्याप्त भर्ती कैसे की जाती है?

What are 'All India Services' and how is recruitment to these All India Services made now a-days?

(1982)

52 भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती प्रणाली की व्याख्या करें।

Explain the system of recruitment to All India Services in the Government of India

(1982)

53 भारत में उच्च सेवाओं की भर्ती की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसमें सुधार के सुझाव दीजिए।

(1983)

Describe the process of recruitment of the higher civil services in India. Suggest reforms.

54 भारत में उच्च सेवाओं में भर्ती के निए जो नवीन परिवर्तन किए गए हैं, उनका परिचय दें। यन्हीं के तरीकों के दोषों, यदि कोई हैं, की चर्चा करते हुए उनको दूर करने के उपाय सुझाइए।

(1983)

Discuss the recent innovations introduced in the recruitment of higher civil services in India. Point out the defects, if any, in recruitment system and suggest remedies also.

- 55 भारत में उच्चवर्गीय सरकारी सेवाओं में भर्ती किस प्रकार होती है ? भारतीय भर्ती प्रणाली की तुलना अमेरिकन प्रणाली से बीचिए। (1982)  
How are the superior civil services recruited in India? Compare our recruitment pattern with that of U.S.A.

56 भारत के मध्ये नोटसेवा धार्योग के गठन, शक्तियों एवं कार्यों का परीक्षण बीचिए। अपन प्रतिरूप इंग्लैण्ड की स्थाय से इसकी तुलना बीचिए। Examine the composition powers and functions of the Union Public Service Commission in India. How does it compare with its counterpart in the U.K.?

57 भारत में लोकसेवकों की भर्ती के सम्बन्ध में मुख्य समस्याओं की विवेचना बीचिए। (1980)  
Discuss the major problems involved in the recruitment of Civil Servants in India.

58 मनुकराज्य अमेरिका में कार्यकारी सेवकों की भर्ती पर एक विशिष्ट नियन्त्रण विधि। Write a short essay on the recruitment of personnel administration in U.S.A.

59 मनुकराज्य अमेरिका में 'नूट-प्रणाली' एवं 'योग्यता प्रणाली' का मूल्यांकन बीचिए। Evaluate the 'Spoils System' and the 'Merit System' in U.S.A.

60 ब्रिटेन में प्रशासनिक दर्द के सदस्यों की भर्ती तथा प्रशिक्षण प्रणाली का वर्णन बीचिये। Describe how the members of the Administration Group in Britain are recruited and trained.

61 ब्रिटेन की भर्ती प्रणाली या व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का विश्लेषणात्मक विवेचन बीचिए। Analyse the salient features of the recruitment system in U.K.

62 इंग्लैण्ड की फुल्टन कमीटी की प्रमुख विकारियों को सेवा में भर्ती विधि। Explain briefly the major recommendations of the Fulton Committee in the U.K. (1982)

63 इंग्लैण्ड में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती इस प्रकार होती है ? (1981)  
How are the civil servants recruited in England?

64 फ्रांस में नोड कर्मचारियों को किस इकार मर्ती होती है ?  
How are civil servants recruited in France?

65 फ्रांस में उच्चवर्गीय सरकारी कर्मचारियों की भर्ती इस प्रकार होती है ?  
How are superior civil servants recruited in France ? (1991)

66 मनुकराज्य अमेरिका में मिलिटरी सेवा धार्योग के गठन तथा कार्यों का वर्णन बीचिए। Describe the organisation and functions of the Civil Service Commission in the U.S.A.

67 मध्यसंघराज्य अमेरिका के सधीय और भारत के केन्द्रीय लोकसेवा भावोंगे की भूमि का और नायों की तुलना कीजिए।

Compare and contrast the role and functions of the Federal Civil Service Commission in the U.S.A. and the Union Public Service Commission in India.

**प्रथ्याय 6 (भारत ब्रिटेन, समुक्तराज्य अमेरिका तथा प्रांत में सेवा वर्गीकरण की व्यवस्था)**

68 सार्वजनिक वर्मचारियों के वर्गीकरण का क्या आधार होना चाहिए? सेवाप्रो के वर्गीकरण के गुण दोष क्या हैं?

What should be the basis of classification of public servants? What are the merits and demerits of service classification?

69 आप 'वर्गीकरण' शब्द में क्या समझते हैं? वर्गीकरण के लिए किन माध्यों को प्रयोग करते हैं?

What do you know about the term 'classification'? What are the methods adopted for classification?

70 स्थिति वर्गीकरण से प्राप्त क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? इसका वर्तमान सेवाप्रो के प्रशासन में क्या सम्बन्ध है?

What is meant by position classification? What are its essential features and what is its importance in personnel administration?

71 सेवा वर्गीकरण के मूल तत्त्व क्या हैं? सेवा वर्गीकरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

What are the essentials of service classification? Describe the characteristics of classification plan.

72 सेवा वर्गीकरण के महत्व तथा आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

Describe the importance and necessity of service classification.

73 सेवा वर्गीकरण की प्रणालियाँ कौन-कौन सी हैं?

What are the major systems of service classification?

74 भारत में लोकसेवाप्रो के पदों के वर्गीकरण को निर्धारित करने वाले मुख्य नियानों को समझादें। वर्तमान पद-वर्गीकरण में क्या गुण एवं दोष हैं? इसमें सुधार के मुभाव दीजिए। (1982)

Explain the principles governing the classification of Civil Services in India. What are the merits and demerits of the present classification? Suggest reforms.

75 हमारे देश में सिविल सेवाप्रो का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? यह वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? (1982)

How are the civil services classified in our country? Why this classification is necessary?

76 अमेरिका में निविल सर्विस के वर्मचारियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? इसेंड के वर्गीकरण की पद्धति से या किस प्रकार भिन्न है?

How are the civil servants classified in the U.S.A.? How is it different from the British classification system? (1981)

- 77 'रैंक' व 'पद' वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं ? इंटेन और संयुक्तराज्य प्रमेरिका की वर्गीकरण पद्धतियों की तुलना कीजिए। (1979)  
What do you understand by 'Rank' and Position classification? Compare the classification systems for civil service in the U.K. and USA
- 78 प्रमेरिका में सधीय सरकार के स्थानों के वर्गीकरण की प्रणाली की व्याख्या कीजिए।  
Discuss the method of classification of positions in the United States Federal Government?
- 79 'फ्रैंस की सोकलेबा अध्यन विशिष्टवादी है तथा वही विशिष्ट वर्गों का विस्तृत पदान्वयन है।' विवेचना कीजिए। (1982)  
'The French civil service is extremely elitist and there is an elaborate hierarchy of elites.' Comment
- 80 फ्रैंस में पद-वर्गीकरण पर एक निबन्ध लिखिए।  
Write an essay on 'Position-classification' in France
- प्राप्ताय 7 (वेतन प्रशासन : भारत प्रेस्ट इंटेन, संयुक्तराज्य प्रमेरिका तथा फ्रैंस)  
81 सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के निर्धारित करने के प्रमुख आधारों का परीक्षण कीजिए।  
Examine the principal considerations in fixing the pay scales of Government servants
- 82 एक स्वस्थ वेतन-संरचना की क्या विशेषताएँ हैं ?  
What are the characteristics of a sound pay structure?
- 83 भारत में सहकारी सेवायों के वेतनमान निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों पर ध्यान दें। (1981)  
Comment on the principles governing the salary structure of the government employees in India
- 84 भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारक तत्त्वों का परीक्षण कीजिए।  
Examine the determinants of Compensation to Public Servants in India
- 85 प्रमेरिका में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों का परीक्षण कीजिए। (1981)  
Examine the principles governing the salary structure of public services in U.S.A.
- 86 इंडिया में वेतन निर्धारण के सिद्धान्तों को संक्षेप में बनाइए।  
Describe briefly the principles of pay determination in Britain?
- 87 फ्रैंस में वेतन निर्धारण के आधार पर प्रकाश डालिए।  
Throw light on the basis of pay determination in France
- प्राप्ताय 8 (परोन्नति भारत, प्रेस्ट इंटेन, संयुक्तराज्य प्रमेरिका तथा फ्रैंस)  
88 सरकारी सेवा में परोन्नति के बारे में सिद्धान्त होने वाले तथा परोन्नति के निहाय-सीमा सीमान्त्रीय व्यवस्था तथा बायं-विधि का उपयोग किया जाता जाता है ?  
What should be the principles of promotion in public services and what administrative arrangement and system should be used for it?

- 89 उचित पदोन्नति प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालिए और लोक कर्मचारियों की पदोन्नति के विभिन्न मिदानों की विवेचना कीजिए।  
*Bring out the importance of a proper promotion system and discuss the various principles of public employees*
- 90 सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। इनमें से किस प्रकार को आप उपयुक्त समझते हैं और क्यों?  
*Describe the various methods in vogue for the promotion of public servants. Which of these do you prefer and why?*
- 91 'पदोन्नति' शब्द से आप क्या समझते हैं? लोकसेवाओं में पदोन्नति के लिए किन मिदानों का पालन किया जाना चाहिए तथा पदोन्नति करने के लिए क्या इस्तराई हो और क्या प्रक्रिया हो ?  
*What do you understand by the term 'promotion'? What principles should govern promotions in public services and should be the machinery and procedure for making promotions?*
- 92 भारत में अर्थनिक सेवाओं की पदोन्नति वैमे की जाती है? (1984)  
*How are the civil services in India promoted?*
- 93 भारत में लोकसेवा में विद्यमान पदोन्नति के मिदानों का वर्णन कीजिए। इनमें से आप किस मिदान को धेयस्वर ममझते हैं तथा क्यों? (1983)  
*Discuss the principles of promotion in vogue in the Civil Service in India. Which of them do you prefer and why?*
- 94 प्रशासकीय पदाधिकारियों की पदोन्नति को निर्धारित करने वाले भारतीय स्पष्ट कीजिए तथा भारतीय लोकसेवाओं की पदोन्नति में ऐसे बहुत प्रणालियाँ बताइए।  
*Explain the factors which should determine the promotion of the administrative personnel and point out the methods followed in India for promotion of Public Services*
- 95 भारत सरकार की कार्यिक व्यवस्था में पदोन्नति के मिदानों व प्रणालियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (1980)  
*Describe briefly the principles and procedures of promotion in the personnel system of the Government of India.*
- 96 पदोन्नति के लिए उपयुक्त के मूल्यांकन में विभिन्न तरीकों वा आनुचनात्मक विवेचन कीजिए। ब्रिटेन व फ्रांस के असेनिक कर्मचारियों की पदोन्नति के तरीकों की तुलना कीजिए। (1979)  
*Critically examine the different methods of assessing suitability for promotion. Compare the methods of promoting civil servants in the U.K. and France.*
- 97 ब्रिटेन में लोकसेवाओं की पदोन्नति की प्रणाली का परीक्षण कीजिए। प्रामाण्यवाद भारत में इसकी तुलना कीजिए। (1979)  
*Examine the system of promotion of civil services in Britain. Compare it with either France or India.*

- 98 इंग्लैण्ड में सिविल सर्विस के कर्मचारियों की पदोन्नति इस प्रकार की जानी है ?  
 How are civil servants promoted in the U K ?
- 99 फ्रिटेन में पदोन्नति के मिथाना वा वर्णन कीजिए ।  
 Describe the principles of promotion as evolved in U K
- 100 संयुक्तराज्य अमेरिका में पदोन्नति की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ? इसके गुण एवं अवगुण स्पष्ट कीजिए ।  
 What are the main features of the promotion system in U S A ? What are its advantages and defects ?
- 101 फ्रांस में पदोन्नति की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ? इसके गुण एवं अवगुणों को स्पष्ट कीजिए ।  
 What are the main features of the promotion system in France ? What are its advantages and defects ?
- अध्याय 9 (प्रशिक्षण भारत, फ्रेंच फ्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा फ्रांस)**
- 102 आधुनिक राज्य में लोकसेवा कर्मचारियों के प्रशिक्षण, उद्देश्यों, प्रणालियों और प्रकारों पर एक भालोचित्रक निवन्ध लिखिए ।  
 Write a critical essay on aims, systems and kinds of training of public servants in a Modern State
- 103 प्रशिक्षण क्या है ? पहुँचिए से किस प्रकार मिलता है ? लोकसेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए ।  
 What is training ? How does it differ from education ? Discuss the objectives of training in public services
- 104 “प्रशिक्षण वा उद्देश्य मस्तिष्क को विस्तृत करना होता चाहिए ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए ।  
 “Training must aim at broadening the mind” Comment on this statement
- 105 भारतीय प्रशासकीय सेवा में नव प्रवेशकों के लिए प्रशिक्षण की विधान व्यवस्था का वर्णन कीजिए । (1982)  
 Describe the existing system of training for the entrants to Indian Administrative Service
- 106 भारत में उच्च सेवा कर्मचारियों के प्रशिक्षण, उद्देश्य एवं विनियोग प्रकार के प्रशिक्षण वा सभीभात्मक वर्णन कीजिए ।  
 Critically examine the object and various types of training for higher civil servants in India
- 107 भारतीय प्रशासकीय सेवा की प्रशिक्षण-प्रक्रिया समझाइए तथा इसमें सुधार के नुसार दीजिए । (1982)  
 Explain the process of training of the Indian Administrative Service  
 Suggest reforms

- 108 भारत में सोबैसेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों एवं विधियों की विवेचना कीजिए। (1980)  
 Discuss the objectives and methods of training of Civil Servants in India
- 109 अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती हिए गए सोबैसों का प्रशिक्षण प्राजनवल किस प्रकार होता है ? (1982)  
 How are the recruits to All India Services trained these days
- 110 भारत में अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं को प्रशिक्षण दियों कर दिया जाता है ? क्या आपके मतानुसार यह प्रशिक्षण पर्याप्त है ? (1981)  
 How are the All India Services trained to India ? Do you think that this training is adequate ?
- 111 फ्रांस में उच्च सेवाओं को दियों कर प्रशिक्षण दिया जाता है ? (1983)  
 Explain how higher civil services are trained in France ?
- 112 भारत तथा फ्रांस की उच्च स्तरीय सोबैसेवाओं की प्रशिक्षण प्रणाली की तुलना कीजिए। (1979)  
 Compare the system of training of Higher Civil Services in India and France
- 113 प्रवेश पूर्व में व सेवाकालीन प्रशिक्षण से शायद क्या समझते हैं ? ब्रिटेन व फ्रांस में प्रशिक्षण के तरीकों का विवेचन कीजिए। (1979)  
 What do you understand by pre-entry and in service training ? Discuss the methods of training in the U K and France
- 114 फ्रांस में प्रारंभिक सेवाओं का प्रशिक्षण कैसे किया जाता है ? (1984)  
 How is the French Civil Service trained ?
- 115 अमेरिका में सोबैकर्मचारियों वो दिए जाने वाले प्रशिक्षण की प्रकृति तथा विषय सामग्री की विवेचना कीजिए। (1981)  
 Analyse the nature and content of training being imparted to the civil servants in U S A
- 116 ब्रिटेन में सोबैसेवकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था को संक्षेप में बनाइए।  
 Describe briefly the training system of civil servants in Britain
- प्रश्नावली 10** (आचरण के नियम तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदमुक्ति एवं अपीलें, सेवा निवृत्ति लाभ)
- 117 आचरण के नियमों से शायद क्या समझते हैं ? ब्रिटेन, भारत, संयुक्तराज्य अमेरिका और फ्रांस में सोबैसेवकों के आचरण के लिए निर्धारित नियमों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।  
 What do you understand by the Conduct Rules ? Describe briefly the Conduct Rules for civil servants in Britain, India, U S A and France
- 118 एक प्रजातन्त्रीय राज्य में सिविल सेवा-आचार के क्या मापदण्ड होने चाहिए ? ने, प्राप्ति, नेतृत्व, विकास, नियन्त्रण, दृष्टिकोण ?  
 What should be the standards of Civil Service Ethics in a democratic state ? How can these standards be improved ?

- 119 लोक वर्मचारियों के लिए आचरण सहिता की आवश्यकता बताइए। यह आचरण सहिता क्या क्या बातें विधिन करती हैं ?  
 Examine the need for conduct rules for the Civil Service. What do these rules generally prescribe ?
- 120 भारत में सरकारी वर्मचारी के आचार सहिता पर एक निष्पत्ति लिखिए।  
 Write an essay on the conduct rules for civil servants in India. (1982)
- 121 भारतीय सिविल सेवाओं में अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रकृति एवं पदनियन्त्रण की व्याख्या कीजिए। इस सम्बन्ध में सुविधान की घारा 311 का क्या महत्व है ?  
 Discuss the nature and procedure of disciplinary actions against the civil servants in India. What is the significance of Article 311 of the Constitution in this regard ?
- 122 भारत में सरकारी वर्मचारियों को दिए जा सकने वाले विभिन्न दण्डों का वर्णन कीजिए एवं इन कार्यवाहियों के करने की प्रक्रिया को समझाइए।  
 Describe the various penalties that may be imposed on government servants in India, and explain the procedure of taking such actions. (1981)
- 123 भारत में लोकसेवकों के लिए वभी आचार सहिता का परीक्षण कीजिए तथा उसके उल्लंघन पर दिए जाने वाले दण्ड की प्रक्रिया लिखिए। (1983)  
 Examine the conduct rules for civil servants in India and the procedure for disciplinary action for the violation of these rules.
- 124 भारत में लोक-वर्मचारियों पर अनुशासन माद्यव्यवस्थी कार्यवाही की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए।  
 (1981)  
 Examine the procedures for taking disciplinary action against Civil Servants in India.
- 125 राजकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विषय प्रकार प्रारम्भ की जानी है तथा विभिन्न प्रकार के दण्ड केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारियों पर दिए गए तात्पुरता के लिए जाने हैं ?  
 (1980)  
 How disciplinary proceedings are initiated against Government servants and what are the procedures of imposing different penalties on Central Government Employees ?
- 126 भारत में सरकारी वर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के विभिन्न प्रकारों का विवेचन कीजिए।  
 (1980)  
 Discuss the various types of disciplinary actions against Government Servants in India.
- 127 इंग्लैण्ड के सिविल सेविस आचार सहिता के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए।  
 (1981)  
 Describe the main provisions of the civil service conduct rules in U.K.
- 128 अनुशासनिक कार्यवाही में आप क्या समझते हैं ? इंटर्व्यू में अनुशासनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के तरीकों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।  
 (1979)  
 What do you understand by disciplinary action ? Critically examine the methods for disciplinary action against the civil servants in the U.K.

- 129 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सन्दर्भ में भारत वे सधीय लोकसेवा आयोग की भूमिका वी तुलना अमेरिका में सधीय लोकसेवा आयोग की भूमिका से कीजिए। (1979)  
 Compare the role of the Union Public Service Commission in India with that of the Federal Civil Service Commission in the U S A in relation to the disciplinary actions against Government employees
- 130 अमेरिका तथा फ्रांस में लोक कर्मचारियों की अचार सहिता का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।  
 Make a comparative analysis of conduct rules applicable to civil servants in U S A and France
- 131 'मध्यकराज्य अमेरिका में अनुशासन, पदमुक्ति तथा अपील' पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिए।  
 Write a short essay on 'Disciplinary Action, Removal and Appeal in U S A'
- 132 अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की प्रक्रिया को व्याख्या कीजिए। (1982)  
 Discuss the system of disciplinary proceedings against the civil servants in U S A
- 133 अमेरिका में कुछेकां आचार नियमों वी चर्चा कीजिए तथा उत्तर उल्लंघन करने वाली के विरुद्ध अनुशासनीय कार्य की विधि भी बताइए।  
 Discuss some of the conduct rules of civil servants and the procedure of disciplinary action for their breach (1984)
- 134 इंग्लैण्ड अथवा फ्रांस में लोकसेवायों की निवृत्ति प्रणाली तथा सेवा निवृत्ति लाभों की विवेचना कीजिए। (1979)  
 Discuss the system of retirement and the retirement benefits of the civil service in either U K or France
- 135 दर्तमान कार्मिक प्रशासन में विवाहन तथा अपील की प्रणाली का विवेचन कीजिए।  
 Discuss the system of Removal and Appeals in Modern Personnel Administration
- ध्याय 11 (कर्मचारी संगठन एव प्रतिनिधित्व, सेवा विवाद, इन्सीड मे हिटलेवाद, हड्डताल का अधिकार तथा नागरिक सेवकों के राजनीतिक अधिकार)
- 136 वपा लोकसेवकों को संगठन बनाने प्रीर हड्डताल करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? एक स्थिति स्वीकार कीजिए प्रीर तर्क दीजिए।  
 Should public servants be allowed to unionise and have a right to strike?  
 Take a position and give reasons
- 137 "यह एक आधुनिक प्रवृत्ति हो गई है कि कर्मचारी उस संगठन में हो जिससे वह सम्बद्ध हो।" इस कथन की व्याख्या दीजिए।  
 "Recently there has been a tendency for the establishment of employees participation in the personnel system to which they belong." Comment and discuss this statement

138 लोकसेवा के सदस्यों द्वारा मजदूर सघ बनाने के पक्ष की समीक्षा दीजिए एवं इसकी विवेचना कीजिए कि उन्हें हड्डताल करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं ?

Examine the case for the formation of Trade Unions by the members of Public Services and discuss whether they should have the right to strike

139 हिटले परिषद् क्या है ? क्या भारत में हिटले परिषद् व्यवस्था है ? उसमें सुधार के लिए आप क्या सुझाव देते हैं ?

What are Whitley Councils ? Do we have Whitley Councils system in India ? What suggestions would you make for improving them ?

140 हिटलेवाद से आप क्या समझते हैं ? यू. के. में इसके आरम्भ और विकास का इतिहास दीजिए । (1983)

What do you understand by Whitleyism ? Trace its origin and development in U.K.

141 लोकसेवक संगठन का भारत के उदाहरण देते हुए विस्तृत वर्णन दीजिए ।

Write an essay on Employees Association in Government with particular reference to India

142 भारत में सरकारी कर्मचारियों तथा केन्द्रीय शासन के बीच विवादों को निपटाने की व्यवस्था है ? विवेचना कीजिए ।

What is method of settlement of disputes between central government and employees of India ? Discuss

143 क्या सरकारी कर्मचारी को हड्डताल करने का अधिकार मिलना चाहिए ? सरकारण उत्तर दीजिए । जास्त और उसके कर्मचारियों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए आप क्या औत-कौन से उपायों का सुझाव देंगे ?

Should public servants be given the right to strike ? Give reasons for your answer. What other methods would you suggest to settle disputes between the Government of India and its servants ?

144 क्या आप इस रूप से सहमत हैं कि लोकसेवारों को हड्डताल करने का अधिकार होना चाहिए ? प्रयत्ने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए और 'इस सम्बन्ध में इरनण्ड, प्रमेरिका तथा फ्रैंस में जो वियम अपनाए गए हैं, उनका उदाहरण दीजिए । (1979)

Do you agree with the view that the Civil Services should have the right to strike ? Give arguments in support of your answer illustrating it with rules followed in this respect in U.K., U.S.A. and France

145 मिलिन कर्मचारियों के हड्डनाल के अधिकार के पक्ष और विपक्ष में यतों का विवेचन कीजिए । ब्रिटेन और फ्रैंस में हड्डताल के अधिकार की स्थिति का वर्णन कीजिए । (1979)

Examine the arguments for and against the right to strike by civil servants  
Point out the position regarding right to strike in U.K. and France

146 क्या लोकसेवारों को हड्डताल का अधिकार दिया जाना चाहिए ? यू.एस.ए. तथा भारत में लोक सेवकों के हड्डताल के अधिकार की व्याख्या कीजिए ।

Should the civil servants be given the right to strike ? Explain the right of strike of civil servants in U.S.A. and India

- 147 यथा भारत में असंनिक सेवाधोको हड़नाल करने का अधिकार प्राप्त है ? इम सम्बन्ध में अमेरिका में क्या स्थिति है ?  
 Have the civil servants in India the right to strike ? What is the situation in U.S.A. ?
- 148 भारत, फ्रांस तथा अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों के हड़नाल बरने के अधिकार का परीक्षण कीजिए। (1981)  
 Examine the civil servants' right to strike in India, France and U.S.A.
- 149 लोकसेवकों की शिकायतों का निवारण क्योंकर किया जा सकता है ? इनमें उत्तर की भारतीय और वर्तनवी प्रशासिक प्रविधि के उदाहरणों द्वारा पुष्ट कीजिए। (1983)  
 How can the grievances of the civil servants be redressed ? Illustrate your answer with examples from British and Indian Administrative systems.
- 150 इंग्लैण्ड में ह्विटले परिषदों के गठन एवं कार्य-प्रणाली की विवेचना कीजिए। Discuss the organisation and working of the Whitley Councils in Britain (1982)
- 151 इंग्लैण्ड तथा भारत में सेवा सम्बन्धी भगडों का निपटान कैसे किया जाता है ? How are the service disputes settled in U.K. and India ? (1984)
- 152 अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा भारत में असंनिक सेवाधोकों के राजनीतिक अधिकारों की तुलना कीजिए। (1984)  
 Compare the political rights of civil servants in U.S.A., U.K. and India
- 153 ब्रिटेन में शामन तथा उसके कर्मचारियों के बीच परामर्श, वर्ता तथा परामर्श की प्रणालियों की विवेचना कीजिए। (1981)  
 Discuss the system of consultation, negotiation and arbitration between the government and its employees in Britain
- 154 भारत में कर्मचारियों से विचार-विमर्श एवं परामर्श की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। (1982)  
 Discuss the process of consultation with the employees and arbitration in India
- 155 अमेरिका में निविल मर्सिस यूनियनों के उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। (1981)  
 Discuss the objectives and activities of the civil service unions in the U.S.A.
- 156 अमेरिका, इंग्लैण्ड एवं भारत की समितियों के कार्यों पर एवं भासोबनाध्यक निवन्ध लिखिए। इंग्लैण्ड की ह्विटले कीमिल से यह किस प्रकार भिन्न है ?
- 157 ब्रिटेन में निविल कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारों का विवेचन कीजिए। फ्रांस में प्राप्त अधिकारों से ये किस भीमा तक भिन्न है ? Examine the political rights of the civil servants in the U.K. To what extent do these rights differ from those enjoyed in France ?

### अन्य अहसूष्ट पूर्ण प्रश्न एवं टिप्पणियाँ

- 158 इ ग्लॉड में पदोन्नति की मशीनरी को समझाइए। (1981)  
Explain the promotion making machinery in the U K.
- 159 फ्रांस की मिश्रिन्द सर्विस व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। (1981)  
Discuss the salient features of the French Civil Service System.
- 160 अमेरिकन सर्विस सर्विस में हाल के वर्षों में हुए सुधारों पर एक निबन्ध लिखिए। (1982)  
Write an essay on the recent reforms in the U S Civil Service.
- 161 अमेरिकन सर्विस सर्विस व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों को समझाइए एवं इ ग्लॉड की सर्विस व्यवस्था से इसकी तुलना कीजिए। (1982)  
Explain the salient features of the American Civil Service and compare it with the British Civil Service.
- 162 ब्रिटिश और अमेरिका की सेवाओं की मुख्य विशेषताओं की तुलना कीजिए। (1983)  
Compare the salient features of British and American Civil Services.
- 163 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—  
(अ) भारत म स्टाफ कॉमिटी  
(ब) अमेरिका में सेवानिवृत्ति लाभ  
(स) इ ग्लॉड म सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकार  
(द) कौन सी प्रशासनीय व्यवस्था ने सर्विस सर्विस का स्थान (1981)  
Write short notes on any two of the following  
(a) Staff Councils in India  
(b) Retirement benefits in U S A  
(c) Political rights of the civil servants in the U K  
(d) The position of the civil service in the French Administrative System.
- 164 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—  
(i) भारत में प्रनुगूचिन जातियों एवं प्रनुगूचिन जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण  
(ii) फ्रांस म सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकार  
(iii) इ ग्लॉड में मन्त्रियों एवं सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध  
(iv) अमेरिका का सर्विस गविस्त अधिनियम 1883 (1981)  
Write short notes on any two of the following  
(i) Reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Civil Service in India  
(ii) Political rights of the Civil Servants in India  
(iii) Minister-Civil Servants relationship in the U K.  
(iv) The Civil Service Act, 1883 of the U S A

165 नियन्त्रिति मे से दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

- (i) भारत मे भेदान्वयित लाभ
- (ii) इंग्लैण्ड मे सरकारी कर्मचारियो की राजनीतिक तट्ठा<sup>यता</sup>
- (iii) फ्रांस मे सरकारी कर्मचारियो के राजनीतिक अधिकार
- (iv) अमेरिका मे सरकारी कर्मचारियो का प्रशिक्षण

(1982)

Write short notes on any two of the following

- (i) Retirement benefits in India
- (ii) Political neutrality of the civil servants in the U K
- (iii) Political rights of the civil servants in France
- (iv) Training of the civil servants in U S A

166 नियन्त्रिति मे दो किन्ही दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—

(अ) ब्रिटिश सेवाकारी की राजनीतिक नियन्त्रणता

(ब) भारत अधिकारी यू पर ए मे उच्चति प्रणाली

(स) फ्रांस या यू के मे नोकसेवको को अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाले लाभ

(द) ब्रिटिश लोकसेवाकारी मे मर्ने

प्रृष्ठा १००० रुपया ०० रुपया ०० रुपया ००

- (a) Political neutrality of British Civil Service
- (b) Promotion system in India or U S A
- (c) Retirement Benefits of civil servants in France or U K
- (d) Recruitment of British Civil Service

167 नियन्त्रिति मे किन्ही दो पर टिप्पणी लिखिए—

- (अ) ह्विटलेवाद
- (ब) मैक्स वेबर की नीहरशाही की कल्पना
- (स) अधीनिक सेवायो का वर्णकरण
- (द) सेवा अवकाश लाभ

(1984)

Write notes on any two of the following :

- (a) Whitleyism
- (b) Max Weber's concept of the Bureaucracy.
- (c) Classification of Civil Services
- (d) Retirement Benefits